षोडश माला, खंड 2, अंक 10

शुक्रवार, 18 जुलाई, 2014
आषाढ़, 27, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 91
Dated 18 Jan 2018

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : एक सौ पंद्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. श्रीधरन
महासचिव
लोक सभा

पी.वी. एल.एन. मूर्ति
संयुक्त सचिव

ऊषा जैन
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

कीर्ति प्रभा
सम्पादक

धर्म सिंह
सम्पादक

अन्जु मीना
सहायक सम्पादक

© 2014 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[षोडश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2014/1936 (शक)]

अंक 10, शुक्रवार, 18 जुलाई, 2014/27 आषाढ़, 1936 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 165	1-55
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 166 से 180	56-205
अतारांकित प्रश्न संख्या 1215 से 1444	205-1188
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1188-1202
सभा का कार्य	1202-1206
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड	1206
(दो) कॉफी बोर्ड	1206-1207
(तीन) चाय बोर्ड	1207-1208
(चार) मसाला बोर्ड	1208
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बजट, 2014-15	
श्री अरुण जेटली	1208-1222
सामान्य बजट (2014-15) सामान्य चर्चा **अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2011-12**	
श्री ददन मिश्रा	1242-1244
श्रीमती संतोष अहलावत	1244-1246
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	1246-1250
योगी आदित्यनाथ	1251-1254
श्री अक्षय यादव	1254
श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया	1254-1256
श्री देवजी एम. पटेल	1256-1259
श्रीमती ज्योति धुर्वे	1259-1262
श्री रामसिंह राठवा	1262-1265
श्री राम कृपाल यादव	1265-1266

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित '+' चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री सुनील कुमार सिंह	1266–1271
श्री पशुपति नाथ सिंह	1271–1273
श्री शिवकुमार उदासि	1273–1276
श्री राजकुमार सैनी	1276–1279
श्री हंसराज गंगाराम अहीर	1279–1282
श्री लड्डू किशोर स्वाइं	1282–1284
कुमारी शोभा कारान्दलाजे	1284–1287
श्री रामचन्द्र हांसदा	1287–1288
श्री चांद नाथ	1289–1290
श्री सी. गोपालकृष्णन	1291–1292
डॉ. यशवंत सिंह	1293–1294
श्री पी. नागराजन	1294–1297
डॉ. रामशंकर कठेरिया	1297–1289
श्री के. परसुरमन	1298–1300
श्री अरुण जेटली	1300–1320
विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2014	
पुरःस्थापित केरने के लिए प्रस्ताव	1319–1320
श्री अरुण जेटली	1319–1321
विचार करने के लिए प्रस्ताव	1321
खंड 2, 3 और 1	1321
पारित करने के लिए प्रस्ताव	1322
गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प	
(एक) हिमालयी राज्यों के विकास हेतु एक नए केन्द्रीय मंत्रालय का गठन	
श्री भर्तृहरि महताब	1322–1324
श्री हुक्मदेव नारायण यादव	1325–1328
श्री अधीर रंजन चौधरी	1328–1331
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	1331–1334
श्री बी. विनोद कुमार	1335–1336
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	1336–1338

विषय **कॉलम**

श्री अनुराग सिंह ठाकुर 1338-1347

श्री विनसेंट एच. पाला 1347-1351

डॉ. सत्यपाल सिंह 1351

श्री रमेश बिधूड़ी 1352-1354

श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी 1354-1356

श्री एस.एस. अहलुवालिया 1356-1359

श्री अश्विनी कुमार चौबे 1360-1363

डॉ. जितेन्द्र सिंह 1363-1367

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' 1367-1368

संकल्प वापस लिया 1368

(दो) राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

श्री राजू शेट्टी 1368

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1369-1370

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1370-1376

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1377-1378

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1377-1380

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. एम. तंबिदुरै
श्री हुक्मदेव नारायण यादव
प्रो. के.वी. थॉमस
श्री आनंदराव अडसुल
श्री प्रहलाद जोशी
डॉ. रत्ना डे (नाग)
श्री रमेन डेका
श्री कोनाकल्ला नारायण राव
श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री पी. श्रीधरन

लोक सभा

शुक्रवार, 18 जुलाई, 2014/27 आषाढ़, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुई]*

[हिन्दी]

सुश्री महबूबा मुफ़्ती (अनन्तनाग) : अध्यक्ष जी, गाजा पट्टी में अब तक 250 लोग मारे गये हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है। वहां सरकार को इंटरवीन करने की जरूरत है। वहां रोजाना औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ नहीं। क्वैश्चन नं. 161, श्री पी.के. बिजू।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की परियोजनाएं

***161. श्री पी.के. बिजू :**
श्री राजीव प्रताप रूडी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रमुख परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के कारण क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ परियोजना-वार कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता थी, कितनी धनराशि आवंटित की गई, कितनी जारी की गई तथा कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई;

(ग) क्या इस समय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिकों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में कुल कितने वैज्ञानिकों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफा देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उपरोक्त मुद्दों के समाधान हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रमुख चालू परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के कारणों सहित, उनके पूरा होने की मूल तथा संशोधित तारीख, स्वीकृत लागत, गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष (30 जून तक) के दौरान किए गए व्यय के संबंध में परियोजना-व्यय ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:—

क्र. सं.	परियोजना	पूरा होने की संभावित तारीख		स्वीकृत लागत (करोड़ रुपए में)	के दौरान किया गया व्यय			
		मूल	संशोधित		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हल्का युद्धक विमान (एलसीए), चरण-II	दिसंबर 2008	मार्च 2015	5777.56	449.90	429.38	268.99	40.09
		विलंब के कारण: • कंपोजिट विंग्स की री-डिजाइनिंग। बनावट मानक तथा विमान सविन्यास (फैब्रिकेशन) में परिवर्तन। • प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत देशों द्वारा प्रौद्योगिकी देने से इंकार।						

1	2	3	4	5	6	7	8	9

- एचएएल में अपर्यापत उत्पादन सुविधा। वर्तमान में, एचएएल 8 विमान प्रतिवर्ष की बजाए 4 विमान प्रतिवर्ष उत्पादन कर रहा है।
- संरचनात्मक डिजाइन में सामने आई अप्रत्याशित जटिलताएं।
- देश में अवसंरचना तथा दक्ष जनशक्ति की कमी।

(प्रारंभिक संक्रियात्मक स्वीकृति (आईओसी-I) जनवरी, 2011 में प्राप्त की गई। स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में चल रही लंबी यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दिसंबर 2013 में प्रारंभिक संक्रियात्मक स्वीकृति-II प्राप्त करके मिली जिसमें रक्षा मंत्री द्वारा बेंगलूरु में वायुसेना अध्यक्ष को "रिलीज टू सर्विस सर्टिफिकेट" सौंपा गया। अंतिम संक्रियात्मक स्वीकृति (एफओसी) मार्च 2015 में मिलने की संभावना है।)

2.	नौसेना हल्का युद्धक विमान (एलसीए, नौसेना) चरण-I	मार्च 2010	दिस. 2014	1714.98	177.56	283.07	144.50	19.15

विलंब के कारण:

- देश में पहली बार एक मालवाहक नौसेनिक विमान के डिजाइन एवं विकास हेतु प्रयास किया जा रहा है।
- प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियां प्रारंभ में लगाए गए अनुमानों से कहीं बहुत अधिक रही हैं।
- लैंडिंग गियर तथा अरैस्टर हुक प्रणाली हेतु नई सामग्री के विकास में अनुमान से ज्यादा समय लगा।
- संरचनात्मक डिजाइन में अप्रत्याशित जटिलताएं सामने आईं।
- साझा संसाधनों के कारण एलसीए वायुसेना के विकास में विलंब के फलस्वरूप एलसीए नौसेना में विलंब हुआ।

(समुद्र-तट आधारित परीक्षण सुविधा शुरू कर दी गई है।)

3.	एयरो इंजन कावेरी (पीडीसी संशोधनाधीन है)	दिसंबर 1996	दिसंबर 2009	2839.00	44.62	15.39	10.56	0.37

विलंब के कारण:

- इंजन पद्धति की जटिलताओं के कारण विकास के दौरान प्रौद्योगिकी संबंधी कठिनाईयां सामने आईं।
- देश में कच्चे माल की अनुपलब्धता।
- परीक्षण सुविधाओं जैसे उच्च तुंगता परीक्षण सुविधा, फुलस्केल फैन, कंप्रैसर, कम्बस्टर एवं बर्नर पश्चात् परीक्षण सुविधा की कमी।
- महत्वपूर्ण प्रणालियों तथा घटकों के प्राप्त होने में विफलता।
- कावेरी कोर (काबिनी) इंजन विकास और इसकी ऊंचाई परीक्षण तथा फ्लाईट टैस्ट बैड (एफटीबी: परीक्षणों को शामिल किया जाना, जिनको मूल रूप में शामिल नहीं किया गया था।

(भारतीय मानवरहित स्ट्राइक एयर व्हीकल हेतु पावर प्लांट के रूप में कावेरी इंजन के शुष्क रूपांतर के प्रयोग की योजना है)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	वायुवाहित शीघ्र चेतावनी एवं नियंत्रण (एईडब्ल्यू एंड सी) प्रणाली	अक्तूबर 2011	अक्तूबर 2014	2275.00	181.46	157.85	81.87	8.62
		विलंब के कारण: • भारतीय वायुसेना द्वारा अतिरिक्त संक्रियात्मक आवश्यकताओं के प्रस्ताव और पारस्परिक रूप से सहमत संक्रियात्मक आवश्यकताओं की अनुपालना दस्तावेज के निर्गम द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के कारण 27 माह का विलंब। • आइसिंग प्रमाणन के अंतर्गत संक्रिया हेतु विमान के प्रमाणन की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण, जिसकी वजह से विमान तथा मिशन प्रणालियों संबंधी अतिरिक्त डिजाइन कार्य की आवश्यकता पड़ी और इस प्रकार विमान की सुपुर्दगी में विलंब हुआ। • प्रथम विमान की प्राप्ति में 12 माह का विलंब तथा दूसरे विमान की सुपुर्दगी में 14 माह का विलंब। • आज तक की स्थिति के अनुसार, तीसरे विमान की सुपुर्दगी में अनुमानित 12 माह का विलंब।						
5.	लड़ाकू विमान हेतु ईडब्ल्यू सूईट (ईडब्ल्यूएसएफए)-तेजस	मार्च 2011	दिसंबर 2014	154.74	21.23	0.83	0.23	0.27
		विलंब के कारण: • विकास दृष्टिकोण में बदलाव। • तेजस प्लेटफॉर्म के अभिनिर्धारण में विलंब। • जटिलता के कारण, अपेक्षित प्रणाली कार्यात्मकता तथा निष्पादन की प्राप्ति के लिए 3 से 4 पुनरावृत्तियों की आवश्यकता पड़ी।						
6.	लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र (एलआर-एसएएम)	मई 2011	दिसंबर 2015	2606.02	20.28	45.09	68.17	6.31
		विलंब के कारण: • आईएआई, इजरायल (डिजाइन प्राधिकरण) द्वारा निष्पादन आवश्यकताओं का बीच में बड़ा वृद्धिकारी संशोधन। • अनेक नई प्रौद्योगिकियां पहली बार विकसित की गईं। • सभी स्वरूपों में प्रक्षेपास्त्र निष्पादन की प्राप्ति के लिए मुख्य संविदाकार द्वारा सर्वो न्यूमेटिक से इलेक्ट्रो-मेकेनिकल में डिजायन बदलाव के कारण रियर सैक्शन विकास एवं उत्पादन में विलंब। • राकेट मोटर की कंबश्चन इंस्टेबिलिटी की प्रौद्योगिकी चुनौती जिसमें ज्यादा समय लगा। *(सितंबर 2014 में एचओटी परीक्षण की योजना है।)*						
7.	हेलिकॉप्टर वर्जन थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडिड मिसाइल, हेलिना	दिसंबर 2010	दिसंबर 2015	72.00	9.65	7.79	4.10	0.63
		विलंब के कारण: • परियोजना की शुरूआत नाग प्रक्षेपास्त्र के हार्डवेयर के प्रयोग किए जाने के उद्देश्य के साथ की गई। चूंकि यह एक एयर-बोर्न लांचर है, इसलिए चार कैंटिड नोजल वाली प्रोपल्सन प्रणाली को प्रयोक्ता द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया। इसलिए, विन्यास और प्रोपल्सन प्रणाली को 2013 में पुनः डिजाइन किया गया। *(प्रक्षेपास्त्र का चरणबद्ध ढंग से 2013 और 2014 में हेलिकॉप्टर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।)*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, अस्त्र	अगस्त 2012	दिसंबर 2016	955.00	49.24	39.97	28.84	3.78
		विलंब के कारण: • लांच के समय स्थिरता प्राप्त करने के लिए एयरो डायनामिक विन्यास का पुन: डिजाइन तथा प्रोपल्सन यूनिट का विन्यास और पुनर्विन्यास। • धुंआ रहित प्रोपलैंट, हाई बैड विड्थ इलैक्ट्रो-मकेनिकल एक्चेयर प्रणाली तथा लघुतर व्यास के कंपेक्ट सीकर के विकास में विलंब। *(एसयू-30 से परीक्षण जारी है।)*						
9.	लड़ाकू विमान हेतु डुअल कलर मिसाइल अप्रौच वार्निंग सिस्टम	जून 2013	जून 2015	273.80	48.02	6.47	2.26	0.27
		विलंब के कारण: • लक्ष्य विमान एसयू-30 एमके-I था। तकनीकी तथा संक्रियात्मक आवश्यकताओं के कारण संवेदक संस्थापना में बदलाव किए गए।						
10.	उन्नत हल्के टारपीडो	अगस्त 2013	दिसंबर 2015	194.53	10.63	14.27	9.01	3.16
		विलंब के कारण: • स्वदेशी विकास अभिकरण एचबीएल, हैदराबाद को 120 कि.वाट वारशॉट बैटरी का विकास करने में समय लगा है।						

(ग) इस समय रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में 7536 वैज्ञानिकों की स्वीकृत नफरी के मुकाबले 7551 वैज्ञानिक कार्यरत हैं। तथापि, डीआरडीओ में वर्ष 2001 से वैज्ञानिक जनशक्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है जबकि भारत की सामरिक तथा रणनीतिक रक्षा आवश्यकताओं के मद्देनजर आकार तथा प्रौद्योगिकीय जटिलता के संदर्भ में परियोजनाओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गई है। डीआरडीओ के लिए वैज्ञानिकों के 2776 पदों सहित अतिरिक्त 4966 पदों की वृद्धि के लिए अंतरमंत्रालयी विचार-विमर्शों के पश्चात् एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव की योजना बनाई गई है।

(घ) डीआरडीओ में वर्ष 2011, 2012, 2013 और 2014 (10 जुलाई तक) के दौरान 219 वैज्ञानिकों ने अपने पदों से त्यागपत्र दिया है। वर्ष-वार तथा पदवार आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	2011	2012	2013	2014 (10 जुलाई, 2014 तक)	कुल
वैज्ञानिक 'बी'	58	46	26	03	133
वैज्ञानिक 'सी'	21	16	22	05	64
वैज्ञानिक 'डी'	05	04	06	01	16
वैज्ञानिक 'ई'	01	01	03	—	05
वैज्ञानिक 'एफ'	01	—	—	—	01
कुल	86	67	57	09	219

डीआरडीओ से वर्ष 2011-14 के दौरान किसी वैज्ञानिक 'जी', वैज्ञानिक 'एच' तथा विशिष्ट वैज्ञानिक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

जिन वैज्ञानिकों ने त्यागपत्र दिया है उन्होंने डीआरडीओ छोड़ने का कारण अपने व्यक्तिगत/घरेलू आधार को दर्शाया है। तथापि, यह माना जाता है कि दूसरे संगठनों/उद्योगों में उपलब्ध वर्धित अवसर/प्रोत्साहन ऐसे त्यागपत्रों के मुख्य कारण हैं।

(ङ) चालू परियोजनाओं के पूरा करने में विलंब तथा वैज्ञानिकों के संगठन छोड़ जाने पर नियंत्रण के मुद्दों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक/उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उपचारात्मक उपाय इस प्रकार हैं:—

- अति महत्वपूर्ण संघटकों के डिजाइन, विकास तथा फैब्रिकेशन के लिए सहकारी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।
- प्रमुख परियोजनाओं/कार्यक्रमों में त्रि-स्तरीय परियोजना मॉनीटरिंग दृष्टिकोण को लागू किया गया है।
- प्रमुख परियोजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए नियमित रूप से परियोजना मॉनीटरी पुनरीक्षा समिति (पीएमआरसी) तथा परियोजना मूल्यांकन एवं पुनरीक्षा समिति (पीएआरसी) की बैठकों का आयोजन किया जाता है।
- प्रौद्योगिकी गहन परियोजनाओं में समवर्ती इंजीनियरों दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि प्रणालियों के विकास और उत्पादनीकरण के बीच समयांतराल को कम-कम किया जा सके।
- सूचना प्रौद्योगिकी तथा आधुनिकी प्रबंधन तकनीकों को लागू किया जा रहा है।
- प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक वित्तपोषण को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उनके शीघ्रतम पूर्ण होने की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया जा सके।
- सामूहिक (कलस्टर) बैठकों के जरिए प्रयोक्ता सेवाओं, डीआरडीओ तथा उत्पादन एजेंसियों के बीच सहक्रिया तथा बेहतर समन्वय को बढ़ाना।

डीआरडीओ वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन

वैज्ञानिकों की कमी दूरी करने के लिए सुधारात्मक उपायों के रूप में निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए गए हैं:—

- प्रत्येक ग्रेड में पदोन्नति होने पर दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां।
- फास्ट ट्रक पर प्रदत्त पदोन्नतियों में छह तक परिवर्तनशील वेतनवृद्धियां।
- सभी वैज्ञानिकों को व्यावसायिक अद्यतन भत्ता।
- डीआरडीओ प्रायोजित उम्मीदवारों के रूप में प्रतिष्ठित संस्थानों जैसेकि आईआईटी/आईआईएससी आदि में उच्च शिक्षा अर्जित करने के अवसर।
- वैज्ञानिकों के योगदानों की मान्यता के लिए उन्हें युवा वैज्ञानिक, वर्ष का वैज्ञानिक तथा अन्य डीआरडीओ पुरस्कार आदि दिया जाना।
- कार्यस्थलों तथा रिहायशी परिसरों में भी उत्कृष्ट अवसंरचना सुविधाएं बनाई गई हैं।

सरकार नाभिकीय ऊर्जा विभाग (डीएई) तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के समान ही डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीआरआईएस) प्रदान करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

श्री पी.के. बिजू : अध्यक्ष महोदया, डीआरडीओ ने केवल रक्षा क्षेत्र बल्कि देशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए हमारे देश का एक महत्वपूर्ण संगठन है। डीआरडीओ की कुछ उपलब्धियों में पृथ्वी 2 मिसाइल, अग्नि मिसाइल 1, 2, 4 और 5 तथा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रमुख है। किन्तु डीआरडीओ की बजटीय सहायता में कमी की जा रही है। वर्ष 2005-06 में पिछले वर्ष की तुलना में रक्षा बजट में 33.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2009-10 में इसमें 30.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु वर्ष 2012-13 में केवल 3.7 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। चालू वर्ष में कुल रक्षा बजट 2,26,000 करोड़ रुपए है। किन्तु सरकार देशी प्रौद्योगिक को बढ़ावा देने के प्रति अनिच्छुक है। सरकार रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे रही है। उपयुक्त बजटीय सहायता के साथ विद्यमान डीआरडीओ संस्थाओं को प्रोत्साहित किए बिना हम इनमें ऊर्जा का संचार कैसे कर सकते हैं?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं, आप विदाउट नोटिस रोज-रोज मामला नहीं उठा सकते। यस, मि. मिनिस्टर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है, बिना किसी नोटिस के रोज-रोज मामला नहीं उठाते।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.के. बिजू : हम जीडीपी के एक प्रतिशत से भी कम खर्च करते हैं और हमारा वैश्विक हथियार व्यापार 12 प्रतिशत का है। सभा पटल पर रखे गए अपने उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि कई कारणों जिनमें आरंभिक विकास, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय जटिलताएं, अवसंरचना की अनुपलब्धता, महत्वपूर्ण संगठनों की अनुपलब्धता, उपकरण और सामग्रियों की कमी शामिल है, के कारण परियोजनाएं पिछड़ रही हैं। हमारी डीआरडीओ संस्थाओं के 500 से अधिक वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। क्या भारत सरकार ने इसकी जांच करने के लिए कोई कदम उठाया है कि इन वैज्ञानिकों ने डीआरडीओ से इस्तीफा क्यों दिया है? अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने विद्यमान परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने नोटिस भी नहीं दिया। आप सदन के कामकाज को समझा करो। जी नहीं कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मैं कैसे कुछ उत्तर दूं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है, विदाउट नोटिस नहीं बोलें। क्वैश्चन ऑवर में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लीज, बैठ जाइए। यह प्रश्न काल चल रहा है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : नो महबूबा जी, आप बिना किसी कारण के बोल रही हो। बिना नोटिस ऐसा नहीं होता। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

माननीय अध्यक्ष : आप तरीके समझो और फिर मामला उठाओ। आपने कोई नोटिस नहीं दिया। ऐसे नहीं चिल्लाते हैं। आप बैठिये। उचित समय पर उचित बात उठानी होती है। नहीं, यह तरीका नहीं है। जी हां मंत्री जी।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष : आप सभी सदस्यों के साथ अन्याय कर रहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने एक सवाल में कई सवाल पूछे हैं।

यह कहना उचित नहीं है कि किसी भी रूप में निधियों की कमी के कारण डीआरडीओ के कार्यकरण में कटौती की गई है। डीआरडीओ में हमारे वैज्ञानिक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसलिए आज भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास कई प्रकार की क्षमताएं हैं, जो क्षमताएं विश्व के कई देशों के पास नहीं हैं।...*(व्यवधान)* डीआरडीओ के लिए निधियों में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की जा रही है। उदाहरण के लिए गत वर्ष इसे 11,500 करोड़ रुपए की निधि प्रदान की गई। इस वर्ष, हमने इसमें 3,000 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी की है। माननीय सदस्य ने रक्षा बजट का जो आंकड़ा प्रदान किया है, वह अंतरिम बजट अथवा लेखानुदान का आंकड़ा है। अंतिम बजट जिसे मैंने पेश किया है और जो आज अनुमोदन के लिए है, में मैंने रक्षा बजट में 5,000 करोड़ रुपए की और बढ़ोत्तरी की है।...*(व्यवधान)*

जहां तक वैज्ञानिकों के इस्तीफा का संबंध है, डीआरडीओ के पास वैज्ञानिकों का एक बड़ा समूह है। इसमें हजारों वैज्ञानिको कार्यरत हैं। ...*(व्यवधान)* इस्तीफा देने वाले वैज्ञानिकों, जिन्होंने कई कारणों से इस्तीफा दिया है और हो सकता है कि उन्होंने बेहतर नौकरी के अवसर के लिए ऐसा किया हो, की संख्या बहुत कम है। उदाहरण के लिए, 2013 में मेरे पास उपलब्ध अंतिम आंकड़े के अनुसार कुल 7,547 वैज्ञानिकों में से केवल 57 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया है। यह आंकड़ा एक प्रतिशत और किसी भी संगठन से इस्तीफा देने वाले लोगों के प्रतिशत से कम है और यह स्वाभाविक है।...*(व्यवधान)*

जहां तक देरी का संबंध है, मैं मानता हूं कि अत्यधिक देरी कहना अनुपयुक्त होगा। जहां परियोजना बड़ी होती है, वहां देरी का तात्पर्य उस परियोजना को पूरा किए जाने से होता है।...*(व्यवधान)* देरी का तात्पर्य यह नहीं होता है कि कोई कार्य नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि 20 एयरक्राफ्ट बनाए जाने हैं, तो वे सभी एयरक्राफ्ट बन गए हैं, सभी इस्तेमाल में हैं किन्तु अंतिम एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया है। इसलिए हम कहते हैं कि देरी हुई है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको दोबारा कह रही हूं कि यह तरीका ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.के. बिजू : अध्यक्ष महोदया, क्या सरकार विद्यमान डीआरडीओ संस्थाओं के साथ कार्य करने के लिए निजी कंपनियों को एफडीआई या पीपीपी माध्यम से आने की अनुमति प्रदान करेगी? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि त्रिवेन्द्रम में ब्रह्मोस को एक्टिवेट करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : महोदया, ये अलग मुद्दे हैं। मैं दूसरे भाग के संबंध में सदस्य को बताना चाहता हूं जो कि मुख्य प्रश्न से नही निकला है...*(व्यवधान)*

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, सरकार ने डीआरडीओ के किसी विदेशी कंपनी के साथ सहयोग के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है...*(व्यवधान)* यदि डीआरडीओ किसी स्तर पर ऐसा करना चाहता है तो सरकार उस स्तर पर मामले में निर्णय लेगी। लेकिन हम जो कुछ निर्णय लेंगे वह स्वदेशी अनुसंधान के हित में होगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, सबसे बड़ी बात मैं आज माननीय मंत्री जी के उत्तर में देख रहा था कि जब से अपनी सरकार आई है उत्तर में बड़ा परिवर्तन हुआ है और बड़े विस्तार से प्रश्नों के तथा सभी विषयों की जानकारी दी गई है।...*(व्यवधान)*

महोदया, हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि DRDO has batches of excellence उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन सीएजी ओर कई संस्थाओं ने उनके ऊपर टिप्पणियां की हैं। विशेषकर एलसीए-नेवी, सैम मिसाइल्स, डुअल एडवांस्ड टोरपैडोस और कई सारी चीज़ें हैं, जिनका निर्माण समय पर नहीं हो पा रहा है।...*(व्यवधान)* मैं सरकार से यह कतई नहीं पूछना चाहूंगा कि यह कब तक पूरा होगा।...*(व्यवधान)* क्योंकि हमारी सरकार अभी आई है।...*(व्यवधान)* ये तमाम महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन मोटे तौर पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो विलंब से चल रहे हैं, नई शुरूआत में हम इसमें कैसे प्रयास कर सकते हैं, ताकि ये तमाम प्रोजेक्ट्स निर्धारित समय में पूरे हो जाएं?...*(व्यवधान)* बदली हुई परिस्थितियों में, जिनमें हम एफडीआई बढ़ा रहे हैं, उनका समन्वय डीआरडीओ के साथ कैसे हो सकेगा, ताकि इन सभी लंबित निर्माण कार्यों को हम जल्द से जल्द पूरा करा सकें और डीआरडीओ जैसी संस्था को और मजबूत एवं सम्मानजनक बना सकें।

माननीय अध्यक्ष : महबूबा मुफ्ती जी, आप एक बात और भी समझिये, यह डिफेंस के संदर्भ में प्रश्न चल रहा है। इस देश के हिसाब से यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कृपया, आप शांत हो जाइये। मंत्री जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसका यह अर्थ न लिया जाये कि डीआरडीओ में इन विषयों पर काम बहुत विलंब से हो रहा है।...*(व्यवधान)* उदाहरण के तौर पर मैं आपको दो उदाहरण बताता हूं।...*(व्यवधान)* लाइट काम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, फेज वन में आठ एयरक्राफ्ट बनने थे, बाद में योजना बदल गयी। तीन प्रोटोटाइप और सात रेग्युलर एयरक्राफ्ट बन रहे हैं।...*(व्यवधान)* उसमें से जो उनके मेन एयरक्राफ्ट थे, वे बनकर अब उड़ रहे हैं।...*(व्यवधान)* लेकिन जब तक इन पूरे दस की मैन्युफैक्चरिंग समाप्त नहीं होगी, तब तक हम उसे विलंब मानते हैं।...*(व्यवधान)* उसी प्रकार से नेवल काम्बैट एयरक्राफ्ट फोर्थ जेनरेशन एयरक्राफ्ट है।...*(व्यवधान)* यह एयरक्राफ्ट बन गया है और उड़ रहा है।...*(व्यवधान)* अब एयरफोर्स चाहती है कि अब उन्हें बीस ऐसे एयरक्राफ्ट और मिलें और टोटल योजना चालीस बनाने की है।...*(व्यवधान)* इसलिए जब तक वे बीस पूरे नहीं होंगे, उसे हम विलंब मानते हैं।...*(व्यवधान)*

डॉ. रामशंकर कठेरिया : महोदया, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आप हेड फोन लगा लीजिए, आपको सुनाई देगा।

...*(व्यवधान)*

सुश्री महबूबा मुफ़्ती : सदन में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हम वाक आउट करते हैं।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.12 बजे

तत्पश्चात् सुश्री महबूबा मुफ़्ती और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से चले गए।

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस : भारत उन देशों में से एक है जो विदेश से रक्षा उपकरणों की खरीद पर बहुत धन खर्च करता है। अब सरकार का विचार रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई लाने का है। साथ ही, डीआरडीओ जैसे संस्थान को उचित समर्थन नहीं मिल रहा है। यह आम धारणा है। लगभग दस बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। क्या विदेश से खरीददारी तथा 49 प्रतिशत एफडीआई से हमारे अपने संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा?

श्री अरुण जेटली : महोदया, इस प्रश्न को पूछने के लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। आम धारणा कि डीआरडीओ पीछे चल रहा है

और बहुत कुछ नहीं हो रहा है तथा सरकार इसकी सहायता नहीं कर रही है, यह तथ्यपरक नहीं है। यह ऐसा मामला है जहां हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने शानदार कार्य किया है। हम बहुस्तरीय रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता अंतर-महाद्वीपीय बैलेसिक मिसाइल, स्वदेशी चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, परमाणु क्षमता युक्त पनडुबियां, बैलेस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम, मुख्य युद्धक टैंक जैसी क्षमता के कारण चुनिंदा देशों में से एक है। ये स्वयं में विदेशी क्षमता है जिसका निर्माण किया गया है।

अब सरकार का उद्देश्य यह रहा है कि हम ऐसी स्थिति से बाहर आएं जहां हम पूरे विश्व से खरीददारी करते है तथा विश्व में रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आयातकों में से एक हैं। जहां तक विश्व की बात है, हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बहुत अधिक धन खर्च करते हैं। इसका उद्देश्य भारत के अंदर घरेलू क्षमता का निर्माण करना तथा उस प्रौद्योगिकी को देश के अंदर लाना है। वह डीआरडीओ को उस प्रकार की क्षमताओं से लैस करेगा जिसका निर्माण हमने किया है। हमारे शिपयार्ड ने उन क्षमताओं का निर्माण कर लिया है। जैसाकि मैंने कहा था, क्षमता का निर्माण होने के बाद, जहां तक इन क्षमताओं की बात है, वर्तमान में हम इस पर भारत का नियंत्रण चाहते हैं। हम विदेशी कंपनियों से शत-प्रतिशत खरीददारी कर रहे हैं। हम उन कंपनियों से खरीददारी कर रहे हैं जिसपर नियंत्रण विदेशी सरकारों या विदेशी कंपनियों द्वारा किया जाता है। अत: कंपनियों को भारत लाना एक इस विनिर्माण पर अधिकांश भारतीय नियंत्रण होना सरकार के नियंत्रण होना प्रतीत होता है।

श्रीमती कविता कलवकुंतला : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि रक्षा को आवंटित कुल बजट, जो लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए है, में से कितना प्रतिशत अनुसंधान का विकास पर खर्च किया गया है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहती हूं कि डीआरडीओ से लगभग कितनी संख्या में कर्मचारी त्यागपत्र दे रहे हैं। क्या उन पर कोई प्रतिशत है कि वे निजी प्रतिष्ठानों में कार्य करने के लिए नहीं जा सकते है।

श्री अरुण जेटली : महोदया, हमने इस बार लेखानुदान के स्तर पर स्वीकृत कुल बजट में से अंतिम बजट में धनराशि में बढ़ोत्तरी कर दी है क्योंकि हमने बजट में इसे प्राथमिकता दी है।

जहां तक अनुसंधान की विकास मद की बात है तो यह उपयोग के आधार पर निर्भर है क्योंकि अनुसंधान और विकास न केवल डीआरडीओ में हुआ है बल्कि यह हमारे शिपयार्ड और अन्य संस्थानों में हुआ है जो रक्षा उपकरणों के विनिर्माण में लगे हुए हैं। यदि माननीय सदस्य आंकड़ों के बारे में मुझे लिखती हैं तो मैं उन्हें उपलब्ध करा सकता हूं।

त्यागपत्र के बारे में कुछ कहा गया है। मैंने मामले पर विचार किया है और आंकड़ा संग्रहित किया। आंकड़े तनिक भी चिन्ताजनक नहीं है। उदाहरण के लिए एक संगठन, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, लोग कुछ परिवर्तन या रोजगार की संभावना के लिए बाहर जा सकते हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से बाहर जा सकते हैं। किन्तु जब अधिक संख्या में लोग जाने लगें और संगठन का कामकाज बाधित तब इस पर कड़ी कार्रवाई आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए संख्या लगातार कम होती जा रही है। मैंने अभी आंकड़ों का उल्लेख किया। उदाहरण के लिए पिछले तीन वर्षों में कुल 7702 कर्मचारियों में से 2011 में 86 लोगों ने त्यागपत्र दिया। अगले वर्ष में 7606 में से 67 लोगों ने त्यागपत्र दिया। पिछले वर्ष 7574 में 57 लोगों ने त्यागपत्र दिया था। ये सामान्य मामले हैं जो लगभग एक प्रतिशत या एक प्रतिशत से कम है। यह किसी भी संगठन के लिए सामान्य है। यह सभी संगठनों में सामान्य है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : वह त्यागपत्र की बात कर रही हैं। वह महत्वपूर्ण है।

श्री अरुण जेटली : सरकारी क्षेत्र में भी त्यागपत्र दिए जाते हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप सिविल सेवा पर ध्यान दें तो वहां भी एक प्रतिशत से अधिक लोग त्यागपत्र देते हैं। अत: यह इतना अधिक नहीं है कि इसे चेतावनी पूर्ण माना जाए।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार के साथ सारे विषयों का समाधान किया है और निश्चित रूप से हमारी एनडीए सरकार की प्राथमिकता भी देश की सुरक्षा है। महोदया, 2012-13 तक हम अपने रक्षा बजट का लगभग पांच से छ: प्रतिशत तक डीआरडीओ और इसके लिए प्रावधान करते आए हैं, और स्टैंडिंग कमेटी की यह रिपोर्ट है कि बजट की कमी के कारण कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को डीआरडीओ ने स्थगित भी किया था।

महोदया, जिन देशों से हमारी सामरिक प्रतिस्पर्द्धा है, उनमें चीन प्रमुख है जो अपने आर एंड डी पर 2.5 प्रतिशत का निवेश करता है, जबकि 2012 में हमारा निवेश मात्र 0.9 प्रतिशत था। मेरा प्रश्न यह है कि रक्षा क्षेत्र के महत्व को देखते हुए हम अपनी पिछली कमियों को दूर करते हुए क्या डीआरडीओ और उनके आर एंड डी को विशेष प्राथमिकता देंगे ताकि हमारे जवान सीमा पर अपने शौर्य के साथ-साथ आधुनिक तकनीक को लेकर दुश्मनों का मनोबल तोड़ सकें?

श्री अरुण जेटली : मैं माननीय सदस्य की भावना से पूर्ण रूप से सहमत हूं। देश की रक्षा सबसे प्राथमिकता रहेगी और डीआरडीओ पर जो व्यय होता है, उसको इस साल हमने इसीलिए बढ़ाया है। पिछले साल वह लगभग 11500 करोड़ रुपए के करीब था, इस साल 3000 करोड़ रुपए उसमें और एक्स्ट्रा दिए हैं। लेकिन इसकी रिसर्च फैसिलिटीज़ के लिए

जितने भी साधन चाहिए होंगे, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

[अनुवाद]

वस्तु और सेवा कर

***162. श्री रत्न लाल कटारिया :**
प्रो. सौगत राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वस्तु और सेवा कर शुरू किया जाना अप्रत्यक्ष कर सुधार क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है;

(ख) इसे शुरू किए जाने के परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने वस्तु और सेवा कर के क्रियान्वयन के संबंध में अपनी चिन्ता व्यक्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) राज्यों की चिन्ताओं का समाधान करने और इस मुद्दे पर मतैक्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) वस्तु और सेवा कर प्रणाली को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) माल एवं सेवा कर से वस्तुओं और सेवाओं के बीच उचित रूप से कराधान के बोझ को पुन:वितरित करके कर संरचना में बुनियादी परिवर्तन लाने की संभावना है। यह कर आधार को व्यापक रूप से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति द्वारा विस्तृत बनाएगा। गंतव्य स्थान के सिद्धांत को पूर्ण रूप से अपना कर विकृतियों को कम करेगा। यह कर उदासीन (न्यूट्रल) आपूर्ति श्रृंखला का सृजन करेगा। यह देश भर में सामान्य बाजार विकसित करेगा और अनुपालन लागतों को कम करेगा। यह अप्रत्यक्ष कर प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और यह विनिर्माण के क्षेत्र, मूल्यांकन, इनपुट चरण की क्रेडिट हकदारी, वर्गीकरण और छूट की गुंजाइश आदि को प्रभावित करेगा। यह निर्यातों का संवर्धन करेगा क्योंकि बहु करों के रूप में छिपी हुई लागतें समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार, इसका विदेश व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव होगा। ये विकास और रोजगार को बढ़ाने में सहायता करेंगी और इसके फलस्वरूप देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी।

(ग) जीएसटी के संबंध में राज्यों की चिन्ताएं मुख्यत: राजस्व की हानि, राजकोषीय स्वायत्ता, प्रतिपूर्ति, कतिपय मदों को जीएसटी से बाहर रखना, जीएसटी में कतिपय करों को शामिल करने से संबंधित हैं।

(घ) सरकार ने मुद्दों जैसे राजकोषीय स्वायत्ता, राजस्व हानि, कतिपय मदों को जीएसटी से बाहर रखना, जीएसटी में कतिपय करों को शामिल करने आदि को संबोधित करने के लिए वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति और राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे को संशोधित किया है। सरकार ने राज्यों को जीएसटी को लागू करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए उनकी होने वाली राजस्व की हानि के लिए प्रतिपूर्ति करने के लिए भी आश्वस्त किया है।

(ङ) सहकारी संघवाद की भावना से जीएसटी को लागू करने का कोई निर्णय राज्यों के साथ परामर्श किए बिना नहीं लिया जाएगा। सरकार का यह निरन्तर प्रयास है कि देश में इस अत्यावश्यक सुधार को लागू करने में राज्यों को साथ रखा जाए। सरकार का लक्ष्य इस वर्ष के दौरान समाधान पाना है और विधायी स्कीम को अनुमोदित करना है जो जीएसटी को लागू करने में समर्थ बनाएगी।

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जीएसटी को लागू करने के बारे में सरकार ने क्रांतिकारी निर्णय लिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय हांनियां और राज्य स्वायत्तता, वित्तीय मामलों के बारे में उन चिन्ताओं को दूर करने के लिए क्या सरकार ने इन दिनों में कुछ कदम उठाए हैं? यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

श्री अरुण जेटली : मैडम, जीएसटी का सुझाव सन् 2006-07 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दिया था और उस वक्त यह उद्देश्य था कि 1 अप्रैल, 2010 से यह लागू हो जाए। इसके पीछे जो लाभ थे, पिछले सात-आठ वर्ष की चर्चा में वह उभर कर सामने आए हैं और इसके लाभ क्या होंगे, लगभग सब इसको स्वीकार करते हैं। जो विशेषज्ञ हैं उनका यह मानना है कि इसके लागू होने के बाद व्यवसाय में भी अच्छा लाभ होगा और उसके साथ-साथ कलेक्शन भी अच्छी होगी, बोझ भी कम पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल टैक्सेशन के जो प्वाइंट्स हैं जो टैक्स ऑन टैक्स हैं, वह अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन राज्यों की कुछ चिंताएं थीं और आज भी उनमें से कुछ चिंताएं बनी हुई हैं। मैंने पिछले डेढ़ महीने में दो बार राज्यों के वित्त मंत्रियों को बुलाया है और उनसे विस्तृत

रूप से इस पर चर्चा की है। उनमें से कुछ राज्य चाहते हैं कि जो पुराना वर्ष 2010 से आज तक का सीएसटी का मुआवजा उनको देना था, जो रेट 4 परसेंट से 2 परसेंट किया गया था, वह मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट है, सैंटरली इम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक डिटेल रिपोर्ट है और उसके बाद जो चर्चाएं अब हुई हैं, उन्होंने उसमें अपनी दो चिंताएं सामूहिक तौर पर व्यक्त की हैं। वह चाहते हैं कि दो विषय जीएसटी से बाहर रखे जाने चाहिए। इस संबंध में उनसे चर्चा चल रही है, लेकिन राज्यों को हमने आश्वासन दिया है, हालांकि वर्ष 2014 से पहले के यह आउटस्टैंडिंग्स हैं, जैसे ही हम उन साधनों की व्यवस्था कर पाएंगे, राज्यों के जो पूरे अधिकार हैं, उसके संबंध में उनको साधन उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

श्री रत्न लाल कटारिया : मैडम, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अगर इस वर्ष के अंत में हम जीएसटी का कानून बना कर लागू करने में सफल रहते हैं तो क्या कुछ समय के लिए जो राज्यों की समस्याएं हैं, उनको दूर किया जाएगा और उनको फाइनैंशियल लॉसिस के बारे में कुछ वर्षों तक रिलेक्सेशन देने की क्या कोई बात है?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, मैंने यह कहा है कि राज्यों के बीच आम राय बन जाए और उस आम राय के आधार पर इस साल बनाकर, जो संविधान संशोधन वर्ष 2011 में लाया गया था, उसमें कुछ तब्दीली करके उसको स्वीकार कराने का प्रयास करेंगे। इसमें राज्यों के अधिकारों की पूरी रक्षा होगी। जिन राज्यों को लगता है कि जीएसटी आने से कुछ समय तक लंबे अर्से में केन्द्र का राजस्व बढ़ने वाला है, राज्यों का भी राजस्व बढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें जो टैक्स इवेज़न है, टैक्स की जो चोरी होती है, वह भी अपने आप में कम हो जाएगी। जो अर्थशास्त्री हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका आकलन यह है कि इससे देश की जीडीपी में एक परसेंट से लेकर डेढ़ परसेंट तक की वृद्धि आएगी, जिससे टैक्स बोयंसी भी देश की बढ़ती है। लेकिन आरंभिक वर्षों में कुछ राज्यों को नुकसान होता है तो यह विषय चर्चा के लिए मेज के ऊपर है कि राज्यों को उसकी भरपायी किस प्रकार की जाएगी।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : महोदया, माननीय मंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर के लाभों पर एक विस्तृत उत्तर दिया है, और उनके बजट भाषण में उन्होंने उल्लेख किया है कि अब वस्तु और सेवा कर आरंभ करने से संबंधित सभी वाद-विवाद समाप्त हो जाने चाहिए। उन्होंने एक विशिष्ट समय-सीमा भी निर्धारित की और कहा कि हम इस वर्ष के अंत तक वस्तु और सेवा कर लागू करने में समर्थ होंगे जिसके लिए परामर्श प्रक्रिया जारी है।

अब वस्तु और सेवा कर एक जटिल समीकरण है क्योंकि इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 56 सूची दो में वस्तुओं और परिवहन द्वारा ले जाये जाने वाले यात्रियों पर करों के बारे में उल्लेख किया गया है और प्रविष्टि संख्याएं 45 से 66 तक राज्य करों से संबंधित हैं। इसलिए, स्वाभाविक है कि आपको संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी ताकि इसे राज्यों के दायरे से बाहर किया जा सके। अब मैं माननीय मंत्री से जो विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रारूप संविधान (संशोधन) विधेयक जो मूलरूप से वहां था, में संशोधन कर दिया है। हमने संविधान संशोधन विधेयक का प्रारूप नहीं देखा है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से विशेषरूप से पूछना चाहता हूं कि वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने वस्तु और सेवा कर आरंभ करने में आपत्ति की थी और वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने अपनी सहमति दी थी। संविधान संशोधन की योजना में कौन से कर हैं जिन्हें पुस्तकें और सेवा कर अधिनियम में सम्मिलित किया जायेगा जिसमें मंत्री ने कहा इससे सकल घरेलू उत्पाद के लिए और निर्यात के लिए लाभ होगा?

श्री अरुण जेटली : महोदया, केन्द्रीय करों की बड़ी संख्या है। चूंकि मेरे विद्वान मित्र उन सभी करों की सूची चाहते हैं, मैं उनको प्रमुख करों की सूची दूंगा। इसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क; अतिरिक्त उत्पाद शुल्क; सेवा कर; अतिरिक्त सीमा शुल्क जो सीवीडी है; विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क; एसएडी; केन्द्रीय उप-कर और अधिभार शामिल हैं। इनको वस्तु और सेवा कर में सम्मिलित किया जायेगा।

जहां तक राज्यों का संबंध है, वहां मूल्य वर्धित कर अथवा बिक्री कर केन्द्र द्वारा लगाये जाने वाले लेकिन राज्यों द्वारा संग्रहीत किये जाने वाले केन्द्रीय बिक्री कर; मनोरंजन कर; विलासिता कर; लॉटरी संबंधी कर, सट्टा और जुआ; प्रवेश कर; राज्यों के उप-कर और अधिभार हैं।

अब, मैं नहीं समझता कि राज्य बचे हैं, जो अब वस्तु और सेवा कर के विचार के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। इसका विरोध बहुत कम हो रहा है और विरोध लगभग समाप्त हो गया है। राज्य स्वयं अपनी राजस्व स्थिति के बारे में चिंतित हैं। कुछ राज्य व्यापक स्तर पर क्रय करते हैं, कुछ राज्य विनिर्माता राज्य हैं। कुछ राज्य उपभोक्ता राज्य हैं। इसलिए वे अपने राज्य विशेष के मुद्दों के बारे में चिंतित हैं जो भारत जैसी संघीय राजव्यवस्था में स्पष्ट है।

यहां पर राज्य विशिष्ट मुद्दे हैं उदाहरण के लिए पंजाब ने क्रय कर का मुद्दा उठाया है; विनिर्माता राज्य के रूप में गुजरात क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठा रहा है क्योंकि उनका विनिर्माण राजस्व ही कम हो जायेगा। सामूहिक रूप से, कुछ राज्यों का मत है कि प्रवेश कर को वस्तु और सेवा कर से बाहर रखा जाये। यह उन सिफारिशों में से एक है जिसका अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष ने मुझसे उल्लेख किया था। ये एक या दो

कर हैं जिन्हें वे कर दायरे से बाहर रखना चाहते हैं। इसलिए हम इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक उद्देश्य यह है कि माल का निर्बाध आवागमन होना चाहिए। यदि बहुत सारे कर हटा दिए जायें और विभिन्न स्तरों पर पुनः लगा दिए जायें तो कराधान संबंधी व्यवधान उत्पन्न हो जाएंगे; और वस्तु और सेवा कर के मूल उद्देश्य में सफलता नहीं मिलेगी।

लेकिन तब हमारा त्वरित दृष्टिकोण होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि यह वाद-विवाद समाप्त होना चाहिए क्योंकि सभी इससे होने वाले लाभ को स्वीकार कर रहे हैं। देश को लाभ होगा; व्यापार में लाभ होगा; राज्यों और केन्द्र को लाभ होगा; और सकल घरेलू उत्पाद में लाभ होगा। इसलिए, पिछले सात से आठ वर्षों तक इस पर वाद-विवाद करने के पश्चात् मेरा विचार है कि यह अच्छी बात है कि हम सभी को अवश्य ही साथ मिलकर सहमत होना चाहिए।

यदि एक या दो अपवादों को बाहर रखा जाए तो हम भारत के संघीय ढांचे के व्यापक हित में उन अपवादों पर विचार करने के लिए तैयार है। अनुभव प्राप्त होने के साथ ही हम उन्हें शामिल कर सकते है या अन्यथा उस समय उस पर कार्य कर सकते है। इसलिए, समय आ गया है कि इसमें और व्यावहारिक नजरिया अपनाया जाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री एम.के. राघवन। छोटा प्रश्न पूछिए, वैसे मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह आंसर दिया है।

प्रो. सौगत राय : मंत्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है।

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी तारीफ कर रहे हैं, मतलब उत्तर जरूर बढ़िया है।

[अनुवाद]

श्री एम.के. राघवन : धन्यवाद महोदया, मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

ऐसा प्रतीत होता है कि 2006 में राज्य सदस्यों सहित एक जीएसटी दल गठित किया गया था। 2006 से उन तक उस दल ने इस अवधि के दौरान यूरोप की चार बार यात्रा की, यूके की दो बार, कनाडा की तीन बार यात्रा की और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान की यात्रा की। इन आठ वर्षों में यह एक व्यापक यात्रा थी। मैं समझता हूं कि जीएसटी अब भी एक निर्णय पर पहुंचने से कोसों दूर है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जीएसटी दल के द्वारा अब तक की गई इन यात्राओं का वास्तविक परिणाम क्या रहा है।

श्री अरुण जेटली : महोदया, मैं इस प्रश्न का उत्तर केवल श्रेष्ठ सिद्धांतों पर दे सकता हूं क्योंकि मैं इस विभाग में कई यात्राओं के पश्चात् आया हूं। यह स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय बेहतर पद्धतियों को समझना पड़ेगा। आखिरकार, हमने भारत में कराधान की एक विशेष प्रणाली का प्रयोग किया है, कर शोषण की एक समस्या है, कर अपवंचन एक अन्य समस्या है जीडीपी की दृष्टि से विकसित होने की इच्छा एक राष्ट्रीय इच्छा है, और इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय रूप से, विभिन्न देशों, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की कराधान प्रणालियां अपनाई है, उनकी प्रणालियां इसके समीप है। यदि हमारे कुछ विशेषज्ञ इन देशों की यात्रा करते हैं तो, यह हमारे ज्ञान और क्षमता में संभवतः में वृद्धि होगी। इसलिए, इन यात्राओं को पूर्णतया मनोरंजन यात्रा नहीं समझा जाना चाहिए। इन्हें सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय परम्पराओं के रूप में समझा जाना चाहिए जिन्हें वे अवश्य ही अपनाते है।

श्री बैजयंत जय पांडा : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के विस्तृत उत्तर के लिए धन्यवाद करता हूं जिसे उन्होंने सभा पटल रखा है। वैट, मूल्य वृद्धि कर के मामले पर यह वर्तमान गतिरोध 12 या कई वर्षों पहले ऐसे ही एक गतिरोध की यादें ताजा करता है। उस समय भी, माननीय मंत्री सरकार में एक अन्य विभाग के मंत्री थे, और राज्यों की शंका पर उक्त ही मुद्दा था कि राज्यों का राजस्व समाप्त हो जाएगा और यह मुद्दा वर्षों तक गतिरोध बना रहा। उस समय, उनके पूर्ववर्ती ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और राज्यों को तीन वर्षों तक एक श्रेणीबद्ध मुआवजे का आश्वासन दिया और ऐसी स्थिति से यह कभी भी आवश्यक नहीं था क्योंकि अधिकांश राज्यों को कोई भी राजस्व हानि नहीं हुई। इसलिए, विश्वास की वह छलांग जो कि राहत के लिए लगाई गई, मात्र एक चाल थी।

उसके उत्तर में आज माननीय मंत्री जी ने उसी प्रकार कहा कि तीन वर्षों के लिए राज्यों की राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। मेरा एक प्रश्न है। क्या इस पूरे राजस्व की प्रतिपूर्ति की जाएगी या यह श्रेणीबद्ध किया जाएगा? क्योंकि कुछ राज्य और अधिक मांग कर रहे हैं, शायद, चार या पांच वर्ष। क्या मंत्री जी थोड़ा और अधिक उदार बनने और एक ऊंची छलांग लगाने तथा इसे संभव बनाने के लिए तैयार है?

श्री अरुण जेटली : महोदया, मैं प्रसन्न हूं कि माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रथम भाग में हमें वैट अनुभव की याद दिलाई है। निजी रूप से मुझे कोई शक नहीं है कि लगभग सभी राज्यों को इससे लाभ मिलने वाला है। उनका अंतिम संग्रहण आज के संग्रहण से कहीं अधिक होगा।

लेकिन, क्योंकि यह मुआवजे का मुद्दा है, कितनी मात्रा में और कितनी अवधि के लिए, कराधान की दर, सूची में और बाहर रखी जाने वाली वस्तुएं – ये सभी चर्चा का विषय है। मैं इस पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहूंगा ताकि हम जीएसटी को आगे ला सकें परंतु सांकेतिक जीएसटी अपनाने की लागत पर नही। यह एक सुदृढ़ जीएसटी होगा।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदया, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को विस्तृत उत्तर देने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। इसलिए, अनुपूरक प्रश्न पूछने के अवसर बहुत सीमित है।

मूल्य संवर्धित कर को लागू करते समय, कतिपय मदों को विशेषकर केरल राज्य में मूल्य संवर्धित कर के दायरे से बाहर रखा गया था इसलिए, माननीय मंत्री जी से मेरा विशिष्ट अनुरोध है कि क्या जीएसटी को लागू करते समय भी माल सेवा कर के मामले में छूट हेतु इसे मानक के रूप में लिया जाएगा? यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है और मेरे प्रश्न का भाग (ख) ऑनलाइन ट्रेडिंग से संबंधित है। अब, ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है। मेरी जानकारी के अनुसार मेरे राज्य में ट्रेडिंग का 20 प्रतिशत संव्यवहार बिना ऑनलाइन के बगैर होता है जिस पर किसी सरकार का भुगतान नहीं किया जाता है। यहां तक कि हमारे देश में विदेशी ट्रेडिंग भी बिना कर भुगतान के चल रही है। यह कर वंचन है। क्या माननीय वित्त मंत्री सभा को आश्वस्त करेंगे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर कर चोरी को रोका जाएगा?

श्री अरुण जेटली : महोदया, करजोज्य कार्य के समय प्रत्येक ट्रेडिंग को कर भुगतान करना होता है। इसलिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए भी कर भुगतान किया जाना चाहिए।

जहां, तक ऑनलाइन ट्रेडिंग का संबंध है, यह वास्तविकता है। परंतु जहां तक बहु-ब्राण्ड रिटेल या एकल ब्राण्ड रिटेल या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संबंध है, हमने इसे भारत के संदर्भ में स्वीकृत नहीं किया है।

[हिन्दी]

विदेशों से काले धन का आवक

***163. श्री रविन्दर कुशवाहा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान स्विट्जरलैंड से महीने-वार कितनी मात्रा में सोने का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने स्विट्जरलैंड से होने वाले आयात में हुई वृद्धि के कारणों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्विट्जरलैंड से बेहिसाब/काले धन की आवक तथा स्वर्ण और हीरे के व्यापार से जमा होने वाली निधियों का उपयोग वास्तविक लाभार्थियों को छिपाने के लिए किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले 6 महीनों में स्विट्जरलैंड से आयात किये गये सोने की प्रमात्रा नीचे दर्शायी गयी है:–

माह	आयातित सोने की मात्रा (मी.ट. में)
जनवरी 2014	29.14
फरवरी 2014	25.907
मार्च 2014	47.384
अप्रैल 2014	36.075
मई 2014	44.767
जून 2014	62.643

(ख) पिछले वर्ष के पिछले छह महीनों (351.58 मी.ट.) की तुलना में इस वर्ष के पहले 6 महीनों में स्विट्जरलैंड से हुए सोने के आयात (245.97 मी.ट.) की प्रमात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) ऐसी कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रविन्दर कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं पहली बार चुनाव जीतकर आया हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लोक सभा चुनाव के दौरान हमने काले धन के मुद्दे पर देश में जनादेश के लिए प्रयास किया। पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रविन्दर कुशवाहा : काले धन के बारे में वित्त मंत्री जी के उत्तर के भाग 'ग' में कहा गया है कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी ओर स्विटजरलैंड सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2014 से जून तक भारत के साथ करीब 6 अरब स्विस फ्रैंक (लगभग 40 हजार करोड़ रुपए) मूल्य के सोने का कारोबार हुआ। गत सप्ताह देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में यह खबर प्रमुखता से छपी थी कि भारतीयों के स्विस बैंक में जमा काले धन को सोने और हीरे के व्यापार के रूप में लगाया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि जिनका काला धन जमा है, उनकी पहचान छिपाई जा सके। यह एक गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप दो प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले एक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रविन्दर कुशवाहा : वे नाम बताए जाएं।...*(व्यवधान)* आयकर विभाग ने पिछले वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक काले धन का पता लगाया है। कल समाचार पत्रों में एक रिपोर्ट भी छपी थी जिसमें यह आयाा था कि एक लाख करोड़ से अधिक रुपए में से एक ही औद्योगिक घराने के 71 हजार करोड़ रुपए हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए। ऐसे नहीं होता।

...*(व्यवधान)*

श्री रविन्दर कुशवाहा : वह कॉर्पोरेट समूह का है जो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कृपया उनका नाम बताया जाए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है? क्या आप काला धन वापिस लाने की बात कर रहे हैं?

श्री रविन्दर कुशवाहा : हमारा प्रश्न यह है कि गत छः महीने के दौरान स्विट्जरलैंड से महीने-वार कितनी मात्रा में सोने का आयात किया गया? क्या सरकार ने स्विट्जरलैंड से सोने...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यह सब कुछ मंत्री जी के उत्तर में दिया गया है। शायद आपने उत्तर पढ़ा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो रहने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप सब मत बोलिए। वे नए सदस्य हैं, समझ जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप सब मदद करने के लिए मत जाइए। वे नए मैम्बर हैं, यह मालूम है। आप उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए। मैं समय दे रही हूं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : रविन्दर जी, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्री अनुराग सिंह ठाकुर।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। तब तक श्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रश्न पूछेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट रुकिए, शायद रविन्दर जी प्रश्न पूछ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री रविन्दर कुशवाहा : क्या स्विट्जरलैंड से बेहिसाब काले धन की आवक तथा स्वर्ण और हीरे के व्यापार से जमा होने वाली विनिधियों का उपयोग वास्तविक लाभार्थियों को छिपाने के लिए किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आपने प्रश्न पूछा है। उत्तर भी दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कोई बात नहीं, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न यह है कि पिछले छह महीने में कितना सोना स्विट्जरलैंड से आयात किया जा रहा है और क्या यह आयात पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा

बढ़ा है। क्या सोने के माध्यम से काले धन का गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है या नहीं और क्या सरकार को इसकी कोई जानकारी है? मैं इसकी जानकारी दे दूं कि पिछले छह महीने में जितना सोना प्रति माह आया है, उसकी डिटेल मैंने उत्तर में दे दी है। लेकिन इससे पूर्व वर्ष 2013-14 के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वर्ष 2013 में एक ऐसी परिस्थिति आई थी जबकि सोने का आयात इस देश में बहुत बढ़ गया था जिसकी वजह से देश की विदेशी मुद्रा बाहर जा रही थी। उससे हमारी विदेशी मुद्रा के ऊपर बहुत असर पड़ा था जिससे देश का करेंट एकाउंट डैफीसिट बढ़ गया था। सरकार ने उसे नियंत्रित करने के लिए उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन्स लगाई थीं। उनमें से कुछ रिस्ट्रिक्शन्स अभी खोली गई हैं। जिसकी वजह से अब थोड़ा उसमें लिबरल आयात आरंभ हुआ है। जहां तक ब्लैक मनी गोल्ड के माध्यम से आ रही है, तो उसकी कोई अलग से रिपोर्ट नहीं है। माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न से अलग हटकर पूछा है कि लोगों ने बाहर जो अपना पैसा रखा है, उस संबंध में जो-जो जानकारी सरकार के पास आयी है, उस पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। सरकार स्विस अथॉरिटी के साथ पत्र-व्यवहार में लगी हुई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 26 मई को शपथ ली थी और अपना पहला काम यह किया कि तीन वर्ष पहले जुलाई, 2011 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि देश में एक विशेष जांच समिति एसआईटी बैठायी जाये, जो तीन वर्षों से गठित नहीं की गयी थी। इस सरकार का पहला एक्शन यह था कि हमने वह एसआईटी गठित कर दी और एसआईटी उस दिशा में काम कर रही है।

माननीय अध्यक्ष : क्या आप अपना दूसरा सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछेंगे।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मुझे लगता है कि दूसरा सप्लीमैंट्री प्रश्न नहीं होगा।

श्री रविन्दर कुशवाहा : नहीं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदया, हालांकि मूल प्रश्न केवल सोने के इम्पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इस देश में काला धन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है चाहे चुनाव में हो या चुनाव से पहले हो। पन्द्रहवीं लोक सभा में यहीं पर बहुत सारे सदस्यों ने इस पर चर्चा भी की थी। आडवाणी जी ने जब अपनी यात्रा काले धन पर की, तो उसके बाद इस सदन में चर्चा हुई। आडवाणी जी ने उस चर्चा की शुरूआत भी की। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदया, पार्टी की ओर से मुझे उसमें बोलने का मौका भी मिला था। मैंने उस समय एक सवाल किया था कि 700 से ज्यादा खाते जो एक विदेशी अधिकारी ने भारत सरकार को दिये हैं, उस पर डबल टैक्सेशन एवाइडेंस एग्रीमेंट (डीटीएए) लागू नहीं होता है। जो खाताधारक है, क्या केन्द्र सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है? अगर कोई जांच चल रही है, तो वह जांच कब पूरी होगी? क्या देश को उन 700 लोगों के नामों को कभी पता चल पायेगा कि वे कौन लोग थे, जो विदेशों में पैसा लेकर गये थे? क्या सदस्यों को इसकी सूचना मिलेगी? सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है, इस बारे में माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें?

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह मूल प्रश्न से बाहर है। यह जानकारी भारत सरकार को फ्रेंच गवर्नमेंट ने दी थी, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट के पास स्विट्जरलैंड के एक बैंक में जिन लोगों के खाते हैं, उनके नामों की एक सूची पहुंची थी। जिन लोगों के नामों की सूची फ्रेंच सरकार के पास पहुंची थी, वह कोई औपचारिक तरीके से नहीं पहुंची थी। यह डाटा एचएसबीसी बैंक से किसी ने उठा लिया और उसे फ्रेंच सरकार को दे दिया। जब फ्रेंच सरकार ने उसे भारत सरकार को दिया, तो उस वक्त भारत की तरफ से अंडरटेकिंग दी गयी थी। फ्रेंच सरकार ने उन नामों की सूची इस कंडीशन पर दी थी कि ये नाम अभी सार्वजनिक नहीं किये जायेंगे। उन तमाम लोगों को आईडेंटिफाई करने का एक प्रयास किया गया है। आईडेंटिफाई करने के बाद उनमें से जिन लोगों को देश में आईडेंटिफाई कर लिया गया है, उन सबके खिलाफ टैक्स प्रोसीडिंग्स आरंभ हो चुकी है। इससे पहले भी एक लेंचस टाइन के बैंक की डिटेल्स आयी थी। उस केस में इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स और उसके साथ-साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी आरंभ हो चुकी है। उसमें कानूनी कार्रवाई चल रही है। जो एसआईटी बनायी गयी है, वह भी इन विषयों में जाना चाहती है। वे जितनी डिटेल मांगते हैं, उनको वह डिटेल दे दी जाती है। इस संबंध में अभी पीटीआई न्यूज एजेंसी के माध्यम से समाचार पत्र में एक खबर छपी थी कि स्विट्जरलैंड के किसी अधिकारी ने कहा कि हम हिन्दुस्तान के और नामों की सूची देने को तैयार हैं। अगले दिन, 23 जून को हमने स्विस अथॉरिटी को लिखा था, लेकिन उन्होंने उस रिपोर्ट को अनअथॉराइज्ड कहा कि हमारे पास कोई अलग लिस्ट नहीं है। इस वक्त जब हम स्विट्जरलैंड से इस संबंध में सबूत मांगते हैं, तो उन्होंने कोई लीगल इश्यूज उठाये हैं। उनका एक इश्यू यह है कि भारत और स्विट्जरलैंड की जो ट्रीट्री है, वह भविष्य की है, प्रॉसपेक्टिव है, इसलिए इससे पहले के नामों पर हम सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसके संबंध में जो भी प्रयास स्विस अथॉरिटी के साथ हो सकते हैं, वे करेंगे। इस लिस्ट पर सपोर्ट करने के लिए जिन एवीडेंस की आवश्यकता है, उसे लाने का प्रयास भारत सरकार कर रही है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : महोदया, जब स्वर्ण आयात का प्रश्न पूछा जा रहा है तो उत्तर काफी स्पष्ट है। चाहे यह वर्ष-वार या माह-वार हो

सब कुछ क्रम में है। परंतु जैसे ही काले धन का प्रश्न उठता है, मुझे यह मालूम नहीं है कि सरकार इस पर चुप क्यों है और समयानुसार कार्य क्यों नहीं करती है जबकि यह समय की मांग है।

महोदया 10 दिन पहले जब मैं जर्मनी में था तब मैंने उनसे जानना चाहा कि जहां तक काला धन और उसे जमा किए जाने आदि के मामले में स्विट्जरलैंड का क्या संबंध है तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका कुछ यूरोपीय देशों के साथ और स्विट्जरलैंड के साथ सकारात्मक समझौते हैं और उस समझौते के अनुसार ऐसी कोई बेहिसाब राशि तब तक स्विट्जरलैंड में नहीं रखी जाएगी, जब तक कि यहां की सरकार उसे स्वीकृति प्रदान न करे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार स्विस सरकार के साथ ऐसा कोई समझौता करेगी जिससे कि ऐसे धन को भारत सरकार की अनुमति के बिना वहां नहीं रखा जाए। सरकार काले धन को वापस लाने के लिए क्या कदम उठा रही है, जोकि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा बार-बार कहा गया था कि 100 दिनों के भीतर कुछ कदम उठाए जायेंगे, जोकि बिलकुल नहीं किया जा रहा है? सरकार ऐसे कदम कब उठाने जा रही है?

श्री अरुण जेटली : महोदया, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जहां तक कि वर्तमान सरकार का संबंध है सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तथापि, यह एक ऐसा मुद्दा है जो काफी समय से चला आ रहा है। वर्तमान सरकार ने जबसे कार्य संभाला है, इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इस संबंध में 2011 से ही स्विट्जरलैंड के साथ एक पूर्व-विद्यमान समझौता है। जहां तक भारत और स्विट्जरलैंड के मध्य सूचना के आदान-प्रदान को विनियमित करने का संबंध है तो अनुच्छेद 26 में इसका उल्लेख है। इन समझौतों को स्विस कानूनों की सीमाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। इस मामले में स्विस सरकार भी कानून का निर्माण करने की प्रक्रिया में है। हम आगे के बदलावों, जिसकी उस देश में चर्चा की जा रही है पर बहुत नजदीकी से नजर रख रहे हैं तथा भारत के हित में जो भी बेहतर परिणाम होंगे उसकी सूचना हमें मिल जाएगी।

माननीय सदस्य यह पूछ रहे है कि क्या सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। यकीनन, विदेश में खाता रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता है। परंतु ये वे खाते है जिन्हें लोगों ने भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना गुप्त रूप से खोले है और ये अवैध है। उचित वैध विदेशी खाते और अवैध विदेशी खाते में अंतर है। अतः, जहां तक उचित विदेशी खातों का संबंध है तो हम सदैव उनकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यह अवैध रूप से रखे जा रहे उन खातों से संबंधित है जिनके लिए कम सहयोग चाह रहे हैं क्योंकि साक्ष्य विदेश में है और साक्ष्य हमें तभी मिल सकते हैं जब वे देश, जहां ये खाते मौजूद है, सहयोग करें।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : महोदया, मैंने माननीय मंत्री से यह पूछा था कि क्या इस प्रकार के करारों को करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री अरुण जेटली : हम स्विस प्राधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं और उनके कानून की परिधि के भीतर जो भी बेहतर करार होंगे, हम उन्हें जरूर करेंगे।

बागान फसलों का उत्पादन और निर्यात

***164. श्री सी.एस. पुट्टा राजू :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में बागान फसलों विशेष रूप से चाय और कॉफी का फसल और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना उत्पादन हुआ और इनकी घरेलू खपत कितनी उत्पादन हुआ और उनकी घरेलू खपत कितनी रही;

(ख) उक्त अवधि के दौरान चाय और कॉफी के निर्यात और आयात की देश-वार मात्रा कितनी है और इसका मूल्य क्या है;

(ग) पूरे विश्व में बागान फसलों विशेष रूप से चाय और कॉफी के उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है;

(घ) क्या बागान फसलों विशेष रूप से चाय/कॉफी के उत्पादन और निर्यात में कमी आई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता/दिए जाने वाले पैकेज सहित बागान फसलों विशेष रूप से चाय/कॉफी के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) गत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान बागान फसलों अर्थात् चाय कॉफी, रबड़ तथा मसालों के राज्य-वार तथा फसल-वार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन फसलों की घरेलू खपत का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। सरकार द्वारा घरेलू खपत के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) प्रमुख गंतव्यों तथा उदगम देशों के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान चाय एवं कॉफी के निर्यात एवं आयात की मात्र एवं मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण-III और विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) चाय, कॉफी, रबड़ तथा मसालों के कुल वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा क्रमशः 25 प्रतिशत (वर्ष 2013 में), 3.65 प्रतिशत

(वर्ष 2012-13 में), 7 प्रतिशत (वर्ष 2013 में) तथा 31 प्रतिशत (वर्ष 2012-13) रहा है।

(घ) गत तीन वर्षों में बागान फसलों के कुल उत्पादन एवं निर्यात की स्थिति निम्नानुसार दर्शाई गई है:—

	2011-12		2012-13		2013-14	
	उत्पादन	निर्यात	उत्पादन	निर्यात	उत्पादन	निर्यात
चाय (मिलियन किग्रा.)	1095	214	1135	216	1209	226
कॉफी (टन)	314000	333180	318000	299286	304500	312625
रबड़ (टन)	903700	27145	913700	30594	844000	5398
मसाले (टन)	6324920	575270	5801114	726613	5833870	817250

गत तीन वर्षों के दौरान चाय के उत्पादन एवं निर्यातों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में कॉफी के उत्पादन में बढ़ते तापमान तथा अनिश्चित एवं अनियत वर्षा जैसी प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण गिरावट आई थी परंतु कॉफी के निर्यात में वृद्धि प्रदर्शित हुई है। वर्ष 2013-14 के दौरान लंबे समय तक चली एवं अत्यधिक वर्षा होने और उसके परिणाम स्वरूप पत्ती रोगों के कारण प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में गिरावट आई थी। प्राकृतिक रबड़ (एनआर) का बड़ी मात्रा में निर्यात नहीं किया जाता है क्योंकि भारत में रबड़ की खपत घरेलू उत्पादन से अधिक है। वर्ष 2011-12 की तुलना में कुल उत्पादन में मामूली गिरावट के बावजूद मसालों के निर्यात में सतत वृद्धि हुई है।

(ङ) सरकार ने चाय, कॉफी, रबड़ तथा मसालों के लिए बागान वस्तु बोर्डों के माध्यम से बागान फसलों के उत्पादन एवं निर्यात का संवर्धन करने के लिए उपाय किए हैं जिनके तहत नवरोपण, पुनर्नवीकरण, गुणवत्ता उन्नयन, मूल्य वर्धन तथा बाजार संवर्धन के लिए उपजकर्ताओं एवं उद्योग को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बागान फसलों के निर्यात का संवर्धन करने हेतु स्कीमों में व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी ब्रांड संवर्धन, जन संपर्क अभियानों तथा मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात हेतु सहायता उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।

विवरण-I

बागान फसलों का राज्य-वार उत्पादन

चाय (मिलियन कि.ग्रा. में)

राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (अप्रैल एवं मई)
1	2	3	4	5
असम	581.26	588.14	629.05	67.54
पश्चिम बंगाल	269.43	287.32	629.05	35.04
पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम (असम को छोड़कर)	14.90	17.92	23.92	3.54
तमिलनाडु	162.79	171.93	174.71	28.43
केरल	61.62	63.76	63.48	12.27
कर्नाटक	5.46	6.00	5.52	1.36
कुल	1095.46	1135.07	1208.78	148.18

1	2	3	4	5
कॉफी (मी. टन में)				
कर्नाटक	2,21,000	2,30,225	2,11,100	2,48,300
केरल	68,100	64,200	66,675	68,875
तमिलनाडु	18,350	17,370	18,775	17,875
आंध्र प्रदेश	5,970	5,920	7,320	8,860
ओडिशा	360	310	440	620
पूर्वोत्तर राज्य	220	175	190	220
कुल	3,14,000	3,18,200	3,04,500	3,44,750
प्राकृतिक रबड़ (टन)				
केरल	798890	8000	—*	—*
तमिलनाडु	25220	25350	—*	—*
त्रिपुरा	30590	33220	—*	—*
कर्नाटक	27890	31250	—*	—*
असम	10310	11740	—*	—*
मेघालय	6380	7110	—*	—*
नागालैंड	1395	1655	—*	—*
मणिपुर	920	1035	—*	—*
अन्य	2105	2290	—*	—*
कुल	903700	913700	844000	167,000 (अप्रैल-जून 14)
मसाले (टन में)				
काली मिर्च				
कर्नाटक	15000	18240	16000	—*
केरल	27500	20640	16500	—*
तमिलनाडु	7500	9120	10500	—*
कुल	50000	48000	43000	58000

—*उत्पादन के राज्य-वार आंकड़ों का संकलन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है।

1	2	3	4	5
केरल	7800	7935	11440	11350
कर्नाटक	1550	1710	2415	1800
तमिलनाडु	725	735	1145	850
कुल	10075	10380	15000	14000
इलायची				
सिक्किम	3540	3310	3234	3483
पश्चिम बंगाल	640	608	626	662
कुल	4180	3918	3860	4145
मिर्च				
आंध्र प्रदेश	830990	638298	804204	—*
कर्नाटक	144044	128806	107037	—*
पश्चिम बंगाल	95765	96216	96300	—*
मध्य प्रदेश	90569	127435	95310	—*
ओडिशा	64320	70390	74030	—*
कुल	1470352	1299191	1448215	—*
अदरक				
ओडिशा	117720	126530	134980	—*
असम	107893	112548	121370	—*
कर्नाटक	135031	168310	93486	—*
गुजरात	47694	69581	70646	—*
मेघालय	54009	52922	54719	—*
अरुणाचल प्रदेश	49663	52304	54000	—*
उत्तराखंड	40418	41944	4401	—*
केरल	28603	33197	37130	—*
मिज़ोरम	31000	31000	34488	—*

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	24128	24606	24854	—*
आंध्र प्रदेश	16674	23054	21883	—*
कुल	708256	913890	924417	—*
धनिया के बीज				
राजस्थान	281076	218899	321402	—*
मध्य प्रदेश	70872	70872	70520	—*
गुजरात	42649	32634	32310	—*
कुल	501485	372366	428687	—*
जीरा				
गुजरात	221906	219215	283302	—*
राजस्थान	80531	114925	177835	—*
कुल	303943	403744	462645	—*
सेलेरी बीज				
पंजाब	5248	4609	5264	—*
कुल	5248	4609	5271	—*
सौंफ				
राजस्थान	5601	26157	34070	—*
गुजरात	76128	97504	57941	—*
पश्चिम बंगाल	1033	1033	1035	—*
कुल	83576	125710	144112	—*
मेथी दाना				
राजस्थान	70328	94200	87382	—*
गुजरात	9015	13910	13959	—*
हरियाणा	4300	12157	12655	—*
पश्चिम बंगाल	2649	2650	2654	—*
उत्तराखंड	2532	2951	3132	—*
कुल	88979	127850	121775	—*

1	2	3	4	5
लहसुन				
मध्य प्रदेश	224365	224365	201630	—*
गुजरात	245124	250085	257475	—*
राजस्थान	98411	186410	195979	—*
उत्तर प्रदेश	169342	182241	182750	—*
ओडिशा	35710	45760	48320	—*
कुल	975404	1085740	898438	—*
जायफल				
केरल	11269	11911	12059	—*
कुल	11271	12088	12140	—*
कुल योग	5286552	5933126	6324920	—*

—*उत्पादन के राज्य-वार आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।

विवरण-II

बागान फसलों की घरेलू खपत

चाय (मिलियन कि.ग्रा. में)

राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (अप्रैल-जून)
1	2	3	4	5	6
कुल चाय		900	941	1002	—
कॉफी (टन में)					
कुल कॉफी	1,08,000	1,15,000	इस अवधि के लिए खपत सर्वेक्षण चल रहा है।		
प्राकृतिक रबड़ (टन)					
आंध्र प्रदेश	57730	69085	70535	—*	—*
गोवा और दमन	19735	25845	28750	—*	—*
गुजरात	67440	65870	74860	—*	—*
हरियाणा	45630	44785	38910	—*	—*
कर्नाटक	70882	69915	68315	—*	—*
केरल	136725	153950	139960	—*	—*

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश*	36665	37225	36580	—*	—*
महाराष्ट्र	116450	106750	102920	—*	—*
ओडिशा	37460	29105	19025	—*	—*
पंजाब**	79150	70040	70560	—*	—*
राजस्थान	63630	71415	86855	—*	—*
तमिलनाडु	89575	109380	131565	—*	—*
उत्तर प्रदेश	84273	34585	36210	—*	—*
उत्तराखंड	—	42750	42605	—*	—*
पश्चिम बंगाल	24555	16020	12350	—*	—*
अन्य	17815	17695	15705	—*	—*
कुल प्राकृतिक रबड़	947715	964415	972705	981520	251000

*छत्तीसगढ़ सहित।

**छत्तीसगढ़ सहित।

—*रबड़ के राज्य-वार खपत के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।

प्रमुख मसाले (टन में)

काली मिर्च	40,000	35,000	35,000	—*
इलायची (छोटी)	9,361	10,911	11,075	—*
इलायची (बड़ी)	5,255	6,823	7,005	—*
मिर्च	846,269	755,038	745,136	—*
अदरक	735,830	563,386	557,008	—*
हल्दी	1,057,350	720,538	766,752	—*
धनिया	363,926	424,627	409,617	—*
जीरा	376,029	277,963	291,690	—*
सौंफ	122,411	116,216	106,767	—*
मेथी	89,978	74,923	67,460	—*
जायफल	8,580	9,707	8,802	—*

—*वर्ष 2014-15 की प्रथम तिमाही के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं। राज्य-वार आंकड़े साल के अंत में संकलित किए जाते हैं।

विवरण-III

प्रमुख देश-वार निर्यात

चाय (मात्रा मिलियन कि.ग्रा. में तथा मूल्य करोड़ रुपए में)

देश	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (अप्रैल-जून)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
रूसी परिसंघ गणराज्य	42.61	554.83	45.91	759.56	38.62	639.91	—*	—*
यूक्रेन	1.82	21.87	2.42	36.04	2.21	35.66	—*	—*
कज़ाकिस्तान	12.00	196.10	11.73	229.09	10.26	207.69	—*	—*
अन्य सीआईएस	2.06	39.93	1.19	21.33	1.70	37.77	—*	—*
कुल सीआईएस	58.49	812.73	61.25	1046.02	52.79	921.03	—*	—*
यूनाईटेड किंगडम	21.02	328.89	19.21	347.91	17.64	338.13	—*	—*
नीदरलैंड	4.03	84.88	2.68	72.27	3.26	98.21	—*	—*
जर्मनी	7.18	170.03	7.97	212.74	7.77	259.25	—*	—*
आयरलैंड	1.75	54.04	2.17	78.40	2.21	94.44	—*	—*
पोलेंड	3.88	52.84	3.48	52.02	4.72	71.91	—*	—*
यूएसए	12.77	333.16	11.71	317.63	14.09	396.55	—*	—*
कनाडा	1.60	32.84	1.04	27.21	1.24	31.33	—*	—*
यूएई	18.05	325.48	21.51	394.93	23.33	473.03	—*	—*
ईरान	11.05	216.82	18.73	389.77	22.90	603.85	—*	—*
सऊदी अरब	3.57	52.60	2.57	63.01	2.63	58.00	—*	—*
मिस्र (एआरई)	6.57	59.40	9.66	107.53	7.45	89.54	—*	—*
अफगानिस्तान	0.69	7.14	0.74	8.63	2.46	24.81	—*	—*
बंगलादेश	2.29	15.32	2.98	28.38	13.94	131.42	—*	—*
चीन	3.42	57.87	4.47	74.84	4.14	88.45	—*	—*
सिंगापुर	0.34	6.92	0.35	10.35	0.34	10.73	—*	—*
श्रीलंका	3.86	52.74	1.91	27.15	1.55	23.16	—*	—*
केन्या	3.26	24.49	2.66	30.12	2.69	25.19	—*	—*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जापान	2.91	102.89	3.46	140.69	3.61	155.26	—*	—*
पाकिस्तान	26.27	178.53	20.69	203.94	19.92	196.01	—*	—*
ऑस्ट्रेलिया	3.52	107.91	3.66	129.19	3.16	116.71	—*	—*
अन्य देश	17.83	227.30	13.33	243.20	13.92	302.08	—*	—*
कुल	214.35	3304.82	216.23	4005.93	225.76	4509.09	—*	—*

—*वर्ष 2014-15 की प्रथम तिमाही के चाय निर्यात के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।

कॉफी (मात्रा टन में तथा मूल्य करोड़ रुपए में)

देश	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (अप्रैल-जून)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
इटली	71010	979	75748	1094	77836	1097	22637	365
जर्मनी	38138	544	24874	388	32465	489	9941	183
रूसी परिसंघ	33112	485	24814	409	18201	291	6047	104
बेल्जियम	18900	295	19907	335	18136	300	5764	121
स्पेन	13451	154	6650	91	5682	77	1918	29
स्लोवेनिया	9629	102	13484	160	3732	121	1961	26
जॉर्डन	9436	157	7390	132	10638	176	2835	63
अल्जीरिया	7395	86	1664	20	1252	16	42	1
यूनान	6848	77	6468	82	5313	68	1440	21
सऊदी अरब	6816	101	3292	56	4298	79	1155	21
मलेशिया	6259	70	8281	106	5896	80	1981	27
यूएसए	6157	96	6124	106	5375	86	2388	39
फिनलैंड	5638	84	5432	85	5556	94	1768	28
मिस्र	5598	69	3051	38	843	11	328	5
ट्यूनीशिया	5083	68	426	5	203	3	8	0.1
उप-योग	243470	3367	207605	3107	201426	2988	60213	1033
अन्य	89711	1312	91681	1446	111196	1776	33572	582
कुल योग	333181	4679	299286	4553	312625	4764	93785	1615

विवरण-IV

प्रमुख देश-वार आयात

चाय (मात्रा मिलियन कि.ग्रा. में तथा मूल्य करोड़ रुपए में)

देश	2013-14		2012-13		2011-12	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
अर्जेंटीना	0.66	8.84	0.40	4.48	1.16	8.42
कनाडा	शून्य	शून्य	0.12	1.05	0.15	0.83
चीन	0.23	4.28	0.26	3.22	0.36	5.48
जर्मनी	शून्य	शून्य	0.03	1.20	0.02	0.64
इंडोनेशिया	1.04	14.03	1.86	25.10	1.62	17.36
ईरान	0.73	5.71	2.07	14.59	2.47	9.82
जापान	0.01	0.19	0.00	0.08	0.00	0.02
कजाकिस्तान	0.03	0.34	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
केन्या	2.83	46.98	3.55	65.42	4.10	57.07
मलावी	0.13	1.96	0.66	8.68	0.53	5.26
मोजाम्बिक	0.07	0.91	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नेपाल	10.44	114.02	9.21	103.69	7.50	64.79
नीदरलैंड	0.07	2.11	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ओमान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.36	1.90
पैपुआ न्यू गिनी	शून्य	शून्य	0.26	2.83	शून्य	शून्य
रवान्डा	शून्य	शून्य	0.06	1.04	शून्य	शून्य
दक्षिण अफ्रीका	0.05	0.70	—	—	0.00	0.01
श्रीलंका	0.20	5.70	0.63	15.37	0.22	5.22
स्विटजरलैंड	0.09	2.63	0.07	1.89	—	—
तन्जानिया	0.06	0.91	0.24	3.79	0.09	1.09
तुर्की	0.04	0.29	0.00	0.00	—	—

1	2	3	4	5	6	7
यूएई	0.03	0.60	0.58	7.35	0.10	1.00
यूगांडा	0.05	0.54	0.05	0.69	0.05	0.47
यू.के.	1.44	15.71	0.86	14.42	0.19	4.46
यूएसए	0.03	0.33	—	—	—	—
वियतनाम	0.76	7.43	0.92	7.00	0.29	2.20
जिम्बाब्वे	0.24	3.12	0.07	0.67	0.00	0.00
कुल	19.23	237.33	21.90	282.56	19.21	186.04

"0" पांच लाख कि.ग्रा. से कम आयातों का परिचायक है।

कॉफी (मात्रा टन में, मूल्य करोड़ रुपए में)

वियतनाम समाजवादी गणराज्य	26105.79	265.82	39,979.13	435.7	28,547.16	344.4
इंडोनेशिया	7532.44	72.03	21,222.95	237.6	19,059.73	227.1
यूगांडा	5572.73	47.89	6,352.36	64.1	4,521.07	48.5
चीन जन.गण	1351.5	14.74	129.52	1.8	0.46	0.4
केन्या	865.07	7.93	1,674.00	16.7	4,374.53	46.00
जर्मनी	831.56	9.36	16.41	1.4	5.03	0.2
यूएसए	765.27	7.53	23.5	2.6	43.09	4.9
ताईवान	481.86	4.81	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गिनी	469.8	4.45	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मैक्सिको	357.51	5.12	1,102.72	13.07	467.08	6.0
कनाडा	306.86	3.24	0.45	0.01	0.22	0.01
घाना	208.97	1.69	309.5	2.9	243.72	2.7
कैमरुन	155.24	1.27	52.69	0.5	शून्य	शून्य
सिंगापुर	126.22	1.22	3.85	0.05	2.14	0.5
जापान	99.99	1.50	शून्य	शून्य	0.05	0.002
उप-योग	45230.81	448.61	70,867.08	777.16	57,264.28	680.7
अन्य	824.98	20.89	335.34	18.7	2678.91	48.4
महायोग	46055.79	469.50	71202.42	795.8	59943.19	729.1

श्री सी.एस. पुट्टा राजू : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कॉफी बोर्ड ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक सहित देश में कॉफी उद्योग के विकास को शामिल करने के लिए लगभग 950 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार ने कॉफी बोर्ड के उक्त प्रस्ताव पर विचार किया है।

श्री अरुण जेटली : महोदया, प्रश्न उत्पादन की सीमा और विभिन्न उत्पादों के निर्यात से संबंधित है जिसका प्रश्न में उल्लेख किया गया है। कॉफी बोर्ड द्वारा भेजे गए किसी विशिष्ट प्रस्ताव के संबंध में, मैं निश्चय ही विभाग संभालने वाले अपने सहयोगी को सूचित करूंगा कि जहां तक कॉफी बोर्ड का सवाल है के प्रस्ताव पर गौर करें और इसका समुचित उत्तर दें।

श्री सी.एस. पुट्टा राजू : माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत प्रतिवर्ष 3 लाख मैट्रिक टनों से भी अधिक कॉफी का उत्पादन करता है जिसमें से 70 प्रतिशत का निर्यात किया जाता है और लगभग 4000 करोड़ रुपए की निवल विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है।

वर्तमान में, कॉफी उद्योग को कृषि लागत में वृद्धि, उत्पादन में कमी, श्रमिकों की कमी और समुचित बाजार जानकारी की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार को देश में कॉफी उद्योग के समक्ष की जा रही उक्त समस्याओं की जानकारी हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं।

श्री अरुण जेटली : जहां तक कॉफी उद्योग का सवाल है, भारत में उत्पादन बढ़ रहा है यद्यपि गत वर्ष इसमें कुछ कमी आई है। इसमें मौसमी परिस्थितियों, कतिपय क्षेत्रों में सूखा इत्यादि के कारण कमी आई है। इस वर्ष, आखिर में हमे मानसून की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या का पूर्वसूचना था। तथापि, जहां तक कॉफी का संबंध है, हम मानसून के विलंब के कारण होने वाली समस्या से निपट सकते है।

अब, उपलब्धता का मूल्य निर्धारण पर कुछ प्रभाव रहता है। इन वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के संबंध में, भारत सरकार के पास मूल्य स्थिरता निधि है। इसके पास कतिपय कड़ी पद्धति है जहां हम इसे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण के सात वर्षों से तुलना करते हैं। यदि उस औसत से कम हो जाता है, तो मूल्य स्थिरता निधि काम आती है और हम उद्योगों को हर्जाना देते हैं। तथापि, वैसी स्थिति अभी नहीं आई है। अत: जहां तक भारत की बात है। हमारी कॉफी उत्पादन बढ़ रहा है, चूंकि हमारे निर्यात भी बढ़ रहे हैं। जैसा कि विद्वान संसद सदस्य ने स्वयं कहा, इस देश में जितनी कॉफी हम उगाते हैं उसका 70 प्रतिशत हम निर्यात कर रहे हैं। हम विश्व में सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।

कुमारी शोभा कारान्दलाजे : महोदया, भारत में उत्पाद की जा रही 3,34,750 मीट्रिक टन कॉफी में, कर्नाटक का बड़ा हिस्सा है। कुल उत्पादन का 2,38,300 मीट्रिक टन कर्नाटक से आता है। तथापि, जैसा कि उत्तर में ब्यौरा दिया गया है प्रतिवर्ष उत्पादन और निर्यात घट रहे हैं। वर्ष 2013-14 में प्रतिकूल प्रभावों की वजह से कॉफी उत्पादन घटा है, जो लिखित जवाब में उल्लेख किया गया है।

प्रतिवर्ष 'बोरर' रोग के कारण उत्पादन घट रहा है। 'बोरर' रोग को नियंत्रित करने के लिए, बाजार में कोई कीटनाशक उपलब्ध नहीं है। हम नहीं जानते कौनसा कीटनाशक हमें इस रोग को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त करना होता है। अत: में माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या इस रोग के कारणों को जानने के लिए और इसे नियंत्रित करने के लिए कोई अनुसंधान कार्य चल रहा है।

जैसा कि माननीय सदस्य श्री पुट्टा राजू ने पहले ही उल्लेख किया है, कॉफी बोर्ड के पास ऋणों को माफ करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि उनकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी हैं और इसलिए भी कि उत्पादन प्रतिवर्ष गिर रहा है। कई क्षेत्रों, में 'बोरर' रोग के कारण पौधारोपण समाप्त हो रहे हैं। अत: मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कया ऋण माफ करने का कोई प्रस्ताव है

श्री अरुण जेटली : महोदया, जैसा मैंने अभी कहा बेशक कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। सिर्फ 2013-14 में हमने कॉफी उत्पादन में हल्की गिरावट देखी है। अन्यथा, देश में कॉफी उत्पादन निरंतर बढ़ा है। एक वर्ष के लिए मौसमी परिस्थितियों और एक विशेष रोग के कारण, निचित रूप से इसने कॉफी उत्पादन को प्रभावित किया है। कॉफी बोर्ड विशिष्ट रूप से इस प्रयोजनार्थ गठित किया गया है। यह अपने विपणन और क्षेत्रक के आकलन को जारी रखता है, जिससे यदि कोई रोग होता है, उनके पास निश्चित रूप से इसके जवाब में विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं हैं। मैं आश्वस्त हूं कि हम उन वैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को ले सकेंगे और उन्हें माननीय सदस्यों को संप्रेषित करेंगे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई, कुछ चाय भी पिएंगे।

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं।

असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है। वर्ष 1950 से असम की चाय भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। हमें गर्व है कि भारत में जितनी चाय का उत्पादन होता है, उसका 50 प्रतिशत से ज्यादा असम में होता है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अभी असम में जितनी चाय का उत्पादन होता है, उसका 30 प्रतिशत उत्पादन स्माल टी ग्रोअर्स

या छोटे चाय बागान के मालिक करते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या वह कोई ऐसे कदम उठाएगी जिससे स्मॉट टी ग्रोअर्स को प्रोत्साहन दिया जा सके, साथ ही चाय बागानों में जो लाखों श्रमिक मजदूरी करते हैं उनके डेली वेजेज़ को बढ़ाने के लिए टी कम्पनीज पर दबाव डालने का काम क्या आप करेंगे?

श्री अरुण जेटली : माननीय सदस्य ने सही कहा है कि देश में चाय की कुल पैदावार का 50 प्रतिशत असम में होता है। देश में लगभग छह-सात प्रांत ऐसे हैं, जिनमें पूर्वोत्तर के राज्य भी हैं, सिक्किम भी है, इसके अलावा दक्षिण के राज्यों में भी चाय की पैदावार होती है। इस वक्त चाय उद्योग की जो परिस्थिति है, उसमें पिछले चार-पांच सालों से पैदावार बढ़ रही है और असम में भी बढ़ी है। अगर कहीं स्पेसिफिक आता है कि कोई चाय बागान बंद हो जाए, जहां डिस्ट्रेस सिचुएशन हो तो सरकार उसका संज्ञान लेती है, अन्यथा जब चाय उद्योग और चाय की फसल अच्छी चल रही है, तो उस परिस्थिति के अंदर बाजार उसकी कीमतें वगैरह तय करता है। कई स्थानों पर जब चाय बागान बंद होने से समस्या आती है, तो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार उसमें जो भी कदम उठा सकती है, वह उठाने का प्रयास करती है। एक डायरेक्टरेट है, जो छोटे चाय बागानों के संबंध में कार्यवाही करता है और अपने सुझाव वगैरह देकर वहां की समस्याओं का अध्ययन करता रहता है।

[अनुवाद]

डॉ. ए. सम्पत : महोदया, केरल प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है।

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न चाय और कॉफी के बारे में है।

डॉ. ए. सम्पत : महोदया, सीमांत और लघु किसान प्राकृतिक रबड़ का कम से कम 200 रुपए प्रति कि.ग्राम की मांग कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न विशेष रूप से चाय और कॉफी के बारे में है।

डॉ. ए. सम्पत : प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है। क्या भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर और रबड़ के आयात को घटा कर देय में रबड़ उत्पादन के संवर्धन हेतु नई योजनाओं की परिकल्पना कर रही है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी चाहें तो इनके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली : महोदया, जहां तक रबड़ का प्रश्न है, इसका बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और केरल के कुछ जिलों में उत्पादन बढ़ रहा है। यह केवल गत वर्ष ही इसका उलट हुआ। सूखे का कोई मामला नहीं था परंतु अत्यधिक वर्षा हुई। अत: अत्यधिक वर्षा के कारण एक पत्तों का रोग था और रबड़ का उत्पादन हल्का घटा है। भारतीय बाजार की जहां तक बात है तो प्राकृतिक रबर की भारी मांग है। हमारा प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन की तुलना में उपभोग अधिक हो गया था। इसके परिणामस्वरूप इसमें से कुछ का आयात भी करना पड़ा था। जहां तक प्राकृतिक रबड़ का प्रश्न है, यदि कोई विशिष्ट समस्या है और यदि माननीय सदस्य इसे हमारी जानकारी में लाते हैं, निश्चित रूप से हम इसे देखेंगे।

माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद फैज़ल - अनुपस्थित

विमान दुर्घटनाएं

***165. श्री मोहम्मद फैज़ल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सशस्त्र बलों के मिराज विमान सहित कितने हेलिकॉप्टर और लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) इन दुर्घटनाओं में नागरिकों सहित कितने कार्मिक घायल हुए अथवा मारे गए;

(ग) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष (16.07.2014 तक) के दौरान सशस्त्र बलों के दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलिकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों की संख्या और इन दुर्घटनाओं में मारे गए सेना

---

*चूंकि मोहम्मद फैज़ल उपस्थित नहीं थे, माननीय अध्यक्ष द्वारा कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई।

कार्मिकों और घायल अथवा मारे गए सिविलियनों की कुल संख्या नीचे सारणी में दी गई है:—

वर्ष	लड़ाकू विमान	हेलिकॉप्टर	कुल	मारे गए सेना कार्मिक	मारे गए/ घायल सिविलियन
2011-12	9	4	13	7	1/1
2012-13	4	5	9	15	—
2013-14	5	2	7	1	—
2014-15	1	0	1	1	—

उक्त दुर्घटनाओं में वर्ष 2011-12 के दौरान दुर्घटनाग्रस्त 02 मिराज विमान शामिल हैं।

इसके अलावा, सिविल और सैन्य एजेंसियों को सहायता पहुंचाने के विशेष अभियानों के दौरान भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुए जिसमें भारतीय वायुसेना के 05 कार्मिक और 15 सिविलियन/अर्ध-सैनिक कार्मिक मारे गए। इन विशेष अभियानों को विमान दुर्घटनाओं के संबंध में रखे जाने वाले आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रत्येक दुर्घटना/घटना की जांच न्यायालय/जांच-बोर्ड द्वारा संपूर्ण रूप से की जाती है और पूरी हो चुकी न्यायालय/जांच-बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है। सशस्त्र सेनाओं ने विमान दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विमानन सुरक्षा संगठन का सुदृढ़ीकरण, दुर्घटना रिपोर्टिंग प्रणाली को सरल और कारगर बनाने, संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा विमान बेड़ों की गुणवत्तापूर्ण लेखापरीक्षा जैसे विभिन्न निवारक उपाय किए हैं। इसके अतिरिक्त, सुरक्षित पद्धतियों/प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए विमान बेड़ों और संक्रियात्मक वातावरण के लिए विशिष्ट जोखिम/खतरनाक क्षेत्रों का पता लगाने के लिए दुर्घटना रोकथाम कार्यक्रमों को भी बहुत अधिक बल दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद फैज़ल - अनुपस्थित।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ : महोदया, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रत्येक विनिर्माता किसी उत्पाद की जीवन अवधि विनिर्दिष्ट करता है। एक विमान की जीवन अवधि होती है। इसके कल पुर्जों की भी एक जीवन अवधि होती है। तथापि भारतीय वायुसेना इन उत्पादों का उपयोग इनकी जीवन अवधि से भी अधिक करती है। गत तीन वर्षों में 19 विमानों की दुर्घटना के साथ, निश्चित रूप से भारत में किसी उत्पाद, विशेषत: सियाचिन जो अधिक ऊंचाई पर है, में उड़ रहे विमान की जीवन अवधि को पुन: जांचने की आवश्यकता है। क्या मैं रक्षा मंत्री से इस संबंध में अपनी राय देने का अनुरोध कर सकता हूं।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री अरुण जेटली : माननीय सदस्य सही हैं। प्रत्येक विमान की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। प्रौद्योगिकी सुधारों के साथ, इसे थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए हमारे पास चरणबद्ध रूप से इन्हें उपयोग में हटाने का कार्यक्रम है। वायुसेना विशेष रूप से अपने कुछ विमानों जिनकी दुर्घटनाएं हुई हैं को उपयोग से हटाने पर गौर कर रही है, एक बार चरणबद्ध तरीके से उपयोग से हटाना शुरू होता है, वैकल्पिक विमान जो तैयार किए जा रहे हैं, वे उनका स्थान लेंगे। उदाहरण के लिए, जब मिग-21 को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाता है, जहां दुर्घटना की संख्या थोड़ी ज्यादा थी, उस स्थिति में एलसीए - जो मैंने पहले प्रश्न में जवाब दिया - जो बहुत ही अंतिम चरण में है और विनिर्मित किए जा रहे हैं, सभी चीजों को बदल देंगे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आज मैं बधाई देती हूं पूरा प्रश्नकाल गोवर्धन पर्वत जैसा एक ही मिनिस्टर ने बहुत अच्छे से उठा कर रखा बहुत-बहुत बधाई। *[अनुवाद]* प्रश्नकाल अब समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

स्वास्थ्य व्यावसायिक

***166. श्री राजीव सातव :**
श्रीमती सुप्रिय सुले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जनसंख्या के अनुपात में स्वास्थ्य व्यावसायिकों के घनत्व के साथ-साथ चिकित्सक-जनसंख्या और नर्स-जनसंख्या अनुपात क्या है;

(ख) देश में विज्ञान स्नातक (सामुदायिक स्वास्थ्य) पाठ्यक्रम को आरंभ करने संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे आरंभ करने के लिए क्या कार्यविधियां बनाई गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीय चिकित्सकों को देश में चिकित्सा कार्य करने की अनुमति देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कया कारण हो तथा इस संबंध में सरकार की विद्यमान नीति क्या है; और

(घ) देश में स्वास्थ्य व्यावसायिकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) देश में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में वर्तमान के सेवारत चिकित्सकों का प्रतिशत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उपलब्ध नहीं है। एचआरएच तकनीकी रिपोर्ट 2008 (कृष्णा डी. राव और अन्य दल) के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सकों और नर्सों के घनत्व का राज्य-वार अनुमान संलग्न विवरण-I(क) और II(ख) में दिया गया है।

(ख) मंत्रिमंडल ने दिनांक 13.11.2013 को बैचलर ऑफ साइंस (सामुदायिक स्वास्थ्य) नामक एक पाठ्यक्रम अनुमोदित किया था। प्रस्तावित पाठ्यक्रम का उद्देश्य मध्य स्तरीय स्वास्थ्य व्यावसायियों का सृजन करना है जिनके पास ग्रामीण जनसंख्या में सेवा करने के लिए आवश्यक जन स्वास्थ्य और औषधालय परिचर्या क्षमताएं हों और जिन्हें मुख्यत: उप-केन्द्रों में तैनात किया जाएगा। कोर्स के पाठ्यक्रम को भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के परामर्श से तैयार किया गया है तथा इसमें विभिन्न पणधारकों के मतों पर भी विचार किया गया है। पाठ्यक्रम के लिए डिग्री संबंधित राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा दी जायेगी तथा पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु एवं सुपुदर्गी में अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए इसे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) द्वारा मान्यता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत राज्यों की परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में कोर्स को आरंभ करने के लिए वित्तीय निहितार्थ का ब्यौरा देने हेतु राज्यों से भी अनुरोध किया गया है।

(ग) भारत चिकित्सा परिषद (आईएमसी) अधिनियम, 1956 के धारा 14 में निहित उपबंधों के अनुसार भारत के बाहर किसी देश में योग्यता रखने वाला व्यक्ति, जिसे उसके देश में मान्यता हो और पंजीकृत योग्य हो, संस्थान जिससे वह शिक्षण, अनुसंधान या धर्मार्थ कार्य के लिए वर्तमान में संबद्ध हैं, में प्रैक्टिस करने के लिए अस्थाई पंजीकरण प्राप्त करने का हकदार है।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने 21 मई, 2013 को आईएमसी (संशोधन) अध्यादेश, 2013 के द्वारा आईएमसी अधिनियम, 1956 में संशोधन का प्रस्ताव रखा था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओसीआई) को चिकित्सक के तौर पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। तत्पश्चात् राज्य सभा में 19 अगस्त, 2013 को अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013 लाया गया था। तथापि, विधेयक पर विचार नहीं किया जा सका। चूंकि उक्त प्रतिस्थापन विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (2) के उप-खंड (क) के तहत संसद के अगले अधिवेशन के छह सप्ताह की समाप्ति तक पास नहीं किया जा सका, इसलिए 16 सितंबर, 2013 को उक्त अध्यादेश को समाप्त मान लिया गया। इसे देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013, 28 सितंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया था। तथापि, संसद के शीतकालीन सत्र 2013 के दौरान सभी प्रयासों के बावजूद उक्त विधेयक को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2013 से प्रतिस्थापित करने के लिए राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि बुधवार 18 दिसंबर, 2013 को सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

(घ) सरकार ने देश में डॉक्टरों तथा अन्य स्वास्थ्य व्यावसायिकों की कमी को समाप्त करने के लिए बड़ी संख्या में कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) भूमि, संकाय, स्टॉफ, बिस्तर/बिस्तर क्षमता और अन्य अवसंरचना संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के लिए मानदंड में छूट देना।

(ii) एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम दाखिला क्षमता में 150 से 250 तक बढ़ोतरी।

(iii) स्नातकोत्तर स्तर पर सीटों की बढ़ोतरी के लिए अध्यापक-छात्र अनुपात में छूट।

(iv) चिकित्सा कॉलेजों में अध्यापकों/संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक के पदों पर नियुथ्कत/विस्तार/पुन: रोजगार के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 65-70 वर्ष करना।

(v) विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि और नए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठयक्रम शुरू करने के लिए "राज्य सरकारी चिकित्सा कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण तथा उन्नयन" संबंधी स्कीम के अंतर्गत राज्य चिकित्सा कॉलेजों को वित्तीय सहायता देना।

(vi) स्कूलों, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फार्मेसी तथा पराचिकित्सा कर्मियों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता।

(vii) पीएमएसएसवाई के अंतर्गत देश में एम्स जैसे आठ संस्थानों (पहले चरण में छह तथा दूसरे चरण में दो) की स्थापना करना।

(viii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित नर्सिंग सेवाओं के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण योजना के तहत देश भर में 125 एएनएम और 133 जीएनएम स्कूलों की स्थापना करना।

(ix) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसआई) के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले एम्स जैसे संस्थानों के स्थानों में नर्सिंग के 6 कॉलेजों की स्थापना करना।

(x) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत नजफगढ़, दिल्ली में एक राष्ट्रीय पराचिकित्सा विज्ञान संस्थान (एनआईपीएस) तथा चंडीगढ़, कोयंबटूर, भोपाल, नागपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, लखनऊ तथा भागलपुर में आठ क्षेत्रीय पराचिकित्सा विज्ञान संस्थान (आरआईपीएस) की स्थापना करना।

(xi) बीएससी (नर्सिंग) और एमएससी (नर्सिंग) शुरू करने संबंधी मानकों में छूट दी गई है।

(xii) विवाहित अभ्यर्थियों के लिए नर्सिंग में दाखिले हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

विवरण-I (क)

राज्य और क्षेत्र के आधार पर (1000 जनसंख्या प्रति) डॉक्टर घनत्व

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल		ग्रामीण		शहरी	
	एनएसएसओ	जनगणना	एनएसएसओ	जनगणना	एनएसएसओ	जनगणना
1	2	3	4	5	6	7
भारत	4.28	6.07	2.42	3.28	9.12	13.34
आंध्र प्रदेश	4.52	7.84	3.87	5.41	6.3	14.36
अरुणाचल प्रदेश	1.97	0.17	0.62	1.53	7.33	9.85
असम	0.16	2.83	0.17	1.37	0.11	12.89
बिहार	2.06	3.96	2.02	2.86	2.38	3.31
छत्तीसगढ़	2.59	4.09	1.56	2.69	6.67	9.67
दिल्ली	1.53	15.03	0	8.32	1.64	15.53
गोवा	6.35	10.99	0	4.43	12.71	17.55
गुजरात	3.89	4.4	1.59	1.35	7.74	9.52
हरियाणा	4.02	8.21	3.68	5.31	4.86	15.32
हिमाचल प्रदेश	5.97	5.96	4.54	3.91	19.33	24.96
जम्मू और कश्मीर	1.81	6.77	1.7	2.07	2.14	21.03
झारखंड	4.23	3.94	0.91	2.45	15.85	9.12
कर्नाटक	7.58	7.32	3.65	3.02	15.19	15.68

1	2	3	4	5	6	7
केरल	4.45	6.28	2.05	3.29	11.29	14.8
मध्य प्रदेश	2.68	4.89	2.85	2.47	2.2	11.54
महाराष्ट्र	7.09	7.88	2.61	3.42	13.19	13.95
मणिपुर	1.91	4.54	0.92	2.03	5.09	12.55
मेघालय	1.12	2.51	0.38	0.58	4.21	10.49
मिज़ोरम	0.47	5.32	0	1.92	0.95	8.78
नागालैंड	2.05	3.37	1.18	2.1	6.27	9.33
ओडिशा	0.48	2.69	0.56	1.29	0	10.68
पंजाब	6.57	11.14	5.57	6.55	8.51	20.08
राजस्थान	5.03	3.97	2.22	1.81	14.26	11.03
सिक्किम	1.66	7.49	1.49	5.07	2.95	26.65
तमिलनाडु	9.07	6.09	3.16	1.73	16.63	11.66
त्रिपुरा	1.05	3.21	0.47	1.35	3.81	12.16
उत्तर प्रदेश	3.76	6.04	2.63	3.94	8.06	14.05
उत्तराखंड	4.19	7.4	1.29	4.86	12.64	14.78
पश्चिम बंगाल	3.16	7.07	1.9	5.01	6.38	12.37
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	7.59	0	5.14	0	12.5
चंडीगढ़	14.03	23.17	9.97	4.8	14.48	25.21
दादरा और नगर हवेली	0.00	2.7	0	1.01	0	8.43
दमन और दीव	0.00	4.95	0	2.32	0	9.33
लक्षद्वीप	13.64	5.24	27.27	4.58	0	5.89
पुदुचेरी	7.85	10.6	23.79	2.48	0	14.62

स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, 2004-05 भारत की जनगणना 2001

केन्द्रीय स्वास्थ्य अन्वेषण ब्यूरो 2005

विवरण-I (ख)

राज्य और क्षेत्र के आधार पर (10000 जनसंख्या आबादी) नर्स घनत्व

राज्य/संघ राज्य	कुल			ग्रामीण		शहरी	
	एनएसएसओ	जनगणना	कांग्रेस	एनएसएसओ	जनगणना	एनएसएसओ	जनगणना
1	2	3	4	5	6	7	8
भारत	7.09	7.39	12.77	4.27	4.13	14.42	15.88
आंध्र प्रदेश	11.48	7.54	22.53	8.42	4.41	19.71	15.98
अरुणाचल प्रदेश	6.10	17.92	—	5.79	12.72	7.33	38.46
असम	3.93	6.18	7.90	0.80	4.20	25.51	19.84
बिहार	2.73	2.80	1.86	2.46	1.71	5.05	12.15
छत्तीसगढ़	9.01	5.74	0.12	7.57	3.33	14.72	15.35
दिल्ली	8.34	15.80	1.84	0.00	8.40	8.96	16.36
गोवा	34.64	19.72	—	61.29	16.73	7.99	22.71
गुजरात	2.83	5.95	22.44	1.08	2.78	5.78	11.26
हरियाणा	9.58	4.52	12.86	10.72	2.34	6.78	9.88
हिमाचल प्रदेश	8.21	9.76	27.11	7.16	6.83	18.01	36.97
जम्मू और कश्मीर	2.22	6.29	—	2.42	4.71	1.62	11.06
झारखंड	0.44	6.23	0.01	0.41	2.87	0.51	17.96
कर्नाटक	1.98	8.29	19.42	2.69	3.46	0.60	17.67
केरल	18.08	19.16	31.87	15.65	18.10	25.02	22.19
मध्य प्रदेश	7.64	5.79	17.77	2.31	2.88	22.29	13.82
महाराष्ट्र	9.73	11.06	10.40	4.74	4.58	16.52	19..87
मणिपुर	3.87	12.32	—	2.46	8.86	8.40	23.38
मेघालय	11.68	9.19	—	2.27	4.53	50.57	28.47
मिज़ोरम	10.20	11.84	28.71	5.16	5.19	15.33	18.64
नागालैंड	12.45	17.30	—	3.96	13.93	52.27	33.09
ओडिशा	6.72	12.84	19.57	4.41	11.81	19.8.5	18.72

1	2	3	4	5	6	7	8
पंजाब	9.93	7.79	24.42	11.13	4.96	7.59	13.32
राजस्थान	17.61	4.95	9.38	4.74	2.68	59.76	12.37
सिक्किम	12.21	14.11	—	13.40	11.37	2.79	36.03
तमिलनाडु	3.27	10.43	34.24	0.77	5.38	6.47	16.91
त्रिपुरा	9.85	9.15	4.94	10.44	5.91	7.02	24.68
उत्तर प्रदेश	4.02	2.76	2.57	2.66	1.47	9.20	7.70
उत्तराखंड	12.10	6.27	—	5.67	4.31	30.77	11.96
पश्चिम बंगाल	7.79	10.44	13.03	4.46	5.10	16.34	24.15
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	28.81	17.43	—	28.63	15.99	29.24	20.31
चंडीगढ़	19.43	24.46	—	0.00	8.10	21.59	26.27
दादरा और नगर हवेली	0.00	5.62	—	0.00	4.06	0.00	10.92
दमन और दीव	0.00	9.77	—	0.00	4.73	0.00	18.18
लक्षद्वीप	9.09	19.64	—	0.00	20.62	18.18	18.65
पुदुचेरी	2.64	29.39	—	0.00	13.71	3.94	37.11

स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, 2004-05 भारत की जनगणना 2001; भरतीय नर्सिंग परिषद् (कांग्रेस) 2005

नोट: आईएनसी से डेटा के लिए

1. असम = असम + अरुणाचल प्रदेश + मणिपुर + मेघालय + नागालैंड
2. महाराष्ट्र = महाराष्ट्र + गोवा
3. पंजाब = पंजाब + जम्मू और कश्मीर
4. तमिलनाडु = तमिलनाडु + अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह + पुदुचेरी
5. पश्चिम बंगाल = पश्चिम बंगाल + सिक्किम

[हिन्दी]

सरकारी अस्पतालों में रोगियों का उपचार

***167. श्री छेदी पासवान :**
डॉ. संजय जायसवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, लखन ऊ और चंडीगढ़ सहित केन्द्र सरकार के अस्पतालों में आने वाले रोगियों द्वारा शल्य चिकित्सा सहित उपचार कराने के लिए सामना की जा रही कठिनाइयों की ओर ध्यान दिया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने इन अस्पतालों में आने वाले रोगियों की संख्या और हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी अथवा आर्थो सर्जरी आदि जैसी विभिन्न

सर्जरियों के लिए प्रतीक्षारत रोगियों के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने रोगियों को हो रही कठिनाइयों का समाधान करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), लखनऊ और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ तथा केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों, अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल एवं लेडी हॉर्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल में शल्यक्रिया और उपचार के लिए आने वाले मरीजों की संख्या, बिस्तरों की संख्या, कार्मिक शक्ति और अन्य संसाधनों की दृष्टि से उनकी प्रबंधन क्षमता की तुलना में बहुत अधिक है। इन अस्पतालों में व्यापक अवसंरचना तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध रहने के बावजूद अवसंरचना तथा उपलब्ध कार्मिक शक्ति, जो भिन्न-भिन्न विभागों में अलग-अलग है पर निरंतर बढ़ते हुए दबाव के कारण कुछ प्रक्रियाओं के लिए प्रतीक्षा अवधि होती है। इसलिए विभिन्न नैदानिक विभाग मरीजों की स्थिति, अपेक्षित उपचार की तात्कालिकता और दिन-विशेष को बिस्तर की उपलब्धता पर विचार करते हुए भर्ती होने की आवश्यकता वाले मरीजों की अपनी प्रतीक्षा सूची तैयार करते हैं। फिर भी, ओपीडी में पंजीकृत सभी मरीजों को नैदानिक उपचार प्रदान करते समय उनका यथेष्ट देखभाल किया जाता है और ध्यन रखा जाता है।

2. किसी अस्पताल में मौजूदा सुविधाओं का विस्तार और नई सुविधा का सृजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह आवश्यकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों, अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हॉर्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल में क्षमता में वृद्धि की परियोजनाओं को भी मंजूरी मिल गई है।

3. इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के विस्तार हेतु स्थान की कमी के कारण सरकार विभिन्न राज्यों में संबंधित राज्यों/क्षेत्रों में आम जनता को तृतीयक परिचर्या प्रदान करने हेतु 6 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना कर रही है। इसके अलावा, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के प्रथम चरण में 13 मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थाओं और पीएमएसएसवाई के द्वितीय चरण में 6 मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थाओं का उन्नयन भी शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक/अभिघात केन्द्रों के निर्माण के माध्यम से स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार और मौजूदा तथा नए अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरणों का प्रापण शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पीएमएसएसवाई के तहत 39 और चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन को भी मंजूरी प्रदान की है।

4. इन प्रयासों से आगामी वर्षों में इन अस्पतालों पर प्रगामी रूप से मरीजों की संख्या का भार कम होगा जिससे प्रतीक्षा अवधि में काफी कमी आएगी, क्योंकि सुदूर क्षेत्रों से इन अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या कम हो जाएगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं

***168. श्री बी.वी. नाईक :**
श्री रामदास सी. तडस :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के अभाव की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश के ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलने हेतु क्या मानदंड/मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने कितनी शाखाएं खोली हैं और उनमें से कितनी शाखाएं देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में हैं; और

(घ) देश के सुविधाविहीन ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में बैंकों की कितनी शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है और सरकार द्वारा सुविधाविहीन क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 58.7% परिवार बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को (i) (99,999 तक की जनसंख्या वाले) टीयर-2 से टीयर-6 के केन्द्रों में तथा (ii) पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध-शहरी तथा शहरी केन्द्रों में रिपोर्टिंग के अध्यधीन शाखाएं/चल शाखाएं/प्रशासनिक कार्यालय/सीपीसी (सेवा शाखाएं) खोलने की आम अनुमति प्रदान कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह दी है कि अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) तैयार करते समय बैंकों को वर्ष के दौरान खोले जाने

के लिए प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक रहित ग्रामीण (टीयर-5 से टीयर-6) केन्द्रों को आबंटित करना चाहिए।

(ग) और (घ) गत चार वर्ष के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई शाखाओं सहित, खोली गई शाखाओं की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

केन्द्रीय बजट 2014-15 में यह घोषणा की गई है कि देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इस वर्ष 15 अगस्त को वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में एक समयबद्ध कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।

विवरण

तालिका 1: जनसंख्या समूह तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की बैंक समूह-वार संख्या

(आंकड़े वास्तविक)

		भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके सहयोगी	राष्ट्रीयकृत बैंक	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	कुल
		1	2	3	4	5	6	7
2010-11	ग्रामीण	397	638	12	278	149	2	1,476
	अर्ध-शहरी	250	1,151	42	135	712	2	2,292
	शहरी	100	476	24	67	274	1	942
	महानगरीय	124	414	26	16	412	4	996
	कुल	871	2,679	104	496	1,547	9	5,706
2011-12	ग्रामीण	356	1,349	10	583	279		2,577
	अर्ध-शहरी	216	1,415	49	157	885		2,722
	शहरी	197	602	65	47	326		1,237
	महानगरीय	139	451	28	14	368	5	1,005
	कुल	908	3,817	152	801	1,858	5	7,541
2012-13	ग्रामीण	411	1,381	36	504	779	1	3,112
	अर्ध-शहरी	327	1,342	41	107	772	2	2,591
	शहरी	188	493	16	51	255	4	1,007
	महानगरीय	140	395	11	17	244	5	812
	कुल	1,066	3,611	104	679	2,050	12	7,522

		1	2	3	4	5	6	7
2013-14	ग्रामीण	407	2298	127	416	1,092		4,340
	अर्ध-शहरी	301	1652	93	49	463	3	2,561
	शहरी	247	729	35	23	246		1,280
	महानगरीय	128	499	47	13	301	1	989
	कुल	1,083	5,178	302	501	2,102	4	9,170

1. जनसंख्या समूहों को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है: 'ग्रामीण' में 10,000 से कम जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल हैं, 'अर्ध-शहरी' में 10,000 से अधिक परंतु एक लाख से कम जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल हैं, 'शहरी' में एक लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल हैं तथा 'महानगर' में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल हैं। जनसंख्या संबंधी सभी आंकड़े वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हैं।
2. केन्द्र को 'राजस्व इकाई' के रूप में वगीकृत तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा राजस्व गांव/नगर/शहर/नगर पालिका/नगर निगम के रूप में उल्लेख किया गया है।
3. 'सरकारी क्षेत्र के बैंकों' में भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक शामिल हैं।
4. आंकड़े एमओएफ प्रणाली में अद्यतन किए गए 'अनुसार नवीनतम भौगोलिक सीमाओं के अनुसार हैं।
5. आंकड़े वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं (अर्थात् अप्रैल से मार्च)।
6. आंकड़ों में 'प्रशासनिक कार्यालय' शामिल नहीं है।
7. *स्रोत:* मास्टर ऑफिस फाइल (एमओएफ) प्रणाली, सांख्यिकी तथा सूचना प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 30 मई, 2014 की स्थिति के अनुसार एमओएफ आंकड़े परिवर्तनीय स्वरूप के हैं। इसे बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर अद्यतन किया जाता है। यह अनंतिम है क्योंकि हाल की अवधि (अर्थात् मार्च 2014 को समाप्त तिमाही) में खोली गई कई नई शाखाओं के संबंध में सूचना को एमओएफ प्रणाली में शामिल किए जाने की कार्रवाई चल रही है।

लेप्टोस्पायरोसिस के मामले

***169. श्री राम सिंह राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से लेप्टोस्पायरोसिस संबंधी मामलों और उसके कारण हुई मौतों की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में नैदानिक और अनुसंधान केन्द्रों की वर्तमान उपलब्धता लेप्टोस्पायरोसिस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में लेप्टोस्पायरोसिस और अन्य पशुजन्य रोगों की उचित निगरानी, शीघ्र निदान, त्वरित उपचार और नियंत्रण हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) और (ख) जी हां। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में स्थानिक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से लेप्टोस्पायरोसिस की रिपोर्ट की गई संख्या तथा उससे होने वाली मृतकों के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के तहत क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, पोर्ट ब्लेयर एक राष्ट्रीय लेप्टोस्पायरोसिस रेफरेंस केन्द्र है, जो अंडमान में लेप्टोस्पायरोसिस के लिए निगरानी कार्य करता है, निदान में रेफरल सेवाएं प्रदान करता है और देश में लेप्टोस्पायरोसिस से संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण का संचालन भी कर है। अन्य राज्यों में मामलों की बारम्बारता में वृद्धि होने के कारण आईसीएमआर के राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (एनआईई), चेन्नै में एक लेप्टोस्पायरोसिस निदान और अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। देश के प्रमुख भाग में केन्द्रों/अस्पतालों को लेप्टोस्पायरोसिस रेफरेंस सेवाओं की सुलभ पहुंच प्रदान करने के अतिरिक्त, यह रेफरेंस इकाई लेप्टोस्पायरोसिस अनुसंधान में संलग्न चिकित्सा महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों के साथ समन्वय करती है तथा सहयोग प्रदान करती है।

लेप्टोस्पायरोसिस के निवारण और नियंत्रण की कार्यनीति में शीघ्र निदान एवं तुरंत उपचार, कीमोप्रोफिलैक्सिस तथा रोडन्ट नियंत्रण करना शामिल है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) का आरंभिक परीक्षण किया गया तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन के लिए सभी स्थानिक राज्यों में प्रचार किया गया।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है जिसका उद्देश्य लेप्टोस्पायरोसिस जेनेटिक रोगों सहित महामारी संभावित रोगों का पता लगाना तथा प्रकोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। आईडीएसपी के तहत, अतिरिक्त जनशक्ति प्रदान करने, प्रकोप की जांच करने के लिए चयनित त्वरित प्रतिक्रिया दलों (आरआरटी) को प्रशिक्षित करने, लेप्टोस्पायरोसिस सहित महामारी संभावित रोगों का पता लगाने के लिए प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के माध्यम से जिलों और राज्यों को सुदृढ़ किया गया है।

विवरण

वर्ष 2011-14 के दौरान किए गए लेप्टोस्पायरोसिस के कारण होने वाले मामले और मृतकों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	2011		2012		2013		2014	
		मामले	मृतकों की संख्या	मामले	मृतकों की संख्या	मामले	मृतकों की संख्या	मामले	मृतकों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	356	4	202	0	468	2	113	0
2.	महाराष्ट्र	454	29	497	14	453	20	22 *	0 *
3.	कर्नाटक	524	12	462	8	355	10	#63	#1
4.	तमिलनाडु	1345	0	3587	0	2887	0	512 *	0 *
5.	केरल	944	70	756	18	814	34	355 **	11 **
6.	गुजरात	918	178	157	26	308	38	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	कुल	4541	293	5661	66	5285	104	1065	12

स्रोत: स्वास्थ्य राज्य निदेशालय: अंडमान और निकोबार के संबंध में डाटा आईसीएमआर द्वारा प्रदान किया गया।

*जून 2014 तक उपलब्ध आंकड़े।

**09/07/2014 तक उपलब्ध आंकड़े।

#मई 2014 तक उपलब्ध आंकड़े।

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***170. श्री ओम प्रकाश यादव :**
श्री अर्जुन मेघवाल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खुदरा क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था को कितना लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) क्या देश के कतिपय कॉर्पोरेट घरानों का प्रस्ताव इस संबंध में जारी/निर्धारित मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करते हुए छोटे शहरों में अपने खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार (एसबीआरटी) में 100% तक एफडीआई की अनुमति है। मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार (एमबीआरटी) में एफडीआई के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) खुदरा बिक्री केन्द्र राजयों/केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित प्राधिकरणों में पंजीकृत होते हैं। खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य

***171. श्री अश्विनी कुमार चौबे :**
श्रीमती मौसम नूर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के कतिपय अन्य विकासशील देशों की तुलना में देश में नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर काफी अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इन लक्ष्यों को भारत द्वारा कब तक प्राप्त किया जाएगा;

(ग) क्या भारत द्वारा विभिन्न लक्ष्यों के संदर्भ में की गई प्रगति संतोषजनक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2012 के अनुसार, भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 42 है और मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 178 है। उपलब्ध डब्ल्यूएचओ/यूनिसेफ वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 47 देशों में भारत से अधिक शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) है और 52 देशों में भारत से अधिक मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) है।

आरजीआई-एसआरएस (2001-03) के अनुसार, शिशुओं में मृत्यु का प्रमुख कारण प्रसवकालीन स्थितियां (46%), श्वसनीय संक्रमण (22%), दस्त रोग (10%), अन्य संक्रामक एवं परजीवी रोग (8%) तथा जन्मजात विकृतियां (3.1%) हैं। आरजीआई-एसआरएस (2001-03) के अनुसार, मातृ मृत्यु के प्रमुख चिकित्सीय कारण रक्तस्राव (38%), पूतिदोष (सेप्सिस) (11%), गर्भपात (8%), उच्च रक्तचाप संबंधी विकार (5%), बाधित प्रसव (5%) और रक्ताल्पता सहित अन्य कारण (34%) होते हैं। इसके अतिरिक्त, अशिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक निम्न स्तर, कम उम्र में विवाह, उच्च तुल्यता, महिला सशक्तीकरण, अपर्याप्त स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की कम पहुंच भी शिशु, बाल एवं मातृ मृत्यु के कारक होते हैं।

(ख) से (घ) स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित तीन सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) हैं और ये बाल मृत्यु से संबंधित एमडीजी 4, मातृ मृत्यु से संबंधित एमडीजी 5 और एचआईवी/एड्स, मलेरिया एवं अन्य रोगों के नियंत्रण से संबंधित एमडीजी 6 हैं। इन लक्ष्यों की स्थिति निम्नलिखित है:—

(1) एमडीजी 4 का लक्ष्य है- पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर को वर्ष 1990 और 2015 के बीच दो-तिहाई तक कम करना। भारत के मामले में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्युदर को वर्ष 1990 में प्रति एक हजार जीवित जन्मों पर 126 से कम करके वर्ष 2015 में 42 तक लाने का लक्ष्य है। वर्ष 2012 में, भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर 52 है और यदि 6.8 प्रतिशत की दर से वार्षिक गिरावट की वर्तमान रूझान जारी रही तो 2015 तक यह 42 तक पहुंच सकती है।

(2) एमडीजी 5 का लक्ष्य मातृ मृत्यु अनुपात को वर्ष 1990 और 2015 के बीच तीन-चौथाई तक कम करना है। इसका तात्पर्य यह है कि एमएमआर को वर्ष 1990 में 560 से कम करके 2015 में 140 तक नीचे लाना है। यदि 5.7 प्रतिशत यौगिक दर से वार्षिक गिरावट जारी रही तो भारत में एमएमआर 141 तक पहुंच सकती है।

(3) एमडीजी 6 का लक्ष्य वर्ष 2015 तक एचआईवी/एड्स, मलेरिया एवं अन्य प्रमुख रोगों की रोकथाम एवं उन्मूलन करना है। मलेरिया की व्याप्ति वर्ष 1990 में प्रति एक हजार आबादी पर 2.57 मामलों से घटकर प्रति एक हजार आबादी पर 0.88 मामले हो गई है। क्षय रोग के मामले में व्याप्ति दर वर्ष 1990 में प्रति 100,000 आबादी पर 465 से घटकर वर्ष 2012 में प्रति 100,000 आबादी पर 230 हो गई है और 50.54 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। एचआईवी/एड्स के मामले में पिछले दशक के दौरान नए वार्षिक एचआईवी संक्रमण की दर में 57% की गिरावट दर्ज हुई है। वह वर्ष 2000 में 2.74 से घटकर वर्ष 2011 में 1.16 हो गई।

(ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बाल एवं मातृ मृत्यु को कम करने पर जोर दिया गया है और प्रमुख कार्यनीतियों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है-लौह एवं फोलिक अम्ल के संपूर्ण द्वारा रक्ताल्पता की रोकथाम एवं उपचार; जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के माध्यम से अस्पताल में प्रसव को बढ़ावा देना; जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के तहत प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं तथा बीमार शिशुओं के लिए स्वास्थ्य केन्द्र आधारित प्रसवकालीन एवं प्रसवोत्तर परिचर्या, जिसमें औषधियों, नैदानिक सुविधाएं, आहार एवं रेफरल परिवहन की नि:शुल्क सुविधाएं शामिल हैं; आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर पर जाकर नवजात शिशु को परिचर्या उपलब्ध कराना; राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत 4 प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं अर्थात् जन्म के समय विकृतियों, कमियों, धीमा विकास और उनका उपचार; सी-सेक्शन (ईएमओसी), सामान्य नवजात एवं बाल्यावस्था रोगों सहित प्रसूति परिचर्या के प्रबंधन हेतु स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं के कौशल के उन्नयन के लिए उनका क्षमता निर्माण; और सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत टीका निवार्य रोगों की रोकथाम के लिए बच्चों का टीकाकरण।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं

***172. श्रीमती पूनमबेन माडम :** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों/छोटे गांवों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ख) राज्य-वार कितने जनजातीय क्षेत्रों/छोटे गांवों में विद्युतीकरण किया गया है और उन्हें बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है;

(ग) सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य-वार संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या बड़ी परियोजनाएं/काम शुरू किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम) : (क) और (ग) सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की समावेशी वृद्धि को सुनिश्चित करते हुए देश में जनजातीय क्षेत्रों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय उन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है जो प्राथमिक रूप में जनजातीय जनसंख्या के लिए इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतरों को भरने के लिए लक्षित हैं।

इस मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में, जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) रोजगार और आयसृजनकारी गतिविधियों तथा उसकी आनुषंगिक अवसंरचना को शामिल करती है जो जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हैं। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने तथा जनजातीय लोगों को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई इत्यादि जैसे क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थापना भी आती हैं।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों/हस्तक्षेपों को कार्यान्वित कर रहा है जो अवसंरचना के सुधार, शिक्षा तथा अन्य सेवाओं तक पहुंच के लिए अन्य मंत्रालयों के प्रयासों की अनुपूर्ति करते हैं। ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों/हस्तक्षेपों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। कुछ प्रमुख योजनाएं जो अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(ख) प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में बिजली के साथ अनुसूचित जनजाति के परिवारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण जैसा जनगणना 2011 में प्रतिबिंबित है, संलग्न विवरण-III में दिया गया हैं बारहमासी सड़कों के साथ जुड़े हुए जनजातीय क्षेत्रों की संख्या से संबंधित ब्यौरे मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा योजना आयोग वास्तविक परिणामों में बदलने वाले सहमत उद्देश्यों के अनुरूप जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) निधियों के उपयोग के लिए संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से लगातार आग्रह कर रहे हैं।

योजना आयोग ने 18 जून, 2014 को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ कुल योजना परिव्ययों जो जनगणना, 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात से कम नहीं है में से जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के तहत निधियों के आवंटन के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया है। इसके अलावा, दिशा-निर्देश जनजातीय क्षेत्र के लिए निर्धारित निधियों के अन्यन उपयोग न किए जाने तथा प्रावधानों, सेवा आपूर्ति मानकों और परिणामों

को शामिल करते हुए सुपरिभाषित संकेतकों के साथ व्यापक निगरानी रूपरेखा को अनुबद्ध करते हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मार्च, 2014 माह में "जनजातीय उपयोजना तथा अनुच्छेद 275(1) के अनुदानों के निरूपण, कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश" भी जारी किए हैं जिसमें निधियों के आवंटन, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, राज्यों में नोडल विभागों हेतु आवश्यकता, टीएसपी निधि का विवेकपूर्ण उपयोग तथा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखा परीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए साधनों के संस्थानीकरण से संबंधित मुद्दों का उपयुक्त रूप से ध्यान रखा गया है। प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों ने संस्थानों अर्थात् एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), जनजीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) जिसके माध्यम से राज्य में जनजातीय कल्याणकारी कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है, के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया है।

इसके अतिरिक्त, योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्य सरकारों/एजेंसियों को निधियां निर्मुक्त करते समय विगत वर्षों में निर्मुक्त निधियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) तथा प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति से संबंधित सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों, का विकास परियोजना की समयबद्ध समाप्ति को सुनिश्चित करने के लिए, ध्यान में रखा जाता है।

विवरण-I

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम
1	2
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)
2.	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान
3.	लघु वन उत्पाद (एमएफपी) प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (एसटीडीसीसी) को सहायता अनुदान
4.	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास
5.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
6.	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग
7.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण
8.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (एनजीओ घटक)
9.	अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों/लड़कों के छात्रावास
10.	अनुसूचित उपयोजना (टीएसपी) क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम विद्यालयों की स्थापना
11.	अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
12.	प्रतिभा का उन्नयन
13.	कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति
14.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण
15.	अनुसूचित जनजातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा
16.	अनुसूचित जनजातियों विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
17.	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
18.	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास
19.	अनुसंधान, सूचना एवं जनशिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य

टिप्पणी: कुछ योजनाओं के लिए निधियों का राज्य-वार आवंटन निर्धारित नहीं है क्योंकि योजनाएं आवश्यकता एवं मांग आधारित हैं।

विवरण-II

विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं की सूची

(1) कृषि और सहकारिता विभाग

- गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन एवं संवितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण
- पूर्वोत्तर तथा हिमालयन राज्यों के लिए बागवानी अभियान
- बांस प्रौद्योगिक एवं व्यापार विकास पर राष्ट्रीय मिशन
- लघु सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन
- कृषीय सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन

- राष्ट्रीय कृषि बीमा
- मौसम आधारित फसल बीमा

(2) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

- फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा की योजनाएं
- कृषि विस्तार संस्थानों अनुसंधान एवं शिक्षा

(3) पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम
- केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

(4) पर्यावरण और वन मंत्रालय

- राष्ट्रीय वृक्षारोपण कार्यक्रम
- हरित भारत मिशन

(5) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

- मधुमेह की रोकथाम एवं नियंत्रण, सीवीटी तथा दिल का दौरा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
- अवसंरचना रखरखाव
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

(6) एड्स नियंत्रण विभाग

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

(7) आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

(8) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

- सर्व शिक्षा अभियान
- प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना)
- माध्यमिक शिक्षा के लिए बाल कन्या हेतु प्रोत्साह की राष्ट्रीय योजनाएं, नवोदय विद्यालय समिति
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)
- उत्कृष्टता के बेंच मार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों को स्थापित करने हेतु योजनाएं
- माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण एवं संचालन हेतु योजनाएं
- विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

(9) उच्चतर शिक्षा विभाग

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय (इग्नू)
- एनआईटीएस
- आईआईएम शिलौंग (आईएनसी ओएससी) सहित आईआईएम
- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (आईसीटी)
- महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

(10) श्रम और रोजगार मंत्रालय

- बाल मजदूरी
- कौशल विकास पहल
- स्वास्थ्य बीमा आरडब्ल्यू
- डीजीईटी के अंदर प्रशिणार्थियों के प्रशिक्षण का विस्तार
- वाम पंथी उग्रवाद द्वारा प्रभावित 34 जिलों के लिए कौशल विकास

(11) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) खादी उद्योगों के कारीगर
- ग्रामोद्योग का संवर्धन तथा विद्यमान कमजोर ग्रामोद्योग संस्थान का विकास (पीआरओवीआईडीई)
- ग्रामोद्योग अनुदान
- एमएसएमई कलस्टर विकास कार्यक्रम तथा एमएसएमपी संवृद्धि पोल

(12) पंचायती राज मंत्रालय

- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना
- ग्रामीण व्यापार हब
- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए)

(13) ग्रामीण विकास मंत्रालय

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
- आजीविका कौशल
- इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
- राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)

(14) भूसंसाधन विभाग

- एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)
- राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)

(15) महिला और बाल विकास मंत्रालय

- एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)

विवरण-III

प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में विद्युत वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य का नाम	कुल परिवार	प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में विद्युत	प्रतिशतता
1	2	3	4
अखिल भारत	2,33,29,105	1,20,61,513	51.70
आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	15,60,035	12,48,721	80.04
अरुणाचल प्रदेश	1,72,913	1,14,528	66.23
असम	8,87,226	2,48,462	28.00
बिहार	4,23,568	48,836	11.53
छत्तीसगढ़	17,47,575	9,92,392	56.79
गोवा	33,662	31,564	93.77
गुजरात	18,37,844	14,70,147	79.99
हिमाचल प्रदेश	92,017	86,990	94.54
जम्मू और कश्मीर	2,62,419	1,56,602	59.68
झारखंड	17,18,359	5,03,938	29.33
कर्नाटक	9,36,995	7,83,389	83.61
केरल	1,36,006	85,377	62.77
मध्य प्रदेश	32,13,683	17,35,056	53.99
महाराष्ट्र	24,45,645	14,61,954	59.78
मणिपुर	1,73,757	1,00,457	57.81
मेघालय	4,56,683	2,70,194	59.16
मिज़ोरम	2,11,626	1,78,375	84.29
नागालैंड	3,49,022	2,83,324	81.18
ओडिशा	22,40,142	3,49,954	15.62
राजस्थान	18,36,014	7,28,065	39.65
सिक्किम	46,013	42,103	91.50
तमिलनाडु	3,84,713	3,24,620	84.38
त्रिपुरा	2,59,322	1,21,669	46.92
उत्तर प्रदेश	5,12,649	1,87,892	36.65
उत्तराखंड	63,322	52,985	83.68
पश्चिम बंगाल	12,73,423	4,03,135	31.66

संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल परिवार	प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में विद्युत	प्रतिशतता
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7,743	7,280	94.02
दादरा और नगर हवेली	33,367	30,286	90.77
दमन और दीव	3,334	3,221	96.61
लक्षद्वीप	10,028	9,997	99.69

[हिन्दी]

सैनिकों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि

***173. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा बलों में अधिकारियों से नीचे के रैंक के सैनिकों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय रक्षा बलों में विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों और सैनिकों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सैनिकों को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सैनिकों और रक्षा बलों के अन्य अधिकारियों के कल्याण हेतु अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) मौजूदा समय में रक्षा सेनाओं (सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा को छोड़कर) में अफसरों तथा सैनिकों की विभिन्न श्रेणियों में सेवानिवृत्ति की आयु का विवरण इस प्रकार है:—

सेना

अफसर		अन्य रैंक	
जनरल	62 वर्ष अथवा 3 वर्ष का कार्यकाल, इनमें से जो भी पहले हो	सूबेदार मेजर	54 वर्ष अथवा 34 वर्ष* की सेवा अथवा 4 वर्ष का कार्यकाल, इनमें से जो भी पहले हो
लेफ्टिनेंट जनरल	60 वर्ष	सूबेदार	52 वर्ष अथवा 30 वर्ष* की सेवा
मेजर जनरल	58 वर्ष	नायब सूबेदार	52 वर्ष अथवा 28 वर्ष* की सेवा
बिग्रेडियर	56 वर्ष	हवलदार	49 वर्ष अथवा 26 वर्ष* की सेवा
कर्नल	54 वर्ष	नायक	49 वर्ष अथवा 24 वर्ष* की सेवा
		सिपाही ग्रुप (एक्स)	42 वर्ष अथवा 19 वर्ष* की सेवा
		सिपाही ग्रुप (वाई)	48 वर्ष अथवा 22 वर्ष* की सेवा

*सेवा सीमा में स्क्रीनिंग द्वारा 2 वर्ष का सेवा विस्तार शामिल है।

टिप्पणी 1: अफसर रैंकों से नीचे की सभी श्रेणियों में आयुसीमा अथवा सेवा सीमा, इनमें से जो भी पहले पूरी होती हो, सेवानिवृत्ति के लिए लागू है।

टिप्पणी 2: उपर्युक्त सूचना में कतिपय विशेषीकृत शाखाओं के अफसरों को शामिल नहीं किया गया है।

नौसेना

अफसर		नौसैनिक	
1		2	
एडमिरल	62 वर्ष अथवा 3 वर्ष का कार्यकाल, इनमें से जो भी पहले हो	मास्टर चीफ पेट्टी ऑफिसर (एमसीपीओ) I तथा II	57 वर्ष

1		2	
वाइस एडमिरल	60 वर्ष	चीफ पेट्टी आफिसर (सीपीओ) तथा इससे नीचे	52 वर्ष
रीयर एडमिरल	58 वर्ष		
कमोडोर/कैप्टन (शिक्षा)	57 वर्ष		
कमोडोर/कैप्टन	56 वर्ष		
कमांडर	54 वर्ष		
ले. कमांडर तथा इसके नीचे	52 वर्ष		

वायुसेना वायुसैनिक की सेवानिवृत्ति की आयु 57 वर्ष है। अफसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु इस प्रकार है:—

(i) स्थायी कमीशनप्राप्त अफसर

एयर चीफ मार्शल	62 वर्ष अथवा 3 वर्ष का कार्यकाल इनमें से जो भी पहले हो
एयर मार्शल	60 वर्ष
एयर वाइस मार्शल	58 वर्ष
एयर कमोडोर	(i) फ्लाइंग शाखा के लिए 56 वर्ष
	(ii) अन्य शाखाओं के लिए 56 वर्ष
ग्रुप कैप्टन (चयन	(i) फ्लाइंग शाखा के लिए 54 वर्ष
	(ii) अन्य शाखाओं के लिए 57 वर्ष
विंग कमांडर तथा ग्रुप कैप्टन (समयमान)	(i) फ्लाइंग शाखा के लिए 52 वर्ष
	(ii) शिक्षा तथा मौसम विज्ञान शाखाओं के अलावा ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के लिए 54 वर्ष
	(iii) शिक्षा तथा मौसम विज्ञान शाखाओं के लिए 57 वर्ष

(iii) शाखा कमीशनप्राप्त अफसर : 57 वर्ष

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सैनिकों तथा अफसरों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें बेहतर अवसंरचना तथा सुविधाओं के प्रावधान के जरिए रहन-सहन तथा कामकाज की परिस्थितियों में सुधार, अतिरिक्त परिवार आवास, सीमावर्ती क्षेत्रों से सैनिकों की आवाजाही के लिए सुविधाएं तथा उदारीकृत छुट्टी नीति, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की तैनाती, मौजूदा नियमों के अनुसार चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रावधान, सैन्‍य कार्मिकों तथा उनके प्रतिपाल्यों की शिक्षा जरूरतों के समाधान के लिए प्रावधान, सामूहिक बीमा योजना, कैंटीन भंडार विभाग (सीएसडी) सुविधाएं, एक शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व तथा बाद में प्रशिक्षण के लिए योजनाएं/कार्यक्रम, भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन और स्वरोजगार आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना

***174. श्री रामचन्द्र हांसदा :**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के कार्यान्वयन हेतु क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों द्वारा आबंटित धनराशि और उनके द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धनराशि के विपथन सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अनुसूचित जाति उप-योजना/जनजातीय उप-योजना के कार्यान्वयन में तथाकथित अनियमितताओं और मार्गनिर्देशों के उल्लंघन के मामलों का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और सरकार द्वारा उन पर क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई; और

(ङ) अनुसूचित जातियों संबंधी उप-योजना/जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत धनराशि के इष्टतम उपयोग की निगरानी हेतु क्या तंत्र स्थापित किया गया है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) योजना आयोग ने अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) संबंधी दिशानिर्देश वर्ष 2005 में राज्यों/सघ राज्य-क्षेत्रों को तथा वर्ष 2006 में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को इस मूल उद्देश्य के साथ जारी किए थे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की योजना में सामान्य क्षेत्रकों द्वारा मुहैया कराए जाने वाले परिव्यय और लाभ, वास्तविक और वित्तीय, दोनों ही दृष्टि से, कम-से-कम उनकी जनसंख्या के अनुपात में मुहैया कराए जाएं। योजना आयोग ने एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन में आने वाली प्रचालनात्मक कठिनाइयों की समीक्षा करने के लिए जून 2010 में कार्यदल गठित किया था। कार्यदल की केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित रिपोर्ट में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा एससीएसपी और टीएसपी के तहत भिन्न रूप से निधियां उद्दिष्ट करने की सिफारिश की गई है और तद्नुसार केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग 2011-12 से एससीएसपी और टीएसपी के तहत निधियां उद्दिष्ट कर रहे हैं। एससीएसपी और टीएसपी के कारगर कार्यान्वयन के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत कार्यनीतियों को लागू करने हेतु योजना आयोग द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई थी जिसने, अन्य बातों के साथ-साथ एससीएसपी और टीएसपी संबंधी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में कुछ संशोधनों की सिफारिश की है और तदनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को 11 फरवरी, 2014 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए संशोधित (प्रस्तावित) दिशानिर्देश 18 जून, 2014 को जारी किए गए थे।

(ख) एससीएसपी और टीएसपी का कार्यान्वयन करने वाले विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा आबंटित धनराशि और उनके द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा, वर्ष 2011-12 से, प्रत्येक वर्ष के लिए, व्यय बजट खंड-I में क्रमश: विवरण 21 और 21-क में दिया जाता है। गत तीन वर्षों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के संबंध में आबंटन और किए गए प्रत्याशित व्यय का ब्यौरा क्रमश: एससीएसपी के लिए संलग्न विवरण-I और टीएसपी के लिए संलग्न विवरण-II में दिया गया है। तथापि, चालू वित्त वर्ष 2014-15 के लिए योजना आयोग द्वारा राज्यों को निधियों का आबंटन अभी तक नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों में, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा एससीएसपी/टीएसपी के कार्यान्वयन में दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में योजना आयोग में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, दिशानिर्देशों के उल्लंघन के जिन मामलों का पता चला है, वे मामले, कुछ राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा एससीएसपी/टीएसपी के तहत अ.जा./अ.ज.जा. की जनसंख्या के अनुपात में निधियां उद्दिष्ट न किए जाने से संबंधित हैं। वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान योजना आयोग राज्य सरकारों से एससीएसपी और टीएसपी के लिए क्रमश: अ.जा. और अ.ज.जा. की जनसंख्या के अनुपात में निधियां उद्दिष्ट करने और इन निधियों का उपयोग उन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों, जिसके लिए ये उद्दिष्ट की गई हैं, के लिए करने का आग्रह करता है। राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को योजना आयोग द्वारा जारी किए गए संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए भी समय-समय पर सलाह दी जाती है।

(ङ) दिशानिर्देशों के अनुसार, एससीएसपी और टीएसपी के लिए निधियां पृथक बजट शीर्षों (एससीएसपी के लिए उप-शीर्ष 789 और टीएसपी के लिए 796) के तहत उद्दिष्ट करना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका विपथन और दुरुपयोग न हो। योजना आयोग वार्षिक योजना चर्चाओं के समय राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रतिवर्ष समीक्षा भी करता है और लक्षित समूहों को लाभान्वित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से इन निधियों का उपयोग, उन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों, जिसके तहत इन्हें उद्दिष्ट किया गया है, के लिए करने का आग्रह करता है।

विवरण-I

वार्षिक योजना 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान एससीएसपी परिव्यय/व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	अ.जा. जनसंख्या का % (जनगणना 2001)	वार्षिक योजना 2011-12			वार्षिक योजना 2012-13			वार्षिक योजना 2013-14	
			कुल राज्य योजना परिव्यय	एससीएसपी परिव्यय	एससीएसपी प्रत्याशित व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय	एससीएसपी परिव्यय	एससीएसपी प्रत्याशित व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय	एससीएसपी परिव्यय
1.	आंध्र प्रदेश	16.20	43000.00	7233.35	5961.28	48935.00	7061.22	6433.63	53000.00	8584.83
2.	असम	6.90	9000.00	165.52	1632.56	10500.00	191.00	153.03	12500.00	214.91
3.	बिहार	15.70	24000.00	4245.72	4245.72	28000.00	5446.17	4427.22	34000.00	6260.36
4.	छत्तीसगढ़	11.60	16710.00	1899.13	1300.50	23480.00	2434.00	1615.77	22250.00	2383.78
5.	गोवा	1.80	3320.00	33.96	8.04	4700.00	94.00	45.16	4715.00	94.41
6.	गुजरात	7.10	38000.00	2084.04	1577.14	51000.00	2865.59	2440.93	59000.00	2637.41
7.	हरियाणा	19.30	20358.00	2599.45	2015.88	26485.00	2843.34	2187.17	27072.00	3726.45
8.	हिमाचल प्रदेश	24.70	3300.00	816.00	816.00	3700.00	914.64	914.64	4100.00	1013.52
9.	जम्मू और कश्मीर	7.60	6600.00	535.78	535.78	7300.00	732.14	एनआर	7300.00	541.05
10.	झारखंड	11.80	15300.00	1469.89	1446.05	16300.00	1714.53	1371.62	16800.00	1885.34
11.	कर्नाटक	16.20	38070.00	4632.99	4632.99	42030.01	5125.00	5125.00	47000.00	5823.88
12.	केरल	9.80	12010.00	1178.18	1178.18	14010.00	1374.38	1374.38	17000.00	1667.70
13.	मध्य प्रदेश	15.20	23000.00	3575.58	2906.89	28000.00	4284.00	3879.15	35500.00	4899.00
14.	महाराष्ट्र	10.20	42000.00	4284.00	3938.36	45000.00	4590.00	4382.97	49000.00	499.68
15.	मणिपुर	2.80	3210.00	89.62		3500.00	79.71	61.63	3650.00	88.61
16.	ओडिशा	16.50	15200.00	2512.56	2033.38	17250.00	2953.86	2512.57	21500.00	3614.72
17.	पंजाब	28.90	11520.00	3323.52	1902.59	14000.00	4039..00	2725.65	16125.00	4653.00
18.	राजस्थान	17.20	27500.00	4555.62	3881.55	33500.00	5558.38	4935.50	40500.00	6767.73

19.	सिक्किम	5.02	1400.00	27.65	27.65	1877.00	35.05	27.95	2060.00	एनआर
20.	तमिलनाडु	19.00	23535.00	5013.29	4491.97	28000.00	6108.61	5405.12	37000.00	7041.99
21.	त्रिपुरा	17.40	1950.00	375.12	328.67	2250.00	352.95	352.95	2500.00	एनआर
22.	उत्तर प्रदेश	21.10	47000.00	9938.15	8766.12	57800.00	12223.00	8642.73	69200.00	14605.80
23.	उत्तराखंड	17.90	7800.00	1404.00	501.06	8200.00	1476.00	499.81	8500.00	1530.00
24.	पश्चिम बंगाल	23.00	22214.00	5118.98	5118.98	28000.00	5966.69	4427.22	30314.00	6987.37
25.	चंडीगढ़	17.50	661.89	115.85	118.05	737.23	131.43	131.43	876.05	154.65
26.	दमन और दीव	3.10	324.95	9.94	9.94	568.25	17.38	17.38	163.00	19.59
27.	दिल्ली	16.90	14200.00	2390.88	2390.88	15000.00	2760.46	2729.58	16626.00	3008.25
28.	पुदुचेरी	16.20	2750.00	412.85	214.72	3000.00	493.68	121.52	2000.00	311.97
	कुल	16.20	473933.84	70041.62	60511.90	563122.49	81866.21	66941.71	643251.05	93514.00

स्रोत: राज्य योजना अनुमोदन पत्र तथा राज्य सरकारों के एससीएसपी संबंधी दस्तावेज।

एनआर: रिपोर्ट नहीं किया गया।

विवरण-II

वार्षिक योजना 2011-12 से 2013-14 तक की वार्षिक योजनाओं के दौरान टीएसपी परिव्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	अ.ज.जा. जनसंख्या का % (जनगणना 2001)	वार्षिक योजना 2011-12			वार्षिक योजना 2012-13			वार्षिक योजना 2013-14	
			कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आबंटन	टीएसपी प्रत्याशित व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आबंटन	टीएसपी प्रत्याशित व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	6.6	43000.00	2973.13	2172.10	48935.00	3591.39	2961.53	53000.00	3666.60
2.	असम#	12.4	9000.00	63.16	54.85	10500.00	401.66	401.66	12500.00	468.83
3.	बिहार	0.9	24000.00	269.24	289.81	28000.00	393.86	291.24	34000.00	485.00
4.	छत्तीसगढ़	31.8	16710.00	5561.44	4229.53	23480.00	7356.00	6177.65	25250.00	7952.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	गोवा	12.1	3320.00	328.81	226.75	4700.00	566.42	226.32	4715.00	614.47
6.	गुजरात	14.8	38000.00	5103.03	4875.71	51000.00	6682.41	6498.44	59000.00	7102.85
7.	हिमाचल प्रदेश	4.0	3300.00	297.00	286.05	3700.00	333.00	333.00	4100.00	369.00
8.	जम्मू और कश्मीर	10.9	6600.00	743.45	743.45	7300.00	1254.77	NR	7300.00	1113.55
9.	झारखंड	26.3	15322.75	7501.39	5749.39	16300.00	8199.40	6996.55	16800.00	8474.60
10.	कर्नाटक	6.6	38070.00	1866.95	1866.95	42030.00	2075.00	2075.00	47000.00	2354.70
11.	केरल	1.1	12010.00	284.19	284.19	14010.00	325.15	325.15	17000.00	389.85
12.	मध्य प्रदेश	20.3	23000.00	4964.90	4432.57	28000.00	6178.91	5544.81	35500.00	6800.00
13.	महाराष्ट्र	8.9	42000.00	3738.00	3106.00	45000.00	4005.00	3404.34	49000.00	3817.34
14.	मणिपुर	34.2	3210.00	1071.85	1030.00	3500.00	1358.53	1018.81	3650.00	1376.28
15.	ओडिशा	22.1	15200.00	3603.44	3282.63	17250.00	4316.40	3740.91	21500.00	5134.54
16.	राजस्थान	12.6	27500.00	3568.18	3339.75	33500.00	4321.19	4859.21	40500.00	5193.40
17.	सिक्किम	20.6	1400.00	37.50	37.50	1877.00	386.66	NR	2060.00	NR
18.	तमिलनाडु	1.0	23535.00	250.44	245.20	28000.00	353.93	296.72	37128.00	496.13
19.	त्रिपुरा	31.1	1950.00	607.47	492.13	2250.00	699.75	740.48	2500.00	NR
20.	उत्तर प्रदेश	0.1	47000.00	31.85	26.46	57800.00	38.00	25.12	69200.00	69.20
21.	उत्तराखंड	3.	7800.00	234.00	117.60	8200.00	246.38	145.56	8500.00	255.00
22.	पश्चिम बंगाल	5.5	22214.00	1470.29	1470.29	28000.00	1658.52	1657.52	30314.00	2173.14
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.3	1434.84.00	173.92	115.15	1701.43	226.43	214.53	1867.10	228.79
26.	दमन और दीव	8.8	324.95	28.79	2.18	568.25	50.29	50.29	630.05	3.90
	कुल	8.2	425901.54	44772.42	38476.24	505601.69	55019.05	47984.84	583014.15	58539.34

स्रोत: राज्य योजना अनुमोदन पत्र तथा राज्य सरकारों के टीएसपी संबंधी दस्तावेज।

एनआर: सूचित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

खनिज तत्वों की कमी

***175. डॉ. ए. सम्पत :**
श्री विद्युत वरण महतो :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग विशेषकर महिलाएं और बच्चे रक्ताल्पता का शिकार हैं और खनिज तत्वों की कमी से पीड़ित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई ओर कितनी उपयोग में लाई गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उपलब्धियां प्राप्त की गईं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विशेषकर महिलाओं और बच्चों में खनिज तत्वों की कमी संबंधी रोगों को कम करने हेतु आगे और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) वर्ष 2005-06 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (एनएफएचएस-3) के अनुसार पांच (5) वर्ष से कम आयु के 69.5 प्रतिशत बच्चों में और प्रजनन आयु की 55 प्रतिशत महिलाओं में रक्ताल्प्ता थी। अन्य खनिज तत्वों की कमियों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई डाटा नहीं रखा जा रहा है। बच्चों और महिलाओं में रक्तालप्ता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की शुरूआत से ही सभी गर्भवती और स्तनपान करवाने वाले महिलाओं तथा बच्चों (6-59 माह) के लिए आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) सम्पूरण कार्यान्वित कर रही है। हाल ही में भारत सरकार ने जीवन चक्र संबंधित दृष्टिकोण के जरिए रक्ताल्पता पर व्यापक रूप से ध्यान देने हेतु राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल शुरू की है। इस कार्यनीति में 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों, किशोरियों और प्रजनन आयु में मौजूद महिलाओं को साप्ताहिक खुराक में तथा गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को 100 दिनों तक दी जा रही दैनिक खुराक के अलावा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को द्विसाप्ताहिक खुराक में आईएफए संपूरण प्रदान किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस (वीएसएनडी) के दौरान रक्ताल्प्ता के प्रतिकूल प्रभावों, आईएफए संपूरण लेने के फायदों तथा लौह से भरपूर संतुलित आहार के महत्व के बारे में लाभार्थियों और पूरे समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण (आईईसी) से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं।

चूंकि आईएफए संपूरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, अतः राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को आरसीएच और मिशन फ्लेक्सीपूल निधियों के अंतर्गत निधियां प्रदान की जा रही हैं और इनका बाल और मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विभिन्न कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जा रहा है तथा किसी स्कीम के रूप में अलग से वित्तपोषण नहीं किया जा रहा है।

विवरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बच्चों और महिलाओं में रक्ताल्प्ता की व्याप्तता

क्र. सं.	राज्य संघ राज्यक्षेत्र	बच्चों (6-59 माह) में रक्ताल्प्ता की व्याप्तता (आंकड़े % में)	महिलाओं (15-49 वर्ष) में रक्ताल्प्ता की व्याप्तता (आंकड़े % में)
1	2	3	4
	भारत	**69.5**	**55.3**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		
2.	आंध्र प्रदेश	70.8	62.9
3.	अरुणाचल प्रदेश	56.9	50.6
4.	असम	69.6	69.5
5.	बिहार	78.0	67.4
6.	चंडीगढ़		
7.	छत्तीसगढ़	71.2	57.5
8.	दादरा और नगर हवेली		

1	2	3	4
9.	दमन और दीव		
10.	दिल्ली	57	44.3
11.	गोवा	38.2	38.0
12.	गुजरात	69.7	55.3
13.	हरियाणा	72.3	56.1
14.	हिमाचल प्रदेश	54.7	43.3
15.	जम्मू और कश्मीर	58.6	52.1
16.	झारखंड	70.3	69.5
17.	कर्नाटक	70.4	51.5
18.	केरल	44.5	32.8
19.	लक्षद्वीप		
20.	मध्य प्रदेश	74.1	56.0
21.	महाराष्ट्र	63.4	48.4
22.	मणिपुर	41.1	35.7
23.	मेघालय	64.4	47.2
24.	मिज़ोरम	44.2	38.6
25.	नागालैंड		
26.	ओडिशा	65.0	61.2
27.	पुदुचेरी		
28.	पंजाब	66.4	38.0
29.	राजस्थान	69.7	53.1
30.	सिक्किम	59.2	60.0
31.	तमिलनाडु	64.2	53.2
32.	त्रिपुरा	62.9	65.1
33.	उत्तर प्रदेश	73.9	49.9
34.	उत्तराखंड	61.4	55.2
35.	पश्चिम बंगाल	61.0	63.2

[अनुवाद]

जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं

***176. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु :**
श्री के.सी. वेणुगोपाल :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में जनजातीय छात्रों की शिक्षा को सुकर बनाने हेतु कार्यान्वित की जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ योजना और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि की गई, कितनी जारी की गई और कितनी उपयोग में लाई गई;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से आंध्रप्रदेश से मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति/व्यावसायिक योजनाओं के अंतर्गत धनराशि जारी करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं के अंतर्गत धनराशि कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम) : (क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लाभ के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के ब्यौरे संक्षिप्त रूप से निम्नानुसार हैं:—

(1) **अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना** : यह छात्रवृत्ति कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाती है। इस योजना में अनुसूचित जनजाति के वे सभी विद्यार्थी शामिल है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपए से कम है। छात्रवृत्ति वर्ष में 10 माह की अवधि

के लिए दिन में आने वाले छात्रों हेतु 150 रुपए प्रतिमाह तथा छात्रावास में रहने वालों के लिए 350 रुपए प्रतिमाह दी जाती है।

(2) **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना :** यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के सभी विद्यार्थियों के लिए है तथा प्रौद्योगिकी और पेशेवर अध्ययनों सहित मैट्रिकोत्तर स्तर पर उच्चतर अध्ययनों के लिए समर्थ बनाने के लिए दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के वे सभी विद्यार्थी न आते हैं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2,50,000/- रुपए से कम है। शैक्षिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जाती है तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर छात्रवृत्ति की राशि 230 रुपए प्रतिमाह से 1200 रुपए प्रतिमाह तक दी जाती है।

(3) **प्रतिभा का उन्नयन :** इस योजना के माध्यम से कक्षा 9 से 12 के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उपाचारात्मक एवं विशेष कोचिंग प्रदान की जाती है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा इत्यादि जैसे पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उन्हें तैयार करने की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग भी प्रदान की जाती है।

(4) **राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना :** यह योजना विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डॉक्टरोत्तर अध्ययन के लिए चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 17 अवार्ड तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए 3 छात्रवृत्तियां दी जाती है। चयनित विद्यार्थियों को विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले ट्यूशन एवं अन्य शैक्षिक शुल्क, यात्रा व्यय के साथ अनुरक्षण तथा अन्य अनुदान दिए जाते हैं। यह अध्येतावृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिनकी कुल वार्षिक आय उनके अभिभावकों की आय के साथ 6.00 लाख रुपए से अधिक नहीं है।

(5) **अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की योजना :** यह छात्रवृत्ति 213 चिन्हित उत्कृष्ट संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईआईटी तथा आईआईएम इत्यादि संस्थानों में से किसी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाती है। छात्रवृत्तियां प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष दी जाती हैं, जिनके परिवार की आय 4.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक न हो। छात्रवृत्ति की राशि में ट्यूशन शुल्क, रहने का व्यय तथा पुस्तकों और कंप्यूटर इत्यादि क लिए भत्ते शामिल हैं।

(6) **अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना :** इस योजना के तहत भारत में एम.फिल तथा पी.एचडी के उच्चतर अध्ययनों के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु 667 अध्येतावृत्तियां प्रतिवर्ष उपलब्ध होती हैं। अध्येतावृत्ति की राशि 16,000/- रुपए से 20,000/- रुपए प्रतिमाह है जो 2 से 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है।

(ख) (1) मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति, (2) प्रतिभा का उन्नयन, (3) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं के तहत निधियां राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निर्मुक्त की जाती हैं। राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना के तहत निधियां, चयनित विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय को निर्मुक्त की जाती हैं। उच्च श्रेणी शिक्षा की योजना के अंतर्गत निधियां, संबंधित संस्थानों को निर्मुक्त की जाती हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना के तहत निधियां, चयनित अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अध्येतावृत्ति संवितरित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्मुक्त की जाती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के लिए आवंटन (बजट अनुमान/संशोधित अनुमान) के योजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के लिए सभी छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु निर्मुक्त एवं उपयोजित निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति/ व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजनाएं आवश्यकता एवं मांग आधारित हैं। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार तथा योजनाओं के मानदंडों के अनुसार मंत्रालय इन योजनाओं के तहत निधियां निर्मुक्त करता है। मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत निर्मुक्त निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत निर्मुक्त निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की योजनाओं के तहत निधियों की निर्मुक्ति प्रगति पर है तथा आंध्र प्रदेश राज्य सहित संबंधित राज्यों के लिए संबंधित निधियां शीघ्र ही निर्मुक्त कर दी जाएंगी।

विवरण-I

वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक तथा चालू वर्ष 2014-15 के दौरान आवंटित निधियों के राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15
		ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
1.	अ.ज.जा. के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	677.50	821.68	748.50	748.50	748.50	748.50	
2.	कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे जरूरतमंद अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	50.00	50.00	86.00	111.73	212.19	211.52	
3.	प्रतिभा का उन्नयन	1.50	2.10	1.50	0.64	1.50	1.50	
4.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	6.00	6.00	6.00	2.65	6.00	7.62	1036.84*
5.	टीएसपी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम विद्यालयों की स्थापना	75.00	75.00	75.00	61.00	75.00	72.17	
6.	अ.ज.जा. के लिए लड़कियों/लड़कों के छात्रावास	78.00	78.00	78.00	78.00	125.00	125.00	
7.	अ.ज.जा. के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	5.00	7.00	13.00	10.11	13.00	9.50	
8.	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00
9.	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	62.00	84.93	90.00	45.00	90.00	10.00	50.00
	कुल	893	1039.78	1008.00	1012.63	1181.19	1175.81	1087.84

**टिप्पणी:* चालू वर्ष 2014-15 के दौरान शिक्षा तथा छात्रवृत्ति की कुछ विद्यमान योजनाएं अंब्रेला योजना के तहत मिलाई जा रही हैं।

विवरण-II

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त निधियों तथा तत्संबंधी उपयोगिता के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2012-13		2013-14	
		निर्मुक्त निधि	उपयोजित	निर्मुक्त निधि	उपयोजित
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश*	500.00	500	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	218.44	उ.प्र.प. देय नहीं
3.	असम	90.00	90.00	211.88	उ.प्र.प. देय नहीं
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं
5.	छत्तीसगढ़	593.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं
6.	गोवा	0.00	0.00	14.00	उ.प्र.प. देय नहीं
7.	गुजरात	500.00	500.00	2835.28	उ.प्र.प. देय नहीं
8.	हिमाचल प्रदेश	20.00	20.00	45.73	उ.प्र.प. देय नहीं
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं
10.	झारखंड	1472.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं
11.	कर्नाटक	260.00	260.00	3320.05	उ.प्र.प. देय नहीं
12.	केरल	57.00	57.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं
13.	मध्य प्रदेश	3400.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं
14.	महाराष्ट्र	251.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं
15.	मणिपुर	100.00	100.00	729.70	उ.प्र.प. देय नहीं
16.	मेघालय	15.00	15.00	296.762	उ.प्र.प. देय नहीं
17.	मिज़ोरम	70.00	70.00	123.185	उ.प्र.प. देय नहीं
18.	नागालैंड	0.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं
19.	ओडिशा	3128.00	3128.00	5601.08375	उ.प्र.प. देय नहीं
20.	राजस्थान	0.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	4792.55	उ.प्र.प. देय नहीं

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम	4.00	4.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं
22.	तमिलनाडु	26.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं
23.	त्रिपुरा	340.00	340.00	674.332	उ.प्र.प. देय नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	28.00	28.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं
25.	उत्तराखंड	26.00	26.00	460.0	उ.प्र.प. देय नहीं
26.	पश्चिम बंगाल	260.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	2620	उ.प्र.प. देय नहीं
27.	दादरा और नगर हवेली	33.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं
29.	दमन और दीव	0.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	
	कुल योग	11173.00	5138.00	21943.19	

टिप्पणी 1*: 98.85 करोड़ रुपए की निर्मुक्ति के लिए दिनांक 03.12.2013 को आंध्र प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि 3 दिसंबर, 2013 तक इस योजना के तहत निधियां समाप्त हो गई थी, अंत:, निधियों की कोई निर्मुक्ति नहीं की जा सकी।

टिप्पणी 2 : यह योजना 01.07.2012 से प्रभावी है।

टिप्पणी 3 : चालू वर्ष 2014-15 के लिए निधियां निर्मुक्त नहीं की गई हैं तथा यह कार्य प्रगति पर है।

विगत तीन वर्षों वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक तथा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त निधियां तथा तत्संबंधी उपयोगिता के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (15.7.2014 तक)	
		निर्मुक्त निधि	उपयोजित	निर्मुक्त निधि	उपयोजित	निर्मुक्त निधि	उपयोजित	निर्मुक्त निधि	उपयोजित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश*	16697.74	16697.74	19438.70	19438.70	4895.16	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	633.00	633.00	1366.85	उ.प्र.प. देय नहीं	2.29	उ.प्र.प. देय नहीं
3.	असम	4210.81	4208.82	4537.69	3392.62	4756.81	उ.प्र.प. देय नहीं	1114.00	उ.प्र.प. देय नहीं
4.	बिहार	298.42	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	90.00	90.00	23.00	उ.प्र.प. देय नहीं	23.00	उ.प्र.प. देय नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	4034.11	3407.11	3150.31	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	1341.48	उ.प्र.प. देय नहीं	787.00	उ.प्र.प. देय नहीं
6.	गोवा	26.77	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	8.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	2.00	उ.प्र.प. देय नहीं	2.00	उ.प्र.प. देय नहीं
7.	गुजरात	8482.59	8482.59	2460.71	2460.71	7138.58	उ.प्र.प. देय नहीं	615.00	उ.प्र.प. देय नहीं
8.	हिमाचल प्रदेश	1141.84	988.89	948.52	891.69	282.83	उ.प्र.प. देय नहीं	237.00	उ.प्र.प. देय नहीं
9.	जम्मू और कश्मीर	733.48	733.48	710.06	710.06	177.00	उ.प्र.प. देय नहीं	177.00	उ.प्र.प. देय नहीं
10.	झारखंड	3374.06	3374.06	1344.21	1344.21	3267.40	उ.प्र.प. देय नहीं	336.00	उ.प्र.प. देय नहीं
11.	कर्नाटक	6149.11	6149.11	2522.75	2522.75	3340.76	उ.प्र.प. देय नहीं	630.00	उ.प्र.प. देय नहीं
12.	केरल	957.08	957.08	329.45	329.45	625.53	उ.प्र.प. देय नहीं	82.00	उ.प्र.प. देय नहीं
13.	मध्य प्रदेश	4591.57	4591.57	9542.45	9542.45	5276.71	उ.प्र.प. देय नहीं	2385.00	उ.प्र.प. देय नहीं
14.	महाराष्ट्र	8820.42	5965.00	4604.38	4604.38	11996.04	उ.प्र.प. देय नहीं	1151.00	उ.प्र.प. देय नहीं
15.	मणिपुर	4742.29	4731.05	4243.64	4243.64	6111.01	उ.प्र.प. देय नहीं	1060.00	उ.प्र.प. देय नहीं
16.	मेघालय	2752.38	2752.38	1753.42	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	3438.00	उ.प्र.प. देय नहीं	438.00	उ.प्र.प. देय नहीं
17.	मिज़ोरम	3732.93	376.30	3546.61	3546.61	5393.89	उ.प्र.प. देय नहीं	886.00	उ.प्र.प. देय नहीं
18.	नागालैंड	2813.71	2573.10	2191.09	2191.09	2626.19	उ.प्र.प. देय नहीं	547.00	उ.प्र.प. देय नहीं
19.	ओडिशा	1809.47	1766.26	5405.95	5405.95	3459.87	उ.प्र.प. देय नहीं	535.00	उ.प्र.प. देय नहीं
20.	राजस्थान	6031.54	6031.54	2142.99	2142.99	2216.02	उ.प्र.प. देय नहीं	1351.00	उ.प्र.प. देय नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	सिक्किम	198.00	65.00	414.15	414.15	845.49	उ.प्र.प. देय नहीं	103.00	उ.प्र.प. देय नहीं
22.	तमिलनाडु	78.91	0.00	178.66	178.66	1436.02	उ.प्र.प. देय नहीं	44.00	उ.प्र.प. देय नहीं
23.	त्रिपुरा	1358.95	1358.95	1036.47	1036.47	1390.99	उ.प्र.प. देय नहीं	259.00	उ.प्र.प. देय नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	755.72	25.00	227.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	56.00	उ.प्र.प. देय नहीं	56.00	उ.प्र.प. देय नहीं
25.	उत्तराखंड	702.78	702.78	657.98	657.98	1086.50	उ.प्र.प. देय नहीं	164.00	उ.प्र.प. देय नहीं
26.	पश्चिम बंगाल	2045.22	1542.57	949.16	949.16	2277.63	उ.प्र.प. देय नहीं	237.00	उ.प्र.प. देय नहीं
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.00	10.00	3.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.75	उ.प्र.प. देय नहीं	0.75	उ.प्र.प. देय नहीं
28.	दमन और दीव	14.76	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	4.00	4.00	10.90	उ.प्र.प. देय नहीं	1.00	उ.प्र.प. देय नहीं
	कुल	86564.66	77490.38	73074.35	54997.18	74839.41		13223.04	

टिप्पणी 1*: 324.34 करोड़ रुपए की निर्मुक्ति के लिए दिनांक 23.10.2013 को आंध्र प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। निधियों की कमी के कारण केवल 48.95 करोड़ रुपए ही निर्मुक्त किए जा सके।

टिप्पणी 2 : चालू वर्ष 2014-15 के दौरान आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के लिए निधियां शीघ्र ही निर्मुक्त कर दी जाएंगी।

टिप्पणी 3 : उपयोगिता के आंकड़े अब तक प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) के अनुसार हैं।

विगत तीन वर्षों 2012-13 से 2013-14 तक के दौरान प्रतिभा के उन्नयन की योजना के तहत राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की निर्मुक्त निधियों तथा तत्संबंधी उपयोगिता के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		निर्मुक्त निधि	उपयोजित	निर्मुक्त निधि	उपयोजित	निर्मुक्त निधि	उपयोजित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	छत्तीसगढ़	54.60	45.00	17.70	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	0.00
3.	गुजरात	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	हिमाचल प्रदेश	0.39	0.39	0.39	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	0.00
5.	मध्य प्रदेश	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	राजस्थान	1.74	1.31	7.175	उ.प्र.प प्रतीक्षित	0.00	0.00
7.	सिक्किम	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	उ.प्र.प. देय नहीं
8.	त्रिपुरा	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	उ.प्र.प. देय नहीं
9.	पश्चिम बंगाल	7.23	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	197.06	181.65	31.505	6.24	6.24	0.00

टिप्पणी: चालू वर्ष 2014-15 के लिए निधियां निर्मुक्त नहीं की गई हैं तथा यह कार्य प्रगति पर है।

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2011-12 से 2013-14 तक तथा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) की योजना के तहत विदेश मंत्रालय को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष						
		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (15.7.2014 तक)
		निर्मुक्त निधि	उपयोजित	निर्मुक्त निधि	उपयोजित	निर्मुक्त निधि	उपयोजित	निर्मुक्त निधि
1.	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	78.31	78.31	100.00	100.00	68.00	68.00	1.05

विगत तीन वर्षों अर्थात 2011-12 से 2013-14 तक तथा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की योजना के तहत संबंधित संस्थानों को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष						
		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (15.7.2014 तक)
		निर्मुक्त निधि	उपयोजित	निर्मुक्त निधि	उपयोजित	निर्मुक्त निधि	उपयोजित	निर्मुक्त निधि
1.	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	697.00	697.00	1011.00	1011.00	950.00	950.00	158.39

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2011-12 से 2013-14 तक तथा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष						
		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (15.7.2014 तक)
		निर्मुक्त निधि	उपयोजित	निर्मुक्त निधि	उपयोजित	निर्मुक्त निधि	उपयोजित	निर्मुक्त निधि
1.	अ.ज.जा. के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	8463.00	3963.00	4500.00	0.00 उ.प्र.प. लंबित है।	0.00 (यूजीसी के पास निधियां उपलब्ध है अत: वर्ष 2013-14 के लिए कोई अतिरिक्त निधि निर्मुक्त नहीं की गई है)	2803.00	0.00 (कोई अतिरिक्त निधि निर्मुक्त नहीं की गई है क्योंकि यूजीसी के पास निधियां उपलब्ध है)

विवरण-III

वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान तक जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत सहायता अनुदान की राज्य-वार निर्मुक्ति तथा लाभार्थियों की संख्या

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15 (15.7.2014 तक)		
		निर्मुक्त निधि	केन्द्र	लाभार्थियों	निर्मुक्त निधि	केन्द्र	लाभार्थियों	निर्मुक्त निधि	केन्द्र	लाभार्थियों	निर्मुक्त निधि	केन्द्र	लाभार्थियों
1.	आंध्र प्रदेश	113.02	8	800	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	असम	0.00	0	0	89.00	10	1000	390.51	11	2000	485.70	10	1000
3.	छत्तीसगढ़	107.86	11	477	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	गुजरात	228.96	0	बकाया	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	मध्य प्रदेश	50.16	10	1000	88.00	10	587	150.74	बकाया	0	0	0	0
6.	मेघालय	100.00	9	700	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	मिज़ोरम	0.00	0	0	88.00	5	500	69.68	बकाया	0	0	0	0
	कुल	600.00	38	2977	265.00	25	2087	610.92693	11	2000	485.70000	10	1000

[हिन्दी]

नकली और घटिया औषधियां

***177. श्रीमती सकुंतला लागुरी :**
श्री राहुल कस्वां :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश के सरकारी अस्पतालों और खुले बाजार में नकली, घटिया और उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी औषधियों के परिचालन/विपणन का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला है और कितने मामलों की जांच की गई है, कितने छापे मारे गए हैं तथा अपराधियों/औषधि विनिर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या विद्यमान कानून अवसंरचना और जनशक्ति नकली, घटिया और उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी औषधियों के विनिर्माण और विपणन तथा पूरे देश के अस्पतालों में उनके परिचालन की निगरानी और उसे रोकने के लिए पर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में विद्यमान कानूनों, अवसंरचना, जनशक्ति और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) और (ख) घटिया व नकली/मिलावटी औषधों के केवल कुछ पृथक मामलों का पता लगाया गया है। संबंधित औषध नियंत्रण प्राधिकारियों प्राप्त नकली/घटिया/समयातीत (एक्सपायर्ड) औषधों के मामलों की संख्या के बारे में राज्य/संघ राज्य-वार सूचना के विवरण के वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वर्ष के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों से कोई आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) देश-भर में नकली, घटिया और समयातीत औषधों के निर्माण व विपणन और अस्पतालों में उनके परिचालन को मॉनीटर तथा जांच करने के लिए औषध व प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 व इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत पर्याप्त कानूनी उपबंध हैं। इस अधिनियम में नकली व घटिया औषधों के निर्माण के लिए कड़े दंडों की व्यवस्था है ताकि इसे नकली औषधों के निर्माण में लगे हुए समाज-विरोधी तत्वों के लिए एक निवारक के रूप में बनाया जा सके। तथापि, यह सही है कि देश में केन्द्र व राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों दोनों में केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं समेत औषध विनियामक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है।

(ङ) केन्द्र सरकार देश के औषध विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सतत रूप से प्रयास कर रही है। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) वर्ष 2008 से केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रक संगठन में 381 अतिरिक्त विनियामक पद सृजित किए गए हैं।

(ii) केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को आधुनिक परिष्कृत परीक्षण उपकरण प्रदान किए गए हैं।

(iii) सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र व राज्यों दोनों के औषध विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है ताकि वे अवैध गतिविधियों में लगे हुए इन बेईमान तत्वों पर अधिक प्रभावकारी नजर रख सकें। तद्नुसार वित्त मंत्रालय ने सीडीएससीओ को सुदृढ़ करने के लिए 900 करोड़ रुपए की धनराशि व राज्यों के औषध विनियामक प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की एक नई योजना के लिए 850 करोड़ रुपए की धनराशि संस्तुत की है।

(iv) औषध व प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत औषध व प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को संशोधित किया गया। नकली व मिलावटी औषधों के निर्माण के लिए कड़े दंडों की व्यवस्था की गई है। कतिपय अपराधों को संज्ञेय व गैर-जमानती भी बनाया गया है।

(v) उक्त संशोधन के अनुसार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से औषध व प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के मुकदमों का तेजी से निपटान करने के लिए विशेष न्यायालय बनाने का अनुरोध किया गया। अब तक 16 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने पहले ही नकली व घटिया औषधों से संबंधित मुकदमों को चलाने के लिए पदनामित विशेष न्यायालय स्थापित कर लिए हैं।

(vi) औषध व प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत बढ़े हुए दंडों के प्रकाश में राज्य औषध नियंत्रकों को नकली अथवा अमानक गुणवत्ता की घोषित औषधों के

नमूनों पर कार्रवाई करने के दिशा-निर्देशों को एक समान कार्यान्वयन के लिए अग्रेषित किया गया।

(vii) भारत सरकार ने देश में नकली औषधों के चलन का पता लगाने में सतर्क जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्सिल ब्लोवर स्कीम घोषित की है। इस योजना में मुखबिरों को विनियामक प्राधिकारियों को नकली औषधों के चलन के बारे में ठोस सूचना प्रदान करने के लिए समुचित रूप से पुरस्कृत करने की व्यवस्था है। नीति का ब्यौरा सीडीएससीओ की वेबसाइट (www.cdsco.nic.in) पर उपलब्ध है।

(viii) निरीक्षणालय स्टॉफ को देश में चल रही औषधों की गुणवत्ता को मॉनीटर करने के लिए परीक्षण व विश्लेषण हेतु नजर रखने व औषधों के नमूने लेने के लिए नियमित रूप से अनुदेश दिए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 2011-12 के दौरान परीक्षित नमूनों की संख्या और राज्य औषध नियंत्रक द्वारा की गई प्रवर्तन के संबंध में कार्रवाई

क्र. सं.	राज्य	परीक्षित औषध नमूनों की संख्या	अमानक गुणवत्ता के घोषित किए गए औषध नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी घोषित औषध नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी औषधों के निर्माण, बिक्री व वितरण के लिए चलाए गए मुकदमों की संख्या	निर्यात मुकदमों (पहले कालम में यथा उल्लिखित की संख्या)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4758	22	2	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	95	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	315	25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	711	8	शून्य	24	शून्य	32
5.	गोवा	765	25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	2874	186	64	6	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	1669	32	12	3	शून्य	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1470	32	0	1	6	0
9.	जम्मू और कश्मीर	1940	133	5	1	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	5268	159	2	3	शून्य	शून्य
11.	केरल	3904	202	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	2617	104	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	6928	521	19	7	6	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	68	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिज़ोरम	71	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	ओडिशा	2910	54	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	पंजाब	3031	41	1	2	2	शून्य
20.	राजस्थान	1605	128	शून्य	13	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	26	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	4110	298	4	4	शून्य	शून्य
23.	त्रिपुरा	185	8	4	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	1328	152	11	136	2	91
25.	पश्चिम बंगाल	687	18	3	5	शून्य	5
26.	पुदुचेरी	48	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	79	6	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	283	13	9	5	शून्य	11
30.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव	89	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	36	9	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	झारखंड	20	3	शून्य	1	शून्य	शून्य
35.	उत्तराखंड	180	3	1	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	48,082	2186	137	211	16	141

वर्ष 2012-13 के दौरान परीक्षित नमूनों की संख्या और राज्य औषध नियंत्रक द्वारा की गई प्रवर्तन के संबंध में कार्रवाई

क्र. सं.	राज्य	परीक्षित औषध नमूनों की संख्या	अमानक गुणवत्ता के घोषित किए गए औषध नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी घोषित औषध नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी औषधों के निर्माण, बिक्री व वितरण के लिए चलाए गए मुकदमों की संख्या	निर्यात मुकदमों (पहले कालम में यथा उल्लिखित की संख्या)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6127	78	10	2	4	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	103	6	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	665	50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार			आंकड़ों की प्रतीक्षा है।			
5.	गोवा	637	36	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	6907	551	4	1	1	शून्य
7.	हरियाणा	3713	52	25	1	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	1318	27	शून्य	1	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	2410	86	3	3	—	—
10.	कर्नाटक	6336	229	2	2	शून्य	3
11.	केरल	4569	189	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	2049	74	शून्य	शून्य	शून्य	—
13.	महाराष्ट्र	7538	360	3	शून्य	शून्य	26
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	1	4	शून्य	शुरू की	शून्य	शून्य
16.	मिज़ोरम	64	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	84	4	—	शून्य	शून्य	—
18.	ओडिशा	4005	37	1	नकली दवाओं के मामलों में मुकदमे दर्ज करने के लिए अनुदेश दिए गए	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	पंजाब	3087	37	शून्य	शून्य	शून्य	—
20.	राजस्थान	1625	81	15	36	शून्य	2
21.	सिक्किम	47	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	3906	210	4	9	1	शून्य
23.	त्रिपुरा	236	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	1016	161	3	156	शून्य	76
25.	पश्चिम बंगाल	1186	35	शून्य	2	शून्य	3
26.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	109	8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	475	19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव	58	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	15	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	झारखंड	38	11	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	उत्तराखंड	212	13	शून्य	1	शून्य	शून्य
	कुल	58,537	2362	70	214	6	110

वर्ष अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान परीक्षित नमूनों की संख्या और राज्य औषध नियंत्रक द्वारा की गई प्रवर्तन के संबंध में कार्रवाई

क्र. सं.	राज्य	परीक्षित औषध नमूनों की संख्या	अमानक गुणवत्ता के घोषित किए गए औषध नमूनों की संख्या	नकली/ मिलावटी घोषित औषध नमूनों की संख्या	नकली/ मिलावटी औषधों के निर्माण, बिक्री व वितरण के लिए चलाए गए मुकदमों की संख्या	निर्णित मुकदमों (पहले कालम में यथा उल्लिखित की संख्या)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई औषधों का लगभग मूल्य	मारे गए छापों की संख्या	मारे गए छापों की संख्या के संदर्भ में की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	7343	61	12	12	मुकदमा चल रहा है	नहीं दिया	134.68 लाख	1645 दुकानें	एसओ जारी-950 रद्द-300 चेतावनी-112
2.	अरुणाचल प्रदेश	183	6	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	असम	1097	39	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	1137	52	4	1	शून्य	शून्य	50,000	80	स्पष्टीकरण 69 निलंबित-27
5.	गोवा	590	34	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	9713	567	32	शून्य	शून्य	1	शून्य	13	जांच के तहत
7.	हरियाणा	2494	52	3	3	शून्य	1	लगभग 2 लाख	6839	निलंबित औषध लाइसेंस-378 रद्द किए औषध लाइसेंस-179

										शुरू किए गए न्यायालय में मुकदमे-27 दर्ज की गई प्राथमिक-9
8.	हिमाचल प्रदेश	751	28	1	1 (2011 में जब्ती)	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	शून्य	उपलब्ध नहीं
9.	जम्मू और कश्मीर	4550	153	6 (03-नकली 03-मिलावटी)	6 (03-नकली, 03-मिलावटी)	न्यायाधीन	शून्य	9969962	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	9366	292	4	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	केरल	4557	152	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं
12.	मध्य प्रदेश	1370	75	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	6097	466	19	11	शून्य	5	37.85 लाख	17	7
14.	मणिपुर	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं
15.	मेघालय	31	1	शून्य	शुरू किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिज़ोरम	115	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6	12 लाख	6	गिरफ्तार लोगों पर मुकदमा चलाया और जब्त औषधों को नष्ट किया गया
17.	नागालैंड	266	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	ओडिशा	4226	74	2	1	शून्य	शून्य	59,775	1475	छापेमारी की और कदम उठाए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	पंजाब	3449	106	3	1	42	शून्य	7566079	1210	लगभग 630 औषध लाइसेंस और 12 औषध लाइसेंस रद्द किए गए
20.	राजस्थान	1516	38	7	7	2	1	1318489	1915	147
21.	सिक्किम	109	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	8356	314	6	4	शून्य	शून्य	13,256	154	संबंधित न्यायालयों के समक्ष मुकदमे चलाने के लिए 72 मंजूरी आदेश जारी किए गए हैं।
23.	त्रिपुरा	798	35	2	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	2068	336	5	120	उपलब्ध नहीं	68	4536820	1188	51 प्राथमिकी दर्ज कराई गई
27.	पश्चिम बंगाल	894	22	शून्य	शून्य	शून्य	3	300000	10	3
26.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3, परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	100	3	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	4	संतोषजनक पाया गया
29.	दिल्ली	166	17	5	शून्य	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
30.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

31.	दमन और दीव	33	शून्य	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	520	11	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	झारखंड	402	59	शून्य	63	शून्य	1	शून्य	4	2
35.	उत्तराखंड	405	31	7	2	शून्य	शून्य	अभी तक हिसाब नहीं लगाया गया	7	लाइसेंस निलंबित-3 और रद्द-1
	कुल	72712	3028	118	237	44	86	424.67 लाख	14567	

राज्यों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार अवधि समाप्त दवाओं के मामले, अवधि समाप्त जब्त दवाओं की मात्रा, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या, जब्त दवाओं के अनुमानित मूल्य, अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, अवधि समाप्त दवाओं के लिए अभियोजन, तथा 2011-12 के दौरान निर्णित मामलों (जैसाकि पूर्व कॉलम में उल्लेख किया गया है) की संख्या

क्र. सं.	राज्य	अवधि समाप्त दवाओं के मामले	अवधि समाप्त को जब्त दवाओं की मात्रा	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त दवाओं के अनुमानित मूल्य (रुपए में)	अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई	अवधि समाप्त दवाओं के लिए अभियोजन की संख्या	मामलों की संख्या (जैसा कि पूर्व के कॉलम में उल्लेख किया है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2	100 विभिन्न प्रकार की औषधें	शून्य	10700	शून्य	2 सीएस दायर	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	1	19 प्रकार की औषधें	2	शून्य	अदालत में मुकदमा शुरू किया गया	एक	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	2	शून्य	उपलब्ध नहीं	32833	01 मामले में प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की गई और 01 मामले में मुकदमा शुरू किया गया	1	शून्य
10.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	केरल	1	शून्य	शून्य	मियाद समाप्त औषध की खुदरा बिक्री जब्त औषधों की संख्या	माननीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा दर्ज किया गया	1	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	शून्य
16.	मिज़ोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	ओडिशा	1	10	शून्य	1000	जब्ती की गई व अभियोग शुरू किया गया	1	शून्य

19.	पंजाब	5	15160 टैब्स, 08 सिरप, 155 कैपसूल्स, 19 इंजेक्शन	शून्य	76.500	5 फर्मों के लाइसेंस निलंबित किए गए	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	7	शून्य	शून्य	शून्य	संबंधित न्यायालय के समक्ष औषध व प्रसाधन सामग्री नियम, 1940 के नियम 65(17) के साथ पाठ्य धारा 18(ग) के अंतर्गत शिकायत दर्ज की गई है।	7	5
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	1	शून्य	2	2000000	एफआईआर दर्ज की गई	शून्य	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
26.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लाइसेंस निलंबित	शून्य	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

राज्यों से प्राप्त फ़ीडबैक के अनुसार अवधि समाप्त दवाओं के मामले, अवधि समाप्त जब्त दवाओं की मात्रा, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या, जब्त दवाओं के अनुमानित मूल्य, अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, अवधि समाप्त दवाओं के लिए अभियोजन, तथा 2012-13 के दौरान निर्णित मामलों (जैसाकि पूर्व कॉलम में उल्लेख किया गया है) की संख्या दर्शाने वाली विवरण

क्र. सं.	राज्य	अवधि समाप्त दवाओं के मामले	अवधि समाप्त को जब्त दवाओं की मात्रा	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त दवाओं के अनुमानित मूल्य (रुपए में)	अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई	अवधि समाप्त दवाओं के लिए अभियोजन की संख्या	मामलों की संख्या (जैसा कि पूर्व के कॉलम में उल्लेख किया है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता
6.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	2	44 प्रकार की दवाएं	शून्य	1960	लाइसेंस निलंबित	शून्य	शून्य

8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	1	01 बोतल	शून्य	89.00 रुपए		1	मै. वसुंधरा मेडिकल स्टोर, मंगलोर के मालिक श्री एन.के. गोपालकृष्ण, के खिलाफ माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मंगलौर में दायर किया गया था और अभियुक्त को साधारण कारावास और 15000/- रुपए के जुर्माने का भुगतान करने की सजा दी गई।
11.	केरल	1	शून्य	शून्य	अवधि समाप्ति वाले दवा की फुटकर बिक्री। जब्त दवाओं की संख्या	माननीय न्यायालय के समक्ष पंजीकृत मामला	1	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	1	आरसीवी-625 टैब्लेट 47x10 टैब्लेट	4	14500	केस नं. 123/2002 दिनांक 10.05.2012 के महत मलाड कुरार थाने में एफआईआर दर्ज	1 (सीसी सं. 71/ एसडब्ल्यू/2013 दिनांक 30.1.2013	
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	शून्य
16.	मिज़ोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	ओडिशा	2	23 मदें	शून्य	लागू नहीं	अभियोजन शुरू करने के लिए जांच के तहत और जब्त किया गया और अभियोजन शुरू किया गया	1	शून्य
19.	पंजाब	6	2500 टैब्स, 287 सिरप, 100 कैप्सूल्स 66 इंजेक्शन	शून्य	55000	2 कंपनियों की लाइसेंस निलंबित और 4 प्रक्रिया के तहत	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	4	शून्य	शून्य	शून्य	संबंधित अदालत के समक्ष ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1940 के नियम 65(17) के साथ पठित धारा 18 के तहत शिकायत दायर की गई है।	4	परखाधीन
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

24.	उत्तर प्रदेश	5	शून्य	5	241000	सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई।	शून्य	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
26.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

राज्यों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार अवधि समाप्त दवाओं के मामले, अवधि समाप्त जब्त दवाओं की मात्रा, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या, जब्त दवाओं के अनुमानित मूल्य, अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, अवधि समाप्त दवाओं के लिए अभियोजन, तथा 2012-13 के दौरान सितम्बर तक निर्णित मामलों (जैसाकि पूर्व कॉलम में उल्लेख किया गया है) की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	अवधि समाप्त दवाओं के मामले	अवधि समाप्त को जब्त दवाओं की मात्रा	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त दवाओं के अनुमानित मूल्य (रुपए में)	अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई	अवधि समाप्त दवाओं के लिए अभियोजन की संख्या	मामलों की संख्या (जैसा कि पूर्व के कॉलम में उल्लेख किया है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता
6.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	1	शून्य	शून्य	24	लाइसेंसिंग प्राधिकरण, हसन सर्किल ने मै. मल्लिकार्जुन मेडिकल, बेलूर, हासन जिला के फार्म 20 एवं 21 में लाइसेंस रद्द किया।	शून्य	मै. मल्लिकार्जुन मेडिकल, बेलूर हासन जिलों ने प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक के समक्ष अपील किया। कर्नाटक सरकार, अपीलीय प्राधिकरण ने औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 194 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी।
11.	केरल	2	शून्य	शून्य	अवधि समाप्ति दवा की फुटकर	माननीय न्यायालय के समक्ष पंजीकृत	2	शून्य

					बिक्री. जब्त की संख्या 59	मामला		
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	शून्य
16.	मिज़ोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	ओडिशा	3	37	शून्य	4011	जब्ती किया गया और अभियोजन शुरू किया गया	3	शून्य
19.	पंजाब	6	9612 टैब्स, 03 सिरप, 290 कैप्सूल्स, 42 ओआरएस पाउच	शून्य	38,000	2 कंपनियों के लाइसेंस निलंबित और 1 कोर्ट केस शुरू, 3 प्रक्रियाधीन	1	शून्य
20.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	3	शून्य	शून्य	शून्य	ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1940 के नियम 65(17) के साथ पठित धारा 18 के तहत संबंधित कोर्ट में शिकायत दायर	3	मुकदमे के तहत

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	3	शून्य	3	175000	सभी मामलों में एफआईआर दर्ज	शून्य	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
26.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	उत्तराखंड	1 (समय सीमा समाप्त वेवरन के 5 टैब्लेट की बिक्री)	छापे के दौरान अवधि समाप्त दवाओं के स्टॉक नहीं पाए गए इसलिए कोई जब्ती नहीं हुई।	शून्य	शून्य	शिकायत के आधार पर कैश मेमो और लाइसेंस अनजाने में गलती के रूप में स्वीकार किया गया इसलिए 15 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किया गया।	शून्य	शून्य

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल

***178. श्री जगदम्बिका पाल :**
श्री निशिकान्त दुबे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मानसिक विकारों से प्रभावित रोगियों की संख्या बढ़ रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए क्रियाकलापों, आबंटित की गई धनराशि और उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई;

(ग) ऐसे मानसिक रोगों संबंधी अस्पतालों, कॉलेजों और संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिनका उन्नयन किया गया है/उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है और उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बढ़ाने और इसे पूरे देश में शुरू करने हेतु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का पुनर्गठन करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ क्या वित्तीय कार्यविधि बनाई गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल व्यावसायिकों, अस्पतालों और संस्थानों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (ङ) वर्ष 2005 में राष्ट्रीय वृहत अर्थशास्त्र और स्वास्थ्य आयोग ने रिपोर्ट दी कि 10-20 मिलियन व्यक्ति (जनसंख्या का 1-2%) गंभीर मानसिक विकारों जैसे विखंडित-मनस्कता (स्किजोफ्रेनिया) और द्विध्रुवी विकारों से ग्रस्त हैं और लगभग 50 मिलियन व्यक्ति (जनसंख्या का 5%) आम मानसिक विकारों जैसे अवसाद और चिंता से ग्रस्त हैं जिससे जनसंख्या का कुल अनुमान 6.5% बैठता है।

मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानसिक विकारों के भाग और दक्ष व्यावसायिकों की अत्यंत कमी से निपटने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित घटकों के साथ वर्ष 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) का कार्यान्वयन कर रही है:—

(i) जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी)

(ii) सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के मनश्चिकित्सीय स्कंधों का उन्नयन

(iii) सरकारी मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कूलों और कॉलेजों तथा कार्मिक शक्ति विकास स्कीम में आत्महत्या रोकथाम सेवा, कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन, जीवन दक्षताओं से संबंधित प्रशिक्षण और परामर्श जैसे अतिरिक्त घटकों को शामिल करने हेतु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया है।

देश में मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायिकों की कमी से निपटने के उद्देश्य से मानसिक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि करने और तृतीयक स्तरीय उपचार संबंधी सुविधा में उन्नयन के लिए मानसिक स्वास्थ्य में 11 उत्कृष्टता केन्द्रों तथा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 27 स्नातकोत्तर प्रशिक्षण विभागों का वित्तपोषण किया गया है। देश में कार्मिकशक्ति विकास स्कीम (स्कीम-ए और स्कीम-बी) के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सहायता प्राप्त संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में कुल नई 312 स्नातकोत्तर सीटें सृजित की गई हैं।

इस कार्यक्रम में सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में मनश्चिकित्सा स्कंधों का उन्नयन, राज्य द्वारा संचालित मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण, केन्द्रीय/राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों की सहायता, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण तथा सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) कार्यकलापों इत्यादि के लिए भी प्रावधान हैं।

एनएमएचपी के अंतर्गत किए गए प्रयासों की वजह से मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में हासिल उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:—

(क) स्कूल कॉलेजों में जीवन दक्षताओं संबंधी शिक्षा और परामर्श, आत्महत्या रोकथाम सेवाओं इत्यादि जैसे अतिरिक्त घटकों के साथ फिलहाल जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का पूरे देश के 192 जिलों में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के 88 मनश्चिकित्सा स्कंधों के उन्नयन हेतु सहायता प्रदान की गई है।

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत 29 सरकारी चिकित्सा अस्पतालों के आधुनिकीकरण हेतु सहायता प्रदान की गई है।

(घ) मानसिक स्वास्थ्य में 11 उत्कृष्टता केन्द्रों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 27 स्नातकोत्तर प्रशिक्षण विभागों की स्थापना।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का संवर्धन करने और पूरे देश में इन्हें शुरू करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को तृतीयक और जिला स्तरों पर अलग से कार्यान्वित करने हेतु पुनर्गठित किया गया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और जिला स्तरों पर कार्यान्वित किए जाने वाले अन्य कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए पहले ही अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त कार्मिकशक्ति विकास स्कीम सहित एनएमएचपी के अंतर्गत तृतीयक स्तरीय विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, देश में क्षमता निर्माण और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधनों में संवर्धन हेतु तीन केन्द्रीय संस्थानों अर्थात् राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर और केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण जिलों/कवर न किए गए क्षेत्रों में नए मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों/संस्थानों की स्थापना संबद्ध राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

विगत तीन वर्षों और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान एनएमएचपी के अंतर्गत आबंटित और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विगत तीन वर्षों और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान एनएमएचपी के अंतर्गत स्कीम-वार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। सरकारी चिकित्सा कॉलेजों/जनरल अस्पतालों के मनश्चिकित्सा स्कंधों के उन्नयन, राज्य द्वारा संचालित मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों के आधुनिकीकरण और मानसिक स्वास्थ्य में 11 उत्कृष्टता केन्द्रों तथा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 27 स्नातकोत्तर प्रशिक्षण विभागों की स्थापना हेतु प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए मे)

क्र. सं.	वर्ष		आवंटन		
			बीई	आरई	व्यय
1.	2011-12	सामान्य	110 करोड़	70 करोड़	108.8992 करोड़
		पूर्वोत्तर	20 करोड़	5 करोड़	4.78 करोड़
2.	2012-13	सामान्य	86.50 करोड़	63.54 करोड़	48.20 करोड़
		एससी घटक	19.80 करोड़	15.23 करोड़	0.7516 करोड़
		एससी घटक	10.70 करोड़	8.23 करोड़	0.0606 करोड़
		पूर्वोत्तर	13 करोड़	13 करोड़	1.33 करोड़
3.	2013-14*	सामान्य	202.12 करोड़	71.79 करोड़	54.2254 करोड़
		एससी घटक	70.72	32.52	9.3897 करोड़
		एससी घटक	38.15 करोड़	18.39 करोड़	5.7292 करोड़
		पूर्वोत्तर	39.01 करोड़	7.30 करोड़	4.9920 करोड़
4.	2014-15	संपूर्ण	268.28 करोड़	0	0
	कुल		878.28 करोड़	305 करोड़	238.3577 करोड़

*ये निधियां राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और विभिन्न आईईसी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उपयोग की गई हैं।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएमएचपी की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों का विवरण (स्कीम-वार और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार)

2011-12

1. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जनपद	राशि
1.	गुजरात	गोधरा	रुपए 20,70,000/-
2.	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स	रुपए 21,80,000/-
3.		जैंतिया हिल्स	रुपए 21,80,000/-
4.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	रुपए 20,70,000/-
5.		रायबरेली	रुपए 20,47,000/-
6.	मणिपुर	चूड़ाचंदपुर	रुपए 21,57,000/-
7.		चंदेल	रुपए 21,80,000/-
8.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मिदनापुर	रुपए 20,98,564/-
9.	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	रुपए 12,35,000/-
10.		मदुरै	रुपए 49,41500/-
11.		रामनाथ पुरम	रुपए 49,41500/-
12.		धर्मपुरी	रुपए 77,90,000/-
13.		नागापट्टिनम	रुपए 75,43,000/-
14.		तेनी	रुपए 76,56,000/-
15.	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	रुपए 74,78,000/-
16.		तिरुवरुर	रुपए 46,37,000/-
17.		नमक्कल	रुपए 46,37,000/-
18.		पेराम्बलूर	रुपए 46,37,000/-
19.		विरुद्धनगर	रुपए 46,37,000/-
20.		कुडालोर	रुपए 46,37,000/-
21.		तिरुवल्लूर	रुपए 46,37,000/-

2. कार्मिक शक्ति विकास योजनाएं

क्र.सं.	राज्य	संस्थान	राशि
		योजना—एफः उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना	
1.	जम्मू और कश्मीर	मानसिक रोग अस्पताल, सरकार मनश्चिकित्सा मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	रुपए 13,01,91,648/-
2.	ओडिशा	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, कटक	रुपए 22,50,00,000/-
3.	हरियाणा	राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, पं. बीडी शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक	रुपए 5,52,38,788/-
4.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र मानसिक स्वास्थ्य सस्थान	रुपए 30,00,00,000/-
5.	उत्तर प्रदेश	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं अस्पताल, आगरा	रुपए 7,97,00,000/-
		योजना—बीः मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातको त्तर विभागों के लिए सहायता	
6.	कर्नाटक	निमहांस, बेंगलूरु	रुपए 87,12,000/-
7.	दिल्ली	डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली	रुपए 1,30,00,000/-

3. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों को सहायता

क्र.सं.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण	राशि
1	2	3
1.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश	रुपए 9,00,000/-
2.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश	रुपए 9,00,000/-
3.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, असम	रुपए 9,00,000/-
4.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, बिहार	रुपए 9,00,000/-
5.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, चंडीगढ़	रुपए 9,00,000/-
6.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, छत्तीसगढ़	रुपए 9,00,000/-
7.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, दादरा और नगर हवेली	रुपए 9,00,000/-
8.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, दमन और दीव	रुपए 9,00,000/-
9.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, दिल्ली	रुपए 9,00,000/-
10.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, गोवा	रुपए 9,00,000/-
11.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, गुजरात	रुपए 9,00,000/-

1	2	3
12.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, हरियाणा	रुपए 9,00,000/-
13.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश	रुपए 9,00,000/-
14.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, झारखंड	रुपए 9,00,000/-
15.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, कर्नाटक	रुपए 9,00,000/-
16.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, केरल	रुपए 9,00,000/-
17.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मध्य प्रदेश	रुपए 9,00,000/-
18.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, महाराष्ट्र	रुपए 9,00,000/-
19.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मणिपुर	रुपए 9,00,000/-
20.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मेघालय	रुपए 9,00,000/-
21.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मिज़ोरम	रुपए 9,00,000/-
22.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, नागालैंड	रुपए 9,00,000/-
23.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, ओडिशा	रुपए 9,00,000/-
24.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, पुदुचेरी	रुपए 9,00,000/-
25.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, राजस्थान	रुपए 9,00,000/-
26.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, सिक्किम	रुपए 9,00,000/-
27.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, तमिलनाडु	रुपए 9,00,000/-
28.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, त्रिपुरा	रुपए 9,00,000/-
29.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश	रुपए 9,00,000/-
30.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड	रुपए 9,00,000/-
31.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल	रुपए 9,00,000/-

2012-13

1. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जिला	राशि
1	2	3	4
1.	पंजाब	संगरुर	रुपए 34,47,197/-
2.	केरल	कून्नूर	रुपए 46,37,000/-
3.		इडुक्की	रुपए 45,41,660/-

1	2	3	4
4.	केरल	वायनाड	रुपए 41,29,248/-
5.	मणिपुर	चंदेल	रुपए 46,37,000/-
6.		चूड़ाचंदपुर	रुपए 37,71,554/-
7.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना	रुपए 46,37,000/-
8.		जलपाईगुड़ी	रुपए 42,89,625/-
9.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	रुपए 43,16,456/-
10.		फैजाबाद	रुपए 41,80,490/-
11.		रायबरेली	रुपए 45,06,267/-
12.		सीतापुर	रुपए 38,52,468/-

2. कार्मिक शक्ति विकास योजनाएं

क्र.सं.	राज्य	संस्थान	राशि
1.	चंडीगढ़	मनश्चिकित्सा विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़	रुपए 13,31,00,000/-
2.	गुजरात	मानसिक स्वास्थ्य, अस्पताल अहमदाबाद	रुपए 13,31,00,000/-
3.	पश्चिम बंगाल	मनश्चिकित्सा संस्थान, कोलकाता	रुपए 13,31,00,000/-

3. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को समर्थन

क्र.सं.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण	राशि
1.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, पंजाब	रुपए 9,00,000/-

2013-14

1. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

उन जिले की सूची जहां डीएमएचपी संचालित की जा रही है

क्र. सं.	राज्य	जिला	निर्मुक्त अनुदान (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	दक्षिण अंडमान	46,22,000/-
2.		उत्तर और मध्य अंडमान	47,96,000/-
3.		निकोबार	49,70,000/-

1	2	3	4
4.	बिहार	वैशाली	83,20,000/-
5.		रोहतास	83,20,000/-
6.		मुजफ्फरपुर	83,20,000/-
7.		पूर्वी चंपारण	83,20,000/-
8.		पश्चिमी चंपारण	83,20,000/-
9.		कैमूर	83,20,000/-
10.		गोपालगंज	83,20,000/-
11.		बक्सर	83,20,000/-
12.		बांका	83,20,000/-
13.		पूर्णिया	83,20,000/-
14.		जमुई	83,20,000/-
15.	छत्तीसगढ़	जांगिड	83,20,000/-
16.		कोरबा	83,20,000/-
17.		मुंगेली	83,20,000/-
18.	गोवा	उत्तरी गोवा	83,20,000/-
19.	गुजरात	मेहसाणा	83,20,000/-
20.		खेड़ा	83,20,000/-
21.		राजपिपला	83,20,000/-
22.		दाहोद	83,20,000/-
23.	कर्नाटक	रायचूर	83,20,000/-
24.		बेलगाम	83,20,000/-
25.		धारवाड़	83,20,000/-
26.		दक्षिण कन्नड़	83,20,000/-
27.		चिकबल्लापुर	83,20,000/-
28.		मैसूर	83,20,000/-
29.		हसन	83,20,000/-
30.		बेलैरी	83,20,000/-

1	2	3	4
31.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप	83,20,000/-
32.	महाराष्ट्र	अलीबाग	83,20,000/-
33.		नासिक	83,20,000/-
34.		उस्मानाबाद	83,20,000/-
35.		वर्धा	83,20,000/-
36.		भंडारा	83,20,000/-
37.		गढ़चिरौली	83,20,000/-
38.		अहमदनगर	83,20,000/-
39.	मिज़ोरम	सहाय	83,20,000/-
40.		चंपई	83,20,000/-
41.	ओडिशा	राज्य सरकार द्वारा	83,20,000/-
42.		तय किये जाने वाले जिले के नाम	83,20,000/-
43.			83,20,000/-
44.			83,20,000/-
45.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	56,92,000/-
46.	पंजाब	गुरदासपुर	68,20,000/-
47.		तरनतारन	68,20,000/-
48.		मनसा	68,20,000/-
49.		भटिंडा	68,20,000/-
50.		कपूरथला	68,20,000/-
51.	सिक्किम	उत्तरी सिक्किम	83,20,000/-
52.		दक्षिण सिक्किम	83,20,000/-
53.		पश्चिम सिक्किम	83,20,000/-
54.	तमिलनाडु	विल्लुपुरम	48,12,000/-
55.		पुडुकोहाई	48,12,000/-
56.		तिरुपुर	48,12,000/-

1	2	3	4
57.	तमिलनाडु	शिवगंगई	48,12,000/-
58.		तूतूलुडी	48,12,000/-
59.		करूर	48,12,000/-
60.		डिंडीगुल	48,12,000/-
61.		तिरुवन्नामलाई	48,12,000/-
62.		तिरुनेलवेली	48,12,000/-
63.	उत्तराखंड	चमोली	83,20,000/-
64.		रुद्रप्रयाग	83,20,000/-
65.		उत्तरकाशी	83,20,000/-
66.		पौड़ी	83,20,000/-
67.		पिथौरागढ़	83,20,000/-
68.	पश्चिम बंगाल	नादिया	83,20,000/-
69.		कूचबिहार	83,20,000/-

विवरण-III

मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जारी सहायता अनुदान

क्र. सं.	राज्य	वर्ष	चिकित्सा कॉलेज	राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2005-06	कुरनूल मेडिकल कॉलेज	47,00,000/-
2.	आंध्र प्रदेश	2006-07	आंध्र मेडिकल कॉलेज, विशाखापट्टनम	42,50,000/-
3.	आंध्र प्रदेश	2006-07	एसवीआरआरपी जनरल अस्पताल, तिरुपति, चित्तूर	19,40,000/-
4.	आंध्र प्रदेश	2006-07	उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद	8,81,000/-
5.	आंध्र प्रदेश	2006-07	ककातिया मेडिकल कॉलेज, वारंगल	30,00,000/-
6.	अरुणाचल प्रदेश	2006-07	जनरल अस्पताल, नहार्लागुन	18,00,000/-
7.	अरुणाचल प्रदेश	2009-10	जनरल अस्पताल, पासीघाट	50,00,000/-
8.	असम	2005-06	असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, डिब्रूगढ़	50,00,000/-

1	2	3	4	5
9.	असम	2005-06	गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गुवाहाटी	50,00,000/-
10.	असम	2006-07	सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सिलचर	34,00,000/-
11.	छत्तीसगढ़	2004-05	जेएनएम गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर	47,00,000/-
12.	छत्तीसगढ़	2004-05	छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल, बिलासपुर	47,00,000/-
13.	दादरा और नगर हवेली	2009-10	श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल सिलवासा, दादरा और नगर हवेली	50,00,000/-
14.	गुजरात	2005-06	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सूरत	47,00,000/-
15.	गुजरात	2006-07	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कालानाला/भावनगर	8,10,000/-
16.	गुजरात	2006-07	एमपी शाह मेडिकल कॉलेज, जामनगर	44,00,000/-
17.	गुजरात	2006-07	मेडिकल कॉलेज, बड़ौदा	49,99,000/-
18.	गुजरात	2006-07	पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, राजकोट	49,99,000/-
19.	गुजरात	2006-07	बीजे मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद	14,10,000/-
20.	गुजरात	2008-09	सूरत नगर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एसएमआईएमईआर), सूरत संस्थान	20,33,000/-
21.	गुजरात	2008-09	श्रीमती एनएचएल म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज, इलिसब्रिज, अहमदाबाद	50,00,000/-
22.	हरियाणा	2005-06	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, रोहतक	50,00,000/-
23.	जम्मू और कश्मीर	2005-06	पिंसिपल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू	43,00,000/-
24.	जम्मू और कश्मीर	2006-07	एसकेआईएमएस मेडिकल कॉलेज, बेमिना, श्रीनगर	50,00,000/-
25.	कर्नाटक	2005-06	कर्नाटक चिकित्सा सेवा संस्थान हुबली	49,00,000/-
26.	कर्नाटक	2006-07	बंगलूर मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर	34,50,000/-
27.	कर्नाटक	2006-07	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बेल्लारी	48,35,000/-
28.	कर्नाटक	2006-07	मैसूर मेडिकल कॉलेज, मैसूर	46,25,000/-
29.	केरल	2004-05	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम	47,62,100/-
30.	केरल	2004-05	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, त्रिशूर	44,66,000/-
31.	केरल	2004-05	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोझीकोड	38,80,495/-

1	2	3	4	5
32.	केरल	2006-07	टीडी मेडिकल कॉलेज, अलपुज्जा	30,68,000/-
33.	केरल	2007-08	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोट्टायम	45,20,000/-
34.	मध्य प्रदेश	2005-06	एनएससीबी मेडिकल कॉलेज, जबलपुर	50,00,000/-
35.	मध्य प्रदेश	2006-07	एमजीएम मेडिकल कॉलेज, इंदौर	38,00,000/-
36.	महाराष्ट्र	2005-06	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, लातूर	32,95,000/-
37.	महाराष्ट्र	2005-06	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नांदेड़	32,95,000/-
38.	महाराष्ट्र	2006-07	वसंतराव नाईक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यवतमाल	32,95,000/-
39.	महाराष्ट्र	2006-07	सरकार मेडिकल कॉलेज, कोल्हापुर	32,95,000/-
40.	महाराष्ट्र	2006-07	डॉ. वीएम मेडिकल कॉलेज, शोलापुर	32,95,000/-
41.	महाराष्ट्र	2006-07	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नागपुर	32,95,000/-
42.	महाराष्ट्र	2006-07	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, नागपुर	32,95,000/-
43.	महाराष्ट्र	2006-07	बीजे मेडिकल कॉलेज, पुणे	32,95,000/-
44.	महाराष्ट्र	2006-07	ग्रांट मेडिकल कॉलेज, मुंबई	32,95,000/-
45.	महाराष्ट्र	2006-07	मिराज मेडिकल कॉलेज, सांगली	32,95,000/-
46.	महाराष्ट्र	2006-07	सरकार मेडिकल कॉलेज, अकोला	32,95,000/-
47.	महाराष्ट्र	2006-07	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद	32,95,000/-
48.	महाराष्ट्र	2008-09	राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज, एवं छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल, ठाणे	47,06,000/-
49.	महाराष्ट्र	2008-09	टोपीवाला नायर मेडिकल कॉलेज, मुंबई	17,05,000/-
50.	मणिपुर	2005-06	जेएन अस्पताल, पोरम्पैट, इम्फाल	50,00,000/-
51.	मेघालय	2007-08	सिविल अस्पताल, तुरा	46,38,000/-
52.	मेघालय	2007-08	सिविल अस्पताल, जोवाई	46,38,000/-
53.	नागालैंड	2005-06	नगा अस्पताल, कोहिमा	36,28,000/-
54.	ओडिशा	2009-10	वीएसएस मेडिकल कॉलेज, बुर्ला	50,00,000/-
55.	पंजाब	2006-07	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अमृतसर	44,00,000/-
56.	पंजाब	2006-07	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पटियाला	44,00,000/-

1	2	3	4	5
57.	पंजाब	2006-07	जीजीएस सरकार मेडिकल कॉलेज, फरीदकोट	44,00,000/-
58.	राजस्थान	2007-08	आरटीएन चिकित्सा कॉलेज, उदयपुर	47,60,000/-
59.	राजस्थान	2008-09	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोटा	50,00,000/-
60.	राजस्थान	2008-09	एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	50,00,000/-
61.	तमिलनाडु	2004-05	मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई	24,97,500/-
62.	तमिलनाडु	2004-05	स्टैनले मेडिकल कॉलेज, चेन्नई	22,42,500/-
63.	तमिलनाडु	2004-05	किल्पौक मेडिकल कॉलेज, चेन्नई	25,00,000/-
64.	तमिलनाडु	2004-05	चेंगलपटू मेडिकल कॉलेज, चेंगलपट्टू	24,50,000/-
65.	तमिलनाडु	2004-05	तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज, तिरुनेलवेली	24,50,000/-
66.	तमिलनाडु	2004-05	मदुरै मेडिकल कॉलेज, मदुरै	25,00,000/-
67.	तमिलनाडु	2005-06	मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कॉलेज, सेलम	48,00,000/-
68.	तमिलनाडु	2006-07	कोयंबटूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोयंबटूर	48,00,000/-
69.	तमिलनाडु	2006-07	केएपी विश्वनाथन सरकार मेडिकल कॉलेज, तिरुचिरापल्ली	48,00,000/-
70.	तमिलनाडु	2006-07	तंजावुर मेडिकल कॉलेज, तंजावुर दूतूकोडी	48,00,000/-
71.	तमिलनाडु	2006-07	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टूटूकोडी (टूटीकोरिन)	48,00,000/-
72.	तमिलनाडु	2008-09	कन्याकुमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एवं अस्पताल, नागरकोइल	43,50,000/-
73.	तमिलनाडु	2008-09	सरकार मेडिकल कॉलेज, थेनी	43,50,000/-
74.	तमिलनाडु	2008-09	आईआरटी पेरुनदुरई मेडिकल कॉलेज, इरोड	43,00,000/-
75.	त्रिपुरा	2006-07	अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एवं जीबीपी अस्पताल, अगरतला	50,00,000/-
76.	उत्तर प्रदेश	2005-06	एमएलएन मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद	44,00,000/-
77.	उत्तर प्रदेश	2006-07	केजी मेडिकल कॉलेज, लखनऊ	45,00,000/-
78.	उत्तर प्रदेश	2006-07	जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर	35,00,000/-
79.	उत्तर प्रदेश	2006-07	एमएलबी मेडिकल कॉलेज, झांसी	39,00,000/-
80.	उत्तर प्रदेश	2006-07	एलएलआरएन मेडिकल कॉलेज, मेरठ	11,60,000/-

1	2	3	4	5
81.	उत्तर प्रदेश	2006-07	एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा	38,00,000/-
82.	उत्तर प्रदेश	2008-09	इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	44,00,000/-
83.	पश्चिम बंगाल	2005-06	सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज, बांकुरा	50,00,000/-
84.	पश्चिम बंगाल	2006-07	मेडिकल कॉलेज, कोलकाता	42,97,000/-
85.	पश्चिम बंगाल	2006-07	बर्दवान मेडिकल कॉलेज, बर्दवान	50,00,000/-
86.	पश्चिम बंगाल	2006-07	चित्तरंजन मेडिकल कॉलेज, कोलकाता	50,00,000/-
87.	पश्चिम बंगाल	2006-07	एनआरएस मेडिकल कॉलेज, सिलीगुड़ी	50,00,000/-
88.	पश्चिम बंगाल	2006-07	आर.जी. कार मेडिकल कॉलेज, कोलकाता	50,00,000/-

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सरकारी मानसिक अस्पताल सहायता अनुदान को उनके आधुनिकीकरण के लिए प्रदत्त

क्र. सं.	राज्य	वर्ष	संस्थान	राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2005-06	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, हैदराबाद	2,71,00,000/-
2.	आंध्र प्रदेश	2006-07	गवर्नमेंट मानसिक केयर अस्पताल, विशाखापट्टनम	3,00,00,000/-
3.	असम	2005-06	लोकप्रिय गोपीनाथ ब्रोकोलाई क्षेत्रीय संस्थान, तेजपुर (सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्थान)	3,00,00,000/-
4.	गुजरात	2005-06	मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, अहमदाबाद	76,64,000/-
5.	गुजरात	2005-06	मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, बडोदरा	2,99,50,000/-
6.	गुजरात	2005-06	मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, जामनगर	82,28,000/-
7.	जम्मू और कश्मीर	2007-08	गवर्नमेंट मानसिक रोगों अस्पताल, श्रीनगर	2,50,00,000/-
8.	झारखंड	2007-08	रांची न्यूरो मनश्चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, रांची	2,45,00,000/-
9.	कर्नाटक	2006-07	कर्नाटक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, धारवाड़	3,00,00,000/-
10.	केरल	2005-06	मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोझीकोड	2,85,00,000/-
11.	केरल	2005-06	मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, त्रिशूर	1,10,00,000/-

1	2	3	4	5
12.	केरल	2005-06	मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिरुवनंतपुरम	2,50,00,000/-
13.	मध्य प्रदेश	2005-06	ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर	2,13,00,000/-
14.	मध्य प्रदेश	2006-07	मानसिक अस्पताल, इंदौर	2,99,75,000/-
15.	महाराष्ट्र	2005-06	क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, यरवदा/पुणे	2,71,00,000/-
16.	महाराष्ट्र	2005-06	क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, ठाणे	2,49,50,000/-
17.	महाराष्ट्र	2005-06	क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, नागपुर	2,89,00,000/-
18.	महाराष्ट्र	2008-09	क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, रत्नागिरी	2,84,00,000/-
19.	मेघालय	2008-09	क्षेत्रीय मानसिक एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, शिलांग, मेघालय	3,00,00,000/-
20.	नागालैंड	2007-08	मानसिक अस्पताल, कोहिमा	1,60,00,000/-
21.	ओडिशा	2005-06	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, कटक	1,51,00,000/-
22.	राजस्थान	2007-08	मनश्चिकित्सा केन्द्र, जयपुर	2,60,50,000/-
23.	तमिलनाडु	2005-06	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, किल्पौक	2,69,00,000/-
24.	उत्तर प्रदेश	2005-06	मानसिक अस्पताल बरेली	2,33,32,000/-
25.	उत्तर प्रदेश	2006-07	मानसिक स्वास्थ्य और अस्पताल संस्थान, आगरा	3,00,00,000/-
26.	उत्तर प्रदेश	2006-07	मानसिक अस्पताल, वाराणसी	3,00,00,000/-
27.	पश्चिम बंगाल	2005-06	पावलोव मानसिक अस्पताल, कोलकाता	94,40,000/-
28.	पश्चिम बंगाल	2005-06	बेहरामपुर मानसिक अस्पताल, मुर्शिदाबाद	2,94,80,000/-
29.	पश्चिम बंगाल	2005-06	मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र, पुरुलिया	1,00,00,000/-

कार्मिक शक्ति विकास योजनाएं

योजना — क: उत्कृष्टता के केन्द्र

क्र.सं.	मानसिक अस्पताल/संस्थान	जारी राशि
1	2	3
1.	मानसिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल संस्थान, आगरा, उत्तर प्रदेश	रुपए 28,81,00,000/-
2.	मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, अहमदाबाद, गुजरात	रुपए 18,59,00,000/-
3.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, पंडित भगवत दयाल शर्मा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय	रुपए 26,36,38,788/-

1	2	3
4.	मनश्चिकित्सा संस्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल	रुपए 18,59,00,000/-
5.	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	रुपए 5,28,00,000/-
6.	मनश्चिकित्सा रोग अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	रुपए 28,84,00,000/-
7.	मनश्चिकित्सा विभाग, गवर्नमेंट, मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़	रुपए 18,59,00,000/-
8.	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, कटक	रुपए 27,78,00,000/-
9.	इम्हांस, कोझिकोड	रुपए 28,84,00,000/-
10.	इहबास शाहदरा, दिल्ली	रुपए 5,28,00,000/-
11.	महाराष्ट्र मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, पुणे	रुपए 30,00,00,000/-
	कुल	रुपए 236,96,38,788/-

योजना — खः स्नातकोत्तर विभागों का सुदृढ़ीकरण

क्र.सं.	मानसिक अस्पताल/संस्थान	जारी राशि
1	2	3
1.	पीडीयू मेडिकल कॉलेज, राजकोट, गुजरात	रुपए 32,78,000/- (मनश्चिकित्सा नर्सिंग के लिए)
2.	सरकार मेडिकल कॉलेज, सूरत, गुजरात	रुपए 47,12,000/- (नैदानिक मनोविज्ञान के लिए)
3.	सीएसएम चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	रुपए 1,73,66,000/- (मनश्चिकित्सा, क्लीनिकल, मनोविज्ञान, मनोरोग सामाजिक कार्य, मनोरोग नर्सिंग के लिए)
4.	मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान, रांची संस्थान	रुपए 1,21,00,000/- (मनश्चिकित्सा, क्लीनिकल, मनोविज्ञान, मनोरोग सामाजिक कार्य, मनश्चिकित्सा नर्सिंग के लिए)
5.	डॉ. आरएमएल अस्पताल, दिल्ली	रुपए 1,65,16,000/- (मनश्चिकित्सा, सामाजिक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक, नर्सिंग के लिए)
6.	एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान	रुपए 58,60,000/- (मनश्चिकित्सा के लिए)
7.	आरएनटी कॉलेज, उदयपुर, राजस्थान	रुपए 58,60,000/- (मनश्चिकित्सा के लिए)

1	2	3
8.	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, चेन्नई	रुपए 90,38,000/- (मनश्चिकित्सा और मनश्चिकित्सा नर्सिंग के लिए)
9.	एलजीबी क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम	रुपए 1,73,66,0000/- (मनश्चिकित्सा, नैदानिक मनोविज्ञान, मनश्चिकित्सा सामाजिक कार्य, मनश्चिकित्सा नर्सिंग)
10.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, त्रिवेन्द्रम	रुपए 1,73,66,0000/- (मनश्चिकित्सा, नैदानिक मनोविज्ञान, मनश्चिकित्सा सामाजिक कार्य, मनश्चिकित्सा नर्सिंग)
11.	निमहांस, बंगलौर	रुपए 87,12,,000/- (क्लीनिकल मनोविज्ञान और मनश्चिकित्सा सामाजिक कार्य प्रत्येक के एक यूनिट के लिए संकाय सहायता)
	कुल	रुपए 11,81,74,000/-

महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए योजनाएं

***179. श्री अर्जुनलाल मीना : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई/कितनी जारी की गई/कितनी उनके द्वारा उपयोग में लाई गई;

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान के उदयपुर डिवीजन सहित जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु राज्यों को कोई विशेष पैकेज प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पैकेज कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। देश में कार्यान्वित की जा रही मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत बजट आबंटन [बजट प्राक्कलन (बीई) तथा संशोधित प्राक्कलन (आरई)] और निर्मुक्त निधियां/उपगत व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। 2013-14 के दौरान चार मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों के अंतर्गत राजस्थान सहित निर्मुक्त एवं उपगत व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों और इन स्कीमों के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा मंत्रालय की संबंधित वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में भी उपलब्ध है, जो लोक सभा पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) राजस्थान के उदयपुर संभाग सहित जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास के लिए किसी भी राज्य को कोई विशेष पैकेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर स्कीम के मानकों के अनुसार विचार किया जाता है और गुण-दोष के आधार पर संस्वीकृति प्रदान की जाती है।

वर्ष 2013-14 के लिए मंत्रालय के 20,350.00 करोड़ रुपए के कुल बजट आबंटन (बीई) में से 8.2 प्रतिशत अर्थात् 1,668.70 करोड़ रुपए जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के लिए आबंटित किया गया तथा वर्ष के दौरान टीएसपी के अंतर्गत इसमें से 1,575.78 करोड़ रुपए खर्च हुए। समेकित बाल विकास सेवा (आईसीपीएस) स्कीम, जो मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, टीएसपी के अंतर्गत शामिल है।

विवरण-I

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित प्रमुख स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा

क. बाल स्कीमें

(1) **समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) :** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम चला रहा है जिसे राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य 6 सेवाओं जिसमें (i) पूरक पोषण, (ii) स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, (iii) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, (iv) प्रतिरक्षण, (v) स्वास्थ्य जांच, और (vi) बुनियादी स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से रैफरल सेवाएं शामिल हैं, के पैकेज के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवर्ती महिलाओं एवं धात्री माताओं का समग्र विकास करना है। 6 में से 3 सेवाएं अर्थात् प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच एवं रैफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं तथा एनआरएचएम एवं जन स्वास्थ्य संरचना के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती हैं।

(2) **विश्व बैंक आईसीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं पोषण सुधार परियोजना :** अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता (विश्व बैंक) की सहायता से आईसीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं पोषण सुधार परियोजना 8 राज्यों के 162 जिलों, जिसमें से अधिकांश में कुपोषित बच्चों का अनुपात अधिक है, पर फोकस के साथ दो चरणीय, सात वर्षीय परियोजना है जिसका समग्र उद्देश्य भारत सरकार के बच्चों के पोषण एवं आरंभिक बाल्यावस्था विकास के परिणामों में सुधार के लिए प्रयासों का समर्थन करना है। परियेाजना का कुल आकार 2893 करोड़ रुपए है जिसमें 7 वर्ष की अवधि में 2025 करोड़ रुपए (450 मिलियन अमरीकी डॉलर) का 70 प्रतिशत आईडीए शेयर है। परियोजना के चरण-1 की अनुमानित लागत तकरीबन 151.50 मिलियन अमरीकी डॉलर (682 करोड़ रुपए) है जिसमें से शुरू में विश्व बैंक की प्रतिबद्धता के अनुसार 106 मिलियन अमरीकी डॉलर का आईडीए शेयर है। राज्य अपनी परियोजना लागत का 10 प्रतिशत वहन करेंगे। आर्थिक मामले विभाग (डीईए) और विश्व बैंक के बीच 05 नवंबर, 2012 को वित्त पोषण करार पर हस्ताक्षर होने के बाद इस परियोजना को 26 नवंबर, 2012 से प्रभावी किया गया।

(3) **राष्ट्रीय पोषण मिशन :** राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत (i) कुपोषण के विरुद्ध आईइसी अभियान और (ii) पोषण पर बहुक्षेत्रक कार्यक्रम शामिल हैं।

(i) पोषण की चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने, घर स्तरीय आहार पद्धतियों को बढ़ावा देने आदि के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 19 नवंबर, 2012 को कुपोषण के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी (आईईसी) अभियान शुरू किया गया। इसे मल्टी चैनल मीडिया द्वारा कवर किया गया जिसमें प्रिंट इलैक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल हैं। इस अभियान का पहला चक्र पूरा हो गया है। अभियान के उद्देश्य इस प्रकार हैं: (1) कुपोषण की चुनौतियों, इष्टतम पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और कुपोषण रोकने के लिए समुदाय को सचेत करने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करना; (2) उपयुक्त शिशु एवं बाल आहार प्रथाओं, बाल देखभाल एवं विकास, गर्भावस्था के दौरान इष्टतम पोषण एवं देखभाल, उपलब्ध सेवाओं के बेहतर उपयोग एवं स्तनपान के लिए गृह स्तरीय देखभाल एवं व्यवहार अभिमुखीकरण को बढ़ावा देना; और (3) परिवार, गर्भवती माताओं, तिमारदारों, किशोरियों, पीआरआई, शिक्षकों, राय निर्माताओं एवं पूरे समाज तक पहुंचना।

(ii) **राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत बहुक्षेत्रक पोषण कार्यक्रम :** 200 अधिक प्रभावित जिलों में मातृत्व एवं बाल अल्प पोषण से निपटने के लिए 2014 में बहुक्षेत्रक पोषण कार्यक्रम नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य बाल अल्प पोषण (3 साल से कम आयु के बच्चों में प्रचलित अल्प वज़न) पर रोक लगाना एवं कमी लाना; और छोटे बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में रक्ताल्पता का स्तर घटना है।

(4) **समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) :** मंत्रालय संरक्षण एवं देखभाल के जरूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के पुनर्वास एवं पुनः एकीकरण के लिए 2009-10 से समेकित बाल संरक्षण स्कीम नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम चला रहा है।

(5) **राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम — सबला :** यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 2010-11 में प्रायोगिक

आधार पर शुरू की गई। इस समय यह सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 205 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। सबला का उद्देश्य उनको आत्मनिर्भर बनाकर 11-18 साल की किशोरियों का चहुंमुखी विकास करना है। इस स्कीम के दो प्रमुख घटक हैं: पोषण एवं गैर-पोषण घटक। स्कीम के पोषण घटक के तहत 11-14 आयु वर्ग की स्कूल बाह्य एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में जाने वाली किशोरियों तथा 14-18 आयु वर्ग की सभी लड़कियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है जिसमें वर्ष के 300 दिन के लिए प्रतिदिन 600 कैलोरी, 18-20 ग्राम प्रोटीन एवं सूक्ष्म पोषण शामिल होते हैं। गैर पोषण घटक में, 11-18 आयु वर्ग की स्कूल बाह्य किशोरियों को आईएफए संपूरक, स्वास्थ्य जांच एवं रैफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, जन सेवाएं प्राप्त करने पर मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण (केवल 16-18 आयु वर्ग की किशोरियों के लिए) प्रदान किया जा रहा है।

(6) **राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम :** राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम 12000/- रुपए से कम मासिक आय वाले परिवारों की कामकाजी एवं अन्य पात्र महिलाओं के बच्चों (0-6 आयु वर्ग) को दिवस देखरेख की सुविधाएं प्रदान करने के लिए 01 जनवरी, 2006 से आरंभ की गई। यह स्कीम पूरक पोषण, स्वास्थ्य देखरेख इनपुट जैसे कि प्रतिरक्षण, पोलियो ड्रॉप, बुनियादी स्वास्थ्य निगरानी मनोरंजन, स्कूल-पूर्व शिक्षा (03-06 वर्ष), आपातकालीन दवाएं एवं फुटकर खर्च प्रदान करती है। वर्तमान में यह स्कीम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड एवं भारतीय बाल कल्याण परिषद के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। सरकारी सहायता स्कीम के पैटर्न के 90 प्रतिशत या वास्तविक व्यय (शिशुगृह के कार्यकर्त्ताओं को मानदेय को छोड़कर), जो भी कम हो, तक सीमित है तथा शेष खर्च संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन किया जाता है। 25 शिशुओं के लिए प्रति शिशुगृह प्रतिमाह 3532 रुपए की दर से कार्यान्वयन एजेंसियों को सरकारी अनुदान दिया जाता है। अनावर्ती (100 प्रतिशत) अनुदान के तहत प्रत्येक नए शिशुगृह के आरंभ होने पर 10000/- रुपए (100 प्रतिशत) तथा 5 वर्ष के अंतराल पर 3000/- रुपए (100 प्रतिशत) शामिल हैं।

ख. महिलाएं

(7) **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना :** इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना गर्भवती एवं धात्री माताओं को नकद प्रोत्साहन देकर बेहतर अनुकूल परिवेश के लिए उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार के लिए गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। यह स्कीम अक्तूबर, 2010 में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई तथा इस समय देशभर के 53 चुनिंदा जिलों में चल रही है जिसके तहत समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यह स्कीम राजस्थान के 2 जिलों अर्थात् भीलवाड़ा एवं उदयपुर में चल रही है। इस स्कीम के तहत दो जीवित जन्म के लिए 19 साल एवं इससे अधिक आयु की गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रति लाभार्थी 6,000/- रुपए की दर से मातृत्व लाभ दिया जा रहा है।

(8) **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन :** महिलाओं के समग्र रूप से सशक्तीकरण के उद्देश्य से 08 मार्च, 2010 को केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन शुरू किया गया। मिशन का उद्देश्य भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों एवं कार्यक्रमों के बीच अंतर सैक्टोरल अभिसरण के माध्यम से महिलाओं का सशक्त बनाना है।

(9) **स्टेप :** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देशभर में सीमांत एवं संपत्तिविहीन ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के लिए स्थायी रोजगार एवं आय अर्जन का सुनिश्चय करने के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता की स्कीम चला रहा है।

(10) **कामकाजी महिला हॉस्टल :** कामकाजी महिला हॉस्टल की स्कीम के तहत ऐसी महिलाओं को एकल, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त, विवाहित किन्तु उनका पति या सन्निकट परिवार उसी क्षेत्र में नहीं रहता है तथा उन महिलाओं के लिए जो जॉब के लिए प्रशिक्षण के अधीन हैं, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए छात्रावास के निर्माण/किराए के परिसर में छात्रावास चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। छात्रावास में रहने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए दिवस देखरेख केन्द्र का प्रावधान इस स्कीम का एक महत्वपूर्ण घटक है। कामकाजी महिलाएं छात्रावास की सुविधा की हकदार हैं बशर्ते उनकी प्रतिमाह सकल आय महानगरों में 30,000/- रुपए (समेकित), या किसी अन्य स्थान में 25,000/- रुपए (समेकित) से अधिक न हो। स्कीम के तहत निधियां कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती हैं जिसमें एनजीओ भी शामिल हैं।

(11) **स्वाधार :** स्वाधार स्कीम मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लाभ के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान शुरू की गई जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं : (1) सीमांत महिलाओं/कठिन परिस्थितियों में रहने वाली लड़कियों, जिनके पास कोई सामाजिक या आर्थिक मदद नहीं है, को आश्रय, भोजन, कपड़ा एवं देखरेख की प्राथमिक आवश्यकता प्रदान करना; (2) शिक्षा, जागरूकता आदि के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उनके पुनर्वास के लिए भावनात्मक सहायता एवं परामर्श प्रदान करना; (3) जरूरतमंद महिलाओं/लड़कियों के लिए विशिष्ट नैदानिक, कानूनी एवं अन्य सहायता की व्यवस्था करना; और (4) ऐसी विपदाग्रस्त महिलाओं को हेल्पलाइन या अन्य सुविधाएं प्रदान करना।

स्वाधार स्कीम के तहत लक्षित समूह/लाभार्थियों में निम्नलिखित शामिल हैं—अपने परिवारों एवं रिश्तेदारों द्वारा दूर की गई विधवाएं, जेल से छूटी तथा पारिवारिक सहायता-विहीन महिलाएं, प्राकृतिक आपदा से बची महिलाएं जो बेघर हो गई हैं, दुर्व्यापार से बचाई गई या चकला घरों से भागी हुई महिलाएं/लड़कियां, आतंकी/अतिवादी हिंसा की पीड़ित महिलाएं जिनके पास कोई पारिवारिक सहायता एवं उत्तरजीविता के लिए कोई आर्थिक साधन नहीं हैं, मंदबुद्धि महिलाएं (मनोरोग श्रेणी के महिलाओं को छोड़कर जिन्हें मानसिक अस्पतालों में विशिष्ट परिवेश की जरूरत है) जिनके पास कोई परिवार या रिश्तेदार की ओर सहायता नहीं है, एचआईवी/एड्स पीड़ित महिलाएं जिनको उनके परिवारों ने छोड़ दिया है तथा सामाजिक/आर्थिक सहायता नहीं हैं।

स्वाधार स्कीम को राजय सरकारों के समाज कल्याण/महिलाएं एवं बाल विकास विभागों, महिला विकास निगमों, शहरी स्थानीय निकायों, प्रतिष्ठित सार्वजनिक/निजी न्यासों या स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है इस समय देश में 311 स्वाधार गृह चल रहे हैं।

(12) **उज्ज्वला :** उज्ज्वला दुर्व्यापार की रोकथाम एवं बचाव, दुर्व्यापार एवं वाणिज्यिक यौन शोषण की पीड़ितों के पुनर्वास एवं पुन: एकीकरण के लिए एक व्यापक स्कीम है। यह स्कीम 04 दिसंबर, 2007 को शुरू की गई। स्कीम के तहत निधियां कार्यान्वियन एजेंसियों को जारी की जाती हैं जिसमें मुख्य रूप से एनजीओ शामिल हैं।

विवरण-II

महिला और बाल विकास मंत्रालय

2013-14 के दौरान बजट बीई, आरई, व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय
1	2	3	4	5
क.	**केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम**			
(क1)	**बाल विकास**			
1.	राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम	110.00	99.00	100.06
2.	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)	13.00	11.70	11.70
3.	राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)	13.00	13.00	10.37
4.	देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण की स्कीम	10.00	8.00	7.76
5.	केन्द्रीयदत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)	9.00	6.50	5.37
6.	बीमा सहित बालिकाओं हेतु सशर्त नकद अंतरण की स्कीम - धनलक्ष्मी	10.00	5.00	2.57

1	2	3	4	5
7.	बालिका विशिष्ट जिला कार्य योजना (सीएसआर-रिडेक्शन) बालिकाओं की देखभाल एवं संरक्षण-बाल लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए एक बहुक्षेत्रक कार्रवाई योजना	15.00	0.00	0.00
	कुल (क1)	180.00	143.00	137.83
(क2)	**महिला विकास**			
8.	कामकाजी महिला होस्टल	20.00	15.00	12.53
9.	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता कार्यक्रम (स्टेप)	20.00	10.00	7.02
10.	राष्ट्रीय महिला आयोग	15.00	13.00	13.00
11.	राष्ट्रीय महिला कोष	20.00	0.00	0.00
12.	अवैध व्यापार के निवारण हेतु व्यापक स्कीम—उज्ज्वला	13.00	13.00	15.99
13.	प्रशिक्षण सहित जेंडर बजटिंग	1.00	1.00	0.82
14.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सहायतानुदान	50.00	50.00	48.33
15.	प्रियदर्शनी स्कीम	15.00	13.50	9.06
16.	महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति	5.00	2.30	0.93
17.	एकल महिलाओं/निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं हेतु आश्रय गृहों के निर्माण हेतु सहायता($)	200.00	0.00	0.00
18.	महिला कार्य संस्थान	5.00	0.00	0.00
	कुल (क2)	364.00	118.30	107.68
(क3)	**अन्य स्कीमें**			
19.	अनुसंधान, प्रकाशन एवं मॉनीटरन हेतु सहायतानुदान	2.00	1.00	0.76
20.	महिला और बाल विकास पर अभिनव कार्य हेतु सहायतानुदान	3.00	1.00	0.10
21.	सूचना, जन प्रचार एवं प्रकाशन	50.00	50.00	38.31
22.	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)	2.00	1.00	0.30
23.	पोषण शिक्षा स्कीम (एफएनबी)	13.00	7.50	3.14
	कुल (क3)	70.00	60.50	42.61
	कुल क (क1+क2+क3)	614.00	322.00	288.12

1	2	3	4	5
ख.	**केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें**			
(ख1)	**बाल विकास**			
24.	(क) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम	17700.00	16312.00	16247.78
	(ख) राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम)			
	(i) पोषण संबंधी बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम	300.00	200.00	154-06
	(ii) कुपोषण के विरुद्ध सूचना, शिक्षा एवं संप्रेक्षण अभियान			
	(ग) विश्व बैंक आईसीडीएस-IV परियोजना	146.00	120.00	114.29
25.	आईसीपीएस	300.00	270.00	266.22
26.	(क) राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम - सबला	650.00	585.00	602.09
	(ख) किशोर लड़कों के समग्र विकास हेतु स्कीम - सक्षम	20.00	5.00	0.00
	कुल ख1	19116.00	17492.00	17384.44
ख2	**महिला संरक्षण एवं सशक्तीकरण**			
27.	महिला संरक्षण एवं सशक्तीकरण की अम्ब्रेला स्कीम			
	(क) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)	500.00	300.00	231.93
	(ख) राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू)	55.00	31.00	20.19
	(ग) साहस			
	(i) स्वाधार गृह	75.00	55.00	53.83
	(ii) बलात्कार पीड़ीतों को पुनरुद्धार न्याय	85.00	0.00	0.00
	(iii) वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर	10.00	0.00	0.00
	(iv) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को सहायता	75.00	0.00	0.00
	(v) महिला हेल्पलाइन	20.00	0.00	0.00
	कुल (ख2)	820.00	386.00	305.95
	कुल ख (ख1+ख2)	19936.00	17878.00	17690.39
	कुल (क+ख)	20550.00	18200.00	17978.51

($ वर्ष 2013-14 में प्रथम पूरक के दौरान बजट प्राक्कलन)

विवरण-III

वर्ष 2013-14 के दौरान आईसीडीएस, आईएसएसएनआईपी, आईसीपीएस, सबला और आईजीएसएसवाई के तहत निर्मुक्त/व्यय की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	आईसीडीएस (आईसीडीएस (सामान्य) एसएनपी और प्रशिक्षण		आईएसएस एनआईपी	आईएसपीएस	सबला				आईजीएमएसवाई	
		निर्मुक्त राशि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित व्यय	निर्मुक्त राशि	संस्वीकृत राशि	1.04.2013 तक उपलब्ध बचत	निर्मुक्त राशि	उपलब्ध कुल राशि (बचत + 2013-14 में निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार	निर्मुक्त राशि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयोग की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	111334.49	169925.20	1232.12	1206.50	1608.81	1305.11	2913.92	1456.75	1814.47	3174.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	10344.16	4386.83		54.74	0.00	116.83	116.83	67.63	0.00	सूचित नहीं
3.	असम	103145.19	52861.09		1080.00	43.02	2311.46	2354.48	1456.36	149.78	सूचित नहीं
4.	बिहार	107609.68	216193.18	2620.00	957.56	3331.91	3289.87	6621.78	6541.17	1758.10	3849.02
5.	छत्तीसगढ़	50459.30	32009.38	730.82	213.34	438.84	1076.83	1515.67	2779.55	1456.53	440.72
6.	गोवा*	1567.58	780.61		0.00	64.46	130.56	195.02	138.28	300.95	115.68
7.	गुजरात	60807.51	33243.99		979.35	-1389.22	4707.30	3318.08	2827.20	1007.80	1085.70
8.	हरियाणा	31266.40	27320.17		1085.51	460.08	269.66	729.74	629.31	343.65	46.20
9.	हिमाचल प्रदेश	17278.95	10214.60		84.96	119.94	574.95	694.89	599.67	124.30	140.36
10.	जम्मू और कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	29610.25	30.51		0.00	33.98	466.80	500.78	435.32	665.24	सूचित नहीं

11.	झारखंड	49930.46	55942.39	1668.00	144.96	1856.58	150.99	2007.57	0.00	34.64	सूचित नहीं
12.	कर्नाटक	75135.57	91429.77		2403.63	-542.43	3118.78	2576.35	4119.58	1452.81	1124.55
13.	केरल	35995.97	18252.91		718.17	296.95	1511.57	1808.52	584.33	1390.69	1274.86
14.	मध्य प्रदेश	102418.63	130805.79	911.37	546.03	504.98	6554.02	6049.04	7288.29	2128.07	1942.89
15.	महाराष्ट्र	129519.81	116931.73	1339.00	557.56	1472.98	2797.64	4270.62	1977.17	3160.24	2078.19
16.	मणिपुर	16140.54	5333.16		658.15	157.71	53.20	210.91	60.43	0.00	सूचित नहीं
17.	मेघालय	14287.83	13609.96		762.45	0.02	383.58	383.60	341.77	53.93	सूचित नहीं
18.	मिज़ोरम	4772.89	5961.83		696.42	23.96	111.15	135.11	112.32	0.00	28.54
19.	नागालैंड	8912.80	7566.13		911.41	0.00	240.73	240.73	164.14	60.64	57.09
20.	ओडिशा	97438.29	114207.39		1227.20	0.00	4003.62	4003.62	3752.82	2038.85	1549.84
21.	पंजाब	24546.11	12918.26		191.27	1136.18	0.00	1136.18	1.36	66.20	355.65
22.	राजस्थान	65232.45	68051.55	440.43	2347.56	-667.17	5163.67	4496.50	5189.21	935.01	1750.97
23.	सिक्किम	2607.14	1406.20		15.97	27.24	30.90	58.14	30.90	7.87	13.71
24.	तमिलनाडु	65605.57	66496.58		2131.05	3.82	3774.02	3777.84	4661.01	3032.19	2997.68
25.	त्रिपुरा	13651.31	14493.49		124.42	7.18	599.60	606.78	547.39	161.76	101.01
26.	उत्तर प्रदेश	235448.38	459519.90	1926.00	1109.39	43.69	13836.29	13879.98	15120.31	95.29	212.61
27.	उत्तराखंड	17763.50	15477.84		333.92	882.02	0.00	882.02	0.00	322.64	525.19
28.	पश्चिम बंगाल	123227.84	68586.20		2373.04	5504.25	0.00	5504.25	190.98	394.82	1038.86
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	391.79	1558.58		0.00	21.66	24.36	46.02	69.66	122.32	116.36
30.	चंडीगढ़	731.19	532.08		17.58	41.60	5.70	24.02	3.57	20.23	129.77
31.	दमन और दीव	161.19	296.09		69.28	21.20	0.00	21.20	0.00	4.13	5.58
32.	दादरा और नगर हवेली	378.31	37.92		2.09	-3.19	22.99	19.80	0.00	11.29	सूचित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	दिल्ली	17700.74	25044.76		404.73	98.67	884.48	983.15	837.84	58.65	580.78
34.	लक्षद्वीप	147.46	99.60		0.00	5.70	3.52	9.22	0.00	0.00	0.00
35.	पुदुचेरी	736.39	457.51		64.66	3.56	16.26	19.82	19.37	32.75	11.71
36.	आंगनवाड़ी कार्यकारी बीमा योजना	442.90									
37.	चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन (सीआईएफ) मुंबई				3004.10						
38.	अन्य				109.09						
	कुल	1626748.57	1841983.18	10867.74	26578.09	14599.03	57536.41	72112.16	62003.68	23205.84	24747.87

एनआर: सूचित नहीं।

विवरण-III

वर्ष 2013-14 के दौरान बहुक्षेत्रक पोषण कार्यक्रम, एनएमईडब्ल्यू, स्टेप, डब्ल्यूडब्ल्यूएच, स्वाधार,उज्ज्वला और आरजीएन शिशुगृह स्कीमों के तहत निर्मुक्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	बहुक्षेत्रक पोषण कार्यक्रम	एनएमईडब्ल्यू	स्टेप	डब्ल्यूडब्ल्यूएच	स्वाधार	उज्ज्वला	आरजीएन शिशुगृह स्कीमें		
								आरजीएनसीएस-सीबीएसडब्ल्यू	आरजीएनसीएस-बीएजेएसएस	आईसीसीडब्ल्यू (राज्य परिषद्)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	7.50	54.36	86.58	—	184.77	80.54	568.6	129.04	120.83
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		11.05					16.53		

3.	अरुणाचल प्रदेश		16.38	—	110.6		—	61.88	6.68	
4.	असम	150.00	25.15	20.02		97.98	238.3	145.37	15.26	172.46
5.	बिहार	475.00	43.01	—		33.01	7.08	223.07	5.72	
6.	चंडीगढ़		29.59					11.44		7.42
7.	छत्तीसगढ़	125.00	36.38	—	21.83	7.17	12.65	316.59	113.36	136.56
8.	दादरा और नगर हवेली		11.05							9.18
9.	दमन और दीव	7.50	21.65							
10.	दिल्ली		16.38		24.75		3.35	157.95	7.63	10.67
11.	गोवा		16.38					13.56		
12.	गुजरात	7.50	45.33	—		27.75	16.78	360.59	108.73	126.07
13.	हरियाणा	7.50	70.59	—		9.07	9.75	87.52	24.04	162.24
14.	हिमाचल प्रदेश	9.00	33.59	—			—	170.27	2.12	51.21
15.	जम्मू और कश्मीर		36.38	67.44		20.23	—	224.26	66.03	30.02
16.	झारखंड	62.00	40			7.79	—	143.68	181.4	
17.	कर्नाटक	7.50	36.38	159.209	60.74	270.97	260.3	299.13	0	60.22
18.	केरल		16.38	—	798.71	16.10	8.33	243.07	0	117.74
19.	लक्षद्वीप		11.05					0		4.59
20.	मध्य प्रदेश	881.00	64.54	120.14		114.58	5.43	723.92	153.26	0.23
21.	महाराष्ट्र	7.50	36.38	48.12	10.63	301.49	285.5	507.09	171.19	164.59
22.	मणिपुर		16.38	55.32	53.2	148.52	89.63	117.3	27.02	64.02
23.	मेघालय		49.09	—				43.8		18.99
24.	मिज़ोरम		74.62	—		8.64	7.18	72.12		33.73
25.	नागालैंड	9.00	59.22	21.77	167.76		7.79	8.26		51.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	ओडिशा	238.00	36.38	—	—	316.20	320.39	191.58	117.19	20.48
27.	पुदुचेरी	—	36.38	—	5.04	—	—	42.31	18.55	0.51
28.	पंजाब	7.50	16.38	—	—	1.80	—	52.43	—	34.53
29.	राजस्थान	602.00	353.67	—	—	58.65	59.71	216.95	0	92.62
30.	सिक्किम	—	36.38	—	—	—	—	49.59	—	—
31.	तमिलनाडु	—	23.01	—	—	120.63	52.68	400.12	31.67	32.85
32.	त्रिपुरा	—	36.38	—	—	—	—	57.54	—	57.75
33.	उत्तर प्रदेश	1105.00	34.83	51.40	—	144.39	24.66	411.85	248.23	201.13
34.	उत्तराखंड	112.00	56.38	53.96	—	—	45.36	97.27	67.02	0.07
35.	पश्चिम बंगाल	7.50	53.26	5.41	—	128.81	1.21	391.63	37.93	—
	कुल	3828.00	1554.36	689.35	1253.26	2018.54	1536.62	6427.27	1532.07	1782.62
	अन्य									
	सीएसडब्ल्यूबी					3355.00				
	मूल्यांकन अध्ययन के लिए			12.50						
	आंध्र प्रदेश सीसी									83.57
	दिल्ली शिशुगृह समिति									4.77
	प्रगति मानव, गुना									48.78
	उजस, रांची									62.88
	पश्चिम बंगाल, सी.सी.									83.78
	आईसीसीडब्ल्यू-अरुणाचल प्रदेश सी.सी.									12.36
	समग्र योग	3828.00	1554.36	701.85	1253.26	5373.54	1536.62	6427.27	1532.07	2078.76

[अनुवाद]

हथियार और गोला-बारूद का निर्यात

***180. श्री तारिक अनवर :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विकासशील और अर्द्ध विकसित देशों को हथियार, गोला-बारूद और आयुध प्रणालियों का निर्यात करने का विचार है अथवा कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इस संबंध में सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार ने हथियारों का निर्यात करने वाले देशों का कोई तुलनात्मक लागत अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) सरकार किसी भी देश को शस्त्रों, गोलाबारूद्ध और हथियार प्रणालियों का प्रत्यक्ष रूप से निर्यात नहीं करती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के दिनांक 04 दिसंबर, 2008 के नीति परिपत्र सं. 45(आरई-08)/2004-2009 के अनुसार, रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) ऐसे सामान के निर्यात के लिए 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' (एनओसी) जारी करता है, जो सैन्य सामग्री प्रकृति के हैं।

(ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए ऐसे उत्पादों के निर्यात के लिए डीडीपी से सलाह मांगी थी, जिनका विनिर्माण भारत में ही विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया है। इस प्रकार के निर्यातों के लिए डीडीपी द्वारा संबंधित कंपनियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रक्रिया के बारे में डीआरडीओ को अपेक्षित सलाह भेज दी गई है।

(ग) सरकार ने हथियारों का निर्यात करने वाले देशों का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं कराया है।

उत्पादन पर मुक्त व्यापार समझौतों का प्रभाव

1215. श्री दुष्यंत चौटाला : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मुक्त व्यापार समझौते का वृक्षारोपण और नकदी फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है जिससे घरेलू उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो देश में कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते में संशोधन करने हेतु सरकार को कृषक मंच से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) से (घ) बागान तथा नकद फसलों के घरेलू उत्पादन पर मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) के प्रभाव का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो व्यापार भागीदारों के साथ वार्ताएं करने से पूर्व एवं पश्चात् की जाती है। इस संबंध में घरेलू हितबद्ध पक्षकारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श, जिसके लिए सरकार को वाणिज्य एवं उद्योग शीर्ष मंडलों तथा व्यापार एवं उद्योग एसोसिएशनों तथा उपजकर्ताओं सहित अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से नियमित रूप से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, के पश्चात् निष्कर्षों साक्ष्य जुटाए जाते हैं। एफटीए में मदों की संवेदनशील/नकारात्मक सूची का प्रावधान किया गया है जिन पर सीमित अथवा शून्य टैरिफ रियायतें प्रदान की जाती हैं ताकि घरेलू उद्योग तथा कृषि क्षेत्र के हितों को संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा एफटीए के तहत आयातों में उछाल अथवा घरेलू उद्योग की क्षति होने के मामले में भागीदार देशों को पाटनरोधी तथा रक्षोपायों से उपायों का सहारा लेने की अनुमति है। प्रत्येक एफटीए में एक संयुक्त समीक्षा तंत्र होता है जो एफटीए के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। अपने सभी एफटीए भागीदारों के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक संबंधों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

स्व-सहायता समूह

1216. श्री कामाख्या प्रसाद तासा :
श्रीमती कोथापल्ली गीता :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा चलाए जा रहे स्व-सहायता समूहों सहित ऐसे समूहों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्व-सहायता समूहों को कितनी धनराशि आवंटित की गई/उनके द्वारा उपयोग की गई;

(ग) क्या सरकार के पास देश में स्व-सहायता समूहों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्व-सहायता समूहों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) देश में महिलाओं/अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी)/अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) द्वारा चलाए जा रहे स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) कुल संख्या का, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा यथा सूचित, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में एसएचजी को संवितरित राशि, नाबार्ड द्वारा यथा सूचित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) एसएचजी के संवर्धन की संभावना के आधार पर नाबार्ड एसएचजी के संवर्धन तथा ऋण लिंकेज के लक्ष्य आबंटित करता है। नाबार्ड द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान 7,00,000 एचएचजी के बचत लिंकेज तथा 20,00,000 एसएचजी के लिए ऋण लिंकेज के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जून 2011 में प्रारंभ किया गया है तथा यह चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। मार्च 2014 तक 1043 ब्लॉकों की गहन ब्लॉकों के रूप में पहचान की गई है, जिनमें से 238 जिलों में फैले 952 ब्लॉकों में कार्यान्वयन प्रारंभ हो गया है। देश में शेष 4784 ब्लॉकों को एनआरएलएम के गैर-गहन पद्धति (नॉन इंटेन्सिव एप्रोच) के अंतर्गत कवर किया गया है तथा धीरे-धीरे राज्यों की चरणबद्ध योजनाओं के अनुसार गहन पद्धति (इंटेन्सिव एप्रोच) के अंतर्गत लाया जाएगा।

विवरण-I

देश में महिलाओं/अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी)/अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) द्वारा चलाए जा रहे सहित स्व-सहायता समूहों (एसएचओ) की कुल संख्या का, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा यथा सूचित, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार का ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार एसएचजी की संख्या	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार एसएचजी की संख्या (अनंतिम)
1	2	3	4
क.	**उत्तरी क्षेत्र**		
1.	चंडीगढ़	609	609
2.	हरियाणा	42580	46247
3.	हिमाचल प्रदेश	53242	54616
4.	जम्मू और कश्मीर	5796	8413
5.	नई दिल्ली	3787	3787
6.	पंजाब	35060	37550.00
7.	राजस्थान	231763	243307
	योग	372837	394729
ख.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**		
1.	अरुणाचल प्रदेश	5033	5402
2.	असम	271072	291371
3.	मणिपुर	12656	12656
4.	मेघालय	9573	10570
5.	मिज़ोरम	3117	3117
6.	नागालैंड	8478	8842
7.	सिक्किम	3529	3814
8.	त्रिपुरा	10438	10438
	योग	323896	346210
ग.	**पूर्वी क्षेत्र**		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्यक्षेत्र)	5217	5452
2.	बिहार	270890	313250
3.	झारखंड	85334	100120
4.	ओडिशा	522837	560209.00
05.	पश्चिम बंगाल	586821	709427.00
	योग	1471099	1688458

1	2	3	4
घ.	मध्य क्षेत्र		
1.	छत्तीसगढ़	98493	113158
2.	मध्य प्रदेश	159457	214229
3.	उत्तर प्रदेश	403932	463514
4.	उत्तराखंड	40316	45331
	योग	702198	836232
ङ.	पश्चिमी क्षेत्र		
1.	गोवा	9889	9944
2.	गुजरात	208410	228040
3.	महाराष्ट्र	687717	754034
	योग	906016	992018
च.	दक्षिणी क्षेत्र		
1.	आंध्र प्रदेश	1421393	1440487
2.	कर्नाटक	645695	703427
3.	केरल	581325	631607
4.	लक्षद्वीप	27	27
5.	पुदुचेरी	20053	20053
6.	तमिलनाडु	873012	905543
	योग	3541505	3701144
	सकल योग	7317551	7958791

विवरण-II

वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (अनंतिम) के दौरान एसएचजी को संवितरण ऋण राशियों का राज्य-वार ब्यौरा

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	2011-12		2012-13		2013-14 (अनंतिम)	
		एसएचजी की संख्या	राशि	एसएचजी की संख्या	राशि	एसएचजी की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	उत्तरी क्षेत्र						
1.	चंडीगढ़	48	55.87	47	69.07	उ.न.	उ.न.
2.	हरियाणा	3865	6195.93	3241	5156.39	2626	2113.81
3.	हिमाचल प्रदेश	4269	5324.46	4164	4152.98	737	497.66
4.	जम्मू और कश्मीर	1013	803.7	1196	843.79	524	409.92
5.	नई दिल्ली	511	507.98	455	640.17	उ.न.	उ.न.
6.	पंजाब	2183	2381.89	2021	2278.92	1920	937.61
7.	राजस्थान	18862	18273.37	20161	21088.38	6466	4777.14
	योग	30751	33543.2	31285	34229.7	12273	8736.14

1	2	3	4	5	6	7	8
ख.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**						
1.	अरुणाचल प्रदेश	130	157.96	112	132.78	उ.न.	उ.न.
2.	असम	28012	18746.98	21497	13755.83	10140	8058.63
3.	मणिपुर	1308	857.52	659	405.8	उ.न.	उ.न.
4.	मेघालय	691	489.22	400	462.36	208	381.11
5.	मिज़ोरम	575	690.2	544	827.43	उ.न.	उ.न.
6.	नागालैंड	862	621.29	796	974.35	562	848.25
7.	सिक्किम	396	423.7	359	212.63	4	1.40
8.	त्रिपुरा	19029	23141.87	801	1250.67	उ.न.	उ.न.
	योग	51003	45128.74	25168	18021.85	10914	9296.39
ग.	**पूर्वी क्षेत्र**						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्यक्षेत्र)	710	570	415	537.84	205	79.42
2.	बिहार	39241	39860.94	30574	22201.69	47741	34885.35
3.	झारखंड	12040	12741.072	8874	7536.06	2134	641.56
4.	ओडिशा	49831	54097.58	47676	47328.1	34210	37938.09
5.	पश्चिम बंगाल	99379	55136.554	95284	51415.24	110371	72879.34
	योग	201201	162406.15	182823	129018.93	194661	146423.76
घ.	**मध्य क्षेत्र**						
1.	छत्तीसगढ़	10087	9258.835	7992	7013.49	12179	7231.01
2.	मध्य प्रदेश	8751	9544.199	15182	13726.83	32796	293.17
3.	उत्तर प्रदेश	34497	44540.829	33140	45098.42	26349	2051.12
4.	उत्तराखंड	5125	7592.9639	7866	4050.22	2238	904.89
	योग	58460	70936.827	64180	69888.96	73562	10480.19
ङ.	**पश्चिमी क्षेत्र**						
1.	गोवा	2312	1988.84	924	1205.63	275	40.93

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	गुजरात	30336	13116.83	14756	11982.28	11067	11225.23
3.	महाराष्ट्र	68396	60180.023	54749	57806.5	62198	53989.77
	योग	101044	75285.693	70429	70994.41	73540	65255.93
च.	**दक्षिणी क्षेत्र**						
1.	आंध्र प्रदेश	378526	817142.05	484292	1116440.1	432239	1181189.90
2.	कर्नाटक	87943	162949.21	145733	229940.72	109126	154295.04
3.	केरल	55242	85415.448	60830	89891.54	109435	47061.29
4.	लक्षद्वीप	8	1.15	1	1	उ.न.	उ.न.
5.	पुदुचेरी	3798	7376.87	4494	8499.06	उ.न.	उ.न.
6.	तमिलनाडु	179902	193291.54	15086	291610.21	264576	535880.42
	योग	705419	1266176.3	845936	1736382.6	915376	1918426.7
	सकल योग	1147878	1653476.9	1219821	2058536.4	1280326	2158619.1

उ.न.: उपलब्ध नहीं।

रक्षा उपकरण का घरेलू उत्पादन

1217. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश :
श्री सी.एस. पुट्टा राजू :
श्री रवनीत सिंह :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपकरण पर किए गए कुल व्यय में रक्षा उपकरण के घरेलू उत्पादन की कितनी भागीदारी रही है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने संयुक्त रूप से रक्षा उद्योग के विकास के लिए गुजरात राज्य सरकार से संपर्क किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में दक्ष श्रमशक्ति की कमी के कारण घरेलू रक्षा उद्योग का विकास बाधित हो रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने घरेलू रक्षा उद्योगों के लिए दक्ष श्रमशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलाव लाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य राज्य सरकारों से अनुरोध किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) रक्षा उपकरणों और हथियारों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों और डीआरडीओ के परामर्श से सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में सेनाओं की कुल पूंजीगत और राजस्व संबंधी आवश्यकता का 69% स्वदेशी अधिप्राप्ति के माध्यम से पूरा किया गया था। वर्ष 2013-14 और चालू वर्ष के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और आयुध निर्माणियों में कुशल कार्मिकों की कोई कमी नहीं है।

(घ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ङ) सरकार ने सदैव रक्षा उपस्करों और हथियारों के घरेलू उत्पादन को समर्थन और प्रोत्साहित किया है। रक्षा उत्पादन नीति, 2011 उपस्करों/आयुध प्रणालियों/प्लेटफॉर्मों के अभिकल्प, विकास और उत्पादन में पर्याप्त आत्म-निर्भरता अर्जित करने पर बल देती है। स्वदेशी रक्ष उत्पादों की अधिप्राप्ति को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पहले से ही उपबंध किए गए हैं।

[हिन्दी]

रैबीज़रोधी टीका

1218. श्री राजू शेट्टी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में रैबीज़ से मरने वाले लोगों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या पूरे देश में स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला अस्पतालों में रैबीज़रोधी टीका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में कुत्ता के काटने के कारण होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभागों को पर्याप्त मात्र में रैबीज़रोधी टीका प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार उचित मूल्य पर रैबीज़रोधी टीका प्रदान करने के लिए संबंधित कंपनियों को निदेश जारी करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) वर्ष 2011-2014 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में रैबीज के मामले/मरने वाले लोगों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इसलिए रैबीज टीकों की उपलब्धता को बनाए रखना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। फिर भी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यों को रैबीजरोधी टीका सहित किसी भी कमी को पूरा करने के लिए दवाइयों की खरीद के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकारों को रैबीजरोधी की खरीद तथा आपूर्ति को सामान्य स्वास्थ्य बजट से बाहर रखने की सलाह दी गई है। आपातकाल में इस उद्देश्य के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में उपलब्ध गैर-निर्धारित निधियों का प्रयोग किया जा सकता है ताकि जन स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी को भी टीके के लिए मना नहीं किया जा सके।

विवरण

वर्ष 2011-2014 के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार रैबीज के मामले/उससे हुई मौतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	2011 मामले/मौतें	2012 मामले/मौतें	2013 (अनंतिम) मामले/मौतें	2014 (अनंतिम) मामले/मौतें
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	41	21	21	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	रिपोर्ट नहीं किया गया
3.	असम	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	1
5.	छत्तीसगढ़	1	2	2	1
6.	गोवा	0	0	1	0
7.	गुजरात	16	7	3	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	1	2	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
11.	झारखंड	3	0	0	0
12.	कर्नाटक	18	16	7	2
13.	केरल	1	7	9	4
14.	मध्य प्रदेश	1	3	9	1
15.	महाराष्ट्र	3	5	2	1
16.	मणिपुर	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	1	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0
20.	ओडिशा	26	29	8	1
21.	पंजाब	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	3	2	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	42	28	4	3
25.	त्रिपुरा	0	1	0	0
26.	उत्तराखंड	2	1	2	2
27.	उत्तर प्रदेश	0	1	0	1
28.	पश्चिम बंगाल	80	80	57	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	1
33.	दिल्ली	17	3	10	2

1	2	3	4	5	6
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	1	3	0	0
	कुल	253	212	138	34

(*स्रोत:* भारत के सरकार के स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल')।

नोट: एनआर का अर्थ 'रिपोर्ट नहीं किया गया'।

विधवाओं का प्रदर्शन

1219. श्री चांद नाथ : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी और वृंदावन में रहने वाली विधवाओं ने उनके साथ किए जा रहे कथित अपमानजनक व्यवहार और अन्याय का विरोध करने के लिए दिल्ली में हाल ही में प्रदर्शन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इन विधवाओं की मांग क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) और (ख) मीडिया में खबरें आई थीं कि वृंदावन और वाराणसी की लगभग 100 विधवाएं 23 जून, 2014 को राजधानी में एकत्र हुईं और उन्होंने वृंदावन और वाराणसी में रह रही विधवाओं के कल्याण के लिए उपाय करने तथा उनके अधिकारों की रक्षा करने वाला विधेयक पुर:स्थापित तथा पारित करने के लिए सरकार से मांग की थी।

(ग) सरकार कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं की रहने की दशाओं में सुधार करने के लिए आश्रय आधारित दो स्कीमें कार्यान्वित कर रही है:—

I. **स्वाधार स्कीम :** स्वाधार स्कीम कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के पुनर्वास के लिए वर्ष 2001-02 में शुरू की गई थी। यह स्कीम बिना किसी सामाजिक समर्थन प्राप्त कठिन परिस्थितियों में रहने वाली सीमांत महिलाओं/बालिकाओं का आश्रय, भोजन, कपड़े और देखरेख की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। शामिल लाभार्थियों में अपने परिवारों और संबंधियों द्वारा धार्मिकतक स्थलों के निकट उपेक्षित छोड़ दी गई महिलाएं हैं, जहां वे शोषण की पीड़ित होती हैं, जेल से रिहा की गईं महिला कैदी, बिना पारिवारिक समर्थन वाली महिलाएं और इसी प्रकार कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाएं शामिल हैं। वर्तमान में 311 स्वाधार आश्रय गृह चल रहे हैं जिसमें से 4 स्वाधार गृह वृंदावन/मथुरा में हैं।

II. **अल्पावास गृह स्कीम :** शोषण से महिलाओं की रक्षा करने और उनकी जीविका और पुनर्वास में सहायता करने की आवश्यकता को पहचानते हुए वर्ष 1969 में तत्कालीन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में महिला और बालिकाओं के लिए अल्पावास गृह स्कीम शुरू की गई। यह स्कीम पारिवारिक अनबन, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार आदि के कारण गृह विहीन हुई महिलाओं और बालिकाओं के लिए 24 घंटे अस्थायी रिहायशी आवास, देखभाल और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराती है। देशभर में 322 अल्पावास गृह चल रहे हैं। यह स्कीम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

इसके अलावा, दिनांक 14.11.2008 की रिट याचिका (सिविल) सं. 2007 की 659 (पर्यावरण एवं उपभोक्ता संरक्षण फाउंडेशन बनाम भारत संघ एवं अन्य) के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में रह रही विधवाओं की स्थिति की विस्तृत जांच करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन करवाया था। अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई और यह अप्रैल, 2010 में भारतीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला हॉस्टल, रिमांड गृह आदि अथवा महिलाओं से संबंधित अन्य कोई विषय अथवा उनके परिवेश की गुणवत्ता में वृद्धि करके विकास जैसी सुविधाओं के चिन्हित क्षेत्रों में निराश्रित महिलाओं के जीवन की दशा में सुधार करने के लिए दिनांक 07 मई, 2013 को आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निराश्रित महिलाओं/विधवाओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए रास बिहारी सदन, वृंदावन, मथुरा का पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण करने की पहले ही पहल कर दी है और विभिन्न एजेंसियों, एनबीसीसी, हुडको और आईआईटी, दिल्ली इस परियोजना में शामिल हैं।

नसबंदी और नलबंदी के पीड़ितों के लिए मुआवजा

1220. डॉ. रामशंकर कठेरिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चलाए जा रहे नसबंदी और नलबंदी कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार नसबंदी और नलबंदी के विफल रहने/इसके कारण मृत्यु होने के मामले में कोई मुआवजा प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नसबंदी और नलबंदी के विफल रहने/इसके कारण मृत्यु होने के कुल कितने मामले प्रकाश में आए और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रभावित लोगों को प्रदान किए गये मुआवजे का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) भारत में नसबंदी और नलबंदी कार्यक्रम मूलत: स्वैच्छिक है और युगल सबसे उपयुक्त विधि का चयन करते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान देश में 4092806 नसबंदी ऑपरेशन किए गए।

(ख) और (ग) जी, हां। विवरण-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार नसबंदी और नलबंदी ऑपरेशन के दौरान मृत्यु/विफलता के मामले में सरकार क्षतिपूर्ति करती है।

(घ) राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना

अनुभाग		कवरेज	सीमा
I	I क	अस्पताल में या अस्पताल से छुट्टी की तिथि से 7 दिनों के भीतर नसबंदी के बाद हुई मौतें (नसबंदी ऑपरेशन की प्रक्रिया के दौरान मौतें सहित)	2,00,000 रुपए
	I ख	अस्पताल से छुट्टी की तिथि से 8-30 दिनों के भीतर नसबंदी के बाद मौतें	50,000 रुपए
	I ग	अस्पताल की विफलता के कारण	30,000 रुपए
	I घ	अस्पताल में उपचार की लागत और छुट्टी की तिथि से नसबंदी ऑपरेशन के बाद उत्पन्न जटिलता के कारण 60 दिनों तक (नसबंदी ऑपरेशन की प्रक्रिया के दौरान जटिलता सहित)	25,000 रुपए से ज्यादा नहीं
II		प्रत्येक डॉक्टर/सुविधा केन्द्र में क्षतिपूर्ति बीमा परंतु वर्ष में 4 मामलों से अधिक नहीं।	प्रति दावा 2,00,000 रुपए तक

विवरण-II

वर्ष 2010-11

राज्य	अनुलग्नक के ब्यौर	देय राशि	
		गणना	धनराशि
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	मौतें	20	3220000
	विफलता	27	810,000
	आंध्र प्रदेश कुल	47	4030000

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	विफलता	1	30000
	अरुणाचल प्रदेश कुल	1	30000
असम	मृत्यु	8	1600000
	विफलता	176	5280000
	असम कुल	184	6880000
बिहार	मृत्यु	8	1600000
	विफलता	3	90000
	बिहार कुल	11	1690000
छत्तीसगढ़	मृत्यु	6	900000
	विफलता	139	4170000
	छत्तीसगढ़ कुल	145	5070000
दिल्ली	मृत्यु	3	420000
	विफलता	45	1350000
	दिल्ली कुल	48	1770000
गोवा	विफलता	5	150000
	गोवा कुल	5	150000
गुजरात	मृत्यु	7	1250000
	विफलता	178	5340000
	गुजरात कुल	185	6590000
हरियाणा	मृत्यु	3	450000
	विफलता	333	9990000
	हरियाणा कुल	336	10440000
हिमाचल प्रदेश	विफलता	72	2160000
	हिमाचल प्रदेश कुल	72	2160000

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	विफलता	30	90000
	जटिलता	1	1987
	जम्मू और कश्मीर कुल	31	901,987
झारखंड	मृत्यु	2	400000
	विफलता	3	90000
	झारखंड कुल	5	490000
कर्नाटक	मृत्यु	21	3750000
	विफलता	145	4350000
	कर्नाटक कुल	166	8100000
केरल	विफलता	155	4650000
	केरल कुल	155	4650000
मध्य प्रदेश	मृत्यु	18	3150000
	विफलता	1435	43050000
	मध्य प्रदेश कुल	1453	46200000
महाराष्ट्र	मृत्यु	14	2320000
	विफलता	295	8850000
	महाराष्ट्र कुल	309	11170000
मणिपुर	विफलता	2	60000
	मणिपुर कुल	2	60000
मिज़ोरम	विफलता	19	570000
	मिज़ोरम कुल	19	570000
ओडिशा	मृत्यु	4	800000
	विफलता	242	7560000
	ओडिशा कुल	246	8060000

1	2	3	4
पुदुचेरी	विफलता	1	50000
	जटिलता	16	480000
	पुदुचेरी कुल	17	530000
पंजाब	विफलता	51	1530000
	पंजाब कुल	51	1530000
राजस्थान	मृत्यु	15	2550000
	विफलता	1734	52020000
	राजस्थान कुल	1749	54570000
सिक्किम	विफलता	1	30000
	सिक्किम कुल	1	30000
तमिलनाडु	मृत्यु	41	6700000
	विफलता	318	9540000
	तमिलनाडु कुल	359	16240000
त्रिपुरा	विफलता	8	240000
	त्रिपुरा कुल	8	240000
उत्तर प्रदेश	मृत्यु	6	720000
	विफलता	1089	32645500
	उत्तर प्रदेश कुल	1095	33365500
उत्तराखंड	विफलता	179	5370000
	उत्तराखंड कुल	179	5370000
पश्चिम बंगाल	मृत्यु	2	400000
	विफलता	127	3810000
	पश्चिम बंगाल कुल	129	4210000
कुल योग		7008	235097487
वर्ष 2011-12			
आंध्र प्रदेश	मृत्यु	15	2340000
	विफलता	21	630000
	आंध्र प्रदेश कुल	36	2970000
अरुणाचल प्रदेश	विफलता	2	60000

1	2	3	4
	अरुणाचल प्रदेश कुल	2	60000
असम	मृत्यु	6	1020000
	विफलता	160	4800000
	असम कुल	166	5820000
बिहार	मृत्यु	8	1420000
	बिहार कुल	8	1420000
छत्तीसगढ़	मृत्यु	5	820000
	विफलता	133	3990000
	छत्तीसगढ़ कुल	138	4810000
दिल्ली	विफलता	62	1860000
	दिल्ली कुल	62	1860000
गुजरात	मृत्यु	8	1450000
	विफलता	193	5790000
	गुजरात कुल	201	7240000
हरियाणा	मृत्यु	1	200000
	विफलता	366	10980000
	हरियाणा कुल	367	11180000
हिमाचल प्रदेश	मृत्यु	1	200000
	विफलता	62	1860000
	हिमाचल प्रदेश कुल	63	2060000
जम्मू और कश्मीर	विफलता	35	1050000
	जम्मू और कश्मीर कुल	35	1050000
झारखंड	मृत्यु	3	270000
	विफलता	6	180000
	झारखंड कुल	9	450000
कर्नाटक	मृत्यु	21	3870000
	विफलता	141	4230000
	कर्नाटक कुल	162	8100000
केरल	मृत्यु	2	220000
	विफलता	141	4230000

1	2	3	4
	केरल कुल	143	4450000
मध्य प्रदेश	मृत्यु	10	1670000
	विफलता	1917	57510000
	मध्य प्रदेश कुल	1927	59180000
महाराष्ट्र	मृत्यु	12	2220000
	विफलता	269	8070000
	महाराष्ट्र कुल	281	10290000
मणिपुर	विफलता	3	90000
	मणिपुर कुल	3	90000
मेघालय	विफलता	1	30000
	मेघालय कुल	1	30000
मिजोरम	विफलता	19	570000
	मिजोरम कुल	19	570000
ओडिशा	मृत्यु	7	920000
	विफलता	288	8640000
	ओडिशा कुल	295	9560000
पुदुचेरी	मृत्यु	1	200000
	विफलता	19	570000
	पुदुचेरी कुल	20	770000
पंजाब	मृत्यु	1	200000
	विफलता	73	2190000
	पंजाब कुल	74	2390000
राजस्थान	मृत्यु	9	1470000
	विफलता	1830	54900000
	राजस्थान कुल	1839	56370000
सिक्किम	विफलता	1	30000
	सिक्किम कुल	1	30000
तमिलनाडु	मृत्यु	29	4960000
	विफलता	297	8910000
	तमिलनाडु कुल	326	13870000
त्रिपुरा	विफलता	16	480000
	त्रिपुरा कुल	16	480000
उत्तर प्रदेश	मृत्यु	4	650000

1	2	3	4
	विफलता	932	27960000
	उत्तर प्रदेश कुल	936	28610000
उत्तराखंड	मृत्यु	3	420000
	विफलता	176	5280000
	उत्तराखंड कुल	179	5700000
पश्चिम बंगाल	मृत्यु	7	1040000
	विफलता	102	3060000
	पश्चिम बंगाल कुल	109	4100000
कुल योग		7252	237690000
वर्ष 2012-13			
आंध्र प्रदेश	मृत्यु	1	200000
	विफलता	3	90000
	आंध्र प्रदेश कुल	4	290000
अरुणाचल प्रदेश	विफलता	1	30000
	अरुणाचल प्रदेश कुल	1	30000
असम	मृत्यु	1	200000
	विफलता	25	750000
	असम कुल	26	950,000
बिहार	मृत्यु	1	50000
	बिहार कुल	1	50000
छत्तीसगढ़	मृत्यु	1	200000
	विफलता	16	480000
	छत्तीसगढ़ कुल	17	680000
दिल्ली	मृत्यु	1	20000
	विफलता	16	480000
	दिल्ली कुल	17	500000
गुजरात	मृत्यु	2	400000
	विफलता	29	870000
	गुजरात कुल	31	1270000
हरियाणा	विफलता	58	1740000

1	2	3	4
	हरियाणा कुल	58	1740000
हिमाचल प्रदेश	विफलता	12	360000
	हिमाचल प्रदेश कुल	12	360000
जम्मू और कश्मीर	विफलता	6	180000
	जम्मू और कश्मीर कुल	6	180000
झारखंड	विफलता	3	600000
	झारखंड कुल	3	600000
कर्नाटक	मृत्यु	2	220000
	विफलता	22	660,000
	कर्नाटक कुल	24	880,000
केरल	विफलता	13	390,000
	केरल कुल	13	390,000
मध्य प्रदेश	मृत्यु	5	820000
	विफलता	268	8040000
	मध्य प्रदेश कुल	273	8860000
महाराष्ट्र	मृत्यु	2	220000
	विफलता	43	1290000
	महाराष्ट्र कुल	45	1510000
मिज़ोरम	विफलता	3	90000
	मिज़ोरम कुल	3	90000
ओडिशा	मृत्यु	1	20000
	विफलता	76	2280000
	ओडिशा कुल	77	2300000
पुदुचेरी	विफलता	3	90000
	पुदुचेरी कुल	3	90000
पंजाब	विफलता	7	210000
	पंजाब कुल	7	210000
राजस्थान	मृत्यु	4	620000
	विफलता	237	7110000

1	2	3	4
	राजस्थान कुल	241	7730000
सिक्किम	विफलता	2	60000
	सिक्किम कुल	2	60000
तमिलनाडु	मृत्यु	5	1000000
	विफलता	39	1170000
	तमिलनाडु कुल	44	2170000
त्रिपुरा	जटिलता	—	—
	त्रिपुरा कुल	—	—
उत्तर प्रदेश	मृत्यु	3	600000
	विफलता	73	2190000
	उत्तर प्रदेश कुल	76	2790000
उत्तराखंड	मृत्यु	1	200000
	विफलता	7	210000
	उत्तराखंड कुल	8	410000
पश्चिम बंगाल	मृत्यु	2	400000
	विफलता	10	300000
	पश्चिम बंगाल कुल	12	700000
कुल योग		1004	34840000

बीमा के संबंध में जागरुकता अभियान

1221. श्री देवजी एम. पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपलब्ध जीवन और गैर-जीवन बीमा सुविधाओं का संतोषजनक लाभ देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इस संबंध में कोई जागरूकता अभियान शुरू किया है/शुरू करने पर विचार कर ही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इससे क्या सफलता मिली?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कारोबार करने के लिए बीमाकर्ताओं को अधिदेशित करने हेतु एक सुनिर्धारित विधायी ढांचा है। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32ख और 32ग के अनुसार बीमाकर्ताओं को ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र के संबंध में दायित्व सौंपे गए हैं। आईआरडीए (ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र बाध्यता) विनियामवली, 2002 में विस्तृत विवरण दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में 113.46 लाख पॉलिसियों की हामीदारी की है, जो कुल 441.57 लाख नई पालिसियों का 25.7% है। गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में ग्रामीण क्षेत्र से 8,196 करोड़ रुपए का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम जुटाया गया था, जो कुल सकल प्रीमियम (64,583 करोड़ रुपए) का 12.69% था।

(ग) और (घ) आईआरडीए बीमा क्षेत्र के विनियामक के रूप में बीमा शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। इसने बीमा के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाया है और सभी पणधारकों को जनता के बीच बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया है। आईआरडीए ने 'बीमा बेमिसाल' अभियान के अंतर्गत कई ग्राहक शिक्षा पहल की शुरूआत की है। इसके अतिरिक्त, आईआरडीए ने ग्राहकों को दिशानिर्देश देने और उनकी सुरक्षा के लिए सूचना का प्रसार करने हेतु एकल संदर्भ बिन्दु के रूप में आम जनता और पालिसीधारकों के लिए वर्ष 2012 में ग्राहक शिक्षा वेबसाइट शुरू की है। वर्ष 2013 के दौरान आईआरडीए ने ग्राहक शिक्षा वेबसाइट का हिन्दी संस्करण जारी किया ताकि पॉलिसीधारकों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। इस वेबसाइट *www.policyholder.gov.in* को देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग देखते हैं और वे इस वेबसाइट से बीमा शिक्षा सामग्री मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं तथा उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

आईआरडीए ने यह सूचित किया है कि पिछले तीन वर्ष के दौरान ग्राहक निकायों के माध्यम से उसके द्वारा 22 सेमिनारों को प्रायोजित किया गया था, जिसमें से 15 सेमिनार ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए छोटे शहरों में आयोजित कराए गए थे।

[अनुवाद]

सीसीआई द्वारा पारदर्शी दिशा-निर्देश

1222. श्रीमती कोथापल्ली गीता : क्या कार्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रकार के स्लैबों को देखते हुए जुर्माना/शास्ति के दिशा-निर्देश को पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यकरण को युक्तिसंगत बनाने के लिए कोई कदम उठाया है/उठाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार के पास लंबित प्रस्तावों/मांगों, यदि कोई हैं, का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। सरकार उसे उक्त अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्य करती है। उक्त अधिनियम की धारा 27(ख) के तहत आयोग को जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। यह धारा आयोग को प्रभुत्वपूर्ण स्थिति के दुरुपयोग और प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों के लिए पिछले तीन वर्षों के औसत कारोबार के 10% तक जुर्माना लगाने के लिए प्राधिकृत है। धारा 46 की शक्ति को कार्यान्वित करने के लिए, आयोग ने मामले में दिशा-निर्देशों के रूप में काम में आने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कमतर शास्ति) विनियम, 2009 बनाया है।

[हिन्दी]

आयुष औषधालय

1223. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयुर्वेद, योग-प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) औषधालयों के निर्माण और स्तरोन्नयन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रस्ताव-वार और हिमाचल प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों तथा इस प्रयोजन के लिए आवंटित निधियों का प्रस्ताव और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित प्रस्तावों और इनके लंबन के कारणों का ब्यौरा क्या है तथा इन पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान राज्यों/संघ राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और आयुर्वेद, योग-प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) औषधालयों के निर्माण/उन्नयन के लिए निर्मुक्त सहायता अनुदान का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I, विवरण-II और विवरण-III में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान आज तक कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

(घ) जिन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने प्रतिपादन के लिए लंबित अपने सभी उपयोगिता प्रमाण पत्रों का परिसमापन कर दिया है, स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनसे प्राप्त कोई पात्र प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है।

विवरण-I

आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12 के दौरान आयुर्वेद, योग-प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) औषधालयों के निर्माण/उन्नयन के लिए प्राप्त प्रस्ताव (रुपए लाखों में)			टिप्पणी
		एकांशी की संख्या	मांगी गई राशि	निर्मुक्त राशि	
1.	आंध्र प्रदेश	919 आयुष औषधालयों का उन्नयन	9281	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
2.	हरियाणा	62 आयुष औषधालयों का उन्नयन	532.20	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
3.	हिमाचल प्रदेश	300 आयुष औषधालयों का उन्नयन	2980.95	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
4.	कर्नाटक	268 आयुष औषधालयों का उन्नयन	2278.00	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
5.	केरल	70 होम्योपैथी औषधालयों का उन्नयन	700.00	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
6.	मध्य प्रदेश	125 आयुष औषधालयों का उन्नयन	1250.00	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
7.	महाराष्ट्र	200 आयुष औषधालयों का उन्नयन	2020.00	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
8.	उत्तराखंड	148 आयुष औषधालयों का उन्नयन	1494.80	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
9.	पश्चिम बंगाल	20 आयुष औषधालयों का उन्नयन	200.00	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।

विवरण-II

आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2012-13 के दौरान आयुर्वेद, योग-प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) औषधालयों के निर्माण/उन्नयन के लिए प्राप्त प्रस्ताव (रुपए लाखों में)			टिप्पणी
		एकांशी की संख्या	मांगी गई राशि	निर्मुक्त राशि	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	81 आयुष औषधालयों का उन्नयन	818.10	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
2.	बिहार	128 आयुष औषधालयों का उन्नयन	1,292.80	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
3.	छत्तीसगढ़	100 आयुष औषधालयों का उन्नयन	1,000.00	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
4.	हरियाणा	50 आयुष औषधालयों का उन्नयन	505.50	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
5.	हिमाचल प्रदेश	150 आयुष औषधालयों का उन्नयन	1,515.00	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
6.	झारखंड	01 आयुष औषधालयों का उन्नयन	10.10	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
7.	कर्नाटक	13 आयुष औषधालयों का उन्नयन	130.00	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
8.	केरल	747 आयुष औषधालयों का उन्नयन	7,528.50	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
9.	मध्य प्रदेश	169 आयुष औषधालयों का उन्नयन	1,690.00	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।

1	2	3	4	5	6
10.	मणिपुर	2 आयुष औषधालयों का उन्नयन	21.00	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
11.	ओडिशा	50 आयुष औषधालयों का उन्नयन	750.00	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
12.	त्रिपुरा	96 आयुष औषधालयों का उन्नयन	969.60	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
13.	उत्तर प्रदेश	96 आयुष औषधालयों का उन्नयन	969.60	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
14.	पश्चिम बंगाल	28 आयुष औषधालयों का उन्नयन	282.80	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
15.	दिल्ली	75 आयुष औषधालयों का उन्नयन	85.32	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
16.	पुदुचेरी	5 आयुष औषधालयों का उन्नयन	7.70	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।

विवरण-III

आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2013-14 के दौरान आयुर्वेद, योग-प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) औषधालयों के निर्माण/उन्नयन के लिए प्राप्त प्रस्ताव (रुपए लाखों में)			टिप्पणी
		एकांशों की संख्या	मांगी गई राशि	निर्मुक्त	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	81 आयुष औषधालयों का उन्नयन	818.10	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।

1	2	3	4	5	6
2.	गुजरात	761 आयुष औषधालयों का उन्नयन	576.1	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
3.	हिमाचल प्रदेश	300 आयुष औषधालयों का उन्नयन	1530.00	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
4.	मध्य प्रदेश	24 आयुष औषधालयों का उन्नयन	242.40	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
5.	मणिपुर	1 आयुष औषधालयों का उन्नयन	10.5	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
6.	महाराष्ट्र	710 आयुष औषधालयों का उन्नयन	451.00	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
7.	ओडिशा	200 आयुष औषधालयों का उन्नयन	2020	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
8.	पंजाब	609 आयुष औषधालयों का उन्नयन	5513.4	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
9.	राजस्थान	285 आयुष औषधालयों का उन्नयन	713.87	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
10.	त्रिपुरा	30 आयुष औषधालयों का उन्नयन	303	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
11.	गोवा	2 आयुष औषधालयों का उन्नयन	0.20	0.15	आकस्मिकता के लिए निर्मुक्त राशि
12.	दादरा और नगर हवेली	1 आयुष औषधालयों का उन्नयन	10	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
13.	पुदुचेरी	7 आयुष औषधालयों का उन्नयन	7.7	शून्य	पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।

[अनुवाद]

औषधों के लिए केन्द्रीय खरीद एजेंसी

1224. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधों की थोक खरीद के लिए केन्द्रीय खरीद एजेंसी (सीपीएस) स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सर्वाधिक प्रभावित करने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को आवश्यक औषधों की अपनी-अपनी सूची तैयार करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केन्द्रीय खरीद एजेंसी का पंजीकरण दिनांक 22.03.2012 को हुआ था।

(ग) केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्यों को आवश्यक औषध सूची (ईडीएल) के निर्माण हेतु प्रोत्साहन कर रही है।

(घ) 29 राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों ने सूचित किया है कि या तो उनके पास उनकी अपनी आवश्यक औषध सूची है या फिर उन्होंने राष्ट्रीय आवश्यक औषध सूची को अपनाया है।

[हिन्दी]

रक्षा उपकरणों की खरीद

1225. श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री बैजयंत जे. पांडा :
श्री नलीन कुमार कटील :
श्री पी. कुमार :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उपकरणों की खरीद में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आवश्यक रक्षा उपकरणों की खरीद में तीव्रता लाने और उसे शीघ्र पूरा करने के लिए तथा रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार के अभिशाप को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार की आशंका को रोकने के लिए सरकार ने 10 लाख रुपए से अधिक के रक्षा उपकरणों की खरीद केवल ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रक्षा उपकरणों की खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) और रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डीपीएम) के अनुसार की जाती है। इनमें उच्च दर्जे की सत्यनिष्ठा, लोक जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं।

- रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) में उन पूर्वानुमानित आसन्न तात्कालिक ऑपरेशनल जरूरतों या ऐसी परिस्थितियों को जिनमें कि किसी पूर्व चेतावनी के संकट उत्पन्न हो जाएं, पूरा करने के लिए रक्षा फास्ट ट्रैक अधिप्राप्ति (एफटीपी) का प्रावधान है।

10 लाख रुपए से अधिक के रक्षा उपस्करों की पूंजीगत अधिप्राप्ति केवल ई-प्लेटफार्म के माध्यम से करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

अन्य देशों को ऋण प्रदान किया जाना

1226. श्रीमती पूनम महाजन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में अन्य देशों को दी गई ऋण सुविधा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक देश को किस प्रयोजन के लिए ऋण सुविधा दी गई है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) भारत का निर्यात और आयात बैंक (एक्जिम बैंक) विभिन्न देशों को ऋण श्रृंखलाएं देता है। एक्जिम बैंक द्वारा पिछले पांच वर्ष में दी गई ऋण श्रृंखलाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन ऋण श्रृंखलाओं के ब्यौरे एक्जिम बैंक की वेबसाइट *@www.eximbankindia.in* पर भी उपलब्ध हैं।

विवरण

अन्य देशों को दी गई ऋण सुविधा का ब्यौरा

क्र. सं.	अनुमोदन का वर्ष	क्षेत्र	देश	ऋण शृंखला प्राप्तकर्ता का नाम	ऋण की राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर)	प्रयोजन
1	2	3	4	5	5	6
1.	2009-10	अफ्रीका	अंगोला	अंगोला सरकार	30.00	औद्योगिक पार्क
2.	2009-10	अफ्रीका	अंगोला	अंगोला सरकार	15.00	एक कपड़ा परियोजना की स्थापना (कपास ओटना और कताई)
3.	2009-10	अफ्रीका	बेनिन	बेनिन सरकार	15.00	(क) रेलवे उपकरण (10.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर), (ख) कृषि उपकरण (4.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर) (ग) एक साइबर सिटी की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन (0.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर)
4.	2009-10	अफ्रीका	कैप वेरडे	कैप वेरडे सरकार	5.00	प्रौद्योगिकी पार्क परियोजना
5.	2009-10	अफ्रीका	कोट डी वायर	कोट डी वायर सरकार	30.00	कोट डी वायर और माली के बीच पारेषण लाइन
6.	2009-10	अफ्रीका	कोट डी वायर	कोट डी वायर सरकार	30.00	चावल उत्पादन कार्यक्रम
7.	2009-10	अफ्रीका	डी.आर. कांगो	डॉ. कांगो सरकार	25.00	हैंडपंप और सबमर्सिबल पंपों की स्थापना
8.	2009-10	अफ्रीका	जिबूती	जिबूती सरकार	14.00	जिबूती में सीमेंट संयंत्र परियोजना को पूरा करना
9.	2009-10	अफ्रीका	इरीट्रिया	इरीट्रिया सरकार	20.00	बहुउद्देशीय कृषि परियोजनाएं और शैक्षिक परियोजनाएं
10.	2009-10	अफ्रीका	लेसोथो	लेसोथो सरकार	4.70	युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

1	2	3	4	5	5	6
11.	2009-10	अफ्रीका	माली	माली की सरकार	36.00	दोनों देशों के राष्ट्रीय बिजली ग्रिड एकीकृत करने के लिए माली - आइवरी कोस्ट इंटरकनेक्शन लिंक पूरा करना
12.	2009-10	अफ्रीका	माली	माली की सरकार	15.00	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं
13.	2009-10	अफ्रीका	मॉरिटानिया	मॉरिटानिया सरकार	21.80	पीने योग्य पानी परियोजना (6.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और कृषि विकास परियोजना (15.8 मिलियन (अमेरिकी डॉलर)
14.	2009-10	अफ्रीका	रवांडा	रवांडा सरकार	60.00	बीएचईएल और एंजेलिक इंटरनेशनल द्वारा बिजली परियोजनाएं
15.	2009-10	अफ्रीका	सेनेगल	सेनेगल सरकार	5.00	चार अस्पतालों के लि चिकित्सा उपकरणों, फर्नीचर और अन्य सामान की आपूर्ति
16.	2009-10	अफ्रीका	सेशेल्स	सेशेल्स सरकार	10.00	सेशेल्स के विकास बैंक (डीबीएस) द्वारा वित्त पोषित विशिष्ट परियोजनाओं के लिए भारत से वस्तुओं और सेवाओं का आयात
17.	2009-10	अफ्रीका	सियरा लियोन	सियरा लियोन सरकार	30.00	मौजूदा सुविधाओं की बहाली और पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए नई बुनियादी सुविधाएं जोड़ना
18.	2009-10	अफ्रीका	स्वाज़ीलैंड	स्वीज़ीलैंड सरकार	20.00	सूचना प्रौद्योगिकी पार्क
19.	2009-10	अफ्रीका	पश्चिम अफ्रीका	निवेश और विकास (eBid), पश्चिम के लिए इकोवास बैंक अफ्रीका	100.00	विभिन्न उपकणों के आयात, वस्तुओं और सेवाओं का वित्तपोषण
20.	2009-10	एशिया	बांग्लादेश	बांग्लादेश सरकार	800.00	माल और रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास, निकर्षण, पुलों के निर्माण, बसों, रेल इंजनों, सवारी डिब्बों और सईदपुर कार्यशाला के पुनर्वास की खरीद सहित परियोजनाओं के निर्यात के लिए वित्तपोषण।

1	2	3	4	5	5	6
21.	2009-10	एशिया	मंगोलिया	मंगोलिया सरकार	20.00	भारत और मंगोलिया संयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और आउटसोर्सिंग केंद्र (आईएमजेआईटी) परियोजना
22.	2009-10	एशिया	श्रीलंका	श्रीलंका सरकार	67.40	कोलंबो से मतारा तक दक्षिण रेलवे कॉरिडोर का उन्नयन
23.	2009-10	एशिया	श्रीलंका	श्रीलंका सरकार	416.39	ओमानथाई-पिल्लैई क्षेत्र में इरकॉन द्वारा ट्रैक बिछाना, टालियामनार मधु चर्च-टालियामनार क्षेत्र पर इरकॉन द्वारा ट्रैक बिछाना, और (iii) ट्रैक मेदावाचिया-मधु रेलवे लाइन पर ट्रैक बिछाना
24.	2009-10	एशिया	सीरिया	सीरिया सरकार	100.00	टिजीन थर्मल पावर परियोजना (2×200 मेगावाट) को भेल द्वारा आंशिक वित्त
25.	2009-10	एलएसी	गुयाना	गुयाना सरकार	4.00	स्थिर और चल सिंचाई पंप
26.	2009-10	एलएसी	सूरीनाम	सूरीनाम सरकार	5.76	एचएएल से हेलीकाप्टरों की खरीद

क्र. सं.	अनुमोदन का वर्ष	क्षेत्र	देश	ऋण शृंखला प्राप्तकर्ता का नाम	ऋण की राशि (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	प्रयोजन
1	2	3	4	5	5	6
1.	2010-11	अफ्रीका	बुरुंडी	बुरुंडी सरकार	80.00	काबु जल विद्युत परियोजना
2.	2010-11	अफ्रीका	कोमोरोस	कोमोरोस सरकार	41.60	मोरोनी, कोमोरोस की राजधानी में एक 18 मेगावाट की विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए
3.	2010-11	अफ्रीका	डी.आर. कांगो	डी.आर. कांगो सरकार	42.00	काकोबोला जल विद्युत परियोजना के निष्पादन
4.	2010-11	अफ्रीका	डी.आर. कांगो	डी.आर. कांगो सरकार	168.00	काकोबोला जल विद्युत परियोजना
5.	2010-11	अफ्रीका	इथियोपिया	इथियोपिया सरकार	213.31	चीनी उद्योग का विकास

1	2	3	4	5	5	6
6.	2010-11	अफ्रीका	इथियोपिया	इथियोपिया सरकार	91.00	चीनी उद्योग का विकास
7.	2010-11	अफ्रीका	केन्या	केन्या सरकार	61.60	विद्युत पारेषण लाइनों (202.08 मिलियन अमरीकी डालर की 1 (किश्त)
8.	2010-11	अफ्रीका	मलावी	मलावी सरकार	50.00	कपास प्रसंस्करण सुविधाएं, ग्रीन बेल्ट पहल और एक गांव एक उत्पाद परियोजना
9.	2010-11	अफ्रीका	मॉरीशस	मॉरीशस सरकार	48.50	मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से अपतटीय पेट्रोल वर्तन
10.	2010-11	अफ्रीका	मोज़ाम्बिक	मोज़ाम्बिक सरकार	25.00	काबो डेलगाडो, मानिका निआसो प्रांतों की ग्रामीण विद्युतीकरण
11.	2010-11	अफ्रीका	मोज़ाम्बिक	मोज़ाम्बिक सरकार	20.00	चावल, गेहूं, मक्का की खेती की उत्पादकता बढ़ाना
12.	2010-11	अफ्रीका	सेनेगल	सेनेगल की सरकार	27.50	ग्रामीण विद्युतीकरण
13.	2010-11	अफ्रीका	तंज़ानिया	तंजानिया की सरकार	36.56	679 (पहले 723) वाहनों की खरीद का वित्तपोषण
14.	2010-11	अफ्रीका	पश्चिम अफ्रीका	निवेश और विकास (ई-बीड), पश्चिम के लिए इकोवास बैंक अफ्रीका	150.00	वस्तुओं और सेवाओं और परियोजना निर्यातों का निर्यात
15.	2010-11	एशिया	कंबोडिया	कंबोडिया की सरकार	15.00	लिलमिलाए तसल जल विकास परियोजना को पूरा करना
16.	2010-11	एशिया	लाओ पीडीआर	लाओ पीडीआर सरकार	72.55	(i) नाबोंग से थाबोक और उप-स्टेशन तक 230 के बी डबल सर्किट ट्रांसमिशन (34.68 मिलियन अमरीकी डॉलर), (ii) थाबोक और नाबोग उप स्टेशन का 230 के बी तक विस्तार (12 मिलियन अमरीकी डॉलर) और (iii) लाओ पीडीआर में नाम गनुंग-लास्को, 115 के बीच ट्रांसमिशन लाइन और उप-स्टेशन (23.25 मिलियन अमरीकी डॉलर)

1	2	3	4	5	5	6
17.	2010-11	एशिया	मालदीव	मालदीव सरकार	40.00	500 आवासीय इकाइयों का निर्माण
18.	2010-11	एशिया	नेपाल	नेपाल सरकार	250.00	राजमार्गों, हवाईअड्डों, पुलों और सिंचाई परियोजनाओं जैसे अवसंरचना वित्तपोषण
19.	2010-11	एशिया	श्रीलंका	श्रीलंका की सरकार	382.37	(i) पैलाई-कंकेसंथूरी रेलवे लाइन पर ट्रैक बिछाना (ii) उत्तरी रेलवे लाइन के लिए सिगनल और दूरसंचार प्रणाली स्थापित करना और (iii) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य परियोजनाएं (146.51 मिलियन अमरीकी डॉलर)

क्र. सं.	अनुमोदन का वर्ष	क्षेत्र	देश	ऋण शृंखला प्राप्तकर्ता का नाम	ऋण की राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर)	प्रयोजन
1	2	3	4	5	5	6
1.	2011-12	अफ्रीका	बुर्किना फासो	बुर्किना फासो सरकार	22.50	बुर्किना फासो में कम लागत के आवास और किफायती इमारतों की परियोजना
2.	2011-12	अफ्रीका	कैमरून	कैमरून सरकार	42.00	कसावा वृक्षारोपण परियोजना
3.	2011-12	अफ्रीका	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	मध्य अफ्रीकी गणराज्य सरकार	20.00	खनन परियोजना का विकास
4.	2011-12	अफ्रीका	मध्य अफ्रीका गणराज्य	मध्य अफ्रीकी गणराज्य सरकार	39.69	दो पनबिजली परियोजना
5.	2011-12	अफ्रीका	चाड	चाड सरकार	40.32	तीन परियोजनाओं के यथा वित्तपोषण के लिए (i) पशु फ्रीड संयंत्र (9.3 मिलियन अमरीकी डॉलर) (ii) ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना (सौर ऊर्जा) (15 मिलियन अमेरिकी डॉलर); (iii) चाड में कताई मिल (बुनाई और प्रसंस्करण क्षमता के अलावा) (15.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का विस्तार

1	2	3	4	5	5	6
6.	2011-12	अफ्रीका	चाड	चाड सरकार	18.08	भेषजी विनिर्माण संयंत्र
7.	2011-12	अफ्रीका	इथियोपिया	इथियोपिया सरकार	47.00	चीनी उद्योग का विकास
8.	2011-12	अफ्रीका	गैबन	गैबन सरकार	67.19	व्यापक कास्टिंग सुविधाओं की पुनर्स्थापना और उन्नयन
9.	2011-12	अफ्रीका	जाम्बिया	जाम्बिया सरकार	16.88	नेशनल असेंबली भवन परिसर को पूरा किया जाना
10.	2011-12	अफ्रीका	घाना	घाना सरकार	35.00	चीनी संयंत्र
11.	2011-12	अफ्रीका	मलावी	मलावी सरकार	76.50	सिंचाई नेटवर्क और चीनी प्रसंस्करण उपकरण और ईंधन भंडारण की सुविधा
12.	2011-12	अफ्रीका	माली	माली सरकार	100.00	बुगुनी के माध्यम से बामाको और सिकासो को जोड़ने वाली विद्युत पारेषण परियोजना
13.	2011-12	अफ्रीका	मोज़ाम्बिक	मोज़ाम्बिक सरकार	13.00	सौर फोटो वोल्टायिक मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्र
14.	2011-12	अफ्रीका	मोज़ाम्बिक	मोज़ाम्बिक सरकार	250.00	मोजाम्बिक में बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार
15.	2011-12	अफ्रीका	आर कांगो	कांगो गणराज्य सरकार	70.00	ग्रामीण विद्युतीकरण
16.	2011-12	अफ्रीका	सेनेगल	सेनेगल सरकार	19.00	मत्स्य विकास परियोजना
17.	2011-12	अफ्रीका	स्वाज़ीलैंड	स्वाज़ीलैंड सरकार	37.90	स्वाज़ीलैंड में कृषि विकास और कृषि का यंत्रीकरण
18.	2011-12	अफ्रीका	तंजानिया	तंजानिया सरकार	178.13	दार-एस-सलाम के लिए जलापूर्ति योजनाएं
19.	2011-12	अफ्रीका	टोगो	टोगो सरकार	15.00	ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना
20.	2011-12	अफ्रीका	टोगो	टोगो सरकार	13.10	टोगो में कृषि और चावल, मक्का और सोरघुम की खेती तथा जुताई
21.	2011-12	अफ्रीका	जाम्बिया	जाम्बिया सरकार	50.00	पूर्व-निर्मित स्वास्थ्य संबंधी पद
22.	2011-12	एशिया	सीरिया	सीरिया सरकार	100.00	तिशरीन ताप विद्युत परियोजना
23.	2011-12	एलएसी	क्यूबा	बेंको एक्सटिरियर डी क्यूबा	5.00	क्यूबा के कैमागुए प्रांत में दूध पाउडर प्रसंस्करण संयंत्र
24.	2011-12	एलएसी	गुयाना	गुयाना सरकार	19.00	मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल

क्र. सं.	अनुमोदन का वर्ष	क्षेत्र	देश	ऋण शृंखला प्राप्तकर्ता का नाम	ऋण की राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर)	प्रयोजन
1	2	3	4	5	5	6
1.	2012-13	अफ्रीका	बेनिन	बेनिन सरकार	15.00	ट्रैक्टर एसेम्बली संयंत्र और कृषि उपकरण विनिर्माण इकाई
2.	2012-13	अफ्रीका	बुरुंडी	बुरुंडी सरकार	4.22	फार्म मशीनीकरण
3.	2012-13	अफ्रीका	बुरुंडी	बुरुंडी सरकार	0.17	बुरुंडी में एक एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण परिसर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
4.	2012-13	अफ्रीका	मोज़ाम्बिक	मोज़ाम्बिक सरकार	19.72	ग्रामीण पेजयल परियोजना विस्तार
5.	2012-13	अफ्रीका	मोज़ाम्बिक	मोज़ाम्बिक सरकार	149.72	मोज़ाम्बिक में टिका, बुजी और नोवा सोफाला के बीच सड़क की पुनर्स्थापना
6.	2012-13	अफ्रीका	सेनेगल	सेनेगल सरकार	41.96	सेनेगल में एक आधुनिक बूचड़खाना, मांस प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, परत चढ़ाने और चमड़े का कारखाना संयंत्र और मार्केट प्लेस की स्थापना
7.	2012-13	अफ्रीका	सूडान	सूडान सरकार	125.00	मुश्कूर चीनी परियोजना (150 मिलियन अमरीकी डॉलर की द्वितीय ट्रांश)
8.	2012-13	अफ्रीका	जिम्बाब्वे	जिम्बाब्वे सरकार	28.60	जिम्बाब्वे में डेका पंपिंग स्टेशन और नदी के जल ग्रहण की प्रणाली का उन्नयन
9.	2012-13	एशिया	म्यांमार	म्यांमार विदेश व्यापार बैंक, म्यांमार	198.96	म्यांमार में सिंचाई परियोजना में 16 चल रही सिंचाई योजनाएं और 2 पुनर्वास योजनाएं
10.	2012-13	एलएसी	क्यूबा	बैंको एक्सटिरियर डी क्यूबा	2.71	क्यूबा में थोक सम्मिश्रण उर्वरक संयंत्र
11.	2012-13	एलएसी	निकारागुआ	निकारागुआ सरकार	10.00	दो बिजली के सबस्टेशनों के निर्माण के लिए भारत से उपकरणों की आपूर्ति

1	2	3	4	5	5	6
12.	2012-13	एलएसी	पनामा	पनामा सरकार	10.00	पनामा सिटी में एक जैव विविधता और ड्रग डिस्कवरी सैंटर (बीडीसीसी) की स्थापना
13.	2012-13	ओशिनिया	फिजी आइलैंड	फिजी सरकार	5.38	फिजी में चीनी उद्योग का उन्नयन

क्र. सं.	अनुमोदन का वर्ष	क्षेत्र	देश	ऋण शृंखला प्राप्तकर्ता का नाम	ऋण की राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर)	प्रयोजन
1	2	3	4	5	5	6
1.	2013-14	अफ्रीका	बेनिन	बेनिन सरकार	42.61	बेनिन में 69 गांवों में जलापूर्ति योजनाओं का उन्नयन
2.	2013-14	अफ्रीका	डी.आर. कांगो	डॉ कांगो सरकार	82.00	कातेंदे जल विद्युत परियोजना
3.	2013-14	अफ्रीका	जिबूती	जिबूती	15.13	अली सबीहा सीमेंट परियोजना, जिबूती
4.	2013-14	अफ्रीका	इथियोपिया	इथिरोपिया सरकार	300.00	इथियो-जिबूती रेल लाइन परियोजना
5.	2013-14	अफ्रीका	घाना	घाना सरकार	5.00	घाना की राष्ट्रीय कृषि फील्ड निर्माण परियोजना के लिए स्पेयर पार्ट्स सहित डी 155 बुलडोजरों की 12 इकाइयों की अधिप्राप्ति
6.	2013-14	अफ्रीका	गिनी	गिरी सरकार	35.00	स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना
7.	2013-14	अफ्रीका	लाइबेरिया	लाइबेरिया सरकार	144.00	विद्युत पारेषण और वितरण परियोजना
8.	2013-14	अफ्रीका	मॉरिशस	मॉरिशस सरकार	46.00	विशेष उपकरणों और वाहनों की खरीद
9.	2013-14	अफ्रीका	मॉरिशस	मॉरिशस सरकार	18.00	वाटरसैट फास्ट अटैक क्राफ्ट के अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए
10.	2013-14	अफ्रीका	मोज़ाम्बिक	मोज़ाम्बिक सरकार	47.00	मोजाम्बिक में 1200 मकानों का निर्माण
11.	2013-14	अफ्रीका	नाइजर	नाइजर सरकार	34.54	30 गांवों का सौर विद्युतीकरण और 5 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टायिक प्रणाली

1	2	3	4	5	5	6
12.	2013-14	अफ्रीका	नाइजर	नाइजर सरकार	25.00	अर्ध शहरी और ग्रामीण समुदायों के लिए पीने का पानी
13.	2013-14	अफ्रीका	आर कांगो	कांगो गणराज्य सरकार	89.90	परिवहन प्रणाली का विकास
14.	2013-14	अफ्रीका	रवांडा	रवांडा सरकार	120.05	(i) निर्यात लक्षित आधुनिक सिंचाई कृषि परियोजना (60.22 मिलियन अमरीकी डॉलर); और (ii) निर्यात लक्षित आधुनिक सिंचाई कृषि परियोजना (59.83 मिलियन अमरीकी डॉलर) का विस्तार
15.	2013-14	अफ्रीका	सिएरा लियोन	सियरा लियोन सरकार	30.00	टोमाबुम, सियरा लियोन में सिंचाई विकास
16.	2013-14	अफ्रीका	सिएरा लियोन	सियरा लियोन सरकार	15.00	सिएरा लियोन में चार समुदायों में मौजूदा पीने योग्य पानी की सुविधा की पुनर्स्थापना के लिए चल रही परियोजनाओं का विस्तार
17.	2013-14	अफ्रीका	सूडान	सूडान सरकार	45.17	मौजूदा ऋण शृंखला के मामले में परिवर्तन के लिए ऑपरेटिव ऋण शृंखला के तहत ब्याज का पूंजीकरण
18.	2013-14	अफ्रीका	टोगो	टोगो सरकार	30.00	150 बस्तियों को कवर करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
19.	2013-14	अफ्रीका	टोगो	टोगो सरकार	52.00	161 केवी पावर ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना
20.	2013-14	एशिया	कंबोडिया	कंबोडिया सरकार	36.92	स्टंग स्वा हैब/स्लैब जल संसाधन विकास परियोजना
21.	2013-14	एशिया	लाओ पीडीआर	लाओ पीडीआर सरकार	30.94	भंडारण बांधों का निर्माण और लाओ पीडीआर के चार प्रमुख प्रांतों में सिंचाई प्रणाली का विकास
22.	2013-14	एशिया	म्यांमार	म्यांमार विदेश व्यापार बैंक, म्यांमार	155.00	रोलिंग स्टॉक, उपकरण की अधिप्राप्ति और मशीनरी की अधिप्राप्ति से तीन प्रमुख रेलवे वर्कशॉपों का उन्नयन

1	2	3	4	5	5	6
23.	2013-14	एशिया	श्रीलंका	श्रीलंका सरकार	200.00	सामपुर विद्युत परियोजना
24.	2013-14	एलएसी	क्यूबा	बैंको एक्सटिरियर डी क्यूबा	5.05	हवाना में एक अंत:क्षेपित उत्पाद संयंत्र का आधुनिकीकरण
25.	2013-14	एलएसी	होंडुरास	होंडुरास सरकार	26.50	होंडुरास में जामस्ट्रान घाटी में कृषि और सिंचाई अवसंरचना का विकास

भारत—पाकिस्तान के बीच व्यापार

1227. श्री असादूद्दीन ओवैसी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गये अध्ययन के अनुसार भारत—पाकिस्तान के बीच व्यापार संभावना में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत—पाकिस्तान के बीच व्यापार संभावना के अध्ययन में उल्लिखित अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए क्षेत्रों और वस्तुओं की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) आईसीआरआईईआर द्वारा प्रकाशित "भारत – पाकिस्तान व्यापार सामान्यीकरण" शीर्षक के कार्यपत्र संख्या 267 के अनुसार, भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार संभाव्यता 10.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 19.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) अध्ययन से यह पता चला है कि वस्त्र क्षेत्र, ऑटोमोबाइल क्षेत्र तथा सूचना प्रौद्योगिकी, बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ), स्वास्थ्य एवं मनोरंजन सेवाओं जैसे सेवा क्षेत्रों में वृहद् व्यापार संभावनाएं मौजूद हैं।

(ग) और (घ) दोनों ने वस्त्र, कृषि उत्पाद, पशु चारा, जिप्सम, रसायन, पेट्रोलियम उत्पाद इत्यादि सहित विविध क्षेत्रों में व्यापार अवसरों को अभिज्ञात किया है। साफ्टा (दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र) प्रक्रिया के तहत अधिमानी व्यापार व्यवस्थाएं भी निर्धारित की गई हैं।

मुम्बई में क्षारीय प्रायद्वीप

1228. डॉ. किरीट सोमैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मुम्बई में क्षारीय प्रायद्वीप विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ किसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में क्षारीय प्रायद्वीप के स्वामित्व के परावर्तन के संबंध में कोई आदेश जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) जी, नहीं। मुंबई में नमक क्यारी भूमि के विकास के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने महाराष्ट्र सरकार के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) मुम्बई उप-नगरीय जिले के विभिन्न गांवों में केन्द्र सरकार के लगभग 2978 एकड़ नमक क्यारी भूमि के संबंध में जिलाधीश, मुंबई उप-नगरीय जिला, महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 4 जनवरी, 2014 को एक आदेश जारी किया है। नमक आयुक्त संगठन ने उक्त आदेश के विरुद्ध प्रभागीय आयुक्त, कोंकण प्रभाग के समक्ष एक याचिका दायर की है, जो लंबित है।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

1229. श्री नारणभाई काछादिया : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वंचित वर्ग की माताओं को सशर्त नकद अंतरण लाभ प्रदान करने के लिए संचालित इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार कितने जिलों को शामिल किया गया है और इस प्रयोजन के लिए जिले का चयन करने के क्या मानदंड स्थापित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार यह योजना देश के शेष जिलों में भी लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्री मेनका संजय गांधी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्कीम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज, हैदराबाद में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया था।

(ग) स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए जिलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह स्कीम वर्तमान में देशभर में 53 चुनिंदा जिलों में चल रही है। जिलों का चयन स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित 6 संसूचकों के आधार पर समग्र संसूचक का उपयोग करके किया गया है। अच्छे, कमजोर और मध्यम कार्यनिष्पादन वाले जिलों के समग्र को कार्यान्वयन की सफलता की जांच करने के लिए चुना गया है अर्थात् मांग और पूर्ति, प्रक्रियाएं और शर्तें।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कवर किए गए जिले
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	दक्षिण अंडमान
2.	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी और नलगोंडा
3.	अरुणाचल प्रदेश	पापुमपुरे
4.	असम	कामरूप और गोलपारा
5.	बिहार	वैशाली और सहरसा
6.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
7.	छत्तीसगढ़	धमतारी और बस्तर
8.	दादरा और नगर हवेली	दादरा व नगर हवेली
9.	दमन और दीव	दीव
10.	दिल्ली	पश्चिम बौर उत्तर-पश्चिम
11.	गोवा	उत्तर गोवा
12.	गुजरात	भरुच और पाटन
13.	हरियाणा	पंचकुला
14.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर
15.	जम्मू और कश्मीर	कठुआ और अनंतनाग
16.	झारखंड	पूर्व सिंहभूम और सिमडेगा
17.	कर्नाटक	कोलार और धारवाड़
18.	केरल	पलक्कड़
19.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप
20.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा और सागर
21.	महाराष्ट्र	भंडारा और अमरावती
22.	मणिपुर	तमेंगलाइ
23.	मेघालय	ई गारो हिल्स
24.	मिज़ोरम	लोंगलाइ
25.	नागालैंड	कोहिमा
26.	ओडिशा	बारगढ़ और सुंदरगढ़
27.	पुदुचेरी	यनम

1	2	3
28.	पंजाब	अमृतसर और कपूरथला
29.	राजस्थान	भिलवाड़ा और उदयपुर
30.	सिक्किम	पश्चिम सिक्किम
31.	तमिलनाडु	कुड्डालोर और इरोड
32.	त्रिपुरा	धलाइ
33.	उत्तर प्रदेश	महौबा, सुलतानपुर*
34.	उत्तराखंड	देहरादून
35.	पश्चिम बंगाल	जलपाइगुड़ी और बांकुरा

*छत्रपति साहूजी महाराज नगर के मुसाफिरखाना, अमेठी, गौरीगंज तहसील शामिल हैं।

[हिन्दी]

स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से चिकित्सा

1230. श्री गणेश सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्टेम सेल के माध्यम से चिकित्सा आरंभ हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में उक्त चिकित्सा कब से की जा रही है;

(ग) देश के उन अस्पतलों का ब्यौरा क्या है जहां स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से चिकित्सा की जा रही है;

(घ) स्टेम सेल अनुसंधान और रोगोपचार शुरू करने हेतु अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा तैयार दिशा-निर्देश का ब्यौरा क्या है तथा देश में इससे संबंधित क्रियाकलापों को विनियमित करने तथा उन पर निगरानी रखने के लिए क्या तंत्र है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में स्टेम सेल अनुसंधान और रोगोपचार से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि निर्धारित, आवंटित और प्रयोग की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) और (ख) आईसीएमआर ने उल्लेख किया है कि वर्तमान में हिमेटोलोजिकल विकारों के लिए हिमेटोपिटिक स्टेम सेल प्रतिरोपण (एचएससीटी) छोड़कर स्टेम सेल थेरेपी के लिए कोई अनुमोदित दिशा-निर्देश नहीं हैं। तद्नुसार उपर्युक्त को छोड़कर सभी स्टेम सेल थेरेपी को अन्वेषणात्मक माना जायेगा और आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् केवल नैदानिक परीक्षण के रूप में उन्हें संचालित किया जायेगा। नैदानिक परीक्षण के दायरे से बाहर किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्टेम सेल के उपयोग को अनैतिक माना जायेगा और इसलिए उसकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ग) आईसीएमआर ने सूचित किया है कि उन्हें देश में स्टेम सेल थेरेपी प्रदान करने वाले अस्पतालों के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(घ) स्टेम सैल अनुसंधान और थेरेपी हेतु 2007 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् और जैव-प्रौद्योगिकी विज्ञान ने संयुक्त रूप से दिशा-निर्देश जारी किए। इस क्षेत्र में विकास और पणधारकों के दृष्टिकोण पर विचार करते हुए, दिसंबर, 2013 में 2007 के दिशा-निर्देश को संशोधित किया गया और सितम्बर, 2013 में अंतिम रूप दिया गया था और राष्ट्रीय स्टेम सेल अनुसंधान दिशा-निर्देश नाम दिया गया था। उक्त दिशा-निर्देश की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

राष्ट्रीय स्टेम सैल अनुसंधान दिशा-निर्देश (2013) के अनुसार, संस्थागत आचार समिति (आईईसी के अतिरिक्त) संस्थागत एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्टेम सेल अनुसंधान की समीक्षा एवं मॉनीटरिंग हेतु संस्थागत स्टेम सेल अनुसंधान समिति (आईसी-एससीआर) तथा राष्ट्रीय स्टेम सेल अनुसंधान एवं थेरेपी शिखर समिति (एनएसी-एससीआरटी) के रूप में पर्यवेक्षण का एक अतिरिक्त स्तर शुरू किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय स्टेम सेल अनुसंधान और थेरेपी शिखर समिति (एनएसी-एससीआरटी) की तथा संस्थान स्तर पर स्टेम सेल अनुसंधान हेतु संस्थानात्मक समिति (आईसी-एससीआर) की स्थापना की परिकल्पना करते हैं। ये समितियां यह सुनिश्चित करेंगी कि स्टेम सेल अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा, अनुमोदन और निगरानी, राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार अथक और प्रभावी ढंग से की जा रही है। अतिरिक्त समीक्षा की यह प्रणाली स्वीकार कर ली गई है। और दिनांक 29 अक्तूबर, 2012 को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाने के पश्चात् अपेक्षित एनएसी-एससीआरटी ने कार्य आरंभ कर दिया है।

राष्ट्रीय स्टेम सेल अनुसंधान दिशा-निर्देश अनुसंधानकर्ताओं, संगठनों, प्रायोजकों, सिंहावलोकन/विनियामक तथा सभी प्रकार की मानक मूल

कोशिकाओं और उनके व्युत्पन्नों के संबंध में मूल तथा नैसर्गिक अनुसंधान से जुड़ी अन्य समितियों समित सभी पणधारियों पर लागू होंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आदेश दिनांक 01.09.2010 द्वारा "स्टेम सेल, मानव जीन मैनीपुलेशन और जीनोट्रांसप्लांटेशन प्रौद्योगिकी से व्युत्पन्न थेराप्युटिक उत्पादों" के लिए नैदानिक परीक्षण और बाजार प्राधिकार के अनुमोदन के लिए विनियामक मार्ग से संबंधित मामलों में डीसीजीआई को परामर्श देने के लिए आईसीएमआर और सचिव, डीएचआर की अध्यक्षता में "सेलुलर बायोलॉजी आधारित थेराप्युटिक औषध मूल्यांकन समिति (सीबीबीटीडीईसी)" नामक विशेषज्ञों के नई औषधि के प्रमुख अन्वेषणात्मक पैनल का गठन किया है। सीबीबीटीडीईसी ने देश में कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए ज्ञान और क्षमता के सहयोग से स्टेम सेल अनुसंधान के लिए अलग खंड की स्थापना के द्वारा विनियामक एजेंसी (डीसीजीआई) को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया है। तद्नुसार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, औषध महानियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ने दिनांक 16.03.2012 के आदेश द्वारा सीबीबीटीडीईसी को रेफर करने से पहले नैदानिक परीक्षण और विपणन प्राधिकार से संबंधित स्टेम सेल सहित सभी प्रस्तावों के आंतरिक मूल्यांकन संगठन (मुख्यालय) में जैविक प्रभाग के भीतर स्टेम सेल प्रभाग की स्थापना की है।

(ङ) मूलभूत/नैदानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के अतिरिक्त आईसीएमआर स्टेम सेल अनुसंधान के क्षेत्र में क्रियाकलापों को बढ़ावा दे रहा है। स्टेम सेल अनुसंधान के लिए अलग से कोई अनुदान/निधि निर्धारित नहीं थी। आईसीएमआर के अतिरिक्त जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) भी स्टेम सेल अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान क्रियाकलापों को बढ़ावा दे रहे हैं।

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित तथा उपयोग की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

स्टेम सेल अनुसंधान के क्षेत्र में वित्त पोषित परियोजनाएं मूलभूत विज्ञान की प्रकृति वाली हैं। वर्ष 2013 तक पूर्ण किए गए अध्ययनों के परिणाम संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण-III और IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

स्टेम सैल अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों की महत्वपूर्ण विशेषताएं (2013)

- स्टेम सैल थेरेपी हेतु राष्ट्रीय दिशा-निर्देश 2013 इस बात पर बल देता है कि मानव भागीदारों को शामिल करने वाले जैव चिकित्सा अनुसंधान के सामान्य सिद्धांत सभी मानव स्टेम सैल अनुसंधान के लिए भी लागू होंगे।
- दिशा-निर्देशों यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं कि मानव स्टेम सैल पर अनुसंधान जिम्मेदारी और नैतिक तरीके से किया जाता है तथा सामान्यत: जैव चिकित्सा अनुसंधान से संबंधित और विशेषकर स्टेम सेल अनुसंधान से संबंधित सभी विनियामक अपेक्षाओं का भी अनुपालन किया जाता है।
- इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल (आईपीएससी), जोनो – फ्री कल्चर, थेरेपी हेतु सेल उत्पाद के लक्षण और अंतर्राष्ट्रीय संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुकूल बनाने से संबंधित क्षेत्र में अद्यतन दिशा-निर्देशों ने प्रगतियों को शामिल किया है।
- समिति की एक प्रमुख सिफारिश है कि दिशा-निर्देशों के शीर्षक से थेरेपी शब्द को हटाया जाए। यह इस तथ्य पर बल देने के लिए किया गया है कि स्टेम सेल अभी भी परिचर्या के मानक का भाग नहीं है, अत: थेरेपी के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए जा सकते जबतक कि इसकी प्रभावकारिता सिद्ध न हो जाए।
- ये दिशा-निर्देश मूलभूत तथा ट्रांसनेशनल, दोनों मूल (स्टेम) कोशिका अनुसंधान को ही जारी करने हेतु अभिप्रेत है न कि थिरेपी को। इन दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल अनुमोदित इंडीकेशन के लिए हीमेटोपाइटिक मूल कोशिका पुनर्गठन के सिवाय रोगियों में प्रयुक्त कोई भी अन्य मूल कोशिका अन्वेषणात्मक हो। तद्नुसार रोगियों में कोई भी मूल कोशिका प्रयोग उन्नत विज्ञान तथा चिकित्सा की मंशा के साथ अनुमोदित तथा अनुवीक्षित नैदानिक परीक्षण के दायरे में किया जाना चाहिए न कि इसकी थिरेपी के रूप में एक प्रस्ताव के रूप में। इस कड़ी परिभाषा के अनुसार अनुमोदित नैदानिक परीक्षणों से इतर रोगियों में मूल कोशिकाओं के प्रत्येक प्रयोग को कुप्रथा माना जाएगा। ऐसी आशा है कि यह स्पष्ट परिभाषा असाध्य रोगों के उपचार के लिए एक नए साधन के रूप में प्रस्ताव की जा रही स्टेम कोशिका थिरेपी की कुप्रथा को रोकने में मदद करेगी।
- ये दिशा-निर्देश अनुसंधानकर्त्ताओं, संगठनों, प्रायोजकों, सिंहावलोकन/विनियामक समितियों तथा सभी प्रकार की मानक मूल कोशिकाओं और उनके व्युत्पन्नों के संबंध में मूल तथा नैसर्गिक अनुसंधान से जुड़ी अन्य समितियों सहित सभी पणधारियों पर लागू होंगे।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा आवंटित और उपयोग की गयी निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014 — आज की तिथि तक
नई परियोजनाओं के लिए आबंटन	1,87,92,230 रुपए	2,67,20,833 रुपए	—	—
चल रही परियोजनाओं के लिए उपयोग किया निधि	1,12,02,940 रुपए	1,32,94,058 रुपए	1,50,13,000 रुपए	22,33,000 रुपए

जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	2011-12	2012-13 (अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया गया)	2013-144 (अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया गया)	2014 — आज की तिथि तक
नई परियोजनाओं के लिए आवंटन	9.50 करोड़ रुपए	203.00 करोड रुपए के चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी का हिस्सा है।	228.00 करोड रुपए के चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी का हिस्सा है।	बजट अब तक आवंटित नहीं किया गया है।
चल रही परियोजनाओं के लिए उपयोग किया निधि	9.38 करोड़ रुपए	7.10 करोड़ रुपए	7.45 करोड़ रुपए	—

विवरण-III

पिछले प्रत्येक तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान परिणाम सहित स्टेम सेल अनुसंधान और थेरेपी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर सरकार (डीबीटी) द्वारा निर्धारित आबंटित और उपयोग की गई निधियां

वित्त वर्ष	आबंटित कुल बजट	दिया गया कुल व्यय	परिणाम
1	2	3	4
2011-12	950 करोड़ रुपए	9.38 करोड़ रुपए	➢ चार पृथक समितियां अर्थात् (i) मानव अध्ययन समिति (ii) राष्ट्रीय आचार संहिता समिति (iii) स्टेम सेल और रिजनरेटिव औषण पर कार्य बल समिति (iv) तकनीकी परामर्शदात्री समिति द्वारा नैदानिक अनुसंधान प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है।

1	2	3	4
2012-13	इस वित्त वर्ष के दौरान स्टेम सेल अनुसंधान के लिए पृथक बजट का आबंटन किया गया। स्टेम सेल अनुसंधान का बजट मेडिकल जैव प्रौद्योगिकी बजट का भाग है — 203.00 करोड़ रुपए	7.10 करोड़ रुपए	➢ प्रणाली का पालन करते हुए वयस्क और एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल और इंड्यूस्ड स्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के विभिन्न पहलुओं से संबंधित परियोजनाओं को लागू किया। कुछ अग्रणी अनुसंधान (क) नए इंडक्शन प्रणालियों का उपयोग करते हुए वयस्क स्टेम सेल से अधिक गुणकारी, कार्यात्मक रूप से सक्रिय न्यूरोन्स और कार्डियोमायोसाइट्स का अधिक सृजन (ख) चूहे के मॉडल में लेबे बोन मेरो विकारों के मामलों में चोट के स्थान पर बायोकंपोसिट स्कैफोल्ड्स का प्रयोग करते हुए स्टेम सेल का प्रत्यारोपण (ग) इममोर्टलकृत मानक त्वचा फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन से वातानुकूलित माध्यम का उपयोग करते हुए ईएससी हेतु फीडरमुक्त कल्चर प्रणाली का विकास करना और (घ) चूहों में आईपीएससी लाइलों का सृजन। ➢ जेएनसीएएसआर, बेंगलूरु और एनआईआरआरएच, मुंबई में एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल के अलग किए हुए ग्रेड-III ब्लास्टोसिस्ट से सृजन किया गया है। इन सेल लाइनों का उपयोग अनुसंधान उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। ➢ अनुसधानकर्ताओं और क्लिनिशियनों द्वारा बड़ी संख्या में मानव रोग के लिए पशु मॉडलों का विकास किया गया है। ➢ ऑटोलोगस वयस्क स्टेम सेलों का उपयोग करते हुए बहु-केन्द्रिक बहु-अन्वेषणकर्त्ताओं क्लीनिकल अध्ययनों को लागू किया गया। ➢ डीबीटी — क्रेस्ट पुरस्कार योजना के तहत स्टेम सेल और रिजनरेटिव मेडिसीन के विभिन्न पहलुओं पर विदेश में प्रशिक्षण के लिए युवा अनुसंधानकर्त्ताओं का चयन किया गया है तथा उन्हें विख्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। अब उन्होंने इस क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए मेजवान संस्थाओं में आ गए हैं।
2013-14	इस वित्त वर्ष के दौरान स्टेम सेल अनुसंधान के लिए पृथक बजट का आबंटन किया गया। स्टेम सेल अनुसंधान का बजट मेडिकल जैव प्रौद्योगिकी बजट का भाग है — 228.00 करोड़ रुपए	7.45 करोड़ रुपए	➢ देश में विभिन्न संस्थाओं और अस्पतालों में स्वच्छ कक्ष और जीएमपी सुविधाओं को क्रियाशील बनाया गया है। ➢ बेंगलूरु में 'स्टेम सेल साइंस एवं रिजनरेटिव मेडिसीन संस्थान' की स्थापना की गई है। ➢ सीएमसी-डीबीटी स्टेम सेल अनुसंधान केन्द्र को सीएमसी वेल्लोर में स्टेम में ट्रांसलेशन इकाई के रूप में स्थापित किया गया और ट्रांसलेशनल स्टेम सेल अनुसंधान करने के लिए बेंगलूरु में केन्द्र स्थापित किया गया।

विवरण-IV

कुछ अध्ययन के निष्कर्ष (आईसीएमआर)

एम्स, नई दिल्ली में आयोजित बायोकम्पोजिट स्कैफोल्ड में मेसेनशार्मल स्टेम सेल का बोन टिश्यू इंजीनियरिंग हेतु आस्टियोब्लास्ट में 3डी विस्तार और अवकलन: फ्रिज में सुखाने की विधि द्वारा मिटोसिन, हाइड्रोक्सीपेटाइट, पोलीकेपरोलेक्टोन का उपयोग करते हुए निर्धारित अनुपात में तैयार बायोकम्पोजिट जैव निम्नीकरणीय और बायोकमपेटिबल को तैयार करने हेतु लागत प्रभावी और कम श्रमसाध्य विधि है जो पुराना हड्डी की कमी के उपचार में टीश्यू इंजीनियरिंग हेतु विश्वसनीय तंत्र है। पेटेंट: स्काफोल्ड तैयारी विधि की पेटेंटिग चल रही है।

डेसीडूयस से पृथक डेंटल पल्प मेसेनचाईमल स्टेम सेल और लक्षण वर्णन संबंधी अध्ययन का डोपामिनरगिक न्यूरोन और इस्लेट सेल में व्यस्क मनुष्य और उस के भेदभाव प्रथम बार में आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि एम्ब्रायोनिक मिडब्रेन क्यूज की उपस्थिति में डीपीएससी कार्यात्मक डोपामिनर्जिक सेल-प्रकार के प्रति प्रवृत्ति की कुशलता को दर्शाता है। परिणाम दर्शाते हैं कि अल्डीनेट हाइड्रोडेल में गतिहीन डीपीएससी उच्च सेल व्यवहार्यता को बनाए रखते समय आस्टीमोजेनिक क्षमता को दर्शाता है जिसमें दोनों हड्डी टिश्यू के पुनर्जनन हेतु प्राथमिक है। डीपीएससी और शेड का विस्तृत चित्रण सर्वोत्तम संवर्धन स्थितियों को परिभाषित करता है और यह भी सुझाव देता है कि आईलेट और डोपामिनेरगिक सेल प्रकार के संबंध में कुशलता भेदभाव में परिवर्तन दर्शाता है।

सीसीएमबी, हैदराबाद में आयोजित नॉन-इनवेसिव मैगनेटिक रेसोनेंस इमेजिंग (एमआरआई) द्वारा पशु मॉडल में नोवल ट्रेसिंग प्रोब निगरानी लिवर फाईब्रोसिस एवं लिवर फेलियर की उपयोग: संबंधी तकनीक जांचकर्त्ताओं ने प्रोब का बिट्रो चित्रण किया है और सामान्य विवों में इसकी क्षमता की चूहों पर जांच की और लिवर फाइब्रोसिस के उपयुक्त वैध मॉडल का प्रयोग करते हुए नग्न चूहों की जांच की। परिणाम स्पष्टत: दर्शाते हैं कि लक्षित प्रोबस के रूप में डीफ्यूसिबल पेपटाईड्स और एनआईआर फ्लोरीसेंट कोट्रास्ट एजेंट के रूप में पोफीटिन ही उपयोगिता है।

मैकुल डीजनरेशन और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा संबंधी ड्राई उम्र के रोगी के पुनर्वास में ऑटोलॉगस अस्थि मज्जा व्युत्पन्न स्टेम सेल के इस्तेमाल पर अध्ययन: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इंट्रावाइट्रियल ऑटोलॉगस अस्थि मज्जा व्युत्पन्न स्टेम सेल थेरेपी इलेक्ट्रोफिजिकल अध्ययन में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दे रहा है और पता चला कि नेत्रहीन रेटिना अपक्षयी विकार विरासत में मिलते हैं और अधिग्रहण दोनों को निष्क्रिय करने के लिए एक होनहार और सुरक्षित उपचार है।

इंडियन स्पाइनल इंजरी केंद्र में व्यक्तियों ग्रस्त से इंजरी कार्ड स्पाइनल तीव्र में दिल्ली नई, ऑटोलोगस बोन मैरो सेल प्रत्यारोपण का अध्ययन: अध्ययन में पाए निष्कर्ष चार अन्य मानव परीक्षण से भिन्न हैं जो अब तक प्रकाशित एससीआई विषयों में ऑटोलोगस बोन मैरो सेल का प्रत्यारोपण किया गया था जिससे हमारे अध्ययन में कोई प्रभावोत्पादकता नहीं दर्शाई जा सकती जिसे प्रक्रिया को समर्पित किया जा सके।

न्यूरल स्टेम सेल प्रोलिफिरेशन, माइग्रेशन और डिफ्रेन्सिएशन (न्यूरोजेनेसिस) पर जीनोएस्ट्रोजेन विस्फएनोल-ए के प्रभावों का अध्ययन-सेलुलर और मॉलिक्यूलर मेकेनिज्म का आयोजन आईआईटीआर, लखनऊ में किया गया था जिसने प्रमुख मॉलिक्यूल्स की पहचान को दर्शाया जो बीपीए एक्सपोजर के दौरान परिवर्तित न्यूरोजेनेसिस पाथवे के नियंत्रण बिन्दुओं को समझने में मदद करेगा और थेराप्यूटिक कार्यनीतियों के विकास हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करने में मदद करेगा। ये निष्कर्ष दर्शाते हैं कि विकासात्मक बीपीए एक्सपोजर सेल प्रोलिफिरेशन, सर्वाइवल और न्यूरोजेनेसिस, अल्टर्स न्यूरोनल और ग्लियल सेल पॉपुलेशन को कम करता है तथा चूहों में शीघ्र पोस्ट नैटल अवधि के दौरान न्यूरोडीजनरेशन बढ़ाता है।

एसआरएम विश्वविद्यालय तमिलनाडु में माइक्रो आरएनए द्वारा ऑस्टियोजेनिक सेल लाइनेज पर मेसनसिमल स्टेम सेल का विनियमन आयोजित किया गया: यह अध्ययन दर्शाता है कि एमआईआर-15बी ऑस्टिब्लास्ट डिफरेंसिएशन के लिए सकारात्मक विनियामक के तौर पर कार्य कर सकता है और माइक्रो आरएनए के प्रदर्शन में परिवर्तन ऑस्टिब्लास्ट डिफरेंसिएशन को नियंत्रित करने के लिए मूल्यवान दृष्टिकोण साबित होगी।

सीएलआरडी, दक्कन मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद में मानव फेटल ब्रेन से न्यूरल प्रीकर्सर का आइसोलेशन और केरेक्टराइजेशन: वर्तमान अध्ययन फ्रंटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब्स की तुलना में एसवीजेड को एनपीसी का उच्चतम रेमिनेन्ट प्रदान करता हे ताकि एनपीसी के इनविट्रो बॉयोलोजी का और आकलन किया जा सके। मार्कर्स के उपयुक्त कॉम्बिनेशन की पहचान विविध स्रोतों से एनपीसी को और समृद्ध करने की सुविधा देगा तथा एनपीसी को प्युटेटिव क्लीनिकल एप्लीकेशन प्रदान करेगा।

एसएमएस मेडिकल कॉलेज और एसोसिएट अस्पतालम जयपुर, में स्टेम सेल अनुसंधान के लिए कोर सुविधा: एसएमएस मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल अनुसंधान के लिए कोर सुविधा, जयपुर जनवरी, 2010 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा स्थापित की गई थी। स्टेम सेल अनुसंधान के लिए साफ कमरे की सुविधा उपलब्ध करने के

लिए राजस्थान सरकार का सहयोग लिया गया। सुविधा के तहत संस्थान द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई गईं।

मानव कॉर्नियल एपीथीलियल स्टेम सेल कल्चर और प्रत्यारोपण: पीआई लिंबल टिस्यू एक्स्लाइंट कल्चर इनविट्रो के रूप में कार्नियल एपीथीलियल कोशिकाओं की विशेषता है। कल्चर सब्सट्रेट के रूप में एक छोटा सा सिग्नल बायोप्सी नमूना और हैम का उपयोग कर एक फीडर से मुक्त एक्प्लाइंट कल्चर तकनीक से मानव कार्नियल एपीथीलियल सैल कल्चर की स्थापना करते समय पीआई सफलतापूर्वक गैर-पशु व्युत्पन्न उत्पादों और पुन: संयोजक मानव विकास कारकों का उपयोग कल्चर की स्थिति को बनाए रखा गया। यह प्रोटोकॉल आगे अंगीय स्तंभ कोशिका कमी (एलएससीडी) के साथ रोगियों में कल्चर्ड कार्नियल एपीथीलियल कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

ऑटोलॉगस वयस्क के सूक्ष्म एक्प्लेंट मायोब्लास्ट की संस्कृति और ऑप्टीमेइजेशन की मात्रा महिला तानव सूत्र असंयमता के लिए स्टेम सेल थेरेपी: यह अध्ययन एसयूआई के साथ रोगियों के लिए एक प्रभावी और कम से कम इनवेसिव उपचार के साधन के लिए एक चिकित्सकीय अवधारणा डिजाइन करने में मदद कर सकता है।

मानव रीढ़ की हड्डी की चोट से में ऑटोलॉग्स घ्राण इन्सीथिंग कोशिका प्रत्यारोपण एक प्रायोगिक अध्ययन: अन्वेषक यह प्रदर्शित करने में सक्षम था कि कल्चर विधि 70% शुद्धता प्राप्त कर सकती है। यह न्यूरल रिकवरी के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है और शुद्ध किया जा सकता है, जो ऑटोलॉगस नए ओईसी के साथ एमसीआई वाले रोगियों के साथ रोगियों को इलाज करने के लिए एक नैदानिक संभावना पैदा करता है जिसे कल्चर में शुरू किया जा सकता है और तंत्रिका रिकवरी के प्रयोग के लिए तैयार किया जा सकता है।

सैन्य मोटर वाहन

1231. श्री राकेश सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहन फैक्ट्री, जबलपुर में सैन्य मोटर वाहन विनिर्माण के लिए इसके आवश्यक कलपुर्जों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप वाहन विनिर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में हुए विलम्ब का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) और (ख) कभी-कभार वार्षिक उत्पादन चक्र के दौरान व्यापार स्रोतों से अधिप्राप्त किए जाने वाले कलपुर्जों की उपलब्धता में विलम्ब हो जाने के कारण मोटर कलपुर्जों की कमी हो जाती है। यह कमी कभी-कभी होती है और अस्थायी है क्योंकि वार्षिक उत्पादन चक्र के दौरान इस कमी को पूरा कर लिया जाता है; यद्यपि कभी-कभी वाहनों के निर्माण के लक्ष्य में थोड़ विलम्ब हो जाता है।

(ग) आयुध निर्माणी बोर्ड के साथ-साथ वाहन निर्माणी, जबलपुर ने वाहनों की असेम्बली के लिए मोटर कलपुर्जों की समय से उपलब्धता को सुकर बनाने हेतु एक्स-ट्रेड आपूर्तियों के लिए मॉनीटरिंग-तंत्र को सुदृढ़ किया है।

एचआईवी/एड्स रोगियों के लिए एंटी-रेट्रोवायरल रोगोपचार

1232. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एचआईवी/एड्स के कई रोगियों के लिए एंटी-रेट्रोवायरल रोगोपचार (एआरटी) सुविधा नहीं मिल पा रही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) एचआईवी/एड्स के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे रोगियों की संख्या कितनी है जिन्हें पहली लाइन और दूसरी लाइन की एंटी-रेट्रोवायरल रोगोपचार (एआरटी) सुविधा मिल रही है;

(ग) देश के सभी एचआईवी/एड्स रोगियों को नि:शुल्क एंटी-रेट्रोवायरल रोगापचार सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार देश के सभी एआरटी केन्द्रों पर एचआईवी/एड्स रोगियों को नि:शुल्क तीसरी लाइन की एंटी-रेट्रोवायरल रोगोपचार और वायरल लोड परीक्षण सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित/आवंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) देश में एचआईवी/एड्स पीड़ित सभी लोग 432 एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर और 870 लिंक एंटी-रेट्रोवायरल थिरेपी सेंटर से मुक्त चिकित्सा सेवा प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) देश में मई, 2014 की स्थिति के अनुसार कुल 777485 रोगी फर्स्ट लाइन एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी सुविधा का लाभ और 9333 रोगी सेकेंड लाइन एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी सुविधा का लाभ नि:शुल्क प्राप्त कर रहे हैं। फर्स्टलाइन के रोगियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में और सेकेंड लाइन के रोगियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) देश मे नि:शुल्क एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) सुविधा की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी। एआरटी कार्यक्रम में चरणबद्ध ढंग से विस्तार दिया गया है और वर्तमान में 1302 सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपचार सेवा प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 तक एआरटी सेंटर की संख्या को बढ़ाकर 600 और लिंग एआरी सेंटर की संख्या को बढ़ाकर 1500 करने की योजना है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-IV का उद्देश्य सभी जरूरतमंद को नि:शुल्क एआरटी सुविधालाभ प्रदान करने का है।

(घ) जी, हां, सरकार ने थर्डलाइन एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है, जिसे औषधियों तथा उपकरणों के प्राप्त होने के बाद सेवा के लिए तैयार होते ही कार्यरूप दिया जाएगा। कार्यक्रम के तहत वायरल लोड टेस्टिंग के लिए लक्षित वायरल लोड अप्रोच को अंगीकृत किया गया है। प्रतिरक्षात्मक असफलता दर्शाने वाले रोगियों का नि:शुल्क वायरल लोड टेस्ट किया जा रहा है। देशभर में वायरल लोड टेस्ट सुविधा का प्रावधान 9 अभिनिर्धारित प्रयोगशालाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रावधान में विस्तार देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) देश में उन रोगियों की संख्या बहुत कम है जिन्हें थर्डलाइन उपचार की आवश्यकता है। वर्तमान में एंटी-रेट्रोवायरल कार्यक्रम के लिए निर्धारित आवंटन में से ही थर्डलाइन उपचार के लागत का प्रबंध किए जाने की योजना है।

विवरण-I

देश में फर्स्ट लाइन एंटी-रेट्रोवायरल उपचार लाभ प्राप्त कर रहे एचआईवी/एड्स रोगियों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	मई'14 की स्थिति के अनुसार देश में एचआईवी/एड्स के रोगी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	170,986
2.	अरुणाचल प्रदेश	43
3.	असम	2,893
4.	बिहार	20,012
5.	चंडीगढ़	3,466
6.	छत्तीसगढ़	5,385
7.	दिल्ली	16,535
8.	गोवा	2,065
9.	गुजरात	40,121
10.	हरियाणा	5,269
11.	हिमाचल प्रदेश	2,682
12.	जम्मू और कश्मीर	1,396
13.	झारखंड	4,997
14.	कर्नाटक	107,664
15.	केरल	8,897
16.	महाराष्ट्र	143,578
17.	मुम्बई	32,770
18.	मणिपुर	9,462
19.	मिज़ोरम	2,947
20.	मेघालय	494
21.	मध्य प्रदेश	11,744
22.	नागालैंड	4,822
23.	ओडिशा	8,727
24.	पुदुचेरी	1,003
25.	पंजाब	13,997
26.	राजस्थान	20,331
27.	सिक्किम	100
28.	तमिलनाडु	80,685

1	2	3
29.	त्रिपुरा	453
30.	उत्तराखंड	2,001
31.	उत्तर प्रदेश	33,423
32.	पश्चिम बंगाल	18,537
	भारत	777,485

विवरण-II

देश में सेकेंड लाइन एंटी-रेट्रोवायरल उपचार लाभ प्राप्त कर रहे एचआईवी/एड्स रोगियों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	रोगियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1396
2.	असम	26
3.	बिहार	96
4.	चंडीगढ़	307
5.	कुल दिल्ली	391
6.	गोवा	22
7.	गुजरात	949
8.	जम्मू और कश्मीर	22
9.	झारखंड	8
10.	कुल कर्नाटक	929
11.	केरल	189
12.	मध्य प्रदेश	85
13.	महाराष्ट्र	2815
14.	मणिपुर	130
15.	मेघालय	1
16.	मिज़ोरम	5
17.	नागालैंड	11
18.	ओडिशा	24
19.	पंजाब	66
20.	राजस्थान	105
21.	तमिलनाडु	835
22.	उत्तराखंड	20
23.	उत्तर प्रदेश	232
24.	कुल पश्चिम बंगाल	669
	सेकेंड लाइन उपचार प्राप्त कर रहे रोगियों की कुल संख्या	9333

देश भर में 52 सुविधा केन्द्र (10 उत्कृष्टता केन्द्र, 7 बाल चिकित्सा के उत्कृष्टता केन्द्र और 35 एआरटी प्लस केन्द्र) हैं। उपर्युक्त सूची मे जिन राज्यों को शामिल नहीं किया गया है उन राज्यों के रोगियों को निकटतम राज्यों में स्थित केन्द्रों में सुविधा प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

फलों/सब्जियों के निर्यात पर प्रतिबंध

1223. श्री अधीर रंजन चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू बाजार में फलों और सब्जियों की कमी तथा इनके मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है/लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मद-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या मापदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा घरेलू बाजार में इनकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यातित सोया मील तथा कॉर्न की मात्रा में परिवर्तन हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण

हैं और सरकार द्वारा इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) से (ग) फलों एवं सब्जियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई प्रस्ताव वाणिज्य विभाग के विचाराधीन नहीं है। तथापि घरेलू बाजारों में आलू तथा प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर भारत सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इन दोनों उत्पादों की न्यूनतम निर्यात कीमत (एमईपी) का निर्धारण करने का निर्णय लिया है। प्याज के संबंध में सरकार ने दिनांक 17 जून, 2014 को 300 अमेरिकी डॉलर प्रति मीटर टन (एफओबी) की एमईपी को अधिसूचित किया था जिसे 2 जुलाई, 2014 को बढ़ाकर 500 अमेरिकी डॉलर प्रति मीटर टन (एफओबी) कर दिया गया था। इसी प्रकार, आलू के संबंध में सरकार ने घरेलू आपूर्ति का संवर्धन करने के लिए दिनांक 26 जून, 2014 को 450 अमेरिकी डॉलर प्रति मीटन टन (एफओबी) की एमईपी अधिसूचित की है।

(घ) और (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सोया खाद्य और मक्का के निर्यात आंकड़ों के संबंध में ब्यौरा निम्नलिखित है:—

एचएस कोड	वस्तु	2011-12	2012-13	2013-14
10059000	अन्य मक्का	38,37,593.31	47,75,944.13	39,29,982.38
23040030	खाद्य सोयाबीन, विलायक निष्कर्षित, (वस रहित) किस्म	42,12,636.35	40,36,772.04	35,52,736.14

वर्ष 2013-14 के दौरान मक्का एवं सोयाबीन खाद्य दोनों के ही निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। कृषि उत्पादों का निर्यात कार्यनीतिक रिजर्व, यदि कोई हो, सहित बफर स्टॉक में आवश्यकता से अधिक उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं, राजनयिक/मानवीय निहितार्थों, अंतर्राष्ट्रीय मांग तथा आपूर्ति की स्थिति, आयातक देशों में गुणवत्ता मानकों, व्यापार की गई किस्मों तथा कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता, उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतों तथा किफायती कीमतों पर आम जनता की कृषि उत्पादों की उपलब्धता के बीच संतुलन की आवश्यकता सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर होता है।

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी

1234. श्री बदरुद्दीन अजमल : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गायब हुई कंपनियों के धोखाधड़ी के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसी कंपनियों द्वारा ठगे गए निवेशकों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है तथा इनमें कुल कितनी धनराशि शामिल है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी धोखाधड़ी से निवेशकों को बचाने के लिए कोई दिशा-निर्देश बनाया है/बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार का कंपनी नियम में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार के पेशेवरों, वित्तीय संस्थानों, बैंकिंग क्षेत्र, सीआईआई आदि से सुझाव प्राप्त हुए हैं/उनके सुझाव मांगे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामले की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की है/करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(च) ऐसे कॉर्पोरेट धोखाधड़ी से निवेशकों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) 238 कंपनियों की पहचान 'लुप्त कंपनियों' के रूप में की गई थी। इन कंपनियों ने पब्लिक इश्यू के माध्यम से धनराशि जुटाई और संबंधित नियमाकों को वित्तीय विवरणियां तथा वार्षिक रिटर्न फाइल करना बंद कर दिया। इनमें से 128 कंपनियों को इस श्रेणी से हटाकर 'निगरानी सूची' में रखा गया क्योंकि इन कंपनियों ने अपनी वित्तीय विवरणियां और वार्षिक रिटर्न फाइल करने शुरू कर दिए। इसके अतिरिक्त, फिलहाल 32 कंपनियां समापनाधीन हैं। अब तक 78 कंपनियां ऐसी हैं जो 'लुप्त कंपनियों' की श्रेणी में बनी हुई हैं। इन 78 कंपनियां द्वारा जारी किए गए पब्लिक इश्यू की कुल राशि लगभग 310.21 करोड़ रुपए है।

(ख) से (घ) कंपनी अधिनियम, 2013 में निवेशकों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान है। व्यावसायिकों वित्तीय संस्थानों, बैंकिंग क्षेत्र, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) आदि सहित सभी पक्षकारों के विचार आमंत्रित किए गए है और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन से पूर्व इन पर विचार किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निवेशकों की सुरक्षा के प्रावधानों में अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) बढ़े हुए प्रकटीकरण मानक ताकि निवेशकों को कंपनियों से सभी संबद्ध सूचना मिल सके;

(ii) "धोखाधड़ी" को पहली बार बड़े अपराध के रूप में परिभाषित किया गया और इसमें बहुत से संदेहास्पद क्रियाकलापों, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अलग से कवर नहीं होते, को शामिल किया गया;

(iii) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को पर्याप्त शक्तियों के साथ सांविधिक दर्जा दिया गया है;

(iv) परिसंपत्तियों को संलग्न और वापस करने के प्रावधान;

(v) प्रावधानों, जिनमें अन्यों के साथ-साथ लेखापरीक्षकों का रोटेशन आदि प्रावधान शामिल हैं, के माध्यम से लेखापरीक्षकों की जवाबदेयता तथा स्वतंत्रता बढ़ाई गई। इससे लेखापरीक्षा में निष्पक्षता आएगी और निवेशकों को बेहतर जानकारी मिलेगी।

(ङ) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में एक बाजार अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक (एमआरएयू) की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी संबंधी मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण करना तथा ऐसे कॉर्पोरेटों की बाजार निगरानी करना है। एमआरएयू की कार्यप्रणाली सुदृढ़ करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया और उसकी सिफारिशों के आधार पर एसएफआईओ में समुचित प्रौद्योगिकी तथा दक्ष तकनीकी कर्मचारियों के साथ एक फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

(च) मंत्रालय द्वारा निवेशकों शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के तत्वाधान में विभिन्न नगरों में तीन व्यावसायिक संस्थानों — भारतीय अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई), भारतीय लागत लेखांकन संस्थान (आईसीएआई) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के सहयोग से नियमित रूप से निवेशक जागरुकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये कार्यक्रम निवेशकों में जागरुकता उत्पन्न करने तथा उनके सशक्तिकरण के लिए चलाए जाते हैं। वर्ष 2012-13 से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संस्था सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसिज इंडिया लि. के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम चलाने शुरू किए हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान आईईपीएफ के अंतर्गत ऐसे 2897 कार्यक्रम चलाए गए।

रडार स्टेशन

1235. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विभिन्न स्थानों पर रडार स्टेशन स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में रडार स्टेशनों की स्थापना के लिए परियोजना स्वीकृत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) रक्षा सेनाओं की आवश्यकता के आधार पर रडार स्टेशनों की स्थापना एक सतत् प्रक्रिया है। ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

एसटीसीसीएस का पुनर्गठन

1236. श्री अशोक महादेवराव नेते : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में प्राथमिक कृषि सहकारिता ऋण समितियों (पीएसीसीएस) सहित अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचे (एसटीसीसीएस) के पुनर्गठन हेतु वैद्यनाथन समिति द्वारा अनुशंसित वित्तीय पैकेज की मांग को लेकर विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे अनुरोधों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त वित्तीय पैकेज कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) पीएसीएस सहित उक्त एसटीसीसीएस तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे (एसटीसीसीएस) के लिए पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित किया गया था। सरकार एवं नाबार्ड के साथ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार सहमत बेंचमार्क कार्यकलापों के पूर्ण होने पर पैकेज के अंतर्गत सहायता को कई चरणों में दिया जाना था।

पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार के 9245.28 करोड़ रुपए के हिस्से को पूरा किए गए बेंचमार्क कार्यकलापों के अनुरूप पूर्ण रूप से जारी कर दिए थे, जिसमें महाराष्ट्र राज्य सरकार के 1444.54 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

समझौता ज्ञापन के अनुसार पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन की अवधि समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होने की तारीख से 3 वर्ष तक थी जिसे सभी राज्यों के लिए 30 जून, 2011 तक बढ़ा दिया गया था।

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, पैकेज के अंतर्गत निधियों को जारी करने का अनुरोध किया है। तथापि, चूंकि 30 जून, 2011 को पैकेज बंद कर दिया था, इसलिए किसी भी राज्य को पैकेज के अंतर्गत वित्तीय सहायता जारी नहीं की जा सकी।

संबंधी राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए देश में अल्पावधि सहकारी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) कई पर्यवेक्ष, संवर्धनात्मक और क्षमतावर्धन उपाय करता है।

घरेलू खुदरा व्यापार का विकास

1237. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में घरेलू खुदरा व्यापार के विकास हेतु राष्ट्रीय व्यापार नीति तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान देश में खुदरा व्यापार के आकार और प्रकृति में काफी अधिक परिवर्तन आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में घरेलू खुदरा व्यापार को सुदृढ़ और विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

नर्सिंग संस्थान

1238. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नर्सिंग स्कूलों और कॉलेजों की संख्या इनकी प्रवेश-क्षमता व सीट संख्या सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा देश में नए नर्सिंग शिक्षा संस्थानों को खोलने के लिए स्थान-वार और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या-क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या सरकार को नर्सिंग संस्थानों की स्थापना/स्तरोन्नयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कई प्रस्ताव मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इनमें से स्वीकृत प्रस्तावों और स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है तथा इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में नर्सिंग शिक्षा के मानकीकरण और नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए और क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) देश में नर्सिंग स्कूलों और कॉलेजों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (घ) नर्सिंग सेवाओं (एएनएम/जीएनएम) सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सरकार ने विभिन्न राज्यों के कुछ जिलों में सहायक नर्स धात्री (एएनएम)/सामान्य नर्स एवं परिचर्या धात्री (जीएनएम) संस्थानों को खोलने के लिए मंजूरी प्रदान की है जैसा कि संलग्न विवरण-II में दिया गया है। उक्त योजना के अंतर्गत संस्थान खोलना योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करता है।

(ङ) आईएनसी ने बड़ी संख्या में उपाय किए हैं जिसमें विभिन्न कोर्स के लिए पाठ्यक्रम का संशोधन, पीएचडी का विकास, नर्सिंग पाठ्यक्रम, पीएचडी (नर्सिंग) के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की स्थापना,

गुणवत्ता आश्वासन मॉडल का विकास, अलग विशेषता वाले नर्सिंग कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम बनाना आदि शामिल है। भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा नए पाठ्यक्रमों और नर्सिंग संस्थानों को आरंभ करने के लिए मानकों में छूट दी गई है।

विवरण-I

31 मार्च, 2014 को नर्सिंग संस्थानों और प्रवेश क्षमता की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	जीएनएम		बीएससी	
		संस्थानों की संख्या	प्रवेश क्षमता	संस्थानों की संख्या	प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	20	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	263	11,579	230	11,911
3.	अरुणचल प्रदेश	3	70	0	0
4.	असम	26	698	8	420
5.	बिहार	15	676	4	160
6.	चंडीगढ़	0	0	2	95
7.	छत्तीसगढ़	46	1,645	66	2,990
8.	दादरा और नगर हवेली	1	20	1	40
9.	दिल्ली	18	725	11	575
10.	गोवा	1	50	3	180
11.	गुजरात	99	3,970	46	2,100
12.	हरियाणा	69	2,830	30	1,365
13.	हिमाचल प्रदेश	34	1,320	16	690
14.	जम्मू और कश्मीर	14	585	5	260
15.	झारखंड	23	825	6	270
16.	कर्नाटक	532	24,512	334	18,240
17.	केरल	209	6,544	128	6,950
18.	मध्य प्रदेश	295	11,535	124	5,970
19.	महाराष्ट्र	221	6,614	95	4,275

1	2	3	4	5	6
20.	मणिपुर	12	360	6	240
21.	मेघालय	7	195	2	90
22.	मिज़ोरम	5	140	2	65
23.	नागालैंड	3	90	1	40
24.	ओडिशा	63	2,500	15	740
25.	पुदुचेरी	5	150	14	955
26.	पंजाब	215	10,383	94	4520
27.	राजस्थान	173	8160	140	6156
28.	सिक्किम	2	80	2	160
29.	तमिलनाडु	205	6145	169	9570
30.	त्रिपुरा	5	210	4	180
31.	उत्तर प्रदेश	219	10100	56	2620
32.	उत्तराखंड	18	620	9	450
33.	पश्चिम बंगाल	63	2,503	18	915
	कुल योग	2865	115,854	1,641	83,192

विवरण-II

अनुमोदित/स्वीकृत एएनएम/जीएनएम स्कूलों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	एएनएम स्कूल (जिले)	जीएनएम स्कूल (जिले)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	नारसपुरम	तिरुपति
		विजयवाड़ा	इलुरु
		काकीनाडा	ओंगले
			करीमनगर
2.	अरुणाचल प्रदेश	लोहित	यू. सुबानसिरि
		तवांग	पूर्वी सियांग (पासीघाट)
		पश्चिम सियांग	नहरलागुन (पप्पमपुर)
3.	असम	बाकसा	बोंगाईगांव
		उदालगुड़ी	
		चिरांग	
		कामरूप	

1	2	3	4
4.	बिहार	औरंगाबाद	बांका
		जमुई	बक्सर
		कैमूर (भाबुआ)	जहानाबाद
		खगडिया	सारण
		लखीसराय	शेखपुर
		नवादा	वैशाली
		शिवहर	किशनगंज
		सीवान	पूर्णिया
		सुपौल	सासाराम
		दरभंगा	मधेपुरा
		अरवल	पश्चिमी चंपारण
		अररिया	कटिहार
			सहरसा
5.	छत्तीसगढ़	बीजापुर	दंतेवाडा
		कवर्धा	जांजगीर-चाम्पा
		नारायणपुर	कांकेर
		बस्तर	कोरबा
		बिलासपुर	कोरिया
			महासमुंद
6.	गुजरात	अहमदाबाद	आनंद
		जामनगर	भावनगर
		पाटन	खेड़ा
		वलसाड	पोरबंदर
		तापी	
7.	हरियाणा	चरखी (दादरी)	पलवल
		रेवाड़ी	मेवात
			कुरुक्षेत्र
8.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	नाहन
		सोलन	चंबा
			मंडी
9.	जम्मू और कश्मीर	बांदीपुरा	बदगम
		कारगिल	गंगेरबाल
		किश्तवाड़	कुलगाम
		रामबन	पुलवामा
		भदराह	रियासी
		भीलवाड़ा	साम्बा
		अनंतनाग	शोपियां
		थनमंडी	ऊधमपुर
		सुरनकोटा	लेह
		थाथरी	कठुआ
		कोकरनाग	डोडा
		खान साहिब	राजौरी
		अवंतीपुर	
		हंदवाड़ा	
10.	झारखंड	चतरा	गुमला
		गोड्डा	लातेहार
		खूंटी	सरायकेला
		गरवा	हजारीबाग
		रामगढ़	पलामू
			रांची
			जामताड़ा
11.	मध्य प्रदेश	अन्नूपुर	मंदसौर
		अलीराजपुर	देवास

1	2	3	4
		अशोकनगर	
		बुरहानपुर	
		डिंडोरी	
		हरदा	
		नीमच	
		रीवा	
		शाजापुर	
		श्योपुर	
		सिंगरौली	
		उमरिया	
12.	महाराष्ट्र	पूसाद	गढ़चिरोली
		वाशिम	वाशिम
		सिंधुदुर्ग	नंदुरबार
			रवागिरि
			सिंधुदुर्ग
			भंडारा
			अमरावती
			गोंदिया
13.	मणिपुर	शून्य	बिष्णुपुर
			चंदेल
			सेनापति
			तामेंगलांग
			थौबल
			उखरुल
14.	मेघालय	शून्य	पूर्व गारो हिल्स
			री भोई

1	2	3	4
			दक्षिण गारो हिल्स
			पश्चिम खासी हिल्स
15.	मिज़ोरम	लंगटाई	चमफाई
		ममीत	कोलासिब
		आइजोल	सैहा
			सरचिप
16.	नागालैंड	जुन्हेबोटो	मोन
		कोहिमा	फ़ेक
		मोकोकचुंग	तुएनसांग
17.	ओडिशा	बौध	नवरंगपुर
		सुबरनपुर	कालाहांडी
		गजपति	सुंदरगढ़
		रायगढ़ा	खंडेरनाल
		मलकानगिरी	ढेंकनाल
18.	पुदुचेरी	माहे	कराईकल
		यनम	
19.	पंजाब	कपूरथला	रूपनगर
			भटिंडा
			गुरदासपुर
			संगरुर
			पटियाला
20.	राजस्थान	प्रतापगढ़	बारां
		अलवर	बीकानेर
		उदयपुर	नागोर
			झुंझूनू
			चित्तौड़गढ़

1	2	3	4
21.	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम	शून्य
		पश्चिम सिक्किम	
22.	तमिलनाडु	नमक्कल	शून्य
		थेनी	
		शिव गंगा	
23.	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	शून्य
24.	उत्तराखंड	बागेश्वर	हरिद्वार
		चम्पावत	नैनीताल
		रुद्रप्रयाग	रूड़की
		उत्तरकाशी	
		हल्द्वानी	
25.	उत्तर प्रदेश	औरैया	अम्बेडकर नगर
		बलरामपुर	बूंदन
		बुलन्दशहर	फ़र्रुखाबाद
		चंदौली	फ़िरोज़ाबाद
		महामाया नगर	हरदोई
		ज्योतिबा फुले नगर	जालौन
		कानपुर देहात	कन्नौज
		कांशीराम	महोबा
		कौशम्बीस्थिति	सिद्धार्थ नगर
		कौशीनगर	उन्नाव
		ललितपुर	खेरी
		महाराजगंज	मैनपुरी
		संत कबीर नगर	फ़ैज़ाबाद
		संत रविदास नगर	रामपुर
		श्रावस्ती	बलिया
		सोनभद्र	गोंडा
		अमेठी	मुरादाबाद
		फतेहपुर सीकरी	झांसी
		सम्भल	बाराबंकी
		एटा	अलीगढ़
		मऊ	राय बरेली
		जौनपुर	इटावा
		सुल्तानपुर	गाजीपुर
26	पश्चिम बंगाल	यूटारी दीनाजपुर	घटल
		चंचल	बारासात
		नादिया	माल्दा
		दक्षिण परामगनश	जांगीरपुर
			पश्चिम मादीपुर
			हावड़ा
		कोलकाता एन	
			एन परामगनश
	कुल	125	133

मिलिट्री और सैनिक स्कूल

1239. **श्रीमती कमला पाटले : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत मिलिट्री और सैनिक स्कूलों की संख्या राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार का छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में ऐसे और स्कूलों को खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) वर्तमान में, संलग्न विवरण-i में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, देश में 05 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और 25 सैनिक स्कूल हैं।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मिज़ोरम राज्यों में संलग्न विवरण-ii में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 06 सैनिक स्कूलों की स्थापना किए जाने के लिए सरकार द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल/सैनिक स्कूल खोलने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सैनिक स्कूल किसी राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर स्थापित किए जाते हैं जिसमें उनकी इस बात पर सहमति होती है कि वे राज्यों के कैडेटों के लिए छात्रवृत्ति के अतिरिक्त बुनियादी अवसंरचना, उपकरण और सुविधाओं के सृजन और रख-रखाव के लिए निधि के साथ-साथ भूमि भी उपलब्ध कराएगी।

विवरण-I

देश में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों के ब्यौरे

क्र.सं.	राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का नाम
1.	राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चहल, हिमाचल प्रदेश
2.	राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अजमेर, राजस्थान
3.	राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, धौलपुर, राजस्थान
4.	राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, बेलगाम, कर्नाटक
5.	राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, बेंगलूरु, कर्नाटक

देश में सैनिक स्कूलों के ब्यौरे

क्र.सं.	स्कूल का नाम
1	2
1.	सैनिक स्कूल, सतारा, महाराष्ट्र
2.	सैनिक स्कूल, कुंजपुरा, हरियाणा
3.	सैनिक स्कूल, कपूरथला, पंजाब
4.	सैनिक स्कूल, बालछड़ी, गुजरात
5.	सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़, राजस्थान
6.	सैनिक स्कूल, कोरुकोंडा, आंध्र प्रदेश
7.	सैनिक स्कूल, काझाकूट्टम, केरल
8.	सैनिक स्कूल, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल
9.	सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर, ओडिशा
10.	सैनिक स्कूल, अमरावती नगर, तमिलनाडु
11.	सैनिक स्कूल, रीवा, मध्य प्रदेश
12.	सैनिक स्कूल, तिलैया, झारखंड
13.	सैनिक स्कूल, बीजापुर, कर्नाटक
14.	सैनिक स्कूल, गोलपाड़ा, असम
15.	सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल, उत्तराखंड
16.	सैनिक स्कूल, नगरोटा, जम्मू और कश्मीर
17.	सैनिक स्कूल, इम्फाल, मणिपुर
18.	सैनिक स्कूल, सुजानपुर तिरा, हिमाचल प्रदेश
19.	सैनिक स्कूल, मालंदा, बिहार
20.	सैनिक स्कूल, गोपालगंज, बिहार
21.	सैनिक स्कूल, पुंगलवा, नागालैंड
22.	सैनिक स्कूल, कोडागु, कर्नाटक
23.	सैनिक स्कूल, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़
24.	सैनिक स्कूल, रेवाड़ी, हरियाणा
25.	सैनिक स्कूल, कालीकिरी, आंध्र प्रदेश

विवरण-II

नए सैनिक स्कूलों के ब्यौरे जिनके लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है

क्र.सं.	जिला	राज्य
1.	झांसी	उत्तर प्रदेश
2.	मैनपुरी	उत्तर प्रदेश
3.	अमेठी	उत्तर प्रदेश
4.	अलवर	राजस्थान
5.	झुंझूनू	राजस्थान
6.	छिंगछिप	मिज़ोरम

[अनुवाद]

शून्य प्रतिशत ब्याज योजना

1240. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड-धारकों को शून्य प्रतिशत ब्याज योजनाओं की पेशकश पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कुछ रिटेलरों ने इस संबंध में आरबीआई से अपनी असहमति जताई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर आरबीआई की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) 'ग्राहक सुरक्षा तथा खाते की गोपनीयता से समझौता करने वाली चुनिंदा बैंकों की घातक प्रथाओं' विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 17 सितम्बर, 2013 के परिपत्र ने शून्य प्रतिशत समान मासिक किस्त (ईएमआई) योजनाओं को निषिद्ध किया जो कि इस विषय पर पूर्व में जारी कुछ दिशा-निर्देशों का दोहराव है। इस दोहराव को कुछ अध्ययनों के आधार पर किया गया जिनमें यह दर्शाया गया है कि जो बैंक क्रेडिट कार्ड के बकाये पर शून्य प्रतिशत ईएमआई का प्रस्ताव देते थे, उनमें यह पाया गया कि वे उधारकर्ता से प्रभारित की जा रही वास्तविक ब्याज दर का पारदर्शितापूर्ण तरीके से खुलासा नहीं कर रहे थे क्योंकि ऐसा पाया गया कि बैंक उधारकर्त्ताओं से इसे प्रसंस्करण शुल्क तथा सेवा प्रभारों के रूप में वसूल कर रहे थे और इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि बैंक बिक्री संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत कुछ उत्पादों (आटोमोबाइल्स, उपस्कर इत्यादि) के डीलरों/उत्पादकों से अपने उन उधारकर्त्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ लाभ प्राप्त कर रहे थे जो कि ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए उनसे ऋण लेते थे। ये लाभ ग्राहकों तक पारदर्शी तरीके से नहीं पहुंचाए गए थे, हालांकि बैंक दावा करते हैं कि उन्होंने ब्याज दर घटा कर ऐसा किया।

(ग) और (घ) जी, हां। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुम्बई ने आरबीआई को 30 सितम्बर, 2013 का एक पत्र लिखा था जिसमें तत्काल पाबन्दी लगाने के स्थान पर 2 महीने का समय (विंडो) देने तथा साथ ही, यह कहा गया था कि पाबन्दी के स्थान पर आरबीआई बैंकों द्वारा योजना के प्रकटन/संरचना हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित कर सकता था जिससे ग्राहक को अधिक पारदर्शित मिल सके। रिटेल उद्योग की चिन्ताओं को समझते हुए आरबीआई ने रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को बताया कि वर्तमान आदेश 17 सितम्बर, 2013 के आरबीआई के अनुदेशों का अनुपालनार्थ दोहराव मात्र है।

निर्यात क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में ब्रांड इक्विटी

1241. श्री रवनीत सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रांड इक्विटी के अभाव से देश में निर्यात क्षेत्र का कार्यनिष्पादन प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विदेशों में भारतीय उत्पादों की एक ब्रांड छवि के निर्माण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) ब्रांडिंग हेतु किन-किन उत्पादों को चिंहित किया गया हैं और इस हेतु अपनाई जा रही कार्यनीति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बढ़ रहे आयात-खर्च पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) और (ख) भारत द्वारा निर्यातित उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं साख का उन्नयन करने के उद्देश्य से बनी कार्यनीति में राष्ट्रीय एवं सेक्टरीय स्तर पर ब्रैंड इक्विटी एक मुख्य संघटक है। सरकार भारत की ब्रैण्ड इक्विटी बढ़ाने के लिए व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के जरिए और व्यापार निकायों के नियमित क्रियाकलापों जैसे इंडिया शोज, भारत एवं विदेश में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता, बिजनेस से बिजनेस बैठक, पत्रकारों एवं मीडिया के साथ अन्योन्यक्रिया, संप्रेषण कार्यनीति एवं सेक्टरीय ब्रैण्ड कार्य करती है।

(ग) सरकार ने ब्रैण्डिग के लिए फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, बगानों, सेवा एवं हस्तशिल्प को अभिज्ञात किया है। इंडिया ब्रैंड इक्विटी फाउण्डेंसन (आईबीईएफ), निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और व्यापार निकायों के साथ परामर्श करके सम्प्रेषण, ज्ञान केन्द्र का निर्माण एवं क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन के जरिए ब्रैंक संवर्धन अभियान में रत है।

(घ) बढ़ते आयात बिलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में सीमाशुल्क प्रशुल्क में वृद्धि सहित सोना, चांदी एवं अन्य अनिवार्य मदों के आयात में संकुचन और प्रशासनिक सुधार जैसे

स्वर्ण के आयात को 20:80 स्कीम के अंतर्गत स्वर्ण के निर्यात के साथ जोड़ना शामिल है।

[हिन्दी]

मुद्रास्फीति और वृद्धि दर

1242. श्री कौशलेन्द्र कुमार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मुद्रास्फीति की दर, वृद्धि दर से उच्चतर है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर स्थिर मूल्यों पर उपादान लागत (वास्तविक जीडीपी) पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि द्वारा मापी जाती है। अत: वास्तविक जीडीपी में वृद्धि मुदास्फीति घटक को समायोजित करने के बाद ज्ञात होती है। मुद्रास्फीति की माप आमतौर पर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा की जाती है। जीडीपी वृद्धि दर के साथ तुलना के प्रयोजनार्थ अंतर्निहित जीडीपी डिफ्लेक्टर की माप सर्वाधिक उपयुक्त संसूचक है क्योंकि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के समुच्चय में जीडीपी के मात्र एक हिस्से को ही कवर किया जाता है। मौजूदा मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों (2004-05) पर उपादान लागत पर जीडीपी की वृद्धि दर तथा अंतर्निहित जीडीपी डिफ्लेक्टर से संबंधित ब्यौरा नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है (सारणी 1)। 2014-15 में वास्तविक जीडीपी से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सारणी 1: जीडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत में)
(आधार वर्ष 2004-05)*

	2011-12	2012-13	2013-14
उपादान लागत पर जीडीपी (मौजूदा मूल्य)	15.8	11.9	11.5
उपादान लागत पर जीडीपी (स्थिर)	6.7	4.5	4.7
अंतर्निहित जीडीपी डिफ्लेक्टर	8.5	7.1	6.5

* 2011-12 हेतु आंकड़े द्वितीय संशोधित अनुमान हैं, 2012-13: प्रथम संशोधित अनुमान और 2013-14 अनंतिम है।

(ग) यद्यपि मुद्रास्फीति में 2013-14 में गिरावट दर्शाई गई है, यह उच्च स्तर पर बनी हुई है और मुद्रास्फीति को काबू में रखना सरकार का प्राथमिक एजेंडा है। केंद्रीय बजट 2014-15 में सतत् आधार पर मुद्रास्फीति को कम करने के लिए जिन उपायों की रूपरेखा दी गई है उनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं: प्रौद्योगिकी प्रेरित दूसरी हरित क्रांति लाने पर बल देना जिसमें उच्चतर उत्पादकता पर ध्यान दिया जाए और प्रोटीन क्रांति लाने पर महत्व दिया जाए; कृषि उपज के संबंध में मूल्य अस्थिरता के जोखिम को कम करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित करना; राष्ट्रीय बाजार शीघ्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर अपने एपीएमसी अधिनियमों को फिर से नई दिशा देगी जिससे कि निजी बाजार यार्ड/निजी बाजारों की स्थापना हेतु व्यवस्था की जा सके; शहरों में किसान बाजार बनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना ताकि किसान सीधे अपनी उपज की बिक्री कर सकें; प्राथमिकता के आधार पर एफसीआई का पुनर्गठन करना और आवाजाही एवं वितरण घाटों को कम करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य-कुशलता को बेहतर करना; अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग में नील क्रांति लाने तथा देशज पशुचारे की व्यवस्था करने हेतु प्रत्येक के लिए वर्ष 2014-15 में 50 करोड़ के आबंटन करना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, गत दो वर्षों से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था के विकास की तेजी से शुरुआत करने के लिए केंद्रीय बजट 2014-15 में कई उपायों की रूप-रेखा दी गई है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं: "व्यय प्रबंधन आयोग" के जरिए, व्यय सुधारों पर जोर देते हुए राजकोषीय समेकन; उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति से ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए कदम उठाना तथा रोजगार के अवसर सृजित करना और राष्ट्रीय बहु-कौशल कार्यक्रम आरंभ करने के लिए प्रस्ताव देना; सिंचाई और दीर्घावधिक ऋण पर जोर देकर कृषि को बढ़ावा देने के प्रस्ताव; ग्रामीण अवसंरचना विशेष रूप से ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर बल देना, शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी के विकास पर जोर देना।

[अनुवाद]

घरेलू वायु क्षेत्र में निजी भागीदारी

1243. श्री शिवकुमार उदासि : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के लिए परिवहन वायुयान की आपूर्ति की एक परियोजना के माध्यम से निजी क्षेत्र को घरेलू वायु क्षेत्र में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ सरकारी एजेंसियों द्वारा इस कदम के विरोध पर आपत्तियां उठाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) जी, हां। 'खरीदो और बनाओ' के माध्यम से एवीआरओ विमान के प्रतिस्थापन के रूप में 56 परिवहन विमानों की अधिप्राप्ति के एक प्रस्ताव की 23 जुलाई, 2012 को रक्षा अधिग्रहण परिषद् (डीएसी) द्वारा आवश्यकता हेतु स्वीकृति (एओएन) प्रदान की गई है। इनमें से 40 विमान निजी क्षेत्र के भारतीय उत्पादन अभिकरण (आईपीए) द्वारा भारत में निर्मित किए जाएंगे। भारतीय उत्पादन अभिकरण का चुनाव मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) द्वारा किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ अभ्यावेदन/पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें अधिप्राप्ति प्रक्रिया में भागीदारी हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अवसर न दिए जाने के संबंध में प्राथमिक रूप से चिन्ता उठाई गई थी।

(ङ) व्यक्त की गई चिन्ताओं का निपटान करने हेतु एक स्वतंत्र समिति का गठन किया गया था। रक्षा अधिग्रहण परिषद् (डीएसी) में स्वतंत्र समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी। इसके प्रत्युत्तर में, डीएसी ने विधि मंत्रालय की राय प्राप्त करने का निर्देश दिया था जो प्राप्त हो गई है। इस मामले पर और विचार करने के लिए बोली प्रस्तुतीकरण की तारीख को 28.08.2014 तक बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

जैविक हथियार

1244. श्री सुनील कुमार सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न देशों द्वारा विकसित जैविक हथियारों के खतरे का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे हथियारों के खतरे का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

विधवाओं के अधिकारों का संरक्षण

1245. श्री राजन विचारे :
श्री कपिल मोरेश्वर पाटील :
श्रीमती कमला पाटले :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में विधवाओं/अनाथों/निराश्रितों/उपेक्षित व्यक्तियों की संख्या की पहचान हेतु क्या तंत्र स्थापित किया गया है और ऐसे व्यक्तियों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त स्कीमों/कार्यक्रमों की समीक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान उक्त स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत और जारी निधि का ब्यौरा क्या है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का देश में उक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण और उनकी जीवनदशा में सुधार हेतु कोई विधान लाने का भी विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विधान को कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) महापंजीयक कार्यालय, भारत एक दशक की जनसंख्या की जनगणना करता है जिसमें विधवाओं के आंकड़े भी एकत्र किए जाते हैं। अनाथों/निराश्रितों/उपेक्षित व्यक्ति के बारे में डाटा जनगणना से प्राप्त नहीं हुए हैं। अंतिम जनगणना 2011 में की गई थी तथा उससे पिछली जनगणना 2001 में की गई थी।

देश में 2001 की जनगणना के अनुसार विधवाओं के राज्य-वार आंकड़े दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए आश्रय आधारित पुनर्वास स्कीम 'स्वाधार' क्रियान्वित कर रहा है। शामिल लाभार्थियों में अपने परिवारों और संबंधियों द्वारा धार्मिक स्थलों के निकट अपेक्षित छोड़ दी गई महिलाएं है, जहां वे शोषण की पीड़ित होती है, जेल से रिहा की गई महिला कैदी, बिना पारिवारिक समर्थन वाली महिलाएं; आतंकवादी/उग्रवादी हिंसा से पीड़ित महिलाएं और इसी प्रकार कठिन परिस्थितियों में रहने वाले महिलाएं जिन्हें कोई पारिवारिक समर्थन नहीं है और जो जीवित रहने के लिए बगैर किसी आर्थिक सहायता के हैं। लाभार्थियों के आश्रय, भोजन, कपड़े, परामर्शी सेवाएं, चिकित्सा तथा कानूनी सहायता आर्थिक पुनर्वास के लिए कौशल उन्नयन की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति कराई जाती है। देश में 311 स्वाधार आश्रय गृह चल रहे हैं।

एक अन्य आश्रय आधारित स्कीम अल्पावास गृह केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत परिवारिक मतभेद, अपराध हिंसा मानसिक दबाव, सामाजिक बहिष्कार आदि के कारण बेघर हुई महिलाओं तथा बालिकाओं को 24 घंटे के लिए आवासीय अस्थायी आवास रख-रखाव तथा पुनर्वासित सेवाएं प्रदान की जाती है। देश में 322 अल्पावास गृह चल रहे हैं।

ये दोनों स्कीमें मुख्य रूप से गैर-सरकार संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) इन कार्यक्रमों को महिलाओं के संरक्षण और विकास की प्रमुख स्कीम के अंतर्गत लाए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान स्वाधार तथा अल्पावास गृह स्कीमों में अंतर्गत क्रियान्वयन एजेंसियों को निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

देश के विधवाओं की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार विधवाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3270964
2.	असम	869005
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8461
4.	अरुणाचल प्रदेश	25639
5.	बिहार	1887575
6.	चंडीगढ़	16788
7.	छत्तीसगढ़	771106
8.	दादरा और नगर हवेली	4979
9.	दमन और दीव	5511
10.	दिल्ली	305940
11.	गुजरात	1614413
12.	गोवा	69052
13.	हरियाणा	533974
14.	हिमाचल प्रदेश	229664
15.	झारखंड	822827
16.	जम्मू और कश्मीर	196604
17.	कर्नाटक	2322843
18.	केरल	1690508
19.	लक्षद्वीप	2136
20.	मध्य प्रदेश	1752228
21.	महाराष्ट्र	3726735
22.	मणिपुर	59459
23.	मिज़ोरम	20373
24.	मेघालय	59604
25.	नागालैंड	26516
26.	ओडिशा	1370123

1	2	3
27.	पंजाब	662113
28.	पुदुचेरी	53040
29.	राजस्थान	1589726
30.	सिक्किम	10005
31.	तमिलनाडु	2976137
32.	त्रिपुरा	123817
33.	उत्तर प्रदेश	3763168
34.	उत्तराखंड	293331
35.	पश्चिम बंगाल	3155365
	कुल	34289729

विवरण-II

2014-15 के दौरान स्वाधार एवं अल्पावास गृह स्कीम के तहत जारी की गई निधियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वाधार 2014-15	अल्पावास गृह 2014-15
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	46.58	20.06
2.	असम	0	0
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
4.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
5.	बिहार	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0
7.	छत्तीसगढ़	7.00	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0
9.	दिल्ली	0	0
10.	गुजरात	4.91	0
11.	गोवा	0	0
12.	हरियाणा	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	0	0
14.	झारखंड	4.38	0
15.	जम्मू और कश्मीर	0	0
16.	कर्नाटक	0	0
17.	केरल	0	0
18.	लक्षद्वीप	0	0
19.	मध्य प्रदेश	29.06	0
20.	महाराष्ट्र	53.87	0
21.	मिज़ोरम	0	0
22.	मणिपुर	8.25	0
23.	मेघालय	0	0
24.	नागालैंड	0	0
25.	ओडिशा	37.07	0
26.	पंजाब	0	0
27.	पुदुचेरी	0	0
28.	राजस्थान	3.93	0
29.	सिक्किम	0	0
30.	तमिलनाडु	0	0
31.	त्रिपुरा	0	0
32.	उत्तर प्रदेश	35.73	0
33.	उत्तराखंड	20.35	0
34.	पश्चिम बंगाल	18.15	1.70
	कुल	269.28	21.76

[हिन्दी]

फसल ऋण

1246. श्री पी.पी. चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल ऋण और दीर्घावधि ऋण पर वार्षिक ब्याज की वर्तमान दर और अनुदान सीमा कितनी है;

(ख) क्या सरकार का देश में अकाल होने की स्थिति में अल्पावधिक फसल ऋणों को मध्यावधिक फसल ऋणों में परिवर्तित करने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को फसल ऋण की ब्याज दर पर किसानों को दीर्घावधिक ऋण उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार का अल्पावधिक फसल ऋण को समय पर भरने वाले किसानों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर देने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में आगे और क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) सरकार की ब्याज सहायता योजना के अनुसार किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण 7% की ब्याज दर पर उपलब्ध हैं। इस योजना में समय पर अदायगी करने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध है। तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वाराद दीर्घावधि फसल ऋणों सहित अग्रिमों पर ब्याज की दरों को अविनियमित कर दिया गया है, जो कि एक बैंक से दूसरे बैंक में उनकी आधार दर और निधियों की लागत आदि के आधार पर भिन्न-भिन्न हैं।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के स्थायी मार्गनिर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में वर्तमान अल्पावधि फसल ऋणों को बैंकों द्वारा सावधि ऋणों में परिवर्तित किया जाता है। इसके साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनर्संरचित ऋणों (सावधि ऋणों में परिवर्तित अल्पावधि फलस ऋण) पर ब्याज के भार को कम करने के लिए सरकार ने वर्ष 2012 में सूखे के कारण जो अल्पावधि फसल ऋण पुनर्निर्धारित किए गए थे, जिन्हें पुनर्संरचित किया गया था, पर पहले वर्ष ब्याज सहायता की अनुमति दी थी। हाल ही में, ओला-वृष्टि से प्रभावित राज्यों, जहां अल्पावधि फसल ऋणों की पुनर्संरचना की गई है, में सरकार द्वारा वर्ष 2014 में भी इसी प्रकार के उपाय किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मछुआरों के लिए वन अधिकार अधिनियम की प्रयोज्यता

1247. श्री बैजयंत जे. पांडा : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भितरकणिका वन्य जीव अभ्यारण्य के मछुआरों को अभ्यारण्य के भीतर मत्स्ययन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की प्रयोज्यता के दायरे में लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा) : (क) से (ग) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासी, जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में रह रहे हैं, किन्तु जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका है, के वन अधिकारों को मान्यता देने तथा इसे प्रदान करने तथा वन भूमि पर कब्जा देने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 2(घ) में परिभाषित शब्द "वन भूमि" का अर्थ वन्य जीव अभ्यारण्य सहित वन क्षेत्र में आने वाली कोई भी भूमि है। अधिनियम के तहत मान्यता दिए गए वन अधिकारों में मत्स्ययन तथा जलाशयों के अन्य उत्पादों की हकदारी अथवा उपयोग का सामुदायिक अधिकार शामिल है। अत:, यदि भितरकणिका अन्य जीव अभ्यारण्य के मछुआरे अधिनियम के अर्थ में "वन निवास अनुसूचित जनजाति" तथा "अन्य परंपरागत वन निवासी" हैं, तो वे मत्स्ययन तथा जलाशयों के अन्य उत्पादों की हकदारी अथवा उपयोग के उक्त सामुदायिक अधिकार की मान्यता के लिए पात्र हैं।

भारत-बांग्लादेश व्यापार

1248. श्री विनसेंट एच. पाला : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतरर्देशीय व्यापार के प्रयोजन से माल-परिवहन हेतु वर्तमान में सड़क, वायु और जल-संपर्क की अवसंरचना सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) वर्तमान में, भारत एवं बांग्लादेश के बीच व्यापार भू-सीमा शुल्क केन्द्रों, एकीकृत जांच चौकियों, तीन रेल मार्ग संपर्कों, अंतर्देशीय जलमार्ग आदि से होकर किया जाता है।

(ख) और (ग) भारत और बांग्लादेश के बीच समय-समय पर नवीकृत द्विपक्षीय व्यापार करार में व्यापार एवं वित्तीय सहयोग में विस्तार करने, जल मार्ग उपयोग करने के लिए परस्पर लाभदायक व्यवस्था करने, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग का दूसरे के क्षेत्र के जरिए एक देश से दूसरे देश के भू-भाग से होकर दो स्थानों के बीच वस्तुओं को मार्ग प्रदान करने का प्रावधान है।

व्यक्तियों, वाहनों एव वस्तुओं की सीमापार से आवागमन के लिए पर्याप्त अवसंरचना जिससे व्यापार एवं वाणिज्यक क्रियाकलाप प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने सिद्धांत रूप में फेज-I एवं II में पेट्रापोल, अगरतला, दावकी, हिली चन्द्रबंगा, सुत्रखांडी एवं कवारपूचिआ में 7 एकीकृत जांच चौकियां (आईसीपी) स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने वाणिज्य विभाग की निर्यात अवसंरचना एवं सहबद्ध क्रियाकलाप विकास हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) स्कीम के अंतर्गत उन्नयन के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर 8 एलपीएस का चयन किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर कमला नगर, श्रीनगर पालबस्ती एवं कमालपुर में 4 और बोर्डर हट स्थापित करने के लिए अनुमोदन दिया है।

हरित भवनों हेतु आवास ऋण

1249. श्री डी.के. सुरेश : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) का हरित भवनों हेतु आवास ऋण पर ब्याज में छूट देने की योजना चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सभी बैंकों में उक्त योजना प्रारंभ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के अनुसार, हरित भवनों के लिए आवास ऋणों पर ब्याज में छूट प्रदान करने पर विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

चीनी घुसपैठ

1250. श्री थुपस्तान छेवांग :
श्री नारणभाई काछादिया :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र सहित देश के सीमावर्ती इलाकों में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और अतिक्रमण का संज्ञान किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों की संख्या कुल कितनी है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त घुसपैठ के बाद चीन द्वारा किसी क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया गया है और इस विवाद में सैनिक हताहत हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत ने इस मामले को चीन सरकार के साथ उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) भारत और चीन के बीच में सर्वमान्य रूप से

खींची गई कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है। सीमा रेखा के आस-पास ऐसे क्षेत्र हैं जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की अलग-अलग मान्यताएं हैं। दोनों पक्षों द्वारा अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुसार गश्त लगाए जाने के कारण घुसपैठ होती हैं। तथापि, भारत-चीन सीमा रेखा पर, चीन द्वारा भारतीय भू-भाग पर कोई घुसपैठ/अतिक्रमण नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) भारत, चीन की ओर से होने वाले किसी अतिक्रमण को फ्लैग, बैठकों, सीमा कार्मिकों की बैठकों जैसे सुस्थापित तंत्रों और सामान्य कूटनीतिक चैनलों जैसे वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कन्सल्टेशन एंड कोआर्डिनेशन ऑन इंडिया-चायना बोर्डर अफेयर्स और के माध्यम से नियमित रूप से उठाता है जहां वे भारत और चीन के बीच हुए विभिन्न करारों के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होते हैं।

[हिन्दी]

किशोर न्याय अधिनियम

1251. श्री शैलेश कुमार :
श्रीमती मौसम नूर :
श्री जोस के. मणि :
श्री एंटो एन्टोनी :
श्री नलीन कुमार कटील :
श्री प्रताप सिम्हा :
कुमारी शोभा कारान्दलाजे :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत देश में गठित बाल कल्याण समितियों की संख्या राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार का किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरसित कर पुन: अधिनियमित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिकतर पणधारकों ने इस विद्यमान अधिनियम को निरसित करने की बजाय इसमें संशोधनों की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार का उक्त अधिनियम को पुन: अधिनियमित करने/निरसित करने हेतु किशोर न्याय बोर्ड को पुनर्गठित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) पूरे देश में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत बाल कल्याण समितियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के क्रियान्वयन के दौरान, अनेक मुद्दे जैसे कि संस्थाओं, परिवारों एवं समुदाय में बालकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं में वृद्धि; गृहों में अपर्याप्त सुविधाओं, देखरेख एवं पुनर्वास उपायों की गुणवत्ता; अधिनियम के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं में विलम्ब जैसे कि बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) तथा किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) द्वारा निर्णय जिनके परिणामस्वरूप मामलों की उच्च विचाराधीनता रहती है; दोषपूर्ण एवं अधूरी प्रक्रिया के कारण दत्तक ग्रहण में व्यवधान तथा विलंब; सीडब्ल्यूसी एवं जेजेबी की भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों एवं जवाबदेही के बारे में स्पष्टता का अभाव; 16-18 वर्ष की आयु वर्ग में बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों से निपटना; और बच्चों के विरुद्ध शारीरिक दंड, दत्तक-ग्रहण के प्रयोजनार्थ बच्चों की बिक्री, रैगिंग आदि जैसे प्रतिकारी अपराधों के लिए अपर्याप्त प्रावधानों के मुद्दे उभर कर आये। अधिनियम के क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने अधिनियम को और कठोर बनाने के लिए इसमें संशोधन करने हेतु परामर्श बैठकें आयोजित कीं। उसके बाद एक संशोधन विधेयक का प्रारुप तैयार किया गया और पुनरीक्षा हेतु विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेजा गया। विधायी विभाग ने सुझाव दिया कि चूंकि मौजूदा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की संख्या काफी अधिक है, मौजूदा अधिनियम में संशोधन करने के बजाय निरस्त किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कुछ पक्षकारों ने मौजूदा अधिनियम को निरस्त करने के बजाय इसमें संशोधन करने का सुझाव दिया है। तथापि, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाह पर मौजूदा किशोर न्याय (बालकों देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरस्त करने तथा इसे पुन: अधिनियमित करने का निर्णय लिया है।

(ङ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत गठित बाल कल्याण समितियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	गठित बाल कल्याण समितियों की संख्या (सीडब्ल्यूसी)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	16
3.	असम	27
4.	बिहार	38
5.	छत्तीसगढ़	27
6.	गोवा	2
7.	गुजरात	26
8.	हरियाणा	21
9.	हिमाचल प्रदेश	12
10.	जम्मू और कश्मीर-(कश्मीर क्षेत्र)	—
11.	झारखंड	24
12.	कर्नाटक	31
13.	केरल	14
14.	मध्य प्रदेश	50
15.	महाराष्ट्र	35
16.	मणिपुर	9
17.	मेघालय	7
18.	मिज़ोरम	8
19.	नागालैंड	11
20.	ओडिशा	30
21.	पंजाब	22
22.	राजस्थान	33
23.	सिक्किम	4
24.	तमिलनाडु	32
25.	त्रिपुरा	4
26.	उत्तर प्रदेश	72
27.	उत्तराखंड	13
28.	पश्चिम बंगाल	19
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
30.	चंडीगढ़	1
31.	दादरा और नगर हवेली	1
32.	दमन और दीव	2
33.	लक्षद्वीप	1
34.	दिल्ली	7
35.	पुदुचेरी	3
	कुल	626

[हिन्दी]

पीडब्ल्यूडीवीए के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी

1252. श्री धर्म वीर गांधी : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत देश में प्रत्येक राज्य द्वारा संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनकी नियुक्ति की रीति क्या है अर्थात् वे अनुबंनाधीन हैं, पूर्णकालिक हैं या उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अभी तक इन संरक्षण अधिकारियों को नियुक्ति नहीं की है;

(घ) सरकार द्वारा सभी तीन चरणों, अर्थात्, वाद-पूर्व, वाद के समय और वाद-पश्चात् उक्त अधिकारियों के कार्यकरण की निगरानी के लिए क्या कोई तंत्र बनाया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) और (ख) जी, हां, सभी राज्य सरकारों ने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कर ली है। अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में संरक्षण अधिकारी का कार्यभार विद्यमान राज्य पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया हैं संरक्षण अधिकारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) घरेलू हिंसा के महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीडीडब्ल्यूवीए), 2005 के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, केंद्र सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इसके कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करती है और ऐसी पुनरीक्षा के बाद आदेशानुरूप उन्हें सलाह देती है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा इस अधिनियम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा झेली जा रही परेशानियों पर विचार-विमर्श करने के लिए जनवरी, 2012 में एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया था।

विवरण

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संरक्षण अधिकारियों की संख्या	अतिरिक्त/स्वतंत्र प्रभार
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	104	अतिरिक्त
2.	अरुणाचल प्रदेश	17	अतिरिक्त
3.	असम	22	अतिरिक्त
4.	बिहार	21	स्वतंत्र
5.	छत्तीसगढ़	181	अतिरिक्त
6.	गोवा	13	अतिरिक्त
7.	गुजरात	26	अतिरिक्त
8.	हरियाणा	21	स्वतंत्र
9.	हिमाचल प्रदेश	359	अतिरिक्त
10.	जम्मू और कश्मीर	अधिनियम लागू नहीं	
11.	झारखंड	136	अतिरिक्त
12.	कर्नाटक	214	उपलब्ध नहीं
13.	केरल	14	14 स्वतंत्र
14.	मध्य प्रदेश	368	अतिरिक्त
15.	महाराष्ट्र	597	उपलब्ध नहीं
16.	मणिपुर	8	अतिरिक्त
17.	मेघालय	7	अतिरिक्त
18.	मिज़ोरम	9	अतिरिक्त
19.	नागालैंड	30	उपलब्ध नहीं
20.	ओडिशा	30	अतिरिक्त
21.	पंजाब	154	अतिरिक्त
22.	राजस्थान	574	अतिरिक्त
23.	सिक्किम	4	अतिरिक्त
24.	तमिलनाडु	29	स्वतंत्र
25.	त्रिपुरा	60	उपलब्ध नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	71	अतिरिक्त
27.	उत्तराखंड	13	उपलब्ध नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	20	स्वतंत्र
	संघ राज्य क्षेत्र		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	अतिरिक्त
30.	चंडीगढ़	3	अतिरिक्त

1	2	3	4
31.	दादरा और नगर हवेली	1	उपलब्ध नहीं
32.	दमन और दीव	2	अतिरिक्त
33.	लक्षद्वीप	18	स्वतंत्र
34.	दिल्ली	9	अतिरिक्त
35.	पुदुचेरी	7	अतिरिक्त

[हिन्दी]

उत्पाद-कर और सेवा-कर वंचन

1253. श्री प्रतापराव जाधव :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भेषज कंपनियों द्वारा भेषज उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद-कर और सेवा करों के वंचन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसकी वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वन निवासियों का विकास

1254. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच बार अधिनियमित होने के बावजूद वन निवासी कानून में कई कमियां हैं, जिसके परिणामत: अधिकतर वन निवासियों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्य बड़ी संख्या में वन निवासियों को वन अधिकारियों द्वारा छोड़ने, विस्थापित या प्रताड़ित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या उक्त कानून के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के समय इसमें कई कमियां देखने में आई हैं/उल्लिखित की गई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/प्रस्तावित सुधारात्मक कदम क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुखभाई धनजी भाई वसावा) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के प्रति हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के उपाय के उद्देश्य के अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है। अधिनियम ने इस अधिदेश को 31 मई, 2014 तक अधिनियम के अंतर्गत पात्र दावाकर्ताओं को 14,36,290 अधिकार पत्र वितरित कर पर्याप्त रूप से पूरा किया है।

(ग) और (घ) काफी समय से वन इत्यादि से जनजातियों को बेदखल करने व उनके अधिकारों को प्रदान न करने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस अधिनियम का कार्यान्वयन क्योंकि राज्य/संघ शासित क्षेत्र के पास है इसलिए इन शिकायतों को संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। अधिनियम के कार्यान्वयन में कोई कमी देखी या बतायी नहीं गई है। प्रचालनात्मक मुद्दे जब भी कभी मंत्रालय के ध्यान में लाए जाते हैं तो अधिनियम के अव्यवधानकारी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए उनका उचित रूप से समाधान किया जाता है। मंत्रालय ने 12.7.2012 को राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों को अधिनियम के संशोधित कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देश अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया, साक्ष्य अपेक्षा, लघु वन उत्पादों पर अधिकार, सामुदायिक अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, बेदखली के प्रति सुरक्षा, वन भूमि का अन्यत्र उपयोग व बलपूर्वक स्थान बदलना, जागरुकता बढ़ाना, निगरानी व शिकायत निवारण से संबंधित हैं।

अधिनियम के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक रूपांतरित करने की सुविधा के लिए मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातीय व अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियमावली, 2008 को संशोधित किया है और 6.9.2012 को इसे अधिसूचित किया है। नियमों का संशोधन बसावट या छोटे गांव की पहचान की प्रक्रिया व उनके समेकन की प्रक्रिया के निर्धारण, वन अधिकार समिति की अनिवार्य अनुसूचित जनजाति सदस्यता को वर्तमान की एक तिहाई से बढ़ाकर दो तिहाई करने, ग्राम सभा की बैठकों में कोरम की वर्तमान अपेक्षा को दो तिहाई से घटाकर एक आधा करने, 'वास्तविक आजीविका की आवश्यकताओं' पद को स्पष्ट करने

जिसमें स्वयं व परिवार की आजीविका आवश्यकताओं की पूर्ति शामिल होती है, अधिकारों का उपयोग करके अतिरिक्त उत्पाद की बिक्री, एकत्रकर्त्ता या उनके सहकारी या एसोसिएशन या संघ द्वारा परिवहन के उचित स्थानीय साधनों द्वारा वन क्षेत्र के भीतर या बाहर लघु वन उत्पादों के परिवहन को अनुमति देने, अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया निर्धारित करने सहित जिसमें सामुदायिक अधिकार, सामुदायिक वन संसाधनों के अधिकार के लिए दावा करने के नए फार्म और सामुदायिक वन संसाधन इत्यादि के लिए अधिकार पत्र के नए फार्म सन्निविष्ट करना शामिल है इसमें संबंधित है।

(छ) उपर्युक्त भाग (ङ) व (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों का कार्य निष्पादन

1255. श्री एम.आई. शनवास : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के कार्यकरण और कार्यनिष्पादन का विश्लेषण कर रही है और इस संबंध में कोई शक्ति-प्राप्त समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा एसईजेड के कार्यनिष्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) से (ङ) सरकार ने देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के कार्यकरण और निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए किसी अधिकार-प्राप्त समिति का गठन नहीं किया है।

एसईजेड के कार्यकरण का विनियमन एसईजेड अधिनियम, 2005 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियम से पहले स्थापित केन्द्र सरकार के सात विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) और राज्य/निजी क्षेत्र के ग्यारह एसईजेडों के अतिरिक्त 565 प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनमें से 388 एसईजेड अधिसूचित कर दिए गए हैं। इस समय कुल 185 एसईजेड निर्यात कर रहे हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान एसईजेड से किए गए निर्यात, एसईजेड में सृजित रोजगार, एसईजेडों में किए गए निवेश निम्नानुसार है:—

वित्तीय वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपए)	रोजगार*	निवेश* (करोड़ रुपए)
2011-12	3,64,478	8,44,916	2,01,875
2012-13	4,76,159	10,74,904	2,36,717
2013-14	4,97,077	12,83,309	2,96,663

*संचयी आधार पर परिकलित।

एसईजेड के कार्यकरण की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और सरकार एसईजेड स्कीम के शीघ्र एवं प्रभावी कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए एसईजेड स्कीम की नीति एवं प्रचालनात्मक ढांचे के संबंध में पणधारकों से प्राप्त निविष्टियों/सुझावों के आधार पर आवधिक रूप से आवश्यक कदम उठाती है।

रक्षा उपकरण का उत्पादन

1256. डॉ. थोकचोम मेन्या :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न रक्षा उत्पादों के निर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लाइसेंस-मुक्त करने के उपरांत विदेशी कंपनियों रक्षा उपकरण के उत्पादन में निवेश कर सकती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का रक्षा उपकरण के उत्पादन में निजी कंपनियों को भाग देने के लिए प्रोत्साहित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) से (ङ) दिनांक 26.6.2014 के प्रेस नोट संख्या 3 (2014 शृंखला) के तहत उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम, 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंसों की जरूरत वाले रक्षा

उत्पादों की एक सूची जारी की गई थी। उपर्युक्त प्रेस नोट के तहत, यह निर्णय लिया गया था कि विशेष रूप से सूची में उल्लिखित मदों से इतर दोहरे प्रयोग वाली मदों (सैन्य से असैन्य प्रयोग वाली) को रक्षा की दृष्टि से औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, उन मदों, जो इस सूची का हिस्सा नहीं हैं, को रक्षा प्रयोजन हेतु औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ मदों जैसे उपस्करों के पुर्जे/संघटक, कास्टिंग्स, फोर्जिंग्स, परीक्षण उपस्कर आदि, जिन्हें पहले रक्षा की दृष्टि से लाइसेंस की आवश्यकता होती थी, को किसी प्रकार के औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

2. मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 और एफडीआई नीति में यथा-विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अंतर्गत एफडीआई औद्योगिक लाइसेंस के अध्यधीन है। तथापि, एफडीआई नीति रक्षा उत्पादन सूची के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए उन मदों के विनिर्माण हेतु लागू नहीं है, जिन्हें रक्षा की दृष्टि से औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।

3. रक्षा उत्पादन नीति, 2011 के अनुसार, सरकार का उद्देश्य निजी उद्योग के लिए अनुकूल स्थितियां सृजित करना है ताकि वे रक्षा उपस्कर के उत्पादन में सक्रिया भूमिका निभा सकें, स्वदेशीकरण में लघु व मध्यम उद्यमों की क्षमता बढ़ाई जा सके और देश के रक्षा अनुसंधान और विकास आधार का विस्तार किया जा सके। अब तक सार्वजनिक/निजी कंपनियों को रक्षा उत्पादों की विशाल रेंज के निर्माण के लिए जून, 2014 तक 214 आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में सार्वजनिक और निजी सेक्टर में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य श्रेणियों की अपेक्षा पूंजीगत अधिग्रहण की 'खरीदो (भारतीय)', 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' और 'बनाओ' श्रेणियों को उच्चतर प्राथमिकता देने के लिए संशोधन किया गया है। केंद्रीय बजट 2014-15 में यह घोषणा की गई है कि विदेशी विनिमय की संयुक्त सीमा को 49 प्रतिशत तक बढ़ाया जा रहा है जिसमें पूर्ण भारतीय प्रबंधन होगा और एफआईपीबी रूट के माध्यम से नियंत्रण होगा।

[हिन्दी]

चिकित्सा की आयुष पद्धति

1257. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री रवनीत सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चिकित्सा की आयुर्वेद, योग-प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) पद्धतियों के संवर्धन और विकास हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु नियत और आवंटित की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन दवाइयों की निरापदता और गुणवत्ता हेतु विनियामक उपायों को मजबूत करने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी हेतु केन्द्रीय औषधि नियंत्रक कार्यालय की स्थापना करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध अवसंरचना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाइयों की निरापदता, गुणवत्ता और मानकीकरण हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) और (ख) आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से विभाग ने निम्नलिखित कार्यकलाप आरम्भ किए हैं:—

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में गुणवत्तायुक्त आयुष स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना।
- आयुष चिकित्सकों/वैज्ञानिकों/शिक्षकों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा और प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- इलैक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया, बाह्य प्रचार और राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर आरोग्य मेलों के आयोजन द्वारा जन सामान्य में जागरुकता पैदा करने के लिए देश में आयुष का प्रसार और संवर्धन।
- पद्धति का वैज्ञानिक रूप से विधिमान्यकरण करने के उद्देश्य से और साथ ही आयुष उपचारों की सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए आयुष में गुणवत्तायुक्त अनसुंधान का संवर्धन।
- औषधीय पादपों से गुणवत्तायुक्त कच्ची सामग्री की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आयुष औषधों पर त्वरित भेषहसंहितागत/मानकीकरण कार्य।
- देश के बाहर आयुष का प्रसार और संवर्धन तथा चिकित्सा पद्धति के रूप में इसकी वैश्विक स्वीकार्यता सुनिश्चित करना।

सभी के लिए समग्र स्वास्थ्य परिचर्या की लोकप्रिय पद्धति के रूप में आयुष पद्धतियों को स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से इन कार्यकलापों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां और वर्तमान वर्ष के लिए बजट अनुमान संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

केंद्रीय क्षेत्र में, निधियों की राज्य-वार निर्मुक्ति केवल औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत् प्रबंधन की स्कीम के अंतर्गत ही की गई है, जो संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार निर्मुक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। अभी तक आयुष के लिए केंद्रीय औषध नियंत्रक कार्यालय हेतु 13 पदों के सृजन के लिए सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया है जिसमें औषध नियंत्रक का पद, उप/सहायक औषध नियंत्रकों के लिए 5 पद और 7 औषध निरीक्षकों के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 के दौरान, इस प्रयोजनार्थ 3.00 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।

(ङ) एएसयू औषधों की सुरक्षा, गुणवत्ता और मानकीकरण के लिए निम्नलिखित अन्य उपाय किए गए हैं:—

- आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधों में नैदानिक परीक्षणों के लिए उत्तम नैदानिक पद्धति संबंध दिशा-निर्देश मार्च, 2013 में प्रकाशित किए गए हैं।
- एएसयू औषध उद्योग के लिए जीएमपी अनुपालन संबंधी निरीक्षण हेतु दिशा-निर्देश निकाले गए हैं।
- स्वास्थ्य सुविधाओं में औषधियों के प्रापण को सुविधाजनक बनाने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों की अनिवार्य औषध सूचियां मार्च, 2013 में प्रकाशित की गई हैं।
- आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं के निरीक्षण के लिए प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश पुतिस्का मार्च, 2013 में प्रकाशित की गई है।
- औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अंतर्गत औषध परीक्षण संस्थाओं/प्रयोगशालाओं की मान्यता का पर्यवेक्षण करने के लिए केंद्रीय निरीक्षक और प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- आयुष में नैदानिक परीक्षण संचालित करने के लिए विनियामक अनुमति प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है।
- सरकारी प्रापण अभिकरणों को प्रापण की जा रही औषधियों की विश्लेषणात्मक परीक्षण रिपोर्टें प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं।
- भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) के अधीन संबंधित भेषजसंहिता समितियों के माध्यम से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों के भेषजसंहितागत मानक विकसित किए जा रहे हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष बजट व्यय (योजना) के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रक/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	2011-12 वास्तविक व्यय	2012-13 वास्तविक व्यय	2013-14 वास्तविक व्यय	201415 वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6
क.	**केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें**				
1.	**पद्धति सुदृढ़ीकरण**	**87.90**	**88.05**	**86.72**	**162.70**
(क)	**आयुष विभाग का सुदृढ़ीकरण**	**15.76**	**18.97**	**32.47**	**35.50**
1.	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	14.88	17.72	16.63	22.00
2.	एएसयू विषयक भेषज संहिता समितियां तथा भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम) का सुदृढ़ीकरण	0.88	1.25	0.13	2.50

1	2	3	4	5	6
3.	कार्यालय भवन का अधिग्रहण			15.71	11.00
(ख)	**सांविधिक संस्थाएं**	**0.48**	**0.24**	**1.02**	**1.20**
1.	भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् नई दिल्ली को अनुदान	0.34	0.00	0.83	1.00
2.	केंद्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली को अनुदान	0.14	0.24	0.19	0.20
3.	केंद्रीय भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी फार्मेसी परिषद				
(ग)	**अस्पताल और औषधालय**	**35.75**	**54.96**	**41.09**	**92.50**
1.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली	35.00	54.22	39.62	65.00
2.	सीजीएचएस में आयुष का विस्तार	0.75	0.74	1.27	1.50
3.	अखिल भारतीय योग संस्थान		0.00		0.50
4.	अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान		0.00		0.50
5.	अखिल भारतीय यूनानी चिकित्सा संस्थान		0.00	0.20	25.00
(घ)	**भेषजसंहिता प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण**	**25.87**	**1.96**	**1.56**	**11.00**
1.	भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	1.10	0.99	0.80	1.40
2.	होम्योपैथिक भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	0.77	0.97	0.76	1.00
3.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आईएमपीसीएल, मोहान, उत्तर प्रदेश)	24.00	0.00		7.00
4.	होम्योपैथिक मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लि.		0.00		1.60
(ङ)	**सूचना, शिक्षा और संचार**	**8.94**	**11.26**	**8.84**	**17.50**
1.	सूचना, शिक्षा और संचार	8.94	11.26	8.84	17.50
(च)	**आयुष और जन स्वास्थ्य**	**1.10**	**0.66**	**1.74**	**5.00**
2.	**शैक्षणिक संस्थाएं**	**128.59**	**145.83**	**123.65**	**188.90**
1.	आईपीजीटीआरए, जामनगर	8.59	5.66	4.67	6.00
2.	एनआईए, जयपुर	18.00	26.31	29.00	24.00
3.	आरएवी, नई दिल्ली	0.67	3.08	3.30	6.50
4.	एनआईएस, चेन्नई	18.70	14.40	21.50	28.00
5.	एनआईएच, कोलकाता	21.37	25.00	21.64	30.00
6.	एनआईयूएम, बेंगलूरु	13.00	17.13	22.50	17.40
7.	एमडीएनआईवाई, नई दिल्ली	7.31	8.35	10.42	9.00
8.	एनआईएन, पुणे	6.00	5.34	5.55	9.00

1	2	3	4	5	6
9.	उत्तर-पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग	19.00	26.54	0.26	24.00
10.	उत्तर-पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट	7.00	12.52	0.60	13.50
11.	आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा आदि में कार्यरत गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता	8.95	1.50	4.21	20.00
12.	राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान		0.00		1.00
13.	राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान		0.00		0.10
14.	भारतीय आयुष भेषजीय विज्ञान संस्थान		0.00		0.10
15.	राष्ट्रीय जरा चिकित्सा संस्थान#				0.10
16.	राष्ट्रीय चयापचयी एवं जीवनशैली रोग संस्थान				0.10
17.	राष्ट्रीय मादक पदार्थ एवं तंबाकू नशा मुक्ति संस्थान				0.10
3.	**औषधीय पादप सहित अनुसंधान एवं विकास**	**216.39**	**220 58**	**279.32**	**294.20**
	अनुसंधान परिषदें	**164.40**	**179.76**	**217.46**	**224.20**
1.	सीसीआरएएस, नई दिल्ली	56.00	60.00	72.50	68.00
2.	सीसीआरयूएम, नई दिल्ली	53.27	54.10	64.77	61.00
3.	सीसीआरवाईएन, नई दिल्ली	12.70	0.00	4.50	13.70
4.	सीसीआरएच, नई दिल्ली	32.20	49.86	62.00	58.00
5.	सीसीआरएस, चेन्नई	6.00	15.00	11.00	15.00
6.	अनुसंधान संस्थाओं आदि द्वारा बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं	1.34	0.40	1.75	4.00
7.	भाचिप एवं हो. बौद्धिक सम्पदा अधिकार हेतु पेटेन्ट प्रकोष्ठ (टीकेडीएल में)	2.00	0.00	0.00	2.00
8.	भाचिप एवं होम्यो चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग और स्वीकार्यता पर सर्वेक्षण	0.89	0.40	0.94	2.00
9.	केन्द्रीय सोवा-रिग्पा अनुसंधान परिषद्	0.00	0.00	0.50	
	औषधीय पादप	**51.99**	**40.82**	**61.86**	**70.00**
1.	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	51.99	40.82	61.86	70.00
4.	**एचआरडी (प्रशिक्षण कार्यक्रम/अध्येतावृत्ति/ज्ञानार्जन दौरा/कौशल उन्नयन आदि)**	**1.65**	**1.64**	**1.18**	**4.00**
1.	आयुष कार्मिकों का पुनर्भिविन्यास प्राधिकरण कार्यक्रम/सतत् चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई)	1.65	1.64	1.18	4.00

1	2	3	4	5	6
5.	**पांडुलिपियों का सूचीकरण, अंकीकरण तथा आयुष आईटी नेटवर्क**	**0.06**	**0.00**	**0.16**	**0.50**
1.	सूचीकरण, अंकीकरण तथा आयुष आईटी नेटवर्क		0.00		
2.	ग्रंथों एवं पांडुलिपियों का अर्जन, सूचीकरण, अंकीकरण तथा प्रकाशन	0.06	0.00	0.16	0.50
6.	**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**	**2.40**	**3.38**	**1.40**	**8.00**
1.	आयुष विषयक अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान कार्यक्रम/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं	2.40	3.38	1.40	8.00
7.	**आयुष उद्योग का विकास**	**8.67**	**9.28**	**4.64**	**24.50**
1.	आयुष उद्योग समूहों हेतु साझा सुविधाओं का विकास	8.32	8.92	4.20	24.00
2.	विकासशील बाजार अवसर सृजित करने के उद्देश्य से मेलों में भाग लेने/बाजार का अध्ययन करने के लिए आयुष उद्योग को प्रोत्साहन	0.35	0.36	0.44	0.50
8.	**आयुष के अंतर्गत स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं/प्रसूति अभ्यासों आदि में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों का वित्तपोषण**	**1.08**	**0.02**	**0.48**	**1.00**
9.	**भाचिप औषधों के लिए भेषजसतर्कता पहल**		**0.00**	**0.00**	**2.00**
10.	**राष्ट्रीय आयुष पुस्तकालय एवं अभिलेखागार**		**0.00**	**0.00**	**0.40**
11.	**आयुष के लिए केन्द्रीय औषध नियंत्रक**		**0.00**	**0.00**	**3.00**
	कुल: क (केन्द्रीय क्षेत्रक)	446.74	468.78	497.55	689.20
ख.	**केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें**				
1.	**आयुष का संवर्धन**	**115.63**	**72.60**	**0.98**	**298.00**
(क)	संस्थाओं का विकास	21.00	0.00	0.00	50.00
(ख)	अस्पताल और औषधालय (एनआरएचएम के अंतर्गत)	93.43	71.95	0.98	240.00
1.	आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों का विकास और आयुष को मुख्य धारा में शामिल करना।	93.43	71.95	0.98	240.00
(ग)	औषध गुणवत्ता नियंत्रण	1.20	0.65	0.00	8.00
	नई पहलें	**49.10**	**39.22**	**54.31**	**70.00**
2.	विशिष्टता क्लीनिकों/आईपीडी की स्थापना हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी	0.03	0.00	0.00	0.00
3.	राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन	49.07	39.22	54.31	70.00

1	2	3	4	5	6
	नई स्कीमें		**0.00**	**0.00**	**11.80**
	आयुष राष्ट्रीय मिशन				11.80
	कुलः ख (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें)	164.73	111.82	55.29	379.80
	कुल केंद्रीय योजना परिव्यय (क+ख)	611.47	580.60	552.84	1069.00

विवरण-II

औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत् प्रबंधन के लिए स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार निर्मुक्त की गई निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड		
		2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2.33	0.45	1.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.48	0.00	0.05
3.	असम	0.07	0.04	0.29
4.	बिहार			
5.	छत्तीसगढ़	1.26	1.79	3.74
6.	दिल्ली	1.12	0.39	0.88
7.	गोवा	0.05	0.00	0.00
8.	गुजरात	1.89	6.10	1.33
9.	हरियाणा	0.47	0.00	0.11
10.	हिमाचल प्रदेश	3.27	0.11	0.40
11.	जम्मू और कश्मीर	0.16	0.33	1.75
12.	झारखंड	1.00	1.39	0.00
13.	कर्नाटक	1.16	1.92	2.81
14.	केरल	5.07	0.51	1.62
15.	मध्य प्रदेश	8.99	2.22	13.39
16.	महाराष्ट्र	5.19	8.91	6.62
17.	मणिपुर	0.21	0.16	0.13
18.	मेघालय	0.05	0.00	0.00
19.	मिज़ोरम	0.05	2.65	1.75
20.	नागालैंड	1.40	0.75	0.99
21.	ओडिशा	1.80	0.03	0.97
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.39
23.	राजस्थान	4.55	5.98	6.84
24.	सिक्किम	3.22	1.77	5.47
25.	तमिलनाडु	0.25	0.17	1.90
26.	त्रिपुरा	0.52	0.90	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	2.00	0.04	1.89
28.	उत्तराखंड	1.79	0.21	1.33
29.	पश्चिम बंगाल	0.03	0.74	1.09
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.41
31.	चंडीगढ़	0.00	0.17	0.05
32.	दमन और दीव			
33.	दादरा और नगर हवेली			
34.	लक्षद्वीप			
35.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.02
	कुल	48.38	37.73	58.16

विवरण-III

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार निर्मुक्त की गई निधियां दर्शाने वाला विवरण

(रुपये करोड़)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आयुष संस्थाओं/कॉलेजों का विकास और उन्नयन			अस्पताल और औषधालय			औषध गुणवत्ता नियंत्रण			राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड		
		2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14
1.	आंध्र प्रदेश				0.76	3.80					5.13	8.34	9.64
2.	अरुणाचल प्रदेश				2.55						2.85		1.19
3.	असम				3.04						1.15	1.63	
4.	बिहार				4.21								
5.	छत्तीसगढ़	0.75			0.27						1.87		
6.	दिल्ली				0.13	1.16							
7.	गोवा						0.15						
8.	गुजरात										0.47		
9.	हरियाणा				1.84						0.85		1.71
10.	हिमाचल प्रदेश				8.75	1.19			0.65		0.84		0.98
11.	जम्मू और कश्मीर				8.64	2.40							
12.	झारखंड	5.26			0.18						2.58		
13.	कर्नाटक	3.00			1.50	5.54							2.17
14.	केरल				2.78			0.20			2.23	2.10	2.64
15.	मध्य प्रदेश				3.59	7.83		1.00			3.03	4.75	3.95
16.	महाराष्ट्र	1.00			8.80	11.93					3.27		6.82
17.	मणिपुर				7.65						1.39	0.58	1.06

18. मेघालय				2.16						0.92		
19. मिज़ोरम				7.87	0.67					1.60	0.09	0.18
20. नागालैंड				2.23						1.81	1.88	1.76
21. ओडिशा				0.71						4.76	1.11	1.51
22. पंजाब	3.01			1.01	4.10							
23. राजस्थान	3.50			6.37								0.29
24. सिक्किम				2.17	0.23					0.91	1.62	1.38
25. तमिलनाडु				1.22						9.61	7.42	10.23
26. त्रिपुरा				6.50						0.84		
27. उत्तर प्रदेश					21.78						8.35	4.24
28. उत्तराखंड	3.00			5.81				0.00		2.63		2.79
29. पश्चिम बंगाल	1.48			1.78	10.88			0.00				
30. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह					0.07	0.68						
31. चंडीगढ़												
32. दादरा और नगर हवेली				0.02								
33. दमन और दीव				0.04								
34. लक्षद्वीप				0.76	0.28							
35. पुदुचेरी												
कुल	21.00	0.00	0.00	93.34	71.86	0.83	1.20	0.65	0.00	48.74	37.87	52.54

टिप्पण: 2014-15 के दौरान अभी तक किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई है।

तटीय सुरक्षा

1258. श्रीमती रंजीत रंजन :
श्री राजेश रंजन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हाल ही में तटीय सुरक्षा उपकरणों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे पर्याप्त उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) देश में तटीय सुरक्षा उपकरणों की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। हमारे तट पर तटीय सुरक्षा समुद्री पुलिस, तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना द्वारा मुहैया कराई जाती है। सरकार ने तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें निगरानी तंत्र में सुधार करना और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए वर्धित गश्त, शामिल हैं। द्विपीय राज्य क्षेत्रों सहित तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय पुलिस, सीमा शुल्क और अन्य के बीच नियमित आधार पर संयुक्त संक्रियात्मक अभ्यास संचालित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सहित विभिन्न एजेंसियों को शामिल करते हुए सरकार द्वारा विभिन्न तंत्रों की सतत् समीक्षा और मॉनीटरिंग स्थापित की गई है। संयुक्त प्रचालन केन्द्रों और मल्टी-एजेंसी समन्वय तंत्र के सृजन के जरिए आसूचना तंत्र को भी सरल और कारगर बनाया गया है।

[अनुवाद]

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं

1259. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी) का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन राज्यों में इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग करने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार के पास कौन-सा तंत्र है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुखभाई धनजी भाई वसावा) : (क) और (ख) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां (आईटीडीए) अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सामान तथा सेवाओं की सुपुर्दगी हेतु विशिष्ट रूप से सृजित किए गए संस्थान हैं। वे केंद्रीय तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों तक पहुंच बनाते हैं। देश में 17 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा 2 संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा दमन और दीव में फैले 195 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां (आईटीडीए) हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ओडिशा राज्य सहित अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ आवंटित एवं निर्मुक्त निधियों की योजनावार/राज्यवार प्रमात्र संबंधी जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई निधियों की उपयोगिता एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) से (च) मंत्रालय की योजनाओं के तहत निधि के दुरुपयोग को दर्शाने वाली कोई विशिष्ट रिपोर्टें राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त नहीं हुई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा योजना आयोग वास्तविक परिणामों में बदलने वाले सहमत उद्देश्यों के अनुरुप जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) निधियों के उपयोग के लिए संबंधित राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से लगतार आग्रह कर रहे हैं।

योजना आयोग ने 18 जून, 2014 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है। दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ जनजातीय क्षेत्र के लिए निर्धारित निधियों के अन्यत्र उपयोग न किए जाने तथा प्रावधानों, सेवा आपूर्ति मानकों और परिणामों को शामिल करते हुए सुपरिभाषित संकेतकों के साथ व्यापक निगरानी रूपरेखा को अनुबद्ध करते हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मार्च, 2014 माह में "जनजातीय उप-योजना तथा अनुच्छेद 275(1) के अनुदानों के निरुपण, कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश" भी जारी किए हैं जिसमें निधियों के आवंटन, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, राज्यों में नोडल विभागों हेतु आवश्यकता, टीएसपी निधि का विवेकपूर्ण उपयोग तथा पादर्शिता, उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखा परीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए साधनों के संस्थानीकरण से संबंधित मुद्दों का उपयुक्त रूप से ध्यान रखा गया है। प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों ने संस्थानों अर्थात् एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी

(आईटीडीए)/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) जिसके माध्यम से राज्य में जनजातीय कल्याणकारी कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है, के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान निधियों के योजनावार आवंटन के ब्यौरे

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	निधियों का आवंटन			
		2011-12	2012-13	2013-14	201415
1.	जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)	1197.00	1317.00	1317.00	1317.00
2.	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	1096.01	1200.00	1200.00	1200.00
3.	लघु वन उत्पाद प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम आदि को सहायता अनुदान	20.00	20.00	20.00	15.00
4.	न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पाद और लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	इस योजना को 1.08.2013 को मंत्रिमंडल द्वारा को अनुमोदित किया गया निधियां वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उपलब्ध कराई गईं।			
5.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	55.50	55.50	55.50	35.00
6.	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग	4.50	4.50	40.00	40.00
7.	न्यून साक्षरता जिलों में अनुसूचित जनजातीय लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	40.00	40.00	40.00	40.00
8.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (गैर-सरकारी संगठन घटक)	3.00	3.00	3.00	3.00
9.	अनुसूचित जनजातियों के लिए बालक बालिका छात्रावास।	78.00	78.00	125.00	
10.	जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम विद्यालयों की स्थापना	75.00	75.00	75.00	
11.	अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए दसवीं के बाद छात्रवृत्ति	677.50	748.50	748.50	1036.84
12.	प्रतिभा का उन्नयन	1.50	1.50	1.50	
13.	कक्षा में पढ़ने वाले जरूरतमंद 9 व 10 अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए दसवीं पूर्व छात्रवृत्तियां	50.00	86.00	212.19	
14.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	6.00	6.00	6.00	
15.	अनुसूचित जनजातियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा	5.00	13.00	13.00	
16.	अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	1.00	1.00	1.00	1.00
17.	राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप	62.00	90.00	90.00	50.00
18.	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का विकास	244.00	244.00	244.00	207.00
19.	अनुसंधान सूचना व जन शिक्षा जनजातीय उत्सव व अन्य	10.50	10.50	10.50	17.34

टिप्पणी: कुछ योजनाओं के लिए निधियों का राज्य-वार आवंटन निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि योजनाएं आवश्यकता आधारित और मांग संचालित है।

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्तियों की राज्य-वार और योजना-वार स्थिति

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	भारत के संविधान का अनुच्छेद 275(1)				उपजनजातीय योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता				लघु वन उत्पादों के प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों के लिए सहायता अनुदान			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	आंध्र प्रदेश	7998.00	4834.00	350.00	0.00	6057.00	4125.00	5789.00	719.56	194.00	264.00	120.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1082.83	0.00	832.19	268.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	3419.00	0.00	3540.25	0.00	5475.00	4674.00	6563.63	1062.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	959.00	0.00	0.00	0.00	1147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	9294.00	8534.00	9172.11	2207.01	10645.00	9478.00	9478.00	2139.35	200.00	189.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	9426.00	4629.60	10275.69	2515.73	8838.00	7410.00	8448.00	2438.61	150.00	160.00	177.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	431.00	474.00	474.00	110.63	1851.00	1262.00	1768.00	107.24	10.00	7.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1390.00	150.34	1146.75	0.00	1143.00	0.00	1702.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	9181.00	7369.50	9280.40	2438.96	10704.00	11413.25	12187.00	2364.19	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	4263.00	4800.00	4800.00	1198.73	2170.00	1853.25	2471.00	1161.98	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	केरल	463.00	510.00	510.00	136.78	574.00	549.00	549.00	132.59	14.00	0.00	6.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	14015.50	16518.04	15793.47	4321.21	15593.85	17525.00	17525.00	4188.73	472.00	0.00	0.00	0.00
14.	महाराष्ट्र	10805.00	2911.00	12489.00	2965.17	7055.93	0.00	7728.00	2874.26	330.72	245.00	67.07	0.00
15.	मणिपुर	937.00	1031.00	1031.00	254.68	705.00	1230.00	1581.90	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	2798.00	0.00	2924.38	721.07	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	106.00	0.00
17.	मिज़ोरम	1056.00	810.75	1133.61	292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	45.00	0.00
18.	नागालैंड	2301.00	2454.00	2886.93	482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19.	ओडिशा	11347.00	11283.99	14706.50	2705.77	14449.15	13321.00	13321.00	2622.81	315.00	233.00	193.00	0.00
20.	राजस्थान	7642.00	7737.98	9437.80	2606.40	1840.00	7441.00	8377.00	2526.49	29.28	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	259.00	272.58	302.90	58.22	451.01	437.00	437.00	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	614.25	0.00	901.00	224.20	572.00	0.00	651.00	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.88	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	त्रिपुरा	1250.00	1375.00	1355.00	329.18	2244.00	1955.00	2102.10	319.09	38.00	52.00	54.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	1484.91	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तराखंड	0	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	6066.99	6104.00	6104.00	1494.39	4720.00	2580.75	4181.36	1448.57	170.00	126.00	231.93	0.00

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	*न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पाद और लघु उत्पाद के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास				अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठन के लिए सहायता अनुदान				अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	132.95	120.67	330.83	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	472.04	80.33	671.32	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.56	83 90	99.76	10.95	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.000	43.65	132.95	0.00	330.83	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	5.00	0.00	156.39	0.00	83.78	100.02	35.97	0.00	12.97	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	161.47	1.57	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	24.15	0.00	480.44	118.50	307.29	12.68	17.75	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	303.79	94.66	166.74	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	148.37	62.64	70.23	61.52	10.32	1395000	2.75	0.00
13.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	34.89	0.00	73.69	53.86	64.80	0.00	35.14	0.00	21.32	0.00
14.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	8.25	0.00	112.69	231.46	62.82	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	137.66	125.42	213.81	0.00	15.20	23.98	14.84	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	642.55	293.49	857.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मिज़ोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	77.24	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	ओडिशा	0.00	0.00	40.00	0.00	1243.85	183.05	222.21	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.20	0.00	81.52	0.00	0.00	51.42	86.94	0.00	66.54	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	57.47	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	45.72	23.30	34.33	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	32.98	32.94	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	91.70	16.67	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	83.69	28.57	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	574.62	234.21	360.57	24.59	13.31	0.00	0.00	0.00
28.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93	7.35	0.00	0.00	25.50	7.13	0.00	0.00

*यह योजना मंत्रिमंडल द्वारा 01.08.2013 को अनुमोदित की गई थी। निधियां वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंतिम माह में उपलब्ध करायी गई थी।

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	कम साक्षरता वाले जिलों में अ.ज.जा. की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण				जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण				विशेष रूप से कमजोर समूहों पूर्व में आदिम जनजातिय समूहों (पीटीजी) के विकास की योजना के रूप में ज्ञात)			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1188.32	0.00	12.95	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2292.400	2000.000	3000.000	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	118.60	88.08	74.16	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	36.63	37.23	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1659.770	2011.694	1422.900	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	82.44	0.00	1459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2035.200	700.000	10000.000	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	36.02	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.823	645.976	378.208	0.00
11.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	6.12	53.88	0.00	1225.608	707.372	26.679	0.00
12.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.000	0.000	600.000	0.00
13.	मध्य प्रदेश	612.80	0.00	685.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6545.320	4350.000	4500.000	0.00
14.	महाराष्ट्र	51.59	59.48	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	28.300	2610.000	0.00
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000	100.000	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मिज़ोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	36.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	ओडिशा	986.68	623.30	1622.55	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1224.728	3260.000	2000.00	0.00
20.	राजस्थान	88.91	3.00	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2677.000	1500.000	700.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.75	0.00	1161.047	1446.658	2026.757	0.00
23.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.400	700.000	950.000	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	400.00	0.000	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	1300.000	0.00
28.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.000	0.000	0.75	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	अ.ज.जा. की लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास				जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना				अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	418.3	0.00	0.00	0.00	0.00	988.49	371.87	0.00	16697.74	19438.70	4895.17	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1201.64	279.81	846.73	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	633.00	1366.85	2.29
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.60	0.00	4210.81	4537.69	4756.81	1114.00

4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.42	90.00	23.00	23.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.36	0.00	0.00	4034.11	315031	1341.47	787.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	26.77	8.00	2.00	2.00
7.	गुजरात	0.00	187.06	939.33	0.00	1500.00	0.00	0.00	0 00	8482.59	2460.71	7138.58	615.00
8.	हिमाचल प्रदेश	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141 84	948.52	282.83	237.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.48	710.06	177.00	177.00
10.	झारखंड	716.00	0.00	000	0 00	000	0.00	0.00	0.00	3374.06	1344.21	3267.40	336.00
11.	कर्नाटक	283.99	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6149.11	2522.75	3340.76	630.00
12.	केरल	250.00		553.45	1949.63	0.00	1025.02	0.00	0.00	957 08	329.45	625.53	82.00
13.	मध्य प्रदेश	1223.43	2291.57	0.00	0.00	2815.11	0.00	0.00	0.00	4591.67	9542.45	5276.71	2385.00
14.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	2474.63	0.00	8820.42	4604.38	11996.04	1151.00
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4742.29	4243.64	6111.01	1060 00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	2752.38	1753.42	3438.00	4.38.00
17.	मिज़ोरम	392.33	0.00	2289.42	0.00	0.00	0.00	000	0.00	3732.93	354661	5393.89	886.00
18.	नागालैंड	0.00	0.00	810 94	0.00	0.00	000	0.00	0.00	2813.71	2191.09	2626.19	547.00
19.	ओडिशा	0.00	1697.50	0.00	0.00	2550.00	2458.90	2091.10	0.0	1809.47	5405.95	3459.87	535.00
20.	राजस्थान	1000.00	1500.00	2646.87	0.00	634.89	0.00	0.00	0.00	6031.54	2142.99	2216.02	1351.00
21.	सिक्किम	0.0	460.29	000	0.00	0.00	0.00	575.27	0.00	198.00	414.15	845.49	103.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	112.73	0.00	0.00	0.00	000	0.00	78.91	178.66	1436.02	44.00
23.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	त्रिपुरा	1553.83	883.77	1906.01	0.00	0.00	797.23	954.52	0.00	1358.95	1036.47	1390.99	259.00
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.72	227.00	56.00	56.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	उत्तराखंड	37.48	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	702.78	657.98	1086.50	164.00
27.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2045.22	949.16	2277.63	237.00
28.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.75	0.75
30.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76	4.00	10.90	1.00
31.	वीर नर्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात	0	62.92	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी, उत्तर प्रदेश	0	0	0	304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	मिज़ोरम विश्वविद्यालय	182	437.08	0	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय, बेंगलूरु (कर्नाटक)	100	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	218	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	प्रतिभा का उन्नयन				कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियां				अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	113.02	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	211.88	0.00	0.00	89.00	390.51	485.70
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	54.60	17.70	0.00	0.00	0.00	593.00	0.00	0.00	107.86	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2835.28	0.00	228.96	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	039	0.39	0.00	0.00	0.00	20.00	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	3320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3400.00	0.00	0.00	50.16	88.00	150.74	0.00
14.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	729.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	296.77	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.	मिज़ोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	123.19	0.00	10.00	88.00	69.68	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3128.00	5601.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	1.74	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4792.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	340.00	674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	460.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	2620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
		जनजातीय अनुसंधान संस्थान				जनजातीय त्योहारों का आयोजन				अखिल भारतीय तथा अंतर्राज्यीय प्रकृति की सहायक परियोजनाएं			
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	1.97	0.54	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	40.84	27.56	60.01	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00		7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	15.50	0.00	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	15.00	0.00	16.10	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	8.50	16.00	29.00	0.00	0.00	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	केरल	43.87	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	54.275	77.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
14.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
15.	मणिपुर	55.50	68.64	56.50	0.00	7.50	10.00	7.50	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मिज़ोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	ओडिशा	50.34	115.31	109.8	0.00	7.50	10.00	7.50	0.00	0.92	1.325	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0ए00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	9.88	28.02	0.00	0.00	7.50	10.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
25.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	0.68	0.62	0.00
27.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	2.91	0.00	0.00

*यह योजना मांग आधारित है तथा कोई पूर्व आवंटन नहीं किया गया है। निधियां सरकार तथा एनजीओ को निर्मुक्त की गई हैं।

अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को निर्मुक्त निधियां

क्र. सं.	वर्ष	निर्मुक्त निधियां (लाख रुपए में)
1.	2011-12	8463.00
2.	2012-13	4500.00
3.	2013-14	0.00
4.	2014-15	0.00

अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना के तहत निर्मुक्त निधियां

क्र. सं.	वर्ष	निर्मुक्त निधियां (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	2011-12	78.31
2.	2012-13	100.00
3.	2013-14	68.00
4.	2014-15	1.05

उच्च श्रेणी शिक्षा की योजना के तहत निर्मुक्त निधियां

क्र. सं.	वर्ष	निर्मुक्त निधियां (लाख रुपए में)
1.	2011-12	697.00
2.	2012-13	1011.00
3.	2013-14	950.00
4.	2014-15	158.39

टिप्पण:— उपर्युक्त तीन योजनाओं के संबंध में निधियां राज्यों को नहीं अपितु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/संस्थानों के माध्यम से निर्मुक्त की जाती हैं।

उत्कृष्टता केन्द्र के लिए निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	भाषा अनुसंधान एवं प्रकाशन, वड़ोदरा, गुजरात के लिए अनुदान	30.00	19.99	19.70	
2.	एनआईआरडी, हैदराबाद के लिए अनुदान	0.00	28.87	0.00	9.40
3.	बीएआईएफ, पुणे के लिए अनुदान	0.00	15.87	9.12	0.00

टिप्पण:— योजना मांग आधारित है तथा कोई पूर्व अवंटन नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

चिकित्सा और परा-चिकित्सा कॉलेजों/ संस्थानों का वितरण

1260. श्री प्रहलाद सिंह पटेल :
डॉ. अरुण कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा और परा-चिकित्सा कॉलेजों/संस्थानों का असंतुलित वितरण देशभर में लोगों को प्रभावी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में एक बड़ी बाधा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देशभर में चिकित्सा और परा-चिकित्सा कॉलेजों/संस्थानों की संख्या तथा इनमें सीटों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में चिकित्सा और पराचिकित्सा कॉलेजों/संस्थानों के

वितरण में भौगोलिक और ग्रामीण-शहरी असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान हेतु चिकित्सा और परा-चिकित्सा कॉलेजों/संस्थानों तथा स्नातकोत्तर संस्थानों की स्थापना करने, विशेषकर देश के वैसे क्षेत्रों में जहां इनकी कमी है स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) और (ख) देश में मेडिकल कॉलजों/संस्थानों तथा चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता में असंतुलित वृद्धि हुई है जो देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवा की प्रदानगी को प्रभावित कर रही है। देश भर में सीटों की संख्या सहित मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। तथापि, परा-चिकित्सा शिक्षा के लिए केई विनियामक निकाय नहीं है और इस संबंध में केन्द्रीय रूप से कोई आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस मंत्रालय ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् विनियमों की समीक्षा की है और भौगोलिक तथा ग्रामीण-शहरी असंतुलन से निपटने के लिए संशोधन किए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में 10 किमी. से कम की दूरी पर 2 भूखंड पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा सकते हैं। भूमि के 2 खंड 1 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और मौजूदा जिला अस्पताल को एक मेडिकल कॉलेज से संबद्ध करने की छूट को बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 8 अल्पसेवित राज्यों का विस्तारित किया गया है।

(घ) और (ङ) "मौजूदा जिला और रेफरली अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना" के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। स्कीम के तहत देश के अल्पसेवित क्षेत्रों के 58 जिलों को चिह्नित किया गया है। ऐसे जिला/रेफरल अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। स्कीम में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच निधि के पूर्वोत्तर/विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु 90:10 के अनुपात में तथा अन्य राज्यों के लिए 75:25 के अनुपात में हिस्सेदारी का प्रावधान है। संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के क्षेत्र में मानवशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए "एकबारगी अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय परा-चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एनआईपीएस), क्षेत्रीय परा-चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आरआईपीएस) की स्थापना तथा परा-चिकित्सा पाठ्यक्रम के संचालन हेतु राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज को सहायता प्रदान करना" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है।

विवरण-I

शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिए देश में मेडिकल कॉलेजों और एमबीबीएस सीटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	सरकारी		निजी		कुल	
		कॉलेज की संख्या	सीटें	कॉलेज की संख्या	सीटें	कॉलेज की संख्या	सीटें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	17	2700	29	4200	46	6900
2.	असम	6	726	0	0	6	726
3.	बिहार	9	950	4	360	13	1310
4.	चंडीगढ़	1	100	0	0	1	100
5.	छत्तीसगढ़	5	550	1	150	6	700
6.	दिल्ली	5	800	2	200	7	1000
7.	गोवा	1	150	0	0	1	150

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	गुजरात	9	1530	13	1350	22	2880
9.	हरियाणा	3	400	4	400	7	800
10.	हिमाचल प्रदेश	2	200	1	150	3	350
11.	जम्मू और कश्मीर	3	400	1	100	4	500
12.	झारखंड	3	350	0	0	3	350
13.	कर्नाटक	12	1500	35	5405	47	6905
14.	केरल	9	1250	21	2400	30	3650
15.	मध्य प्रदेश	6	806	7	1050	13	1850
16.	महाराष्ट्र	19	2600	26	3395	45	5995
17.	मणिपुर	2	200	0	0	2	200
18.	मेघालय	1	50	0	0	1	50
19.	ओडिशा	3	550	5	600	8	1150
20.	पुदुचेरी	1	150	7	1050	8	1200
21.	पंजाब	3	450	7	845	10	1295
22.	राजस्थान	8	1400	4	600	12	2000
23.	सिक्किम	0	0	1	100	1	100
24.	तमिलनाडु	21	2715	24	3200	45	5915
25.	त्रिपुरा	2	200	0	0	2	200
26.	उत्तर प्रदेश	14	1849	18	2250	32	4099
27.	उत्तराखंड	2	500	2	250	4	450
28.	पश्चिम बंगाल	14	2050	3	400	17	2450
29.	एम्स	7	677	0	0	7	677
30.	जिपमेर	1	127	0	0	1	127
	कुल	189	25624	215	28455	404 #	54079 ^

#5 निजी मेडिकल कॉलेजों नामत: केजे मेहता सामान्य अस्पताल और आयुर्विज्ञान कॉलेज, अमरगढ़, गुजरात (150 सीटें); केसरसाल मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद (100 सीटें); विवेकानंद आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, वलिया, गुजरात (100 सीटें); एसीएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, चेन्नई (150 सीटें); डीडी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तिरुवल्लूर, चेन्नई (150 सीटें) गैर-प्रचलानात्मक (बंद) हैं। इन 5 कॉलेजों के 650 सीटों को इन आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।

^46 मेडिकल कॉलेजों को 3920 एमबीबीएस सीटों की दाखिला क्षमता के साथ वर्ष 2014-15 में अनुमति के नवीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिन्हें देश में कुल दाखिला क्षमता दर्शाने वाले 54079 एमबीबीएम सीटों के इस आंकड़े से हटाया नहीं गया है। प्रवेश के लिए सीटों की वास्तविक उपलब्धता इससे कम होगी।

विवरण-II

"जिला/रेफरल अस्पतालों के साथ संलग्न नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना" के लिए योजना के अंतर्गत चिह्नित जिलों की सूची

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	जिला/रेफरल अस्पतालों की संख्या	जिले का नाम
1	2	3	4
1.	असम	4	नौगांव
			उत्तरी लखीमपुर
			दिफू में कार्बी आंगलोंग
			दुबरी
2.	बिहार	3	समस्तीपुर*
			सारन (छापरा)
			पुर्णिया
3.	छत्तीसगढ़	2	राजनन्दगांव
			सरगुजा
4.	हरियाणा	1	भिवानी
5.	हिमाचल प्रदेश	3	चंबा
			नाहन (सिरमौर)
			हमीरपुर
6.	झारखंड	3	दुमका
			पलामू
			हजारीबाग
7.	जम्मू और कश्मीर	5	अनंतनाग
			डोडा
			बारामूला
			कठुआ
			रजौरी
8.	मध्य प्रदेश	7	छिन्दवाडा
			रतलाम
			शिवपुरी
			शहडोल
			विदिशा
			दतिया
			खंडवा
9.	महाराष्ट्र	1	गोंदिया
10.	ओडिशा	5	बालासोर
			बोलनगीर
			कोरापुट
			बारीपदा (मयूरभंज)
			पुरी
11.	पंजाब	1	एस.ए.एस. नगर
12.	राजस्थान	7	भरतपुर
			डूंगरपुर
			बाड़मेर
			अलवर
			चुरु
			भीलवाड़ा
			पाली
13.	पश्चिम बंगाल	5	बीरभूम (रामपुर हाट)
			कूच बिहार
			पुरुलिया
			उत्तर दिनाजपुर (जिला अस्पताल राजगंज)
			दक्षिण 24 परगना

1	2	3	4
14.	उत्तर प्रदेश	5	फ़ैज़ाबाद बहराइच बस्ती फ़िरोज़ाबाद शाहजहांपुर
15.	उत्तराखंड	1	अल्मोड़ा
16.	अरुणाचल प्रदेश	1	पापुन पारे जनरल अस्पताल, नहरलागुन, ईटानगर
17.	मेघालय	1	पश्चिमी गारो हिल्स, तुरा
18.	मिज़ोरम	1	फल्कवान में रेफरल अस्पताल
19.	नागालैंड	1	कोहिमा (नगा अस्पताल)
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	पोर्ट ब्लेयर
	कुल	58	

*200 बेड की उपलब्धता के अधीन।

[अनुवाद]

क्रेडिट/डेबिट/एटीएम कार्ड संबंधी धोखा-धड़ी

1261. श्री संजय धोत्रे :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में क्रेडिट/डेबिट/एटीएम कार्ड संबंधी धोखा-धड़ी के मामले कई गुणा बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा ऐसे मामलों में संलिप्त पाये गये बैंक कर्मचारियों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों को दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने तथा उक्त कार्डों में सुरक्षा संबंधी विशेषताएं जोड़ने का निदेश दिया है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन निदेशों के जारी होने के बाद बैंकों द्वारा इन निदेशों का अनुपालन नहीं करने संबंधी मामले सरकार/आरबीआई के ध्यान में आये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है तथा इन बैंकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने गत तीन वित्तीय वर्षों में एटीएम डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड संबंधी धोखाधड़ी के कारण बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ी संबंधी मामलों के बारे में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करायी है:—

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च)	सूची मामलों की संख्या	शामिल राशि करोड़ रुपए में
1.	2011-12	71	4.39
2.	2012-13	115	5.19
3.	2013-14	227	4.16

गत तीन वर्षों में बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि यद्यपि मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, तथापि, राशि में तद्नुरूपी वृद्धि नहीं हुई है। धोखाधड़ी का बैंक-वार ब्यौरा तथा इनमें शामिल कर्मचारियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बैंक की अनुशासनिक संरचना के अनुरूप सभी मामलों में स्टाफ पर कार्रवाई की जाती है।

(ग) (i) भारतीय रिजर्व बैंक "धोखाधड़ी-वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग" के संबंध में मास्टर परिपत्र आरबीआई.डीबीएस.सीएफएमसी.बीसी. सं. 1/23.04.001/2014-15, 01 जुलाई, 2014 के अनुसार कार्रवाई करता है, जिसमें धोखाधड़ी से संबंधित सभी ब्यौरे/पहलू शामिल हैं। बैंकों से धोखाधड़ी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं की जांच की जाती है और संबंधित बैंक को सीबीआई/पुलिस/एसएफआईओ को मामले की सूचना देने, स्टाफ की जवाबदेही की जांच करने, चूककर्त्ता स्टाफ के विरुद्ध कार्यवाही शीघ्रता से पूरा करने, धोखाधड़ी में शामिल राशि की वसूली के लिए कदम उठाने, जहां कहीं लागू हो, बीमा का दावा करने और प्रणाली तथा प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने की सलाह दी जाती है ताकि धोखाधड़ी न हो।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने (i) 'बैंकों के एटीएम हेतु सुरक्षा प्रबंध' दिनांक 22.02.2006 तथा "एटीएम/डेबिट कार्डों की स्किमिंग"; 26 जून, 2006 नामक दो परिपत्र जारी किये हैं, जिनमें बैंकों को क्रेडिट कार्डों की स्किमिंग अथवा अनुलिपि बनाने से संबंधित धोखाधड़ियों को रोकने के लिए विभिन्न निवारक उपाय करने की सलाह दी गई है। निवारक उपायों में कार्ड जारीकर्त्ता की वेबसाइट पर चेतावनी संदेश दर्ज करके ग्राहकों को शिक्षित करना, ई-मेल के माध्यम से प्राप्त अनुरोधों के प्रति उत्तर में पिन को प्रकट न करने के बारे में ग्राहकों को सूचित करना, लेन-देन विवरण को आवधिक रूप से अभिप्रमाणित करना, यदि किसी अनधिकृत लेन-देन का पता चलता हो, तो बैंक को तत्काल सूचित करना और कार्ड खो जाने या चोरी हो जाने पर बैंक को सूचित करना शामिल है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल, 2010 में "सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों का पता लगाने" के लिए गठित कार्य समूह ने सुझाव दिया था कि एटीएम कार्डों की स्किमिंग के खतरों का सामना करने के उपाय के रूप में चुंबकीय पत्ती (मैगनेटिक स्ट्रिप) कार्डों के विकल्प के रूप में चिप आधारित कार्ड प्रयोग किए जाएं। तद्नुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 19 अप्रैल, 2011 के परिपत्र के तहत उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिनमें बैंकों को यह सलाह दी गई कि वे 31 अक्तूबर, 2011 तक आधारभूत संगठनात्मक संरचना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा ऐसी नीतियों तथा प्रक्रियाओं को अपनाएं जिनमें वृहत बजटीय समर्थन, अवसंरचनात्मक अथवा प्रौद्योगिक परिवर्तन अपेक्षित न हों। दिशा-निर्देशों में मूलत: सुरक्षा, बैंकिंग प्रक्रियाओं में कुशलता बढ़ाना अपेक्षित है और इससे बैंकों तथा उसके ग्राहकों को लाभ मिलेगा। क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा किया जाना तथा तिमाही आधार पर बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 10.07.2011 के "बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन" के संबंध में अपने मास्टर परिपत्र के तहत बैंकों को धोखाधड़ियों को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने तथा प्रो-एक्टिव धोखाधड़ी नियंत्रण तथा प्रवर्तन उपाय करने की सलाह दी है। बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि क्रेडिट कार्ड पचिालन दुरुस्त, चौकस और लाभकारी दिशा में हो तथा ये 'अपने ग्राहक को जानें' की अपेक्षाओं को भी पूरा करते हों, ग्राहकों के ऋण जोखिम का आकलन करते हो, साफ और सरल भाषा में सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करते हों, बिजलों का तुरंत प्रेषण सुनिश्चित करते हों, ग्राहक को गोपनीयता आदि भी बरतते हों।

(v) क्रेडिट/डेबिट/प्री-पेड कार्डों पर उपलब्ध सूचना के आधार पर सभी ऑन-लाइन/आईबीआर/मोटो/आवर्ती लेन-दोनों आदि के अतिरिक्त अधिप्रमाणन/वैधीकरण लाना बैंकों के लिए अनिवार्य करते हुए आरबीआई ने "कार्ड प्रजेंट लेन-देनों से संबंधित सुरक्षा मामले और जोखिम कम करने के उपाय" से संबंधित दिनांक 22.09.2011 के अपने परिपत्र के तहत बैंकों को सलाह दी है कि वे सुरक्षित कार्ड नॉट प्रेजेंट लेन-देन को सुरक्षित बनाने के प्रयास करें।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक ने फिशिंग अटैक (अर्थात् बैंकों की नकली वेबसाइट बनाने तथा ग्राहकों के ब्यौरे, जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड आदि एकत्र करने एवं इसके द्वारा नकली क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी से धनराशि निकालने) के संबंध में सभी वाणिज्यिक बैंकों को एक चेतावनी परिपत्र डीबीएस सीओ आईएस लेखापरीक्षा बीसी संख्या 3/31.02.03/2005-06, 16 फरवरी, 2006 जारी किया था। इस परिपत्र में ऐसे अटैक की कार्य प्रणाली तथा फिशिंग अटैक को रोकने के लिए न्यूनतम निरोधक/खोजी उपायों का ब्यौरा दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक को क्रेडिट कार्ड संबंधी अनुदेशों का बैंकों द्वारा पालन न किए जाने के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा सूचित एटीएम डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड संबंधी धोखाधड़ी

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	2011-12 (अप्रैल-मार्च)			2012-13 (अप्रैल-मार्च)			2013-14 (अप्रैल-मार्च)		
		संख्या	राशि	संलिप्त स्टाफ	संख्या	राशि	संलिप्त स्टाफ	संख्या	राशि	संलिप्त स्टाफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	इलाहाबाद बैंक	1	0.03	4	0	0.00	0	1	0.03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	आंध्रा बैंक	0	0.00	0	0	0.00	0	1	0.00	0
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	4	0.09	2	2	0.61	0	0	0ए00	0
4.	बैंक ऑफ इंडिया	4	0.57	0	14	0.19	0	6	0.07	0
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2	0.00	0	1	0.00	0	1	0.01	0
6.	केनरा बैंक	0	0.00	0	1	0.10	1	1	0.76	0
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0.00	0	1	0.19	1	63	2.45	1
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	15	0.06	0	50	0.24	4	97	0.54	11
9.	देना बैंक	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
10.	आईडीबीआई बैंक लि.	4	0.01	0	7	0.07	1	31	0.11	0
11.	इंडियन बैंक	3	0.02	0	2	0.00	0	0	0.00	0
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	5	1.74	0	0	0.00	0	0	0.00	0
13.	पंजाब नैशनल बैंक	6	0.03	0	13	0.35	2	10	0.08	0
14.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1	0.00	0	1	0.49	4	0	0.00	0
15.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	6	0.84	2	9	0.41	8	6	0.02	0
16.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
17.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2	0.69	3	1	0.22	2	0	0.00	0
18.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	7	0.11	2	2	0.02	3	0	0.00	0
19.	भारतीय स्टेट बैंक	0	0.00	0	0	0.00	0	1	0.01	0
20.	सिंडिकेट बैंक	1	0.01	0	1	0.00	0	1	0.01	0
21.	यूको बैंक	2	0.02	0	2	0.29	5	0	0.00	0
22.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	5	0.12	6	3	0.11	1	5	0.06	1
23.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	3	0.05	0	4	1.82	17	2	0.00	0
24.	विजया बैंक	0	0.00	0	1	0.08	0	1	0.01	0
	कुल योग	71	4.39	19	115	5.19	49	227	4.16	18

कर-जीडीपी अनुपात

1262. श्री एम.बी. राजेश : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में कर-सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीरआईसीएस (ब्रिक्स) की विकसित देशों की तुलना में भारत का कर-जीडीपी अनुपात सबसे कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा कर-जीडीपी अनुपात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों का कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात निम्न प्रकार है:—

वित्तीय वर्ष	कुल कर राजस्व में सकल घरेलू उत्पाद अनुपात
2011-12	9.87
2012-13	10.25
2013-14 (सं.अ.)	10.24

(ग) और (घ) इस मंत्रालय के पास कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) सरकार ने कर-जीडीपी अनुपात को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के उपाय किए हैं/प्रस्ताव रखा है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) 50 लाख अथवा उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति (ग्रामीण कृषि भूमि को छोड़कर) पर 1 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती।

(ii) 0.01 प्रतिशत की दर से व्युत्पन्न वस्तुओं (कृषि संबंधी वस्तुओं को छोड़कर) की बिक्री पर वस्तु संव्यवहार कर लागू करना।

(iii) जहां व्यापारगत माल के रूप में धारित अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क का मूल्य बिक्री प्रतिफल से अधिक है वहां स्टांप शुल्क के मूल्य को आय के आकलन के उद्देश्यों के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में माना जाएगा।

(iv) असूचीबद्ध शेयरों की वापसी खरीद पर 20 प्रतिशत लाभांश वितरण कर (डीडीटी) लगाना।

(v) जिन करदाताओं ने कर फाइल करना बंद कर दिया है और ऐसे व्यक्ति जो कर फाइल नहीं कर रहे हैं उन्हें कर के दायरे में लाकर सेवा कर आधार के लिए 2013 में एक स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम (बीसीईएस) प्रारंभ की गई थी।

(vi) अवमूल्यन के समायोजन के पश्चात् निवेश आधारित कटौती को एकांतर न्यूनतम कर (एएमटी) के दायरे में शामिल करना।

(vii) लाभांश की सकल राशि पर लाभांश वितरण कर लगाना न कि निवल लाभांश करों पर।

(viii) जिन जीवन बीमा पोलिसियों पर छूट नहीं है उन पर परिपक्वता राशि के भुगतान के समय 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती।

लेखन-सामग्री का क्रय

1263. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय विभाग खुली निविदा/कोटेशन मंगाए बगैर राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ (एनसीसीएफ) आदि से एक लाख रुपए तक की लेखन सामग्री और अन्य सामान्य मदों के क्रय के संबंध में इनको प्रदान दी गई विशेष व्यवस्था के कारण होने वाले सटीक लागत निहितार्थों का अध्ययन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यय विभाग का विचार है कि एनसीसीएफ आदि से लेखन-सामग्री और अन्य मदों का क्रय करना सरकार के लिए लागत प्रभावी नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो एनसीसीएफ आदि को दी गई विशेष व्यवस्था को वापस नहीं लेने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) जी, हां महोदया। इस प्रथम दृष्टया विश्लेषण कि एनसीसीएफ आदि से लेखन सामग्री और अन्य वस्तुओं की खरीद किफायती नहीं है, के आधार पर व्यय विभाग ने, कुछ चुनिंदा मंत्रालयों में प्रदान की गई विशेष व्यवस्था के सटीक लागत निहितार्थ का अध्ययन करने का कार्य लागत लेखा शाखा को सौंपा है। लागत लेखा शाखा ने इस संबंध में संबंधित संगठनों से आवश्यक डाटा मांगा है। अंतरिम तौर

पर, एनसीसीएफ आदि को प्रदान की गई यह विशेष व्यवस्था 01.04.2014 से आगे छह माह के लिए बढ़ा दी गई है।

रबड़ का उत्पादन

1264. श्री प्रताप सिम्हा : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन और उपयोग तथा इसके उत्पादन के लिए नियत लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) रबड़ के उत्पादन में विश्व में भारत का हिस्सा कितना है तथा इसके उत्पादन में राज्यों, विशेषकर कर्नाटक का हिस्सा कितना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश-वार निर्यातित और आयातित रबड़ की मात्रा तथा मूल्य और इसके संबंध में निर्धाथ्रत लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का रबड़ किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए संशोधित मूल्य स्थिरीकरण कोष (एमपीएसई) योजना शुरू करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(च) इसकी संभावना का दोहन करने के लिए रबड़ के उत्पादन/खेती को बढ़ावा देने और रबड़ किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये/प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान प्राकृतिक रबड़ के राज्य-वार उत्पादन एवं खपत की सांख्यिकी नीचे दर्शाई गई है। इस संबंध में राज्य-वार सांख्यिकी वर्ष 2012-13 तक की उपलब्ध हैं। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन एवं खपत के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

प्राकृतिक रबड़ का राज्य-वार उत्पादन एवं खपत (टन)

उत्पादक राज्य

राज्य	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4
केरल	770580	798890	800050
तमिलनाडु	25160	25220	25350
त्रिपुरा	25875	30590	33220
असम	8050	10310	11740
मेघालय	5135	6380	7110
नागालैंड	1054	1395	1653
मणिपुर	730	920	1035
मिज़ोरम	189	250	300
अरुणाचल प्रदेश	167	195	220
कर्नाटक	23705	27890	31250
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	312	270	220
गोवा	351	555	585
महाराष्ट्र	102	195	340
ओडिशा	177	200	220
पश्चिम बंगाल	299	375	325
आंध्र प्रदेश	64	65	80
कुल	861960	903700	913700

खपतकर्त्ता राज्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	57730	69035	70535
गोवा और दमन	19735	25845	28750
गुजरात	67440	65870	74860
हरियाणा	45630	44785	38910
कर्नाटक	70882	69915	68315

केरल	136725	153950	139960
मध्य प्रदेश*	36665	37225	36580
महाराष्ट्र	116450	106750	102920
ओडिशा	37460	29105	19025
पंजाब**	79150	70040	70560
राजस्थान	63630	71415	83855
तमिलनाडु	89575	109380	131565
उत्तर प्रदेश	84273	34585	36210
उत्तराखंड	—	42750	42605
पश्चिम बंगाल	24555	16020	12350
अन्य	17815	17695	15705
कुल	947715	964415	972705

*छत्तीसगढ़ सहित।

**चंडीगढ़ सहित।

(ख) वर्ष 2012-13 के दौरान विश्व उत्पादन में भारत का हिस्सा 7 प्रतिशत रहा। विगत तीन वर्षों के लिए प्राकृतिक रबड़ के घरेलू उत्पादन में कर्नाटक का हिस्सा अधोलिखित सारणी में दिया गया है।

	2010-11	2011-12	2013-14
रबड़ उत्पादन में कर्नाटक का हिस्सा %	2.8	3.1	3.4

(ग) इस अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष 50,000 टन प्राकृतिक रबड़ का निर्यात करने का लक्ष्य था। प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ के निर्यात एवं आयात संबंधी सांख्यिकी अधोलिखित है:—

प्राकृतिक रबड़ का आयात एवं निर्यात (मात्रा टन में)

को निर्यातित

देश	2010-11	2011-12	2012-14
1	2	3	4
बेल्जियम	1613	486	169
ब्राजील	2598	413	0
चीन	2890	5851	570
मिस्र	311	690	315
जर्मनी	2732	1323	263
इंडोनेशिया	414	104	0
मलेशिया	4273	10034	34
नेपाल	432	386	312
स्पेन	982	372	101
श्रीलंका	6623	4982	1889
तुर्की	266	363	21
यूएसए	254	141	0
अन्य	3758	5444	1724
कुल	27145	30594	5398

से आयातित

मलेशिया	11675	6198	7262
थाईलैंड	80021	39793	81854
इंडोनेशिया	54165	99051	146246
वियतनाम	25477	51273	69220
श्रीलंका	4755	4717	3079
बंगलादेश	1480	1218	784
नाइजीरिया	1814	3750	1310
कम्बोडिया	161	1532	1450
कोटे डि आइवरी	4701	0	9657
अन्य	30184	9832	4328
कुल	214433	217364	325190

(घ) और (ङ) बागान फसलों नामत: चाय, कॉफी और रबड़ के लिए 2003 में बनाई गई कीमत स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) स्कीम

की समय-समय पर सरकार द्वारा समीक्षा की गई है ताकि विद्यमान स्कीम में अभिज्ञात कमियों को दूर किया जा सके और उपजकर्ताओं के समक्ष आने वाले कीमत जोखिम का समाधान निकालने में उसे अधिक प्रभावकारी बनाया जा सके। इस संबंध में एक व्यापक बीमा आधारित स्कीम बनाने पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के साथ चर्चा की जा रही है।

कीमत स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) स्कीम को संशोधित करने का उद्देश्य इसे उपजकर्त्ताओं के लिए अधिक सुलभ बनाना और कीमत जोखिम और फसल जोखिम दोनों की स्थिति से निपटना तथा भारत को निरंतर और संवर्धित निर्यातों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक विश्वसनीय प्रदाता के रूप में अपना स्थान कायम रखने में मदद करना है।

(च) सरकार रबड़ बागान विकास के लिए सहायता प्रदान करती है जिसमें रोपण, विस्तार, अनुसंधान के लिए परिदान, रबड़ रोपण, प्रसंस्करण एवं विपणन, श्रमिक कल्याण उपायों, प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता शामिल है।

एमसीआई में भ्रष्टाचार

1265. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील :
योगी आदित्यनाथ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एमसीआई) में भ्रष्टाचार तथा कदाचार, चिकित्सा कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने और चिकित्सा सीटों की संख्या बढ़ाने/कम करने के संबंध में अनुमति देने के बारे में भ्रष्टाचार तथा कदाचार के रिपोर्ट किये गये मामलों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट और जांच किये गये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है; और

(ग) एमसीआई के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ई-वाणिज्य में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

1266. श्री पी. कुमार : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-वाणिज्य के कार्यकलापों में अनुमत्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की प्रतिशतता कितनी है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुरक्षा उपाय किये गये हैं;

(ख) इस क्षेत्र के खोले जाने के बाद से इस क्षेत्र में कुल कितना विदेशी निवेश हुआ है और इसके परिणामस्वरूप उद्योग को कितना लाभ हुआ है;

(ग) वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके योगदान का प्रतिशत कितना है और वर्ष 2020 तक कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार का विदेशी ऑन-लाइन खुदरा विक्रेताओं पर प्रतिबंध कम करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) विद्यमान एफडीआई नीति के अनुसार, बी2बी ई-कॉमर्स क्रियाकलापों में स्वत: मार्ग के अंतर्गत 100% तक एफडीआई की अनुमति है। वर्तमान नीति में सिंगल/मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में लगी एफडीआई वाली कंपनियों को किसी भी रूप में, ई-कॉमर्स के माध्यम से खुदरा व्यापार की अनुमति नहीं है।

विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में एफडीआई के संबंध में वित्त मंत्री जी द्वारा दिनांक 10.7.2014 को दिए गए बजट भाषण में निम्नलिखित घोषणा की गई थी:—

"आज विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई स्वत: अनुमोदन मार्ग से होता है। विनिर्माण इकाइयों को बिना किसी अतिरिक्त अनुमोदन के अपने उत्पाद ई-कॉमर्स सहित खुदरा व्यापार के माध्यम से बेचने की अनुमति होगी"।

सरकार एफडीआई नीति बनाते समय घरेलू उद्योग तथा उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों की चिंताओं पर विचार करती है। जहां कहीं जरूरी हो एफडीआई नीति में सुरक्षा उपाय रखे जाते हैं।

(ख) इस क्षेत्र में, अप्रैल, 2000 से अप्रैल, 2014 तक कुल एफडीआई अंतर्वाह 37.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

(ग) भारत में ई-कामर्स में अप्रैल, 2000 से अप्रैल, 2014 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 37.10 अमेरिकी डॉलर है जो कुल 219,286 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का 0.02% है। एफडीआई अंतर्वाह के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किए जाते

हैं न ही भावी अंतर्वाह का मूल्यांकन संभव है, क्योंकि एफडीआई बड़े पैमाने पर एक निजी व्यवाय निर्णयों का मामला है।

(घ) ऐसे कोई प्रस्ताव शुरू नहीं किए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

फेमा के मामले

1267. **श्री जोस के. मणि :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के उल्लंघन के मामले हाल में बढ़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान फेमा उल्लंघन के दर्ज मामलों, अभियोजन और शुरू की गई दोष सिद्धि प्रक्रिया का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा आज की तारीख तक ऐसी कार्यवाहियों की स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में उठाये गये या उठाये जा रहे ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के तहत दर्ज किए गए जांच के मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:—

वित्तीय वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14
दर्ज किए गए मामले	1170	1622	1041

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के तहत जांच पूरी होने पर यदि किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे जिन पर सौंपी गई आर्थिक सीमा के अनुसार उचित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा निर्णय दिया जाता है। फेमा के तहत किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए अभियोजन की कार्यवाहियां प्रारंभ करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए दोषसिद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

1268. **श्री इदरिस अली :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) और केन्द्रीय सेवा संघ (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 योजनाओं के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/पेंशनधारकों को एक छत के नीचे समान चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से एकल चिकित्सा कार्ड जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अपने लाभार्थियों की चिकित्सा परिचर्या प्रदान करती है जिसमें सेवारत के साथ-साथ केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्ति कर्मचारी शामिल हैं। सीजीएचएस अपनी सेवाएं सीजीएचएस आरोग्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान करता है जो वर्तमान में देश के 25 प्रमुख शहरों में चल रहे हैं। पेंशनभोगियों के संबंध में चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर व्यय को सीजीएचएस द्वारा और सेवारत कर्मचारियों के संबंध में उक्त व्यय संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय वहन किया जाता है। पेंशनभोगी लाभार्थी सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों में उपचार के लिए क्रेडिट सुविधा पाने के पात्र हैं।

केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 केन्द्र सरकार के केवल सेवारत कर्मचारियों पर ही लागू होता है जो गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में रहते हैं। चिकित्सा परिचर्या संबंधित विभाग द्वारा नियुक्त प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा प्रदान की जाती है। सीएस (एमए) नियम, 1944 पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होते। इन नियमों के अनुसार औषधियों को जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों को संबंधित अनुभाग/मंत्रालय द्वारा निपटाया जाता है।

(ग) और (घ) आज की तारीख में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

एंटी-माइक्रोबियल/एंटीबायोटिक औषधियां

1269. **डॉ. पी. वेणुगोपाल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एंटी-माइक्रोबियल/एंटीबायोटिक औषधियों के व्यापक और अविवेकी प्रयोग होने से उत्पन्न औषधि प्रतिरोधी संक्रमणों के मामले देश में बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट/अनुशंसाएं प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में एंटी-माइक्रोबियल/एंटीबायोटिक औषधियों के व्यापक तथा अविवेकी प्रयोग के कारण बहु-औषधि प्रतिरोध की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (ङ) देश में एंटीबायोटिक की उपलब्धता में वृद्धि और प्रयोग के कारण रोगजनक, यहां तक कि नई और अधिक शक्तिशाली एंटी-माइक्रोबियल औषधियों में एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध के विकास के संबंध में चिंता प्रकट की गई है। देश में एंटी-माइक्रोबियल औषधियों के व्यापक और अव्यवस्थित प्रयोग से उत्पन्न बहु-औषध प्रतिरोध की समस्या को कम करने हेतु प्रयास और एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध संबंधी मूल्यांकन, समीक्षा और उपायों का सुझाव देने हेतु सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा कार्यदल गठित किया गया था। देश में एंटी-माइक्रोबियल के प्रयोग को युक्तिसंगत बनाने के लिए कार्यदल ने विभिन्न उपायों की सिफारिश की थी। सिफारिश में अन्य बातों के साथ-साथ एंटी-बायोटिक की बिक्री को नियमित करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली के तहत एक पृथक अनुसूची है। इसके बाद दिनांक 30.08.2013 की राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 588(ई) के तहत औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 को संशोधित किया गया है जिसमें 46 औषधियों से निहित औषध एवं प्रसाधान सामग्री नियम के अंतर्गत नई नामत: अनुसूची एच1 को समाविष्ट किया गया है, जिसमें एंटीबायोटिक औषधियां, क्षय प्रतिरोध दवाएं और कुछेक व्यवहार विकसित करने संबंधी औषधियां शामिल हैं। अनुसूची-1 के अंतर्गत आने वाले औषधियों को निम्नलिखित शर्तों के साथ देश में बिक्री की जाएगी:—

(1) अनुसूची एच1 में निर्दिष्ट औषधि की आपूर्ति को आपूर्ति के समय पृथक रजिस्टर में रिकार्ड किया जाएगा जिसमें निर्धारणर्त्ता का नाम और पता, रोगी का नाम, औषधि का नाम और आपूर्ति की मात्रा देनी होगी और ऐसा रिकॉर्ड तीन वर्षों हेतु रखा जाएगा और निरीक्षण हेतु मुक्त होगा।

(2) अनुसूची एच1 में निर्दिष्ट औषधि आरएक्स के प्रतीक के साथ लेबल किया जाएगा जो कि लाल रंग में होगा और लेबल के ऊपरी बाएं कोने पर सुस्पष्ट प्रदर्शित किया जाएगा और लाल बार्डर वाले बॉक्स में निम्नलिखित शब्दों के साथ लेबल किया जाएगा।

"अनुसूची एच1 औषध-चेतावनी:"

— बिना चिकित्सा सुझाव के इस औषधि का सेवन खतरनाक है।

— पंजीकृत चिकित्सक की पर्ची के बिना रिटेल में नहीं बेची जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को मंजूरी

1270. श्री राम टहल चौधरी :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वन और पर्यावरणी संबंधी मंजूरी प्रदान नहीं होने के कारण मंजूरी हेतु रुके पड़े विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वन तथा पर्यावरण मंजूरी के कारण विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के अनुमोदन/मंजूरी का कोई भी मामला रूका नहीं हुआ है। किसी भी प्रस्ताव के लिए ऐसी वन तथा पर्यावरण मंजूरी होना एफआईपीबी के अनुमोदन हेतु पूर्व शर्त नहीं है। तथापि, सभी एफआईपीबी अनुमोदन क्षेत्र-वार विधियों और विनियमों का अनुपालन करने के अध्यधीन होते हैं।

[अनुवाद]

नीम-हकीमों और अपंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर

1271. श्री बी. श्रीरामुलु :
डॉ. वीरेन्द्र कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नीम-हकीम और अपंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर कार्यरत हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में ऐसे अयोग्य चिकित्सा प्रैक्टिशनरों की पहचान करने और उनके कार्यकलापों को रोकने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पहचान किये गये और दंडित किये गये ऐसे अयोग्य चिकित्सा प्रैक्टिशनरों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का विचार है ताकि ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य परिचर्या और इलाज के लिए नीम-हकीम तथा अपंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनरों पर निर्भर नहीं रहना पड़े?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (ग) जहां तक एलोपेथिक औषधियों की आधुनिक प्रणाली का संबंध है, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956, राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनरों को छोड़कर किसी व्यक्ति को उस राज्य में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध लगाता है। कारावास का दंड या उक्त अवधि, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जिसे 1000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता, है या दोनों, जो भी निर्धारित है। भारतीय औषध प्रणाली हेतु, भारतीय औषध केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में प्रावधान है कि भारतीय औषध के प्रैक्टिशनर जिसके पास मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता है तथा जो भारतीय औषध के राज्य रजिस्टर या केंद्रीय रजिस्टर में पंजीकृत हैं, वे किसी भी राज्य में भारतीय औषध में प्रैक्टिस कर सकते हैं। राज्यों द्वारा समय-समय पर संगत अधिनियम के तहत नीम हकीमों एवं झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और केंद्रीय स्तर पर इस विषय के संबंध में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(घ) दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत चिकित्सकों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 में संशोधन किया गया है ताकि:—

(i) दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में कम-से-कम तीन साल के लिए सेवा करने वाले सरकारी सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स में 50% आरक्षण; और

(ii) स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा में, दूरस्थ या दुर्गम क्षेत्रों में सेवा करने पर प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्त अंकों के 10% की दर से प्राप्त अंकों का अधिनिकत 30% तक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।

[हिन्दी]

जमा राशियों पर कम ब्याज दर

1272. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज उच्चतर मूल्यवृद्धि की तुलना में कम रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) मार्च, 2012, 2013 और 2014 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा सभी परिपक्वताओं पर दिए गए औसत घरेलू सावधि जमा ब्याज दर और वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान औद्योगिक कामगारों के लिए औसत थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नीचे दिए गए हैं:—

औसत सावधि जमा ब्याज दर

(प्रतिशत)

		मार्च-12	मार्च-13	मार्च-14
(i)	सरकारी क्षेत्र के बैंक	7.79	7.63	7.85
(i)	निजी क्षेत्र के बैंक	7.49	7.35	7.67
(i)	विदेशी बैंक	6.96	6.87	7.56

मुद्रास्फीति दर

(प्रतिशत)

	2011-12	2012-13	2013-14
औसत थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)	8.94	7.35	5.98
औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) (आईडब्ल्यू)	8.39	10.44	9.68

बैंक द्वारा सावधि जमाओं पर भुगतान किया गया औसत ब्याज पिछले तीन वर्ष की मुद्रास्फीति दर की अपेक्षा कम रहा है। सावधि जमाओं पर

ब्याज की दर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है और इस संबंध में निर्णय बैंकों द्वारा लिया जाता है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए कई उपाय किए हैं।

[अनुवाद]

सीमेंट का उत्पादन और खपत

1273. श्री जैदेव गल्ला :
श्री शिवकुमार उदासि :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में सीमेंट के उत्पादन और खपत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) निजी और सरकारी क्षेत्र के सीमेंट संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और उन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें रुग्ण घोषित किया गया है या बंद पड़े हैं;

(ग) देश में सीमेंट संयंत्रों की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता तथा अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) सीमेंट संयंत्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार सीमेंट उद्योग में पर्यावरण अनुकूल फ्जाई ऐश का उपयोग करने को प्रोत्साहित करती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) सीमेंट उत्पादन संबंधी सूचना अनुमानित है तथा इसे सीमेंट विनिर्माण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर अखिल भारतीय आधार पर रखा जाता है और ऐसी सूचना राज्य-वार/संघीय क्षेत्र-वार अलग-अलग नहीं रखी जाती है। तदनुसार, चालू वर्ष सहित गत तीन वर्ष के दौरान सीमेंट का अनुमानित उत्पादन तथा खपत (आज की तारीख तक) का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) निजी और सरकारी, दोनों सीमेंट संयंत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। सीमेंट संयंत्र, जिन्हें रुग्ण घोषित किया गया है अथवा बंद पड़े हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) देश में सीमेंट संयंत्रों की संस्थापित उत्पादन क्षमता 324.50 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) है। अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता के ब्यौरे इस विभाग में नहीं रखे जा रहे हैं।

(घ) सरकार कोयला मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग में सीमेंट उद्योग की संस्थापित क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल हेतु आवश्यक कदम उठा रही है।

(ङ) जी, हां। सरकार सीमेंट उद्योग में तापीय विद्युत संयंत्रों से उत्पादित फ्लाई ऐश के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करती है।

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम तथा नीतिगत पहलों को निम्नवत् दिया गया है:—

(i) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने फ्लाई ऐश गुणवत्ता पर मानक बनाकर फ्लाई ऐश के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने तथा फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करके पोर्ट लैंड पोजोल्लाना सीमेंट (पीपीसी) बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(ii) इसके अलावा, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने फ्लाई ऐश इस्तेमाल पर एक अधिसूचना संख्या एसओ 2804(ए), 03 नवंबर, 2009 जारी किए हैं, जिसमें यह उल्लेख है कि प्रत्येक एजेंसी को जो कोयला अथवा लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र से एक सौ किमी. के दायरे में विनिर्माण कार्य में लगी है उसको निर्माण कार्य में केवल फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का इस्तेमाल करना होगा।

विवरण-I

सीमेंट का अनुमानित उत्पादन और खपत

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन प्रति वर्ष)	खपत (मिलियन टन प्रति वर्ष)
2011-12	224.71	223.67
2012-13	251.96	238.05
2013-14	256.11	248.70
2014-15 (31.05.2014 तक)	48.30	45.90

विवरण-II

सीमेंट संयंत्रों का ब्यौरा (सरकारी व निजी)

क्र.सं.	निजी क्षेत्र
1	2
1.	**एसीसी लिमिटेड इकाइयां:**
	लखेरी, राजस्थान
	गागल, हिमाचल प्रदेश
	टीकरिया, उत्तर प्रदेश
	किमोर, मध्य प्रदेश
	चाईबासा, झारखंड
	सिंदरी, झारखंड
	बारगढ़, महाराष्ट्र
	दामोदर, पश्चिम बंगाल
	जामुल, छत्तीसगढ़
	चंदा, महाराष्ट्र
	एनकोर, हैदराबाद
	मदुक्कराई, तमिलनाडु
	वाडी, कर्नाटक
	बेल्लारी, कर्नाटक
	कल्लूर, कर्नाटक
	विजाग, आंध्र प्रदेश
2.	**अंबुजा सीमेंट इकाइयां:**
	सुली, हिमाचल प्रदेश
	रोपड़, पंजाब
	नालागढ़, हिमाचल प्रदेश
	रबड़िया, राजस्थान
	भटिंडा, पंजाब
	रुड़की, उत्तराखंड
	दादरी, उत्तर प्रदेश
	मराठा, महाराष्ट्र
	अंबुजा नगर, गुजरात
	सूरत, गुजरात अमरील, 1.07
	भाटापाड़ा, छत्तीसगढ़
	संक्रेल, पश्चिम बंगाल
	फरक्का, पश्चिम बंगाल
3.	**बिनानी सीमेंट इकाइयां:**
	बिनानीग्राम, राजस्थान
	सिरोही, राजस्थान
4.	**बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीएस:**
	सतना, मध्य प्रदेश
	बिरलावर्क्स, राजस्थान
	चंदेरिया, राजस्थान
	रायबरेली, उत्तर प्रदेश
	दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
	दुर्गा हाईटेक, पश्चिम बंगाल
5.	**सीमेंट विनिर्माण कंपनी लिमिटेड इकाइयां:**
	मेघालय सीमेंट्स लिमिटेड, मेघालय
	मेघटेक, मेघालय
	सी.आई.एल., असम
6.	**गुवाहाटी, असम**
	सेंचुरी टेक्सटाइल्स इकाइयां:
	मैहर-I, मध्य प्रदेश
	मैहर-II, मध्य प्रदेश
	माणिगढ़ महाराष्ट्र
7.	**सेंचुरी सीमेंट, छत्तीसगढ़**
	सोनार बांग्ला, पश्चिम बंगाल
	चेट्टीनाद सीमेंट इकाइयां:
	कुमाराजोह, तमिलनाडु

1	2
	रानीम्यान, तमिलनाडु
	अरियाल्लूर, तमिलनाडु
8.	**कल्लूर, तमिलनाडु**
	डालमिया सीमेंट इकाइयां:
	डालमियापुरम, तमिलनाडु
	अरियाल्लूर, तमिलनाडु
	वाईएसआर जिला, तमिलनाडु
9.	**आधुनिक, मेघालय**
	हेडलवर्ग सीमेंट (I) लिमिटेड
	अम्बसुन्दरा, तमिलनाडु
	दमोह, मध्य प्रदेश
	झांसी, उत्तर प्रदेश
10.	**खार कार्वी, महाराष्ट्र**
	भारत सीमेंट इकाइयां:
	संकरी नगर, तमिलनाडु
	संकरी दुर्ग, तमिलनाडु
	छालम कुर, आंध्र प्रदेश
11.	**दवलोई, तमिलनाडु**
	येरगुंटला, आंध्र प्रदेश
	विष्णुपुरम, आंध्र प्रदेश
	मलकानपुर, आंध्र प्रदेश
	चेन्नई ग्राइंडिंग इकाई, तमिलनाडु
	पार्ले ग्राइंडिंग इकाई, महाराष्ट्र
	माही सीमेंट, राजस्थान
	जे.के. सीमेंट लिमिटेड इकाइयां:
	नीम्बाहेड़ा, राजस्थान
	मांगरल, राजस्थान
	मुड्डपुर, कर्नाटक

1	2
12.	**गोटन, राजस्थान**
	गोटन व्हाइट, राजस्थान
	जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड
	कलोल, गुजरात
	सिरोही, राजस्थान
	झज्जर, राजस्थान
13.	**जेपी ग्रुप**
	जेपी रीवा, मध्य प्रदेश
	बेला, मध्य प्रदेश
	सिद्दी, मध्य प्रदेश
14.	**डाला, उत्तर प्रदेश**
	चुन्नर, उत्तर प्रदेश
	अयोध्या, उत्तर प्रदेश
	सादवा, उत्तर प्रदेश
	बग्गा, हिमाचल प्रदेश
	बेघरी, हिमाचल प्रदेश
	सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश
	पानीपत, हरियाणा
	रुड़की, उत्तराखंड
	जेपी गुजरात
	बणाकबोरी, गुजरात
	भिलाई, छत्तीसगढ़
	बोकारो जेपी, झारखंड
	जेपी बालाजी, आंध्र प्रदेश
	विसाका सीमेंट, आंध्र प्रदेश
	दुर्गा सीमेंट, आंध्र प्रदेश
	के.सी.पी. लिमिटेड, आंध्र प्रदेश
	केसोराम इंडस्ट्रीज

1	2
	केसोराम, आंध्र प्रदेश
	वासवदत्ता-I, कर्नाटक
15.	**वासवदत्ता कड़प्पा, कर्नाटक**
16.	**लाफार्ज इंडिया (प्रा.) लिमिटेड**
	जमशेदपुर, झारखंड
	सनाधी, छत्तीसगढ़
	अर्समीता, छत्तीसगढ़
	मेजीया, पश्चिम बंगाल
	दादरी, हरियाणा
	निम्बाहेड़ा, राजस्थान
17.	**मद्रास सीमेंट इकाइयां:**
	रामसामीगर्ज, तमिलनाडु
	कुट्टुपुथुर, तमिलनाडु
	अलथियालुर, तमिलनाडु
	कुमारसामी, आंध्र प्रदेश
	कालाघाट, पश्चिम बगाल
	सिंगीपुरम, तमिलनाडु
	गोविंदपुरम, तमिलनाडु
	मंगलम सीमेंट इकाइयां:
	मंगलम, राजस्थान
	नीर श्री, राजस्थान
18.	**मेहता समूह इकाइयां:**
	गुजरात सिद्धि, गुजरात
	सौराष्ट्र, गुजरात
19.	**ओसीएल इंडिया लिमिटेड इकाइयां:**
	कपिला, ओडिशा
	राजगंगपुर, ओडिशा
	ओसीएल बंगाल, पश्चिम बंगाल

1	2
20.	**ओरिएंट पेपर इंडस्ट्रीज:**
	देवापुर, आंध्र प्रदेश
	जलगांव, महाराष्ट्र
21.	**पन्ना सीमेंट, आंध्र प्रदेश**
22.	**प्रिज्म सीमेंट, मध्य प्रदेश**
23.	**रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
	रामपुरम, आंध्र प्रदेश
	श्रीपुरम-I, आंध्र प्रदेश
	श्रीपुरम-II, आंध्र प्रदेश
24.	**श्री सीमेंट इकाइयां:**
	बांगइनगर, राजस्थान
	यू-रास, राजस्थान
	रास नया, राजस्थान
	यूनिट केकेजी, राजस्थान
	सूरतगढ़, राजस्थान
	लक्सर, उत्तराखंड
	आसलपुर, राजस्थान
25.	**अल्ट्रा टेक-सीमेंट इकाइयां:**
	झारसुगुडा, ओडिशा
	दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
	गिन्नीगेरा, कर्नाटक
	रेड्डीपाल्याम, तमिलनाडु
	रत्नागिरी, महाराष्ट्र
	अराकोणम, तमिलनाडु
	गुजरात अमरेली, गुजरात
	मगदाला, गुजरात
	हीरमी, छत्तीसगढ़
	अवाड़पुर, महाराष्ट्र

1	2
	जाफराबाद, महाराष्ट्र
	एक पी सीमेंट, आंध्र प्रदेश
	बिरला व्हाइट, राजस्थान
	कोटपुतली, राजस्थान
	राजश्री, आंध्र प्रदेश
	पानीपत, हरियाणा
	अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
	रावन, मध्य प्रदेश
	आदित्य, छत्तीसगढ़
	विक्रम, मध्य प्रदेश
	होत्गी, महाराष्ट्र
	दादरी, उत्तर प्रदेश
	भटिंडा, पंजाब
26.	**जुआरी सीमेंट लिमिटेड इकाइयां:**
	सीतापुरम, आंध्र प्रदेश
	यारागुंटला, आंध्र प्रदेश
	अटापट्टू, तमिलनाडु
27.	**श्रीदिग्विजय-सिक्का, गुजरात**
28.	**पनयाम सीमेंट, महाराष्ट्र**
29.	**श्रीराम सीमेंट, राजस्थान**
30.	**सांघी इंडस्ट्री लिमिटेड, गुजरात**
31.	**माई होम इंडस्ट्री लिमिटेड, आंध्र प्रदेश**
32.	**मेघालय सीमेंट लिमिटेड, मेघालय**
33.	**मैसर्स सागर सीमेंट, आंध्र प्रदेश**
34.	**मैसर्स एशियाई सीमेंट, हिमाचल प्रदेश**
35.	**मैसर्स वंडर सीमेंट, राजस्थान**
36.	**मैसर्स टाटा केमिकल, गुजरात**
37.	**भारती, आंध्र प्रदेश**
38.	**विजय सीमेंट्स, तमिलनाडु**

1	2
39.	**मैसर्स पूर्वांचल सीमेंट, असम**
40.	**मैसर्स काकातिया सीमेंट, आंध्र प्रदेश**
41.	**मैसर्स टोपसेम सीमेंअ, असम**
42.	**मैसर्स लैंको सीमेंट, आंध्र प्रदेश**
43.	**मैसर्स जेएसडब्ल्यू सीमेंट, आंध्र प्रदेश**
44.	**मैसर्स पैराशक्ती सीमेंट, आंध्र प्रदेश**
45.	**मैसर्स भव्य सीमेंट, आंध्र प्रदेश**
46.	**मैसर्स हिमाद्री सीमेंट्स, आंध्र प्रदेश**
47.	**डेक्कन सीमेंट, आंध्र प्रदेश**
48.	**कैलकोम सीमेंट, असम**
49.	**केजेएस सीमेंट, मध्य प्रदेश**
50.	**श्री जया ज्योति, आंध्र प्रदेश**
51.	**विकट सागर, कर्नाटक**
52.	**मनचारियल सीमेंट, आंध्र प्रदेश**
53.	**उदयपुर सीमेंट, राजस्थान**
54.	**दुर्गा सीमेंट, आंध्र प्रदेश**
	सरकारी क्षेत्र
55.	**सीसीआई लिमिटेड इकाइयां:**
	राजभान, हिमाचल प्रदेश
	तंदूर, तमिलनाडु
	बोकाजन, असम
56.	**मालाबार सीमेंट, केरल**
57.	**तमिलनाडु सीमेंट इकाइयां:**
	अरियालुर, तमिलनाडु
	अलांगुलन, तमिलनाडु
58.	**जे एंड के लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर**
59.	**मावलू चेरा, मेघालय**

**स्रोत:* उपकर रजिस्टर, डीआईपीपी।

विवरण-III

बीआईएफआर (राज्य-वार) के पास पंजीकृत सीमेंट कंपनियों की सूची

क्र. सं.	मामला संख्या	कंपनी का नाम	पंजीकरण की तारीख	स्थिति	पिछली सुनवाई की तारीख	राज्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	186/1988	श्री चक्र सीमेंट लि.	30.05.1988	मंजूर योजना	26.07.2012	आंध्र प्रदेश
2.	116/1989	पनयाम सीमेंट्स एंड मिनरल इंडस्ट्री	10.08.1989	अब रुग्ण नहीं घोषित	12.07.1996	आंध्र प्रदेश
3.	141/1989	सुवर्णा सीमेंट्स	20.09.1989	अब रुग्ण नहीं घोषित	17.04.2002	आंध्र प्रदेश
4.	33/1990	आंध्रा सीमेंट कंपनी	20.03.1990	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	22.01.2010	आंध्र प्रदेश
5.	90/1990	सोमेश्वर सीमेंट्स एंड	03.08.1990	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	12.12.2011	आंध्र प्रदेश
6.	109/1990	एस.वी. सीमेंट्स	21.09.1990	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	11.09.1996	आंध्र प्रदेश
7.	147/1990	श्री विष्णु सीमेंट्स	13.12.1990	अब रुग्ण नहीं घोषित	06.01.1998	आंध्र प्रदेश
8.	19/1991	अमरेश्वरी सीमेंट्स लि.	01.05.1991	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	15.11.1999	आंध्र प्रदेश
9.	73/1991	प्रियदर्शिनी सीमेंट्स	17.06.1991	अब रुग्ण नहीं घोषित	27.08.1996	आंध्र प्रदेश
10.	131/1991	सीताराम सीमेंट्स लि.	29.11.1991	अबेटिड	12.03.2007	आंध्र प्रदेश
11.	20/1992	अन्नपूर्णा सीमेंट्स लि.	10.02.1992	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	11.09.1997	आंध्र प्रदेश
12.	सितम्बर-93	गौतम सीमेंट्स प्राइवेट लि.	15.01.1993	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	22.03.1993	आंध्र प्रदेश
13.	98/1994	वासुदेव सीमेंट लि.	08.08.1994	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	23.01.2001	आंध्र प्रदेश
14.	141/1994	कोरामंडल सीमेंट्स लि.	29.09.1994	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	12.07.2002	आंध्र प्रदेश
15.	161/1994	कोहिनूर सीमेंट्स लिमिटेड	30.11.1994	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	14.12.2001	आंध्र प्रदेश
16.	167/1994	हिमाद्री सीमेंट्स	08.12.1994	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	31.08.1995	आंध्र प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7
17.	120/1997	ग्रेगोल्ड सीमेंट्स लि.	22.08.1997	अबैटिड	26.03.2008	आंध्र प्रदेश
18.	247/1998	हिमाद्री सीमेंट्स लि.	17.09.1998	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	30.08.2012	आंध्र प्रदेश
19.	57/2000	पी.आर. सीमेंट्स लिमिटेड	04.02.2000	मंजूर योजना	20.01.2014	आंध्र प्रदेश
20.	497/2002	पनयाम सीमेंट्स एंड मिनरल इंडस्ट्रीज लि.	11.12.2002	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	07.10.2003	आंध्र प्रदेश
21.	40/2004	एल.सी.के. सीमेंट्स लि.	20.01.2004	मंजूर योजना	27.07.2011	आंध्र प्रदेश
22.	179/2004	विसाका सीमेंट इंडस्ट्री लि.	13.04.2004	अब रुग्ण नहीं घोषित	10.01.2006	आंध्र प्रदेश
23.	73/2003	शिवानी एलोय स्टील कास्टिंग लिमिटेड	21.10.2013	रुग्ण लंबित निर्धारण	20.11.2013	आंध्र प्रदेश
24.	87/1997	नीसेम सीमेंट्स लि.	07.07.1997	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	11.12.2013	आसाम
25.	352/1999	उमरोंग्सो सीमेंट लि.	11.11.1999	मंजूर योजना	10.12.2013	आसाम
26.	42/1993	प्रोग्रेसिव सीमेंट लि.	24.05.1993	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	21.09.1993	बिहार
27.	115/1994	प्रोग्रेसिव सीमेंट्स लि.	23.08.1994	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	09.07.1997	बिहार
28.	211/1999	नीतिका सीमेंट्स लि.	15.07.1999	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	17.11.1999	चंडीगढ़
29.	86/1994	मोदी सीमेंट्स लि.	12.07.1994	अब रुग्ण नहीं घोषित	01.05.2004	छत्तीसगढ़ मिल
30.	131/1994	वल्लभ सीमेंट्स प्राइवेट लि.	05.09.1994	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	15.11.2012	छत्तीसगढ़ मिल
31.	123/1988	कामदार सीमेंट लि.	29.03.1998	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	05.04.1990	गुजरात
32.	83/1989	राधा कृष्ण सीमेंट	31.05.1989	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	30.05.1996	गुजरात
33.	91/1989	शक्ति सीमेंट इंटरनेशनल	20.06.1989	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	27.10.1991	गुजरात
34.	171/1989	गुजरात हिमालया सीमेंट	15.11.1989	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	28.09.1995	गुजरात
35.	21/1990	सुविन सीमेंट	19.02.1990	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	09.12.1997	गुजरात

36.	61/1990	श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी	24.05.1990	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	27.05.1993	गुजरात
37.	104/1990	गुजरात सिधी सीमेंट लि. (सीमेंट कॉर्पोरेशन)	12.09.1990	मंजूर योजना	15.02.2001	गुजरात
38.	111/1990	सौराष्ट्र सीमेंट कंपनी एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज	24.09.1990	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	19.11.1992	गुजरात
39.	148/1990	श्री राम सीमेंट्स	13.12.1990	अब रुग्ण नहीं घोषित	24.07.1996	गुजरात
40.	52/1994	बलराम सीमेंट्स लिमिटेड	18.05.1994	मसौदा योजना	20.06.2013	गुजरात
41.	58/1994	जगदम्बा सीमेंट्स लि.	03.06.1994	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	02.02.2001	गुजरात
42.	150/1994	जुपिटर सीमेंट्स इंडस्ट्रीज लि.	24.10.1994	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	30.09.1999	गुजरात
43.	110/2000	श्री दिगविजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड	27.03.2000	अबैटिड	29.11.2007	गुजरात
44.	82/2001	संदीप सीमेंट्स प्राइवेट लि.	20.02.2001	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	04.10.2002	गुजरात
45.	238/2002	संदीप सीमेंट्स प्राइवेट लि.	13.06.2002	मंजूर योजना	18.12.2013	गुजरात
46.	209/2003	संदीप सीमेंट्स प्राइवेट लि.	30.04.2003	मंजूर योजना	21.01.2010	गुजरात
47.	सितम्बर-06	सौराष्ट सीमेंट लि.	27.01.2006	मंजूर योजना	14.03.2013	गुजरात
48.	62/2007	लाभ कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रीज लि.	01.10.2007	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	05.05.2011	गुजरात
49.	165/1997	हिसार सीमेंट्स प्राइवेट टीएलडी	23.10.1997	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	01.10.2003	हरियाणा
50.	65/2007	कोचीन सीमेंट्स लि.	12.10.2007	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	19.07.2002	हरियाणा
51.	45/1994	विक्रम सीमेंट	26.04.1994	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	21.08.1995	हिमाचल प्रदेश
52.	47/1996	विक्रम सीमेंट	25.07.1996	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	20.10.1997	हिमाचल प्रदेश
53.	54/1997	हिमाचल सीमेंट प्रा.लि.	30.04.1997	मंजूर योजना	04.04.2011	हिमाचल प्रदेश
54.	240/2000	सिग्मा सीमेंट्स लिमिटेड	31.07.2000	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	30.10.2013	हिमाचल प्रदेश
55.	63/1987	अशोक सीमेंट	30.07.1987	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	06.11.1990	झारखंड

1	2	3	4	5	6	7
56.	64/1992	ऋषि सीमेंट कंपनी लिमिटेड	13.07.1992	गैर-अनुरक्षणीय के रूप में खारिज	23.12.1992	झारखंड
57.	85/2002	ऋषि सीमेंट कंपनी लिमिटेड	15.02.2002	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	18.02.2010	झारखंड
58.	216/2003	ऋषि सीमेंट कंपनी लिमिटेड	09.05.2013	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	07.11.2012	झारखंड
59.	155/1988	कर्नाटक सीमेंट	25.04.1988	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	06.04.1993	कर्नाटक
60.	169/1989	वेद सीमेंट्स	08.11.1989	असफल एवं पुन: खोली गई	08.08.2001	कर्नाटक
61.	अगस्त-90	लोखंडवाला सीमेंट	18.01.1990	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	04.07.1991	कर्नाटक
62.	15/1990	शिवा मिनिरल्स एंड सीमेंट्स	25.01.1990	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	24.04.1997	कर्नाटक
63.	21/1991	वज्र सीमेंट्स एंड मिनिरल्स प्राइवेट लि.	18.03.1991	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	29.05.2000	कर्नाटक
64.	127/1991	एमआईसी सीमेंट लि.	28.11.1992	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	22.09.1995	कर्नाटक
65.	42/1991	लोकपुर सीमेंट्स लि.	03.04.1992	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	12.06.2007	कर्नाटक
66.	22/1993	श्री क्वालिटी सीमेंट लि.	22.02.1993	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	27.01.1994	कर्नाटक
67.	69/1993	होयसला सीमेंट्स एंड सिरेमिक (I) प्रा.लि.	03.09.1993	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	31.12.1997	कर्नाटक
68.	76/1993	दक्षिण इंडिया सीमेंट्स लि.	27.09.1993	संशोधित मंजूर योजना	20.06.2013	कर्नाटक
69.	119/1994	बेंगलूरु सीमेंट्य लिमिटेड	25.08.1994	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	08.12.2005	कर्नाटक
70.	61/1995	रेखा सीमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड	11.08.1995	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	18.12.2000	कर्नाटक
71.	210/2002	बेलगुंडी सीमेंट लिमिटेड	24.05.2002	अबैटिड	06.02.2008	कर्नाटक
72.	279/2004	मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड	02.09.2004	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	18.09.2006	कर्नाटक
73.	55/2009	रत्ना सीमेंट्स (याडवाड) लिमिटेड	11.12.2009	अबैटिड	13.01.2010	कर्नाटक
74.	639/2008	त्रावणकोर सीमेंट्स लिमिटेड	28.08.2008	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	20.05.2009	केरल

75.	114/1990	अभिषेक सीमेंट्स	12.10.1990	अब रुग्ण नहीं घोषित	23.10.2008	मध्य प्रदेश
76.	143/1991	बालाघाटा सीमेंट्स प्राइवेट लि.	20.12.1991	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	15.12.1997	मध्य प्रदेश
77.	113/1994	रूद्रा सीमेंट लि.	19.08.1994	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	10.05.2000	मध्य प्रदेश
78.	501/1996	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	30.04.1996	मंजूर योजना	31.10.2013	मध्य प्रदेश
79.	119/1997	सोमानी सीमेंट्स कंपनी लि.	22.08.1997	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	29.06.1998	मध्य प्रदेश
80.	27/1998	धार सीमेंट लि.	19.02.1998	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	14.05.2002	मध्य प्रदेश
81.	97/1998	प्रोमिनेंस सीमेंट लि.	30.04.1998	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	11.01.2000	मध्य प्रदेश
82.	305/1998	महेन्द्रा सीमेंट्स लि.	18.11.1998	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	28.04.2000	मध्य प्रदेश
83.	102/1990	नर्मदा सीमेंट् कंपनी	03.09.1990	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	13.10.1995	महाराष्ट्र
84.	120/1990	श्री हरिगंगा सीमेंट्स	29.10.1990	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	03.10.1994	महाराष्ट्र
85.	93/1997	श्री क्वालिटी सीमेंट्स लि.	17.07.1997	अबगिटड	08.09.1997	महाराष्ट्र
86.	84/1998	श्री क्वालिटी सीमेंट लि.	17.04.1998	बंद करने की सिफारिश/पुष्टि	01.09.2000	महाराष्ट्र
87.	275/1998	पटोदिया सीमेंट लि.	15.10.1998	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	17.08.1999	महाराष्ट्र
88.	163/1999	वरूण सीमेंट्स लि.	14.06.1999	मंजूर योजना	08.01.2013	महाराष्ट्र
89.	201/2003	सत्कार कंपनी लिमिटेड सीमेंट	28.04.2003	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	11.07.2005	महाराष्ट्र
90.	75/2004	नर्मदा सीमेंट कंपनी लि.	28.01.2004	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	03.12.2012	महाराष्ट्र
91.	60/2006	वीसी सीमेंट टाइलेड एंड इंडस्ट्रीज लि.	20.07.2006	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	17.03.2009	महाराष्ट्र
92.	16/2010	रूफिट इंडस्ट्रीज लि.	24.05.2010	गैर-अनुरक्षणीय खरिज	14.09.2010	महाराष्ट्र
93.	84/2013	मुरली इंडस्ट्रीज लि.	26.11.2013	रुग्ण निर्धारण लंबित	30.12.2013	महाराष्ट्र
94.	80/1998	विर्गो सीमेंट लि.	21.04.1998	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	23.05.2008	मेघालय

1	2	3	4	5	6	7
95.	318/1998	जयंतिया सीमेंट्स लि.	01.12.1998	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	12.01.2012	मेघालय
96.	43/2002	अंबुजा सीमेंट राजस्थान लिमिटेड	21.01.2002	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	20.11.2006	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
97.	87/1991	आईपीआई एसपी सीमेंट कंपनी लि.	31.07.1991	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	22.06.2006	ओडिशा
98.	604/1998	आईडीसीओएल सीमेंट लि.	07.12.1998	अब रुग्ण नहीं घोषित	08.06.2001	ओडिशा
99.	301/2001	अनंत सीमेंट एंड एलाइड प्रोडक्टस प्रा. लि.	27.07.2001	सिफारिश/पुष्टि की समापन	14.05.2013	पंजाब
100.	37/1987	स्वदेशी सीमेंट	20.07.1987	बंद की सिफारिश/पुष्टि	21.05.2007	राजस्थान
101.	61/1989	कल्याण सुन्दरम सीमेंट	25.04.1989	बंद की सिफारिश/पुष्टि	14.06.1990	राजस्थान
102.	114/1991	सिरोही सीमेंट प्रा. लि.	22.10.1991	बंद की सिफारिश/पुष्टि	27.01.1995	राजस्थान
103.	14/1994	देवश्री सीमेंट लि.	09.02.1994	बंद की सिफारिश/पुष्टि	10.03.1998	राजस्थान
104.	138/1997	बसेरा सीमेंट लि.	19.09.1997	बंद की सिफारिश/पुष्टि	09.04.2002	राजस्थान
105.	अगस्त-98	जनप्रिय सीमेंट्स लि.	20.01.1998	बंद की सिफारिश/पुष्टि	02.06.2000	राजस्थान
106.	59/1998	थार सीमेंट लि.	31.03.1998	बंद की सिफारिश/पुष्टि	22.04.2003	राजस्थान
107.	154/1999	सौरभ सीमेंट लि.	09.06.1999	बंद की सिफारिश/पुष्टि	26.02.2003	राजस्थान
108.	422/2000	मंगलम सीमेंट लि.	22.12.2000	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	24.05.2007	राजस्थान
109.	369/2002	पिट्टी सीमेंट एंड इंडस्ट्रीज लि.	20.09.2002	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	16.12.2003	राजस्थान
110.	72/2004	पिट्टी सीमेंट और उद्योग लि.	28.01.2004	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	12.12.2005	राजस्थान
111.	106/1997	मदुरै सीमेंट्स लि.	05.08.1997	बंद की सिफारिश/पुष्टि	22.05.2002	तमिलनाडु
112.	604/2002	तमिलनाडु निगम लि. मजबूत होगा	08.04.1997	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	07.01.2011	तमिलनाडु

1	2	3	4	5	6	7
113.	148/2005	राजपाल्यम सीमेंट और रसायन लि.	22.08.2005	हटा दिया (एन/डब्ल्यू पोजिटिव)	14.02.2012	तमिलनाडु
114.	86/2013	श्री ज्योति सीमेंट्स लि.	06.12.2013	अभी सुनवाई होनी है	NULL	तमिलनाडु
115.	67/1998	गंगा एसबेस्टस लिमिटेड	05.02.1998	बंद की सिफारिश/पुष्टि	06.12.1988	उत्तर प्रदेश
116.	607/1992	यूपी स्टेट सीमेंट लि.	06.07.1992	बंद की सिफारिश/पुष्टि	02.07.1997	उत्तर प्रदेश
117.	60/1996	नीलगिरी सीमेंट्स लि.	03.10.1996	बंद की सिफारिश/पुष्टि	13.09.1999	उत्तर प्रदेश
118.	305/1999	कभीम सीमेंट्स लि.	27.09.1999	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	15.05.2001	उत्तर प्रदेश
119.	351/2001	भीम सीमेंट लि.	07.09.2001	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	16.10.2002	उत्तर प्रदेश
120.	102/1989	एआरसी सीमेंट	26.07.1989	बंद की सिफारिश/पुष्टि	27.04.1995	उत्तराखंड
121.	40/2002	हिमगिरी सीमेंट कंपनी प्रा.लि.	17.01.2002	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	19.01.2006	उत्तराखंड
122.	502/1994	दामोदर सीमेंट एंड स्लैग लि.	08.02.1994	अब रुग्ण नहीं घोषित	21.01.2003	पश्चिम बंगाल
123.	जनवरी-98	लेमन सीमेंट लि.	05.01.1998	मंजूर योजना	15.01.2014	पश्चिम बंगाल
124.	163/1998	एचएमपी लिमिटेड लि.	26.06.1998	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	10.08.1998	पश्चिम बंगाल
125.	69/1999	जमशेदपुर सीमेंट लि.	31.03.1999	बंद की सिफारिश/पुष्टि	12.07.2002	पश्चिम बंगाल
126.	221/1999	एचएमपी लिमिटेड लि.	27.07.1999	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	07.07.2006	पश्चिम बंगाल
127.	फरवरी-01	एचएमपी लिमिटेड लि.	04.01.2001	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	05.09.2001	पश्चिम बंगाल
128.	155/2001	कल्याणपुर सीमेंट लि.	19.04.2001	संशोधित मंजूर योजना	05.03.2013	पश्चिम बंगाल
129.	110/2002	एचएमपी लिमिटेड लि.	13.03.2002	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	10.04.2002	पश्चिम बंगाल
130.	124/2002	एचएमपी पोरबंदर सीमेंट लि.	20.03.2002	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	29.08.2002	पश्चिम बंगाल
131.	155/2005	ग्लोबल सीमेंट्स लि.	07.11.2005	गैर-अनुरक्षणीय खारिज	26.04.2007	पश्चिम बंगाल

[हिन्दी]

आईओआर में चीन की नौसेना की उपस्थिति

1274. योगी आदित्यनाथ :
श्री सदाशिव लोखंडे :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय समुद्री क्षेत्र (आईओआर) में और इसके ईर्दगिर्द तथा देश के चारों और अन्य क्षेत्रों में चीन की नौसेना की उपस्थिति बढ़ने का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा पाकिस्तान और चीन दोनों देशों द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटने के लिए रक्षा तैयारी की समीक्षा की गई है या किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) सरकार, भारतीय समुद्री क्षेत्र में विकास परियोजनाओं जैसे बंदरगाहों के साथ-साथ समुद्री डकैतीरोधी संक्रियाओं और गहरे समुद्र खनन में चीन की भागीदारी से अवगत है। सरकार हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों से संबंधित सभी गतिविधियों पर निरंतर नजर रखती है और उनकी सुरक्षा के लिए मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों और सामरिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कार्रवाई करती है।

[अनुवाद]

सीजीएचएस के लाभार्थियों को नकद रहित सुविधा

1275. श्री कीर्ति आजाद : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीजीएचएस के पैनल वाले कतिपय अस्पतालों ने भुगतान हेतु बहुत बड़ी राशि के बिलों के लंबित होने के कारण सीजीएचएस के लाभार्थियों को नकद रहित सुविधा देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके बिलों के लंबित होने के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इन बिलों का यथाशीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीजीएचएस रोगियों की बड़ी बीमारियों पर कितनी राशि खर्च हुई;

(घ) क्या सरकार ने कतिपय पैकेजों और प्रतिरोपण प्रक्रियाओं की पात्रता लागत को कम कर दिया है तथा सीजीएचएस लाभार्थियों को अस्पतालों को लागत अन्तर का भुगतान करना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलूरु एवं जयपुर में 23 अस्पतालों ने अस्पताल बिलों के भुगतान के कथित रूप से लंबित होने के कारण क्रेडिट सुविधा देना बंद कर दिया था। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और समीक्षा के बाद दिल्ली में 2 अस्पतालों, बेंगलूरु में 2 अस्पतालों और जयपुर में 1 अस्पताल को सीजीएचएस पैनल से हटा दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2013-14 की अंतिम तिमाही में बजट की कमी थी। पीओआरबी के तहत अतिरिक्त बजट प्राप्त हुआ था और अस्पतालों को 75 करोड़ रुपए तक का सीधा भुगतान किया गया था (यूटीआई-आईटीएसएल के माध्यम से भुगतान के अलावा) और दिनांक 31 मार्च, 2014 तक ज्यादातर लंबित भुगतान हो चुका था।

(ग) रोग-वार व्यय का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) समय-समय प विशेषज्ञों की सिफारिशों के अनुसार प्रत्योरोपण की पैकेज दरें और अधिकतम सीमा दरें संशोधित की जाती हैं। पिछला संशोधन दिनांक 29.04.2014 को औषध एलयूटिंग स्टंट हेतु अधिकतम सीमा दरों का आखिरी संशोधन किया गया था।

पैनलबद्ध अस्पताल प्रत्यारोपण हेतु अनुमोदित पैकेज दरों और अधिकतम सीमा दरों से अधिक चार्ज नहीं ले सकते। यदि कोई सीजीएचएस लाभार्थी विशिष्ट ब्रांड नाम वाले उपकरण से प्रत्यारोपण कराना चाहता है, जिसका बिक्री मूल्य सीजीएचएस दरों से अधिक है तो उस विशेष ब्रांड के बिक्री मूल्य और सीजीएचएस के तहत अधिकतम सीमा दर के बीच को अंतर को संबंधित सीजीएचएस लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

सीजीएचएस ने दरों (संशोधन) के निर्धारण और विभिन्न शहरों में सीजीएचएस के अंतर्गत अस्पतालों की पैनलबद्धता हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की हैं। बोली का तकनीकी मूल्यांकन पूरा हो चुका है।

कृषि निर्यात जोन

1276. श्री एंटो एन्टोनी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्यमान कृषि-निर्यात जोनों का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत शामिल उत्पादों का उत्पाद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को और ज्यादा ऐसे जोनों की स्थापना करने और इसके अंतर्गत रबड़ सहित और ज्यादा उत्पादों को शामिल करने के लिए राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे जोनों को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान उनके कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) देश के विभिन्न भागों में स्थापित मौजूदा 60 कृषि निर्यात क्षेत्रों (एसईजेड) का विवरण उत्पाद एवं राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) एईजेड के निष्पादन का आंकलन करने के लिए 2005 में मौजूदा एईजेड़ों का एक सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया था सावधानीपूर्वक किए गए इस मूल्यांकन के कुछ महत्वपूर्ण निष्कष में (i) सरकारी प्राधिकारी एवं उसके निकायों द्वारा स्वामित्व का अभाव (ii) राज्य सरकार, क्षेत्र अवस्थापनों सहित पणधारियों के बीच स्कीम एवं इसके संकल्पनात्मक कार्यढांचे के बारे में जागरुकता की कमी (iii) एईजेड़ की संकल्पनात्मक डिजाईन में परियोजना उन्मुखीकरण की कमी (iv) एईजेड में समन्वयन/अनुवीक्षण प्रक्रिया की कमी (v) केन्द्र एवं राज्य सरकार से पर्याप्त सार्वजनिक निवेश को अमल में न लाना (vi) एईजेड का अविवेकपूर्ण प्रसार आदि शामिल हैं। वर्ष 2005 में इस विशिष्ट समूह की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि जब तक कोई बाध्यकारी कारण न हो नए एईजेड के अधिसूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।

तद्नुसार, नए एईजेड के स्थापना के किसी प्रस्ताव पर सहमति नहीं हुई है।

विवरण

स्वीकृत 60 कृषि निर्यात जोन से वास्तविक निर्यात एवं निवेश

(फरवरी, 2013)

क्र. सं.	राज्य	एईजेड परियोजना	राज्य एवं जिला	वास्तविक निर्यात (करोड़ रुपए)	वास्तविक निवेश (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5	6
01.	असम (1)	ताजा एवं प्रसंस्कृत अदरख	असम (कामरूप, नलबाड़ी, बारपेटा, डेरांग, नौगांव, कार्वी, एंगलोंग एवं उत्तरी कछार जिला)	217	3.15
02.	आंध्र प्रदेश (5)	आम का गूदा एवं ताजी सब्जियां	आंध्र प्रदेश (चित्तूर जिला)	2736.03	91.40
03.		आम तथा अंगूर	आंध्र प्रदेश (रंगारेड्डी जिला, मेडक एवं महबूबनगर जिले के हिस्से)	18.29	57.21
04.		आम	आंध्र प्रदेश (कृष्णा जिला)	2.75	17.90
05.		खीरा	आंध्र प्रदेश (महबूबनगर, रंगारेड्डी, करीमनगर, वारंगल मेडक, अनंथपुर एवं नलगोंडा)	82.50	20.05

1	2	3	4	5	6
06.		मिर्च	गुंटूर	51.00	20.32
07.	बिहार (1)	लिची, सब्जियां तथा शहद	बिहार (मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली, पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारण, भागलपुर, बेगुसराय, खगड़िया, सीतामढ़ी, सारण एवं गोपालगंज)	5.87	20.10
08.	गुजरात (3)	आम तथा सब्जियां	गुजरात (अहमदाबाद, खाडिया, आनंद, वडोदरा, सूरत, नवसारी, वल्साड, भरूच एवं नर्मदा जिला)	1.65	16.66
09.		मूल्यवर्धित प्याज	गुजरात (भावनगर, सुरेन्द्रनगर, अमरेली, राजकोट, जूनागढ़ एवं जामनगर जिला)	300.49	13.17
10.		सीसम के बीज	अमरेली, भावनगर, सुरेन्द्र नगर, राजकोट, जामनगर	0.00	0.00
11.	हिमाचल प्रदेश (1)	सेब	हिमाचल प्रदेश (शिमला सिरमौर, कुल्लू, मंडी, चम्बा एवं किन्नौर)	0.00	0.00
12.	कर्नाटक (4)	खीरा	कर्नाटक (तुम्कुर, बंगलोर शहरी, बंगलोर ग्रामीण, हसन, कोलार, चित्रदुर्गा, धारवाड़ एवं बैगलकोट)	1237.05	87.34
13.		रोज प्याज	कर्नाटक (बंगलोर शहरी, बंगाल ग्रामीण, कोलार)	276.00	0.13
14.		फूल	कर्नाटक (बंगलोर (शहरी) बंगलोर (ग्रामीण) कोलार, तुम्कुर, कोडागू तथा बेलगांव)	31.74	3.57
15.		वनीला	कर्नाटक (दक्षिण कनाडा, उत्तर कनाडा, उडूपी, शिमोगा, कोडागू चिकमंगलूर)	0.00	0.00
16.	जम्मू और कश्मीर (2)	सेब	जम्मू और कश्मीर (श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कूपावाड़ा, बडगांव एवं पुलवामा)	124.72	6.71
17.		अखरोट	जम्मू और कश्मीर – बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाव, कुपवाड़ा एवं श्रीनगर (जम्मू क्षेत्र-डोडा पुंछ, उद्यमपुर, राजौरी, कठुआ)	552.21	14.14
18.	झारखंड (1)	सब्जियां	झारखंड (रांची, हजारीबाग, लोहरदगा)	0.00	0.00
19.	केरल (2)	बागवानी उत्पाद	केरल (त्रिशूर, कोल्लम, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलापुआ उज्हा, पथनम-थिट्टा, तिरूवनंतपुरम, इडुक्की एवं पालक्कड़		
20.		औषधीय पौधे	वायनाड, मलापुरम, पालक्कड, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोल्लम, पथाना-मिथ्या, तिरुवनंतपुरम	0.00	0.00
21.	मध्य प्रदेश (5)	आलू, प्याज तथा लहसुन	मध्य प्रदेश (मालवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर, रतलाम, नीमच एवं मंदसौर)	15.99	42.64

1	2	3	4	5	6
22.		बीज मसाले	मध्य प्रदेश (गुना, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर एवं नीमच जिला)	38.43	4.55
23.		गेहूं (दुरम)	मध्य प्रदेश (तीन जिला एवं सन्निकट क्षेत्र:— उज्जैन जोन नीमच, रतलाम, मंदसौर तथा उज्जैन से मिलकर इंदौर जोन, धार, शाजापुर एवं देवास से मिलकर भोपाल जोन, सिहोर, विदिशा रायसेन, होशंगाबाद, हर्दा, नरसिंगपुर एवं भोपाल से मिलकर	21.00	4.71
24.		मसूर तथा चना	शिवपुरी, गुना, विदिश, रायसेन, नरसिंघपुरा, छिंदवाड़ा	0.00	0.00
25.		संतरे	छिंदवाडा, होशंगाबाद, बेतुल	0.00	8.90
26.	महाराष्ट्र (8)	अंगूर तथा शराब	महाराष्ट्र (नासिक, सांगली, पुणे, सतारा, अहमदनगर एवं शोलापुर)	384.67	110.17
27.		आम (अल्फांसो)	महाराष्ट्र (रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ एवं थाणे)	123.00	36.86
28.		केसर आम	महाराष्ट्र (औरंगाबाद, बीड, जालना, अहमदनगर एवं लातूर)	12.17	3.43
29.		फूल	महाराष्ट्र (पुणे, नासिक, कोल्हापुर एवं सांगली)	35.50	168.00
30.		प्याज	महाराष्ट्र (नासिक, अहमदनगर, पुणे, सतारा, जलगांव एवं शोलापुर)	588.00	38.33
31.		अनार	शोलापुर जिला, सांगली, अहमदनगर, पुणे, नासिक, लातूर, उस्मानाबाद	20.24	1.53
32.		केला	जलगांव, धुले, नंदूबार, बुल्ढाना, वर्धा, परभानी, हिन्डोली, नान्देड	0.04	6.99
33.		संतरे	नागपुर एवं अमरावती	2.72	0.01
34.	ओडिशा (1)	अदरख तथा हल्दी	ओडिशा (कंधमाल जिला)	1.76	0.00
35.	पंजाब (3)	सब्जियां	पंजाब (फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, रोपड़ एवं लुधियाना)	0.03	35.75
36.		आलू	पंजाब (सिंघपुरा, जिराकपुर (पटियाला) रामपुरा फुल, मुक्तसर, लुधियाना, जालंधर)	2.80	8.46

1	2	3	4	5	6
37.		बासमती चावल	पंजाब (गुरूदासपुर जिला, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर एवं नवांशहर)	1521.00	5.27
38.	राजस्थान (2)	धनिया	कोटा, बूंदी, बैरन, झालावाड़ एवं चित्तूर	21183.00	346.93
39.		जीरा	नागौर, बारमेड, जालोर, पाली एवं जोधपुर	6501.00	118.05
40.		फूल (आर्किड) तथा चेरी पीपर	सिक्किम (ईस्ट सिक्किम)	0.00	1.15
41.		अदरख	सिक्किम (नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एवं वेस्ट सिक्किम)	0.00	0.00
42.	त्रिपुरा (1)	कार्बनिक अनानास	त्रिपुरा (कुमारघाट, मनु, मेलाधर, माताबारी एवं ककराबैन ब्लॉक्स)	0.00	7.62
43.	तमिलनाडु (4)	फूल	तमिलनाडु (धर्मपुरी)	39.40	22.47
44.		फूल	तमिलनाडु (नीलगिरी जिला)	44.56	5.50
45.		आम	तमिलनाडु (मदुरई, थेनी, डिंडीगुल, विरुद्धनगर एवं तिरूवेली)	0.00	0.81
46.		काजू की गिरी	कडागलोर, तंजावुर, पुडुकोटटई एवं शिवगंगा	18.33	0.00
47.	उत्तर प्रदेश (4)	आलू	उत्तर प्रदेश (आगरा, हाथरस, फर्रूखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत एवं अलीगढ़)	7.00	0.97
48.		आम तथा सब्जियां	उत्तर प्रदेश (लखनऊ, उन्नाव हरदोई, सीतापुर एवं बाराबंकी)	0.47	20.89
49.		आम	उत्तर प्रदेश (सहारनपुर, मुज्जफरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत एवं बुलंदशहर)	12.49	16.99
50.		बासमती चावल	उत्तर प्रदेश (बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, ज्योतिबाफुलेनगर, सहारनपुर, मुज्जफरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद)	0.00	0.47
51.	उत्तराखंड (4)	लिची	उत्तराखंड (उधमसिंह नगर, देहरादून तथा नैनीताल)	2.45	3.72
52.		फूल	उत्तराखंड (देहरादून एवं पंतनगर जिला)	0.04	10.19
53.		बासमती चावल	उत्तराखंड (उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून तथा हरिद्वार)	0.00	0.39
54.		औषधीय एवं सुगंधित पौधे	उत्तराखंड (उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून तथा नैनीताल)	1.00	0.00

1	2	3	4	5	6
55.	पश्चिम बंगाल (6)	लिची	पश्चिम बंगाल (मुर्शिदाबाद, माल्दा, 24 परगना (उत्तर) एवं 24 परगना (दक्षिण) जिला)	3.30	0.93
56.		आलू	पश्चिम बंगाल [हुगली, वर्दवान, मिदनापुर (पश्चिम) उदय नारायणपुर एवं हावड़ा]	3.72	0.15
57.		आम	पश्चिम बंगाल (माल्दा एवं मुर्शिदाबाद)	74.00	3.58
58.		सब्जियां	पश्चिम बंगाल (नादिया, मुर्शिदाबाद) तथा उत्तरी 24 परगना	4.43	0.12
59.		दार्जीलिंग चाय	पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग)	0.00	0.00
60.		अनानास	पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार तथा जलपाईगुड़ी)	0.20	78.69

वास्तविक निर्यात 38363.00 करोड़ रुपए

वास्तविक निवेश 1490.65 करोड़ रुपए

टिप्पणी: एसईजेड का क्रियान्वयन करने वाली राज्य नोडल एजेंसियों से प्राप्त वास्तविक निर्यात एवं निवेश के आंकड़े संचयी रूप से संकलित किए गए हैं।

मुद्रास्फीति संबंधी तुलनात्मक आंकड़े

1277. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अन्य एशियाई देशों की तुलना में मुद्रास्फीति संबंधी तुलनात्मक आंकड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) एशियाई देशों के लिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में औसत वार्षिक मुद्रास्फीति नीचे सारणी-1 में दी गई है।

सारणी-1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
मुद्रास्फीति दरें (प्रतिशत)

क्र.सं.	देश	2012	2013
1	2	3	4
1.	चीन	2.6	2.6
2.	कोरिया	2.2	1.3
3.	भारत	10.2	9.5
4.	पाकिस्तान	11.0	7.4
5.	श्रीलंका	7.5	6.9
6.	इंडोनेशिया	4.0	6.4
7.	मलेशिया	1.7	2.1
8.	थाईलैंड	3.0	2.2

स्रोत: वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक, अप्रैल, 2014, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष।

(ख) एशियाई देशों की मुद्रास्फीति दर में अंतर कई कारकों के कारण हो सकता है अर्थात्: संघटन, संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वस्तु समूह का संघटन, आधार भारांश, अर्थव्यवस्था का ढांचा, संसाधनों की स्थाई निधियां आय का वितरण आदि। भारत में उच्च उभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की वजह कोरिया और चीन की क्रमश: 14 प्रतिशत और 32 प्रतिशत भारांश की तुलना में खाद्य वस्तु समूह के उच्चतर भारांश (लगभग 50 प्रतिशत) से है। सरकार स्थिति पर पैनी निगाह बनाए हुए है और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए निरंतर उपाय कर रही है केन्द्रीय बजट 2014-15 में सतत् आधार पर मुद्रास्फीति को कम करने

के लिए जिन उपायों की रूपरेखा दी गई है उनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं: प्रौद्योगिकी प्रेरित दूसरी हरित क्रांति लाने पर बल देना जिसमें उच्चतर उत्पादकता पर ध्यान दिया जाए और प्रोटीन क्रांति लाने पर महत्व दिया जाए; कृषि उपज के संबंध में मूल्य अस्थिरता के जोखिम को कम करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित करना; राष्ट्रीय बाजार शीघ्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर अपने एपीएमसी अधिनियमों को फिर से नई दिशा देगी जिससे कि निजी बाजार यार्ड/निजी बाजारों की स्थापना हेतु व्यवस्था की जा सके; शहरों में किसान बाजार बनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना ताकि किसान सीधे अपनी उपज की बिक्री कर सकें; प्राथमिकता देते हुए एफसीआई का पुनर्गठन करना और आवाजाही एवं वितरण घाटों को कम करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य-कुशलता को बेहतर बनाना; अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग में नील क्रांति लाने तथा देशज पशुचारे की व्यवस्था करने हेतु प्रत्येक के लिए वर्ष 2014-15 में 50 करोड़ रुपए का आबंटन करना।

कृषि क्षेत्र का विकास

1278. श्री एन. क्रिष्टप्पा : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी प्रतिशत कृषि विकास द प्राप्त की गई है;

(ख) क्या योजना आयोग ने कम होते तिलहन उत्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र को उपाय सुझाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि को विकसित करने, कृषि उत्पादन बढ़ाने और तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) : (क) कृषि क्षेत्रक ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में औसतन 4.1% वार्षिक वृद्धि हासिल की है जबकि 10वीं योजना के दौरान यह 2.5% थी। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान, विकास दर क्रमशः 1.4% और 4.7% थी (स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली की दिनांक 31 जनवरी, 2014 की प्रेस रिलीज; राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस), 2014)।

(ख) से (घ) 12वीं योजना के लिए, कृषि क्षेत्रक हेतु 4% का विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना आयोग ने कृषि क्षेत्रक के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रेरकों के रूप में निम्नलिखित की पहचान की है:—

- फार्म उद्यमों की व्यवहार्यता और निवेश का प्रतिलाभ जो पैमाने, बाजार सुलभता, कीमतों और जोखिम पर निर्भर करते हैं;
- उपयुक्त प्रौद्योगिकियों, जो अनुसंधान की गुणवत्ता और कौशल विकास के स्तर पर निर्भर करती हैं, की उपलब्धता और प्रसार;
- कृषि और अवसंरचना पर योजनागत व्यय के साथ-साथ नीति का उद्देश्य बाजारों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना औ प्राकृतिक संसाधनों का और अधिक कुशल उपयोग करना होना चाहिए; और
- संस्थाओं के रूप में अभिशासन को ऋण, पशु स्वास्थ्य जैसी सेवाओं तथा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों और फार्म मशीनरी जैसे गुणवत्तापूर्ण इनपुटों की बेहतर प्रदायगी को संभव बनाते हैं।

इन कार्यनीतियों को कार्यान्वित करने के लिए, भारत सरकार ने तिलहनों के उत्पादन को, 11वीं योजना के अंतिम वर्ष (2011-12) के दौरान 29.80 मिलियन टन की उपलब्धि की तुलना में 2016-17 तक 35.51 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए 12वीं योजना के लिए 3507 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय तिलहन और खजूर तेल मिशन (एनएमओओपी) आरंभ किया है। वर्ष 2012-13 और 2013-14 में, तिलहनों का उत्पादन क्रमशः 30.94 मिलियन टन और 32.41 मिलियन टन (तीसरे अग्रिम अनुमान, 2013-14) अनुमानित किया गया है। इस स्कीम के तहत प्रजनक बीज, जनकीय रेखाओं और प्रमाणित बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों एवं मिनिकिट्स के वितरण तथा बीज अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ाव देने के लिए रासायनिक और जैविक कीटनाशकों आदि के साथ-साथ लाइट ट्रैप्स जैसे उपकरण प्रदान किए जाते हैं। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जिप्सम, पाइराइट, लाइमिंग, डोलोमाइट, राइजोबियम/फास्फेट एवं जस्ते को घुलनशील बनाने वाले जीवाणु के वितरण हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है। इस मिशन के तहत फार्म औजारों, पानी देने की पाइप, बीज भंडारण धानियों और ट्रीटमेंट ड्रम, घासपात संबंधी प्रौद्योगिकी पर ब्लॉक निदर्शनों, फ्रंटलाइन निदर्शनों, किसानों/विस्तारण कामगारों/इनपुट डीलरों के प्रशिक्षण और आनुभविक दौरों की भी व्यवस्था की जाती है। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2016-17

तक 1.25 लाख हैक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र खजूर तेल के तहत लाना तथा वृक्ष जनित तिलहनों (टीबीओ) के बीज संग्रहण को 9 लाख टन से बढ़ाकर 14 लाख टन करना भी है।

निर्भया कोष

1279. **प्रो. साधु सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्भया कोष के गठन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या 'निर्भया कोष' के अंतर्गत योजना को शुरू करने के लिए कोई रूपरेखा बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कोष के अंतर्गत कौन-कौन सी परियोजनाएं आएंगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उपयुक्त शीर्ष के अंतर्गत धनराशि का शीघ्र आवंटन सुनिश्चित करने, व्यय करने और धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र है/कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) 'निर्भया कोष' के अंतर्गत योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) 'निर्भया कोष' बालिकाओं तथा महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सृजित किया गया है।

(ख) 'निर्भया कोष' आर्थिक कार्य विभाग में लोक खाते में कारपस के रूप में सृजित किया गया है। इस कोष में 2000 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। जब कभी 'निर्भया कोष' से वित्त-पोषण हेतु मंत्रालय/विभागों द्वारा स्कीमें अनुमोदित की जाती हैं तो उनकी संबंधित मांगों के संबंध में उपयुक्त आबंटन भी किए जाते हैं तथा आर्थिक कार्य विभाग में कारपस को उस राशि के समतुल्य कम कर दिया जाता है।

(ग) से (ङ) 'निर्भया कोष' से आबंटन निम्नांकित स्कीमों के लिए किए गए है:—

(i) 'स्कीम ऑन वुमन सेफ्टी ऑन पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट', सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रशासित होती है— 50.00 करोड़ रुपए।

(ii) 'स्कीम्स ऑन बैकेन्ड इंटीग्रेशन ऑफ डिस्ट्रेस सिग्नल फ्राम विक्टिम्स विद मोबाइल वैन्स एंड कंट्रोल रूम्स' गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित होती है— 150.00 करोड़ रुपए।

सहकारी बैंकों में हवाला कारोबार

1280. **श्री नाना पटोले :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों विशेषकर महाराष्ट्र में हवाला कारोबार के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए किसी सहाकरी बैंक के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है।

[हिन्दी]

बुलेटों का आयात

1281. **श्री हुकुम सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय निशानेबाजों द्वारा आयात की गई बुलेटों की कुल मात्रा और उनके मूल्य का देश-वार ब्यौरा क्या है और उन निशानेबाजों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या कुछ निशानेबाजी द्वारा इन बुलेटों को ऊंची दरों पर बाजार में बेचा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं पर रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बुलेटों की कुल मात्रा और मूल्य का देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। व्यावसायिक गोपनीयता के मद्देनजर आयातकर्त्ता-वार व्यापार आंकड़ों को प्रसारित नहीं किया जाता है।

(ख) ऐसी कोई सूचना सरकार की जानकारी में नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2011-12 के दौरान आईटीसी एचएस-9306 के अंतर्गत आईटीसी एचएस-वार किया गया आयात

आईटीसी एचएस	विवरण	देश	इकाई	मात्रा	मूल्य (भारतीय रुपए में)
1	2	3	4	5	6
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	आस्ट्रेलिया	किग्रा.	325	613752
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	ऑस्ट्रिया	किग्रा.	172	170550
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	साइप्रस	किग्रा.	9009	5120958
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	चेक गणराज्य	किग्रा.	1742	2873810
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	फिनलैंड	किग्रा.	310	100055
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	जर्मनी	किग्रा.	2510	7075934
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	आयर लैंड	किग्रा.	90	347635
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	इटली	किग्रा.	23542	11777982
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	सिंगापुर	किग्रा.	486	739208
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	यूके	किग्रा.	50	34480
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	यूएसए	किग्रा.	3031	2668297
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	ब्राजील	किग्रा.	500	744357
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	बुल्गारिया	किग्रा.	600	2745631
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	कनाडा	किग्रा.	60	88492
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	चीन पीआरपी	किग्रा.	32	141942
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	साइप्रस	किग्रा.	2100	1181817
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	चेक गणराज्य	किग्रा.	150	153307
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	फ्रांस	किग्रा.	300	226222
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	जर्मनी	किग्रा.	3410	9480470
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	इजराइल	किग्रा.	10	35140
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	इटली	किग्रा.	513	281410
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	दक्षिणी अफ्रीका	किग्रा.	5580	44650530

1	2	3	4	5	6
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	स्पेन	किग्रा.	5	4077
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	स्विटजरलैंड	किग्रा.	100	307325
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	यूके	किग्रा.	2810	2308273
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	यूएसए	किग्रा.	15	12304
			कुल	57452	93883958
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	आस्ट्रेलिया	नग	4000	145512
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	बेल्जियम	नग	1825000	48614492
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	चीन पीआरपी	नग	16	12071
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	साइप्रस	नग	88700	1414386
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	फ्रांस	नग	600	1169143
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	जर्मनी	नग	652260	3407281
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	इटली	नग	475000	5546144
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	स्विटजरलैंड	नग	19000	645396
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	तुर्की	नग	10000	141183
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	यूके	नग	58200	2543686
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	यूएसए	नग	1	2565
			कुल	3132777	63641859

वर्ष 2012-13 के दौरान आईटीसी एचएस-9306 के अंतर्गत आईटीसी एचएस-वार किया गया आयात

आईटीसी एचएस	विवरण	देश	इकाई	मात्रा	मूल्य (भारतीय रुपए में)
1	2	3	4	5	6
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	आस्ट्रेलिया	किग्रा.	300	354684
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	साइप्रस	किग्रा.	11210	5976920
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	चेक गणराज्य	किग्रा.	5337	6802828
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	फ्रांस	किग्रा.	60	11923

1	2	3	4	5	6
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	जर्मनी	किग्रा.	540	881252
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	इटली	किग्रा.	34844	20383101
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	सर्बिया मोंटिनिग्रो	किग्रा.	1200	3035313
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	तुर्की	किग्रा.	145	799901
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	संयुक्त अरब अमीरात	किग्रा.	1	6499
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	यूके	किग्रा.	125	375520
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	यूएसए	किग्रा.	2651	2446819
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	ब्राजील	किग्रा.	1000	1875345
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	चीन पीआरपी	किग्रा.	125	847696
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	साइप्रस	किग्रा.	107	465147
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	चेक गणराज्य	किग्रा.	320	854106
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	फिनलैंड	किग्रा.	800	2613967
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	फ्रांस	किग्रा.	480	4413000
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	जर्मनी	किग्रा.	5836	25727683
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	इजराइल	किग्रा.	1490	38664696
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	इटली	किग्रा.	2761	8840968
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	जापान	किग्रा.	200	3182760
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	रूस	किग्रा.	21013	969815051
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	सिंगापुर	किग्रा.	8	200754
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	दक्षिण अफ्रीका	किग्रा.	6475	141675478
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	स्विटजरलैंड	किग्रा.	112	495756
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	तुर्की	किग्रा.	20	25007
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	यूके	किग्रा.	982	3863624
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	यूएसए	किग्रा.	218	540019
			कुल	98420	1244635798

1	2	3	4	5	6
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	ब्राजील	नग	15000	293172
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	चीन पीआरपी	नग	60	7812
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	साइप्रस	नग	15000	360101
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	फिनलैंड	नग	100000	3346533
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	जर्मनी	नग	11953560	15944027
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	इटली	नग	950000	14001133
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	दक्षिण अफ्रीका	नग	14400	40987680
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	स्पेन	नग	79928	413773
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	स्वाजीलैंड	नग	15000	80775
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	स्विटजरलैंड	नग	15000	85046
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	यूके	नग	862655	10664538
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	यूएसए	नग	2000	995929
			कुल	14022603	89908590

वर्ष 2013-14 के दौरान आईटीसी एचएस-9306 के अंतर्गत आईटीसी एचएस-वार किया गया आयात

आईटीसी एचएस	विवरण	देश	इकाई	मात्रा	मूल्य (भारतीय रुपए में)
1	2	3	4	5	6
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	आस्ट्रेलिया	किग्रा.	210	332282
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	साइप्रस	किग्रा.	9487	5133225
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	चेक गणराज्य	किग्रा.	3716	6397696
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	फिनलैंड	किग्रा.	70	358416
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	जर्मनी	किग्रा.	2260	3531510
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	इटली	किग्रा.	36572	24579761
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	सर्बिया मोंटिनिग्रो	किग्रा.	1557	1802483
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	स्लोवेनिया	किग्रा.	180	120127

1	2	3	4	5	6
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	स्विटजरलैंड	किग्रा.	90	205028
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	यूके	किग्रा.	170	558636
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	यूएसए	किग्रा.	5001	8627470
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	ऑस्ट्रिया	किग्रा.	360	166190
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	चीन पीआरपी	किग्रा.	304	399733
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	साइप्रस	किग्रा.	3415	3001673
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	जर्मनी	किग्रा.	10078	14441432
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	इटली	किग्रा.	270	286109
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	स्पेन	किग्रा.	200	216114
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	स्विटजरलैंड	किग्रा.	400	272344
93062900	शाटगन के हिस्से तथा बन्दूक के छर्रे	यूएसए	किग्रा.	20	118408
			कुल	74360	70548637
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	ब्राजील	नग	50000	1344645
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	चीन पीआरपी	नग	2501	373605
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	साइप्रस	नग	100000	1582746
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	चेक गणराज्य	नग	80000	3362279
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	डेनमार्क	नग	17	160884
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	फिनलैंड	नग	75400	6508480
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	जर्मनी	नग	7785200	15171508
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	इटली	नग	430000	7826775
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	स्विटजरलैंड	नग	15000	103372
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	यूके	नग	1055300	12736965
			कुल	9593418	49026459

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम और परिवर्तन के अधीन हैं।

अप्रैल, 2014 के दौरान आईटीसी एचएस-9306 के अंतर्गत किया गया आयात

आईटीसी एचएस	विवरण	देश	इकाई	मात्रा	मूल्य (भारतीय रुपए में)
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	साइप्रस	किग्रा.	550	323502
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	चेक गणराज्य	किग्रा.	140	194290
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	इटली	किग्रा.	2425	1511014
93062100	शाटगन कार्ट्रिज	यूएसए	किग्रा.	100	382064
93062900	शाटगन कार्ट्रिज तथा बन्दूरक के छर्रे	जर्मनी	किग्रा.	90	250251
			कुल	3305	2661121
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	चीन पीआरपी	नग	2100	21640
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	साइप्रस	नग	100000	1711434
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	जर्मनी	नग	30000	271365
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	इटली	नग	50000	1137617
93063000	अन्य कार्ट्रिज एवं इसके हिस्से	यूके	नग	300000	1650722
			कुल	482100	4792778

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

बच्चों की मृत्यु

1282. डॉ. भोला सिंह :
डॉ. अरुण कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बिहार के कतिपय भागों में भारी संख्या में बच्चों की मृत्यु पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इन मौतों के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं और बिहार को क्या सहायता प्रदान की गई है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) और (ख) जी, हां। बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर और पश्चिमी चम्पारण से हाल ही में इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है।

14.7.2014 तक मुजफ्फरपुर और निकटवर्ती जिलों से कुल 156 मौतों की सूचना प्राप्त हुई है। इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मृत्यु का जिला-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिला	मृत्यु
1	2	3
1.	मुजफ्फरपुर	87
2.	पूर्वी चम्पारण	35
3.	सीतामढ़ी	19

1	2	3
4.	वैशाली	6
5.	शिवहर	2
6.	समस्तीपुर	6
7.	पश्चिमी चम्पारण	1
	कुल	156

(ग) और (घ) जापानी इन्सेफ्लाइटिस का पता लगाने के लिए बिहार राज्य में एनवीबीडीसीपी के तहत 7 निगरानी पर्यवेक्षण स्थल स्थापित किए गए हैं, जिन्हें जापानी इंसेफ्लाइटिस मामलों का पता लगाने के लिए इंसेफ्लाइटिस मामलों के नमूनों के परीक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा जेई किटों की आपूर्ति द्वारा सहायता दी जाती है। सूचना के अनुसार दिनांक 14.7.2014 तक जेई का कोई मामला नहीं पाया गया।

(ङ) केन्द्र द्वारा उठाए गए कदमः—

(I) भारत सरकार ने बिहार सहित पांच अधिक मामलों वाले राज्यों के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति आरंभ की है। जिसके अंतर्गत देश के 60 जिलों को चिह्नित किया गया है तथा मुजफ्फरपुर बिहार के 15 चिह्नित जिलों में से एक है।

निम्नलिखित मंत्रालयों को इसमें शामिल किया गया है:—

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्रालय
- महिला और बाल विकास मंत्रालय
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

(II) जेई/एईएस की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कार्य योजना के निर्माण हेतु बिहार सहित 9 जेई स्थानिकमारी वाले राज्यों को एसपीओ की कार्यशाला/बैठक 7-8 फरवरी, 2011 को दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(III) 2007 से 2010 के बीच जेई टीकाकरण के अंतर्गत राज्य के 6 जिलों को शामिल किया गया है। 2012 के दौरान गया में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया था। 2012 के दौरान औरंगाबाद में भी जेई टीकाकरण का अभियान चलाया गया था।

(IV) सरकार जेई/एईएस की रोकथाम के लिए सीडीसी आट्लांटा संयुक्त राज्य अमेरिका, एनसीडीसी दिल्ली, एनआईवी पुणे, आरएमआरई पटना के विशेषज्ञों से भी सहायता ले रही है।

(V) 2012 और 2013 के दौरान राज्य को क्रमशः 14 और 12 जेई एमएसी-एलीसा परीक्षण किटों की निःशुल्क आपूर्ति की गयी है। 2014 में 30.6.2014 तक कुल 19 किटों की आपूर्ति की गयी है।

(VI) मुजफ्फरपुर जिलें में तीव्र इन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) के संक्रमण के स्रोत की पहचान की सुनिश्चित नैदानिक जानपदिकमारी संबद्धता को स्थापित करने के लिए एनसीडीसी और एनवीडीबीसीपी के एक दल ने 25.5.2014 से अब तक दौरा किया।

(VII) राज्य द्वारा नियंत्रण के लिए किए गए उपायों की समीक्षा के लिए एनवीबीडीसीपी निदेशक के साथ माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 20-22 जून, 2014 को मुजफ्फरपुर का दौरान किया।

(VIII) नवंबर-दिसंबर, 2013 में जेई के लिए टीकाकरण किया गया था। टीकाकरण से छूट गए बच्चों के टीकाकरण के लिए 22-23 जून, 2014 को मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, समस्तीपुर, पूर्वी चम्पारण, भोजपुर, नवादा और पटना में जेई टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया गया था।

2012-13 के दौरान गया और मुजफ्फरपुर में क्रमशः जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के सुदृढ़ीकरण के लिए 6.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी है। तथापि, 2013-14 के दौरान जेई/एईएस की रोकथाम और नियंत्रण कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए बिहार को कुल 16.88 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. एईएस जागरुकता कार्यकलाप के अंतर्गत आशा औ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर वितरण करने के लिए आईईसी मुद्रित सामाग्री दी गई थी।

2. आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को हाल ही में आरंभ हुए ज्वर की पहचान करने की तथा नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान को शीघ्र रेफर करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी।

3. भर्ती किए गए रोगियों को परिचर्या प्रदान करने के लिए एसकेएमसीएच में तथा विकसित पर्यवेक्षण गतिविधियों के

अंतर्गत मुजफ्फरपुर के सभी ब्लॉक पीएचसी में दूसरे जिला एपीएचसी से एमओ (एमबीबीएस) नियुक्त किए गए थे।

4. एसकेएमसीएच/केजरीवाल अस्पताल को शीघ्र और समय पर रेफर करने के लिए ब्लॉक पीएचएसी में अन्य जिलों से अतिरिक्त एम्बुलेंस तैनात की गईं थी।

5. गांव के भीतर से रोगियों को उठाने और आगे अस्पताल पहुंचाने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्रशासन ने चल चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की है।

6. बाल रोग आईसीयू में भर्ती रोगियों के उपचार के लिए पटना मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ और अति विशेषज्ञ चिकित्सक एसकेएमसीएच का दौरा करते थे।

7. संभावित इंसेफ्लाइटिस मामलों की जांच जेई एलिसा किट के द्वारा की गई तथा एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में उपचार किया गया। किटों को एनवीबीडीसीपी निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराया गया।

8. इंसेफ्लाइटिस मामलों के उपचार के लिए मामलों के शीघ्र उपचार और सूची तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक आईसीयू और इंसेफ्लाइटिस वार्ड की स्थापना के माध्यम से एसकेएमसीएच एवं जिला अस्पताल, मुजफ्फरपुर के बाल रोग विभाग को सुदृढ़ किया गया है।

9. मामलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों को चिकित्सा महाविद्यालय (एसकेएमसीएच) मुजफ्फरपुर में उपलब्ध कराया गया।

10. इंसेफ्लाटिस रोगियों के गहन परिचर्या के लिए अतिरिक्त, प्रशिक्षित बालरोग चिकित्सकों और नर्सों (पराचिकित्सक स्टाफ) को तैनात किया गया।

11. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को संभावित इंसेफ्लाइटिस रोगियों की पहचान करने के लिए अपने क्षेत्रों और आस-पास के गांवों में सक्रिय निगरानी कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

12. सभी आशा कर्मियों को गांवों में आवश्यक निवारण और नियंत्रण उपायों, जैसे सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, शौचालय आदि को करने के लिए सूचित किया गया है।

13. गंभीर रोगियों की नजदीकी चिकित्सा संस्थान में ले जाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध: कराए गए।

14. जिला सूचना एवं प्रसार अधिकारियों के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस के निवारण और नियंत्रण के लिए गांवों में व्यापक प्रचार किया गया।

15. सभी प्रभावित गांवों, जहां मामले दर्ज किए गए वहां तकनीकी मेलाशियान वेक्टर नियंत्रण उपायों का प्रयोग करते हुए फॉगिंग आपरेशन किए गए।

16. इंसेफ्लाइटिस रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए पीआरआई (पंचायती राज) के सदस्यों को शामिल करते हुए विशेष अभियार आरंभ किया गया, और इस मामले में सभी को निदेश जारी किए गए।

17. क्षेत्र में जागरुकता अभियान के लिए जिला बीडीसी (खंड विकास समिति) की बैठक संपन्न कराई गई।

18. ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करके मुजफ्फरपुर नगर निगम ने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया।

19. गांवों में स्वच्छता बनाए रखन के लिए ग्राम स्वच्छता स्वास्थ्य समिति द्वारा विशेष ध्यान दिया गया।

20. सभी पीएचसी, जिला निजी निर्सिंग होम आदि से जेई मामलों की संभावित रोगियों की सूची तैयार की गई।

21. बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य), राज्य के प्रमुख निदेशक, उप-सीएमओ मलेरिया और कालाजार के सहायक निदेशक द्वारा मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण किया गया।

राज्यों को अनुदान सहायता

1283. श्री सदाशिव लोखंडे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार वर्ष और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) राज्य योजनाओं और केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता के तहत राज्यों को योजना अनुदान प्रदान किए जाते हैं। पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष (16.07.2014 तक) के दौरान केन्द्र द्वारा राज्यों को जारी किए योजना

अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय भी तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, राज्यों को गैर-योजना अनुदान जारी कर रहा है। पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष (16.07.2014 तक) के दौरान मांग संख्या 36 (पहले मांग संख्या 35) के तहत जारी किए गए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत गैर-योजना अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य-वार जारी किए गए केन्द्रीय योजना अनुदान

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (14.07.2014 तक स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7678.64	6487.52	5844.24	7250.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	3052.50	3208.60	3504.07	970.23
3.	असम	6579.90	7918.35	8303.11	3495.81
4.	बिहार	7683.01	7882.08	9291.39	4129.41
5.	छत्तीसगढ़	3230.85	3480.17	3328.43	2473.72
6.	गोवा	219.82	251.59	252.61	63.12
7.	गुजरात	3956.50	5018.47	4793.43	2461.09
8.	हरियाणा	1558.49	1626.10	1689.16	1114.83
9.	हिमाचल प्रदेश	3796.30	4705.44	4220.66	1318.44
10.	जम्मू और कश्मीर	9711.05	10263.55	9834.29	2550.11
11.	झारखंड	3671.75	3340.25	2750.42	1309.86
12.	कर्नाटक	5586.04	4984.66	5639.90	2883.45
13.	केरल	2435.19	2397.90	2488.67	1388.24
14.	मध्य प्रदेश	7806.27	9462.77	8286.71	5098.11
15.	महाराष्ट्र	9105.75	8823.52	8332.80	3508.67
16.	मणिपुर	2490.00	2970.60	3099.20	937.88
17.	मेघालय	2050.55	2127.88	2480.30	646.16
18.	मिज़ोरम	2021.28	2233.10	2323.76	454.91
19.	नागालैंड	2396.06	2647.75	2785.38	793.79

1	2	3	4	5	6
20.	ओडिशा	5627.00	5353.06	5725.98	2943.40
21.	पंजाब	1642.18	1752.02	2365.04	899.16
22.	राजस्थान	4583.38	4497.44	5184.58	4002.05
23.	सिक्किम	1363.96	1447.49	1747.21	318.56
24.	तमिलनाडु	4468.13	5174.02	5979.87	3614.95
25.	त्रिपुरा	2838.81	3063.24	3566.67	1129.30
26.	उत्तर प्रदेश	13193.79	12993.42	14012.87	7946.28
27.	उत्तराखंड	3326.21	3627.37	4223.75	1480.96
28.	पश्चिम बंगाल	9640.06	8263.34	8056.41	6355.23
29.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	196.52
	जोड़	131713.47	136001.70	140110.91	71734.82

विवरण-II

मांग संख्या 36 के तहत राज्य-वार जारी किए गए गैर योजना अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (16.7.2014 की स्थिति के अनुसार)	
		आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2441.48	1576.91	3016.93	725.50	3351.66	2473.19	2028.02	181.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	795.65	660.84	1072.72	812.15	981.99	763.40	835.29	203.57
3.	असम	1057.85	733.04	1091.68	1239.67	1200.04	507.64	1290.36	203.22
4.	बिहार	2669.53	2468.29	3212.23	2319.83	3594.04	3113.11	3840.89	258.72
5.	छत्तीसगढ़	1153.71	1027.11	1402.38	1153.90	1528.92	1191.55	1620.09	254.79
6.	गोवा	102.69	13.09	134.82	29.80	219.02	99.43	135.00	0.00
7.	गुजरात	1854.04	1628.14	2180.36	1455.88	2381.37	2015.34	2535.89	348.75
8.	हरियाणा	845.93	669.05	976.88	635.07	1058.78	990.55	1111.75	382.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हिमाचल प्रदेश	2531.66	2563.09	2452.90	2437.56	1926.10	1883.47	1049.87	219.36
10.	जम्मू और कश्मीर	4285.14	4024.60	4097.57	3705.25	3683.19	3501.78	2946.92	836.31
11.	झारखंड	1384.29	1180.44	1626.22	1372.32	1767.66	1244.42	1851.03	47.08
12.	कर्नाटक	2119.39	2091.29	2682.14	2098.38	3011.45	3202.74	3203.96	674.14
13.	केरल	1256.40	1277.56	1485.80	600.57	1610.98	1568.06	1708.36	443.68
14.	मध्य प्रदेश	2381.59	2083.74	2948.46	2534.13	3303.15	2980.54	3562.41	133.50
15.	महाराष्ट्र	2968.25	2633.64	3786.27	3570.64	4168.24	3079.80	4429.54	5.90
16.	मणिपुर	1293.00	1236.86	1967.69	1850.93	1842.80	1740.83	1371.32	443.18
17.	मेघालय	526.33	500.98	1083.98	880.77	994.81	883.00	866.29	191.33
18.	मिज़ोरम	855.33	817.39	1155.18	1029.81	1129.52	1082.97	1047.62	301.93
19.	नागालैंड	1765.95	1713.18	2125.27	1964.76	2139.94	1994.27	1878.88	559.86
20.	ओडिशा	1858.60	1671.06	2173.48	1423.71	2359.09	1827.43	2507.13	276.84
21.	पंजाब	1119.89	815.05	1368.10	982.56	1469.14	910.79	1440.79	117.80
22.	राजस्थान	2380.91	2660.53	2853.86	2409.50	3180.65	3023.66	3419.16	360.02
23.	सिक्किम	240.19	246.09	410.23	293.23	365.09	258.48	222.04	38.37
24.	तमिलनाडु	2135.46	1893.04	2738.86	1246.53	2994.67	2379.65	3075.77	675.52
25.	त्रिपुरा	1189.24	1134.69	1409.83	1246.10	1226.59	1071.26	932.51	218.95
26.	उत्तर प्रदेश	4868.92	4335.08	5952.83	4311.26	6700.68	7611.07	7246.11	278.17
27.	उत्तराखंड	899.83	596.45	1037.98	831.21	794.77	520.63	787.34	6.80
28.	पश्चिम बंगाल	2318.00	1721.47	2829.86	2092.38	3151.04	1985.49	3367.50	75.04
29.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1538.74	97.00
	जोड़	49299.25	43972.67	59274.53	45253.42	62135.40	53904.54	61850.56	7833.51

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों को नाबार्ड सहायता

1284. श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों को संचालित सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना आरंभ की है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस प्रयोजन हेतु यह सहायता प्रदान की जाती है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) मौसमी कृषि कार्य के वित्तपोषण, फसलों के विपणन, बुनकर सोसाइटी के लिए वित्तपोषण, आदि हेतु पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के संबंध में राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड कृषि एवं गैर-कृषि क्रियाकलापों के अंतर्गत मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से उनके मीयादी उधारों के लिए राज्य सहकारी बैंकों की दर्घावधि पुनर्वित्त (निवेश ऋण) भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड निवेश ऋण के लिए राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) द्वारा दिए गए उधार के लिए उसे दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता भी प्रदान करता है।

गत तीन वर्ष और चालू वर्ष की 30 जून, 2014 तक की अवधि के दौरान राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) एवं राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) को प्रदान किए गए पुनर्वित्त का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

नाबार्ड के पास सहकारी विकास निधि (सीडीएफ) नामक निधि भी है जिसके माध्यम से धनराशि जुटाने, बेहतर कार्य कर परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव संसाधन के विकास, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को युक्तियुक्त बनाने, विशेष अध्ययन के आयोजन, आदि के लिए सहकारी ऋण ढांचे के प्रयासों को अनुदानों/अनुदान सह-ऋणों/ऋणों के माध्यम से सहायता दी जाती है। यह सहायता सहकारी ऋण समितियों के स्टाफ के प्रशिक्षण, अवसंरचना सुविधाओं, एक्सप्रोजर विजिट, प्राथमिक कृषि ऋण सोसाईटी (पीएसीएस) विकास प्रकोष्ठ योजना, आदि जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए दी जाती है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, सहकारी विकास निधि के लिए नाबार्ड द्वारा किए गए कुल अंशदान 207.09 करोड़ रुपए था और विभिन्न प्रयोजनों के लिए सभी राज्यों को 113.55 करोड़ रुपए संवितरित किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी बैंकों को अनुदान सहायता भी प्रदान करता है। स्व-सहायता समूह (एसएचजी) के संवर्धन, पोषण एवं ऋण सहबद्धता के लिए सहकारी बैंकों को अनुदान सहायता दी जाती है। 30 जून, 2014 की, स्थिति के अनुसार स्व-सहायता समूह (एसएचजी; के संवर्धन और ऋण सहबद्धता के लिए कुल अनुदान सहायता के रूप में 1473.413 लाख की राशि 167 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को स्वीकृति की गई है।

इसके अतिरिक्त, 25 रुपए प्रति कार्ड तक (मुद्रण एवं निर्गम सहित) रूपे डेबिट कार्ड की लागत, सूक्ष्म एटीएम/पीओएस टर्मिनल एवं बैंक के सीबीएस सर्वर के बीच एकीकरण की लागत, 25,000 रुपए तक की प्रति उपकरण तक की सूक्ष्म एटीएमों/पीओएस टर्मिनल की लागत, एटीएमों (बिना पूंजी व्यय) के लिए संचालन सहायता, सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) की स्थापना, बैंकिंग प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए मोबाइल वैन की उपलब्धता, आदि जैसे विभिन्न वित्तीय समावेशन पहल के लिए नाबार्ड में स्थापित वित्तीय समावेशन निधि एवं वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि से सहकारी बैंकों को सहायता भी प्रदान की जाती है।

विवरण-I

2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 (30.06.2014 की स्थिति के अनुसार) के दौरान राज्य सहकारी बैंकों को संवितरित पुनर्वित

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	रास बैंक			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (30.06.2014 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	750	1125	1130	—
2.	हरियाणा	1616.392	632	99	800
3.	हिमाचल प्रदेश	0	5906	3000	—

1	2	3	4	5	6
4.	पंजाब	8078.011	9165	6402	1230
5.	राजस्थान	2431.546	10413	15062	—
6.	मेघालय	586.05	0	0	—
7.	त्रिपुरा	0	1000	1500	—
8.	सिक्किम	452.787	0	0	—
9.	ओडिशा	0	7688	6181	113
10.	पश्चिम बंगाल	500	0	0	—
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1790.78	2000	3500	—
12.	मध्य प्रदेश	0	2269	2673	—
13.	छत्तीसगढ़	0	2700	580	—
14.	उत्तर प्रदेश	3423.3	1000	2050	—
15.	उत्तराखंड	5000	6113	7196	219
16.	गुजरात	26700	27568	32287	685
17.	आंध्र प्रदेश	33105.171	49834	50510	15516
18.	कर्नाटक	12231.298	41648	29362	10628
19.	तमिलनाडु	22563.637	38045.849	9799	—
	कुल	119228.97	207106	171332	29191

स्रोत: नाबार्ड

विवरण-II

2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 (30.06.2014 की स्थिति के अनुसार) के दौरान रासकृग्राावि बैंकों को संवितरित पुनर्वित

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	रासकृग्रावि बैंकों			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (30.06.2014 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा	37034.342	17211	6797	—

1	2	3	4	5	6
2.	हिमाचल प्रदेश	0	0	4000	—
3.	पंजाब	38996.718	45075	43000	—
4.	राजस्थान	19359.595	19969	18000	—
5.	त्रिपुरा	648.458	0	0	—
6.	पश्चिम बंगाल	14289.707	15633	13000	—
7.	मध्य प्रदेश	1429.296	0	0	—
8.	उत्तर प्रदेश	49998.494	0	0	—
9.	गुजरात	0	0	8900	—
10.	कर्नाटक	15600	8000	9998	—
11.	केरल	67136.741	68243	77800	5641
	कुल	244493	174131	181495	5641

स्रोत: नाबार्ड

विवरण-III

2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 (30.06.2014 की स्थिति के अनुसार) के दौरान एसटी(एसएओ) लक्ष्य एवं उपयोग एसटीसीबी की अखिल भारतीय स्थिति

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (30.06.2014 की स्थिति के अनुसार)	
		लक्ष्य	उपयोग	लक्ष्य	उपयोग	लक्ष्य	उपयोग	लक्ष्य	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	दक्षिणी क्षेत्र								
1.	आंध्र प्रदेश	3290.00	3290.00	4075.00	4075.00	4600.00	460000	5850.00	0.00
2.	कर्नाटक	2600.00	2600.00	3575.00	3575.00	4025.00	4025.00	4400.00	1061.69
3.	केरल	500.00	500.00	928	928ए00	200.00	200.00	1300.00	0.00
4.	तमिलनाडु	1641.00	1641.00	2072.50	2038.00	2254.00	2254.00	2500.00	155.00
5.	पुदुचेरी	4.00	4.00	4.00	4.00	3.89	3.89	4.00	0.00
	उप-योग	8035.00	8035.00	10654.50	10620.00	11082.89	11082.89	14054.00	1216.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उत्तरी क्षेत्र								
6.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	हरियाणा	3025.90	3025.90	3500.00	3500.00	3826.50	3826.50	4400.00	363.00
8.	हिमाचल प्रदेश	225.00	225.00	282.00	282.00	360.00	360.00	450.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर								
10.	पंजाब	4470.00	4470.00	5400 00	5400.00	5894.00	5894.00	6300.00	836.68
11.	उत्तर प्रदेश	1700.00	170000	2330.84	2330.84	3024.41	3024.41	3200.00	320.93
12.	उत्तराखंड	400.00	400.00	425.00	425.00	600.00	600.00	600.00	0.00
	उप-योग	9820.90	9820.90	11937.84	11937.84	13704.91	13704.91	14950.00	1520.61
	पूर्वोत्तर क्षेत्र								
13.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	असम	7.00	7.00	7.25	6.45	8.00	7.37	9.00	0 00
15.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	मेघालय	3.91	3.85	4.50	4.50	5.00	5.00	8.00	0.00
17.	मिज़ोरम	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	नागालैंड	3.76	3.76	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
19.	त्रिपुरा	—	—	20.00	20.00	22.50	22.50	25.00	0.00
20.	सिक्किम	3.91	3.91	1.57	1.57	4.00	4.00	7.00	0ए00
	उप-योग	18.58	18.52	33.32	32.52	44.50	38.87	49.00	0.00
	पूर्वी क्षेत्र								
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.16	2.16	2.25	2.25	3.00	2.71	3.00	0.00
22.	बिहार	175.00	175.00	150.00	150.00	138.00	138.00	150.00	0.00
23.	छत्तीसगढ़	700.00	700.00	846 23	846.23	1100 00	1100.00	1650.00	336.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	ओडिशा	2013.45	2013.45	2691.28	2691.28	3825.00	3825.00	3450.00	848.20
26.	पश्चिम बंगाल	720.97	720.97	798.64	798ए64	1014.00	1014.00	1200.00	0.00
	उप-योग	3611.58	3611.58	4488.40	4488.40	6080.00	6079.71	6453.00	1184.20
	पश्चिमी क्षेत्र								
27.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	गुजरात	2075.11	2075.11	2825.88	2825.88	3622.00	3462.75	4500.00	2015.09
29.	मध्य प्रदेश	3335.00	3335.00	5000.00	5000.00	6240.85	6240.85	7500.00	934.00
30.	महाराष्ट्र	3799.50	3799.50	4537.00	4537.00	5880.00	5669.00	6500.00	2199.67
31.	राजस्थान	3300.00	3300.00	5050.58	5050.58	7334.00	7624.00	6000.00	3283.35
	उप-योग	12509.61	12509.61	17413.46	17413.46	23076.85	22996.60	24500.00	8432.11
	कुल योग	33995.67	33995.61	44527.52	44492.22	53989.15	53902.98	60006.00	12353.61

स्रोत: नाबार्ड

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास केन्द्र

1285. श्री राजेश रंजन :

श्रीमती रंजीत रंजन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मौजूदा औद्योगिक विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश भर में और औद्योगिकी विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने मुख्यत: दो योजनाओं नामत: 'वृद्धि केंद्र' तथा 'औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस)' के जरिए औद्योगिक केंद्रों का विकास किया है। देश में 71 वृद्धि केन्द्र तथा 37 आईआईयूएस परियोजनाओं को मंजूर किया गया है। पिछले तीन वर्ष के दौरान इस केन्द्रों द्वारा राज्य एवं केन्द्र शासित क्षेत्र-वार आबंटित निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां। एक नई योजना **अर्थात् संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (एमआईआईयूएस)** के अंतर्गत 19 और औद्योगिक क्लस्टरों को विकास के लिए लिया गया है।

(ग) 19 नई परियोजनाओं, जिन्हें 'सिद्धांतत:' अनुमोदन प्रदान किया गया है, का राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा और अवस्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित तथा उपयोग की गई निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	औद्योगिक कलस्टर का नाम	राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	कुल	दिनांक 15.07.2014 के अनुसार उपयोगिता ब्यौरा
1.	बम्बू टेक्नोलॉजी पार्क गुवाहाटी	असम			30.12	30.12	पूर्णतः प्रयुक्त
2.	हैंडलूम क्लस्टर, भागलपुर (दिनांक 28.06.2013 के आदेश द्वारा मंजूरी वापिस ली गई)	बिहार	1.56			1.56	एसपीवी द्वारा पूरी राशि लौटा दी गई
3.	जेम एंड ज्वैलरी क्लस्टर, सूरत	गुजरात		2.77		2.77	पूर्णतः प्रयुक्त
4.	बद्डी इंफ्रास्ट्रक्चर, बद्डी	हिमाचल प्रदेश		15.10	16.93	32.03	पूर्णतः प्रयुक्त
5.	कोयर क्लस्टर, अलपूजा	केरल	9.21			9.21	पूर्णतः प्रयुक्त
6.	पंडूरना इंडस्ट्रियल क्लस्टर, छिंदवाडा	मध्य प्रदेश		25.80		25.80	21.68
7.	रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, जबलपुर				6.73	6.73	1.15
8.	हैंडलूम क्लस्टर, चंदेरी			2.52	4.83	7.35	1.36
9.	मराठवाड़ा आटोमोबाइल क्लस्टर, औरंगाबाद	महाराष्ट्र		16.68	4.57	21.25	17.96
10.	कोल्हापुर फाऊंड्री क्लस्टर	महाराष्ट्र		9.2752		9.25	पूर्णतः प्रयुक्त
11.	प्लास्टिक, पालिमर एंड एलाइड क्लस्टर, बालासोर	ओडिशा		15.66		15.66	10.49
12.	त्रिरूचिरापल्ली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर, त्रिरूचिरापल्ली	तमिलनाडु		16.52		16.52	14.92
13.	लेदर क्लस्टर, कानपुर	उत्तर प्रदेश		2.33		2.33	पूर्णतः प्रयुक्त
14.	रबड़ क्लस्टर, हावड़ा	पश्चिम बंगाल		4.36	0.45	4.80	1.77
15.	फाऊंड्री क्लस्टर, हावड़ा		11.12		7.98	19.10	10.631
16.	इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर लस्सीपुरा (ग्रोथ सेंटर के जारी न रहने के कारण आईआईयूएस के द्वारा निधि जारी की गई थी)	जम्मू और कश्मीर	5.75			5.75	पूर्णतः प्रयुक्त
	कुल		27.64	111.02	71.60	210.26	

विवरण-II

एमआईआईयूएस के तहत नई परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम तथा अवस्थिति	राज्य	केंद्रीय अनुदान (रुपए करोड़)
1.	औद्योगिक क्षेत्र जौंगटूई, आइजोल	मिज़ोरम	15.22
2.	बोधजंगनगर औद्योगिक क्षेत्र	त्रिपुरा	41.90
3.	औद्योगिक विकास केंद्र, उर्ला, जिला, रायपुर	छत्तीसगढ़	12.15
4.	सिरगिट्टी इंजीनियरिंग क्लस्टर	छत्तीसगढ़	8.32
5.	आईएमटी मानेसर का औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन	हरियाणा	29.27
6.	आईएमटी, बावल में औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन	हरियणा	29.27
7.	औद्योगिक क्षेत्र, कनद्रोरी	हिमाचल प्रदेश	26.97
8.	औद्योगिक क्षेत्र, पंडोगा	हिमाचल प्रदेश	33.46
9.	सिडको, औद्योगिक विकास केंद्र, सांबा	जम्मू और कश्मीर	7.45
10.	औद्योगिक संपदा, कठुआ	जम्मू और कश्मीर	12.91
11.	देवीपुर औद्योगिक क्षेत्र	झारखंड	27.36
12.	तुपुनडाना औद्योगिक क्षेत्र, रांची	झारखंड	8.11
13.	एरनाकुलम में फर्नीचर हब	केरल	45.44
14.	कोलहार औद्योगिक क्षेत्र, बीदर	कर्नाटक	48.36
15.	बंगलौर एयरोस्पेस पार्क, देवनहल्ली	कर्नाटक	47.43
16.	औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुर	मध्य प्रदेश	12.75
17.	अंगुल एलुमिनियम पार्क	ओडिशा	43.01
18.	पंजाब लघु उद्योग और निर्यात लिमिटेड (पीएसआईईसी) संपदा, पटियाला	पंजाब	16.58
19.	पैडी प्रोसेसिंग क्लस्टर, रंगा रेड्डी	तेलंगाना	45.29
	कुल		511.24

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास

1286. **श्री पी. करुणाकरन :**
श्री डी.के. सुरेश :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में औद्योगिक क्षेत्र में निर्यात/आयात सहित पूंजीगत माल और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं सहित औद्योगिक विकास/औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आईआईपी) का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सकल घरेलू उत्पादन में उनकी भागीदारी और अधिमान क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आईआईपी के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का निष्पादन क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान औद्योगिक विकास/औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में गिरावट आयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औ तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) क्या कम होती औद्योगिक विकास दर के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन/समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष और ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास दर प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा औद्योगिक उत्पादन/विकास को दुरुस्त करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में प्राप्त करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार पिछले प्रत्येक तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विनिर्माण, पूंजीगत माल और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं सहित औद्योगिक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन का वर्ष-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), जो देश के निर्यात/आयात के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराने वाली स्रोत एजेंसी है, औद्योगिक निर्यात/आयात का अलग-अलग वर्गीकरण नहीं करती। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में विनिर्माण का योगदान लगभग 15% है, जबकि पूंजीगत माल और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए यही सूचना पृथक तौर से नहीं रखी जाती है।

(ख) केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) के द्वारा प्रकाशित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) एक अखिल भारतीय सूचकांक है, जो राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के औद्योगिक निष्पादन के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है।

(ग) आईपीपी के संबंध में मापी गई औद्योगिक वृद्धि में पिछले तीन वर्षों के दौरान, गिरावट हुई जो वर्ष 2011-12 में 2.9% से कम हो कर 2012-13 में 1.1% और वर्ष 2013-14 में और कम हो कर (-) 0.1%, हो गई। चालू वर्ष में औद्योगिक विकास में हुई गिरावट के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू मांग में कमी, मुद्रा स्फीति संबंधी दबाव, निविष्टि लागतों में वृद्धि और विश्व के अन्य भागों की अर्थव्यवस्था में मंदी आदि शामिल हैं।

(घ) सरकार औद्योगिक निष्पादन की नियमित आधार पर समीक्षा करती है। सरकार औद्योगिक विकास में कमी के कारणों का विश्लेषण करते हुए विभिन्न संगठनों के द्वारा किए गए सर्वेक्षणों, रिपोर्टों और समीक्षाओं के प्रति भी जागरुक रहती है।

(ङ) योजना आयोग के 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान उद्योग की औसतन वार्षिक वृद्धि दर 7.6% होने की परिकल्पना की गई है। विकास दर का क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध पर तालिका-2 में दिया गया है।

(च) औद्योगिक विकास को पुनःअर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए प्रयासों में 2011 में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) की उद्घोषणा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति का सरलीकरण और यौक्तिकरण, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना का कार्यान्वयन, अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई-बेंगलूरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलूरु-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पूर्व समुद्र तटीय आर्थिक कॉरिडोर की अवधारणा तैयार करना, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत ई-बिज मिशन मोर्ड परियोजना को शुरू करना, सभी राज्यों से सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियां लेकर तथा उनका समर्थन कर कारोबार सरलता से करने के लिए अति सक्रिय कदम उठाना, अनुमोदन प्रक्रियाओं की पहचान करना और उनका सरलीकरण आदि के अलाव संसद में 10 जुलाई, 2014 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2014-15 में देश में औद्योगिक विकास का पुनःअर्थक्षम बनाने के लिए उनके उपायों की घोषणा की गई है।

केन्द्रीय बजट में दिए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा और बीमा क्षेत्रों में विदेशी निवेश की समस्त सीमाओं को 49% तक बढ़ाना, स्मार्ट सिटिज के विकास हेतु एफडीआई के लिए तैयार क्षेत्र और पूंजीगत स्थिति की शर्तों को सरल बनाना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत निवेश, विदेशी और स्वदेशी स्रोतों से दीर्घावधि वित्त आकर्षित करने के लिए स्थावर संपदा निवेश न्यासों और अवसंरचना निवेश न्यासों के लिए प्रोत्साहन, उद्योग में निवेश अनुमति की गुजांइस और अवधि को बढ़ाना तथा विनिर्माणकारी उत्पादों में इंवरटेड ड्यूटी ढांचे को ठीक करना, आदि शामिल हैं।

विवरण

तालिका-1: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईपीपी) के अनुसार औद्योगिक विकास दर (प्रतिशत में)

समूह	भार	वर्ष			संचयी
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15, अप्रैल-मई
क्षेत्रगत वर्गीकरण					
खनन एवं उत्खनन	141.57	-2.0	-2.3	-0.6	2.6
विनिर्माण कार्य	755.27	3.0	1.3	-0.8	3.7
बिजली	103.16	8.2	4.0	6.1	9.0
उपयोग आधारित वर्गीकरण					
मूल सामग्री	456.82	5.5	2.5	2.1	6.8
पूंजीगत माल	88.25	-40	-6.0	-3.6	9.3
मध्यवर्ती माल	156.86	-0.6	1.6	3.1	3.0
उपभोक्ता माल	298.08	4.4	2.4	-2.8	-0.7
(i) उपभोक्ता टिकाऊ सामग्री	84.60	2.6	2.0	-12.2	-2.5
(ii) उपभोक्ता गैर-टिकाऊ सामग्री	213.47	5.9	2.8	4.8	0.5
कुल आईपीपी	1000.00	2.9	1.1	-0.1	4.0

तालिका-2: 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्थिर कीमतों (2004-05) पर क्षेत्र द्वारा उद्योग के औसतन वार्षिक वृद्धि लक्ष्य (प्रतिशत में)

क्षेत्र	औसतन वार्षिक वृद्धि
खनन एवं उत्खनन	5.7
विनिर्माण कार्य	7.1
बिजली, गैस, जलापूर्ति	7.3
निर्माण	9.1
कुल उद्योग	7.6

[हिन्दी]

जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम

1287. श्री हरिभाई चौधीर :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न स्तरों पर जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के कार्यान्वयन की समीक्षा/आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;

(ग) उक्त समीक्षा/आकलन के दौरान क्या खामियां नो ट की गई; और

(घ) उक्त खामियों को दूर करने और खामियों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) राज्यों द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के कार्यान्वयन के आकलन के लिए विभिन्न स्तरों पर आवधिक समीक्षाएं एवं क्षेत्रीय दोरे किए जाते हैं।

जेएसएसके की शुरुआत से लेकर अबतक 5वें, 6वें एवं 7वें साझा समीक्षा मिशन (सीआरएम) द्वारा भी चुनिंदा राज्यों के 88 जिलों में जेएसएसके के कार्यान्वयन की स्वतंत्र रूप से समीक्षा की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र (एनएचएसआरसी) द्वारा 21 राज्यों के 45 जिलों में स्वतंत्र रूप से क्षेत्रीय दौरे किए गए हैं।

(ख) निम्नलिखित टिप्पणियां इन दौरे की रिपोर्टों पर आधारित है:—

- सभी राज्यों में हकदारियों के संबंध में नीतियां स्पष्ट की गई हैं और सूचना का प्रचार-प्रसार कराने की व्यवस्था हैं।
- जेएसएसके योजना के तहत गंर्भवती महिलाओं की हकदारियों के संबंध में जागरुकता में सुधार हुआ है।
- सभी राज्यों में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष तक की आयु के रोगी शिशुओं के लिए जेएसएसके हकदारियां उपलब्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप रोगी द्वारा किए जाने वाले फुटकर (आउट ऑफ पॉकेट) व्यय में काफी कमी आई है।
- सभी राज्यों में नि:शुल्क औषधियों, नैदानिकी, आहार तथा घर से अस्पताल तक और अस्पताल से घर तक के लिए सुनिश्चित परिवहन की सुविधाओं में सुधार हुआ है।
- सभी राज्यों में सभी गर्भवती महिलाओं को ओपीडी एवं आईपीडी सेवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।
- अधिकांश राज्यों में गर्भवती महिलाओं के लिए मूलभूत प्रयोगशाला परीक्षणों सहित नि:शुल्क नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है।
- जिन जिला अस्पतालों के दौरे किए गए उन सभी अस्पतालों में गर्भवर्ती महिलाओं एवं रोगी शिशुओं के लिए रक्त उपलब्धता कराने का प्रावधान है।
- अधिकांश राज्यों में गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क आहार उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) उपर्युक्त समीक्षाओं एवं क्षेत्र दौरों से निम्नलिखित बातें भी स्पष्ट हुई है:—

- जेएसएसके के संबंध में जागरुकता एवं आईईसी क्रियाकलापों में और सुधार की आवश्यकता है।
- रोगी द्वारा किए जाने वाले किसी फुटकर व्यय पर राज्य एवं जिला द्वारा सूक्ष्म निगरानी की जरूरत है।
- औषधि, नैदानिकी तथा घर से अस्पताल तथा अस्पताल को वापस घर पहुंचाने हेतु रेफरल परिवहन पर अभी भी रोगी द्वारा फुटकर व्यय किया जाता है।
- नवजात एवं शिशुओं की हकदारियों में सुधार की आवश्यकता है।
- शिकायत निवारण की स्थिति अभी भी खराब है और सभी राज्यों में उसे सुदृढ़ करना आवश्यक है।

(घ) भारत सरकार द्वारा जेएसएसके के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

- क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर पर आवधिक समीक्षा बैठकें करना, राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार वीडियो कॉनफरेंसिंग आदि सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से विचार-संप्रेषण।
- कार्यक्रम की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए केन्द्रीय स्तर के दलों द्वारा क्षेत्रीय दौरे।
- जन संचार माध्यमों सहित सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी) और व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी) कार्यनीतियों के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार करना।
- एएनएम और आशा-कार्यकर्त्ताओं जैसे क्षेत्र स्तर के कार्यकर्त्ता अंतरवैयक्तिक संप्रेषण के जरिए निचले स्तर पर इस कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहे हैं।
- राज्यों द्वारा गर्भवती महिलाओं, रोगी नवजातों तथा शिशुओं को उनकी स्थानीय जरूरतों के अनुसार विभिन्न मॉडलों का

उपयोग करते हुए रेफरल परिवहन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें नि:शुल्क टेलिफोन नं. का उपयोग करने वाले आपातकालीन वाहनों का एक नेटवर्क, सरकारी एम्बुलेंस, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत उपलब्ध परिवहन आदि शामिल हैं।

- जेएसएसके के कार्यान्वयन के मॉनिटर करने हेतु राज्यों एवं जिलों में नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण दौरे करने की भी एक प्रणाली है और वह कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रभावकारी है।

[हिन्दी]

कृषि औजारों हेतु ऋण

1288. श्री हुकुमदेव नारायण यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कृषि प्रचालन हेतु ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न बैंकों द्वारा योजना के अंतर्गत किसानों को कुल कितना ऋण प्रदान किया गया और उन पर बैंक-वार कितनी राशि बकाया है;

(ग) क्या सरकार को किसानों को कृषि और कृषि औजारों के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसानों को आसान ऋण सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह अधिदेश है कि वे पिछले वर्ष के 31 मार्च के अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा ऑफ बैलेस शीट एक्सपोजर (ओबीई) ऋण के बराबर राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लिए निर्धारित करें। इसमें कृषि क्षेत्र को ऋण देने हेतु 18% का उप-लक्ष्य भी शामिल हैं। 20 अथवा अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए चरणबद्ध रूप से 01.04.2013 से शुरू करके 31.03.2018 तक अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में यह लक्ष्य पूरा करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार प्रत्येक वर्ष बैंकिंग क्षेत्र से कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता का लक्ष्य निर्धारित करती रही है। वर्ष 2013-14 के दौरान 7,00,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में बैंकों ने 7,30,765 करोड़ रुपए (अनंतिम) वितरित किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि देश में कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों के तहत 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार किसानों के 5.65 करोड़ खातों में 8,11,290.14 करोड़ रुपए का ऋण बकाया था।

सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की भी समीक्षा की है। संशोधित योजना के अनुसार वार्षिक समीक्षा के अध्यधीन केसीसी पांच वर्ष के लिए वैध है। किसानों को पहली बार ऋण लेते समय एक बार प्रलेखन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और उसके बाद दूसरे वर्ष तथा बाद के वर्षों में उगाई गई/प्रस्तावित फसलों के संबंध में केवल घोषणा करनी होती है।

किसानों पर ब्याज के भार को कम करने के लिए सरकार 2006-07 से एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण किसानों को 7% प्रति वर्ष ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता भी उपलब्ध कराती है और समय पर पुनर्भुगतान के मामले में यह कम होकर 4% हो जाती है।

विभिन्न ऋण उत्पादों, योजनाओं आदि के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करने और जागरुकता पैदा करने के लिए बैंक स्वयं अथवा राज्य सरकार के विभागों के साथ मिलकर निरंतर आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप आरंभ करते हैं। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, किसान क्लबों का गठन, एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम, संयुक्त देयता समूह, वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) आदि की स्थापना शामिल है।

निर्यात क्षेत्रों का निष्पादन

1289. श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने विभिन्न निर्यात क्षेत्रों के निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं और हाल के वर्षों में क्षेत्रों के कम निष्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत वित्त वर्ष के दौरान श्रम साध्य निर्यात क्षेत्र का निष्पादन घटिया रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) डीजीएफटी अध्ययन पर आधारित निर्यात सहित निर्यात क्षेत्रों को बढ़ावा देने और ब्याज छूट योजना के अंतर्गत और क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) और (ख) सरकार विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात कार्यनिष्पादन को लगातार मानीटर करती है और वित्तीय तथा समग्र आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर जरूरत के आधार पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान अभियांत्रिकी वस्तुओं, हस्तशिल्प, रेडीमेड कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वस्त्र, अयस्क और खनिज, अपशिष्ट सहित कच्चे कपास, रत्न एवं आभूषण, वृक्षारोपण, परियोजना का सामान आदि के निर्यात में कमी आयी। वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में कम कार्यनिष्पादन करने वाले क्षेत्रों में अयस्क और खनिज, अपशिष्ट सहित कच्चा कपास, रेशम का कालीन, रत्न एवं आभूषण, वृक्षारोपण इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा परियोजना का सामान शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं। वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान चमड़ा और विनिर्माण, खेलकूद का सामान, वस्त्र, हस्तशिल्प, समुद्री उत्पाद तथा कालीन जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि हुई है।

(घ) निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, दिनांक 18.04.2013 को घोषित विदेश व्यापार नीति (2009-14) के वार्षिक परिशिष्ट के भाग के रूप में निर्यात बढ़ाने हेतु अनेक उपाय किए गए। इसके अलावा सरकार ने कई अन्य उपाय किए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) उत्पाद विविधीकरण और बाजार विविधीकरण कार्यनीति के भाग के रूप में बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद स्कीम (एमएलएफपीएस) में 47 नई मदों को जोड़ा गया तथा फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस) में 122 नई मदों को जोड़ा गया था। सरकार ने फोकस उत्पाद स्कीम के अंतर्गत दिनांक 10.7.2013 को 153 हाई टेक उत्पादों को भी अधिसूचित करके उन्हें 2 प्रतिशत की दर से ड्यूटी स्क्रिप प्राप्त करने का पात्र बनाया है।

(ii) दो प्रतिशत ब्याज सहायता स्कीम, जो कई निर्यात क्षेत्रों अर्थात् हस्तशिल्प, कालीन, हथकरघा, एसएमई, रेडीमेड वस्त्र, संसाधित कृषि उत्पादों और खिलौनों हेतु उपलब्ध थी, में पहली जनवरी, 2013 में अभियांत्रिकी क्षेत्र की 134 टैरिफ लाइनों को शामिल करके वृद्धि की गयी थी। सरकार ने दिनांक 1.8.2013 से ब्याज सहायता की दर में 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी की थी।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परिचर्या योजना

1290. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में स्वास्थ्य परिचर्या की ओर सर्वांगीण दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के समेकित और व्यापक योजना आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जैसे वित्तीय, तकनीकी सहायता आदि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस प्रयोजन के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि पत्र तैयार करने हेतु एक समूह का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

आयातित इलेक्ट्रॉनिक सामान पर शुल्क

1291. श्री संजय हरिभाऊ जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में कितने इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर आयात शुल्क वसूला जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन नई दिल्ली पर कुल कितना सीमा शुल्क वसूला गया;

(ग) क्या वर्तमान में लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर सीमा शुल्क वसूला जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी दर क्या है;

(घ) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा यात्रियों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) बैंगेज़ के एक हिस्से के रूप में आयात की गई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क, पात्र यात्रियों के संबंध में ड्यूटी मुक्त अलाउंस से अधिक कीमत पर प्रभार्य है। कारगो के रूप में आयातित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जो कि बैगेज़ का हिस्सा नहीं है, सीमा शुल्क की लागू दरों के अनुसार प्रभार्य हैं, उन मामलों को छोड़कर जहां इन वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, नई दिल्ली में वसूले गए सीमा शुल्क की धन राशि निम्नानुसार है:—

(i)	2011-12	—	1417.66 लाख रुपए
(ii)	2012-13	—	1095.02 लाख रुपए
(iii)	2013-14	—	2232.51 लाख रुपए

(ग) टैरिफ शीर्ष 8541 के अंतर्गत आने वाले लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) पर आधारभूत सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता अपितु, इस पर शिक्षा और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर के अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीवीडी और 4 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) प्रभार्य है।

(घ) जी, नहीं। इस तरह की किसी घटना के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

औषधीय और सुगंधित पौधे

1292. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्रीमती कमला पाटले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औषधीय और सुगंधित जड़ी बूटी/पौधों की उपलब्धता के संबंध में अध्ययन/अनुसंधान कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या अनेक औषधीय और सुगंधित जड़ी-बूटी/पौधे लुप्त होने की कगार पर हैं और निकट भविष्य में लुप्त होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में उनके सतत् प्रबंधन, खेती और वाणिज्यिक उपयोग हेतु किए गए उपायों/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त प्रयोजन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष-वर्धन) : (क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठन भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण जो देश में पादप विविधता सर्वेक्षण; राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और पारितंत्र स्तर पर इससे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान सहित इसके प्रलेखन और देश के विभिन्न भागों में इसके संरक्षण के लिए अधिदेशित है, औषधीय/सुगंधित पादपों और जड़ी-बूटियों सहित देश के सभी पादप संसाधनों का सर्वेक्षण और प्रलेखन कर रहा है। यह सर्वेक्षण संदर्भ पादप संग्रहण के लिए नोडल भंडारगृह है और वर्तमान में इसके विभिन्न वानस्पतिक संग्रहालयों में लगभग 3.2 मिलियन नमूने हैं जो औषधीय पादपों सहित प्रजातियों के वर्गिक लक्षण वर्णन और निगरानी में सहायता प्रदान करते हैं। अनुमान है कि देश में औषधीय जुड़ी-बूटियों और औषधीय पादपों की 8000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं।

स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा पुनरुद्धार संस्थान (एफआरएलएचटी), बेंगलूरु के माध्यम से आयुष विभाग के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा एक अध्ययन करवाया गया था। वर्ष 2008 में प्रकाशित इस अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2005-016 के लिए औषधीय पादपों की कुल विक्रय मात्रा लगभग 3.19 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया था। कुल मिलाकर 960 औषधीय पादपों का व्यापार किया जाता है जिसमें से 178 प्रजातियों की वार्षिक खपत 100 मीट्रिक टन से अधिक है।

तथापि, इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण के अनुसार, औषधीय पादपों के खतरे की सीमा पर कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। संवहनी पादपों की 19156 प्रजातियों में से (आवृतबीजी-17817; अनावृतबीजी-74; टैरिडोफाइट्स-1265), लगभग 70 औषधीय और सुगंधित पादप प्रजातियां विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे में हैं।

(घ) और (ङ) इस संबंध में विभिन्न उपाय किए जा चुके हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) की संघटक प्रयोगशालाएं नामत: सीएसआईआर-केंद्रीय

औषधीय और सुगंधित पादप संस्थान (सीएसआईआर-सीआईएमएपी), लखनऊ; सीएसआईआर-भारतीय समाकलनात्मक औषधि संस्थान (सीएसआईआर-आईआईआईएम), जम्मू; सीएसआईआर-पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-एनईआईएसटी), जोरहाट और सीएसआईआ-हिमालयी जैवसंसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईएचबीटी), पालमपुर (i) भारत के विभिन्न पादपभौगोलिक क्षेत्रों से औषधीय और सुगंधित पादपों के सर्वेक्षण, संग्रहण और सूचीकरण; (ii) बेहतर किस्मों के विकास और (iii) आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण औषधीय और सुगंधित पादपों की कृषि प्रौद्योगिकियों और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के विकास और उनके मूल्य संवर्धन से संबंधित अध्ययन कर रही हैं। यह प्रयोगशालाएं किसानों और उद्यमियों के बीच प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रसार कर रही हैं।

आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही अनुसंधान परिषदें नामत: केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस), केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरयूएम) और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएच) विभिन्न राज्यों में औषधीय और सुगंधित पादपों/जड़ी-बूटियों की उपलब्धता से संबंधित सूचना को एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण के जरिए अध्ययन संचालित कर रही हैं और इस संबंध में सूचना का प्रलेखन किया गया है।

पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में प्रयुक्त औषधीय पादपों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से सरकार ने 24 नवम्बर, 2000 को अधिसूचित संकल्प द्वारा आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की है। बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों में औषधीय पादप क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य/संघ राज्य सरकार के साथ समन्वय शामिल है।

औषधीय पादप क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 11वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा क्रियान्वित निम्नलिखित स्कीमें अभी तक चलाई जा रही हैं:—

(i) **"औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत् प्रबंधन" के लिए केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम**

इस स्कीम के तहत औषधीय पादपों पर सर्वेक्षण, सूचीकरण, अंत:स्थाने संरक्षण, बाह्य-स्थाने संरक्षण/जड़ी-बूटीय उद्यान, संयुक्त वन्य प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय, अनुसंधान और विकास आदि से संबंधित कार्यकलापों के लिए सहायता मुहैया कराई गई है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता जिसमें सभी पणधारियों का क्षमता निर्माण नामक तकनीकी घटक शामिल है, संबंधी सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ii) **"राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन" की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम:**

इस स्कीम का बुनियादी उद्देश्य तक मिशन की भांति पौधशालाओं को स्थापित करने, गुणवत्ता रोपण सामग्री की आपूर्ति करने के लिए पश्चवर्ती संबंधी के साथ निजी भूमि पर औषधीय पादपों की कृषि को सहायता प्रदान करना और फसल कटाई के उपरांत प्रबंधन, विपणन अवसंरचना, प्रमाणन आदि हेतु अग्रवर्ती संबद्धता शामिल है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता संबंधी सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त की गई राशि के संबंध में सूचना

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	233.11	44.57	194.09	0.00

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	48.33	0.00	4.95	0.00
3.	असम	7.44	4.33	28.99	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	125.98	178.60	374.07	0.00
6.	दिल्ली	111.97	38.80	87.86	25.00
7.	गोवा	4.78	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	188.55	609.91	133.15	0.00
9.	हरियाणा	47.25	0.00	10.87	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	326.98	11.23	40.44	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	15.75	33.38	175.09	16.32
12.	झारखंड	99.67	138.95	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	116.32	191.87	281.20	51.58
14.	केरल	507.48	50.54	161.88	0.00
15.	मध्य प्रदेश	899.37	222.30	1338.91	0.00
16.	महाराष्ट्र	519.39	890.95	681.58	197.29
17.	मणिपुर	20.65	16.00	13.00	0.00
18.	मेघालय	5.00	0.00	0.00	0.00
19.	मिज़ोरम	4.99	265.35	174.90	0.00
20.	नागालैंड	139.92	74.22	99.35	5.00
21.	ओडिशा	179.62	2.78	97.10	12.00
22.	पंजाब	0.00	0.00	39.01	0.00
23.	राजस्थान	454.65	597.93	684.36	0.00
24.	सिक्किम	322.16	177.01	547.38	0.00
25.	तमिलनाडु	25.34	16.90	190.27	0.00
26.	त्रिपुरा	51.50	89.56	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	179.02	20.64	133.14	29.34

1	2	3	4	5	6
28.	उत्तर प्रदेश	200.30	4.28	188.53	6.00
29.	पश्चिम बंगाल	3.00	75.47	109.00	0.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	41.27	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	17.12	5.00	0.00
32.	पुदुचेरी	0.00	0.00	1.80	0.00
	कुल	4838.52	3772.69	5817.19	342.53

विवरण-II

राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त की गई राशि के संबंध में सूचना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	512.52	834.32	963.63	वर्तमान वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई राशि प्रक्रियाधीन है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	285.14	0.00	118.65	
3.	असम	114.52	162.81	0.00	
4.	छत्तीसगढ़	186.96	0.00	0.00	
5.	गुजरात	47.35	0.00	0.00	
6.	हरियाणा	85.46	0.00	171.14	
7.	हिमाचल प्रदेश	84.3	0.00	97.54	
8.	झारखंड	257.61	0.00	0.00	
9.	कर्नाटक	0.00	0.00	216.71	
10.	केरल	223.17	210.41	264.27	
11.	मध्य प्रदेश	302.93	474.59	395.45	
12.	महाराष्ट्र	327.08	0.00	682.44	
13.	मणिपुर	138.54	57.6	105.96	

1	2	3	4	5	6
14.	मेघालय	91.62	0.00	0.00	वर्तमान वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई राशि प्रक्रियाधीन है।
15.	मिज़ोरम	160.12	8.91	18.28	
16.	नागालैंड	181.12	188.47	175.88	
17.	ओडिशा	475.58	111	150.66	
18.	राजस्थान	0.00	0.00	28.87	
19.	सिक्किम	91.1	161.94	137.59	
20.	तमिलनाडु	961.39	741.5	1022.6698	
21.	त्रिपुरा	84	0.00	0.00	
22.	उत्तर प्रदेश	0.00	834.54	424.36	
23.	उत्तराखंड	262.73	0.00	278.86	
	कुल	4873.24	3786.1	5252.96	

विद्यालय जाने वाले बच्चों की स्वास्थ्य परिचर्या

1293. डॉ. किरिट पी. सोलंकी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विद्यालय जाने वाले बच्चों में सहजात रोग और अन्य रोगों/कमियों और नि:शक्तता की पहचान के लिए किसी कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रयोजन हेतु क्या कार्यविधि तैयार की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रयोजन हेतु आवंटित/जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में विद्यालय जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परिचर्या के लिए सरकार द्वारा क्या नए उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. हर्षवर्धन) : (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्कूल जाने वाले बच्चों सहित 0-18 साल तक के बच्चों के लिए 4 विकारों:- क्षति, कमी, विकास का अभाव व नि:शक्तता की जांच हेतु राष्ट्रीय बाल कल्याण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

इस पहल के तहत, जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों या घर पर जन्म लेने वाले सभी नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य कर्मिकों व 'आशा' द्वारा जन्म-विकार की दृष्टि से जांच की जाती है। 6 सप्ताह से 6 वर्ष तक की वायु वर्ग के बच्चों की जांच आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा तथा 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों, जो सरकारी स्कूलों या सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं, की जांच मोबाइल ब्लॉक स्वास्थ्य टीम द्वारा की जाती है, जिसमें दो आयुष चिकित्सक (1 पुरुष, 1 महिला), एक एएनएम व एक फार्मासिस्ट होते हैं।

यदि किसी बच्चे में कोई स्वास्थ्य संबंधी विकार पाया जाता है तो उसे आगे उपचार हेतु उचित स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में रेफर किया जाता है। तथा तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य संस्थान से जोड़ा जाता है। जिला त्वरित हस्तक्षेप केन्द्र (डीईआईसी) की स्थापना भी आरबीएस पहल के घटकों में से एक है।

राज्य-वार/संघ शासित क्षेत्र-वार पिछले तीन वर्षों का वित्तीय आबंटन व व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों व चालू वर्ष में प्रत्येक के दौरान आबंटित/जारी और उपयोग की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14
		अनुमोदित आरओपी (लाख रुपए में)	व्यय (लाख रुपए में)	अनुमोदित आरओपी (लाख रुपए में)	व्यय (लाख रुपए में)	अनुमोदित आरओपी (लाख रुपए में)	व्यय (लाख रुपए में)	अनुमोदित आरओपी (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सम्पूर्ण भारत		**14,902.40**	**7,247.00**	**13,743.80**	**7,889.00**	**39,999.40**	**4,402.80**	**1,17,637.43**
(क)	**अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य**							
1.	बिहार	1,200.00	602.8	1,500.00	191.9	3,885.60	13.6	4,626.01
2.	छत्तीसगढ़	86.5	3.3	18.5	1.7	1,527.80	21.8	3,564.40
3.	हिमाचल प्रदेश	452.4	237.9	275.8	191.4	419.5	169.1	1,245.76
4.	जम्मू और कश्मीर	15	0	0	0	273.2	4	1,753.04
5.	झारखंड	505.4	164.3	215.4	111.1	1,372.10	25.8	3,580.08
6.	मध्य प्रदेश	50	20.2	50	22.9	0	0	5,135.98
7.	ओडिशा	783.8	360.1	788.7	1,569.60	1,569.60	202.5	5,991.35
8.	राजस्थान	202	42.8	240.6	202.3	423.7	6	3,026.24
9.	उत्तर प्रदेश	680.3	646.9	729.4	36	13,723.60	71	15,850.78
10.	उत्तराखंड	282.6	219.3	518.7	376.4	641	360.7	2,869.97
	उप-योग	4,257.90	2,297.80	4,337.10	1,720.20	23,836.10	874.6	47,643.61
(ख)	**पूर्वोत्तर राज्य**							
11	अरुणाचल प्रदेश	31.2	15.6	8.8	22.4	106.2	9.5	1 655.64
12	असम	1,337.50	0	236.9	446.5	1,991.40	9.6	4,854.93
13	मणिपुर	18	4.7	3	4	85.6	2.2	210.29
14	मेघालय	28.9	15	21.8	1.3	126.6	17.5	539.89
15	मिज़ोरम	5	5	63.3	27.9	27.9	24.1	329.84
16	नागालैंड	50.4	0	41.9	313.8	313.8	5.5	698.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	सिक्किम	11.8	18.2	8.9	8,4	38.9	1.4	233.83
18	त्रिपुरा	101.8	26.1	128.8	16.8	18.9	13.5	401.57
	उप-योग	1,584.70	84.6	513.3	558.7	2,709.30	83.2	7,924.52
(ग)	**सामान्य ध्यान दिए जाने वाले राज्य**							
19	आंध्र प्रदेश	1,083.90	29.3	1,014.40	463.5	2,395.60	1,502.50	8,090.69
20	गोवा	28.4	18.9	8.2	9.1	68.3	0.1	213.97
21	गुजरात	800	785.6	800	155.8	1,500.00	82.5	10,686.45
22	हरियाणा	141	1.1	148.1	73.1	182.3	62.8	2081.1
23	कर्नाटक	1,100.00	0	820.7	440.8	738	493.3	4.746.99
24	केरल	342	246.3	550	306.4	577.5	98.6	4,851.69
25	महाराष्ट्र	3,941.80	3,696.90	3,277.30	3,494.00	2,037.70	914	12,002. 14
26	पंजाब	690	0	630	401.8	1,105.30	217.3	2,455.56
27	तमिलनाडु	206	0	1,194.20	20.1	1,186.70	39.9	4,123.49
28	पश्चिम बंगाल	1,610.00	70.5	182.3	114.1	3,488.20	17.4	12,048.78
	उप-योग	9,943.10	4,848.50	8,625.20	5,478.70	13,279.40	3,428.20	61,300.86
(घ)	**छोटे राज्य/संघ शासित क्षेत्र**							
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	3.5	52.9	11	44.2	3.9	94.46
30	चंडीगढ़	110.3	0	129.6	78	48.2	0	24.87
31	दादरा और नगर हवेली	4.5	0	62.7	34.7	53.8	8.6	103.05
32	दमन और दीव	0.5	0	4.7	4.3	11.6	1.6	80.31
33	दिल्ली	536.7	0	0	0	5.9	0	427.61
34	लक्षद्वीप	20	2.5	13.2	0	5.5	0	0
35	पुदुचेरी	25.5	10.2	5.2	3.3	5.4	2.8	38.14
	उप-योग	701.4	16.2	268.2	131.4	174.5	16.9	768.44

[अनुवाद]

मधुमेह रोगियों के लिए परीक्षण किट

1294. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मधुमेह रोग से पीड़ित लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) मधुमेह रोगियों के लिए सस्ती ग्लूकोस परीक्षण किट/स्ट्रिप बनाने और इस संबंध में जागरुकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश में सस्ती दरों पर स्वदेशी ग्लूकोमीटर और ग्लूकोस परीक्षण स्ट्रिप विकसित करने के लिए कोई परियोजना आरंभ की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लोगों को इसे कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा 3 राज्यों व 1 संघ शासित क्षेत्र नामत: तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड व चंडीगढ़ में ग्रामीण और शहरी बसावटों में किए गए भारत मधुमेह (इंडियाबी) अध्ययन चरण-I से उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि लोगों में मधुमेह 5.3% से 13.7% के बीच मौजूद है। वर्ष 2010 में कैंसर, मधुमेह हृदय रोगों व आघात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आरंभ किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत, 30 वर्ष व इससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों की मधुमेह जांच की गई। 31 मार्च, 2014 में कुल 5.57 करोड़ व्यक्तियों की मधुमेह जांच की गई जिसमें से 6.14 प्रतिशत मधुमेह के संदिग्ध मामले पाए गए।

(ग) एनपीसीडीसीएस के तहत मंत्रालय ने मधुमेह जांच के लिए 21 राज्यों में व 4 मैट्रो शहरों में 29,000 ग्लूकोमीटर, 5.8 करोड़ ग्लूकोसट्रीप्स व 6.67 करोड़ लांनसेट्स (मधुमेह जांच टिकट) नि:शुल्क प्रदान की गई।

राज्यों सरकार द्वारा शुरू किए गए जागरुकता-क्रियाविधियों में भी मंत्रालय द्वारा सहयोग दिया गया। इसके अतिरिक्त, 'स्वस्थ भारत कार्यक्रम' के तहत प्रसार भारती के माध्यम से सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियों मधुमेह सहित विभिन्न गैर-संचारी रोगों के लिए भी चलाई जा रही हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) ने सूचना दी है कि उसने देश में स्वदेशी ग्लूकोमीटर व ग्लूकोज टेस्टिंग स्ट्रीप को उचित कीमत पर उपलब्ध कराने हेतु 15 परियोजनाओं को सहायता दी है। उनमें जांच कर्मियों सहित, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई व बिड़ला प्रौद्योगिकी मिशन संस्थान, पिलानी (हैदराबाद कैम्पस) ने रक्त नमूने की जांच हेतु टेस्टिंग स्ट्रीप व 2 स्वदेशी उपकरण विकसित किए हैं। इनका अभी वाणिज्यिकरण नहीं हुआ है।

कृषि उत्पाद व्यापार संबंधी सट्टा

1295. श्री ओम प्रकाश यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कृषि उत्पाद व्यापार संबंधी सट्टे को कम किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी के विरुद्ध कार्रवाई करने और इनके द्वारा खाद्य मुद्रास्फीति पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और आवश्यक वस्तु आपूर्ति अनुरक्षण और कालाबाजारी रोकथाम अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जमाखोरी एवं कालाबाजारी के विरुद्ध कारगर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देशिका जारी की गई है।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्याज और आलू पर स्टॉक सीमा लागू करना और 3.7.2014 से व्यापारियों पर स्टॉक सीमा नियत करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को सशक्त बनाना।

प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट (अप्रैल, 2008) जैसे कई अध्ययन और भारतीय रिजर्व बैंक (वार्षिक रिपोर्ट 2009-10) में यह पाया गया है कि वायदा बाजार और महंगाई के बीच कोई नैमेत्तिक संबंध नहीं है तथापि, वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) वायदा कीमतों की घट-बढ़ पर निरंतर नजर रखता है और वस्तु वायदा बाजार में मूल्य अस्थिरता तथा अत्यधिक सट्टेबाजी को दूर करने के लिए कदम उठाता है। हाल ही में, वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) ने आलू अनुबंधों में व्यापार ढांचों के अध्ययन के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, 2014 में आलू अनुबंधों में नई स्थितियों की अनुमति नहीं दी है। वायदा बाजार में, प्याज, फल सब्जियों (आलू को छोड़कर)

अंडे, मछली अथवा अन्य खराब होने वाली जिंसों का व्यापार नहीं किया जाता।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

1296. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश :
श्री सी.एन. जयदेवन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) का कार्यान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां अभी तक इसका कार्यान्वयन नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) देशभर में सभी राज्यों द्वारा मिशन का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) शहरी गरीबों में मृत्यु दर कम करने और साथ ही शहरी गरीबों विशेषकर झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए मिशन किस हद तक सफल रहा है; और

(च) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त मिशन के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधियों का आवंटन/जारी/उपयोग किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (च) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के उप-मिशन के तौर पर 1 मई, 2013 को कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) अनुमोदन प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) के क्रियान्वयन के लिए फरवरी-मार्च, 2014 के दौरान 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 662.227 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

चूंकि निधियां वित्तीय वर्ष के अंत में जारी की गई थीं और लोक सभा के आम चुनावों के लिए आचार संहिता 5 मार्च, 2014 से लागू हो गई थी इसलिए 2013-14 के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अनुमोदित कार्यकलाप को लागू नहीं कर सके। तथापि, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अब पिछले वर्ष सूचित किये गये अनुमोदन के अनुसार एनयूएचएम को लागू करने के लिए कदम उठा रहे हैं तथा मंत्रालय इस संबंध में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क बनाये हुए हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान अब तक 14 राज्यों को 306.81 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गयी है। इसकी राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

एनयूएचएम में शहरी गरीबों तक गु त्ता युक्त और उचित प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच में सुधार लाने के लिए मलिन और कमजोर वर्ग की जनसंख्या की ब्यौरे-वार मैपिंग के आधार पर मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों को सुदृढ़ करने तथा नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

चूंकि यह नई स्कीम है अत: शहरी गरीबों, विशेषकर मलिन बस्तियों में रहने वालों की स्वास्थ्य स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ने में थोड़ा समय लगेगा।

विवरण

एनयूएचएम लचीले पूल के तहत जारी की गई राशि

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	2013-14	2014-15
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	65.0000	51.8600
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.5400	
3.	असम	4.8800	33.1800
4.	बिहार	13.9100	13.7400
5.	छत्तीसगढ़	10.9650	10.8000
6.	गोवा	0.3200	
7.	गुजरात	52.8700	37.1700
8.	हरियाणा	25.8800	
9.	हिमाचल प्रदेश	0.8500	0.4800
10.	जम्मू और कश्मीर	10.3500	
11.	झारखंड	6.7275	
12.	कर्नाटक	38.1100	30.4300
13.	केरल	13.6000	

1	2	3	4
14.	मध्य प्रदेश	23.3600	34.9800
15.	महाराष्ट्र	121.9400	
16.	मणिपुर	0.7650	
17.	मेघालय	2.4800	5.8500
18.	मिज़ोरम	1.0900	3.5200
19.	नागालैंड	0.9400	
20.	ओडिशा	19.3300	10.5500
21.	पुदुचेरी	0.9450	
22.	पंजाब	25.5975	17.3600
23.	राजस्थान	40.8000	
24.	सिक्किम	0.3870	
25.	तमिलनाडु	78.9900	52.5700
26.	त्रिपुरा	1.2200	
27.	उत्तर प्रदेश	54.7200	
28.	उत्तराखंड	1.0000	4.3200
29.	पश्चिम बंगाल	44.6600	
	कुल	662.22700	306.81000

जनजातीय नीति

1297. श्री सी.एस. पुट्टा राजू : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान हेतु राष्ट्रीय जनजातीय नीति प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो नीति की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा) : (क) जी, नहीं। प्रारुप राष्ट्रीय जनजातीय नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक दशा पर स्थिति पत्र तैयार करने एवं आगे सुझाव देने के लिए 14.08.2013 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। चूंकि इसका प्रभाव प्रति प्रतिपादन पर पड़ेगा, अत:, इसके पश्चात् ही राष्ट्रीय जनजातीय नीति को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) को देखते हुए, समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

आदिवासी युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

1298. श्री पी.के. बिजू : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अनुसूचित जनजाति युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने के लिए 'आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण' योजना का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(ख) इस योजनांतर्गत वर्तमान में सहायता प्रदान किए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, आई.टी.आई. संस्थानों/विद्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर-सरकारी संगठनों से सरकार को प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है;

(घ) आदिवासी युवाओं के कौशल का उन्नयन करने में यह योजना कितनी प्रभावकारी है और उक्त अवधि के दौरान इससे लाभान्वित हुए अनुसूचित जनजाति युवाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या और उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा) : (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु "जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण" की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्य

ससरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता प्रदान करता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय युवाओं की शैक्षिक योग्यता, वर्तमान आर्थिक प्रवृत्ति तथा बाजार की क्षमता के आधार पर विभिन्न परंपरागत/आधुनिक व्यावसायों में उनके कौशल का उन्नयन करना है। योजना आवश्यकता आधारित तथा मांग संचालित है। निधियां पूर्ण परियोजनाओं जो इस योजना के दिशा-निर्देशों को पूरा करती हैं तथा हर प्रकार से पूर्ण हैं, की प्राप्ति पर राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों को निर्मुक्त की जाती हैं। अनुमत वित्तीय सहायता प्रति प्रशिक्षणार्थी 30 हजार रुपए है। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसके तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान योजना के तहत समर्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) इस योजना के तहत निधियां प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों से प्रस्तावों की प्राप्ति एक सतत् एवं निरंतर प्रक्रिया है। निधियां केवल तब ही निर्मुक्त की जाती हैं यदि प्रस्ताव पूर्व निर्मुक्त निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों तथा वास्तविक प्रगति रिपोर्ट सहित हर प्रकार से पूर्ण हों और यह विशिष्ट वर्ष में निधियों की उपलब्धता के अधीन है। तद्नुसार, पूर्ण प्रस्तावों, जिनके विरुद्ध विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अनुदान निर्मुक्त किए गए हैं, के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में उपलब्ध हैं।

(घ) यह योजना जनजातीय युवकों के कौशल के उन्नयन में काफी हद तक प्रभावी है। वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक के दौरान लाभान्वित अनुसूचित जनजाति के युवाओं की संख्या के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस योजना को दिनांक 01.04.2009 से संशोधित किया गया है। प्रशिक्षण अवधि को 6 माह के बजाए 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है। पहले से स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों एवं संस्थानों के अलावा, राज्य सरकार निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की सिफारिश भी कर सकती है। उन संस्थानों को प्राथमिकता दी जाती है जो प्रशिक्षण पूरा होने के उपरांत प्लेसमेंट/रोजगार की गारंटी देते हैं।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात् 2011-12 से 2013-14 तक तथा 2014-15 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत स्वीकृत एवं निर्मुक्त निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियां				गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को निर्मुक्त निधियां			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (15.7.2014 तक)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (15.7.2014 तक)
		निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0ए00	0	0
2.	असम	0.00	89.00	390.51	485.70	118.60	88.08	74.16	72.32
3.	छत्तीसगढ़	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
4.	गुजरात	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	6.12	53.88	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	मध्य प्रदेश	50.16	88.00	150.74	0.00	0.00	0.00	0	0
7.	मेघालय	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.96	48.96	0
8.	मिज़ोरम	0.00	88.00	69.68	0.00	0.00	0.00	0	0
9.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	36.96	24.96	0	0
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.75	0
	कुल	600.00	265.00	610.93	485.70	179.56	168.12	270.75	72.32

विवरण-II

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात् 2011-12 से 2013-14 तक तथा 2014-15 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत वर्तमान में सहायित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वीटीसी की संख्या जिनके लिए राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया है				वीटीसी की संख्या जिनके लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया है			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (15.7.2014 तक)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (15.7.2014 तक)
		केन्द्र	केन्द्र	केन्द्र	केन्द्र	केन्द्र	केन्द्र	केन्द्र	केन्द्र
1.	आंध्र प्रदेश	8	0	0	0	0	0	0	0
2.	असम	0	10	11	10	02	02	02	02
3.	छत्तीसगढ़	11	0	0	0	0	0	0	0
4.	गुजरात	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
5.	कर्नाटक	0	0	0	0	01	01	01	0
6.	मध्य प्रदेश	10	10	बकाया	0	0	0	0	0
7.	मेघालय	9	0	0	0	0	01	01	0
8.	मिज़ोरम	0	5	बकाया	0	0	0	0	0
9.	नागालैंड	0	0	0	0	01	01	0	0
10.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	01	0
	कुल	38	25	11	10	04	05	05	02

विवरण-III

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात् 2011-12 से 2013-14 तक तथा 2014-15 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत वर्तमान में सहायित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (वीटीसी) में लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वीटीसी की संख्या जिनके लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया है, में लाभार्थियों की संख्या				वीटीसी की संख्या जिनके लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया है, में लाभार्थियों की संख्या			
		2011-12 लाभार्थियों	2012-13 लाभार्थियों	2013-14 लाभार्थियों	2014-15 (15.7.2014 तक) लाभार्थियों	2011-12 लाभार्थियों	2012-13 लाभार्थियों	2013-14 लाभार्थियों	2014-15 (15.7.2014 तक) लाभार्थियों
1.	आंध्र प्रदेश	800	0	0	0	0	0	0	0
2.	असम	0	1000	2000	1000	300	360	300	200
3.	छत्तीसगढ़	477	0	0	0	0	0	0	0
4.	गुजरात	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
5.	कर्नाटक	0	0	0	0	80	80	120	0
6.	मध्य प्रदेश	1000	587	बकाया	0	0	0	0	0
7.	मेघालय	700	0	0	0	0	160	160	0
8.	मिज़ोरम	0	500	बकाया	0	0	0	0	0
9.	नागालैंड	0	0	0	0	60	80	0	0
10.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	200	0
	कुल	2977	2087	2000	1000	440	680	780	200

[हिन्दी]

प्रतिबंधित/अस्वीकृत औषधियां

1299. श्री देवजी एम. पटेल :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रतिबंधित/अस्वीकृत औषधियों के निर्माण और विपणन के कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) देश भर में प्रतिबंधित/अस्वीकृत औषधियों के निर्माण और विपणन की रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश में गर्भपात औषधियों की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण

हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (ग) केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने गैटिफ्लोक्सासिन, टीगासेरोड और रोजिग्लिटेजोन औषधों पर देश में विपणन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के उपरांत इन्हें वापस लेने के संबंध में जांच करने हेतु दिल्ली और इसके आस-पास तथा मुम्बई में वर्ष 2011 में मारे गये छापों के दौरान प्रतिबंधित औषधों की बिक्री के कुछ मामलों का पता चला था प्रतिबंध की अधिसूचना जारी होने के बाद ये औषधियों 29 दुकानों में बेची जा रही थी।

दिल्ली में 27 और राजस्थान में 2 ममाले पाए गए थे। संबंधित राज्य लाइसेसिंग प्राधिकारियों से औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अनुसार कार्रवाई शुरू करने को कहा गया था। इसके अतिरिक्त न्यू फिक्स्ड डोज कांबिनेशन (एफडीसी), जिसे नई औषध माना जाता है, के 23 मामलों में औषध महानियंत्रक (भारत) [डीसीजी(आई)] के अनुमोदन के बगैर राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस प्रदान करना पाया गया था। ऐसे सभी मामलों में, [डीजीसी(आई)] कार्यालय ने मामले को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबद्ध राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के समक्ष उठाया। इन 23 मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

1 अक्तूबर, 2012 को केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 33पी के अंतर्गत सांविधिक दिशा-निर्देश जारी किए ताकि वे ऐसी नई औषधों के उत्पादन, बिक्री अथवा संवितरण या निर्यात के लिए उक्त नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के सिवाय अर्थात् [डीसीजी(आई)] की पूर्वानुमति के बगैर लाइसेंस प्रदान न करें। डीसीजी(आई) के अनुमोदन के बिना 01.10.2012 से पहले लाइसेंस प्राप्त करने वाले सभी एफडीसी विनिर्माताओं से 18 माह की अवधि के भीतर सीडीएससीओ के समक्ष ऐसी एफडीसी के सुरक्षित होने और प्रभावकारिता को साबित करने को कहा जाता है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे एफडीसी के संबंध में देश में विनिर्माण और विपणन के लिए प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाएगा। ऐसे एफडीसी के संबंध में सीडीएससीओ को लगभग 7000 आवेदन प्राप्त हुए है।

राज्य औषध नियंत्रकों से औषध परामर्शदात्री समिति की बैठकों में यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया है कि उन्हें डीसीजी(आई) के कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त किए बिना नई औषधों और एफडीसी की अनुमति न दी जाए और केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध औषधों को बाजार से तत्काल वापस ले लिया जाए। राज्यों को बेहतर प्रवर्तन के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने तथा बाजार में उपलब्ध औषधों पर सतर्कता तंत्र विकसित करने की भी सलाह दी गई है।

(घ) से (ङ) सरकार, राज्य औषध नियंत्रण प्रशासन से प्राप्त मासिक रिपोर्टों के आधार पर औषधों की कमी और उपलब्धता तथा एनजीओ, किसी व्यक्ति आदि से प्राप्त शिकायत, यदि कोई हो, की नियमित रूप से निगरानी करती है। किसी विशेष औषध की कमी की सूचना प्राप्त होने पर सरकार तत्काल संबंधित विनिर्माता से इस मामले पर बात करती है और उन्हें प्रभावित क्षेत्र में स्टाक भेजने की सलाह देती है। सरकार को देश में गर्भपात की औषध की कमी के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

राज्य का नाम	उन एफडीसी की संख्या जिसके लिए एसएलए, के पूर्वानुमोदन के बगैर (आई) द्वारा डीसीजी लाइसें जारी किए गए थे।
पुदुचेरी	8
गोवा	1
मध्य प्रदेश	2
उत्तराखंड	5
महाराष्ट्र	2
दादरा और नगर हवेली	1
हिमाचल प्रदेश	2
हरियाणा	1
तमिलनाडु	1
कुल	23

वर्ष-वार ब्यौरा

वर्ष	मामलों की संख्या
2011	11
2012	12

हिमाचल प्रदेश को धन जारी किया जाना

1300. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कक्षा नौ और दस के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने और पांगी और भरमौर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए वर्ष 2012-13 के लिए वित्तीय सहायता जारी किए जाने के हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये प्रस्ताव कब से लंबित हैं और लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) निधियों के कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने 26.12.2012 को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत 2012-13 की अवधि के लिए 220.00 लाख रुपए के सहायता अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिनमें से 20 लाख रुपये 2012-13 के दौरान निर्मुक्त कर दिए गए थे। वर्ष 2012-13 के लिए क्रमशः पांगी और भरमौर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए निधियों की निर्मुक्ति का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास लंबित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कारीगरों को बैंक ऋण

1301. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कारीगरों, शिल्पकारों और बुनकरों को बिना किसी सम्पार्श्विक प्रतिभूति के बैंक ऋण उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंकों से आसान शर्तों वाले ऋण प्राप्त करने में कारीगरों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) सूक्ष्म तथा लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) कारीगारों, शिल्पकारों तथा बुनकरों सहित सूक्ष्म तथा लघु उद्यम क्षेत्र मे उधारकर्त्ताओं को संगठित बैंकिंग क्षेत्र से आसानी से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। सीजीटीएमएसई अपनी पंजीकृत उधारदात्री सदस्य संस्थाओं को विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों सहित सूक्ष्म तथा लघु क्षेत्र में नए या मौजूदा इकाइयों को बिना कोई संपार्श्विक प्रतिभूति लिए और/या अन्य पक्ष गारंटी के बिना 100 लाख रुपए तक के ऋण/उधार सुविधाओं के प्रति गारंटी प्रदान करता है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार सीजीटीएमएसई द्वारा 70,026 करोड़ रुपए की राशि की (संचयी रूप से) 14,19,807 गारंटियां अनुमोदित की गई है। कारीगरों, शिल्पकारों तथा बुनकरों को बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के दिए गए ऋण के संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वर्ष 2003 में 'स्व-रोजगार क्रेडिट कार्ड योजना' तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य छोटे कारीगरों, हथकरघा बुनकरों को पर्याप्त तथा समय पर ऋण उपलब्ध कराना है, अर्थात् बैंकिंग प्रणाली से कार्यशील पूंजी/या ब्लॉक पूंजी या दोनों प्रकार की पूंजी लचीले, निर्विघ्न तथा किफायती रूप में उपलब्ध कराना है। इस सुविधा में खपत संबंधी आवश्यकताओं के लिए समुचित संघटक भी शामिल है।

योजना के अंतर्गत लाभार्थी स्वतः समूह बीमा योजना के अंतर्गत कवर होते हैं तथा प्रीमियम की सहभाजन बैंक तथा उधारकत्ता द्वारा बराबर-बराबर किया जाता है।

[अनुवाद]

रबर पार्क

1302. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्यमान रबर पार्कों का ब्यौरा क्या है और उनकी प्रचालनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का 12वीं योजना के दौरान देश में विशेषकर केरल में रबर पार्कों की स्थापना करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसकी अवस्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या प्रगति हुई और प्रस्तावित रबर पार्क कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) वर्तमान में दो रबड़ पार्क नामतः एर्णाकुलम

जिला, केरल में इरापुरम स्थित मै. रबड़ पार्क इंडिया (प्रा.) लि. तथा पश्चिम त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा में बुद्धजंगनगर स्थित त्रिपुरा औद्योगिक रबड़ पार्क प्रचालनरत हैं।

(ख) से (घ) केरल में मौजूदा रबड़ पार्क मै. रबड़ पार्क इंडिया (प्रा.) लि. के प्रबंधन के तहत केरल के कोल्लम जिले में पाटनपुरम में एक रबड़ पार्क की स्थापना हेतु प्रयासय किए गए हैं। पार्क हेतु स्थान पाटनपुरम तालुक के पिरावतूर में अभिज्ञात किया गया है और केरल राज्य सरकार ने इस भूमि की पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) में संबंधित अधिसूचना के दायरे में छूट देने और यथाशीघ्र पार्क की स्थापना करने हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं।

पोषणात्मक पुनर्वास केन्द्र

1303. श्री विद्युत वरण महतो :

श्री नारायण भाई काछादिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित और वर्तमान में कार्य कर रहे पोषणात्मक पुनर्वास केन्द्रों (एनआरसी) की झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है और इन केन्द्रों में नामांकित बच्चों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) अत्यधिक कुपोषणग्रस्त बच्चों की पहचान करने और उनकी दशा सुधारने के लिए इन केन्द्रों द्वारा क्या तंत्र अपनाया गया है;

(ग) इन केन्द्रों में ऐसे नामांकित बच्चों की संख्या कितनी है जो उक्त वर्णित दशा से सफलतापूर्वक बच सके हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के कार्यकरण और कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) इन केन्द्रों की प्रभावकारिता और कार्य कुशलता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) वर्तमान में देश में 872 पोषणात्मक पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी) कार्य कर रहे हैं। अप्रैल से नवंबर, 2013 के दौरान देश में इन केन्द्रों में नामांकित बच्चों की झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अत्यधिक कुपोषण ग्रस्त (एसएएम) वाले रुग्ण बच्चों की पहचान सामुदायिक और स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों से की जाती है तथा इन्हें एनआरसी को रेफर कर दिया जाता है जहां उन्हें चिकित्सा उपचार के साथ-साथ पोषण पुनर्वास के लिए भर्तीकर किया जाता है।

(ग) अप्रैल से नवंबर, 2013 के दौरान एनआरसी में नामांकित 105618 बच्चों में से 55451 बच्चे सफलतापूर्वक बच गए।

(घ) और (ङ) सरकार राज्यों द्वारा भेजे गए तिमाही और वार्षिक रिपोर्टों के हेतु समीक्षा के माध्यम से एनआरसी के कार्यकरण की आवधिक समीक्षाएं करती हैं और इन एनआरसी को मॉनीटर एवं सहायक निरीक्षण प्रदान करने के लिए क्षेत्रों का दौरा करती है। इन समीक्षाओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:—

- अस्पताल में भर्ती कराने तथा छुट्टी देने के मानदंडों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।
- उपचार और पोषण नवाचार को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों की सिफारिशों के अनुसार मानक उपचार दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है।
- परिचर्या की गुणवत्ता पर जोर दिया जाना चाहिए जिसमें चिकित्सा अधिकारियों और स्टॉफ नर्सों का एसएएस प्रबंधन में प्रशिक्षण तथा पोषण विशेषज्ञों की उपयुक्त नियुक्ति की आवश्यकता होगी।
- अस्पताल में छुट्टी देने वाले बच्चों के रेफरल और फॉलोअप में सुधार वाले तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) से लिंक बनाने के लिए एनआरसी और समुदाय तथा स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में बेहतर लिंक बनाने की आवश्यकता है।

विवरण

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनआरसीएस का प्रदर्शन

(नवम्बर, 2014 के लिए अप्रैल, 2013)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	नामांकित बच्चों की संख्या
1	2
भारत	15621
छत्तीसगढ़	3138
हिमाचल प्रदेश	—
जम्मू और कश्मीर	—
झारखंड	5042
मध्य प्रदेश	53317

1	2
ओडिशा	1117
राजस्थान	5186
उत्तर प्रदेश	1500
उत्तराखंड	—
अरुणाचल प्रदेश	—
असम	96
मणिपुर	—
मेघालय	—
मिज़ोरम	—
नागालैंड	—
सिक्किम	—
त्रिपुरा	—
आंध्र प्रदेश	113
गोवा	—
गुजरात	16580
हरियाणा	—
कर्नाटक	1355
केरल	—
महाराष्ट्र	726
पंजाब	—
तमिलनाडु	—
पश्चिम बंगाल	1392
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—
चंडीगढ़	—
दादरा और नगर हवेली	—
दमन और दीव	—
दिल्ली	435
लक्षद्वीप	—
पुदुचेरी	—

[हिन्दी]

केन्द्र प्रायोजित योजना

1304. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम करने और विद्यमान केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं की संख्या में कमी से राज्यों के विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) : (क) और (ख) जून, 2013 में, सरकार केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) को पुनर्संरचित कर उन्हें 66 अम्ब्रेला स्कीमों में पुनर्गठित कर चुकी है। ऐसी पुनर्संरचित स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की दक्षता बढ़ाने के लिए उनकी समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और फिलहाल, इसकी संख्या को 66 के मौजूदा स्तर से कम करने अथवा स्कीमों की पुनर्संरचना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) चूंकि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, अत: प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) का पुनर्गठन/यौक्तीकीकरण

जून, 2013 में, योजना आयोग ने व्यापक परामर्श के बाद, सीएसएस के व्यापक पुनर्गठन का प्रस्ताव किया जिसे बाद में सरकार ने अनुमोदित कर दिया। इस पुनर्गठन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

(क) 12वीं पंचवर्षीय योजना में मौजूदा सीएसएस/एसीए स्कीमों को 66 स्कीमों में पुनर्गठित किया गया है, जिनमें फ्लैगशिप

कार्यक्रम भी शामिल हैं। ऐसी स्कीमों की सूची अनुबंध-क में दी गई है।

(ख) 66 में से 17 स्कीमों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जुड़ी हैं, जैसे– स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, शहरी विकास, अवसंरचना, कौशल विकास आदि जिनके लिए परिव्यय काफी है और इन्हें फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया गया है। 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों की सूची अनुबंध-ख में दी गई है।

(ग) प्रत्येक नई सीएसएस/एसीए/फ्लैगशिप स्कीम के परिव्यय का कम-से-कम 10 प्रतिशत फ्लेक्सी निधि के रूप में रखा जाएगा और प्रत्येक सीएसएस/एसीए/फ्लैगशिप स्कीम के लिए राज्य विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे तथा इस प्रयोजनार्थ अंतर-मंत्रालय समिति का गठन किया जाएगा।

(घ) सभी योजना स्कीमों, जिनके तहत राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, को 2014-15 (बजट अनुमान) से राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्गीकृत करना और उनके लिए बजट निर्धारित करना।

(ङ) प्रत्येक नई सीएसएस/एसीए/फ्लैगशिप स्कीम में, निधि का कम-से-कम 25 प्रतिशत योगदान सामान्य श्रेणी के राज्य करेंगे तथा 10 प्रतिशत निधि का योगदान विशेष श्रेणी के राज्यों द्वारा किया जाएगा जिनमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड शामिल हैं।

(च) सभी सीएसएस/एसीए स्कीमों के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों को निधियां उपलब्ध कराना तथा संबंधित राज्यों की संचित निधि के माध्यम से राज्यों को सीएसएस/एसीए निधि अंतरित करना। अंतरण की इस पद्धति से बजट अनुमान 2014-15 में चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

अनुबंध-क

बारहवीं पंचवर्षी योजना (2012-17) के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित सीएसएस स्कीमें

क्र.सं.	विभाग/स्कीमें/कार्यक्रम
1	2
	कृषि एवं सहकारिता विभाग
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
2.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
3.	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन
4.	राष्ट्रीय तिलहन तथा खजूर तेल मिशन
5.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन
6.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए)
	पशुपालन, डेयरी उद्योग और मात्स्यिकी विभाग
7.	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम
8.	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम
9.	राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना
	वाणिज्य विभाग
10.	निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई)
	पेयजल आपूर्ति मंत्रालय
11.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
12.	निर्मल भारत अभियान
	पर्यावरण और वन मंत्रालय
13.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)
14.	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)
15.	प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकियों का संरक्षण
16.	वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास
17.	बाघ परियोजना
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
18.	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
19.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन
	आयुष मिशन
20.	औषधीय पादप मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन
	एड्स नियंत्रण विभाग (नया विभाग)
21.	राष्ट्रीय एड्स एवं यौन-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम

1	2

गृह मंत्रालय

22. पुलिस और अन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय योजना

23. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) (एसीए) (एमएचए/वित्त मंत्रालय)

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

24. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

25. राजीव आवास योजना (आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के जेएनएनयूआरएम के भाग सहित)

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

26. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

27. प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (एमडीएम)

28. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)

29. शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास के लिए सहायता

30. उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श स्कूलों की स्थापना के लिए योजना

31. मदरसों, अल्पसंख्यकों और अशक्त को शिक्षा प्रदान करने की स्कीम

उच्च शिक्षा विभाग

32. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/वित्त मंत्रालय

33. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (एनईजीएपी) (एसीए)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

34. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

35. कौशल विकास मिशन

विधि और न्याय मंत्रालय

36. ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास

1	2

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

37. अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रम

पंचायती राज मंत्रालय

38. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (जिला घटक) (एसीए) (पंचायती राज मंत्रालय/वित्त मंत्रालय)

39. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना

ग्रामीण विकास विभाग

40. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीए)

41. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

42. इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)

43. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

44. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) (ग्रामीण मिशन मंत्रालय/वित्त मंत्रालय)

भूमि संसाधन विभाग

45. एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)

46. राष्ट्रीय भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा अशक्तता कार्य मंत्रालय

47. अनुसूचित जाति विकास स्कीम

48. अन्य पिछड़ा वर्ग और अनधिसूचित, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम

49. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के विकास के लिए स्कीम

50. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)

अशक्ता कार्य विभाग

51. अशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

52. सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता

1	2
वस्त्र मंत्रालय	
53.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम
54.	रेशम उत्पादन के तहत उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम
पर्यटन मंत्रालय	
55.	गंतव्यों और परिपथों के लिए अवसंरचना विकास
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
56.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए अंब्रेला स्कीम
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	
57.	एकीकृत बला विकास सेवाएं (आईसीडीएस)
58.	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन
59.	एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)
60.	किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम (सबला)
जल संसाधन मंत्रालय/वित्त मंत्रालय	
61.	त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीपी और सीएडी, एफएमपी इत्यादि जैसे जल संसाधन के अन्य कार्यक्रमों का आमेलन) (एसीए)
खेल विभाग	
62.	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग	
63.	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन
शहरी विकास मंत्रालय/वित्त मं.ालय	
64.	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) (एसीए)
योजना आयोग/वित्त मंत्रालय	
65.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) (राज्य घटक) (एसीए)
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	
66.	राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एनएसएस)

अनुबंध-ख

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फ्लैगशिप कार्यक्रम

क्र.सं.	स्कीम का नाम	मंत्रालय/विभाग
1	2	3
1.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	कृषि और स्वच्छता मंत्रालय
2.	निर्मल भारत अभियान	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
4.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
5.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)	पंचायती राज मंत्रालय
6.	एकीकृत जलसंभर क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम	भूमि संसाधन विभाग
7.	राजीव गांधी पंचायत सशस्त्रीकरण योजना	पंचायती राज मंत्रालय
8.	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	ग्रामीण विकास विभाग

1	2	3
9.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	ग्रामीण विकास विभाग
10.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	ग्रामीण विकास विभाग
11.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	ग्रामीण विकास विभाग
12.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	ग्रामीण विकास विभाग
13.	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (एमडीएम)	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
14.	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
15.	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	शहरी विकास मंत्रालय और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (आरएवाई घटक)
16.	समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)	महिला और बाल विकास मंत्रालय
17.	त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	जल संसाधन मंत्रालय

[अनुवाद]

कम वजन/अवरुद्ध विकास वाले बच्चे

1305. श्री दुष्यंत चौटाला :
डॉ. ए. सम्पत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम वजन और अवरुद्ध विकास वाले बच्चों की संख्या के मामले में विश्व में भारत का उच्च स्थान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में कम वजन/अवरुद्ध विकास वाले बच्चों के प्रतिशत का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(घ) उक्त समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इनके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित/जारी/उपयोग की गई राशि कितनी है और प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या हैं; और

(ङ) देश में कम वजन और अवरुद्ध विकास वाले बच्चों की समस्या का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (ग) जी, हां।

वर्ष 2005-06 में संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-3 के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के 42.5 प्रतिशत बच्चे अपेक्षित वजन से कम हैं तथा 48 प्रतिशत बच्चों का विकास अवरुद्ध है। कम वजन वाले और अवरुद्ध विकास वाले बच्चों की राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र-वार प्रतिशतता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु विभिन्न क्रियाकलापों को कार्यान्वित किया जाता है जिसमें बच्चों के पोषण की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए किए गए विशेष स्वास्थ्य क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं:-

- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों के दौरान तथा आशा कार्यकर्त्ताओं द्वारा घर-घर जाकर परामर्श देने के दौरान उपयुक्त शिशु एवं बाल आआहर व्यवहारों को बढ़ावा देना जिसमें शीघ्र स्तनपान शुरू करना और जन्म से 6 माह तक केवल स्तनपान कराना शामिल है।
- गंभीर तीव्र कुपोषण के शिकार बच्चों का पोषण पुनर्वास केन्द्रों के नाम से जोन वाली विशेष इकाइयों में उपचार। वर्तमान में देशभर में ऐसे 872 केन्द्र कार्यशील हैं।

- विटामिन ए तथा लौह एवं फोलिक अम्ल की सूक्ष्म पोषक तत्व की कमियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए विशेष कार्यक्रम। बच्चों को पांच वर्ष की आयुत तक विटामिन ए का संपूरण दिया जाता है। हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल के अंतर्गत 6 से 60 माह तक बच्चों को सप्ताह में दो बार लौह एवं फोलिक अम्ल का संपूरण दिया जाता है।

- आईएमएनसीआई (नवजात एवं बाल्यावस्था बीमारी का एकीकृत प्रबंधन) में सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करके समुदाय तथा स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर अल्प पोषण और सामान्य नवजात तथा बाल्यावस्था रोगों का उपचार।

- राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से आयोडीन का संपूरण।

आरसीएच कार्यक्रम के तहत निधि आवंटन का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

- एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना भारत सरकार की एक केन्द्र प्रायोजित फ्लैगशिप योजना है, जिसे राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य 0-6 वर्ष की आयु समूह के स्कूल पूर्व बच्चों की पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में 6 सेवाओं- (i) पूरक पोषण (ii) प्रतिरक्षण (iii) स्वास्थ्य जांच (iv) रेफरल सेवाएं (v) स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा एवं (vi) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के एक पैकेज के माध्यम से सुधार लाना है।

- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई), सशर्त मातृत्व लाभ (सीएमबी) गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली (पी एवं एल) महिलाओं के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य उनकी स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार लाना है और इस प्रकार बच्चों के जन्म परिणाम एवं स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में भी सुधार लाना है।

(ङ) मौजूदा कार्यक्रमों के अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यक्रम कोड में बच्चों, किशोरों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा प्रजनन आयु समूह की महिलाओं में रक्ताल्पता के संपूरण एवं उपचार के लिए एक प्रभावकारी कार्यनीति के रूप में "राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल" शुरू की गई है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दो नई योजनाएं शुरू की गई हैं:—

(i) **कुपोषण के विरुद्ध सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी) अभियान:** पोषण संबंधी चुनौतियों के संबंध में जागरुकता पैदा करने, घर पर आहार देने के व्यवहारों को बढ़ावा देने आदि के लिए कुपोषण के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी आईईसी अभियान।

(ii) **राष्ट्रीय पोषण मिशन राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यमः** अत्यधिक कुपोषण वाले 200 जिलों में मातृ एवं बाल अल्पपोषण के समाधान के लिए हाल ही में बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य 12वीं योजना अवधि के दौरान 1213.19 करोड़ रुपए की कुल लागत से बाल अल्पपोषण की रोकथाम एवं उसमें कमी लाना (तीन वर्ष तक के बच्चों में कम वजन की व्याप्ति), तथा छोटे बच्चों किशोर बालिकाओं तथा महिलाओं में रक्ताल्पता के स्तरों में कमी लाना है। संबंधित राज्य सरकारों को जिला पोषण परिषद् गठित करने तथा आवंटित बजट प्रावधानों के अंतर्गत योजना के कार्यान्वियन हेतु कार्य योजनाएं तैयार करने का सुझाव दिया है।

विवरण-I

बच्चों (6-59 माह) की राज्य-वार पोषण की स्थिति

स्रोतः (एनएफएचएस-III) 2005-06

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुपोषण	
	% कम वजन वाले बच्चो एनएफएचएस-III (2005-06)	% अवरुद्ध बच्चे एनएफएचएस-III (2005-06)
1	2	3
भारत	**42.5**	**48.0**
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		
आंध्र प्रदेश	32.5	42.7

1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	32.5	43.3
असम	36.4	46.5
बिहार	55.9	55.6
चंडीगढ़		
छत्तीसगढ़	47.1	52.9
दादरा और नगर हवेली		
दमन और दीव		
दिल्ली	26.1	42.2
गोवा	25.0	25.6
गुजरात	44.6	51.7
हरियाणा	39.6	45.7
हिमाचल प्रदेश	36.5	38.6
जम्मू और कश्मीर	25.6	35.0
झारखंड	56.5	49.8
कर्नाटक	37.6	43.7
केरल	22.9	24.5
लक्षद्वीप		
मध्य प्रदेश	60.0	50.0
महाराष्ट्र	37.0	46.3
मणिपुर	22.1	35.6
मेघालय	48.8	55.1
मिज़ोरम	19.9	39.8
नागालैंड	25.2	38.8
ओडिशा	40.7	45.0
पुदुचेरी		
पंजाब	24.9	36.7
राजस्थान	39.9	43.7
सिक्किम	19.7	38.3
तमिलनाडु	29.8	30.9
त्रिपुरा	39.6	35.7
उत्तर प्रदेश	42.4	56.8
उत्तराखंड	38.0	44.4
पश्चिम बंगाल	38.7	44.6

विवरण-II

2010-11 से 2013-14 के लिए आरसीएच फ्लेक्सीवल पूल के तहत आबंटन और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.00	0.47	1.18	6.03	1.16	5.80	7.67	8.57
2.	आंध्र प्रदेश	212.55	77.37	235.74	171.65	258.76	325.51	740.93	319.42
3.	अरुणाचल प्रदेश	12.14	15.67	12.93	17.99	17.30	16.47	30.98	25.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	असम	295.64	223.39	316.76	404.34	390.06	446.70	545.06	436.39
5.	बिहार	302.41	431.69	333.91	470.36	412.43	614.78	1104.71	729.30
6.	चंडीगढ़	2.53	1.73	2.76	3.39	3.22	4.79	7.16	8.52
7.	छत्तीसगढ़	87.56	90.64	96.58	138.90	117.09	167.00	354.49	175.47
8.	दादरा और नगर हवेली	0.62	1.55	0.79	2.45	1.05	3.08	4.62	4.71
9.	दमन और दीव	0.44	0.32	0.40	1.56	0.74	2.86	6.68	4.18
10.	दिल्ली	38.69	22.46	42.18	47.79	51.20	56.31	81.36	63.22
11.	गोवा	3.77	1.83	4.34	5.01	4.46	4.79	13.06	5.85
12.	गुजरात	142.02	149.35	156.90	164.55	184.55	221.49	361.02	212.61
13.	हरियाणा	59.18	67.91	65.44	86.99	77.49	116.19	218.00	154.74
14.	हिमाचल प्रदेश	25.59	19.66	28.38	20.16	31.43	38.27	60.72	63.78
15.	जम्मू और कश्मीर	42.40	39.08	46.91	84.29	57.53	112.89	302.73	151.89
16.	झारखंड	113.29	114.72	124.97	150.12	151.13	166.32	574.32	215.52
17.	कर्नाटक	148.01	159.25	163.60	182.56	186.83	205.41	297.86	218.81
18.	केरल	89.36	80.25	98.56	71.21	102.04	160.43	139.65	150.71
19.	लक्षद्वीप	0.17	0.48	0.40	2.20	0.23	2.36	2.11	0.53
20.	मध्य प्रदेश	220.34	396.10	242.84	369.36	288.44	466.07	608.57	485.92
21.	महाराष्ट्र	271.56	214.58	299.61	338.73	343.44	384.10	35.99	24.57
22.	मणिपुर	26.44	15.86	25.86	16.12	34.06	15.01	53.57	14.95
23.	मेघालय	25.58	11.12	27.71	16.83	37.09	20.50	29.49	24.44
24.	मिज़ोरम	9.97	12.48	10.62	14.86	13.65	22.37	748.07	600.37
25.	नागालैंड	22.11	17.17	23.55	22.19	24.79	33.54	63.19	33.89
26.	ओडिशा	133.94	193.08	147.83	215.87	166.66	260.03	398.62	283.88
27.	पुदुचेरी	2.73	3.88	3.15	6.05	3.80	6.42	10.07	8.52
28.	पंजाब	68.18	69.28	75.30	78.00	84.67	93.21	119.35	100.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	राजस्थान	206.06	284.73	227.07	369.45	272.64	441.66	702.80	460.25
30.	सिक्किम	6.07	3.97	6.46	7.14	7.61	9.04	15.81	11.46
31.	तमिलनाडु	174.33	149.77	193.17	187.68	220.48	228.56	486.60	365.83
32.	त्रिपुरा	35.55	15.79	37.86	21.25	45.94	21.23	36.37	23.49
33.	उत्तर प्रदेश	605.90	655.09	668.60	563.79	792.97	674.71	1,402.94	956.34
34.	उत्तराखंड	35.70	39.82	39.42	53.69	46.38	71.20	113.18	84.07
35.	पश्चिम बंगाल	225.17	125.02	247.97	260.28	279.19	337.70	806.15	384.03
	कुल योग	3,647.00	3,705.56	4,012.75	4,572.87	4,710.51	5,757.76	10,483.88	6,812.27

व्यापार करने में सुलभता

1306. **श्रीमती पूनम महाजन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा किए गए व्यापार करने में सुलभता सर्वेक्षण के मामले में विश्व में भारत का क्या स्थान है;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में अपनी स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) वर्ष 2014 की रिपोर्ट जो अद्यतन प्रकाशित रिपोर्ट है, में विश्व बैंक द्वारा किए गए व्यापार करने में सुगमता अपनाने संबंधी सर्वेक्षण के अनुसार भारत की स्थिति 189 में से 134 है।

(ख) और (ग) सरकार भारत में व्यापार करने की सुलभता को सुधारने के लिए बहुत से कदम उठा रही है, जिनसे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:—

- विश्व बैंक की डुइंग बिजनेस की रिपोर्ट में रैकिंग को सुधारने के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने बहुत से कदम उठाए हैं जिसमें औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) तथा औद्योगिक उद्यम ज्ञापन (आईईएम) की प्रणाली को पूरी तरह से ऑन-लाइन बनाना, अनिवार्य लाइसेंसिंग की रक्षा उत्पाद सूची के अंतर्गत बहुत सी मदों को लाइसेंस मुक्त करना, औद्योगिक लाइसेंस की वैधता अवधि को बढ़ाना, रक्षा उद्योग से संबंधित लाइसेंसों के मामले में आवेदकों से हलफनामों की अपेक्षा को समाप्त करना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा संबंधी पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑन-लाइन तथा वास्तविक बनाना तथा ऑन लाइन सिंगल विंडों प्रणाली के प्रावधान के लिए ईबिज कार्यक्रम का कार्यान्वयन शामिल है। इसके अलावा, सिंगल विंडो प्रणाली, भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून कार्यान्वयन आदि की सर्वोत्तम परिपाटियां सभी राज्यों के साथ साझा की गई हैं ताकि प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सुलभ सांचा उपलब्ध कराया जा सके।
- हाल ही में कंपनी कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 को अधिनियमित किया। जो कंपनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करेगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की दो सौ तिरासी धाराएं अर्थात् 98 धाराएं 12.09.2013 से, एक धारा 28.2.2014 से, 183 धाराएं 1.4.2014 और एक धारा 6.6.2014 से अधिसूचित की गई है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सरकार से विभिन्न अनुमोदन अपेक्षित थे, को हटा कर ऐसे निर्णय कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लेने के लिए छोड़ दिए गए हैं, इससे स्वयं नियमन को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 निवेशकों की सुरक्षा के वृद्धित उपबंध निर्दिष्ट करेगा। यह भी कि दस लाख रुपए तक की अधिकृत पूंजी और दो करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली छोटी कंपनी के पंजीकरण का अपेक्षित शुल्क पूर्ववर्ती चौबीस हजार आठ सौ रुपए से घटाकर दो हजार रुपए कर दिया गया है।

- इसके अतिरिक्त, 2014-15 के बजट में घोषणा के अनुसार व्यापार सुगम बनाने के लिए एक भारतीय सीमा शुल्क एकल विंडों परियोजना लागू की जानी प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत, आयातक और निर्यातक अपने क्लीयरेंस दस्तावेज केवल एक एकल बिन्दू पर जमा कर सकेंगे। अन्य नियामक एजेंसियों से, अपेक्षित अनुमति, यदि कोई हो, व्यापारियों के इन एजेंसियां में जाए बिना ऑन लाईन प्राप्त की जाएगी। यह सरकारी एजेंसियों के साथ संपर्क, लगने वाला समय और व्यापार की लागत को कम करेगा।

अनैतिक चिकित्सीय आचरण

1307. **श्री असादुद्दीन ओवैसी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिकित्सकों द्वारा किए जा रहे अनैतिक व्यावसायिक कदाचार जैसे औषध निर्माण और अन्य अनुषंगी स्वास्थ्य क्षेत्र उद्योग से कमीशन, उपहार, यात्रा सुविधा, सत्कार, नकद अथवा मौद्रिक अनुदान और अन्य सुविधाएं प्राप्त किए जाने पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या, की गई जांच, संस्तुत कार्यवाही और चिकित्सकों को दिए गए दंड का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का चिकित्सकों को औषध निर्माण और अनुषंगी स्वास्थ्य क्षेत्र उद्योग से उपहार/सुविधाएं स्वीकार करने से रोकने के लिए कोई नए उपयोग करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) या उपयुक्त राज्य चिकित्सा परिषदों को भारतीय चिकित्सा परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नीति) विनियम, 2002 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए किसी चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जब कभी भी चिकित्सकों की नैतिक संहिता के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो एमसीआई ऐसी उल्लंघनों की जांच करती है। और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करती है।

(ग) एमसीआई द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय चिकित्सा परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नीति) विनियम, 2002 में 10 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना द्वारा पहले ही संशोधन किया गया है, जिसका उद्देश्य चिकित्सकों को फार्मास्युटिकल तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के संबद्ध उद्योगों से उपहार/सुविधाएं स्वीकार करने से प्रतिबंधित करना है।

विवरण

प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

क्र. स.	श्रेणी	2011-12	2012-13	2013-14
1.	कुल प्राप्त शिकायतें/अपील	561	623	234
2.	राज्य चिकित्सा परिषद्/राज्य सरकार को रेफर किया गया	357	484	156
3.	निपटान किया गया	197	105	13
4.	निपटान किए गए मामलों में अस्थायी रूप से पंजीकरण रद्द किया गया	3	52	06
5.	निपटान किए गए मामलों में दी गई चेतावनी	1	7	01
6.	विचाराधीन	7	34	65

जेनरिक औषधियां

1308. श्री नारणभाई काछादिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चिकित्सकों द्वारा रोगियों के लिए जेनरिक औषधियां लिखे जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का देश में टेलीफोन परजेनरिक औषधियों के नाम बताएं जाने के लिए कॉल सेंटर स्थापित किए जांने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में उपभोक्ताओं को जेनरिक नामों से परिचित कराने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) सरकार जहां तक संभव हो सके, जेनेरिक औषधियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित/प्रेरित करने हेतु केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों सीजीएचएस औषधालयों और राज्य सरकारों को समय-समय पर बार-बार परिपत्र/निदेश जारी कर रही है। पर निदेशक जारी किए गए हैं कि केन्द्र सरकार के सभी अस्पताल केवल अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक औषधियां प्रदान करेंगे और जब कभी किसी ब्रांडेड औषधियों को लिखे जाने पर निरपवाद रूप से यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि कोई और समकक्ष जेनेरिक औषधियों भी मुहैया कराई जा सकती है।

भारतीय चिकित्सा परिषद् विनियम, 2002 के तहत चिकित्सा आचार संहिता के अनुच्छेद "1.5 औषधियों के जेनेरिक नामों को प्रयोग में प्रावधान है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो, जेनेरिक नामों के साथ औषधियां लिखी जानी चाहिए और उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि औषधियों को युक्तिसंगत तरीके से लिखा तथा उपयोग किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद, "6.3 खुली दुकान चलाना (चिकित्सकों द्वारा औषधियों और उपकरणों का विवरण)" में यह उल्लेख किया गया है कि रोगी के लिए चिकित्सक द्वारा लिखी गई अथवा बाजार में लाई गई औषधियों में प्रोपराइटरी फार्मूले के साथ-साथ उसका जेनेरिक नाम स्पष्ट रूप से दर्शाया गया जाना चाहिए।

इसके अलावा ब्रांड नामों से औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के औषधि लाइसेंस प्राधिकारी की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए केन्द्र सरकार ने औषध और प्रसाधन सामाग्री अधिनियम, 1940 की धारा 33पी के तहत केवल उपयुक्त/जेनेरिक नामों में औषधियों की बिक्री हेतु विनिर्माण अथवा वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान/नवीकरण करने हेतु दिनांक 1.10.2012 को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निदेश जारी किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार जेनेरिक औषधि लिखने के लिए केन्द्र सरकार के अस्पतालों और राज्य सरकारों को पत्र लिख रही है। सरकार ने जन औषधि स्टोर भी खोला है।

जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का निपटान

1309. श्री रामसिंह राठवा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन और संभलाई) नियम, 1998 का उचित ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त नियमों के उल्लंघन के बारे में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और चूककर्त्ता अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) विहित ढंग से जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों के निपटान की निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (घ) वर्ष 2003 में संशोधित जैव-चिकित्सीय अवशिष्ट प्रबंधन नियमावली 1998 के कार्यान्वयन की निगरानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा की जाती है। जहां तक दिल्ली में स्थित तीन केंद्रीय राजकीय अस्पतालों नामत: डॉ. राम मनोहर लोहिया लाल अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में एक जैव-चिकित्सीय अवशिष्ट प्रबंधन विभाग है। विभिन्न विभागों/वार्डों द्वारा उत्पन्न जैव-चिकित्सीय अवशिष्ट को जैव-चिकित्सीय अवशिष्ट प्रबंधन और संचालन नियम, 1998 के अनुसार प्राधिकृत स्टॉफ द्वारा केंद्र एकत्रण बिन्दु तक पहुंचाया जाता है।

ये अस्पताल दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करते हैं। डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने डीपीसीसी से प्राप्त संदर्भों में कुछेक कमियां इंगित की हैं और इन अस्पतालों ने डीपीसीसी को अपने जवाब भेज दिए हैं।

[हिन्दी]

एटीएम पेपर स्लिप आदि

1310. **श्री राकेश सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों की एटीएम पेपर स्लिप में हानिकारक रसायन होते हैं जिससे अपयोगकर्त्ता के स्वास्थ्य को दूरगामी हानि हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्लिप पर इस्तेमाल किए जा रहे रसायनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुसंधान किया/कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें एटीएम पेपर स्लिप के लिए हानिकारक रसायन के प्रयोग से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

एक्जिम नीति की समीक्षा

1311. **श्री हंसराज गंगाराम अहीर :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात के लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए एक्जिम नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) क्या देश में कृषि उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि के बावजूद भी इन उत्पादों का निर्यात अपेक्षित स्तर तक नहीं हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या है;

(ङ) कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) से (घ) एक्जिम नीति की समीक्षा सरकार द्वारा समय-समय पर की जाने वाली निरंतर प्रक्रिया है। सरकार प्रशासनिक मंत्रालयों और संबंधित विभागों तथा अन्य हितधारियों के परामर्श से विभिन्न कारकों जैसे घरेलू बाजार में माल की उपलब्धता, उत्पादन, मूल्य स्थिति तथा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समितियों की वचनबद्धताएं इत्यादि को ध्यान में रखते हुए विदेश व्यापार नीति की समीक्षा करती है। ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप, विभिन्न कृषि वस्तुओं जैसे गैर-बासमती चावल, गेहूं, दुग्ध उत्पादों इत्यादि, जो पूर्व में प्रतिबंधित थी उन्हें निर्यात हेतु मुक्त किया गया था। वर्तमान में, सभी कृषि उत्पादों (दालों और खाद्य तेलों को छोड़कर) के निर्यात को मुक्त किया गया है। सरकार खाद्य-वस्तुओं के निर्यात को इस प्रकार विनियमित करती है जिससे देश में इनकी कोई कमी न हो तथा यह उपभोक्ताओं को उचित दामों पर उपलब्ध हो तथा साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि घरेलू बाजार में दाम में अत्यधिक गिरावट न आए जिससे किसानों को लाभकारी मूल्यों से वंचित रहना पड़े। कृषि संबंधी वस्तुओं के मुक्त निर्यात के परिणामस्वरूप देश को अधिक विदेशी विनिमय की आय होगी जिसके फलस्वरूप किसानों को उच्च लाभकारी मूल्य प्राप्त करके लाभ होगा।

(ङ) सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) प्रारंभ की थी। स्कीम के अंतर्गत निर्यात के पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य की 5 प्रतिशत की दर से ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में लाभ प्रदान किया जाता है। वर्तमान में स्कीम के अंतर्गत 750 से अधिक वस्तुएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

मिलावटी शीतल/ऊर्जादायक पेय

1312. **मोहम्मद फैज़ल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शीतल/ऊर्जादायक पेयों में कीटनाशी/जीवनाशी और भारी जहरीले संदूषण की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेंटर फॉर साइंस एंडएनवायरनमेंट (सीएसई)

ने अपनी रिपोर्ट में शीतल ऊर्जादायक पेयों में कीटनाशियों/जीवनाशियों और भारी जहरीले संदूषण की उपस्थिति के बारे में बताया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा मिलावटी शीतल/ऊर्जादायक पेयों के निर्माताओं और विक्रेताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे शीतल/ऊर्जादायक पेयों की जब्ती का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में शीतल/ऊर्जादायक पेयों के संबंध में निर्धारित किए गए मानदंडों और विनियमों के सख्त अनुपालन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) राज्य/संघ शासित सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शीतल/ऊर्जादायक पेयों में कीटनाशी/जीवनाशी और भारी जहरीले संदूषणों की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) सेंटर फॉर साइंस एवं एन्वायरमेंट (सीएसई) ने दिनांक 05.08.2013 की अपनी रिपोर्ट में कार्बोनेटेड जल में कीटनाशी अवशिष्टों की उपस्थिति के बारे में रिपोर्ट की थी।

(ग) राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्लेषण किए गए नमूनों में से मिलावटी पाए गए पेयों के नमूनों की संख्या तथा अभियोजन चलाए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	वर्ष	विश्लेषण किए गए मामलों की संख्या	उल्लंघन के मामले	चलाए गए अभियोजन की संख्या
1.	2011-12	201	9	9
2.	2012-13	272	27	27
3.	2013-14	257	11	8
4.	2014-15	47	0	0

(घ) शीतल/ऊर्जादायक पेयों सहित खाद्य उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, मॉनीटरिंग और नमूने लिए जाते हैं।

राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य वस्तुओं के औचक नमूने लिए जाते हैं और उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को विश्लेषण के लिए भेजा जाता है। यदि नमूने अधिनियम और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, तो दोषी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

आयुध निर्माणी

1313. श्री बी.वी. नाईक :
श्री भैरों प्रसाद मिश्र :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सहित देशे में नामी आयुध निर्माणियों की स्थापना किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कौन-कौन से स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) इन आयुध निर्माणियों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

झींगा पर प्रतिकारी शुल्क

1314. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने झींगा पर प्रतिकारी शुल्क हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे समुद्री उत्पाद निर्यातकों को क्या लाभ हुआ/होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग (यूएसआईटीसी) ने दिनांक 20 सितंबर, 2013

को यह निर्णय लिया कि भारत तथा छह अन्य देशों से प्रशीतित ऊष्म जल श्रिम्प के आयात से अमेरिकी उद्योग को न तो कोई वास्तविक क्षति हुई है और न ही उसे ऐसा कोई खतरा है। यूएसआईटीसी के नकारात्मक निर्धारण के परिणामस्वरूप भारत से प्रशीतित ऊष्मा जल श्रिम्प के आयात पर कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क अधिरोपित नहीं किया गया है।

(ग) यूएसआईटीसी के नकारात्मक निर्धारण के परिणामस्वरूप, भारतीय समुद्री खाद्य के अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप तथा भारत के समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान अमेरिका को भारत के समुद्री खाद्य निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार है:—

अमेरिका को भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात

(डाटा स्रोत: एम्पीडा)

	2011-12	2012-13	2013-14	% वृद्धि
मात्रा मी. टन में	68354	92447	110880	19.94
मूल्य करोड़ रुपए में	2977.53	4026.48	7744.67	92.34
मूल्य मिलियन अमेरिका डॉलर में	637.53	747.45	1286.04	72.06

महिला उत्पीड़न

1315. श्री रवनीत सिंह : क्या **महिला और विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने देश में महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महिलाओं के प्रताड़न और उनके विरुद्ध अपराधों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पंजीकृत, निपटाए गए और लंबित मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या आयोग ने महिलाओं पर हमले के मामलों पर राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं कराने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आयोग ने ऐसे मामलों पर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) से (च) राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) देश में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है और अपने अधिदेश के अनुसार कार्रवाई करता है।

आयोग में प्राप्त शिकायतों पर निम्न तरीके से कार्रवाई की जाती है:—

(i) पुलिस उदासीनता/अकर्मण्यता संबंधी शिकायतों की समय पर एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए तथा रिपोर्ट भेजने हेतु इन्हें संबंधित राज्य प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

(ii) गंभीर अपराधों के मामले में, आयोग जांच समितियां गठित करता है और जांच समितियों की सिफारिशों को संबंधित राज्य सरकारों/प्राधिकारियों को अग्रेषित किया जाता है।

(iii) पारिवारिक विवादों/वैवाहिक विवादों का निराकरण परामर्श के माध्यम से किया जाता है।

(iv) घरेलू हिंसा/वैवाहिक विवादों से संबंधित शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला मजिस्ट्रेटों, संरक्षण अधिकारियों आदि जैसे संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित की जाती है।

आयोग महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों/हिंसा के मामलों में की गई कार्रवाई रिपोर्ट को शीघ्रता से प्रस्तुत करने के लिए राज्य प्राधिकारियों को निरंतर याद दिलाता रहता है और स्थिति रिपोर्ट मांगता है। ऐसे मामलों का तब तक मॉनीटरन किया जाता है जब तक कि वे संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत न कर दिए जाएं। गत तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामलों, कार्रवाई किए गए मामलों, बंद किए गए मामलों तथा उन मामलों की जिनमें की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग में महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न एवं हिंसा से संबंधित दर्ज, कार्रवाई की गई, बंद की गई एवं लंबित शिकायतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	2011				2012			
		प्राप्त	कार्रवाई की गई*	बंद की गई**	की गई कार्रवाई रिपोर्ट मंगाई गई	प्राप्त	कार्रवाई की गई*	बंद की गई**	की गई कार्रवाई रिपोर्ट मंगाई गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7	7	4	2	3	3	2	2
2.	आंध्र प्रदेश	124	124	54	41	99	99	63	52
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	2	0	—	—	—	0
4.	असम	26	26	15	4	22	22	11	17
5.	बिहार	444	444	126	192	476	476	210	292
6.	चंडीगढ़	40	40	14	15	33	33	11	27
7.	छत्तीसगढ़	75	75	29	36	82	82	40	51
8.	दादरा और नगर हवेली	2	2	—	1	—	—	—	0
9.	दमन और दीव	2	2	1	0	5	5	3	1
10.	दिल्ली	2,287	2,287	686	863	2,330	2,330	1,259	1184
11.	गोवा	9	9	5	1	8	8	3	8
12.	गुजरात	65	65	24	28	77	77	41	41
13.	हरियाणा	934	934	248	532	1,064	1,064	559	722
14.	हिमाचल प्रदेश	51	51	18	25	49	49	27	24
15.	जम्मू और कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	21	21	7	3	22	22	16	5
16.	झारखंड	212	212	87	102	235	235	111	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	कर्नाटक	52	52	31	10	67	67	37	55
18.	केरल	25	25	10	7	31	31	16	18
19.	लक्षद्वीप	—	—	—	0	—	—	—	0
20.	मध्य प्रदेश	607	607	209	292	777	777	379	434
21.	महाराष्ट्र	313	313	92	93	307	307	133	195
22.	मणिपुर	2	2	1	1	5	5	2	3
23.	मेघालय	5	5	2	2	4	4	2	2
24.	मिज़ोरम	—	—	—	0	1	1	—	1
25.	नागालैंड	3	3	1	0	—	—	—	0
26.	ओडिशा	63	63	24	19	55	55	27	39
27.	पुदुचेरी	9	9	5	1	8	8	5	4
28.	पंजाब	210	210	73	70	214	214	108	143
29.	राजस्थान	1,305	1,305	364	718	1,273	1,273	619	852
30.	सिक्किम	—	—	—	0	—	—	—	0
31.	तमिलनाडु	124	124	72	29	97	97	47	6
32.	तेलंगाना	—	—	—	0	—	—	—	0
33.	त्रिपुरा	4	4	2	1	3	3	—	0
34.	उत्तर प्रदेश	8,336	8,336	2,326	4632	8,774	8,774	3,649	6376
35.	उत्तराखंड	341	341	105	125	293	293	163	155
36.	पश्चिम बंगाल	170	170	73	44	143	143	87	62
	कुल	15,870	15,870	4,710	7,889	16,557	16,557	7,630	10,959

*आयोग ने, मामलों में अनुरूप, मामले का संज्ञान लिया तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी, सुनवाई आदि की।

**आयोग ने आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर मामले बंद कर दिए।

नोट: की गई कार्रवाई एवं बंद किए गए मामलों की संख्या में अंतर विभिन्न प्राधिकारियों के पास विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले दर्शाता है जिनके बारे में आयोग निरंतर याद दिलाता रहा है।

नोट: जहां कहीं अपेक्षित है, मामलों में की गई कार्रवाई रिपोर्ट मंगाई गई।

—जारी

गत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग में महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न एवं हिंसा से संबंधित दर्ज, कार्रवाई की गई, बंद की गई एवं लंबित शिकायतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	2013				2014 (14 जुलाई तक की स्थिति)				
		प्राप्त	कार्रवाई की गई*	बंद की गई**	की गई कार्रवाई रिपोर्ट मंगाई गई	प्राप्त	कार्रवाई की गई*	बंद की गई**	की गई कार्रवाई रिपोर्ट मंगाई गई	रा.म.आ. में लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	9	5	5	3	3	1	3	—
2.	आंध्र प्रदेश	107	107	49	151	73	73	36	74	
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	3	2	1	—	—	—	0	—
4.	असम	31	31	12	38	25	18	9	22	7
5.	बिहार	441	441	141	400	292	277	96	267	15
6.	चंडीगढ़	44	44	23	36	15	10	3	10	5
7.	छत्तीसगढ़	87	87	39	62	58	55	15	50	3
8.	दादरा और नगर हवेली	2	2	1	1	1	1	—	1	—
9.	दमन और दीव	1	1	1	1	1	—	—	0	1
10.	दिल्ली	2,751	2,751	935	2035	1,577	1,555	665	1000	22
11.	गोवा	12	12	7	11	3	3	1	2	—
12.	गुजरात	79	79	31	105	45	40	22	48	5
13.	हरियाणा	1,136	1,136	336	936	717	692	164	602	25
14.	हिमाचल प्रदेश	37	37	7	45	26	24	7	35	2
15.	जम्मू और कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	22	22	20	5	6	6	4	1	
16.	झारखंड	221	221	90	205	144	137	46	112	7
17.	कर्नाटक	78	78	38	129	51	47	28	59	4
18.	केरल	33	33	16	50	17	16	9	25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	लक्षद्वीप	—	—	—	0	1	1	—	1	—
20.	मध्य प्रदेश	632	632	287	527	502	480	143	384	22
21.	महाराष्ट्र	464	464	161	574	272	262	77	337	10
22.	मणिपुर	5	5	3	5	1	1		2	—
23.	मेघालय	4	4	3	3	1	1	1	1	—
24.	मिज़ोरम	1	1	—	1	—	—	—	0	—
25.	नागालैंड	1	1	1	0	—	—	—	0	—
26.	ओडिशा	81	81	39	96	67	65	25	68	2
27.	पुदुचेरी	6	6	4	7	7	6	3	6	—
28.	पंजाब	217	217	68	229	111	108	37	101	3
29.	राजस्थान	1,128	1,128	613	1066	633	585	179	494	48
30.	सिक्किम	1	1	1	0	2	1	—	1	1
31.	तमिलनाडु	93	93	47	227	55	52	24	101	3
32.	तेलंगाना	—	—	—	0	3	2	1	3	1
33.	त्रिपुरा	—	—	—	0	2	1	—	1	1
34.	उत्तर प्रदेश	8,488	8,488	4,182	6719	7,633	6,932	2,350	5213	701
35.	उत्तराखंड	317	317	209	206	204	199	61	148	5
36.	पश्चिम बंगाल	169	169	80	182	131	130	51	134	1
	कुल	16,701	16,701	7,451	14,058	12,679	11,783	4,058	9306	896

*आयोग ने, मामलों में अनुरूप, मामले का संज्ञान लिया तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी, सुनवाई आदि की।

**आयोग ने आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर मामले बंद कर दिए।

नोट: की गई कार्रवाई एवं बंद किए गए मामलों की संख्या में अंतर विभिन्न प्राधिकारियों के पास विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले दर्शाता है जिनके बारे में आयोग निरंतर याद दिलाता रहा है।

नोट: जहां कहीं अपेक्षित है, मामलों में की गई कार्रवाई रिपोर्ट मंगाई गई।

[हिन्दी]

रक्षा सौदे

1316. श्री कौशलेन्द्र कुमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए विदेशी कंपनियों के साथ रक्षा सौदों में निविदा मानकों के उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निविदा नियमों का उल्लंघन करने के

लिए किन रक्षा सौदों की सतर्कता जांच के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सिफारिश की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त सौदों में रजिस्टर किए गए भ्रष्टाचार के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे रक्षा सौदों में दोषी पाए गए अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) रक्षा सौदों में अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया और रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली के अंतर्गत पूंजीगत और राजस्व अधिप्राप्तियों के लिए उपयुक्त नियंत्रण एवं संतुलन के साथ सुपरिभाषित प्रक्रियाएं प्रचलन में हैं। इनका ईमानदारीपूर्वक पालन किया जा रहा है।

अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं की अनियमितताओं/उल्लंघनों के बारे में किसी स्रोत से शिकायतें प्राप्त होने पर इनकी जांच की जाती है और उचित जांच के बाद उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक होता है मामले को आगे की जांच के लिए उपयुक्त एजेंसी के पास भेजा जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में रक्षा खरीद में अभिकथित अनियमितताओं से संबंधित 9 मामले हैं जिनको केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जांच के लिए भेजा है। इस अवधि के दौरान, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच मामलों पर जांच शुरू की है। उपर्युक्त अवधि के दौरान मंत्रालय का कोई भी अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है।

मूल बचत बैंक जमा खाता

1317. श्री सुनील कुमार सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को मूल बैंक खातों में बिना किसी अतिरिक्त, प्रभारों के एटीएम-सह-डेबिड कार्ड सहित मूल बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) उपलब्ध कराने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बीएसबीडीए की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या हाल ही में कुछ बैंकों द्वारा उक्त निदेशों के उल्लंघन के मामले भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर बैंक-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऑल इंडिया क्रेडिट डिपॉजिट रेशो (सीडीआर) को प्राप्त करने में सफल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए/जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 10 अगस्त, 2012 को परिपत्र जारी किया है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी ग्राहकों को मूल बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) का प्रस्ताव करें। बीएसबीडीए की मुख्य विशेषताएं अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार हैं:—

- न्यूनतम शेष की कोई आवश्यकता नहीं है।
- उपलब्ध सेवाओं में बैंक शाखा और एटीएम में नकदी के जमा एवं आहरण शामिल है; इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों अथवा चैकों के संग्रहण/ज्मा के माध्यम से धन प्राप्ति/जमा करना।
- एक माह से एटीएम आहरण सहित अधिकतम चार आहरण। जमा करने के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है।
- एटीएम कार्ड अथवा एटीएम-सह-डेबिट कार्ड की सुविधा।
- ये सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त प्रभारों के उपलब्ध कराई जानी है।

आरबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार बैंक स्टाफ में बीएसबीडीए के बारे में जागरुकता की कमी के संबंध में तथा इन खातों के संवर्धन के प्रति बैंक की अनिच्छा के बारे में कुछ बैंकों के विरुद्ध कतिपय शिकायतें की गई थीं तथा आरबीआई द्वारा इन शिकायतों में उजागर किए गए मुद्दों को संबंधित बैंकों की जानकारी में लाया गया था।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवंबर, 2005 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को विभिन्न स्तरों पर बैंकों के क्रेडिट जमा अनुपात की निगरानी हेतु पैरामीटरों के कार्यान्वयन के लिए संशोधित अनुदेश जारी किए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण जमा अनुपात का वर्ष-वार बैंक-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण जमा अनुपात का बैंक-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक का नाम	दिसंबर, 2013			2013			2012			2011		
	सकल बैंक ऋण	समग्र जमा राशियां	सीडी अनुपात	सकल बैंक ऋण	समग्र जमा राशियां	सीडी अनुपात	सकल बैंक ऋण	समग्र जमा राशियां	सीडी अनुपात	सकल बैंक ऋण	समग्र जमा राशियां	सीडी अनुपात
भारतीय स्टेट बैंक	948499	1241158	76.4	907812	1130898	80.3	755924	983137	76.9	661884	859098	77.0
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	59932	70096	85.5	58509	71226	82.1	50012	61295	81.6	41776	53938	77.5
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	94989	119974	79.2	91833	121102	75.8	77633	100607	77.2	65114	89650	72.6
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	45372	56117	80.9	45990	56767	81.0	40682	49804	81.7	34674	42649	81.3
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	75268	86583	86.9	75497	88889	84.9	64160	79565	80.6	52336	68449	76.5
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	68824	92274	74.6	68629	84143	81.6	57279	70646	81.1	47195	58133	81.2
इलाहाबाद बैंक	125500	178513	70.3	125171	175824	71.2	109659	157581	69.6	93573	130367	71.8
आंध्रा बैंक	100746	130491	77.2	100286	123591	81.1	84853	105203	80.7	72279	91559	78.9
बैंक ऑफ बड़ौदा	232843	317904	73.2	230922	326734	70.7	205994	269021	76.6	171708	219679	78.2
बैंक ऑफ इंडिया	230772	327270	70.5	203960	291716	69.9	180325	246384	73.2	164362	249449	65.9
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	86066	111060	77.5	76094	91867	82.8	56959	76412	74.5	48065	66676	72.1
केनरा बैंक	265623	372898	71.2	229904	338279	68.0	223579	311774	71.7	201613	276615	72.9
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	174876	224607	77.9	175890	219896	80.0	151099	192703	78.4	131267	178307	73.6
कॉर्पोरेशन बैंक	118996	168615	70.6	118262	163557	72.3	101223	134084	75.5	87860	116602	75.4
देना बैंक	67095	90322	74.3	66267	92286	71.8	56915	73687	77.2	45159	61976	72.9
इंडियन बैंक	102469	142967	71.7	103930	133875	77.6	88353	115673	76.4	74290	102210	72.7

इंडियन ओवरसीज बैंक	151667	198531	76.4	147637	195197	75.6	128504	171371	75.0	102011	139610	73.1
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	129521	180782	71.6	130153	175764	74.0	113104	155401	72.8	97597	138697	70.4
पंजाब एंड सिंध बैंक	55142	74080	74.4	51331	64580	79.5	46244	57925	79.8	42773	55876	76.5
पंजाब नेशनल बैंक	287030	375758	76.4	283239	366527	77.3	274300	354555	77.4	229607	290785	79.0
सिंडिकेट बैंक	119978	162138	74.0	121907	157798	77.3	112289	142302	78.9	95172	118917	80.0
यूको बैंक	127964	164800	77.6	120555	134078	89.9	108660	139956	77.6	93748	126949	73.8
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	196322	262947	74.7	193063	249101	77.5	166531	211535	78.7	143522	194986	73.6
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	74808	104587	71.5	69492	97516	71.3	63903	86414	73.9	53946	75624	71.3
विजया बैंक	69080	111849	61.8	70430	96781	72.8	59540	82549	72.1	50013	73137	68.4
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	166701	168639	98.9	187279	198965	94.1	174035	186217	93.5	154770	167027	927
सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक	4176085	5534965	75.4	4054040	5246956	77.3	3551756	4615801	76.9	3056314	4046966	75.5

स्रोत: आरबीआई।

विवरण-II

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण जमा अनुपात का बैंक-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	दिसंबर, 2013			2013			2012			2011		
	सकल बैंक ऋण	समग्र जमा राशियां	सीडी अनुपात	सकल बैंक ऋण	समग्र जमा राशियां	सीडी अनुपात	सकल बैंक ऋण	समग्र जमा राशियां	सीडी अनुपात	सकल बैंक ऋण	समग्र जमा राशियां	सीडी अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	943	2434	38.7	891	2174	41.0	768	1891	40.6	674	1658	40.7
आंध्र प्रदेश	370975	324307	114.4	348044	311341	111.8	304011	269846	112.7	259955	229663	113.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अरुणाचल प्रदेश	1599	6358	25.1	1471	6790	21.7	1327	5755	23.1	1169	5116	22.9
असम	23468	66179	35.5	22504	66960	33.6	20230	58504	34.6	17378	51530	33.7
बिहार	41528	154049	27.0	40044	141916	28.2	32964	120685	27.3	27912	101801	27.4
चंडीगढ़	51732	39767	130.1	50681	36240	139.8	39745	31981	124.3	43292	30055	144.0
छत्तीसगढ़	39005	70683	55.2	37620	72420	51.9	31468	59044	53.3	26014	48814	53.3
दादरा और नगर हवेली	487	1942	25.1	451	1582	28.5	364	1242	29.3	253	917	27.6
दमन और दीव	454	2417	18.8	447	2086	21.4	344	1715	20.1	332	1423	23.3
गोवा	10053	35751	28.1	9371	32992	28.4	8414	30466	27.6	7424	26454	28.1
गुजरात	220500	318873	69.2	203210	293554	69.2	170750	254678	67.0	140355	213274	65.8
हरियाणा	109998	123852	88.8	103732	114540	90.6	94347	101661	92.8	76600	90855	84.3
हिमाचल प्रदेश	14957	44337	33.7	14614	41157	35.5	13132	34826	37.7	12069	30180	40.0
जम्मू और कश्मीर	4688	17771	26.4	4492	16225	27.7	3746	14042	26.7	3563	11916	29.9
झारखंड	29213	101896	28.7	28675	94805	30.2	25990	79960	32.5	23525	68508	34.3
कर्नाटक	245854	339853	72.3	232833	317518	73.3	213003	286645	74.3	185693	246218	75.4
केरल	114741	161095	71.2	114146	141536	80.6	98690	124665	79.2	79465	104671	75.9
लक्षद्वीप	61	670	9.1	61	620	9.8	55	566	9.7	43	526	8.2
मध्य प्रदेश	101755	191601	53.1	94733	173702	54.5	78260	146229	53.5	69357	120929	57.4
महाराष्ट्र	1106534	1238859	89.3	1074630	1211624	88.7	947898	1080072	87.8	837764	978055	85.7
मणिपुर	1516	3699	41.0	1398	4607	30.3	1228	3761	32.7	1119	3154	35.5

मेघालय	3092	11477	26.9	2802	11971	23.4	2458	9704ए	25.3	2037	8562	23.8
मिज़ोरम	1012	2768	36.6	972	2781	35.0	901	2265	39.8	889	2012	44.2
नागालैंड	1819	4935	36.9	1711	5373	31.8	1508	4827	31.2	1294	4535	28.5
एनसीटी ऑफ दिल्ली	522002	572288	91.2	531505	552244	962	473643	512269	92.5	396177	483632	81.9
ओडिशा	56696	129270	43.9	54676	116592	46.9	48564	102346	47.5	43778	84521	51.8
पुदुचेरी	4969	7020	70.8	4619	6415	72.0	3874	6062	63.9	3117	5551	56.2
पंजाब	146217	187516	78.0	142142	171341	83.0	126875	150215	84.5	107294	133576	80.3
राजस्थान	127817	146389	87.3	132471	136609	97.0	111772	117748	94.9	94480	99512	94.9
सिक्किम	1186	4275	27.7	1212	4303	28.2	1199	3608	33.2	1161	2821	41.2
तमिलनाडु	382480	315480	121.2	372442	306267	121.6	322665	278058	116.0	274722	241968	113.5
त्रिपुरा	2346	8894	26.4	2288	8534	26.8	1957	7407	26.4	1678	6288	26.7
उत्तर प्रदेश	191217	456021	41.9	183310	425858	43.0	156552	358016	43.7	137293	309310	44.4
उत्तराखंड	19706	63706	30.9	19528	58977	33.1	17231	50736	34.0	14762	44404	33.2
पश्चिम बंगाल	225464	378533	59.6	220314	355303	62.0	195823	304305	64.4	163677	254555	64.3
समग्र भारत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	4176085	5534965	75.4	4054040	5246956	77.3	3551756	4615801	76.9	3056314	4046966	75.5

स्रोत: आरबीआई।

[अनुवाद]

वन अधिकार अधिनियम

1318. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन लक्षित लाभ वनवासी समुदायों को प्रदान किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त स्वत्वों के वितरण हेतु दावों की संख्या क्या है और इनमें से कितने स्वत्व वितरित किए गए हैं, कितने अस्वीकृत हुए हैं और कितने अभी भी विलंबित पड़े हुए हैं तथा निपटाए गए दावों की कुल संख्या/दावों के संबंध में प्रतिशत क्या है और अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन में बाधक कारक क्या हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सहित बहुत से राज्यों में अधिनियम के उपबंध कार्यान्वित नहीं किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की राज्य-वार स्थिति क्या है और इस विधान के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा) : (क) जी, हां। वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के प्रति किए गए ऐतिहासिक अन्याय का प्रतिकार करने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया गया था। अधिनियम ने 31 मई, 2014 तक इस अधिनियम के तहत पात्र दावेदारों को 14,36,290 अधिकार पत्रों के संवितरण द्वारा इस अधिदेश को वास्तव में पूरा किया है।

(ख) प्रश्न के इस भाग में मांगे गए वांछित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन वर्षों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रति महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। तथापि, कुछ प्रचालानात्मक मुद्दे जैसे पंचायत स्तर पर ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना, लघु वन उत्पाद के संबंध में सामुदायिक अधिकारी की कम मान्यता, चारागाह क्षेत्र, जलाशय, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के अधिवास, चारागाह के मार्ग, दावों के निरस्तीकरण की उच्च दर इत्यादि इस मंत्रालय के ध्यान में लाए गए थे। इनका उपयुक्त रूप से मंत्रालय द्वारा समाधान किया गया है तथा 06.09.2012 को इन नियमों में उपयुक्त परिवर्तन किए गए हैं और अधिनियम के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं और अवरोधों को दूर करने तथा अधिनियम द्वारा पहले ही दिए गए अधिकारों तक अबाधित पहुंच प्रदान करने के लिए दिनांक 12.07.2012 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। मंत्रालय ने कर्नाटक सहित वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को कार्यान्वित किया है। कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्यों ने अधिनियम के कार्यान्वयन में विभिन्न आयामों में प्रगति की है। दिनांक 31.05.2014 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 37.64 लाख से अधिक दावे दायर किए गए हैं तथा 14.36 लाख से अधिक अधिकार पत्र संवितरित कर दिए गए हैं। 34 हजार से अधिक अधिकार पत्र संवितरण हेतु तैयार थे। कर्नाटक राज्य में, अब तक 2,54.577 दावे दायर किए गए हैं तथा 7,058 अधिकार पत्र संवितरित कर दिए गए हैं।

विवरण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकार पत्रों के संवितरण के लिए प्राप्त दावों तथा प्राप्त दावों के संबंध में दावों के निपटान/ प्रतिशतता की कुल संख्या सहित उनमें से संवितरित अधिकार पत्रों, निरस्त तथा तक लंबित दावों की संख्या के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे

(31.05.2014 तक)

क्र. सं.	राज्य	प्राप्त दावों की संख्या	संवितरित अधिकारों पत्रों की संख्या	निरस्त दावों की संख्या	प्राप्त दावों के संबंध में निपटा दिए गए दावों की कुल संख्या/%	लंबित दावों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4,11,012 (4,00,053	1,69,370 (1,67,263	1,65,466	3,34,838 (84.46%)	76,176

1	2	3	4	5	6	7
		व्यक्तिगत तथा 10,959 सामुदायिक)	व्यक्तिगत तथा 2,107 सामुदायिक)			
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
3.	असम	1,31,911 (1,26,718 व्यक्तिगत तथा 5,193 सामुदायिक)	36,267 (35,407 व्यक्तिगत तथा 860 सामुदायिक)	37,669	73,936 (58.04%)	57,975
4.	बिहार	2,930	28	1,644	1,672 (57.06%)	1,258
5.	छत्तीसगढ़	7,56,062	3,12,250	4,01,784	7,14,034 (94.44%)	42,028
6.	गोवा	—	—	—	—	—
7.	गुजरात	1,91,582 (1,82,869 व्यक्तिगत तथा 8,723 सामुदायिक)	42,752 (40,994 व्यक्तिगत तथा 1,758 सामुदायिक)	18,394 (13,252 व्यक्तिगत तथा 5,142 सामुदायिक)	61,146 (31.91%)	1,30,446
8.	हिमाचल प्रदेश	5,692	346	2,160	2,506 (44.02%)	3,186
9.	झारखंड	42,003	15,296	19,958	32,254 (76.78%)	9.749
10.	कर्नाटक	2,54,577 (2,50,002 व्यक्तिगत तथा 4,575 सामुदायिक)	7,058 (6,962 व्यक्तिगत तथा 96 सामुदायिक)	1,59,116 (1,56,877 व्यक्तिगत तथा 2.239 सामुदायिक)	1,66,174 (65.27%)	88,403
11.	केरल	37,535 (36,140 व्यक्तिगत तथा 1,395 सामुदायिक)	24,599	7,889	32,488 (86.55%)	5,047
12.	मध्य प्रदेश	5,16,189 (4,88,498 व्यक्तिगत तथा 27,691 सामुदायिक)	1,87,392 संवितरित हेतु तैयार (1,75,136 व्यक्तिगत, 12,256 सामुदायिक तथा 15,413)	2,81,396 (एसटी-40.03%) (ओटीडी-97.14%)	4,68,788 (90.81%)	47,401

1	2	3	4	5	6	7
13.	महाराष्ट्र	3,46,230 (3,41,085 व्यक्तिगत तथा 5,145 सामुदायिक)	1,03,797 (1,01,426 व्यक्तिगत तथा 2,371 सामुदायिक)	2,33,720 (2,31,641 व्यक्तिगत तथा 2,079 सामुदायिक)	3,37,517 (97.48%)	8,713
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—
16.	मिज़ोरम	—	—	—	—	—
17.	ओडिशा	5,63,154 (5,51,109 व्यक्तिगत तथा 12,045 सामुदायिक)	3,33,01 (3,29,805 व्यक्तिगत तथा 3,196 सामुदायिक)	1,35,937 (1,35,264 व्यक्तिगत तथा 673 सामुदायिक)	4,68,938 (83.26%)	94,216
18.	राजस्थान	69,775 (69,123 व्यक्तिगत तथा 652 सामुदायिक)	34,147 (34,082 व्यक्तिगत तथा 65 सामुदायिक)	33,515	67,662 (96.97%)	2,113
19.	सिक्किम	—	—	—	—	—
20.	तमिलनाडु	21,781 (18,420 व्यक्तिगत तथा 3,361 सामुदायिक)	(3,723 अधिकार पत्र तैयार हैं)	—	—	21,781
21.	त्रिपुरा	1,82,617 (1,82,340 व्यक्तिगत तथा 227 सामुदायिक)	1,20,473 (1,20,418 व्यक्तिगत तथा 55 सामुदायिक)	21,384 (21,164 व्यक्तिगत तथा 220 सामुदायिक)	1,41,857 (77.68%)	40,760
22.	उत्तर प्रदेश	92,433 (91,298 व्यक्तिगत तथा 1,135 सामुदायिक)	17,705 (16,891 व्यक्तिगत तथा 814 सामुदायिक)	73,028	90,733 (38.16%)	1,700
23.	उत्तराखंड	182	—	1	1 (0.54%)	181
24.	पश्चिम बंगाल	1,38,640 (1,35,442 व्यक्तिगत तथा 3,198 सामुदायिक)	31,809 संवितरित तथा 15,282 अधिकार पत्र तैयार	30,775	62,584 (45.14%)	78,056

1	2	3	4	5	6	7
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	
26.	दमन और दीव	—	—	—	—	—
27.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—
	कुल	37,64,315 (36,97,966 व्यक्तिगत तथा 84,349 सामुदायिक)	14,36,290 (14,12,712 व्यक्तिगत तथा 23,578 सामुदायिक तथा 34,421 संवितरण हेतु तैयार	16,20,836 (16,10,483 व्यक्तिगत तथा 10,353 सामुदायिक)	30,57,126 (81.21%)	7,07,189

जनजातियों के अधिकारों के प्रति जागरुकता

1319. श्रीमती मौसम नूर : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिसंख्य आदिवासी अपने संवैधानिक अधिकारों से अनभिज्ञ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के विभिन्न उपबंधों के बारे में जागरुकता अभियान शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन संचार माध्यमों/पद्धतियों का उपयोग किया गया है;

(घ) क्या जागरुकता अभियान में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को शामिल किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पहल में राज्य सरकारों द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है; और

(च) इस जागरुकता अभियान के परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कई राज्यों ने जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने, स्थानीय स्तर पर कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण, वन अधिकार समितियों तथा मुख्य प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों की सहायता ली है।

(च) वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जागरुकता अभियान के परिणामस्वरूप, राज्यों में वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों की पहचान करने के लिए तंत्र एवं व्यवस्था बनाई है, वामपंथी उग्रवाद के क्रियाकलापों से प्रभावित कुछ राज्यों ने वन निवासियों के खिलाफ पुराने बचे हुए वन के मामले वापस लेने के लिए कदम उठाए हैं, दावों की अस्वीकृति की उच्च दर वाले राज्यों ने अस्वीकृत दावों की समीक्षा शुरू कर दी है, कई राज्यों ने अधिकार प्राप्तकर्त्ताओं को आजीविका तथा अन्य विकास की योजनाओं के साथ जोड़ा है, कई राज्य सामुदायिक अधिकारों की पहचान करने में आगे बढ़ गए हैं।

अनुमोदन हेतु लंबित परियोजनाएं

1320. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार योजना आयोग के पास लंबित परियोजनाओं/प्रस्तावों की राज्य-वार सूची क्या है तथा ये परियोजनाएं किस तिथि से लंबित हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान नहीं करने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्यों से इन परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रदान करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) : (क) से (ङ) योजना आयोग के पास अनुमोदन हेतु कोई भी परियोजना/प्रस्ताव लंबित नहीं है। योजना आयोग अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए), विशेष योजना सहायता और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के राज्य घटक जैसी स्कीम के तहत परियोजनाओं/प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करता है। राज्यों के साथ वार्षिक राज्य योजना पर चर्चा के पश्चात्, राज्यों द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और विशेष योजना सहायता परियोजनाओं को, अनुमोदित सहायता की सीमा के भीतर, अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भेजा जाता है। वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक योजना पर अभी चर्चा की जानी है।

तथापि, योजना आयोग को बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। बिहार सरकार ने दिसंबर, 2016-17 के दौरान श्री गुरू गोविंद सिंह जी की 350वीं वर्षगांठ हेतु तैयार किए गए मास्टर प्लान के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने क्रमश: वर्ष 2016 और 2015-16 के दौरान अपने राज्यों में आयोजित किए जाने वाले कुंभ मेलों के लिए मास्टर प्लान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। ओडिशा सरकार ने वर्ष 2015 के दौरान जगन्नाथ मंदिर में नवकलेवर समारोह आयोजित करने के लिए अवसंरचना विकास हेतु एकबारगी केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया है।

सीमा हाट

1321. श्री विनसेंट एच. पाला :
श्री जितेन्द्र चौधरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमा, विशेषत: पूर्वोत्तर राज्यों में वर्तमान में कार्यशील सीमा हाटों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे हाटों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी, का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे हाटों पर कितना व्यय किया गया है तथा उक्त अवधि के दौरान उससे कितना राजस्व सृजित हुआ है;

(घ) क्या सरकार की देश में और अधिक सीमा हाटा स्थापित करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थान क्या हैं तथा इस पर अनुमानत: कितना व्यय होगा; और

(च) देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में ऐसे हाटों का क्या योगदान हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) मेघालय में वर्तमान में दो सीमा हाट कार्य कर रहे हैं, जिनमें से एक पश्चिम गारो हिल्स जिले में कलईचर में तथा दूसरा बलात पूर्वी खासी हिल्स जिले में अवस्थित है।

(ख) प्रचालनरत दो सीमा हाटों के अतिरिक्त गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार तथा बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार ने त्रिपुरा के कमलासागर, श्रीनगर, पालबस्ती तथा कमालपुर में चार अन्य सीमा हाटों को अनुमोदित किया है।

(ग) आज की तारीख तक सीमा हाटों के निर्माण हेतु अब तक स्वीकृत कुल व्यय 4,67,60,000/- (चार करोड़ सड़सठ लाख तथा साठ हजार रुपए मात्र) है। भारत गणराज्य की सरकार तथा बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार विनिर्दिष्ट सीमा हाटों में बेची जाने वाली वस्तुओं को सीमाशुल्क भुगतान से छूट प्रदान की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ मेघालय राज्य के 22 स्थानों की सूची साझा करते हुए इन स्थानों पर सीमा हाटों की स्थापना हेतु अपनी सम्मति सूचित की है।

(च) सीमा हाटों की स्थापना का उद्देश्य स्थानीय बाजारों के जरिए स्थानीय उत्पादों के विपणन की परंपरागत प्रणाली की स्थापना कर दोनों देशों की सीमाओं के आरपार दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों हेतु कल्याणकारी उपायों का संवर्धन करना है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल

1322. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री प्रतापराव जाधव :
श्री जैदेव गल्ला :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में विकास परियोजनाओं का निष्पादन करने की जिम्मेदारी सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख की स्थिति के अनुसार उक्त माडल के आधार पर देश में निष्पादित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारने प्रणाली की प्रमाणिकता और कार्यकुशलता का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में पीपीपी माडल को विकसित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने प्रस्तावित हैं; और

(ङ) क्या योजना आयोग ने स्वास्थ्य परिचर्या में पीपीपी पद्धति पर कोई परामर्शी दस्तावेज बनाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) : (क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया गया है कि अवसंरचना विकास में पर्याप्त निवेश करना उच्चतर वृद्धि की पूर्व-शर्त है। तद्नुसार, योजनावधि (2012-17) के दौरान अवसंरचना (जिसमें बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क और पुल, दूरसंचार, रेलवे, जलसंभर सहित सिंचाई, जलापूर्ति और स्वच्छता, अंतर्देशीय जलमार्गों सहित पत्तन, विमानपत्तन, तेल तथा गैस पाइपलाइनें तथा भंडारण शामिल हैं) में 55,74,663 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया है किन्तु, बजटीय संसाधनों की कमी तथा ऐसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के प्रति सरकार में क्षमता के अभाव को देखते हुए, सरकार की कार्यनीति काफी हद तक, आर्थिक रूप से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं में सार्वजनिक निवेश, निजी भागीदारी और विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक-निजी भागीदारी के समेकन में निवेश बढ़ाने पर निर्भर है।

(ख) 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, देश में पीपीपी अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:—

क्र. सं.	मंत्रालय/क्षेत्रक	पूर्ण परियोजनाएं		कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं	
		परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6
	केन्द्रीय क्षेत्रक				
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	75	31,404	161	1,55,438
2.	प्रमुख पत्तन	29	12,964	29	8,561
3.	रेलवे	4	1,561	3	3,441
4.	विमानपत्तन	3	5,883	2	25,237
	कुल (केंद्रीय क्षेत्रक)	111	51,812	195	1,92,677
	राज्य क्षेत्रक				
1.	सड़क	166	22,445	187	65,038
2.	पत्तन	28	33,162	18	28,411
3.	शहरी अवसंरचना	179	7,568	144	47,496
4.	विद्युत	26	36,580	121	1,13,491

1	2	3	4	5	6
5.	रेलवे			2	1,357
6.	विमानपत्तन			1	141
7.	अन्य क्षेत्रक	183	9,861	126	20,371
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	582	1,09,615	599	2,76,305
	कुल योग	693	1,61,427	794	4,68,982

(ग) और (घ) सरकार ने प्रणाली की प्रामाणिकता तथा कुशलता संबंधी कोई आकलन नहीं किया है। तथापि, अवसंरचना परियोजनाओं में पीपीपी मॉडल के मुख्य लाभ निम्नांकित हैं:—

- अवसंरचना क्षेत्रक में निजी निवेश को प्रोत्साहन
- सार्वजनिक प्रत्यक्ष व्यय में कमी
- सार्वजनिक बजट का उपयोग अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में किया जा सकता है
- निजी क्षेत्रक से नवप्रवर्तन का सूत्रपात करना तथा कुशलता में वृद्धि
- स्थानीय पूंजी बाजार का विकास
- सार्वजनिक संस्थानों के आकार को सही करना
- प्रयोक्ताओं को बेहतर सेवाएं तथा शीघ्र डिलीवरी

(ङ) योजना आयोग स्वास्थ्य सेवा में पीपीपी संबंधी एक परामर्श-पत्र तैयार कर रहा है।

[अनुवाद]

हथियार और गोलाबारूद की कमी

1323. श्री रत्न लाल कटारिया :
डॉ. थोकचोम मेन्या :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सशस्त्र सेनाओं के लिए हथियारों और गोलाबारूद की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इसका देश की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) रक्षा हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के प्रस्ताव रक्षा अधिप्राप्ति योजना प्रक्रिया के अनुसार चलाए जाते हैं जिसमें 15 वर्षीय दीर्घावधिक एकीकृत संदर्शी योजना (एलटीआईपीपी), पंचवर्षीय सेना पूंजी अधिग्रहण योजना (एससीएपी) तथा वार्षिक अधिग्रहण योजना (एएपी) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गोलाबारूद की आवश्यकता के लिए एक गोलाबारूद कार्य-योजना अनुमोदित की गई है।

आवश्यकता और उपलब्धता के मध्य असंतुलन की स्थितियां होती हैं जिसका नियमित रूप से निवारण किया जाता है। सशस्त्र सेनाएं किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए संक्रियात्मक तैयारी की स्थिति में रहती हैं।

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

1324. श्री राजीव सातव :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री धनंजय महाडीक :
श्री डी.के. सुरेश :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2013-14 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित/प्राक्कलित वृद्धि क्या रही है;

(ख) वर्ष 2013-14 की अनुमानित/प्राक्कलित जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् कृषि, अवसंरचना और सेवा क्षेत्र इत्यादि का प्रत्याशित योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2014-15 के दौरान देश की विकास दर में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2014-15 के दौरान जीडीपी के कितना रहने का अनुमान है तथा वे कौन से कारक हैं जिनके जीडीपी में तेजी लाने में योगदान देने की संभावना है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमानों के अनुसार 2013-14 में स्थिर मूल्य (2004-05) पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 4.7 प्रतिशत थी।

(ख) सकल घरेलू उत्पादन के अनंतिम अनुमानों के अनुसार 2013-14 के दौरान स्थिर मूल्य (2004-05) पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध सेक्टरों (कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी), उद्योग सेक्टर तथा सेवा सेक्टर का योगदान क्रमशः 13.9 प्रतिशत, 26.1 प्रतिशत और 59.9 प्रतिशत था।

(ग) और (घ) वर्ष 2013-14 की तुलना में 2014-15 के दौरान देश की विकास दर बढ़ सकती है। आर्थिक समीक्षा 2013-14 के अनुसार 2014-15 में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास धीरे-धीरे सुधरकर 5.4 प्रतिशत से 5.9 प्रतिशत होने की संभावना है। 2014-15 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के विकास के धीरे-धीरे सुधार लाने में औद्योगिक विकास का पुनरुद्धार, स्थिर चालू खाता द्वारा दर्शित उन्नत विदेशी आर्थिक स्थिति, तेल की कीमतों संबंधी सामान्यतः अनुकूल संभावना, सुधरी हुई राजकोषीय स्थिति, वैश्विक विकास में मामूली सुधार आदि जैसे कारकों से योगदान मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य नीति

1325. श्रीमती पूनमबेन माडम :
श्री शैलेश कुमार :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में देश के स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र की प्रगति पूरी तरह से अपर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उनके द्वारा चलाई जा रही विद्यमान नीति/योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जा रही स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसमें पायी गई कमियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए एक नई स्वास्थ्य नीति प्रतिपादित करने का प्रस्ताव करती है और यदि हां, तो विद्यमान नीति में संभावित प्रमुख परिवर्तनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभवना है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य परिचर्या को नागरिकों के मूलाधिकार के रूप में घोषित करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) जन स्वास्थ्य के राज्य का विषय होने के कारण लोगों को उत्तम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), जिसमें दो उपमिशन के तौर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शामि हैं, के अंतर्गत केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदान करने के लिए सहयोग सहित उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सम्पूरित करती है।

(ख) एनआरएचएम/एनएचएम मंत्रालय की फ्लेगशिप स्कीम है। एनआरएचएम के क्रियान्वयन की समीक्षा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण (डीएलएचएस), वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएचएस) और नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) जैसे बाह्य सर्वेक्षणों के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में एनएफएचएस-4 सर्वेक्षण चल रहा है। योजना आयोग की आरे से आर्थिक विकास संस्थान ने एनआरएचएम का मूल्यांकन कराया है। इसके अतिरिक्त, सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) भी प्रत्येक वर्ष एनआरएचएम/एनएचएम की समीक्षा करता है।

(ग) यह सूचना सार्वजनिक डोमेन में निम्नानुसार उपलब्ध हैं:—

DLHS 4:

https://nrhm-mis.nic/SitePages/DLHS-4.aspx

AHS:

http://www.censusindia.gov.in/vital_statistics/AHS

SRS:

http:/www.censusindia.gov.in/vital_statistics/SRS

Report 2012/1 Contents 2012.pdf

एनआरएचएम का मूल्यांकन: आर्थिक विकास संस्थान

http://planningcommission.nic.in/report/peoreport/peoevalu/peo2807.pdf

सीआरएम रिपोर्टें:

http://nrhm.gov.in/monitoring/common-review-mission/7th-common-review-mission.html

सामान्य समीक्षा मिशन की अभियुक्तियों और आर्थिक विकास संस्थान द्वारा किए गए बाह्य मूल्यांकन का सार अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

(घ) मंत्रालय ने एक नयी स्वास्थ्य नीति के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

(ङ) वर्तमान में स्वास्थ्य परिचर्या के अधिकार के संबंध में कोई कानून सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

विवरण

टिप्पणियों का सार

1. विभिन्न सामान्य समीक्षा मिशन विशिष्ट राज्यों के क्रियान्वयन संबंधी प्रगति और कमियों को उजागर करते हैं। सीआरएम के भागीदार होने के कारण, समीक्षाधीन सभी घटकों के लिए अनुमत बहु-पणधारक विश्लेषण, गहन निगरानी तथा सिफारिशों का उपयोग जिला तथा राज्य के लिए योजना तैयार करने के लिए किया जाता है। साझा अभियुक्तियां स्वास्थ्य मानव संसाधन की कमियों, विशेषकर विशेषज्ञों की, प्रापण के मुद्दों, एसएनसीयू की धीमी प्रगति और स्वास्थ्य केंद्र आधारित नवजात परिचर्या, फुटकर खर्च (यद्यपि यह 2005 के स्तर से नीचे आया है), पीपीपी, वीएचएनसी और आरकेएस के सीमित प्रगति, परिवार नियोजन और किशोर स्वास्थ्य आदि जैसे क्षेत्रों की ओर ध्यान न देने से संबंधित हैं।

2. योजना आयोग ने 2010-11 में आईईजी के माध्यम से 37 जिलों, भारत के सात राज्यों- पांच अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्यों और 2 सामान्य ध्यान दिए जाने वाले राज्यों में आईईजी के माध्यम से एक बाह्य मूल्यांकन कराया है। अध्ययन से पता चला है कि झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अध्ययन से यह भी पता चला है कि एचआर की कमियों, विशेषकर विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के कार्य में सीमित प्रगति हुई है। चिकित्सा अधिकारियों के संबंध में, कई राज्य लक्ष्य से अभी भी पीछे चल रहे थे। अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्यों में लगभग 05-06 एएनएम/जीएनएम विद्यालय संचालित हो रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय वर्ष 12-13 के आस-पास स्थिति में सुधार आया है। 'आशा' के संबंध में पाए गए निष्कर्ष दर्शाते हैं कि एएनएम और एडब्ल्यूडब्ल्यू के साथ उच्च स्तरीय समन्वय किया गया था तथा पीआरआई सदस्यों के साथ यह कम था। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि वीएचएसएनसी और स्थानीय योजना में कम गतिविधि हुई है। कुल मिलाकर, 'आशा' सुविधा प्रदायक की अपनी भूमिका में कार्यरत पाई गई थी। अध्ययन दर्शाता है कि प्रथम रेफरल इकाई (एफआरयू) के प्रचालन के संबंध में कम प्रगति हुई है और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर ज्यादातर राज्यों में रोगी कल्याण समितियां (आरकेएस) स्थापित की गई थीं। राज्य कम से कम जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत प्रबंधन के लिए मंच तैयार करने के संबंध में कार्य कर रहा है, यद्यपि बैंक खातों का एकीकरण अपूर्ण प्रतीत होता है।

काले धन संबंधी विशेष जांच दल

1326. डॉ. ए. सम्पत :
श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान :
श्री धर्म वीर गांधी :
श्री कपिल मोरेश्वर पाटील :
श्री हेमन्त तुकाराम गोडासे :
श्री राजन विचारे :
श्री जितेन्द्र चौधरी :
श्री भगवंत मान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिस्टेनटाइन बैंक में खाता रखने वाले ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार की जांच पूरी हो चुकी है जिनके नाम जर्मनी ने भारत को बताए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या निकले हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा अधिसूचित विचारार्थ विषय काले धन संबंधी विशेष जांच दल को लिस्टेनटाइन बैंक में खाताधारकों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई करने और उनके विरुद्ध पूरी हो चुकी जांच की समीक्षा करने की अनुमति देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) मार्च, 2009 में, भारत और जर्मनी के बीच दोहरे कराधान

परिहार करार के अंतर्गत जर्मन कर प्राधिकारियों से लिस्टेनटाइन में एलजीटी बैंक में 12 न्यासों/संस्थाओं द्वारा रखे गए खातों में जमा/बकाया राशियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। इन 12 न्यासों/संस्थाओं में भारतीय मूल के/राष्ट्रीयता रखने वाले 26 व्यक्ति शामिल हैं। इन मामलों में, जहां कहीं भी अपेक्षित था आय के निर्धारण, जुर्माना लगाने और अभियोजन संबंधी कार्यवाहियों सहित प्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत उचित कार्रवाई की गई है।

(ख) 26 व्यक्तियों में से 6 व्यक्ति संगत अवधि के दौरान अनिवासी पाए गए थे और तद्नुसार आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अंतर्गत आरंभ की गई कार्यवाहियां बंद कर दी गई थीं। एक व्यक्ति द्वारा सृजित एक अन्य न्यास के मामले में, जिसमें उसके सहित तीन लाभभोगी, शामिल थे, अन्य दो लाभभोगियों के मामले में पुनर्निर्धारण कार्यवाहियां बंद कर दी गई थीं और आय को न्यास के सृजनकर्ता के पास कर के अंतर्गत लाया गया था। 18 मामलों में निर्धारण कार्रवाई पूरी कर ली गई थी और 37.58 करोड़ रुपए की राशि को कर के अंतर्गत लाया गया है जो ऐसे अप्रकट विदेशी खातों के कारण प्रकट हुई थी और 24.24 करोड़ रुपए की कर मांग जारी की गई। अधिनियम की धारा 271(1)(ग) के अंतर्गत लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि का जुर्माना लगाया गया है। 17 व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 276(ग)(1) के अंतर्गत जानबूझकर कर अपवंचन करने के प्रयास के लिए अभियोजन की कार्रवाई भी आरंभ की गई थी। एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है।

(ग) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 2009 की 176 में दिनांक 4.7.2011 के आदेश के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि:—

"इस न्यायालय के आज के आदेशों के अनुसरण में गठित विशेष जांच दल उन व्यक्तियों की जांच के मामले को भी हाथ में लेगा जिनके नामों का जर्मनी द्वारा लिस्टेनटाइन में बैंकों में खाते रखने पर प्रकट किया गया है और शीघ्रता से जांच करेगा। विशेष जांच दल समाप्त दिए जा चुके मामलों की भी इस संबंध में यह आकलन करने हेतु समीक्षा करेगा कि क्या जांच कार्य सुचारु रूप से और उचित रूप से किए गए हैं या नहीं और इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि इसमें आगे और जांच किए जाने की आवश्यकता है, मामले में लगे कार्रवाई करेगा..."

(घ) ब्यौरा उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर में दिए गए अनुसार है।

अनुपूरक पोषण कार्यक्रम

1327. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : क्या महिला और विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाएं/कार्यक्रम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने पूरे देश में आईसीडीएस की अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एनएनपी) के अंतर्गत अनुसंशित आहार भत्ता (आरडीए) और औसत आहार उपयोग (एडीआई) के बीच अंतराल की पाटने के लिए लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के लिए लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एसएनपी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश भर में एसएनपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। स्कीम का उद्देश्य बुनियादी स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 सेवाओं का पैकेज प्रदान कर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती एवं धात्री माताओं का समग्र विकास करना है। इस पैकेज में (i) पूरक पोषण (ii) स्कूल-पूर्व शिक्षा (iii) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (iv) प्रतिरक्षण (v) स्वास्थ्य जांच तथा (vi) रैफरल सेवाएं शामिल हैं। इन 6 सेवाओं में से 3 सेवाएं अर्थात् प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच तथा रैफरल सेवाएं स्वास्थ्य संबंधित हैं और एनआरएचएम तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) चूंकि, विद्यमान कैलौरी संबंधी मानक अनुशंसित आहार भत्ता (आरडीए) तथा औसत आहार खुराक (एबीआई) के बीच के अंतर को पूरा करने में पर्याप्त नहीं थे, भारत सरकार ने यथोचित विचार-विमर्श करने के बाद तथा विशेषज्ञों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 24.02.2009 को विस्तृत संशोधित पौषणिक तथा भोजन संबंधी मानदंड जारी किए। ये दिशानिर्देश 0-6 माह, 6 माह से 3 वर्ष तथा 3 वर्ष से 6 वर्ष के आयु समूहों और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान किए जाने वाले अनुपूरक पोषण के प्रकार को निर्दिष्ट करते हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने की सलाह दी गई है ताकि जिस उद्देश्य के लिए ये जारी किए गए थे, वह उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।

आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत अनुपूरक पोषण के लिए लाभान्वितों की दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्शाने वाला ब्यौरा जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है, संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2011-12 से 2013-14 तथा 2014-15 (30.06.2014 तक) के लिए राज्य की भागीदारी सहित निर्मुक्त किए गए सहायतानुदान तथा सूचित किए गए व्यय का आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति/उपलब्धियों का आवधिक आकलन और अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एक माह में दिए गए एसएनपी दिवसों की संख्या, प्रदायगी की पद्धति, पौषणिक तथा आहार मानदंडों का अनुपालन, वितरण में नियमितता आदि) सहित स्कीम के विभिन्न घटकों के कार्यकरण में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। इसे व्यापक रूप से मॉनीटरिंग रिपोर्टों तथा समीक्षा बैठकों के माध्यम से किया जाता है।

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त, स्कीम के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग भारत सरकार को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई मासिक प्रगति रिपोर्टों तथा तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है। एक बहुत ही उच्चस्तरीय विकेंद्रीकृत कार्यक्रम होने के कारण, परिभाषित कार्यों के साथ-साथ 5 टियर मॉनीटरिंग तंत्र राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक तथा आंगनवाड़ी स्तर नामक सभी स्तरों पर स्कीम के क्रियान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग का कार्य भी सौंपा गया है। हाल ही में सरकार द्वारा अनुमोदित आईसीडीएस के सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्गठन के अंतर्गत मआईस में भी संशोधन किया गया है। उपर्युक्त मुद्दों के संबंध में लक्ष्य का वांछित स्तर प्राप्त करने में यदि किसी प्रकार की बाधा आती है तो उन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संज्ञान में आवश्यक उपचारी कार्रवाई के लिए लाया जाएगा।

एसएनपी मानकों के संशोधन सहित आईसीडीएस का सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्गठन एसएनपी की प्रदायगी प्रणाली में सुधार करने की दिशा में भी एक कदम है। एसएनपी सहित स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयुक्त कार्यान्वयन तथा निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए, निधियों की निर्मुक्ति को पुनर्गठित आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत उनके वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना की प्रस्तुति तथा अनुमोदन के साथ जोड़ दिया जाएगा।

विवरण-I

दिसम्बर, 2013 तक की स्थिति के अनुसार आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण के लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पूरक घोषणा के लाभार्थी				
		बच्चे (6 माह-3 वर्ष)	बच्चे (3-6 वर्ष)	कुल बच्चे (6 माह-6 वर्ष)	गर्भवती एवं धात्री माताएं	कुल लाभार्थी (6 माह-6 वर्ष) के बच्चे तथा गर्भवती एवं धात्री माताएं)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2740335	1684884	4425219	1391149	5816368
2.	अरुणाचल प्रदेश	111296	114811	226107	28720	254827
3.	असम	1015405	1195597	2211002	400115	2611117
4.	बिहार	5591209	5406175	10997384	1753155	12750539
5.	छत्तीसगढ़	1183978	871329	2055307	493718	2549025
6.	गोवा	33066	17912	50978	15246	66224
7.	गुजरात	1665764	1433314	3099078	755356	3854434

1	2	3	4	5	6	7
8.	हरियाणा	730221	368487	1098708	327488	1426196
9.	हिमाचल प्रदेश	272263	164553	436816	102270	539086
10.	जम्मू और कश्मीर	359617	298654	658271	176399	834670
11.	झारखंड	1460752	1213668	2674420	714204	3388624
12.	कर्नाटक	2209378	1666222	3875600	968534	4844134
13.	केरल	412757	414746	827503	171886	999389
14.	मध्य प्रदेश	3185120	2891141	6076261	1372501	7448762
15.	महाराष्ट्र	3022825	2951154	5973979	1172226	7146205
16.	मणिपुर	175636	179540	355176	75010	430186
17.	मेघालय	173180	190772	363952	63753	427705
18.	मिज़ोरम	43570	29832	73402	19832	93234
19.	नागालैंड	163578	140393	303971	62645	366616
20.	ओडिशा	2008804	1880716	3889520	818129	4707649
21.	पंजाब	473479	395093	868572	224368	1092940
22.	राजस्थान	1748123	1111533	2859656	861861	3721517
23.	सिक्किम	12790	12169	24959	3991	28950
24.	तमिलनाडु	1713928	693391	2407319	682977	3090296
25.	त्रिपुरा	134018	146099	280117	77315	357432
26.	उत्तर प्रदेश	11449717	8648766	20098483	4981316	25079799
27.	उत्तराखंड	114263	199468	313731	43024	356755
28.	पश्चिम बंगाल	3476332	3494476	6970808	137851	7108659
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9209	3938	13147	3634	16781
30.	चंडीगढ़	21780	17907	39687	9087	48774
31.	दिल्ली	525114	384115	909229	170810	1080039
32.	दादरा और नगर हवेली	8453	6677	15130	2941	18071

1	2	3	4	5	6	7
33.	दमन और दीव	3128	2415	5543	992	6535
34.	लक्षद्वीप	2360	2289	4649	1665	6314
35.	पुदुचेरी	25063	1044	26107	9334	35441
	अखिल भारत	46276511	38233280	84509791	18093502	102603293

विवरण-II

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 (30 जून, 2014 तक) पूरक पोषण हेतु निर्मुक्त राशि और राज्य के अंशदान सहित राज्यों द्वारा सूचित व्यय दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15
		निर्मुक्त राशि	राज्य के अंशदान सहित राज्यों द्वारा सूचित व्यय	निर्मुक्त राशि	राज्य के अंशदान सहित राज्यों द्वारा सूचित व्यय	निर्मुक्त राशि	राज्य के अंशदान सहित राज्यों द्वारा सूचित व्यय	निर्मक्त राशि (30 जून, 2014 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	48307.39	87975.62	37662.72	72278.17	40877.32	95882.08	16454.36
2.	बिहार	35452.88	77217.20	46532.02	102710.29	51022.67	129656.98	25139.25
3.	छत्तीसगढ़	14714.72	30150.63	14092.83	31977.50	15794.18	26113.39	6190.70
4.	गोवा	410.97	775.22	314.32	810.99	385.92	145.68	189.26
5.	गुजरात	36389.64	47957.78	23377.77	51413.94	17414.66	32538.84	10103.65
6.	हरियाणा	6391.63	12275.30	7365.95	15301.1	6732.32	13273.90	4066.46
7.	हिमाचल प्रदेश	2819.49	5638.74	2966	5905.90	3067.82	4329.95	1493.42
8.	जम्मू और कश्मीर	1949.76	5132.94	2677.56	9116.53	5631.95	सूचना नहीं दी गई	2815.98
9.	झारखंड	12136.86	31917.69	18786.19	34214.16	18055.44	36908.13	10020.04
10.	कर्नाटक	31664.85	58234.82	24787.96	67708.24	24820.33	47394.42	8113.92
11.	केरल	7459.55	6807.06	4503.83	12902.64	4511.22	8803.66	2693.68
12.	मध्य प्रदेश	52322.73	89365.76	57573.72	104226.68	42386.37	94197.54	24816.15
13.	महाराष्ट्र	66743.56	109818.25	54568.47	115271.56	43029.81	73607.87	20737.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	ओडिशा	32289.69	54602.92	27463.28	56667.06	29109.00	74539.13	12205.35
15.	पंजाब	9001.16	10353.44	4475.86	9900.85	6174.61	3588.44	3054.99
16.	राजस्थान	26747.43	50048.53	22656.26	56630.74	24075.05	53197.71	10627.37
17.	तमिलनाडु	17072.64	24892.23	17979.7	53409.86	22639.02	47052.00	6791.69
18.	उत्तर प्रदेश	131600.18	268028.07	117953.04	239629.62	126054.32	296289.68	58519.52
19.	उत्तराखंड	1313.20	3976.34	1041.8	2458.35	1751.25	9436.50	1433.67
20.	पश्चिम बंगाल	36926.45	66031.39	33100.13	73477.86	35245.14	39646.01	18835.82
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	120.80	497.16	130.34	498.98	101.37	775.78	117.84
22.	चंडीगढ़	189.23	425.55	253.72	459.70	265.39	516.52	341.99
23.	दादरा और नगर हवेली	53.10	0.00	83.44	सूचना नहीं दी गई	98.78	सूचना नहीं दी गई	123.48
24.	दमन और दीव	32.38	181.14	93.42	156.24	100.41	181.80	67.34
25.	लक्षद्वीप	29.69	151.48	44.53	113.91	29.02	93.07	46.96
26.	दिल्ली	2017.30	9140.00	7355.75	13649.5	6249.29	11150.62	2657.43
27.	पुदुचेरी	1016.39	663.22	0.00	781.45	177.71	328.30	99.89
28.	अरुणाचल प्रदेश	2760.74	3454.97	2746.72	3188.94	3492.73	1226.91	1325.33
29.	असम	30082.76	37635.40	33709.63	31897.16	34300.52	14200.37	21183.50
30.	मणिपुर	2248.30	2248.30	2946.24	सूचना नहीं दी गई	4449.10	कोई नहीं	1989.84
31.	मेघालय	5953.12	6585.16	5778.26	6341.46	8110.80	8110.77	2600.05
32.	मिज़ोरम	1867.08	2502.08	2483.49	2798.49	2481.65	3036.99	1002.17
33.	नागालैंड	4855.60	4855.60	3893.84	3893.84	3445.56	3790.12	1781.08
34.	सिक्किम	563.44	907.42	650.54	849.55	587.68	741.74	734.59
35.	त्रिपुरा	6746.08	7167.66	2127.24	2363.58	4000.16	5815.48	1998.81
	कुल	630250.79	1117615.07	582176.57	1183004.84	586668.57	1136570.38	280373.34

[हिन्दी]

रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव

1328. **श्री जगदम्बिका पाल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुपए की गिरावट के देश के संपूर्ण विकास और विदेशी व्यापार में संलग्न भारतीय कंपनियों के कार्यनिष्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशी व्यापार तथा भारतीय कंपनियों के कार्यनिष्पादन सहित देश के आर्थिक विकास पर रुपए के अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या विशिष्ट उपाय गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) किसी भी अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर अनेक कारकों का निर्भर करती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी निर्माण तथा बचत की दर, प्रौद्योगिकी का उपयोग, अवसंरचना की उपलब्धता, संसाधन आबंटन की दक्षता, संस्थाओं की गुणवत्ता, अभिशासन तथा लागू नीतिगत व्यवस्था शामिल हैं। मुद्रा के अवमूल्यन/मूल्य ह्रास से आमतौर पर आर्थिक विकास पर सीधे-सीधे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह निर्यात और आयात को प्रभावित करके आर्थिक विकास पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। इसके दृष्टिगत, रुपए के अवमूल्यन के कारण आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में किसी सही-सही अनुमान पर पहुंचना कठिन है।

रुपए के अवमूल्यन से कुछ क्षेत्रों को बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि भारतीय कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करना सस्ता हो जाता है। दूसरी ओर, ऐसी स्थिति में आयात पहले से अधिक महंगा हो जाता है। इसके कारण आयातित वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भर कुछ क्षेत्रों और कंपनियों में आउटपुट बाधित हो सकता है। अवमूल्यन के कारण जिन घरेलू कंपनियों के तुलन पत्रों में विदेशी मुद्रा में ऋण का घटक प्रदर्शित होता हो उनके लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो सकती है और ऐसी स्थिति विशेष रूप से तब उत्पन्न होती है जब विदेशी मुद्रा से संबंधित देयताओं का पर्याप्त रूप से समाधान न किया गया हो। जैसाकि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट होता है, रुपए के अवमूल्यन तथा देश द्वारा किए जा रहे निर्यात और आयात के बीच सीधे-सीधे कोई संबंध नहीं है।

वर्ष	रुपए की विनियम दर अमेरिकी डॉलर के साथ	(+) मूल्यवृद्धि/ (-)मूल्यह्रास	निर्यात में वृद्धि (प्रतिशत में)	आयात में वृद्धि
2011-12	47.9	(-)4.9	21.8	32.3
2012-13	54.4	(-)11.9	(-)1.8	0.3
2013-14	60.5	(-)10.1	4.1	(-)8.3

(ग) विनिमय दर नीति किसी अवधि के दौरान विनिमय दर में घट-बढ़ को एक व्यवस्थित रूप में बनाए रखने के लिए अंतर्निहित मांग और आपूर्ति की स्थितियां को अनुमत करते हुए लोच सहित विनिमय दरों की सावधानीपूर्वक निगरानी और प्रबंधन से संबंधित व्यापक सिद्धांतों द्वारा निर्देशिता होती है। भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जुलाई-सितंबर, 2013 के दौरान रुपए में हुए अवमूल्यन को काबू में रखने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करने तथा अटकलों पर रोक लगाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: सोने के आयात पर रोक लगाने को ध्यान में रखते हुए किए गए उपाय; मुद्रा बाजार में स्थायित्व लाने के लिए नकदी की उपलब्धता में वृद्धि करने के उपाय; सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों की संपूर्ण दैनिक डॉलर आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा के आदान-प्रदान के लिए एक केन्द्र खोलना; बैंकों को अनिवासी भारतीयों से नए सिरे से एफसीएनआर (बी) जुटाने तथा सीधे आरबीआई के साथ उनका लेन-देन करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना; और विदेशी मुद्रा के बहिर्प्रवाह को कम करने के लिए पाय करना।

[अनुवाद]

सूचीबद्ध कंपनियों की सार्वजनिक शेयरधारिता

1329. **प्रो. सौगत राय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/सेबी ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों (पीएसयू) को कम-से-कम 25 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने संबंधी निदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने कथित मानंदडों का अनुपालन नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध सरकार/सेबी द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं। तथापि, सरकारी क्षेत्र के सूचीबद्ध उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा न्यूनतम 25 प्रतिशत सरकारी शेयरधारित प्राप्त करने और उसे बनाए रखने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जाली करेंसी नोटों का परिचालन

1330. श्री शैलेश कुमार :
योगी ओदित्यनाथ :
श्री बी. श्रीरामुलु :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय बाजार में जाली करेंसी नोटों के बढ़ते परिचालन के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसे परिचालित नोटों का मूल्य क्या है और इसके स्रोत क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए या किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा बैंकिंग चैनलों द्वारा सूचित की गई जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) की जब्ती और बरामदगी से यह पता चलता है कि देश में जाली/नकली करेंसी नोट परिचालित किए जा रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में जब्त और बरामद किए गए जाली भारतीय करेंसी नोट निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	जब्त और बरामद किए गए जाली भारतीय करेंसी नोटों का मूल्य
1	2
2011	27.09 करोड़ रुपए
2012	45.24 करोड़ रुपए
2013	38.64 करोड़ रुपए
2014 (दिनांक 30.6.2014 तक)	11.86 करोड़ रुपए

(ग) उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, देश में बरामद और जब्त की गई जाली करेंसी परिचालन में करेंसी के कुल मूल्य के 0.004 प्रतिशत से अधिक नहीं है। केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण एजेंसियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में काम कर रहे स्वयंपोषित अपराधी नेटवर्कों की सहायता से जाली भारतीय करेंसी नोट पड़ोसी देशों में आ रहे हैं।

(घ) वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्र तथा राज्य सरकारों की सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियां, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आदि एफआईसीएन से जुड़ी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। गृह मंत्रालय में एक विशेष एफआईसीएन समन्वयन समूल (एफसीओआरडी) का गठन किया गया है जिससे देश में जाली करेंसी नोटों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों/केन्द्र की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना/जानकारी साझी की जा सके। अधिक जब्ती के लिए यह विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी समन्वय करता है। यह समूह सदस्य एजेंसियों के लिए भारत तथा विदेश में आसूचना के संग्रहण और मिलान से संबंधित सभी मामलों को भी समन्वित करता है। एफआईसीएन मामलों के अन्वेषण के लिए सीबीआई और एनआईए केंद्रीय एजेंसियां हैं। आतंकवादी वित्तपोषण तथा जाली करेंसी संबंधी मामलों पर ध्यान देने के लिए एनआईए में आतंकवादी वित्तपोषण तथा जाली करेंसी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को एनआईए के समग्र पर्यवेक्षण में एफआईसीएन संबंधी मुद्दों पर अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है जिसमें परिचालित एफआईसीएन का अनुमान लगाना शामिल है। एफआईसीएन के मामलों में सूचना देने और एफआईआर दर्ज कराने की आसान कार्यप्रणाली काम कर रही है। इस मुद्दे को लगातार अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय मंचों पर उठाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:—

(i) भारतीय रिजर्व बैंक, बड़ी मात्रा में नकदी का लेनदेन करने वाले बैंकों तथा अन्य संगठनों के अधिकारियों/कर्मचारियों

के लिए जाली नोटों की पहचान करने से संबंधित नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता में जागरुकता पैदा करने के लिए अपनी वेबसाईट पर सूचना प्रदर्शित करके, पोस्टर/पत्रक जारी करके, जागरुकता कार्यक्रमों में आयोजन आदि के माध्यम से अनेक उपाय प्रारंभ किए हैं।

(iii) बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि 100 रुपए और उससे उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को मशीन से उनकी प्रामाणिकता/वास्तविकता तथा उपयुक्तता की विधिवत् जांच करने के बाद ही उनके काउंटरों अथवा एटीएम से पुन: जारी किया जाना चाहिए।

(iv) बैंकों द्वारा जाली नोटों की सूचना देने तथा पहचान करने की प्रक्रिया को कारगर और तर्कसंगत बनाया गया है ताकि उस आम आदमी के हितों की रक्षा की जा सके, जिसके पास अनजाने में ये नोट आ जाते हैं। संशोधित प्रक्रिया के अंतर्गत, बैंक शाखाओं/कोषागारों से यह अपेक्षित है कि जाली नोटों के पकड़ में आने के सभी मामलों की जानकारी पुलिस प्राधिकारियों को निम्नलिखित ढंग से यथाशीघ्र दी जाए:—

(क) किसी एकल लेन-देन में 4 अदद तक जाली नोटों का पता लगने के मामलों में महीने के अंत में निर्धारित प्रपत्र में समेकित रिपोर्ट पुलिस प्राधिकारियों को भेजी जाती है।

(ख) किसी एकल लेन-देन में 5 अथवा उससे अधिक अदद के जाली नोटों का पता लगने के मामलों में क्षेत्राधिकार के अनुसार नोडल पुलिस स्टेशन/पुलिस प्राधिकारियों के पास एफआईआर दर्ज कराई जाती है।

(v) नकदी संचालन में लगे बैंक स्टॉफ को बैंक नोटों की विशेषताओं के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए, आईबीए को परामर्श दिया गया है कि ऐसे सभी कार्मिकों का 3 वर्ष की अवधि के अंदर प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। भारतीय रिजर्व बैंक संकाय सहायता और प्रशिक्षण सामग्री भी प्रदान करता है।

(vi) बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि काउंटरों पर प्राप्त नोटों को मशीन द्वारा उचित प्रकार प्रमाणित करके ही परिचालित किया जाए।

(vii) बैंकों को अनुदेश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार बैंक आफिस/बैंक की तिजोरी में पहचाने गए जाली नोटों के लिए बैंकों को रुपए 100 तथा उससे ऊपर के मूल्यवर्ग में जाली नोटों के सांकेतिक मूल्य के 25 प्रतिशत की दर पर क्षतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते कि इसकी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक और पुलिस को दी गई हो।

महिलाओं का अशोभनीय चित्रण

1331. श्री अशोक महादेवराव नेते : क्या **महिला और विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में महिलाओं को अमर्यादित रूप से दिखाने वाले विज्ञापनों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, में संशोधन किए जाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) और (ख) निजी सैटलाइट टीवी चैनलों पर अश्लील और भद्दे विज्ञापनों की घटनाएं समय-समय पर सरकार के ध्यान में लाई गई हैं और चैनलों के विरुद्ध मामला दर मामला आधार पर कार्रवाई की गई है।

(ग) से (ङ) श्रव्य और दृश्य मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सामग्री को शामिल करने के लिए कानून का दायरा बढ़ाने और दंड के प्रावधानों को कड़ा करने सहित कतिपय संशोधन युक्त स्त्री अशिष्ट रुपण (निषेध) संशोधन विधेयक, 2012 राज्य सभा में पुर:स्थापित कर दिया गया है और राज्य सभा विधेयक को विचारण के लिए संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया है। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें मंत्रालय के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

इराक संकट का प्रभाव

1332. डॉ. किरीट सोमैया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर ईराक में चल रहे संकट के संभावित दुष्प्रभावों का आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) इराक संकट के कारण तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। यदि तेल के मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है और इसके मूल्य अधिक ऊंचे स्तरों पर बने रहते हैं तो पेट्रोलियम, तेल और स्नेहकों (पीओएल) और आयात पर भारत के द्वारा किए जाने वाले व्यय और इसके चालू खाता घाटे पर प्रभाव पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के उच्च स्तर पर बने रहने से देश में मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जो उच्च अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के घरेलू अर्थव्यवस्था में अंतरित होने और ऊर्जा की लागत में वृद्धि होने पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त, ऐसी अनिश्चितताओं के कारण व्यवसायिक माहौल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इराक में उत्पन्न संकट के कारण जून, 2014 के दूसरे और तीसरे सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी आई थी हालांकि बाद में यह कम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल मूल्यों में तेजी लाने तथा उसके संबंध में बाजार की सोच ऐसे मुख्य कारण हो सकते हैं जो इराक संकट के तत्काल बाद रुपए के अवमूल्यन के कारण बने।

सरकार सामने आ रही स्थितियों पर पैनी नजर बनाए हुए है तथा उसका सामना करने के लिए उपयुक्त नीतिगत उपाय करती है। भारत की विनिमय दर नीति किसी अवधि के दौरान विनिमय दर में घट-बढ़ को एक व्यवस्थित रूप में बनाए रखने के लिए अंतर्निहित मांग और आपूर्ति की स्थितियों को अनुमत करते हुए लोच सहित विनिमय दरों की सावधानीपूर्वक निगरानी और प्रबंधन से संबंधित व्यापक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती है।

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी

1333. श्री निशिकांत दुबे : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में कंपनियों/कॉर्पोरेट घरानों द्वारा धोखाधड़ी/अवैध खातों तथा लेन-देन के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच/अन्वेषण करवाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) देश में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान (और इस वर्ष 30.06.2014 तक) मंत्रालय ने ऐसी 152 कंपनियों के मामलों की जांच का आदेश दिया है जो कथित रूप से धोखाधड़ी/अवैध कार्यकलापों में शामिल हैं। इनमें से 64 मामलों में जांच पूरी हो गई है और मंत्रालय को रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी गई हैं जबकि 2 मामलों में न्यायालयों द्वारा जांच स्थगित कर दी गई है।

(घ) पूरी की गई जांच के संबंध में मंत्रालय ने जांच रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के अनुसार चूककर्त्ता कंपनियों/निदेशकों/अधिकारियों के विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 और अन्य कानूनों के अंतर्गत किए गए विभिन्न गैर-अनुपालन/अपराधों के लिए अभियोजन दायर करने के आदेश दिए हैं।

(ङ) मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में एक बाजार अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक (एमआरएयू) की स्थापना करना जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी संबंधी मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण करना तथा ऐसे कॉर्पोरेट की बाजार निगरानी करना है।

(ii) एसएफआईओ में एमआरएयू के एक भाग के रूप में उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा दक्ष तकनीकी कर्मचारियों के साथ एक फोरेंसिक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है।

(iii) एक 'पूर्व चेतावनी प्रणाली' तैयार की जा रही है जो संभावित धोखाधड़ी के विश्लेषण और जल्दी पता लगाने के लिए चेतावनी देगी। वर्ष 2013-14 के दौरान एक प्रायोगिक परीक्षण किया गया।

[हिन्दी]

किसान क्रेडिट कार्ड

1334. श्री रामदास सी. तडस : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किसानों को केसीसी जारी करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा स्वीकृत ऋणों और उनके द्वारा तय किए गए लक्ष्य तथा प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केसीसी को सुकर बनाने के लिए कर नियमों को शिथिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की (शुरुआत से) 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति के अनुसार राज्य-वार संचयी संख्या संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए गए सक्रिय केसीसी एवं विगत तीन वर्ष में संस्वीकृत ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II, III तथा IV में दिया गया है।

जहां तक लक्ष्यों की प्राप्ति का संबंध है, कृषि ऋण के लिए निर्धारित लक्ष्य (केसीसी के माध्यम से निर्धारित कृषि ऋण सहित) को बैंकों ने निरंतर पार किया है। विगत तीन वर्ष के दौरान कृषि ऋण के लक्ष्य/उपलब्धि का विवरण निम्नांकित हैं:—

वर्ष	कृषि ऋण के लिए लक्ष्य	कृषि ऋण की उपलब्धि
2011-12	4,75,000	5,11,029.09
2012-13	5,75,000	6,07,375.62
2013-14	7,00,000	7,30,765.61*

*अनंतिम आंकड़े।

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक।

(ग) और (घ) सरकार ने किसान क्रेडिट कोर्ड (केसीसी) योजना को संशोधित किया है। संशोधित योजना के अनुसार वार्षिक समीक्षा के अध्यधीन केसीसी 5 वर्षों के लिए वैद्य है। किसानों को पहली ऋण की प्राप्ति के समय एक-बारगी प्रलेखन देना अपेक्षित है और, इसके पश्चात् दूसरे वर्ष से उगाई गई/उगाए जाने को प्रस्तावित फसल से संबंधित सरल घोष्णा करनी है। इसके अतिरिक्त बैंकों को सलाह दी गई है कि वे 1,00,000 रुपए तक के कृषि ऋण की मार्जिन/प्रतिभूति संबंधी अपेक्षाओं को माफ करें। बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि वे लघु एवं सीमांत किसानों, बटाईदारों और उन जैसे लोगों को दिए जाने वाले 50,000 रुपए तक के लघु ऋणों के लिए बेबाकी प्रमाणपत्र की मांग न करें और, इसके बदले उधारकर्त्ता से स्व-घोषणा पत्र प्राप्त करें।

विवरण-I

(शुरुआत से) 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति के अनुसार केसीसी के प्रगति का (संचयी — एजेंसी-वार) विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सहकारी बैंक		आरआरबी		वाणिज्यिकी बैंक@@		कुल	
		जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	4296165	7614.12	2730905	6478.75	12226556	48635.96	19253626	62728.83
2.	असम	26363	120.31	360581	1173.86	637839	1617.55	1024783	2911.72
3.	अरुणाचल प्रदेश#	1009	1.55	3467	5.28	28327	75.41	32803	82.24
4.	बिहार	884066	1137.63	1818405	7264	2512033	12386.42	5214504	20788.05
5.	गुजरात	1552101	19805.45	330387	3250.58	1913446	27358.62	3795934	50414.65
6.	गोवा	5969	25.04	0	0	14854	165.06	20823	190.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	हरियाणा	1314291	8221.85	494119	5095.23	1077370	13763.94	2885780	27081.02
8.	हिमाचल प्रदेश	232318	1116.96	93406	727.43	319334	2143.51	645058	3987.9
9.	जम्मू और कश्मीर	57020	93.14	46656	312.3	26401	195.44	130077	600.88
10.	कर्नाटक	2201203	8529.76	1572359	8418	3340405	24514.3	7113967	41462.06
11.	केरल	1815937	5980.88	613336	2871.83	1851893	9676.61	4281166	18529.32
12.	मध्य प्रदेश	4451970	23030.75	804837	5362.54	2341665	20888.27	7598472	49281.56
13.	महाराष्ट्र	5969721	35411.78	465250	1941.7	4266307	23489.39	10701278	60842.87
14.	मेघालय#	16255	28.87	29371	67.02	70047	212.45	115673	308.34
15.	मिज़ोरम#	2434	4.47	13354	76.88	23688	76.3	39476	157.65
16.	मणिपुर#	13532	33.8	2793	6.37	33212	96.6	49537	136.77
17.	नागालैंड#	3657	2.27	1880	4.03	36465	90.36	42002	96.66
18.	ओडिशा	4796347	12275.03	909714	2369.55	1683610	5404.68	7389671	20049.26
19.	पंजाब	977396	7076.21	209013	3741.26	1677144	27587.85	2863553	38405.32
20.	राजस्थान	3811535	13490.14	768593	9614.64	2488603	31077.11	7068731	54181.89
21.	सिक्किम#$	4003	10.12	0	0	10953	55.21	14966	65.33
22.	तमिलनाडु	2120345	7180.56	480340	1290.85	5499502	28987.48	8100187	37458.89
23.	त्रिपुरा#	38597	38.3	132132	195.53	105838	262.59	276567	496.42
24.	उत्तर प्रदेश	7546034	9881.88	5356066	22780.69	8611070	56697.56	21513170	89360.13
25.	पश्चिम बंगाल	1874024	6631.72	854334	4426.59	2061493	7087.35	4789851	18145.66
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह#$	4874	20.61	0	0	4037	15.29	8911	35.9
27.	चंडीगढ़$	0	0	0	0	9294	100.89	9294	100.89
28.	दमन और दीव#$	0	0	0	0	1790	18.19	1790	18.19
29.	नई दिल्ली#$	2385	11.44	0	0	28688	455.2	31073	466.64
30.	दादरा और नगर हवेली@$	0	0	0	0	3429	34.72	3429	34.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	लक्षद्वीप@$	0	0	0	0	1384	5.86	1384	5.86
32.	पुदुचेरी#	7955	37.78	626	5.21	81819	427.08	90400	470.07
33.	झारखंड**	305835	577.86	594381	904.87	749345	2575.52	1649561	4058.25
34.	छत्तीसगढ़	1597744	4352.13	482001	1433.99	391954	2344.41	2471699	8130.53
35.	उत्तराखंड	418116	1134.75	70898	391.37	431516	4355.49	920530	5881.61
36.	अन्य राज्य	0	0	0	0	47	0.12	47	0.12
	सीबी (1998-99) के लिए राज्य-वार समेकित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।	0	0	0	0	188005	266.04	188005	266.04
	कुल	46349201	173877.16	19239204	90210.35	54749373	353144.82	120337778	617232.33

स्रोत: नाबार्ड।

विवरण-II

मार्च, 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार केसीसी

जारी किए गए कार्ड हजारों में एवं राशि बिलियन रुपयों में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वाणिज्यिक बैंक	
		जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश**	1,063	75.56
2.	असम	79	2.82
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	0.10
4.	बिहार	305	18.65
5.	गुजरात	171	18.40
6.	गोवा	1	0.10
7.	हरियाणा	98	18.75
8.	हिमाचल प्रदेश	30	3.19
9.	जम्मू और कश्मीर	6	0.50
10.	कर्नाटक	371	40.78
11.	केरल	179	17.80
12.	मध्य प्रदेश	239	23.07
13.	महाराष्ट्र	600	32.47
14.	मेघालय	4	0.22
15.	मिज़ोरम	4	0.13
16.	मणिपुर	2	0.11
17.	नागालैंड	3	0.08
18.	ओडिशा	177	7.65
19.	पंजाब	159	46.55
20.	राजस्थान	311	42.70
21.	सिक्किम	1	0.11
22.	तमिलनाडु	614	57.76

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	13	0.47
24.	उत्तर प्रदेश	748	70.92
25.	पश्चिम बंगाल	196	9.29
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.02
27.	चंडीगढ़	4	0.22
28.	दमन और दीव	0	0.02
29.	नई दिल्ली	2	0.27
30.	दादरा और नगर हवेली	0	0.05
31.	लक्षद्वीप	0	0.00
32.	पुदुचेरी	9	0.86
33.	झारखंड**	104	5.15
34.	छत्तीसगढ़	42	3.42
35.	उत्तराखंड	47	6.21
	कुल	5,582	504.38

स्रोत: आरबीआई।

विवरण-III

मार्च, 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार केसीसी

जारी किए गए कार्ड हजारों में एवं राशि बिलियन रुपयों में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वाणिज्यिक बैंक	
		जारी किए गए कार्ड	स्वीकृति राशि
1	2	3	4
	उत्तरी क्षेत्र	745	152.7
1.	हरियाणा	118	25.7
2.	हिमाचल प्रदेश	34	3.6
3.	जम्मू और कश्मीर	5	0.4
4.	नई दिल्ली	5	1.3
5.	पंजाब	165	59.5
6.	राजस्थान	416	61.6
7.	चंडीगढ़	2	0.6
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	236	7.8
8.	असम	160	5.4
9.	अरुणाचल प्रदेश	7	0.2
10.	मेघालय	20	0.7
11.	मिज़ोरम	5	0.3
12.	मणिपुर	3	0.1
13.	नागालैंड	11	0.4
14.	त्रिपुरा	28	0.7
15.	सिक्किम	2	0.1
	पश्चिमी क्षेत्र	**895**	**93**
16.	गुजरात	200	29
17.	महाराष्ट्र	694	63.8
18.	गोवा	1	0.2
19.	दमन और दीव	—	0.03
20.	दादरा और नगर हवेली	—	0.01
	मध्य प्रदेश	**1,349**	**147.4**
21.	उत्तर प्रदेश	946	98.9
22.	उत्तराखंड	80	9
23.	मध्य प्रदेश	289	36.7
24.	छत्तीसगढ़	34	2.8
	दक्षिणी क्षेत्र	**2,509**	**243.2**
25.	कर्नाटक	427	49.6

1	2	3	4
26.	केरल	162	24.3
27.	आंध्र प्रदेश	1,244	82
28.	तमिलनाडु	662.	86.2
29.	लक्षद्वीप	1	0.02
30.	पुदुचेरी	13	1.1
	पूर्वी क्षेत्र	**1,070**	**50.9**
31.	ओडिशा	250	8.4
32.	पश्चिम बंगाल	331	14
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0.01
34.	बिहार	345	23.4
35.	झारखंड	143	5.1
	कुल	6,804	695.1

स्रोत: आरबीआई।

विवरण-IV

मार्च, 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार केसीसी

जारी किए गए कार्ड हजारों में एवं राशि बिलियन रुपयों में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वाणिज्यिक बैंक	
		जारी किए गए कार्ड	स्वीकृति राशि
1	2	3	4
	उत्तरी क्षेत्र	1,090	239.3
1.	हरियाणा	146	41.1
2.	हिमाचल प्रदेश	35	5.3
3.	जम्मू और कश्मीर	218	10.3
4.	नई दिल्ली	70	3.8
5.	पंजाब	244	101.8
6.	राजस्थान	375	75.6
7.	चंडीगढ़	2	1.5
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	192	8.9
8.	असम	133	6.1
9.	अरुणाचल प्रदेश	4	0.2
10.	मेघालय	14	0.6
11.	मिज़ोरम	4	0.2
12.	मणिपुर	5	0.4
13.	नागालैंड	8	0.4
14.	त्रिपुरा	21	0.9
15.	सिक्किम	3	0.2
	पश्चिमी क्षेत्र	**975**	**148.6**
16.	गुजरात	229	46.5
17.	महाराष्ट्र	741	101.5
18.	गोवा	4	0.6
19.	दमन और दीव	—	—
20.	दादरा और नगर हवेली	—	—
	मध्य प्रदेश	**1,401**	**193.5**
21.	उत्तर प्रदेश	918	114.1
22.	उत्तराखंड	63	10.3
23.	मध्य प्रदेश	372	63.2
24.	छत्तीसगढ़	48	6
	दक्षिणी क्षेत्र	**3,340**	**348.3**
25.	कर्नाटक	391	72
26.	केरल	193	33.9

1	2	3	4
27.	आंध्र प्रदेश	1,965	141.4
28.	तमिलनाडु	773	98.4
29.	लक्षद्वीप	—	—
30.	पुदुचेरी	18	2.6
	पूर्वी क्षेत्र	**1,246**	**72.2**
31.	ओडिशा	231	10
32.	पश्चिम बंगाल	433	22.9
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	—
34.	बिहार	356	31.8
35.	झारखंड	226	7.4
	कुल	8,243	1,010.90

स्रोत: आरबीआई।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य गुणवत्ता विनियामक

1335. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री बी. विनोद कुमार :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री सुवेन्दु अधिकारी :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों पर स्वास्थ्य गुणवत्ता विनियामक की स्थापना की है/करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विनियामक के प्रविषय और क्षेत्रधिकार क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रशिक्षित चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मचारियों की भारी कमी को पूरा करने के लिए संपूर्ण देश के 100 जिला अस्पतालों का स्तरोन्नयन करके उन्हें चिकित्सा महाविद्यालय बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार के अस्पतालों को और अधिक स्वायत्तता देने के साथ-साथ ऐसे अस्पतालों में व्यावसायिक तथा प्रबंधकीय क्षमता को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) और (ख) सरकार ने नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण एवं विनियम के लिए तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियम) अधिनियम, 2010 पारित किया है। इस अधिनियम में जिला स्तर पर जिला पंजीकरण प्राधिकारी के लिए संबंधित जिले के नैदानिक प्रतिष्ठानों को पंजीकृत और विनियमित करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद् के लिए नैदानिक प्रतिष्ठानों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर प्रकाशित करने, नैदानिक प्रतिष्ठानों को वर्गीकृत करने, न्यूनतम मानक निर्धारित करने, नैदानिक प्रतिष्ठानों के संबंध में आंकड़े संग्रहित करने और केन्द्र सरकाार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य कार्य-निष्पादित करने का भी प्रावधान किया गया है।

जहां-कहीं भी यह अधिनियम लागू है, कोई भी व्यक्ति कब तक कोई नैदानिक प्रतिष्ठान संचालित नहीं कर सकता है जब तक कि उसे इस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं कराया गया है। पंजीकरण से पूर्व अपेक्षित मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) सुविधाओं एवं सेवाओं के न्यूनतम मानक

(ii) कार्मिकों की न्यूनतम अपेक्षा

(iii) अभिलेख एवं रिपोर्ट उपलब्ध कराना एवं उनका रख-रखाव करना

(iv) ऐसी अन्य शर्तें जिन्हें निर्धारित किया जाए।

(ग) और (घ) "मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों के साथ संबंध नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना" हेतु एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। इस योजना के तहत, देश के अल्पसेवित क्षेत्रों में 58 जिला/रेफरल अस्पतालों को अभिज्ञात किया गया है। ऐसे जिला/रेफर अस्पतालों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस योजना में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच निधि की साझेदारी पूर्वोत्तर/विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों के लिए 75:25 के अनुपात में है।

(ङ) और (च) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक कार्मिक शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रश्न है, नई परियोजनाओं को मंजूरी देते समय या मौजूदा परियोजनाओं के उन्नयन के समय ऐसा किया जाता है।

विवरण

"जिला/रेफरल अस्पतालों के साथ संलग्न नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना" के लिए योजना के अंतर्गत चिह्नित जिलों की सूची

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	जिला/रेफरल अस्पतालों की संख्या	जिले का नाम
1	2	3	4
1.	असम	4	नौगांव
			उत्तरी लखीमपुर
			दिफू में कार्बी आंगलोंग
			दुबरी
2.	बिहार	3	समस्तीपुर*
			सारन (छापरा)
			पुर्णिया
3.	छत्तीसगढ़	2	राजनन्दगांव
			सरगुजा
4.	हरियाणा	1	भिवानी
5.	हिमाचल प्रदेश	3	चंबा
			नाहन (सिरमौर)
			हमीरपुर
6.	झारखंड	3	दुमका
			पलामू
			हजारीबाग
7.	जम्मू और कश्मीर	5	अनंतनाग
			डोडा
			बारामूला
			कठुआ
			रजौरी
8.	मध्य प्रदेश	7	छिन्दवाडा
			रतलाम
			शिवपुरी
			शहडोल
			विदिशा
			दतिया
			खंडवा
9.	महाराष्ट्र	1	गोंदिया
10.	ओडिशा	5	बालासोर
			बोलनगीर
			कोरापुट
			बारीपदा (मयूरभंज)
			पुरी
11.	पंजाब	1	एस.ए.एस. नगर
12.	राजस्थान	7	भरतपुर
			डूंगरपुर
			बाड़मेर
			अलवर
			चुरु
			भीलवाड़ा
			पाली
13.	पश्चिम बंगाल	5	बीरभूम (रामपुर हाट)
			कूच बिहार

1	2	3	4
			पुरुलिया
			उत्तर दिनाजपुर (जिला अस्पताल राजगंज)
			दक्षिण 24 परगना
14.	उत्तर प्रदेश	5	फ़ैज़ाबाद
			बहराइच
			बस्ती
			फ़िरोज़ाबाद
			शाहजहांपुर
15.	उत्तराखंड	1	अल्मोड़ा
16.	अरुणाचल प्रदेश	1	पापुन पारे जनरल अस्पताल, नहरलागुन, ईटानगर
17.	मेघालय	1	पश्चिमी गारो हिल्स, तुरा
18.	मिज़ोरम	1	फल्कवान में रेफरल अस्पताल
19.	नागालैंड	1	कोहिमा (नगा अस्पताल)
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	पोर्ट ब्लेयर
	कुल	58	

*200 बेड की उपलब्धता के अधीन।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

1336. श्री एम.आई. शनवास :

श्री चिन्तामन नावाशा वांगा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नया बाल परीक्षण और प्रारंभिक सेवा अर्थात् राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त कार्यक्रम की शुरुआत से आज की तारीख तक राज्यों को राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित/जारी/उपयोग की गई है; और

(घ) इसकी प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए उक्त कार्यक्रम की नियमित निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र बनाया गया है तथा इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (घ) जी, हां, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत फरवरी, 2013 में आरंभ किया गया था। इस पहल का लक्ष्य 4 दोषों अर्थात् अक्षमताओं सहित जन्मजात दोषों, कमियों, रोगों एवं विकासात्मक विलंबों के लिए बच्चे के जन्म से 18 वर्ष की आयु तक जांच तथा प्रबंध करना है। लगभग 27 करोड़ बच्चों को चरणबद्ध प्रक्रिया में कवर किया जाएगा।

इस पहल के अंतर्गत जन स्वास्थ्य सुविधा-केंद्रों तथा घरों में जन्मे सभी नवजातों की स्वास्थ्य कार्मिकों तथा आशा द्वारा जन्म दोषों के लिए जांच की जाती है। आंगनबाड़ी में आने वाले छह सप्ताह से छह वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों तथा सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित 6 वर्ष से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की दो आयुष डॉक्टरों, (एक पुरुष एवं एक महिला), एक एएनएम तथा एक फार्मासिस्ट से युक्त समर्पित मोबाइल ब्लॉक स्वास्थ्य टीमों द्वारा जांच की जाती है। किसी स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त पहचान किए गए बच्चों को फिर आगे के प्रबंधन एवं तृतीय स्तरीय संस्थानों के साथ लिंकिंग के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधा-केन्द्र में रेफर किया जाता है। जिला शीघ्र क्रियाकलाप केंद्र (डीईआईसी) की स्थापना की आरबीएसके के घटकों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आरबीएस के कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कुल 1176.37 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कार्यक्रम हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित बजट संलग्न विवरण में दिया गया है।

कार्यक्रम को एनएचएम की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय टीमों के राज्यों के दौरे के माध्यम से मॉनीटर किया जाता है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2013-14 में आबंटित/जारी धनराशि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2013-14 वित्तीय आबंटन (लाख रुपए में)
1	2	3
	भारत	1,17,637.40
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	94.46
2.	आंध्र प्रदेश	8,090.69
3.	अरुणाचल प्रदेश	655.64
4.	असम	4,854.93
5.	बिहार	4,626.01
6.	चंडीगढ़	24.87
7.	छत्तीसगढ़	3,564.4
8.	दादरा और नगर हवेली	103.05
9.	दमन और दीव	80.31
10.	दिल्ली	427.61
11.	गोवा	213.97
12.	गुजरात	10,686.45
13.	हरियाणा	2081.1
14.	हिमाचल प्रदेश	1,245.76
15.	जम्मू और कश्मीर	1,753.04
16.	झारखंड	3,580.08
17.	कर्नाटक	4,746.99
18.	केरल	4,851.69
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	5,135.98
21.	महाराष्ट्र	12,002.14
22.	मणिपुर	210.29
23.	मेघालय	539.89
24.	मिज़ोरम	329.84
25.	नागालैंड	698.53
26.	ओडिशा	5,991.35
27.	पुदुचेरी	38.14
28.	पंजाब	2,455.56
29.	राजस्थान	3,026.24
30.	सिक्किम	233.83
31.	तमिलनाडु	4,123.49
32.	त्रिपुरा	401.57
33.	उत्तर प्रदेश	15,850.78
34.	उत्तराखंड	2,869.97
35.	पश्चिम बंगाल	12,048.78

'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान

1337. डॉ. थोकचोम मेन्या : क्या **महिला और विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लड़कियों को बचाने के लिए 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान शुरू किया है/करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अभियान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त अभियान के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच धनराशि को किस प्रकार बांटन का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) से (ग) भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने जून, 2014 में संसद के संयुक्त सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में बालिका शिशु को बचाने और उसकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक जन अभियान चलाने के बारे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में कहा था। इसके लिए बजट 2014-15 में 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

एमपीलैड निधि में वृद्धि करना

1338. श्रीमती कोथापल्ली गीता :
श्रीमती रंजीत रंजन :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान बिहार सहित देश में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि और उपयोग की गई धनराशि का निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा की गई अनेक सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निर्वाचन क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार को देश में विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े निर्वाचन क्षेत्र के लिए एमपीलैड निधियों के वार्षिक आवंटन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) : (क) 15वीं लोक सभा में, बिहार सहित देश में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) के अंतर्गत 30.06.2014 तक स्वीकृत तथा उपयोग की गई निर्वाचन क्षेत्र-वार तथा सांसद-वार निधियों की संचयी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत, संसद सदस्य स्थानीय आधार पर महसूस की गई जरूरतों के आधार पर विकासात्मक स्वरूप की स्थाई सामुदायिक सम्पत्तियों के सृजन संबंधी कार्यों की सिफारिश करते हैं। क्षेत्र में इन कार्यों का कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के तकनीकी, प्रशासनिक तथा वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाता है।

दिशा-निर्देशों के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि जिला प्राधिकारियों द्वारा सभी संस्तुत पात्र कार्यों को सिफारिशें प्राप्त होने के 75 दिनों के भीतर संस्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए और संसद सदस्यों को अस्वीकृतियों, यदि कोई हो, की कारण सहित सूचना 45 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा सामान्यत: एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कार्यों की स्वीकृति तथा निष्पादन में विलंब, इत्यादि की समस्याओं पर जिला स्तर पर ध्यान दिया जाता है। इसके बारे में आंकड़ों का मंत्रालय में केन्द्रीय स्तर पर रख-रखाव नहीं किया जाता है।

उन सभी मामलों जिनमें जिला स्तर पर संस्वीकृति अथवा कार्यान्वयन में विलंब, इत्यादि के बारे में मंत्रालय में संदर्भ प्राप्त होते हैं, के संबंध में राज्य सरकारों/जिला प्राधिकारियों से उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है और आवश्यक अनुपलान के लिए मामलों को मॉनीटर किया जाता है।

(घ) देश में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एमपीलैड्स निधियों का वार्षिक आवंटन एक समान अर्थात् प्रति संसद सदस्य प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए है। फिलहाल, मंत्रालय में विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एमपीलैड्स निधियों के वार्षिक आवंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

दिनांक 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत 15वीं लोक सभा के संबंध में संचयी निर्मुक्ति तथा व्यय का विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्वाचन क्षेत्र	संसद सदस्य	निर्वाचन क्षेत्र की पात्रता	सरकार द्वारा निर्मुक्त	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
	मनोनीत						
1.		एर्नाकुलम	श्री चार्ल्स डिएस	19	16.5	18.91	13.32
2.		बिलासपुर	श्रीमती इन्ग्रिड मैकलोड	19	19	15.52	14.85

1	2	3	4	5	6	7	8
	आंध्र प्रदेश						
1.		अमलापुरम (अ.जा.)	श्री जी.वी. हर्ष कुमार	19	14	19.22	10.31
2.		अनाकापल्ले	श्री सब्बम हरि	19	16.5	16.98	14.6
3.		अनन्तपुर	श्री अनंत वेंकटरामी	19	19	20.41	18.67
4.		अराकु (अ.ज.जा.)	श्री वी. किशोर चंद्र देव	19	19	20.45	16.02
5.		बापतला (अ.जा.)	श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	19	16.5	19.95	13.42
6.		चित्तूर (अ.जा.)	डॉ. एन. शिवप्रसाद	19	19	19.7	16.23
7.		इलुरु	डॉ. के.एस. राव	19	16.5	19.44	12.27
8.		गुंटूर	श्री रायापति सांबासिवा राव	19	16.5	19.77	14.13
9.		हिन्दुपुर	श्री एन. कृष्टप्प	19	19	20.59	18.69
10.		कडापा	श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी	19	16.5	19.41	13.53
11.		काकीनाडा	श्री एम.एम. पल्लम राजू	19	11.5	18.57	8.52
12.		कुर्नूल	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	19	16.5	19.61	17.53
13.		मछलीपट्टनम	श्री के. नारायण राव	19	14	17.06	11.2
14.		नांदयाल	श्री एस.पी.वाई. रेड्डी	19	16.5	18.98	14.66
15.		नसाराओपेट	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	19	16.5	19.5	14.11
16.		नरसापुरम	श्री के. बापीराजू	19	16.5	19.28	13.15
17.		नेल्लोर	श्री एम. राजा मोहन	19	16.5	19.14	14.51
18.		ओंगोले	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	19	16.5	19.74	15.36
19.		राजामुन्दरी	श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली	19	16.5	18.86	12.93
20.		राजमपेट	श्री ए. साई प्रताप	19	19	19.68	15.85
21.		श्रीकाकुलम	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	19	16.5	19.4	16.07
22.		तिरुपति (अ.जा.)	डॉ. चिंता मोहन	19	19	19.74	16.96
23.		विजयवाड़ा	श्री एल. राजगोपाल	19	11.5	19.71	11.87
24.		विशाखापत्तनम	श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी	19	19	17.57	15.57
25.		विजयनगरम	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	19	19	20.59	17.96

1	2	3	4	5	6	7	8
	अरुणाचल प्रदेश						
1.		अरुणाचल पूर्व	श्री निनोंग ईरींग	19	19	16.46	18.45
2.		अरुणाचल पश्चिम	श्री तकाम संजय	19	19	16.27	16.27
	असम						
1.		स्वायत्त जिला (अ.ज.जा.)	डॉ. बिरेन सिंह इंग्ती	19	14	11.82	10.33
2.		बारपेटा	श्री इस्माइल हुसैन	19	14	11.26	9.36
3.		धुबरी	श्री बदरुद्दीन अजमल	19	16.5	11.28	9.33
4.		डिब्रूगढ़	श्री पबन सिंह घाटोवार	19	19	18.27	16.08
5.		गुवाहाटी	श्रीमती विजया चक्रवर्ती	19	19	16.58	14.47
6.		जोरहट	श्री बी.के. हांडिक	19	19	16.5	16.1
7.		कलियाबोर	श्री दीप गोगोई	19	14	10.93	9.59
8.		करीमगंज (अ.जा.)	श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	19	19	15.69	14.14
9.		कोकराझार (अ.ज.जा.)	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	19	16.5	14.14	12.48
10.		लखीमपुर	श्रीमती रानी नरह	19	19	16.6	15.39
11.		मंगलदोई	श्री रमेन डेका	19	19	17.6	16.47
12.		नौगोंग	श्री राजेन गोहैन	19	19	15.69	14.77
13.		सिलचर	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	19	19	16.1	14.65
14.		तेजपुर	श्री जोसेफ टोप्पो	19	16.5	14.52	12.76
	बिहार						
1.		अररिया	श्री प्रदीप कुमार सिंह	19	16.98	19.86	14.94
2.		आरा	श्रीमती मीना सिंह	19	19.48	19.94	15.11
3.		औरंगाबाद	श्री सुशील कुमार सिंह	19	16.98	16.88	14.48
4.		वाल्मीकि नगर	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	19	19.48	17.25	16.42
5.		पश्चिम चंपारण	डॉ. संजय जायसवाल	19	19.48	17.14	17.12
6.		बांका	श्रीमती पुतुल कुमारी	19	14.48	19.75	9.84
7.		पूर्वी चंपारण	श्री राधा मोहन सिंह	19	16.98	19.82	15.87

1	2	3	4	5	6	7	8
8.		बेगूसराय	डॉ. मोनाजिर हसन	19	16.98	19.1	15.03
9.		सुपौल	श्री विश्व मोहन कुमार	19	19.48	17.69	15.65
10.		भागलपुर	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	19	16.98	19.46	10.01
11.		सारण	श्री लालू प्रसाद	19	11.98	8.61	8.51
12.		बक्सर	श्री जगदानंद सिंह	19	19.48	19.55	15.53
13.		उजियारपुर	श्रीमती अश्वमेध देवी	19	19.48	19.27	15.73
14.		दरभंगा (अ.जा.)	श्री कीर्ति आजाद	19	11.98	14.23	4.74
15.		गया (अ.जा.)	श्री हरि मांझी	19	16.98	17.64	11.3
16.		गोपालगंज (अ.जा.)	श्री पूर्णमासी राम	19	19.48	20.46	18.28
17.		हाजीपुर (अ.जा.)	श्री राम सुंदर दास	19	16.98	19.33	14.37
18.		जहानाबाद	श्री जगदीश शर्मा	19	16.98	17.22	12.39
19.		झंझारपुर	श्री मंगनी लाल मंडल	19	16.98	19.41	12.05
20.		कटिहार	श्री निखिल कुमार चौधरी	19	16.98	20.05	15.77
21.		खगड़िया	श्री दिनेश चन्द्र यादव	19	11.98	19.38	8.64
22.		किशनगंज	श्री मोहम्मद असरारुल हक	19	11.98	19.27	10.26
23.		मधेपुरा	श्री शरद यादव	19	16.98	16.73	15.01
24.		मधुबनी	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	19	16.98	19.43	11.8
25.		महाराजगंज	श्री प्रभु नाथ सिंह	19	11.98	9.05	5.52
26.		मुंगेर	श्री राजीव रंजन (ललन) सिंह	19	14.48	17.71	10.06
27.		पाटलिपुत्र	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	19	16.98	20.29	13.24
28.		मुजफ्फरपुर	कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद	19	14.48	15.3	11.81
29.		नालन्दा	श्री कौशलेन्द्र कुमार	19	19.48	18.96	17.44
30.		नवादा	डॉ. भोला सिंह	19	19.48	16.98	16.58
31.		पटना साहिब	श्री शत्रुघ्न सिन्हा	19	11.98	19.05	7.25
32.		काराकाट	श्री महाबली सिंह	19	19.48	17.77	15
33.		जमुई (अ.जा.)	श्री भूदेव चौधरी	19	16.98	22.63	11.67

1	2	3	4	5	6	7	8
34.		समस्तीपुर (अ.जा.)	श्री महेश्वर हजारी	19	19.48	19.56	19.56
35.		सासाराम (अ.जा.)	श्रीमती मीरा कुमार	19	19.48	16.94	15.65
36.		शिवहर	श्रीमती रमा देवी	19	19.48	18.6	14.62
37.		सीतामढ़ी	श्री अर्जुन राय	19	16.98	15.53	10.28
38.		सीवान	श्री ओम प्रकाश यादव	19	14.48	19.33	12.05
39.		वैशाली	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	19	16.98	20.05	14.08
40.		पूर्णिया	श्री उदय सिंह	19	16.98	20.94	17.57
	गोवा						
1.		उत्तर गोवा	श्री श्रीपाद येसो नाईक	19	15	17.31	11.22
2.		दक्षिण गोवा	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	19	14	16.79	11.17
	गुजरात						
1.		अहमदाबाद पूर्व	श्री हरिन पाठक	19	19.08	19.26	16.87
2.		अमरेली	श्री नारनभाई काछडिया	19	19.08	20.17	17.63
3.		आनन्द	श्री भरत सिंह सोलंकी	19	14.08	18.24	14.1
4.		बनासकांठा	श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी	19	11.58	16.01	10.41
5.		वडोदरा	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल	19	14.08	16.43	11.35
6.		भावनगर	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	19	14.08	20.14	14.94
7.		भरूच	श्री मनसुखभाई डी. वासवा	19	16.58	18.26	14.38
8.		अहमदाबाद पश्चिम (अ.जा.)	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	19	19.08	20.54	18.4
9.		छोटा उदयपुर (अ.ज.जा.)	श्री रामसिंह राठवा	19	14.08	19.13	1218
10.		खेड़ा	श्री दिनशा पटेल	19	16.58	18.54	15.08
11.		दाहोद (अ.ज.जा.)	डॉ. (श्रीमती) प्रभा किशोर ताविआड	19	14.08	19.74	13.11
12.		गांधीनगर	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	19	14.08	13.22	10.92
13.		पंचमहल	श्री प्रभातसिंह चौहान	19	19.08	19.23	16.58
14.		जामनगर	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	19	16.58	20.22	15.5

1	2	3	4	5	6	7	8
15.		जूनागढ़	श्री दीनूभाई सोलंकी	19	11.58	18.08	9.97
16.		बारडोली (अ.ज.जा.)	डॉ. तूषार चौधरी	19	16.58	20.29	13.66
17.		नवसारी	श्री सी.आर. पाटिल	19	14.08	17.89	12.87
18.		कच्छ (अ.जा.)	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	19	14.08	16.87	11.63
19.		वलसाड (अ.ज.जा.)	श्री किसनभाई वी. पटेल	19	19.08	19.83	17.03
20.		महेसाणा	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	19	16.58	18.96	15.65
21.		पाटन	श्री जगदीश ठाकोर	19	16.58	19.2	17.53
22.		पोरबंदर	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	19	16.58	16.51	10.67
23.		राजकोट	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	19	16.58	19.15	12.48
24.		साबरकांठा	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	19	16.58	18.87	12.53
25.		सूरत	श्रीमती दर्शना जरदोश	19	16.58	18.78	13.04
26.		सुरेन्द्रनगर	श्री सोमाभाई गंडालाल कोली पटेल	19	19.08	19.82	18.61
	हरियाणा						
1.		भिवानी-महेंद्रगढ़	श्रीमती श्रुति चौधरी	19	19	19.98	16.94
2.		फरीदाबाद	श्री अवतार सिंह भडाना	19	19	19.09	18.19
3.		हिसार	श्री कुलदीप बिश्नोई	19	16.5	16.54	12.9
4.		करनाल	डॉ. अरविंद कुमार शर्मा	19	19	19.43	16.7
5.		कुरुक्षेत्र	श्री नवीन जिंदल	19	19	19.31	17.12
6.		गुड़गांव	श्री राव इंद्रजीत सिंह	19	19	17.05	15.03
7.		रोहतक	श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा	19	19	19.3	16.65
8.		सिरसा (अ.जा.)	श्री अशोक तंवर	19	19	19.37	15.04
9.		सोनीपत	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक	19	19	16.86	14.54
10.		अम्बाला (अ.जा.)	कुमारी सैलजा	19	16.5	13.5	10.49
	हिमाचल प्रदेश						
1.		हमीरपुर	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	19	19	19.66	15.33
2.		कांगड़ा	डॉ. राजन सुशांत	19	19	20.14	20.14

1	2	3	4	5	6	7	8
3.		मंडी	श्रीमती प्रतिभा सिंह	19	19	20.13	18.92
4.		शिमला (अ.जा.)	श्री वीरेन्द्र कश्यप	19	19	19.83	16.52
	जम्मू और कश्मीर						
1.		अनंतनाग	डॉ. मिर्जा महबूब बेग	19	16.5	18.98	13.75
2.		बारामूला	श्री शरीफुद्दीन शारिक	19	17.5	21.15	17.47
3.		जम्मू	श्री मदन लाल शर्मा	19	19	20.15	18.67
4.		लद्दाख	श्री हसन खान	19	19.5	17.07	14.68
5.		श्रीनगर	डॉ. फारूख अब्दुल्ला	19	15	19.71	13.33
6.		उधमपुर	चौधरी लाल सिंह	19	20	18.76	16.01
	कर्नाटक						
1.		बागलकोट	श्री पी.सी. गद्दीगौदार	19	17.11	20.32	15.28
2.		बेंगलूरु उत्तर	श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ा	19	19.61	19.61	17.31
3.		बेंगलूरु दक्षिण	श्री अनंत कुमार	19	17.11	19.84	14.28
4.		बेलगाम	श्री सुरेश अंगड़ी	19	14.61	11.51	10.05
5.		बेल्लारी (अ.ज.जा.)	श्रीमती जे. शांता	19	12.11	7.22	5.89
6.		बीदर	श्री एन. धरम सिंह	19	17.11	18.78	13.07
7.		बीजापुर (अ.जा.)	श्री रमेश जिगजिणगी	19	14.61	14.27	10.49
8.		चामराजनगर (अ.जा.)	श्री आर. ध्रुवनारायण	19	19.61	17.25	15.08
9.		चिकबल्लापुर	डॉ. एम. वीरप्पा मोइली	3.93	17.11	13.63	11.9
10.		चिक्कोडी	श्री रमेश विश्वनाथ कात्ती	19	17.11	17.94	11.74
11.		उडुपी चिकमगलूर	श्री के. जयप्रकाश हेगड़े	9	17.11	17.91	14.91
12.		चित्रदुर्ग (अ.जा.)	श्री जनार्दन स्वामी	19	17.11	18.57	15.77
13.		दावणगेरे	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	19	17.11	16.12	15.77
14.		धारवाड़	श्री प्रहलाद जोशी	19	12.11	16.44	13.8
15.		हावेरी	श्री शिवकुमार उदासी	19	17.11	13.66	12.9
16.		गुलबर्गा (अ.जा.)	श्री मल्लिकार्जुन खरगे	19	19.61	20.29	16.92

1	2	3	4	5	6	7	8
17.		हासन	श्री एच.डी. देवेगौड़ा	19	17.11	13.74	12.16
18.		उत्तर कन्नड़	श्री अनंत कुमार हेगड़े	19	12.11	18.14	8.77
19.		दक्षिण कन्नड़	श्री नलिन कुमार कटील	19	19.61	17.66	15.96
20.		कोलार (अ.जा.)	श्री के.एच. मुनियप्पा	19	17.11	12.66	11.56
21.		कोप्पल	श्री शिवराम गौडा	19	14.61	16.29	11.1
22.		माण्डया	कुमारी रम्भा दिव्यस्पंदना	19	14.61	16.68	5.4
23.		बेंगलूरु ग्रामीण	श्री डी.के. सुरेश	19	19.61	17.13	15
24.		मैसूर	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	19	17.11	16.64	12.92
25.		रायचूर (अ.ज.जा.)	श्री एस. पक्कीरप्पा	19	17.11	15.38	14.91
26.		शिमोगा	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	19	17.11	19.44	14.98
27.		तुमकुर	श्री जी.एस. बासवराज	19	14.61	15.08	11.15
28.		बेंगलूरु केंद्रीय	श्री पी.सी. मोहन	19	14.61	19.59	11.37
	केरल						
1.		कन्नूर	श्री के. सुधाकरण	19	14.6	21.22	14.11
2.		अलप्पुझा	श्री के.सी. वेणुगोपाल	19	19.6	20.2	16.27
3.		वडकरा	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	19	14.6	20.86	13.93
4.		कोझीकोड	श्री एम.के. राघवन	19	17.1	21.09	15.63
5.		वायनाड	श्री एम.आई. शानवास	19	19.6	20.35	17.13
6.		मलप्पुरम	श्री ई. अहमद	19	17.1	20.76	15.26
7.		एर्नाकुलम	श्री के.वी. थॉमस	19	14.6	19.95	11.95
8.		इडुक्की	श्री पी.टी. थॉमस	19	17.1	19.7	16.19
9.		कासरगोड	श्री पी. करुणाकरन	19	14.6	20.52	12.97
10.		कोट्टयम	श्री जोस के. मणि	19	17.1	20.59	14.46
11.		अलथूर (अ.जा.)	श्री पी.के. बिजू	19	17.1	20.28	15.36
12.		मवेलिक्कारा (अ.जा.)	श्री सुरेश कोडिकुन्नील	19	17.1	20.26	15.31
13.		चालाकुडी	श्री के.पी. धनपालन	19	17.1	19.8	13.57

1	2	3	4	5	6	7	8
14.		पनथमथीट्टा	श्री एंटो एन्टोनी	19	14.6	20.64	14.17
15.		पलक्काड	श्री एम.बी. राजेश	19	19.6	20.19	17.82
16.		पोन्नानी	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	19	17.1	20.23	15.75
17.		कोल्लम	श्री एन. पीतांबर कुरूप	19	14.6	19.93	15.27
18.		त्रिस्सूर	श्री पी.सी. चाको	19	17.1	19.78	15.44
19.		तिरुवनंतपुरम	डॉ. शशि थरूर	19	17.1	20.18	16.42
20.		अटिंगल	श्री ए. संपत	19	19.6	20.48	17.72
	मध्य प्रदेश						
1.		बालाघाट	श्री के.डी. देशमुख	19	16.53	16.85	16.85
2.		बैतूल (अ.ज.जा.)	श्रीमती ज्योति धुर्वे	19	16.53	18.76	17.12
3.		भींड (अ.जा.)	श्री अशोक अर्गल	19	16.53	19.42	16.93
4.		भोपाल	श्री कैलाश जोशी	19	14.03	12.71	11.55
5.		छिंदवाड़ा	श्री कमलनाथ	19	16.53	19.33	15.8
6.		दमोह	श्री शिवराज भैया	19	19.03	19.47	17.49
7.		धार (अ.ज.जा.)	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	19	19.03	19.58	17.42
8.		गुना	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	19	19.03	17.89	15.02
9.		ग्वालियर	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	19	16.53	17.14	14.37
10.		होशंगाबाद	श्री उदय प्रताप सिंह	19	16.53	16.67	14.3
11.		इंदौर	श्रीमती सुमित्रा महाजन	19	19.03	18.94	16.08
12.		जबलपुर	श्री राकेश सिंह	19	19.03	17.07	16.86
13.		टीकमगढ़ (अ.जा.)	श्री वीरेन्द्र कुमार	19	14.03	15.77	13.36
14.		खजुराहो	श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला	19	16.53	18.86	14.89
15.		खंडवा	श्री अरुण यादव	19	16.53	16.74	14.79
16.		खरगोन (अ.ज.जा.)	श्री मकन सिंह सोलंकी	19	16.53	17.69	16.89
17.		मंडला (एसटी)	श्री बसोरी सिंह मसराम	19	19.03	16.04	15.18
18.		मंदसौर	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	19	19.03	18.23	15.72

1	2	3	4	5	6	7	8
19.		मुरैना	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	19	19.03	19.33	15.95
20.		राजगढ़	श्री नारायण सिंह अमलाबे	19	19.03	19.14	15.65
21.		रीवा	श्री देवराज सिंह पटेल	19	19.03	19.56	19.01
22.		सागर	श्री भूपेन्द्र सिंह	19	19.03	19.55	18.49
23.		सतना	श्री गणेश सिंह	19	19.03	19.54	17.87
24.		देवास (अ.जा.)	श्री सज्जन वर्मा	19	19.03	16.96	15.96
25.		शहडोल (अ.ज.जा.)	श्रीमती राजेश नंदिनी सिंह	19	19.03	19.09	17.66
26.		रतलाम (अ.ज.जा.)	श्री कांतिलाल भूरिया	19	16.53	13.15	11.15
27.		सीधी	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	19	16.53	19.76	14.9
28.		उज्जैन (अ.जा.)	श्री प्रेमचंद्र गुड्डू	19	19.03	19.52	19.52
29.		विदिशा	श्रीमती सुषमा स्वराज	19	19.03	19.39	19.39
	महाराष्ट्र						
1.		अहमदनगर	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	19	16.85	18.73	12.22
2.		अकोला	श्री संजय धोत्रे	19	16.85	20.59	17.31
3.		अमरावती (अ.जा.)	श्री आनंदराव अडसुल	19	16.85	20.75	16.46
4.		औरंगाबाद	श्री चंद्रकांत खैरे	19	16.85	20.56	16.41
5.		बारामती	श्रीमती सुप्रिया सुले	19	16.85	20.85	13.24
6.		भंडारा-गोंडिया	श्री प्रफुल पटेल	19	11.85	20.41	12.6
7.		बीड	श्री गोपीनाथ मुंडे	19	14.35	16.99	11.11
8.		मुंबई उत्तर	श्री संजय निरुपम	19	11.85	20.48	12.81
9.		मुंबई उत्तर मध्य	श्रीमती प्रिया दत्त	19	11.85	20.2	12.14
10.		मुंबई उत्तर पूर्व	श्री संजय दिना पाटील	19	11.85	20.39	13.08
11.		मुंबई उत्तर पश्चिम	श्री गुरुदास कामत	19	11.85	20.24	9.73
12.		मुंबई दक्षिण	श्री मिलिंद मुरली देवरा	19	11.85	19.5	13.31
13.		मुंबई दक्षिण मध्य	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़	19	11.85	20.41	13.26
14.		बुलधाना	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	19	11.85	20.76	13.38

1	2	3	4	5	6	7	8
15.		चंद्रपुर	श्री हंसराज ग. अहीर	19	16.85	15.55	12.34
16.		गड़चिरौली-चिमुर (अ.ज.जा.)	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	19	14.35	20.4	15.67
17.		रावेर	श्री हरिभाऊ जावले	19	16.85	16.17	10.92
18.		धुले	श्री सोनवणे प्रताप नारायण राव	19	14.35	20.48	15.65
19.		डिंडोरी (एसटी)	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	19	14.35	20.66	15.34
20.		हिंगोली	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	19	16.85	12.82	10.9
21.		पालघर (अ.ज.जा.)	श्री बलीराम जाधव	19	14.35	20.11	13.48
22.		जलगांव	श्री ए.टी. नाना पाटील	19	16.85	20.53	11.36
23.		जालना	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	19	16.85	20.76	13.24
24.		भिवंडी	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	19	14.35	20.38	12.45
25.		कल्याण	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	19	14.35	20.04	13.31
26.		मावल	श्री गजानन ध. बाबर	19	19.35	20.8	18.67
27.		कोल्हापुर	श्री सदाशिव राव दादोबा मंडिकल	19	14.35	20.96	14.4
28.		रायगढ़	श्री अनंत गंगाराम गीते	19	14.35	17.26	11
29.		लातूर (अ.जा.)	श्री जयवंत गंगाराम आवले	19	14.35	20.56	15.41
30.		शिरूर	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	19	16.85	20.89	16.01
31.		नागपुर	श्री विलास मुत्तेमवार	19	11.85	20.65	10.78
32.		नांदेड़	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	19	16.85	20.78	13.72
33.		नंदुरबार (अ.ज.जा.)	श्री माणिकराव होडल्या गावित	19	16.85	17.96	14.06
34.		नासिक	श्री समीर भुजबल	19	14.35	19.6	13.02
35.		उस्मानाबाद	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	19	14.35	20.55	15.65
36.		शिरडी (अ.जा.)	श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे	19	16.85	18.55	12.56
37.		परभानी	श्री गणेश राव नागोराव दूधगांवकर	19	16.85	19.91	16.07
38.		पुणे	श्री सुरेश कलमाड़ी	19	14.35	20.91	13.12
39.		मध	श्री शरद पवार	19	14.35	19.88	14.71

1	2	3	4	5	6	7	8
40.		रामटेक (अ.जा.)	श्री मुकुल वासनिक	19	11.85	20.42	10.99
41.		रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग	श्री निलेश नारायण राणे	19	14.35	20.28	13.82
42.		सांगली	श्री प्रतीक पाटील	19	16.85	20.4	15.46
43.		सतारा	श्री उदयनराजे भोंसले	19	16.85	20.37	13.65
44.		सोलापुर (अ.जा.)	श्री सुशील कुमार शिंदे	19	11.85	19.62	11.35
45.		ठाणे	श्री संजीव गणेश नाईक	19	11.85	14.3	10.68
46.		वर्धा	श्री दत्ता मेघे	19	16.85	20.4	16.37
47.		हातकणंगले	श्री राजू शेट्टी	19	14.35	21	15.43
48.		यवतमाल-वाशिम	श्रीमती भावना पाटील गवली	19	14.35	18.04	12.39
	मणिपुर						
1.		आंतरिक मणिपुर	डॉ. थोकचोम मैन्या	19	19	19	19
2.		बाहरी मणिपुर (अ.ज.जा.)	श्री थांगसो बाइते	19	19	19	18.17
	मेघालय						
1.		शिलांग (अ.ज.जा.)	श्री विंसेंट एच. पाला	19	19	16.98	16.45
2.		तुरा (अ.ज.जा.)	श्री अगाथा संगमा	19	19	18.98	16.93
	मिज़ोरम						
1.		मिज़ोरम (अ.ज.जा.)	श्री सी.एल. रुआला	19	19	17.95	17.68
	नागालैंड						
1.		नागालैंड	श्री सी.एम. चांग	19	19	16.53	16.53
	ओडिशा						
1.		अस्का	श्री नित्यानंद प्रधान	19	14	16.56	10.79
2.		बालासोर	श्री श्रीकांत जेना	19	19	19.46	12.82
3.		बरहमपुर	श्री सिद्धांत महापात्र	19	16.5	16.93	11.06
4.		भद्रक (अ.जा.)	श्री अर्जुन चरण सेठी	19	19	16.82	14.38
5.		भुवनेश्वर	डॉ. (प्रो.) प्रसन्न कुमार पाटसाणी	19	19	19.44	15.31

1	2	3	4	5	6	7	8
6.		बोलनगीर	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	19	19	18.9	14.95
7.		कटक	श्री भर्तृहरि महताब	19	16.5	12.25	11.31
8.		कंधमाल	श्री रुद्रमाधव राय	19	19	16.6	14.35
9.		ढेंकनाल	श्री तथागत सत्पथी	19	14	14.07	12.41
10.		जगतसिंहपुर (अ.जा.)	श्री बिभू प्रसाद तराई	19	19	15.85	14.86
11.		जाजपुर (अ.जा.)	श्री मोहन जेना	19	16.5	14.56	11.97
12.		कालाहांडी	श्री भक्त चरण दास	19	16.5	16.21	14.77
13.		केंद्रपाड़ा	श्री वैजयंत पांडा	19	16.5	18.76	12.39
14.		क्योंझार (अ.अ.जा.)	श्री यशवंत लागुरी	19	16.5	17.63	14.32
15.		कोरापुट (अ.अ.जा.)	श्री जयराम पांगी	19	14	11.88	9.57
16.		मयूरभंज (अ.अ.जा.)	श्री लक्ष्मण टुडु	19	19	19.36	15.65
17.		नबरंगपुर (अ.ज.जा.)	श्री प्रदीप माझी	19	16.5	13.44	10.69
18.		बारगढ़	श्री संजय भोई	19	14	11.17	9.27
19.		पुरी	श्री पिनाकी मिश्रा	19	16.5	18.55	15.62
20.		संबलपुर	श्री अमरनाथ प्रधान	19	19	19.17	17.11
21.		सुंदरगढ़ (अ.ज.जा.)	श्री हेमानंद बिसवाल	19	16.5	19.51	16.17
	पंजाब						
1.		अमृतसर	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	19	16.5	19.36	13.7
2.		भटिंडा	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	19	19	19.64	16.49
3.		फरीदकोट (अ.जा.)	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	19	19	19.29	19.28
4.		फिरोजपुर	श्री शेर सिंह घुबाया	19	19	19.2	17.62
5.		गुरदासपुर	श्री प्रताप सिंह बाजवा	19	16.5	17.02	14.52
6.		होशियापुर (अ.जा.)	श्रीमती संतोष चौधरी	19	19	19.36	16.32
7.		जालंधर (अ.जा.)	श्री महिन्दर सिंह केपी	19	16.5	17.08	15.61
8.		लुधियाना	श्री मनीष तिवारी	19	19	16.87	14.69
9.		पटियाला	श्रीमती परनीत कौर	19	19	19.25	16.28

1	2	3	4	5	6	7	8
10.		फतेहगढ़ साहिब (अ.जा.)	श्री सुखदेव सिंह	19	16.5	17.2	15.72
11.		आनंदपुर साहिब	श्री रवनीत सिंह	19	19	19.73	17
12.		संगरुर	श्री विजय इंदर सिंगला	19	19	19.4	18.19
13.		खदूर साहिब	डॉ. रतन सिंह अजनाला	19	19	16.84	15.92
	राजस्थान						
1.		अजमेर	श्री सचिन पायलट	19	16.5	14.55	11.5
2.		अलवर	श्री जितेन्द्र सिंह	19	16.5	18.9	12.02
3.		बासवाड़ा (अ.ज.जा.)	श्री ताराचंद भगोरा	19	16.5	18.39	14.33
4.		बारमेर	श्री हरीश चौधरी	19	16.5	15.22	13.66
5.		राजसमंद	श्री गोपाल सिंह शेखावत	19	19	17.2	14.33
6.		भरतपुर (अ.जा.)	श्री रतन सिंह	19	19	18.44	15.53
7.		भीलवाड़ा	डॉ. सी.पी. जोशी	19	16.5	13.49	10.99
8.		बीकानेर (अ.जा.)	श्री अर्जुन राम मेघवाल	19	16.5	19.25	15.4
9.		चित्तौडगढ़	डॉ. गिरिजा व्यास	19	19	18.44	16.8
10.		चुरु	श्री राम सिंह कस्वां	19	19	18.78	14.94
11.		दौसा (एसटी)	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	19	16.5	19.5	16.96
12.		श्रीगंगानगर (अ.जा.)	श्री भरत राम मेघवाल	19	19	19.61	15.54
13.		जयपुर ग्रामीण	श्री लाल चंद कटारिया	19	16.5	18.01	16.99
14.		जालौर	श्री देवजी एम. पटेल	19	16.5	18.2	14.53
15.		झालाबार-बरन	श्री दुष्यत सिंह	19	19	16.01	14.02
16.		झुन्झुनू	श्री शीश राम ओला	19	16.5	17.08	15.68
17.		जोधपुर	श्रीमती चंद्रेश कुमारी	19	14	14.84	12.37
18.		कोटा	श्री इज्यराज सिंह	19	16.5	14.96	11.91
19.		नागौर	डॉ. (श्रीमती) ज्योति मिर्धा	19	14	16.63	12.88
20.		पाली	श्री बद्री राम जाखड़	19	16.5	12.66	10.07
21.		करौली-धौलपुर (अ.जा.)	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	19	16.5	15.03	12.98

1	2	3	4	5	6	7	8
22.		टोंक-सवाई माधोपुर	श्री नमो नारायन मीणा	19	19	18.36	15.8
23.		सीकर	श्री महादेव सिंह खंडेला	19	19	19.33	16.94
24.		जयपुर	श्री महेश जोशी	19	16.5	19.61	16.87
25.		उदयपुर (अ.जा.)	श्री रघुवीर सिंह मीणा	19	19	18.54	17.56
	सिक्किम						
1.		सिक्किम	श्री प्रेम दास राय	19	19	19.12	16.21
	तमिलनाडु						
1.		अराकोणम	डॉ. एस. जगतरक्षकन	19	19.03	19.4	18.75
2.		कांचीपुरम (अ.जा.)	श्री पी. विश्वनाथन	19	16.53	19.02	16.62
3.		चिदंबरम (अ.जा.)	श्री थोल तिरुमावलावन	19	19.03	18.79	16.63
4.		कोयंबटूर	श्री पी.आर. नटराजन	19	16.53	18.65	13.43
5.		कुड्डालोर	श्री एस. अलागिरी	19	19.03	18.86	16.96
6.		धर्मापुरी	श्री आर. थामराईसेलवन	19	16.53	18.69	11.14
7.		डिंडीगुल	श्री एन.एस.वी. चित्तन	19	16.53	19.62	14.82
8.		अरानी	श्री एम. कृष्णास्वामी	19	19.03	18.92	17.39
9.		करूर	डॉ. एम. तम्बिदुरई	19	19.03	18.72	16.59
10.		कृष्णागिरि	श्री ई.जी. सुगावनम	19	19.03	18.69	17.24
11.		चेन्नई सेंट्रल	श्री दयानिधि मारन	19	6.53	12.75	2.98
12.		चेन्नई उत्तर	श्री टी.के.एस. इलेंगोवन	19	11.53	10.19	8.86
13.		चेन्नई दक्षिण	श्री सी. राजेंद्रन	19	14.03	16.48	11.96
14.		मदुरै	श्री एम.के. अलागिरी	19	16.53	18.69	16.65
15.		माइलादुत्रयी	श्री ओ.एस. मणियन	19	14.03	19.87	14.34
16.		नागापट्टिनम (अ.जा.)	श्री ए.के.एस. विजयन	19	16.53	16.43	13.98
17.		विलुपुरम (अ.जा.)	श्री एम. आनंदन	19	16.53	18.81	16.33
18.		नीलगिरी (अ.जा.)	श्री ए. राजा	19	16.53	18.78	12.8
19.		कल्लाकुरिची	श्री आधि शंकर	19	16.53	19.05	16.61

1	2	3	4	5	6	7	8
20.		तिरुवल्लूर (अ.जा.)	श्री पी. वेणुगोपाल	19	16.53	18.58	14.55
21.		पोराम्बलूर	श्री डी. नैपोलियन	19	19.03	18.69	16.65
22.		पोल्लची	श्री के. सुगुमार	19	16.53	18.14	13.09
23.		नमक्कल	श्री एस. गांधीसेलवन	19	16.53	18.46	13.46
24.		रामनाथपुरम	श्री के. उर्फ जे.के. रितीश शिवकुमार	19	19.03	18.97	16.58
25.		इरोड	श्री ए. गणेशमूर्ति	19	19.03	19.34	16.23
26.		सलेम	श्री एस. सेम्मलई	19	16.53	18.27	15.29
27.		शिवगंगा	श्री पी. चिदंबरम	19	19.03	18.88	15.47
28.		तिरुपुर	श्री सी. शिवासामी	19	16.53	18.65	13.87
29.		श्रीपेरुमबुदुर	श्री टी.आर. बालू	19	14.03	19.47	9.66
30.		तेनकासी (अ.जा.)	श्री पी. लिंगम	19	16.53	19.24	16.1
31.		तंजावुर	श्री एस.एस. पलानीमनिकम	19	19.03	18.5	16.56
32.		तिरुवन्नामलाई	श्री डी. वेणुगोपाल	19	19.03	19.42	16.54
33.		थूथुकुड़ी	श्री एस.आर. जेयदुरई	19	19.03	19.05	18.14
34.		थेनी	श्री जे.एम. आरून रशीद	19	16.53	16.69	11.63
35.		तिरुचिरापल्ली	श्री पी. कुमार	19	11.53	18.65	11.16
36.		तिरुनेलवेली	श्री एस.एस. रामासुब्बू	19	19.03	19.15	17.33
37.		विरुधुनगर	श्री मानिक टैगोर	19	16.53	17.93	13.17
38.		कन्याकुमारी	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	19	19.03	18.91	18.85
39.		वेल्लोर	श्री अब्दुल रहमान	19	19.03	19.22	19.22
	तेलंगाना						
1.		आदिलाबाद (अ.ज.जा.)	श्री रमेश राठौड़	19	16.5	16.02	11
2.		भोंगीर	श्री के.आर.जी. रेड्डी	19	16.5	19.4	15.31
3.		चेवेल्ला	श्री एस. जयपाल रेड्डी	19	14	18.66	13.87
4.		हैदराबाद	श्री असादूद्दीन ओवेसी	19	14	18.39	14.79

1	2	3	4	5	6	7	8
5.		कारीमपनगर	श्री पोन्नम प्रभाकर	19	11.5	14.68	10
6.		खम्माम	श्री नामा नागेश्वर राव	19	16.5	19.01	14.71
7.		महाबूबनगर (अ.ज.जा.)	श्री पी. नायक बलराम	19	16.5	19.69	15.72
8.		महबूबनगर	श्री के. चंद्रशेखर राव	19	16.5	19.58	16.76
9.		मल्काजगिरी	श्री सर्वे सत्यनारायण	19	14	18.53	14.02
10.		मेदक	श्रीमती एम. विजय शांति	19	16.5	19.28	15.3
11.		नगरकुरनूल (अ.जा.)	डॉ. मंदा जगन्नाथ	19	19	19.18	17
12.		नलगोंडा	श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी	19	16.5	19.82	15.57
13.		निज़ामाबाद	श्री मधु गौड़ यास्खी	19	11.5	17.64	9.04
14.		पेड्डापल्ले (अ.जा.)	श्री जी. विवेकानंद	19	14	15.65	10.97
15.		सिकंदराबाद	श्री अंजन कुमार एम. यादव	19	19	19.89	16.74
16.		वांगल (अ.जा.)	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	19	11.5	19.72	9.29
17.		जहीराबाद	श्री सुरेश कुमार शेटकर	19	16.5	18.94	15.07
	त्रिपुरा						
1.		त्रिपुरा पूर्व (अ.ज.जा.)	श्री बाजू बन रियान	19	7.5	11.43	7.37
2.		त्रिपुरा पश्चिम	श्री खगेन दास	19	19	16.58	15.61
	उत्तर प्रदेश						
1.		आगरा (अ.जा.)	प्रो. राम शंकर	19	19.06	19.03	15.39
2.		अकबरपुर	श्री राजाराम पाल	19	16.56	19.44	16.91
3.		अलीगढ़	श्रीमती राजकुमारी चौहान	19	19.06	19.53	19.5
4.		इलाहाबाद	श्री रेवती रमण सिंह	19	19.06	16.07	14.23
5.		अमेठी	श्री राहुल गांधी	19	16.56	14.09	11.56
6.		अमरोहा	श्री देवेन्द्र नागपाल	19	19.06	17.32	14.58
7.		आंवला	श्रीमती मेनका संजय गांधी	19	16.56	13.78	11.64
8.		आजमगढ़	श्री रमाकांत यादव	19	19.06	19.52	14.98
9.		बागपत	श्री अजित सिंह	19	19.06	16.85	16.6

1	2	3	4	5	6	7	8
10.		बहराइच (अ.जा.)	श्री कमल किशोर	19	19.06	19.24	15.06
11.		बलिया	श्री नीरज शेखर	19	19.06	17.88	14.49
12.		श्रावस्ती	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	19	19.06	16.79	15.3
13.		बांसगांव (अ.जा.)	श्री कमलेश पासवान	19	16.56	11.92	9.58
14.		बांदा	श्री आर.के. सिंह पटेल	19	16.56	15.4	12.06
15.		बाराबंकी (अ.जा.)	श्री पन्ना लाल पुनिया	19	19.06	16.73	15.96
16.		बरेली	श्री प्रवीण सिंह ऐरन	19	19.06	16.5	14.59
17.		बस्ती	श्री अरविंद कुमार चौधरी	19	19.06	19.23	17.63
18.		बिजनौर	श्री संजय सिंह चौहान	19	19.06	19.35	16.45
19.		भदोही	श्री गोरखनाथ पांडेय	19	19.06	16.63	15.46
20.		बदायूं	श्री धर्मेन्द्र यादव	19	19.06	16.12	14.58
21.		बुलंदशहर (अ.जा.)	श्री कमलेश बाल्मीकि	19	19.06	19.51	16.32
22.		गौतम बुद्ध नगर	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	19	16.56	13.99	10.39
23.		चंदौली	श्री रामकिशुन	19	19.06	19.23	16.67
24.		देवरिया	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	19	19.06	16.9	15.88
25.		डुमरियागंज	श्री जगदम्बिका पाल	19	19.06	19.37	18.59
26.		एटा	श्री कल्याण सिंह	19	14.06	14.35	11.05
27.		इटावा (अ.जा.)	श्री प्रेमदास	19	19.06	16.38	14.49
28.		फैजाबाद	श्री निर्मल खत्री	19	19.06	19.31	17.91
29.		फर्रुखाबाद	श्री सलमान खुर्शीद	19	16.56	19.17	11.87
30.		फतेहपुर	श्री राकेश सचान	19	16.56	18.96	12.81
31.		फिरोजाबाद	श्री राज बब्बर	19	19.06	16.4	14.43
32.		अंबेडकर नगर	श्री राकेश पाण्डेय	19	19.06	16.55	14.48
33.		गाजीपुर	श्री राधे मोहन सिंह	19	19.06	16.73	14.84
34.		घोसी	श्री दारा सिंह चौहान	19	19.06	19.69	16.9
35.		गोंडा	श्री बेनी प्रसाद वर्मा	19	19.06	19.27	15.51

1	2	3	4	5	6	7	8
36.		गोरखपुर	योगी आदित्यनाथ	19	16.56	14.07	10.95
37.		हमीरपुर	श्री विजय बहादुर सिंह	19	16.56	17.82	14.62
38.		नगीना (अ.जा.)	श्री यशवीर सिंह	19	19.06	19.45	16.06
39.		हरदोई (अ.जा.)	श्रीमती ऊषा वर्मा	19	19.06	16.11	14.59
40.		हाथरस (अ.जा.)	श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल	19	19.06	19.49	18.11
41.		जालौन (अ.जा.)	श्री घनश्याम अनुरागी	19	16.56	16.91	14.5
42.		संत कबीर नगर	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	19	19.06	16.21	16.21
43.		जौनपुर	श्री धनंजय सिंह	19	16.56	11.93	10.73
44.		झांसी	श्री प्रदीप जैन	19	16.56	16.8	13.56
45.		कैराना	श्रीमती तबस्सुम हसन	19	19.06	16.03	14.69
46.		कैसरगंज	श्री बृजभूषण शरण सिंह	19	19.06	19.36	17.23
47.		कन्नौज	श्रीमती डिंपल यादव	19	16.56	14.8	12.08
48.		कानपुर	श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	19	16.56	19.64	16.66
49.		कौशाम्बी (अ.जा.)	श्री शैलेन्द्र कुमार	19	16.56	11.92	11.6
50.		खीरी	श्री जफर अली नकवी	19	19.06	19.27	16.74
51.		धौरहरा	श्री जितिन प्रसाद	19	19.06	19.53	16.98
52.		लखनऊ	श्री लालजी टंडन	19	16.56	14.28	11.18
53.		मछलीशहर (अ.जा.)	श्री सरोज तूफानी	19	19.06	16.04	14.51
54.		महाराजगंज	श्री हर्ष वर्धन	19	16.56	12.1	9.85
55.		मैनपुरी	श्री मुलायम सिंह यादव	19	19.06	19.24	16.86
56.		मथुरा	श्री जयंत चौधरी	19	19.06	21.22	17.68
57.		मेरठ	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	19	19.06	18.73	15.86
58.		मिर्जापुर	श्री बाल कुमार पटेल	19	19.06	19.52	16.28
59.		मिश्रिख (अ.जा.)	श्री अशोक कुमार रावत	19	19.06	17.75	15.21
60.		मोहनलालगंज (अ.जा.)	श्रीमती सुशीला सरोज	19	19.06	16.8	14.75
61.		मुजफ्फरनगर	श्री कादिर राणा	19	19.06	16.39	14.77

1	2	3	4	5	6	7	8
62.		गाजियाबाद	श्री राजनाथ सिंह	19	19.06	16.91	14.49
63.		फूलपुर	श्री कपिल मुनि करवारिया	19	19.06	16.7	14.4
64.		पीलीभीत	श्री वरुण गांधी	19	19.06	17.08	16.28
65.		प्रतापगढ़	राजकुमारी रत्ना सिंह	19	19.06	16.72	14.73
66.		रायबरेली	श्रीमती सोनिया गांधी	19	16.56	17.73	13.61
67.		रामपुर	श्रीमती जयाप्रदा	19	19.06	16.15	15.47
68.		सबर्ट्सगंज (अ.जा.)	श्री पकौड़ी लाल	19	19.06	16.05	14.55
69.		सहारनपुर	श्री जगदीश सिंह राणा	19	19.06	19.55	18.29
70.		कुशी नगर	श्री आर.पी.एन. सिंह	19	19.06	16.75	16.15
71.		सलेमपुर	श्री रमाशंकर राजभर	19	19.06	16.5	14.53
72.		सम्भल	डॉ. शफीकुर्रहमान वर्क	19	16.56	11.98	11.92
73.		फतेहपुर सीकरी	श्रीमती सीमा उपाध्याय	19	19.06	19.11	16.11
74.		शाहजहांपुर (अ.जा.)	श्री मिथिलेश कुमार	19	19.06	16.7	14.57
75.		सीतापुर	श्रीमती कैसर जहां	19	19.06	19.39	18.37
76.		सुल्तानपुर	डॉ. संजय सिंह	19	14.06	14.31	10.3
77.		उन्नाव	श्रीमती अन्नू टंडन	19	14.06	11.53	10.07
78.		वाराणसी	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	19	19.06	19.24	14.78
79.		मुरादाबाद	श्री मोहम्मद अजहरुद्दीन	19	19.06	16.85	14.76
80.		लालगंज (अ.जा.)	डॉ. बलीराम	19	16.56	19.71	12.52
	पश्चिम बंगाल						
1.		अलीपुरद्वारस (अ.ज.जा.)	श्री मनोहर तिरकी	19	17.64	16.1	11.86
2.		आरामबाग (अ.जा.)	श्री शक्ति मोहन मलिक	19	12.64	15.58	7.93
3.		आसनसोल	श्री बंस गोपाल चौधरी	19	15.14	20.91	12.41
4.		बालुरघाट	श्री प्रशांत कुमार मजूमदार	19	12.64	13.81	11.13
5.		बांकुरा	श्री बसुदेव आचार्य	19	15.14	21.68	12.67
6.		बारासात	डॉ. काकोली घोष दस्तिदार	19	20.14	21.76	20.69

1	2	3	4	5	6	7	8
7.		बैरकपुर	श्री दिनेश त्रिवेदी	19	20.14	21.15	20.81
8.		बसरीहाट	शेख नूरुल इस्लाम	19	20.14	21.59	20.94
9.		बहरामपुर	श्री अधीर चौधरी	19	17.64	21.03	16.38
10.		बीरभूम	श्रीमती शताब्दी राय	19	20.14	19.27	17.05
11.		बोलपुर (अ.जा.)	डॉ. रामचंद्र डोम	19	15.14	15.63	12.11
12.		वर्धमान दुर्गापुर	शेख सैदुल हक	19	12.64	20.73	11.01
13.		वर्धमान पूर्व (अ.जा.)	डॉ. अनूप कुमार साहा	19	12.64	20.48	12.22
14.		मेदिनीपुर	श्री प्रबोध पांडा	19	17.64	20.75	17.21
15.		कोलकाता दक्षिण	श्री सुब्रत बक्शी	19	17.64	20.98	16.21
16.		कांथी	श्री शिशिर अधिकारी	19	20.14	20.33	17.5
17.		कूचबिहार (अ.जा.)	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	19	20.14	17.9	17.9
18.		दार्जिलिंग	श्री जसवंत सिंह	19	12.64	13.6	13.6
19.		डायमंड हार्बर	श्री सोमेन मित्रा	19	12.64	14.65	10.95
20.		दमदम	प्रो. सौगत राय	19	20.14	20.75	20.27
21.		बिष्णुपुर (अ.जा.)	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	19	12.64	20.26	8.15
22.		हुगली	डॉ. रत्ना डे	19	20.14	21.08	16.77
23.		हावड़ा	श्री प्रसून बनर्जी	19	17.64	17.04	13.57
24.		जादवपुर	श्री कबीर सुमन	19	12.64	14.63	10.1
25.		जलपाईगुड़ी (अ.जा.)	श्री महेन्द्र कुमार राय	19	17.64	16.22	11.66
26.		जंगीपुर	श्री अभिजीत मुखर्जी	19	17.64	20.72	11.91
27.		झारग्राम (अ.ज.जा.)	श्री पुलीन बिहारी वासके	19	20.14	21.31	19.94
28.		जयनगर (अ.जा.)	डॉ. तरुण मंडल	19	17.64	16.61	11.29
29.		माल्दहा दक्षिण	श्री अबू हशीम खां चौधरी	19	12.64	9.74	8.26
30.		कृष्णानगर	श्री तापस पॉल	19	20.14	21.02	18.23
31.		माल्दहा उत्तर	श्रीमती मौसम नूर	19	12.64	11.84	10.27
32.		मधुरापुर (अ.जा.)	श्री चौधरी मोहन जतुआ	19	20.14	19.16	16.28

1	2	3	4	5	6	7	8
33.		घटल	श्री गुरुदास दासगुप्त	19	20.14	20.7	18.06
34.		मुर्शिदाबाद	श्री अब्दुल मन्नान हुसैन	19	20.14	21.17	17.38
35.		श्रीरामपुर	श्री कल्याण बनर्जी	19	20.14	21.5	16.4
36.		कोलकाता उत्तर	श्री सुदीप बंदोपाध्याय	19	17.64	20.48	16.06
37.		पुरुलिया	श्री नरहरि महतो	19	15.14	13.82	11.85
38.		रायगंज	श्रीमती दीपा दासमुंशी	19	17.64	18.48	11.85
39.		रानाघाट (अ.जा.)	डॉ. सुचारु रंजन हल्दर	19	20.14	20.94	18.8
40.		तामलुक	श्री सुवेन्दु अधिकारी	19	20.14	20.35	18.45
41.		उलूबेरिया	श्री सुल्तान अहमद	19	17.64	19.31	15.8
42.		बनगांव (अ.जा.)	श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर	19	20.14	21.9	20.98
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह						
1.		अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	श्री विष्णु पद राय	19	20	21.81	20.96
	चंडीगढ़						
1.		चंडीगढ़	श्री पवन कुमार बंसल	19	17.5	20.65	17.48
	दादरा और नगर हवेली						
1.		दादरा और नगर हवेली (अ.ज.जा.)	श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेल	19	17.5	22.18	18.28
	दमन और दीव						
1.		दमन और दीव	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	19	19	15.99	15.94
	दिल्ली						
1.		पश्चिमी दिल्ली	श्री महाबल मिश्रा	19	15.5	24.99	13.39
2.		पूर्वी दिल्ली	श्री संदीप दीक्षित	19	5	16.01	4.09
3.		उत्तर पश्चिम दिल्ली (अ.जा.)	श्रीमती कृष्णा तीरथ	19	7	13.15	8.16
4.		नई दिल्ली	श्री अजय माकन	19	18	25.61	18.67

1	2	3	4	5	6	7	8
5.		उत्तर पूर्वी दिल्ली	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	19	15.5	21.4	17.07
6.		दक्षिण दिल्ली	श्री रमेश कुमार	19	7	5.01	3.71
7.		चांदनी चौक	श्री कपिल सिब्बल	19	15.5	23.07	14.85
	लक्षद्वीप						
1.		लक्षद्वीप (अ.ज.जा.)		19	17.5	30.75	17.72
	पुदुचेरी						
1.		पुदुचेरी		19	12.5	19.79	10.39
	छत्तीसगढ़						
1.		बस्तर (अ.ज.जा.)	श्री दिनेश कश्यप	19	16.59	18.99	15.4
2.		बिलासपुर	श्री दिलीप सिंह जूदेव	19	16.59	15.43	15.43
3.		दुर्ग	कुमारी सरोज पाण्डेय	19	16.59	11.71	15.75
4.		जांजगीर चंपा (अ.जा.)	श्रीमती कमला देवी पटले	19	19.09	16.3	15.55
5.		कांकेर (अ.ज.जा.)	श्री सोहन पोटाई	19	19.09	17.04	14.81
6.		महासमुंद	श्री चंदूलाल साहू	19	16.59	17.04	13.24
7.		रायगढ़ (अ.ज.जा.)	श्री विष्णु देव साय	19	16.59	16.58	14.21
8.		रायपुर	श्री रमेश बैस	19	16.59	18.54	17.28
9.		राजनन्दगांव	श्री मधुसूदन यादव	19	16.59	18.67	17.89
10.		कोरबा	डॉ. चरण दास महंत	19	16.59	17.5	15.54
11.		सरगुजा (अ.ज.जा.)	श्री मुरारी लाल सिंह	19	16.59	19.16	15.82
	उत्तराखंड						
1.		अल्मोड़ा (अ.जा.)	श्री प्रदीप टम्टा	19	16.5	16.97	14.06
2.		गढ़वाल	श्री सतपाल महाराज	19	14	14.99	9.59
3.		हरिद्वार	श्री हरीश रावत	19	16.5	11.84	11.84
4.		नैनीताल उधमसिंह नगर	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	19	19	16.83	14.8
5.		टिहरी गढ़वाल	श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह	19	11.5	11.89	11.49

1	2	3	4	5	6	7	8
झारखंड							
1.		चतरा (अ.जा.)	श्री इंदर सिंह नामधारी	19	19.14	16.61	14.64
		धनबाद	श्री पशुपति नाथ सिंह	19	19.14	16.57	15.59
		दुमका (अ.ज.जा.)	श्री शिबू सोरेन	19	14.14	20.57	15.82
		गिरिडीह	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	19	16.64	18.44	16.22
		गोड्डा	श्री निशिकांत दुबे	19	11.64	15.72	11.94
		हजारीबाग	श्री यशवंत सिन्हा	19	19.14	16.94	14.67
		जमशेदपुर	श्री अजय कुमार	19	19.14	18.87	18.29
		खूंटी (अ.ज.जा.)	श्री कडिया मुंडा	19	16.64	14.13	12.64
		कोडरमा	श्री बाबूलाल मरांडी	19	16.64	11.9	11.1
		लोहरदगा (अ.ज.जा.)	श्री सुदर्शन भगत	19	19.14	18.75	15.53
		पलामू (अ.ज.जा.)	श्री कामेश्वर बैठा	19	19.14	16.54	14.59
		राजमहल (अ.जा.)	श्री देवीधन बेसरा	19	11.64	11.5	10.87
		रांची	श्री सुबोध कांत सहाय	19	19.14	17.36	1486
		सिंहभूम (अ.जा.)	श्री मधु कोड़ा	19	11.64	7.17	5.34
			कुल योग	10339.9	9208.5	9809.12	7846.19

[हिन्दी]

बैंकिंग सेवाओं की आउटसोर्सिंग

1339. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकिंग सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं/जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) बैंकों के विनियामक होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने "जोखिम प्रबंधन एवं बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता" के संबंध में दिशा-निर्देश पर 3 नवम्बर, 2006 को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में अनुवर्ती जोखिमों के प्रबंधन हेतु एक रूपरेखा निर्धारित की गई है। उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को आंतरिक लेखा-परीक्षा, अनुपालन तथा निर्णय लिए जाने संबंधी कार्य जैसे जमा खाता खोलने के लिए अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) मानदंड का अनुपालन निर्धारित करने, ऋणों की स्वीकृति अनुमोदित करने और निवेश पोर्टफोलियों के प्रबंधन सहित मूल प्रबंधन कार्यों को आउटसोर्स करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, निर्णय के वाणिज्यिक पहलुओं सहित संगत घटकों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सेवाओं से संबंधित अनुमत कार्यकलाप की आउटसोर्सिंग की वांछनीयता पर विचार करना पूर्णत: बैंकों पर निर्भर है। तथापि, यदि कोई बैंक अपने निर्णय में किसी वित्तीय सेवा कार्यकलाप को आउटसोर्स

करने का निर्णय लेता है तो उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में उल्लेख किए गए अनुसार ऐसी आउटसोर्सिंग में निहित जोखिमों के समाधान के लिए आवश्यक सुरक्षोपाय लागू किए जाने चाहिए। इसके अलावा, बैंक द्वारा किसी कार्यकलाप की आउटसोर्सिंग से बैंक, इसके बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन, जो आउटसोर्स किए गए कार्यकलाप के लिए अंततः उत्तरदायी हैं, का दायित्व समाप्त नहीं होता है। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग से, चाहे सेवा प्रदाता भारत में अवस्थित हो या विदेश में, अपने कार्यकलापों की प्रभावी निगरानी तथा प्रबंधन की बैंक की क्षमता बाधित नहीं होनी चाहिए और न ही इससे भारतीय रिजर्व बैंक को इसके पर्यवेक्षीय कार्यकलाप और उद्देश्यों को पूरा करने में कोई बाधा आनी चाहिए।

मेडिकल शिक्षा

1340. श्रीमती रंजीत रंजन :
श्री राजेश रंजन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मेडिकल कॉलेजों में केपिटेशन-फीस की मांग सहित प्रवेश-परीक्षाओं के आयोजन और छात्रों के दाखिले में व्याप्त विभिन्न अनियमितताओं और कदाचार का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का देश में स्नातक एवं स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा संचालित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में मेडिकल पाठ्यक्रमों की अध्ययन अवधि और प्रशिक्षु को मेडिकल डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षुत्व-अवधि में परिवर्तन करने का विचार है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में मेडिकल शिक्षा में समरूपता लाने और इसकी गुणवत्ता और स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) और (ख) पूरे देश में कैपीटेशन शुल्क की मांग सहित चिकित्सा कॉलेजों में छात्र-छात्राओं के दाखिलों और प्रवेश आयोजित करने में अनियमितताओं और कदाचार को रोकने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2013-14 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा क्रमशः एमबीबीएस और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (एनईईपी) आयोजित की गई थीं। तथापि, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य सरकारों और कुछ निजी चिकित्सा कॉलेजों ने एनईईटी से छूट की अपेक्षा रखते हुए संबद्ध उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दाखिल की थीं। इन याचिकाओं को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय को अंतरित कर दिया गया था। माननीय शीर्ष न्यायालयों ने एनईईटी से संबंधित मामलों में अपने दिनांक 18.07.2013 के फैसले के तहत एनईईटी के कार्यान्वयन को रद्द कर दिया था। केन्द्र सरकार ने माननीय शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपने फैसले की समीक्षा हेतु याचिका दायर की है।

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रतिस्पर्धा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए और निजी/सरकारी क्षेत्र, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विख्यात चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले की तैयारी शामिल है, में समुचित नौकरियों में सफलता प्राप्त करने के लिए उच्च कोटि की कोचिंग प्रदान करने हेतु एक स्कीम अर्थात् "अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की निःशुल्क कोचिंग की केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम" है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) में यथावर्णित।

[अनुवाद]

जनजातीय बालिकाओं की साक्षरता-दर

1341. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान साक्षरता-दर क्या है और इस संबंध में स्त्री और पुरुष साक्षरता-दर और देश की संपूर्ण साक्षरता दर की तुलना में इसकी स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी करने

और उससे लाभान्वित होने के लिए सक्षम बनने हेतु जनजातीय बालिकाओं की साक्षरता-दर बढ़ाना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो सामान्य महिला आबादी और जनजातीय बालिकाओं के मध्य शिक्षा-स्तर के अंतर को खत्म करने हेतु किए गए उपायों या कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस हेतु विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि जारी और प्रयुक्त की गई; और

(घ) शिक्षा के लिए आवश्यक वातावरण बनाते हुए जनजातीय बालिकाओं के विद्यालय में 100 प्रतिशत नामांकन और प्रारंभिक स्तर पर ही पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली बालिकाओं की संख्या कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा) : (क) अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता की वर्तमान दर जिसमें महिला और पुरुष साक्षरता-दर के ब्यौरे को इंगित करते हुए अनुसूचित जनजाति के बीच वर्तमान साक्षरता-दर और देश, राज्य/संघ शासित क्षेत्र व समग्र साक्षरता-दर की इससे तुलना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार ने बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 को अधिनियमित किया है और 6 से 14 वर्ष और 15 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग की साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम साक्षर भारत प्रारंभ की है। सर्वशिक्षा अभियान जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है वह जनजातीय बालिकाओं सहित 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्ष्ज्ञा का प्रावधान करता है। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 109 जनजातीय सघनता वाले जिलों की पहचान केन्द्रित कार्यक्रमोन्मुख हस्तक्षेपों के लिए की गई है। सर्वशिक्षा अभियान के कुल परिव्यय का 12 प्रतिशत 2014-15 में इन 109 जनजातीय सघनता वाले जिलों के लिए लक्षित है।

जनजातीय बच्चों की नामांकन दर बढ़ाने के लिए सर्वशिक्षा अभियान नए स्कूल खोलने, स्कूल भवनों के निर्माण, अतिरिक्त कक्षाओं के कमरों के निर्माण, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात के अनुसार अतिरिक्त अध्यापकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, कक्षा 1 से 7 तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, सभी लड़कियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे से संबंधित बच्चों के लिए मुफ्त वर्दी (दो सेट) प्रावधान करता है। अन्य अनेक हस्तक्षेप जैसे आवासीय स्कूल/छात्रावास, सुरक्षा/वाहन सुविधा, स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण, जिससे वे उपयुक्त आयु की कक्षाओं के लिए मुख्यधारा में आ सकें, व घर की भाषा पर बल सहित बहुभाषीय शिक्षा को जागरुकता अभियान व स्कूल प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, जिससे कि अधिक से अधिक जनजातीय बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में लाया जा सके।

साक्षर भारत राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का एक नया प्रकार है जिसका मुख्य बल 410 पात्र जिलों (2001 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत से नीचे वयस्क महिला साक्षरता दर और सभी वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले जिनमें साक्षरता दर पर ध्यान नहीं दिया गया) के ग्रामीण क्षेत्रों की वयस्क निरक्षर महिलाओं पर है और जिसका प्रमुख लक्ष्य 15 वर्ष और उससे ऊपर के आयु वर्ग में आठ मिलियन अनुसूचित जनजातियों सहित 70 मिलियन वयस्कों के लिए कार्यकारी साक्षरता प्रदान करना है।

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान साक्षर भारत के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार जारी निधियां संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के लिए विशिष्ट स्कीम- 'न्यून साक्षरता जिलों में अनुसूचित लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण' कार्यान्वित कर रहा है। इस मंत्रालय की अन्य स्कीमें जो अनुसूचित जनजातीय बच्चों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देती हैं वे हैं: (1) अनुसूचित जनजातियों के लिए गुणात्मक मिडल एवं उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान के उद्देश्य से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, (2) अनुसूचित जनजातियों लड़कों व लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की स्कीम, (3) जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की स्कीम, (4) अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, (5) कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृ त्त (अर्थात् 1.7.2012), (6) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (राज्य का घटक), (7) राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति, (8) उच्च श्रेणी शिक्षा, और (9) राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति। गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई और उपयोग की गई राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III से XI में दिया गया है।

विवरण-I

जनजाति साक्षरता दर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	साक्षरता दर					
		कुल जनसंख्या में			अनुसूचित जनजातियों में		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जम्मू और कश्मीर	67.2	76.8	56.4	50.6	60.6	39.7
2.	हिमाचल प्रदेश	82.8	89.5	75.9	73.6	83.2	64.2
3.	उत्तराखंड	78.8	87.4	70.0	73.9	83.6	63.9
4.	राजस्थान	66.1	79.2	52.1	52.8	67.6	37.3
5.	उत्तर प्रदेश	67.7	77.3	57.2	55.7	67.1	43.7
6.	बिहार	61.8	71.2	51.5	51.1	61.3	40.4
7.	सिक्किम	81.4	86.6	75.6	79.7	85.0	74.3
8.	अरुणाचल प्रदेश	65.4	72.6	57.7	64.6	71.5	58.0
9.	नागालैंड	79.6	82.8	76.1	80.0	83.1	769
10.	मणिपुर	76.9	83.6	70.3	72.6	77.3	67.8
11.	मिज़ोरम	91.3	93.3	89.3	91.5	93.6	89.5
12.	त्रिपुरा	87.2	91.5	82.7	79.1	86.4	71.6
13.	मेघालय	74.4	76.0	72.9	74.5	75.5	73.5
14.	असम	72.2	77.8	66.3	72.1	79.0	65.1
15.	पश्चिम बंगाल	76.3	81.7	70.5	57.9	68.2	47.7
16.	झारखंड	66.4	76.8	55.4	57.1	68.2	46.2
17.	ओडिशा	72.9	81.6	64.0	52.2	63.7	41.2
18.	छत्तीसगढ़	70.3	80.3	60.2	59.1	69.7	48.8
19.	मध्य प्रदेश	69.3	78.7	59.2	50.6	59.6	41.5
20.	गुजरात	78.0	85.8	69.7	62.5	71.7	53.2
21.	दमन और दीव	87.1	91.5	79.5	78.8	86.2	71.2
22.	दादरा और नगर हवेली	76.2	85.2	64.3	61.9	73.6	50.3

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	महाराष्ट्र	82.3	88.4	75.9	65.7	74.3	57.0
24.	आंध्र प्रदेश	67.0	74.9	59.1	49.2	58.3	40.1
25.	कर्नाटक	75.4	82.5	68.1	62.1	71.1	53.0
26.	गोवा	88.7	92.6	84.7	79.1	87.2	71.5
27.	लक्षद्वीप	91.8	95.6	87.9	91.7	95.7	87.8
28.	केरल	94.0	96.1	92.1	75.8	80.8	71.1
29.	तमिलनाडु	80.1	86.8	73.4	54.3	61.8	46.8
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	86.6	90.3	82.4	75.6	80.9	69.9
	भारत	73.0	80.9	64.6	59.0	68.5	49.4

विवरण-II

साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत निर्मुक्त केन्द्रीय अंश के वर्षवार ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	निर्मुक्त केन्द्रीय अंश			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6454.92	1605.83	6921.76	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	2260.53	0	1417.84	0
3.	असम	0	0	1620	0
4.	बिहार	37.63	703.88	6226.09	0
5.	छत्तीसगढ़	2867.51	9347.2	1875	0
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
7.	गुजरात	1440.12	925.12	0	0
8.	हरियाणा	511.12	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	71.62	269.84	0	0
10.	झारखंड	46.41	2581.46	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	887.24	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	4011.44	1575.19	0

1	2	3	4	5	6
13.	मध्य प्रदेश	2817.61	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	0	0	0	0
15.	मणिपुर	474.84	0	274.48	0
16.	मेघालय	0	0	0	0
17.	नागालैंड	119.81	327.1	198	0
18.	ओडिशा	964.37	1512.12	228.16	0
19.	पंजाब	0	0	0	0
20.	राजस्थान	8111.11	0	4017	0
21.	सिक्किम	0	0	66.8	0
22.	तमिलनाडु	155.74	1375.04	2597.4	0
23.	त्रिपुरा	0	123.82	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	15542.09	0	0	0
25.	उत्तराखंड	2841.73	547.53	1563.12	0
26.	पश्चिम बंगाल	0	2952.05	72.13	0
	कुल	45604.4	36282.43	28652.97	0

विवरण-III

वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक के दौरान कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत राज्य सोसाइटियों/एनजीओ की निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

(राशि रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	आंध्र प्रदेश	118832038	0	1295053	5207920
2.	छत्तीसगढ़	3663316	3723818	4407038	—
3.	गुजरात	8244694	0	145999463	—
4.	झारखंड	3602800	1846586	0	—
5.	मध्य प्रदेश	61280555	0	68593579	—
6.	महाराष्ट्र	5159400	5948849	9473800	—
7.	ओडिशा	98668331	62330103	162255734	3002700
8.	राजस्थान	8891580	300000	10976580	—
	कुल	308342714	74149356	403001247	8210620

विवरण-IV

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस') की योजना के तहत निधियों की निर्मुक्ति दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2011-12			2012-13			2013-14		
		आवर्ती	अनावर्ती	ईएमआरएस के लिए कुल निर्मुक्ति	आवर्ती	अनावर्ती	ईएमआरएस के लिए कुल निर्मुक्ति	आवर्ती	अनावर्ती	ईएमआरएस के लिए कुल निर्मुक्ति
1.	आंध्र प्रदेश	997.65	1200.00	2197.65	1512.00	0.00	1512.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	47.48	522.70	570.18	0.00	0.00	0.00	47.40	146.00	193.40
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	1033.20	1600.30	2633.50	1160.00	2200.00	3360.00	1494.11	2100.00	3594.11
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1649.64	2736.00	4385.64	2100.52	0.00	2100.52	2083.20	1100.00	3183.20
8.	हिमाचल प्रदेश	74.34	0.00	74.34	36.33	0.00	36.33	78.12	0.00	78.12
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.	झारखंड	400.00	1155.17	1555.17	373.90	633.62	1007.52	498.54	725.00	1223.54
11.	कर्नाटक	441.35	600	1041.35	499.00	600.00	1099.00	400.00	1000.00	1400.00
12.	केरल	204.96	0.00	204.96	200.00	0.00	200.00	80.00	120.00	200.00
13.	मध्य प्रदेश	2054.08	1500.00	3554.08	2507.94	2183.20	4691.14	2562.84	2183.20	4746.04
14.	महाराष्ट्र	554.82	0.00	554.82	520.00	0.00	520.00	805.60	4400.00	5205.60
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मिज़ोरम	63.00	0.00	63.00	0.00	475.14	475.14	84.00	0.00	84.00
18.	नागालैंड	140.00	0.00	140.00	134.00	0.00	134.00	150.00	0.00	150.00
19.	ओडिशा	1712.76	3000.00	4712.76	2245.32	1800.00	4045.32	2300.76	0.00	2300.76
20.	राजस्थान	1079.40	3345.20	4424.60	0.00	2155.00	2155.00	1230.60	1199.80	2430.40
21.	सिक्किम	188.58	0.00	188.58	272.78	0.00	272.78	284.00		284.00
22.	तमिलनाडु	325.50	0.00	325.50	134.00	0.00	134.00	705.60	0.00	705.60
23.	त्रिपुरा	478.80	300.00	778.80	577.08	450.00	1027.08	682.92	0.00	682.92
24.	उत्तर प्रदेश	75.60	1200.00	1275.60	138.60	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	168.66	244.26
26.	पश्चिम बंगाल	819.42	0.00	819.42	758.52	0.00	758.52	870.24	0.00	870.24
	कुल	12340.58	17159.37	29499.95	13169.99	10496.96	23666.95	14433.53	13442.66	27876.19

विवरण-V

विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2011-12 से 2013-14 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अनुसूचित जनजाति की लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावासों की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों को निर्मुक्त निधियों तथा तत्संबंधी उपयोगिता के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (15.07.2014 तक)	
		निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	418.30	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	0.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	1201.64	1201.64	279.81	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	846.72812	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
3.	गुजरात	0.00	0.00	187.06	187.06	939.33103	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
4.	हिमाचल प्रदेश	223.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	0.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
5.	झारखंड	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
6.	कर्नाटक	283.995	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	0.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
7.	केरल	250.00	250.00	0.00	0.00	553.45	उ.प्र.प. देय नहीं	1949.62540	उ.प्र.प. देय नहीं
8.	मध्य प्रदेश	1223.43	1223.43	2291.57	2291.57	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
9.	ओडिशा	0.00	0.00	1697.50	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
10.	मिज़ोरम	392.33	392.33	0.00	0.00	2289.4350	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
11.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	810.94500	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
12.	राजस्थान	1000.00	270.04	1500.00	1500.00	2646.8700	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
13.	सिक्किम	0.00	0.00	460.29	460.29	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
14.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	112.72530	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
15.	त्रिपुरा	1553.83	1553.83	883.77	883.77	1906.0122	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
16.	उत्तराखंड	37.48	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	0.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
17.	वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	0.00	0.00	62.92	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
18.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	304.499264	उ.प्र.प. देय नहीं
19.	मिज़ोरम विश्वविद्यालय	182.00	182.00	437.08	437.08	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	195.00736	उ.प्र.प. देय नहीं

20.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलूरु	100.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	0.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
21.	जेएनएल कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	218.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	0.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
	कुल	7800.00	5521.74	7800.00	5759.77	10105.4957		2449.6254	

विवरण-VI

विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2011-12 से 2013-14 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान "जनजाति उपयोजना में आश्रम विद्यालयों की स्थापना" की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त निधियों तथा तत्संबंधी उपयोगिता के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (15.07.2014 तक)	
		निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	988.49	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	371.875	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	0.00
2.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	749.60	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	530.36	530.36	0	0	0.00	0.00
4.	गोवा	0.00	0.00	300.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0	0	0.00	0.00
5.	गुजरात	1500.00	41500.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
6.	केरल	0.00	0.00	1025.02	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0	0	0.00	0.00
7.	मध्य प्रदेश	2815.11	2815.11	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
8.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	2474.63375	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	0.00
9.	ओडिशा	2550.00	2550.00	2458.90	2458.90	2091.059500	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	राजस्थान	634.89	382.95	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
11.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	575.27625	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	0.00
12.	त्रिपुरा	0.00	0.00	797.23	797.23	954.52	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	0.00
	कुल	7500.00	7248.06	6100.00	3786.49	7217.00	0	0.00	0.00

*पुन: उ.प्र.प. प्रतीक्षित

विवरण-VII

विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2011-12 से 2013-14 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त निधियों तथा तत्संबंधी उपयोगिता के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (15.07.2014 तक)	
		निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित
1.	आंध्र प्रदेश	16697.74	16697.74	19438.70	19438.70	4895.16	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	633.00	633.00	1366.85	उ.प्र.प. देय नहीं	2.29	उ.प्र.प. देय नहीं
3.	असम	4210.81	4208.82	4537.69	3392.62	4756.81	उ.प्र.प. देय नहीं	1114.00	उ.प्र.प. देय नहीं
4.	बिहार	298.42	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	90.00	90.00	23.00	उ.प्र.प. देय नहीं	23.00	उ.प्र.प. देय नहीं
5.	छत्तीसगढ़	4034.11	3407.11	3150.31	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	1341.48	उ.प्र.प. देय नहीं	787.00	उ.प्र.प. देय नहीं
6.	गोवा	26.77	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	8.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	2.00	उ.प्र.प. देय नहीं	2.00	उ.प्र.प. देय नहीं
7.	गुजरात	8482.59	8482.59	2460.71	2460.71	7138.58	उ.प्र.प. देय नहीं	615.00	उ.प्र.प. देय नहीं
8.	हिमाचल प्रदेश	1141.84	988.89	948.52	891.69	282.83	उ.प्र.प. देय नहीं	237.00	उ.प्र.प. देय नहीं
9.	जम्मू और कश्मीर	733.48	733.48	710.06	710.06	177.00	उ.प्र.प. देय नहीं	177.00	उ.प्र.प. देय नहीं

10.	झारखंड	3374.06	3374.06	1344.21	1344.21	3267.40	उ.प्र.प. देय नहीं	336.00	उ.प्र.प. देय नहीं
11.	कर्नाटक	6149.11	6149.11	2522.75	2522.75	3340.76	उ.प्र.प. देय नहीं	630.00	उ.प्र.प. देय नहीं
12.	केरल	957.08	957.08	329.45	329.45	625.53	उ.प्र.प. देय नहीं	82.00	उ.प्र.प. देय नहीं
13.	मध्य प्रदेश	4591.57	4591.57	9542.45	9542.45	5276.71	उ.प्र.प. देय नहीं	2385.00	उ.प्र.प. देय नहीं
14.	महाराष्ट्र	8820.42	5965.00	4604.38	4604.38	11996.04	उ.प्र.प. देय नहीं	1151.00	उ.प्र.प. देय नहीं
15.	मणिपुर	4742.29	4731.05	4243.64	4243.64	6111.01	उ.प्र.प. देय नहीं	1060.00	उ.प्र.प. देय नहीं
16.	मेघालय	2752.38	2752.38	1753.42	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	3438.00	उ.प्र.प. देय नहीं	438.00	उ.प्र.प. देय नहीं
17.	मिज़ोरम	3732.93	376.30	3546.61	3546.61	5393.89	उ.प्र.प. देय नहीं	883.00	उ.प्र.प. देय नहीं
18.	नागालैंड	2813.71	2573.10	2191.09	2191.09	2626.19	उ.प्र.प. देय नहीं	547.00	उ.प्र.प. देय नहीं
19.	ओडिशा	1809.47	1766.26	5405.95	5405.95	3459.87	उ.प्र.प. देय नहीं	535.00	उ.प्र.प. देय नहीं
20.	राजस्थान	6031.54	6031.54	2142.99	2142.99	2216.02	उ.प्र.प. देय नहीं	1351.00	उ.प्र.प. देय नहीं
21.	सिक्किम	198.00	65.00	414.15	414.15	845.49	उ.प्र.प. देय नहीं	103.00	उ.प्र.प. देय नहीं
22.	तमिलनाडु	78.91	0.00	178.66	178.66	1436.02	उ.प्र.प. देय नहीं	44.00	उ.प्र.प. देय नहीं
23.	त्रिपुरा	1358.95	1358.95	1036.47	1036.47	1390.99	उ.प्र.प. देय नहीं	259.00	उ.प्र.प. देय नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	755.72	25.00	227.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	56.00	उ.प्र.प. देय नहीं	56.00	उ.प्र.प. देय नहीं
25.	उत्तराखंड	702.78	702.78	657.98	657.98	1086.50	उ.प्र.प. देय नहीं	164.00	उ.प्र.प. देय नहीं
26.	पश्चिम बंगाल	2045.22	1542.57	949.16	949.16	2277.63	उ.प्र.प. देय नहीं	237.00	उ.प्र.प. देय नहीं
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.00	10.00	3.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.75	उ.प्र.प. देय नहीं	0.75	उ.प्र.प. देय नहीं
28.	दमन और दीव	14.76	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	4.00	4.00	10.90	उ.प्र.प. देय नहीं	1.00	उ.प्र.प. देय नहीं
	कुल	86564.66	77490.38	73074.35	54997.18	74839.41		13223.04	

विवरण-VIII

विगत दो वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2011-12 से 2013-14 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त निधियों तथा तत्संबंधी उपयोगिता के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2012-13		2013-14		2014-15 (15.07.2014 तक)	
		निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	500.00	500	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	218.44	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
3.	असम	90.00	90.00	211.88	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
5.	छत्तीसगढ़	593.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
6.	गोवा	0.00	0.00	14.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
7.	गुजरात	500.00	500.0	2835.28	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
8.	हिमाचल प्रदेश	20.00	20.00	45.73	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
10.	झारखंड	1472.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
11.	कर्नाटक	260.00	260.00	3320.05	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
12.	केरल	57.00	57.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
13.	मध्य प्रदेश	3400.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
14.	महाराष्ट्र	251.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
15.	मणिपुर	100.00	100.00	729.70	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
16.	मेघालय	15.00	15.00	296.762	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
17.	मिज़ोरम	70.00	70.00	123.185	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
18.	नागालैंड	0.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
19.	ओडिशा	3128.00	3128.00	5601.08375	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	राजस्थान	0.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	4792.55	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
21.	सिक्किम	4.00	4.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
22.	तमिलनाडु	26.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
23.	त्रिपुरा	340.00	340.00	674.332	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	28.00	28.00	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
25.	उत्तराखंड	26.00	26.00	460.2	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
26.	पश्चिम बंगाल	260.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	2620	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
27.	दादरा और नगर हवेली	33.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	लागू नहीं
29.	दमन और दीव	0.00	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00		0.00	लागू नहीं
	कुल	11173.00	5138.00	21943.19			

विवरण-IX

विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2011-12 से 2013-14 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कर योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त निधियों तथा तत्संबंधी उपयोगिता के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (15.07.2014 तक)	
		निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित
1.	आंध्र प्रदेश	113.015	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	असम	0.00	0.00	89.00	89.00	276.21	276.21	485.70000	0.00
3.	छत्तीसगढ़	107.865	107.865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	गुजरात	228.960	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	मध्य प्रदेश	50.160	50.160	88.00	88.00	150.74	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	0.00
6.	मेघालय	100.000	100.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	मिज़ोरम	0.00	0.00	88.00	88.00	69.68	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	0.00
	कुल	600.00	345.805	265.00	265.00	265.00	276.21	485.70	0.00

विवरण-X

विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2011-12 से 2013-14 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान प्रतिभा के उन्नयन की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त निधियों तथा तत्संबंधी उपयोगिता के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (15.07.2014 तक)	
		निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित
1.	आंध्र प्रदेश	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	छत्तीसगढ़	54.60	45.00	17.70	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	गुजरात	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	हिमाचल प्रदेश	0.39	0.39	0.39	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	मध्य प्रदेश	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	राजस्थान	1.74	1.31	7.175	उ.प्र.प. प्रतीक्षित	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	सिक्किम	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	0.00
8.	त्रिपुरा	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	उ.प्र.प. देय नहीं	0.00	0.00
9.	पश्चिम बंगाल	7.23	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	197.06	181.65	31.505	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00

विवरण-XI

विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2011-12 से 2013-14 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान (1) राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस), (2) उच्च श्रेणी शिक्षा तथा (3) राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आरजीएनएफ) की योजनाओं के तहत (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (2) विदेश मंत्रालय तथा संबंधित संस्थानों को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष						
		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (15.07.2014 तक)
		निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	78.31	78.31	100.00	100.00	68.00	68.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	697.00	697.00	1011.00	1011.00	950.00	950.00	192.01992
3.	अनुसूचित जनजातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	8463.00	3963.00	4500.00	0.00	0.00 (विगत अव्ययित राशि के रूप में यूजीसी के पास पहले ही 9,000.00 लाख रुपए है। वर्ष 2013-14 के लिए कोई अतिरिक्त निधि निर्मुक्त नहीं की गई है।)	0.00	0.00 (कोई अतिरिक्त निधि निर्मुक्त नहीं की गई है, क्योंकि यूजीसी से पास अभी भी 9,000.00 लाख रुपए उपलब्ध है।)

बृहत अवसंरचनात्मक परियोजनाएं

1342. श्री के.सी. वेणुगोपाल :
श्री एन. क्रिष्टप्पा :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में समय और लागत अधिक लगने से राजकोष को भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या बृहत् बुनियादी अवसंरचनात्मक मेगा परियोजनाओं जैसे रेल और सड़क परियोजनाओं की लागत उनके पूरा होने में देरी के कारण बढ़ गई है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाएं परियोजना-वार कितने वर्षों से अटकी हुई हैं और इससे अब तक कुल कितनी लागत बढ़ गई है;

(ङ) लागत बढ़ने के कारण बंद कर दी गई बृहत् परियोजनाओं की संख्या कुल कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा परियोजनाओं की निगरानी और इनके शीघ्र समापन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) से (च) सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, समय और लागत-वृद्धि के संबंध में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की चल रही अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को मॉनीटर करता है।

1 मई, 2014 की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय द्वारा विद्युत क्षेत्र की 150 करोड़ रुपए और अधिक लागत वाली 100 चालू परियोजनाओं को मॉनीटर किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इन परियोजनाओं में से 54 के संबंध में समय-वृद्धि तथा 17 के संबंध में लागत-वृद्धि की सूचना प्राप्त हुई है।

1 मई, 2014 की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय द्वारा रेलवे तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपए तथा अधिक लागत वाली 107 चालू परियोजनाओं को मॉनीटर किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इनमें से 34 परियोजनाओं के संबंध में समय-वृद्धि तथा 54 परियोजनाओं के संबंध में लागत-वृद्धि की सूचना प्राप्त हुई है। 8 परियोजनाओं के संबंध में समय तथा लागत-वृद्धि दोनों की सूचना प्राप्त हुई है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में उपलब्ध पिछले 3 वर्षों के रिकॉर्ड के अनुसार, विद्युत, रेलवे अथवा सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्रों में 150 करोड़ रुपए तथा अधिक लागत वाली किसी चालू परियोजना को समय अथवा लागत में वृद्धि के कारण बंद नहीं किया गया है।

परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों में शामिल हैं: परियोजनाओं का सटीक मूल्यांकन करना, बेहतर मॉनीटरिंग के लिए ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत मॉनीटरिंग प्रणाली (ओसीएमएस) की स्थापना करना, समय और लागत-वृद्धियों के लिए जवाबदेही निर्धारित करने हेतु मंत्रालयों में स्थायी समितियों का गठन करना, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करना; और परियोजना के कार्यान्वयन में आने वाली अड़चनों को दूर करने तथा प्रमुख परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन को सुचारू बनाने के लिए राज्यों में संबंधित मुख्य सचिवों के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समितियों (सीएसपीसीसी) का गठन करना।

विवरण-I

विद्युत क्षेत्र की वर्तमान परियोजनाओं की सूची (01.05.2014 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	परियोजना	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदन की तारीख (महीना/वर्ष)	शुरू करने की मूल तारीख (महीना/वर्ष)	शुरू करने की संशोधित तारीख (महीना/वर्ष)	शुरू करने की अनुमानित (महीना/वर्ष)	मूल लागत (करोड़ रुपए में)	संशोधित लागत (करोड़ रुपए में)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	संचयी व्यय (करोड़ रुपए में)	लागत वृद्धि (%)	समय वृद्धि (महीना)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अगरतला गैस टरबाइन संयंत्र संयुक्त साइकिल विस्तार परियोजना (51 मेगावाट)	एनईईपीसीओ	07/2012	उ.न.	उ.न.	उ.न.	296.87	उ.न.	296.87	173.77		
2.	कामेंग जल विद्युत परियोजना (एनईईपीसीओ)	एनईईपीसीओ	12/2004	12/2009	06/2016	03/2017	2496.90	उ.न.	4653.95	2816.40	86.39	87
3.	पारे जल विद्युत परियोजना	एनईईपीसीओ	12/2008	08/2013	09/2015	09/2015	573.99	उ.न.	1128.38	811.78	96.59	25
4.	त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत परियोजना	एनईईपीसीओ	07/2009	07/2013	उ.न.	11/2014	421.01	623.44	951.48	745.55	126.00	16
5.	ट्यरिअल जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट)	एनईईपीसीओ	01/2011	07/2006	12/2015	12/2015	913.63	उ.न.	913.63	573.22		113
6.	किशनगंगा एचईपी	एनएचपीसी	07/2007	01/2016	उ.न.	11/2016	2238.67	3642.04	5497.72	3331.00	145.58	10
7.	पारबती एचईपी चरण-III (एनएचपीसी)	एनएचपीसी	10/2005	10/2010	उ.न.	08/2014	2304.56	उ.न.	2716.00	2349.46	17.85	46

8.	पारबती एचईपी (एनएचपीसी)-II	एनएचपीसी	09/2002	09/2009	उ.न.	07/2018	3919.59	उ.न.	5366.00	4439.96	36.90	106
9.	सूबनसिरी लोअर एचईपी (एनएचपीसी)	एनएचपीसी	09/2003	09/2010	उ.न.	09/2018	6285.33	उ.न.	10667.00	6839.53	69.71	96
10.	तीस्ता लो डैम एचईपी, चरण-IV (एनएचपीसी)	एनएचपीसी	09/2005	09/2009	उ.न.	09/2015	1061.38	उ.न.	1501.75	1491.81	41.49	72
11.	बाढ़ एसटीपीपी चरण-II	एनटीपीसी	02/2008	08/2013	उ.न.	03/2015	7341.04	उ.न.	7341.04	7472.00		19
12.	बाढ़ एसटीपीपी (3x660 मेगावाट) एनटीपीसी	एनटीपीसी	12/2003	12/2009	उ.न.	03/2017	8692.97	उ.न.	8693.00	9959.00		87
13.	बोंगईगांव थर्मल पावर परियोजना	एनटीपीसी	01/2008	07/2011	उ.न.	08/2016	4375.35	उ.न.	4375.35	4481.00		61
14.	गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण-I	एनटीपीसी	02/2013	09/2017	उ.न.	09/2017	11638.55	उ.न.	11638.55	1118.00		
15.	कोल्डम एचईपी (एनटीपीसी)	एनटीपीसी	10/2002	04/2009	उ.न.	05/2015	4527.15	7220.00	7220.00	5886.00	59.48	73
16.	कुडगी एसटीपीपी चरण I	एनटीपीसी	12/2011	12/2016	उ.न.	12/2016	15166.19	उ.न.	15166.19	3814.00		
17.	लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण-I (2x800 मेगावाट)	एनटीपीसी	11/2012	05/2017	उ.न.	05/2017	11846.00	उ.न.	11846.00	1580.00		
18.	लता-तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना 3x57 मेगावाट	एनटीपीसी	07/2012	08/2017	उ.न.	08/2017	1527.00	उ.न.	1527.00	71.00		
19.	मौड़ा एसटीपीपी	एनटीपीसी	11/2008	08/2012	उ.न.	03/2013	5459.28	उ.न.	6010.89	4056.00	10.10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	मौड़ा एसटीपीपी चरण-II	एनटीपीसी	03/2012	09/2016	उ.न.	09/2016	7921.47	उ.न.	7921.47	2392.00		
21.	रिहंद एसटीपीपी चरण-II (2×500 मेगावाट)	एनटीपीसी	01/2009	10/2012	उ.न.	10/2013	6230.81	उ.न.	6230.81	4357.00		
22.	सोलापुर एसटीपीपी	एनटीपीसी	03/2012	11/2016	उ.न.	11/2016	9395.18	उ.न.	9395.18	2443.00		
23.	तपोवन-विष्णुगढ़ एचईपी (4×130 मेगावाट)	एनटीपीसी	11/2006	03/2013	उ.न.	03/2017	2978.48	उ.न.	3846.30	2091.00	29.14	48
24.	विंध्याचल एसटीपीपी चरण-V	एनटीपीसी	12/2011	08/2015	उ.न.	08/2015	3180.40	उ.न.	3180.40	980.00		
25.	विंध्याचल एसटीपीपी चरण-IV	एनटीपीसी	01/2009	10/2012	उ.न.	03/2013	5915.00	उ.न.	5915.00	3401.00		
26.	डीवीसी और मैथूब आरबीसी के साथ 765 केवी पूलिंग स्टेशन तथा नेटवर्क	पीजीसीआईएल	08/2008	08/2012	उ.न.	06/2014	7075.33	उ.न.	7075.33	6322.56		22
27.	उत्तरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों की ऑग्यूमेंटेशन भाग-ख	पीजीसीआईएल	03/2014	03/2016	उ.न.	03/2016	155.57	उ.न.	155.57	0.00		
28.	उत्तरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों की ऑग्यूमेंटेशन भाग-क	पीजीसीआईएल	12/2012	10/2014	उ.न.	10/2014	156.04	उ.न.	156.04	37.56		
29.	एनसीसी विद्युत परियोजनाओं लिमिटेड लटोआ जेन. के साथ जुड़े हुए सामान्य प्रणाली भाग-ख	पीजीसीआईएल	03/2013	12/2015	उ.न.	12/2015	2514.88	उ.न.	2514.88	29.65		
30.	और आईएनडी-बराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड	पीजीसीआईएल	09/2011	09/2014	उ.न.	12/2014	1940.13	उ.न.	1940.13	1282.36		3

	एलके साथ जुड़े हुए सामान्य प्रणाली									
31.	ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और एनसीसी विद्युत परियोजनाओं लि. लटोआ जेनरेशन के साथ जुड़े हुए सामान्य प्रणाली	पीजीसीआईएल	06/2012	06/2015	उ.न.	06/2015	1909.24	उ.न.	1909.24	400.43
32.	आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में आईएसजीएस परियोजनाओं (पीजीसीआईएल) के साथ जुड़े हुए सामान्य प्रणाली	पीजीसीआईएल	08/2011	08/2014	उ.न.	08/2014	1637.34	उ.न.	1637.34	1381.55
33.	आंध्र प्रदेश के भाग-ए1 के वेमागिरी क्षेत्र में आईएसजीएस परियोजनाओं से जुड़े हुए सामान्य प्रणाली	पीजीसीआईएल	03/2012	06/2014	उ.न.	06/2014	206.44	उ.न.	206.44	43.17
34.	श्रीकाकुलम क्षेत्र ए.पी भाग-ग में पूर्वी तट और एनसीसी विद्युत परियोजनाओं के साथ जुड़े हुए सामान्य प्रणाली	पीजीसीआईएल	03/2013	06/2015	उ.न.	06/2015	514.20	उ.न.	514.20	0.00
35.	तमिलनाडु के नागपट्टनम/कुड्डालोर	पीजीसीआईएल	01/2013	10/2014	उ.न.	10/2014	182.80	उ.न.	182.80	13.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	में आईएसएसजी परियोजनाओं के साथ सामान्य पारेषण योजना भाग-ए1											
36.	पूर्वी क्षेत्र योजना-III को सुदृढ़ करना	पीजीसीआईएल	07/2010	11/2012	उ.न.	06/2015	1272.80	उ.न.	1272.80	826.23		31
37.	पूर्वी क्षेत्र योजना-V को सुदृढ़ करना	पीजीसीआईएल	10/2013	05/2016	उ.न.	04/2016	1364.52	उ.न.	1364.52	13.34		
38.	पूर्वी क्षेत्र योजना-XII को सुदृढ़ करना	पीजीसीआईएल	05/2014	11/2016	उ.न.	11/2016	522.29	उ.न.	522.29	0.00		
39.	उत्तरी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	पीजीसीआईएल	03/2012	09/2014	उ.न.	09/2014	198.63	उ.न.	198.63	0.00		
40.	छत्तीसगढ़ में आईपीपी उत्पादन परियोजना के लिए चंपा और रायगढ़ में पूलिंग स्टेशनों की स्थापना	पीजीसीआईएल	05/2011	05/2014	उ.न.	09/2014	1961.87	उ.न.	1961.87	1412.45		4
41.	बाढ़ II टीपीएस के साथ तत्काल निकासी प्रणाली	पीजीसीआईएल	12/2011	08/2014	उ.न.	08/2014	901.77	उ.न.	901.77	609.80		
42.	पश्चिमी क्षेत्र में बस रेक्टर और आईसीटी का इंस्टालेशन	पीजीसीआईएल	05/2014	07/2016	उ.न.	07/2016	303.07	उ.न.	303.07	0.00		
43.	आईपीपी जेनेरेशन परियोजनाओं के लिए	पीजीसीआईएल	08/2011	12/2013	उ.न.	11/2014	1391.97	उ.न.	1391.97	1359.35		11

	डब्ल्यूआरके मध्य भाग के साथ छत्तीसगढ़ में पूलिंग स्टेशन का एकीकरण												
44.	डब्ल्यूआर और एनआर में अंतर क्षेत्रीय प्रणाली को सुदृढ़ करने योजना (भाग-क)	पीजीसीआईएल	10/2013	11/2016	उ.न.	03/2016	1315.90	उ.न.	1315.90	40.47			
45.	कैगा 3 और 4 पारेषण प्रणाली (पीजीसीआईएल)	पीजीसीआईएल	03/2005	12/2007	12/2009	उ.न.	596.45	उ.न.	1007.16	941.31	68.86		
46.	कुंडनकुलम एपीपी ट्रांस. प्रणाली (पीजीसीआईएल)	पीजीसीआईएल	05/2005	09/2008	उ.न.	03/2013	1779.29	2159.07	2159.07	1877.15	21.34		
47.	पूर्वोत्तर उत्तर पश्चिम इंटरकनेक्टर-I परियोजना	पीजीसीआईएल	02/2009	08/2013	उ.न.	06/2015	11130.19	उ.न.	11130.19	8056.80		22	
48.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली स्ट्रेंथनिंग योजना-XXXII	पीजीसीआईएल	02/2014	06/2016	उ.न.	06/2016	908.08	उ.न.	908.08	0.00			
49.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली स्ट्रेंथनिंग योजना-XVI	पीजीसीआईएल	07/2010	07/2013	उ.न.	03/2015	752.64	उ.न.	752.64	379.82		20	
50.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली के सुदृढ़ योजना-XIX	पीजीसीआईएल	02/2009	02/2012	उ.न.	12/2013	410.29	उ.न.	410.29	282.27			
51.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की योजना-XVIII	पीजीसीआईएल	02/2009	11/2011	उ.न.	उ.न.	509.66	उ.न.	509.66	399.76			
52.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की योजना-एरोटिक	पीजीसीआईएल	02/2014	06/2016	उ.न.	06/2016	539.82	उ.न.	539.82	0.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की योजना-XXI	पीजीसीआईएल	08/2010	04/2013	उ.न.	12/2014	1677.57	उ.न.	1677.57	1029.02		20
54.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की योजना-XXIV	पीजीसीआईएल	11/2011	11/2014	उ.न.	11/2014	723.63	उ.न.	723.63	315.22		
55.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की योजना-XXV	पीजीसीआईएल	09/2013	03/2016	उ.न.	03/2016	680.69	उ.न.	680.69	33.49		
56.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की योजना-XXVI	पीजीसीआईएल	09/2012	03/2015	उ.न.	03/2015	803.34	उ.न.	803.34	222.89		
57.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की योजना-XXVIII	पीजीसीआईएल	09/2012	04/2015	उ.न.	05/2015	524.40	उ.न.	524.40	79.92		1
58.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की योजना	पीजीसीआईएल	03/2010	11/2012	उ.न.	05/2014	965.58	उ.न.	965.58	657.74		18
59.	उत्तरी क्षेत्र में स्टैटिक वर कंपेन्सेटर्स (एसवीसीएस)	पीजीसीआईएल	05/2014	09/2016	उ.न.	09/2016	829.98	उ.न.	829.98	0.00		
60.	कूडगी टीपीएस से विद्युत की निकासी के लिए आवश्यक पारेषण प्रणाली से जुड़े हुए	पीजीसीआईएल	02/2014	12/2015	उ.न.	12/2015	167.40	उ.न.	167.40	0.00		

	उप-स्टेशन विस्तार कार्यों										
61.	डीवीसी और मैथन आरबीसी के साथ जुड़े हुए अनुपूरक पारेषण	पीजीसीआईएल	08/2008	08/2012	उ.न.	09/2014	2360.95	उ.न.	2580.90	2117.11	9.32	25
62.	दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड में प्रणाली को सुदृढ़ करना-XVII	पीजीसीआईएल	09/2012	06/2016	उ.न.	12/2015	1508.74	उ.न.	1508.74	291.18		
63.	डब्ल्यूआर और एनआर को मजबूत (लाइन खंड और रिएक्टर प्रावधान) के लिए सामान्य प्रणाली को सुदृढ़ करना	पीजीसीआईएल	03/2012	03/2014	उ.न.	06/2014	213.78	उ.न.	213.78	117.44		3
64.	छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजना के लिए डब्ल्यूआर के उत्तर/पश्चिमी भाग में प्रणाली को सुदृढ़ करना	पीजीसीआईएल	12/2011	08/2014	उ.न.	05/2015	1746.65	उ.न.	1746.65	337.63		9
65.	सासन और मुंद्रा (यूएमपीपी) के लिए एनआर में प्रणाली को सुदृढ़ करना	पीजीसीआईएल	12/2009	08/2012	उ.न.	12/2014	1216.83	उ.न.	1216.83	985.29		28
66.	दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली को सुदृढ़ करना-XXII	पीजीसीआईएल	02/2014	08/2014	उ.न.	08/2016	243.53	उ.न.	243.53	0.00		24
67.	छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजना के लिए वर्धा-औरंगाबाद कोरिडोर में प्रणाली को सुदृढ़ करना	पीजीसीआईएल	02/2012	02/2015	उ.न.	02/2015	1310.85	उ.न.	1310.85	741.43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68.	एसआर के XII प्रणाली को सुदृढ़ करना	पीजीसीआईएल	02/2010	06/2012	उ.न.	06/2014	232.34	उ.न.	232.34	176.79		24
69.	दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड में प्रणाली को सुदृढ़ करना-XIX	पीजीसीआईएल	09/2012	12/2014	उ.न.	11/2014	1935.35	उ.न.	1935.35	632.68		
70.	दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड में प्रणाली को सुदृढ़ करना-XVIII	पीजीसीआईएल	06/2012	11/2014	उ.न.	11/2014	1263.26	उ.न.	1263.26	624.48		
71.	लिए रायपुर-वर्धा कॉरिडोर में प्रणाली को सुदृढ़ करना	पीजीसीआईएल	01/2012	01/2015	उ.न.	01/2015	1422.85	उ.न.	1422.85	655.12		
72.	दक्षिणी क्षेत्र के प्रणाली को सुदृढ़ करना-XIV	पीजीसीआईएल	12/2011	08/2014	उ.न.	08/2014	297.33	उ.न.	297.33	218.57		
73.	एसआर ग्रिड-XIII प्रणाली को सुदृढ़ करना	पीजीसीआईएल	10/2011	06/2014	उ.न.	09/2014	487.49	उ.न.	487.49	282.42		3
74.	केन्द्र शासित प्रदेशों के डीडी में मगरवाड़ा में 400/220 केवी जीआईएस सबस्टेशन के स्थापना के लिए टीआर प्रणाली	पीजीसीआईएल	01/2012	01/2014	उ.न.	09/2014	259.28	उ.न.	259.28	148.12		8
75.	झारखंड और पश्चिम बंगाल भाग-ए2 में पहले चरण के उत्पादन परियोजनाओं के लिए टीआर प्रणाली	पीजीसीआईएल	12/2011	08/2014	उ.न.	06/2015	2422.66	उ.न.	2422.66	963.76		10

76. झारखंड और पश्चिम बंगाल में चरण-I जेनेरेशन परियोजनाओं हेतु टीआर प्रणाली भाग-ख	पीजीसीआईएल	02/2012	10/2014	उ.न.	06/2015	3201.44	उ.न.	3201.44	1470.41	8
77. मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के साथ जुड़े हुए टीआर प्रणाली	पीजीसीआईएल	10/2008	10/2012	उ.न.	03/2015	4824.12	उ.न.	4824.12	3868.48	29
78. रामपुर एचईपी के साथ जुड़े हुए टीआर प्रणाली	पीजीसीआईएल	02/2009	11/2011	उ.न.	06/2014	184.19	उ.न.	184.19	161.72	31
79. पल्लाताना जीबीपीपी और बीपीटीएस के साथ जुड़े ट्रांस. प्रणाली	पीजीसीआईएल	02/2010	12/2012	उ.न.	06/2015	2144.00	उ.न.	2144.00	1696.00	30
80. पश्चिम बंगाल के एनआर भाग में पूलिंग स्टेशन के विकास के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली तथा बी से विद्युत का हस्तांतरण	पीजीसीआईएल	04/2010	01/2015	उ.न.	12/2015	4404.57	उ.न.	4404.57	470.75	11
81. कृष्णापट्टनम यूएमपीपी भाग-सी1 के साथ जुड़े हुए पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल	02/2012	08/2014	उ.न.	08/2014	324.33	उ.न.	324.33	176.06	
82. कृष्णापट्टनम यूएमपीपी-भाग-ख के साथ जुड़े हुए पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल	02/2012	10/2014	उ.न.	10/2014	1927.16	उ.न.	1927.16	1026.27	
83. मौड़ा के साथ जुड़े हुए पारेषण प्रणाली चरण-II	पीजीसीआईएल	09/2013	05/2016	उ.न.	05/2016	1575.30	उ.न.	1575.30	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84.	एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड की कनेक्टिविटी के लिए पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल	12/2011	02/2014	उ.न.	06/2014	552.44	उ.न.	552.44	402.60		4
85.	एमबी पावर लिमिटेड की कनेक्टिविटी के लिए पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल	08/2011	10/2013	उ.न.	06/2014	425.51	उ.न.	425.51	374.82		8
86.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल	09/2011	12/2013	उ.न.	06/2014	1366.34	उ.न.	1366.34	987.66		6
87.	झारखंड और पश्चिम बंगाल में चरण-I जेनेरेशन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली भाग-ए1	पीजीसीआईएल	10/2011	11/2013	उ.न.	03/2015	558.26	उ.न.	558.26	245.81		16
88.	ओडिशा में चरण-I जेनेरेशन परियोजना के लिए पारेषण प्रणाली भाग-क	पीजीसीआईएल	09/2010	03/2013	उ.न.	09/2014	2074.86	उ.न.	2074.86	1507.24		18
89.	ओडिशा में चरण-I जेनेरेशन परियोजना हेतु पारेषण प्रणाली भाग-सी	पीजीसीआईएल	03/2011	03/2014	उ.न.	12/2014	2569.25	उ.न.	2569.25	2391.47		9
90.	ओडिशा में चरण-I जेनेरेशन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली भाग-ख	पीजीसीआईएल	12/2010	12/2013	उ.न.	12/2014	2743.19	उ.न.	2743.19	2086.80		12

91.	सिक्किम से एनआर/ डब्ल्यूआर भाग-क में जेनेरेशन परियोजना तक विद्युत के हस्तांतरण के लिए पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल	05/2010	01/2013	उ.न.	06/2015	250.03	उ.न.	250.03	68.10	29
92.	सिक्किम से एनआर/ डब्ल्यूआर भाग ख में जेनेरेशन परियोजना तक विद्युत के हस्तांतरण के लिए पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल	03/2011	11/2013	उ.न.	06/2015	1585.12	उ.न.	1585.12	1206.46	19
93.	विन्ध्याचल-IV और रिहंद-III जेनेरेशन परियोजना की पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल	03/2010	11/2012	उ.न.	03/2015	4672.99	उ.न.	4672.99	3065.97	28
94.	परियोजनाओं के लिए डब्ल्यूआर के पश्चिमी भाग में ट्रांसमिशन प्रणाली को सुदृढ़ करना	पीजीसीआईएल	11/2011	07/2014	उ.न.	12/2014	2127.51	उ.न.	2127.51	1798.33	5
95.	यूनिफाइड रिअल टाइम डायनेमिक स्टेट मेनेजमेंट चरण-I	पीजीसीआईएल	01/2014	04/2016	उ.न.	04/2016	374.63	उ.न.	374.63	0.00	
96.	पश्चिमी क्षेत्र योजना को सुदृढ़ करना चरण-V	पीजीसीआईएल	12/2007	09/2010	उ.न.	06/2014	477.69	उ.न.	477.69	483.79	45
97.	छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजनाओं के लिए डब्ल्यूआर-एन.आर. एचवीडीसी इंटरकनेक्टर	पीजीसीआईएल	03/2012	06/2015	उ.न.	12/2015	9569.76	उ.न.	9569.76	1649.59	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98.	रामपुर एचईपी (412 मेगावाट)	एसजेवीएनएल	01/2007	01/2012	उ.न.	09/2014	2047.03	उ.न.	2047.03	3115.91		32
99.	टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र (1000 मेगावाट)	टीएचडीसीएल	07/2006	07/2010	उ.न.	02/2017	1657.00	उ.न.	2978.86	700.96	79.77	79
100.	विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परिपयोजना	टीएचडीसीएल	08/2008	07/2014	उ.न.	07/2018	2491.58	उ.न.	3745.08	483.40	50.31	48

***प्रयुक्त संक्षिप्ति:**

एनईईपीसीओ — पूर्वोत्तर इलैक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन

एनएचपीसी — नेशनल हाइड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन

एनटीपीसी — राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

पीजीसीआईएल — इंडिया लिमिटेड के पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन

एसजेवीएनएल — सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड

टीएचडीसीएल — टिहरी जल विकास निगम लिमिटेड

एनए — उपलब्ध नहीं।

विवरण-II

रेलवे तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग की बड़ी परियोजनाओं की सूची (01.05.2014 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	परियोजना	कार्यान्वयन एजेंसी*	अनुमोदन की तारीख (महीना/वर्ष)	शुरू करने की मूल तारीख (महीना/वर्ष)	शुरू करने की संशोधित तारीख (महीना/वर्ष)	शुरू करने की अनुमानित (महीना/वर्ष)	मूल लागत (करोड़ रुपए में)	संशोधित लागत (करोड़ रुपए में)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	संचयी व्यय (करोड़ रुपए में)	लागत वृद्धि (%)	समय वृद्धि (महीनों)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	कडपा-बंगलौर (एनएल), कडपा-पेंडलिमरी चरण-I	एससीओआर	04/2008	उ.न.	उ.न.	12/2014	2050.00	उ.न.	2050.00	87.88		

2.	विद्युतीकरण के साथ काजीपेट-विजयवाड़ा तीसरी लाइन	एससीओआर	04/2012	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1054.35	उ.न.	1054.35	0.42			
3.	मणुगुरु-रामागुंडम	एससीओआर	04/2013	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1112.00	उ.न.	1112.00	0.00			
4.	नडिकूडे-श्री कालहस्ती	एससीओआर	04/2011	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1313.48	उ.न.	1313.48	0.89			
5.	अकोला खंडवा जीसी अकोला-अकोट	एससीओआर	04/2008	उ.न.	उ.न.	उ.न.	184.26	उ.न.	2000.00	17.32	985.42		
6.	वर्धा-नांदेड महाराष्ट्र	सीआर	04/2008	उ.न.	उ.न.	उ.न.	697.00	उ.न.	2501.05	68.88	258.83		
7.	अहमदनगर-पर्ली वैजनाथ (एनएल) सीआर	सीआर	02/1997	उ.न.	उ.न.	उ.न.	353.08	उ.न.	2820.00	309.40	698.69		
8.	खुर्दा रोड बोलंगीर (एनएल) ईसीओआर	ईसीओआर	04/1994	उ.न.	उ.न.	12/2014	470.21	470.21	1995.25	301.86	324.33		
9.	मुंगेर में रेल सह सड़क पुल (एनएल), ईसीआर	ईसीआर	04/2002	03/2009	12/2012	12/2014	921.00	2363.00	2363.00	1343.55	156.57	69	
10.	पटना गंगा ब्रिज (एनएल), ईसीआर	ईसीआर	04/2001	10/2007	12/2012	12/2015	624.47	2921.00	2921.00	2075.62	367.76	98	
11.	जयनगर-दरभंगा नरकटिया गंज (जीसी), ईसीआर	ईसीआर	04/1997	03/2012	08/2012	उ.न.	233.00	501.69	1043.56	732.94	347.88		
12.	कोडरमा-रांची के माध्यम से बरकाकाना (एनएल), ईसीआर	ईसीआर	03/1999	07/2005	उ.न.	उ.न.	491.19	2957.21	2957.21	1786.63	502.05		
13.	वर्धमान-कटवा (जीसी)	ईआर	04/2007	12/2010	03/2011	03/2011	245.15	1106.62	1106.62	234.88	351.41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	तारकेश्वर-बिष्णुपुर नई बीजी लाइन (एनएल), ईआर	ईआर	04/2000	उ.न.	12/2009	02/2012	157.96	1188.91	1188.91	674.09	652.67	
15.	दमदम-नोवापाड़ा और नोवापाड़ा-एनएससीबी हवाईअड्डे (एमटीपी) तक विस्तार के साथ टॉलीगंज-गरिया	एमआरटीपी	03/2000	12/2006	08/2010	08/2010	1049.69	3156.32	3176.10	3503.29	202.58	
16.	बेलापुर-सीवुड-उरण विद्युतीकृत डबल लाइन (एमटीपी)	एमआरटीपी	03/1996	03/2004	12/2010	12/2014	401.81	495.44	1814.48	369.66	351.58	129
17.	हावड़ा मैदान से साल्ट लेकतक पूर्व पश्चिम मेट्रो कोरिडोर	एमआरटीपी	03/2013	03/2016	उ.न.	03/2016	4874.58	उ.न.	4874.58	100.00		
18.	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण-II	एमआरटीपी	04/2008	03/2014	03/2016	12/2016	5300.00	5300.00	6213.84	1739.04	17.24	33
19.	गंगापुर सिटी और मोहारी-तांतपुर और तानपुर-बंसी पहारपुर तक विस्तार के साथ धौलपुर-सिरमुत्तरा	एनसीआर	04/2010	02/2019	उ.न.	02/2019	622.41	2030.50	2030.50	2.32	226.23	
20.	कोटा (जीसी) तक विस्तार के साथ ग्वालियर सिवपुरकला	एनसीआर	04/2011	02/2020	उ.न.	02/2020	1176.09	3845.60	3845.60	1.92	226.98	
21.	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरुली एनएल, (एनसीआर)	एनसीआर	09/1998	05/2008	03/2011	उ.न.	925.00	उ.न.	1630.97	430.45	76.32	

22.	लिंक्ड फिंगरर्स एनईएफआर के साथ रंगिया-मुरकोंगसेलेक, (जीसी)	एनईएफआर	01/2004	उ.न.	उ.न.	03/2015	915.70	915.70	3019.17	2754.53	229.71	
23.	सिवोक रंगपो, एनईएफआर	एनईएफआर	04/2008	12/2015	उ.न.	03/2017	1339.48	उ.न.	3375.42	84.67	151.99	15
24.	दीमापुर से जुबजा (कोहिमा) राष्ट्रीय परियोजना (एनईएफआर) तक नई लाइन	एनईएफआर	04/2006	03/2015	उ.न.	03/2017	850.00	850.00	2446.57	9.23	187.83	24
25.	भैराबी सेरोंग, एनएल एनईएफआर	एनईएफआर	04/2008	04/2014	उ.न.	03/2017	619.34	उ.न.	2393.48	171.82	286.46	35
26.	अगरतला सबरूम, एनएल, एनईएफआर	एनईएफआर	04/2008	03/2014	उ.न.	03/2017	813.34	813.34	1741.00	562.77	114.06	36
27.	जिरीबाम से इम्फाल (तुपुई) (एनएल) (एनईएफआर)	एनईएफआर	04/2003	03/2011	03/2014	03/2017	727.56	727.53	5996.00	2152.99	724.12	72
28.	लुमडिंग सिल्चर जिरीबाम, बदरपुर-बराईग्राम कुमारघाट राष्ट्रीय परियोजना	एनईएफआर	04/1996	03/2009	उ.न.	03/2017	1676.31	1676.31	5114.91	4142.69	205.13	96
29.	नई मेनागुरी से जोगीघोपा वाया चंगराबंधा (एनएल), (एनईएफआर)	एनईएफआर	04/2000	12/2008	उ.न.	03/2017	733.00	733.00	2483.04	1575.90	238.75	99
30.	कुमारघाट-अगरतला से एनएल का निर्माण	एनईएफआर	04/1999	03/2008	उ.न.	03/2017	895.00	उ.न.	1242.25	959.41	38.80	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	बोगिबिल और लिंक लाइनों पर ब्रह्मपुत्र पुल, एनईएफआर	एनईएफआर	09/1997	04/2008	03/2014	12/2017	1000.00	1500.00	4996.19	3118.65	399.62	116
32.	बीआर, लाइन सहित नई जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी न्यू बोंगाईगांव तथा चलसा नक्सल और राजाभटखोवा-जय के लिए एम.एम.	एनईएफआर	04/1999	उ.न.	उ.न.	उ.न.	523.17	उ.न.	1327.78	949.35	153.80	
33.	न्यू बोंगाईगांव-रंगिया-कामाख्या दोहरीकरण	एनईएफआर	04/2013	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1798.00	उ.न.	1798.00	0.00		
34.	बिरनीहाट से शिलांग तकनई बीजी लाइन	एनईएफआर	04/2010	उ.न.	उ.न.	उ.न.	4083.02	उ.न.	4083.02	3.69		
35.	दिमापुर-टिजिट एनएल	एनईएफआर	04/2013	उ.न.	उ.न.	उ.न.	4274.00	उ.न.	4274.00	0.00		
36.	कानपुर कासगंज मथुरा (जीसी), एनईआर	एनईआर	031997	उ.न.	उ.न.	03/2015	395.00	1577.45	1708.41	1561.91	332.51	
37.	उत्तरातिया-जाफराबाद, एनआर (लाइन दोहरीकरण)	एनआर	04/2006	03/2010	03/2017	03/2017	325.00	उ.न.	1116.53	283.53	243.55	84
38.	उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला (एनएल), एनआर	एनआर	03/1995	11/2002	उ.न.	12/2017	2500.00	2500.00	20000.00	8805.00	700.00	181
39.	नांगलडैम-तलवाड़ा (एनएल), एनआर	एनआर	03/1981	07/2012	उ.न.	उ.न.	37.68	450.00	1036.78	384.20	2651.54	

40. दिल्ली सोहना-नूह-फिरोजपुर-झिरका-अलवर	एनआर	04/2013	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1239.00	उ.न.	1239.00	0.00		
41. भानुपली-बिलासपुर बेरी एनएल	एनआर	04/2008	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1046.88	उ.न.	2966.99	40.79	183.41	
42. रतलाम डूंगरपुर वाया बासवाड़ा (एनएल)	एनडब्ल्यूआर	04/2012	उ.न.	उ.न.	उ.न.	2082.75	उ.न.	2082.75	22.23		
43. बारानगर से बैरकपुर और दक्षिणेश्वर (एमटीपी) तक मेट्रो रेल के निर्माण के लिए नए कार्य	आरवीएनएल	04/2010	03/2014	उ.न.	03/2014	2298.42	उ.न.	2298.42	64.64		
44. बिनॉय बादल दिनेश बाग से जोका तक मेट्रो रेल के निर्माण के लिए नए कार्य	आरवीएनएल	04/2010	03/2016	उ.न.	03/2016	2913.51	उ.न.	2913.51	441.08		
45. एसएससीबी एयरपोर्ट से न्यू गरिया वाया राजरहाट तक मेट्रो रेल के निर्माण के लिए नया कार्य	आरवीएनएल	04/2010	03/2016	उ.न.	03/2016	3951.98	उ.न.	3951.98	417.81		
46. नोवापाड़ा-बरसाई वाया बीमानबंदर (एमटीपी) तक मेट्रो रेल के निर्माण के लिए नए काम	आरवीएनएल	04/2010	03/2016	उ.न.	06/2016	2397.72	उ.न.	2397.72	84.44		3
47. ओबुलावरीपल्ले-कृष्णापट्टनम (आरवीएनएल)	आरवीएनएल	07/2006	03/2008	06/2008	उ.न.	743.00	उ.न.	1117.11	425.14	50.35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48.	हरिदासपुर-पारादीप (एनएल)	आरवीएनएल	04/1996	उ.न.	09/2009	उ.न.	301.64	उ.न.	1185.64	295.52	293.06	
49.	कोटल्पल्ली-नरसापुर (एनएल) (एससीआर)	एससीआर	12/2001	उ.न.	उ.न.	उ.न.	330.00	1047.00	1045.20	0.03	216.73	
50.	गोंदिया-जबलपुर (जीसी), (एसईसीआर)	एसईसीआर	02/1997	03/1998	उ.न.	उ.न.	386.30	1038.00	1038.00	590.26	168.70	
51.	तामलुक दीघा, लाइन दोहरीकरण (एसईआर)	एसईआर	03/1984	06/2005	07/2011	06/2016	293.97	1013.74	1074.45	457.52	265.50	132
52.	बांकुरा - दामोदर (जीसी) (एसईआर)	एसईआर	03/1998	03/2005	12/2008	12/2016	111.90	1039.29	1423.98	479.18	1172.55	141
53.	क्विलोन-तिरुनेलवेली-तेनकासी-विरुधुनगर (एसआर) (जीसी)	एसआर	03/1998	उ.न.	उ.न.	03/2013	280.00	उ.न.	1122.00	838.28	300.71	
54.	क्विलोन-तिरुनेलवेली-त्रिचेन्दुर, तेनकासी	एसआर	04/1999	01/1999	उ.न.	उ.न.	460.94	उ.न.	1030.00	804.20	123.46	
55.	चेन्नई-कूड्डालोर वाया ममल्लापुरम	एसआर	04/2008	उ.न.	उ.न.	उ.न.	523.52	उ.न.	1200.00	2.03	129.22	
56.	विद्युतीकरण के साथ विल्लुपुरम-डिंडीगुल	एसआर	04/2008	उ.न.	उ.न.	उ.न.	822.39	उ.न.	1280.83	0.84	55.74	
57.	मेलाथदुथुराई-तिरुवरूर-कराइकुडी-थिरु पोंडी-अगिस्तियापल्ली	एसआर	09/2007	उ.न.	उ.न.	उ.न.	404.19	404.19	1383.45	407.20	242.28	
58.	अंगमाली-सबरीमाला (एनएल) (एसआर)	एसआर	10/1998	उ.न.	उ.न.	उ.न.	550.00	517.70	1566.00	138.10	184.73	

59. हसन-बंगलौर के माध्यम से श्रवण-बेलगोला (एनएल) एसडब्ल्यूआर	एसडब्ल्यूआर	02/1997	उ.न.	उ.न.	01/2013	295.00	उ.न.	1289.92	877.71	337.26
60. मुनिराबाद (जिंगेरा)-रायचूर एनएल	एसडब्ल्यूआर	04/2007	उ.न.	उ.न.	उ.न.	179.65	उ.न.	1350.91	257.78	651.97
61. बंगलौर - सत्यमंगलम (एनएल) (एसडब्ल्यूआर)	एसडब्ल्यूआर	02/1999	उ.न.	उ.न.	उ.न.	138.00	उ.न.	1382.78	1.58	902.01
62. तुमकुर-चित्रदुर्गा-देवनगिरी एनएल	एसडब्ल्यूआर	04/2011	उ.न.	उ.न.	उ.न.	913.00	उ.न.	1801.01	1.29	97.26
63. गदग-वाड़ी एनएल	एसडब्ल्यूआर	04/2013	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1117.00	उ.न.	1922.00	0.10	72.07
64. होसपेट-हुबली-लोंदा-वास्कोडगामा डीएल	एसडब्ल्यूआर	04/2010	उ.न.	उ.न.	उ.न.	2127.00	उ.न.	2127.00	46.57	
65. हुबली-अंकोला (एनएल), एसडब्ल्यूआर	एसडब्ल्यूआर	04/1997	उ.न.	उ.न.	उ.न.	227.00	997.58	2135.00	110.11	840.53
66. रामगंजमुडी-भोपाल (एनएल), डब्ल्यूसीआर	डब्ल्यूसीआर	04/2001	उ.न.	उ.न.	उ.न.	727.13	727.13	1225.90	238.69	68.59
67. विद्युतीकरण (दोहरीकरण) के साथ उधना-जलगांव (डब्ल्यूआर)	डब्ल्यूआर	04/2008	03/2014	उ.न.	03/2014	1389.62	उ.न.	1389.62	745.28	
68. रतलाम-महो-खंडवा-अकोला (जीसी)	डब्ल्यूआर	04/2008	03/2012	उ.न.	उ.न.	603.04	उ.न.	1421.25	327.41	135.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69.	पालनपुर-सामख्याली (डीएल)	डब्ल्यूआर	04/2013	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1266.89	उ.न.	1266.89	0.00		
70.	छोटौतपुर-धार (एनएल)	डब्ल्यूआर	04/2007	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1347.26	उ.न.	1347.26	147.45		
71.	दाहोद-इंदौर वाया सरदारपुर, झाबुआ और धार (एनएल)	डब्ल्यूआर	04/2007	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1640.04	1417.97	1640.04	161.27		
72.	छपरा-पहिया विनिर्माण संयंत्र की स्थापना	WS&PU	03/2005	उ.न.	उ.न.	03/2012	470.09	उ.न.	1417.97	1011.09	201.64	
	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग											
73.	पानीपत जालंधर 6 लेन (96 किमी. से 387.1 किमी.)	एनएचएआई	05/2009	11/2011	उ.न.	11/2011	1108.00	उ.न.	2288.00	3466.00	106.50	
74.	पुणे शोलापुर, पीकेजी1	एनएचएआई	11/2009	05/2012	उ.न.	03/2012	1110.00	उ.न.	1110.00	1826.00		
75.	अहमदाबाद गोधरा तक 4 लेनिंग बनाना	एनएचएआई	12/2010	06/2013	उ.न.	06/2013	1008.50	उ.न.	1008.50	1378.00		
76.	चेन्नई हवाईअड्डे-मंडुरावोयाल एनएच सं. 4 से नई 4 लेन एलिवेटेड सड़क	एनएचएआई	09/2010	09/2013	उ.न.	09/2013	1655.00	उ.न.	1655.00	541.70		
77.	नेल्लौर-चिल्कालुरिपेट (1182.802 किमी. से 1366.547 किमी.) का छह लेनिंग	एनएचएआई	11/2011	05/2014	उ.न.	05/2014	1535.00	उ.न.	1535.00	1328.00		

78.	चांदीखोल-जगतपुर भुवनेश्वर के छह लेन	एनएचएआई	12/2011	06/2014	उ.न.	06/2014	1047.00	उ.न.	1047.00	267.30	
79.	श्रीनगर से बनिहाल	एनएचएआई	06/2011	06/2014	उ.न.	06/2014	1100.00	उ.न.	1100.70	254.30	
80.	बीवर-पाली-पिंडवारा	एनएचएआई	12/2011	06/2014	उ.न.	06/2014	2388.00	उ.न.	2388.00	2043.00	
81.	कृष्णागिरि-वलझापेट सेक्शन का छह लेनिंग (0.00 किमी. से 148.3 किमी.) एनएच-46	एनएचएआई	09/2011	12/2013	उ.न.	06/2014	1250.00	उ.न.	1250.00	1258.00	6
82.	गाजियाबाद अलीगढ़ एनएच-91	एनएचएआई	02/2011	08/2013	06/2014	06/2014	1141.00	1141.00	1141.00	2024.00	10
83.	जम्मू-उधमपुर 27.5 कि.मी. से 67.00 कि.मी.	एनएचएआई	07/2010	07/2013	उ.न.	06/2014	1813.76	उ.न.	1813.76	1007.00	11
84.	मुरादाबाद-बरेली	एनएचएआई	04/2010	06/2013	उ.न.	06/2014	1267.00	उ.न.	1267.00	2230.00	12
85.	कड्डप्पा-मिदुकुर-कुरनूल 167.750 किमी. -356.502 किमी.	एनएचएआई	11/2010	05/2013	उ.न.	06/2014	1585.00	उ.न.	1585.00	957.80	13
86.	सूरत दहिसर (छह लेन) 263 किमी. से 502 किमी.	एनएचएआई	02/2009	08/2011	उ.न.	06/2014	1693.75	उ.न.	1693.75	2762.00	34
87.	इंदौर-झाबुआ-गुजरात/मध्य प्रदेश	एनएचएआई	10/2010	04/2013	उ.न.	08/2014	1175.00	उ.न.	1175.00	138.70	16
88.	गुजरात/महाराष्ट्र बोर्डर सूरत-हजीरा पोर्ट सेक्शन	एनएचएआई	03/2010	09/2012	उ.न.	08/2014	1509.10	उ.न.	1509.10	2398.00	23
89.	धनकुनी-खड़गपुर खंड के 6 लेनिंग	एनएचएआई	04/2012	09/2014	उ.न.	09/2014	1396.18	उ.न.	1396.18	1602.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90.	मुलताई छिंदवाड़ा सिवनी एसईसी के पेव्ड शोल्डर्स के साथ 2 लेनिंग	एनएचएआई	10/2011	10/2014	उ.न.	10/2014	1565.00	उ.न.	1565.00	1293.00		15
91.	बरेली-सीतापुर	एनएचएआई	03/2011	09/2013	उ.न.	12/2014	1046.00	उ.न.	1046.00	375.20		16
92.	फरक्का-रायगंज के 4 लेन का बनाया जाना	एनएचएआई	02/2011	08/2013	उ.न.	12/2014	1078.84	उ.न.	1078.84	1607.00		21
93.	पुणे सतारा (एनएच-4)	एनएचएआई	10/2011	03/2013	उ.न.	12/2014	1724.55	उ.न.	1724.55	1207.00		
94.	वाराणसी औरंगाबाद 786 किमी. से 978.40 किमी.	एनएचएआई	09/2011	03/2014	उ.न.	03/2015	2848.00	उ.न.	2848.00	1038.00		12
95.	दिल्ली आगरा स्वीकृत लंबाई 180.0 किमी.	एनएचएआई	10/2012	04/2015	उ.न.	04/2015	1298.22	उ.न.	1928.22	470.90		
96.	रांची-रर्गा-जमशेदपुर	एनएचएआई	12/2012	06/2015	उ.न.	06/2015	1479.00	उ.न.	1479.00	334.70		
97.	नागपुर बैतूल 4 लेन का बनाया जाना	एनएचएआई	02/2011	08/2014	उ.न.	07/2015	2498.76	उ.न.	2498.76	2642.00		11
98.	ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा की चार लेनिंग	एनएचएआई	02/2013	08/2015	उ.न.	08/2015	1232.00	उ.न.	1232.00	423.00		
99.	इटावा चकेरी	एनएचएआई	03/2013	09/2015	उ.न.	09/2015	1573.00	उ.न.	1573.00	808.10		
100.	पानीखोली-रिमोली	एनएचएआई	03/2012	09/2014	उ.न.	10/2015	1410.00	उ.न.	1410.00	645.00		13
101.	वालजापेट पूनामली 106.8 किमी. से 13.8 किमी.	एनएचएआई	06/2013	11/2015	उ.न.	11/2015	1287.95	उ.न.	1287.95	540.10		
102.	अहमदाबाद से वडोदरा सेक्शन	एनएचएआई	01/2013	12/2015	उ.न.	12/2015	2125.24	उ.न.	2125.24	100.30		

103.	नाशरी चनानी	एनएचएआई	06/2010	06/2015	उ.न.	05/2016	2159.00	उ.न.	1259.00	472.90	11
104.	काजीगुंड-बनिहाल 220.00 किमी. से 188.00 किमी.	एनएचएआई	07/2010	07/2015	उ.न.	06/2016	1987.00	उ.न.	1987.00	1135.00	11
105.	महा-कर्ना. सीमा संगारेड्डी सेक्शन की 4 लेनिंग एनएच-9	एनएचएआई	04/2014	09/2016	उ.न.	09/2016	1266.60	उ.न.	1266.60	0.00	
106.	चौक सेक्शन के पास किरतपुर की चार लेनिंग करना (73.20 किमी. से 186.50 किमी.)	एनएचएआई	11/2013	11/2016	उ.न.	11/2016	1916.79	उ.न.	1916.79	262.40	
107.	पुणे-नासिक सेक्शन के खेड़-सिन्नार स्ट्रेच के चौड़ीकरण, एनएच-50	एनएचएआई	05/2013	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1348.20	उ.न.	1348.20	0.00	

***प्रयुक्त संक्षिप्तिः**

सीआर – मध्य रेलवे
ईसीओआर – पूर्व कोस्ट रेलवे
ईसीआर – पूर्व मध्य रेलवे
ईआर – पूर्वी रेलवे
एमआरटीपी – महानगरीय तीव्र परिवहन परियोजनाएं
एनसीआर – उत्तर मध्य रेलवे
एनईएफआर – उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे
एनईआर – उत्तर पूर्व रेलवे
एनएचएआई – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनआर – नॉदन रेलवे
एनडब्ल्यूआर – उत्तर पश्चिम रेलवे
आरवीएनएल – रेल विकास निगम लिमिटेड
एससीआर – दक्षिण मध्य रेलवे
ईसीओआर – दक्षिण कोस्ट रेलवे
एसईआर – दक्षिण पूर्व रेलवे
एसआर – दक्षिण रेलवे
एसडब्ल्यूआर – दक्षिण पश्चिम रेलवे
डब्ल्यूसीआर – पश्चिम मध्य रेलवे
डब्ल्यूआर – पश्चिम रेलवे
डब्ल्यूएसपीयू – कार्यशालाएं एवं उत्पादन इकाई
एन.ए. – उपलब्ध नहीं

सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी

1343. श्री संजय धोत्रे :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और स्नातकोत्तर संस्थानों (पीजीआई) सहित केन्द्र सरकार के अस्पतालों और संबद्ध अस्पतालों में काफी सारी दवाइयां अनुपलब्ध रहती हैं जिसके परिणामस्वरूप मरीजों की मौत हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन दर्ज की गई मौतों का अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अस्पतालों में दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (ग) जहां तक दिल्ली स्थित केंद्रीय सरकार के तीन अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डॉ, आरएमएल अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा संबद्ध अस्पतालों का प्रश्न है, दवाइयों की खरीद के लिए आपूर्ति आदेश अग्रिम रूप से दिए जाते हैं तथा किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बफर स्टॉक को भी बनाए रखा जाता है। किसी अवसर पर अस्पताल के मेडिकल स्टोर में जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध नहीं होने पर इसे प्राधिकृत स्थानीय दवाा विक्रेता से अथवा प्राधिकृत अधिकारियों के आदेश से उपलब्ध पेशगी धनराशि का उपयोग का खरीद की जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में जीवन रक्षक अथवा अनिवार्य दवाइयों की कोई कमी नहीं पाई गई है। इन अस्पतालों और एम्स में दवाइयों की अनुपलब्धता के कारण मृत्यु का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

सरकारी निधियों का परिपथन

1344. श्री शिवकुमार उदासि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश सरकारी निधि के भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से जारी होने के मद्देनजर उसका भार बढ़ जाने की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक का अन्य राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से सरकारी निधि जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री, कार्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं। बैंकों को सरकारी कार्य का आबंटन संबंधित मंत्रालय/विभाग के अनुरोध के आधार पर किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से जारी की गई सरकारी निधियों के कारण किसी अधिक भार की किसी घटना की कोई सूचना संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा नहीं दी गई है।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) सरकारी निधियां विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से जारी की जाती हैं।

(घ) मंत्रालयों/विभागों और उनके प्रत्यायित बैंकों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण-I

बैंकों के साथ प्रत्यायित सिविल मंत्रालयों/विभागों की सूची

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	बैंक का नाम
1	2	3
1.	कला और संस्कृति, एचआरडी	केनरा बैंक
2.	सीबीडीटी	भारतीय स्टेट बैंक
3.	सीबीईसी	भारतीय स्टेट बैंक

1	2	3
4.	महालेखा नियंत्रक	एक्सिस बैंक
5.	नागर विमानन	आईसीआईसीआई बैंक
6.	सीपीएओ	पंजाब नेशनल बैंक
7.	सीपीडब्ल्यूडी, शहरी विकास मंत्रालय	भारतीय स्टेट बैंक
8.	विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय	भारतीय स्टेट बैंक
9.	पीएओ, राजस्व	इलाहाबाद बैंक
10.	पीएओ, अफीम और एल्कोलाइड, नीमच	भारतीय स्टेट बैंक
11.	महिला और बाल विकास विभाग	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
12.	परमाणु ऊर्जा विभाग	भारतीय स्टेट बैंक
13.	पेट्रोरसायन एवं उर्वरक विभाग	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
14.	रसायन विभाग	भारतीय स्टेट बैंक
15.	कॉर्पोरेट कार्य विभाग	पंजाब नेशनल बैंक
16.	सांख्यिकी विभाग	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
17.	पूर्ति विभाग	भारतीय स्टेट बैंक
18.	लेखा परीक्षा महानिदेशालय, दिल्ली	भारतीय स्टेट बैंक
19.	मुद्रण निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय	आईडीबीआई
20.	पृथ्वी विज्ञान	भारतीय स्टेट बैंक
21.	भारतीय निर्वाचन आयोग	पंजाब नेशनल बैंक
22.	निर्वाचक अधिकारी, विधि एवं न्याय मंत्रालय और भारत का उच्चतम न्यायालय	इंडियन बैंक
23.	उपभोक्ता मामले विभाग	भारतीय स्टेट बैंक
24.	खाद्य	भारतीय स्टेट बैंक
25.	सार्वजनिक वितरण	भारतीय रिजर्व बैंक
26.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
27.	सूचना प्रौद्योगिकी	बैंक ऑफ इंडिया
28.	इनगैफ	एक्सिस बैंक

1	2	3
29.	श्रम	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
30.	विधि मामले	देना बैंक
31.	लोक सभा	भारतीय स्टेट बैंक
32.	कृषि मंत्रालय	भारतीय स्टेट बैंक
33.	वाणिज्य और वस्त्र मंत्रालय	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
34.	पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्रालय	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
35.	विदेश मंत्रालय	भारतीय स्टेट बैंक
36.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	बैंक ऑफ बड़ौदा
37.	उद्योग मंत्रालय	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
38.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	भारतीय स्टेट बैंक
39.	विधायी विभाग	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
40.	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
41.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	भारतीय स्टेट बैंक
42.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
43.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सिंडिकेट बैंक
44.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
45.	कल्याण मंत्रालय	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
46.	कोयला मंत्रालय	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
47.	वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग	भारतीय स्टेट बैंक
48.	गृह मंत्रालय	भारतीय स्टेट बैंक
49.	खान मंत्रालय	यूको बैंक
50.	विद्युत मंत्रालय	भारतीय स्टेट बैंक
51.	इस्पात मंत्रालय	बैंक ऑफ इंडिया
52.	अल्पसंख्यक मामले	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
53.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	भारतीय स्टेट बैंक
54.	पीएओ-डीपीएआर, कैबिनेट मामले, कैट पेंशन लोक शिकायत एवं कार्मिक मंत्रालय	पंजाब नेशनल बैंक

1	2	3
55.	योजना आयोग	इंडियन ओवरसीज बैंक
56.	पीएओ, सीबीआई (पीपीजीएण्डपी)	भारतीय स्टेट बैंक
57.	राष्ट्रपति सचिवालय	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
58.	राज्य सभा	भारतीय स्टेट बैंक
59.	ग्रामीण विकास	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर
60.	माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा (एचआरडी)	केनरा बैंक
61.	पोत परिवहन	सिंडिकेट बैंक
62.	उच्चतम न्यायालय	यूको बैंक
63.	पर्यटन	पंजाब नेशनल बैंक
64.	जनजाति कार्य	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
65.	संघ लोक सेवा आयोग	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
66.	शहरी विकास (पीएओ सचिवालय)	एक्सिस बैंक
67.	जल संसाधन	भारतीय स्टेट बैंक
68.	युवा कार्य एवं खेल	केनरा बैंक
69.	पीएओ (यूआईडीएआई)	केनरा बैंक

[हिन्दी]

नैदानिक परीक्षण

1345. डॉ. संजय जायसवाल :
श्री दुष्यंत चौटाला :
श्री भगवंत मान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मानव पर नैदानिक चिकित्सकी परीक्षण करने के लिए केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सूचित अनियमितताओं, कदाचार और दिशा-निदेशों के उल्लंघन के मामलों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान नैदानिक परीक्षण से घायल हुए व्यक्तियों और मौतों की सूचित संख्या कितनी है और प्रत्येक मामले में कितना मुआवजा दिया गया तथा इस प्रयोजनार्थ क्या मापदंड/कार्यविधि अपनाई गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान मुआवजा न दिए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) देश में नैदानिक परीक्षणों के समुचित संचालन और इसके प्रतिभागियों की सुरक्षा/अधिकार-संरक्षण के सुनिश्चियन हेतु विनियामक व निगरानी तंत्र को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीडीएससीओ द्वारा प्राप्त नैदानिक परीक्षणों से संबंधित आवेदन पत्रों की संख्या और प्रदान की गई अनुमति की संख्या निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	दी गई अनुमति की संख्या
2011	306	283
2012	480	253
2013	207	73
2014 (30 जून, 2014 तक)	104	95

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूचित अनियमितताओं के ब्यौरे और सीडीएससीओ द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार:

(i) वर्ष 2011-12 के दौरान नैदानिक परीक्षण से संबंधित गंभीर प्रतिकूल प्रभाव (एसएपी) की सूचित क्षतियों की संख्या क्रमश: 140 और 112 थी।

(ii) वर्ष 2011 और 2012 प्रत्येक के दौरान नैदानिक परीक्षण से संबंधित गंभीर प्रतिकूल प्रभाव (एसएपी) की सूचित मौतों की संख्या 16 थी।

(iii) अब तक वर्ष 2013 में नैदानिक परीक्षण से संबंधित मौतों के 19 मामलों में नैदानिक परीक्षण आवेदकों/प्रयोजकों को मुआवजे के भुगतान के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं और इन 19 मामलों में से 8 में संबद्ध नैदानिक परीक्षण आवेदकों/प्रयोजकों पहले ही मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।

(iv) विहित समय-सीमा के अनुसार परीक्षण से संबंधित क्षति अथवा मृत्यु होने पर मुआवजे के भुगतान के लिए प्रक्रियाओं तथा नैदानिक परीक्षणों के दौरान होने वाले गंभीर प्रतिकूल प्रभावों की रिपोर्टों का विश्लेषण करने के लिए प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करने वाली दिनांक 30.1.2013 की राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 53(अ) के तहत औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में किए गए प्रावधानों के परिणामस्वरूप नियमों की अनुसूची वाई के परिशिष्ट-XII के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा नैदानिक परीक्षण से संबंधी मौतें होने पर मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने हेतु एक सूत्र तैयार किया गया है। ऐसे मामलों में मुआवजे की मात्रा उक्त सूत्र के अनुसार निर्धारित की जा रही है।

(v) मुआवजे का भुगतान न किए जाने के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ङ) नैदानिक परीक्षणों के अनुमोदन की प्रक्रिया, मॉनीटरिंग प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करने और, नैदानिक परीक्षणों के प्रयोगाधीन व्यक्तियों की सुरक्षा, अधिकारों एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

➤ औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली में दिनांक 30.01.2013 की राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 53(ई) के जरिए संशोधन, जिसमें नैदानिक परीक्षणों के दौरान होने वाली गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टों का विश्लेषण करने की प्रक्रियाओं तथा परीक्षण से जुड़ी क्षति या मौत के मामले में निर्धारित समयावधि के अनुसार मुआवजे के भुगतान की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है।

➤ नियमावली में दिनांक 01.02.2013 की राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 63(ई) के जरिए संशोधन, जिसमें नैदानिक परीक्षण करने के लिए विभिन्न शर्तों, भारत में नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्री में नैदानिक परीक्षण का अनिवार्य पंजीकरण, नैदानिक परीक्षणों के निरीक्षण करने के लिए प्राधिकार तथा अनुपालन न किए जाने की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया है।

➤ नियमावली में दिनांक 08.02.2013 की राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 72(ई) के जरिए संशोधन करना, जिसमें एथिक्स कमिटियों के पंजीकरण हेतु अपेक्षाओं एवं दिशानिर्देशों का उल्लेख किया गया है।

➤ नैदानिक परीक्षणों में होने वाली मौतों की रिपोर्टों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। इस समिति ने नैदानिक परीक्षणों से संबंधित मौतें होने पर मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक सूत्र तैयार किया है जो सीडीएससीओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

➤ स्वास्थ्य अधिकार मंच, इंदौर बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 3.1.2013

के आदेश के अनुपालन में डीजीएचएस की अध्यक्षता के अंतर्गत तकनीकी समिति और सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में शीर्ष (अपेक्स) समिति का गठन करके नैदानिक परीक्षणों के पर्यवेक्षण की प्रणाली स्थापित की गई है।

- सीडीएससीओ द्वारा दिनांक 30.8.2013 का आदेश जारी किया गया है जिसमें प्रयोजक तथा उसके प्रतिनिधि के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि वे वित्तीय सहायता, शुल्क, मानदेय, वस्तुगत भुगतान, जो अन्वेषक को दिया जाएगा, इत्यादि के संबंध में प्रयोजक द्वारा अन्वेषक/संस्थानों के साथ की गई संविदा का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 21.10.2013 के आलोक में दिनांक 30.11.2013 से यह अनिवार्य बना दिया है कि सभी नैदानिक परीक्षणों के लिए मरीजों से लिखित सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता के अतिरिक्त नैदानिक परीक्षण करवाने वाले प्रत्येक रोगी की सहमति की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग की जानी अपेक्षित है।

- नैदानिक परीक्षणों और नई औषधों के संबंध में प्रो. रंजीत राय चौधरी की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन सिफारिशों की जांच की और इसके अनुसरण में सीडीएससीओ द्वारा दिनांक 3.7.2014 को नैदानिक परीक्षणों के विनियमन के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न उपायों हेतु आदेश जारी किए गए।

विवरण

सूचित अनियमितता के ब्यौरे डीएससीओ द्वारा की गई कार्रवाई

क्र. सं.	वर्ष	फर्म/प्रायोजक/सीआरओ/प्रमुख अन्वेषक का नाम	साइट/राज्य का नाम	अन्वेषणात्मक औषधीय उत्पाद (आईएमपी)	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
1.	2010	क्विंटाइल्स रिसर्च (इंडिया) प्रा.लि. बैंगलुरु	भोपाल मेमोरियल अस्पताल एंड रिसर्च सेन्टर, भोपाल, मध्य प्रदेश	टेलावांसिन बनाम वेंकोमाइसिन	केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के प्राधिकारियों के दल ने 10 से 12 अगस्त के दौरान भोपाल मेमोरियल हस्पताल एंड रिसर्च केन्द्र (बीएमएचआरसी) पर आयोजित एक नैदानिक परीक्षण का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के निष्कर्ष ने कुछ कमियां दर्शाई जैसे भाग लेने के लिए परीक्षणाधीन व्यक्तियों को मुआवजा का भुगतान नहीं करना, विहित समय सीमा के भीतर गंभीर प्रतिकूल घटना की सूचना नहीं देना इत्यादि, जिसके लिए मुख्य अन्वेषक और मैसर्स क्विंटाइल्स लि. बेंगलुरु को दिनांक 28.09.2010 के पत्र के तहत अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। मुख्य अन्वेषक और मैसर्स क्विंटाइल्स लिमि.. ने औषघ महानियंत्रक (आई) [डीसीजी (आई)] के कार्यालय में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

1	2	3	4	5	6
					डीसीजी(आई) कार्यालय ने दिनांक 23.12.2010 को मुख्य अन्वेषक और मैसर्स क्विंटाइल्स लिमिटेड को चेतावनी पत्र जारी किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी कमियां/विसंगतियों की पुनरावृत्ति न हो।
2.	2010	पाथ (आईसीएमआर के सहयोग से) ए-9, कुतुब इंस्टीट्यूश्नल एरिया, यूएसओ रोड, नई दिल्ली-110067, भारत	1. खम्माम जिला, आंध्र प्रदेश 2. वडोदरा जिला, गुजरात	ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन (एचपीवी वैक्सीन)	यह एक चरण-IV पोस्ट लाइसेंसुर नैदानिक परीक्षण था। इस परीक्षण की शुरुआत पाथ (प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नॉल्जी इन हैल्थ), एक एनजीओ द्वारा की गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) और आंध्र प्रदेश तथा गुजरात की राज्य सरकारें सहयोगात्मक साझेदार थीं। 14091 लड़कियों को आंध्र प्रदेश में वैक्सीन लगाया गया जबकि गुजरात में 10686 लड़कियों को वैक्सीन लगाया गया। मीडिया ने परीक्षण के दौरान 7 लड़कियों की मौत की खबर दी। इस परीक्षण को आईसीएमआर द्वारा 7 अप्रैल, 2010 को निरस्त कर दिया गया। "भारत में पाथ द्वारा ह्यमून पेजिलोमा वायरस वैक्सीन का इस्तेमाल करके अध्ययन के करने में तथाकथित अनियमितताओं" की जांच हेतु नियुक्त समिति ने परीक्षण आयोजित करने में संसूचित सहमति लेने, आचार समिति के अनुमोदन, गंभीर प्रतिकूल घटना की सूचना देने तथा मॉनीटरिंग इत्यादि में कतिपय विसंगतियों की सूचना दी। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर मैसर्स पाथ को 3.7.2012 को एक चेतावनी पत्र जारी किया गया है जिसमें उन्हें नैदानिक परीक्षण करते समय सावधान रहने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी विसंगतियों/उल्लंघन की पुनरावृत्ति न हो और उन्हें सुधारात्मक कार्रवाही का अनुपालन करने के लिए भी निदेश दिए गए ताकि प्रगतिरत और भविष्य

1	2	3	4	5	6
					में शुरू किए जाने हेतु प्रस्तुति अनुसंधा- मक अध्ययनों में अनुसूची वाई और जीसीपी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
3.	2010	मैसर्स मेरिल लाइफ साइंसिज लि. वापी, गुजरात	मैसर्स एस्कार्ड हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, ओखला रोड, नई दिल्ली	बायोमिम सिरोलीमस इलुटिंग कोरोनरी स्टेंट विस्टम	यह परीक्षण चिकित्सीय युक्ति के नैदानिक परीक्षण से संबंधित है, जिसे डीसीजी(आई) द्वारा भारत में पहले ही विनिर्माण और विपणन की अनुमति प्रदान की गई थी। इस जांच ने दर्शाया इस साइट पर औषध और प्रसाधन सामग्री नियम की अपेक्षाओं के अनुसार परीक्षण किया गया था सिवाय डीसीजी(आई) के कार्यालय से अनुमति के। प्रायोजकों को भविष्य में डीसीजी(आई) के अनुमोदन के बगैर कोई भी परीक्षण शुरू नहीं करने की चेतावनी दी गई है।
4.	2011	क्विंटाइल्स रिसर्च (इंडिया) प्रा.लि. बेंगलुरु	भोपाल मेमोरियल अस्पताल एंड रिसर्च सेन्टर, भोपाल, मध्य प्रदेश	टाइगेसाइक्लीन	मैसर्स क्विंटाइल्स रिसर्च (आई) प्रा. लि. बेंगलुरु को डीसीजी(आई) कार्यालय द्वारा दिनांक 21.4.2006 को प्रदान की गई अनुमति के आधार पर "जटिल इंट्रा-जठर संक्रमणों से ग्रस्त अस्पताल में भर्ती परीक्षणाधीन व्यक्तियों के उपचारार्थ टाइगोसाइक्लीन बनाम सीफ्ट्रीयाक्सोन सोडियम प्लस मेट्रोनीडाजोल का एक बहुकेन्द्रिक, विवृत लेबल, यादृच्छकृत, तुलनात्मक अध्ययन" शीर्षक नामक नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की गई। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, भोपाल की आचार समिति का अनुमोदन अन्वेषक को 06.04.2006 को प्राप्त हुआ। बीएमएचआरसी में नैदानिक परीक्षण के संचालन में सूचित तथाकथित अनियमितताओं के मद्देनजर, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के अधिकारियों के एक दल ने 28 फरवरी से 2 मार्च 2011 के दौरान उक्त केन्द्र में

1	2	3	4	5	6
					इस परीक्षण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के निष्कर्षों से कुछ कमियां प्रदर्शित हुईं जैसे कि भागीदारी के लिए परीक्षणाधीन व्यक्तियों को मुआवजा की गैर-अदायगी, निर्धारित समय सीमाओं के भीतर गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की सूचना न देना इत्यादि जिसके लिए प्रधान अन्वेषक तथा कंपनी को दिनांक 08.12.2011 के पत्र के तहत अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया। प्रधान अन्वेषक तथा मैसर्स क्विनटाइल्स लिमिटेड ने 26.12.2011 को डीसीजी(आई) के कार्यालय को अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए। स्पष्टीकरणों पर विचार करने के बाद, डीसीजी (आई) के कार्यालय ने नैदानिक परीक्षण करते समय सावधान रहने के लिए 20.03.2012 को प्रधान अन्वेषक तथा मैसर्स क्विनटाइल्स लिमिटेड को चेतावनी पत्र जारी किए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी कमियां/विसंगतियां भविष्य में दोहराई न जाए।
5.	2011	मैसर्स आर्गनॉन इंडिया	भोपाल मेमोरियल अस्पताल एंड रिसर्च सेन्टर, भोपाल, मध्य प्रदेश	फोंडापेरिनक्स	मैसर्स आर्गनॉन इंडिया को एसटी सेगमेंट एलिवेशन एक्युट मायोकार्डियल इंफार्शन (लो मालीक्युलर वेट हिपेरिन) वाले बहुत से रोगियों में क फोंडापैटिनक्स सोडियम बनाम कंट्रोल थिरेपी तथा ख) ग्लुकोज इंसुलिन पोर्टेशियम इंफ्युजन बनाम कंट्रोल की प्रभावकारिता तथा सुरक्षा का मूल्यांकन करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय यादृच्छिक अध्ययन "नामक नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति 09.07.2007 को दी गई। अनुमति बाद में मैसर्स सैनोफी-सिंथेलैबो (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई को अंतरित कर दी गई। निरीक्षण 03.03.2011 से 04.03.2011 तक किया गया। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों के दल ने 3 एवं 4 मार्च, 2011 के दौरान उक्त केन्द्र में इस परीक्षण कर

1	2	3	4	5	6
					निरीक्षण किया। निरीक्षण से निष्कर्षों से कुछ कमियां प्रदर्शित हुईं जैसे कि भागीदारी के लिए परीक्षणाधीन व्यक्तियों को मुआवजा की गैर-अदायगी, निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की सूचना न देना इत्यादि जिसके लिए प्रधान अन्वेषक तथा कंपनी को दिनांक 08.12.2011 के पत्र के तहत अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया। प्रधान अन्वेषक तथा मैसर्स सैनोफी-सिंथेलैबी (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई ने 13.01.2012 को डीसीजी(आई) के कार्यालय को अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए। स्पष्टीकरणों पर विचार करने के बाद, डीसीजी(आई) के कार्यालय ने नैदानिक परीक्षण करते समय सावधान होने के लिए दिनांक 20.03.2012 को प्रधान अन्वेषक तथा मैसर्स सैनोफी-सिंथेलैबी (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई को चेतावनी पत्र जारी किए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी कमियां/विसंगतियां भविष्य में दुहराई न जाए।
6.	2011	एक्सिज क्लिनिकल लिमिटेड, आंध्र प्रदेश	एक्सिज क्लिनिकल लिमिटेड, (यूनिट नं. 1) प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम तथा छठा तल, म.नं. 1-12/1 साई नं. 66 (भाग) एवं 67 (पार्ट) मियापुर, हैदराबाद-500050 एवं (यूनिट सं. 2) प्लॉट नं. 33 से 35, मीरा अस्पताल प्रथम तल, अलुरी सीतारामराजू कॉलोनी, जेपीएन कॉलोनी के सामने मियापुर, हैदराबाद	कैंसररोधी औषधों (एक्सेमिस्टेन 25 एमसी टैब्लेट) के जैव-उपलब्धता एवं जैव-समतुल्यता अध्ययन	मैसर्स एक्सिज क्लिनिकल रिसर्च, हैदराबाद द्वारा समुचित सूचित सहमति के बगैर गरीब लोगों पर कैंसर-रोधी औषध का नैदानिक परीक्षण किए जाने की सूचना मिली थी। जांच से प्रकट हुआ कि फर्म ने पहले से ही अनुमोदित कैंसर रोधी औषध पर जैव-समतुल्यता अध्ययन किया और आचार समिति की सूचित सहमति प्रक्रिया तथा समीक्षा और निर्णय के संबंध में कुछ अनियमितताएं थीं। जैव-समतुल्यता तथा जैव-उपलब्धता करने के लिए फर्म को प्रदत्त अनुमति 22.06.2011 को लंबित कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप, 04.07.2011 को फर्म ने आचार समिति की व्यक्ति भर्ती प्रक्रिया के लिए संशोधित मानक प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं, सूचित सहमति

1	2	3	4	5	6
					प्रक्रिया तथा समीक्षा एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया सहित उनके द्वारा की जा रही सुधारात्मक कार्रवाईयों का उल्लेख किया। आगे की जांचों तथा सत्यापनों के आधार पर मैसर्स एक्सिज क्लिनिकल रिसर्च, हैदराबाद को श्रव्य-दृश्य साधनों तथा आचार समिति एवं अन्वेषकों के काम-काज के जरिए सूचित सहमति प्रक्रिया के प्रलेखन सहित सूचित सहमति प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन जैव-समतुल्यता अध्ययन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।
7.	2011	डॉ. अनिल भरानी तथा तथा डॉ. आशीष पटेल	महाराजा यशवंत राव अस्पताल एवं महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज, इंदौर-432001, मध्य प्रदेश	पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन (पीएएच) में तडालाफिल	महाराजा यशवंत राव अस्पताल एवं महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज, इंदौर में नैदानिक परीक्षण के मानकों के तथाकथित उल्लंघन के संबंध में खबर आई थी। समाचार में नैदानिक परीक्षण में पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन (पीएएच) में टडालफिल दवा के इस्तेमाल में एक विशिष्ट मुद्दे का उदाहरण दिया गया। डीसीजी(आई) के कार्यालय ने सीडीएससीओ (पश्चिमी जोन) ने दिनांक 12.07.2011 को तथ्यों का पता लगाने के लिए एक जांच करने का निर्देश दिया। तदनुसार इंदौर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज तथा संबद्ध एमवाई अस्पताल में किए गए नैदानिक परीक्षणों के संबंध में 10.08.2011 को सीडीएससीओ (पश्चिमी जोन) के कार्यालय तथा राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जांच-पड़ताल की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार डॉ. अनिल भरानी तथा डॉ. आशीष पटेल द्वारा डीसीजी(आई) की अनुमति के बगैर समूह-1 पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाले रोगियों में टडालफिल के साथ परीक्षण किया गया। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन (पीएएच) में टडालफिल के साथ अध्ययन 18.09.2005 को शुरू किया गया जब देश में उक्त निर्देश

1	2	3	4	5	6
					के लिए औषध अनुमोदित नहीं थी। तथापि, अन्य निर्देश के लिए दवा को देश में 10.06.2003 को अनुमोदित किया गया - पुरुष उत्थानक्षम दुष्क्रिया। उपर्युक्त के मद्देनजर सीडीएससीओ ने दिनांक 2.11.2011 के अपने पत्र के तहत नैदानिक परीक्षण को तत्काल ही रोक दिया तथा डॉ. अनिल भरानी तथा आशीष पटेल को छह माह की अवधि क लिए कोई नैदानिक परीक्षण करने से वंचित कर दिया।
8.	2011	मैसर्स कैडिला हैल्थ केयर लिमिटेड, अहमदाबाद; मैसर्स एम्क्योर फॉर्मास्युटिकल्स पुणे; मैसर्स इंटास फॉर्मास्युटिकल्स, अहमदाबाद	एमजीएम मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल, मनश्चिकित्सा विभाग, मध्य प्रदेश	पैराक्सेटिन एचसीएल कंट्रोल्ड रिलीज के नियत खुराक सम्मिश्रण वाले कैप्सूल तथा क्लोनाजेपॉम, डैपोक्सिटिन, डोक्सेपिन	22 से 25 दिसंबर, 2011 के दौरान मानसिक रूप से बीमार रोगियों में इंदौर में नैदानिक परीक्षणों के संचालन में अनियमितताओं की रिपोर्टों की जांच करने के लिए सीडीएससीओ द्वारा विशेषज्ञ के साथ निरीक्षण किया गया। जांच दल ने कुछ विसंगतियां देखीं जैसे कि मूल सूचित सहमति प्रपत्र/रोगी अभिलेख प्रपत्र, अनुसूची वाई तथा उत्तम नैदानिक पद्धतियों (जीसीपी) संबंधी दिशानिर्देशों के संबंध में मूल स्रोत दस्तावेज करने में अनियमिताएं। तथापि, प्रधान अन्वेषकों द्वारा अनुमोदित नवाचार की समावेशन और बर्हिवेशन मानदंड के अनुसार विषयों को नामांकित किया गया है और अन्वेषकों के स्थल पर रखे जा रहे उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार उसे मानसिक दौर पर ठीक पाया गया था। अन्वेषण टीम ने डिपोक्सीटीन के नैदानिक परीक्षण में भाग लेने कुछ व्यक्तियों से भी मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की और उनका व्यवहार सामान्य पाया। उनके हस्ताक्षर सूचित सहमति पत्र के हस्ताक्षर से मेल खा रहे थे। सीडीएससीओ (मुख्यालय) ने फर्मों मैसर्स एमक्योर, मैसर्स इंटास तथा मैसर्स कैडिला तथा अन्वेषकों-डॉ, अभय पालीवाल, डॉ. उज्ज्वल सरदेसाई, डॉ. रामगुलाम राजदान तथा डॉ. पाली रस्तोगी को

1	2	3	4	5	6
					04.01.2012 को कारण बताओ नोटिस जारी किए जिनमें उनसे कारण बताने तथा निरीक्षण दल द्वारा की गई अभ्युक्तियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। परिणामस्वरूप, फर्मों-मैसर्स कैडिला हैल्थकेयर लिमिटेड, अहमदाबाद, मैसर्स इमक्योर फार्मास्युटिकल, पुणे तथा मैसर्स इंटास फार्मास्युटिकल्य, अहमदाबाद एवं अन्वेषणों- डॉ. अभय पालीवाल, डॉ. उज्ज्वल सरदेसाई, डॉ. रामगुलाम राजदान तथा डॉ. पाली रस्तोगी ने कारण बताओ नोटिसों के उत्तर में अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए। निरीक्षणों के निष्कर्षों तथा फर्म एवं अन्वेषकों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करने पर ऐसा देखा गया है कि नैदानिक परीक्षणों के संचालन में ऊपर यथाउल्लिखित कुछ अनियमितताएं रही हैं जो भारत में नैदानिक अनुसंधान के लिए उत्तम नैदानिक पद्धतियों (जीसीपी) दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं। उपर्युक्त को देखते हुए, उक्त फर्मों तथा अन्वेषकों को नैदानिक परीक्षण करते समय सावधान रहने के लिए चेतावनी पत्र जारी किए गए है ताकि जीसीपी दिशानिर्देशों तथा प्रयोज्य विनियमों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
9.	2012	डॉ. हेमंत जैन	चाचा नेहरू अस्पताल इंदौर	➢ जी-मेनिनगोक्कल कंजूगेट वैक्सीन ➢ डिप्थीरिया-टिटनेस-पूर्ण कोशिका पर्ट्यूसिस-हेपाटाइटिस बी और एलबीवीएच 0101 हीमोफिलस इंफ्लुएंजा टाइप बी टिटनेस टाक्साइड कंजूगेट वैक्सीन	प्रेस रिपोर्टों और मैसर्स चाचा नेहरू अस्पताल, इंदौर में डॉ. हेमंत जैन द्वारा अवैध नैदानिक परीक्षण करने के बारे में शिकायतों के आधार सीडीएससीओ के अधिकारियों के दल ने इस स्थान पर आयोजित नैदानिक परीक्षणों का निरीक्षण किया (16 से 20 अप्रैल, 2012 तक)। यह पाया गया कि वर्ष 2006 से 2010 की

1	2	3	4	5	6
				➢ डिफ्थीरिया टिटनेस-पूर्ण कोशिका पर्ट्यूसिस-हेपाटाइटिस बी वैक्सीन ➢ राबेपेराजोल ➢ विरोसोमल हेपाटाइटिस ए वायरस (एचएवी) वैक्सीन ➢ मानोवेलेंट टाइप-1 ओरल पोलियो-माइलिटिस वैक्सीन ➢ बाइवेलेंट ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन (बीओपीवी) ➢ हीमोफिलस इंफ्लुएंजी बी कंजुगेट वैक्सीन ➢ ईजी फाइव टीएम वैक्सीन ➢ डीटी डब्ल्यूपी वैक्सीन ➢ एनएक्टिवेटिड पोलियो वैक्सीन ➢ मोनो वेलेंट एच1एन1 इंफ्लुएंजाए ➢ वाल्सार्टन ➢ मल्टी वेलेंट ह्यूमल पेपिल्लोमावायरस (एचपीवी एल1 विषाणु-जैसे पार्टिकल (वीएलपी) ➢ मोंटेल्यूकेस्ट	अवधि के दौरान डॉ. हेमंत जैन द्वारा 26 नैदानिक परीक्षण किए गए थे। डीसीजीआई कार्यालय ने अन्वेषक डॉ. हेमंत जैन के अंतर्गत किए गए नैदानिक परीक्षणों के लिए निम्नलिखित प्रायोजकों/सीआरओ को चेतावनी पत्र जारी किए: 1. मैसर्स ग्लैक्सो स्मिथक्लिन फार्मास्युटिकल लि., मुंबई 2. मैसर्स सीरो क्लिनफार्म प्रा.लि., थाणे 3. मैसर्स एलजी लाइफ साइंसिज इंडिया प्रा.लि., नई दिल्ली 4. मैसर्स क्विंटाइल्स रिसर्च (भारत) प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु 5. मैसर्स प्रोजिनिटॉर क्लीनिकल रिसर्च प्रा.लि., अहमदाबाद 6. मैसर्स पीपीडी फॉर्मास्युटिकल डेवलेपमेंट इंडिया प्रा.लि. डीसीजी (आई) कार्यालय ने कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा उनके उत्तर मिलने के उपरांत इस मामले की और समीक्षा की तथा दिनांक 5 दिसंबर, 2013 के आदेशों के तहत निम्नलिखित पर 3 माह की अवधि के लिए किसी भी नए नैदानिक परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगा दिया: 1. डॉ. हेमंत जैन, एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज और एम.वाई अस्पताल, इंदौर, मध्य प्रदेश (मुख्य अन्वेषक) 2. नीतिशास्त्र समिति एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज और एम.वाई अस्पताल, इंदौर, मध्य प्रदेश 3. मैसर्स पैनेशिया बायोटेक लि., नई दिल्ली 4. मैसर्स एसएसडी फॉर्मास्युटिकल प्रा. लि., गुड़गांव

[अनुवाद]

भारत-अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध

1346. **श्रीमती सुप्रिया सुले :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने भारतीय सौर ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में विश्व व्यापार संगठन ने अपना विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके विवादित मुद्दों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान अमेरिका और भारत के बीच विश्व व्यापार संगठन में उठे अन्य व्यापारिक मुद्दों का ब्यौरा क्या है और यदि द्विपक्षीय व्यापार पर इसका कोई प्रभाव हुआ हो तो उसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) और (ख) जी, हां। नवीन एव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एनएनआरई) द्वारा चलाए जा रहे जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम), के अंतर्गत फेज-। (बैच । तथा ।।) के तहत घरेलू घटक अपेक्षा (डीसीआर) तथा फेज-।। कार्यक्रमों के बैच-। से असंतुष्ट होकर यूएसए ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के विवाद निपटान तंत्र (डीएसयू) के तहत एक मामला (डीएस456) दायर किया है।

अमेरिका ने गैट 1994 के राष्ट्रीय व्यवहार (एनटी) सिद्धांत, व्यापार संबंधी निवेश उपायों से संबंधित करार (टीआरआईएमएस) आदि जैसे डब्ल्यूटीओ करारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इन कार्यक्रमों में डीसीआर के डब्ल्यूटीओ के अनुरूप न होने का दावा किया है। जेएनएनएसएम कार्यक्रम के फेज-। के दोनों बैचों और फेज-।। के बैच । में डीसीआर के विरुद्ध अमेरिका द्वारा किए गए दावों के लिए डीएसयू के अंतर्गत मार्च 2013 तथा मार्च 2014 में अमेरिका के साथ विचार-विमर्श किया गया था। चूंकि इन विचार-विमर्शों का कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकल सका था इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध पर, विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) ने मई 2014 में डब्ल्यूटीओ विवाद पैनल गठित किया। इस पैनल का संघटन हो जाने के बाद डब्ल्यूटीओ सचिवालय द्वारा पैनल की कार्रवाई का निर्धारण किया जाएगा।

भारत सरकार डब्ल्यूटीओ सिद्धांतों तथा विधिशास्त्र के आधार पर रक्षा कार्यनीति तैयार कर रही है।

(ग) डब्ल्यूटीओ में उठाए गए अमेरिका तथा भारत के बीच अन्य व्यापार संबंधी मुद्दे इस प्रकार हैं:—

(i) भारत के मूल के चुनिंदा हॉट रोल्ड कार्बन स्टील उत्पादों पर अमेरिका द्वारा अधिरोपित अत्यधिक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सीवीडी (डीएस 436-शिकायतकर्ता के रूप में भारत) जिसके परिणामस्वरूप भारत द्वारा उक्त उत्पाद के निर्यात पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है;

(ii) एविएन इंफ्लुएंजा वायरल स्ट्रेन्स से संक्रमित देश से कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पादों के आयात पर पाबंदी के संबंध में भारत द्वारा किए गए कुछ उपाय (डीएस 430- शिकायतकर्ता के रूप में अमेरिका)

उपरोक्त मुद्दों के अतिरिक्त, दोनों पक्षों ने डब्ल्यूटीओ एसपीएस/टीबीटी समिति की बैठकों में कुछ मुद्दे उठाए हैं। भारतीय पक्ष ने बासमती चावल पर न्यूनतम अवशिष्ट स्तर (एमआरएल) के निर्धारण संबंधी मुद्दा उठाया है। अमेरिका ने (i) खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन - खाद्य लेबलिंग अपेक्षा (आईडी 298); (ii) खिलौने तथा खिलौने उत्पाद (अनिवार्य पंजीकरण) आदेश (आईडी 309); (iii) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियमावली 2010 (आईडी 310); (iv) इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण हेतु शर्तें) आदेश, 2012 (आईडी 367); (v) वर्ष 2008 के खतरनाक अपशिष्ट कानून में प्रस्तावित संशोधन (आईडी 373) से संबंधित मुद्दे उठाए हैं।

जीवाणु-जनित रोग

1347. **श्री प्रताप सिम्हा :**
योगी आदित्यनाथ :
श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में जीवाणु-जनित रोगों के मामलों और उनसे हुई मौतों की रोगवार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में जीवाणु जनित रोगों, विशेषकर मलेरिया संबंधी रोगों के कई मामले और उनसे हुई मौतों का पता नहीं लग पाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जीवाणु-जनित रोगों से निपटने के लिए की गई कार्रवाई और प्रदान की गई वित्तीय/तकनीकी सहायता और संभारतन्त्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा क्या इनकी पर्याप्त पहचान हुई है और इस सहायता के उपयोग का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में कतिपय जनजातीय समुदायों में मलेरिया के प्रतिरोध की क्षमता पाई गई है, और यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अध्ययन के परिणाम का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में जीवाणु-जनित रोगों और गर्मी एवं मानसून संबंधी अन्य रोगों के प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या नए उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के तहत छह वेक्टर जनित रोग अर्थात् मलेरिया डेंगू, चिकुनगुनिया, जापानी एंसेफलाइटिस (जेई), काला-अजार और फिलेरिया शामिल है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन वेक्टर जनित रोगों के कारण सूचित मामलों और हुई मृत्यु की संख्या संलग्न विवरण-I से VI में दी गई हैं। चिकुनगुनिया और लिम्फेटिक फाल्राइसिस रोग घातक नहीं है।

(ख) मलेरिया के मामले माइक्रोस्कोपी और तीव्र निदान जांच किट द्वारा पुष्टि के बाद सूचित होती है। प्रणाली में मलेरिया के कारण मुख्य रूप से देश के जन-स्वास्थ्य प्रणाली में चिकित्सा अधिकारी/वीबीडी अधिकारी द्वारा जांच किए जाने के बाद मृत्यु की सूचना दी जाती है। हालांकि यह संभव है कि निजी क्षेत्र में उपचार किए जा रहे वेक्टर जनित रोग विशेषकर मलेरिया के मामले पूरी तरह से राष्ट्रीय कार्यक्रम में सूचित न किए गए हो।

(ग) भारत सरकार क्षेत्र दौरे के दौरान, दिशा-निदेश, प्रशिक्षण, अतिरिक्त मानव संसाधन और मार्गदर्शी सिद्धांत मुहैय्या कर राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार डीडीटी, नैदानिक किट, दवाईयां आदि जैसी सामग्री भी प्रदान करती है।

वेक्टर जनित रोग की रोकथाम और नियंत्रण तथा कुछ दवाइयों, नैदानिक सामग्री, लार्वीसाइड और कीटनाशक आदि की खरीद के लिए कार्यक्रम गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रदान की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय सहायता (नकद एवं सामग्री) संलग्न विवरण-VII में दिए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (एनआईएमआर) द्वारा सूचित किया गया है कि इस संबंध में संस्थान द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया।

(ङ) वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए गए नए उपायों में निम्नलिखित शामिल है:—

- राष्ट्रीय जेई/एईएस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम आरंभ करना।
- मलेरिया के लिए बाइवेलेंट तीव्र नैदानिक किट की शुरूआत करना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में मलेरिया के लिए नए आर्टीमिसिनिन कांबीनेशन थेरापी।
- आंतरिक सेक्टर संबंधी समन्वय को मजबूत बनाना।
- जेई टीकाकरण अभियान 149 जिलों में (1 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए) पूरा हो गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने 9-12 माह में पहली खुराक और 16-24 माह में दूसरी खुराक के साथ नियमित टीकाकरण के तहत जेई की दो खुराक आरंभ की है।

छूटे हुए मामलों को शामिल करने के लिए 22 और 23 जून, 2014 को बिहार और उत्तर प्रदेश के अभिज्ञात जिलों में जेई टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। वेक्टर जनित रोगों के अलावा मानसून से संबंधित रोग मुख्य रूप से दूषित पानी के कारण होता है जो अतिसार, हैजा, हेपाटाइटिस और टाइफाइड हैं।

महामारी संभावित रोगों की पूर्व चेतावनी संकेतों का पता लगाने और उसका उपचार करने के लिए देश में रोग निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ी बनाने के उद्देश्य से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) लागू किया गया है। आईडीएसपी के तहत जिलों और राज्यों को अतिरिक्त जनशक्ति, प्रकोप जांच के लिए सदस्यों का अभिज्ञात तीव्र उपचार दल का प्रशिक्षण, जिला और राज्य स्तर पर महामारी संभावित रोगों की जांच करने के लिए प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और डाटा एंट्री के लिए आईसीटी उपकरण प्रदान कर सुदृढ़ बनाया गया है।

विवरण-I

देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूचित मलेरिया के मामले और मृत्यु की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011		2012		2013		2014*	
		मामला	मृत्यु	मामला	मृत्यु	मामला	मृत्यु	मामला	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	34949	5	24699	2	19787	0	5872	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	13950	17	8368	15	6398	21	1224	0
3.	असम	47397	45	29999	13	19542	7	2794	0
4.	बिहार	2643	0	2605	0	2693	1	347	0
5.	छत्तीसगढ़	136899	42	124006	90	110145	43	32920	0
6.	गोवा	1187	3	1714	0	1530	0	167	0
7.	गुजरात	89764	127	76246	29	58513	38	9779	0
8.	हरियाणा	33401	1	26819	1	14471	3	493	0
9.	हिमाचल प्रदेश	247	0	216	0	141	0	19	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1091	0	864	0	698	0	97	0
11.	झारखंड	160653	17	131476	10	97786	8	20432	0
12.	कर्नाटक	24237	0	16466	0	13302	0	4784	2
13.	केरल	1993	2	2036	3	1634	0	450	0
14.	मध्य प्रदेश	91851	109	76538	43	78260	49	13601	1
15.	महाराष्ट्र	96577	118	58517	96	43677	80	10073	10
16.	मणिपुर	714	1	255	0	120	0	21	0
17.	मेघालय	25143	53	20834	52	24727	62	6516	7
18.	मिज़ोरम	8861	30	9883	25	11747	21	3001	2
19.	नागालैंड	3363	4	2891	1	2285	1	405	0
20.	ओडिशा	308968	99	262842	79	228858	67	96685	13
21.	पंजाब	2693	3	1689	0	1760	0	100	0
22.	राजस्थान	54294	45	45809	22	33139	15	2087	0
23.	सिक्किम	51	0	77	0	39	0	12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	तमिलनाडु	22171	0	18869	0	15081	0	2952	0
25.	त्रिपुरा	14417	12	11565	7	7396	7	2654	2
26.	उत्तराखंड	1277	1	1948	0	1426	0	129	0
27.	उत्तर प्रदेश	56968	0	47400	0	48346	0	6473	0
28.	पश्चिम बंगाल	66368	19	55793	30	34717	17	4580	11
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1918	0	1539	0	1005	0	269	0
30.	चंडीगढ़	582	0	201	0	150	0	13	0
31.	दादरा और नगर हवेली	5150	0	4940	1	1778	0	164	0
32.	दमन और दीव	262	0	186	0	91	0	15	0
33.	दिल्ली	413	0	382	0	353	0	11	0
34.	लक्षद्वीप	8	0	9	0	8	0	0	0
35.	पुदुचेरी	196	1	143	0	127	0	22	0
	अखिल भारत कुल	1310656	754	1067824	519	881730	440	229161	48

*मई 2014 तक

विवरण-II

देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूचित डेंगू के मामले और मृत्यु की संख्या

क्र. सं.	राज्य	2011		2012		2013		2014 (30 जून की स्थिति के अनुसार)	
		मामला	मृत्यु	मामला	मृत्यु	मामला	मृत्यु	मामला	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1209	6	2299	2	910	1	74	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	346	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	1058	5	4526	2	12	0
4.	बिहार	21	0	872	3	1246	5	0	0
5.	छत्तीसगढ़	313	11	45	0	83	2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गोवा	26	0	39	0	198	2	97	0
7.	गुजरात	1693	9	3067	6	6272	15	220	0
8.	हरियाणा	267	3	768	2	1784	5	3	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	73	0	89	2	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	3	0	17	1	1837	3	0	0
11.	झारखंड	36	0	42	0	161	0		
12.	कर्नाटक	405	5	3924	21	6408	12	528	0
13.	केरल	1304	10	4172	15	7938	29	801	2
14.	मध्य प्रदेश	50	0	239	6	1255	9	174	0
15.	मेघालय	0	0	27	2	43	0	0	0
16.	महाराष्ट्र	1138	25	3931	59	5610	48	1035	0
17.	मणिपुर	220	0	6	0	9	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	6	0	7	0	0	0
19.	नागालैंड	3	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	1816	33	2255	6	7132	6	27	0
21.	पंजाब	3921	33	770	9	4117	25	33	0
22.	राजस्थान	1072	4	1295	10	4413	10	89	0
23.	सिक्किम	2	0	2	0	38	0	0	0
24.	तमिलनाडु	2501	9	12826	66	6122	0	710	0
25.	त्रिपुरा	0	0	9	0	8	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	155	5	342	4	1414	5	2	0
27.	उत्तराखंड	454	5	110	2	54	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	510	0	6456	11	5920	6	59	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	0	24	0	67	0	34	0
30.	चंडीगढ़	73	0	351	2	107	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	दादरा और नगर हवेली	1131	8	2093	4	5574	6	12	0
32.	दमन और दीव	68	0	156	1	190	0	7	0
33.	दिल्ली	0	0	96	0	61	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	463	3	3506	5	2215	0	175	0
	कुल	18860	169	50222	242	75808	193	4092	2

विवरण-III

देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार नैदानिक रूप से चिकुनगुनिया के संदिग्ध मामले

क्र. सं.	राज्य के नाम	2011	2012	2013	2014 (30 जून की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	99	2827	4827	895
2.	असम	0	0	742	0
3.	बिहार	91	34	0	0
4.	गोवा	664	571	1049	455
5.	गुजरात	1042	1317	2890	200
6.	हरियाणा	215	8	1	1
7.	झारखंड	816	86	61	0
8.	कर्नाटक	1941	2382	5295	1584
9.	केरल	183	66	273	18
10.	मध्य प्रदेश	280	20	139	71
11.	मेघालय	168	0	0	0
12.	महाराष्ट्र	5113	1544	1578	926
13.	ओडिशा	236	129	35	10
14.	पंजाब	0	1	0	1
15.	राजस्थान	608	172	76	0

1	2	3	4	5	6
16.	तमिलनाडु	4194	5018	859	203
17.	उत्तर प्रदेश	3	13	0	0
18.	उत्तराखंड	18	0	0	0
19.	पश्चिम बंगाल	4482	1381	646	190
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	96	256	202	64
21.	चंडीगढ़	1	1	1	0
22.	दादरा और नगर हवेली	110	6	18	1
23.	दमन और दीव	0	100	2	0
24.	दिल्ली	0	0	0	0
25.	लक्षद्वीप	42	45	146	184
	कुल	20402	15977	18840	4803

विवरण-IV

देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र व सूचित जेई के मामले

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011		2012		2013		2014 (पी) 10.7.2014	
		मामला	मृत्यु	मामला	मृत्यु	मामला	मृत्यु	मामला	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	4	1	3	0	7	3	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	489	113	463	100	495	134	107	8
4.	बिहार	145	18	8	0	14	0	0	0
5.	दिल्ली	9	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	1	0	9	0	3	1	0	0
7.	हरियाणा	12	3	3	0	2	0	0	0
8.	झारखंड	101	5	1	0	89	5	0	0
9.	कर्नाटक	23	0	1	0	2	0	4	0
10.	केरल	37	3	2	0	2	0	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	महाराष्ट्र	6	0	3	0	0	0	0	0
13.	मणिपुर	9	0	0	0	0	0	0	0
14.	नागालैंड	29	5	0	0	4	0	0	0
15.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	तमिलनाडु	24	3	25	4	33	0	7	1
17.	त्रिपुरा	0	0	0	0	14	0	0	0
18.	उत्तराखंड	0	0	1	0	0	0	0	0
19.	उत्तर प्रदेश	224	27	139	23	281	47	2	0
20.	पश्चिम बंगाल	101	3	87	13	140	12	8	3
	कुल	1214	181	745	140	1086	202	130	14

विवरण-V

वर्ष 2011 की अब तक सूचित काला-अजार और मृत्यु की संख्या

क्र. सं.	प्रभावित राज्य	2011		2012		2013		2014 (पी)	
		मामला	मृत्यु	मामला	मृत्यु	मामला	मृत्यु	मामला	मृत्यु
1.	बिहार	25222	76	16036	27	10730	17	3529	3
2.	झारखंड	5960	3	3535	1	2515	0	578	0
3.	पश्चिम बंगाल	1962	0	995	0	595	2	238	0
4.	उत्तर प्रदेश	11	1	5	0	11	1	7	0
5.	उत्तराखंड	0	0	7	1	0	0	2	0
6.	दिल्ली	19	0	11	0	6	0	0	0
7.	असम	5	0	6	0	4	0	0	0
8.	सिक्किम	7	0	5	0	8	0	3	0
9.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0		
10.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0
11.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	33187	80	20600	29	13869	20	4357	3

विवरण-VI

वर्ष 2013 तक लिम्फोडेमा और हाइड्रोसिल के मामलों की अद्यतन सूची

क्र. सं.	एलएफ स्थानिक जिला	2013	
		लिम्फोडेमा	हाइड्रोसिल
1.	आंध्र प्रदेश	158187	7163
2.	असम	1421	1783
3.	बिहार	216666	173306
4.	छत्तीसगढ़	6087	7834
5.	गोवा	149	0
6.	गुजरात	4591	1169
7.	झारखंड	96993	41671
8.	कर्नाटक	16772	3338
9.	केरल	17585	1332
10.	मध्य प्रदेश	4046	4551
11.	महाराष्ट्र	48989	35884
12.	ओडिशा	79912	37085
13.	तमिलनाडु	39905	19618
14.	उत्तर प्रदेश	104607	41415
15.	पश्चिम बंगाल	79798	30831
16.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	121	67
17.	दादरा और नगर हवेली	71	40
18.	दमन और दीव	136	0
19.	लक्षद्वीप	254	87
20.	पुदुचेरी	1304	133
	कुल	877594	407307

विवरण-VII

एनवीबीडीसीपी के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार केन्द्रीय वित्तीय सहायता (नकद और सामग्री)

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/*संघ राज्य क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3457.42	735.4	650.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	1526.82	835.43	1016.31
3.	असम	3774.39	1701.76	3813.45
4.	बिहार	4891.27	5931.06	4633.44
5.	छत्तीसगढ़	4960.09	2592.03	1150.42
6.	गोवा	77.9	100	55.87
7.	गुजरात	501.34	812.54	736.94
8.	हरियाणा	138.5	276.9	87.49
9.	हिमाचल प्रदेश	16.52	60.21	54.01
10.	जम्मू और कश्मीर	31	43.88	76.11
11.	झारखंड	5014.76	1404.27	1161.29
12.	कर्नाटक	639.34	811.39	796.39
13.	केरल	361.18	500.11	642.94
14.	मध्य प्रदेश	3919.85	927.93	877.79
15.	महाराष्ट्र	436.98	1055.51	817.05
16.	मणिपुर	410.76	228.35	211.63
17.	मेघालय	640.12	770.21	445.54
18.	मिज़ोरम	702.31	737.62	614.19
19.	नागालैंड	997.73	930.15	439.32
20.	ओडिशा	7894.82	2041.05	2483.66

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	127.38	289.26	53.94
22.	राजस्थान	1342.52	1337.13	578.36
23.	सिक्किम	22.6	33.3	27.36
24.	तमिलनाडु	341.41	150	1971.75
25.	त्रिपुरा	401.82	905.64	735.34
26.	उत्तर प्रदेश	2431.94	1019.89	2694.72
27.	उत्तराखंड	85	162.51	0.71
28.	पश्चिम बंगाल	2457.13	1216.35	3057.17
29.	दिल्ली	0	4.65	232.12
30.	पुदुचेरी	29.31	78.36	7.73
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	459.63	525.78	556.32
32.	चंडीगढ़	34.87	64.77	63.19
33.	दादरा और नगर हवेली	61.09	108.69	50.74
34.	दमन और दीव	51.94	38.91	23.56
35.	लक्षद्वीप	11.4	29.55	6.93
	कुल	48251.14	28460.59	30823.79

मेडिकल सीटें

1348. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील :
श्री पी. वेणुगोपाल :
श्री जैदेव गल्ला :
श्री बी. श्रीरामुलु :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने के संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एमसीआई) को प्राप्त प्रस्तावों का उक्त संबंध में दी गई अनुमति का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने हाल ही में देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की कई सीटों को समाप्त कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के उक्त निर्णय की जांच की है क्योंकि इसके कारण अधिकतर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के समक्ष समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जबकि निजी मेडिकल कॉलेजों को सुविधाओं के मामले में कमतर होने के बावजूद इससे लाभ ही हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को कोई अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) सरकारी और निजी चिकित्सा कॉलेजों में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करने तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक और चालू वर्ष के दौरान इनके लिए दी गई अनुमति हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा प्राप्त प्रस्ताव संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) एमसीआई ने मान्यता को अनुमोदन न देने हेतु एक कॉलेज सहित शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिए 8667 एमबीबीएस सीटों में दाखिले हेतु अनुमति के नवीनीकरण के लिए 119 चिकित्सा कॉलेजों को अनुमोदन न देने की सिफारिश की थी। संबद्ध चिकित्सा कॉलेजों द्वारा पस्तुत अनुपालन रिपोर्टों को सरकार द्वारा एमसीआई को विचारार्थ भेजा गया था। परिषद की कार्यकारी समिति ने दिनांक 8.7.2014 और 12.7.2014 को आयोजित बैठक में इन अनुपालन रिपोर्टों पर विचार किया तथा एमसीआई ने 4747 सीटों के साथ 73 सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के नवीनीकरण की सिफारिश की है। एमसीआई ने शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लि 46 चिकित्सा कॉलेजों (मान्यता का अनुमोदन न दिए जाने हेतु एक चिकित्सा कॉलेज सहित) को अनुमति के नवीनीकरण का अनुमोदन न देने की सिफारिश की है, जिसमें एमबीबीएस की 3920 सीटें हैं। इस मंत्रालय द्वारा अनुमति के नवीनीकरण को अनुमोदन न दिए जाने के लिए एमबीबीएस सीटों सहित चिकित्सा कॉलेजों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिए एमसीआई ने 10 चिकित्सा कॉलेजों में एमबीबीएस की 600 सीटें बढ़ाने की सिफारिश भी की है।

विवरण-I

*वर्ष 2011-12 से मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में सीटों की वृद्धि के लिए गुप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12				कुल	
		प्राप्त		अनुमोदित		प्राप्त	अनुमोदित
		सरकारी	निजी	सरकारी	निजी		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2	5	0	1	7	1
2.	असम	0	0	0	0	0	0
3.	बिहार	2	2	0	0	4	0
4.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	दिल्ली	2	0	1	0	2	1
7.	गोवा	1	0	0	0	1	0
8.	गुजरात	2	1	1	0	3	1
9.	हरियाणा	1	0	1	0	1	1
10.	हिमाचल प्रदेश	1	0	1	0	1	1
11.	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	0	1	0
12.	झारखंड	3	0	1	0	3	1
13.	कर्नाटक	15	5	6	2	20	8
14.	केरल	2	6	1	1	8	2
15.	मध्य प्रदेश	1	3	0	1	4	1
16.	महाराष्ट्र	0	13	0	4	13	4
17.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0
20.	पुदुचेरी	0	3	0	0	3	0
21.	पंजाब	0	1	0	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	6	1	3	1	7	4
23.	सिक्किम	0	1	0	0	1	0
24.	तमिलनाडु	2	5	0	1	7	1
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	5	2	3	1	7	4
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	9	1	2	0	10	2
	कुल	55	49	20	13	104	33

*भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से यथा प्राप्त।

*वर्ष 2012-13 से मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में सीटों की वृद्धि के लिए गुप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2012-13				कुल	
		प्राप्त		अनुमोदित		प्राप्त	अनुमोदित
		सरकारी	निजी	सरकारी	निजी		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10	5	3	2	15	5
2.	असम	0	0	0	0	0	0
3.	बिहार	1	1	0	1	2	1
4.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
7.	गोवा	1	0	1	0	1	1
8.	गुजरात	2	1	2	0	3	2
9.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
12.	झारखंड	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	कर्नाटक	1	7	0	3	8	3
14.	केरल	0	1	0	1	1	1
15.	मध्य प्रदेश	0	1	0	1	1	1
16.	महाराष्ट्र	0	8	0	4	8	4
17.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	0	1	0	0	1	0
20.	पुदुचेरी	0	1	0	0	1	0
21.	पंजाब	1	1	0	0	2	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	2	2	2	1	4	3
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	2	1	0	2	3	2
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	1	0	1	0	1	1
	कुल	21	30	9	15	51	24

*भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से यथा प्राप्त।

*वर्ष 2013-14 से मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में सीटों की वृद्धि के लिए प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2013-14				कुल	
		प्राप्त		अनुमोदित		प्राप्त	अनुमोदित
		सरकारी	निजी	सरकारी	निजी		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7	4	6	1	11	7
2.	असम	0	0	0	0	0	0
3.	बिहार	4	0	0	0	4	0

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1	0	1	0	1	1
6.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
7.	गोवा	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	0	1	0	0	1	0
9.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
12.	झारखंड	1	0	0	0	1	0
13.	कर्नाटक	1	9	0	5	10	5
14.	केरल	0	1	0	0	1	0
15.	मध्य प्रदेश	1	1	0	0	2	0
16.	महाराष्ट्र	0	4	0	1	4	1
17.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	1	2	1	0	3	1
20.	पुदुचेरी	0	1	0	0	1	0
21.	पंजाब	2	1	1	1	3	2
22.	राजस्थान	5	0	5	0	5	5
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	3	2	3	1	5	4
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	3	1	2	0	4	2
27.	उत्तराखंड	0	2	0	1	2	1
28.	पश्चिम बंगाल	2	0	2	0	2	2
	कुल	31	29	21	10	60	31

*भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से यथा प्राप्त।

*वर्ष 2014-15 से मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में सीटों की वृद्धि के लिए प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15				कुल	
		प्राप्त		अनुमोदित		प्राप्त	अनुमोदित
		सरकारी	निजी	सरकारी	निजी		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	6	0	2	6	2
2.	असम	0	0	0	0	0	0
3.	बिहार	0	1	0	0	1	0
4.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
7.	गोवा	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	0	1	0	0	1	0
9.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
12.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
13.	कर्नाटक	0	4	0	0	4	0
14.	केरल	0	5	0	0	5	0
15.	मध्य प्रदेश	0	1	0	0	1	0
16.	महाराष्ट्र	0	6	0	2	6	2
17.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	2	2	0	2	4	2
20.	पुदुचेरी	0	2	0	2	2	2
21.	पंजाब	2	2	1	0	4	1
22.	राजस्थान	0	1	0	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	2	0	0	2	0
25.	त्रिपुरा	0	1	0	0	1	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	3	0	1	3	1
27.	उत्तराखंड	0	1	0	0	1	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
	कुल	4	38	1	9	42	10

*भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से यथा प्राप्त।

विवरण-II

वर्ष 2014-15 के दौरान एमबीबीएस सीटों में प्रवेश के लिए मेडिकल कॉलेजों को इस मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति के नवीकरण हेतु गैर-मंजूरी का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या	कुल अनुमोदित सीटें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6	550
2.	बिहार	1	100
3.	झारखंड	3	160
4.	हरियाणा	1	100
5.	कर्नाटक	8	450
6.	केरल	3	300
7.	मध्य प्रदेश	3	110
8.	महाराष्ट्र	4	285
9.	ओडिशा	1	100
10.	पंजाब	1	150
11.	राजस्थान	2	100
12.	सिक्किम	1	50
13.	तमिलनाडु	6	900
14.	उत्तर प्रदेश	6	565
	कुल	46	3920

जनजातीय बालिकाओं के लिए आश्रम विद्यालय

1349. श्री जोस. के. मणि :
श्री पी.पी. चौधरी :
पी. जितेन्द्र चौधरी :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में जनजातीय छात्राओं के लिए आश्रम विद्यालय खोलने की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त हुए प्रस्तावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितनी राशि जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार का 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऐसे और अधिक विद्यालय खोलने का विचार है, और यदि हां, तो राजस्थान सहित राज्यसंघ राज्यक्षेत्र-वार/स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों के लिए सरकार ने राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना लागू की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है और इससे लाभांवित हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा) : (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय पूरे देश में जनजातीय लड़के और लड़कियों के लिए आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए "जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित करता है।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता सभी जनजातीय लड़कियों के आश्रम विद्यालयों के लिए राज्य सरकार/संघशासित प्रशासनों को निर्माण लागत के लिए उपलब्ध करायी जाती है। इन विद्यालयों का संचलन व रखरखाव पूर्ण रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासनों की जिम्मेदारी होती है। यह स्कीम मांग आधारित व आवश्यकता आधारित है और निधियां राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों से पहले जारी निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति रिपोर्ट सहित पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति के आधार पर और स्कीम के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता पर जारी की जाती है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्कीम के अंतर्गत राजस्थान सहित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र शासनों को जारी निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) स्कीम चूंकि, आवश्यकता आधारित व मांग संचलित है इसलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक आश्रम विद्यालयों का खुलना जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र शासनों की आवश्यकता और अपेक्षा तथा मंत्रालय के पास निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक विशेष स्थान पर आश्रम विद्यालय की आवश्यकता संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र द्वारा निर्णीत की जाती है।

(घ) जी हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम के नाम से एक स्कीम कार्यान्वित करता है।

(ङ) स्कीम चयन किए गए विद्यार्थियों की विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी व पोस्ट डॉक्टरेल अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 17 व विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विद्यार्थियों को 3 छात्रवृत्तियां दी गई हैं। चयन किये गए विद्यार्थियों को विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क की लागत व अन्य शैक्षिक शुल्क, यात्रा व्यय के साथ-साथ अन्य अनुदान व रख रखाव भी दिया जाता है। अनुदान भारतीय मिशन के माध्यम से जारी किए जाते हैं। चयन, स्कीम के दिशा निर्देशों में निर्धारित कतिपय मानदंडों के अध्यधीन है।

गत तीन वर्ष और इस वर्ष के दौरान विद्यार्थियों की संख्या व जारी की गई सहायता अनुदान का विवरण निम्न है:—

वित्तीय वर्ष	जारी निधियां (लाख रुपए मे)	चयनित विद्यार्थियों की संख्या
2011-12	78.31	7
2012-13	100.00	13
2013-14	68.00	चयन प्रक्रियाधीन है
2014-15	0.00	चयन प्रक्रियाधीन है

विवरण

वर्ष 2011-2012 से 2013-14 तक और चालू वर्ष 2014-15 के दौरान बालक और बालिकाओं के लिए जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की स्कीम के तहत राज्यवार जारी की गई निधियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	2011-12 जारी निधियां	2012-13 जारी निधियां	2013-14 जारी निधियां	2014-15 (15.07.2014 के अनुसार) जारी निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	988.49	371.87	0
2.	असम	0	0	749.60	0

1	2	3	4	5	6
3.	छत्तीसगढ़	0	530.36	0	0
4.	गोवा	0	300.00	0	0
5.	गुजरात	1500	0	0	0
6.	केरल	0	1025.02	0	0
7.	मध्य प्रदेश	2815.11	0	0	0
8.	महाराष्ट्र	0	0	2474.63	0
9.	ओडिशा	2550.00	2458.90	2091.10	0
10.	राजस्थान	634.89	0	0	0
11.	सिक्किम	0	0	575.28	0
12.	त्रिपुरा	0	797.23	954.52	0
	कुल	7500	5100.00	7217.00	0

टिप्पणी: राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जनजातीय कार्य मंत्रालय का शिक्षा प्रभाग बालक और बालिकाओं के लिए आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु समेकित राशि जारी करता है। अत बालिका आश्रम विद्यालयों के लिए कोई विशिष्ट निधि आवंटन विवरण उपलब्ध नहीं है।

क्षय रोग का निदान

1350. डॉ. पी. वेणुगोपाल : *क्या* **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षय रोग के निदान के लिए प्रयोग की जा रही प्रचलित पद्धतियां कौन सी हैं;

(ख) क्या सरकार ने एक ऐसी नई वैकल्पिक पद्धति का संज्ञान लिया है जिसमें बलगम की जांच नहीं की जानी होती और जिससे क्षय रोगियों, विशेषकर क्षय रोग से पीड़ित बच्चों की ठीक-ठीक जांच हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में क्षय रोग के निदान के लिए उक्त प्रकार की जांच और अन्य आधुनिक व सुलभ विकल्प प्रारंभ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (घ) संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के अंतर्गत तपेदिक रोगियों का निदान मुख्यतया देशभर में फैले गुणवत्ता आश्वासन वाले नामित माइक्रोस्कोपी केन्द्रों (डीएमसी) में की जाने वाली स्पयूटम स्मियर माइक्रोस्कोपी पर आधारित होता है।

आरएनटीसीपी ठोस एवं द्रव कल्चर द्वारा कल्चर एवं औषध संवेदनशीलता परीक्षण (डीएसटी) तथा लाइन प्रोब एसे (एनपीए) तथा कार्ट्रिज आधारित न्यूकलिक एसिड एम्पलिफिकेशन परीक्षण (सीबीएनएएटी) जैसी आधुनिक विधियों के प्रयोग के माध्यम से भी टीबी निदान कर रहा है।

आरएनटीसीपी के अंतर्गत, फेफड़ों के तपेदिक (फुफ्फुसीय यक्ष्मा) के निदान कि उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला मुख्य नमूना बलगम होता है। फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों में तपेदिक के निदान (अतिरिक्त-फुफ्फुसीय यक्ष्मा) के उद्देश्य हेतु या, उन मामलों में जहां बलगाम नमूना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वहां हिस्टोपैथोलॉजी, सीबीएनएएटी या कल्चर तकनीको जैसी अन्य उपयुक्त परीक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।

कार्यक्रम के अंतर्गत सभी नैदानिक सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

आंगनवाड़ी केंद्र

1351. श्री जैदेव गल्ला :
श्रीमती पूनम महाजन :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वीकृत तथा मंजूर किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों और संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या के बीच भारी अंतर है और यदि हां, तो इसका आज की स्थिति में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और आज की तिथि में देश में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने मौजूदा आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल, शौचालय, पृथक रसोई सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं/संरचना की कमी की ओर ध्यान दिया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का देश भर में कार्यरत/संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने का विचार है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का आंगनवाड़ी केन्द्रों और आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ऑनलाइन निगरानी का भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समस्त अनुमोदित और स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों को कार्यशील करने, उनमें मूलभूत सुविधाएं/अवसंरचना सुनिश्चित करने और उनके निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) भारत सरकार ने 116848 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों तथा 20000 मांग पर आंगनवाड़ी केंद्रों सहित कुल मिलाकर 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए हैं। इनमें से राज्यों को 13,74,935 आंगनवाड़ी केंद्र/लघु आंगनवाड़ी केंद्र/मांग पर आंगनवाड़ी केन्द्र प्रखलन हेतु संस्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 13,41,745 आंगनवाड़ी केंद्र/लघु आंगनवाड़ी केंद्र/मांग पर आंगनवाड़ी केंद्र प्रचालित कर दिए हैं और इस प्रकार 33,190 आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों का अंतर है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

आईसीडीएस स्कीम के योजनाबद्ध मानकों के अनुसार भारत सरकार आयोजना एवं नीति संबंधी मुद्दों के लिए उत्तरदायी है जबकि राज्य सरकारें स्कीम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की कमी मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा खाली पदों को भरने में प्रशासनिक, प्रक्रियात्मक एवं कानूनी विलंब के कारण हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय खाली पदों को शीघ्र भरने हेतु अपेक्षित उपाय करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर बार-बार जोर डालता रहा है।

(ख) से (ङ) 31.12.2012 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 50.28% आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय की सुविधा, 71.05% आंगनवाड़ी केन्द्रों में परिसर के भीतर पेयजल की सुविधा तथा 28.34% आंगनवाड़ी केन्द्रों में अलग से रसोई होने की सूचना दी है। 31.12.2012 तक की स्थिति के अनुसार किराये के भवनों में/पक्के एवं कच्चों भवनों में/खुले स्थान आदि पर प्रचालित/चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों का अनुपात/प्रतिशत इस प्रकार है:—

	कच्चा	पक्का	कुल
रिपोर्ट भेज रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या			1203365
— सरकारी स्वामित्व वाले भवन	0.04%	30.04%	30.08%
— किराये के भवन			
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं के घर	0.84%	4.40%	5.24%
अन्य	11.42%	16.23%	27.65%
— सामुदायिक भवन			
स्कूल	0.00%	22.33%	22.33%
पंचायत	0.05%	3.89%	3.94%
अन्य	2.48%	7.10%	9.58%
खुले स्थान	0.91%	0.27%	1.18%
कुल	15.74%	84.26%	

आईसीडीएस के क्रियान्वयन का निर्धारित मासिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षाओं के साथ-साथ पर्यवेक्षण दौरों आदि के माध्यम से सतत मॉनीटरन किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त

निवेशों एवं फीडबैक के आधार पर, कमियों को पूरा करने तथा अंतर को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रचालन सहित स्कीम के क्रियान्वयन में सुधार करने, आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल, शौचालय अलग से रसोई की उपलब्धता जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पत्रों एवं समीक्षा बैठकों के माध्यम से कहा जाता है।

आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल एवं सफाई सुविधाएं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीब्ल्यूपी) तथा पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के तहत पेयजल विभाग की स्कीमों के तहत अभिसरण करके प्रदान की जा रही है। यह अभिसरण केन्द्र एवं राज्य स्तर से समर्थित है। टीएससी एवं आईसीडीएसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग स्तरों पर अभिसरण बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परामर्श देते हुए दिनांक 10.02.2010 के सचिव, म.बा.वि. तथा सचिव, पेयजल आपूर्ति विभाग के हस्ताक्षर से एक संयुक्त पत्र सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किया गया।

आईसीडीएस एवं टीएससी के बीच अभिसरण एवं संवर्धन हेतु मंत्रालय ने टीएससी के चक्रीयन कोष घटक का उपयोग करके सरकारी भवनों एवं निजी भवनों में भी प्रचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में बालोनुकूल शौचालयों के निर्माण हेतु टीएसी राशि का उपयोग करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के आईसीडीएस प्रभारी सचिव को पत्र लिखा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत पेयजल प्रदान करने के लिए पत्र लिखा है।

समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का प्रावधान नहीं था क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2001-02 से 1.75 लाख रुपए प्रति एकक की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही थी, अन्य राज्यों में इसे समुदाय द्वारा प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी।

राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे इस कार्य के लिए निधियों की मांग एमपीएलएडी, एमएसएलएडी, बीआरजीएफ, आरआईबीएफ, पंचायती राज, एनआरआईजीए जैसी विभिन्न स्कीमों तथा जनजातीय मंत्रालय, एसएसए के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी), वित्त आयोग, राज्य योजना के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, समेकित कार्य योजना आदि से मांग करें।

सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवाओं एवं सुविधाओं में सुधार करने के लिए आईसीडीएस के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन का अनुमोदन कर दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण, उन्नयन एवं अनुरक्षण, वज़न मापने की मशीनों, रसोई के बर्तनों, स्कूल-पूर्व शिक्षा एवं चिकित्सा किटों, फर्नीचर आदि का प्रावधान किया गया है। सुदृढ़ीकृत एवं पुनर्गठित आईसीडीएस स्कीम के एक भाग के रूप में सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, जहां पर लागत भागीदारी अनुपात 90:10 होगा, केन्द्र एवं राज्यों के बीच 75:25 के लागत भागीदारी अनुपात के साथ चरणबद्ध तरीके से 12वीं योजनावधि के दौरान 4.5 लाख रुपए प्रति आंगनवाड़ी केंद्र की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण के प्रावधान का अनुमोदन कर दिया है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत स्वीकृत कार्यकलाप के रूप में शामिल है।

आंगनवाड़ी केंद्रों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के ऑनलाइन मानीटरिंग का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सुदृढ़ीकृत एवं पुनर्गठित आईसीडीएस के अंतर्गत प्रबंधन सूचना प्रणाली में संशोधन किया गया है जिसमें आंकड़ों के वेब आधारित प्रविष्टि का प्रावधान शामिल है।

विवरण-I

31.12.2013 तक की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत एवं प्रचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों के बीच अंतर का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्रचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या		
		भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत	प्रचालित	अंतर
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	91307	90757	550
2.	अरुणाचल प्रदेश	6225	6028	197
3.	असम	62153	62153	0

1	2	3	4	5
4.	बिहार	91968	91677	291
5.	छत्तीसगढ़	64390	49651	14739
6.	गोवा	1262	1262	0
7.	गुजरात	52137	50226	1911
8.	हरियाणा	25962	25838	124
9.	हिमाचल प्रदेश	18925	18901	24
10.	जम्मू और कश्मीर	28577	28577	0
11.	झारखंड	38432	38432	0
12.	कर्नाटक	64518	64518	0
13.	केरल	33115	33115	0
14.	मध्य प्रदेश	92230	91276	954
15.	महाराष्ट्र	110486	107739	2747
16.	मणिपुर	11510	9883	1627
17.	मेघालय	5864	5156	708
18.	मिज़ोरम	2244	1980	264
19.	नागालैंड	3980	3455	525
20.	ओडिशा	72873	71306	1567
21.	पंजाब	26656	26656	0
22.	राजस्थान	61119	61100	19
23.	सिक्किम	1308	1233	75
24.	तमिलनाडु	55542	54439	1103
25.	त्रिपुरा	9911	9911	0
26.	उत्तर प्रदेश	188259	187659	600
27.	उत्तराखंड	23159	19052	4107
28.	पश्चिम बंगाल	117170	116390	780

1	2	3	4	5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	720	709	11
30.	चंडीगढ़	500	500	0
31.	दिल्ली	11150	10897	253
32.	दादरा और नगर हवेली	281	267	14
33.	दमन और दीव	107	107	0
34.	लक्षद्वीप	107	107	0
35.	पुदुचेरी	788	788	0
	अखिल भारत	1374935	1341745	33190

परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

1352. श्री बैजयंत जे. पांडा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में पर्यावरणीय मंजूरी के कारण लंबित प्रतिरक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का सामरिक महत्व की परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में छूट देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में शिकायतें

1353. श्री कीर्ति आजाद : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन में जिला प्रशासन द्वारा रुकावटें डालने और काम में देरी करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो बिहार सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(घ) क्या बिहार में संसद सदस्यों को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत काम करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) से (ङ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत, संसद सदस्य स्थानीय आधार पर महसूस की गई जरूरतों के आधार पर विकासात्मक स्वरूप की स्थाई सामुदायिक संपत्तियों के सृजन संबंधी कार्यों की सिफारिश करते हैं। क्षेत्र में इन कार्यों का कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के तकनीकी, प्रशासनिक तथा वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाता है।

दिशानिर्देशों के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि जिला प्राधिकारियों द्वारा सभी संस्तुत पात्र कार्यों को सिफारिशें प्राप्त होने के 75 दिनों के भीतर संस्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए और संसद सदस्यों को अस्वीकृतियों, यदि कोई हो, की कारण सहित सूचना 45 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।

कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा सामान्यत: एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कार्यों की स्वीकृति तथा निष्पादन में विलंब, इत्यादि से संबंधित समस्याओं पर जिला स्तर पर ध्यान दिया जाता है। इसके बारे में आंकड़ों का मंत्रालय में केन्द्रीय स्तर पर रख-रखाव नहीं किया जाता है।

उन सभी मामलों जिनमें जिला स्तर पर संस्वीकृति अथवा कार्यान्वयन में विलंब, इत्यादि के बारे में मंत्रालय में संदर्भ प्राप्त होते हैं, के संबंध में राज्य सरकारों/जिला प्राधिकारियों से उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है और आवश्यक अनुपालन के लिए मामलों को मॉनीटर किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा

1354. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों में स्थिति शीर्ष निजी एवं सरकारी चिकित्सा संस्थानों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा प्रदान कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों/पेंशन भोगियों और संकाय सदस्यों द्वारा सेवानिवृत्त व्यक्तियों को आपातकाल और साधारण परिस्थितियों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की मांग लगातार की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (घ) सीजीएचएस लाभार्थी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित किसी भी सरकार चिकित्सा संस्थानों में उपचार करा सकते है।

सरकार रुचि रखने वाले निजी अस्पतालों को भी सीजीएचएस के तहत, समय-समय पर क्रियान्वित की जाने वाली निविदा प्रक्रिया/निरंतर एम्पैनलमेंट योजना के माध्यम से पैनलबद्ध करती है। अस्पतालों को इस शर्त पर पैनलबद्ध किया जाता है कि वे निविदा के नियम एवं शर्तों को पूरा करें तथा सीजीएचएस दरों और करार-ज्ञापन की शर्तों पर सहमत हों।

सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर पैनलबद्ध अस्पतालों से गैर-आपातकालीन उपचार करवाने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। चिकित्सा आपातकालीन अवस्था में, पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सरकारी अस्पतालों में उपचार करवाने के लिए सीजीएचएस लाभार्थियों को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम का कार्य-निष्पादन

1355. श्री एंटो एन्टोनी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम के कार्य-निष्पादन का उसके अर्जित लाभ और घाटे सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान निगम में कुछ अनियमितताएं या धोखाधड़ी के कार्यकलाप देखने में आए हैं जिसके कारण उसे वित्तीय घाटा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में आदेशित जांच और उसके परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त निगम के घाटे की भरपाई करने, उसके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने और उक्त घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान एसटीसी का निष्पादन नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपए)

	2011-12	2012-13	2013-14
कारोबार	30444	18698	15374
कर पश्चात् लाभ	16.5	18	-492

वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी द्वारा सूचित 492 करोड़ रुपए की हानि प्रोविजन्स तथा बट्टे खाते में डाले जाने के कारण हुई।

(ख) और (ग) एसटीसी लि. में विगत वर्षों के सौदों में अनियमितता के कुछेक मामले सामने आये थे जो दालों, बुलियन, अपरिष्कृत तांबे, कृषि वस्तुओं आदि के आयातों से संबंधित थे। की गई प्रारंभिक जांचों

के आधार पर एसटीसी के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी शास्ति हेतु विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और कुछ अधिकारियों के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। कुछेक मामले सीबीआई के जांचाधीन भी हैं।

(घ) वसूली के लिए एसोसिएटों के विरुद्ध कानूनी/न्यायिक कार्रवाई सहित विभिन्न कार्यवाहियां चल रही हैं। एसटीसी द्वारा इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समय-समय पर अपने व्यापार दिशा-निर्देशों की समीक्षा एवं संशोधन किया जा रहा है। प्रत्येक व्यापार प्रस्ताव में निहित जोखिम के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए एसटीसी द्वारा एक जोखिम प्रबंधन कार्यढांचा स्थापित किया गया है।

[हिन्दी]

'ई-बिज मिशन मोड' परियोजना

1356. श्री पी.पी. चौधरी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'ई-बिज मिशन मोड' परियोजना शुरू की है/शुरू करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रकों को क्या-क्या लाभ हुआ है/होने की संभावना है और उन क्षेत्रकों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में राजस्थान सहित अन्य राज्यों से कोई अनुरोध/प्रस्ताव मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) जी, हां।

(ख) देश में व्यवसाय वातावरण में सुधार करने एवं व्यवसाय को आसान बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने 28.01.2013 को ई-बिज पोर्टल की शुरूआत की है, जिसमें लाइसेंस और परिमिट सूचना सेवाएं घटक शामिल हैं। इससे व्यवसाय उपभोक्ताओं को, लाइसेंसों, परमिटों तथा विनियम, जिनकी उन्हें जरूरत होती है अथवा सरकार के सभी स्तरों अर्थात् केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों में अनुपालन की विशिष्ट रूप से निर्मित सूची प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके बाद ई-बिज प्लेटफॉर्म 'औद्योगिक लाइसेंस जारी करना' तथा 'औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन' नामक दो सेवाएं भी शुरू की हैं, जो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा 20.01.2014 को जारी की गई।

(ग) ई-बिज भारत में व्यवसाय समुदाय को कुशल तथा सुविधाजनक गवर्नमेंट-टू-बिजनेस (जी2बी) सेवाएं मुहैया कराने के लिए 24x7 ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली के रूप में सेवा प्रदान करेगा। चूंकि व्यवसाय प्रयोक्ता एकल संपर्क बिंदु से सेवाएं प्राप्त करेंगे, इसलिए इससे समय, प्रयास और लागत में बचत होगी। इसके लाभ विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में मिलेंगे।

(घ) जी, हां।

(ङ) जून, 2009 में ई-बिज परियोजना की शुरूआत के पश्चात् प्रायोगिक चरण के दौरान ई-बिज परियोजना में शामिल करने हेतु ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए थे। तब से ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को परियोजना के प्रायोगिक चरण में शामिल कर लिया है।

[अनुवाद]

कर्मियों की कमी

1357. श्री एन. क्रिष्टप्पा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा बलों में कर्मियों की भारी कमी है और यदि हां, तो इसका सेवा-वार, श्रेणी-वार और रैंक-वार ब्यौरा क्या है और विभिन्न अकादमियों से प्रत्येक वर्ष पास होने वाले कैडेटों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने कर्मीबल में कमी के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या काफी सारे कर्मियों ने सेवा से समय-पूर्व ही सेवानिवृत्ति की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सेवामुक्त किए गए कर्मियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने रक्षा बलों की तरफ नवयुवकों को आकर्षित करने हेतु कोई विशेष उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सशस्त्र बलों की समस्त सेवाओं में रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता को बढ़ावा

1358. प्रो. साधु सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता को बढ़ावा देने वाली योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसका परिणाम क्या है और इस योजना के प्रारंभ होने से अब तक इससे लाभान्वित लड़कियों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या उक्त योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे चल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना को देश के सभी जिलों में कार्यान्वित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देशभर में उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और इस्तेमालशुदा सेनिटरी नैपकिनों के सुरक्षित निपटान के लिए स्कूलों में भस्मकों की स्थापना करने या गहरे गड्डे खोदने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2011 में 10-19 वर्ष के आयु वर्ग की ग्रामीण किशोरियों में मासिक-रजोधर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की एक योजना शुरू की है। इस योजना को देश के 17 राज्यों के 115 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत मुख्य कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

- मासिक रजोधर्म स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जनसंख्या में समुदाय आधारित स्वास्थ्य शिक्षा व पहुंचबाहाता
- किशोरियों को सेनिटरी नेपिकन्स की नियमित उपलब्धता
- मासिक रजोधर्म स्वास्थ्य में आशाओं व नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण
- सेनिटरी नेपिकन्स का सुरक्षित निपटान

(ख) जी, नहीं।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) आज तक आपूर्ति किए गए सेनिटरी नेपिकन्स के 82144303 पैकों में से 50.7 प्रतिशत पैकों का उपयोग कर लिया गया है। तथापि, यह योजना कुछ राज्यों में लक्ष्य से पिछड़ रही है। इस पिछड़ने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—

- लाभार्थियों में पर्याप्त समझ के लिए आचरण परिवर्तन की आवश्यकता है जिसके लिए वांछित प्रभाव प्राप्त करने हेतु लंबे समय की आवश्यकता है।
- कुछ मामलों में गुणवत्ता संबंधी मुद्दों की सूचना दी गई है।
- आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं द्वारा विषय-अनुकूलन/पहल का अभाव

राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार (अपटेक) की प्रतिशतता विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) राज्यों से कहा गया है कि वे इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन परियोजना के माध्यम से नियोजन व धन प्राप्त करके प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से प्राप्त मूल्य पर इस समय इसे कार्यान्वित कर रहे जिलों के अतिरिक्त आगे और जिलों तक बढ़ाएं।

(च)

- आशाओं को इस योजना के बारे में पुन:परिचित करवाया जा रहा है।
- स्कूलों, बोर्डिंग स्कूलों व आंगनवाड़ी केन्द्रों का भी एक मंच के रूप में उपयोग किया जा रहा है ताकि किशोरियों तक पहुंचा जा सके।
- आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा रहा है।
- आईईसी और एसबीसीसी गतिविधियों को सुदृढ़ किया जा रहा है।
- राज्यों के साथ नेपिकिनों के सुरक्षित निपटान के लिए अपेक्षित दिशा-निदेशों का आदान-प्रदान किया गया है।

विवरण

मार्च, 2014 तक मासिक रजोधर्म स्वच्छता योजना रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य	जिलों की संख्या	31 मार्च, 2014 तक लड़कियों (10-19 वर्ष की आयु वाली) की संख्या	31 मार्च, 2014 तक उपयोग की प्रतिशतता (%)
1.	आंध्र प्रदेश	3	140339	6.8
2.	असम	7	715251	33.0
3.	बिहार	9		28.8
4.	छत्तीसगढ़	10	556484	46.9
5.	गुजरात	4	481517	35.2
6.	हिमाचल प्रदेश	4	563164	15.3
7.	जम्मू और कश्मीर	7	54366	30.6
8.	झारखंड	5	3128595	59.7
9.	केरल	7	846261	96.5
10.	मध्य प्रदेश	8	1005593	53.5
11.	महाराष्ट्र	8	2107258	75.6
12.	ओडिशा	4	261563	84.8
13.	पंजाब	5	852593	85.2
14.	राजस्थान	7	1078289	62.2
15.	उत्तराखंड	5	582474	53.0
16.	उत्तर प्रदेश	16	563608	56.3
	कुल		12937355	50.7

[हिन्दी]

मांस का निर्यात/आयात

1359. श्री हुकुम सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यात और आयात किए गए मांस व उसके उत्पादों की मात्रा और मूल्य का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में पंजीकृत मांस निर्यातकों/कंपनियों की संख्या राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पंजीकृत मांस-निर्यातकों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता या राजसहायता का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) मांस के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या सुविधाएं/प्रोत्साहन प्रदान किया गया है; और

(ङ) मांस के निर्यात की निगरानी और इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास किस प्रकार का तंत्र/नीति उपलब्ध है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश-वार (शीर्ष 5 गंतव्य) निर्यातित और आयातित मांस और मांस उत्पादों की मात्रा और मूल्य नीचे दिए गए हैं। चालू वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

निर्यात : (मात्रा मी.टन में/मूल्य करोड़ रुपए)

देश	2013-14		2012-13		2011-12	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
वियतनाम समाजवादी गणराज्य	524490	10976.18	330538	5129.19	273515	4051.77
थाइलैंड	174079	1790.42	87208	1448.35	30197	443.80
मलेशिया	121741	2356.42	115222	1943.71	99701	1404.13
मिस्र अरब गणराज्य	107826	2033.33	71238	1257.20	70175	1143.20
सऊदी अरब	80433	1691.79	73795	1301.22	70745	1079.45
अन्य	464576	8314.88	446549	6770.58	454341	5891.77
कुल	1473145	27163.02	1124550	17850.25	998674	14014.12

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस।

आयात : (मात्रा मी.टन में/मूल्य करोड़ रुपए)

देश	2013-14		2012-13		2011-12	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
श्रीलंका डीएसआर	550	8.53	412	8.84	989	10.46
बेल्जियम	122	4.31	108	4.01	42	1.29
नीदरलैंड	120	3.81	85	3.79	265	5.59
इटली	76	3.90	53	3.10	40	1.31
स्पेन	47	1.76	63	2.43	58	1.99
अन्य	99	3.94	88	6.40	115	1.79
कुल	1014	26.25	809	28.57	1509	22.43

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस।

(ख) एपीडा द्वारा अनुमोदित पंजीकृत मास वधशालाएं और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:—

राज्य	वधशाला सह मांस प्रसंस्करण संयंत्रों/केवल वधशालाओं की संख्या	मांस प्रसंस्करण संयंत्रों की संख्या
आंध्र प्रदेश	3	1
महाराष्ट्र	9	6
उत्तर प्रदेश	33	26
पंजाब	4	—
हरियाणा	1	1
केरल	1	—
नागालैंड	1	—
चैन्नई	1	1
नई दिल्ली	—	1
कर्नाटक	—	1
राजस्थान	—	1
पश्चिम बंगाल	—	1

(ग) वाणिज्य विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय, एपीडा ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत मांस निर्यातकों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की है:—

(रुपए करोड़)

2011-12	2012-13	2013-14
20.48	18.86	14.61

पंजीकृत मांस निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता अथवा सब्सिडी का राज्य-वार विवरण नहीं रखा जाता और चालू वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) सरकार ने मांस सहित अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) एपीडा ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में अपने पंजीकृत निर्यातकों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्रदान की है—

(क) गुणवत्ता विकास हेतु स्कीम

(ख) बाजार विकास हेतु स्कीम

(ग) अवसंरचना विकास हेतु स्कीम

(घ) परिवहन सहायता हेतु स्कीम

(ङ) अनुसंधान और विकास हेतु स्कीम

(ii) एपीडा व्यापार विशेषत: निर्यात संबंधी विभिन्न मुद्दों से निपटने में निर्यातकों को सहायता देने वाले निकाय के रूप में कार्य करता है।

(iii) एपीडा विभिन्न व्यापार संबंधी पहलुओं पर नियमित रूप से निर्यातकों को जानकारी प्रदान करता है।

(iv) भारतीय मांस उत्पादों के संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी।

(ङ) भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अनुसार प्रत्येक खेप के साथ सक्षम प्राधिकारी से यह प्रमाणपत्र देना अनिवार्य अपेक्षा है कि यह मांस, दूध और प्रजनन के लिए अनुपयुक्त भैसों से लिया गया है। भारतीय निर्यातकों के लिए मांस और मांस उत्पादों की मरण-पूर्व और मरणोत्तर जांच कराना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, मांस निर्यातकों को सीमा शुल्क प्राधिकरणों को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि यह मद एपीडा पंजीकृत वधशालाओं अथवा एपीडा पंजीकृत मांस प्रसंस्करण संयंत्रों से लिया गया है जो कच्चा माल एपीडा पंजीकृत वधशालाओं/एकीकृत वधशालाओं से प्राप्त करते हैं।

महिलाओं के उत्थान के लिए योजना

1360. **डॉ. भोला सिंह :** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिलाओं के उत्थान हेतु वर्तमान में सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार अन्य और योजनाएं प्रारंभ करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के उन्नयन हेतु कई

स्कीमें अर्थात् (i) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु सहायता कार्यक्रम (स्टेप), (ii) राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू), (iii) मध्य गंगैय मैदानी क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण एवं आजीविका कार्यक्रम-प्रियदर्शनी स्कीम, (iv) स्वाधार-कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं हेतु स्कीम, (v) उज्ज्वला-अवैध व्यापार निवारण स्कीम और (vi) खाद्य एवं पोषण बोर्ड आदि चला रहा है। इन स्कीमों का ब्यौरा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है जो लोक सभा सचिवालय के पुस्तकालय तथा मंत्रालय की वेबसाइट *www.wcd.nic.in* पर भी उपलब्ध है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू), साहस, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) और एकल एवं निराश्रित महिलाओं सहित संवेदनशील तथा वंचित वर्ग की महिलाओं हेतु समेकित आश्रय/गृह के निर्माण हेतु सहायता स्कीमों को 12वीं योजना अवधि के दौरान महिला संरक्षण एवं विकास की अम्ब्रैला स्कीम के घटकों के रूप में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2014-15 के दौरान नई स्कीम अर्थात् बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए भी बजट आबंटन किया गया है।

लघु वन उत्पाद

1361. श्री सदाशिव लोखंडे :
श्री नलीन कुमार कटील :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु वन उत्पादों (एमएफपी) के विनियमन के लिए सरकार द्वारा लागू की जा रही योजना का ब्यौरा क्या है और एमएफपी का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि जारी/उपयोग की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार एमएफपी के अंतर्गत और अधिक वन उत्पादों को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एमएफपी को सुनिश्चित करने के लिएसरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा) : (क) निम्नलिखित दो योजनाओं के तहत लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के संबंध में विपणन, मूल्य संवर्धन, अनुसंधान एवं विकास के लिए मंत्रालय राज्य सरकारों को अनुदान देता है:—

(i) लघु वन उत्पाद परिचालनों (केन्द्रीय क्षेत्र योजना) के लिए एसटीडीसीसी को सहायता अनुदान।

(ii) लघु वन उत्पाद संग्रहकर्त्ताओं (केन्द्रीय प्रायोजित योजना) के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में "एमएफपी" के लिए मूल्य शृंखला का विकास एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र। यह योजना 12 लघु वन उत्पाद नामत: (i) तेंदू, (ii) बांस, (iii) महुआ बीज, (iv) साल के पत्ते, (v) साल का बीज, (vi) लाख, (vii) चिरौंजी, (viii) जंगली शहद, (ix) हरीतिकी, (x) इमली, (xi) गोंद (गम कराया) तथा (xii) करंज में से गैर-राष्ट्रीयकृत एवं बहुतायत में प्राप्त वस्तुओं के लिए भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत क्षेत्रों वाले 8 राज्यों में कार्यान्वित की गई है।

राज्यों द्वारा उपयोजित एवं प्रदत्त निधियों का विवरण तथा लघु वन उत्पादों के राज्यवार विवरण की सूची संलग्न विवरण में (I) तथा (II) दी गई है।

(ख) और (ग) वर्तमान में इस मंत्रालय के पास एमएफपी के तहत और वन उत्पादों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(I)(ग) अध्याय-II में लघु वन उत्पाद जिसे ग्राम की सीमाओं के भीतर या बाहर परंपरागत रूप से एकत्र किया जाता है, के उपयोग एवं निपटान, संग्रह तक पहुंच, मालिकाना अधिकार देने का प्रावधान है वन निवासी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को।

विवरण-I

लघु वन उत्पादों की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	राज्यों के नाम	एफएफपी मदें
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	गोंद
		नक्सवोमिका
		बीजयुक्त इमली
		महुआ के बीज
		महुआ के फूल
		शहद
		अड्डा की पत्ती

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	बेंत
3.	असम	घास-फूस
		बेंत
4.	छत्तीसगढ़	साल के बीज
		हरदा
		गोंद
5.	गुजरात	घास
		गोंद
		महुदा के फल
		महुदा के फल
6.	हिमाचल प्रदेश	चारकोल
		घास
		चारा
		औषधि जड़ी-बूटी
7.	जम्मू और कश्मीर	अनारदाना
		(पुनिकाग्राटेंनम)
		टेथवान (आर्टिमेजियामारटेटिमा)
		गुची (मॉरसेलाएस्कुलेंटा)
8.	कर्नाटक	चारकोल
		शहद
		इमली
		सीगेकोई
		अलालेकाई
		गोंद
		बेंत
		उपिएज
		दालचीनी
		सीटाडोरा
9.	केरल	चारकोल
		ओषधी जड़ी-बूटी
		फाइबर
		घास (चार के अलावा)
		सुगंधित पौधे
		तेलयुक्त सब्जी
		शहद
		औषधीय वृक्षों का हिस्सा
10.	मध्य प्रदेश	कुल्ली गोंद
		साल के बीज
11.	महाराष्ट्र	घास तथा चारा
		हिदरा
		गोंद
		महुआ
		लाख
12.	मणिपुर	बेंत
		थैचिंग घास
		चारकोल
13.	नागालैंड	झाड़ू
		दालचीनी
14.	पंजाब	चारा तथा घास
		पौधे
		फल
15.	तमिलनाडु	काजू
		इमली
16.	त्रिपुरा	थैच
		अगरबत्ती की लकड़ी

1	2	3
		छाते का हत्था
17.	उत्तर प्रदेश	भाभर घस
		औषधी पौधे
		शहद एवं मोम
		चारा
		बेंत
18.	पश्चिम बंगाल	शहद
		मोम
		साल के बीज
		सिंट्रोनेला घास
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	बेंत
		थैचिंग पत्ते
		पोस्ट वैलिज

स्रोत: वनविद्या सांख्यिकी भारत-2011

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान एमएफपी परिचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (एसटीडीसीसी) के तहत निर्मुक्त/उपयोजित निधि के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14	
		निर्मुक्त निधि	उपयोजित निधि	निर्मुक्त निधि	उपयोजित निधि	निर्मुक्त निधि	उपयोजित निधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	194.00	194.00	264.00	उपयोजित प्रमाण पत्र* राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया	120.00	उपयोगिता प्रमाण पत्र 31.3.2015 को देय
2.	छत्तीसगढ़	200.00	200.00	189.00	189.00	0.00	
3.	गुजरात	150.00	150.00	160.00	160.00	177.00	
4.	हिमाचल प्रदेश	10.00	7.00	7.00	उपयोजित प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया	0.00	
5.	केरल	14.00	10.00	0.00	0.00	6.00	
6.	मध्य प्रदेश	472.00	उपयोजित प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया	0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	महाराष्ट्र	330.72	330.72	245.00	109.07	67.07	उपयोगिता प्रमाण
8.	मेघालय	77.00	77.00	0.00	0.00	106.00	पत्र 31.3.2015
9.	ओडिशा	315.00	315.00	233.00	233.00	193.00	को देय
10.	त्रिपुरा	38.00	38.00	52.00	52.00	54.00	
11.	पश्चिम बंगाल	170.00	170.00	126.00	126.00	231.3	
12.	राजस्थान	29.28	18.74	0.00	0.00	0.00	
13.	मिज़ोरम	0.00	0.00	24.00	24.00	45.00	

पिछले तीन वर्षों के दौरान एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र योजना के तहत निर्मुक्त/उपयोजित निधि के ब्यौरे

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14	
		निर्मुक्त निधि	उपयोजित निधि	निर्मुक्त निधि	उपयोजित निधि	निर्मुक्त निधि	उपयोजित निधि
1.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	24.15	योजना 0.08.2013 मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई थी। उपयोगिता प्रमाण पत्र इस तारीख तक देय नहीं है।
2.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
4.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	34.89	
5.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	
6.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
7.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	

[अनुवाद]

प्राइमरी इम्यूनोडिफिसिएंसीज के मामले

1362. श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक लोग, विशेषकर बच्चे प्राइमरी इम्यूनोडिफिसिएंसीज डिसऑर्डर (पीआईडी) से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में थैरेपी की ऊंची लागत के कारण पीआईडी के मामले अक्सर बिना निदान/बिना उपचार के रह जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में पीआईडी के थैरेपी/उपचार की कीमत को कम करने

और इसे सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया गया है। आईसीएमआर का राष्ट्रीय इम्मयूनों-हेमाटालोजी (एनआईआईएम) संस्थान, मुंबई गत 6 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और कुल 315 मामलों का निदान किया गया है। इसमें से लगभग 70 प्रतिशत मामले पश्चिमी भारत से (गुजरात एवं महाराष्ट्र), 18 प्रतिशत मामले दक्षिण भारत से तथा 20 प्रतिशत मामले भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों से हैं। इस समस्या के आकार का पता लगाने के लिए इस विकार की सही व्याप्तता ज्ञात नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। पीआईडी के मामलों का निदान और उपचार नहीं हो पाता। अधिकांश बच्चों का निदान नहीं होता तथा वे आवर्ती संक्रमणों का शिकार हो जाते हैं। उपचार करने वाले डॉक्टरों में जागरूकता की कमी के कारण लंबे समय तक उनका निदान नहीं हो पाता। देश में बहुत कम नैदानिक सुविधा केन्द्र हैं। वर्तमान में केवल दो केन्द्र (राष्ट्रीय इम्मयून हेमाटोलोमी संस्थान, एनआईएनएच (आईसीएमआर), मुंबई और पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ नैदानिक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। नमूनों को बाहर भेजना पड़ता है अथवा रोगियों को इस सुविधा को पाने के लिए इन स्थानों तक जाना पड़ता है जो अक्सर कठिन होता है। थेरेपी का लागत भी बहुत अधिक है।

(ङ) आईसीएमआर ने सुझाव दिया है कि पीआईडी से पीड़ित बच्चों का निदान और पंजीकरण आरंभ करने के लिए क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करना महत्वपूर्ण है। एक बार इस समस्या के आकार का पता चल जाए फिर पीआईडी से पीड़ित बच्चों के उपचार के लिए निवारक उपाय और लागत प्रभावी/वहनीय समाधान लागू किया जा सकता है। आईसीएमआर एडवांस्ड बालरोग केन्द्र, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ और राष्ट्रीय इम्मयूनों हेमाटोलोजी संस्थान, मुंबई में उन्नत अनुसंधान के दो केन्द्रों की स्थापना करने की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस

1363. श्री राजेश रंजन :
श्रीमती रंजीत रंजन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की विद्यमान उच्चतम सीमा क्या है और इसके लिए अनुमत्य संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसमें कोई बदलाव किया जाना प्रस्तावित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया है कि बाल शिक्षा भत्ता प्रतिपूर्ति की वार्षिक उच्चतम सीमा 18,000/- रुपए प्रति बच्चा है। छात्रावास सब्सिडी 4,500/- रुपए प्रति बच्चा प्रति माह होगी। सरकारी कर्मचारियों के विकलांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता प्रतिपूर्ति की वार्षिक उच्चतम सीमा 36,000/- रुपए प्रति बच्चा और छात्रावास सब्सिडी की दर 9,000/- रुपए प्रति बच्चा प्रति माह है। ये संशोधन 1 जनवरी, 2014 से लागू है।। यह प्रतिपूर्ति, किसी बोर्ड से संबद्ध संस्था अथवा मान्यताप्राप्त संस्था चाहे उसे सरकारी सहायता प्राप्त होती हो या नहीं, केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अथवा विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त अथवा किसी मान्यताप्राप्त शैक्षिक प्राधिकरण जिसका उस क्षेत्र पर अधिकार हो जहां वह संस्था स्थित है, में पढ़ रहे बच्चों के लिए स्वीकार्य है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए योजना

1364. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य तथा कुशलक्षेम सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कामकाजी माताओं के 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा और कुशलक्षेम सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई/की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) और (ख) भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) चला रही है जो राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा क्रियान्वित की जा रही एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। स्कीम का उद्देश्य बुनियादी स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 सेवाओं का पैकेज प्रदान कर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती एवं धात्री माताओं का समग्र विकास करना है। इस पैकेज में (i) पूरक पोषण (ii) स्कूल-पूर्व शिक्षा (iii) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (iv) प्रतिरक्षण (v) स्वास्थ्य जांच तथा (vi) रैफरल सेवाएं शामिल हैं। इन 6 सेवाओं में से 3 सेवाएं अर्थात् प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच तथा रैफरल सेवाएं स्वास्थ्य संबंधित हैं और एनआरएचएम तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है।

(ग) जहां तक आईसीडीएस स्कीम का संबंध है, बारहवीं योजनावधि के दौरान आईसीडीएस स्कीम के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन के अंतर्गत 5 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों (कुल 70 हजार) में आंगनवाड़ी केन्द्र - सह-शिशुगृह के प्रावधान को प्रायोगिक आधार पर एक नई पहल के रूप में अनुमोदन किया गया है। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग पर आधारित है। अतिरिक्त स्थान, पालनों, बिस्तरों, सॉफ्ट टॉयज़, अतिरिक्त पूरक पोषण, एक अतिरिक्त शिशुगृह कर्मी आदि के लिए राशि परिकल्पित है। इस घटक हेतु केन्द्र एवं राज्य के बीच लागत भागीदारी अनुपात 75:25 होगा। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 12653 आंगनवाड़ी केन्द्र-सह-शिशुगृह संस्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, कामकाजी माताओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम ऐसे परिवारों को, जिनकी मासिक आय 1200/- रुपए प्रतिमाह से कम है, 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिवस देखभाल सेवाएं प्रदान करती है। बच्चों हेतु सुरक्षित स्थान होने के अलावा, शिशुगृह पूरक पोषण, स्कूल-पूर्व शिक्षा, तथा आपातकालीन स्वास्थ्य देखरेख आदि प्रदान करते हैं। इस स्कीम का क्रियान्वयन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी), भारतीय बाल कल्याण परिषद (आईसीसी) तथा भारतीय आदिम जाति सेवक संघ (बीएजेएसएस) के माध्यम से परिकल्पित है।

(घ) देश में कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु दर कम करने के लिए, प्रत्यक्ष लक्षित उपायों के रूप में अनेक स्कीमें अर्थात् समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएम), राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम (आरजीएसईएजी) अर्थात् सबला, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा, अप्रत्यक्ष बहुक्षेत्रक उपायों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), निर्मल भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) राज्य-वार आंकड़े प्रदान करता है तथा आखिरी एनएफएचएस-3 सर्वेक्षण वर्ष 2005-06 में किया गया। एनएफएचएस-3 के अनुसार, पूरे देश में 5 वर्ष से कम आयु के अल्पवजनी बच्चों का प्रतिशत 42.5% है। 3 वर्ष से कम आयु के अल्पवजनी बच्चों की दर वर्ष 1998-99 (एनएफएचएस-2) में 42.7% से घटकर वर्ष 2005-06 (एनएफएचएस-3) में 40.4% रह गई।

विभिन्न कार्यक्रमगत, प्रबंधकीय और संस्थागत कमियों को दूर करने तथा प्रशासनिक और प्रचालनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए, सरकार ने बाहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,23,580 करोड़ रुपए के समग्र बजट आबंटन से आईसीडीएस स्कीम के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

पुनर्गठित एवं सुदृढ़ीकरण आईसीडीएस चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान शुरू की गई है।

सुदृढ़ीकृत और पुनर्गठित आईसीडीएस स्कीम की प्रमुख विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ (क) 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती एवं धात्री माताओं (पीएंडएल) पर विशेष ध्यान देना, (ख) देखरेख और पोषण संबंधी परामर्श सेवाओं तथा अत्यधिक अल्पवजनी बच्चों की देखरेख सहित सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और पुनः संवेष्टन, (ग) लिंक वर्कर, 5 प्रतिशत शिशुगृह-सह-आंगनवाड़ी केन्द्र के प्रावधान के अलावा 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए और देशभर के चयनित 200 अधिक कुपोषण वाले जिलों में गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए परिवार संपर्क, देखरेख और पोषण परामर्श में सुधार के लिए एक अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री-सह-पोषण परामर्शदाता का प्रावधान, (घ) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) पर ध्यान देना, (ङ) सशक्त संस्थागत और कार्यक्रमगत अभिसरण, विशेष रूप से जिला, ब्लॉक और ग्राम के स्तर पर विकसित करना, (च) सामुदायिक भागीदारी के लिए स्थानीय स्तरों पर लोचनीयता प्रदान करने वाली मॉडलों, (छ) एपीआईपी की शुरूआत, (ज) लागत संशोधन सहित पूरक पोषण कार्यक्रम में सुधार, (झ) आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण और सुधार के लिए प्रावधान, (ञ) मॉनीटरन और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), प्रशिक्षण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित अन्य घटकों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का आबंटन,

(ट) आईसीडीएस को मिशन मोड में रखना, और (ठ) वित्तीय मानकों में संशोधन आदि के माध्यम से कमियों को दूर करना एवं चुनौतियों का सामना करना शामिल है।

आईसीडीएस मिशन का लक्ष्य तीन मुख्य परिणाम अर्थात् (i) छोटे बच्चों में अल्प पोषण का निवारण तथा अल्प पोषित बच्चों की संख्या में 10% बिंदुओं (0-3 वर्ष के अल्पवजनी बच्चों के प्रतिशत) में कमी लाना; (ii) 0-6 वर्ष के सभी बच्चों में प्रारंभिक विकास तथा अधिगम निष्कर्षों में वृद्धि; (iii) लड़कियों एवं महिलाओं को उन्नत देखरेख एवं पोषण और छोटे बच्चों, लड़कियों एवं महिलाओं में रक्ताल्पता की व्याप्तता में 20 प्रतिशत की कमी हासिल करना है। आईसीडीएस मिशन के निष्कर्षों को मापने के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएसएस) तथा जिला स्तरीय परिवार सर्वेक्षण (डीएसएस) को आधार रेखा के रूप में उपयोग किया जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन

1365. श्री गणेश सिंह : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में महिला केन्द्रित कार्यक्रमों के अंतरक्षेत्रीय समन्वय हेतु राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन की स्थापना हेतु योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, जहां सरकार द्वारा इस मिशन की स्थापना की गई है; और

(ग) इस मिशन की विशेषताएं क्या हैं और इस योजना के अंतर्गत किस श्रेणी की महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अन्य संबंधित मंत्रालयों एवं राज्यों को महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जेंडर विशेषज्ञों के साथ मिशन निदेशालय एवं राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र का गठन किया गया है।

राज्यों में नीतिगत मार्गदर्शन एवं निगरानी के लिए राज्यों शीर्ष निकाय के रूप में काम करने के लिए राज्य मिशन प्राधिकरण गठित किए गए हैं। इस संस्था के मुखिया संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री/प्रशासक होते हैं तथा सदस्य के रूप में संबंधित विभागों के मंत्री शामिल होते हैं और मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग इसके संयोजक होते हैं। राज्य मिशन प्राधिकरण 32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। जिन राज्यों में राज्य मिशन प्राधिकरण अधिसूचित किए गए हैं उनकी सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

राज्यों में महिला एवं बाल विकास को सचिवालयीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जैंडर विशेषज्ञों के साथ राज्य महिला संसाधन केन्द्र गठित किए गए हैं। यह केन्द्र समाज कल्याण सचिव तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री के अधीन राज्यों में मिशन के कार्यान्वयन के प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करता है। ऐसे राज्यों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है जहां राज्य महिला संसाधन केन्द्र गठित किए गए हैं।

जिला स्तर पर, विभिन्न विभागों में फैले सरकारी कार्यक्रमों एवं स्कीमों तक पहुंच में सुधार के लिए तथा महिलाओं से संबंधित सामाजिक मुद्दों जैसेकि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, बाल लिंग अनुपात, बाल विवाह, स्वच्छता आदि के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए चुनिंदा जिलों में महिला अभिसरण सह सूचना केन्द्र गठित किए गए हैं इस समय संलग्न विवरण-III में प्रस्तुत सूची के अनुसार 33 जिलों में पूर्ण शक्ति केन्द्र काम कर रहे हैं।

(ग) मिशन का उद्देश्य ऐसी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना है जो महिलाओं के समग्र विकास एवं सशक्तीकरण, लैंगिक समानता एवं लैंगिक न्याय को ऐसे कार्यक्रमों के अंतरक्षेत्रक अभिसरण के माध्यम से बढ़ावा देती हैं जो महिलाओं को प्रभावित करते हैं, विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल स्थापित करने हैं और सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल परिवेश का सृजन करते हैं। मिशन जिन क्षेत्रों में ध्यान देता है उनमें महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटना, बाल लिंग अनुपात में सुधार करना, बाल विवाह रोकना, दुर्व्यापार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आर्थिक सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन आदि से संबंधित मुद्दों से निपटना शामिल है। राज्य महिला संसाधन केन्द्र, ग्राम अभिसरण सह सूचना केन्द्र नीति एवं कार्यक्रम संबंधी उपायों के माध्यम से उपरोक्त लक्षित समूहों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रशिक्षित हैं।

अपनाई गई प्रमुख रणनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं - विभिन्न संबंधित मंत्रालयों, विभागों एवं पदाधिकारों के बीच लिंग एवं महिला सशक्तीकरण से संबंधी मुद्दों पर अंतर-क्षेत्रक तालमेल को बढ़ावा देना; प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण कार्यक्रम के माध्यम से लैंगिक मुद्दों पर विभिन्न पदाधिकारियों की क्षमता का निर्माण करने के लिए सत्त प्रयास; साक्ष्य

आधारित नीति निर्माण के समर्थन के लिए अनुसंधान करना, स्कीमों, कार्यक्रमों एवं कानूनों की समीक्षा करना और लैंगिक लेखा परीक्षा करना; कौशल एवं उद्यमशीलता विकास, सूक्ष्म ऋण, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं एसएचजी विकास से संबंधित क्षेत्रक कार्यक्रमों के बीच सहलग्नता महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना; लैंगिक मुद्दों तथा महिलाओं के लिए अभिप्रेत स्कीमों एवं कार्यक्रमों पर जागरूकता पैदा करना; पंचायती राज संस्थाओं, महिला समूहों एवं सामुदायिक समूहों के माध्यम से जैंडर से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देना; व्यवहार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक शिक्षा के लिए संचार के नवाचारी चैनलों का प्रयोग करना; विभिन्न स्तरों पर महिला मंचों के बीच तालमेल विकसित करना; महिलाओं के लिए अभिप्रेत स्कीमों एवं कार्यक्रमों की पहुंच में सुधार के लिए प्रदायगी तंत्रों को सुदृढ़ करना; विभिन्न स्तरों पर जैंडर के आधार पर पृथक डाटा का संग्रहण, संकलन एवं विश्लेषण करना आदि।

लक्षित समूह में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की आर्थिक दृष्टि से वंचित महिलाएं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (अजा, अजजा, अपिव) एवं धार्मिक अल्प संख्यक समुदाय की महिलाएं कमजोर एवं सिमांत महिलाएं एवं कठिन परिस्थिति में रहने वाली महिलाएं हिंसा जैसे कि घरेलू हिंसा, डायन प्रथा एवं एसिड हमले से प्रभावित महिलाएं, दुर्व्यवव्यापार से प्रभावित महिलाए/लड़कियां, आंतरिक विस्थापन, आपदा एवं प्रवासन से प्रभावित महिलाएं, घर-बिहीन, निराश्रित, बुजुर्ग, भिन्न ढंग से सक्षम एवं एकल महिलाएं तथा उभयलिंगी व्यक्ति, एचआईवी/ एड्स एवं अन्य संचारी रोगों से प्रभावित महिलाएं स्थानीय निकायों की चुनी हुई महिला प्रतिनिधि, किशोरियां एवं युवक आदि शामिल हैं।

विवरण-I

राज्यों की सूची जिनमें राज्य मिशन प्राधिकरण अधिसूचित कर दिए गए हैं

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. आंध्र प्रदेश
3. अरुणाचल प्रदेश
4. बिहार
5. छत्तीसगढ़
6. चंडीगढ़
7. दमन और दीव
8. गुजरात
9. गोवा
10. हिमाचल प्रदेश
11. हरियाणा
12. जम्मू और कश्मीर
13. झारखंड
14. कर्नाटक
15. केरल
16. लक्षद्वीप
17. मध्य प्रदेश
18. मणिपुर
19. मेघालय
20. मिज़ोरम
21. नागालैंड
22. ओडिशा
23. पुदुचेरी
24. पंजाब
25. राजस्थान
26. त्रिपुरा
27. उत्तराखंड
28. पश्चिम बंगाल
29. उत्तर प्रदेश
30. असम
31. सिक्किम
32. महाराष्ट्र

विवरण-II

राज्यों की सूची जिनमें राज्य महिला संसाधन केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं

1. असम
2. आंध्र प्रदेश
3. बिहार
4. चंडीगढ़
5. छत्तीसगढ़
6. गोवा
7. गुजरात
8. हरियाणा
9. हिमाचल प्रदेश
10. कर्नाटक
11. केरल
12. लक्षद्वीप
13. मध्य प्रदेश
14. मणिपुर
15. मेघालय
16. मिज़ोरम
17. नागालैंड
18. ओडिशा
19. पुदुचेरी
20. पंजाब
21. राजस्थान
22. उत्तराखंड
23. पश्चिम बंगाल
24. दमन और दीव
25. त्रिपुरा
26. झारखंड
27. उत्तर प्रदेश
28. जम्मू और कश्मीर
29. तमिलनाडु
30. सिक्किम
31. महाराष्ट्र

विवरण-III

पूर्ण शक्ति केन्द्र परियोजनाओं हेतु चयनित जिलों की सूची

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण शक्ति केन्द्र जिला
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. मैडक
2.	बिहार	2. औरंगाबाद
		3. नालंदा
		4. बेगूसराय
3.	कर्नाटक	5. गुलबर्गा
4.	गुजरात	6. साबरकांठा
5.	मध्य प्रदेश	7. धार
6.	दमन और दीव	8. दमन
7.	तमिलनाडु	9. सलेम
8.	मेघालय	10. जयंतिया हिल्स, जोवई
9.	मिज़ोरम	11. चंपई
10.	उत्तराखंड	12. हरिद्वार
		13. पिथौरागढ़
11.	झारखंड	14. पश्चिमी सिंहभूमि
12.	हिमाचल प्रदेश	15. सोलन
13.	नागालैंड	16. कोहिमा

1	2	3
14.	हरियाणा	17. मेवात (पीएसके)
		18. रोहतक
		19. पानीपत (पीएसके)
15.	त्रिपुरा	20. पश्चिमी त्रिपुरा
16.	उत्तर प्रदेश	21. कन्नौज
		22. बोदा
17.	पश्चिम बंगाल	23. मालदा
18.	राजस्थान	24. पाली (पूरा जिला)
		25. बूंदी (आंशिक)
19.	चंडीगढ़	26. चंडीगढ़
20.	असम	27. कामरूप (मैट्रो)
21.	छत्तीसगढ़	28. बिलासपुर
22.	जम्मू और कश्मीर	29. कुलगाम
23.	ओडिशा	30. नयागढ़
24.	महाराष्ट्र	31. पुणे
25.	सिक्किम	32. पूर्वी सिक्किम
26.	पुदुचेरी	33. पुदुचेरी

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा व्यवस्था

1366. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) बेहतद संवेदनशील है, क्योंकि राज्य के कुछ भागों पर चीन अपनी संप्रभुता का दावा करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कड़ी निगरानी के लिए अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और अधिक सुरक्षा चौकियां बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन चौकियों को अपेक्षित सुविधाएं, जैसे बिजली, सैटेलाइट फोन कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ङ) वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। तथापि, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का चीन प्रतिवाद करता है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारतीय भूभाग की लगभग 90,000 वर्ग कि.मी. भूमि पर अपना दावा करता है।

(ग) और (घ) सरकार हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने तथा राष्ट्रीय हित की संरक्षा के लिए खतरे की अवधारणा की नियमित रूप से समीक्षा करती है। भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता तथा सुरक्षा की हिफाजत के लिए सीमाओं के साथ-साथ देश की रक्षा तैयारी को बनाए रखने/इसका उन्नयन करने के वास्ते समय-समय पर यथोचित उपाय किए जाते हैं। तथापि, इस विषय में सदन के पटल पर किसी सूचना को प्रकट किया जाना देश की सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिकूल होगा।

(ङ) वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लगे क्षेत्रों पर निरंतर गश्त तथा अन्य वायवीय, ऑप्ट्रोनिक तथा इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए निगरानी रखी जा रही है।

बारूदी सुरंगों से प्रभावित लोगों को मुआवजा

1367. **श्री अर्जुन राम मेघवाल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए राजस्थान के सीमावर्ती गांवों को खाली कराया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रभावित लोगों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) अभिलेखों के अनुसार, कारगिल युद्ध के दौरान राजस्थान में किसी गांव को सुरंगें बिछाने के लिए खाली नहीं कराया गया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आयुर्विज्ञान अनुसंधान

1368. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा शुरू की गई प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप आईसीएमआर द्वारा विकसित की गई औषधि और आयुर्विज्ञान उपस्कर/उपकरणों सहित हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईसीएमआर ने कैंसर, मधुमेह और अन्य बीमारियों के विरुद्ध प्रभावी औषध/उपकरण विकसित करने के लिए कुछ अनुसंधान संगठनों/संस्थानों के साथ भागीदारी/सहयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा आईसीएमआर की क्षमता बढ़ाने, उसे मजबूत बनाने और मुख्यधारा में लाने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जाने प्रस्तावित हैं; और

(ङ) क्या केरल सहित कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातियों के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों की स्थापना संबंधी सरकार का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि वर्ष 2010-14 के दौरान उनके द्वारा कुल 2893 नई परियोजनाओं व 976 अध्येतावृत्तियों की मंजूरी दी गई थी। वर्षवार व क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का एक ट्रांसलेशनल अनुसंधान के बारे में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जिसके अंतर्गत एक नैदानिक किट (बेटा थैलासिमिया हेतु), तीन पता लगाने वाले परीक्षण स्ट्रिपें (विटामिन-ए व फेरीटिन व मधुमेह स्ट्रिप के अनुमान के लिए), दो डिवाइस (गर्भास्य ग्रीवा के कैंसर हेतु मैगनविजुएलाइजर व मधुमेह के लिए ग्लूकोमीटर) और एक वैक्सिन (जापानी इंसेफेलाइटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। आईसीएमआर की उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए सामान्य विषय क्षेत्रों के बारे में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ अंतर-अभिकरण सहयोग विकसित किया है। निम्नलिखित अंतर-अभिकरण सहयोग को सुदृढ़ किया गया है और इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने नये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को आधार बिन्दु के रूप में जारी रखा। सरकार वेक्टो जन्य रोग विज्ञान फोरम, आदिवासी स्वास्थ्य अनुसंधान फोरम इत्यादि के माध्यम से अपने कार्यों को मान्यता देने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रयासों में सहायता कर रही है। नए वैज्ञानिक वक्तिगत के प्रस्ताव, कमी वाले क्षेत्रों में नए केन्द्रों के सृजन का कार्य शुरू किया गया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मैनुअल प्राप्ति, संशोधित करने व बहिवर्ती परियोजना के प्रबंधन को वैब-आधारित परस्पर क्रियात्मक प्रणाली में स्थानांतरित किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सी-डैक, नोएडा के तकनीकी सहयोग से प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली में जनवरी, 2012 से कार्य करना शुरू कर दिया है। अब बहिवर्ती तदर्थ प्रस्तावों अर्थात् प्रस्तुतिकरण, प्राप्ति, विशेषज्ञों द्वार समीक्षाएं, मंजूरी, धन की विमुक्ति, रिपोर्टें प्रस्तुतिकरण व इस परियोजना की अंतिम समाप्ति को संशोधित करने से संबंधित सभी कार्य वैब आधारित प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। इस प्रणाली में पेपर आधारित मैनुअल प्रणाली को समाप्त कर दिया है तथा संसाधित करने में पारदर्शिता व तेजी भी लाई है। इस प्रणाली में दूर-दराज व दूरगम्य क्षेत्रों तक पहुंच भी प्रदान की है।

सरल व सुचारु कार्यकरण तथा फाइलों की खोज के लिए ई-गवर्नेंस को सरकारी प्रक्रिया में चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पास पहले ही जबलपुर में आदिवासियों के लिए एक क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र है तथा यह छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों में एक नया क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र शुरू करने का भी विचार कर रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आदिवासी, दूर्गम तथा वंचित समुदायों की स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए प्रयासों को सुदृढ़ करने हेतु एक आदिवासी स्वास्थ्य अनुसंधान मंच भी स्थापित किया है। इस मंच को वर्ष 2010 में विभिन्न भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद संस्थानों में आदिवासी स्वास्थ्य अनुसंधान को सहक्रियाशील बनाने तथा उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने जो देश में स्वास्थ्य परिणाम पर प्रभाव डाल सकते हों, की दृष्टि से गठित किया गया था। इसने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वयानाड, केरल में वृद्ध अवस्था में अनुसंधान के लिए एक संस्थान को शुरू करने की भी योजना बनाई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों व चालू वर्ष के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई वर्ष-वार व क्षेत्र-वार प्रमुख परियोजनाएं

क्र. सं.	क्षेत्र/विषय	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 आज तक	कुल	अभ्युक्तियां/कोर विषय
1.	ज्ञानपदिक रोग विज्ञान व संचारी रोग	137 (34)	152 (34)	193 (42)	202 (60)	684 (170)	मलेरिया, फाइलेरिया, जेई, डेंगू, चिकुनगुनिया, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, एचआईवी/एड्स, कालाजार इत्यादि
2.	गैर संक्रामक रोग	170 (59)	74 (71)	150 (55)	94 (30)	588 (215)	मधुमेह, सीवीडी, तंत्रिका विज्ञान, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य, जरा चिकित्सा विज्ञान, विकलांगता इत्यादि
3.	मौलिक चिकित्सा विज्ञान	196 (100)	257 (122)	200 (118)	173 (82)	826 (422)	स्टेम कोशिका अनुसंधान, ऐथिक्स, जेनोमिक्स, भेषज विज्ञान इत्यादि
4.	प्रजनन व बाल चिकित्सा	107 (119)	117 (18)	83 (13)	78 (15)	383 (65)	गर्भ निरोधक, मातृ व बाल स्वास्थ्य, बांझपन, एआरटी इत्यादि
5.	पोषण	19 (10)	29 (17)	46 (16)	39 (19)	133 (62)	कुपोषण, खाद्य सुरक्षा, सूक्ष्म पोषण अल्पता इत्यादि
6.	स्वास्थ्य प्रणाली अनुसंधान	22	21	12	04	59	सार्वजनिक-निजी और गैर सरकारी संगठन भागीदारियां, अनुसंधान क्षमता, स्वास्थ्य प्रणाली जनशक्ति तथा सेवा प्रदानगी इत्यादि
7.	सामाजिक व आचराणात्मक अनुसंधान	15 (1)	13 (0)	11 (1)	20 (0)	59 (02)	कलंक के साथ जुड़े रोग, किशोर आचरण, लिंग संबंधी मुद्दे, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक इत्यादि
8.	अन्य	19 (00)	48 (15)	39 (14)	55 (11)	161 (40)	औषधीय पादपों, मानव संसाधन विकास, पी व आई, जैव-सूचना विज्ञान तथा अनुसंधान क्रियाविधि विज्ञान के क्षेत्र में परियोजनाएं शामिल हैं इत्यादि
	कुल	685 (223)	811 (277)	734 (259)	663 (217)	2893 (976)	

*कोष्ठकों में आंकड़े अध्येतावृत्तियों की संख्या है।

विवरण-II

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसंधान कार्यकलापों का परिणाम/प्रभाव

जन स्वास्थ्य से संबंधित प्रयोगों के लिए वहनीय स्वदेशी प्रौद्योगिकियां पूरी की गईः

- भारत बायोटेक की भागीदारी में जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए स्वदेशी वैक्सिन शुरू की (4 अक्तूबर, 2013)
- थैलासीमिया, एक प्रमुख वंशानुगत रक्त रोग के आण्विक निदान के लिए स्वदेशी परीक्षण शुरू किया (17 दिसंबर, 2013)
- गर्भास्य ग्रीवा के कैंसर की जांच के लिए मैग्निफाइंग युक्ति (मैग्निविजुएलाइजर) शुरू की (23 दिसंबर, 2013)
- मधुमेह के लिए स्वदेशी स्ट्रिपें व पता लगाने की प्रणाली (प्रणालियां) शुरू की (13 जनवरी, 2014)
- 20 फरवरी, 2014 को खाद्य पदार्थों में रोग जनक जीवाणुओं का पता लगाने के लिए एक नया परीक्षण विटामिन ए व फैरीटिन अनुमानों हेतु प्रौद्योगिकियों को शुरू किया।

शुरू किए जाने के लिए तैयार प्रौद्योगिकियांः

- पेरेगोनिमियासिस (लंग फ्लुक) रोग विजेम्बिलिंग क्षय रोग के निदान के लिए एलिसा परीक्षण।
- आरटीआई संक्रमण, होर्मोन एस्से इत्यादि के बारे में तीन अन्य प्रौद्योगिकियां।

प्रगतिरत अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियांः

- डेंगू के शीघ्र निदान के लिए परीक्षण।
- क्षय रोग में औसत प्रतिरोधता का पता लगाने के लिए नई द्रुत आणिवक विधियां।
- क्षय रोग व अन्य कवक जीवाणु संबंधी संक्रमणों के निदान के लिए नई डीएनए फींगर प्रिंटिंग विधि।
- हैजे के लिए एक रोग प्रतिरक्षा-क्रोमेटोग्राफिक डिप्स्टिक किट।
- चलेमाइडिया संक्रमण के लिए स्वदेशी नैदानिक एस्से।
- लेप्टोस्पाइरोसिस के निदान के लिए द्रुत परीक्षण।
- कालाजार के लिए रियल-टाइम पीसीआर एस्से।
- संक्रमणों वे कैंसर समेत वहनीय रोग निदान जांचों के विकास व मूल्यांकन के लिए संभावित जन स्वास्थ्य महत्ता की पता लगाई गई अधिकतर प्रगतियों पर कार्य में उनको जन स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध कराने के लक्ष्य से अच्छी प्रगति हुई है।

विवरण-III

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय

- आईसीएमआर-बीएनबीएफ विशेष व्यवस्था के अंतर्गत भारत-जर्मन सहयोग और जैव चिकित्सा विज्ञानों में सहयोग के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-हेल्महोलट्ज (एचजीएफ) समझौता ज्ञापन। इस क्षेत्र में एड्स, अर्बुदविज्ञान, प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ व बाल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरणिक विष विज्ञान, औषध विकास, बायोएथिक्स इत्यादि जैसे संक्रामक रोग शामिल हैं।
- संक्रामक रोगों, मानव आनुवंशिकी, कैंसर, मधुमेह इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान प्रयासों के सहयोग के लिए आईसीएमआर-आईएनएसईआरएम, फ्रांस समझौता ज्ञापन।
- एचआईवी-एड्स, मधुमेह अनुसंधान, आईसीईआर, एमसीएच, ईओएच में सहयोग के लिए भारत-अमेरिकी संयुक्त वक्तव्य-आईसीएमआर-डीएचएसएस (एनआईएच व सीडीसी/एटीएसडीआर)।
- जैव चिकित्सीय विज्ञानों, विशेषतौर से जीवन शैली के रोगों, रोग निगरानी व जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए आईसीएमआर-और केनडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च (सीआईएचआर), कनाडा के साथ समझौता ज्ञापन।
- जानपदिक रोग विज्ञान, हृदय वाहिका के रोग, कैंसर, रोग प्रतिरक्षा विज्ञान, स्थूलता, मधुमेह व जन स्वास्थ्य की पहलों के क्षेत्र में अनुसंधान प्रयासों के लिए मिन्नेसोटा विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन।
- उभरते हुए संक्रामक रोगों व जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण के पता लगाए गए क्षेत्रों में सहयोग के लिए आईसीएमआर व बोस्टन विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में सहयोग के लिए मंशा पत्र।
- गैर-संक्रामक रोगों के क्षेत्र में सहयोग के लिए कैरोलिन्सका संस्थान (केआई), स्वीडन के साथ समझौता ज्ञापन।

- जन स्वास्थ्य, हृदय वाहिका चिकित्सा, कैंसर, मधुमेह इत्यादि के क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने व संचालन के लिए लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन व ट्रापिकल मेडिसिन (एलएसएचटीएन), यू.के. के साथ समझौता ज्ञापन।
- जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान प्रयासों के लिए चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (एमआरसी), यू.के. के साथ समझौता ज्ञापन।
- जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए यूरोपीय संघ के साथ मंशा पत्र (एलओआई)।
- हृदय वाहिका के रोगों के निवारण, जन स्वास्थ्य उपायों, मधुमेह व स्थूलता के नियंत्रण, जोखिम घटकों की मात्रा का निर्धारण, कैंसर व अन्य विकारों के निवारण के सहयोग के लिए ग्लोबल एलाएंस फॉर क्रोनिक डिजिज (जीएसीडी) के साथ समझौता ज्ञापन।
- क्षय रोग, मलेरिया, एचआईवी, लेशमेनियासिस व अन्य संक्रामक रोगों जैसे संक्रामक रोगों के लिए नई नैदानिक जांचों की शुरूआत की प्रभावकारिता व व्यवहार्यता के बारे में सहयोग के लिए फाउंडेशन फॉर इन्नोवेटिव न्यू व डायग्नोस्टिक (एफआईएनडी), स्वीट्जरलैंड के साथ समझौता ज्ञापन।
- चिरकारी गैर-संक्रामक रोगों, मधुमेह व स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान में चुनौतियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एकेडमी ऑफ फिनलैंड (एएफ), फिनलैंड के साथ समझौता ज्ञापन।
- जून, 2013 में समुचित विधियों/प्रौद्योगिकियों के चयन के लिए स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन बोर्ड (एमटीएबी) को विकसित करने हेतु यू.के. में हस्ताक्षरित डीएचआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ व केयर एक्सेलेंस (एनआईसीई) में समझौता ज्ञापन।

राष्ट्रीय साझेदारियां

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) ने सामाजिक व आचरणात्मक अनुसंधान के माध्यम से और अधिक प्रभावकारी हल के लिए तथा सभी के लिए स्वास्थ्य को एक वास्तविकता बनाने के तरीकों को सृजित करने के लिए लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों की बेहतर समझ को विकसित करने हेतु सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- आईसीएमआर-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-खाद्य सुरक्षा के बारे में अनुसंधान के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) संयुक्त समिति।
- जीव विज्ञानीय व स्वास्थ्य परिणामों, खाद्य संसाधित करने के संबंध में प्रचालनात्मक व ट्रांसलेशन अनुसंधान, पुष्टिकरण, सूक्ष्म पोषकों की भूमिका को कवर करते हुए सूक्ष्म पोषकों पर अनुसंधान योग्य मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अंतर-अभिकरण दल (डीएचआर), (डीबीटी), (डीएसटी), (डीएआरई), (सीएसआईआर), (डीआरडीओ)।
- आनुवांशिकीय रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए सचिवों का अंतर-अभिकरण दल।
- गंभीर तीव्र कुपोषण के बारे में आईसीएमआर-डीबीटी सहयोग।
- वन संशोधनों के जैव सक्रिय सिद्धांतों और उपयोग तथा औषधियों पादपों के क्षेत्र में उनके दोहन के लिए संयुक्त कार्यवाही के क्षेत्र में आईसीएमआर-भारतीय वन अनुसंधान व शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) में सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- आईसीएमआर-केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) में सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद सीसीआरयूएम द्वारा पता लगाए क्षेत्र में सीसीआरयूएम स्टॉफ को प्रशिक्षण प्रदान करती है। सीसीआरयूएम, आईसीएमआर के साथ मुख्यत: नैदानिक कार्यक्रम में सहयोग के लिए सहमत है। रुचि/हेतु के अन्य क्षेत्रों में औषध विकास, चिकित्सीय लेखन, अनुसंधान विधि विज्ञान, बायोमारकर्स, जैव सांख्यिकी, आचार से संबंधित प्रशिक्षण इत्यादि शामिल हैं।
- बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान में लगे विभिन्न विज्ञान एजेंसियों में सचिवों के समूह का तंत्र कार्य कर रहा है, सहयोग के क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है और संयुक्त प्रकोष्ठों की योजना बनाई जा रही है।
- आईसीएमआर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई, और बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी (हैदराबाद परिसर) में 2 अन्वेषकों की सहायता की है जिसके परिणामस्वरूप रक्त ग्लूकोज के उन्मूलन के लिए 2 आंतरिकत उपकरण और परीक्षण स्ट्रीम विकसित किया गया है इन-प्रौद्योगिकियों को व्यवसायिक बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
- **टीबी और एमडीआर/एक्सडीआर-टीबी के निदान के लिए देशीय नैदानिक प्रौद्योगिकी:** बायो टेक्नोलोजी विभाग (डीबीटी), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और स्वास्थ्य

एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक संयुक्त उद्यम में, आईसीएमआर इस कार्यक्रम के तहत टीबी-एमडीआर/एक्सडीआर टीबी की जांच के लिए बेहतर किट की जरूरत की दृष्टि से भारतीय वैज्ञानिकों/कंपनियों द्वारा विकसित "देशीय टीबी और एमडीआर/एक्सीडीआर टीबी निदान नैदानिक प्रौद्योगिकी" को बढ़ावा देने के लिए आगे आया है।

- इस संयुक्त पहल के अंतर्गत, सचिव, डीएचआर एवं डीजी, आईसीएमआर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है जो इस महत्वपूर्ण टीबी नैदानिक किट का मूल्यांकन करता है। इन बैठकों का उद्देश्य सरकार, शैक्षिक संस्थानों और उद्योग के बीच सरकारी निजी भागीदारी के रूप में सरकार से जोड़ना हैं। टीबी नैदानिक किटों का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण मापदंडों का पता लगाया गया है। इस क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों, कंपनियों और शोधकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा सर्वोत्तम भारतीय प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए इस पहल के बारे में सूचना आईसीएमआर की वेबसाइट अर्थात् *www.icmr.nic.in* पर डाल दी गई है।

    o समिति ने वैधीकरण के लिए 4 केन्द्रों अर्थात् एनजेआईएल एवं ओएमडी, आगरा और एनआईआरटी, चेन्नई तथा एम्स, नई दिल्ली और एनआईटीआरडी, दिल्ली में नैदानिक जांच घरों (भारतीय कंपनियों द्वारा विकास हेतु 2 और 1 विकसित, कंपनी द्वारा अभी लिया जाना है) का चयन किया है।

- इन प्रौद्योगिकियों के बाह्य वैधीकरण के लिए "टीबी और एमडीआर/एक्सडीआर-टीबी के निदान के लिए डीबीटी द्वारा देशीय नैदानिक प्रौद्योगिकियों का वैधीकरण" शीर्षक एक बहुकेन्द्रीय परियोजना हाल ही में जुलाई, 2014 में सभी 4 केन्द्रों में मंजूर किया गया है।

- **देशीय एच1एन1 नैदानिक किट विकास मूल्यांकन**

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा भारत के बाजार में एंफ्लूएंजा एच1एन1 की जांच करने के लिए देशीय किट विकसित करने के उद्देश्य से भारत में एंफ्लूएंजा एच1एन1 महामारी 2009 के लिए किटों के विकास और मूल्यांकन का समन्वय करने में आईसीएमआर/डीएचआर के प्रयासों के एक भाग के रूप में दो देशीय एच1एन1 जांच किटों को विकसित किया गया और बाह्य वैधीकरण/तृतीय पार्टी मूल्यांकन के स्तर को पूरा किया।

- **बिगटेक प्रा.लि. बेंगलूरु द्वारा निर्मित एच1एन1 की जांच के लिए एक माइक्रो पीसीआर नैदानिक किट।**

    o एनआईवी, पुणे के सहयोग से ध्यानपूर्वक देशीय नमूना निर्माण उपकरण/प्रोटोकॉल और एच1एन1 जांच के प्रत्यक्ष उपाय के साथ बिगटेक प्रा.लि. बेंगलुरु द्वारा निर्मित माइक्रो पीसीआर नैदानिक किट के विकास के एक प्रस्ताव को आईसीएमआर द्वारा इसके पहले चरण में 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 तक जांच विकास में वित्तपोषित (1 करोड़ रुपए) किया गया और तत्पश्चात् दूसरे चरण में बहुकेन्द्रीय वैधीकरण सुलभ हुआ: 1 जनवरी, 2011 से 31 दिससंबर, 2013 तक)

    o किट के वैधीकरण अध्ययन की कई शृंखला के पूरा होने और इसके संतोषपद समीक्षा के बाद बिगटेक के माइक्रो पीसीआर किट को विशेषत: कम स्तर/निम्न मात्रा/परिधीय प्रयोगशाला अर्थात् मेडिकल कॉलेज, सीएचसी, एमआरएचआरयू आदि पर जनस्वास्थ्य के लिए उपयोग किए जाने की सिफारिश की गई।

- **डीआरडीई नैदानिक किट/एनवी-एलएएमपी एच1एन1 किट (प्रौद्योगिकी धारक आरएएस लाईस साइंस प्रा.लि. हैदराबाद)**

दूसरे किट अर्थात् डीआरडीई नैदानिक किट/एनयू-एलएएमपी एच1एन1 (प्रौद्योगिक धारक आरएएस लाइफ साइंस प्रा.लि. हैदराबाद) को वित्त पोषित नहीं किया गया लेकिन आईसीएमआर द्वारा तृतीय पार्टी के मूल्यांकन के लिए तकनीकी रूप से समर्थन किया गया जिसे 4 केन्द्रों द्वारा पूरा किया गया और आगामी मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

उद्योग की भागीदारी के साथ विकसित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी

- **जापानी एंसेफलाइटिस (जेई) के लिए नष्ट टीकों का विकास:** माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 4 अक्तूबर, 2013 को जनस्वास्थ्य भागीदारी के तहत पहली बार देशीय रूप से विकसित जापानी एसेफ्लाइटिस (जेईएनवीएसी) आरंभ किया गया। आईसीएमआर की राष्ट्रीय विरोलोजी संस्थान, पूना द्वारा देशीय वायरस स्ट्रेन को अलग तथा चित्रित किया गया और आगामी टीका विकास के लिए स्ट्रेन के भारत बायोटेक में स्थानांतरित किया गया।

- **खाद्य पदार्थ जनित पैथेगेन की जांच करने के लिए पीसीआर आधारित विधि का विकास:** बायोसर्व बायोटेकनोलॉजी प्रा.लि. हैदराबाद के संयुक्त सहयोग से नैदानिक किटों को विकसित किया

गया। इस देशीय "पीसीआर आधारित खाद्य पदार्थ पैथोगेन जांच किट" को 20.02.2014 को शुरू किया गया।

उद्योग को स्थानांतरित प्रौद्योगिकी

- **मोनोक्लोनल एंटीबाडी का क्लामायडिया ट्रेकोमैटिस में विकास:** यह महिलाओं में सी. ट्रेकोमेटिस की जांच के लिए मोनोक्लोनल एंटीबाडी आधारित देशीय नैदानिक जांच जिसके व्यवसायिकरण के लिए मै. एक्यूरेक्स के साथ लाइसेंसकृत किया जा रहा है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया है। किट तैयार हो जाने पर प्रोटोटाइप किटों का वैधीकरण आरंभ हो जाएगा।

- **बी-थैलीसिमियां सिंड्रोम की जांच के लिए रैपिड नैदानिक किट (आरडीबी):** वंशानुगत रक्त विकार-स प्रौद्योगिकी का मै. इमेजनेक्स इंडिया प्रा.लि. भुवनेश्वर को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस देशीय "थैलीसिमियां जांच किट" की 17 दिसंबर, 2013 को शुरू किया गया।

- **ग्रीवा कैंसर की जांच के लिए मैग्निफाइंग उपकरण का विकास:** व्यवसायिकरण के लिए मै. स्मार्ट साइंस के साथ नान-डिस्क्लोजर समझौता हस्ताक्षर किया गया। ग्रीवा कैंसर की जांच के लिए इस देशीय उपकरण "एवी मैग्नीविजुआलायजर" को 23 दिसंबर, 2013 को आरंभ किया गया।

- **प्रजनन आकलन के लिए यूरिन आधारित नैदानिक किट:** इस प्रौद्योगिकी को एचएलएल लाइफ केयर लि. त्रिवेंद्रम को हस्तांतरित कर दिया गया।

भारत-चीन के बीच व्यापार घाटा

1369. श्री रामसिंह राठवा : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के मध्य विदेशी व्यापार घाटा चीन के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) 2013-14 के दौरान भारत और चीन के मध्य आयात और निर्यात के मूल्य में कितना अंतर था;

(घ) क्या 2014-15 के दौरान यह अंतर कम होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) जी हां, भारत और चीन के बीच बाह्य व्यापार घाटा चीन के पक्ष में है।

(ख) वे प्रमुख कारक जिनसे यह व्यापार घाटा होता है चीन के विनिर्माण क्षेत्र में पाए जा सकते हैं जो भारत के विनिर्माण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है। चीन का भारत को निर्यात विशिष्टतः विनिर्मित वस्तुओं पर निर्भर करता है जो दूरसंचार और विद्युत जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य कम मूल्य वाले उत्पादों की मांग को पूरा करता है। चीन की सरकार द्वारा उनके विनिर्माण क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के कारण चीन के विनिर्मित उत्पादों की विनिर्माण लागत कम होती है। भारत से चीन को किए जाने वाले निर्यात में प्रमुखतः कच्चा माल और मूल्य संवर्धित मध्यवर्ती उत्पाद शामिल होते हैं। भारतीय उत्पादों की चीन में सीमित बाजार पहुंच भी इस बढ़ते व्यापार घाटे का एक कारण है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं को भी चीन को निर्यात में बाधाओं का सामना करना पड़ता है और इसलिए यह चीन के साथ हमारे पण्य व्यापार घाटे की क्षतिपूर्ति करने में अक्षम है।

(ग) वर्ष 2013-14 के दौरान चीने के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार में चीन से 51.05 बिलियन यूएस डॉलर का आयात और भारत से 14.83 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात शामिल है जिसके परिणामस्वरूप 36.22 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार शेष चीन के पक्ष था।

(घ) चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के कारण वर्ष 2014-15 के दौरान यह घाटा कुछ कम होने की संभावना है।

(ङ) चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे को कम करने के मद्देनजर विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात पर जोर देते हुए निर्यातित वस्तुओं में विविधता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चीन के बाजार में गैर-प्रशुल्क बाधाओं के निपटान हेतु अच्छी निर्यात क्षमता वाले उत्पादों के लिए सरकार बाजार पहुंच के मुद्दों को विभिन्न मंचों पर उठा रही है जिनमें आर्थिक संबंध, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (जेईजी) पर भारत-चीन संयुक्त ग्रुप की मंत्रिस्तरीय बैठक में चर्चा शामिल है। 2013 में गोमांस, मत्स्य उत्पाद, भेषज जैसे उत्पादों के लिए तीन समझौता ज्ञापनों पर और चारा और चारा अंतर्वस्तु के संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय निर्यातकों को चीन के बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रदर्शित करने और चीन के आयातकों के साथ लेन-देन बढ़ाने के लिए चीन में प्रमुख मेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार द्वारा बाजार पहुंच पहल (एमएआई)/बाजार विकास सहायता (एमडीए) जैसी स्कीमों

के माध्यम से बिजनेस से बिजनेस संबंधों को प्रोत्साहित किया जाता है।

भारत से चीन को किए जाने वाले निर्यात को बढ़ाने के साथ-साथ भारत के औद्योगिक पार्कों, एनआईएमजेड, एसईजेड आदि में निवेश के माध्यम से भारत में विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए चीन के निवेश को प्रोत्साहित करके प्रतिकूल व्यापार घाटे को पूरा किया जा रहा है। जून 2014 के दौरान हाल में किए गए चीन के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच औद्योगिक पार्कों में सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसका लक्ष्य भारत में चीन के निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक पार्कों और जोनों में चीन की कंपनियों के निवेश के लिए एक सशक्त कार्यढांचा प्रदान करना है। इन उपायों से निर्यातों में वृद्धि होने और भारत का व्यापार घाटा कुछ हद तक कम होने की संभावना है।

[हिन्दी]

नक्सल प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों का विकास

1370. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के लिए विकास के विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की धीमी गति के कारण इन क्षेत्रों के जनजातीय लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने और जनजातीय लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा) : (क) और (ख) जी हां। गृह मंत्रालय/योजना आयोग/ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वामपंथ अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों पर केन्द्रित विकासात्मक योजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार है:—

(i) **वामपंथ अतिवाद प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)** : "वामपंथ अतिवाद प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" की स्कीम योजना आयोग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और उसकी निगरानी रखी जा रही है जो लोक अवसंरचना एवं सेवाओं की परियोजनाओं पर बल देती है, यह वर्ष 2010-11 से एकीकृत कार्रवाई योजना के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम के रूप में 12वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए जारी रखने को सरकार द्वारा 1.8.2013 को अनुमोदित किया गया। प्रारंभ में इस योजना में 60 जिले थे अब इसमें 10 वामपंथ अतिवाद प्रभावित राज्यों में 76 वामपंथ अतिवाद प्रभावित जिलों सहित 88 जिले आते हैं;

(ii) **सड़क अपेक्षा योजना (आरआरपी-I)** : सड़क अपेक्षा योजना-I सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित और निगरानी की जा रही है। वह 2009-10 से 34 वामपंथ अतिवाद प्रभावित जिलों में कार्यान्वयन के अधीन है और 7300.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 8 वामपंथ अतिवाद प्रभावित राज्यों में 5477 किलोमीटर कुल लंबाई की सड़कों के विकास को प्रकल्पित करती है। जबकि सड़क अपेक्षा योजना-I उस क्षेत्र का समग्र विकास करेगी तथापि, यह जनजातियों के लिए विशेष रूप से लक्षित नहीं है।

(iii) **वामपंथ अतिवाद द्वारा प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास :** यह स्कीम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम वर्ष 2011 में निरुपित की गई थी जिससे कि 9 वामपंथ अतिवाद प्रभावित राज्यों के 34 जिलों में कौशल विकास अवसंरचना को वामपंथ अतिवाद प्रभावित जिलों के लोगों के निकट बनाया जा सके। इस स्कीम का उद्देश्य 34 जिलों में से प्रत्येक में एक आईटीआई व दो कौशल विकास केन्द्र स्थापित करना और एक ओर इन क्षेत्रों के आस पास अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की कुशल जनशक्ति की मांग को पूरा करने और दूसरी ओर युवाओं को उपयुक्त आजीविका अवसर प्रदान करने के लिए मांग आधारित दीर्घकालित व अल्पकालिक दोनों व्यावसायिक प्रशिक्षण चलाना है।

(iv) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वामपंथ अतिवाद प्रभावित अतिसंवेदनशील 27 जिलों के युवाओं के लिए आजीविका कौशल (रोजगार देने से जुड़ी कौशल विकास स्कीम) के भीतर एक नया कौशल विकास कार्य प्रारंभ किया है जो "रोशनी कहलाती है; और

(v) जनजातीय कार्य मंत्रालय वामपंथ अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित पैन भारत आधार पर सर्वत्र लागू होने वाली योजनाएं भी कार्यान्वित करता है जो देश की जनजातीय जनसंख्या के आर्थिक, शैक्षिक व सामाजिक विकास के लिए हैं।

(ग) ये स्कीमें ऐसे क्षेत्रों में जनजातियों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार व कार्यान्वित की जा रही हैं तथा जनजातीय लोगों को स्कीमों का लाभ मिल रहा है जैसा कि उचित निगरानी व परिश्रम के बाद स्कीमों के जारी रहने से दिखाई दे रहा है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, इसका उल्लेख किया जा सकता है कि वामपंथ अतिवाद प्रभावित जिलों के लिए एकीकृत कार्रवाई योजना/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की पारदर्शी रूप से निगरानी की जा रही है। राज्य का विकास आयुक्त/राज्य में विकास का समकक्ष प्रभारी अधिकारी राज्य में स्कीम के व्यय की संवीक्षा और निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है। स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए योजना आयोग में बैठकें/वीडियो संगोष्ठी नियमित रूप से होती है।

[अनुवाद]

आवास ऋण संबंधी ब्याज सहायता

1371. श्री बी.वी. नाईक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आवास ऋण संबंधी ब्याज सहायता के विद्यमान ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ख) ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि संवितरित की गई और कितने ऋण की वसूली की गई;

(ग) क्या आवास ऋण में सहकारी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा हाउसिंग इंडस्ट्री में इसका कितना हिस्सा है; और

(घ) सरकार द्वारा गृह ऋण के लिए ब्याज दरों को वहनीय स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) 1% ब्याज सहायता योजना (आईएसएस) में 10 लाख रुपए तक के सभी व्यक्तिगत आवास ऋणों पर 1% की ब्याज सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते कि यूनिट की लागत 20 लाख रुपए से अधिक न हो। वित्त वर्ष 2011-12 से योजना को 15 लाख तक के उन आवास ऋणों तक बढ़ाया गया था जहां पर मकान की लागत 25 लाख रुपए से अधिक न हो। योजना 01.10.2009 से 31.03.2013 तक प्रचालनरत थी।

इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) वर्गों की आवास ऋणों की वहनीयता में सुधार लाने के लिए आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एमएचयूपीए) ने ईडब्ल्यूएस/एलआईजी व्यक्तियों को मकान के अधिग्रहण/निर्माण के लिए 26.12.2008 को शहरी गरीब के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी) कार्यान्वित की। योजना में 1 लाख रुपए तक की ऋण राशि के लिए ऋण की समस्त अवधि के लिए प्रारंभिक आधार पर 5% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना 30.09.2013 से समाप्त कर दी गयी है।

एमओएचयूपी ने शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्गों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त साधन के तौर पर 01.10.2013 से ब्याज सब्सिडी योजना को संशोधित करते हुए उसे राजीव ऋण योजना (आरआरवाई) का नया नाम दिया है। योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी उधारकर्ताओं को वित्तीय संस्थाओं (एफआई) द्वारा 5 लाख रुपए तक के आवास ऋणों पर 5% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। आरआरवाई के अंतर्गत, ऋण की राशि को ईडब्ल्यूएस के लिए 5 लाख रुपए तक तथा एलआईजी लाभार्थियों के लिए 8 लाख तक संशोधित किया गया है। तथापि, दोनों श्रेणियों के लिए लाभार्थियों के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने योजनाओं अर्थात् आईएसएचयूपी तथा 1% आईएसएस के अंतर्गत कुल 445.26 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं। आरआरवाई के अंतर्गत कोई संवितरण नहीं हुआ है। दो योजनाओं के अंतर्गत किए गए संवितरणों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे तालिकाओं में दर्शाया गया है:—

1% ब्याज सहायता योजना

(करोड़ रुपए)

वित्तीय वर्ष	बैंक	एचएफसी	कुल
2010-11	21.22	17.32	38.54
2011-12	170.14	129.86	300
2012-13	333.02	103.57	436.59

शहरी गरीब के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी योजनाः

(करोड़ रुपए)

संवितरित सब्सिडी की राशि	कुल					कुल
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
	0.37	3.41	2.89	1.18	0.82	8.67

(ग) मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) तथा शहरी-सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा प्रदान किए गए आवास ऋण का विवरण निम्नानुसार है:—

आवास में ऋण

एमसीबी द्वारा	यूसीबी द्वारा
5.4 लाख करोड़ रुपए	15232 करोड़ रुपए

(घ) आरबीआई द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 01.07.2010 से बैंक आधार दर के संदर्भ में ऋणों और अग्रिमों पर अपनी वास्तविक उधार दर निर्धारित करते हैं। विनिर्दिष्ट छूटों को छोड़कर सभी श्रेणी के ऋणों का बैंक के अपने बोर्डों के अनुमोदन से घोषित उनकी आधार दर के संदर्भ में ही मूल्य निर्धारण किया जाता है।

एयर इंडिया को उबारने के लिए पैकेज

1372. श्री ओम प्रकाश यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय पैकेज स्वीकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पैकेज को स्वीकृति देने के क्या कारण हैं, जो कि दूसरी विमानन कंपनियों के लिए उपलब्ध नहीं है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक एयर इंडिया (भारत सरकार का उद्यम) को हुए भारी घाटे और उसके बढ़ते ऋण भार को देखते हुए, सरकार ने एयर इंडिया के परिचालन और वित्तीय निष्पादन में सुधार के लिए एक पुनरुद्धार योजना और वित्तीय पुनर्संरचना योजना बनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने एयर इंडिया की पुनरुद्धार योजना और वित्तीय पुनर्संरचना योजना को 12.04.2012 को अनुमोदित किया था, जिसमें सरकार द्वारा अतिरिक्त इक्विटी प्रदान किए जाने, लागत में कटौती और बेहतर परिचालन निष्पादन की व्यवस्था है। पुनरुद्धार योजना के तहत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता इस प्रकार है:—

(i) 6,750 करोड़ रुपए की अग्रिम इक्विटी लगाना।

(ii) वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2017-18 तक 4,552 करोड़ रुपए की नकद घाटा सहायता के लिए इक्विटी।

(iii) पहले से गारंटीशुदा विमान ऋण के लिए वित्त वर्ष 2021 तक 18,929 करोड़ रुपए की इक्विटी।

(iv) मूलधन की अदायगी और 7,400 करोड़ रुपए के अपरिवर्तनीय डिबेंचर पर ब्याज के भुगतान के लिए एयर इंडिया द्वारा वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, एलआईसी और ईपीएफओ को भारत सरकार की गारंटी जारी किए जाने का प्रस्ताव।

फोकस मार्केट स्कीम के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन

1373. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉटन, यार्न, प्याज और लौह अयस्क सहित कुछ उत्पादों की आउटबाउंड खेपों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप फोकस मार्किट स्कीम के अंतर्गत निर्यातकों को प्रोत्साहन के लाभ नहीं मिल पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) से (ग) जी, हां। विदेश व्यापार नीति के तहत कतिपय वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध/रोक है। इन वस्तुओं में निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे, सभी जंगली जानवर, लकड़ी और अर्ध-निर्मित लकड़ी के उत्पाद, दलहन (कुछ अपवादों को छोड़कर),

खाद्य तेल (कुछ अपवादों को छोड़कर), पादप और साइट्स सूची और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत आने वाले पादपों के भाग, चारा, कतिपय प्रकार के उर्वरक, कतिपय प्रकार के रसायन, लकड़ी की लुगदी आदि तथा विशेष रसायन, जीव, सामग्री उपकरण और प्रौद्योगिकियां (स्कोमेट) के तहत आने वाली वस्तुएं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, देश में विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अस्थायी रोक लगाई जाती है। तद्नुसार, कुछ वस्तुओं पर कतिपय रोक लगाई गई है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:—

(i) कॉटन और कॉटन यार्न का निर्यात विदेश व्यापार महानिदेशालय के साथ संविदाओं के पंजीकरण हेतु मुक्त रूप से अनुमत विषय है।

(ii) घरेलू बाजारों में प्याज के बढ़ते मूल्यों को देखते हुए सरकार ने हाल ही में आउटबाउंड खेपों पर न्यूनतम निर्यात मूल्य अधिरोपित किया है।

(iii) ऐसे लौह-अयस्क का निर्यात जिसमें (क) लौह की मात्रा 64 प्रतिशत और इससे अधिक हो (ख) केआईओसीएल द्वारा उत्पादित निम्न श्रेणी का अयस्क जिसमें लौह की मात्रा 40 प्रतिशत अथवा इससे कम हो, के शोधन तथा/अथवा सांद्रण द्वारा तैयार लौह सांद्र (ग) केआईओसीएल द्वारा विनिर्मित लौह अयस्क गोलियों को मद (क) के मामले में एमएमटीसी के जरिए तथा मद (ख) और (ग) के मामले में केआईओसीएल के जरिए सारणीबद्ध किया जाता हो।

फोकस मार्केट स्कीम के तहत कॉटन, कॉटन यार्न और लौह अयस्क के निर्यात पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये वस्तुएं अपात्र निर्यात श्रेणी के तहत आती हैं।

आर्थिक वृद्धि

1374. श्री रवनीत सिंह : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्थिक वृद्धि का उच्चतम सतत स्तर हासिल करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति तैयार/क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक तैयार/क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति सरकार के विचाराधीन है।

मांस निर्यातकों के विरुद्ध जांच

1375. श्री असादूद्दीन ओवैसी :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कुछ मांस निर्यातकों के विरुद्ध आयकर (आईटी) जांच का ब्यौरा मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राजस्व विभाग की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) अनुरोध किये जाने पर या अन्य किसी भी प्रकार से विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जांच के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे अनुरोधों एवं सूचना के आदान-प्रदान करने के ब्यौरों को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के प्रत्युत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

रक्षा बलों का आधुनिकीकरण

1376. श्री रत्न लाल कटारिया : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रक्षा बलों का आधुनिकीकरण की रफ्तार महत्वपूर्ण रूप से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में रक्षा बलों का आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित/जारी/उपयोग की गई धनराशि को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा रक्षा बलों का आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण एक सतत्

रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जो 15 वर्षीय दीर्घकालिक एकीकृत सदर्शी योजना (एलटीआईपीपी), पंचवर्षीय सर्विसेज पूंजी अधिग्रहण योजना (एससीएपी) और वार्षिक अधिप्राप्ति योजना (एएपी) के अनुसार की जाती है।

रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त बजटीय आवंटन किए जाते हैं। रक्षा आधुनिकीकरण व्यय में काफी वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां निम्नलिखित हैं:—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2011-12	56510.49	53292.30	56281.88
2012-13	66032.24	57395.46	58768.86
2013-14	73444.59	66406.41	66850.30
2014-15	75148.03	—	—

ग्रामीण अवसंरचना के विकास हेतु निधि

1377. **श्री सी.एस. पुट्टा राजू :**
श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे :
श्री राहुल कस्वां :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में बनाए गए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण अवसंरचना के विकास हेतु आरआईडीएफ के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए संवितरित किए गए ऋण का कर्नाटक और राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाबार्ड का विचार ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत ग्रामीण अवसंरचना के विकास में लगी निजी कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नाबार्ड की सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना ग्रामीण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को कम लागत निधि सहायता देने के उद्देश्य से नाबार्ड में वर्ष 1995-96 में की गई थी। आरआईडीएफ का प्रत्येक वार्षिक भाग वाणिज्यिक बैंकों, इनमें भारत में परिचालनरत निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं, की जमाओं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्य तथा/या कृषि को उधार देने तथा/या कमजोर वर्गों को उधार देने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी से पूरा किया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (30 जून, 2014 तक) के दौरान कर्नाटक और राजस्थान राज्य सहित विभिन्न राज्यों को संवितरित ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आरआईडीएफ के अंतर्गत नाबार्ड राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों/राज्य सरकार के उपक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। गैर-राजकीय संस्थाओं को आरआईडीएफ से वित्तपोषण नहीं किया जा सकता है। तथापि, मालगोदाम अवसंरचना निधि के अंतर्गत नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत अवसंरचना विकास में लगी गैर-राजकीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता दे सकता है।

(ङ) यद्यपि आरआईडीएफ परियोजनाओं की निगरानी का मूल दायित्व राज्य सरकारों का है, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, अत्यधिक लागत से बचने, गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने और नए निवेश अवसरों के लिए नाबार्ड परियोजनाओं की मॉनीटरिंग करता है। नाबार्ड द्वारा क्षेत्र स्तरीय मॉनीटरिंग के अलावा संबंधित राज्य के मुख्य/वित्त सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्रापत समिति (एचपीसी) प्रत्येक राज्य में आरआईडीएफ के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रभावी मंच हो सकता है।

विवरण

आरआईडीएफ – पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (2014-15) के दौरान आरआईडीएफ के अंतर्गत संवितरण ऋणों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2011					2012				
		सिंचाई	ग्रामीण संयोजकता	सामाजिक क्षेत्र	कृषि से संबंधित	योग	सिंचाई	ग्रामीण संयोजकता	सामाजिक क्षेत्र	कृषि से संबंधित	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	362.77	304.19	214.42	147.04	1028.42	603.07	444.61	216.13	157.45	1421.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	74.05	0.48	31.06	105.59	0.00	43.48	2.01	9.92	55.41
3.	असम	3.28	113.67	0.00	12.47	129.42	0.00	203.89	0.00	47.38	251.27
4.	बिहार	96.11	458.26	16.75	67.23	638.35	79.06	700.10	4.16	119.04	902.36
5.	छत्तीसगढ़	124.51	28.08	0.00	0.00	152.59	40.51	225.83	0.00	22.05	288.39
6.	गोवा	58.43	16.36	2.83	1.10	78.72	44.94	62.92	0.85	0.00	108.71
7.	गुजरात	425.74	95.02	177.16	82.08	780.00	730.71	53.69	757.78	57.82	1700.00
8.	हरियाणा	103.19	38.88	86.05	36.44	264.53	101.11	125.66	59.41	36.19	322.37
9.	हिमाचल प्रदेश	135.53	134.19	0.00	30.28	300.00	90.73	211.79	92.79	4.69	400.00
10.	जम्मू और कश्मीर	7.69	356.74	71.12	9.30	444.85	35.29	299.55	59.55	18.61	413.00
11.	झारखंड	9.94	519.49	68.09	35.68	633.20	0.53	586.60	162.87	0.00	750.00
12.	कर्नाटक	134.45	378.97	153.04	72.20	738.66	131.74	402.69	107.11	107.54	749.08
13.	केरल	44.10	121.66	146.14	136.63	448.53	46.43	124.27	155.81	83.49	410.00
14.	मध्य प्रदेश	855.25	337.93	35.04	21.78	1250.00	862.82	307.76	35.19	44.24	1250.01
15.	महाराष्ट्र	334.36	467.68	92.05	105.94	1000.00	217.93	390.08	43.76	33.50	685.27
16.	मणिपुर	5.02	0.00	22.00	23.00	50.02	43.40	0.00	0.00	0.60	44.00
17.	मेघालय	6.30	41.72	12.97	17.83	78.82	9.94	27.09	0.00	13.88	50.91
18.	मिज़ोरम	0.00	36.09	9.30	11.90	57.29	0.00	3.04	5.98	33.44	42.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	नागालैंड	0.00	25.04	0.00	20.28	45.32	0.00	29.00	0.00	19.20	48.20
20.	ओडिशा	261.64	437.07	4.10	109.04	811.85	276.43	533.12	0.64	135.06	945.24
21.	पुदुचेरी	4.64	24.05	26.31	0.00	55.00	6.39	12.08	6.95	0.00	25.43
22.	पंजाब	61.34	149.08	76.41	161.07	447.90	120.03	22.43	9.57	37.96	190.00
23.	राजस्थान	104.27	495.33	355.37	75.13	1030.10	20.18	689.75	220.38	219.79	1150.10
24.	सिक्किम	0.00	25.57	3.93	0.50	30.00	5.00	48.87	16.80	3.91	74.58
25.	तमिलनाडु	117.71	453.30	400.70	89.02	1054.73	144.87	489.02	321.79	261.15	1216.8
26.	त्रिपुरा	6.98	84.88	8.14	0.00	100.00	0.00	140.76	1.40	2.10	144.26
27.	उत्तर प्रदेश	465.04	452.61	0.00	345.12	1262.77	645.91	363.35	46.58	357.28	1413.12
28.	उत्तराखंड	86.09	238.29	0.00	25.62	350.00	118.75	279.16	0.00	42.09	440.00
29.	पश्चिम बंगाल	110.45	426.10	17.39	246.06	800.00	38.30	477.29	13.72	270.69	800.00
	योग	3918.83	6334.30	1999.73	1913.80	14166.66	4414.07	7297.89	2441.23	2139.07	16292.26

—जारी

आरआईडीएफ — पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (2014-15) के दौरान आरआईडीएफ के अंतर्गत संवितरण ऋणों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2013					2014-15 (अप्रैल से जून 2014)				
		सिंचाई	ग्रामीण संयोजकता	सामाजिक क्षेत्र	कृषि से सबंधित	योग	सिंचाई	ग्रामीण संयोजकता	सामाजिक क्षेत्र	कृषि से सबंधित	योग
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	87.07	350.44	235.16	82.25	754.92	14.91	50.97	29.77	84.88	180.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	50.00	17.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	2.13	92.32	0.00	31.49	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	74.74	1135.25	9.47	105.59	1325.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	41.29	567.60	33.77	31.72	674.38	9.27	78.25	0.00	0.00	87.52

6.	गोवा	24.76	85.05	10.12	0.00	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1231.94	98.47	262.78	158.86	1752.05	206.95	0.00	4.51	0.00	211.46
8.	हरियाणा	70.86	182.65	125.82	41.46	420.79	19.74	15.63	0.00	0.00	35.37
9.	हिमाचल प्रदेश	59.59	230.72	42.12	17.58	350.01	24.90	75.42	20.63	0.00	120.95
10.	जम्मू और कश्मीर	10.09	231.07	31.87	4.28	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	0.00	636.79	100.39	12.83	750.01	75.74	0.00	0.00	0.00	75.74
12.	कर्नाटक	127.97	332.79	89.35	67.84	617.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	65.49	191.94	101.87	133.14	492.44	17.55	14.96	46.66	49.12	128.29
14.	मध्य प्रदेश	730.43	308.68	84.01	126.87	1249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	140.92	410.39	20.02	94.07	665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	5.50	14.32	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	5.35	16.67	12.83	16.82	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिज़ोरम	0.00	14.30	1.61	25.56	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	39.96	0.00	15.32	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	254.54	467.21	0.00	280.20	1001.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पुदुचेरी	2.85	24.81	15.48	2.57	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	पंजाब	171.07	166.89	21.88	165.06	524.90	9.11	40.59	0.00	0.00	49.70
23.	राजस्थान	55.60	847.10	463.45	182.94	1549.09	18.60	30.91	0.00	79.70	129.21
24.	सिक्किम	2.00	45.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	139.90	503.69	238.81	386.45	1268.85	36.64	0.42	0.00	0.00	37.06
26.	त्रिपुरा	0.00	124.28	16.05	9.67	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	732.57	299.77	16.04	294.20	1342.59	17.63	0.00	0.00	20.22	37.85
28.	उत्तराखंड	222.12	284.25	0.00	38.64	545.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	92.22	460.47	35.95	478.91	1067.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	4345.50	8198.58	1991.36	2818.63	17354.07	451.04	307.15	101.57	233.92	1093.68

स्रोत: नाबार्ड।

भारतीय बच्चों का दत्तक ग्रहण

1378. श्री मोहम्मद फैजल : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए वर्तमान दिशानिर्देश क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का इन दिशानिर्देशों में संशोधन करने का विचार या कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) की भूमिका और कार्य क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के तहत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए विद्यमान दिशानिर्देश जून, 2011 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित "बच्चों के दत्तक ग्रहण को अभिशासित करने वाले दिशानिर्देश" हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। विद्यमान दिशानिर्देशों को संशोधित करने का कारण प्रक्रिया को और सरल बनाना तथा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के विलंब को न्यूनतम करना है। विद्यमान दिशानिर्देशों में किए गए कुछ परिवर्तन इस प्रकार हैं: सभी बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) के अनाथ/परित्यक्त/पुनः छोड़ दिए बच्चों की प्रक्रिया में दत्तक ग्रहण प्रणाली से सहलग्नता के लिए प्रावधान : अप्रवासी भारतीय दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता-पिताओं को घरेलू दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता-पिता के समान मानना; गृह अध्ययन रिपोर्ट की पूर्ति की समय-सीमा को घटाकर 2 माह से 1 माह करना; अंतरदेशीय परिवार/संबधी दत्तक ग्रहण के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना।

(घ) कारा की भूमिका और प्रकार्य देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहणों को विनियमित करना है।

(ङ) जी, नहीं। सरकार का देश के प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 26 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियां कार्य कर कर ही हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन

1379. श्री राजीव सातव :
श्री सी.एन. जयदेवन :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री धनंजय महाडीक :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन/पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों और अन्य पणधारकों के साथ चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो इस चर्चा के परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा नए कंपनी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अन्य क्या उपाए किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 के आधे से कुछ अधिक उपबंध 01.04.2014 से प्रवृत्त हुए। इसके पश्चात् कई पत्र कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में प्राप्त हुए जिनमें इन उपबंधों से संबंधित कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, अथवा उनके संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया। इन कठिनाइयों को समझने और उपबंधों को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय कॉर्पोरे शासन प्रतिष्ठान के तत्वाधान में 21.06.2014 को नई दिल्ली में एक परस्पर विचार-विमर्श सत्र का आयोजन किया गया। विचारों के आदान-प्रदान से कई बिन्दुओं का समाधान हुआ। कठिनाइयों को दूर करने के लिए, अधिनियम की धारा 470 के अधीन आदेश द्वारा विस्तृत विवरण देने, कतिपय नियमों में संशोधन और स्पष्ट करने वाले परिपत्र जारी करने तथा उपयुक्त छूट प्रदान करने के लिए भी बिन्दुओं की पहचान की गई है।

अधिनियम की धारा 462 के अधीन चार प्रारूप अधिसूचनाएं संसद के पटल पर एक महीने के लिए रखी गई हैं। अधिक स्पष्टता हेतु परिपत्र

जारी किए जा चुके हैं। उपर्युक्त उपाय अपर्याप्त पाए जाने पर अधिनियम में संशोधन पर विचार किया जाएगा।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

1380. श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री बदरुद्दीन अजमल :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों हेतु कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व को नए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित करके स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकलापों पर इनके लाभ का दो प्रतिशत व्यय को अनिवार्य करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्यमान सीएसआर नीति में सीएसआर के अंतर्गत किस प्रकार के कार्यकलाप करने की अनुमति है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त कंपनियों हेतु विद्यमान सीएसआर में अधिक कार्यकलापों को शामिल करने और व्यय को बढ़ाने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सीएसआर के अंतर्गत महानवरत्न तथा नवरत्न कंपनियों सहित कंपनियों द्वारा औसतन कितना वार्षिक व्यय किया गया है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सीएसआर के अंतर्गत उक्त कंपनियों द्वारा निधियों के दुरुपयोग के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सरकार ने सीएसआर के अंतर्गत उक्त कंपनियों द्वारा निधियों के दुरुपयोग की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सीएसआर का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और उक्त कंपनियों द्वारा इसमें निधियों के युक्तियुक्त उपयोग के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कतिपय न्यूनतम टर्नओवर अथवा निवल मूल्य अथवा निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी के लिए पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का न्यूनतम दो प्रतिशत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर व्यय करने का अधिदेश है। इसके तहत किए जाने वाले कार्यकलाप अधिनियम की अनुसूची-VII में दिए गए हैं, संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में घोषणा की गई है, 'स्लम विकास' को भी अनुसूची-VII में जोड़ने का प्रस्ताव है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, सीएसआर नीति के कार्यान्वयन के निगरानी का दायित्व कंपनी के बोर्ड का है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम के अधीन लेखापरीक्षा से भी इस पर प्रभाव निगरानी होगी। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के उचित कार्यान्वयन के लिए कॉपोरेट को मार्गनिर्देशित कराने हेतु मंत्रालय 18.06.2014 के सामान्य परिपत्र *(http://www.mca.gov.in)*, के माध्यम से स्पष्टीकरणों की एक शृंखला जारी की है जो उन मामलों से संबंधित हैं जो अधिनियम या नियम में शामिल नहीं है पर सीएसआर नीतियों के सुचारू कार्यान्वयन में मददगार हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बने नियमों के अधीन कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी उपबंध हाल ही में अर्थात् 01.04.2014 से लागू हुए हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत कंपनियों द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे, कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय के अनिवार्य प्रकटीकरण, जो उन्हें वित्त वर्ष 2014-15 के पूरा होने के छः माह के भीतर देने हैं, यानी, सितंबर, 2015 के बाद ही कॉपोरेट कार्य मंत्रालय में उपलब्ध होंगे। लोक उद्यम विभाग ने सूचित किया है कि महारत्न कंपनियों द्वारा सीएसआर कोष के दुरुपयोग संबंधी कोई शिकायत उनके संज्ञान में नहीं है।

विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में शामिल कार्यकलाप

किसी कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन किए जा सकने वाले कार्यकलापों को अधिनियम की अनुसूची-VII जिसे दिनांक 27.02.2014 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था, में विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूची-VII में निम्नलिखित मदें सूचीबद्ध हैं:—

(i) भुखमरी, गरीबी, कुपोषण दूर करना; निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और साफ-सफाई एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना;

(ii) विशेष शिक्षा समेत - शिक्षा और रोजगार का संवर्धन जिससे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और अक्षम व्यक्तियों के व्यवसायिक कौशल में वृद्धि हो और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएं;

(iii) स्त्री-पुरुष समानता संवर्धन और महिला सशक्तीकरण, महिलाओं एवं अनाथों के लिए घरों और होस्टलों की स्थापना

करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था आवासों, डे केयर सेंटरों और इसी प्रकार की सुविधाओं की स्थापना करना और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के समक्ष पेश आने असमानता को कम करने के उपाय करना;

(iv) पर्यावरणीय संपोषणीयता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति और जीव-जंतुओं की रक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी सुनिश्चित करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता बनाए रखना;

(v) राष्ट्रीय धरोहर, कला व संस्कृति का संरक्षण करना, जिसमें भवनों तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थलों एवं कलाकृतियों का जीर्णोद्धार शामिल है; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करना; पारंपरिक कलाओं और हस्तकलाओं का संवर्द्धन एवं विकास करना;

(vi) सशस्त्र बल के अनुभवी सैनिकों, युद्ध में शहीद जवानों की विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण हेतु उपाय;

(vii) ग्रामीण, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक और ओलंपिक खलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण;

(viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और महिलाओं के सामाजिक — आर्थिक विकास और राहत तथा कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य कोष में अंशदान;

(ix) केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षिक संस्थानों में स्थित टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटरों के लिए अंशदान देना या निधियां उपलब्ध करना;

(x) ग्रामीण विकास परियोजनाएं।

[हिन्दी]

ब्याज दरों में भिन्नता

1381. श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री राजीव प्रताप रूडी :
श्री सुनील कुमार सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा गृह/कार/शिक्षा ऋण आदि पर भिन्न दरों से ब्याज वसूले जाने के संबंध में ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त ऋण पर वसूली जा रही ब्याज की वर्तमान ऋण प्रदान करने की बैंक-वार दर क्या है;

(ग) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वसूली जा रही ब्याज दरों में भिन्नता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेशकश की जा रही ब्याज दर को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक का ग्राहकों को एक-समान ब्याज दर दिए जाने के लिए सभी बैंकों को अनुदेश जारी करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) बैंकों द्वारा दिए जा रहे आवास, वाहन एवं शिक्षा ऋणों पर ब्याज दर बैंक-दर-बैंक अलग-अलग हो सकती है, परंतु किसी बैंक विशेष के लिए यह दर पूरे देश में एक समान होगी। मई, 2014 की स्थिति के अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के आवास, वाहन एवं शिक्षा ऋणों के संबंध में बैंक-वार ब्याज दर संलग्न विवरण में दी गई है।

बैंकों की उधार दरों को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है और इन दरों का निर्धारण बैंकों के बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित उनके वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर बैंकों द्वारा ही किया जाता है। उधारकर्त्ताओं से प्रभारित उधार दरें विस्तार, जोखिम प्रीमियम, मियाद प्रीमियम आदि में फैक्टरिंग के पश्चात् बैंकों की "आधार दर" और उपयुक्त समझा जाने वाला ग्राहक विशेष प्रभार पर आधारित होता है। बैंकों की लागत, व्यवसाय पद्धति, मार्जिन आदि में भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उधारकर्त्ताओं को एक समान ब्याज दर पर ऋण देने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के बोर्ड को उपयुक्त आंतरिक सिद्धांत तथा प्रक्रियाएं निर्धारित करने की सलाह दी है ताकि ऋणों एवं अग्रिमों पर उनके द्वारा (प्रोसेसिंग एवं अन्य प्रभार सहित) अत्यधिक ब्याज न लगाया जाए।

विवरण

तालिका: चयनित क्षेत्रों के संबंध में बैंक-वार उधार दर-मई, 2014

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक	आवास				वाहन				शिक्षा			
		ब्याज दर		60 प्रतिशत या अधिक व्यवसाय के संबंध में ब्याज दर		ब्याज दर		60 प्रतिशत या अधिक व्यवसाय के संबंध में ब्याज दर		ब्याज दर		60 प्रतिशत या अधिक व्यवसाय के संबंध में ब्याज दर	
		न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
सरकारी क्षेत्र के बैंक													
1.	इलाहाबाद बैंक	10.25	13.25	11.00	11.00	10.75	13.25	10.95	12.25	11.75	13.50	13.25	13.25
2.	आंध्रा बैंक	10.25	14.50	10.25	11.50	11.25	16.50	11.25	14.50	11.75	15.00	11.75	13.00
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25	10.25	10.25	10.25	10.50	10.50	10.50	10.50	12.00	12.75	12.00	12.75
4.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	10.40	12.00	10.40	12.00	10.40	15.50	10.40	12.50	12.25	13.25	12.25	13.25
5.	बैंक ऑफ इंडिया	10.75	17.00	10.75	11.75	10.20	14.50	12.75	13.25	13.25	14.25	13.25	13.50
6.	केनरा बैंक	10.45	14.50	10.45	14.20	12.75	13.50	12.75	13.50	11.20	16.50	11.20	14.00
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	10.00	16.25	10.00	15.25	10.00	16.25	10.00	15.25	10.00	16.25	10.00	15.25
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	10.25	16.30	10.50	14.10	10.25	13.75	12.50	13.60	10.25	12.85	10.90	12.60
9.	देना बैंक	10.25	16.75	10.25	11.75	10.25	16.75	10.95	11.80	10.25	16.75	10.25	12.00
10.	आईडीबीआई बैंक	10.25	23.00	10.25	11.90	3.00	22.25	9.75	10.25	4.00	18.50	10.75	13.00
11.	इंडियन बैंक	9.50	13.20	9.50	12.20	10.25	14.45	10.25	11.45	12.00	12.50	12.00	12.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	10.25	11.25	10.25	11.25	10.75	10.75	10.75	10.75	12.00	13.50	12.25	13.50
13.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	8.00	16.75	10.25	12.50	8.00	17.00	10.85	13.00	8.75	15.00	12.75	13.00
14.	पंजाब नेशनल बैंक	10.75	13.25	11.00	13.00	12.25	14.75	12.25	14.00	11.75	14.25	13.00	14.00
15.	पंजाब एंड सिंध बैंक	10.50	13.00	10.50	12.25	11.00	13.25	11.00	13.25	12.25	14.50	12.25	13.50
16.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	4.00	19.00	10.00	13.45	4.00	20.65	10.30	14.75	4.00	17.20	10.00	10.00
17.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	7.50	13.25	8.50	13.00	7.00	18.25	7.00	14.00	4.00	14.25	4.00	13.50
18.	भारतीय स्टेट बैंक	4.00	14.00	9.00	11.00	6.00	20.00	10.50	12.00	8.00	15.00	13.00	15.00
19.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	5.00	14.50	10.25	12.00	10.75	17.50	11.00	12.75	12.00	14.25	12.00	13.50
20.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	6.00	14.75	10.25	10.50	7.00	17.00	1.50	14.75	12.00	13.00	12.00	13.00
21.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	10.25	14.50	10.25	11.00	10.25	14.00	11.00	12.50	13.25	14.00	13.75	14.00
22.	सिडिंकेट बैंक	10.25	10.65	10.25	10.50	13.00	14.00	13.75	14.00	11.50	13.00	12.75	13.00
23.	यूको बैंक	10.50	13.25	10.50	12.00	12.50	14.25	12.60	13.75	4.00	14.25	4.00	12.50
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.25	11.00	10.25	11.00	10.70	15.00	11.50	14.25	11.75	12.50	12.00	12.25
25.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	10.50	10.80	10.50	10.80	12.05	12.55	12.05	12.55	12.25	13.00	12.25	13.00
26.	विजया बैंक	4.00	18.75	8.00	12.75	8.50	20.00	10.00	13.25	10.25	15.75	10.50	14.75
	निजी क्षेत्र के बैंक												
27.	एक्सिस बैंक लि.	6.00	13.25	6.00	10.30	8.00	16.75	8.00	10.75	8.00	18.25	8.00	12.75
28.	कैथोलिक सीरियान बैंक लि.	8.00	14.25	10.00	11.50	9.00	15.25	11.00	12.50	9.50	17.75	14.00	16.25

29.	सिटी यूनियन बैंक लि.	4.25	19.25	11.00	13.00	8.25	13.50	8.25	12.00	10.00	18.75	14.25	15.75
30.	डेवलपमेंन्ट सीआर बैंक लि.	11.00	14.00	11.00	13.00	11.00	15.00	12.00	14.00	12.00	14.00	12.00	14.00
31.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	5.00	23.25	8.00	17.75	5.00	28.25	9.75	19.75	8.50	23.85	13.00	18.00
32.	फेडरल बैंक लि.	10.55	12.55	10.55	12.00	10.55	16.30	10.55	12.30	10.55	15.55	14.30	14.55
33.	एचडीएफसी बैंक लि.	9.74	11.11	9.75	11.09	10.01	22.01	10.01	16.00	11.00	14.00	11.00	14.00
34.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	7.25	17.00	10.25	11.25	8.75	17.50	10.50	11.75	10.00	20.00	10.00	18.75
35.	इंडसइंड बैंक	9.25	12.50	11.00	11.00	21.00	27.00	23.00	24.00	10.00	16.75	10.00	12.00
36.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	2.75	18.35	10.85	13.00	6.78	18.00	11.00	12.50	10.80	20.35	19.30	19.35
37.	जे एंड के बैंक लि.	4.50	17.00	10.50	15.00	7.75	16.00	10.75	14.50	7.00	16.00	11.50	13.50
38.	कर्नाटका बैंक लि.	4.00	15.25	10.75	11.25	11.25	19.85	13.50	15.75	12.25	15.25	13.25	15.25
39.	करूर वैश्य बैंक लि.	11.50	11.50	11.50	11.50	12.00	16.00	12.00	13.25	13.50	15.00	13.50	14.75
40.	कोटक महिंद्रा बैंक	11.89	18.53	12.25	14.94	10.18	13.51	10.54	12.10	9.84	16.78	10.50	13.84
41.	लक्ष्मी विकास बैंक लि.	11.25	20.35	11.25	16.25	12.25	20.35	12.50	16.75	11.25	20.35	11.25	20.35
42.	नैनीताल बैंक	10.25	13.75	10.25	12.50	10.50	13.25	11.50	13.25	12.25	15.75	12.25	14.25
43.	रत्नाकर बैंक लि.	11.00	22.00	11.00	16.25	11.00	20.00	11.00	17.25	11.00	17.25	11.00	17.25
44.	साउथ इंडियन बैंक लि.	10.50	15.00	10.50	14.15	11.00	14.90	11.50	14.90	12.00	16.50	14.00	16.40
45.	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.	11.75	15.50	11.75	13.25	12.75	16.75	12.75	14.75	13.50	14.50	13.75	14.25
46.	येस बैंक लि.	10.50	14.56	10.66	11.12	6.65	13.77	8.81	10.94	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

स्रोत: आरबीआई

शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी फंड

1382. श्री जगदम्बिका पाल :
श्री बी. श्रीरामुलु :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी फंड की लक्ष्य और उद्देश्य सहित मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उच्च शिक्षा हेतु क्रेडिट गारंटी फंड के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण लेने वाले छात्रों की संख्या और प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार को बैंकों द्वारा अनियमितताओं/भ्रष्टाचार और छात्रों को ऋण नहीं देने के बारे में अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंकों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा शिक्षा ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और इस संबंध में छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमओएचआरडी) के निपटानकर्ता के रूप में उसके माध्यम से शिक्षा हेतु ऋण गारंटी निधि की स्थापना को अनुमोदित कर दिया है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

- बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा अन्य पक्ष गारंटी के 4 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण तथा बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के 4 लाख रुपए से अधिक तथा 7.50 लाख रुपए अथवा ऐसी किसी अन्य राशि (राशियों) जो कि समय-समय पर निधि की प्रबंधन समिति द्वारा यथा विनिर्दिष्ट की जाएं।

- चूक की राशि में 75% की अधिकतम सीमा अथवा ऐसी कोई अन्य प्रतिशतता जो कि समय-समय पर निधि की प्रबंधन समिति द्वारा यथा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए गारंटी।

- किसी ऋणदात्री संस्था द्वारा स्वीकृत कोई शिक्षा ऋण जिसमें ब्याज दर ऋणदात्री संस्था की आधार दर से 2% अधिक हो अथवा समय-समय पर निधि की प्रबंधन समिति द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी कोई अन्य दर गारंटी कवर हेतु अर्हक नहीं है।

नाममात्र के एक बारगी प्रसंस्करण शुल्क जो कि स्वीकृत ऋण राशि के 0.25% से अधिक नहीं होगा तथा एक गारंटी शुल्क जो कि समय-समय पर निधि की प्रबंधन समिति द्वारा यथा विनिर्दिष्ट संदर्भ तिथियों को बकाया राशि का 1% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा, का गारंटी कवर प्राप्त करने वाली संस्था को भुगतान करना होगा।

(ख) योजना अभी प्रारंभ की जानी है।

(ग) और (घ) सरकार को जब कभी शिक्षा ऋणों के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं तब उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है। जैसा कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान प्राप्त, निपटाए गए तथा लंबित आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत/ निपटाए गए आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
2011-12	5199	5190	9
2012-13	5355	8264	87
2013-14	5273	5203	70

(ङ) विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा समय-समय पर आदर्श शिक्षा ऋण योजना को संशोधित किया जाता है। ऐसा पिछला संशोधन सितंबर, 2012 में किया गया था। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने बैंकों को परामर्श दिया है कि वे शिक्षा ऋणों पर अपनी शिकायत निवारण प्रणाली का व्यापक प्रचार करें तथा प्रणाली का प्रभावी उपयोग करें। बैंकों को यह भी परामर्श दिया गया है कि शिक्षा ऋण के आवेदनों को संबंधित शाखा के नियंत्रक प्राधिकारी के अनुमोदन से अस्वीकृत किया जाए तथा आवेदकों को अस्वीकृति का कारण लिखित में संप्रेषित किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

कुष्ठरोग का उन्मूलन

1383. प्रो. सौगत राय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुष्ठरोग के मामलों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में कुष्ठरोगियों की कुल संख्या को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अब तक कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है;

(ग) सरकार द्वारा देश से कुष्ठरोग के उन्मूलन हेतु अब तक क्या उपाय किए गए हैं और इसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार किस सीमा तक सफलता हासिल की गई है;

(घ) इस अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधियां आबंटित, जारी और उपयोग की गईं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में कुष्ठरोग के उन्मूलन हेतु क्या नए उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुष्ठरोग के पता लगाए गए मामले निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	कुष्ठरोग के नए मामले
2011-12	127295
2012-13	134752
2013-14	126913

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में रिपोर्ट किए गए कुष्ठरोग के नए मामले तथा कुल संख्या की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I व II में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) में प्रारंभ किए गए उपाय निम्न प्रकार से हैं:

- सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के माध्यम से विकेन्द्रित एकीकृत कुष्ठरोग सेवाएं।
- नए कुष्ठरोग मामलों का शीघ्र पता लगाना व संपूर्ण उपचार।
- कुष्ठरोग मामलों का शीघ्र पता लगाने व संपूर्ण उपचार में प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कमियों (आशाओं) की सहभागिता।
- विकलांगता रोकथाम व चिकित्सा पुनर्वास (डीवीएमआर) सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वयं की रिपोर्टिंग में सुधार करने तथा कलंक को कम करने के लिए समुदाय में सूचना, शिक्षा व संचार (आईईसी) कार्यकलाप।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र में गहन मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण।

भारत ने दिसंबर, 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठरोग उन्मूलन को प्राप्त किया। 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने (छत्तीसगढ़ और दादरा और नगर हवेली को छोड़कर) उन्मूलन स्तर अर्थात् प्रति 10000 जनसंख्या में एक मामला, को प्राप्त कर लिया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, एनएलईपी के तहत आबंटित जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) प्रति 1 लाख जनसंख्या में 10 से अधिक वार्षिक नए मामलों की पहचान दर (एएनसीडीआर) वाले 209 उच्च स्थानिकमारी वाले जिलों को विशेष कार्यकलापों जैसे कि (i) सक्रिय खोज (ii) स्टॉफ का क्षमता निर्माण (iii) जागरूकता अभियान (iv) वर्धित मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण (v) मल्टीबेसिलरी (एमबी) तथा बाल मामले का मान्यकरण।

आशाओं को मामले का पता लगाने और उपचार पूर्ति के लिए अधिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

विवरण-I

पिछले तीन साल के दौरान रिपोर्ट किए गए कुछ मामलों की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशवार संख्या दिखाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुष्ठ मामले		
		31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार मामले	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार मामले	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार मामले
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4933	5235	4909

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	30	47	29
3.	असम	1167	1131	965
4.	बिहार	9440	13017	10100
5.	छत्तीसगढ़	4416	5656	5700
6.	गोवा	53	37	60
7.	गुजरात	4955	4981	5282
8.	हरियाणा	532	692	714
9.	हिमाचल प्रदेश	173	148	157
10.	झारखंड	1996	2276	2457
11.	जम्मू और कश्मीर	207	219	200
12.	कर्नाटक	2834	2789	2800
13.	केरल	868	810	839
14.	मध्य प्रदेश	4685	5369	5399
15.	महाराष्ट्र	12,253	12,659	10,813
16.	मणिपुर	17	23	9
17.	मेघालय	69	29	26
18.	मिज़ोरम	11	18	25
19.	नागालैंड	75	99	123
20.	ओडिशा	4219	4222	6405
21.	पंजाब	676	605	529
22.	राजस्थान	1065	1185	1237
23.	सिक्किम	15	14	15
24.	तमिलनाडु	3074	2930	2993
25.	त्रिपुरा	96	69	47
26.	उत्तर प्रदेश	13,959	14,865	14428
27.	उत्तराखंड	293	262	237

1	2	3	4	5
28.	पश्चिम बंगाल	10034	9855	8242
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21	14	28
30.	चंडीगढ़	59	63	135
31.	दादरा और नगर हवेली	105	135	158
32.	दमन और दीव	3	0	1
33.	दिल्ली	1324	1262	1138
34.	लक्षद्वीप	2	0	0
35.	पुदुचेरी	28	27	34
	कुल	83,687	91,743	86,134

विवरण-II

वर्ष 2011-12, 2013-14 और 2014-15 [31 मई तक 2014 (अनंतिम)] के दौरान रिपोर्ट किए गए कुष्ठ के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार नए मामले

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पता लगाए नए मामले			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (31 मई, 2014 तक (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7820	8295	7108	एनआर
2.	अरुणाचल प्रदेश	28	48	23	3
3.	असम	1000	1147	1048	161
4.	बिहार	17801	22001	18,188	1011
5.	छत्तीसगढ़	6999	8115	8519	1522
6.	गोवा	64	55	72	2
7.	गुजरात	7496	9019	9721	1194
8.	हरियाणा	524	648	622	61
9.	हिमाचल प्रदेश	195	166	161	34
10.	झारखंड	3615	3691	4021	687

1	2	3	4	5	6
11.	जम्मू और कश्मीर	175	191	175	28
12.	कर्नाटक	3718	3436	3466	562
13.	केरल	861	832	782	114
14.	मध्य प्रदेश	5858	6400	6369	1071
15.	महाराष्ट्र	17,892	18,715	16400	2501
16.	मणिपुर	24	24	12	4
17.	मेघालय	41	26	24	4
18.	मिज़ोरम	13	18	30	3
19.	नागालैंड	90	157	158	11
20.	ओडिशा	8312	8226	10645	1296
21.	पंजाब	695	700	648	52
22.	राजस्थान	974	1084	1079	224
23.	सिक्किम	20	19	18	1
24.	तमिलनाडु	4082	350	3810	594
25.	त्रिपुरा	36	23	37	8
26.	उत्तर प्रदेश	24,627	24,222	22,565	3125
27.	उत्तराखंड	499	495	376	60
28.	पश्चिम बंगाल	12169	11,683	9121	1649
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27	14	32	4
30.	चंडीगढ़	54	74	144	46
31.	दादरा और नगर हवेली	237	368	320	25
32.	दमन और दीव	3	1	4	0
33.	दिल्ली	1295	1252	1145	0
34.	लक्षद्वीप	2	0	13	0
35.	पुदुचेरी	49	57	57	10
	कुल	127,295	134,752	126,913	16,067

*एनआर प्राप्त नहीं।

तेलंगाना राज्य के लिए अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-III

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान राज्य/संघ राज्य-वार आबंटन, रिलीज और सहायता अनुदान का व्यय

(रुपए लाख)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
		आवंटन	जीआई रिलीज	व्यय	आवंटन	जीआई रिलीज	व्यय	आवंटन	जीआई रिलीज	व्यय	आवंटन	जीआई रिलीज	व्यय (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	216.02	153.56	175.84	209.61	103.61	135.29	209.61	186.2	130.77	376.44		
2.	अरुणाचल प्रदेश	62.91	48.45	70.25	66.85	47.93	70.64	66.85	55.76	66.80	41.09		
3.	असम	150.28	47.31	54.78	149.10	68.93	77.04	149.10	7.04	89.57	85.72		
4.	बिहार	818.76	565.55	70.58	731.77	0.00	319.04	731.77	466.98	176.15	500.07		
5.	छत्तीसगढ़	203.09	98.78	403.76	167.91	0.00	131.37	167.91	112.42	140.59	180.12		
6.	गोवा	15.16	11.37	11.86	12.14	2.92	9.33	12.14	11.94	8.60	5.94		1.46
7.	गुजरात	181.93	155.85	188.99	239.50	234.91	320.25	239.50	250.08	254.66	111.78	44.61	
8.	हरियाणा	81.71	40.18	55.22	142.93	114.83	99.17	142.93	95.64	94.41	58.06		
9.	हिमाचल प्रदेश	67.91	48.05	37.44	58.91	29.09	35.25	58.91	33.73	35.60	33.58		
10.	झारखंड	218.48	147.88	133.30	220.27	120.82	142.51	220.27	142.63	42.39	200.66		
11.	जम्मू और कश्मीर	84.09	9.12	16.55	102.14	72.85	51.49	102.14	63.27	52.19	42.66		2.13
12.	कर्नाटक	161.80	117.95	135.64	175.24	157.43	153.54	175.24	101.39	199.12	114.55		
13.	केरल	94.00	30.08	54.57	87.01	71.34	60.24	87.01	54.91	61.43	30.02		
14.	मध्य प्रदेश	255.00	130.75	138.24	319.10	194.50	205.94	319.10	82.45	240.37	205.79	26.14	
15.	महाराष्ट्र	329.55	278.67	299.09	413.19	378.66	370.35	413.19	425.18	516.30	397.37		
16.	मणिपुर	46.94	34.88	34.47	45.55	33.02	33.76	45.55	44.77	32.37	15.41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	मेघालय	42.10	24.90	19.20	54.62	43.94	24.32	54.62	22.39	23.33	26.47	6.86	
18.	मिज़ोरम	59.46	30.54	42.40	53.23	34.98	47.85	53.23	47.2	45.24	22.52		
19.	नागालैंड	55.50	55.16	55.30	57.31	56.88	56.95	57.31	57.13	57.03	31.22		
20.	ओडिशा	170.99	81.50	138.28	321.16	301.00	222.20	321.16	206.71	274.02	277.29	151.23	
21.	पंजाब	132.91	68.53	88.66	174.87	149.88	124.35	174.87	130.25	104.83	89.66	8.25	
22.	राजस्थान	157.99	136.61	81.68	138.85	47.73	110.96	138.85	107.72	109.39	75.80		
23.	सिक्किम	45.36	45.36	38.11	35.97	21.61	28.86	35.97	44.73	35.88	17.38		
24.	तमिलनाडु	180.73	149.98	149.78	228.26	98.48	126.07	228.26	228.26	211.72	109.02	41.93	5.02
25.	त्रिपुरा	24.89	15.53	11.36	21.48	12.37	10.79	21.48	7.49	12.49	9.08		0.37
26.	उत्तर प्रदेश	707.08	393.59	217.45	605.70	0.00	396.45	605.70	272.44	0.51	521.00		
27.	उत्तराखंड	53.19	39.12	43.12	53.83	39.53	32.17	53.83	28.4	42.39	20.14	7.99	1.29
28.	पश्चिम बंगाल	233.96	80.37	216.13	289.09	262.42	190.73	289.09	216.9	193.35	210.14		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.10	1.94	4.94	12.47	6.94	8.05	12.47	15.11	13.69	12.64		
30.	चंडीगढ़	21.77	18.10	12.55	18.51	4.60	12.92	18.51	17.21	12.94	7.50		
31.	दादरा और नगर हवेली	16.20	7.18	13.20	26.12	24.14	17.09	26.12	17.09	26.09	21.72		1.58
32.	दमन और दीव	12.23	6.81	7.70	15.37	0.00	9.81	15.37	11.17	6.88	7.12		
33.	दिल्ली	100.80	49.35	55.36	91.27	53.46	67.00	91.27	88.84	79.14	78.22	54.54	
34.	लक्षद्वीप	4.46	0.00	2.43	12.81	8.89	5.30	12.81	8.09	0.00	7.50		
35.	पुदुचेरी	16.01	10.16	11.73	17.57	7.67	12.81	17.57	16.93	12.83	6.32		
	कुल	5,030.36	3,133.96	3,089.96	5,369.71	2,805.36	3,716.85	5,369.71	3,748.45	3,403.07	3,950.00	3,41.55	11.85

[हिन्दी]

संदूषित पेयजल के कारण स्वास्थ्य समस्याएं

1384. श्री अशोक महादेवराव नेते :
श्री अधीर रंजन चौधरी :
डॉ. अरुण कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से संदूषित जल पीने से विशेषरूप से आरसेनिक संदूषित जल के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याओं और मौतों की रिपोर्ट मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या रहे;

(घ) सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल और देश में संदूषित जल से प्रभावित लोगों के उपचार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा औद्योगिक संयंत्र स्थलों के समीप रहने वाले लोगों के बारे में संदूषित जल से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई चिकित्सा सर्वेक्षण कराया गया है/कराया जाना प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) और (ख) दूषित पेयजल पीने से तीव्र अतिसारीय रोगों, आंत्रज्वर (टाइफाइड), वायरल हेपेटाइटिस, हैजा और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) जैसे रोग हो सकते हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 2011-2014 के वर्षों के दौरान इन रोगों की वजह से मामलों और मौतों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-I से V में दी गई है। लंबे समय तक आर्सेनिक दूषित पानी पीने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिसके लिए नियमित रूप से आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते।

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान (एआईआईएच और पीएच), कोलकाता ने पश्चिम बंगाल के छह जिलों अर्थात दक्षिण 24 परगना, उत्तरी 24 परगना, बर्धवान, नादिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जिसमें 400 गांव शामिल हैं, में भारत और कनाडा पर्यावरण सुविधा (आईसीईएफ) परियोजना के तहत एक सर्वेक्षण किया। अर्सेनिकोसिस के 957 मामलों का पता चला (2003-05) जिसमें से 12 लोगों की मृत्यु की सूचना मिली। इसके अलावा, झारखंड के साहेबगंज जिले के 40 गांवों को शामिल किया गया जिसमें 32 मामलें पाए गए। इस परियोजना में 14 विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया और 100 से अधिक आर्सेनिक रिमूलवल संयंत्र स्थापित किए गए और चयनित जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

दूषित पानी पीने के कारण होने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए पीने के सुरक्षित पानी की व्यवस्था करना मुख्य कार्यनीति है। ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। इसके अलावा, पीने के पानी में रासायनिक संदूषण की समस्याओं सामना करने वाले राज्यों और जापानी इन्सेफेलाइटिस तथा तीव्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिलों को एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 5% राशि निर्धारित और आवंटित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए राज्यों को आबंटित एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों के 67% राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, भारत सरकार ने पानी की गुणवत्ता की निगरानी और निगरानी के लिए राज्यों को 100% केन्द्रीय सहायता के आधार पर 3% एनआरडीडब्ल्यूपी निधि का प्रावधान किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जिला/उप जिला जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए नए या उन्नत किए गए प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रयोगशालाओं को रसायन और उपभोग्य पदार्थ प्रदान करना, ग्राम पंचायतों को क्षेत्र परीक्षण किट/रीफिल आदि प्रदान करना शामिल है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी), दिल्ली एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) के तहत जल जनित रोगों के प्रकोप की जांच करने के लिए इसकी रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्तर पर, एनसीडीसी प्रशिक्षित मानव शक्ति के विकास के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन के अलावा, प्रकोप की जांच के लिए प्रयोगशाला सहायता का भी समन्वय करता है।

विवरण-I

वर्ष 2011-2014 के दौरान सूचित तीव्र अतिसारीय रोगों के कारण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मामले और मृत्यु

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011		2012		2013*		2014**	
		मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2235614	107	2092340	100	1721050	100	412,147	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	32,228	11	44,570	7	27,659	3	एनआर	एनआर
3.	असम	96816	16	134,295	147	105,876	147	46,196	21
4.	बिहार	130,276	0	493,559	8	550,281	24	175,374	6
5.	छत्तीसगढ़	64,575	5	108,238	26	104,966	37	41,943	8
6.	गोवा	15146	2	13,696	1	16,485	0	4916	1
7.	गुजरात	367,450	0	410,508	7	427,523	8	182,119	2
8.	हरियाणा	224,223	21	215,111	27	166,882	27	53,366	1
9.	हिमाचल प्रदेश	310,227	51	338,708	58	355,104	56	104,411	13
10.	जम्मू और कश्मीर	544,711	0	550,645	2	591,231	1	161,246	0
11.	झारखंड	98,258	1	72170	6	78,292	4	22,120	5
12.	कर्नाटक	591,989	49	528,347	84	139,819	15	36,976	3
13.	केरल	260,938	0	360,743	10	375,122	11	151,533	1
14.	मध्य प्रदेश	290,705	92	488,743	91	535,012	89	221,798	36
15.	महाराष्ट्र	507,046	4	457,001	1	527,047	0	135,844	0
16.	मणिपुर	17,605	39	27,469	56	25,333	37	10591	12
17.	मेघालय	148,801	20	201,819	19	186,023	12	32,319	15
18.	मिज़ोरम	16,192	11	15957	7	13127	12	4392	1
19.	नागालैंड	30,458	1	20,939	0	21,376	0	6109	0
20.	ओडिशा	632,493	143	743,493	235	593,207	201	203,872	43
21.	पंजाब	190,022	15	197,059	27	183,531	13	57701	4
22.	राजस्थान	227,571	7	508,512	12	506,638	18	200,507	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	सिक्किम	44094	2	53516	0	42,410	1	13618	1
24.	तमिलनाडु	210,074	24	199,930	17	278,407	23	89,324	1
25.	त्रिपुरा	109,777	83	98,417	22	92,826	17	15,114	2
26.	उत्तराखंड	79,643	26	101,927	21	84,792	12	21,844	6
27.	उत्तर प्रदेश	554,770	185	740,328	254	826,246	272	215,191	83
28.	पश्चिम बंगाल	1854651	288	2033180	280	1830310	302	327,758	49
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19,679	0	33513	3	27,413	0	5911	2
30.	चंडीगढ़	42,615	0	38,218	0	44,664	2	8921	1
31.	दादरा और नगर हवेली	81,322	1	74,007	0	62,259	0	18,022	0
32.	दमन और दीव	12638	0	12559	0	8615	2	4877	0
33.	दिल्ली	102,983	62	136,567	98	125,727	61	12038	21
34.	लक्षद्वीप	4693	0	5461	0	7496	0	2936	0
35.	पुदुचेरी	80,766	3	96,210	21	79,751	28	22,340	3
	कुल	10231049	1269	11701755	1647	10762500	1535	3023374	357

(*स्रोत:* स्वास्थ्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल')

नोट 1: एनआर "का अर्थ सूचना नहीं" है।

2: *वर्ष 2013 के आंकड़े अनंतिम हैं।

3: **वर्ष 2014 के आंकड़े अनंतिम हैं और मई, 2014 की अवधि के लिए है।

विवरण-II

वर्ष 2011-2014 के दौरान सूचित आन्त्रसोध (टायफाइड) रोगों के कारण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मामले और मृत्यु

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011		2012		2013*		2014**	
		मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	180,297	6	279,816	37	233,212	5	61,451	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	7885	9	11821	10	6154	4	एनआर	एनआर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	4541	5	12,016	10	6521	0	1847	0
4.	बिहार	14,787	0	142,341	3	261,791	2	89,794	0
5.	छत्तीसगढ़	42,115	1	54,417	6	27,457	2	10614	0
6.	गोवा	285	0	290	0	355	0	110	0
7.	गुजरात	14,371	0	24325	0	22,962	1	9572	0
8.	हरियाणा	25,469	1	34427	1	27,182	0	8811	1
9.	हिमाचल प्रदेश	28,074	2	40,041	3	38,572	2	14,734	2
10.	जम्मू और कश्मीर	82,347	0	68,157	0	70,859	0	22,604	1
11.	झारखंड	27,009	3	19,624	39	24,806	7	6623	0
12.	कर्नाटक	38,727	2	55,163	1	13,457	7	3609	0
13.	केरल	3322	0	4670	1	4329	3	748	0
14.	मध्य प्रदेश	324,90	20	68,280	29	114,578	28	45,301	6
15.	महाराष्ट्र	500,95	1	71,094	2	82,852	1	25,536	0
16.	मणिपुर	5498	7	13731	5	10927	17	3732	6
17.	मेघालय	9235	2	6916	10	9134	1	949	0
18.	मिज़ोरम	2270	1	2062	1	2766	3	509	3
19.	नागालैंड	14,962	2	10437	0	12,520	0	3223	0
20.	ओडिशा	59,903	104	73,087	89	53,743	35	21,695	15
21.	पंजाब	36,263	9	42,536	4	35,136	5	9106	0
22.	राजस्थान	7902	0	27018	4	31,615	5	23,810	0
23.	सिक्किम	551	0	401	0	186	0	42	0
24.	तमिलनाडु	50,185	0	34,611	0	31,440	1	9263	0
25.	त्रिपुरा	3553	0	6198	3	12,849	1	1737	0
26.	उत्तराखंड	13760	1	28,698	4	25,956	0	6906	0
27.	उत्तर प्रदेश	117,537	80	143,516	65	223,066	161	68,490	57
28.	पश्चिम बंगाल	127,180	34	143,179	29	108,695	39	12,425	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1343	1	1340	1	1363	1	311	0
30.	चंडीगढ़	3190	0	3023	0	3251	0	1350	0
31.	दादरा और नगर हवेली	2269	0	2559	0	4323	0	532	0
32.	दमन और दीव	964	0	1265	0	888	0	63	0
33.	दिल्ली	42,976	55	47,957	71	31,579	29	2909	2
34.	लक्षद्वीप	14	0	5	0	3	0	2	0
35.	पुदुचेरी	11,077	0	2678	0	2591	1	454	2
	कुल	1062446	-346	1477699	428	1537118	361	468,862	99

(*स्रोत:* स्वास्थ्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल')

नोट 1: एनआर "का अर्थ सूचना नहीं" है।

2: *वर्ष 2013 के आंकड़े अनंतिम हैं।

3: **वर्ष 2014 के आंकड़े अनंतिम हैं और मई, 2014 की अवधि के लिए है।

विवरण-III

वर्ष 2011-2014 के दौरान सूचित वायरल हेपेटिटिस के कारण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मामले और मृत्यु

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011		2012		2013*		2014**	
		मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11050	61	7955	84	8325	33	1260	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	636	4	1520	4	525	0	एनआर	एनआर
3.	असम	2557	25	419	0	466	0	76	0
4.	बिहार	202	0	3094	2	6736	2	3910	3
5.	छत्तीसगढ़	139	1	914	5	670	5	253	4
6.	गोवा	118	0	92	0	173	0	22	0
7.	गुजरात	4328	0	4763	6	3676	6	2130	3
8.	हरियाणा	2557	2	2686	1	1307	1	462	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हिमाचल प्रदेश	1248	10	1310	17	2114	14	784	4
10.	जम्मू और कश्मीर	5129	2	5967	0	6307	0	2038	0
11.	झारखंड	384	2	983	0	1211	33	241	0
12.	कर्नाटक	6049	8	10,789	26	1327	4	741	3
13.	केरल	5336	7	8212	18	7034	8	2229	0
14.	मध्य प्रदेश	3851	12	12325	4	14055	11	5313	9
15.	महाराष्ट्र	5994	30	6175	21	5934	13	1170	3
16.	मणिपुर	229	0	229	4	258	0	91	0
17.	मेघालय	87	3	221	1	518	0	271	0
18.	मिज़ोरम	812	14	914	15	419	10	28	0
19.	नागालैंड	64	0	284	0	110	0	10	0
20.	ओडिशा	3272	89	5372	100	3119	76	1133	8
21.	पंजाब	5041	12	3323	0	3099	6	1089	1
22.	राजस्थान	967	0	1595	7	1837	10	817	2
23.	सिक्किम	484	0	667	6	692	1		0
24.	तमिलनाडु	5940	0	10,628	0	1868	0	323	0
25.	त्रिपुरा	404	0	272	2	205	1	38	1
26.	उत्तराखंड	3143	19	6499	16	8619	11	2717	4
27.	उत्तर प्रदेश	7749	28	6345	12	9078	17	3864	11
28.	पश्चिम बंगाल	5480	105	4097	102	4967	91	726	10
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	208	5	172	9	216	9	63	3
30.	चंडीगढ़	1309	0	1751	0	424	1	29	1
31.	दादरा और नगर हवेली	269	0	159	0	90	2	8	0
32.	दमन और दीव	484	0	192	4	184	7	24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	दिल्ली	8347	68	8184	66	8130	130	703	26
34.	लक्षद्वीप	15	1	17	0	5	0	5	0
35.	पुदुचेरी	520	12	755	19	447	10	81	0
	कुल	94402	520	118,880	551	104,145	512	32,969	97

(*स्रोत:* स्वास्थ्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल')

नोट 1: एनआर "का अर्थ सूचना नहीं" है।

2: *वर्ष 2013 के आंकड़े अनंतिम हैं।

3: **वर्ष 2014 के आंकड़े अनंतिम हैं और मई, 2014 की अवधि के लिए है।

विवरण-IV

वर्ष 2011-2014 के दौरान सूचित हैजा के कारण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मामलें और मृत्यु

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011		2012		2013*		2014**	
		मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	227	0	0	0	31	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	एनआर	एनआर
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1	0	13	0	2	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	79	0	71	0	327	1	36	0
8.	हरियाणा	1	0	16	0	16	0	3	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	3	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	9	0	0	0
12.	कर्नाटक	166	0	175	0	105	0	60	0
13.	केरल	19	1	2	1	22	0	3	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	12	0	8	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	महाराष्ट्र	210	2	317	0	247	1	73	1
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	9	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	5	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	580	0	523	0	93	3	8	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तराखंड	0	0	0	0	1	0	12	0
27.	उत्तर प्रदेश	9	0	0	0	91	0	7	0
28.	पश्चिम बंगाल	652	0	181	0	120	0	109	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	8	0	33	0	25	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	380	7	111	0	22	0	1	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	15	0	3	0	0	0
	कुल	2341	10	1583	1	1127	5	312	1

(*स्रोत:* स्वास्थ्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल')

नोट 1: एनआर "का अर्थ सूचना नहीं" है।

2: *वर्ष 2013 के आंकड़े अनंतिम हैं।

3: **वर्ष 2014 के आंकड़े अनंतिम हैं और मई, 2014 की अवधि के लिए है।

विवरण-V

वर्ष 2011-2014 के दौरान सूचित तीव्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) के कारण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार मामले और मृत्यु

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011		2012		2013		2014 (अनंतिम) (2014/07/07 के अनुसार)	
		मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु
1.	आंध्र प्रदेश	73	1	64	0	345	3	0	0
2.	असम	1319	250	1343	229	1388	272	180	9
3.	बिहार	821	197	745	275	417	143	848	150
4.	दिल्ली	9	0	0	0	0	0	एनए	एनए
5.	गोवा	91	1	84	0	48	1	17	0
6.	हरियाणा	90	14	5	0	2	0	एनए	एनए
7.	झारखंड	303	19	16	0	270	5	एनए	एनए
8.	कर्नाटक	397	0	189	1	162	0	33	0
9.	केरल	88	6	29	6	53	6	4	2
10.	महाराष्ट्र	35	9	37	20	0	0	एनए	एनए
11.	मणिपुर	11	0	2	0	1	0	0	0
12.	नागालैंड	44	6	21	2	20	0	एनए	एनए
13.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	1	0
14.	तमिलनाडु	762	29	935	64	77	8	22	2
15.	त्रिपुरा	0	0	0	0	211	0	एनए	एनए
16.	उत्तराखंड	0	0	174	2	0	0	0	0
17.	उत्तर प्रदेश	3492	579	3484	557	3096	609	267	79
18.	पश्चिम बंगाल	714	58	1216	100	1735	226	469	71
	कुल	8249	1169	8344	1256	7825	1273	1841	313

(स्रोत: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय, दिल्ली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

एनए - उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

सेवा से हटाए गए आईएनएस विक्रांत में संग्रहालय बनाना

1385. डॉ. किरीट सोमैया : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आईएनएस विक्रांत के कलपुर्जे अलग (डिस्मेंटल) करने के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा सेवा से हटाए गए आईएनएस विक्रांत को संग्रहालय में परिवर्तित करने की पूर्व की परियोजना को छोड़ दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में जन प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) भारतीय नौसेना पोत विक्रांत की बिगड़ती स्थिति तथा इस पोत को समुद्री संग्रहालय में बदले जाने के प्रस्ताव के लिए वित्तपोषण करने में महाराष्ट्र सरकार की असमर्थता को देखते हुए जून, 2013 में भारतीय नौसेना पोत विक्रांत का स्क्रेप में निपटान करने का अनुमोदन दिया गया था।

(ग) और (घ) इस पोत को जनवरी 1997 को सेवा से हटा दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने नवंबर 1998 में इस पोत को समुद्री संग्रहालय में बदले जाने का प्रस्ताव किया था और रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 1999 में इस पोत को महाराष्ट्र सरकार को नि:शुल्क अंतरित किए जाने का अनुमोदन दिया। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना पोत विक्रांत को एक संग्रहालय में बदले जाने की परियोजना पर शीघ्र कार्रवाई के लिए वर्ष 2005 में एक शीर्षस्थ समन्वय समिति (एसीसी) का भी गठन किया। तथापि, समिति की कई बैठकों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना पर कार्रवाई करने में असमर्थता प्रकट की।

(ङ) स्व. श्री गोपीनाथ मुंडे तथा डॉ. डी पुरंदेश्वरी के अभ्यावेदनों के अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी और संसद सदस्य डॉ. किरीट सोमैया के पत्र भी प्राप्त हुए हैं। हाल ही में, संस्कृति मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह इस संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहते हुए इस पोत को एक संग्रहालय में बदले जाने की व्यवहार्यता की जांच करें।

ब्याज दरों का प्रभाव

1386. श्री निशिकान्त दुबे :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों में विनिवेश पर उच्च ब्याज दरों के प्रभाव का कोई अध्ययन/मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरें कम करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) निवेश में आई कमी कई कारणों की वजह से है जैसे कि कमजोर कारोबार मनोभाव, निर्यात की अपेक्षाकृत कम मांग के परिणामस्वरूप वैश्विक मंदी, अवसंरचना संबंधी अड़चनें, महंगाई के बढ़ते स्तरों के कारण ब्याज लागतों के साथ-साथ अन्य लागतों का बढ़ना। सरकार अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक निवेशक ढांचे सहित वृहत संकेतकों को लगातार मॉनीटर करती है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद की निवेश दर 35.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 34.8 प्रतिशत रह गई जिससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश दरों में भारी अंतर देखा गया है।

(घ) सरकार राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के पथ पर चल रही है जिससे कि प्रचलित घरेलू ब्याज दरों पर दवाब न पड़े। एक के बाद एक सरकार के राजकोषीय समेकन से, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) महंगाई की संभावना तथा मुद्रास्फीति पर रोक लगाकार विकास में सहयोग देने के लिए मौद्रिक सुलभता की नीति अपना रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जून, 2014 को सावधिक नकदी अनुपात में (एसएलआर) में 50 आधार बिन्दु की कमी की है जिससे कि बैंकों को

गैर सरकारी क्षेत्र के लिए, निर्यात की सीमा बढ़ाने में समर्थ बनाया जा सके। वर्ष 2014-15 के दौरान (जून के अंत तक) बैंकों की मध्यस्थ आधार दर 10.25 प्रतिशत पर ज्यों की त्यों बनी रही।

[हिन्दी]

संचारी और गैर-संचारी बीमारियां

1387. श्री रामदास सी. तडस :
श्री प्रताप सिम्हा :
कुमारी शोभा कारान्दलाजे :
श्री नलीन कुमार कटील :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संचारी और गैर-संचारी बीमारियों के कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार हुए मामलों और मौतों की कितनी संख्या की रिपोर्ट मिली है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संचारी और गैर-संचारी बीमारियों के प्रबंधन हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या उपाय किए गए और कितनी निधियां आबंटित और उपयोग की गई है;

(ग) इस अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ प्राप्त और उपयोग की गई विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में संचारी और गैर-संचारी बीमारियों के नियंत्रण और प्रबंधन हेतु स्वास्थ्य के क्षेत्र में विद्यमान योजनाएं, अवसंरचना और जनशक्ति पर्याप्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) मलेरिया, डेंगू, चिकिनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, कुष्ठ, क्षय रोग व एचआईवी/एड्स जैसे मुख्य संक्रामक रोगों में सूचित किए गए रोगियों/मौतों की संख्या संलग्न विवरण-I से VII में दी गई है।

वर्ष 2006 में गैर संक्रामक रोगों के लिए रोग बोझ अध्ययन पर आधारित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने महत्वपूर्ण गैर संक्रामक रोगों के बोझ का इस प्रकार अनुमान लगाया है:–

रोग	रोगियों की संख्या (लाख में)	मौतों की संख्या (लाख में)	प्रति हजार व्याप्तता दर
इस्चेमिक हृदय रोग (आईएचडी)	224	5.5	37.0
मधुमेह	378	1.0	62.47

केन्द्रीय स्तर पर गैर संक्रामक रोगों (कैंसर को छोड़कर) के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

कैंसर के संबंध में अनुमानित घटना दर व मौतों की संख्या संलग्न विवरण-VIII में दी गई है।

(ख) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने तथा संक्रामक व गैर संक्रामक रोगों के निवारण व नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए धन प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को जारी की गई धनराशियां तथा इस पर किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-IX में दिया गया है।

भारत सरकार निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है:–

I. **संक्रामक रोग**

(i) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

(ii) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

(iii) राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(iv) संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

II. **गैर-संक्रामक रोग**

(i) राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय वाहिका रोग, अभिघात निवारण व नियंत्रण कार्यक्रम

(ii) जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

(iii) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटित/जारी और उपयोग किए गए धन का ब्यौरा संलग्न विवरण-X से XVI में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त व उपयोग की गई विदेशी सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-XVII में दिया गया है।

विवरण-I

देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचित मलेरिया के मामले और मृत्यु की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011		2012		2013		2014*	
		मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	34949	5	24699	2	19787	0	5872	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	13950	17	8368	15	6398	21	1224	0
3.	असम	47397	45	29999	13	19542	7	2794	0
4.	बिहार	2643	0	2605	0	2693	1	347	0
5.	छत्तीसगढ़	136899	42	124006	90	110145	43	32920	0
6.	गोवा	1187	3	1714	0	1530	0	167	0
7.	गुजरात	89764	127	76246	29	58513	38	9779	0
8.	हरियाणा	33401	1	26819	1	14471	3	493	0
9.	हिमाचल प्रदेश	247	0	216	0	141	0	19	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1091	0	864	0	698	0	97	0
11.	झारखंड	160653	17	131476	10	97786	8	20432	0
12.	कर्नाटक	24237	0	16466	0	13302	0	4784	2
13.	केरल	1993	2	2036	3	1634	0	450	0
14.	मध्य प्रदेश	91851	109	76538	43	78260	49	13601	1
15.	महाराष्ट्र	96577	118	58517	96	43677	80	10073	10
16.	मणिपुर	714	1	255	0	120	0	21	0
17.	मेघालय	25143	53	20834	52	24727	62	6516	7
18.	मिज़ोरम	8861	30	9883	25	11747	21	3001	2
19.	नागालैंड	3363	4	2891	1	2285	1	405	0
20.	ओडिशा	308968	99	262842	79	228858	67	96685	13
21.	पंजाब	2693	3	1689	0	1760	0	100	0
22.	राजस्थान	54294	45	45809	22	33139	15	2087	0
23.	सिक्किम	51	0	77	0	39	0	12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	तमिलनाडु	22171	0	18869	0	15081	0	2952	0
25.	त्रिपुरा	14417	12	11565	7	7396	7	2654	2
26.	उत्तराखंड	1277	1	1948	0	1426	0	129	0
27.	उत्तर प्रदेश	56968	0	47400	0	48346	0	6473	0
28.	पश्चिम बंगाल	66368	19	55793	30	34717	17	4580	11
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1918	0	1539	0	1005	0	269	0
30.	चंडीगढ़	582	0	201	0	150	0	13	0
31.	दादरा और नगर हवेली	5150	0	4940	1	1778	0	164	0
32.	दमन और दीव	262	0	186	0	91	0	15	0
33.	दिल्ली	413	0	382	0	353	0	11	0
34.	लक्षद्वीप	8	0	9	0	8	0	0	0
35.	पुदुचेरी	196	1	143	0	127	0	22	0
	अखिल भारत कुल	1310656	754	1067824	519	881730	440	229161	48

*मई 2014 तक।

विवरण-II

देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूचित डेंगू के मामले और मृत्यु की संख्या

क्र. सं.	राज्य	2011		2012		2013		2014 (30 जून की स्थिति के अनुसार)	
		मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1209	6	2299	2	910	1	74	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	346	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	1058	5	4526	2	12	0
4.	बिहार	21	0	872	3	1246	5	0	0
5.	छत्तीसगढ़	313	11	45	0	83	2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गोवा	26	0	39	0	198	2	97	0
7.	गुजरात	1693	9	3067	6	6272	15	220	0
8.	हरियाणा	267	3	768	2	1784	5	3	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	73	0	89	2	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	3	0	17	1	1837	3	0	0
11.	झारखंड	36	0	42	0	161	0		
12.	कर्नाटक	405	5	3924	21	6408	12	528	0
13.	केरल	1304	10	4172	15	7938	29	801	2
14.	मध्य प्रदेश	50	0	239	6	1255	9	174	0
15.	मेघालय	0	0	27	2	43	0	0	0
16.	महाराष्ट्र	1138	25	3931	59	5610	48	1035	0
17.	मणिपुर	220	0	6	0	9	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	6	0	7	0	0	0
19.	नागालैंड	3	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	1816	33	2255	6	7132	6	27	0
21.	पंजाब	3921	33	770	9	4117	25	33	0
22.	राजस्थान	1072	4	1295	10	4413	10	89	0
23.	सिक्किम	2	0	2	0	38	0	0	0
24.	तमिलनाडु	2501	9	12826	66	6122	0	710	0
25.	त्रिपुरा	0	0	9	0	8	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	155	5	342	4	1414	5	2	0
27.	उत्तराखंड	454	5	110	2	54	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	510	0	6456	11	5920	6	59	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	0	24	0	67	0	34	0
30.	चंडीगढ़	73	0	351	2	107	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	दिल्ली	1131	8	2093	4	5574	6	12	0
32.	दादरा और नगर हवेली	68	0	156	1	190	0	7	0
33.	दमन और दीव	0	0	96	0	61	0	0	0
34.	पुदुचेरी	463	3	3506	5	2215	0	175	0
	कुल	18860	169	50222	242	75808	193	4092	2

विवरण-III

देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार नैदानिक रूप से संदिग्ध चिकुनगुनिया के मामले

क्र. सं.	राज्य के नाम	2011	2012	2013	2014 (30 जून तक अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	99	2827	4827	895
2.	असम	0	0	742	0
3.	बिहार	91	34	0	0
4.	गोवा	664	571	1049	455
5.	गुजरात	1042	1317	2890	200
6.	हरियाणा	215	8	1	1
7.	झारखंड	816	86	61	0
8.	कर्नाटक	1941	2382	5295	1584
9.	केरल	183	66	273	18
10.	मध्य प्रदेश	280	20	139	71
11.	मेघालय	168	0	0	0
12.	महाराष्ट्र	5113	1544	1578	926
13.	ओडिशा	236	129	35	10
14.	पंजाब	0	1	0	1
15.	राजस्थान	608	172	76	0

1	2	3	4	5	6
16.	तमिलनाडु	4194	5018	859	203
17.	उत्तर प्रदेश	3	13	0	0
18.	उत्तराखंड	18	0	0	0
19.	पश्चिम बंगाल	4482	1381	646	190
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	96	256	202	64
21.	चंडीगढ़	1	1	1	0
22.	दिल्ली	110	6	18	1
23.	दादरा और नगर हवेली	0	100	2	0
24.	दमन और दीव	0	0	0	0
25.	पुदुचेरी	42	45	146	184
	कुल	20402	15977	18840	4803

विवरण-IV

देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूचित जेई के मामले और मृत्यु

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011		2012		2013		2014 (पी) 10.7.2014	
		मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	4	1	3	0	7	3	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	489	113	463	100	495	134	107	8
4.	बिहार	145	18	8	0	14	0	0	0
5.	दिल्ली	9	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	1	0	9	0	3	1	0	0
7.	हरियाणा	12	3	3	0	2	0	0	0
8.	झारखंड	101	5	1	0	89	5	0	0
9.	कर्नाटक	23	0	1	0	2	0	4	0
10.	केरल	37	3	2	0	2	0	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	महाराष्ट्र	6	0	3	0	0	0	0	0
13.	मणिपुर	9	0	0	0	0	0	0	0
14.	नागालैंड	29	5	0	0	4	0	0	0
15.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	तमिलनाडु	24	3	25	4	33	0	7	1
17.	त्रिपुरा	0	0	0	0	14	0	0	0
18.	उत्तराखंड	0	0	1	0	0	0	0	0
19.	उत्तर प्रदेश	224	27	139	23	281	47	2	0
20.	पश्चिम बंगाल	101	3	87	13	140	12	8	3
	कुल	1214	181	745	140	1086	202	130	14

विवरण-V

2011-12 से 2013-14 और 2014-15 के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुष्ठ रोग के नए मामले
[31 मई, 2014 तक (अनंतिम)]

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	नए मामलों का पता चला			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15* (31 मई, 2014 तक) (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7820	8295	7108	प्राप्त नहीं हुआ
2.	अरुणाचल प्रदेश	28	48	23	3
3.	असम	1000	1147	1048	161
4.	बिहार	17801	22001	18188	1011
5.	छत्तीसगढ़	6999	8115	8519	122
6.	गोवा	64	55	72	2
7.	गुजरात	7496	9019	9721	1194
8.	हरियाणा	524	648	622	61

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	195	166	161	34
10.	झारखंड	3615	3691	4021	687
11.	जम्मू और कश्मीर	175	191	175	28
12.	कर्नाटक	3718	3436	3466	562
13.	केरल	861	832	782	114
14.	मध्य प्रदेश	5858	6400	6369	1071
15.	महाराष्ट्र	17892	18715	16400	2501
16.	मणिपुर	24	24	12	4
17.	मेघालय	41	26	24	4
18.	मिज़ोरम	13	18	30	3
19.	नागालैंड	90	157	158	11
20.	ओडिशा	8312	8226	10645	1296
21.	पंजाब	695	700	648	52
22.	राजस्थान	974	1084	1079	224
23.	सिक्किम	20	19	18	1
24.	तमिलनाडु	4082	3550	3810	594
25.	त्रिपुरा	36	23	37	8
26.	उत्तर प्रदेश	24627	24222	22565	3125
27.	उत्तराखंड	499	495	376	60
28.	पश्चिम बंगाल	12169	11683	9121	1649
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27	14	32	4
30.	चंडीगढ़	54	74	144	46
31.	दादरा और नगर हवेली	237	368	320	25
32.	दमन और दीव	3	1	4	0
33.	दिल्ली	1295	1252	1145	0

1	2	3	4	5	6
34.	लक्षद्वीप	2	0	13	0
35.	पुदुचेरी	49	57	57	10
	कुल	127295	134752	126913	16067

*सूचनाएं प्राप्त नहीं हुईं।

तेलंगाना राज्य के लिए अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-VI

गत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत टीबी रोगियों और मृत्यु का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010		2011		2012	
	पंजीकृत मरीज	मौतें	पंजीकृत मरीज	मौतें	पंजीकृत मरीज	मौतें
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	804	38	908	43	844	34
आंध्र प्रदेश	114414	5841	111915	5371	108727	5439
अरुणाचल प्रदेश	2360	56	2311	79	2357	65
असम	39788	1626	37841	1586	35788	1648
बिहार	78510	2087	76484	1972	73537	2125
चंडीगढ़	2764	74	2537	56	2807	82
छत्तीसगढ़	28658	913	27118	988	27160	1082
दादरा और नगर हवेली	397	22	419	21	415	12
दमन और दीव	293	12	313	59	330	7
दिल्ली	50476	1366	51645	1503	52006	1241
गोवा	2156	103	1982	168	1950	75
गुजरात	77839	4104	74867	3950	72554	3808
हरियाणा	36589	1500	37913	1400	38036	1649
हिमाचल प्रदेश	14179	564	13501	630	13615	521
जम्मू और कश्मीर	13482	454	13473	468	12662	337
झारखंड	39465	1223	38574	1431	36666	1341

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	68655	4958	70595	4676	67572	4542
केरल	26255	1122	26126	1002	25917	1205
लक्षद्वीप	13	0	17	3	20	1
मध्य प्रदेश	87823	3036	90764	4079	89545	2966
महाराष्ट्र	136135	7858	135281	6735	136045	7687
मणिपुर	3652	117	3080	167	2744	72
मेघालय	4987	199	5079	177	5114	213
मिज़ोरम	2310	98	2304	76	2337	79
नागालैंड	3904	78	3722	135	3525	91
ओडिशा	49869	2502	48970	2424	49191	2405
पुदुचेरी	1437	77	1568	72	1430	78
पंजाब	40637	1778	39206	1875	39569	1925
राजस्थान	112987	4385	112504	4134	100966	3592
सिक्किम	1646	66	1631	164	1832	82
तमिलनाडु	82457	3980	79830	3794	79576	3865
त्रिपुरा	2850	136	2798	292	2557	150
उत्तर प्रदेश	277245	7986	285884	8221	271678	7866
उत्तराखंड	14754	484	14883	823	15239	552
पश्चिम बंगाल	102397	4938	99829	4691	93274	5047
कुल	1522147	63781	1515872	63265	1467585	61887

*दवा-प्रतिरोधी-टीबी मरीजों की होने वाली मौतों के आंकड़े शामिल नहीं है।

विवरण-VIII(क)

गत तीन वर्षों और वर्तमान में आईसीटीसी के जरिए जांच किए गए एचआईवी पॉजिटिव मामलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (14 अप्रैल-14 मई)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	38	29	29	6

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	65060	58686	56730	5499
3.	अरुणाचल प्रदेश	17	21	4	2
4.	असम	1306	1280	1161	174
5.	बिहार	9370	8323	9323	1966
6.	चंडीगढ़	954	836	813	167
7.	छत्तीसगढ़	3023	2430	3009	416
8.	दादरा और नगर हवेली	97	91	88	16
9.	दमन और दीव	68	67	93	18
10.	दिल्ली	7700	7274	6855	1433
11.	गोवा	639	515	529	87
12.	गुजरात	14056	11746	13676	1723
13.	हरियाणा	4091	4299	4372	902
14.	हिमाचल प्रदेश*	853	739	526	0
15.	जम्मू और कश्मीर	423	403	340	70
16.	झारखंड	2197	2228	1813	317
17.	कर्नाटक	41643	35838	30906	5116
18.	केरल	1988	1916	1660	303
19.	मध्य प्रदेश	4972	5072	4978	993
20.	महाराष्ट्र	57035	44389	43550	6772
21.	मणिपुर	2247	1910	1660	294
22.	मेघालय	364	367	459	99
23.	मिज़ोरम	1440	1180	1160	68
24.	नागालैंड	1787	1684	1672	325
25.	ओडिशा	3933	3815	3467	620
26.	पुदुचेरी	716	699	635	123
27.	पंजाब	5386	4863	4537	1041

1	2	3	4	5	6
28.	राजस्थान	8455	6665	7871	1592
29.	सिक्किम	32	49	31	5
30.	तमिलनाडु	21562	16053	16653	1452
31.	त्रिपुरा	195	197	225	25
32.	उत्तर प्रदेश	14741	13977	12954	2388
33.	उत्तराखंड	835	876	786	187
34.	पश्चिम बंगाल	7929	7342	7198	1237
	संपूर्ण भारत	285152	245859	239763	35436

*एसआईएमएस में 431 रिपोर्ट किया गया है। एसएसीएस द्वारा अभी सत्यापित किया जाना बाकी है।

विवरण-VIII(ख)

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष में पीएचएलआईवी से होने वाली रिपोर्ट की गई मौतों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	अप्रैल और मई'14
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9077	8264	7143	1489
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	3	0	1
3.	असम	72	102	123	27
4.	बिहार	615	603	696	207
5.	चंडीगढ़	114	125	94	23
6.	छत्तीसगढ़	367	295	118	0
7.	दिल्ली	316	524	527	87
8.	गोवा	83	120	96	10
9.	गुजरात	1307	1842	2399	344
10.	हरियाणा	255	256	338	56
11.	हिमाचल प्रदेश	125	107	101	38
12.	जम्मू और कश्मीर	50	53	64	7

1	2	3	4	5	6
13.	झारखंड	342	100	194	138
14.	कर्नाटक	5534	6309	6305	1191
15.	केरल	252	324	411	67
16.	मध्य प्रदेश	483	589	747	170
17.	महाराष्ट्र	5211	6468	1775	3689
18.	मणिपुर	159	103	91	12
19.	मेघालय	16	25	31	1
20.	मिज़ोरम	93	122	108	19
21.	नागालैंड	103	122	136	26
22.	ओडिशा	397	561	394	99
23.	पुदुचेरी	44	44	49	5
24.	पंजाब	578	608	637	114
25.	राजस्थान	1292	1086	1327	282
26.	सिक्किम	10	9	2	1
27.	तमिलनाडु	3038	4178	3117	756
28.	त्रिपुरा	24	15	55	2
29.	उत्तर प्रदेश	1437	1672	1895	535
30.	उत्तराखंड	62	132	108	25
31.	पश्चिम बंगाल	533	504	385	331
	कुल	31990	35265	29466	9752

विवरण-VIII(क)

भारत में अनुमानित कैंसर रोग – राज्य-वार – सभी स्थान – (2011-2014) – दोनों लिंग

क्र.सं.	राज्य	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	10688	11052	11428	11815

1	2	3	4	5	6
2.	हिमाचल प्रदेश	5836	5966	6097	6230
3.	पंजाब	23506	24006	24512	25026
4.	चंडीगढ़	893	915	937	960
5.	उत्तराखंड	8633	8899	9173	9455
6.	हरियाणा	21539	22122	22721	23336
7.	दिल्ली	14204	14517	14836	15160
8.	राजस्थान	58426	60065	61743	63459
9.	उत्तर प्रदेश	170013	175404	180945	186638
10.	बिहार	88563	91721	94981	98346
11.	सिक्किम	490	513	539	571
12.	अरुणाचल प्रदेश	1108	1134	1160	1187
13.	नागालैंड	1579	1595	1612	1630
14.	मणिपुर	2149	2119	2092	2066
15.	मिज़ोरम	871	885	900	914
16.	त्रिपुरा	2944	3036	3141	3259
17.	मेघालय	2367	2413	2460	2507
18.	असम	24846	25119	25391	25663
19.	पश्चिम बंगाल	77806	79915	82087	84325
20.	झारखंड	28135	29067	30026	31012
21.	ओडिशा	35736	36599	37478	38375
22.	छत्तीसगढ़	21835	22569	23325	24105
23.	मध्य प्रदेश	61883	63814	65797	67831
24.	गुजरात	51415	52920	54469	56061
25.	दमन और दीव	209	232	259	288
26.	दादरा और नगर हवेली	293	310	328	349
27.	महाराष्ट्र	95508	97674	99871	102101

1	2	3	4	5	6
28.	आंध्र प्रदेश	72395	74900	77543	80334
29.	कर्नाटक	52099	53476	54886	56330
30.	गोवा	1240	1266	1293	1321
31.	लक्षद्वीप	55	58	60	63
32.	केरल	28583	29434	30372	31400
33.	तमिलनाडु	61266	62049	62830	63609
34.	पुदुचेरी	1069	1114	1160	1208
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	321	326	331	335
	कुल	1028503	1057204	1086783	1117269

स्रोत: आईसीएमआर, कैंसर घटना रिपोर्ट (2009-2011) और कैंसर घटना दरों में समय संबंधी रुझान पर रिपोर्ट (1982-2010) पर आधारित।

विवरण-VIII(ख)

भारत में कैंसर केस का अनुमानित मृत्यु दर – राज्य-वार – सभी स्थान – (2011-2014) – दोनों लिंग

क्र.सं.	राज्य	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	4703	4863	5028	5198
2.	हिमाचल प्रदेश	2568	2625	2683	2741
3.	पंजाब	10343	10563	10785	11011
4.	चंडीगढ़	393	403	413	423
5.	उत्तराखंड	3798	3916	4037	4160
6.	हरियाणा	9477	9734	9998	10268
7.	दिल्ली	6250	6387	6529	6670
8.	राजस्थान	25707	26429	27168	27922
9.	उत्तर प्रदेश	74806	77178	79616	82121
10.	बिहार	38968	40357	41792	43272

1	2	3	4	5	6
11.	सिक्किम	216	226	237	251
12.	अरुणाचल प्रदेश	487	499	510	522
13.	नागालैंड	695	702	709	717
14.	मणिपुर	946	932	920	909
15.	मिज़ोरम	383	389	396	402
16.	त्रिपुरा	1295	1336	1382	1434
17.	मेघालय	1041	1062	1082	1103
18.	असम	10932	11052	11172	11292
19.	पश्चिम बंगाल	34235	35163	36118	37103
20.	झारखंड	12380	12790	13211	13645
21.	ओडिशा	15724	16103	16490	16885
22.	छत्तीसगढ़	9607	9930	10263	10606
23.	मध्य प्रदेश	27229	28078	28951	29846
24.	गुजरात	22623	23285	23966	24667
25.	दमन और दीव	92	102	114	127
26.	दादरा और नगर हवेली	129	136	144	153
27.	महाराष्ट्र	42023	42976	43943	44924
28.	आंध्र प्रदेश	31854	32956	34119	35347
29.	कर्नाटक	22923	23529	24150	24785
30.	गोवा	546	557	569	581
31.	लक्षद्वीप	24	25	27	28
32.	केरल	12576	12951	13363	13816
33.	तमिलनाडु	26957	27302	27645	27988
34.	पुदुचेरी	470	490	510	532

1	2	3	4	5	6
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	141	143	145	148
	कुल	452541	465169	478185	491597

स्रोतः भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, कैंसर के बढ़ते मामलों और, मुंबई डाटा के पूल्ड एम/आई अनुपात (2009-2011) के आधार पर रिपोर्ट।

विवरण-IX

वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों के नए निर्माण/नवीकरण और स्थापना के लिए एसपीआईपी मंजूरी और व्यय दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	वर्ष राज्य/संघ राज्य	2011-12 एसपीआईपी अनुमोदन	2011-12 व्यय	2012-13 एसपीआईपी अनुमोदन	2012-13 व्यय	2013-14 एसपीआईपी अनुमोदन	2013-14 व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	**उच्च फोकस वाले राज्य**						
1.	बिहार	489.02	710.72	7,366.57	558.36	1,505.40	311.00
2.	छत्तीसगढ़	8,263.06	2,630.09	14,599.75	5,043.89	101.93	6,242.54
3.	हिमाचल	1,030.88	107.45	553.72	1,439.74	1,70.00	1,070.00
4.	जम्मू और कश्मीर	3,400.00	1,114.82	0.00	5,388.13	151.00	—
5.	झारखंड	5,029.58	4,182.09	2,000.00	2,919.52	2,296.00	5214.03
6.	मध्य प्रदेश	1,721.80	2,278.41	742.20	444.15	5,974.60	1,632.62
7.	ओडिशा	378.00	381.07	792.03	189.99	1,980.53	603.38
8.	राजस्थान	13,550.00	8,885.36	24,883.60	12,182.19	1,306.17	2,872.00
9.	उत्तर प्रदेश	13,406.66	7,980.30	82,184.23	5,859.82	9,712.68	4,653.68
10.	उत्तराखंड	27.00	175.46	45.30	53.56	161.16	110.42
	उप-कुल	47,296.00	28,445.77	1,33,167.40	34,079.34	24,259.47	22,709.73
ख.	**एनई राज्य**						
11.	अरुणाचल प्रदेश	478.20	706.84	2,031.40	975.83	—	1,646.51

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	असम	14,622.33	13,282.42	36,293.64	23,089.37	2,415.04	243.06
13.	मणिपुर	1,224.47	383.98	1,294.30	1,246.40	782.90	9.32
14.	मेघालय	24.00	3.70	1,807.19	866.10	993.71	81.65
15.	मिज़ोरम	123.00	7.20	519.44	679.51	63.08	—
16.	नागालैंड	55.00	1,891.57	1,165.42	632.09	366.31	121.30
17.	सिक्किम	218.18	105.66	459.29	171.50	25.00	322.07
18.	त्रिपुरा	1,242.50	4,079.49	2,459.50	3,336.51	1,362.89	1,093.77
	उप कुल	17,987.68	20,460.86	46,030.18	30,997.31	6,008.93	3,517.69
ग.	**गैर-उच्च फोकस वाले राज्य**						
19.	आंध्र प्रदेश	3,433.00	6,388.64	8,172.00	4,434.81	8,314.60	3,263.35
20.	गोवा	54.00	92.61	565.00	481.16	220.00	239.90
21.	गुजरात	0.00	1,153.18	9,307.34	1,830.72	49.84	212.43
22.	हरियाणा	1,409.00	2,469.00	4,522.35	3,380.64	136.36	74.73
23.	कर्नाटक	6,750.00	5,608.38	12,338.25	8,044.41	615.00	1,256.37
24.	केरल	2,026.85	731.02	2,511.66	1,618.30	577.97	242.91
25.	महाराष्ट्र	9,498.35	10,046.25	33,364.66	31,960.49	5,750.00	5,698.22
26.	पंजाब	0.00	348.84	1,800.00	—	200.00	—
27.	तमिलनाडु	3,860.22	4,252.42	12,110.79	167.82	7,149.73	6,740.86
28.	पश्चिम बंगाल	10,382.00	2,562.43	9,968.90	4,437.38	7,665.21	5,946.59
	उप-कुल	37,473.42	33,652.77	04,660.95	56,355.73	30,678.71	23,675.37
घ.	**छोटे राज्य**						
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	2.00	—	—	—
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	—	—	—
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	—	—	—
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दिल्ली	2,854.17	23.91	2,977.60	148.69	3,506.00	834.07
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	—	—	—
35.	पुदुचेरी	67.14	23.05	53.18	82.76	3.38	15.97
	उप-कुल	2,921.31	46.96	3,032.78	231.45	3,509.38	850.04
	महायोग	1,05,678.41	82,606.36	2,76,891.31	1,21,663.83	64,456.49	50,752.82

नोट: उपर्युक्त व्यय आंकड़ों में पीएचसी, सीएचसी उपकेन्द्र शामिल हैं तथा अन्य राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए एफएमआर के अनुसार है अत: अनंतिम है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु व्यय आंकड़े दिनांक 30.03.2014 तक हैं।

विवरण-X

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित धनराशि और आबंटन का उपयोग

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
अहमदाबाद एससीएसीएस	721.67	552.08	812.73	520.74	825.92	239.04
अंडमान और निकोबार एसएसीएस	170.31	130.59	166.82	123.69	191.59	545.66
आंध्र प्रदेश एसएसीएस	8811.88	7681.84	10303.30	9762.21	10260.62	7185.02
अरुणाचल प्रदेश एसएसीएस	948.00	776.00	841.60	822.74	1022.9	467.51
असम एसएसीएस	1996.83	1865.43	1864.45	1653.83	2142.96	373.49
बिहार एसएसीएस	2878.26	2137.66	2759.55	1189.14	3199.04	1019.73
चंडीगढ़ एसएसीएस	635.14	465.38	627.30	454.53	507.57	85.16
छत्तीसगढ़ एसएसीएस	1952.06	1342.33	1986.93	1354.27	2462.73	593.40
चेन्नई एमसीएसीएस	226.41	409.96	216.06	167.17	266.39	81.62
दादरा और नगर हवेली	139.07	62.56	141.02	66.32	179.77	1320.28
दमन और दीव एसएसीएस	189.17	134.15	228.94	185.11	298.79	270.75
दिल्ली एसएसीएस	3536.36	2987.77	3417.88	2983.69	3759.2	2494.10
गोवा एसएसीएस	622.09	487.33	624.48	432.09	597.61	233.00
गुजरात एसएसीएस	5310.94	4148.89	5155.61	3580.36	6208.53	1946.96

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा एसएसीएस	1874.65	1550.20	2187.12	1471.79	2424.91	901.07
हिमाचल प्रदेश एसएसीएस	1316.66	946.11	1190.60	739.37	1038.23	456.18
जम्मू और कश्मीर एसएसीएस	811.85	351.29	875.73	485.22	1008.81	345.50
झारखंड एसएसीएस	1836.70	1085.98	1798.62	1023.47	2060.63	358.27
कर्नाटक एसएसीएस	7631.16	6455.89	7592.25	5940.00	8354.4	3404.96
केरल एसएसीएस	3243.17	2687.01	2958.80	2805.40	2985.34	1571.82
लक्षद्वीप एसएसीएस	39.63	34.87	25.93	18.43	51.12	7795.84
मध्य प्रदेश एसएसीएस	3819.51	2578.34	3412.17	1824.01	4734.47	1352.28
महाराष्ट्र एसएसीएस	7966.88	6941.84	8457.43	7530.37	11988.39	5251.49
मणिपुर एसएसीएस	2695.58	2005.31	2775.30	2673.44	2853.85	1075.19
मेघालय एसएसीएस	503.93	394.95	447.57	390.85	587.74	1237.97
मिज़ोरम एसएसीएस	1474.44	1374.42	1465.21	1463.87	1607.05	752.38
मुंबई एमसीएसीएस	2290.41	1948.28	2731.66	1978.40	2504.58	1357.41
नागालैंड एसएसीएस	2217.57	1915.35	2041.51	2004.63	2354.21	1087.28
ओडिशा एसएसीएस	3188.88	2350.83	3060.97	2454.28	3695.94	174.29
पुदुचेरी एसएसीएस	428.22	335.73	782.12	344.02	436.76	173.35
पंजाब एसएसीएस	2546.76	2028.06	2454.03	1845.12	3019.73	1171.14
राजस्थान एसएसीएस	3107.47	2356.41	3135.16	2455.25	5016.98	1399.79
सिक्किम एसएसीएस	518.95	475.71	531.38	484.24	583.35	361.52
तमिलनाडु एसएसीएस	8532.89	6201.92	8329.89	7584.93	8382.02	4475.21
त्रिपुरा एसएसीएस	794.68	582.77	674.59	530.12	822.3	329.07
उत्तर प्रदेश एसएसीएस	4564.34	3140.80	4764.74	3595.54	6476.26	1907.05
उत्तराखंड एसएसीएस	1363.97	1242.46	1264.57	851.13	1592.25	59313.19
पश्चिम बंगाल एसएसीएस	4678.84	2718.43	3229.06	2868.98	5363.59	1908.81
कुल	95585.33	74884.93	95333.12	76658.75	112466.53	115916.77

विवरण-XI

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन जारी और व्यय अनुदान सहायता वर्ष 2011-12 से 2014-15 वर्ष के दौरान

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
		आबंटन	जारी जीआईए	व्यय	आबंटन	जारी जीआईए	व्यय	आवंटन	जारी जीआईए	व्यय	आवंटन	जारी जीआईए	व्यय (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	216.02	153.56	175.84	209.61	103.61	135.29	209.61	186.2	130.77	376.44		
2.	अरुणाचल प्रदेश	62.91	48.45	70.25	66.85	47.93	70.64	66.85	55.76	66.80	41.09		
3.	असम	150.28	47.31	54.78	149.10	68.93	77.04	149.10	7.04	89.57	85.72		
4.	बिहार	818.76	565.55	70.58	731.77	0.00	319.04	731.77	466.98	176.15	500.07		
5.	छत्तीसगढ़	203.09	98.78	403.76	167.91	0.00	131.37	167.91	112.42	140.59	180.12		
6.	गोवा	15.16	11.37	11.86	12.14	2.92	9.33	12.14	11.94	8.60	5.94		1.46
7.	गुजरात	181.93	155.85	188.99	239.50	234.91	320.25	239.50	250.08	254.66	111.78	44.61	
8.	हरियाणा	81.71	40.18	55.22	142.93	114.83	99.17	142.93	95.64	94.41	58.06		
9.	हिमाचल प्रदेश	67.91	48.05	37.44	58.91	29.09	35.25	58.91	33.73	35.60	33.58		
10.	झारखंड	218.48	147.88	133.30	220.27	120.82	142.51	220.27	142.63	42.39	200.66		
11.	जम्मू और कश्मीर	84.09	9.12	16.55	102.14	72.85	51.49	102.14	63.27	52.19	42.66		2.13
12.	कर्नाटक	161.80	117.95	135.64	175.24	157.43	153.54	175.24	101.39	199.12	114.55		
13.	केरल	94.00	30.08	54.57	87.01	71.34	60.24	87.01	54.91	61.43	30.02		
14.	मध्य प्रदेश	255.00	130.75	138.24	319.10	194.50	205.94	319.10	82.45	240.37	205.79	26.14	
15.	महाराष्ट्र	329.55	278.67	299.09	413.19	378.66	370.35	413.19	425.18	516.30	397.37		
16.	मणिपुर	46.94	34.88	34.47	45.55	33.02	33.76	45.55	44.77	32.37	15.41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	मेघालय	42.10	24.90	10.20	54.02	43.94	24.32	54.62	22.39	23.33	26.47	6.86	
18.	मिज़ोरम	59.46	30.54	42.40	53.23	34.98	47.85	53.23	47.2	45.24	22.52		
19.	नागालैंड	55.50	55.16	55.30	57.31	56.88	56.95	57.31	57.13	57.03	31.22		
20.	ओडिशा	170.99	81.50	138.28	321.16	301.00	222.20	321.16	206.71	274.02	277.29	151.23	
21.	पंजाब	132.91	68.53	88.66	174.87	149.88	124.35	174.87	130.25	104.83	89.66	8.25	
22.	राजस्थान	157.99	136.61	81.68	138.85	47.73	110.96	138.85	107.72	109.39	75.80		
23.	सिक्किम	45.36	45.36	38.11	35.97	21.61	28.86	35.97	44.73	35.88	17.38		
24.	तमिलनाडु	180.73	149.98	149.78	228.26	98.48	126.07	228.26	228.26	211.72	109.02	41.93	5.02
25.	त्रिपुरा	24.89	15.53	11.36	21.48	12.37	10.79	21.48	7.49	12.49	9.08		0.37
26.	उत्तर प्रदेश	707.08	393.59	217.45	605.70	0.00	396.45	605.70	272.44	0.51	521.00		
27.	उत्तराखंड	53.19	39.12	43.12	53.83	39.53	32.17	53.83	28.4	42.39	20.14	7.99	1.29
28.	पश्चिम बंगाल	233.96	80.37	216.13	289.09	262.42	190.73	289.09	216.9	193.35	210.14		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.10	1.94	4.94	12.47	6.94	8.05	12.47	15.11	13.69	12.64		
30.	चंडीगढ़	21.77	18.10	12.55	18.51	4.60	12.92	18.51	17.21	12.94	7.50		
31.	दादरा और नगर हवेली	16.20	7.18	13.20	26.12	24.14	17.09	26.12	17.09	26.09	21.72		1.58
32.	दमन और दीव	12.23	6.81	7.70	15.37	0.00	9.81	15.37	11.17	6.88	7.12		
33.	दिल्ली	100.80	49.35	55.36	91.27	53.46	67.00	91.27	88.84	79.14	78.22	54.54	
34.	लक्षद्वीप	4.46	0.00	2.43	12.81	8.89	5.30	12.81	8.09	0.00	7.50		
35.	पुदुचेरी	16.01	10.16	11.73	17.57	7.67	12.81	17.57	16.93	12.83	6.32		
	कुल	5030.36	3133.16	3089.96	5369.71	2805.36	3719.85	5369.71	3748.45	3403.07	3950.00	341.55	11.85

विवरण-XII

एनवीबीडीसीपी के तहत जारी और व्यय (नकद + सामग्री)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12			2012-13		
		आबंटन	जारी	व्यय	आबंटन	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3189.96	3457.42	3687.74	2678.00	735.40	1379.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	1101.85	1526.82	1478.98	1574.10	835.43	892.48
3.	असम	3883.71	3774.39	3952.64	4865.50	1701.76	1296.31
4.	बिहार	4637.38	4891.27	4093.64	3333.75	5931.06	2296.17
5.	छत्तीसगढ़	4094.31	4960.09	4203.71	3339.30	2592.03	1363.41
6.	गोवा	78.00	77.90	78.80	179.10	100.00	187.00
7.	गुजरात	683.44	501.34	82.71	1750.00	812.54	1750.11
8.	हरियाणा	202.82	138.50	133.61	260.00	276.90	444.90
9.	हिमाचल प्रदेश	36.00	16.52	0.63	138.55	60.21	98.21
10.	जम्मू और कश्मीर	42.00	31.00	7.54	106.20	43.88	45.88
11.	झारखंड	5069.40	5014.77	4745.27	4638.60	1404.27	1766.74
12.	कर्नाटक	823.92	639.34	154.71	1748.10	811.39	1450.99
13.	केरल	503.38	361.18	566.18	778.00	500.11	1242.11
14.	मध्य प्रदेश	3428.98	3919.85	3941.94	3500.00	927.93	1341.00
15.	महाराष्ट्र	846.50	436.98	816.51	1763.00	1055.51	1961.90
16.	मणिपुर	496.32	410.75	220.21	689.20	228.35	388.15
17.	मेघालय	901.96	640.11	522.79	1344.80	770.21	616.13
18.	मिज़ोरम	801.72	702.32	424.58	1268.60	737.62	740.83
19.	नागालैंड	915.47	997.72	872.73	1187.20	930.15	969.43
20.	ओडिशा	6818.41	7894.83	8244.70	5563.90	2041.05	1672.80
21.	पंजाब	184.89	127.38	72.50	390.00	289.26	333.82
22.	राजस्थान	1239.14	1342.52	1314.19	1361.00	1337.13	659.41

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	18.26	22.60	14.73	77.00	33.30	34.12
24.	तमिलनाडु	764.95	341.41	9.20	908.00	150.00	897.00
25.	त्रिपुरा	993.21	401.82	373.97	1580.60	905.64	188.00
26.	उत्तर प्रदेश	3341.09	2431.94	2435.68	3257.20	1019.89	52.00
27.	उत्तराखंड	102.39	85.00	67.75	216.10	162.51	110.23
28.	पश्चिम बंगाल	2326.29	2457.12	1451.96	2890.40	1216.35	1358.87
29.	दिल्ली	43.76	0.00	0.00	405.50	4.65	4.65
30.	पुदुचेरी	45.24	29.31	32.24	91.00	78.36	126.36
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	428.50	459.63	455.32	524.00	525.78	934.02
32.	चंडीगढ़	33.25	34.87	25.17	88.50	64.77	133.28
33.	दादरा और नगर हवेली	56.50	61.09	61.92	98.20	108.69	183.69
34.	दमन और दीव	38.00	51.94	51.53	61.80	38.91	62.01
34.	लक्षद्वीप	30.00	11.40	8.79	52.80	29.55	36.55
	कुल	48201.00	48251.13	44604.57	52708.00	28460.59	27018.12

विवरण-XII

एनवीबीडीसीपी के तहत आबंटन और जारी (नकद + सामग्री) : 2013-14

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	आबंटन	जारी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश**	2316.32	650.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	1876.65	1016.31
3.	असम	5168.19	3813.45
4.	बिहार	6038.31	4633.44
5.	छत्तीसगढ़	2999.22	1150.42
6.	गोवा	125.81	55.87
7.	गुजरात	1612.71	736.94
8.	हरियाणा**	203.50	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	120.55	54.01
10.	जम्मू और कश्मीर**	110.33	2.13
11.	झारखंड**	3836.09	1161.29
12.	कर्नाटक	1630.66	796.39
13.	केरल	745.56	642.94

1	2	3	4
14.	मध्य प्रदेश	2053.50	877.79
15.	महाराष्ट्र	1557.04	817.05
16.	मणिपुर	1007.41	211.63
17.	मेघालय	1146.96	445.54
18.	मिज़ोरम	1398.49	614.19
19.	नागालैंड	1678.25	439.32
20.	ओडिशा	4603.18	2483.66
21.	पंजाब	296.00	53.94
22.	राजस्थान	652.67	578.36
23.	सिक्किम	50.00	27.36
24.	तमिलनाडु** (***)	1971.75	0.00
25.	त्रिपुरा	1779.88	735.34
26.	उत्तर प्रदेश*	3469.29	2694.72
27.	उत्तराखंड	117.50	0.71
28.	पश्चिम बंगाल*	3381.03	3057.17
29.	दिल्ली**	309.50	232.12
30.	पुदुचेरी	53.87	7.73
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	537.20	556.32
32.	चंडीगढ़**	75.50	0.12
33.	दादरा और नगर हवेली**	79.44	0.00
34.	दमन और दीव	54.49	23.56
35.	लक्षद्वीप	43.15	6.93
	कुल	53100.00	28576.76

विवरण-XIII

संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		आबंटन धनराशि	उपयोग धनराशि	आबंटन धनराशि	उपयोग धनराशि	आबंटन धनराशि	उपयोग धनराशि	आबंटन धनराशि	उपयोग धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	1090.37	1540.90	1612.50	1883.80	1782.22	1620.70	531.36	
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	41.85	38.90	33.70	40.38	73.08	57.34	25.54	
3.	अरुणाचल प्रदेश	284.42	295.39	387.40	362.33	408.57	441.23		
4.	असम	631.15	683.92	871.95	876.50	1170.40	1140.93	1796.01	
5.	बिहार	1505.15	1230.78	1722.51	1511.81	890.04	1605.98	828.87	
6.	चंडीगढ़	73.72	80.36	71.97	72.12	113.02	123.52		19.05
7.	छत्तीसगढ़	923.90	760.34	317.34	1069.14	788.18	1059.49	1321.91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	दादरा और नगर हवेली	37.67	33.16	35.86	32.49	51.24	47.39		7.49
9.	दमन और दीव	31.38	21.77	8.45	17.98	24.80	19.58	11.70	
10.	दिल्ली	1061.17	1047.27	619.10	1084.46	1049.23	947.88	778.58	
11.	गोवा	72.77	79.90	43.19	70.59	91.74	107.48	34.00	13.59
12.	गुजरात	1722.66	1764.70	1583.98	1902.32	1890.13	2262.15	1577.23	564.81
13.	हरियाणा	432.76	476.38	755.59	599.70	451.61	643.73	294.42	
14.	हिमाचल प्रदेश	391.62	371.34	259.71	399.57	421.06	405.03	390.19	
15.	जम्मू और कश्मीर	423.45	485.46	359.51	452.09	591.32	556.11		
16.	झारखंड	714.32	714.99	743.73	817.83	886.63	784.94	424.00	
17.	कर्नाटक	1601.68	1437.20	846.68	1738.52	1695.53	2028.04	1943.99	
18.	केरल	837.69	687.37	536.77	745.65	996.98	811.18	362.02	
19.	लक्षद्वीप	19.29	16.98	15.45	18.45	19.56	15.19	2.12	3.27
20.	मध्य प्रदेश	1598.92	1402.23	1046.78	1407.95	1449.59	1738.69		
21.	महाराष्ट्र	3450.00	3182.07	4040.00	4080.51	4983.68	5193.83	1843.00	
22.	मणिपुर	295.95	281.07	218.44	251.31	255.87	311.96		
23.	मेघालय	149.99	166.10	138.24	207.24	266.88	288.11	433.73	
24.	मिज़ोरम	195.65	196.02	277.56	291.65	295.92	358.58	334.23	
25.	नागालैंड	206.91	198.74	291.74	286.12	233.18	290.43		
26.	ओडिशा	1126.72	861.95	947.72	1015.63	1031.72	1161.32	1562.03	
27.	पुदुचेरी	97.60	84.77	85.70	106.57	156.71	146.23		
28.	पंजाब	638.92	570.36	401.55	742.37	881.29	882.49	871.10	
29.	राजस्थान	1215.91	1066.62	959.81	1076.22	1395.76	1441.93	598.95	
30.	सिक्किम	82.53	98.47	95.73	117.82	176.59	194.73		
31.	तमिलनाडु	964.81	1080.27	737.26	1427.87	1666.16	1902.53	2121.49	
32.	त्रिपुरा	65.04	101.03	118.94	111.24	156.03	137.5	70.87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	उत्तर प्रदेश	2955.27	3345.23	0.00	4320.65	3817.66	5209.21		
34.	उत्तराखंड	273.24	295.28	300.80	433.53	381.01	414.18	538.67	
35.	पश्चिम बंगाल	2097.66	1887.93	1986.36	2105.81	1808.91	2698.00		
36.	तेलंगाना							379.75	
	कुल	27312.14	26585.25	22472.02	31678.22	32352.30	37047.61	19075.76	608.21

विवरण-XIV (क)

राष्ट्रीय, कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग एवं आघात निवारण तथा नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य के नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (आज की तारीख तक)	
		आबंटन/जारी	उपयोग	आबंटन/जारी	उपयोग	आबंटन/जारी	उपयोग	आबंटन/जारी	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1305.65	34.71	0	69.34	0	57.28	0	0
2.	असम	915.62	140.00	0	310.58	1714.00	620.7	226.00	0
3.	बिहार	925.1	0.23	0	120.17	972.00	228.08	273.00	0
4.	छत्तीसगढ़	463.8	0	0	44.08	0	128.9	0	0
5.	गुजरात	925.1	7.9166	0	329.02	0	631.01	0	0
6.	हरियाणा	654.07	31.865	0	129.23	0	362.48	274.00	0
7.	हिमाचल प्रदेश	463.8	0	0	0	0	0	0	0
8.	झारखंड	399.72	0.18	0	10.63	332.00	161.97	0.00	0
9.	जम्मू और कश्मीर	734.82	34.16	0	396.24	0.00	310.55	0.00	0
10.	कर्नाटक	734.83	23.89	0	156.02	0.00	740.91	0.00	0
11.	केरल	844.35	4.746	0	616.33	0.00	285.11	207.00	0
12.	मध्य प्रदेश	844.35	3.305	0	293.19	462.00	318.36	0.00	0
13.	महाराष्ट्र	925.1	52.59	0	615.5	586.00	1106.67	625.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	ओडिशा	844.35	16.705	0	84.45	0	480.79	283.00	0
15.	पंजाब	463.8	76.05	0	279.25	0	191.85	336	0
16.	राजस्थान	1115.38	10.25	0	154.27	59.00	129.68	147.00	0
17.	सिक्किम	313.88	70.87	0	89.07	0.00	249.12	0.00	0
18.	तमिलनाडु	844.35	0	0	0	89.00	0	0.00	0
19.	उत्तराखंड	273.53	2.636	0	95.73	0.00	30.1	0.00	0
20.	उत्तर प्रदेश	0	0	2431.25	0	1398.00	0	0.00	0
21.	पश्चिम बंगाल	463.8	1.12	0	83.73	1027.00	437.12	0.00	0
22.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	5.00	0	22.00	0
23.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	5.00	0	0.00	0
24.	दमन और दीव	0	0	0	0	4.00	0	0.00	0
25.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	1.00	0	11.00	0
26.	दिल्ली	0	0	0	0	247.00	0	63.00	0
27.	पुदुचेरी	0	0	0	0	18.00	0	0.00	0
28.	गोवा	0	0	0	0	22.00	0	0.00	0
29.	चंडीगढ़	0	0	0	0	16.00	0	0.00	0
30.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	76.00	73.16	0.00	0
31.	मेघालय	0	0	0	0	163.00	0	65.00	0
32.	मिज़ोरम	0	0	0	0	60.00	26.25	87.00	0
33.	नागालैंड	0	0	0	0	109.00	0	0.00	0
34.	त्रिपुरा	0	0	0	0	202.00	0	78.00	0
35.	मणिपुर	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
36.	तेलंगाना	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
	कुल	14455.4	511.22	2431.25	3876.83	7567.00	6570.09	2697.00	0

विवरण-XIV (ख)

राष्ट्रीय, कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग एवं अभिघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम

टीसीसी के तहत भिन्न-भिन्न राज्यों को क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों/संस्थानों/मेडिकल कॉलेज के लिए जारी अनुदान

(01.04.2010-31.03.2014) (लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	संस्था का नाम	वित्तीय वर्ष	आबंटन/जारी	व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	एमएनजेआईओ, हैदराबाद	2011-12	480	एनआर
2.	हिमाचल प्रदेश	आरसीसी, शिमला	2011-12	480	एनआर
3.	केरल	आरसीसी, तिरुवनन्तपुरम	2011-12	480	एनआर
		मालाबार कैंसर सेंटर, कन्नूर	2011-12	480	एनआर
		जीएमसी, कोयट्टम	2011-12	480	एनआर
		टीडीएम गवर्नमेंट कॉलेज, अलपुर्जा	2011-12	480	एनआर
		कुल		1920	
4.	मिज़ोरम	आरसीसी, मिज़ोरम	2011-12	480	480
5.	पंजाब	जीजीएस मेडिकल कॉलेज, फरीदकोट	2011-12	480	480
6.	तमिलनाडु	आरसीसी, डब्ल्यूआईए अड्यार	2011-12	480	480
7.	महाराष्ट्र	कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा	2012-13	480	480
8.	सिक्किम	एसएनटीएम, अस्पताल, सिक्किम	2012-13	480	एनआर
9.	अरुणाचल प्रदेश	जनरल अस्पताल, नाहरलगुन	2012-13	480	एनआर
10.	आईसीएमआर, बंगलौर	आईसीएमआर, बंगलौर	2013-14	1.51	एनआर
	कुल			5761.51	1920

विवरण-XV

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएमएचपी की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई राशि का विवरण (योजना-वार और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार)

2011-12

1. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जिला	राशि
1.	गुजरात	गोधरा	रुपए 20,70,000/-
2.	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स	रुपए 21,80,000/-
3.		जैंतिया हिल्स	रुपए 21,80,000/-
4.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	रुपए 20,70,000/-
5.		रायबरेली	रुपए 20,47,000/-
6.	मणिपुर	चूड़ाचंदपुर	रुपए 21,57,000/-
7.		चंदेल	रुपए 21,80,000/-
8.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मिदनापुर	रुपए 20,98,564/-
9.	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	रुपए 12,35,000/-
10.	तमिलनाडु	मदुरै	रुपए 49,41,500/-
11.		रामनाथपुरम	रुपए 49,41,500/-
12.		धर्मपुरी	रुपए 77,90,000/-
13.		नागपट्टिनम	रुपए 75,43,000/-
14.		थेनी	रुपए 76,56,000/-
15.		कन्याकुमारी	रुपए 74,78,000/-
16.		तिरुवरूर	रुपए 46,37,000/-
17.		नमक्कल	रुपए 46,37,000/-
18.		पेराम्बलूर	रुपए 46,37,000/-
19.		विरुधुनगर	रुपए 46,37,000/-
20.		कुडालोर	रुपए 46,37,000/-
21.		तिरुवल्लूर	रुपए 46,37,000/-

2. जनशक्ति विकास योजना

क्र.सं.	राज्य	संस्थान	राशि
		योजना — एकः उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना	
1.	जम्मू और कश्मीर	मानसिक रोग अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	रुपए 13,01,91,648/-
2.	ओडिशा	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, कटक	रुपए 22,50,00,000/-
3.	हरियाणा	राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, पं. बीडी शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक	रुपए 5,52,38,788/-
4.	महाराष्ट्र	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, महाराष्ट्र	रुपए 30,00,00,000/-
5.	उत्तर प्रदेश	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं अस्पताल, आगरा	रुपए 7,97,00,000/-
		योजना — बीः मानसिक स्वास्थ्य विषयों में पीजी विभागों के लिए सहायताः	
6.	कर्नाटक	निमहांस, बेंगलूरु	रुपए 87,12,000/-
7.	दिल्ली	डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली	रुपए 1,30,00,000/-

3. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों को सहायता

क्र.सं.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण	राशि
1	2	3
1.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश	रुपए 9,00,000/-
2.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश	रुपए 9,00,000/-
3.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, असम	रुपए 9,00,000/-
4.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, बिहार	रुपए 9,00,000/-
5.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, चंडीगढ़	रुपए 9,00,000/-
6.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, छत्तीसगढ़	रुपए 9,00,000/-
7.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, दादरा और नगर हवेली	रुपए 9,00,000/-
8.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, दमन और दीव	रुपए 9,00,000/-
9.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, दिल्ली	रुपए 9,00,000/-
10.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, गोवा	रुपए 9,00,000/-
11.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, गुजरात	रुपए 9,00,000/-

1	2	3
12.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, हरियाणा	रुपए 9,00,000/-
13.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश	रुपए 9,00,000/-
14.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, झारखंड	रुपए 9,00,000/-
15.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, कर्नाटक	रुपए 9,00,000/-
16.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, केरल	रुपए 9,00,000/-
17.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मध्य प्रदेश	रुपए 9,00,000/-
18.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, महाराष्ट्र	रुपए 9,00,000/-
19.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मणिपुर	रुपए 9,00,000/-
20.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मेघालय	रुपए 9,00,000/-
21.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मिज़ोरम	रुपए 9,00,000/-
22.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, नागालैंड	रुपए 9,00,000/-
23.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, ओडिशा	रुपए 9,00,000/-
24.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, पुदुचेरी	रुपए 9,00,000/-
25.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, राजस्थान	रुपए 9,00,000/-
26.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, सिक्किम	रुपए 9,00,000/-
27.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, आन्ध्र प्रदेश	रुपए 9,00,000/-
28.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश	रुपए 9,00,000/-
29.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, असम	रुपए 9,00,000/-
30.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, बिहार	रुपए 9,00,000/-
31.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, चंडीगढ़	रुपए 9,00,000/-

2012-13

1. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जिला	धनराशि
1	2	3	4
1.	पंजाब	संगरूर	रुपए 34,47,197/-
2.	केरल	कून्नूर	रुपए 46,37,000/-
3.		इडुक्की	रुपए 45,41,660/-

1	2	3	4
4.	केरल	वायनाड	रुपए 41,29,248/-
5.	मणिपुर	चंदेल	रुपए 46,37,000/-
6.		चूड़ाचंदपुर	रुपए 37,71,554/-
7.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना	रुपए 46,37,000/-
8.		जलपाईगुड़ी	रुपए 42,89,625/-
9.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	रुपए 43,16,456/-
10.		फैजाबाद	रुपए 41,80,490/-
11.		रायबरेली	रुपए 45,06,267/-
12.		सीतापुर	रुपए 38,52,468/-

2. जनशक्ति विकास योजना

क्र.सं.	राज्य	संस्थान	धनराशि
1.	चंडीगढ़	मनोरोग विभाग, सरकारी मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़	रुपए 13,31,00,000/-
2.	गुजरात	मानसिक स्वास्थ्य, अस्पताल अहमदाबाद	रुपए 13,31,00,000/-
3.	पश्चिम बंगाल	मनोरोग संस्थान, कोलकाता	रुपए 13,31,00,000/-

3. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों को सहायता

क्र.सं.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण	धनराशि
1.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, पंजाब	रुपए 9,00,000/-

2013-14

1. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

जिलों की सूची जहां डीएमएचपी कार्यान्वित किया जा रहा है

क्र. सं.	राज्य	जिला	जारी अनुदान (रुपए में)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	दक्षिण अंडमान	46,22,000/-
2.		उत्तर और मध्य अंडमान	47,96,000/-
3.		निकोबार	49,70,000/-

1	2	3	4
4.	बिहार	वैशाली	83,20,000/-
5.		रोहतास	83,20,000/-
6.		मुजफ्फरपुर	83,20,000/-
7.		पूर्वी चंपारण	83,20,000/-
8.		पश्चिमी चंपारण	83,20,000/-
9.		पश्चिमी चंपारण	83,20,000/-
10.		कैमूर	83,20,000/-
11.		गोपालगंज	83,20,000/-
12.		बक्सर	83,20,000/-
13.		बांका	83,20,000/-
14.		पूर्णिया	83,20,000/-
15.		जमुई	83,20,000/-
16.	छत्तीसगढ़	जांगीर	83,20,000/-
17.		कोरबा	83,20,000/-
18.		मुंगेली	83,20,000/-
19.	गोवा	उत्तरी गोवा	83,20,000/-
20.	गुजरात	मेहसाणा	83,20,000/-
21.		खेड़ा	83,20,000/-
22.		राजपिपला	83,20,000/-
23.		दाहोद	83,20,000/-
24.	कर्नाटक	रायचूर	83,20,000/-
25.		बेलगाम	83,20,000/-
26.		धारवाड़	83,20,000/-
27.		दक्षिण कन्नड़	83,20,000/-
28.		चिकबल्लापुर	83,20,000/-
29.		मैसूर	83,20,000/-
30.		हसन	83,20,000/-
31.		बेल्लारी	83,20,000/-

1	2	3	4
32.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप	83,20,000/-
33.	महाराष्ट्र	अलीबाग	83,20,000/-
34.		नासिक	83,20,000/-
35.		उस्मानाबाद	83,20,000/-
36.		वर्धा	83,20,000/-
37.		भंडारा	83,20,000/-
38.		गढ़चिरौली	83,20,000/-
39.		अहमदनगर	83,20,000/-
40.	मिजोरम	सहाय	83,20,000/-
41.		चंपई	83,20,000/-
42.	ओडिशा	जिले के नाम राज्य सरकार द्वारा तय किया जाना है	83,20,000/-
43.			83,20,000/-
44.			83,20,000/-
45.			83,20,000/-
46.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	56,92,000/-
47.	पंजाब	गुरदासपुर	68,20,000/-
48.		तरनतारन	68,20,000/-
49.		मनसा	68,20,000/-
50.		भटिंडा	68,20,000/-
51.		कपूरथला	68,20,000/-
52.	सिक्किम	उत्तरी सिक्किम	83,20,000/-
53.		दक्षिण सिक्किम	83,20,000/-
54.		पश्चिम सिक्किम	83,20,000/-
55.	तमिलनाडु	विल्लुपुरम	48,12,000/-
56.		पुदुक्कोई	48,12,000/-
57.		सलेम	48,12,000/-
58.		शिवगंगई	48,12,000/-
59.		थुथुलुडी	48,12,000/-

1	2	3	4
60.	तमिलनाडु	करूर	48,12,000/-
61.		डिंडीगुल	48,12,000/-
62.		तिरुवन्नामलाई	48,12,000/-
63.		तिरुनेलवेली	48,12,000/-
64.	उत्तराखंड	चमोली	83,20,000/-
65.		रुद्रप्रयाग	83,20,000/-
66.		उत्तरकाशी	83,20,000/-
67.		पौड़ी	83,20,000/-
68.		पिथौरागढ़	83,20,000/-
69.	पश्चिम बंगाल	नादिया	83,20,000/-
70.		कूचबिहार	83,20,000/-

विवरण-XVI

राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2011-12			2012-13			2013-14		
		आबंटन	जारी	व्यय	आबंटन	जारी	व्यय	आबंटन	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2500.00	2470.55	1665.94	2543.40	2225.26	1679.40	1429.43	406.56	
2.	बिहार	1300.00	1077.00	512.31	941.50	0.00	366.55	1323.40	20.00	542.38
3.	छत्तीसगढ़	468.68	399.62	753.36	557.90	449.89	406.17	578.00	281.28	1011.95
4.	गोवा	139.82	135.17	85.70	179.29	123.94	0.00	236.80	45.41	96.86
5.	गुजरात	1715.40	1608.00	1488.95	1722.30	1525.65	1439.43	1229.85	864.28	1436.42
6.	हरियाणा	885.60	744.85	415.78	837.60	268.88	366.62	383.00	20.00	359.45
7.	हिमाचल प्रदेश	244.00	176.05	46.81	252.00	155.00	0.00	155.00	0.00	
8.	जम्मू और कश्मीर	466.80	332.69	132.43	474.40	107.17	30.87	443.16	20.00	67.36
9.	झारखंड	593.30	543.55	592.85	635.95	635.91	581.11	746.00	539.74	
10.	कर्नाटक	1131.86	1114.82	1312.22	1541.96	1429.5	1055.54	1270.85	706.00	1339.16
11.	केरल	523.40	302.21	449.90	702.91	348.64	558.15	504.00	235.56	603.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	मध्य प्रदेश	2438.98	1977.34	1816.96	2700.00	1815.69	2160.99	1424.00	20.00	
13.	महाराष्ट्र	1735.10	1535.83	1953.99	2000.00	1764.00	2132.28	1695.00	1123.48	2825.75
14.	ओडिशा	804.92	321.42	781.00	853.49	377.13	90.40	823.00	231.26	909.95
15.	पंजाब	729.80	729.80	487.10	295.26	295.26	1379.90	564.00	443.00	270.8
16.	राजस्थान	1176.00	739.50	1035.58	1100.00	1099.05	965.43	1346.00	448.93	855.05
17.	तमिलनाडु	2355.00	1597.67	2510.84	2447.00	2413.00	2233.09	1468.00	20.00	1422.95
18.	उत्तर प्रदेश	3200.00	979.57	1944.26	2453.68	872.74	1633.87	2544.10	1090.30	
19.	उत्तराखंड	407.79	277.66	188.56	478.74	304.10	368.07	229.00	125.33	
20.	पश्चिम बंगाल	1042.68	580.58	1511.48	1007.08	1007.08	938.22	1378.00	1153.50	791.84
21.	अरुणाचल प्रदेश	270.14	194.06	150.57	242.82	124.09	153.30	105.30	78.81	85.71
22.	असम	1039.38	661.90	1946.77	865.14	754.30	820.39	1045.35	863.44	820.39
23.	मणिपुर	224.87	210.63	69.90	357.95	105.32	264.04	30.00	224.16	264.04
24.	मेघालय	239.90	232.64	184.55	311.90	311.90	89.37	254.67	62.25	91.91
25.	मिजोरम	555.05	533.98	502.89	272.41	65.04	168.99	200.00	99.63	318.42
26.	नागालैंड	189.39	121.90	93.06	285.55	279.61	276.48	269.59	92.84	
27.	सिक्किम	181.27	131.25	123.8	110.43	29.39	80.87	182.09	58.87	83.11
28.	त्रिपुरा	200.00	191.52	135.84	453.80	330.35	0.00	206.00	0.00	84.38
29.	दादरा और नगर हवेली	99.77	54.61	66.98	48.93	30.00	41.88	60.67	32.24	
30.	चंडीगढ़	78.70	46.45	51.34	95.95	61.55	27.82	79.26	10.00	27.78
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	128.86	127.32	42.100	125.33	69.99	0.00	124.07	10.00	34.65
32.	दमन और दीव	64.49	27.45	10.5500	61.72	0.00	6.24	36.84	0.00	
33.	दिल्ली	450.57	82.88	186.12	263.1	0.00	0.00	64.45	0.00	
34.	लक्षद्वीप	31.30	28.38	20.00*	58.04	0.00	0.00	60.00	7.49	12.37
35.	पुदुचेरी	137.18	70.50	116.25	115.39	15.39	101.29	141.12	88.73	101.29
	कुल	27750.00	20359.35	16492.42	27393.00	19594.00	21226.76	23000.00	9423.09	14457.91

*अनंतिम।

विवरण-XVII

प्राप्त और प्रयुक्त विदेशी सहायता का ब्यौरा (ईएसी)

संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम

क्र.सं.	वर्ष	(बीई)* सहायता प्राप्त किया	उपयोग**
1.	2011-12	32300.00	31520.17
2.	2012-13	61800.00	38523.73
3	2013-14	55000.00	38350.10
4.	2014-15	68580.00	18742.09

*वर्ष 2014-15 हेतु उपयोग दिनांक 14.07.2014 तक है।

**इनमें नकद एवं वस्तुएं दोनों शामिल हैं।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

मलेरिया और कालाजार के नियंत्रण के लिए विश्व बैंक और वैश्विक निधि के जरिए प्राप्त निधियां

वर्ष	आबंटन	व्यय
2010-11	165.26	110.69
2011-12	160.83	167.22
2012-13	251	53.39
2013-14	500	160.22
2014-15	100	0

एचआईवी/एड्स

वर्ष	प्राप्त किया (करोड़ रुपए)	उपयोग (करोड़ रुपए)
2011-12	684.33	631.79
2012-13	539.93	373.36
2013-14	412.84	412.83

[अनुवाद]

पंजीकृत डॉक्टर और नर्स

1388. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पंजीकृत डॉक्टरों और नर्सों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या अनेक पंजीकृत डॉक्टर और नर्स अब देश में कार्य नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् और भारतीय नर्सिंग परिषद् देश में सक्रिय रूप से प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों और नर्सों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के क्रम में रजिस्टर को आवधिक रूप से अद्यतन करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में सक्रिय डॉक्टरों और नर्सों के सटीक आकलन हेतु चालू रजिस्टर के रख-रखाव के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एमसीआई) और भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पूरे देश में 9,29,021 डॉक्टर और 7,49,409 एएनएम तथा 16,60,207 पंजीकृत नर्सें और पंजीकृत नर्सधात्रियां पंजीकृत हैं। संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-Iक और Iख में दिया गया है।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में डॉक्टर और नर्सें उच्च अध्ययन करने अथवा रोजगार के लिए अन्य देशों में चले जाते हैं। तथापि, विदेश में कार्यरत भारतीय डॉक्टरों और नर्सों की संख्या के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर के रख-रखाव के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् उत्तरदायी है। इस रजिस्टर का रख-रखाव संबद्ध राज्य चिकित्सा परिषदों से प्राप्त सूचना के आधार पर किया जाता है। भारतीय नर्स रजिस्टर का रख-रखाव करने के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम 1947 की धारा 15क में ऐसे प्रावधान विद्यमान हैं।

राज्य चिकित्सा रजिस्टर में आवधिक अद्यतन के लिए यह अनिवार्य है कि राज्य चिकित्सा परिषद् अधिनियमों में संबद्ध प्रावधान हों, जो सभी राज्यों में मौजूद नहीं है/कार्यान्वित नहीं किए जा रहे हैं। देश में सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों और नर्सों की संख्या का पता लगाने के लिए आवधिक रूप से इन रजिस्टरों का अद्यतन नहीं किया जाता है।

(ङ) सरकार ने परिषदों को सलाह दी है कि वे "लाइव" रजिस्टरों का रख-रखाव करने की प्रक्रिया शुरू करें।

विवरण-I(क)

वर्ष 2001 से 31 मार्च, 2014 तक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताएं (आईएनसी अधिनियम के तहत) प्राप्त करने वाले और राज्य चिकित्सा परिषदों/एमसीआई में पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या

पिछली बार अद्यतन किया गया
31 मार्च, 2014

	2001 तक	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
आंध्र प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्	43604	1822	1617	1929	960	2041	3593	2748	4035	3760	4370	320			70799
अरुणाचल प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्	0	0	0	0	0	0	143	62	67	62	80	12	55	12	493
असम आयुर्विज्ञान परिषद्	14697	473	467	399	545	399	456	468	590	653	561	487	529		20724
बिहार आयुर्विज्ञान परिषद्	30879	649	862	528	661	656	846	862	616	809	0	463	429		38260
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्	0	1	100	184	185	187	595	831	663	478	882	595	556		5257
दिल्ली आयुर्विज्ञान परिषद्	467	457	596	690	759	725	700	656	793	905	1006	946	1073		9773
गोवा आयुर्विज्ञान परिषद्	1857	98	108	124	109	95	110	104	111	112	119	136	132		3215
गुजरात आयुर्विज्ञान परिषद्	33277	1121	1746	1183	1449	1590	1511	1542	1639	2173	1795	2197	2153		53376
हरियाणा आयुर्विज्ञान परिषद्	1550	88	51	70	47	281	1ण185	539	721	824	361	0			5717
हिमाचल प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्	0	0	0	0	1	133	135	163	273	208	310	377	296	139	2035
जम्मू और कश्मीर आयुर्विज्ञान परिषद्	6821	442	582	403	435	666	559	406	592	454	635	471	473	366	13305
झारखंड आयुर्विज्ञान परिषद्	0	0	91	183	325	203	198	691	1242	312	490	355	283	45	4418
कर्नाटक आयुर्विज्ञान परिषद्	58556	2838	2679	2778	2859	2821	3310	3615	3721	4557	3727	4207	4772	1507	101947

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्	19322	776	807	757	647	785	910	954	704	1007	947	1077	1298	370	30361
महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान परिषद्	103073	3772	3841	3897	4231	3915	4260	3988	3882	3444	3157	3433	3682		148575
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्	21401	1380	1167	921	1295	1989	2687	1741	2074	2645	3730	4864	5603	698	52195
ओडिशा चिकित्सा पंजीकरण परिषद्	13989	325	351	305	246	354	438	331	395	52	0	0			16786
पंजाब आयुर्विज्ञान परिषद्	31450	647	708	687	863	1230	965	841	1043	857	825	768	1129		42013
राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद्	19980	698	696	682	805	1331	1109	1156	1197	1143	1145	1442	1490	325	33199
सिक्किम आयुर्विज्ञान परिषद्	0	0	0	0	0	0	277	184	97	50	69	74	73		824
तमलनाडु आयुर्विज्ञान परिषद्	64993	2265	2350	2244	2029	2204	2489	2959	2992	3388	3476	4182	4594	945	101110
ट्रबणकोर आयुर्विज्ञान परिषद् कोचीन	28631	1179	1060	1013	1142	922	1162	1235	1491	2172	2008	0			42015
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्	42415	1803	1380	1676	1536	1658	1510	1411	1966	2813	2081	2247	2253	594	65343
उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद्	0	0	0	0	404	264	572	1510	335	309	307	527	138		4366
पश्चिम बंगाल आयुर्विज्ञान परिषद्	50208	853	1166	1088	819	875	1020	993	1037	1205	1230	837	1314	270	62915
त्रिपुरा आयुर्विज्ञान परिषद्	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
कुल योग	587170	21687	22425	21741	22352	25324	30740	29990	32276	34392	33311	30017	32325	5271	929021

नोट: *मौजूदा डाटा अभी प्राप्त नहीं हुआ।

एएनएम : सहायक नर्स धात्री।

आरएन एंड आरएम : पंजीकृत नर्से और पंजीकृत नर्स धात्री।

विवरण-I(ख)

भारत में पंजीकृत नर्सों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	दिनांक 31.12.2013 तक भरत के पंजीकृत कुल नर्सों की सख्या	
		एएनएम	आरएन एंड आरएम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	130766	201383
2.	अरुणाचल प्रदेश*	118	63
3.	असम	23546	17607
4.	बिहार*	7869	8947
5.	छत्तीसगढ़	6263	6440
6.	दिल्ली	3454	44840
7.	गुजरात	39781	95350
8.	हरियाणा*	20487	25140
9.	हिमाचल प्रदेश*	10995	10757
10.	झारखंड	4071	2355
11.	कर्नाटक	52463	217994
12.	केरल	29547	191361
13.	मध्य प्रदेश*	34655	103040
14.	महाराष्ट्र	48501	102586
15.	मेघालय	1011	2966
16.	मणिपुर	2915	4508
17.	मिजोरम	1866	2754
18.	ओडिशा*	59225	73306
19.	पंजाब	19586	66317
20.	राजस्थान*	97041	165073
21.	तमिलनाडु	55224	225511
22.	त्रिपुरा	1239	2019
23.	उत्तर प्रदेश	38859	35068
24.	उत्तराखंड*	1223	588
25.	पश्चिम बंगाल	58754	54234
	कुल	749409	1660207

नोट: *मौजूदा डाटा अभी प्राप्त नहीं हुआ।

एएनएम : सहायक नर्स धात्री।

आरएन एंड आरएम : पंजीकृत नर्सों और पंजीकृत नर्स धात्री।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

1389. श्री एम.आई. शनवास : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में एनआरएचएम के क्रियान्वयन में क्या कमियां जानकारी में आई हैं और क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) राज्यों के कार्यनिष्पादन की दृष्टि से पिछड़ने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कतिपय उच्च वरीयता जिलों (एचपीडी) जिन पर और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है को चित्रित किया है और यदि हां, तो ऐसे जिलों के क्या नाम हैं और सरकार द्वारा इन एचपीडी में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल को सुधारने के लिए ध्यान देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के कामकाज की समीक्षा अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण (डीएलएचएस) वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएचएस) और नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) जैसे बाहरी सर्वेक्षणों के जरिए की जाती है। फिलहाल एनएफएचएस — चार सर्वेक्षण प्रगतिरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) में एनआरएचएम का समवर्ती मूल्यांकन किया। आर्थिक वृद्धि संस्थान (आईईजी) ने योजना आयोग की तरफ से एनआरएचएम

का मूल्यांकन किया। इसके अतिरिक्त कॉमन समीक्षा मिशन (सीआरएम) भी प्रतिवर्ष एनआरएचएम/एनएचएम की समीक्षा करते हैं।

विभिन्न मूल्यांकनों के संबंध में निम्नानुसार पब्लिक डोमेन पर सूचना उपलब्ध है:—

डीएलएचएस 4:

https://nrhm-mis.nic/SitePages/DLHS-4.aspx

डीएलएचएस 3:

https://nrhm-mis.nic/SitePages/Pub_SurveyReportStateWise.aspx

एएचएस:

http://www.censusindia.gov.in/vital_statistics/AHS

एसआरएस:

http:/www.censusindia.gov.in/vital_statistics/SRS_Report_2012/1_Contents_2012.pdf

एनआरएचएम का मूल्यांकन: आईईजी

http://planningcommission.nic.in/report/peoreport/peoevalu/peo2807.pdf

आईआईपीएस

http://nrhm-mis.nic.in/SitePages/HMIS-ConcurrentEvaluation.aspx

सीआरएम की रिपोर्टें:

http://nhm.gov.in/monitoring/common-review-mission.html

कॉमन समीक्षा मिशनों तथा आर्थिक वृद्धि संस्थान की अभ्युक्तियों का सार संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) यह प्रगति क्षेत्रों में असमान रही है और इसमें अंतर्राज्यीय विविधताएं हैं क्योंकि कुछ राज्यों ने अत्यंत स्वास्थ्य संकेतकों को शुरू किया। अन्य महत्वपूर्ण कारणों में मानव संसाधनों विशेष तौर पर डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों की कमी, और प्रभावी आयोजनों तथा कार्यान्वयन क्षमताओं का अभाव इत्यादि शामिल हैं। ये राज्य सामान्यतया स्वास्थ्य के विभिन्न सामाजिक घटकों में भी पिछड़ रहे हैं।

(ङ) सरकार ने पूरे देश में 184 उच्च प्राथमिकता वाले जिले (एचपीडी) अभिज्ञात किए हैं। एचपीडी की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, इन एचपीडी में स्वास्थ्य परिचर्या के उन्नयन पर संकेंद्रित ध्यान देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:—

(i) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे इन जिलों में उनकी कठिन स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों के अन्य जिलों के लिए औसतन प्रति व्यक्ति आबंटन की तुलना में अधिकाधिक प्रति व्यक्ति निधि आबंटित करे, संवर्धित सहायक पर्यवेक्षण प्रदान करे और नवाचार कार्यनीतियां प्रस्तावित करें।

(ii) इन प्राथमिकता वाले जिलों पर विशेष फोकस के साथ प्रजनन मातृ नवजात और बाल स्वास्थ्य तथा किशोर-किशोरी कार्यनीति (आरएमएनसीएच+ए) संकेतकों का अनुवीक्षण।

(iii) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे उच्च प्रभाव वाले कार्यकलापों के कार्यान्वयन में कमियों का पता लगाने के लिए विकासमूलक भागीदारों से तकनीकी सहायता के साथ सुविधा-केंद्र-वार अंतराल विश्लेषण करें तथा एनएचएम के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के जरिए इन कमियों को दूर करने के लिए सहायता लें।

(iv) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सर्वप्रथम उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में सुविधा केंद्रों को परिचालित करें और उच्च प्राथमिकता वाले जिलों को उच्च प्राथमिकता देने के साथ मानव संसाधनों की तर्कसंगत और एकसमान तैनाती सुनिश्चित करें।

(v) एक 5×5 मैट्रिक्स, जिसमें आरएमएनसीएच+ए के पांच थीमेटिक क्षेत्रों में प्रत्येक के अंतर्गत पांच उच्च प्रभाव वाले कार्यकलाप शामिल हैं, तैयार की गई है और इसे सभी राज्यों को परिचालित किया गया है।

(vi) दूरस्थ, अल्पसेवित और जनजातीय क्षेत्रों में सेवारत स्वास्थ्य कार्मिकों को विभिन्न वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। जनरलिस्ट डॉक्टरों को स्नातकोत्तर डिग्रियों के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन दिया जाता है:—

(क) दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में कम-से-कम तीन वर्षों तक सरकारी सेवा प्रदान करने वाले सरकारी सेवारत

चिकित्सा अधिकारियों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत आरक्षण; और

(ख) दूरस्थ अथवा कठिन क्षेत्रों में सेवा में प्रत्येक वर्षों के लिए 10 प्रतिशत प्राप्तांकों की दर से प्रोत्साहन, जो स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों का अधिकतम 30 प्रतिशत होगा।

विवरण-I

टिप्पणियों का सार

1. विभिन्न कॉमन समीक्षा मिशन ने विशिष्ट राज्यों के लिए कार्यान्वित प्रगति और कमी उजागर की। सीआरएम का सहभागी, बहु-पणधारी विश्लेषण, गहन मॉनीटरिंग व समीक्षा की जाने वाली सभी घटकों के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु सहभागी होने के नाते इसकी सिफारिशों का जिला और राज्य आयोजनों हेतु प्रयोग किया गया। आम अभ्युक्तियां स्वास्थ्य मानव संसाधन (एचआर), विशेषतया विशेषज्ञों की कमी, प्रापण के मुद्दे, विशेष नवजात परिचर्या यूनिटों और सुविधा केन्द्र आधारित परिचर्या के संबंध में प्रगति, सामर्थ्य से अधिक व्यय (हालांकि इसमें 2005 के स्तर से गिरावट आई), सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) के संबंध में समिति प्रगति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (बीएचएसएनसी) और रोगी कल्याण समिति (आरकेएस), इन क्षेत्रों में परिवार नियोजन और किशोर स्वास्थ्य इत्यादि पर ध्यान देने के अभाव से संबंधित है।

2. योजना आयोग ने भारत के सात (7) राज्यों — पांच उच्च फोकस वाले राज्यों और दो गैर-उच्च फोकस वाले राज्यों के 37 जिलों में 2010-2011 में आईईजी के माध्यम से बाहरी मूल्यांकन किया। इस अध्ययन में यह सूचना दी गई कि झारखंड को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में अवसंरचना के मोर्चे पर सराहनीय प्रगति की गई थी। इस अध्ययन ने मानव संसाधन विशेषकर विशेषज्ञों की कमी को भरने में सीमित प्रगति की सूचना भी दी। चिकित्सा अधिकारियों के संबंध में अनेक राज्य अभी भी लक्ष्य से पीछे थे। अनेक उच्च फोकस वाले राज्यों में सहायक नर्स और नर्स धात्री (एएनएम)/सामान्य नर्स और नर्स धात्री (जीएनएम) स्कूलों ने लगभग 200-06 के आसपास काम करना शुरू किया और ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थिति में वित्तीय वर्ष 2012-13 के आसपास सुधार आया है। प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्यकर्मी (आशा) संबंधी निष्कर्षों ने यह दिखाया कि एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं में समन्वय उच्च स्तर का था जबकि पंचायती राज सदस्यों के साथ कम था। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि वीएचएसएनसी और स्थानीय आयोजनों की आवाजाही कम है। कुल मिलाकर आशाओं को सुविधा प्रदायक के रूप में अपनी भूमिका में कार्य करते हुए पाया गया। इस रिपोर्ट में प्रथम रेफरल यूनिटों को प्रचालनात्मक बनाने के संबंध में घटिया प्रगति की सूचना दी गई और यह सूचना भी दी गई है कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर बाकी अधिकतर राज्यों में आरकेएस स्थापित की गई थी। जिला स्तरों विकेंद्रीकृत प्रबंधन के लिए कम-से-कम मंच प्रदान करने के संबंध में राज्य सही दिशा में कार्य करते प्रतीत होते हैं, हालांकि बैंक खातों का समेकन अधूरा प्रतीत होता है।

विवरण-II

उच्च प्राथमिकता वाले जिलों की सूची

(कम्पोजिट सूचकांक के आधार पर रैंक के आधार पर लिए गए राज्य के निचले 25% राज्य और एलडब्ल्यूई तथा जनजातीय जिलों में आने वाले निचले 50% राज्य

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	2	3
1.	असम	1. गोलाघाट
2.	असम	2. नौगांव
3.	असम	3. कोकराझार
4.	असम	4. हलाकांडी
5.	असम	5. धुबरी
6.	असम	6. करीमगंज
7.	बिहार	1. जमुई
8.	बिहार	2. सहरसा
9.	बिहार	3. पुर्णिया
10.	बिहार	4. सीतामढ़ी
11.	बिहार	5. शिवहर
12.	बिहार	6. पूर्व चंपारण
13.	बिहार	7. अररिआ
14.	बिहार	8. कटिहार

1	2	3
15.	बिहार	9. किशनगंज
16.	बिहार	10. गया
17.	छत्तीसगढ़	1. बिलासपुर
18.	छत्तीसगढ़	2. दंतेवाड़ा*
19.	छत्तीसगढ़	3. बीजापुर
20.	छत्तीसगढ़	4. जशपुर
21.	छत्तीसगढ़	5. सरगुजा
22.	झारखंड	1. पश्चिमी सिंहभूम*
23.	झारखंड	2. सरायकेला-खरसावन
24.	झारखंड	3. गोड्डा
25.	झारखंड	4. साहिबगंज
26.	झारखंड	5. पाकौर
27.	झारखंड	6. पलामू*
28.	झारखंड	7. लातेहार#
29.	झारखंड	8. लोहरडगा
30.	झारखंड	9. गुमला*
31.	झारखंड	10. सिमडेगा
32.	मध्य प्रदेश	1. रायसेन
33.	मध्य प्रदेश	2. टीकमगढ़
34.	मध्य प्रदेश	3. सीधी*
35.	मध्य प्रदेश	4. सिंगरौली
36.	मध्य प्रदेश	5. सागर
37.	मध्य प्रदेश	6. दमोह
38.	मध्य प्रदेश	7. सतना
39.	मध्य प्रदेश	8. डिण्डोरी
40.	मध्य प्रदेश	9. शहडोल*

1	2	3
41.	मध्य प्रदेश	10. अनूपपुर
42.	मध्य प्रदेश	11. उमरिया
43.	मध्य प्रदेश	12. छतरपुर
44.	मध्य प्रदेश	13. पन्ना
45.	मध्य प्रदेश	14. बड़वानी
46.	मध्य प्रदेश	15. मण्डला
47.	मध्य प्रदेश	16. झाबुआ*
48.	मध्य प्रदेश	17. अलीराजपुर
49.	ओडिशा	1. नवपाड़ा
50.	ओडिशा	2. कोरापुट
51.	ओडिशा	3. रायगड़ा
52.	ओडिशा	4. नबरंगापुर
53.	ओडिशा	5. मलकानगिरी
54.	ओडिशा	6. कंधमाल
55.	ओडिशा	7. बौद्ध
56.	ओडिशा	8. गजपति
57.	राजस्थान	1. बूंदी
58.	राजस्थान	2. करौली
59.	राजस्थान	3. जैसलमेर
60.	राजस्थान	4. उदयपुर
61.	राजस्थान	5. राजसमंद
62.	राजस्थान	6. धौलपुर
63.	राजस्थान	7. जालोर
64.	राजस्थान	8. बाड़मेर
65.	राजस्थान	9. बांसवाड़ा
66.	राजस्थान	10. डूंगरपुर

1	2	3	
67.	उत्तर प्रदेश	1.	फ़ैज़ाबाद
68.	उत्तर प्रदेश	2.	संत कबीर नगर
69.	उत्तर प्रदेश	3.	हरदोई
70.	उत्तर प्रदेश	4.	बाराबंकी
71.	उत्तर प्रदेश	5.	पीलीभीत
72.	उत्तर प्रदेश	6.	खीरी
73.	उत्तर प्रदेश	7.	सीतापुर
74.	उत्तर प्रदेश	8.	बरेली
75.	उत्तर प्रदेश	9.	गोंडा
76.	उत्तर प्रदेश	10.	कौशाम्बी
77.	उत्तर प्रदेश	11.	एटा*
78.	उत्तर प्रदेश	12.	कांशीराम नगर
79.	उत्तर प्रदेश	13.	शाहजहांपुर
80.	उत्तर प्रदेश	14.	सिद्धार्थ नगर
81.	उत्तर प्रदेश	15.	बहराइच
82.	उत्तर प्रदेश	16.	बदायूं
83.	उत्तर प्रदेश	17.	बलरामपुर
84.	उत्तर प्रदेश	18.	श्रावस्ती
85.	उत्तर प्रदेश	19.	सोनभद्र
86.	उत्तराखंड	1.	पौड़ी गढ़वाल
87.	उत्तराखंड	2.	टिहरी गड़वाल
88.	उत्तराखंड	3.	हरिद्वार
89.	आंध्र प्रदेश	1.	विजयनगरम
90.	आंध्र प्रदेश	2.	कुडप्पा
91.	आंध्र प्रदेश	3.	कुर्नूल
92.	आंध्र प्रदेश	4.	महबूबनगर

1	2	3	
93.	आंध्र प्रदेश	5.	विशाखापटनम
94.	आंध्र प्रदेश	6.	आदिलाबाद
95.	अरुणाचल प्रदेश	1.	तवांग
96.	अरुणाचल प्रदेश	2.	लोअर दिबांग घाटी
97.	अरुणाचल प्रदेश	3.	पूर्व कामेंग
98.	अरुणाचल प्रदेश	4.	ऊपरी सियांग
99.	अरुणाचल प्रदेश	5.	लोअर सुबानसिरी*
100.	अरुणाचल प्रदेश	6.	कुरूंग कुमे
101.	अरुणाचल प्रदेश	7.	ऊपर सुबानसिरी
102.	दिल्ली	1.	उत्तर पश्चिम
103.	दिल्ली	2.	नॉर्थ ईस्ट
104.	गुजरात	1.	पंच महल
105.	गुजरात	2.	सबर कांथा
106.	गुजरात	3.	बनास कांथा
107.	गुजरात	4.	कच्छ
108.	गुजरात	5.	डांग
109.	गुजरात	6.	दोहाड़
110.	गुजरात	7.	वलसाड
111.	गुजरात	8.	नर्मदा
112.	हरियाणा	1.	जींद
113.	हरियाणा	2.	हिसार
114.	हरियाणा	3.	पानीपत
115.	हरियाणा	4.	पलवल
116.	हरियाणा	5.	मेवात
117.	हिमाचल प्रदेश	1.	मंडी
118.	हिमाचल प्रदेश	2.	लाहौल और स्पीति

1	2	3	
119.	हिमाचल प्रदेश	3.	चंबा
120.	हिमाचल प्रदेश	4.	किन्नौर
121.	जम्मू और कश्मीर	1.	राजौरी
122.	जम्मू और कश्मीर	2.	डोडा*
123.	जम्मू और कश्मीर	3.	रामबन
124.	जम्मू और कश्मीर	4.	किश्तवाड़
125.	जम्मू और कश्मीर	5.	पंच
126.	जम्मू और कश्मीर	6.	लेह (लद्दाख)
127.	कर्नाटक	1.	गडग
128.	कर्नाटक	2.	बीजापुर
129.	कर्नाटक	3.	बागलकोट
130.	कर्नाटक	4.	बेल्लारी
131.	कर्नाटक	5.	कोप्पल
132.	कर्नाटक	6.	गुलबर्गा*
133.	कर्नाटक	7.	यादगीर
134.	कर्नाटक	8.	रायचूर
135.	केरल	1.	कासरगोड
136.	केरल	2.	मलप्पुरम
137.	केरल	3.	पलक्कड
138.	महाराष्ट्र	1.	नांदेड़
139.	महाराष्ट्र	2.	बोली
140.	महाराष्ट्र	3.	जलगांव
141.	महाराष्ट्र	4.	धुले
142.	महाराष्ट्र	5.	औरंगाबाद
143.	महाराष्ट्र	6.	जालना
144.	महाराष्ट्र	7.	गढ़चिरौली

1	2	3	
145.	महाराष्ट्र	8.	हिंगोली
146.	महाराष्ट्र	9.	नंदुरबार
147.	मणिपुर	1.	उखरुल
148.	मणिपुर	2.	तामेंगलांग
149.	मणिपुर	3.	सेनापति
150.	मणिपुर	4.	चंदेल
151.	मणिपुर	5.	चुराचांदपुर
152.	मेघालय	1.	पश्चिम खासी हिल्स
153.	मेघालय	2.	दक्षिण गारो हिल्स
154.	मेघालय	3.	जैंतिया हिल्स
155.	मेघालय	4.	पश्चिम गारो हिल्स
156.	मिज़ोरम	1.	लांगतलैई
157.	मिज़ोरम	2.	मामित
158.	मिज़ोरम	3.	लुंगलेई
159.	मिज़ोरम	4.	सैहा
160.	पुदुचेरी	1.	यनम
161.	पंजाब	1.	संगरूर*
162.	पंजाब	2.	मुक्तसर
163.	पंजाब	3.	गुरदासपुर
164.	पंजाब	4.	बरनाला
165.	पंजाब	5.	मनसा
166.	सिक्किम	1.	पश्चिम
167.	तमिलनाडु	1.	वेल्लूर
168.	तमिलनाडु	2.	मदुरै
169.	तमिलनाडु	3.	कृष्णागिरि
170	तमिलनाडु	4.	तिरुवन्नामलाई
171.	तमिलनाडु	5.	त्रिचि

1	2	3
172.	तमिलनाडु	6. तिरुनेलवेली
173.	तमिलनाडु	7. विरुद्धनगर
174.	त्रिपुरा	1. धलाई
175.	पश्चिम बंगाल	1. कूच बिहार
176.	पश्चिम बंगाल	2. मुर्शिदाबाद
177.	पश्चिम बंगाल	3. दक्षिण 24 परगना
178.	पश्चिम बंगाल	4. माल्दा
179.	पश्चिम बंगाल	5. उत्तर दीनाजपुर
180.	नागालैंड	1. मोकोकचुंग
181.	नागालैंड	2. फेरेन
182.	नागालैंड	3. मोन
183.	नागालैंड	4. कोहिमा

*: जनक जिला।

#: जनक जिले से अलग कर बनाया जिला।

नोट: नागालैंड के जिले में एचएमआईएस मुख्य संकेतक के कंपोजिट सूचकांक के आधार पर है क्योंकि राज्य में डीएलएच एस-3 सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

भारतीय चिकित्सा सेवाएं

1390. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के परामर्श से भारतीय चिकित्सा सेवा का एक नया कैडर आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई संवाद प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जानी प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (घ) इस मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा सेवा के सृजन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, दो अभिवेदनों; एक, सेवा चिकित्सक संगठन की संयुक्त कार्रवाई परिषद् से दिनांक 14 जून, 2014 को तथा दूसरा श्री जीवाभाई अम्बालाल पटेल, पूर्व-सांसद से दिनांक 24 अप्रैल, 2014 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने हेतु राज्य सरकारों सहित पणधारियों के विचार अनिवार्य हैं।

उत्तर-पूर्व में वाणिज्यिक गतिविधियां

1391. डॉ. थोकचोम मेन्या : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मोरे (मणिपुर) सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों के सीमावर्ती नगरों में और उनके आसपास व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने और इनको मुक्त-व्यापार-क्षेत्र में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) व्यक्तियों, वाहनों और वस्तुओं की सीमा पर आवाजाही, जिससे व्यापार और वाणिज्यिक कार्यकलापों में सुविधा होगी, के लिए पर्याप्त अवसंरचना प्रदान करने हेतु सरकार ने सैद्धांतिक रूप से 13 एकीकृत जांच चौकियां (आईसीपी) स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसमें भारत-म्यांमार सीमा पर मोरेह में एक आईसीपी शामिल है।

(ख) आईसीपी, जिससे औपचारिक व्यापार सुकर बनेगा, के अलावा सरकार संबंधित देशों के साथ परामर्श के आयात/निर्यात कर के बिना स्थानीय वस्तुओं के सीमित आदान-प्रदान की अनुमति देने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में 'सीमा हाट' स्थापित करने पर भी विचार कर रही है।

बैंकों को लाइसेंसों को रद्द करना

1392. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक बैंक और राज्य-वार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सहकारी बैंकों के कितने लाइसेंस रद्द किए गए हैं;

(ख) क्या आर.बी.आई. ऐसे बैंकों के और अधिक लाइसेंसों को रद्द करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि आज की तारीख तक पिछले तीन कैलेन्डर वर्षों के दौरान उसने 38 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लाइसेंस रद्द किए हैं। इन शहरी सहकारी बैंकों के राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी ग्रामीण सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का लाइसेंस रद्द नहीं किया है।

नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि बैंकों की तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की गई है और इन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आरबीआई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का बैंकिंग लाइसेंस जारी अथवा रद्द नहीं करता है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शहरी सहकारी बैंकों के लिए लागू पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे के अनुसार यदि जमा राशि में ह्रास 25% से अधिक है, तो वह किसी शहरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई आरंभ करेगा।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) जिनके लाइसेंस रद्द किए गए, का ब्यौरा

क्र. सं.	रद्द करने की तारीख	शहरी सहकारी बैंक के नाम	पंजीकरण राज्य
1	2	3	4
1.	03.01.2011	दादासाहेब रावल को-ऑपरेटिव बैंक लि., दोनदैचा, धूले	महाराष्ट्र
2.	03.01.2011	दादासाहेब डॉ. एन.एम. काबरे नागरिक सहकारी बैंक लि., जलगांव	महाराष्ट्र
3.	25.03.2011	इंदिरा श्रमिक महिला सहकारी बैंक नियामित, सोलापुर	महाराष्ट्र
4.	05.04.2011	श्री बालाजी सीबीएल, नाशिक	महाराष्ट्र
5.	20.05.2011	चौपड़ा अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव	महाराष्ट्र
6.	13.06.2011	सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., पुणे	महाराष्ट्र
7.	22.08.2011	तंडूर महिला को-ऑपरेटिव अरबन बैंक लि., हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
8.	04.11.2011	चारमीनार सीयूबीएल, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
9.	04.11.2011	सोलापुर नगरी औद्योगिक सहकारी बैंक मर्यादित सोलापुर	महाराष्ट्र
10.	08.11.2011	गुजरात इंडस्ट्रीयल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद	गुजरात
11.	11.11.2011	भंडारी सीबीएल, मुम्बई	महाराष्ट्र
12.	24.11.2011	भारत अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि., सोलापुर	महाराष्ट्र
13.	30.12.2011	वीरशैवा सीबीएल, मुम्बई	महाराष्ट्र
14.	09.02.2012	दि पोन को-ऑपरेटिव अरबन बैंक लि., रायगढ़	महाराष्ट्र

1	2	3	4
15.	05.03.2012	कृष्णा वेली को-ऑपरेटिव बैंक लि., सांगली	महाराष्ट्र
16.	21.03.2012	दि भुसवाल पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., भुसावल	महाराष्ट्र
17.	21.03.2012	श्री भद्रन मर्केन्टाइल सीबीएल, अहमदाबाद	गुजरात
18.	25.04.2012	भीमाशंकर नगर सहकारी बैंक लि., लातूर	महाराष्ट्र
19.	16.05.2012	छत्रपुर को-ऑपरेटिव बैंक लि., छत्रपुर	ओडिशा
20.	01.06.2012	दि माधवपुर मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद	गुजरात
21.	28.08.2012	राजीव गांधी सहकारी बैंक लि., लातूर	महाराष्ट्र
22.	09.11.2012	गजियाबाद अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
23.	28.12.2012	स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि., अक्कलकोट, सोलापुर	महाराष्ट्र
24.	01.02.2013	अभिनव सहकारी बैंक लिमिटेड, राहूरी, अहमदनगर	महाराष्ट्र
25.	04.03.2013	बोरसाड नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बोरसाड	गुजरात
26.	21.05.2013	अर्जुन अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि., सोलापुर	महाराष्ट्र
27.	07.06.2013	वैशाली अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर	राजस्थान
28.	26.06.2013	एवीबी एम्पलॉयज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी एंड बैंक लि., दुर्गापुर, वर्दवान	पश्चिम बंगाल
29.	20.08.2013	महात्मा फूले अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि., पटोदा, बीड	महाराष्ट्र
30.	23.08.2013	दि श्रीकाकुलम को-ऑपरेटिव अरबन बैंक लि., श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश
31.	29.08.2013	कासुंदिया को-ऑपरेटिव बैंक लि., हावड़ा	पश्चिम बंगाल
32.	10.09.2013	विश्वकर्मा नगर सहकारी बैंक लि., औरंगाबाद	महाराष्ट्र
33.	23.09.2013	श्री सिद्धी विनायक नगरी सहकारी बैंक लि., रासायनी, रायगढ़	महाराष्ट्र
34.	30.09.2013	दि कोंकण प्रांत सहकारी बैंक लि., मुम्बई	महाराष्ट्र
35.	29.01.2014	दि अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि., भुवनेश्वर	ओडिशा
36.	31.01.2014	दि मुनीसिपल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद	गुजरात
37.	12.06.2014	श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि., गडहिंगलाज, कोल्हापुर	महाराष्ट्र
38.	07.07.2014	वसावी को-ऑपरेटिव अरबन बैंक लि., हैदराबाद	आंध्र प्रदेश

स्रोत: आरबीआई।

[हिन्दी]

औषधियों को अनुमोदन प्रदान करना

1393. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में औषधियों के आयात, विनिर्माण और बिक्री हेतु नई औषधियों के अनुमोदन और लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में निर्धारित किए गए प्रावधानों/दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में उपर्युक्त प्रावधानों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र विद्यमान है;

(ग) क्या केन्द्रीय औषधि मानव नियंत्रण संगठन/भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा देश में कतिपय नई औषधियों के अनुमोदन में निर्धारित नियमों के उल्लंघन की घटनाओं की जानकारी प्राप्त की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) और (ख) देश में नई नौषधों के अनुमोदन, औषधों के आयात, निर्माण व बिक्री को औषध व प्रसाधन साम्रगी अधिनियम, 1940 व औषध व प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

उक्त नियमों की अनुसूची-वाई के नियम 122क, 122ख, 122घ, 122घक, 122घकक, 122घकख, 122घकग, 122घख, 122घघ व 122ङ, के अंतर्गत नई औषधों का अनुमोदन किया जाता है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन नई औषधों का अनुमोदन औषध व प्रसाधन सामग्री नियमों के नियम 122क, 122ख, 122घ व अनुसूची-बाई में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों व अपेक्षाओं के अनुसार गैर-नैदानिकीय आंकड़ों, विदेश में जनित औषध की सुरक्षा व प्रभावकारिता के नैदानिक परीक्षण आंकड़ों और स्थानीय नैदानिक परीक्षण आंकड़ों, अन्य देशों इत्यादि में विनियामक स्थिति के आधार पर करता है। तथापि, नियम 122 क(2) व नियम 122ख(3) के अनुसार, स्थानीय नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है, यदि औषध की प्रकृति ऐसी हो कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी, जनहित में अन्य देशों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर नई औषध के आयात/निर्माण की अनुमति प्रदान करने का निर्णय ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्वास्थ्य परिदृश्य में विशेष प्रासंगिकता में जीवन को जोखिम में डालने वाले/गंभीर रोगों अथवा रोगों में निर्दिष्ट औषधों के लिए अनुसूची-वाई के खंड 1(3) के अनुसार नैदानिक आंकड़ों की अपेक्षाओं को संक्षिप्त, अस्थगित किया अथवा हटाया जा सकता है जैसा लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा समुचित समझा जाए। निश्चित खुराक वाले सम्मिश्रणों (एफडीसी) के आयात/निर्माण के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुसूची-वाई के परिशिष्ट-VI के अंतर्गत अपेक्षाएं निर्धारित की जाती हैं। इन अपेक्षाओं के अनुसार एफडीसी की कतिपय श्रेणी में भारतीय रोगियों पर नैदानिक परीक्षण अपेक्षित है।

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) उक्त अधिनियमों व नियमों के अंतर्गत औषधों के आयात को विनियमित करता है। उपबंधों के अंतर्गत देश में किसी औषध के आयात के लिए सीडीएससीओ से आयात पंजीकरण प्रमाण-पत्र व लाइसेंस प्राप्त किया जाना अपेक्षित होता है।

राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारी औषधों के निर्माण व बिक्री से संबंधित व्यवस्था को विनियमित करते हैं। इसके साथ-साथ ये प्राधिकारी औषधों की लाइसेंसिंग, निरीक्षण व परीक्षण प्रणाली के माध्यम से देश में निर्मित की जाने वाली औषधों की गुणवत्ता को मॉनीटर करते हैं।

(ग) से (ङ) सीडीएससीओ द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी नई औषध कोक अनुमोदन देने का कोई उदाहरण नहीं है। तथापि, नई औषधों के अनुमोदन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(1) 12 नई औषध परामर्शदात्री समितियां (एनडीएसी) जिनका नाम अब विषय विशेषज्ञ समितियां (एसईसी) रखा गया है, और जिनमें देश-भर में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों के प्रमुख विशेषज्ञ हैं, नई औषधों के अनुमोदन के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करती है और अनुमोदन करने का निर्णय लिया जाता है अथवा अन्यथा इन समितियों की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(2) महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की अध्यक्षता वाली आईएनडी समिति अन्वेषणात्मक नई औषधों (आईएनडी) अर्थात् नए औषध पदार्थों जिनका मानवों में पहले कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है, के आवेदनों का मूल्यांकन करती है।

[अनुवाद]

ओडिशा को निधियां जारी किया जाना

1394. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को 14वें वित्त आयोग के निर्णय के अंतर्गत ओडिशा राज्य सरकार को निधियां जारी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं। आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 02.01.2013 के का.आ. 31(अ) के तहत प्रकाशित अधिसूचना द्वारा गठित 14वां वित्त आयोग, 1 अप्रैल, 2015 से प्रारंभ पांच वर्ष की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 2014 तक उपलब्ध कराएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु प्रस्ताव

1395. श्री संजय धोत्रे :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री अधीर रंजन चौधरी :
श्री पी. कुमार :
श्री सुनील कुमार सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को प्राप्त तथा इसके द्वारा अनुमोदित/अस्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के प्रस्तावों का क्षेत्र-वार तथा राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार के पास अनुमोदन हेतु लंबित एफडीआई प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का कुछ क्षेत्रों में विशेषकर भेषज, कृषि, बहु-स्तरीय विपणन, प्रमुख प्रत्यक्ष विक्रय उद्योग और सौर बैटरियों के विनिर्माण में एफडीआई नीति की समीक्षा करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में ग्रामीण विकास कार्यों तथा भषेज कंपनियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभाव का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, यदि कोई अध्ययन कराया गया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में निवेश संबंधी माहौल में सुधार लाने और एफडीआई के प्रस्तावों को शीघ्र अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गये हैं/करने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) (i) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्राप्त नए अनुमोदन
2011	222
2012	218
2013	219
2014 (आज की तारीख तक)	86

(ii) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित/अस्वीकृत प्रस्तावों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	अनुमोदित अनुमोदन#	अस्वीकृत प्रस्ताव
2011	189	71
2012	199	80
2013	198	33
2014 (आज की तारीख तक)	63	15

[#वर्ष के दौरान की गई सिफारिशें दर्शाता है, जिसमें पूर्व वर्ष से आगे ले जाए गए प्रस्ताव शामिल हैं। अत: तालिका (i) और (ii) समान नहीं हैं]

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा प्राप्त और अनुमोदित/अस्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए प्रस्तावों का क्षेत्र-वार और राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता।

(ख) दिनांक 15.07.2014 के अनुसार विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड में कुल 91 प्रस्ताव लंबित हैं और इन सभी प्रस्तावों को शीघ्र मंजूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) देश की एफडीआई नीति की समीक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और भारत को निवेश आकर्षित करने वाला गंतव्य बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में अनेक कदम उठाए हैं। तथापि, इस समय औषध निर्माण, कृषि बहुस्तरीय विपणन, प्रत्यक्ष विक्रय उद्योग और सौर सेलों के विनिर्माण में मौजूदा नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कुछ क्षेत्रों में सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव के संबंध में वित्त मंत्री जी ने 10.7.2014 को दिए अपने बजट भाषण में निम्नलिखित वक्तव्य दिया:—

"एनडीए सरकार की नीति ऐसे चुने गए क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का संवर्धन करना है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापक हित में हो। कुछ क्षेत्रों में एफडीआई एक अतिरिक्त संसाधन है, जो घरेलू विनिर्माण संवर्धन तथा रोजगार सृजन में सहायता करता है। भारत को इस समय रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। विशेष रूप से हमारे विनिर्माण क्षेत्र को रोजगार सृजन के लिए आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में भारत विश्व में रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीददार है। हमारी घरेलू विनिर्माण क्षमताएं अभी प्रारंभिक चरण पर हैं। हम अपनी रक्षा आवश्यकताओं का काफी हिस्सा सीधे विदेशी निर्माताओं से खरीदते हैं। विदेशी सरकारों तथा विदेशी निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित ये कंपनियां हमारी रक्षा आवश्यकताओं की आपूर्ति कर रही हैं, जिसके लिए काफी विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है। वर्तमान में हमने रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में 26% एफडीआई की अनुमति दी है। एफआईपीबी मार्ग के माध्यम से पूर्ण भारतीय प्रबंधन एवं नियंत्रण के साथ विदेशी मुद्रा की संयुक्त सीमा को 49% तक बढ़ाया जा रहा है।

बीमा क्षेत्र में निवेश की कमी है। बिना क्षेत्र के कुछ घटकों में विस्तार की आवश्यकता है। बीमा क्षेत्र में संयुक्त सीमा को एफआईपीबी मार्ग के माध्यम से पूर्ण भारतीय प्रबंधन एवं नियंत्रण के साथ वर्तमान 26% के स्तर से 49% तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

स्मार्ट सिटीज, जो नए मध्यम वर्ग हेतु आवास भी उपलब्ध कराएंगे, के पूरा होने की तीन वर्षों की अवरुद्धता अवधि के साथ विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात क्षेत्र की आवश्यकता तथा एफडीआई के लिए पूंजी शर्तों को क्रमश: 50,000 वर्गमीटर से 20,000 वर्गमीटर और 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम किया जा रहा है।

इसको और प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी परियोजनाओं, जो कम लागत वाले वहनीय घरों के लिए कुल परियोजना लागत के कम-से-कम 30% तक वचनबद्ध हैं, को तीन वर्षों को अवरुद्धता अवधि की शर्त के साथ न्यूनतम निर्मित क्षेत्र तथा पूंजीकरण आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी। वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत एफडीआई की अनुमति है। विनिर्माण इकाइयों को बिना किसी अतिरिक्त अनुमोदन के ई-कॉमर्स प्लेटफार्म सहित खुदरा व्यापार के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने की अनुमति दी जाएगी।

(घ) इस विभाग ने इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ङ) सरकार ने एफडीआई संबंधी निवेशक अनुकूल नीति बनाई है, जिसके तहत ज्यादातर क्षेत्रों/क्रियाकलापों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है।

सरकार भारत में निवेश के वातावरण और अवसरों के संबंध में जानकारी का प्रसार करके तथा संभावित निवेशकों को निवेश नीतियों, प्रक्रियाओं एवं अवसरों के बारे में सलाह प्रदन करने, श्रम प्रधान उद्योगों सहित सभी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाती है। औद्योगिक साझेदारी के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाता है। यह भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह को प्रोत्साहित करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों पहलों के माध्यम से औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यकलापों में फिक्की, सीआईआई और एसोचैम जैसे शीर्ष उद्योग संघों के साथ भी समन्वय करती है।

सरकार ने भावी विदेशी निवेशकों के लिए एक गैर-लाभप्रद, एकल खिड़की सुविधा प्रदायक के रूप में तथा निवेश आकर्षित करने के लिए ढांचागत तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग तथा फिक्की के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी 'इन्वेस्ट इंडिया' भी स्थापित की है।

योजनाओं की मध्यावधि समीक्षा

1396. श्री शिवकुमार उदासि : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं की मध्यावधि समीक्षा पूर्ण कर ली है;

(ख) यदि हां, तो बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि जल, विद्युत, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी योजनाओं के संबंध में प्राप्त उपब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बुनियादी अवसंरचना में निवेश हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इस संबंध में अब तक कितना निवेश किया गया है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। पंचवर्षीय योजनाएं

जिनमें इनकी स्कीमें भी शामिल हैं का मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) साधारणत: योजना के तीसरे वर्ष में प्रारंभ किया जाता है और उसी वर्ष के अंत तक पूरा हो जाता है। चालू वित्त वर्ष 12वीं योजना का तृतीय वर्ष है, अत: एमटीए की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। एमटीए के पूरा होने के बाद ही बुनियादी आवश्यकताओं संबंधी योजनाओं के संबंध में प्राप्त उपलब्धियों के ब्यौरे का पता चल सकता है।

(ग) 12वीं योजना में बुनियादी अवसंरचना जिसमें बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़कें और पुल, दूरसंचार, रेलवे, मॉस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, सिंचाई (जल संभर सहित), जल आपूर्ति और स्वच्छता, बन्दरगाह, हवाई अड्डे, भंडारण और तेल एवं गैस पाइपलाइन शामिल है, पर 55,74,663 करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 55,74,663 करोड़ रुपए के लक्ष्य को आगे 16,01,061 करोड़ रुपए के केन्द्रीय क्षेत्रक, 12,89,762 करोड़ रुपए के राज्य क्षेत्रक और 26,83,840 करोड़ रुपए के निजी क्षेत्रक के उप-लक्ष्यों में उपविभाजित किया गया है। एमटीए के पूरा होने के बाद ही इस क्षेत्रक में अभी तक किए गए वास्तविक निवेश का पता चल सकता है।

[हिन्दी]

महिलाओं को अपमानजनक दंड देना

1397. डॉ. संजय जायसवाल : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ राज्यों में पंचायतों द्वारा महिलाओं को अपमानजनक और निरादर वाला दंड देने पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसी घटनाओं की प्राप्त जानकारी का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे जघन्य अपराधों और अमानवीय गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समाज की सामाजिक मानसिकता को परिवर्तित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) से (ग) संविधान के अंतर्गत सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इस प्रकार पंचायतों द्वारा महिलाओं को अपमानजनक और अनादरपूर्ण दंड देने सहित अपराधों के निवारण, पता लगाने, दर्ज करने, जांच और अभियोजन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की है। संघ सरकार महिलाओं के प्रति अपराधों के निवारण के मामलों को सर्वोपरि महत्व देती है और इस संदर्भ में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्शी पत्र भी भेजा गया था जिसमें उनसे महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्याओं से निपटाने के लिए प्रशासनिक तंत्र की प्रभावकारिता की विस्तृत समीक्षा करने की सलाह दी गई थी।

[अनुवाद]

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना

1398. श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री भरत सिंह :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) कथित रूप से नियत से कम वेतन देकर और अप्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा चलायी जा रही हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आईसीडीएस योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से रिपोर्ट की गई आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का आईसीडीएस योजना में सुधार लाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) से (घ) भारत सरकार महिला और बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) चला रही है जो राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा क्रियान्वित की जा रही एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। स्कीम का उद्देश्य बुनियादी स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 सेवाओं का पैकेज प्रदान कर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती एवं धात्री माताओं का समग्र विकास करना है। इस पैकेज में (i) पूरक पोषण (ii) स्कूल-पूर्व शिक्षा (iii) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (iv) प्रतिरक्षण (v) स्वास्थ्य जांच तथा (vi) रैफरल सेवाएं शामिल हैं। इन 6 सेवाओं में से 3 सेवाएं अर्थात् प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच तथा रैफरल सेवाएं स्वास्थ्य-संबंधित हैं और एनआरएचएम तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना

के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है।

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को स्थानीय समुदाय से 'अवैतनिक कर्मी' के रूप में परिकल्पित किया गया है जो बाल देखरेख एवं विकास के क्षेत्र में अंशकालिक आधार पर अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आती है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित मानदेय दिया जाता है। इस समय 1.04.2011 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को क्रमशः 3000 रुपये प्रतिमाह एवं 1500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्त्रियों को 04.07.2013 से 2250 रुपये मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा, अधिकांश राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन भी अपने स्वयं के संसाधनों से मानदेय की अतिरिक्त राशि का भुगातन करते हैं।

इसके अलावा, इन कार्यकर्त्रियों को प्रसव के समय सवैतन अवकाश, 'आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बिमा योजना' के अंतर्गत बिना, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को लिए पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने में 25 प्रतिशत आरक्षण, आंगनवाड़ी सहायिकाओं आदि से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को आईसीडीएस सेवाओं की प्रदायगी में अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए उनके कौशल, ज्ञान एवं क्षमता का निर्माण करने के लिए तीन प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण हैं: (1) प्रवेश प्रशिक्षण (6 दिवसीय) उनकी भर्ती पर तुरंत दिया जाता है, यदि उन्हें पूर्ण जॉब प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जाता है; (2) जॉब प्रशिक्षण (26 दिवसीय) — एक बारगी पूर्ण प्रशिक्षण जो नियुक्ति के बाद दिया जाता है; और (3) पुनश्चर्या प्रशिक्षण (5 दिवसीय) — 2 साल में एक बाद दिया जाता है। प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट पाठ्यचर्या एवं विषय वस्तु निपसिड द्वारा विकसित की जाती है तथा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निर्धारित की जाती है। ये प्रशिक्षण आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र में संचालित किए जाते हैं जिनमें से अधिकांश एनजीओ द्वारा संचालित है तथा भारत सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा खोले गए हैं।

आईसीडीएस स्कीम के तहत वर्ष 2011-12 से 2013-14 और 2014-15 (30 जून, 2014 तक) के जिए राज्य शेयर समेत राज्य-वार जारी अनुदान एवं सूचित व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) कार्यक्रम, प्रबंध एवं संस्था में जुड़े विभिन्न अंतरालों को पाटने तथा प्रशासनिक एवं प्रचालनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरन 123580 करोड़ रुपए के समग्र आबंटन के साथ सितंबर, 2012 में आईसीडीएस स्कीम के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण को अनुमोदित किया।

पुनर्गठित एवं सुदृढ़ीकृत आईसीडीएस की शुरुआत निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार हुई है:—

1. पहले वर्ष (2012-13) में 200 अधिक प्रभावित जिलों में;
2. दूसरे वर्ष (2013-14) में (अर्थात् 1.04.2014 से) विशेष श्रेणी के राज्यों एवं एनईआर के जिलों समेत 200 अतिरिक्त जिलों में;
3. तीसरे वर्ष (2014-15) में (अर्थात् 1.4.2014 से) से शेष जिलों।

सुदृढ़ीकृत और पुनर्गठित आईसीडीएस स्कीम की प्रमुख विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ (क) 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती एवं धात्री माताओं (पीएंडएल) पर विशेष ध्यान देना, (ख) देखरेख और पोषण संबंधी परामर्श सेवाओं तथा अत्यधिक अल्पवज़नी बच्चों की देखरेख सहित सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और पुन: संवेष्टन, (ग) लिंक वर्कर, 5 प्रतिशत शिशुगृह-सह-आंगनवाड़ी केंद्र के प्रावधान के अलावा 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और देशभर के चयनित 200 अधिक कुपोषण वाले जिलों में गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए परिवार संपर्क, देखरेख और पोषण परामर्श में सुधार के लिए एक अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री-सह-पोषण परामर्शदाता का प्रावधान, (घ) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) पर ध्यान देना, (ङ) सशक्त संस्थागत और कार्यक्रमगत अभिसरण, विशेष रूप से जिला, ब्लॉक और ग्राम के स्तर पर विकसित करना, (च) सामुदायिक भागीदारी के लिए स्थानीय स्तरों पर लोचनीयता प्रदान करने वाले मॉडलों, (छ) एपीआईपी की शुरुआत, (ज) लागत संशोधन सहित पूरक पोषण कार्यक्रम में सुधार, (झ) आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण और सुधार के लिए प्रावधान, (ञ) मॉनीटरन और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), प्रशिक्षण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित अन्य घटकों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का आबंटन, (ट) आईसीडीएस को मिशन मोड में रखना, और (ठ) वित्तीय मानकों में संशोधन आदि के माध्यम से कमियों को दूर करना एवं चुनौतियों का सामना करना शामिल है।

विवरण

गत तीन वर्षों 2011-12, 2012-13, 2013-14 के दौरान एवं 2014-15 (30.06.2014 तक) आईसीडीएस स्कीम [आईसीडीएस (सामान्य), पूरक पोषण एवं प्रशिक्षण] हेतु निर्मुक्त राशि और सूचित व्यय

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15
		निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित व्यय	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित व्यय	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा सूचित व्यय	निर्मुक्त राशि (30 जून, 2014 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	92895.37	149209.67	110011.33	141522.07	111334.49	169925.2	34964.34
2.	बिहार	81909.11	121393.31	107957.00	157647.59	107609.68	216193.18	43121.27
3.	छत्तीसगढ़	38502.25	58677.58	53860.37	60688.87	50459.30	32009.38	15979.73
4.	गोवा	1257.49	1892.62	1859.53	1931.36	1567.58	780.61	1242.89
5.	गुजरात	80665.68	87087.87	60144.11	87054.57	60807.51	33243.99	21597.66
6.	हरियाणा	22752.56	29322.76	30331.08	34820.58	31266.40	27320.17	10189.92
7.	हिमाचल प्रदेश	14723.44	18850.47	17014.46	20201.69	17278.95	10214.6	5105.61
8.	जम्मू और कश्मीर	16958.11	18277.40	26029.50	36271.67	29610.25	30.51	9195.78
9.	झारखंड	32638.51	46759.24	38673.75	61462.18	49930.46	55942.39	18157.63
10.	कर्नाटक	76766.99	97517.46	67426.31	113225.28	75135.57	91429.77	21776.69
11.	केरल	37075.31	33076.67	27472.04	39045.33	35995.97	18252.91	10617.7
12.	मध्य प्रदेश	92877.29	152465.91	147086.26	169751.28	102418.63	130805.79	43931.73
13.	महाराष्ट्र	142969.35	205753.00	140032.78	215117.47	129519.81	116931.73	44430.23
14.	ओडिशा	68328.66	86867.96	66424.71	102438.85	97438.29	114207.39	27669.66
15.	पंजाब	26258.52	30732.12	29429.25	31481.2	24546.11	12918.26	9776.75
16.	राजस्थान	59253.76	89506.17	68853.08	98296.03	65232.45	68051.55	23424.26
17.	तमिलनाडु	54283.32	47989.84	42882.04	86535.21	65605.57	66496.58	18676.82
18.	उत्तर प्रदेश	11815.29	13143.01	12036.13	12820.79	17763.50	15477.84	5107.85
19.	उत्तराखंड	221764.68	335236.64	250471.26	380877.96	235448.38	459519.9	97299.14
20.	पश्चिम बंगाल	116162.04	133060.91	106618.64	153266.77	123227.84	68586.2	42918.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6935.94	16488.18	16495.76	21595.7	17700.74	25044.76	5075.99
22.	चंडीगढ़	1728.79	1048.54	387.11	1188.33	736.39	457.51	799.51
23.	दादरा और नगर हवेली	720.73	1087.03	575.17	944.54	391.79	1558.58	679.06
24.	दमन और दीव	627.50	863.82	685.85	890.47	731.19	532.08	895.68
25.	लक्षद्वीप	198.43	134.82	238.37	37.57	378.31	37.92	274.53
26.	दिल्ली	114.85	263.61	188.1	250.16	161.19	296.09	149.38
27.	पुदुचेरी	199.52	323.35	146.44	155.97	147.46	99.6	131.67
28.	अरुणाचल प्रदेश	9776.70	11325.99	12392.5	10645.63	10344.16	4386.83	3341.81
29.	असम	68745.78	83773.51	90085.33	82297.54	103145.19	52861.09	35183.04
30.	मणिपुर	8172.36	7641.42	7700.66	5001.89	16140.54	5333.16	4270.32
31.	मेघालय	9489.85	10279.31	10608.84	10491.28	14287.83	13609.96	3799.5
32.	मिजोरम	4581.50	5069.31	5480.34	5645.8	4772.89	5961.83	1651.88
33.	नागालैंड	10785.86	9410.71	8526.31	8571.73	8912.80	7566.13	3115.05
34.	सिक्किम	1335.71	1968.75	2115.37	1975.25	2607.14	1406.2	1905.45
35.	त्रिपुरा	13235.36	13148.74	9437.63	10832.63	13651.31	14493.49	4194.49
36.	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना (एलआईसी)	663.72		472.18	0	442.90	0	
37.	निपसिड	50.68		0	0		0	
	कुल	1427221.01	1919647.70	1570149.59	2164981.24	1626748.57	1841983.18	570651.62

[अनुवाद]

स्त्री शक्ति पुरस्कार

1399. श्री प्रताप सिम्हा : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रत्येक जिले में महिलाओं के योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए स्त्री शक्ति पुरस्कार की तर्ज पर एक पुरस्कार शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे पुरस्कार कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) से (ग) जी, हां। पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है तथा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के बाद शुरू किया जाएगा।

प्राथमिकता वाले देशों की सूची

1400. **श्री जैदेव गल्ला :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्राथमिकता वाले देशों की सूची से भारत को बाहर वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत या अमेरिका ने भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच पर किसी बैठक में इस मुद्दे को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम रहा;

(ङ) क्या अमेरिका के साथ इस संबंध में कोई चर्चा हुई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम रहा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) और (ख) दिनांक 30.04.2014 को संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा हाल ही में रिलीज की गई '2014 विशेष 301 रिपोर्ट' में, भारत की 'प्राथमिकता निगरानी सूची देश' के रूप में वगीकृत किया गया है और यूएस द्वारा एक 'आउट-ऑफ-साइकिल' समीक्षा करने का निश्चय किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। विगत 3 वर्षों के दौरान भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच की किसी बैठक का आयोजन नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) यूएस व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 182 के अनुसरण में आयोजित विशेष 301 के अंतर्गत निर्धारण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सुनवाई का आयोजन किया जाता है जहां भारतीय और यूएस के व्यापारी भाग लेते हैं। दोनों सरकारों के बीच कोई शासकीय चर्चा आयोजित नहीं की गई है।

तंबाकू उत्पादों का उपभोग

1401. **श्री बैजयंत जे. पांडा :**
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
डॉ. वीरेन्द्र कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों का उपभोग, विशेषत: महिलाओं में बढ़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में धुम्रपान और तंबाकू उत्पादों के उपभोग के लोगों को रोकने के लिए लक्षित विभिन्न तंबाकू विरोधी कानूनों/उपायों के प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में 'प्लेन सिगरेट पैकेजिंग' शुरू करने और समग्र तंबाकू कराधान नीति शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में धूम्रपान और तंबाकू उपभोग को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) 15 वर्ष की आयु तथा इससे अधिक आयु के वर्ग में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (2010) द्वारा किए गए वैश्विक प्रौढ़ तंबाकू सर्वेक्षण, (जीएटीएस) भारत के अनुसार, भारत में तंबाकू उपभोक्ताओं की कुल संख्या 27.49 करोड़ है जिनमें से 7.8 करोड़ महिलाएं हैं। अन्य प्रमुख निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

- 20.3% महिलाएं तंबाकू का सेवन किसी न किसी रूप में करती हैं।
- 2.9% महिलाएं तंबाकू के धूम्रपान रूपों का सेवन करती हैं।
- 18.4% महिलाएं तंबाकू के धूम्रपान रूपों का सेवन करती हैं।
- 25.8% महिलाएं 15 वर्ष की आयु से पूर्व तंबाकू सेवन करती हैं।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रौढ़ तंबाकू सेवन को मॉनीटर करने तथा प्रमुख तंबाकू नियंत्रण संकेतकों का पता लगाने के लिए वैश्विक प्रौढ़ तंबाकू सर्वेक्षण, भारत (जीएटीएस) (2010) किया था। मॉनीटर किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण संकेतक तथा वे जिनके लिए आकलन उपलब्ध हैं, निम्न प्रकार से हैं:—

1. **अप्रत्यक्ष धूम्रपान के प्रति अरक्षिततता (एसएचएस):**
   - 30% वयस्क कार्यस्थल पर एसएचएस के प्रति अरक्षित न होते हैं;

- 52% वयस्क घर में एसएचएस के प्रति अरक्षित होते हैं;
- 17.5% वयस्क लोग आरक्षित परिवहन में एसएचएस के प्रति अरक्षित होते हैं।

2. किसी भी मीडिया में तंबाकू-रोधी सूचना:

- 52% वयस्कों ने सिगरेट-रोधी सूचना पर ध्यान दिया।
- 61% वयस्कों ने बीड़ी-रोधी सूचना पर ध्यान दिया।
- 66% वयस्कों ने धूम्रहीन-रोधी तंबाकू सूचना पर ध्यान दिया।

3. विभिन्न तंबाकू उत्पादों के बारे में स्वास्थ्य चेतावनियों पर ध्यान देना तथा इसे छोड़ने के बारे में सोचना:—

- 70.8% सिगरेट धूम्रपान करने वाले लोगों ने सिगरेट पैकेज पर दी गई स्वास्थ्य चेतावनियों पर ध्यान दिया था 38% लोगों ने चेतावनी लेबल की वजह से इसे छोड़ने के बारे में सोचा।
- 62% बीड़ी धूम्रपान करने वाले लोगों ने बीड़ी पैकेज पर दी गई स्वास्थ्य चेतावानियों पर ध्यान दिया था 29% लोगों ने चेतावनी लेबल की वजह से इसे छोड़ने के बारे में सोचा।
- 62% तंबाकू धूम्रपान करने वाले लोगों ने तंबाकू पैकेज पर दी गई स्वास्थ्य चेतावनियों पर ध्यान दिया था 34% लोगों ने चेतावनी लेबल की वजह से इसे छोड़ने के बारे में सोचा।

4, ज्ञान, प्रवृत्ति एवं अवधारणाएं:

- 90% वयस्क यह मानते हैं कि धूम्रपान की वजह से गंभीर बीमारी हो सकती है।
- 85% वयस्क मानते हैं कि धूम्रपान की वजह से फुफ्फुस कैंसर होता है।
- 63.9% वयस्क मानते हैं कि धूम्रपान की वजह से दिल का दौरा पड़ता है।

(घ) फिलहाल प्लेन पैकेजिंग को शुरू करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रति दो वर्षों या उससे पहले रोटेशन के विकल्प के साथ चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियां तंबाकू उत्पाद पैकेजों के 40% प्रमुख पारदर्शी जगह में तथा फ्रंट पैनल पर होनी चाहिए।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सभी तंबाकू उत्पादों के लिए "व्यापक कर-निर्धारण नीति" को अपनाने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा है ताकि इन पर समान दरों का कर लगाया जा सके और अपेक्षाकृत सस्ते तंबाकू उत्पादों की ओर रूझान के प्रोत्साहन को कम किया जा सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि नीति के अंतर्गत, कर दर को मुद्रास्फीति तथा घरेलू आय में बदलाव दोनों से संबद्ध किया जाए, ताकि किसी भी कर के बढ़ने से तंबाकू उत्पादों के मूल्य में प्रभावी एवं "वास्तविक वृद्धि" हो, जिससे कि इन्हें आने वाले समय में और कम वहनीय बनाया जा सके और इसके द्वारा उपभोग व व्याप्तता को कम किया जा सके। ऐसी नीति को बनाते वक्त मूल्य पर अध्ययन करना तथा मांग के लचीलेपन को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने सचिव (राजस्व) को दिनांक, 26 जून, 2014 के पत्र के तहत, वृहत जन स्वास्थ्य हित तथा युवा एवं बच्चों को धूम्रपान सेवन की लत से बचाने के लिए तंबाकू उत्पादों के लिए "व्यापक कर नीति" अपनाने के लिए लिखा है।

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. वर्ष 2003 में 'सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम' सीओपीटीए पारित किया गया, जिसका उद्देश्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, संवर्धन एवं प्रायोजन पर प्रतिबंध लगाकर; सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध करके; 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और उनके द्वारा तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाकर; शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के क्षेत्र के भीतर बिक्री का निषेध करके और सभी तंबाकू उत्पादों पर विशेष चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी के प्रदर्शन को अनिवार्य बनाकर तंबाकू उत्पादों के उपभोग, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को विनियमित करना था।

2. भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) आरंभ किया जिसका लक्ष्य, (i) तंबाकू उपभोग के हानिकारक प्रभावों के संबंध में जागरुकता पैदा करना, (ii) तंबाकू उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को कम करना, (iii) 'सिगरेट एवं अन्य तंबाकू

उत्पाद' (विज्ञापन निषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम (सीओपीटीए), 2003 के तहत प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और (iv) तंबाकू नशा मुक्ति केंद्रों के माध्यम से तंबाकू उपयोग का इस्तेमाल छुड़वाने में लोगों की मदद करना है।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को 21 राज्यों के मौजूदा 42 जिलों से बढ़ाकर 2013-14 में 29 राज्यों के 53 जिलों में विस्तारित किया गया है।

3. राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरुकता अभियान राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत एक प्रमुख गतिविधि है जिसका उद्देश्य तंबाकू के प्रयोग के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव के संबंध में जनता को शिक्षित करना है। विभिन्न मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक (सरकारी और निजी चैनलों और एफएम रेडियो), बाहरी इश्तहार पर, बस पैनलों, ट्रेन की बाहारी दीवार पर इश्तहार समाचार पत्र विज्ञापन आदि का प्रयोग बड़ी संख्या में जनता तक पहुंचाने के लिए किया गया है।

4. तंबाकू के प्रयोग के हानिकार प्रभावों से संबंधित स्वास्थ्य हानि को तंबाकू उत्पादों अथवा उसके प्रयोग को दर्शाते हुए फिल्मों और टीबी कार्यक्रमों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि सीओपीटीए, 2003 के तहत नियमों में अधिसूचित किया गया है।

5. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत दिनांक 1 अगस्त, 2011 को जारी किए गए खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियमन, 2011 के अंतर्गत गुटका और निकोटिन तथा तंबाकू युक्त अन्य समान खाद्य पदार्थों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

औद्योगीकरण बढ़ाने के लिए रियायत/ वित्तीय सहायता

1402. श्री विनसेंट एच. पाला : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषत: ग्रामीण/पिछड़े/पहाड़ी/दूरस्थ तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मुहैया कराए जा रहे/कराए जाने के लिए प्रस्तावित रियायतों/वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके फलस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड को दिए जा रहे विशेष पैकेज का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इन राज्यों में विशेष पैकेज के जरिए स्थापित उद्योगों की संख्या कितनी है और उससे सृजित रोजगार कितना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड को रियायतों/वित्तीय सहायता के विभिन्न पैकेज उपलब्ध करा रही है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इन योजनाओं की शुरुआत से ही इनके लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

ये पैकेज शुरू करने से इन राज्यों में उद्योगों की वृद्धि हुई है। किए गए निवेश, स्थापित इकाइयों तथा सृजित रोजगार के संबंध में प्राप्त सफलता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ख) और (ग) विशेष श्रेणी के राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए पैकेज को पहले से ही विस्तारित किया जा चुका है। जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष पैकेज दिनांक 15.06.2012 से 14.06.2017 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया है तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज दिनांक 07.01.2013 से 31.03.2017 तक के लिए बढ़ाया गया है।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा बताए गए अनुसार पैकेजों के विस्तार के बाद से किए गए निवेश तथा सृजित रोजगार सहित स्थापित इकाइयों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

क. एनआईआईपीपी, 2007 के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को प्रदान किया गया रियायतों/वित्तीय सहायता का पैकेज:

सरकार ने दिनांक 01.04.2007 से 10 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी), 2007 नामक आर्थिक प्रोत्साहनों/रियायतों के पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत उपलब्ध लाभ निम्नलिखित हैं:-

(i) संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य के 30% की दर से पूंजी निवेश राजसहायता।

(ii) किसी औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि से 10(दस) वर्ष की अवधि हेतु लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण पर 3% की दर से ब्याज राजसहायता।

(iii) किसी औद्योगिक इकाई द्वारा दिए गए सीमा प्रीमियम की 100% प्रतिपूर्ति के लिए बीमा राजसहायता।

अन्य प्रोत्साहन/रियायतें:

- राजस्व विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट "मूल्य वर्धन" मानदंडों के आधार पर उत्पाद शुल्क में छूट; और
- आयकर में 100% की छूट।

ख. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज:

सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के औद्योगिक विकास के लिए दिनांक 07.01.2013 से दस वर्ष की अवधि के लिए प्रोत्साहनों/रियायतों का विशेष पैकेज शुरू किया था। यह पैकेज दिनांक 06.01.2013 को समाप्त हो गया था तथा इसे 07.01.2013 से 31.03.2017 तक के लिए आगे बढ़ाया गया है। इस विस्तारित पैकेज में अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित नई इकाइयों के लिए अथवा मौजूदा इकाइयों के पर्याप्त विस्तार पर तथा राज्य में कहीं भी मुख्य रूप से बल दिए जाने वाले उद्योगों के लिए 30 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के 15% की दर से केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता शामिल है। एमएसएमई के लिए इसी क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए की अधिकतम ऊपरी सीमा के साथ संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश का 15%।

ग. जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष पैकेज:

सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में औद्योगिक विकास के लिए दिनांक 14.06.2002 को दस वर्ष की अवधि के लिए प्रोत्साहनों/रियायतों का विशेष पैकेज शुरू किया था। यह प्रोत्साहन पैकेज दिनांक 14.06.2012 को समाप्त हो गया था तथा इसे निम्नानुसार कुछ संशोधनों के साथ दिनांक 15.06.2012 से 14.06.2017 तक आगे पांच साल की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया है:—

(i) संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश के 15% की दर से पूंजी निवेश राजसहायता, जिसकी अधिकतम सीमा 30 रुपए है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश के 30% की पूंजी निवेश निवेश राजसहायता के पात्र होंगे, जिसकी अधिकतम सीमा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए क्रमश: 3.00 करोड़ रुपए और 1.50 करोड़ रुपए है;

(ii) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए औसत दैनिक कार्यशील पूंजी ऋण पर 30% की ब्याज राजसहायता; तथा

(iii) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए दिए गए प्रीमियम के 100% तक की बीमा राजसहायता।

घ. परिवहन राजसहायता योजना (टीएसएस), 1971/मालभाड़ा राजसहायता योजना (एफएसएस), 2013 के तहत उपलब्ध लाभ:

इसके अलावा, सरकार ने परिवहन राजसहायता योजना (टीएसएस), 1971 की भी घोषणा की है, जिसमें पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के अलावा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन और लक्षद्वीप प्रशासन शामिल हैं, जिसके तहत वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए औद्योगिक इकाई के स्थान से निर्धारित रेल शीर्ष तक कच्चे माल/तैयार सामान की ढुलाई की लागत के 75 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जाती है। अब इस योजना को संशोधित किया गया है तथा इसे दिनांक 22.1.2013 को मालभाड़ा राजसहायता योजना (एफएसएस) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

विवरण-II

विभिन्न पैकेजों के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता (राज्य-वार) का ब्यौरा (शुरुआत से लेकर वित्तीय वर्ष 2013-14 तक)

क. पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007:

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	प्रदान की गई वित्तीय सहायता
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	15.45
2.	असम	252.07
3.	मणिपुर	0.12
4.	मेघालय	172.64
5.	मिज़ोरम	48.10

1	2	3
6.	नागालैंड	0.07
7.	सिक्किम	19.16
8.	त्रिपुरा	6.82

ख. विशेष पैकेज योजनाओं के तहत:

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	कुल
1.	जम्मू और कश्मीर	188.86
2.	हिमाचल प्रदेश	260.00
3.	उत्तराखंड	204.78

ग. परिवहन राजसहायता योजना (टीएसएस), 1971 के तहत:

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल
1.	हिमाचल प्रदेश	372.96
2.	जम्मू और कश्मीर	64.55
3.	उत्तराखंड	20.33
4.	अरुणाचल प्रदेश	242.03
5.	असम	1084.95
6.	मणिपुर	24.61
7.	मेघालय	847.60
8.	मिज़ोरम	50.41
9.	नागालैंड	93.73
10.	त्रिपुरा	14.98
11.	सिक्किम	17.37
12.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.20
13.	पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग जिला)	1.88

घ. मालभाड़ा राजसहायता योजना (एफएसएस), 2013 के तहत: शून्य।

विवरण-III

किए गए निवेश, स्थापित इकाइयों और सृजित रोजगार के संबंध में प्राप्त सफलता का ब्यौरा

क. पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में:

क्र. सं.	राज्य का नाम	किया गया निवेश (करोड़ रुपए)	स्थापित इकाइयों की संख्या	सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1.	अरुणाचल प्रदेश	3286.97	142	3734
2.	असम	1987.75	10385	77970
3.	मणिपुर	72.42	765	8178
4.	मेघालय	3527.30	60	2906
5.	मिज़ोरम	260.62	1747	14531
6.	नागालैंड	274.00	6110	24440
7.	सिक्किम	1257.37	30	6789
8.	त्रिपुरा	449.09	119	21270
	कुल	11179.02	20543	15982726

ख. विशेष श्रेणी राज्यों में:

क्र. सं.	राज्य का नाम	किया गया निवेश (करोड़ रुपए)	स्थापित इकाइयों की संख्या	सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1.	जम्मू और कश्मीर	31769.74	14653	118291
2.	हिमाचल प्रदेश	14613.11	9773	122075
3.	उत्तराखंड	24460.20	31276	337620

[हिन्दी]

कामकाजी महिला छात्रावास और आश्रम स्कूल

1403. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास संबंधी योजना के क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है एवं गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), न्यासों और संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे महिला छात्रावासों और आश्रम स्कूलों में बुनियादी सुविधा का अभाव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त छात्रावासों और स्कूलों की निगरानी के लिए कोई तंत्र या समिति गठित करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त छात्रावासों और स्कूलों को अत्याधुनिक बनाने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा) : (क) अनुसूचित जनजातीय बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावास की स्कीम जो मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है उसके विवरण नीचे दिए गए हैं: इस स्कीम का उद्देश्य ऐसे जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करा कर जनजातीय विद्यार्थियों के बीच साक्षरता को प्रोत्साहित करना है जो अपनी खराब आर्थिक स्थिति और अपने गांव की सुदूर स्थिति के कारण अन्यथा अपनी शिक्षा जारी न रखे पाएंगे। स्कीम देश में पूरी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पर होती है और क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं है। यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। राज्य सरकारें सभी लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण और वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर पहचाने गए) में बालकों के छात्रावास के निर्माण के लिए भी 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्से के लिए पात्र हैं। अन्य बालकों के छात्रावास के लिए राज्य सरकारों को निधियां 50:50 आधार पर दी जाती हैं। संघ शासित क्षेत्रों के मामले में केन्द्र सरकार बालकों और बालिकाओं दोनों के छात्रावास के निर्माण की पूरी लागत वहन करती है।

यह स्कीम मिडल माध्यमिक, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए विद्यमान छात्रावास भवनों के विस्तार और नए छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रावधान करती है। राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र भवन के लिए भूमि मुफ्त उपलब्ध कराती है। छात्रावासों को चलाना व उनके अनुरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन/विश्वविद्यालय की होती है। राज्य सरकारों से समुचित मूल्य सुविधाएं जैसे शौचालय, स्नानघर, पेयजल, विस्तार आदि, पौष्टिक भोजन व बच्चों के लिए छात्रावास में उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए कहा जाता है और इस उद्देश्य के लिए उनके राज्य बजट में सहायक स्टाफ व निधियां उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आवंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निधि पोषित अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में कड़े उपायों को निम्नलिखित द्वारा परियोजना की निगरानी से सुनिश्चित किया गया है:—

(i) जिला प्राधिकारियों द्वारा अनिवार्य वार्षिक निरीक्षण

(ii) प्रत्येक वर्ष स्वैच्छिक प्रयासों की बहुविषयक राज्यस्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावों की संवीक्षा

(iii) निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र और खातों का लेखा परीक्षित विवरण

(iv) स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा समवर्ती निगरानी

(ङ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

वर्ष 2011-12 से 2013-14 तथा चालू वर्ष 2014-15 के दौरान अनुसूचित जनजाति की लड़कियों तथा लड़कों हेतु छात्रावासों की योजना के तहत आवंटित निधियों के ब्यौरे

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	योजना का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15
		ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
		78.00	78.00	78.00	78.00	125.00	125.00	88.48*

**टिप्पणी:* चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति की लड़कियों तथा लड़कों हेतु छात्रावास सहित शिक्षा की कुछ विद्यमान योजनाओं को अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की अंब्रैला योजना के तहत मिलाया जा रहा है।

[अनुवाद]

डीआरडीओ द्वारा विकसित कैप्सीस्प्रे

1404. श्री एंटो एन्टोनी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (डीआरएल), जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की एक प्रयोगशाला है, ने व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्म रक्षा के लिए कैप्सीस्प्रे नामक मिर्च के स्प्रे के उत्पाद को विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महिलाओं की शारीरिक हमले से आत्मरक्षा के लिए कैप्सीस्प्रे को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) जी, हां। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (डीआरएल) तेजपुर ने कैप्सीस्प्रे नाम का एक चिली स्प्रे विकसित किया है। यह वैयक्तिक सुरक्षा और आत्म-रक्षा के लिए एक पर्यावरण-अनुकूल गैर-प्राण घातक चिली स्प्रे है। इसमें विश्व की सबसे तीखी मिर्च, भूट जोलोकिया (कैप्सीकम असामिकम) से निकाला गया ओलेयोरेसिन कैप्सीकम निहित है जिसकी मुख्यतया भारत में असम और पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य भागों में खेती की जाती है।

(ग) और (घ) चिली स्प्रे का आदिरूप (प्रोटोटाइप) तैयार है और उत्पाद का विभिन्न विष-विज्ञान मानदंडों के लिए परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। एक बार परीक्षण पूर्ण होने के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इस उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए आगे कदम उठाएगा।

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों को कर में छूट दिया जाना

1405. श्री पी.पी. चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में रखकर उन्हें आयकर के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सहित राज्य सरकारों से सहकारी बैंकों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80(पी) के अधीन आयकर में छूट देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा इसके संशोधन से पूर्व, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80त बैंकिंग का व्यवसाय या अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने, या किसी कुटीर उद्योग, या इसके सदस्यों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पाद के विपणन, या बिजली की सहायता के बिना इसके सदस्यों के कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण आदि में लगे हुए किसी सहकारी समिति के मामले में पूरे लाभ की कटौती की व्यवस्था थी।

वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा निम्नलिखित आधार पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) के अलावा सहकारी बैंकों के कर लाभों को वापस ले लिया:—

(i) सहकारी बैंक भी अन्य बैंकों की तरह की ही हैं और पारस्परिकता का सिद्धांत लागू नहीं होता है क्योंकि प्रचालन का क्षेत्र विस्तार गैर-सदस्यों तक भी होता है।

(ii) इनमें से अधिकतर बैंकों को मानक बैंकिंग सुविधाएं जैसे कि साख पत्र खोलने, बिल छूट और संग्रहण, लॉकर और सुरक्षित जमा कक्ष, बैंक गारंटी आदि प्रदान कर रहे हैं। इनमें से कई बैंक विदेशी विनिमय का सौदा करते हैं और एटीएम बूथ भी खोला है। इसलिए ये बैंक वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न नहीं हैं और इसलिए अधिमान्य कर व्यवहार के लिए पात्र नहीं हैं।

(iii) यह उन सभी छूटों, जिन्हें आर्थिक रूप से अयोग्य और अनुचित माना जाता है, को हटाना विस्तार के लिए सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है।

(iv) आयकर लाभों पर एक कर है और लाभ कमाने वाले सहकारी बैंकों को आयकर के भुगतान से छूट प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है।

इसके अलावा, सहकारी बैंकों को निम्नलिखित लाभ भी दिए गए हैं जिसे धारा 80त के दायरे से बाहर निकाला गया है:—

(क) अब तक बैंकिंग कंपनियों को उपलब्ध संदोहास्पद ऋणों के लिए कटौती के प्रावधान को सहकारी बैंकों को प्रदान किया गया है;

(ख) वित्तीय निगमों और बैंकों को उपलब्ध लाभ के 20 प्रतिशत की सीमा तक विशेष आरक्षित के संबंध में कटौती सहकारी बैंकों को भी उपलब्ध कराई गई है;

(ग) किसी घाटा उठाने वाले सहकारी बैंक का अन्य सहकारी बैंक से विलय की घटना में व्यवसाय हानियों को अग्रेनीत करने और प्रतितुलित करने की अनुमति दी गई है।

इसके साथ ही, जहां तक आयकर का संबंध है सहकारी बैंकों के समकक्ष लाया गय है।

(ग) और (घ) सरकार को सभी सहकारी बैंकों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80त के तहत कटौती की बहाली की मांग करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा इन अनुरोधों को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

एलाएड हेल्थ प्रोफेशनल्स

1406. श्री एन. क्रिष्टप्पा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विभिन्न स्वास्थ्य संवर्गों में 'एलाएड हेल्थ' पेशेवरों की भारी कमी है;

(ख) देश में उनकी आवश्यकता की तुलना में एलाएड हेल्थ पेशवरों की संवर्ग एवं राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को हाल में इस संबंध में कोई रिपोर्ट और सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या अनवुर्ती कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में उनकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पैरा-मेडिकल कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने हेतु क्या नए उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) से (ग) जी, हां। दिसंबर, 2012 में जारी की गई भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान की रिपोर्ट के अनुसार, देश के विभिन्न स्वास्थ्य कैडरों में लगभग 64 लाख संबद्ध स्वास्थ्य व्यावसायिकों (एएचपी) की कमी है। एएचपी की कमी का कैडर-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। संबद्ध स्वास्थ्य व्यावसायिकों की कमी के मुख्य कारणों में प्रशिक्षण क्षमता की कमी, खराब अवसंरचना, व्यावसायिक क्षमताओं की कमी, संबद्ध स्वास्थ्य व्यावसायिकों हेतु विनियामक निकाय की अनुपस्थिति आदि शामिल हैं। एएचपी की उपलब्धता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) संबद्ध स्वास्थ्य व्यावसायिकों की कमी को समाप्त करने के लिए नजफगढ़ में एक राष्ट्रीय पराचिकित्सीय विज्ञान संस्थान (एनआईपीएस) तथा भागलपुर (बिहार), भोपाल (मध्य प्रदेश), भुवनेश्वर (ओडिशा), चंडीगढ़ (चंडीगढ़), कोयम्बटूर (तमिलनाडु), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) तथा नागपुर (महाराष्ट्र) में आठ क्षेत्रीय पराचिकित्सीय विज्ञान संस्थानों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का लक्ष्य कौशल पराचिकित्सीय जनशक्ति की आपूर्ति का संवर्धन करने तथा देश भर में पराचिकित्सीय प्रशिक्षण की गुणवत्ता को ऐसी शिक्षा/पाठ्यक्रमों के मानकीकरण के माध्यम से बढ़ावा देना है। प्रचालनात्मक हो जाने पर, प्रतिवर्ष ये आठ आरआईपीएस 8320 पराचिकित्सकों (8 संस्थान × 26 परास्नातक पाठ्यक्रम × 40 विद्यार्थी) को तैयार करेंगे, तथा एक एनआईपीएस के प्रचालनात्मक होने से 140 स्नातकोत्तर पराचिकित्सक (1 संस्थान × 7 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम × 20 विद्यार्थी) तैयार होंगे, बशर्ते कि यह प्रत्येक पाठ्यक्रम में 20 विद्यार्थियों के साथ 7 स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में चलाए।

विवरण-I

*स्वास्थ्य/संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी**

क्र. सं.	स्वास्थ्य जनशक्ति श्रेणी	मांग	आपूर्ति	गैर-सामाजिक अंतर	क्षमता पहुंच समायोजित अंतर
1	2	3	4	5	6
1.	नेत्ररोग संबंधी	1,45,236	17,678	1,27,558	1,36,039
2.	पुनर्वास संबंधी	18,82,584	40,265	18,22,319	18,41,837
3.	शल्य चिकित्सा और हस्तांतरण संबंधी	2,05,088	7,215	1,97,873	2,08,618

1	2	3	4	5	6
4.	चिकित्सा प्रयोगशाला संबंधी	76,884	15,214	61,670	70,603
5.	रेडियोग्राफी और इमेजिंग संबंधी	23,649	4,352	19,297	20,971
6.	श्रवण विज्ञान और वाक भाषा विकृति संबंधी	10,599	3,263	7,336	8,901
7.	चिकित्सा प्रौद्योगिकी संबंधी	2,39,657	3,587	2,36,070	2,37,791
8.	दंत चिकित्सा सहायता संबंधी	20,48,391	6,243	20,42,148	20,45,143
9.	शल्य चिकित्सा और संज्ञाहारी संबंधी	8,62,193	4,050	8,58,143	8,60,086
10.	विविध	1,07,44,73	1,81,511	8,92,962	9,80,045
	कुल	65,48,754	2,83,378	62,65,376	64,09,834

**स्रोत:* पीएचएफआई रिपोर्ट नवम्बर, 2012

विवरण-II

संबद्ध स्वास्थ्य पेशवरों की राज्य-वार उपलब्धता

क्र. सं.	राज्य	नेत्ररोग संबंधी	पुनर्वास संबंधी	शल्य चिकित्सा और हस्तांतरण संबंधी	चिकित्सा प्रयोगशाला संबंधी	रेडियोग्राफी और इमेजिंग संबंधी	श्रवण विज्ञान और वाक भाषा विकृति संबंधी	चिकित्सा प्रौद्योगिकी संबंधी	दंत चिकित्सा सहायता संबंधी	शल्य चिकित्सा और संज्ञाहारी संबंधी	कुल विविध	कुल एएचपी (राज्य-वार)	जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अरुणाचल प्रदेश	;36	83	15	31	9	7	13	8	7	374	585	1382611
2.	असम	844	1923	345	727	208	156	298	193	171	8669	13534	31169272
3.	बिहार	843	1919	344	725	207	156	298	193	171	8653	13509	103804637
4.	झारखंड	595	1355	243	512	146	110	210	136	121	6108	9536	32966238
5.	मणिपुर	88	199	36	75	22	16	31	20	18	899	1403	2721756
6.	मेघालय	72	163	29	62	18	13	25	16	15	735	1147	2964007
7.	मिजोरम	57	130	23	49	14	11	20	13	12	587	916	1091014
8.	नागालैंड	76	173	31	65	19	14	27	17	15	779	1217	1980602
9.	ओडिशा	676	1540	276	582	166	125	239	155	137	6942	10837	41947358
10.	सिक्किम	24	55	10	21	6	4	8	5	5	246	385	607688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	त्रिपुरा	37	85	15	32	9	7	13	9	8	385	601	3671032
12.	पश्चिम बंगाल	1197	2727	489	1030	295	221	423	274	243	12292	19191	91347736
13.	गोवा	22	50	9	19	5	4	8	5	4	225	351	1457723
14.	गुजरात	594	1352	242	511	146	110	210	136	120	6097	9519	60383628
15.	महाराष्ट्र	1617	3683	660	1392	398	298	571	370	328	16602	25920	112372972
16.	आंध्र प्रदेश	2044	4656	834	1759	503	377	722	468	415	20990	32770	84665533
17.	कर्नाटक	1392	3172	568	1198	343	257	492	319	283	14298	22322	61130704
18.	केरल	385	878	157	332	95	71	136	88	78	3956	6177	33387677
19.	तमिलनाडु	930	2117	379	800	229	172	328	213	189	9544	14900	72138958
20.	छत्तीसगढ़	276	628	113	237	68	51	97	63	56	2831	4420	25540196
21.	दिल्ली	4	9	2	3	1	1	1	1	1	41	64	16753235
22.	हरियाणा	416	948	170	358	102	77	147	95	84	4273	6671	25353081
23.	हिमाचल प्रदेश	158	360	64	136	39	29	56	36	32	1621	2531	6856509
24.	जम्मू और कश्मीर	191	434	78	164	47	35	67	44	39	1957	3055	12548926
25.	मध्य प्रदेश	1226	2793	501	1055	302	226	433	281	249	12592	19659	72597565
26.	पंजाब	370	843	151	319	91	68	131	85	75	3801	5934	27704236
27.	राजस्थान	1485	3383	606	1278	366	274	525	340	301	15250	23809	68621012
28.	उत्तर प्रदेश	1774	4040	724	1526	437	327	626	406	360	18211	28431	199581520
29.	उत्तराखंड	202	461	83	174	50	37	71	46	41	2078	3244	10116752
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	45	8	17	5	4	7	5	4	203	317	379944
31.	चंडीगढ़	3	6	1	2	1	1	1	1	1	28	44	1054686
32.	दादरा और नगर हवेली	7	17	3	6	2	1	3	2	1	75	117	342853
33.	लक्षद्वीप	1	3	1	1	0	0	0	0	0	13	21	64429
34.	दमन और दीव	4	8	2	3	1	1	1	1	1	38	59	242911
35.	पुदुचेरी	11	26	5	10	3	2	4	3	2	118	184	1244464
36.	भारत	17678	40265	7215	15214	4352	3263	6243	4050	3587	181511	283378	1210193465

**स्रोत:* पीएचएफआई रिपोर्ट नवम्बर, 2012

[हिन्दी]

रक्षा बलों में भर्ती

1407. श्री सदाशिव लोखंडे : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सेना के तीनों अंगों में हुई कुल भर्ती की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र सहित देश में कुल भर्ती केन्द्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे केन्द्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जहां चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सेना की भर्ती प्रस्तावित है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सेना के तीनों अंगों में कुल हुई भर्ती की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) महाराष्ट्र सहित देश में भर्ती केन्द्रों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) रक्षा सेनाओं में भर्ती एक सतत्/निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें संपूर्ण देश को शामिल करने के प्रयास किए जाते हैं।

विवरण-I

सेना के तीनों अंगों में हुई भर्तियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भर्ती वर्ष		
		2011-12 जेसीओ/ अन्य रैंक	2012-13 जेसीओ/ अन्य रैंक	2013-14 जेसीओ/ अन्य रैंक
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2890	3540	3240
2	अरुणाचल प्रदेश	190	490	390
3	असम	1019	1051	951
4	बिहार	4540	3195	2595
6	छत्तीसगढ़	622	448	348
6	दिल्ली	865	1212	912
7	गोवा	47	20	19
8	गुजरात	2205	2305	1805
9	हरियाणा	2452	2770	2170
10	हिमाचल प्रदेश	1687	2317	1917
11	जम्मू और कश्मीर	2085	2699	2298
12	झारखंड	1140	707	732
13	कर्नाटक	1632	2026	1826
14	केरल	2077	2700	2150
15	मध्य प्रदेश	2761	3150	2250
16	महाराष्ट्र	5312	5424	4224
17	मणिपुर	587	456	448
18	मेघालय	91	75	72
19	मिजोरम	94	293	187
20	नागालैंड	134	127	122
21	ओडिशा	945	1505	1205
22	पंजाब	3751	4701	4117
23	राजस्थान	3602	3647	3391
24	सिक्किम	108	462	457
25	तमिलनाडु	2377	3073	2572
26	त्रिपुरा	104	56	52
27.	उत्तर प्रदेश	7600	7086	6555
28.	उत्तराखंड	2585	3036	2135
29.	पश्चिम बंगाल	3535	3289	2955
30.	संघ राज्य क्षेत्र	40	15	91

अधिकारी

सेना में अधिकारियों की भर्ती अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती है और अधिकारियों की कमीशनिंग से संबंधित राज्य-वार आंकड़े अनुरक्षित नहीं किए जाते हैं। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान सेना में कमीशन किए गए अधिकारियों (सेना चिकित्सा कोर, सेना दंत कोर और सैन्य नर्सिंग सेवा को छोड़कर) का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	कमीशन किए गए अधिकारियों की संख्या
2011	1780
2012	2038
2013	1964
2014 (30 जून, तक)	946

नौसेना

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011		2012		2013		2014	
		अधिकारी	नौसैनिक	अधिकारी	नौसैनिक	अधिकारी	नौसैनिक	अधिकारी	नौसैनिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	38	191	51	285	49	322	13	159
2.	असम	0	44	3	101	2	95	0	28
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	5	1	13	1	9	0	0
4.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	—	1	0	0	4	0
5.	बिहार	25	470	22	363	23	340	11	212
6.	चंडीगढ़	5	0	4	1	5	0	4	0
7.	छत्तीसगढ़	2	10	6	6	3	5	0	2
8.	दिल्ली	31	10	24	23	47	—	13	9
9.	गोवा	2	6	2	7	2	4	0	2
10.	गुजरात	6	35	5	51	8	29	3	11
11.	हरियाणा	52	443	47	415	64	408	18	242
12.	हिमाचल प्रदेश	24	102	21	313	25	252	8	46
13.	जम्मू और कश्मीर	8	60	4	66	11	84	3	40
14.	झारखंड	12	119	9	91	11	96	5	45
15.	कर्नाटक	24	80	42	76	62	72	26	23
16.	केरल	55	164	82	99	71	149	33	59
17.	लक्षद्वीप	—	10	—	0	—	0	—	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मध्य प्रदेश	25	267	35	300	26	305	2	70
19.	महाराष्ट्र	38	150	51	182	40	216	8	68
20.	मणिपुर	6	47	6	46	4	27	2	24
21.	मेघालय	—	13	2	11	2	6	0	4
22.	मिजोरम	1	17	—	11	0	16	0	8
23.	नागालैंड	—	17	—	11	0	12	1	7
24.	ओडिशा	5	289	6	213	13	132	8	132
25.	पुदुचेरी	0	0	1	0	2	0	0	0
26.	पंजाब	23	110	25	115	21	138	7	54
27.	राजस्थान	20	708	32	596	29	667	16	340
28.	सिक्किम	0	26	—	13	0	5	0	3
29.	तमिलनाडु	34	73	35	62	28	74	11	43
30.	त्रिपुरा	—	2	1	3	1	0	1	0
31.	उत्तर प्रदेश	61	823	77	928	104	748	36	569
32.	उत्तराखंड	28	85	31	135	39	148	16	52
33.	पश्चिम बंगाल	12	121	16	93	17	89	5	44

नोट: 1. अधिकारियों के राज्य-वार आंकड़ों में एनडीए कैडेट्स शामिल नहीं हैं।

2. 2014 के लिए आंकड़े केवल प्रथम बैच से संबंधित हैं।

वायुसेना

क्र. सं.	राज्य	2011		2012		2013		2014	
		अधिकारी	वायुसैनिक	अधिकारी	वायुसैनिक	अधिकारी	वायुसैनिक	अधिकारी	वायुसैनिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	19	396	19	358	27	85	8	14
2.	असम	04	80	06	16	03	115	1	40
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	0	01	41	01	0	—	0
4.	अरुणाचल प्रदेश	—	04	—	06	02	0	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	बिहार	29	635	46	703	39	346	8	146
6.	चंडीगढ़	03	01	04	01	02	0	2	0
7.	छत्तीसगढ़	03	64	01	91	10	155	1	6
8.	दिल्ली	34	50	34	45	31	27	15	9
9.	गोवा	02	0	01	0	—	0	—	0
10.	गुजरात	10	116	08	92	12	24	3	9
11.	हिमाचल प्रदेश	19	311	21	220	21	48	5	14
12.	हरियाणा	61	928	93	1258	79	441	17	187
13.	जम्मू और कश्मीर	15	336	14	230	14	27	7	15
14.	झारखंड	13	38	14	237	08	232	1	7
15.	कर्नाटक	25	92	19	205	25	158	10	37
16.	केरल	35	276	55	480	29	227	6	4
17.	लक्षद्वीप	—	02	—	0	—	0	—	0
18.	मध्य प्रदेश	26	377	22	551	28	184	12	33
19.	महाराष्ट्र	38	135	35	192	33	277	11	3
20.	मणिपुर	03	104	06	119	05	13	1	12
21.	मेघालय	—	3	—	4	—	2	—	0
22.	मिजोरम	—	0	01	04	—	0	—	1
23.	नागालैंड	—	02	—	01	—	0	—	0
24.	ओडिशा	08	410	09	321	11	116	—	62
25.	पुदुचेरी	01	0	02	02	01	02	—	0
26.	पंजाब	37	63	35	48	34	52	10	13
27.	राजस्थान	34	1057	32	978	23	844	13	382
28.	सिक्किम	01	01	02	0	01	01	—	0
29.	तमिलनाडु	22	33	35	47	33	153	8	6
30.	त्रिपुरा	—	01	01	01	—	12	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	उत्तर प्रदेश	118	1649	131	2000	123	1299	37	514
32.	उत्तराखंड	20	868	34	222	40	270	11	116
33.	पश्चिम बंगाल	22	220	14	325	16	358	6	133

टिप्पणी: अधिकारियों के उपर्युक्त ब्यौरों में चिकित्सा और दंत-चिकित्सा शामिल नहीं है।

विवरण-II

भर्ती केन्द्रों के ब्यौरे

सेना: देश में सेना भर्ती कार्यालयों (एआरओ) के ब्यौरे निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	राज्य	सेना भर्ती कार्यालयों की संख्या	सेना भर्ती कार्यालय का स्थान/अवस्थिति
1	2	3	4
1.	असम	3	जोरहट, नारंगी, सिल्चर
2.	आंध्र प्रदेश	3	सिकंदराबाद, गुंटूर, विशाखापट्टनम
3.	बिहार	4	दानापुर, मुजफ्फरपुर, गया, कटिहार
4.	छत्तीसगढ़	1	रायपुर
5.	दिल्ली	1	दिल्ली छावनी
6.	गुजरात	2	अहमदाबाद, जामनगर
7.	हरियाणा	4	अम्बाला, रोहतक, हिसार, चरखी दादरी
8.	हिमाचल प्रदेश	4	पालमपुर, अमीरपुर, शिमला, मंडी
9.	जम्मू और कश्मीर	2	जम्मू, श्रीनगर
10.	झारखंड	1	रांची
11.	कर्नाटक	3	बेंगलूरु, बेलगांव, मंगलूर
12.	केरल	2	त्रिवेंद्रम, कालीकट
13.	मध्य प्रदेश	4	जबलपुर, ग्वालियर, मऊ, भोपाल
14.	महाराष्ट्र	5	पुणे, मुम्बई, नागपुर, कोल्हापुर, औरंगाबाद
15.	मेघालय	1	शिलांग
16.	मिजोरम	1	आइजोल

1	2	3	4
17.	नागालैंड	1	रांगापहाड़
18.	ओडिशा	3	कटक, सम्बलपुर, गोपालपुर
19.	पंजाब	5	जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, पटियाला, लुधियाना
20.	राजस्थान	5	जयपुर, अलवर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा
21.	तमिलनाडु	3	चेन्नई, त्रिचुरापल्ली, कोयम्बटूर
22.	उत्तर प्रदेश	7	लखनऊ, मेरठ, बरेली, आगरा, वाराणसी, अमेठी, कुनराघाट
23.	उत्तराखंड	3	लैंसडाउन, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़
24.	पश्चिम बंगाल	5	कोलकाता, सिलिगुड़ी, बैरकपुर, बहरामपुर, घूम

नौसेना: नौसेना के पास भर्ती के लिए स्थायी अवसंरचना/कार्यालय नहीं है। भर्ती परीक्षणों की अवधि के लिए सम्पूर्ण देश के विभिन्न स्थानों पर इकतीस अस्थायी भर्ती केन्द्रों को सक्रिय किया जाता है। इन केन्द्रों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

क्र.सं.	राज्य	स्थान
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर
2.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
3.	असम	गुवाहाटी, तेजपुर
4.	दिल्ली	नई दिल्ली
5.	गोवा	वास्को
6.	गुजरात	जामनगर
7.	हरियाणा	अम्बाला
8.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला
9	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
10.	झारखंड	रांची
11.	कर्नाटक	कारवार
12.	केरल	कोच्चि
13.	मध्य प्रदेश	भोपाल
14.	महाराष्ट्र	लोनावला, मुम्बई, हामला
15.	मेघालय	शिलांग
16.	मिजोरम	आइजोल
17.	नागालैंड	कोहिमा
18.	ओडिशा	चिलका
19.	पंजाब	जालंधर
20.	राजस्थान	जोधपुर
21.	सिक्किम	गंगटोक
22.	तमिलनाडु	चेन्नई, त्रिनेलवेली, अरकोनम
23.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
24.	उत्तराखंड	देहरादून, अल्मोड़ा
25.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

वायु सेना: देहरादून, मैसूर और वाराणसी स्थित तीन वायु सेना चयन बोर्ड (एएफएसबी) हैं। देश के विभिन्न भागों में अवस्थित 14 वायुसैनिक चयन केन्द्र हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	राज्य	स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	बेगमपेट
2.	असम	गुवाहाटी
3.	बिहार	बिहटा
4.	दिल्ली	नई दिल्ली
5.	हरियाणा	अम्बाला
6.	कर्नाटक	बेंगलूरु
7.	केरल	कोचिन
8.	मध्य प्रदेश	भोपाल
9.	महाराष्ट्र	मुम्बई
10.	ओडिशा	भुवनेश्वर
11.	राजस्थान	जोधपुर
12.	तमिलनाडु	ताम्बरम
13.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
14.	पश्चिम बंगाल	बेरकपुर

[अनुवाद]

विश्व बैंक द्वारा रैंकिंग

1408. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : *क्या* **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस' संबंधी रिपोर्ट में भारत की निराशाजनक रैंकिंग को संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रिपोर्ट के अनुसार देश के बैंकों की रैंकिंग में धीरे-धीरे सुधार हेतु नियामक और व्यापार परिवेश के मुद्दे को लेने एवं और कुछ निश्चित लक्ष्य तय करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने निवेशकों को हो रही समस्याओं का अध्ययन करने एवं देश के निवेश के माहौल में सुधार हेतु रूप रेखा तैयार करने के लिए किसी समिति का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो समिति की संरचना का ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) विश्व बैंक समूह दुनिया के 189 से अधिक राष्ट्रों में व्यवसाय करना आसान करने संबंधी विषय पर विशिष्ट सूचना उपलब्ध कराने के लिए 2004 से 'डुइंग बिजनेस रिपोर्ट' नामक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। इस रिपोर्ट में केवल छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए मौजूद विनियमों के अनुसार राष्ट्रों की रैंकिंग की जाती है किन्तु इसके नाम की वजह से प्रायः इसे सामान्य व्यवसाय परिवेश के संदर्भ में लिया जाता है। सरकार ने प्रयोग किए गए सूचकांकों, कार्यप्रणाली, प्रतिदर्श आकार, रैंकिंग के उपयोग, गुणवत्ता और राष्ट्र विशिष्ट व्यवसाय परिवेश आदि की अनदेखी के संबंध में अपनी चिंताएं विश्व बैंक को बता दी हैं।

(ग) से (ङ) इस रिपोर्ट में किसी राष्ट्र की रैंकिंग में सुधार के लिए माप योग्य लक्ष्य तय नहीं किया गया है। यद्यपि कोई समित गठित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई है, तथापि, सरकार ने व्यवसाय करना आसान करने और देश की रैंकिंग में सुधार के लिए वर्तमान नियमों के सरलीकरण और उन्हें तर्कसंगत बनाने, ई-शासन का प्रारंभ, शुल्कों में कमी आदि जैसे कई कदम उठाए हैं। प्रक्रिया के सरलीकरण और अनापत्ति जारी करने की प्रक्रिया में कार्यक्षमता और गति लाने संबंधी विभिन्न पहलुओं से जुड़े विभागों ने इस विषय को उच्च प्राथमिकता दी है।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना

1409. श्रीमती पूनम महाजन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत किन-किन औद्योगिक शहरों को लिया जाएगा तथा इसमें निवेश का क्या तरीका है;

(ख) उक्त परियोजना में क्या प्रगति हुई है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को परियोजना के लिए बोली लगाने वाले विशेषकर महाराष्ट्र में शेन्द्रा बिदकिन इंडस्ट्रियल पार्क हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में फैली दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना स्थानीय वाणिज्य को सक्रिय करने, निवेश बढ़ाने और सतत् विकास हासिल करने के लिए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी वातावरण तथा अत्याधुनिक अवसंरचना वाले मजबूत आर्थिक आधार का निर्माण करने के लिए वेस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर द्वारा प्रदान की गई संपर्क सुविधा आधार कर लाभ उठाने के लिए है।

चरण-I में निम्नलिखित 8 औद्योगिक शहरों को विकास के लिए चुना गया है:—

(i) शेन्द्रा बिदकिन औद्योगिक पार्क, महाराष्ट्र

(ii) अहमदाबाद-धोलेरा निवेश क्षेत्र, गुजरात

(iii) मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र, हरियाणा

(iv) खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा निवेश क्षेत्र, राजस्थान

(v) पीतमपुरा-धार-मऊ निवेश क्षेत्र, मध्य प्रदेश

(vi) दिघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र

(vii) दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश

(viii) जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र

इन औद्योगिक शहरों के विकास के लिए उपर्युक्त प्रत्येक औद्योगिक शहर के संबंध में संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व न्यास के रूप में स्थापित डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन परिक्रामी न्यास के द्वारा किया जाता है, के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में शहर स्तरीय विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को शामिल किया जा रहा है।

(ख) पहले 6 शहरों के लिए मास्टर प्लानिंग पूरी हो चुकी है, राज्य सरकार ने चरण-I के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया है तथा डीएमआईसीडीसी द्वारा अन्य परियोजना विकास क्रियाकलाप चलाए जा रहे हैं।

(ग) डीएआईसीडीसी ने शेंद्रा-बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र के विकास का कार्य शुरू कर दिया है। डीएमआईसीडीसी/एसपीवी ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बोलीदाताओं में अभी प्रस्ताव (बोली) आमंत्रित नहीं किए हैं।

(घ) आशा है कि डीएमआईसी परियोजना के चरण-I में विकसित किए जा रहे कुछ नए शहरों का चरण-I वर्ष 2019 के अंत तक पूरा हो जाएगा।

आश्रय स्थलों में बाल शोषण

1410. श्री दुष्यंत चौटाला : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर के कुछ आश्रय स्थलों में बाल शोषण को संज्ञान में लिया है तथा राज्य सरकारों से आश्रय स्थलों में सीसीटीवी लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पूरे देश में बाल शोषण के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) और (ख) सरकार ने देश भर में आश्रय गृहों सहित बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) में रह रहे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा का संज्ञान लिया है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से सभी सीसीआई को किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंजीकृत करने का अनुरोध किया है।

(ग) राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सूचित किया है कि इसने तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान बाल अधिकारों के दुरुपयोग/उल्लंघन की 2333 शिकायतें दर्ज की हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

I. विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनसीपीसीआर में दर्ज बाल अधिकारों के दुरुपयोग/ उल्लंघन की शिकायतों/मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2	1	0

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	23	47	13	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1	0
4.	असम	2	4	12	0
5.	बिहार	55	25	12	2
6.	चंडीगढ़	2	0	4	0
7.	छत्तीसगढ़	14	18	11	1
8.	दमन और दीव	0	0	0	0
9.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
10.	दिल्ली	80	61	63	12
11.	गोवा	0	0	0	0
12.	गुजरात	6	5	3	0
13.	हरियाणा	6	43	47	18
14.	हिमाचल प्रदेश	1	3	2	1
15.	झारखंड	2	19	18	1
16.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
17.	कर्नाटक	3	13	4	3
18.	मध्य प्रदेश	18	22	25	1
19.	महाराष्ट्र	19	11	18	3
20.	मणिपुर	2	2	6	0
21.	मेघालय	7	1	1	0
22.	मिजोरम	1	0	0	0
23.	नागालैंड	2	0	0	0
24.	ओडिशा	8	21	34	2
25.	पुदुचेरी	0	5	2	0
26.	पंजाब	9	8	15	3
27.	राजस्थान	5	22	31	2

1	2	3	4	5	6
28.	सिक्किम	0	1	0	0
29.	तमिलनाडु	36	41	14	8
30.	त्रिपुरा	1	0	0	0
31.	उत्तराखंड	4	7	13	3
32.	उत्तर प्रदेश	135	362	532	110
33.	पश्चिम बंगाल	12	15	31	8
34.	केरल	1	8	1	0
	कुल	455	766	934	178

II. विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनसीपीसीआर में दर्ज बाल अधिकारों के दुरुपयोग/ उल्लंघन के संबंध में शिकायतों/मामलों का शीर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	पुलिस एवं अन्य प्राधिकरण	47	38	42	7
2.	जेल और हिरासत	2	6	16	—
3.	बाल स्वास्थ्य	0	2	0	—
4.	बाल श्रम	95	44	48	22
5.	अल्पसंख्यक/जनजातियां/ कमजोर वर्ग/बेसहारा बच्चे	6	22	20	—
6.	शारीरिक/मानसिक रूप से कमजोर बच्चे	2	1	0	—
7.	जेजे/आश्रय/अवलोकन	14	53	13	5
8.	विद्यालय	114	97	87	10
9.	बालिका	96	400	481	54
10.	दत्तक ग्रहण	3	4	4	—
11.	लापता बच्चे	13	19	31	9
12.	विस्थापित बच्चे	1	0	0	—
13.	बाल दुर्व्यवहार	62	80	192	71
	कुल	455	766	934	178

[हिन्दी]

कर रियायत देने में अनियमितताएं

1411. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष करों में छूट और रियायतें देने में अनियमितताएं बरती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) इससे कितने मामलों का पता चला है एवं इन पर क्या कार्रवाई की गई है तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके क्या परिणाम रहे?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') के अंतर्गत छूटों और कर रियायतों को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रदान किए गए हैं। तथापि, करदाताओं द्वारा दाखिल आय की विवरणियों में गलत तरीके से दावा की गई कोई भी छूट या कर रियायत इस प्रकार की विवरणियों के संसाधन अथवा उनकी जांच के दौरान पता लगाए जाने के अधीन है।

(ग) अब प्रचलित निगरानी तंत्र में लेखा-परीक्षा (आंतरिक तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों) की प्रणाली और पर्यवेक्षण प्राधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण/समीक्षाएं शामिल हैं।

(घ) इस प्रकार का कोई डाटा केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

सीजीएचएस में डॉक्टरों की कमी

1412. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार डॉक्टर और मरीज का वर्तमान अनुपात क्या है;

(ख) क्या देश में सीजीएचएस औषधालयों एवं अस्पतालों में डॉक्टरों/पैरा मेडिकल स्टॉफ/दवाओं की भारी कमी है और पेयजल की अनुपलब्धता/खराब सफाई सुविधा भी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं एवं विभिन्न संवर्गों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत नियुक्त डॉक्टरों हेतु तार्किक प्रणाली एवं पदोन्नति के अवसरों की कमी है जिससे डॉक्टर सेवा करने के लिए इच्छुक नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

किसानों को हर्जाना

1413. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे किसानों की भूमि पर रक्षा संबंधी कार्यकलाप करने के लिए उन्हें हर्जाना देने हेतु कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) जी, हां। खड़ी फसलों, खड़े फल वृक्षों, फलवाटिकाओं के साथ कृषि से संबंधित बाड़ों शैडों, अवसंरचनाओं आदि की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। यदि भूमि 30 दिनों से अधिक समय तक कब्जे में रहती तो किराए संबंधी क्षतिपूर्ति का भी भुगतान किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आदर्श जनजातीय बस्ती

1414. श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार केरल में अटापडी जनजातीय क्षेत्र हेतु किसी विशेष पैकेज का क्रियान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इसके उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल सरकार ने आदर्श जनजातीय बस्ती विकास कार्यक्रम हेतु कोई रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौप दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इन पर क्या कार्रवाई की गई है तथा इस प्रयोजन के लिए कितनी निधि जारी की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अटापडी के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की हैं:—

- प्रथम चार वर्षों के लिए 30.1 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक सात वर्षीय दो चरण वाली अटापडी समग्र जनजाति एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी विकास परियोजना तथा अगले तीन वर्षों के लिए 21.93 करोड़ रुपए का अनंतिम आवंटन मध्यावधि मूल्यांकन के अधीन है। यह परियोजना अधिकार प्राप्त समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत स्वीकृत की गई है।

- 29.75 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कौशल विकास एवं प्लेसमेंट के लिए 6 हजार परिवारों के प्रशिक्षण के लिए सैद्धांतत: क्लीयरेंस। इसमें से, 500 ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए 1.90 करोड़ रुपए की लागत पर प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के लिए एक परियोजना, अधिकार प्राप्त समिति द्वारा एनआरएलएम के तहत स्वीकृत की गई है।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत अटापडी पैकेज 76.79 करोड़ रुपए की लागत पर 70.65 किलोमीटर लंबी 16 सड़कों के लिए स्वीकृत किया गया है।

- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) ने दो परियोजनाएं शुरू की हैं—पहली जीआईएस के साथ जुड़े मोबाइल आधारित संचार तंत्र का प्रयोग करते हुए अटापडी ब्लॉक की माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए केरल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ) के साथ भागीदारी में है। एनआईआरडी आधुनिक आकाशीय डाटा तकनीक का प्रयोग करते हुए अटापडी ब्लॉक के लिए जनजातीय उप-योजना को विकसित करने में केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान को सहातया कर रही है।

उपरोक्त से अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) द्वारा निधि पोषित, तीन पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ग) सामान्य विभागीय स्तरीय निगरानी की जा रही है। तथापि, अपर सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में समन्वय के लिए एक कार्य बल की स्थापना की गई थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा कार्मिकों के परिवारों की स्थिति

1415. श्री रामसिंह राठवा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वर्तमान में कोई ऐसा तंत्र है जो सेना के अभियान में मारे गए रक्षा कार्मिकों के परिवारों की स्थिति की आवधिक जांच कर सके तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कुल मारे गए सैनिकों में आंध्र प्रदेश राज्य के कितने सैनिक हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में राज्य में उनके परिवारों को प्रदान की गई अनुग्रह/हर्जाने की राशि का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) : (क) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय को केन्द्रीय स्तर पर और राज्य सैनिक बोर्ड एवं जिला सैनिक बोर्ड को क्रमश: राज्य एवं जिला स्तर पर भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों, जिसमें सैन्य ऑपरेशनों में मारे गए रक्षा कार्मिकों के परिवार सम्मलित हैं, के कल्याण का कार्य सौंपा गया है। रेजिमेंटों और स्थानीय फार्मेशनों/स्थापनाओं/यूनिटों में, उन रक्षा कार्मिकों, जो ऑपरेशनों में मारे गए थे या जो सैनिक युद्ध के दौरान विकलांग हो गए थे, के परिवारों से समय-समय पर औपचारिक/अनौपचारिक रूप से मेल-जोल हेतु प्रणाली उपलब्ध है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 326 में से आंध्र प्रदेश के 12 रक्षा कार्मिक ड्यूटी पर शहीद हुए हैं।

(ग) ड्यूटी के दौरान शहीद हुए परिवारों को उपलब्ध कराए गए एकमुश्त अनुदान/मुआवजे की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ड्यूटी पर शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को उपलब्ध कराई गई एकमुश्त अनुग्रह राशि

क्र. सं.	नाम/रैंक (शहीद/युद्ध में हताहत)	उपलब्ध कराया गया एकमुश्त अनुग्रह राशि मुआवजा
1	2	3
1.	स्व. लांस नायक कामरा गुरू प्रसाद, वीएसएम 15320677-एक्स	पारिवारिक पेंशन-13,210/-, एजीआई बीमा-20 लाख, एजीआई परिपक्कवता-1,09,450/-, डीसीआरजी-2,38,140/-, एसीडब्ल्यूएफ-30,000/-, अनुग्रह राशि 15 लाख, एफएसए-1,03,863/-, डीएलआईएस-60000/-, एडब्ल्यूडब्ल्यूए-10,000/-,
2.	स्व. लांस नायक पेटे तासुक, एसएम, 15614636-डब्ल्यू	परिवार पेंशन-13,390/-, डीसीआरजी-2,51,784/-, अनुग्रह राशि-15,00,000/-, एएफपीपी फंड+डीएलआई-2,38,704/-, एजीआई बीमा-20,00,000/-, एजीएआई परिपक्कवता-1,06,618/-, एसीडब्ल्यूएफ-30,000/-, एफएसए-79,693/-
3.	स्व. सीएफएन पोलू रमाकांत रेड्डी 14668977-वाई	शेष राशि-39,875/-, एएफपीपीएफ-73,574/-, डीएलआई-60,000/-, एजीआई बीमा-20 लाख, एसीडब्ल्यूएफ-30,000/-, एसएफपी-7,242/-, एजीआई परिपक्कवता-1,13,358/-, अनुग्रह राशि-लागू नहीं, एफएसए-39,875/-
4.	स्व. सिपाही टी.आर. राव 2617430-के	एफएसए-23,423/-, एएफपीपीएफ-74,459/-, डीएलआईएस-लागू नहीं, एफपी-10,720/-, डीसीआरजी-95,628/-, अनुग्रह राशि-10 लाख, एजीआई-(आई)-20 लाख, एजीआई (एम)-49,406/-, एसीडब्ल्यूएफ-30,000/-, एडब्ल्यूडब्ल्यूए-10,000/-
5.	स्व. एस.डब्ल्यू.आर.डी. किरण कुमार रेड्डी 15488883-पी	एफएसए-(शेष राशि और छुट्टी भुगतान)-1,38,536/-एफएफपीपी फंड-2,68,466/-, डीएलआई-60,000/-, एसीडब्ल्यूएफ-30 हजार, एडब्ल्यूडब्ल्यूए-10 हजार, एजीआई (आई)-25 लाख, एजीआई (एम)-1,64,059/-, डीसीआरजी-3,09,972/-, एलएफपी-13,690/-, प्रतिमाह, अनुग्रह राशि 15 लाख
6.	स्व. एस.डब्ल्यू.आर. श्रीनिवास मिशाला 15500439-एन	एफएसए-(शेष राशि और छुट्टी भुगतान)-1,47,922/- एएफपीपी फंड-1,70,865/-, डीएलआई-60 हजार, एसीडब्ल्यूएफ-30 हजार, एडब्ल्यूडब्ल्यूए-10 हजार, एजीआई (आई)-25 लाख, एजीआई (एम)-1,41,815/-, डीसीआरजी-2,97,264/-, एलएफपी-6,590/- प्रतिमाह, अनुग्रह राशि 15 लाख
7.	स्व. सिपाही (एसीपी-1) मोहम्मद फिरोज खान 2608053-एक्स	एफएसए-41,348/-, एएफपीपीएफ-408586/-, डीएलआईसी-60,000/-, एसीडब्ल्यूएफ-30,000/-, एडब्ल्यूडब्ल्यूए-10 हजार, एसएफपी-13,980/-, डीसीआरजी-3,16,584/-, एजीआई-25 लाख, एजीआई एम-1,76,852/-, अनुग्रह राशि-15 लाख

1	2	3
8.	स्व. सिग्नलमैन यदैया एम, 15688901-डब्ल्यू	एलईपी-12,770/-, डीसीआरजी-2,79,624/- अनुग्रह राशि-15 लाख, एजीआई बीमा-20 लाख, एजीआई परिपक्कवता-1,51,348/-, आईआरएलए शेष-91,208/-, एएफपीपी शेष-182874/-, डीएलआई-60 हजार, एसीडब्ल्यूएफ-30 हजार
9.	दासरी प्रसाद मकेनिक (आर)-II 119494-बी	उदारीकृत पारिवारिक पेंशन-19,290/- प्रतिमाह, अनुग्रह राशि-10 लाख, मृत्यु उपादान-8,06,322/-
10.	सीताराम बादापल्ली एलएसआरपी-1 137761-डब्ल्यू	उदारीकृत पारिवारिक पेंशन-14,800/- प्रतिमाह, अनुग्रह राशि-10 लाख, मृत्यु उपादान-3,24,200/-
11.	राजेश तोतिका एलएमई, 131297-बी	उदारीकृत पारिवारिक पेंशन-15,050/- प्रतिमाह, अनुग्रह राशि-10 लाख, मृत्यु उपादान-3,39,500/-
12.	इमादी राजेश, शिप राइट, 194293-ए	विशेष पारिवारिक पेंशन-11,304/- प्रतिमाह, अनुग्रह राशि-10 लाख, मृत्यु उपादान-2,29,032/-

[हिन्दी]

शिशु देखभाल केन्द्र

1416. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पंजीकृत शिशु देखभाल केन्द्रों/संस्थाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में बहुत से ऐसे केन्द्र/संस्थाएं अभी तक पंजीकृत नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं में शिशु शोषण, यौन शोषण और आवासीय देखभाल सुविधा का अभाव सरकार के संज्ञान में आया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) देश में किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत पंजीकृत और समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के अंतर्गत वि त्तीय सहायता उपलब्ध कराए जा रहे बाल देखरेख केन्द्रों/संस्थाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) गैर-पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं की संख्याओं के संबंध में आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) बाल देखरेख संस्थाओं का किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत आवश्यक रूप से पंजीकृत होना अपेक्षित है और इन्हें समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उक्त अधिनियम और आईसीपीएस के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की है। तथापि, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बाल देखरेख संस्थाओं बाल शोषण, यौन दुर्व्यवहार और रिहायशी देखरेख सुविधा के अभाव की घटनाओं के मामले के संबंध में प्राप्त कुछ शिकायतों की जांच की है। जैसाकि एनसीपीसीआर द्वारा सूचित किया गया है उन्होंने बाल देखरेख केन्द्रों और अन्य संस्थाओं में बाल शोषण, यौन दुर्व्यवहार और रिहायशी देखरेख सुविधा के अभाव के संबंध में 55 शिकायतें/मामले दर्ज किए हैं।

(च) उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए केंद्रीय मॉडल नियमों में बाल दुर्व्यवहार और रिहायशी देखरेख सुविधाओं के अभाव की किसी सूचित घटना का निवारण करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मॉनीटरन, जांच, देखरेख के मानक और किए जा सकने योग्य उपाय शामिल हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य

क्षेत्र प्रशासनों से समय-समय पर सभी बाल देखरेख संस्थाओं की पहचान करने और उनका पंजीकरण करने का अनुरोध करता रहा है ताकि देखरेख के मानकों की निगरानी सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त शिकायतों के उत्तर में, एनसीपीसीआर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में उचित कार्रवाई करने के लिए सिफारिशें करता है।

[अनुवाद]

कंपनियों को काली सूची में डालना

1417. **श्री ओम प्रकाश यादव :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथियार बनाने वाली विश्व की जानी-मानी बहुत सी कंपनियों को कुछ अवैध करार को अंतिम रूप देने, जिसमें धन का भुगतान या कमीशन शामिल है, के कारण भारत में काली सूची में डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें इस संबंध में काली सूची में डाला गया है;

(ग) क्या विश्व की जानी-मानी कंपनियों को काली सूची में डालने से रक्षा से संबंधित उपकरणों एवं आधुनिक हथियार प्रणाली की खरीद प्रभावित हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) छह कंपनियों को उनके संबद्ध और सहायक कंपनियों के साथ 11 अप्रैल, 2012 के प्रभाव से 10 वर्षों के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ व्यापारिक कारोबार करने से विवर्जित (डिबार) कर दिया गया है:—

(i) मैसर्स सिंगापुर टेक्नालाजीज काइनेटिक्स लि. (आईएसआई)

(ii) मैसर्स इजरायल मिलिटरी इंडस्ट्रीजट लिमिटेड (आईएमआई)

(iii) मैसर्स टी.एस. किसान एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

(iv) मैसर्स आर.के. मशीन टूल्स लिमिटेड, लुधियाना

(v) मैसर्स रीनमेटल एयर डिफेंस (आरएडी), ज्युरिक

(vi) मैसर्स कॉर्पोरेशन डिफेंस, रूस

इसके अलावा, निम्नलिखित कंपनियों के साथ भी व्यापारिक कारोबार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है:—

(i) मैसस शैंक्स ओशनियरिंग

(ii) इंटर स्पाइरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(iii) मैसर्स एक्सपर्ट्स सिस्टम्स

(iv) मैसर्स यूनिटेक इंटरप्राइजेज

(v) मैसर्स केल्विन इंजीनियरिंग

(vi) मैसर्स एटलस टेलीकॉम एंड मैसर्स एटलस डिफेंस सर्विसिज सहित एटलस ग्रुप ऑफ कंपनीज

(ग) से (ङ) सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा की सभी चुनौतियों से निपटने के लिए सैन्य बलों की तैयारियां सुनिश्चित करने हेतु निरंतर आवश्यक उपाय करती है।

[हिन्दी]

डीआरडीओ द्वारा रक्षा उपस्करों का निर्यात

1418. **श्री हंसराज गंगाराम अहीर :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस और ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्यात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के गोला-बारूद के विनिर्माण और निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए (डीआरडीओ) को आवश्यक निधियां और सहयोग प्रदान करने के कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) वर्तमान में, हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए), तेजस और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के निर्यात का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एलसीए, तेजस और ब्रह्मोस दोनों मिसाइलें निर्यात सापेक्ष उत्पाद हैं। वर्तमान में, स्वदेशी आवश्यकताओं के लिए उत्पादन सुविधाएं प्रयोग की जा रही हैं।

(ग) और (घ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) प्राथमिक रूप से हमारे सशस्त्र बलों के लिए सामरिक, समिष्ट (कॉम्पलेक्स)

और सुरक्षा संबंधी संवेदनशील प्रणालियों की अभिकल्पना और विकास में संलग्न है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रणालियों और उप-प्रणालियों की प्रौद्योगिकियां उत्पादन अभिकरणों को स्थानांतरित की जाती हैं। ऐसी प्रणालियों और उप-प्रणालियों का उत्पादनीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू), आयुध निर्माणियों (ओएफ) और अन्य उद्योगों अर्थात् सार्वजनिक और निजी उद्योग द्वारा किया जाता है।

सरकार ने सदैव घरेलू रक्षा उपस्करों और हथियारों के वर्धन में समर्थन और प्रोत्साहन दिया है। स्वदेशी रक्षा उत्पादनों को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी)-2013 में पहले ही उपबंध बनाए गए हैं।

[अनुवाद]

जननी सुरक्षा योजना

1419. श्री बी.वी. नाईक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) आवंटित/जारी/उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है एवं उक्त योजना के अंतर्गत कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके परिणामत: नवजात/मातृत्व मृत्यु दर में प्रतिशत की गिरावट का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी महिलाओं को योजना के बारे में जानकारी नहीं है एवं वे योजना के लाभ से वंचित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में जेएसवाई के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसे गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। जेएसवाई के तहत, मां की आयु और बच्चों की संख्या पर ध्यान दिए बिना किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा में जन्म देने के लिए पात्र गर्भवती महिलाएं नकद सहायता के लिए हकदार हैं। इस योजना में कम संस्थागत प्रसव की दर वाले राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, ओडिशा और जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष नियम के साथ गरीब गर्भवती महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यद्यपि इस योजना के तहत इन राज्यों को निम्न निष्पादन वाले राज्य (एलपीएस) का नाम दिया गया है, जबकि शेष राज्यों को उच्च निष्पादन वाले राज्य (एचपीएस) का नाम दिया गया है। इस योजना में गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता) के रूप में महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवकों को निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

संस्थागत प्रसव के लिए नकद सहायता

विभिन्न श्रेणियों की माताओं के लिए नकद पात्रता इस प्रकार है:—

(रुपए में)

श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	मां का पैकज	आशा का पैकज	मां का पैकज	आशा का पैकज
एलपीएस	1400	600	1000	400
एचपीएस	700	600	600	400

*ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपये की आशा पैकेज में एएनसी घटक के लिए 300 रुपए और संस्थागत प्रसव की सुविध के लिए 300 रुपए शामिल हैं।

**शहरी क्षेत्रों में 400 रुपए की आशा पैकेज में एएनसी घटक के लिए 200 रुपए और संस्थागत प्रसव की सुविधा के लिए 200 रुपए शामिल हैं।

घर पर प्रसव के लिए नकद सहायता

घर पर प्रसव करने वाले गरीबी रेखा से नीचे की गर्भवती महिलाएं गर्भाधान की आयु और बच्चों की संख्या पर ध्यान दिए बिना 500 रुपए प्रति प्रसव की हकदार हैं।

जेएसवाई के तहत प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण

दिनांक 01.01.2013 से 43 जिलों में और 01.07.2013 से 78 जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भुगतान प्रारूप शुरू किया गया है। इस पहल के तहत, पात्र गर्भवती महिलाएं सीधे अपने बैंक खातों में जेएसवाई लाभ पाने की हकदार हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जेएसवाई के तहत आवंटित धनराशि और लाभान्वित महिलाओं की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

आम चुनाव 2014 के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया जिसमें जेएसवाई धनराशि का अनुमोदन भी शामिल है, वर्तमान में चल रहा है; हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जेएसवाई के कार्यान्वयन में कोई रुकावट नहीं होगी, राज्यों को उनके पास एनआरएचएम के तहत गत वर्ष के व्यय न की गई धनराशि/बचतों में से जेएसवाई योजना लागू करने के निदेश दिए गए हैं।

शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अनुपात में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार प्रतिशत गिरावट क्रमशः संलग्न विवरण-III और IV में दी गई है।

(ग) वास्तव में, जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है अर्थात् 2005-06 में लाभार्थियों की संख्या 7.38 लाख से बढ़ कर 2013-14 में 10.48 लाख हो गई है जो स्वयं इस योजना के बारे में गर्भवती महिलाओं के बीच उच्च जागरुकता के स्तर का सूचक है। इसके अलावा, इस योजना के बारे में जागरुकता पैदा कर किसी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में जन्म देने के लिए गर्भवती महिलाओं को प्रेरित करने हेतु जेएसवाई के तहत कार्य के आधार पर लगभग 9 लाख आशा कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा, जेएसवाई लाभार्थियों की बड़ी संख्या ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं जैसाकि 2013-14 में सूचित किया गया है कि कुल लाभार्थियों में से लगभग 87% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और इसका तात्पर्य यह है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के एक बड़े वर्ग को इस योजना के बारे में पता नहीं है और वे इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाती हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

जननी सुरक्षा योजना

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	बजट का आवंटन (करोड़ रुपए)		
		2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5
	हाई फोकस राज्य			
1.	बिहार	250.85	244.29	354.35
2.	छत्तीसगढ़	68.85	61.32	70.88
3.	हिमाचल प्रदेश	1.9	2.33	2.11
4.	जम्मू और कश्मीर	21.93	20.57	22.40
5.	झारखंड	69.7	89.25	89.71
6.	मध्य प्रदेश	188.08	191.41	210.25
7.	ओडिशा	108.31	110.24	120.06
8.	राजस्थान	184.06	181.41	217.11
9.	उत्तर प्रदेश	475.33	521.9	471.24
10.	उत्तराखंड	15.12	13.51	15.39
	पूर्वोत्तर राज्य			
11.	अरुणाचल प्रदेश	1.41	1.42	2.18

1	2	3	4	5
12.	असम	93.39	81.07	92.45
13.	मणिपुर	2.2	1.68	2.17
14.	मेघालय	1.28	2.14	2.63
15.	मिज़ोरम	1.78	1.39	1.39
16.	नागालैंड	2.73	1.82	2.06
17.	सिक्किम	0.59	0.44	0.51
18.	त्रिपुरा	3.36	2.82	3.13
	गैर-उच्च फोकस राज्य			
19.	आंध्र प्रदेश	32.88	31.79	45.47
20.	गोवा	0.1	0.12	0.12
21.	गुजरात	21	25.81	33.83
22.	हरियाणा	6.6	6.3	5.92
23.	कर्नाटक	38.54	42.45	66.20
24.	केरल	13.55	12.13	16.08
25.	महाराष्ट्र	35.28	30.23	31.23
26.	पंजाब	6.46	8.07	10.43
27.	तमिलनाडु	34.52	35.72	36.02
28.	पश्चिम बंगाल	58.37	60.16	51.70
	छोटे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र			
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.06	0.11	0.06
30.	चंडीगढ़	0.08	0.08	0.05
31.	दादरा और नगर हवेली	0.15	0.13	0.14
32.	दमन और दीव	0	0.06	0.04
33.	दिल्ली	2.18	1.85	2.24
34.	लक्षद्वीप	0.07	0.06	0.08
35.	पुदुचेरी	0.34	0.35	0.35
	कुल	1,741.05	1,784.45	1,979.98

विवरण-II

जेएसवाई लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5
ए.	**उच्च फोकस राज्य**			
1.	बिहार	1432439	1829916	1695843
2.	छत्तीसगढ़	334,098	277,653	290,276
3.	झारखंड	559,507	282,169	283,562
4.	जम्मू और कश्मीर	132,645	127,041	143,129
5.	मध्य प्रदेश	1085729	979,822	1010824
6.	ओडिशा	634,468	547,648	530,089
7.	राजस्थान	1008490	1072623	1106262
8.	उत्तर प्रदेश	2327830	2186401	2388204
9.	उत्तराखंड	87,937	89506	95,344
10.	हिमाचल प्रदेश	21811	13,626	15,766
	उप-कुल	7624954	7406405	7559299
बी.	**अन्य राज्य**			
11.	आंध्र प्रदेश	261,860	341,041	383,135
12.	गोवा	1673	1387	1100
13.	गुजरात	342,211	308,880	253,005
14.	हरियाणा	66,084	61,902	44,076
15.	कर्नाटक	454,544	407,611	383,251
16.	केरल	105,205	116,816	138,527
17.	महाराष्ट्र	302,040	364,039	403,405
18.	पंजाब	109,587	79,511	96,873
19.	तमिलनाडु	340,454	358,224	457,770
20.	पश्चिम बंगाल	787,604	659,996	363,655
	उप-कुल	2771262	2699407	2524797

1	2	3	4	5
सी.	**संघ राज्यक्षेत्र**			
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	386	298	366
22.	चंडीगढ़	536	449	899
23.	दादरा और नगर हवेली	1104	786	1203
24.	दमन और दीव	एनए	0	145
25.	दिल्ली	20145	21,722	12,096
26.	लक्षद्वीप	643	494	992
27.	पुदुचेरी	5236	3728	3754
	उप-कुल	28050	27,477	19,455
डी.	**पूर्वोत्तर राज्य**			
28.	अरुणाचल प्रदेश	12,135	12200	11,827
29.	असम	412,559	421,359	451,748
30.	मणिपुर	17,173	18,145	17,064
32.	मेघालय	18,905	21082	20151
33.	मिज़ोरम	12,326	12057	12871
34.	नागालैंड	15,863	17,609	13390
35.	सिक्किम	3285	2668	2383
35.	त्रिपुरा	20871	18,682	15502
	उप-कुल	513117	523,802	544,936
	महायोग	10937383	10657091	10648487

विवरण-III

क्र. सं.	राज्य	शिशु मृत्यु दर (एसआरएस)				पिछले वर्ष की तुलना में (%) वार्षिक में गिरावट आई		
		2009	2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अखिल भारत	**50**	**47**	**44**	**42**	**6.0**	**64**	**4.5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	49	46	43	41	6.1	6.5	4.7
2.	असम	61	58	55	55	4.9	5.2	0.0
3.	बिहार	52	48	44	43	7.7	8.3	2.3
4.	छत्तीसगढ़	54	51	48	47	5.6	5.9	2.1
5.	गुजरात	48	44	41	38	8.3	6.8	7.3
6.	हरियाणा	51	48	44	42	5.9	8.3	4.5
7.	झारखंड	44	42	39	38	4.5	7.1	2.6
8.	कर्नाटक	41	38	35	32	7.3	7.9	8.6
9.	केरल	12	13	12	12	-8.3	7.7	0.0
10.	मध्य प्रदेश	67	62	59	56	7.5	4.8	5.1
11.	महाराष्ट्र	31	28	25	25	9.7	10.7	0.0
12.	ओडिशा	65	61	57	53	6.2	6.6	7.0
13.	पंजाब	38	34	30	28	10.5	11.8	6.7
14.	राजस्थान	59	55	52	49	6.8	5.5	5.8
15.	तमिलनाडु	28	24	22	21	14.3	8.3	4.5
16.	उत्तर प्रदेश	63	61	57	53	3.2	6.6	7.0
17.	पश्चिम बंगाल	33	31	32	32	6.1	-3.2	0.0
18.	अरुणाचल प्रदेश	32	31	32	33	3.1	-3.2	-3.1
19.	दिल्ली	33	30	28	25	9.1	6.7	10.7
20.	गोवा	11	10	11	10	9.1	-10.0	9.1
21.	हिमाचल प्रदेश	45	40	38	36	11.1	5.0	5.3
22.	जम्मू और कश्मीर	45	43	41	39	4.4	4.7	4.9
23.	मणिपुर	16	14	11	10	12.5	21.4	9.1
24.	मेघालय	59	55	52	49	6.8	5.5	5.8
25.	मिज़ोरम	36	37	34	35	-2.8	8.1	-2.9
26.	नागालैंड	26	23	21	18	11.5	8.7	14.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	सिक्किम	34	30	26	24	11.8	13.3	7.7
28.	त्रिपुरा	31	27	29	28	12.9	-7.4	3.4
29.	उत्तराखंड	41	38	36	34	7.3	5.3	5.6
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27	25	23	24	7.4	8.0	-4.3
31.	चंडीगढ़	25	22	20	20	12.0	9.1	0.0
32.	दादरा और नगर हवेली	37	38	35	33	-2.7	7.9	5.7
33.	दमन और दीव	24	23	22	22	4.2	4.3	0.0
34.	लक्षद्वीप	25	25	24	24	0.0	4.0	0.0
35.	पुदुचेरी	22	22	19	17	0.0	13.6	10.5

विवरण-IV

मातृ मृत्यु दर (एमएमआर)

भारत और प्रमुख राज्य	2007-09	2010-12	एमएमआर में ड्राप (2007-09) – (2010-12)	एमएमआर में गिरावट की संख्या % (2007-09) – (2010-12)
1	2	3	4	5
कुल भारत	**212**	**178**	**34**	**16.0**
असम	390	328	62	15.9
बिहार/झारखंड	261	219	42	16.1
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	269	230	39	14.5
ओडिशा	258	235	23	8.9
राजस्थान	318	255	63	19.8
उत्तर प्रदेश/उत्तरांखड	359	292	67	18.7
ईएजी और असम उप-योग	308	257	51	16.6

1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	134	110	24	17.9
कर्नाटक	178	144	34	19.1
केरल	81	66	15	18.5
तमिलनाडु	97	90	7	7.2
दक्षिण उप-योग	127	105	22	17.3
गुजरात	148	122	26	17.6
हरियाणा	153	146	7	4.6
महाराष्ट्र	104	87	17	16.3
पंजाब	172	155	17	9.9
पश्चिम बंगाल	145	117	28	19.3
अन्य	160		160	100.0
अन्य उप-योग	149	127	22	14.8

स्रोत: भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय (एसआरएस अनुमान)।

निजी अस्पतालों में गरीब रोगियों का उपचार

1420. प्रो. सौगत राय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी अस्पतालों, बहु-विशेषता निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स, जिन्हें रियायती दर पर भूमि मुहैया कराई गई है, में गरीब व्यक्तियों, समाज के गरीब/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उपचार के लिए प्रावधानों की निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्था शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो निबंधन एवं शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम्स को रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विभिन्न निजी अस्पतालों द्वारा उक्त शर्तों और निबंधनों के उल्लंघन के कौन-कौन से मामले सरकार की जानकारी में आए हैं और दोषी अस्पतालों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई/की जा रही कार्रवाई क्या है; और

(घ) इस संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित अन्य कदम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) : (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, ऐसी कोई सूचना केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती। तथापि, यहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार का प्रश्न है, सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एनबीएफसी धोखाधड़ी

1421. डॉ. किरीट सोमैया :
श्री सी.एस. पुट्टा राजू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)/चिट फन्ड्स पोंजी योजनाएं/कंपनियां देश में प्रतिदिन बढ़ रही हैं और बिना किसी अपेक्षित पंजीकरण के कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी कंपनियों व चिट् फंडों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवेशकों के धन का भुगतान नहीं करने के संबंध में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कंपनी, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास हाल में इसमें हुए घोटाले को ध्यान में रखते हुए इन एनबीएफसी, चिटफंडों/पोंजी स्कीमों/कंपनियों को विनियमित/संवीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए ऐसी एनबीएफसी चिटफंडों/पोंजी स्कीमों/कंपनियों की गतिविधियों को रोकने हेतु निगरानी करने के संबंध में क्या तंत्र स्थापित किया गया है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) आरबीआई कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अग्रेषित 34,754 कंपनियों की सूची, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है तथा एमसीए के अभिलेखों में "एनबीएफसी" के रूप में वर्गीकृत/श्रेणीबद्ध हैं तथा ये कंपनियां आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत यथा अपेक्षित अनिवार्य पंजीकरण के बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफआई) के रूप में कार्य कर रही होगी क्योंकि आरबीआई के पास केवल 12,375 कंपनियां एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत हैं (फरवरी, 2013 तक की स्थिति के अनुसार), पर एक बारगी कार्रवाई कर रहा है। एमसीए ने आरबीआई को ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने का अनुरोध किया था। जबकि सूची में वर्णित कुछ कंपनियां आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत नहीं थीं, सूची में ऐसी कुछ कंपनियों के नाम भी नहीं थे जो कि आरबीआई के साथ पहले से पंजीकृत हैं। चिटफंड अधिनियम, 1982 के अंतर्गत चिटफंड राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत तथा विनियमित होते हैं। इसके अतिरिक्त, इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत धन परिचालन स्कीमें प्रतिबंधित हैं तथा अधिनियम के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

(ख) आरबीआई ने सूचित किया है कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 543 एनबीएफसी प्रचालनरत हैं जो कि आरबीआई के साथ पंजीकृत नहीं हैं, पिछले तीन कैलेंडर वर्षों तथा चालू वर्ष में 30 जून तक जिनके विरुद्ध निवेशकों के धन के भुगतान न करने से संबंधित शिकायतें आरबीआई को प्राप्त हुई हैं अथवा उसकी जानकारी में आई हैं।

(ग) और (घ) आरबीआई द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एक बारगी उपाय के रूप में इन सभी 34,754 कंपनियों (आरबीआई के साथ पंजीकृत के इतर), जिनकी सूची एमसीए द्वारा आरबीआई को भेजी गई थी, के वित्तीय लेन-देनों की जांच की जाएगी ताकि आरबीआई के साथ पंजीकरण हेतु उनकी पात्रता अथवा अपात्रता की पुष्टि करने के लिए जांच हो सके। मुख्य उद्देश्य यह पता करना है कि क्या इन कंपनियों में ऐसे एनबीएफसी भी हैं जिन्हें एनबीएफआई क्रियाकलाप करने हेतु आरबीआई में पंजीकृत होना आवश्यक था। यह पाया गया कि 4,102 कंपनियां एनबीएफसी के रूप में आरबीआई में पंजीकृत थीं। दूसरे चरण में आरबीआई ने एमसीए सूची की बची हुई 30,652 कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रक्रिया का ध्यान ऐसी कंपनियों की पहचान करने पर केंद्रित था जिन्हें अन्यथा आरबीआई में पंजीकृत होना चाहिए था। इस प्रक्रिया से यह भी पता चला है कि 13,647 कंपनियां एनबीएफसी के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु मुख्य कारोबार मानदंड (पीबीसी) को पूरा नहीं कर रही हैं तथा इसलिए उन्हें आरबीआई में पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, 6182 कंपनियों की पूर्ण जानकारी एमसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही 4125 कंपनियां परिसमापन के अधीन हैं अथवा समाप्त होने की प्रक्रिया में हैं। बकाया 6698 कंपनियों में से केवल 213 सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार करती हुई पाई गईं तथा अन्य 1643 पीबीसी तथा न्यूनतम निवल मालियत को पूरा कर रही हैं। शेष 4842 कंपनियां सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार नहीं कर रही हैं, लेकिन प्रथम दृष्टतया एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण हेतु अपात्र हैं।

चूंकि आरबीआई अधिनियम, 1934 के उल्लंघन के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु यह आवश्यक होगा कि कंपनियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाए, विशेष रूप से तब जब एमसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर निष्कर्षों पर पहुंचा गया है, अप्राधिकृत रूप से जनता से जमा राशियां स्वीकार करने वाली तथा आरबीआई में पंजीकरण किए बिना एनबीएफआई गतिविधियां करती प्रतीत होने वाली कंपनियों से तथ्यों की पुष्टि करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य पात्रता कार्ड

1422. श्री निशिकान्त दुबे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुफ्त अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य पात्रता कार्ड (एनएचईसी) प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस संबंध में क्या कार्य विधियां बनाई गई हैं;

(ग) इन स्वास्थ्य कार्डों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार गरीब परिवारों के बच्चों की मुफ्त चिकित्सीय जांच भी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से कोई प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने वाले सभी लोगों के लिए सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रावधान हेतु राज्यों को सहायता दी जा रही है और राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं जिसके लिए बच्चों के स्वास्थ्य हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सहायता प्रदान की जा रही है।

(i) **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके):** इसके तहत, अपंगता सहित चार दोषों में वर्गीकृत अर्थात् जन्म के समय दोष, रोग, अल्पता, विकास में विलंब जैसी सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों का जल्दी पता लगाने और शुरुआती प्रबंधन के माध्यम से निःशुल्क बाल स्वास्थ्य जांच और शीघ्र बचाव सेवाओं के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सहायता दी जा रही है। इस पहल के अंतर्गत, तृतीयक स्तर पर सर्जरी सहित निःशुल्क उपचार उपलब्ध है।

(ii) **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके):** किशोरों/किशोरियों के लिए यह पहल यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से कहीं आगे तक है और इसमें पोषण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, चोट और हिंसा (लिंग आधारित हिंसा सहित), गैर-संचारी रोगों, मानसिक स्वास्थ्य और पदार्थ दुरुपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

जनजातीय कॉलोनियों का विकास

1423. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जनजातीय कॉलोनियों के विकास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं गत तीन वर्षों और आज की तिथि तक आवंटित और उपयोग की गई निधि का कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस प्रयोजन हेतु अतिरिक्त योजनाओं के संबंध में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा) : (क) जनजातीय कॉलोनियों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय में कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है। तथापि, जनजातीय लोगों के विकास सहित अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ख) चालू वर्ष तथा प्रत्येक पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य सहित योजना-वार/राज्य-वार अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कल्याण के लिए आवंटित एवं निर्मुक्त कराई गई निधियों की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है। योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्य सरकार को उपलब्ध निधियों की उपयोगिता एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों के अनुसार निधियन के लिए प्रस्ताव प्राप्त करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान निधियों के योजना-वार आवंटन के ब्यौरे

(रुपए करोड़)

क्र. सं.	योजना का नाम	निधियों का आवंटन			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
1.	जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)	1197.00	1317.00	1317.00	1317.00

1	2	3	4	5	6
2.	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	1096.01	1200.00	1200.00	1200.00
3.	लघु वन उत्पाद प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम आदि को सहायता अनुदान	20.00	20.00	20.00	15.00
4.	न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पाद और लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	इस योजना के 1.08.2013 को मंत्रिमंडल द्वारा को अनुमोदित किया गया निधियां वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उपलब्ध कराई गईं।			
5.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	55.50	55.50	55.50	35.00
6.	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग	4.50	4.50	40.50	1.50
7.	न्यून साक्षरता जिलों में अनुसूचित जनजातीय लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	40.00	40.00	40.00	40.00
8.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (गैर-सरकारी संगठन घटक)	3.00	3.00	3.00	3.00
9.	अनुसूचित जनजातियों के लिए बालक/बालिका छात्रावास	78.00	78.00	125.00	1036.84
10.	जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम विद्यालयों की स्थापना	75.00	75.00	75.00	
11.	अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए दसवीं के बाद छात्रवृत्ति	677.50	748.50	748.50	
12.	प्रतिभा का उन्नयन	1.50	1.50	1.50	
13.	कक्षा में पढ़ने वाले जरूरतमंद 9 व 10 अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए दसवीं पूर्व छात्रवृत्तियां	50.00	86.00	212.19	
14.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	6.00	6.00	6.00	
15.	अनुसूचित जनजातियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा	5.00	13.00	13.00	
16.	अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	1.00	1.00	1.00	1.00
17.	राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप	62.00	90.00	90.00	50.00
18.	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का विकास	244.00	244.00	244.00	207.00
19.	अनुसंधान सूचना व जन शिक्षा जनजातीय उत्सव व अन्य	10.50	10.50	10.50	17.34

टिप्पणी: कुछ योजनाओं के लिए निधियों का राज्य-वार आवंटन निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि योजनाएं आवश्यकता आधारित और मांग संचालित हैं।

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्तियों की राज्य-वार और योजना-वार स्थिति

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य के नाम	भारत के संविधान का अनुच्छेद 275(1)				उप-जनजातीय योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता				लघु वन उत्पादों के प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों के लिए सहायता अनुदान			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	7998.00	4834.00	350.00	0.00	6057.00	4125.00	5789.00	719.56	194.00	264.00	120.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1082.83	0.00	832.19	268.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	3419.00	0.00	3540.25	0.00	5475.00	4674.00	6563.63	1062.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	959.00	0.00	0.00	0.00	1147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	9294.00	8534.00	9172.11	2207.01	10645.00	9478.00	9478.00	2139.35	200.00	189.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	9426.00	4629.60	10275.69	2515.73	8838.00	7410.00	8448.00	2438.61	150.00	160.00	177.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	431.00	474.00	474.00	110.63	1851.00	1262.00	1768.00	107.24	10.00	7.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1390.00	150.34	1146.75	0.00	1143.00	0.00	1702.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	9181.00	7369.50	9280.40	2438.96	10704.00	11413.25	12187.00	2364.19	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	4263.00	4800.00	4800.00	1198.73	2170.00	1853.25	2471.00	1161.98	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	केरल	463.00	510.00	510.00	136.78	574.00	549.00	549.00	132.59	14.00	0.00	6.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	14015.50	16518.04	15793.47	4321.21	15593.85	17525.00	17525.00	4188.73	472.00	0.00	0.00	0.00
14.	महाराष्ट्र	10805.00	2911.00	12489.00	2965.17	7055.93	0.00	7728.00	2874.26	330.72	245.00	67.07	0.00
15.	मणिपुर	937.00	1031.00	1031.00	254.68	705.00	1230.00	1581.90	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	2798.00	0.00	2924.38	721.07	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	106.00	0.00
17.	मिज़ोरम	1056.00	810.75	1133.61	292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	45.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	नागालैंड	2301.00	2454.00	2886.93	482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	ओडिशा	11347.00	11283.99	14706.50	2705.77	14449.15	13321.00	13321.00	2622.81	315.00	233.00	193.00	0.00
20.	राजस्थान	7642.00	7737.98	9437.80	2606.40	1840.00	7441.00	8377.00	2526.49	29.28	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	259.00	272.58	302.90	58.22	451.01	437.00	437.00	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	614.25	0.00	901.00	224.20	572.00	0.00	651.00	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.88	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	त्रिपुरा	1250.00	1375.00	1355.00	329.18	2244.00	1955.00	2102.10	319.09	38.00	52.00	54.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	1484.91	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तराखंड	0	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	6066.99	6104.00	6104.00	1494.39	4720.00	2580.75	4181.36	1448.57	170.00	126.00	231.93	0.00

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य के नाम	*न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पाद और लघु उत्पाद के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास				अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठन के लिए सहायता अनुदान				अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	132.95	120.67	330.83	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	472.04	80.33	671.32	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	112.56	83 90	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	43.65	132.95	0.00	330.83	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	5.00	0.00	156.39	0.00	83.78	100.02	35.97	0.00	12.97	0.00

8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	161.47	1.57	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	24.15	0.00	480.44	118.50	307.29	12.68	17.75	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	303.79	94.66	166.74	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	148.37	62.64	70.23	61.52	10.32	1395000	2.75	0.00
13.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	34.89	0.00	73.69	53.86	64.80	0.00	35.14	0.00	21.32	0.00
14.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	8.25	0.00	112.69	231.46	62.82	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	137.66	125.42	213.81	0.00	15.20	23.98	14.84	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	642.55	293.49	857.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मिज़ोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	77.24	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	ओडिशा	0.00	0.00	40.00	0.00	1243.85	183.05	222.21	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.20	0.00	81.52	0.00	0.00	51.42	86.94	0.00	66.54	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	57.47	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	45.72	23.30	34.33	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	32.98	32.94	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	91.70	16.67	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	83.69	28.57	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	574.62	234.21	360.57	24.59	13.31	0.00	0.00	0.00
28.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93	7.35	0.00	0.00	25.50	7.13	0.00	0.00

*यह योजना मंत्रिमंडल द्वारा 01.08.2013 को अनुमोदित की गई थी। निधियां वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंतिम माह में उपलब्ध करायी गई थीं।

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य के नाम	कम साक्षरता वाले जिलों में अ.ज.जा. की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण				जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण				विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास की योजना के रूप में ज्ञात)			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	आंध्र प्रदेश	1188.32	0.00	12.95	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2292.400	2000.000	3000.000	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	118.60	88.08	74.16	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	36.63	37.23	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1659.770	2011.694	1422.900	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	82.44	0.00	1459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2035.200	700.000	10000.000	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	36.02	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.823	645.976	378.208	0.00
11.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	6.12	53.88	0.00	1225.608	707.372	26.679	0.00
12.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.000	0.000	600.000	0.00
13.	मध्य प्रदेश	612.80	0.00	685.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6545.320	4350.000	4500.000	0.00
14.	महाराष्ट्र	51.59	59.48	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.300	2610.000	0.00
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000	100.000	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	36.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	ओडिशा	986.68	623.30	1622.55	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1224.728	3260.000	2000.00	0.00
20.	राजस्थान	88.91	3.00	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2677.000	1500.000	700.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.75	0.00	1161.047	1446.658	2026.757	0.00
23.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.400	700.000	950.000	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	400.00	0.000	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	1300.000	0.00
28.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.000	0.000	0.75	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य के नाम	अ.ज.जा. की लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास				जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना				अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	418.3	0.00	0.00	0.00	0.00	988.49	371.87	0.00	16697.74	19438.70	4895.17	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1201.64	279.81	846.73	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	633.00	1366.85	2.29
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.60	0.00	4210.81	4537.69	4756.81	1114.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.42	90.00	23.00	23.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.36	0.00	0.00	4034.11	3150.31	1341.47	787.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	26.77	8.00	2.00	2.00
7.	गुजरात	0.00	187.06	939.33	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	8482.59	2460.71	7138.58	615.00
8.	हिमाचल प्रदेश	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141.84	948.52	282.83	237.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.48	710.06	177.00	177.00
10.	झारखंड	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3374.06	1344.21	3267.40	336.00
11.	कर्नाटक	283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6149.11	2522.75	3340.76	630.00
12.	केरल	250.00		553.45	1949.63	0.00	1025.02	0.00	0.00	957 08	329.45	625.53	82.00
13.	मध्य प्रदेश	1223.43	2291.57	0.00	0.00	2815.11	0.00	0.00	0.00	4591.67	9542.45	5276.71	2385.00
14.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	2474.63	0.00	8820.42	4604.38	11996.04	1151.00
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4742.29	4243.64	6111.01	1060 00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2752.38	1753.42	3438.00	4.38.00
17.	मिजोरम	392.33	0.00	2289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3732.93	3546.61	5393.89	886.00
18.	नागालैंड	0.00	0.00	810 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2813.71	2191.09	2626.19	547.00
19.	ओडिशा	0.00	1697.50	0.00	0.00	2550.00	2458.90	2091.10	0.0	1809.47	5405.95	3459.87	535.00
20.	राजस्थान	1000.00	1500.00	2646.87	0.00	634.89	0.00	0.00	0.00	6031.54	2142.99	2216.02	1351.00
21.	सिक्किम	0.0	460.29	000	0.00	0.00	0.00	575.27	0.00	198.00	414.15	845.49	103.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	112.73	0.00	0.00	0.00	000	0.00	78.91	178.66	1436.02	44.00
23.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	त्रिपुरा	1553.83	883.77	1906.01	0.00	0.00	797.23	954.52	0.00	1358.95	1036.47	1390.99	259.00

25.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.72	227.00	56.00	56.00
26.	उत्तराखंड	37.48	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	702.78	657.98	1086.50	164.00
27.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2045.22	949.16	2277.63	237.00
28.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.75	0.75
30.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76	4.00	10.90	1.00
31.	वीर नर्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात	0	62.92	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी, उत्तर प्रदेश	0	0	0	304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	मिजोरम विश्वविद्यालय	182	437.08	0	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय, बेंगलूरु (कर्नाटक)	100	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	218	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य के नाम	प्रतिभा का उन्नयन				कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियां				अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	आंध्र प्रदेश	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	113.02	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	211.88	0.00	0.00	89.00	390.51	485.70
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	54.60	17.70	0.00	0.00	0.00	593.00	0.00	0.00	107.86	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2835.28	0.00	228.96	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	20.00	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	3320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3400.00	0.00	0.00	50.16	88.00	150.74	0.00
14.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	729.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	296.77	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	123.19	0.00	10.00	88.00	69.68	0.00
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3128.00	5601.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	1.74	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4792.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	340.00	674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	460.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	2620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य के नाम	जनजातीय अनुसंधान संस्थान				जनजातीय त्योहारों का आयोजन				*अखिल भारतीय तथा अंतर्राज्यीय प्रकृति की सहायक परियोजनाएं			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	1.97	0.54	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	40.84	27.56	60.01	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00		7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	15.50	0.00	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	15.00	0.00	16.10	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	8.50	16.00	29.00	0.00	0.00	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	केरल	43.87	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	54.275	77.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
14.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
15.	मणिपुर	55.50	68.64	56.50	0.00	7.50	10.00	7.50	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	ओडिशा	50.34	115.31	109.8	0.00	7.50	10.00	7.50	0.00	0.92	1.325	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	9.88	28.02	0.00	0.00	7.50	10.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
25.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	0.68	0.62	0.00
27.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.91	0.00	0.00

*यह योजना मांग आधारित है तथा कोई पूर्व आवंटन नहीं किया गया है। निधियां सरकार तथा एनजीओ को निर्मुक्त की गई हैं।

अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को निर्मुक्त निधियां

क्र. सं.	वर्ष	निर्मुक्त निधियां (लाख रुपए)
1.	2011-12	8463.00
2.	2012-13	4500.00
3.	2013-14	0.00
4.	2014-15	0.00

अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना के तहत निर्मुक्त निधियां

क्र. सं.	वर्ष	निर्मुक्त निधियां (लाख रुपए)
1	2	3
1.	2011-12	78.31
2.	2012-13	100.00
3.	2013-14	68.00
4.	2014-15	1.05

उच्च श्रेणी शिक्षा की योजना के तहत निर्मुक्त निधियां

क्र. सं.	वर्ष	निर्मुक्त निधियां (लाख रुपए)
1.	2011-12	697.00
2.	2012-13	1011.00
3.	2013-14	950.00
4.	2014-15	158.39

टिप्पण:— उपर्युक्त तीन योजनाओं के संबंध में निधियां राज्यों को नहीं अपितु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/संस्थानों के माध्यम से निर्मुक्त की जाती हैं।

उत्कृष्टता केन्द्र के लिए निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए)

क्र.सं.	नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	भाषा अनुसंधान एवं प्रकाशन, वड़ोदरा, गुजरात के लिए अनुदान	30.00	19.99	19.70	
2.	एनआईआरडी, हैदराबाद के लिए अनुदान	0.00	28.87	0.00	9.40
3.	बीएआईएफ, पुणे के लिए अनुदान	0.00	15.87	9.12	0.00

टिप्पण:— योजना मांग आधारित है तथा कोई पूर्व अवंटन नहीं किया जाता है।

नर्सिंग पेशे की स्थिति

1424. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
डॉ. शशि थरूर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में नर्सों और इससे जुड़े संगठनों द्वारा किए गए विभिन्न प्रदर्शनों और दिए गए अभ्यावेदनों का संज्ञान लिया है जिनमें विशेषकर निजी अस्पतालों में कार्यरत नर्सों की दयनीय दशा में सुधार की मांग की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को नर्सों के साथ बंधुआ मजदूर जैसे व्यवहार, कम वेतन भुगतान, लंबी अवधि तक कार्य करना, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, विदेश में नौकरी हेतु पैसे की मांग इत्यादि के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दोषी संस्थाओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का नर्सों हेतु न्यूनतम मजदूरी और कार्यावधि निर्धारित करने एवं देश में नर्सिंग पेशे की दशा सुधारने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों हेतु एक समान नीति बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) से (ङ) जी, हां। देश में निजी अस्पतालों में कार्य कर रही नर्सों की सेवा शर्तों में सुधार लाने व उनको विनियमित करने से संबंधित मामला उन राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है जिनमें ये निजी अस्पताल स्थित हैं।

तथापि, संसद में उठाए गए मामलों, रिट याचिका संख्या 430/2011 में बहस तथा समाज के विभिन्न वर्गों से प्राप्त संदर्भों के आधार पर, सभी राज्य सरकारों से 7 जुलाई, 2010 व 24 फरवरी, 2012 के पत्रों के तहत निजी क्षेत्र में कार्य कर रही नर्सों समेत, नर्सों की सेवा शर्तों में सुधार लाने के लिए एक व्यापक विधान को अधिनियमित करने के लिए आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय उपचर्या परिषद् ने पहलें की हैं तथा सभी राज्य सरकारों को 23 सितंबर, 2011 को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी छात्र में सेवा बांड प्राप्त करने/जबरदस्ती उसका मूल प्रमाण-पत्र रखने की अनैतिक पद्धति ध्यान में आती है, तो उस स्थिति में ऐसी दोषी संस्थाओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक

1425. डॉ. थोकचोम मेन्या : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके निर्माण के लिए जगह की पहचान कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस युद्ध स्मारक के निर्माण का कार्य कब तक पूरे होने की संभावना है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) : (क) से (ङ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

एमपीलैड्स स्कीम

1426. डॉ. संजय जायसवाल : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बिहार सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की प्रकृति क्या है; और

(घ) इस योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) : (क) से (घ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत, संसद सदस्य स्थानीय आधार पर महसूस की गई जरूरतों के आधार पर विकासात्मक स्वरूप की स्थाई सामुदायिक सम्पत्तियों के सृजन संबंधी कार्यों की सिफारिश करते हैं। क्षेत्र में इन कार्यों का कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के तकनीकी, प्रशासनिक तथा वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाता है।

एमपीलैड योजना दिशा-निर्देशों के एक सेट के माध्यम से संचालित की जाती है। ये दिशा-निर्देश सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट सहित पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

दिशा-निर्देशों में उल्लंघनों से संबंधित ब्यौरे का मंत्रालय में केन्द्रीय स्तर पर रख-रखाव नहीं किया जाता है।

जब कभी मंत्रालय में दिशा-निर्देशों के उल्लंघनों अथवा एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की सूचना प्राप्त होती है, संबंधित राज्य सरकार/जिला प्राधिकरण से दंडात्मक तथा विभागीय कार्रवाई और

एमपीलैड निधियों की ब्याज के साथ वसूली/वापसी सहित उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

[अनुवाद]

पीआरआईएस का कार्यान्वयन

1427. श्री बैजयंत जे. पांडा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मियों हेतु छठे आयोग द्वारा प्रस्तावित कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीआरआईएस) को कार्यान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के सभी कार्यालयों में बायोमैट्रिक पहुंच नियंत्रण प्रणाली लगा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों को छोड़कर केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संबंध में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन की कार्यविधि तैयार करने के पश्चात् और बेहतर कार्यनिष्पादन के कारण हुई बचत के आधार पर कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर विचार किया जाना था। एक निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी रूप से प्रोत्साहन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्यविधि तैयार करना एक जटिल कार्य है और क्योंकि इसी दौरान सरकार ने 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है और उसके विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त स्कीम का मुद्दा भी शामिल है, इसलिए यह विचार किया गया है कि इस समय स्कीम को उसके वर्तमान रूप में आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा।

(ग) और (घ) वित्त मंत्रालय के कुछ कार्यालयों में बायोमैट्रिक उप-स्थिति नियंत्रण प्रणाली स्थापित कर दी गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भू-स्थिति सीमा शुल्क केन्द्र

1428. श्री विनसेंट एच. पाला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) विशेषकर मेघालय में भू-सीमा शुल्क केन्द्रों के परिचालन में होने वाले खर्च का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की मेघालय सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अधिक भू-सीमा शुल्क केन्द्रों की स्थापना की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें होने वाले अनुमानित खर्च का स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जानकारी संकलित की जा रही है और शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ख) जी, हां। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में और भू-सीमा शुल्क केन्द्रों को खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ग) जैसा कि भूटान से द्विपक्षीय सहमति हुई है, उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) में दो नये भू-सीमा शुल्क केन्द्र, एक बोकाजोली और दूसरा रंगापानी में, दोनों ही भारत-भूटान सीमा पर असम में अवस्थित हैं, को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस बारे में होने वाले खर्च का अभी अनुमान लगाया गया है।

[हिन्दी]

रक्त की उपलब्धता

1429. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रक्त की कमी/अनुपलब्धता के कारण होने वाली मौतों की संख्या पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में रक्त की वार्षिक आवश्यकता और संग्रहण का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के कई भागों में रक्त की कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) देश में रक्त की कमी को पूरा करने हेतु रक्तदान को बढ़ावा देने एवं संग्रहीत रक्त के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए रक्त संग्रह एवं भंडारण सुविधाओं को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में रक्त की अनुपलब्धता नहीं है और रक्त की कमी की सूचना भी नहीं मिली है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी की जानकारी में निम्नलिखित दो मामले हैं:—

1. **बरेली** : मामला न्यायालय में लंबित है।

2. **कानपुर शहर** : संदेहास्पद व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। मामला जांचाधीन है।

(ङ) सरकार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-IV के तहत रक्ताधान सेवाओं से जुड़े कार्यक्रम को सुदृढ़ कर रही है जिस क्रम में गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों और आईईसी क्रियाकलापों, अवयव पृथक्करण रक्ताधान सेवाओं के समन्वयन और नेटवर्किंग के माध्यम से स्वैच्छिक एवं नि:शुल्क रक्तदान को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं ताकि देश में रक्त की कमी की पूर्ति की जा सके, रक्त संग्रहण और भंडारण सुविधा को कारगर बनाया जा सके और संग्रहीत रक्त का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सभी राज्यों को रक्त संग्रहण, भंडारण और भंडारण केन्द्रों को वितरण सुनिश्चित करने के लिए उपकरण, ब्लड मोबाइल और परिवहन वैन उपलब्ध कराए गए हैं। अवयवों के समुचित तैयारी और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ब्लड बैंक के कार्मिकों तथा क्लीनिक कर्मियों को रक्त के तार्किक उपयोग संबंधी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। कुछ राज्यों ने ई-ब्लड बैंकिंग पहल की है जहां रक्त उपलब्धता संबंधी सूचना को सार्वजनिक किया जाता है।

[अनुवाद]

व्यापार घाटा

1430. श्री एंटो एन्टोनी :
श्री एन. क्रिष्टप्पा :
श्री देवजी एम. पटेल :
श्री बदरुद्दीन अजमल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान व्यापार घाटे में वृद्धि के बावजूद देश में सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात क्षेत्र की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्यात-आयात में बड़ा अंतर होने से व्यापार घाटा हुआ है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इससे प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का व्यापार घाटे को कम करने और निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही निर्यात संवर्धन स्कीमों की व्यापक समीक्षा करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का निर्यातकों पर व्यापार घाटे के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत उन्हें दिए गए लाभों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) और (ख) देश के सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात क्षेत्र की हिस्सेदारी ने 2012-13 में मामूली गिरावट के अलावा एक सतत् वृद्धि दर्शायी है। यह गिरावट महत्वपूर्ण नहीं है। 2011-12 और 2012-13 के दौरान व्यापार घटा बढ़ा है। व्यापार घाटा 2013-14 में और मौजूदा वित्तीय वर्ष के महीनों में घटा है। नीचे दी गई तालिका में इनका विवरण दिया गया है:—

(अमेरिकी बिलियन डॉलर में मूल्य)					वर्तमान शेयर
वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार घाटा	जीडीपी मौजूदा मूल्य पर	जीडीपी के % के रूप में निर्यात
1	2	3	4	5	6
2011-12	306.0	489.3	183.4	1751.1	17.5
2012-13	300.4	490.7	190.3	1725.6	17.4
2013-14	313.5	450.6	137.1	1731.0	18.1

1	2	3	4	5	6
2013-14 (अप्रैल-जून)	73.3	121.6	48.3		
2014-15 (अप्रैल-जून)*	80.1	113.2	33.1		

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस और सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय।

*अनंतिम।

आयात की मदों में से एक मुख्य पद पेट्रोलियम और कच्चा तेल है जो कि देश के कुल आयात के 36 प्रतिशत से अधिक है, यह व्यापार घाटे के लिए जिम्मेवार है। तथापि, ये आयात आवश्यक हैं और देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, यह अनुमान लगाना सही नहीं होगा कि व्यापार घाटे ने देश की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

(ग) से (ङ) सरकार नियमित आधार पर निर्यात निष्पादन का आकलन करती है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर आवश्यकता आधारित सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और गैर-आवश्यक मदों के आयात को नियंत्रित करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। उदाहरणतया: सीमा-शुल्क प्रशुल्कों को बढ़ाते हुए सोने और चांदी के आयात में कमी करना और प्रशासनिक उपाय जैसे 80-20 स्कीम के हत सोने के निर्यात के साथ सोने के आयात को जोड़ना, जिससे सोने के निर्यात के लिए आयातित सोने के 20 प्रतिशत का सरणीयन (चैनेलाइज) होगा। सरकार ने भी 18.4.2013 को विदेश व्यापार नीति (2009-14) के वार्षिक परिशिष्ट को जारी किया। इसके अलावा, सरकार ने निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए बहुत से उपाय, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) दो प्रतिशत ब्याज सहायता स्कीम, जो कई निर्यात क्षेत्रों अर्थात् हस्तशिल्प, कालीन, हथकरघा, एसएमई, रेडीमेड वस्त्र, संसाधित कृषि उत्पादों और खिलौनों हेतु उपलब्ध थी, में पहली जनवरी, 2013 से अभियांत्रिकी क्षेत्र की 134 टैरिफ लाइनों को शामिल करके वृद्धि की गयी थी। सरकार ने दिनांक 1.8.2013 से ब्याज सहायता की दर में 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी की थी।

(ii) उत्पाद विविधीकरण और बाजार विविधिकरण कार्यनीति के भाग के रूप में बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद स्कीम (एमएलएफपीएस) में 47 नई मदों को जोड़ा गया तथा फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस) में 122 नई मदों को जोड़ा गया था। सरकार ने फोकस उत्पाद स्कीम के अंतर्गत दिनांक 10.7.2013 को 153 हाई टेक उत्पादों को भी अधिसूचित करके उन्हें 2 प्रतिशत की दर से ड्यूटी स्क्रिप प्राप्त करने का पात्र बनाया है।

[हिन्दी]

मनरेगा स्कीम के अंतर्गत व्यय

1431. **श्री पी.पी. चौधरी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन किए गए प्रशासनिक और अन्य खर्चों का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में बकाया राशि कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को बकाया प्रशासनिक और अन्य खर्चों की मांग के संबंध में राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा बकाया राशि का कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की धारा 22 में मनरेगा के वित्तपोषण पैटर्न का उल्लेख है। वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार, केन्द्र सरकार ये खर्च वहन करती है: (i) स्कीम के तहत अकुशल मैनुअल कार्य हेतु मजदूरी के भुगतान के लिए अपेक्षित राशि; (ii) स्कीम की वास्तविक लागत के तीन-चौथाई तक, और; (iii) प्रशासनिक व्यय के लिए स्कीम की कुल लागत का 6 प्रतिशत।

(ख) मनरेगा एक मांग प्रेरित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, इन श्रेणियों की लागत को पूरा करने के लिए श्रम बजट में सहमत आधार पर केन्द्रीय निधियां जारी की जाती हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान मनरेगा के अधीन मजदूरी, सामग्री एवं प्रशासनिक लागत सहित केन्द्र द्वारा दिए गए धन एवं राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। लेखानुदान के जरिए उपलब्ध कराई गई राशि तथा राज्य की श्रमिक मांग की जरूरतों के अनुसार, राजस्थान राज्य में मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए 2014-15 के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राजस्थान की राज्य संचित निधि में प्रथम किस्त के रूप में 881.22 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी थी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 261.31 करोड़ रुपए की लंबित देयताओं को पूरा करने के लिए भी निधियां जारी करने का अनुरोध किया है। सामान्य बजट के अनुमोदन के बाद ही और राशि जारी की जाएगी।

विवरण

मनरेगा

वित्त वर्ष: 2014-15, 14.07.2014 तक

(लाख में)

क्र. सं.	राज्य	केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि	व्यय			
			पारिश्रमिक	वास्तविक	प्रशासनिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	423580.7*	83417.73	9647.52	11277.76	104343.01
2	अरुणाचल प्रदेश	578.00	61.99	65.06	3.08	130.13
3	असम	13378.80	2312.88	206.43	134.65	2653.96
4	बिहार	51341.00	19362.00	12318.55	229.25	31909.80
5	छत्तीसगढ़	84435.50	63383.44	13116.75	1593.72	78093.91
6	गुजरात	16444.88	8980.28	10376.06	774.76	20131.10
7	हरियाणा	3051.03	3360.87	1664.79	152.53	5178.19
8	हिमाचल प्रदेश	9825.83	7664.65	1804.55	453.99	9923.19
9	जम्मू और कश्मीर	12723.50	1509.06	1779.59	196.71	3485.36
10	झारखंड	27664.08	24019.07	5195.08	579.41	29793.56
11	कर्नाटक	43957.40	26589.31	21177.96	898.23	48665.50
12	केरल	48743.90	45115.60	372.87	987.83	46476.30
13	मध्य प्रदेश	132496.71	91220.29	41031.25	3244.98	135496.52
14	महाराष्ट्र	13670.00	31181.32	11668.26	1632.31	44481.89
15	मणिपुर	12944.45	1335.78	552.89	47.04	1935.71
16	मेघालय	9384.17	1301.73	774.81	56.88	2133.42

1	2	3	4	5	6	7
17	मिजोरम	1176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	नागालैंड	7257.30	495.85	401.55	0.00	897.40
19	ओडिशा	44775.48	32504.98	12121.98	983.26	45610.22
20	पंजाब	11433.25	8304.70	3496.70	158.92	11960.32
21	राजस्थान	88122.50	94087.80	27216.46	6296.99	127601.25
22	सिक्किम	622.46	25.91	35.45	25.98	87.34
23	तमिलनाडु	73485.00	144180.66	2786.68	748.02	147715.36
24	तेलंगाना	*	45533.61	8981.81	8966.88	63482.30
25	त्रिपुरा	10873.96	4452.83	118.34	443.21	5014.38
26	उत्तर प्रदेश	23284.80	31488.07	16863.57	896.35	49247.99
27	उत्तराखंड	7786.16	1729.12	765.52	188.00	2682.64
28	पश्चिम बंगाल	178299.70	120880.39	38483.67	2650.06	162014.12
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	480.63	8.10	0.00	20.13	28.23
30	दादरा और नगर हवेली	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31	दमन और दीव	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
32	गोवा	0.00	57.39	11.58	1.43	70.40
33	लक्षद्वीप	45.06	0.70	0.38	3.63	4.71
34	पुदुचेरी	455.00	16.10	0.00	0.00	16.10
35	चंडीगढ़	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	1352317.25	894582.21	243036.11	43645.99	1181264.31

*केन्द्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को जारी निधि में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

आशा और एएनएम

1432. श्रीमती पूनम महाजन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा) और अनुषंगी परिचारिका दाई (एएनएम) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) इनके कार्यों और इन्हें प्रदत्त वेतन/प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आशा और एएनएम कार्यकर्त्ताओं के पदों को नियमित करने हेतु इनकी कोई मांग प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) देश में आशा और एएनएम के कार्यों में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) सहायक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत 8.95 लाख आशा तथा 72616 एएनएम हैं। राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) एनआरएचएम के अंतर्गत यथा परिकल्पित आशा के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्न प्रकार से हैं:–

(i) **सहायक अथवा लिंक वर्कर** — जहां स्वास्थ्य सेवाओं का कम प्रयोग होता है, वहां आशा लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाती हैं।

(ii) **स्वयंसेवी तथा कार्यकर्त्ता** — स्वास्थ्य पात्रताओं तक पहुंच बनाना तथा अधिकार हीनों तक पहुंचना।

(iii) **सामुदायिक स्तरीय परिचर्या प्रदाता** — स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं, पर प्रतिक्रिया दिखाना सुविधाहीन क्षेत्रों में आशा की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। आशा समुदाय में घर के नियमित दौरों के माध्यम से गृह आधारित नवजात परिचर्या प्रदान करने में सहायक भूमिका निभाती है।

आशाओं को उनकी मानव स्वयंसेवी भूमिका के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर के प्रोत्साहनों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

तथापि, राज्य आशाओं हेतु अन्य प्रोत्साहनों के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं और अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं।

एएनएम प्रशिक्षित अग्रणी स्वास्थ्यकर्मी होते हैं। इनकी भूमिका गांव के स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना है। इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में मुख्यत: प्रोत्साहन एवं निवारक सेवाएं शामिल हैं जैसे कि: प्रतिरक्षण, एएनसी पंजीकरण तथा जांच, परिवार नियोजन काउंसलिंग, छोटे रोगों का उपचार आदि। इन्हें राज्य में मौजूदा मानकों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछेक राज्य समय से एएनसी को सुनिश्चित करने, दुर्लभ/जनजातीय क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने आदि जैसे कार्यकलापों के लिए भी एएनएम को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ) हाल के दिनों में, आशाओं हेतु मानदेय निर्धारित करने के लिए अनुरोध प्राप्त किए गए हैं। इस मामले की विभिन्न अवसरों पर जांच की गई है तथा मानद स्वयंसेवी के रूप में मिशन के अंतर्गत आशाओं हेतु परिकल्पित भूमिका की लाइन में प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनों की मौजूदा प्रणाली को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। एएनएम के नियमन के संबंध में एनआरएचएम के तहत, संघ सरकार स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें एएनएम जैसे स्वास्थ्यकर्मियों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति के लिए सहयोग शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एनआरएचएम को मूल रूप से मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और जिसे बाद में सिर्फ मार्च, 2017 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

(ङ) सरकार ने आशाओं एवं एएनएम की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आशाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आशा प्रोत्साहनों के लिए नए कार्यकलाप आरंभ किए गए हैं; जबकि मौजूदा प्रोत्साहन दरों को भी बढ़ाया गया है। राज्यों को आशाओं के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन बनाने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएम) के माध्यसम से आशाओं के प्रमाणन हेतु प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। जन स्वास्थ्य राज्य विषय होने के नाते, राज्यों से निम्नलिखित अनुरोध भी किए गए हैं:–

(i) उन आशाओं की पहचान करना जो कक्षा X या कक्षा XII तक की शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने की चाह रखती हैं तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (एनआईओएस) में उनके पंजीकरण के लिए सहयोग देना।

(ii) उन आशाओं को एएनएम/जीएनएम प्रशिक्षण स्कूलों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता देना जो अन्यथा योग्य हैं।

(iii) आशाओं के लिए आशा विश्राम कक्षों तथा शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को यथा स्थान रखना।

एएनएम के संबंध में, राज्यों से उनके कौशल आकलन तथा आईयूसीडी इंसर्शन, एसबीए आदि जैसे कौशलों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त पायी जाने वाली कमियों के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्यों को उनके नैदानिक कौशलों को निखारने के लिए कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए भी समर्थित एवं प्रोत्साहित किया गया है।

विवरण-I

आशा और एएनएम की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चयनित आशा की संख्या	एएनएम की संख्या
1	2	3	4
ए.	**उच्च फोकस राज्य**		
1.	बिहार	84,860	9,484
2.	छत्तीसगढ़	66,672	402
3.	हिमाचल प्रदेश	16,888	150
4.	जम्मू और कश्मीर	11,214	1,930
5.	झारखंड	40,964	5,185
6.	मध्य प्रदेश	56,800	4,460
7.	ओडिशा	43,427	979
8.	राजस्थान	51,667	3,598
9.	उत्तर प्रदेश	136,094	5,237
10.	उत्तराखंड	11,086	323
बी.	**पूर्वोत्तर राज्य**		
11.	अरुणाचल प्रदेश	3,761	190
12.	असम	30,508	4,878
13.	मणिपुर	3,878	449
14.	मेघालय	6,258	408
15.	मिज़ोरम	987	450
16.	नागालैंड	1,854	350
17.	सिक्किम	666	77
18.	त्रिपुरा	7,367	58
सी.	**गैर-उच्च फोकस राज्य**		
19.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	70,700	10,678
20.	गोवा	0	0
21.	गुजरात	33,881	671
22.	हरियाणा	16,841	3,351
23.	कर्नाटक	34,860	774
24.	केरल	31,829	759
25.	महाराष्ट्र	58,923	5,987
26.	पंजाब	16,923	1,595
27.	तमिलनाडु	3,905	813
28.	पश्चिम बंगाल	47,720	8,147
डी.	**छोटे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	407	81
30.	चंडीगढ़	0	152
31.	दादरा और नगर हवेली	180	36
32.	दमन और दीव	64	19
33.	दिल्ली	4,692	769
34.	लक्षद्वीप	110	34
35.	पुदुचेरी	0	80
	कुल योग	895,986	72,616

**स्रोत:* एमआईएस-आंकड़े 31 मार्च, 2014 तक अनंतिम हैं।

विवरण-II

राष्ट्रीय स्तर पर आशा प्रोत्साहन की व्यापक सूची

क्र.सं.	कार्यकलाप	दर
1	2	3
I.	**मातृ स्वास्थ्य**	
	जेएसवाई वित्तीय पैकेज	
क.	शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों के लिए किसी भी सरकारी सुविधा केंद्र में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, और महिला के लिए सुनिश्चित एएनसी देखभाल	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति प्रसव हेतु 600/- रुपये (300/- रुपए प्रसव पूर्व घटक के लिए तथा 300 रुपए संस्थागत प्रसव की सुविधा प्रदान करने के लिए) शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति प्रसव 400 रुपए (प्रसव पूर्व घटक और 200 रुपए के लिए तथा 200 रुपए संस्थागत प्रसव की सुविधा प्रदान करने के लिए)
ख.	संस्थान तक पहुंचने के लिए गर्भवती महिलाओं/परिवार के सदस्यों हेतु परिवहन व्यवस्थाएं करना	
ग.	यदि आशा गर्भवती महिलाओं की रक्षा करती है और दो दिनों के लिए अस्पताल में उसके साथ रहती है तो कार्य संपादन लागत के रूप में	
II.	**बाल स्वास्थ्य**	
क.	नवजात शिशु और प्रसवोत्तर जननी की देखभाल के लिए छह (संस्थागत प्रसव के मामले में) और सात घर (घर पर प्रसव के लिए) घरों का दौरा करना	20 रुपए
ख.	सुविधा केन्द्र से बच्चे के डिस्चार्ज होने के बाद जांच करने के लिए दौरे करने या सामुदायिक आधारित एसएएम प्रबंधन तथा जब तक एमयूएसी 125 एमएम के बराबर या अधिक नहीं हो जाता है के लिए	150 रुपए
ग.	कम वजन के शिशुओं और विशिष्ट नवजात परिचर्या इकाइयों से उपचार के बाद डिस्चार्ज नवजात शिशुओं की मासिक जांच सुनिश्चित करना	50 रुपए
घ.	वीएचएनडी के दौरान प्रतिरक्षण के लिए बच्चों का सोशल मोबलाइजेशन	150 रुपए प्रति सत्र
ङ.	एक वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए पूर्ण प्रतिरक्षण	100.00 रुपए

1	2	3
च.	दो साल की उम्र तक प्रति बच्चे के लिए पूर्ण प्रतिरक्षण (एक वर्ष के बाद, एक वर्ष तथा 2 वर्ष की आयु में लगाए गए सभी टीके)	50 रुपए
छ.	पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत ओपीवी प्रतिरक्षण के लिए बच्चों को जुटाना	150 रुपए
III.	**परिवार नियोजन**	
क.	शादी के बाद 2 साल के अंतराल को सुनिश्चित करना	500 रुपए
ख.	1 बच्चे के जन्म के बाद 3 साल के अंतर को सुनिश्चित करना	500 रुपए
ग.	2 बच्चों के बाद स्थायी समिति विधि को अपनाने के लिए दंपत्तियों को सुनिश्चित करना	1000 रुपए
घ.	महिला नसबंदी मामलों की काउंसलिंग बढ़ावा देना और फॉलोअप	150 रुपए
ङ.	पुरुष नसबंदी मामलों की काउंसलिंग बढ़ावा देना और फॉलोअप	200 रुपए
च.	आशा के माध्यम से होम डिलीवरी के रूप में गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन (चयनित जिले)	तीन कंडोम के एक पैकेट के लिए 1 रुपया ओसीपी के एक चक्र के लिए 1 रुपया ईसीपी के एक पैकेट के लिए 2 रुपए
छ.	पीपीआईयूसीडी समावेशन स्वास्थ्य सुविधा के लिए ग्राहक की एस्कार्टिंग सुविधा प्रदान करना।	150 रुपए
IV.	**किशोर स्वास्थ्य**	
क.	किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन का वितरण करना (चयनित जिले)	6 सैनिटरी नैपकिनों के प्रति पैक पर 1 रुपया
ख.	मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में किशोरियों के साथ मासिक बैठक का (चयनित जिले) आयोजन	50 रुपए/- बैठक
V.	**निर्मल ग्राम पंचायत कार्यक्रम**	
क.	शौचालय के निर्माण और उपयोग करने के लिए परिवारों को प्रेरित करना	75 रुपए/- निर्मित शौचालय

1	2	3
VI.	**ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति**	150 रुपए/- बैठक
क.	महिलाओं और किशोरियों के साथ बैठक के बाद वीएचएसएनसी की मासिक बैठकों को सुगम बनाना	
VII.	**राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम**	
क.	**मलेरिया**	
क.1	रक्त स्लाइडों को तैयार करना	रक्त स्लाइड तैयार करने या आरडीटी के माध्यम से परीक्षण के लिए 15 रुपए
क.2	आरडीटी पॉजिटिव पीएफ मामलों के लिए पूरा इलाज उपलब्ध करना	प्रति मामले के लिए 75 रुपए
क.3	औषध पद्धति के अनुसार, रक्त स्लाइड से पता लगाये गए पॉजिटिव पीएफ और पी.वी. मामले को पूरे रेडिकल उपचार प्रदान करना	
बी.	**काला अजार**	
बी.1	4 राज्यों में आशा/स्वयंसेवकों को मामले को रैफर करने तथा पूरा इलाज सुनिश्चित करने के लिए (4 राज्यों में स्थानिकमारी जिलों हेतु)	आशा/स्वयंसेवक के लिए प्रति मामले को रेफर करने तथा पूरा इलाज सुनिश्चित करने के लिए 300 रुपए
सी.	**लिम्फेटिक फिलारिसिस**	
सी.1	लिम्फेटिक फिलारिसिस (वार्षिक रूप से व्यापक तौर पर औषधि देना) (स्थानिकमारी वाले जिलों के लिए)	50 मकान या 250 व्यक्तियों को कवर करने के लिए अधिकतम 3 दिनों के लिए 200/- रुपए प्रतिदिन
सी.2	लिम्फेटिक फिलारिसिस – गैर-स्थानिकमारी वाले जिले में लिम्फोडिमा और हाइड्रोसिल मामलों की एक बार लाइन लिस्टिंग के लिए	स्थानिक और गैर-स्थानिकमारी वाले जिलों के सभी गांवों में लिम्फोडिमा और हाइड्रोसिल मामलों की एक बार लाइन लिस्टिंग के लिए 200/- रुपए
डी.	**जापानी इन्सेफेलाइटिस**	
डी.1	नजदीकी सीएचसी/डीएच/मेडिकल कॉलेज में एईएस/जेई मामलों का रेफरल	300/- रुपए प्रति मामला

1	2	3
VIII.	**संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम**	
क.	डॉट्स प्रदाता हरेने के नाते (केवल उपचार या इलाज के पूरा होने के बाद)	
क.1	उपचार के 6-7 महीनों से अधिक वाले कैट आई टीबी रोगियों (नए मामलों) के लिए 42 संपर्कों के लिए डॉट प्रदाता को मानदेय/परामर्श शुल्क	1000/- रुपए
क.2	गहन चरण में 24-36 इंजेक्शनों सहित उपचार के 8-9 माह के दौरान कैट-II क्षयरोगियों के लिए पूर्ववर्ती उपचारित क्षयरोग के 57 संपर्क (लाभार्थी: कोई भी डॉट)	1500/- रुपए
क.3	औषध प्रतिरोधी तपेदिक रोगियों के लिए उपचार सहायता उपलब्ध कराने के लिए समुदाय डॉट प्रदाता की प्रोत्साहन राशि में संशोधन	5000/- उपचार का पूरा कोर्स के लिए (200/- आईपी के अंत में और 3000/- रुपए सीपी के अंत में)
IX.	**राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम**	
क.	कुष्ठ रोग के पाउसी-बैसीलरी मामलों में पूर्ण उपचार के लिए रेफरल और यह अनुपालन सुनिश्चित करना	250 (मामले का पता लगाने के लिए) + 400 (उपचार के पालन के लिए)
बी.	कुष्ठ रोग की बहु बैसीलरी मामलों में पूर्ण उपचार के लिए रेफरल और यह अनुपालन सुनिश्चित करना	250 (मामले का पता लगाने के लिए) + 600 (उपचार के पालन के लिए)
X.	**दूसरों**	
क.	ब्लॉक पीएचसी/पीएचसी या पुनश्चर्या प्रशिक्षण पर समीक्षा बैठक	150
बी.	(i) साल की शुरुआत में की गई परिवारों की लाइन लिस्टिंग, तथा छह महीनों के बाद अद्यतन करना	100 रुपए × 5
	(ii) ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर बनाए रखने और जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक पंजीकरण में सहयोग देना	
	(iii) प्रतिरक्षित किए जाने वाले बच्चों की उचित सूची की तैयारी जिसे मासिक आधार पर अद्यतन किया जाए	

1	2	3
	(iv) मासिक आधार पर अद्यतन की जाने वाली एएनसी लाभार्थियों की सूची की तैयारी	100 रुपए × 5
	(v) मासिक आधार पर अद्यतन पात्र दंपतियों की सूची की तैयारी	

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य

1433. श्री दुष्यंत चौटाला : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एनपीपी), 2000 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ-मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर के संबंध में निर्धारित/प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनपीपी, के अंतर्गत निर्धारित 2000 लक्ष्य की प्राप्ति कम रही है और यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी राज्य-वार संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा एनपीपी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यों के निष्पादन की समीक्षा की गई है/करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा एनपीपी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

	(लक्ष्य 2010 के लिए)	उपलब्धि 2012 तक)
आईएमआर	प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे तक कमी लाना	42 प्रति 1000 जीवित जन्म
एमएमआर	100 प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों तक कमी लाना	178 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म
टीएफआर	2.1	2.4

(ख) भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार देश में नवजात मृत्यु दर 42 प्रति 1000 जीवित जन्म है जिसमें वर्ष 2010 में 47 प्रति 1000 जीवित जन्मों से 5 बिन्दुओं तक गिरावट आई है। भारत के एमएमआर में वर्ष 2007-09 में 212 से वर्ष 2010-12 में 178 प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों तक गिरावट आई है। भारत में 1990 और 2012 में 45% की वैश्विक गिरावट की तुलना में इसी अवधि में एमएमआर में 68% की गिरावट दर्ज की है। टीएफआर (संपूर्ण प्रजनन दर) में वर्ष 1991 से 3.6 से वर्ष 2014 में 2.4 तक स्पष्ट गिरावट के बावजूद भारत की अभी प्रजनन में कम गिरावट तथा राज्यों में व्यापक भिन्नताओं की वजह से 2.1 का प्रतिस्थापन स्तर हासिल करना है। राज्यों/संघ क्षेत्रों के संबंध में उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने सभी कार्य कार्यक्रमों के निष्पादन की समीक्षा की है और उपायों/कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

सारणी-ए.44

भारत और प्रमुख राज्य-लिंग के आधार पर शिशु मृत्यु दर एसआरएस, 2008 से 2012 तक

क्र. सं.	भारत/राज्य	2008			2009			2010			2011			2012		
		कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	भारत	**53**	**52**	**55**	**50**	**49**	**52**	**47**	**46**	**49**	**44**	**43**	**46**	**42**	**41**	**44**
1.	आंध्र प्रदेश	52	51	54	49	48	50	46	44	47	43	40	46	41	40	43
2.	असम	64	62	65	61	58	64	58	56	60	55	55	56	55	54	57
3.	बिहार	56	53	58	52	52	52	48	46	50	44	44	45	43	42	45
4.	छत्तीसगढ़	57	57	58	54	50	57	51	48	54	48	47	50	47	46	47
5.	दिल्ली	35	34	37	33	31	34	30	29	31	28	25	31	25	24	26
6.	गुजरात	50	49	51	48	47	48	44	41	47	41	39	42	38	36	39
7.	हरियाणा	54	51	57	51	48	53	48	46	49	44	41	48	42	41	44
8.	हिमाचल प्रदेश	44	43	45	45	44	45	40	35	47	38	36	39	36	35	38
9.	जम्मू और कश्मीर	49	48	51	45	41	51	43	41	45	41	40	41	39	38	40
10.	झारखंड	46	45	48	44	42	46	42	41	44	39	36	43	38	36	39
11.	कर्नाटक	45	44	46	41	41	42	38	37	39	35	34	35	32	30	34
12.	केरल	12	10	13	12	10	13	13	13	14	12	11	13	12	10	13
13.	मध्य प्रदेश	70	68	72	67	66	68	62	62	63	59	57	62	56	54	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	महाराष्ट्र	33	33	33	31	28	33	28	27	29	25	24	25	25	24	26
15.	ओडिशा	69	68	70	65	65	66	61	60	61	57	55	58	53	52	54
16.	पंजाब	41	39	43	38	37	39	34	33	35	30	28	33	28	27	29
17.	राजस्थान	63	60	65	59	58	61	55	52	57	52	50	53	49	47	51
18.	तमिलनाडु	31	30	33	28	27	29	24	23	24	22	21	23	21	21	22
19.	उत्तर प्रदेश	67	64	70	63	62	65	61	58	63	57	55	59	53	52	55
20.	पश्चिम बंगाल	35	34	37	33	33	33	31	29	32	32	30	34	32	31	33

नोट: दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़ और झारखंड के संबंध में 2003 तक जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली, रजिस्ट्रार जनरल, भारत।

	मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 1,00,000 जीवित जन्म)						वार्षिक गिरावट की चक्रवृद्धि दर %				
भारत/राज्य	1997-98	1999-01	2001-03	2004-06	2007-09	2010-12	1999-01	2001-03	2004-06	2007-09	2010-12
भारत	**398**	**327**	**301**	**254**	**212**	**178**	**-7.6**	**-4.1**	**-5.5**	**-5.8**	**-5.7**
आंध्र प्रदेश	197	220	195	154	134	110	4.5	-5.9	-7.6	-4.5	-6.4
असम	568	398	490	480	390	328	-13.3	11.0	-0.7	-6.7	-5.6
बिहार/झारखंड	531	400	371	312	261	219	-10.7	-3.7	-5.6	-5.8	-5.7
गुजरात	46	202	172	160	148	122	80.7	-7.7	-2.4	-2.6	-6.2
हरियाणा	136	176	162	186	153	146	10.9	-4.1	4.7	-6.3	-1.5

कर्नाटक	245	266	228	213	178	144	3.3	-7.4	-2.2	-5.8	-6.8
केरल	150	149	110	95	81	66	-0.3	-14.1	-4.8	-5.2	-6.6
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	441	407	379	335	269	230	-3.2	-3.5	-4.0	-7.1	-5.1
महाराष्ट्र	166	169	149	130	104	87	0.7	-6.1	-4.4	-7.2	-5.8
ओडिशा	346	424	358	303	258	235	8.5	-8.1	-5.4	-5.2	-3.1
पंजाब	280	177	178	192	172	155	-16.8	0.3	2.6	-3.6	-3.4
राजस्थान	508	501	445	388	318	255	-0.6	-5.8	-4.5	-6.4	-7.1
तमिलनाडु	131	167	134	111	97	90	10.2	-10.4	-6.1	-4.4	-2.5
उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड	606	539	517	440	359	292	-4.6	-2.1	-5.2	-6.6	-6.7
पश्चिम बंगाल	303	218	194	141	145	117	-12.3	-5.7	-10.1	0.9	-6.9

स्रोत: भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय (एसआरएस अनुमान)।

निवास के आधार पर कुल प्रजनन दर (टीएफआर), 2006-2012

क्र. सं.	भारत/प्रमुख राज्य	कुल प्रजनन दर								
		कुल							ग्रामीण	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2006	2007
	भारत	**2.8**	**2.7**	**2.6**	**2.6**	**2.5**	**2.4**	**2.4**	**3.1**	**3.0**
1.	आंध्र प्रदेश	2.0	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	2.1	2.0
2.	असम	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	3.0	2.9
3.	बिहार	4.2	3.9	3.9	3.9	3.7	3.6	3.5	4.3	4.1
4.	छत्तीसगढ़	3.3	3.1	3.0	3.0	2.8	2.7	2.7	3.6	3.4
5.	दिल्ली	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	2.1	2.1
6.	गुजरात	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	3.0	2.9
7.	हरियाणा	2.7	2.6	2.5	2.5	2.3	2.3	2.3	2.9	2.8
8.	हिमाचल प्रदेश	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	2.1	1.9
9.	जम्मू और कश्मीर	2.3	2.3	2.2	2.2	2.0	1.9	1.9	2.5	2.5
10.	झारखंड	3.4	3.2	3.2	3.2	3.0	2.9	2.8	3.7	3.5
11.	कर्नाटक	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.3	2.3
12.	केरल	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7
13.	मध्य प्रदेश	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	3.1	2.9	3.9	3.7
14.	महाराष्ट्र	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	2.3	2.2
15.	ओडिशा	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.6	2.5
16.	पंजाब	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	2.1	2.1
17.	राजस्थान	3.5	3.4	3.3	3.3	3.1	3.0	2.9	3.8	3.7
18.	तमिलनाडु	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7
19.	उत्तर प्रदेश	4.2	3.9	3.8	3.7	3.5	3.4	3.3	4.4	4.2
20.	पश्चिम बंगाल	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	2.2	2.1

कुल प्रजनन दर											
ग्रामीण					शहरी						
2008	2009	2010	2011	2012	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
2.9	**2.9**	**2.8**	**2.7**	**2.6**	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**1.9**	**1.9**	**1.8**
2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5
4.0	4.0	3.8	3.7	3.6	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5
3.2	3.2	3.0	2.9	2.9	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8
2.1	2.0	2.1	1.9	1.9	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8
2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0
2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0
2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2
2.4	2.4	2.2	2.1	2.0	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3
3.5	3.4	3.2	3.2	3.0	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0
2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
3.6	3.6	3.5	3.3	3.1	2.4	2.3	2.2	2.3	2.2	2.1	2.0
2.1	2.1	2.0	1.9	2.0	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6	1.6
2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6
3.6	3.6	3.3	3.2	3.1	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3
1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7
4.0	3.9	3.7	3.6	3.4	3.2	3.1	3.0	3.0	2.7	2.6	2.5
2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2

परिभाषा: बच्चे पैदा करने की आयु की समाप्ति पर आयु विशेष प्रजनन दर का संचयी मान प्रजनन का पैमाना देता है। जो कुल पुजनन दर कहलता है।

स्रोत: नमूना पंजीकरण: प्रणली, रजिस्ट्रार जनरल, भारत।

विवरण-II

देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए किए जा रहे उपायों सहित इससे प्राप्त की गई सफलता

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे कार्यकलाप

- सुविधा केंद्रों (जिला स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप-स्वास्थ्य केन्द्र) को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक सेवा के लिए कम-से-कम एक प्रदायक व आईयूडी निवेशन में प्रशिक्षित सहायक नर्स-धात्रियों वाले उप-केंद्रों में कम-से-कम एक प्रदायक में आईयूसीडी, मिनी-लैप व एनएसवी की व्यवस्था के लिए एक युक्तिसंगत मानव संसाधन विकास योजना चल रही है।
- राज्य व जिला स्तरों पर गुणवत्ता आश्वासन समितियां स्थापित करके परिवार नियोजन सेवाओं में गुणवत्तायुक्त परिचर्या सुनिश्चित करना।
- मिनी-लैप महिला नसबंदी सेवाओं की संभारतंत्रीय सरलता के कारण मिनी-लैप महिला नसबंदी पर जोर देना व केवल एमबीबीएस डॉक्टरों न की स्नातकोत्तर स्त्री रोग विज्ञानियों/शल्य चिकित्सकों की तर्क संगत आवश्यकता।
- "नॉन-स्केलपेल वासक्टॉमी" में पुरुष सहभागिता को बढ़ाना और उसको प्रोत्साहन देना।
- 'राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना' (एनएफपीआईएस) जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का बंध्यकरण के पश्चात् मौतों, जटिलताओं व विफलताओं की आकस्मिकताओं में बीमा किया जाता है तथा प्रदायकों/अधिमान्य संस्थाओं की उन आकस्मिकताओं में मुकदमों में क्षतिपूर्ति की जाती है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत बंध्यकरण के स्वीकारकर्त्ता लाभार्थियों को मजदूरी की हानि के लिए मुआवजा तथा सेवा प्रदायक को बंध्यकरण करने के लिए भी मुआवजा प्रदान करता है।
- सार्वजकि निजी भागीदारी के अंतर्गत परिवार नियोजन सेवाओं के लिए प्रदायक आधार में वृद्धि करने और अधिक निजी/गैर-सरकारी संगठनों के सुविधा केन्द्रों का प्रत्यायन।
- परिसरीय सुविधा केन्द्रों तक गर्भनिरोधकों की आपूर्ति प्रबंधन में सुधर करना।
- विभिन्न सुविधा केन्द्रों में पोस्टरों, बिल बोर्डों व अन्य श्रृव्य व दृश्य सामग्री के प्रदर्शन के रूप में मांग सृजन कार्यकलाप।
- उच्चतम स्तर पर विशेषतौर से उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों में सुदृढ़ राजनीतिक इच्छा व समर्थन।

नए कार्यकलाप

परिवार नियोजन कार्यक्रम में जनसंख्या स्थिरीकरण वाले कार्यक्रम से बेहतर मातृ व बाल स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के कार्यक्रम में एक प्रतिमान बदलाव की सूचना दी गई है। भारत सरकार की आरएमएनसीएचए + की एक नई कार्यनीति में परिवार नियोजन सहित मातृ व बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य सम्मिलित है।

भारत सरकार अब बच्चों के जन्म में अंतर रखने (विशेषतौर से पीपीआईयूसीडी व आईयूसीडी) पर और अधिक बल देना सुनिश्चित कर रही है।

बच्चों के जन्म में अंतर रखने की अल्पकालिक व दीर्घकालिक विधि के रूप में ईयूसीडी को बढ़ावा देना।

राज्यों को उप-स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आईयूसीडी निवेशन करने के लिए निश्चित दिवसों/प्रति सप्ताह को अधिसूचित करने के लिए निदेश जारी कर दिया गया है।

- परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत कॉपर आईयूसीडी-375 (5 वर्ष की प्रभावकारिता) की शुरूआत करना।
- पीपीआईयूसीडी की शुरुआत से व जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत में आने वाले भारी भरकम संख्या के मामलों पर लाभ उठाने के लिए प्रसवोत्तर बंध्यकरण की सुविधा प्रदान करने की मुख्य विधि के रूप में मिनी-लैप को बढ़ावा देने वाली प्रसर्वोत्तर परिवार नियोजन (पीपीएफपी) सेवाओं पर जोर देना।
    - जिला स्वास्थ्य व राज्य जिला स्वास्थ्य स्तर पर पीपीआईयूसीडी में सेवा प्रदायकों का प्रशिक्षण संचालित किया जाता है।
    - उच्च रोगी भार वाले सुविधा केन्द्रों में समर्पित आरएमएमसीएच काउंसलरों की नियुक्ति
- परिवार नियोजन सेवाओं की अस्वस्थ प्रदानगी
    - पिछले चार सालों में सभी राज्यों में आईयूसीडी व बंध्यकरण दोनों के लिए निश्चित दिवस की परिवार नियोजन सेवाओं को सुदृढ़करण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है और इसे राज्यों द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए तिमाही समीक्षा तंत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

- संपूर्ण देश में 17 दिसम्बर, 2012 में आशाओं द्वारा लाभार्थियों के द्वार पर भी गर्भनिरोधकों को घर पर ही उपलब्ध कराने की योजना को विस्तार किया गया है।

- बच्चों के जन्म में अंतर रखने को सुनिश्चित करने हेतु आशाओं के लिए योजना:

  - ■ इस योजना के अंतर्गत आशाओं की सेवाओं का नव-विवाहित दम्पतियों को विवाह के पश्चात् बच्चों के जन्म में दो वर्ष की देरी सुनिश्चित करने के लिए परामर्श देने तथा एक बच्चे वाले दम्पतियों को पहले बच्चे के जन्म के पश्चात् 3 वर्ष का अंतर रखने के लिए सलाह देने के लिए उपयोग किया जाएगा।

  - ■ इस योजना को देश के 18 राज्यों (अधिकार प्राप्त कार्य दल, 8 पूर्वोत्तर, गुजरात व हरियाणा) में कार्यान्वित किया जा रहा है।

  - ■ इस योजना के अंतर्गत आशाओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।

    - o विवाह के पश्चात् बच्चों के जन्म में दो वर्ष का अंतर रखने को सुनिश्चित करने हेतु आशा को 500/- रुपए

    - o पहले बच्चे के जन्म के पश्चात् बच्चे के जन्म में तीन वर्षों का अंतर रखने को सुनिश्चित रखने के लिए आशा को 500/- रुपए

    - o यदि दम्पत्ति केवल दो बच्चों तक परिवार नियोजन की स्थायी विधि के लिए अपना विकल्प देते हैं तो — 1000/- रुपए

  - ■ यह योजना 16 मई, 2012 से चल रही है।

- विश्व जनसंख्या दिवस व पखवाड़ा मनाना (11 जुलाई-24 जुलाई):—

  - ■ विश्व जनसंख्या दिवस सम्पूर्ण देश में परिवार नियोजन के प्रयासों को बढ़ावा देने का एक कदम है।

  - ■ इस कार्यक्रम को एक महीने की लम्बी अवधि में मनाया जाता है, इसके बाद आश्वस्त परिवार नियोजन सेवा प्रदानगी के एक पखवाड़े में समाज को जुटाने/सुग्राहीकरण के एक प्रारंभिक पखवाड़े के रूप में विभक्त किया जाता है। इसे इस अनिवार्य कार्यकलाप के रूप में बनाया गया है तथा सभी राज्यों की कार्यक्रम कार्यान्वयन परियोजनाओं में अग्रिम में बजट अनुमोदित किया जाता है।

    - o 27 जून से 10 जुलाई तक : "दम्पति सम्पर्क पखवाड़ा" अथवा "समाज को जुटाने का पखवाड़ा"

    - o 11 जुलाई से 24 जुलाई तक "जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा" अथवा "जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा"

कार्यनिष्पादन:

परिवार नियोजन सूचक:

सूचक	2008	2009	2010	2011	2012
कुल प्रजनन दर	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4
अशोधित जन्म दर	22.8	22.5	22.1	21.8	21.6
अशोधित मृत्यु दर	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0

कुल प्रजनन दर (टीएफआर)

- कुल प्रजनन दर वर्ष 2008 में 2.6 से कम होकर वर्ष 2011 में 2.4 तक हो गई है।

- कुल प्रजनन दर की गिरावट दर वर्ष 2000-2005 की तुलना में वर्ष 2006-2011 के दौरान 52.3 प्रतिशत तक बढ़ गई है। वर्ष 2000 से 2005 तक गिरावट की दर 9.38 प्रतिशत थी तथा वर्ष 2006 से 2011 तक यह 14.29 प्रतिशत थी।

- 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् गोवा, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरल आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, ओडिशा व पांच संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दमन और दीव व लक्षद्वीप ने पहले ही प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर (अर्थात् 2.1 अथवा कम) प्राप्त कर ली है।

- चार राज्यों अर्थात् बिहार-3.5, उत्तर प्रदेश-3.3, मेघालय-3.1 व दादरा और नगर हवेली-3.3 (नमूना पंजीयन पद्धति 07-09) की कुल प्रजनन दर 3.0 से अधिक है।

- 8 राज्यों की कुल प्रजनन दर 2.2 व 3.0 के बीच अर्थात् झारखंड 2.8, छत्तीसगढ़ 2.7, अरुणाचल प्रदेश 2.7, गुजरात 2.3, असम 2.4, हरियाणा 2.3, मध्य प्रदेश 2.9, राजस्थान 2.9 हैं। (एसआरएस 2012)

भौतिक उपलब्धियां

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आईयूडी	5771329	5532080	5350325	5410215	5049877
पुरुष बंध्यकरण	266180	219240	177915	120629	98420
महिला बंध्यकरण	5211168	4630799	4583025	4453158	3909530

नवजात मृत्यु दर (आईएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी लाने किए जा रहे

उपाय

राज्यों में कार्यक्रम की उपलब्धियों की आवधिक समीक्षा के लिए एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न तंत्र अपनाए गए हैं, इसमें से मुख्य निम्नलिखित हैं:—

- स्वास्थ्य प्रबंधन आसूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के जरिए सूचित डाटा विश्लेषण।
- मूल्यांकन सर्वेक्षण: उदाहरणार्थ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण (डीएलएचएस) और वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएचएस) इत्यादि।
- संयुक्त/कामन समीक्षा मिशन: विकासमूलक सहभागियों, अन्य पणधारियों और राज्य के प्रतिनिधियों (जेआरएम/सीआरएम) की सहभागिता में नियमित समीक्षा मिशन।
- केंद्रीय दलों द्वारा राज्यों का आवधिक फील्ड मॉनीटरन दौरा।
- राज्यों के साथ अन्य आवधिक समीक्षा बैठकें।

(ङ) मुख्य रूप से दूरस्थ और अल्प सेवित क्षेत्रों में मातृ और बाल स्वास्थ्य सहित उच्च कोटि की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करने तथा मातृ मृत्यु दर में कमी लाने की गति में वृद्धि लाने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनद (एनएचएम) के अंतर्गत सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं:—

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।
- आधारभूत तथा व्यापक प्रसूति देखभाल, में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं का क्षमता निर्माण करना।
- 24×7 आधारभूत तथा व्यापक प्रसूति उपचार एवं शिशु उपचार सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपकेंद्रों तथा जिला अस्पतालों का प्रचालन करना।
- गर्भवती महिलाओं आधारित वेव सक्षम ट्रैकिंग जिससे कि प्रसव-पूर्व, प्रसवकालीन, प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके।
- रक्त की कमी की रोकथाम और उपचार के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आयरन और फौलिक एसिड संपूर्ण सहित प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर परिचर्या प्रदान करना।
- समुदाय द्वारा मांग सर्जन और स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं केंद्रों में आने वालों के लिए सुविधाजनक के लिए 8.9 लाख आशा कर्मियों की तैनाती।
- मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रम के रूप में ग्राम स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस।
- आयरन एवं फोलेट से भरपूर भोजन के साथ-साथ खाद्य पदार्थ, जो आयरन के समावेश को बढ़ावा देता हो, सहित आहार संबंधी विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा देना।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) 1 जून, 2011 को शुरू हुआ है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सीजेरियन सेक्शन सहित पूर्णतया बिल्कुल मुफ्त एवं व्यय रहित प्रसव कराने हेतु पात्र बनाता है। इन पहलों में रेफर किए गए मामले में घर में संस्थान तक सुविधा केंद्रों के बीच तथा वापस घर छोड़ने के लिए नि:शुल्क परिवहन की सुविधा और नि:शुल्क औषधों, नैदानिक, रक्त एवं आहार की व्यवस्था है। उपचार हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले सभी रुग्ण नवजात शिशओं के लिए भी ऐसी ही पात्रताएं स्थापित की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, नजवात शिशुओं बच्चों में मृत्यु

दर को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं:—

(1) चौबीस घंटे मातृ परिचर्या सेवाओं के लिए प्रथम रेफरल यूनिटों (एफआरयू) के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (24×7) का प्रचालन करना।

(2) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के जरिए सांस्थनिक प्रसव को बढ़ावा देना: दक्ष जन्म परिचर सुनिश्चित करने के लिए सांस्थानिक प्रसव को बढ़ावा देना मातृ और नवजात मृत्यु दर दोनों को कम करने हेतु मुख्य कार्य हैं।

(3) सुविधा केंद्र आधारित नवाजत परिचर्या का सुदृढ़ीकरण: प्रसव कराने वाले सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर नवजात परिचर्या कार्नर (एनबीसीसी) स्थापित किए जा रहे हैं, समय से पहले जन्में शिशुओं सहित रुग्ण नवजात शिशुओं की परिचर्या के लिए उपयुक्त सुविधा केन्द्रों पर विशेष नवजात परिचर्या एककें (एसएनसीयू) और नवजात स्थिरीकरण एककें (एनबीएसयू) की स्थापित की जा रही है।

(4) गृह आधारित नवजात परिचर्या (एनबीएनसी): सामुदायिक स्तर पर नवजात परिपाटियों में उन्नयन तथा रुग्ण नवजात शिशुओं का शीघ्र पता लगाने और रेफरल के लिए आशा के जरिए गृह आधारित नवजात परिचर्या शुरू की गई है।

(5) स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों का क्षमता निर्माण, अनिवार्य नवजात परिचर्या, निमोनिया, अतिसार व कुपोषण से पीड़ित रुग्ण बच्चों की परिचर्या में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों की दक्षताओं के निर्माण और अद्यतन बनाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।

(6) चिकित्सीय जटिलताओं वाले गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों के उपचारार्थ पोषणिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना।

(7) किशोर-किशोरियों के घरों पर उन तक पहुंच बनाने तथा सुविधा आधारित सेवाओं के संवर्धन द्वारा समर्थित सामुदायिक स्तर पर उनके हमउम्र द्वारा कार्यकलाप शुरू करने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) की शुरुआत करना।

(8) अट्ठारह साल तक के सभी बच्चों में विकारों, विकृतियों, विकास संबंधी विलंब और विशेष रोगों की जांच हेतु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की शुरुआत करना। इस कार्यक्रम में तृतीयक स्तरीय सुविधा केन्द्रों पर शल्य चिकित्सीय कार्यकलाप की जरूरत वाले बच्चों के उपचार तथा शीघ्र कार्यकलापात्मक सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

(9) किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं एवं बच्चों को आयरन और फॉलिक एसिड के साथ संपूरण द्वारा रक्ताल्पता की रोकथाम और उपचार।

(10) वैक्सीन निवार्य रोगों को कम करने के लिए सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईवी) का सुदृढ़ीकरण।

(11) पूर्ण प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों की नाम आधारित पहचान।

[हिन्दी]

काले धन को वैध रूप देना

1434. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काले धन को वैध रूप देने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कर अपवंचन के विरुद्ध अभियान चलाना एक चल रही प्रक्रिया है। जब कभी भी कर अपवंचन कर पता लगाया जाता है तो उपयुक्त मामलों में आय का निर्धारण करने, कर मांग जारी करने, जुर्माना लगाने और अभियोजन चलाने सहित प्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाती है। आयकर अधिनियम के तहत की गई

तलाशियों और सर्वेक्षणों से बड़ी मात्रा में कर अपवंचन के महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता चला है जिसे कर के अंतर्गत लाया गया है।

काले धन के मामले में कार्रवाई करने हेतु सरकार ने बहु-आयामी कार्यनीति के अंतर्गत विभिन्न कदम उठाये हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) देश से बाहर रखी गई परिसम्पत्तियों (बैंक खातों सहित) की रिपोर्ट करने जैसे समुचित विधायी उपाय करना;

(ii) गैर-कानूनी कृत्यों के जरिए सृजित धनरशि के संबंध में कार्रवाई करने हेतु संस्थागत प्रक्रिया स्थापित करना;

(iii) विदेशों में गुप्त रूप से रखे गए काले धन का पता लगाने के लिए विशेष जांच दल का गठन करना;

(iv) सूचना के स्वत: आदान-प्रदान संबंधी एकसमान वैश्विक मानक के कार्यान्वयन में सहायता करने सहित सीमापार वैश्विक कर अपवंचन और कर धोखा-धड़ी को रोकने तथा अंतर्राष्ट्रीय कर अनुपालन को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक प्रयासों में शामिल होना।

(v) सूचना के आदान-प्रदान संबंधी अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने और सूचना के आदान-प्रदान में सुविधा हेतु और पारदर्शिता लाने के लिए बहुत से क्षेत्राधिकारों के साथ नए दोहरे कराधान परिहार करार (डीटीएए) और कर सूचना विनिमय करार (टीआईईए) निष्पन्न करके हमारी सन्धि नेटवर्क को बढ़ाकर अन्य देशों के साथ दोहरे कराधान परिहार करारों के बारे में पुन:बातचीत करना।

(vi) कर मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता के संबंध में बहुपक्षीय अभिसमय में शामिल होना।

(vii) कर अपवंचन और कर परिहार को रोकने के लिए सन्धि भागीदारों से प्राप्त सूचना का कारगर उपयोग करना।

[अनुवाद]

ऋण नीति संबंधी दिशा-निर्देश

1435. श्री असादुद्दीन ओवैसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बनाए गए ऋण नीति संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा बैंक कर्मचारी समुचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऋण देने के कारण बढ़े हुए एनपीए के लिए किस हद तक जिम्मेदार हैं;

(ग) सामाजिक सुरक्षा नीति और ऋण माफी ने राष्ट्रीयकृत बैंक के एनपीए को किस हद तक बढ़ा दिया है; और

(घ) सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र के बैंकों का एनपीए घटाने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) जी, हां। रुग्ण नीति संबंधी दिशा-निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं जिनका पालन देश में न केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों बल्कि सभी बैंकों द्वारा किया जाता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के एनपीए में वृद्धि के कारणों में हाल के वर्षों में घरेलू वृद्धि की धीमी गति, वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी में मंदी तथा वैश्विक बाजार में जारी अनिश्चितता शामिल है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार लाने; एनपीए में कमी लाने; बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने तथा चूकों को रोकने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। इनमें यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक बैंक में बोर्ड अनुमोदित ऋण वसूली नीति लागू हो, नए या मौजूदा उधारकर्ताओं को नए/तदर्थ ऋण स्वीकृत करने/ऋणों के नवीकरण के संबंध में सूचना साझा करने के लिए एक प्रभावी तंत्र हो, सभी व्यवहार्य खातों के मामले में त्वरित पुनर्संरचना सहित दबाव की आरंभ में पहचान करने के लिए सुदृढ़ तंत्र हो तथा सरफासी अधिनियम, 2002, डीआरटी तथा लोक अदालत जैसे विधिक तंत्र की सहायता उपलब्ध हो।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक के उधार खातों में आस्ति वर्गीकरण में चूकों तथा 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की वसूली दर्ज करने वाले एनपीए खातों की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा करने का अनुदेश जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण स्वीकृति से पूर्व उधारकर्त्ताओं के संबंध में सूचना प्राप्त करना/साझा करना अनिवार्य बनाकर बैंको को उधारदाताओं के बीच सूचना साझा तंत्र को सुदृढ़ करने की सलाह दी है।

30 जनवरी, 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक ने "वित्तीय दबाव की पहचान आरंभ में करने, समाधान हेतु त्वरित कदम उठाने तथा उधारदाताओं के लिए उचित वसूली: अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों के पुनरूज्जीवन हेतु संरचना" जारी किया, जिसमें दबावग्रस्त आस्तियों की शीघ्रता से

पहचान करने तथा इनके समाधान हेतु विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया है।

अशोध्य ऋणों की वसूली में रूकावट को दूर करने के लिए संसद द्वारा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन तथा ऋण वसूली निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 पारित किया गया है और यह अधिनियम 15.01.2013 से लागू हो गया है।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट 2014-15 में तीन नए ऋण वसूली अधिकरणों का प्रस्ताव किया गया है, जो एनपीए की वसूली में बैंकों की मदद करेंगे। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने पोर्टफोलियों के संबंध में निगरानी तथा वसूली प्रयासों में सुधार लाने के लिए कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दबावग्रस्त आस्ति पुनरुज्जीवन संबंधी संरचना के आलोक में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को एनपीए की बिक्री से बैंकों को मार्च, 2014 में एनपीए कम करने में सहायता मिली है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी योजना

1436. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के तहत वर्ष 2012-13 और 2013-14 हेतु जारी होने वाली निधि सरकार के पास लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह निधि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

महिला संबंधी कानूनों को सुदृढ़ करना

1437. श्री रामसिंह राठवा : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महिलाओं से जुड़े कानूनों को मजबूत बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : (क) और (ख) महिला और बाल विकास मंत्रालय घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; दहेज निषेध अधिनियम, 1961; स्त्री अशिष्ट रुपण (निषेध) अधिनियम, 1986; कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए) को लागू कर रहा है। इन विधानों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यक है तो इनके प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश को और प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए आयोग को सक्षम बनाने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

रक्षा उत्पादन का देशीकरण

1438. श्री रत्न लाल कटारिया :
श्री राजीव सातव :
श्री धनंजय महाडीक :
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सैन्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित बड़ी संख्या में रक्षा उपकरणों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का निजी क्षेत्र को शामिल कर रक्षा उत्पादन के देशीकरण को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए अथवा किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री, कार्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान तीनों सेनाओं के लिए विदेशी विक्रेताओं को दिए गए आर्डरों पर हुए व्यय का पूंजीगत अधिग्रहण के लिए रक्षा उपस्करों पर हुए कुल व्यय से अनुपात 42.7% है।

(ग) से (ङ) सरकार ने रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, रक्षा उत्पादन नीति, 2011 का प्रवर्तन, रक्षा में प्रत्यक्ष विदेश निवेश और पूंजीगत अधिप्राप्ति में 'खरीदो' (भारतीय), "खरीदो और बनाओ (भारतीय)" और 'बनाओ' प्रवर्गीकरण की उच्चतर तरजीह को अनिवार्य बनाकर स्वदेशी रक्षा उद्योग को वांछित रूप से बढ़ावा देने में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 2013 पर बल देना, शामिल है।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों का विकास

1439. श्री बी.वी. नाईक :
श्री राजेश रंजन :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से अपने यहां जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक निधियों का आवंटन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा) : (क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 क्षेत्रीय के तहत अनुदानों और जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत दो विशिष्ट कार्यक्रमों के अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित करता है। चल रही स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत राज्य सरकारों द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एक आवर्ती प्रक्रिया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्रालय को अब तक कुछ राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर मंत्रालय द्वारा इसके लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों/ मानकों के अनुसार निधियां निर्मुक्त करने के लिए विचार किया जाता है बशर्ते स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत आवंटित निधियां उपलब्ध हों। मंत्रालय ने पहले ही राज्यों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार और अनुमोदन के लिए राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ सचिव (जनजातीय कार्य) की अध्यक्षता में एक परियोजना मूल्यांकन समिति गठित की गई है।

रक्षा क्षेत्र हेतु निधि

1440. श्री ओम प्रकाश यादव : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सेनाएं सभी प्रकार के बाह्य खतरों और स्थितियों से निपटने के लिए पूर्णतः सुसज्जित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सेनाओं द्वारा रखी गई मांगों को पूरा करने के लिए रक्षा क्षेत्र हेतु पर्याप्त निधि का आवंटन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को वापस की गई अप्रयुक्त राशि का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सेनाओं की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) सरकार देश की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं से पूरी तरह से अवगत है। सीमाओं पर संभावित बाहरी खतरों से निपटने के लिए हमारे सैन्य बलों के ढांचों को सुदृढ़ करने और उसका इष्टतम उपयोग करने के लिए यथापेक्षित कदम उठाए जाते हैं। तथापि, क्षमता का विकास करना एक गतिशील प्रक्रिया है और सरकार का यह निरंतर प्रयास रहता है कि हमारे रक्षा बलों की संक्रियात्मक तैयारी हर समय उच्चतम स्तर पर बनी रहे।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा बलों को दी गई निधियों का आबंटन इस प्रकार है:–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटन
2011-12	164415.49
2012-13	193407.92
2013-14	203672.12

रक्षा सेवाओं को आबंटित की गई निधि उनके अनिवार्य प्रभारों, आवश्यक अनुरक्षण जरूरतों और महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण योजना इत्यादि को पूरा करने के लिए है।

(घ) बहुप्रयोजन शीर्ष के अंतर्गत बचत के कारण 2011-12 और 2013-14 के दौरान क्रमश: 23.53 करोड़ रुपए और 172.77 करोड़ रुपए वापस किए गए। वर्ष 2012-13 में कोई राशि वापस नहीं की गई थी।

(ङ) सरकार के पास उपलब्ध संसाधन आवरण और विभिन्न प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के भीतर रक्षा बलों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। आवश्यकताओं को प्राथमिकता क्रम के अनुसार किया गया है और व्यय की प्रगति को कड़ाईपूर्वक मॉनिटर किया जाता है ताकि रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों का पुनर्वास

1441. प्रो. सौगत राय : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् नागरिक जीवन में उनके पुनर्वास हेतु काउंसलिंग/ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) : (क) पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर), जो भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है, सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों के पुनर्वास के लिए उत्तरदायी है। पुनर्वास महानिदेशालय सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों के लिए कुछ योजनाओं/पुनर्वास संबंधी सुअवसरों अर्थात् सुरक्षा एजेंसी योजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि./भारतीय तेल कॉर्पोरेशन लि. (कंपनी के स्वामित्व में, कंपनी द्वारा प्रचालित) के आउटलेटों, कोयला लदान और परिवहन योजना, मदर डेयरी/गोपालजी आउटलेटों इत्यादि का कार्यान्वयन करता है।

केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों में समूह 'ग' और 'घ' पदों में उपलब्ध रिक्तियों की 10% से 24.5% की आरक्षण रेंज इच्छुक और पात्र भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) को मुहैया कराई गई है। अधिकांश राज्य सरकारें भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकारों की नौकरियों में भी आरक्षण प्रदान करती हैं। 10% रिक्तियों को अर्ध-सैनिक बलों में सहायक कमांडेंटों के स्तर तक के पदों तक आरक्षित रखा जाता है। इसके अतिरिक्त सेनाओं अथवा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट प्रदान की जाती है। सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कॉर्पोरेटों से प्राप्त अनुरोधों पर आधारित नौकरियों के लिए भूतपूर्व सैनिक अफसरों को पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है।

इसके अलावा, सेना कल्याण नियोजन संगठन और वायु सेना में समान नियोजन प्रकोष्ठ बैंकों, उद्योगों, कॉर्पोरेट घरानों, अकादमिक संस्थानों, अस्पतालों, होटलों और रीयल एस्टेट में उपयुक्त नौकरियों की तलाश करने में सहायता करते हैं।

(ख) और (ग) सरकार सेवानिवृत्ति होने वाले अफसरों, जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों और अन्य रैंक के अफसरों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् नागरिक जीवन में पुनर्वास और रोजगार के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से सार्थक व्यवसाय और व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराती है। पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा अफसरों, जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों के लिए आयोजित किए गए पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षण

(1) **अफसर प्रशिक्षण:** अफसर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को निम्नलिखित श्रेणियां में वर्गीकृत किया जाता है:—

(क) **सुरक्षा संबंधी पाठ्यक्रम:** कॉर्पोरेट और औद्योगिक सुरक्षा, संरक्षा एवं आसचूना संबंधी पाठ्यक्रम।

(ख) **प्रबंधन पाठ्यक्रम जैसेकि:**

(i) आईआईएम और अन्य 'ए' ग्रेड बिजनेस स्कूलों में 24 सप्ताह के प्रबंधन पाठ्यक्रम

(ii) खुदरा, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, सामरिक खुदरा प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, सुविधा प्रबंधन इत्यादि के बारे में माड्यूलर प्रबंधन पाठ्यक्रम।

(ग) **अन्य पाठ्यक्रम जैसेकि:—**

(i) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व।

(ii) समुद्री यात्रा।

(iii) स्वतंत्र निदेशक पाठ्यक्रम।

(iv) अकादमिक संस्थानों का प्रबंधन।

(v) जेट ट्रांजीशन।

(vi) निर्यात और आयात।

(vii) घटना प्रबंधन।

(viii) सिक्स सिग्मा।

(2) **जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों के लिए प्रशिक्षण:-** जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:—

(क) **सुरक्षा और अग्नि बचाव पाठ्यक्रम:—**

(i) सहायक सुरक्षा अधिकारी पाठ्यक्रम।

(ii) अग्नि और औद्योगिक संरक्षा प्रबंधन।

(iii) राष्ट्रीय अग्नि महाविद्यालय में उप-अग्निशमन संबंधी पाठ्यक्रम।

(ख) **व्यावसायिक पाठ्यक्रम:**

(i) इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत।

(ii) एक्स-रे/ईसीजी तकनीशियन और आपरेशन थिएटर सहायक।

(iii) उन्नत वेल्डिंग।

(iv) जेसीबी प्रचालक।

(v) एसी और रेफ्रीजरेशन।

(vi) समुद्री यात्रा।

(ग) **प्रबंधन पाठ्यक्रम:**

(i) ख्यातिप्राप्त संस्थानों में 24 सप्ताह के प्रबंधन पाठ्यक्रम।

(ii) खुदरा, व्यापार परियोजना, उद्यमशीलता, बीमा, यात्रा और पर्यटन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के बारे में माड्यूलर प्रबंधन पाठ्यक्रम।

(घ) **सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर संबंधी पाठ्यक्रम:—**

(i) डीआईएसीसी 'ओ' स्तरीय पाठ्यक्रम।

(ii) कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुरक्षण।

(iii) कम्प्यूटर नेटवर्किंग।

(iv) डेस्कटॉप प्रकाशन।

(v) बही अनुरक्षण और लेखा विधि प्रयोग करने संबंधी हिसाब।

(vi) माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणित व्यावसायिक और समाधान प्रदाता (एमसीपी एवं एमसीएसपी)

(ङ) आतिथ्य — सत्कार पाठ्यक्रम।

(च) संभार तंत्र और परिवहन प्रबंधन।

(छ) कॉर्पोरेट कार्यालय प्रबंधन।

(ज) सामग्री प्रबंधन।

एसईजेड संबंधी न्यूनतम वैकल्पिक कर

1442. डॉ. किरीट सोमैया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के संबंध में न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमटी) को लागू किया है जिसके परिणामस्वरूप उद्योग से आपत्तियां व्यक्त की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मूल प्रावधान/बदलाव एवं इसके पीछे तर्क का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में कारोबारी समुदाय और अन्यों से प्राप्त आपत्तियों/टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मुद्दे पर सरकार के क्या विचार हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (घ) वित्त अधिनियम, 2011 के द्वारा 1 अप्रैल, 2012 से न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के विकासकर्त्ताओं तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कार्य कर रही यूनिटों पर लगाया गया है। व्यापारी वर्ग तथा अन्यों से विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित

यूनिटों तथा विकासकर्त्ताओं को न्यूनतम वैकल्पिक कर की अदायगी से छूट को बहाल करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) वाणिज्य मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के माध्यम से आयकर अधिनियम को संशोधित किया है। आयकर अधिनियम की धारा 115जखं में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के द्वारा अंत:स्थापित उपधार (6) में यह व्यवस्था है कि किसी उद्यमी अथवा विशेष क्षेत्र में स्थित किसी यूनिट अथवा विकासकर्त्ता द्वारा 01.04.2005 को अथवा उसके बाद किए गए किसी व्यवसाय अथवा दी गई सेवाओं से प्राप्त अथवा उद्भूत आय पर न्यूनतम वैकल्पिक कर लागू नहीं होगा। इस छूट के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं थी। न्यूनतम वैकल्पिक कर इस सिद्धांत के आधार पर लगाया जाता है कि अर्थव्यवस्था में भागीदार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा राजकोष में अवश्य ही योगदान किया जाए।

यह देखा गया था कि कंपनियां व्यापक लाभ प्राप्त कर रही थीं और अपने शेयर धारकों को लाभांश वितरित कर रही थीं परन्तु आयकर अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध बड़ी संख्या में छूटों और कटौतियों के कारण आयकर की अदायगी नहीं कर रही थीं। तद्नुसार, कॉर्पोरेट करदाताओं के कराधान में असमानता को दूर करने के लिए सभी कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाय गया था। अत: अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों जो न्यूनतम वैकल्पिक कर अदा करने के लिए उत्तरदायी थे, की तुलना में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकासकर्त्ताओं तथा यूनिटों से न्यूनतम वैकल्पिक कर हटाने का कोई औचित्य नहीं था। इसके अलावा, किसी भी कंपनी द्वारा अदा किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर को बाद के वर्ष (वर्षों) के दौरान 10 कर निर्धारण वर्षों तक, देय नियमित कर के प्रति प्रतितुलित किये जाने हेतु आगे ले जाया जा सकता है। जब आयकर अधिनियम के सामान्य उपबंधों के अंतर्गत देय नियमित कर न्यूनतम वैकल्पिक कर के अंतर्गत उपलब्ध परिकलन से अधिक होता है।

निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना

1443. **श्री निशिकान्त दुबे :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में स्थापित बड़ी एवं छोटी निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) तथा ऐसी और इकाइयों की स्थापना के लिए सरकार को प्राप्त एवं अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ग) देश के कुल व्यापार की तुलना में इन इकाइयों से किए गए निर्यात की प्रमात्रा एवं मूल्य का प्रतिशत एवं इन इकाइयों को सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन/रियायतों की राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान ये इकाइयां अपेक्षित परिणाम देने में सफल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन इकाइयों को दी गई रियायतों के दुरुपयोग की निगरानी करने और इसे रोकने के लिए स्थापित किए गए तंत्र सहित देश के निर्यात में वृद्धि करने के लिए ऐसी इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा ऐसी इकाइयों को स्थापित करने के लिए सरकार को प्राप्त एवं सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ईओयू स्कीम के अंतर्गत स्वचालित प्रक्रिया के तहत इकाइयों को स्थापित करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर इकाई अनुमोदन समिति द्वारा विचार निवास प्रमाण, विगत तीन वर्षों के लिए सभी संवर्धकों के आयकर विवरण, सभी संवर्धकों का अनुभव, विपणन टाईअप्स आदि जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.6.2 के उपबंधों के अनुसार निर्यातोन्मुखी इकाई (एओयू) स्कीम के अंतर्गत केवल वही परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं जिनके संयंत्र एवं मशीनरी में न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के निवेश हों। यह शर्त हस्तकला, कृषि, पुष्पकृषि, जलकृषि, पशु-पालन, सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाओं, पीतल के हार्डवेयर और हस्तनिर्मित आभूषण क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों पर लागू नहीं होती। अनुमोदन बोर्ड (बीओए) मामला-दर-मामला पर कम निवेश वाली ईओयू की स्थापना की अनुमति भी दे सकता है।

(ग) से (ङ) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान देश के कुल व्यापार में ईओयू द्वारा किए गए निर्यातों का प्रतिशत निम्नानुसार है:—

वर्ष	निर्यात का मूल्य (करोड़ रुपए)	प्रतिशत
2011-12	83770.23	5.7%
2012-13	80290.79	5.0%
2013-14	82072.71	4.3%

ईओयू को दी जाने वाली वित्तीय रियायतें केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जैसे केंद्रीय उत्पाद कर, सीमा शुल्क एवं वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। इन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है:–

(i) पूंजीगत वस्तुओं सहित निविष्टियों की शुल्क मुक्त सोर्सिंग

(ii) केंद्रीय उत्पाद कर की अदायगी किए बिना घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) से वस्तुओं का प्रापण

(iii) डीटीए विनिर्माताओं द्वारा की गई आपूर्तियां विदेश व्यापार नीति के अध्याय 8 के अंतर्गत मानित निर्यात लाभ प्राप्त करने की पात्र होती हैं।

(iv) केंद्रीय बिक्री कर की पूर्ण प्रतिपूर्ति

(v) प्रदत्त सेवा कर पर केंद्रीय मूल्यवर्धित कर (सेनवेट)

(vi) शुल्क की रियायती दर का भुगतान करने पर वास्तविक निर्यातों के एफओबी मूल्य के 50% तक डीटीए बिक्री (अग्रिम डीटीए बिक्री सहित) की अनुमति।

(vii) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार 100% तक की एफडीआई की अनुमति।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अधिनियम, नियमों एवं विनियमों के अतिरिक्त सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया के अध्याय 6 के अंतर्गत प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

ईओयू को दी जाने वाली रियायत के दुरुपयोग को मॉनीटर करने एवं उससे बचने के लिए एक तंत्र है जिसे वाणिज्य विभाग (विकास आयुक्त के प्रतिनिधित्व में) और वित्त मंत्रालय (आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर के प्रतिनिधित्व में) के संयुक्त नियंत्रण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1944 और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन विधिक प्रावधानों के जरिए ईओयू स्कम का अनुवीक्षण करने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए एक सांविधिक कार्यढांचा है। किसी ईओयू द्वारा किसी मानदंड का उल्लंघन करने पर जैसे निर्यात दायित्व की पूर्ति न करने/कम पूर्ति करने, अपेक्षा से अधिक और अस्वीकार्य आयात करने, अनियमित और अप्राधिकृत डीटीए बिक्री करने, सीएसटी की अधिक प्रतिपूर्ति करने, डीटीए बिक्री पर प्रतिअदायगी करने, निर्यात आय का प्रापण न करने, अनियमित डि-बॉडिंग, री-वेयर हाउसिंग प्रमाण-पत्रों आदि की प्राप्ति न होने आदि पर, शुल्क में दी गई छूट को वापस ले लिया जाता है और विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार शस्तियां अधिरोपित करने के अतिरिक्त आवश्यक वसूली भी की जाती है।

विवरण

जोन	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8
सीएसईजेड	केरल	8	8	6	6	2	2
	कर्नाटक	30	26	28	28	25	25
एफएएसईजेड	पश्चिम बंगाल	11	7	8	6	0	0
	बिहार	0	0	0	0	0	0
	झारखंड	0	0	0	0	1	0
	ओडिशा	1	1	1	1	2	1
	असम	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
	मेघालय	0	0	0	0	0	0
	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	1	0	0
	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
आईएसईजेड	मध्य प्रदेश	2	0	0	0	0	0
केएएसईजेड	गुजरात	15	12	13	8	11	9
एमएसईजेड	तमिलनाडु	34	28	34	31	18	18
	पुदुचेरी	0	0	1	1	1	1
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
एनएसईजेड	दिल्ली	2	1	0	0	0	0
	हरियाणा	4	2	3	3	1	0
	उत्तर प्रदेश	6	3	8	4	5	2
	पंजाब	1	0	1	1	1	0
	राजस्थान	4	2	5	2	4	3
	हिमाचल प्रदेश	2	1	0	0	2	1
	जम्मू और कश्मीर	0	0	1	1	1	1
	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
	उत्तराखंड	2	1	0	0	1	1
एसईईपीजेड	महाराष्ट्र	26	22	11	7	6	6
	गोवा दमन और दीव	0	0	1	0	0	0
	दादरा और नगर हवेली	4	4	4	3	2	1
वीएसईजेड	आंध्र प्रदेश	28	27	19	19	15	14
	छत्तीसगढ़	0	0	1	1	0	0

गरीबी के आकलन के तौर-तरीकों की समीक्षा

1444. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
एडवोकेट जोएस जॉर्ज :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी के आकलन के मानदंडों और तौर-तरीकों की समीक्षा का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गरीबी के आकलन और गरीबी रेखा के निर्धारण के विद्यमान तौर-तरीकों की समीक्षा के लिए किसी विशेषज्ञ तकनीकी समूह के गठन का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समीक्षा के तहत विचार किए जाने वाले मानकों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समीक्षा रिपोर्ट को कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) : (क) से (ग) गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए योजना आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यपद्धति को इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा की गईं सिफारिशों पर आधारित किया गया है। गरीबी के आकलनों को समकालीन बनाने के लिए योजना आयोग गरीबी का आकलन करने की कार्यपद्धति की समय-समय पर समीक्षा करता है। वर्तमान गरीबी अनुमान, प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित किए गए विशेषज्ञ समूह द्वारा 2009 में प्रस्तुत कार्यपद्धति पर आधारित हैं। गरीबी का आकलन करने की कार्यपद्धति की समीक्षा करने की इसकी प्रथा के अनुरूप योजना आयोग ने जून, 2012 में, गरीबी मापने की कार्यपद्धति की समीक्षा करने के लिए डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित किया था।

(घ) विशेष समूह के विचारार्थ-विषय निम्नानुसार थे:—

(i) गरीबी के आकलन की मौजूदा प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा करना तथा इस बात की जांच करना कि गरीबी रेखा सिर्फ उपभोग के आधार पर ही निर्धारित की जानी चाहिए अथवा अन्य मानदंड भी प्रासंगिक हैं और यदि हैं, तो क्या दोनों को इस प्रकार प्रभावी ढंग से संयुक्त किया जा सकता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी का अनुमान लगाने का आधार तैयार हो सके।

(ii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की कार्यप्रणाली तथा राष्ट्रीय लेखों के योगों से प्राप्त आकलनों के आधार पर उपभोग आकलनों के बीच की भिन्नता के मुद्दे की जांच करना; तथा सीएसओ द्वारा जारी नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए राज्य-वार उपभोग गरीबी रेखाओं को अद्यतन करने की प्रक्रिया के बारे में सुझाव देना।

(iii) गरीबी के आकलन के लिए वैकल्पिक प्रणालियों के तौर पर, अन्य देशों में प्रयुक्त प्रणालियों की समीक्षा करना जिनमें उनके प्रक्रियागत पहलू शामिल हैं; तथा यह उल्लेख करना कि क्या इस आधार पर भारत में गरीबी का अनुभवजन्य अनुमान लगाने की कोई विशेष पद्धति तैयार की जा सकती है, जिसमें इस भिन्न-भिन्न राज्यों के संबंध में समय-समय पर अद्यतन करने की प्रक्रिया शामिल हो।

(iv) इस बारे में सिफारिश करना कि ऊपर उल्लिखित अनुसार गरीबी के आकलन को भारत सरकार की स्कीमों तथा कार्यक्रमों के लिए हकदारी तथा पात्रताओं के साथ किस प्रकार जोड़ा जाए।

(ङ) विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट 30 जून, 2014 को योजना आयोग को सौंप दी है।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) वर्ष 2014-2015 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) वर्ष 2014-2015 के लिए वित्त मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 136/16/14]

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी) : महोदया, मैं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा

35 की उपधारा (3) के अंतर्गत बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम, 2014 जो 24 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 207(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 137/16/14]

(2) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 6 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 315(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 138/16/14]

[हिन्दी]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम) : अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त और विकास निगम तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 139/16/14]

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2014-2015 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 140/16/14]

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2013 जो 30 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा.का.नि. 207(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 2013 जो 7 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सा.का.नि. 724(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 141/16/14]

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) मझगांव डॉक लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 142/16/14]

(दो) मिश्रधातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 143/16/14]

(तीन) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 144/16/14]

(चार) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 145/16/14]

(पांच) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 146/16/14]

(छह) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 147/16/14]

(2) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 148/16/14]

(4) इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मेनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 149/16/14]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : मैं अपने सहयोगी, श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 150/16/14]

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 151/16/14]

(तीन) वर्ष 2014-2015 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 152/16/14]

(चार) वर्ष 2014-2015 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 153/16/14]

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : मैं अपनी सहयोगी, श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासशोधित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) तथा बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों पर वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 154/16/14]

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 155/16/14]

(दो) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 156/16/14]

(तीन) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 157/16/14]

(चार) देना बैंक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 158/16/14]

(पांच) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 159/16/14]

(छह) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 160/16/14]

(सात) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 161/16/14]

(आठ) यूको बैंक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 162/16/14]

(नौ) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 163/16/14]

(दस) केनरा बैंक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 164/16/14]

(ग्यारह) कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 165/16/14]

(बारह) इंडियन बैंक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 166/16/14]

(तेरह) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 167/16/14]

(चौदह) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 168/16/14]

(पंद्रह) यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 169/16/14]

(सोलह) विजया बैंक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 170/16/14]

(सत्रह) आंध्र बैंक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 171/16/14]

(अठारह) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 172/16/14]

(उन्नीस) पंजाब और सिंध बैंक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 173/16/14]

(3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 जो 30 मई, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/एचआरडी/पीईएन/01 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में रोजगार स्वीकार करना) संशोधन विनियम, 2013 जो 6 जून, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/एचआरडी/आईआरपी/2013-2014/792 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 174/16/14]

(4) निक्षेप बीमा तथा ऋण गारंटी निगम, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 175/16/14]

(5) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) चार्टर्ड अकाउंटेंट गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया, और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें और भत्ते (संशोधन) नियम, 2014 जो 20 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 32(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि. 131(अ) जो 1 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषण की प्रक्रिया तथा मामलों का संचालन) संशोधन नियम, 2014 जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 141(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 176/16/14]

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 8 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/27/6721 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 31 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/43/207 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 4 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/44/226 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) पंजीकरण अभिकरण] (संशोधन) विनियम, 2014 जो 13 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/46/522 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 6 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2014-15/01/1039 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 177/16/14]

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का.आ. 834(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 के खंड (5) के परंतु के खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए 'ऐस डेरीवेटिव्स एंड कॉमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड' अहमदाबाद को मान्यता प्राप्त संघ के रूप में विनिर्दिष्ट करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 835(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 878(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2014 जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 997(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (पांचवा संशोधन) नियम, 2014 जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 1297(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 178/16/14]

(8) संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 27 के अंतर्गत संपत्ति कर (पहला संशोधन) नियम, 2014 जो 23 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1576(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 179/16/14]

(9) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मन:प्रभावी (पदार्थ) (संशोधन) नियम, 2014 जो 1 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.आ. 426(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 180/16/14]

(10) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2014 का संख्यांक 4) अनुपालन लेखापरीक्षा-वायु सेना और नौसेना।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 181/16/14]

(दो) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल) (2014 का संख्यांक 3) अनुपालन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 182/16/14]

(तीन) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2014 का संख्यांक 15) (अनुपालन लेखापरीक्षा)-छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, मुंबई, नागर विमानन मंत्रालय पर सरकारी-निजी भागीदारी परियोजना का कार्यान्वयन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 183/16/14]

(चार) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क) (2014 का संख्यांक 9)- शुल्क पात्रता पासबुक (डीईपीबी) योजना, राजस्व विभाग।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 184/16/14]

(पांच) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2014 का प्रतिवेदन संख्यांक 7)-फर्मों के आकलन पर निष्पादन लेखापरीक्षा, प्रत्यक्ष कर, राजस्व विभाग।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 185/16/14]

(छह) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2014 का प्रतिवेदन संख्यांक 10)-प्रत्यक्ष कर, राजस्व विभाग।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 186/16/14]

(सात) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2014

का प्रतिवेदन संख्यांक 5)-प्रतिवलित आस्तियां स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) (वित्तीय सेवाएं विभाग) वित्त मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 187/16/14]

(आठ) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2014 का संख्यांक 14-केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल) विपणन कंपनियों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य-निर्धारण की पद्धति पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 188/16/14]

(नौ) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) (2014 का प्रतिवेदन संख्यांक 8)-अनुपालन लेखापरीक्षा, राजस्व विभाग।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 189/16/14]

(दस) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2014 का प्रतिवेदन संख्यांक 6)-(अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर) राजस्व विभाग।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 190/16/14]

(ग्यारह) मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2014 का प्रतिवेदन संख्यांक 11) (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)- भारतीय सीमा-शुल्क इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम (आईसीईएस 1.5), राजस्व विभाग।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 191/16/14]

(11) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) का.आ. 295(अ) जो 31 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 360 (अ) जो 6 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 403(अ) जो 14 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 403(अ) जो फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 598(अ) जो 28 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 694(अ) जो 6 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 779(अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 862(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और

निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 980(अ) जो 31 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 1031(अ) जो 3 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ. 1090(अ) जो 15 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ. 1105(अ) जो 15 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ. 1184(अ) जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 1189(अ) जो 1 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का.आ. 1292(अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 1291(अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 192/16/14]

अपराह्न 12.03 बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदया, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 21 जुलाई, 2014 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:–

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित मंत्रालयों के वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान:–

   (क) सड़क परिवहन और राजमार्ग,

   (ख) परिवहन, वन और जलवायु परिवर्तन,

   (ग) जल संसाधन, और

   (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता

3. 23.07.2017 को सायं 6.00 बजे वर्ष 2014-15 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में बकाया अनुदान मांगों का सदन के मतदान के लिए प्रस्तुतीकरण।

4. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2014 का पुर:स्थापन, विचार और पारित करना।

5. वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2014 पर विचार और पारित करना।

[अनुवाद]

डॉ. किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व) : मैं निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह के कार्य में शामिल करने का अनुरोध करता हूं:—

(i) लघु निवेशकों को लूटने वाली पांसी कंपनियों/चिट फंड कंपनियों के घोटाले का मुद्दा; हाल ही में उजागर हुई केबीसीएल कंपनियां, जिनके काल महाराष्ट्र में चार व्यक्तियों ने आत्महत्या की थी, का मुद्दा; लघु निवेशकों के संरक्षण का मुद्दा;

विशेषरूप से महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में कम अथवा देरी से हुई बारिश जिसने किसानों को असहाय बना दिया है और पेयजल की कमी और सूखे की स्थिति का सामना कर रहे किसानों का मुद्दा।

डॉ. ए. सम्पत (अट्टिंगल) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल करने की कृपा करने का अनुरोध करता हूं:—

1. केरल राज्य के अट्टिंगल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के वरकला की ग्रांड ओल्ड क्लिफ मिओ-प्लियोसीन युग (1.5 और 23 मिलियन बाई.बी. के बीच) से संबंधित है। यह क्षेत्र प्रकृति की सबसे पुरानी रासायनिक प्रयोगशालाओं में से एक है और यह लुप्त होने के कगार पर है। इस स्थान का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण सुन्दर वेव-कट क्लिफ़ें हैं। ऐसे तीन क्लिफ़ अर्थात् ईडावा क्लिफ, नॉर्थ क्लिफ और साऊथ क्लिफ (उत्तर से दक्षिण) अरब सागर के किनारे 30 मीटर ऊंची हैं और यह लगभग चार किलोमीटर तक फैली हैं।

2. वरकला के तटीय स्थान और समीप के क्षेत्रों में लिमोनाइट, रीटाइल, सिरकॉन, मोनासाइट, सिल्लीमानाइट और गारनेट के बड़ी मात्रा में भंडार हैं। काले तट और ग्रांट क्लिफ क्षेत्र को राष्ट्रीय भू-गर्भ पार्क के रूप में घोषित करके संरक्षण किया जाये। यह यूनेस्को भू-गर्भ विरासत स्थल के विश्व मानचित्र में प्रवेश करेगा और इससे भू-पर्यटन लाभान्वित होगा।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:—

1. पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को अन्य आयोग जैसे अधिकार दिए जाएं, तद्नुसार संविधान में संशोधन किया जाए।

2. अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग के पद सुविख्यात राजनैतिक व्यक्ति बनते हैं। उसी तरह पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष भी क्ष्याति प्राप्त पिछड़ा वर्ग के राजनैतिक व्यक्ति को बनाया जाए। तद्नुसार संविधान में संशोधन किया जाए।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:—

1. देश में निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम्स में टेस्ट जांच के नाम पर मनमानी फीस की उगाही की जाती है। यह मुद्दा देश के 92 प्रतिशत आम लोगों के रोजमर्रा एवं जीवन से जुड़ा है।

2. देश में चल रहे निजी स्कूलों में मनमानी फीस ली जाती है। सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के आदेश के बावजूद भी स्कूल प्रबंधन जिस तरह से मनमानी आम लोगों के साथ करता है उसे रोके जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर) : अध्यक्ष महोदया, मैं विनम्रतापूर्वक अंनुरोध करती हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाये:—

1. मछुआरों के द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान की आवश्यकता।

2. कन्नूर जिले के तेल्लिचेरी स्थित मालाबार कैंसर सेंटर को राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित किया जाये क्योंकि कैंसर रोगियों की संख्या विशेषरूप से इंडोसल्फान के पीड़ितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और हजारों की संख्या में रोगी एमसीसी चिकित्सालय पर निर्भर हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

1. पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी इन्सेफलाईटिस एवं एक्यूट इन्सेफलाईटिस सिंड्रोम के उपचार के लिए दवा के शोध।

2. गौतब बुद्ध की जन्म स्थली पिपरहवा (कपिल वस्तु) में मेगा परिपथ सर्किट की स्थापना।

माननीय अध्यक्ष : योगी आदित्यनाथ जी — उपस्थित नहीं।

श्री विद्युत वरन महतो।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर) : अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:—

1. झारखंड के माल जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए।

2. वानालोपा और बादिया की माइंस जो कि लंबे अर्से से बंद पड़ा हुआ है उसे शीघ्र खोला जाए तथा कर्मचारियों की रूकी हुई राशि का जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए।

3. बंद पड़े राखा माइंस को फिर से चालू किया जाए।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:—

1. मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ के छत्तरपुर में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली आपैचारिकताएं पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। अत: शीघ्र स्वीकृति दिलाने का सहयोग किया जाए।

2. टीकमगढ़ में कृषि विज्ञान केन्द्र एवं मिनोरा फॉर्म के पास लगभग 700 एकड़ कृषि भूमि उपलब्ध है। यहां केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने की मांग लंबे समय से की जा रही है।

अत: टीकमगढ़ बुंदेलखंड में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने की दिशा में शीघ्र पहल की जानी चाहिए।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र में लगभग 15 हजार एकड़ भूमि में जल जमाव बरकरार है। अगर उस जल जमाव को खत्म कराया जाए तो किसानों को काफी राहत मिलेगी। मेरा आग्रह है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में इसको जोड़ा जाए और इस जल जमाव को खत्म करने के लिए एक बृहत योजना बनाई जाए। किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद एवं बीज न मिलने के कारण वे काफी परेशान हैं और सरकार से मेरा आग्रह है कि किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद एवं बीज उपलब्ध कराया जाए तथा इसको अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

अपराह्न 12.10 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(i) केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब सभा केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव पर विचार करेगी। डॉ. हर्ष वर्धन।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 7(1) के साथ पठित धारा 7(2)(च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 7(1) के साथ पठित धारा 7(2)(च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) कॉफी बोर्ड

माननीय अध्यक्ष : अब मद संख्या 11 — कॉफी बोर्ड के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव।

वित्त मंत्री कॉर्पोरेट कार्य मंत्री रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदया, मैं अपनी सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:–

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 3 के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 3 के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iii) चाय बोर्ड

माननीय अध्यक्ष : मद संख्या 12, चाय बोर्ड के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदया, मैं अपनी सहयोगी, श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्ताव करता हूं:–

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1) (ख) और नियम 5(1) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4(3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1) (ख) और नियम 5(1) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4(3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iv) मसाला बोर्ड

माननीय अध्यक्ष : मद संख्या-13, मसाला बोर्ड के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदया, मैं अपनी सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्ताव करता हूं:–

"कि मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4(1) और 5(1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4(1) और 5(1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.13 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली बजट, 2014-15

माननीय अध्यक्ष : अब सभा मद सं.14 - राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के बजट पर चर्चा करेगी। मंत्री महोदय।

***...*वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार का बजट प्रस्तुत करता हूं।

इस सम्माननीय सभा के माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि 16 फरवरी, 2014 को संविधान के अनुच्छेद 239 क ख के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया था। 21 फरवरी, 2014 को संसद के दोनों सदनों द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 के पहले छह महीनों की अवधि के लिए उनकी सेवाओं हेतु राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से और उसमें से कतिपय राशियों की निकासी का प्रावधान करने के लिए दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 पारित किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जारी है, और इसलिए, चालू सत्र के दौरान राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली का बजट संसद द्वारा पारित किया जाना अपेक्षित है।

बजट अनुमान 2014-15

वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार हेतु कुल बजट अनुमान 36766 करोड़ रुपए है। इसमें 19066 करोड़ रुपए का गैर-योजनागत व्यय और 17700 करोड़ रुपए का योजनागत व्यय शामिल है।

वर्ष 2014-15 के दौरान 36766 करोड़ रुपए का प्रस्तावित कुल व्यय, कर राजस्व से 31571 करोड़ रुपए, गैर कर राजस्व के 1161.01 करोड़ रुपए, प्राप्तियों से 699.71 करोड़ रुपए और अनुदान सहायता के रूप में केन्द्र सरकार से 3672.09 करोड़ रुपए द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

गैर-योजनागत व्यय में मुख्य रूप से स्थानीय निकायों को करों के हस्तांतरण के रूप में 2979 करोड़ रुपए, स्टांप और पंजीकरण फीस तथा स्थानीय निकायों को मोटर यान कर के हिस्से के रूप में 1401 करोड़ रुपए, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को अपने परिचालन संबंधी घाटे और रियायती पासों की लागत को पूरा करने के लिए 839 करोड़ रुपए, भारत सरकार को ब्याज के भुगतान और ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में 4956 करोड़ रुपए और उपभोक्ताओं को विद्युत राजसहायता के लिए 260 करोड़ रुपए शामिल हैं।

चालू वित्त वर्ष के अंत तक 31 मार्च, 2014 को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार का बकाया ऋण 32080.30 करोड़ रुपए से घटकर 30404 करोड़ रुपए रह जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार का बकाया ऋण-जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) अनुपात 7.93 प्रतिशत है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है।

स्वास्थ्य

व्यापक शहरी स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति और निजी क्षेत्र की सक्रिय उपस्थिति के साथ दिल्ली, देश में एक प्रमुख स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र के रूप में उभर रही है। दिल्ली सरकार ने 32 मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पतालों और 6 सुपर स्पेशिएलिटी अस्पतालों, 10,000 से ज्यादा बिस्तरों वाले अस्पताल और हमारे 20,000 डॉक्टरों तथा संबद्ध स्वास्थ्य कार्यक र्त्ताओं द्वारा व्यवस्थित 260 एलोपैथिक और 150 आयुष डिसपेंसरियों के साथ व्यापक जन स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचनात्मक ढांचा विकसित किया है।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार अस्पताल के पलंगों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है; 940 करोड़ रुपए की अस्पताल परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयन अधीन है जो कि 1400 अतिरिक्त पलंग प्रदान करेंगी। ठोस प्रयासों के माध्यम से, गत कुछ महीनों में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 900 से अधिक चिकित्सकों और 1100 नर्सों की भर्ती की गई है। दो सबसे बड़े अस्पताल, लोक नायक अस्पताल और गुरु तेग बहादुर अस्पताल, जो दोनों मिलकर दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लगभग एक तिहाई मरीजों का भार सहते हैं, को आदर्श स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रणाली स्थापित की जा रही है। रोहिणी में 100 सीटों का नया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया जाएगा और वर्ष 2015 तक विद्यार्थियों के पहले बैच का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएंगें।

दक्षिण दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्र की जरूरत को महसूस करते हुए, सरकार का विचार चालू वर्ष में दक्षिण दिल्ली के लिए एक मल्टी स्पेशियेलिटी अस्पताल स्वीकृत करने का है।

सरकार ने गत कुछ महीनों में मरीजों की देखभाल के लिए कई मरीज-केन्द्रित प्रयास किए हैं। सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत गुर्दे की खराबी से जूझ रहे गरीब मरीजों को नि:शुल्क डायलिसिस प्रदान करने हेतु तीस डायलिसिस इकाइयां सफलतापूर्वक प्रारंभ की गई हैं और चालू वर्ष में 50 और इकाइयां प्रारंभ की जाएंगी। अभिघात के लिए तुरंत देखभाल प्रदान करने हेतु, अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित 110 नई एंबुलेंसों को केन्द्रीकृत दुर्घटना एवं अभिघात सेवाओं (कैट्स) के बेड़े में शामिल किया जाएगा। ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) के लिए ऑन लाईन सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है। सरकारी अस्पतालों से मां और नवजात शिशु को छुट्टी देते समय नि:शुल्क जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य भी प्रारंभ किया गया है।

... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिये* संख्या एलटी 193/16/13

सरकार का विचार सरकारी अस्पतालों में प्रत्येक जिले में आपदा प्रबंधन के लिए एकल केन्द्रों और यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों के पुनर्वास हेतु केन्द्र स्थापित करने का है। तीन ऐसे केन्द्र दीन दयाल अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में आगामी तीन महीनों में चालू हो जाएंगें, जहां पीड़ितों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ कानूनी और मनो-सामाजिक परामर्श और सहायता एक सुरक्षित, लिंग मैत्री वातावरण में प्रदान की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार ने पहले से ही इस वित्तीय वर्ष में इन सेवाओं के लिए अपनी सहायता देने का भरोसा जताया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के हिस्से के रूप में निर्धन, संवेदनशील आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10 लाख से ऊपर ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) रोगियों और 32000 आईपीडी (आंतरिक रोगी विभाग) रोगियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल मुहैया कराने के प्रयास में गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली के निजी अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा देखभाल मुहैया कराई गई थी। उन्हें और मदद करने के लिए, ऐसे अस्पतालों में पात्र गरीब रोगियों हेतु बिस्तरों को बुक कराने के लिए ऑनलाईन सुविधा आरंभ की गई है।

विद्यमान न्यायालीय विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्यभार मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार का विचार 3 और न्यायालीय विज्ञान प्रयोगशालाओं को शुरू करने का है। जिसके लिए शेखसराय, रोहिणी और सयूरपुर गांव में 11.25 करोड़ रुपए की लागत से भूमि क्रय की गई है। जब तक भवनों का निर्माण पूरा होता है, एक और न्यायालीपिक विज्ञान प्रयोगशाला चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किराए के परिसर में चाणक्यपुरी में शुरू हो जाएगी।

मैं 2014-15 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए 2724 करोड़ रुपए का योजना व्यय प्रस्तावित करता हूं जो योजना व्यय (सीएसएस को छोड़कर) का अनुमानत: 16.3% है।

शिक्षा

राजधानी में विद्यमान शैक्षिक अवसंरचना के लिए अतिरिक्त सहायका की आवश्यकता है। सरकारी विद्यालयों में प्रति वर्ष 1 लाख की दर पर अनुमानत: नामांकन बढ़ रहा है और दिल्ली को आरटीआई मानकों के अनुसार करीब 500 नए विद्यालयों की आवश्यकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए पहले चरण में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 20 नए विद्यालयों का निर्माण शुरू किया जाएगा। मैं इस प्रयोजनार्थ 350 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं।

सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। 68 विधानसभाओं में बालिकाओं हेतु पृथक रूप से 380 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। शेष 2 विधान सभाओं में भी, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बालिकाओं हेतु पृथक रूप से उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे।

सरकारी विद्यालयों में स्वच्छता माहौल को सुधारने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में सभी विद्यालयों में सुचारू और स्वच्छ शौचालयों को निर्मित, मरम्मत और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार पाठ्यक्रम विषय, शिक्षण कौशल में अध्यापकों के प्रशिक्षण पर और सरकारी विद्यालयों में बेहतर शिक्षण माहौल को सृजित करने पर जोर देगी। चालू वर्ष में, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (एससीईआरटी) के जरिए 20318 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को तीसरी भाषा के रूप में उर्दू, पंजाबी और संस्कृत को सिखाया जा रहा है। इन भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उर्दू, पंजाबी और संस्कृत के अतिरिक्त शिक्षक मुहैया कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार उच्चतर और तकनीकी शिक्षा हेतु गुणवत्ता अवसंरचना सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षित और कुशल युवा स्वस्थ अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माध्यम के अंतर्गत एक कौशल विकास केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए 37 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है। यह केन्द्र अनुमानत: 15000 विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकताओं पर आधारित विभिन्न शाखाओं में प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करेगा।

दिल्ली में कई भाषाई अल्पसंख्यकों रहते हैं और उर्दू, सिंधी, पंजाबी और हिन्दी की चार अकादमी है। चालू वित्तीय वर्ष में इन अकादमियों को परियोजना आधारित वित्तीय सहायता दिया जाना प्रस्तावित है।

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा पूर्वी दिल्ली में 285 करोड़ रुपए की लागत से एक नया स्कूल ऑफ प्लानिंग, आर्किटेक्चर और डिजाइन शुरू किया जाएगा।

द्वारका में दीन दीनदयाल उपायाय कॉलेज की नई इमारत का निर्माण जिसकी लागत 151 करोड़ रुपए है और रोहिणी में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनस स्टडीज की नई इमारत के निर्माण जिसकी लागत 132 करोड़ रुपए है, का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार ने नरेला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर की स्थापना हेतु 158 करोड़ रुपए की लागत से 51 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी।

मैं, वर्ष 2014-15 के दौरान शिक्षा क्षेत्र हेतु 2482 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूं जोकि योजना प्रारूप (सीएसएस छोड़कर) का लगभग 14.8 प्रतिशत है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

महात्मा गांधी ने कहा है "गरीबी सबसे बुरी तरह की हिंसा है" और "किसी देशी की महानता को इस आधार पर मापना चाहिए कि वह अपनी जनता के सर्वाधिक कमजोर तबके की कितनी परवाह करता है" सरकार गरीब और कमजोर लोगों की आवश्यकताओं के प्रति पूर्णरूप से संवेदनशील है। इसलिए, मैं सामाजिक सुरक्षा और कल्याण क्षेत्र के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान 1862 करोड़ रुपए के योजना प्रारूप का प्रस्ताव रखता हूं जोकि योजना प्रारूप (सीएसएस छोड़कर) का लगभग 11.1 प्रतिशत है।

कैदियों के बच्चों को बहुत कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है। सरकार का ऐसे अभिभावकों के दो बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है जब तक कि वे 18 वर्ष के नही हो जाते या जब तक उनके अभिभावक रिहा नही होते, इन दोनों में से जो भी पहले हो।

दिल्ली पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक चिंता महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा है। लड़कियों और महिलाओं के मस्तिष्क में विश्वास पैदा करने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। इसमें प्रत्येक पुलिस थाने में महिला हेल्पलाइन की स्थापना, हेल्पलाइन की संख्या में बढ़ोत्तरी करना, पेइंग गेस्ट आवास और बालिका होस्टलों की सुरक्षा जांच करना, असुरक्षित क्षेत्रों और ऐसी जगहों पर जहां महिलाओं पर अत्याचार होने की संभावना हो ऐसे स्थानों पर पीसीआर (पुलिस कंट्रोल रूप) वाहनों में महिला पुलिस कार्मिकों की तैनाती करना शामिल है। चालू वर्ष के दौरान 8124 लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 4925 पुलिस अधिकारियों लिंग जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया है महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों की जांच में तेजी लाने हेतु विभिन्न पहलें की गई हैं। 155 महिला उप-निरीक्षकों और 1434 महिला कॉस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि ये महिला पुलिस अधिकारी वर्ष 2014-15 में दिल्ली पुलिस में कार्यभार ग्रहण कर लेंगी।

दिल्ली में लगभग 36 लाख लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शेष परिवारों को इसमें शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। सभी पात्र लाभार्थियों को अगले कुछ महिनों में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर कर लिया जाएगा। सभी 2500 उचित दर की दुकानों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा और पात्र परिवारों को खाद्यान्नों के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए इन उचित दर की दुकानों की दैनिक बिक्री पर ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी। सभी 300 वाहनों को जिन्हें भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से उचित दर की दुकानों को खाद्य वस्तुओं के परिवहन के लिए लगाया गया है उनको जीपीएस-आरएफआईडी ग्लोबल पॉजीसनिंग सिस्टम-रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटीफिकेशन) आधारित विहकल ट्रेकिंग सिस्टम के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 60-69 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपए और 70 वर्ष से ऊपर की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 1500 रुपए मासिक पेंशन प्रदान कर रही है। वर्तमान में लगभग 3.90 लाख वरिष्ठ नागरिक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन के अंतर्गत योजना परिव्यय को 2013-14 में 538 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2014-15 में 600 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

सभी आयु वर्ग के लगभग 906 मानसिक रूप से विकलांग लोगों को आशा किरण जोकि ऐसे लोगों की देखरेख और पुनर्वास हेतु दिल्ली सरकार द्वारा संचालित केन्द्र है जिसकी क्षमता 350 रोगियों की है इसमें उपरोक्त सभी रोगियों को दाखिल किया गया है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर ऐसे विकलांग लोगों के लिए तीन नए आवास स्थापित किए जाएं।

वर्तमान में रोहिणी और विश्वास नगर में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए दो कामकाजी महिला छात्रावास कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं आरामदायक छात्रावास सुविधाएं प्रदान कर रहें हैं। जरूरतमंद महिलाओं की अत्यधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत ऐसे छह और कामकाजी महिला छात्रावासों को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

आवास एवं शहरी विकास

आश्रय विहीन व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना सरकार की मुख्य चिंताओं में से एक है। वर्तमान में दिल्ली में 185 रैन बसेरे कार्यरत है। सात और अधिक रैन बसेरो के निर्माण के लिए भूमि खरीदी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में उनका निर्माण किया जाएगा। महिलाओं, बच्चों, मादक पदार्थों का सेवन करने वालों इत्यादि जैसे आश्रयहीन विभिन्न समूहों की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास रहेगा कि सभी आश्रय हीनों का पर्याप्त आश्रय मिले और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

झुग्गी झोपड़ी (जेजे) क्लस्टर में रहने वाले अधिकतर लोगों के पास शौचालय सुविधा नहीं है। शौचालयों के अभाव से न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती है अपितु महिलाओं की सुरक्षा संबंधी समस्या भी खड़ी होती है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिल्ली में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को शौचालय सुविधाएं

प्रदान करने का प्रयास करेगी। मैं इस प्रयोजनार्थ योजनागत परिव्यय को वर्ष 2013-14 में 17 करोड़ रुपए से बढ़ाकर चालू वित्तीय वर्ष में 35 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं।

आवास क्षेत्र की एक और मुख्य समस्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आवासों की पर्याप्त संख्या को उपलब्ध कराना है ताकि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और अनाधिकृत बस्तियों के बसने की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत लगभग 58064 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण कर रही है जिसमें से 14844 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण पूरा हो गया है। शेष ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहें है।

अवैध बस्तियों का विकास और उनका विनियमन मुख्य चुनौतियों में से एक है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार अवैध बस्तियों में समयबद्ध तरीके से आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगी। 50 अवैध बस्तियों में पाइप के द्वारा जल आपूर्ति की जाएगी तथा 95 अवैध बस्तियों में जल-मल निकास प्रणाली बिछाई जाएगी और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अवैध बस्तियों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए 711 करोड़ रुपए का योजनागत परिव्यय आवंटित किया गया है।

मैं 2014-15 के दौरान आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र के लिए 2154 करोड़ रुपए के योजनागत परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

जल आपूर्ति

वर्ष 2007 से शोधित और सुरक्षित जल आपूर्ति क्षमता दिल्ली में बढ़ाई नहीं जा सकी यद्यपि जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती रही है। हमने दिल्ली के कुल जल स्थिति का विश्लेषण किया है और निम्नलिखित कार्यक्रमों को शुरू करके जल समस्याओं को निपटाने का संकल्प लिया है:-

(i) हम हरियाणा सरकार के साथ मुद्दे के समाधान करने के पश्चात यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि पक्का समानांतर पैनल मुनक से हैदरपुर तक आरंभ किया जाएगा। यह दिल्ली के दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम पश्चिम और उत्तर-पश्चिम हिस्सों में रहने वाली 35 लाख आबादी के लिए द्वारका में (40 एमजीडी) ओखला (20 एमजीडी) और बवाना में 20 (एमजीडी) में नवनिर्मित जल शोधन संयंत्रों हेतु कच्चे पानी 80 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) उपलब्ध कराएगा।

(ii) राजधानी क्षेत्र के लंबे समय से चली आ रही जलापूर्ति समस्या का समाधान, लंबित रेणुका बांध का निर्माण प्राथमिकता पर शुरू किया जाएगा। 10 जुलाई 2014 को केन्द्रीय बजट 2014-15 प्रस्तुत करते समय, मैंने इस प्रयोजनार्थ 50 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है।

(iii) कच्चा जल संसाधन उपलब्ध कराने हेतु, वर्तमान जल शोधन, भंडार, सीमावर्ती और संवितरण प्रणाली सुधारी जाएगी। इस कार्यक्रम में 2018 करोड़ रुपए की लागत से चंद्रावल जल शोधन संयंत्र का आधुनिकीकरण और वजीराबाद जल शोधन (ईएपी) का 2243 करोड़ रुपए की लागत से संपूर्ण नवीकरण और आधुनिकीकरण आंशिक रूप से क्रमश: जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संस्था (जेआईसीए) और एशियन डवलपमेंट बैंक (एडीबी) द्वारा संयंत्रों का बाह्य समर्थित परियोजना के अंतर्गत निधियन किया जाएगा।

(iv) जल संकट वाले क्षेत्रों में वहनीय मूल्य पर पेयजल सुविधा मुहैया कराने के लिए छोटे आकार के विकेंद्रीकृत पेयजल रिवर्स ओसमोसिस (आरओ) आधारित संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा और पेयजल को जल की स्वचालित टैलर मशीनों (एटीएम) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। करीब 500 एटीएम को भूजल/टैंकर सेवा के माध्यम से 2014-15 में शुरू किया जाएगा।

मैं 2014-15 के दौरान जलापूर्ति क्षेत्र हेतु 1249.20 करोड़ रुपए के योजना व्यय का प्रस्ताव करता हूं।

यमुना में स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण

मैं यमुना के विकास को सुनिश्चित करने और इसके प्रदूषण की समस्या को सुलझाने को महत्वपूर्ण समझता हूं, पप्पन कलां निलोठी, यमुना विहार और दिल्ली गेट में जल मल शोधन संयंत्र (एसटीपी) को इस वर्ष के अंत तक शुरू किया जाएगा। यह वर्तमान 604 एमजीडी के स्तर से 684 एमजीडी तक जल मल शोधन क्षमता को बढ़ाएगा। कोंडली, रिठाला,ओखला में पुराना एसटीपी और उसकी संबद्ध अवसंरचना को यमुना कार्रवाई योजना (वाईएपी-III) के अंतर्गत पुनर्वासित किया जाएगा।

शोधित बहि:स्राव की महाकल्प गुणवत्ता प्राप्त करने हेतु सिंगापुर के तकनीकी सहयोग से 40 एमजीडी एसटीपी की योजना है। यह शोधिक बहि:स्राव पल्ला में यमुना नदी में छोड़ा जाना प्रस्तावित है जिससे अधिक कच्चा पानी मिले और शोधन हेतु वजीराबाद जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) से उठाया जाए।

1976 करोड़ रुपए की लागत से तीन प्रमुख नालों के साथ अवरोधक सीवर बिछाना जून 2015 तक तथ्यों में पूर्ण हो जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल शोधित जल प्रत्येक नाले से यमुना नदी में छोड़ा जाए, जिससे यमुना नदी में जल की गुणवत्ता में सुधार होगा।

यमुना नदी के पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार हेतु राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञता को इस्तेमाल किया जाना प्रस्तावित है। मैं दिल्ली में नदी के तटो के सौंदर्यीकरण को शुरू करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

मैं 2014-15 के दौरान जल मल व्ययन क्षेत्र के लिए 750.80 करोड़ रुपए योजना व्यय का प्रस्ताव करता हूं।

परिवहन

सड़क परिवहन अभी भी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का प्राथमिक मोड है। यद्यपि, 5000 बसों के कुल बेड़े में से डीटीसी के पास लगभग 1300 पुरानी बसे है जिन्हें तुरंत बदलने की आवश्यकता है। यात्रियों को बेहतर परिवहन प्रदान करने के लिए डीटीसी के लिए 1380 सेमी-लो फ्लोर बसों की खरीद हेतु निविदा आमंत्रित की गई है।

यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए डीटीसी इलैक्ट्रानिक टिकट मशीन और कार्ड रीडर के माध्यम से स्वचालित किराया एकत्रण प्रणाली प्रारंभ करेगी। तत्पश्चात् यह प्रणाली दिल्ली मेट्रो की किराया एकत्रण प्रणाली के साथ समेकित की जाएगी ताकि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के दोनो मोड को यात्री सुविधापूर्वक प्रयोग कर सके।

यात्रियों को और अधिक बसे उपलब्ध कराने हेतु, निजी क्षेत्र के कार्पोरेट परिचालक वित्त वर्ष के दौरान लगभग 1600 कलस्टर बसों का एक बेड़ा बनाने के लिए 400 नई कलस्टर बसें शामिल करेगें।

परिवहन विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनरुद्धार किया जा रहा है और आधुनिकीकृत किया जा रहा है और ताकि इन कार्यालयों में जाने वाले दिल्ली के नागरिकों को सुविधापूर्ण और समयबद्ध सेवाएं प्रदान की जा सके।

सराल काले खां और आनन्द विहार और अंतर्राज्यीय बसे अड्डे (आईएसबीटी) बिना उपयुक्त संरचना के कार्य कर रहे है। इन दोनों स्थलों पर नए अंतर्राज्यीय बस अड्डे विकसित किए जाएगें ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके।

बारापुल्ला नाले पर एलिवेटेड कॉरिडोर का 533 करोड़ रुपए की लागत पर II चरण का विनिर्माण कार्य चल रहा है। यह एलिवेटेड कॉरिडोर आगे सराय काले खां से मयूर विहार फेस-III तक विस्तारित किया जाएगा।

सड़क ट्रैफिक की मात्रा में तेजी से वृद्धि होने के कारण, कई सारे पौराहो वाले सिंगल कैरिज वे फ्लाई ओवरों को दो कैरिज वे फ्लाईओवरों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। कुछ चयनित फ्लाईओवरों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।

मैं वर्ष 2014-15 के दौरान परिवहन क्षेत्र के लिए 3702 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय का प्रस्ताव बढ़ता हूं।

ऊर्जा

प्रसारण और वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) हर्ष बिहार में 400 केवी का एक नया उप-स्टेशन और पीरागढ़ी में 220 केवीजीआईएस (गैस इंसुलेटेड स्विचगीयर) उप-स्टेशन प्रारंभ करने जा रहा है। पप्पनकलां, तुगलकाबाद और राजघाट पॉवर हाऊस में चालू वित्त वर्ष वर्ष के दौरान तीन नए 220 केवी उप-स्टेशनों के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

बवाना में स्थापित किया गया 1500 मेगावाट का गैस टरबाइन स्टेशन अभी इसकी पूर्ण क्षमता पर प्रचालित होना है और इस संयंत्र को तर्कसंगत लागत पर पूर्णतया प्रचालित पर्याप्त गैस आपूर्ति के मामले से निपटने के प्रयास किए जाएंगे।

ऊर्जा कुशलता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 335 (किलो वाट पीक) के डब्ल्यूपी के आठ स्थानों पर सौर फोटोवॉल्टिक (एसपीवी) संयंत्र और विकास भवन-II पर 100 के डब्ल्यूपी एसपीवी संयंत्र आरंभ किए गए। आगे, आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर 130 के डब्ल्यूपी एसपीवी संयंत्र स्थापना के चरण में है। दिल्ली सचिवालय में 10 केडब्ल्यूपी के एसपी की संयंत्र और चार सरकार अस्पतालों में 25 केडब्ल्यूपी और चार सरकारी स्कूलों में 10 केडब्ल्यूपी एसपीवी संयंत्र चालू वर्ष में बनाए जाएगें।

यह प्रस्ताव है कि नई दिल्ली नगर पालिका (एनडीएमसी) क्षेत्र को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एनएनआरई) के सौर शहरों के विकास की योजनाओं के अंतर्गत सौर शहर के रूप में विकसित किया जाए।

आगम लागतों में वृद्धि के कारण विद्युत शुल्कों में वृद्धि आवश्यक है। यद्यपि, गरीबों एवं हाशिये के लोग को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं, इसलिए, घरेलू उपभोक्ताओं को शुल्क में वृद्धि से निर्धारित उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 200 करोड़ रुपए की विद्युत राजसहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करता है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा रूप रेखा तैयार कर ली जाएगी।

मैं 2014-15 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के लिए 675 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय का प्रस्ताव देता हूं।

जुलाई 10, 2014 को 2014-15 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय, मैंने पहले से ही ऊर्जा सुधारों के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में 200 करोड़ रुपए और जल सुधारों हेतु 500 करोड़ रुपए प्रदान करने का है।

मैं राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के बजट में वर्तमान कर दर में वृद्धि या नए कर का प्रस्ताव नही देता। इस बजट द्वारा वित्तपोषित किए जाने वाले राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के कुछ मुख्य योजना कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला है**

अध्यक्ष महोदया, इन शब्दों के साथ मैं सभा में इस बजट की प्रशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष जी, आर्टिकल 239 केबी के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है और इसलिए दिल्ली एप्रोप्रिएशन वोट ऑन एकाउंट बिल 2014 है, वह इस सदन के अधिकार क्षेत्र में उसको पारित करना आता है, पहले 6 महीने का जो वोट ऑन एकाउंट था, वह 30 सितंबर तक है क्योंकि इस सदन में अगले 6 महीने का पारित करना आवश्यक है तो इसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। बजट की जितनी प्रस्तावना है और विस्तृत रूप से जो मेरा भाषण है, अगर आप मुझे अनुमति देंगी तो मैं सदन के पटल पर रख देता हूं। मैं सिर्फ उसके जो प्रमुख बिन्दु हैं, वह मैं आपके सामने बता देता हूं।

इस वर्ष दिल्ली का जो बजट है, वह 36776 करोड़ रुपए का है जिसमें 12066 नॉन-प्लांड और 17700 प्लांड एक्सपेंडिचर है। 36776 करोड़ रुपए व्यय के सामने 31,571 करोड़ रुपया टैक्स के माध्यम से इकट्ठा हुआ है। 11061 करोड़ रुपया नॉन टैक्स और 699.71 करोड़ रुपया कैपिटल रिसीट्स और बचा हुआ 3672.09 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने दिया है। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इस प्रस्तावना में विस्तृत रूप से है कि इस वर्ष दिल्ली में कमी को देखते हुए रोहिणी क्षेत्र में नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। दक्षिणी दिल्ली का वह क्षेत्र जो देहात में आता है वहां मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल नहीं है इसलिए वहां मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल बनाया जाए। दिल्ली में डायलिसिस की कमी देखते हुए इस वर्ष पीपीपी मॉडल पर 50 डायलिसिस यूनिट लगाए जाएंगे। दिल्ली में एक्सीडेंट और ट्रॉमा केसिस को बढ़ता देख 110 मोबाइल एम्बुलेंस रहेंगी। कुछ सरकारी अस्पतालों में वन स्टाप सेंटर फॉर केसिस ऑफ सैक्सुअल एसॉल्ट के बारे में केन्द्रीय बजट में कहा गया है, इसकी पायलेट स्कीम दिल्ली में लाई जाएगी। दिल्ली में सरकारी स्कूलों की कमी देखते हुए 20 नए स्कूल इस वर्ष खोले जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में लड़कियों के लिए हाई स्कूल सरकार की तरफ से होना अनिवार्य है। दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें नहीं था, वहां बनवाया जाएगा। एक नया स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और डिजाइन दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन 3,90,000 लोगों को मिलती थी, बीच में कुछ रूकावट आई, इसका पुन: सिस्टम बनाया गया है अब 4,30,000 लोगों तक वृद्धावस्था पेंशन रिलीज की जाएगी। मानसिक दृष्टि से जिन्हें सहायता चाहिए जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए तीन नए होम्स, वर्किंग महिलाओं के लिए छ: नए होस्टल बनाए जाएंगे। अभी 185 नाइट शैल्टर दिल्ली में हैं जहां सर्दियों में रात को लोग रहते हैं। इनको बढ़ाया जाएगा ताकि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति सड़क पर न सोए। जेजे कलस्टर्स में जहां घरों में टाएलेट्स नहीं हैं, कम्युनिटी टाएलेट्स की व्यवस्था की जाएगी। 58064 इकोनामिकली वीकर सैक्शन्स के लिए घरों का निर्माण, पाइप्ड वाटर 50 अनाधिकृत कॉलोनियों तक पहुंचे और सीवेज 95 कॉलोनियों तक पहुंचे। इसके अलावा दिल्ली में पानी की कमी देखते हुए एक पक्का चैनल मुनक डैम से लेकर हैदरपुर तक बनाया जाएगा। रेनुका डैम को बनाया जाएगा जिसके लिए आबंटन केन्द्रीय बजट के अंदर ही किया गया है। दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 500 ड्रिंकिंग वॉटर के लिए एटीएम, चार नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। 1380 नई लो फ्लोर बसें और 400 झुग्गी कलस्टर्स के लिए बसें दी जाएंगी। दिल्ली में बिजली की बढ़ती दर को देखते हुए कमजोर वर्ग विशेषकर 100 से 200 यूनिट तक और 201 से 400 यूनिट उनके ऊपर बोझ न आए, इन दोनों श्रेणियों में 1 रुपए 20 पैसे और 80 पैसे दूसरी श्रेणी में सब्सिडाइज्ड किया जाएगा जिससे बढ़ता हुआ दर उनके ऊपर लागू न हो। 260 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दिल्ली की बिजली के लिए कमजोर वर्गों के लिए दिया गया है। मैं इन शब्दों के साथ सिफारिश करूंगा कि इस बजट को सदन स्वीकार करे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अब दिल्ली का बजट प्रस्तुत किया है। जब उन्होंने इस पर काफी बोल लिया है तो हम इस चर्चा पर सोमवार को बात क्यों नहीं कर सकते ताकि कम से कम अन्य माननीय सदस्य भी अपने विचार व्यक्त कर सकें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अभी तो रखा है, पास नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली : चर्चा को एक पूरे दिन के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उन्होंने कई बातों को विस्तारपूर्वक बताया है; हम जानना चाहते हैं कि क्या यह दिल्ली के चुनाव के मद्देनज़र है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अभी तो केवल बजट रखा है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली : मैंने सभा की स्वीकृति के लिए ही इसकी प्रशंसा की है। इसे चर्चा के लिए उठाया जाएगा और केवल चर्चा के बाद ही इसे पारित किया जाएगा।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बाद में चर्चा होनी है, अभी क्यों कर रहे हैं। अभी तो पेश किया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) **:** महोदया, मैं निर्णय का स्वागत करता हूं कि इस पर चर्चा की जाएगी लेकिन दिल्ली बजट ऐसा लगता है जैसे यह भा.ज.पा. का चुनावी घोषणापत्र है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : वह आप बाद में बताइये। प्रेमचंद्रन जी, ऐसा नहीं होता है। यह डिस्कशन में आयेगा, आप उस समय बोलिये।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठ रही है, उसमें इसके लिए समय तय करेंगे और चर्चा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : हां, उस समय चर्चा करेंगे और समय तय करेंगे। मैं सबको जानकारी के लिए इतना ही बताना चाहती हूं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपको समय मिलेगा, अभी टेबल पर रखा है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपको व्यवस्था नहीं देनी है। यह क्या हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि जनरल बजट पर डिसक्शन हो चुका है, माननीय वित्त मंत्री जी दो बजे यहां उत्तर देंगे, हम उसे दो बजे पारित करेंगे। अभी हम शून्यकाल ले लेते हैं।

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) **:** अध्यक्ष महोदया, मैं बोलना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको भी समय दूंगी। शून्य काल लेते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको भी मुझे समय देना है, मुझे मालूम है। लेकिन पहले जिन्होंने नोटिस दिया है, मैं पहले उन्हें भी समय दूं। डॉ. भोला सिंह जी, आप बोलिये। आपको अपनी बात बिल्कुल थोड़े समय में कहनी है। शून्य काल में बहुत लंबा भाषण नहीं देना है।

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) **:** महोदया, मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जब आप आसन पर होती हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप अपने विषय पर आइये।

डॉ. भोला सिंह : तो लगता है कि खुदा की रूहानी झलक दिखाई पड़ती है। मैडम, बिहार ने राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी बहुत सारी हड्डिया और जिस्म डाले हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप बरौनी फर्टिलाइजर फैक्टरी की बात बोलिये।

डॉ. भोला सिंह : मैं बरौनी खाद कारखाने के बारे में आसन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बरौनी खाद कारखाना चल रहा था, यह घाटे में था। तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार ने बंद करते हुए कहा कि यह कारखाना लाभप्रद नहीं है। जब गैस आधारित यूरिया का उत्पादन शुरू होगा तो हम इस कारखाने को बनाने और पुनर्जीवित करने में प्राथमिकता देंगे। यह कैबिनेट का फैसला था। केन्द्र सरकार ने लोक सभा में आश्वासन दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे पता चला है कि केन्द्र सरकार ने बंद खाद कारखाने को चालू करने के लिए...

माननीय अध्यक्ष : आपको अपना विषय एक मिनट में उठाना है, बहुत लंबा भाषण नहीं देना है।

डॉ. भोला सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं, जो सीढ़ियां तय की, उसमें बरौनी खाद कारखाना सबसे पिछले पायदान पर है। मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार ने देश की आजादी के दीप जलाये। बिहार ने बरौनी पैट्रो-कैमिकल के लिए संघर्ष किया, बरौनी रिफाइनरी हुई, लेकिन पैट्रो-कैमिकल नहीं हुआ। बरौनी इंग्लैंड का कारखाना नहीं बन सका। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय अटल जी की सरकार का निर्णय था, आश्वासन था कि बरौनी के खाद कारखाने को पुनर्जीवित करने के लिए, गैस आधारित यूरिया कारखाना पुनर्जीवित करने के लिए हम इसे प्राथमिकता देंगे। वह हमारी अमानत है।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी यह अमानत जो हमारे माननीय अटल जी ने दी थी, तत्कालीन सरकार ने दी थी।

माननीय अध्यक्ष : साध्वी सावित्री बाई फूले, आप बोलिये। भोला सिंह जी, बस बहुत हो गया, ऐसे नहीं होता है, मुझे सबको समय देना है।

डॉ. भोला सिंह : मैं चाहता हूं कि सरकार इस अमानत के साथ विश्वास देकर बिहार का जो पिछड़ापन है, उसे दूर करने के लिए कदम उठाये।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके माध्यम से इस बात को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : एक-एक मिनट में सबने बोलना है, बहुत सारे सदस्यों को बोलना है।

साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। महोदया, मैं अपने संसदीय क्षेत्र बहराइच, उत्तर प्रदेश, ग्राम पंचायत बुझिया, ग्राम पंचायत विकास खंड, तहसील नानपारा की तरफ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं। भारत सरकार द्वारा सन् 1959 व सन् 1960 में उपरोक्त ग्राम पंचायत की 792 एकड़ भूमि समाज कल्याण विभाग द्वारा सौ परिवारों को कृषि कार्य करने के लिए अनुसूचित जातियों को सुरक्षित कर दी गई थी। किंतु उस भूमि पर कुछ गैर जनपद, गैर ग्राम पंचायत के अन्य वर्ग के लोगों ने कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में उसे भूमि को खाली करवा कर पात्र व्यक्तियों को वितरण करने का कार्य किया जाए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : सावित्री जी, आपने जो विषय लिखकर दिया है, उससे संबंधित मुद्दा उठाएं। आपने जो नोटिस दिया है, उसी के बारे में मुद्दा उठाना है। आपने अपने संसदीय क्षेत्र बहराइच की नानपारे तहसील में जो कल्टिवेशन डिस्ट्राय होता है, उसको चैक करने की कुछ बात की है। आप उसी विषय पर अपनी बात रखिए।

...*(व्यवधान)*

साध्वी सावित्री बाई फूले : मैं अपने संसदीय क्षेत्र बहराइच, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत बोझिया मझांव, विकास खंड मिहीनपुरवा, तहसील नानपारा की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। भारत सरकार द्वारा सन् 1959 व 1960 में उपरोक्त ग्राम पंचायत की 792 एकड़ भूमि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति विमुक्ति जाति के सौ परिवारों को कृषि करने के लिए सुरक्षित कर दी गई थी। किन्तु उस भूमि को कुछ गैर जनपद तथा गैर ग्राम पंचायत के अन्य वर्ग के लोगों ने कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में उस जमीन को खाली करवा कर पात्र व्यक्तियों को वितरण करने के लिए विभाग को आदेश कर दिया जाए।

डॉ. नैपाल सिंह (रामपुर) : अध्यक्षा जी, मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय क्षेत्र की जिला जेल के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदया, रामपुर की जिला जेल आबादी के बीच में आ गई है। आबादी के बीच में आने की वजह से नियमानुसार इनको दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन उसके लिए 8 किलोमीटर की आवश्यकता होती है। भारत की वर्तमान सरकार उस जेल को एक दूसरे मोहल्ले में ऐसी जगह रखना चाह रही है, जहां पर 16 कॉलोनियां हैं और दोनों तरफ रास्ता है तथा नैनिताल रोड पर है जहां से पास में एक पॉलिटेक्निक भी है। महोदया, वहां पर एक चीनी मिल है, वह 15 साल पहले बंद हो गई है। वहां के जो मजदूर हैं, वे 15 साल से नौकरी पर नहीं थे और उन्होंने छोटी-छोटी नौकरियां करके पक्के मकान बनाए हैं। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको वहां पर उजाड़ना शुरू कर दिया है। लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उनमें आक्रोश है। इस सदन के माध्यम से मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को पुन: विचार के लिए रिपोर्ट भेजें, जिससे विकास की जगह विनाश न हो और उनको रोका जा सके तथा वे लोग अपना जीवन-यापन कर सकें।

[अनुवाद]

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड) : महोदया, मैं एक विधेयक, जिसे 2011 में केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, पर इस सम्माननीय सभा और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। विधेयक में कोका कोला द्वारा भूमिगत जल के अतिरिक्त दोहन किए जाने के कारण प्रभावित हुए लोगों को मुआवजा देने की बात है। सरकार ने

उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और इस समिति ने 216 करोड़ रुपए की क्षति का अनुमान लगाया। इस विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर विधेयक को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजा गया था। लेकिन विधेयक तीन वर्षों से भी अधिक वर्षों से केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पास अभी भी लंबित है। केन्द्र सरकार इस असाधारण विलंब के लिए समुचित स्पष्टीकरण देने में असफल हुई है। यह आशंका है कि विधेयक को रोक कर रखने और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए पारित नहीं करके सरकार के भीतर कोई न कोई कोका कोला की सहायता कर रहा है।

मैं सरकार से विधेयक को शीघ्र ही राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजने का अनुरोध करता हूं ताकि केरल विधानसभा द्वारा पारित विधेयक बेकार न हो जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन को श्री एम.बी. राजेश द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री सतीश कुमार गौतम - उपस्थित नहीं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल - उपस्थित नहीं।

श्री पी.पी. चौधरी (पाली) : महोदया, मैं आपका ध्यान राजस्थान के जोधपुर शहर की और आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के लिए केवल जोधपुर हवाई अड्डा ही एकमात्र हवाई अड्डा है। जोधपुर सहित पाली, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही आदि जिलों में बसने वाले लोग इसी हवाई अड्डे के द्वारा यात्रा करते हैं। यह पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाड़मेर में रिफाइनरी व औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के कारण हवाई यात्रा की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। हवाई अड्डे का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए जमीन भी अधिगृहीत की जा चुकी है। वर्तमान में प्रतिदिन दिल्ली-जोधपुर-दिल्ली व मुंबई-जोधपुर-मुंबई के आने-जाने के लिए दो-दो हवाई सेवाएं ही उपलब्ध हैं, जो दिन में 12 बजे से 3 बजे के मध्य ही हैं। इसके अतिरिक्त जोधपुर से कहीं और जाने के लिए कोई भी सीधी हवाई सेवा नहीं है। जबकि आईआईटी, एम्स, इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल लॉ स्कूल हैं, इसके अतिरिक्त यहां हैंडीक्राफ्ट व गंवार गम का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट होने के साथ-साथ सोलर व पवन ऊर्जा के केन्द्र स्थापित हैं। इन जिलों के प्रवासी बड़ी तादाद में देश के कोने-कोने में विशेषकर बैंगलुरु, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली व अहमदाबाद आदि में बसे हैं और इनका आवागमन निरन्तर रहता है। हवाई सुविधा त्वरित न होने की वजह से इन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली व मुंबई से जोधपुर हेतु प्रात: व सांयकालीन हवाई सेवा प्रारंभ करने तथा जोधपुर से चेन्नई व बैंगलुरु के लिए भी हवाई सेवा प्रारंभ करने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम.पटेल अपने आपको श्री पी.पी. चौधरी जी के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

श्री हरिनरायन राजभर (घोसी) : महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी की सरकार चल रही है।

माननीय अध्यक्ष : आप नाम मत लीजिए। आप जो कहना चाहते हैं, वह बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : आप नाम मत लीजिए।*...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : पप्पू यादव जी, आप बैठिए। मैंने बोल दिया है कि नाम नहीं लेना है। राजभर जी, आप अपनी बात बोलिए।

श्री हरिनरायन राजभर : महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए जो संस्तुति की है, जिसमें राजभर वगैरह 17 जातियां शामिल हैं, उनको अब तक क्यों नहीं केन्द्र ने शामिल किया, अगर नहीं किया तो उसका क्या कारण है?

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री राजीव सातव – उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदया, मैं संबंधित मंत्रालय का ध्यान एमटीएनएल की सेवाओं की तरफ दिलाना चाहूंगा। इसकी सेवाएं गुजरते समय के साथ बद से बदतर हो रही हैं। एमटीएनएल को दशकों पहले वहनीय मूल्य पर आईटी समर्थित सेवाओं के साथ दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तथापि एमटीएनएल के उपभोक्ता अन्य प्रदाताओं की तरफ मुड़ रहे हैं, इसके लिए एमटीएनएल द्वारा प्रदाता खराब गुणवत्ता की सेवाएं हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण तिमाही निगरानी रिपोर्टों के जरिए विभिन्न दूरसंचार सेवाओं की निगरानी करता है। दिल्ली में एमटीएनएल

नेटवर्क की प्रदाता समर्थित अभियान जांच के मुख्य निष्कर्ष, जो ट्राई द्वारा अनुबंधित एक स्वतंत्र संस्था (टीयूवी-एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा मार्च 2014 की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था, से पता चला कि एमटीएनएल का निष्पादन सभी प्राईम नेटवर्क मानकों नामत: ब्लॉक्ड कॉल रेट, कॉल ड्रॉप रेट, गुडवॉइस क्वालिटी, और दक्षिण, उत्तर और पूर्वी दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में कॉल सेटअप सफलता रेट गैर अनुपालित रहा। इन्डोर ड्राईव टेस्ट के मामले में, एमटीएनएल 'गुड वॉईस क्वालिटी' मानक हेतु पात्रता को पूर्ण नहीं कर सका और फरवरी, 2014 में उनका निष्पादन स्तर 88.36 प्रतिशत पर मापा गया; और मार्च 2014 में यह 91.16 प्रतिशत पर रहा। अत: 'गुड वॉईस क्वालिटी' के संबंध में मानक एक प्रमुख चिन्ता का विषय रहा है।

संसद सदस्यों के रूप में हम सभी एमटीएनएल सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं और एमटीएनएल द्वारा खराब गुणवत्ता की सेवाओं का अनुभव कर रहे हैं। एमटीएनएल को स्वयं को आधुनिक प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तनों के साथ अद्यतन करना चाहिए, जिससे इसकी गति बनी रहे, अन्यथा इस सरकारी संगठन एमटीएनएल के लिए यह बड़ी क्षति होगी।

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदया, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे लोक सभा क्षेत्र में हिंगोली और किनवट, इन दो जगहों पर एक-एक घंटा लोगों को रूकना पड़ता है। रेलवे ओवर ब्रिज के बारे में हमारी पिछले कई सालों से डिमांड है। मेरी विनती होगी कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे।

[अनुवाद]

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर) : अध्यक्ष महोदया, मैं संघ लोक सेवा आयोग रूप संचालित सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में बोलना चाहूंगा।

गत कुछ वर्षों से, जब भी सीसैट परीक्षा आयोजित की गई है। गद्य सापेक्ष जांच हेतु एक खंड है। इस खंड का मूल्य सीसैट पत्र का 40 प्रतिशत है। यह बोध परीक्षा मात्र अंग्रेजी और हिन्दी में आयोजित की जा रही है। कई छात्र जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन करते हैं। वर्ष 2011, 2012 और 2013 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य से मात्र चार छात्र चयनित हुए। पूर्ववर्ती वर्षों में चयनित छात्र 15 से 20 से ज्यादा होते थे।

इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बोध परीक्षा, जिसका मूल्य मुख्य पत्र का 40 प्रतिशत के करीब है, को क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित करना चाहिए।

मैं सरकार से इस संबंध में शीघ्रतम कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं पिछले कई वर्षों से झांसी-खजुराहो मार्ग के बारे में सदन में लगातार मामला उठाता रहा हूं। पिछली सरकार के समय इस मार्ग के संबंध में सर्वे भी कराया गया था और भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई थी। लेकिन फिर वह योजना अचानक बीच में रोक दी गई। इस मार्ग से बहुत बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक झांसी से खजुराहो जाते हैं। लेकिन उस मार्ग की हालत देखने के बाद जब वे यहां से वापस अपने देश जाते हैं, तो हमारे देश के प्रति अच्छा भाव लेकर नहीं जाते हैं, जिसके कारण हमारे यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या भी प्रभावित हो रही है। अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का महत्व रखने वाले इस झांसी-खजुराहो मार्ग पर पुनर्विचार करते हुए इसे फोर लेन एक्सप्रेस हाईवे में परिवर्तित करके शीघ्र इस मार्ग का निर्माण करवाया जाए। धन्यवाद।

साध्वी निरंजन ज्योति (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे ज़ीरो आवर में जन समस्या के ऊपर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं।

महोदया, फतेहपुर, हमीरपुर बांदा और जालौन आदि कई जनपदों में बारिश न होने के कारण वहां वॉटर लैवल नीचे चला गया है जिससे वहां की जनता पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूं कि वहां हैण्डपंप सक्सैस नहीं हैं। अत: वहां एकल टंकी पेयजल बनवाकर गांवों में पानी की सप्लाई की जाए तो वह सफल होगा।

श्री राम चरित्र निषाद (मछलीशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मछलीशहर से पहली बार चुनकर लोक सभा में आया हूं। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से यह निवेदन कर रहा हूं कि मछलीशहर लोक सभा में देश की आज़ादी से आज तक 40 परसेंट ऐसे गांव हैं जहां न बिजली है, न पानी है, न चलने का रास्ता है।

मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारी लोक सभा में यह बुनियादी व्यवस्था कराने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री छोटेलाल जी, शून्यकाल के लिए दो विषय नहीं देते। एक ही विषय आपने शून्यकाल में उठाना है। यह ध्यान में रखें और किसी भी एक विषय पर अपनी बात कहें।

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा इलाका सोनभद्र जिला है जो तीन-चार प्रदेशों का बॉर्डर लगता है। वहां पर अनुसूचित जाति की दस जातियों को 2003 में जनजाति में सम्मिलित किया गया। उनको आज तक पंचायत चुनाव में आरक्षण न मिलने के कारण वे चुनावों से आज तक वंचित हैं। अब 2015 के पंचायत चुनाव आ रहे हैं। क्या वहां के आदिवासी जनजाति चुनाव लड़ेंगे या नहीं? वहीं आदिवासी जनजातियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में बी.ए. एवं बी.एड. तक फीस रोक देने से उच्च शिक्षा संस्थानों में आदिवासी छात्र-छात्राओं को परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया है।. ..*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपको एक ही बात रखनी है।

श्री छोटेलाल : क्या उत्तर प्रदेश सरकार आदिवासियों की विरोधी है? उनकी फीस रोक दी गयी है, परीक्षा रोक दी गयी है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपको अपनी डिमान्ड रखनी चाहिए।

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : अध्यक्ष जी, मैं विषय चैंज कराना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप दूसरा विषय नहीं उठा सकते हैं, आपने जो विषय दिया है, आप वही उठा सकते हैं। आपने जो विषय दिया है, वही बोलिए, नहीं तो बैठ जाइए।

श्री कौशल किशोर : अध्यक्ष जी, ठीक है। मेरे यहां लखनऊ के कानपुर तक की जो रेलवे लाइन है, उस पर हरौनी स्टेशन है, जिस पर 30 से 35 हजार तक यात्री रोज़ाना आते-जाते हैं और वहां से प्रतिदिन काम पर मजदूर जाते हैं। लेकिन वहां पैसेंजर कभी भी टाइम से नहीं आती है। चार ट्रेनें ऐसी हैं, जिनका वहां रुकने का स्टॉपेजी दो-दो मिनट का बनना चाहिए। वहां पांच हजार के आस-पास एमएसटी के लोग हैं, जो प्रतिदिन आते-जाते हैं, इसलिए मैंने जिन चीजों को रखा है, इनको रेल मंत्री जी से आश्वासन दिला कर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

श्री विजय सांपला (होशियारपुर) : मैडम, मैं आपके माध्यम से देश में निजी ठेकेदार और निजी संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रहे श्रमिकों के कल्याण का मुद्दा उठाना चाहता हूं। देखा गया है कि सरकारी, अर्द्ध-सरकारी संस्था, सार्वजनिक उपक्रम तथा अन्य विभागों में आजकल तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के श्रमिकों को ठेकेदारों द्वारा या निजी संस्थाओं में जो काम करते हैं, उनको सही वेतनमान नहीं मिलता है। दिखाया कुछ जाता है, लेकिन होता कुछ है। मैं आपके माध्यम से यह मांग उठाना चाहता हूं, चूंकि मैं स्वयं एक श्रमिक रहा हूं और इस समस्या से जूझता रहा हूं कि जो उनका वेतनमान है, वह सीधे सरकारी बैंकों द्वारा दिया जाए, ताकि उनको निजात मिले और देश का बहुत बड़ा जो श्रमिक वर्ग है, उसका कल्याण हो सके।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदया, बिहार के छपरा जिले में जगदम महाविद्यालय और राजेन्द्र सरोवर के मध्य रेल समपार वर्तमान में आम जनता के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। यह समपार, जो कि छपरा कचहरी रेलवे स्टेशन और छपरा जंक्शन के मध्य स्थित है, इस रेलवे लाइन पर दिनभर रेल गाड़ियों और माल गाड़ियों का आवागमन लगा रहता है, परिणामस्वरूप दिन में अगगिनत बार समपार का गेट खुलता और बंद होता रहता है। चूंकि एक महत्वपूर्ण कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान रेलवे समपार के उत्तर में है। इसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि छात्रों की परीक्षा भी समपार ज्यादा समय तक बंद रहने की वजह से छूट गयी है। कई बार उस पर से इस पार टाउन में जो मरीज आते हैं, उनको दम भी तोड़ना पड़ा है।

महोदया, मैं माननीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि उस समपार पर ओवरब्रिज शीघ्र बनाएं ताकि वहां के लोगों को समपार पर आने जाने में हो रही कठिनाइयों से निजात मिल सके और पूरे जिले के लोगों को सुविधा हो सके। अध्यक्ष महादेया आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आर.के. सिंह (आरा) : अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बिहार में, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र आरा में हजारों एकड़ जमीन सूखी पड़ी है क्योंकि एक अंतर्राज्यीय जल समझौते को कार्यान्वित नही किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार बान सागर बांध से बिल्कुल भी पानी नही छोड़ रही है हालांकि उसे प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक जल छोड़ना चाहिए। पानी नहीं छोड़ने की वजह से पौध सूख रहे हैं और जल्द ही हमे एक गंभीर स्थिती का सामना करना पड़ेगा।

इसलिए, मैं जल संसाधन मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में ले और मध्य प्रदेश सरकार से अंतर्राज्यीय जल संधि के अनुसार पानी छुड़वाए। धन्यवाद।

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे 'शून्य काल' के दौरान इस विषय को उठाने की अनुमति देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

यह मुद्दा हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, पिंपरी, पुणे से संबंधित है जो कि एकमात्र पीएसयू है जिसके पास बहुत बड़ी अवसंरचना और

श्रमशक्ति उपलब्ध है। यदि इस कंपनी को सहायता प्रदान की जाए तो यह बड़ी मात्रा में औषधियों का विनिर्माण कर सकती है और भारत सरकार के 'हेल्थ फॉर ऑल' विज़न को पूरा कर सकती है।

महोदया, वास्तव में, यह कंपनी अभी संकट में है। पिछले छह महीनों इसके कर्मचारियों को वेतन नही दिया गया है। उनके वैधानित भुगतान जैसे कि जीपीएफ, ग्रेच्यूटी और अन्य लाभ प्रदान नही किए गए है। वे सरकार से इस कंपनी का पुनरुद्धार करने का आग्रह कर रहे हैं। इस संदर्भ में सरकार को 2012 में एक प्रस्ताव भेजा गया था। वह सरकार के पास अभी भी लंबित पड़ा है जिसमें यह कहा गया था कि इस कंपनी की जमीन बेची जाएगी। महाराष्ट्र आवास और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने कंपनी को 5 करोड़ रुपए अदा किए हैं। बकाया 100 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। इस मामले में, मैं कंपनी के पुनरुद्धार हेतु रसायन और उर्वरक मंत्री जी का हस्तक्षेप चाहता हूं। लगभग 1100 कर्मचारी अपने वेतन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कंपनी बंद होने के कगार पर है।

इसलिए, महोदया मैं आपके माध्यम से 'शन्यकाल' के दौरान माननीय मंत्री जी से इस कंपनी के पुनरुद्धार की ओर तत्काल ध्यान देने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : अध्यक्ष जी, आपने बीकानेर संसदीय क्षेत्र का शून्य काल में जो महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बीकानेर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, टूरिस्ट डेवलपमेंट से भी महत्वपूर्ण है और अभी नागर विमानन मंत्री जी वहां गये थे, उन्होंने वहां पर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया, लोकार्पण भी कर दिया।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि उसकी सर्विस शरू हो। टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन होने से लोग कहते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई एयर एजेंसी उसके लिए तय करें, चाहे एयर इंडिया तय करे, छोटा एटीआर तय कर ले। हमारा अभी टूरिस्ट का सीजन शुरू होने वाला है। उसमें विदेशी मेहमान बहुत जाते हैं, देशी मेहमान भी बहुत आते हैं, इसलिए बीकानेर को टर्मिनल बिल्डिंग के साथ-साथ, एयर इजेंसी तय करके हवाई सेवा से जोड़ें। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल अपने आपको श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र) : महोदया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील, दर्दनाक विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है।

महोदया, सदन और हम सब लोग चिंतित रहते हैं और न जाने कितनी दफा इस पर चर्चा होगी कि क्या देश की महिलाओं की इज्जत और आबरू सुरक्षित रहेगी? उनके साथ देश के विभिन्न भागों में जो लगातार अत्याचार हो रहा है, क्या वह लगातार जारी रहेगा? यह बहुत चिन्ता का विषय है। सख्त कानून भी बन रहे हैं पर उनका कोई असर आम लोगों पर नहीं हो रहा है। पुन: एक इसी तरह की घटना कल बिहार के जहानाबाद इलाके में हो गयी। एक पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्त्ता, जिसका नाम संगीता है, उसको घर में घुसकर लोगों ने निर्वस्त्र किया, मारपीट की और पूरे सामान को लूटकर ले जाने का काम किया। मैं शहर की यह घटना बता रहा हूं। जहानाबाद शहर है, नगर थाना के अंतर्गत यह इलाका आता है। वहां पलिस मूकदर्शक बनी रही और चुपचाप उसकी इज्जत, आबरू लूटी जाती रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति बिहार में होती रहेगी? इन दिनों बिहार में खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार बढ़े हैं। वहां हत्या, बलात्कार की घटनायें लगातार हो रही हैं। वहां की सरकार चुपचाप मौन धारण किए हुए हैं। मैडम, क्या हम ऐसा कुछ नहीं सोच सकते कि हमारे मन में जो इस तरह की भावना है, उससे हम अपने आपको निकाल पायें।

मैडम, वहां की सरकार आम लोगों को सुरक्षा देने में बिल्कुल फेल हो चुकी है। वहां विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार मृतप्राय है।...*(व्यवधान)* मैडम, आपको यह जानकार आश्चर्य होगा...*(व्यवधान)* यह बहुत संवेदनशील मामला है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मालूम है।

श्री राम कृपाल यादव : महोदया, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो अभियुक्त हैं।...*(व्यवधान)* वहां पर यह उस पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्त्ता है जो सरकार को अभी समर्थन दे रही है।...*(व्यवधान)* मगर वहां चुपचाप बैठकर, दोनों मिलकर अपराध की घटनायें लगातार बढ़ा रहे हैं।...*(व्यवधान)* वह पिछड़ी जाति की महिला हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप एसोशिएट कर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : महोदया, राज्य सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से इस ओर ध्यान देने का आग्रह करता हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप सभी इनके साथ एसोशिएट करिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल और श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री रामकृपाल यादव जी द्वारा शून्य काल में उठाए गए विषय के साथ अपने-आप को संबद्ध करते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन : अध्यक्ष जी, आप ने शून्य काल में महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह सिर्फ बिहार की औरतों की सम्मान और इज्जत का सवाल नहीं है। पूरे देश में औरतों का सम्मान दिन-प्रतिदिन घट रहा है। चाहे झारखंड, बंगाल का सवाल हो, कर्नाटक में बलात्कार की घटना हो, धनखड़ का इश्यू हो, या अन्य प्रदेशों की घटना हो, जहानाबाद में पुलिस के सामने घटना घटी, सबसे बड़ी दर्दनाक बात यह है कि पुलिस मुकदर्शक बनी रही और 3 घंटे तक 50 क्रिमिनल्स, मुंडे एक औरत को निर्वस्त्र कर के, उसे लहू-लुहान कर दिया। निश्चित रूप से, यह देश के लिए शर्मनाक घटना है। यह सदन के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। सरकार को निश्चित रूप से निर्देश देनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर इस तरह की पुनर्रावृत्ति देश में न हो।...*(व्यवधान)*

सहस्सा जिले के सिमरी-बख्तियापुर में औरतों को नंगा कर के डीएसपी ने मारा है।...*(व्यवधान)* उसने एक लड़की को इतना मारा है कि मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, वहां के डीएसपी को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ऐसी भाषा का प्रयोग न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन : अध्यक्ष महोदया, ठीक है।...*(व्यवधान)* उस डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने उस औरत को सिमरी-बख्तियारपुर में मारा है।...*(व्यवधान)* जिस पुलिस के सामने यह घटना घटी है, वह मुअतल होना चाहिए।...*(व्यवधान)* बिहार के मुख्यमंत्री इस संबंध में कठोर कार्रवाई करें।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अश्विनी जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप सभी इनके साथ एसोसिएट करिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदया, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बिहार के बक्सर, भागलपुर एवं अन्य जिलों में भीषण विद्युत संकट व्याप्त है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया इस प्रकार नहीं बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अश्विनी कुमार चौबे : महोदया, पिछले 15 दिनों में बिहार में मुश्किल से चार घंटे, पांच घंटे या छह घंटे तक बिजली रह पाती है। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह बिजली संकट व्याप्त है। बिहार में 2600 मेगावाट की आपूर्ति होती है। विद्युत आपूर्ति के विरुद्ध मुश्किल से औसतन 1200 मेगावाट से लेकर 1600 मेगावाट ही बिजली दी जाती है। आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि उस में भी जो बिजली वहां पर सीएलडी से दी जाती है – पोल और तार इतने गड़बड़ हैं कि वहां तक बिजली पहुंच नहीं पाती है। देश-विदेश से लाखों कांवड़िये अजैगबीनाथ धाम से बाबा धाम की यात्रा करते हैं। वे बहुत कठिनाई में हैं। बिजली के बिना लाखों किसान अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से पूरा जीवन संकटमय हो गया है। मैं विद्युत मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे बिहार के इस मामले में, विशेष कर सावन के महीने में कांवड़ियों का जो शिविर चल रहा है, उसके लिए अलग से विद्युत का प्रावधान करें, ताकि वहां के जनजीवन को बचाया जा सके।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : अध्यक्ष महोदया, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में तथा विशेष कर पश्चिम उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति अत्यंत खराब है। घोषित रूप से नगरीय क्षेत्रों में 15 घंटे से 20 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे से 10 घंटे तक बिजली की आपूर्ति विभाग द्वारा बताई जा रही है। परन्तु, वास्तविकता यह है कि कटौति की घोषित घंटों में तो बिजली की आपूर्ति का सवाल ही नहीं है। आपूर्ति की घोषित घंटों में भी बिजली की आपूर्ति बाधित ही रहती है। परिणामस्वरूप, आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। किसानों के खेत सूख रहे हैं तथा उद्योग-धंधे बंद हो रहे हैं। दिनांक 17.07.2014 को, यानी कल ही, तारांकित प्रश्न 143 के जवाब में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी ने पिछले तीन वर्षों के आंकड़े दिए थे, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में पीक-आवर्स में अप्रैल-2011 से मार्च-2012 तक विद्युत आपूर्ति में 11.3 प्रतिशत की कमी थी। वर्ष 2011-12 में यह 2.3 प्रतिशत रही। वर्ष 2012-13 में यह 13.6 प्रतिशत रही। वर्ष 2013-14 में यह 5.8 प्रतिशत रही। परन्तु, अप्रैल-2014 से जून-2014, तीन माह की अवधि में यह 24.6 प्रतिशत हो गई।

अध्यक्ष जी, इन तीन महीनों में लोक सभा चुनाव के परिणाम आने के बाद के महीने भी शामिल हैं। इन आंकड़ों से एक ही निष्कर्ष निकलता

है कि उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की सरकार लोक सभा में मिली पराजय को पचा नहीं पा रही है तथा जनता से इसका बदला ले रही है। विद्युत की अनियमित तथा अपर्याप्त आपूर्ति का जो उल्लेख मैंने प्रारंभ में किया है, उसका यही कारण है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह इसमें हस्तक्षेप करके विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित कराए। यदि प्रदेश सरकार सैंट्रल पूल से बिजली खरीदने में अरुचि एवं असमर्थता दिखाती है तो केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में से विद्युत के मूल्य को समायोजित करते हुए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदया, आपने एक बड़े ज्वलंत, अत्यन्त महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय प्रश्न पर मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। एक तरफ हमारे माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र और राज्य में बिजली कटौती से उत्पन्न संकट की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया है और सरकार से अपेक्षा की है। मैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं। देश के जो 45 बिजली घर हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो या प्राइवेट हो, उनसे ऊर्जा का उत्पादन होता है। खुद ऊर्जा मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि 45 ऐसे बिजली घर हैं जिनके पास मात्र 7 दिनों का कोयला बचा हुआ है। उनमें से 4 बिजली घर ऐसे हैं जिनके पास केवल 2 दिन का कोयला है। खुद ऊर्जा मंत्री जी ने इसे स्वीकार किया है कि राज्यों में कोयले का उत्पादन कम हुआ है। यह अपने आप में काफी गंभीर संकट है। अगर उन बिजली घरों को 2 दिन या 7 दिन बाद कोयले की आपूर्ति नहीं हुई तो सारा उत्पादन ठप्प हो जाएगा। इससे आज जो स्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसके सापेक्ष प्लांट लोड फैक्टर की कमी आने से जहां एक तरफ सूखे की स्थिति है, दूसरी तरफ चाहे दिल्ली राजधानी हो, शाम को पीक आवर में 5 हजार मेगावाट की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर प्रदेश में 12 हजार मेगावाट की सापेक्ष 6 हजार मेगावाट मिल रही है। यह काफी ज्वलंत प्रश्न है। इसमें कौन जिम्मेदार है। एक एग्रीमैंट, लिंकेज होता है। उन थर्मल पावर को सभी बिजली घरों को कोल लिंकेज में कोयले के उत्पादन की कमी क्यों आई। कोयले के अभाव से उत्पादन प्रभावित होगा जो राष्ट्रीय क्षति होगी। सरकार इस पर तत्काल कदम उठाए।

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़चिरौली-चिमुर की ओर दिलाना चाहता हूं। वह क्षेत्र देश का बहुत ही पिछड़ा, घना आदिवासी बहुल व नक्सल प्रभावित जिला है। गढ़चिरौली जिले में बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज रहता है। साथ ही ओबीसी समाज भी बड़े पैमाने पर रहता है। वहां के ओबीसी समाज का आरक्षण 1995 से पहले 19 प्रतिशत था। 1995 के बाद उसका आरक्षण 6 प्रतिशत कर दिया गया। इससे उनके मन में बहुत असंतोष है। वहां आदिवासी का आरक्षण 24 प्रतिशत किया गया है। उनका कहना यह नहीं है कि आदिवासी का आरक्षण 24 प्रतिशत क्यों किया गया, उनका कहना है कि हमारा जो 19 प्रतिशत आरक्षण था, वह उतना ही किया जाए।...*(व्यवधान)* पूरे देश में जो कानून बना हुआ है, पूरे देश के 52 प्रतिशत समाज के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। उसके मुताबिक हर राज्य में आरक्षण दिया गया है। कुछ राज्यों में कम, ज्यादा दिया गया है। जैसे महाराष्ट्र में 19 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जो सभी जिलों को मिलता था। लेकिन वर्ष 1995 के बाद गढ़चिरौली जिले में ओबीसी समाज के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण किया गया। इसलिए उनके मन में बहुत असंतोष फैला हुआ है। इसके लिए उन्होंने कई बार आंदोलन किया। सरकार से कई बार निवेदन किया, कॉरैसपॉडैंस किया। फिर भी सरकार का उनकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं गया।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ओबीसी समाज का गंभीरता से ख्याल कर उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : अध्यक्ष महोदया, मैं राष्ट्रीय महत्व के एक गंभीर मुद्दे को उठाना चाहूंगा जो कि हमारे देश के किसान समुदाय से संबंधित हैं।

हाल ही में, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि वे राज्य, जो गेहूं और धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य प्रदान कर रहे हैं उनके मामले में भारतीय खाद्य निगम खरीद प्रक्रिया में भाग नही लेगी। यह धान और गेहूं की खरीद को विपरीत रूप से प्रभावित करेगी। विशेषकर, हम अपने राज्य में किसानों को धान की खरीद पर प्रतिकिलो 7 रुपए अधिक प्रदान कर रहे हैं। लगभग सभी राज्यों में, वे धान और गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक बोनस प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हाल ही में जारी किया गया पत्र खरीद प्रक्रिया को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा।

इसलिए, महोदया मेरा आपके माध्यम से सरकार से और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी से निवेदन है कि इस स्थिति की समीक्षा की जाए। जब तक आप इसकी समीक्षा नहीं करते, यह निश्चित रूप से कृषि उत्पाद को प्रभावित करेगा और हमारे देश की खाद्य सुरक्षा विपरीत रूप से प्रभावित होगी।

साथ ही, पत्र में यह बात भी विशेष रूप से कही गई है। वह पत्र मेरे पास है– कि यह दोनों ही विकेन्द्रीकृत खरीद राज्य और गैर विकेन्द्रीकृत खरीद राज्य पर लागू होता है। यह दोनों प्रकार के राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इसलिए, किसान समुदाय प्रभावित होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि, आप इसे वापस ले लें या स्थिति की समीक्षा करें ताकि किसानों की सहायता की जा सके। धन्यवाद महोदया।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इंदिरा आवास, मनरेगा के तहत पंचायत भवन का निर्माण हो, चाहे सांसद निधि की बात हो, भारत कोकिंग कोल, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन आदि क्षेत्र हैं, यहां पंचायती राज व्यवस्था के तहत, झारखंड में जब से पंचायत का चुनाव हुआ है, उस क्षेत्र में एक भी इंदिरा आवास का निर्माण नहीं हुआ। उसका कारण है कि वे लोग नो ऑब्जेक्शन नहीं देते। उनका कहना है कि यह हमारी जमीन है, इसलिए हम इसका नो ऑब्जेक्शन नहीं देंगे। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की भी यही स्थिति है। इससे वहां जो दलित परिवार के लोग हैं, जो बीपीएल धारी हैं, उनके लिए न तो इंदिरा आवास बन रहा है और न ही मनरेगा का काम हो रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि गिरिडीह के 16 पंचायत भवनों का आज तक निर्माण नहीं हुआ है। हमारा कहना है कि यदि उनको अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं देना था, तो वहां पंचायत का चुनाव नहीं होता। सांसद निधि का भी काम नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदया, हम आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि इनको डायरेक्शन दिया जाये कि वे सरकारी काम में बाधा उत्पन्न न करें और अनापत्ति प्रमाण-पत्र दें, ताकि वहां के इंदिरा आवास, पंचायत भवन और मनरेगा के तहत जो विकास कार्य होने हैं, वे हो सकें।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित कर रहा हूं। जो समाचार आ रहे हैं, उनमें कहा गया है कि इराक के अंदर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का जो विवाद चल रहा है, उसमें भारत के कुछ नौजवानों के नाम आये हैं जो उन आतंकियों की ओर से इराक की आम जनता के अंदर जो क्रूरता बरती जा रही है, उसमें उनकी संलिप्तता है। यह गंभीर मामला तब आया जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं और नाटो की सेनाओं की वापसी इस वर्ष होनी है। उस स्थिति में अगर भारत के कुछ लड़कों की वहां संलिप्तता है और वे उस क्रूरतम मानवता के खिलाफ किये जा रहे अपराध में संलिप्त हैं, तो यह हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर संकट है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस मामले का संज्ञान ले और इस प्रकार के तत्वों के साथ कड़ाई से निपटे।

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : महोदया, मैं सम्माननीय सदन का ध्यान एक गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। भारी वर्षा के कारण, केरल का पूरा तटीय क्षेत्र, विशेषकर मेरा संसदीय क्षेत्र, विकट कटाव की समस्या का सामना कर रहा है। अत्यधिक समुद्री कटाव के कारण बहुत से मकान बर्बाद हो गए है। परिणामस्वरूप, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है और पुनर्वास कैम्प में रखा गया है। इस समस्या का एकमात्र हल है कि अधिक से अधिक समुद्री दीवारों का निर्माण किया जाए। लेकिन इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता है। पिछले कई वर्षों से भारत सरकार ने समुद्र के किनारे इन दीवारों का निर्माण करने के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है, जिसका कारण यह बताया गया कि यह प्राकृतिक आपदा संबंधी मानदंडों के अंतर्गत नहीं आते।

इसलिए, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस मामले से संबंधित मानदंडों में परिवर्तन किया जाए। इसे राष्ट्रीय आपदा माना जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस मामले की जांच करनी चाहिए। इसे समुद्र के किनारे दीवारों का निर्माण कर राज्य सरकार को मदद करनी चाहिए।

जहां तक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दी गई सहायता का संबंध है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस प्रयोजना के किसी भी निधि का आवंटन नहीं किया गया है। गरीब मछुआरे गंभीर खतरे में हैं। वे बेहद मुश्किल स्थिति में हैं।

इस संबंध में, मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस मामले की जांच करे, मानदंडों में बदलाव करे और इस मुद्दे को प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत रखा जाए।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र में दो बड़े पर्यटन एवं धार्मिक स्थल हैं। एक चित्रकूट और दूसरा मैहर है। चित्रकूट में भगवान राम ने साढ़े ग्यारह वर्ष के वनवास का समय बिताया था। वहां पर "रामायणम्" के नाम से राज्य सरकार के सहयोग से हर वर्ष हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। देश-विदेश में भगवान राम के जीवन चरित्र के बारे में जो नाटिकाएं हैं, वे वहां प्रस्तुत

की जाती हैं। मैं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से मांग करता हूं कि चित्रकूट एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है, उसे राष्ट्रीय कार्यक्रम समझकर, अपनी तरफ से सहयोग करें। इसी प्रकार से मैहर, जहां मां शारदा की पवित्र पीठ है, में तीन दिवसीय "बाबा अलाउद्दीन खां संगीत समारोह" हर वर्ष फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शास्त्रीय संगीत के जानकार लोग अपनी कला का प्रस्तुतीकरण करते हैं। यह कार्यक्रम भी राज्य सरकार के सहयोग से होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसमें सहयोग दिया जाए। इसके साथ-साथ, अभी भारत सरकार ने जो "नमामि गंगे" योजना शुरू करने का एलान किया है, गंगा पवित्र नदी है, इस कारण उसे शामिल किया गया है। इसी प्रकार से मंदाकिनी नदी है। चित्रकूट में लाखों लोग वहां पर दीपावली के समय और हर माह की अमावस्या पर जाते हैं और मंदाकिनी नदी में स्थान करके उसके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं। निश्चित तौर पर उस नदी का विस्तार बहुत ज्यादा नहीं है। इसे उस राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किए जाने की मांग करता हूं। इसी तरह, संस्कृति मंत्रालय से मैं चाहता हूं, "रामायणम्" रामचरितमानस पर आधारित ग्रंथ है, उसका एक सचित्र ग्रंथालय के परिसर के रूप में वहां पर बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से संस्कृति मंत्रालय से मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती वी. सत्यबामा (तिरुप्पुर) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तिरुप्पुर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री, अम्मा को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदया, यह मेरा पहला भाषण है। सलेम-कोच्चि-कन्याकुमारी सड़क (एनएच 47) तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है। तिरुप्पुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त सड़क किलोमीटर 59/0-102/0 से शुरू होती है, जो कि भवानी (लक्ष्मी नगर) से छेंगापल्ली तक है- इस राजमार्ग को चार लेन का बनाने का काम एनएचएआई द्वारा शुरू किया गया था और अगस्त 2009 से टोल संचालन शुरू हुआ था। इस खंड की कुल लंबाई 43 किलोमीटर है, लेकिन इस हिस्से पर 18 किलोमीटर तक सर्विस रोड नहीं है। इस खंड पर 22 बड़े और 15 छोटे जंक्शन हैं। 22 बड़े जंक्शनों में से सिर्फ आठ जंक्शनों पर सड़क ऊपरिगामी पुल हैं और 14 बड़े जंक्शनों पर किसी तरह का पुल नहीं है। यहां तक कि यहां बनाए गए आठ प्रमुख पुलों में, एक लक्ष्मी नगर और दूसरे छेंगापल्ली पर स्थित पुल को छोड़कर, बाकी सभी पुलों पर किसी भी तरफ एप्रोच रोड नहीं बनाई गई हैं।

इसलिए, वाहन चालकों को ओल्ड बाईपास की सड़क से घूमते हुए प्रमुख सड़कों तक पहुंचना पड़ता है। इस परियोजना के लिए अवसंरचनात्मक ढांचा धरातल पर बिल्कुल अधूरा है। परियोजना की अधूरी प्रकृति के कारण गत तीन वर्षों के दौरान पुलिस स्टेशनों में 300 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इस खंड पर कई छोटी-मोटी दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इन दुर्घटनाओं से कई परिवारों की स्थिति दयनीय हो गई है और जिन परिवारों ने इन दुर्घटनाओं में अपने परिवार के मुखिया को खो दिया है, वो परिवार अनाथ की तरह रह गए हैं।

बार-बार होने वाली जानलेवा दुर्घटनाओं के उपचारात्मक उपाय के रूप में सर्विस रोड का बाकी बचा हिस्सा, पुल तक संपर्क सड़कों और उक्त असुरक्षित जंक्शनों पर ऊपरिगामी पुलों का निर्माण किया जाए।

इस राजमार्ग को चार-लेन का किए जाने के दौरान अनेकों पेड़ काटे गए थे। प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क किनारे भारी संख्या में वृक्ष लगाए जाएं।

इसलिए, मैं इस सम्मानीय सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगी कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वह तुरंत कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

महोदया, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 91 जो दिल्ली से शुरू होकर साहिबाबाद, गाजियाबाद, दादरी, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, अलीगढ़, एटा, कन्नौज होते हुए मेरे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख की, बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के अरौल, बिल्हौर, चौबेपुर, मन्धना होते हुए कानपुर तक जाता है। इस मार्ग की दिल्ली से कानपुर तक कुल लंबाई 478 किलोमीटर है। जब से देश आजाद हुआ है, तब से आज तक यहां फोर-लेन सड़क नहीं बनी, बननी चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं बनी है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि वहां पर फोर-लेन सड़क बनाई जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (वडकरा) : महोदया, मैं बड़े भारी मन से पिछले सप्ताह चेन्नै में हुई हैरान कर देने वाली घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मद्रास उच्च न्यायालय के एक पदासीन माननीय न्यायाधीश, जो अपने साथी न्यायाधीशों के साथ एक पुस्तक

विमोचन समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, उन्हें तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन क्लब में प्रवेश देने से यह कहकर मना कर दिया कि उन्होंने ड्रेस कोड का पालन नहीं किया; चूंकि उन्होंने धोती पहनी हुई थी।

इस घटना ने हर देशभक्त भारतीय के अंतर्मन को छुआ है चूंकि इसने ब्रिटिश राज की सनक को फिर से दोहराया है। यह घटना हमें उस भेदभाव की भी याद दिलाती है, जो राष्ट्रपिता के साथ दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जहां उन्हें पगड़ी पहनने के कारण काफी कष्ट सहने पड़े थे।

सारे देश को यह पता लगना चाहिए कि क्या हम आज भी औपनिवेशिक युग में जी रहे हैं और हमारे देश में आज भी भेदभाव की व्यवस्था जारी है। हम एक संप्रभु, लोकतांत्रिक देश हैं और स्वतंत्रता पाने के लिए हमने काफी कुछ सहा है। यह शर्मनाक घटना देश की छवि पर दागदार धब्बा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह आवश्यक कदम उठाए, ताकि ऐसी बेतुकी और औपनिवेशिक घटनाएं दोबारा न हों।

[हिन्दी]

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। हमारे संसदीय क्षेत्र में दंडछत्र माल जाति की काफी आबादी है। यह जाति मूलत: खेतिहर मजदूर है और ये लोग बहुत गरीब हैं। सामान्य जाति होने के कारण उनको किसी तरह की कोई सुविधा सरकार से नहीं मिल पाती है। वहीं पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल और ओडिशा में यह जाति जनजाति की श्रेणी में आती है।

आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इन लोगों की पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, जिस प्रकार ये लोग पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अनुसूचित जाति में शामिल है, उसी तरह झारखंड की दंडछत्र माल जाति को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : सभा अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.15 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

सामान्य बजट (2014-15) सामान्य चर्चा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) (2011-12) — *जारी*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : सभा अब मद संख्या 15 और 16 को एक साथ लेगी।

माननीय मंत्री।

[हिन्दी]

***श्री दद्दन मिश्रा** (श्रावस्ती) : माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के पहले आम बजट में उल्लिखित पूर्णत: जनहित को समर्पित प्रस्तावों की मैं प्रशंसा करता हूं एवं समर्थन करता हूं। भारत की जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया यह बजट निश्चित रूप से भारतीय जनमानस में खुशहाली लायेगा एवं देश के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगा। संतुलित एवं हर वर्ग तथा हर समाज को ध्यान में रखकर प्रस्तुत इस आम बजट के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती-बलरामपुर (उत्तर प्रदेश) में निम्न जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए संपन्न कराने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये:—

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नामक एक नई स्कीम का प्रस्ताव करते हुए इस प्रयोजन के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके सरकार ने किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा है। सिंचाई में सुधार आने से भारत का किसान खुशहाल होगा। मैं इसके लिए भी भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बलरामपुर-श्रावस्ती की भूमि बहुत उपजाऊ है, किन्तु सिंचाई के साधनों के अभाव में किसान उपजाऊ जमीन से फसल का लाभ नहीं ले पाते हैं। अत: मैं सरकार के माध्यम से भारत सरकार से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्कीम के तहत बलरामपुर-श्रावस्ती जिले में सिंचाई के साधन मुहैया करवाए जाएं। राप्ती कैनाल परियोजना की धीमी गति के कारण परियोजना की लागत निरंतर बढ़ती जा रही है, अत: परियोजना तीव्र गति से पूरी करवायी जाये।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

2. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के तहत मेरी मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के तहत श्रावस्ती में बौद्ध हवाई पट्टी का विस्तार करते हुए उसे इस तरह व्यवस्थित किया जाए कि छोटे और मझोले विमान आसानी से लैंड कर सकें और वहां से उड़ान भर सकें ताकि देश-विदेशों से आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल सके और पर्यटन का विकास हो।

3. सोहेलवा वन प्रभाग श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में समेट कर भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वन्य जीव विहार का क्षेत्र है, जहां वन्य जीवों का प्राकृतवास है। अत: दुधवा और कतर्निया की तरह सोहेलवा वन्य जीव विहार की नैसर्गिक छटा सैलानियों का स्वागत करने को तैयार है। बहते पहाड़ी नाले और शिवालिक पहाड़ियों का मनोरम दृश्य इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। बाघ, गुलदार, भालू, हिरन या फिर चीतल सभी जंगल में घूमते मिल जायेंगे। नेपाल की तलहटी से तराई के मैदानी इलाके तक फैला सोहेलवा वन प्रभाव को कुदरत से बेपनाह खूबसूरती की दौलत मिली है। सैलानियों की सुविधा के अनुरूप इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए टूरिज्म प्रोजेक्ट तैयार करके सोहेलवा वन प्रभा को राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाया जाए।

4. बलरामपुर जिले की पहचान जर्जर और खस्ताहाल सड़कों से होती है, बलरामपुर मुख्यालय को जोड़ने वाले सभी मुख्य मार्गों की हालत एक जैसी है। गोंडा से बलरामपुर मार्ग की कुल दूरी 42 किलोमीटर है, लेकिन इस दूरी को तय करने में घंटों लग जाते हैं। मार्ग की गिट्टियां जगह-जगह उखड़ी हैं। बलरामपुर उतरौला मार्ग सिद्धार्थनगर को जोड़ता है, इस सड़क की हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी है, इसे सीआरएफ के अंतर्गत सुधारने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

5. बलरामपुर तुलसीपुर रोड से बेलहा मोड़ से इटवा सिद्धार्थनगर जाने वाली सड़क की हालत अत्यंत खराब है। अत: सीआरएफ के अधीन चौड़ीकरण एवं उच्चीकृत कर कार्य सुनिश्चित किया जाए। बौद्ध परिपथ को एनएच के अधीन तुलसीपुर से आगे सिद्धार्थनगर तक बढ़ाया जाए।

6. बहराईच भिनगा रोड 4 लेन का बनाया जा रहा है, भिनगा से चौधरीडीह तक 2 लेन का कार्य चल रहा हैं चौधरीडीह से तुलसीपुर तक सीआरएफ योजना में जोड़ दिया जाए।

7. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत श्रावस्ती एवं बलरामपुर को सम्मिलित किया जाये। ये दोनों जिले अति पिछड़े हुए हैं। अत: इन जिलों में विद्युतीकरण से वंचित सभी गांवों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण सुनिश्चित करवाया जाये।

8. बलरामपुर पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और नाना जी देशमुख की कर्मभूमि रही है। गोरखपुर और लखनऊ के बीच कोई मेडिकल कॉलेज न होने से मध्य पूर्वांचल के लोगों को काफी असुविधा होती है। अत: हमारी मांग है कि आदरणीय अटल जी के नाम से एक मेडिकल कॉलेज बलरामपुर में स्थापित किया जाए।

श्रावस्ती की शिक्षा दर पूरे प्रदेश में न्यूनतम है। अत: मध्य पूर्वांचल के शैक्षिक विकास हेतु नानाजी के नाम से एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना श्रावस्ती में की जाए।

***श्रीमती संतोष अहलावत** (झुंझनू) : मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट की भूरपूर सराहना करती हूं। भारत में पिछले दो वर्षों से आर्थिक विकास दर 5% से भी कम रही, दूसरी और विश्व के विकसित देशों में आये आर्थिक संकट से बाहर निकलने की जो गति है वह धीमी है। वहीं भारत की जनता के विभिन्न वर्ग इन परिस्थितियों से भारत को बाहर निकालने में असफल रहे। पूर्व सरकार के कारण एक नयी सरकार को नई उम्मीद के साथ चुना है। एक तरफ तो खजाना खाली और दूसरी तरफ आम जनता की उम्मीदें। इस कठिन परिस्थिति में हमारे वित्त मंत्री जी ने जो आर्थिक कुशाग्रता का परिचय दिया है, इसलिये वे निश्चित ही प्रशंसा के पात्र हैं। यह बजट आगे भारत की अर्थव्यवस्था की क्या दिशा और दिशा रहेगी, कैसे सोयी अर्थव्यवस्था में गति आयेगी, रोज़गार निर्माण, गरीबी उन्मूलन, कमजोर वर्गों का उत्थान कैसे होगा। इन सबके लिये नीतियों का सूचक है। निश्चित रूप से यह बजट एक सकारात्मक शुरूआत है।

यह एनडीए सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देगी, लेकिन इसके प्रति नीतियां बहुत ही प्रगतिशील और नयी हैं। यह घरेलू उद्योग और व्यवसाय की पूरक होंगी, न कि एक प्रतिद्वंदी की भूमिका में होगी। भारत में एक "नियो-मिडिल क्लास" का उदय हुआ है, जो अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहती है और ये अभी हाल ही में गांवों से शहर को आये हैं। इसलिए एक सौ "स्मार्ट सिटी" को विकसित किया जायेगा। युवाओं में उद्धमशीलता विकसित करने हेतु बहुत-प्रवीणता (मल्टी स्किल्स) के कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

इस बजट में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए काफी सशक्त योजनायें हैं। इस बार महिला सुरक्षा, जो कि महिलाओं के लिए एक अहम्

जरूरत है। "सार्वजनिक सड़क परिवहन सुरक्षा" योजना और बड़े शहरों में "क्राईसिस मैनेजमेंट सेंटर" खोलने की योजना प्रशंसनीय है। बालिकाओं के प्रति समाज और परिवार की उदासीनता को दूर करना इस सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए "बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ" जैसे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। महिलाओं को आर्थिक प्रगति की मुख्य धारा में आने के लिए "जेंडर मेन स्ट्रीमिंग" कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।

भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक आत्मा संतुष्ट नही होगी, तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, गांवों की गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रम "आजीविका" वाटर शेड डेवलपमेंट कार्यक्रम, गांवों के शत-प्रतिशत घंटों के विद्युतीकरण के लिए "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" जैसे कार्यक्रम लागू किये जायेंगे। ये सारे कार्यक्रम नये रूप में, फलप्रद उत्पादक और उपयोगी बनाये जायेंगे। गांवों में सुरक्षित पेयजल और खासकर फ्लोराईड, आर्सेनिक जैसे प्रदूषकों से लड़ने के लिए सरकार ने अपना ध्यान आकृष्ट किया है। इसका मैं विशेष रूप से स्वागत करती हूं क्योंकि मेरा जिला झुंझनू इस समस्या से काफी प्रभावित है।

भारत की कुल जीडीपी का 1/6वां भाग कृषि से आता है और एनडीए सरकार इस बजट में कृषि के लिए अति महत्वाकांक्षी योजनायें लेकर आयी है। राजस्थान के लिए कृषि विश्वविद्यालय स्वागत योग्य कदम है। दूसरी ओर, हॉर्टीकल्चर विश्वविद्यालय का निर्माण भी स्वागत योग्य कदम है। कृषि को "ग्लोबल वार्मिंग" जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए "नेशनल एडपटेशन फंड" कृषि में 4% की वृद्धि का लक्ष्य द्वितीय हरित क्रांति को प्रोटीन क्रांति की ओर मोड़ना, "भूमिहीन किसानों" के लिए नाबार्ड द्वारा प्रायोजित "सेल्फ हेल्प ग्रुप" का निर्माण, आठ लाख करोड़ रुपए, कृषि ऋण के लिए देना सरकार का कृषि क्षेत्र हेतु लिया गया सराहनीय कदम है।

जैसा कि सर्वविदित है कि लघु उद्योग का साधारणत: मालिकाना हक दलित, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के पास है और सरकार ने इनके उत्थान के लिए बहुत सारे सराहनीय कदम उठाए हैं, जिनका मैं स्वागत करती हूं। इसमें उद्यमशीलता के विकास और नई कंपनी की शुरूआत के लिए 10,000 करोड़ का फंड मुहैया कराया है।

अब मैं राजस्थान को विशेष रूप से लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद करती हूं। "बन्धु कल्याण योजना" राज्य की जनजातियों के उत्थान के लिए उठाया गया एक सराहनीय कदम है। राजस्थान के लिए 500 करोड़ रुपए सौर ऊर्जा के विकास के लिए, अजमेर को हैरिटेज सिटी बनाने हेतु बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

अंत में, मैं अपने बजट संबंधी भाषण का समापन सरदार वल्लभ भाई पटेल के वचनों से करना चाहती हूं। वे भारत वर्ष के आदर्श पुरुष हैं और उनकी मूर्ति के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए इस बजट में भारत सरकार ने नियोजित किये हैं ताकि भारत की जनता भारत के उत्थान के लिए उनसे प्रोत्साहन ले। यह बजट उनके सपनों को साकार करने की ओर अग्रसर है। इस बजट ने भारत के प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा है और जो उनके इस कथन को साकार करता है कि:—

"मेरी एक इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई भूखा न हो, जो अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ हो।"

***श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत** (जोधपुर) : देश में तीन दशकों के बाद सशक्त जनादेश से बनी नरेन्द्र मोदी सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में पिछले तीन वर्षों से आर्थिक मंदी, मूल्य वृद्धि व अपूरणीय घाटे से जूझ रही अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि दर की ओर अग्रसर करने की एक सशक्त पहल की गयी है। इस बजट की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें किसानों, हस्तशिल्पियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, सैन्य बलों व अर्द्ध सैन्य बलों सहित देश के प्रत्येक छोटे व बड़े वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करने का अधिकतम प्रयास किया गया है। बजट में राजस्व संसाधनों की कमी के उपरांत भी राजकोषीय घाटे को 4.1 प्रतिशत पर रखकर सरकार ने आर्थिक व वित्तीय अनुशासन पर भी अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़तापूर्वक व्यक्त किया है। जबकि यूपीए के शासन में विगत तीन वर्षों में 2013-14, 2012-13 एवं 2011-12 में केन्द्र का राजकोषीय घाटा देश के सकल घरेलू उत्पाद का क्रमश: 4.5 प्रतिशत, 4.9 प्रतिशत व 5.7 प्रतिशत रहा है। इसलिये, यूपीए सरकार से विरासत में मिली ऐसी आर्थिक ह्रास एवं घाटे की अर्थव्यवस्था में मात्र डेढ़ माह में अचानक इससे अधिक कुछ कर लेना सहज नहीं था।

कर राहत : सामान्य मध्यम वर्ग को कभी-कभी आयकर की दरों में कटौती की अपेक्षा विशेष रहती है। वर्तमान में हमारे सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में देश का कर राजस्व अत्यंत न्यून होने एवं पिछले वर्ष की देयताओं को भी यूपीए सरकार द्वारा 2014-15 के लिए टाल देने से इस बार व्यय भार काफी था। तथापि, ऐसी परिस्थिति में भी आयकर सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर देने से छोटे आयकर दाताओं को पर्याप्त राहत मिली है। पब्लिक प्रोविडेन्ट फंड में भी कर मुक्त बचत की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर देने व अन्य भी कुछ और कर राहतों के फलस्वरूप प्रत्यक्ष करों से होने वाली आय में सरकार को लगभग

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

22,000 करोड़ रुपए की राजस्व में कमी आयेगी। लेकिन इससे बचत, निवेश व आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने में सहायता ही मिलेगी। प्रत्यक्ष करों में राहत की दृष्टि से सरकार द्वारा गृह ऋण पर चुकाये जाने वाले ब्याज की आयकर से कटौती हेतु सीमा 1.5 लाख उसे बढ़ाकर 2 लाख कर देने से जहां मध्यम वर्गीय लोगों को कर राहत मिलेगी, वहीं देश में आवास निर्माण व तत्संबंधी आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

औद्योगिक उत्पादन में गिरावट को रोकने की सशक्त पहल:— विगत चार वर्षों से देश में उत्पादक उद्योगों की वृद्धि दर में निरंतर गिरावट आ रही थी और वर्ष 2013-14 में उत्पादक उद्योगों की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गयी थी। उत्पादक उद्योगों में गिरावट का ऐसा दौर विगत 26 वर्षों में पहली बार आया है। ऐसे में बजट में औद्योगिक वृद्धि को पुन: गति देने के लिए जो अप्रत्यक्ष करो में राहत दी गयी है, उससे अवसंरचना क्षेत्र और उत्पादक उद्योगों के क्षेत्र में ही वृद्धि होगी। उत्पादक उद्योगों में लघु उद्योगों को दी गयी राहत से रोजगार संवर्द्धक लघु उद्योग विशेष लाभान्वित होंगे। किसी भी वर्ष में उत्पादन उद्योगों में नये संयंत्र व मशीनरी में 25 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली इकाइयों को 15 प्रतिशत की दर में निवेश भत्ता मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देगा। कई अन्य उद्योग श्रेणियों के लिए भी नये निवेश पर आयकर छूट दी गयी है। विद्युत उत्पादन, सम्प्रेषण और वितरण के क्षेत्र में दस वर्षीय कर अवकाश आगामी 31.03.2017 तक प्रदान करने के प्रस्ताव से देश ऊर्जा सुरक्षा की ओर बढ़ेगा। कुछ मामलों में घरेलू उत्पादन संवर्द्धन के लिए आदायों में जो सीमा शुल्क छूटें दी गयी हैं, उससे भी देश में कुछ और उद्योगों का विकास होने की अपेक्षा की जा सकती है। विगत वर्ष में चालू खाता घाटा चाहे सकल घरेलू उत्पाद के 2012-13 के 4. प्रतिशत के स्तर के दर से घटकर 1. 7 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। तथापि, सीमा शुल्क में कटौती में सावधानी की आवश्यकता है, वह सावधानी इस बजट में रखी गयी है। अनेक अध्ययनों से यह बात सामने आयी है कि पिछले दिनों काले धन को निर्यात आय के रूप में वापस लाने से चालू खाता घाटा में यह कमी आयी है।

कृषि संबंधी प्रमुख प्रावधान : किसानों को कृषि कार्यों के लिए संस्थागत ऋण प्राप्त करना एक प्रमुख समस्या रहती है। ऐसे में वर्ष 2014-15 में कृषि क्षेत्र के लिए 8 लाख करोड़ रुपए का कृषि क्षेत्र ऋण का लक्ष्य कृषि कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। सस्ता बैंक ऋण सुलभ होने से किसान सूदखोरों के चंगुल से मुक्त होगा। ये ऋण उनको 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध होगा। उसमें भी समय पर पुनर्भुगतान करने पर 3 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन या छूट मिलेगी। कृषि के लिए 7 प्रतिशत पर ऋण और उसे समय पर लौटाने की दशा में उसमें 3 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन किसानों को वित्तीय राहत देगा। किसानों के अतिरिक्त, भूमिहीन किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे किसानों के 5 लाख संयुक्त कृषि समूहों को नाबार्ड के माध्यम से धन की व्यवस्था एक अच्छी पहल है।

कृषि में घटते निवेश पर नियंत्रण की दृष्टि से और उस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि के साथ नाबार्ड में "दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण निधि" स्थापित करने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इससे बैंक किसानों को स्थायी विकास हेतु दीर्घावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। देश में ऋणग्रस्तता के कारण बड़ी संख्या में किसानों ने विगत वर्षों में आत्महत्याएं की हैं। संस्थागत ऋण के अभाव में ऊंची ब्याज दरों पर गैर सरकारी स्रोतों से लिये अल्पावधि ऋणों के कारण ही ऐसा हुआ है। इस दृष्टि से "अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि" के अंतर्गत 50,000 करोड़ के आबंटन से किसानों को उचित ब्याज दर पर समुचित अल्पावधि ऋण मिल सकेंगे। किसानों के तकनीकी ज्ञान में संवृद्धि और उन्हें आधुनिकतम तकनीकों आदि की समुचित जानकारी प्रदान करने और साथ ही जैविक कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्रदान करने के लिए किसानी टीवी के नाम से 100 करोड़ रुपए के कृषि चैनल की स्थापना भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

कृषि उपजों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण उनकी उपज का उन्हें सही दाम नहीं मिल पाता है। इस दृष्टि से कृषि उपज के मूल्यों में अस्थिरता दूर करने के लिए 5 सौ करोड़ रुपए की मूल्य स्थिरिकरण निधि की स्थापना से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलना संभव हो सकेगा। देश में देशी नस्ल का पशुधन आज विलोपन की ओर बढ़ रहा है। ऐसी दशा में बजट में देशी नस्ल के पशुधन के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि एक अच्छी पहल है। इसे देखते हुए लगता है कि सरकार इस दिशा में एक बड़ी पहल करने का मानस रखती है।

सभी वर्गों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास : विगत 3 वर्षों से संसाधनों के अभाव से जूझती अर्थव्यवस्था की विरासत प्राप्त होने पर भी केन्द्रीय बजट में समाज के सभी वर्गों के लिए संसाधनों के आबंटन व राहत के पर्याप्त प्रावधान इस बजट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति योजना के अंतर्गत 50,548 करोड़ रुपए व जनजाति योजना के अंतर्गत 32,387 करोड़ रुपए का प्रावधान के साथ ही अनुसूचित जाति के उद्यमिता संवर्द्धन हेतु 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान और वनबंधु कल्याण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन से एक सशक्त व नवीन पहल की गयी है। इसी क्रम में गांवों के शहरीकरण के लिए

व वहां नगरीय स्तर की नागरिक आधारित रचनाएं सुलभ कराने के लिए "श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरीकरण मिशन" के अधीन प्रस्तावित योजना गांवों में निवास करने वाले वर्ग को समुचित सुविधाएं प्रदान करेगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुलभ करने के लिए "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" के अंतर्गत घरों की आपूर्ति लाईनों के पृथककरण और बिजली की आपूर्ति में सुधार के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान, ग्रामीण परिवारों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की दिशा में प्रभावी प्रयास सिद्ध होगा और उन्हें वर्ष भर 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुलभ हो सकेगी। इसी प्रकार स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2019 तक प्रत्येक घर तक स्वच्छता (सेनिटेशन) की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व स्वच्छता के संवर्द्धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से ग्रामीण गृह योजना के अधीन, ग्रामीण गृह विस्तार हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 8 हजार करोड़ का अतिरिक्त आबंटन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 14 हजार 389 करोड़ रुपए के आबंटन, राष्ट्रीय ग्राम पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 36 सौ करोड़ के आबंटन से गांवों में निवासरत परिवारों को भारी राहत मिलेगी।

देश में बड़ी संख्या में शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार हैं, वही दूसरी और कौशल के अभाव में अनेक कार्यों के लिए हस्त-शिल्पी व कारीगर नहीं मिलते हैं। इस दृष्टि से देश की जनसंख्या के बड़े भाग को रोजगार में नियोजन योग्य बनाने के लिए "दक्ष भारत" के नाम से विभिन्न प्रकार के हस्त-शिल्पों यथा वैल्डिंग, सुथारी, जूता मरम्मत, भवन निर्माण कारीगर या राज मिस्त्री, लोहारी, बुनकर आदि का कौशल विकसित करने का जो राष्ट्रीय बहुदक्ष कार्यक्रम (मल्टी स्किल प्रोग्राम) प्रस्तावित किया है, वह देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगा। बुनकरों के लिए 50 करोड़ रुपए के प्रावधान, ग्रामीण स्वरोजगार के लिए "आजीविका" के नाम से महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमिता के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान नीरांचल के नाम से "जल संग्रहण परियोजना" के लिए 2,142 करोड़ रुपए का प्रावधान जैसी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आम व्यक्ति में स्वावलंबन विकसित कर अच्छा आर्थिक परिवर्तन आएगा।

मोदी सरकार के इस पहले बजट में महिला सुरक्षा पर 150 करोड़ रुपए का प्रावधान, पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट पर प्रायोगिक परीक्षण परियोजना पर 50 करोड़ का प्रावधान और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यों पर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, मातृशक्ति के प्रति परिवेदन क्षमता का परिचायक है। विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसरों की रचना के प्रस्ताव और दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि में मुद्रण और ब्रेल लिपि वाले करेंसी जैसे छोटे-छोटे वर्गों पर केन्द्रित योजनाएं, विभिन्न वर्गों को उचित राहत देने वाली सिद्ध होगी। लोक कल्याण की दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान पर 28,600 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पर 4,966 करोड़ रुपए के प्रावधान विद्यालयीन शिक्षा के स्तर में सुधार लाएंगे, वहीं 500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव वाला पं. मदन मोहन मालवीय नव अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षक गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 5 आईआईटी और 5 आईआईएम की स्थापना से ज्ञान आधारित क्षेत्रों में रोजगार के लिए जन संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी। नये अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थानों के प्रस्ताव और 12 नये मेडिकल कॉलेज भी मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देंगे। नदी जोड़ा परियोजना पर प्रतिवेदन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान अंतत: देश में नदी जोड़ने की क्रांतिकारी योजना के लिए नींव का पत्थर सिद्ध होगा।

रक्षा : वांछित प्राथमिकता : देश के चारों ओर बाह्य सुरक्षा संकटों को देखते हुए रक्षा पर 2 लाख 30 हजार करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ पिछले बजट की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि स्वागतयोग्य है। सैनिकों के लिए एक रेंक, एक पेंशन योजना जैसे प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान और रक्षा आधुनिकीकरण के लिए 5 हजार करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान सुरक्षा के प्रति सरकार की उच्च संवेदनशीलता का परिचायक है।

पर्यटन व संस्कृति : पर्यटन पर 500 करोड़ रुपए, तीर्थ स्थानों के विकास पर 100 करोड़, विरासत नगरी यथा मथुरा, अमृतसर, गया, कांचीपुरम आदि के लिए 200 करोड़ का प्रावधान, पुरातात्विक महत्व के स्थानों के विकास पर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान जैसे प्रस्ताव संस्कृति एवं पर्यटन के संवर्द्धन को बढ़ावा देने वाले हैं। पावन नदियों के संरक्षण, इनकी शुद्धता, घाटों के विकास, "नमामि गंगे" के अंतर्गत एकीकृत गंगा संरक्षण पर 2037 करोड़ का प्रावधान सभी धर्मप्राण राष्ट्रवासियों के लिए प्रसन्नतादायक है। घाटों के विकास के लिए अमरनाथ, केदारनाथ विभिन्न स्थानों पर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान की अच्छी पहल है। पूर्वोत्तर विकास हेतु मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, 12 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, कृषि अनुसंधान, नदी जोड़ो परियोजना पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान पूर्वोत्तर के लिए जैविक कृषि संवर्द्धन प्रस्ताव, रेल संयोजन, अरुण प्रभा जैसे टीवी चैनल का प्रावधान सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देंगे।

बजट में नये बंदरगाहों, विमान पत्तनों एवं राजमार्गों के विकास और आंतरिक नौवहन आदि अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर समुचित निवेश के प्रावधानों से भी निवेश व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

***योगी आदित्यनाथ** (गोरखपुर) : सन् 2014-15 का आम बजट जिसे माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा 10 जुलाई, 2014 को इस सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसके समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर गौर किया जाए तो देश के अंदर आम बजट प्रस्तुत करना किसी चुनौती से कम नहीं था और खास तौर पर जब खराब मानसून और ईराक संकट ने इस चुनौती को बढ़ा दिया हो।

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के सामने जहां महंगाई पर प्रभावी अंकुश लगाने की चुनौती है, तो वहीं वित्तीय घाटा कम करना और विकास दर को तेज करने की एक भारी चुनौती भी है। उस सबके बावजूद समाज के सभी तबकों का ध्यान रखते हुए एक विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को बधाई देता हूं। यह बजट न केवल वित्तीय घाटे को 4.1 प्रतिशत से कम करके 3.5 प्रतिशत तक लाने में सफल होगा, अपितु महंगाई पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में सफल होगा। आर्थिक सुधारों और सामाजिक सरकारों को एक साथ चला पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन दोनों मोर्चों पर अपना अचूक निशाना साधने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं। हमें विश्वास है कि सरकार इसमें संतुलन बनाने में सफल रहेगी। इस सरकार को ऐसे समय में देश की बागडोर मिली है, जब देश की आर्थिक स्थिति डावांडोल है। सकल घरेलू उत्पाद पिछले 2-3 वर्षों में 5 प्रतिशत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा है और इसी में खराब मानसून और ईराक संकट "कोढ़ में खाज" का काम कर पा रहा है। समिति विकल्पों में सावधानीपूर्वक महंगाई पर लगाम लगाते हुए वित्तीय घाटा कम करना अत्यंत आवश्यक है। बजट में इस प्रकार की सकारात्मक सोच स्पष्ट परिलक्षित होती है। अब तक नई सरकार ने जो कार्य संस्कृति विकसित की है, वह इसका उदाहरण है।

कर प्रक्रिया में सरलीकरण से राजस्व में बढ़ोतरी होगी, उद्योग एवं व्यापार में निवेश बढ़ेगा। इससे भी विकास में तेजी आएगी। बजट भाषण में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को लागू करने से भी उद्योग और व्यापार को जहां एक नई दिशा मिलेगी, वहीं निर्यात को भी गति मिलेगी। महंगाई से त्रस्त मध्यम आय वर्ग की परेशानी को ध्यान में रखकर आयकर में छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करना, धारा 80 सी के तहत बीमा प्रीमियम, पीपीएफ तथा पीएफ के लिए 1 लाख से छूट को बढ़ाकर 1.5 लाख करना, आवास ऋण में ब्याज की सीमा 1.5 लाख से 2 लाख करना महंगाई से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण कार्य करेगा। रोजगार कार्यालयों को युवाओं के कैरियर केन्द्र के रूप में बदलने और उनके लिए विशेष अवसर विकास केन्द्रों की स्थापना करना युवाओं के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। विनिर्माण क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु निवेश बढ़ाने की बात कही गई है। सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट, ऊर्जा, स्मार्ट सिटी विकास, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधा उपलब्ध कराने, आवासी और सामाजिक क्षेत्र के विकास तथा वित्तीय क्षेत्र में बचत आदि तमाम ऐसे प्रावधान हैं, जो अत्यंत आवश्यक एवं लाभदायक होंगे।

"प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" खेती की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के तमाम कार्यक्रम गांव से पलायन को रोकने में मददगार होंगे।

बजट भाषण में वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बीमा योजना की पुनर्बहाली, ईपी स्कीम से सभी अंशदाता सदस्यों से रुपए 1000 के प्रतिमाह का न्यूनतम पेंशन की सुविधा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए घोषित कार्यक्रम, दृष्टिबाधिक व्यक्तियों के लिए मुद्रा में चिन्हित करना तथा 15 नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना तथा 10 मौजूदा ब्रेल प्रेसों के आधुनिकीकरण की घोषणा इस सरकार के सामाजिक सरोकार को प्रदर्शित करता है तथा बजट भाषण में "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" की घोषणा, सभी बालिका विद्यालयों में शौचालय तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा सरकार के महिला सुरक्षा और उत्थान के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हैं।

सबके लिए स्वास्थ्य की घोषणा, देश के अंदर 4 नए आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसमें से एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी घोषित हुआ है, के लिए मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में मेरा आग्रह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए घोषित आयुर्विज्ञान संस्थान को गोरखपुर में स्थापित किया जाए।

अध्यापकों के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण हेतु पं. मदन मोहन मालवीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्ट कार्यक्रम की घोषणा तथा देश में 5 नए आईआईटी तथा 5 नए आईआईएम की घोषणा स्वागतयोग्य है। मौजूदा समय में देश के अंदर 13 राज्यों में आईआईएम हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तरखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, रायपुर तथा तमिलनाडु हैं तथा 15 राज्यों में आईआईटी हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में दो कानपुर और वाराणसी, उत्तराखंड में रुड़की, भुवनेश्वर, चैन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, इन्दौर, गांधीनगर, जोधपुर, खड़गपुर, मंडी, दिल्ली, मुंबई, पटना, रोपड़ है। आईआईटी, आईआईएम तथा एम्स जैसी संस्थाएं अगर इसी प्रकार देश के अंदर खुलती रहीं तो आने वाले समय में विश्वस्तरीय

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

संस्थानों की कमी नहीं रहेगी। इस संबंध में मेरा माननीय वित्त मंत्री से प्रस्ताव है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए भी एक आईआईटी और एक आईआईएम स्वीकृत किया जाए।

लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजना के लिए धनराशि का आवंटन स्वागतयोग्य है। इस प्रकार का प्रावधान अन्य 10 लाख की आबादी वाले नगरों के लिए भी किया जाना चाहिए और मेट्रो की सुविधा आस-पास के कस्बों तक पहुंचाई जानी चाहिए। इस सम्बंध में गोरखपुर महानगर को मेट्रो सुविधा से जोड़ने और उसे पिपराइच, भटहट, पीपीगंज, सहजनवां, बासगांव, कौड़ीराम, चौरी-चौरा तक विस्तार दिया जाए।

कृषि इस देश में सदैव से स्वावलंबन का एक आधार रहा है। आज़ादी के बाद कृषि क्षेत्र की हुई उपेक्षा के कारण किसान बदहाल हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का योगदान लागतार कम हुआ है। सन् 1950 में यह योगदान 50 प्रतिशत से अधिक था, आज यह मात्र 14 प्रतिशत रह गया है। कृषि के लिए पहली बार सरकार की संवेदना जागती हुई दिखाई दी। प्रत्येक किसान के लिए मृदा परीक्षण स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की घोषणा तथा 100 चलती-फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, असम और झारखंड में 2 उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना, 2 कृषि विश्वविद्यालय और 2 बागवानी विश्वविद्यालय की घोषणा, स्वदेशी पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए योजना की घोषणा करना तथा कृषि ऋण के लिए 8 लाख करोड़ रुपए की घोषणा स्वागतयोग्य है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।

देश के अंदर औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना, जिससे देश के अंदर औद्योगिक विकास का वातावरण बनेगा तथा रोज़गार के बेहतर सृजन भी होंगे और देश की विकास दर भी बढ़ेगी। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जल मार्ग का विकास, गंगा की अविरलता एवं निर्मलता के लिए "नमामि गंगे" के लिए धन का आबंटन, नदियों को जोड़ने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए धन का आबंटन स्वागतयोग्य है। कृषि के बाद देश में रोज़गार सृजन के लिए वस्त्र उद्योग दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तथा देश के अंदर 6 स्थानों पर हथकरघा क्लस्टर स्थापित करने के लिए धन का आबंटन स्वागतयोग्य है। "एक रैंक-एक पेंशन" को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए धन आबंटन, प्रिंसेस पार्क के लिए 100 करोड़ रुपए, युद्ध स्मारक के लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करना देश के सैनिकों का सम्मान है। पुलिस का आधुनिकीकरण आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा। कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास करने के लिए धन का आबंटन करना देश के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की विजय है तथा हिमालय जो हमारी उत्तर सीमा की सुरक्षा के साथ-साथ जैव विविधता का केन्द्र भी है, के लिए राष्ट्रीय हिमालयन अध्ययन केन्द्र की स्थापनाा स्वागतयोग्य है।

यूरिया और खाद्य सब्सिडी को न हटाकर सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। देश के अंदर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना तथा एक यूरिया नीति की घोषणा स्वागतयोग्य है। इस सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है कि भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की बंद गोरखपुर समेत सभी उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार किया जाए। इसके साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आम बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री अक्षय यादव** (फ़िरोज़ाबाद) : मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा 12 जुलाई को लोक सभा में आम बजट पेश किया गया यह बजट देश की आम जनता की उम्मीदों के विपरीत रहा। इस बजट में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य प्रदेश भी उपेक्षा के शिकार रहे। इस बजट में कोई भी स्थायी योजना उत्तर प्रदेश के लिए नहीं लायी गयी जैसा कि सभापति महोदय जो आपको अवगत होगा कि फिरोजाबाद जिला प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश के इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान रखता है। यहां कांच एवं चूड़ी का प्रमुख उद्योग है। और इसी कारण इसे इतिहास में सुहागनगरी के नाम से जाना जाता है। माननीय वित्त मंत्री साहब ने अपने बजट में कांच उद्योग की पूर्णतया उपेक्षा की गई है।

जैसाकि चुनाव में भाजपा द्वारा अनेक लोक-लुभावन नारे दिये गये थे, लेकिन यह सरकार भी पूर्ववर्ती सरकार की तरह केवल वादे तक ही सीमित रह गयी। माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करते समय ऐसी किसी भी स्थायी योजना की बात नहीं कि जिसे जनता की उम्मीदें थी। देश की जनता नयी सरकार को नया सबेरा के रूप में देख रही थी, लेकिन परिणाम इसके ठीक विपरीत रहा।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इस बजट में किसानों की समस्या के साथ-साथ, शिक्षा, उद्योग आदि की भी अपेक्षा की गयी। बजट 2014-15 आम आदमी के ऊपर बोझ साबित हो रहा है। क्योंकि इस बजट में किसी भी दीर्घकालीन योजना की बात माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा नहीं की गयी है।

इस आम बजट में माननीय मंत्री जी द्वारा सामाजिक ढांचे के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों की भी उपेक्षा की गयी, इस सरकार ने केवल पूंजीपतियों के फायदे को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने इस बजट में क्या ऐसा कोई प्रावधान किया है जिससे जनता का भी भला हो सके।

***श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया** (राजकोट): सर्वप्रथम मैं भारत के वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने भारत की जनता के हितों की रक्षा करने वाला दूरदर्शी एवं विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री के सम्मुख अनेक चुनौतियां थीं। देश

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की विकास दर 5 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर तक पहुंच चुकी थी, जबकि मुद्रास्फीति की दर द्विअंकी बन चुकी थी। इसके अलावा बेरोज़गारी, बुनियादी सुविधाओं की कमी, कमजोर आधारभूत संरचना एवं गरीबी जैसे प्रश्नों ने भारत के अर्थव्यवस्था को अत्यंत विकट स्थिति में धकेल दिया था। ऐसे समय में वित्त मंत्री ने समग्रतापूर्ण दृष्टि वाला बजट प्रस्तुत करके भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने की पहल की है। वित्त मंत्री ने देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति से जुड़े हुए विषयों का समावेश अपने बजट में किया है और बढ़ रही महंगाई से देश के प्रत्येक नागरिक को सहूलियत देने का प्रयास किया है। सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को प्राधान्य दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की घोषणा की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रम ज्योति योजना और मार्ग निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 14,389 करोड़ रुपए की रकम का आबंटन किया गया है। महिलाओं के स्व-सहाय समूहों को 4 प्रतिशत की दर से ऋण देने का प्रावधान किया गया है। ऐसा होने से महिला सशक्तिकरण और महिलाओं द्वारा संचालित ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा की है। इस प्रकार भारत के शहर अधिक स्वच्छ, सहूलियत पूर्ण एवं रहने योग्य बनेंगे। इसके अलावा सरकार ने भारत के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सरकार का यह निर्णय प्रशंसनीय है। सरकार ने निर्णय लिया है कि 2019 तक देश के प्रत्येक घर को मूलभूत सेनिटेशन सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने 12 नये मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा एम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाकर केवल 6 महीनों में कुपोषण से लड़ने की सरकार ने प्रतिबद्धता व्यक्त की हैं शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान के लिए 28635 करोड़ रुपए एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 4166 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ऐसा होने से भारत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होगा। इस बजट में वित्त मंत्री ने कृषि, खाद्य सुरक्षा, उद्योग, सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल इत्यादि अनेक क्षेत्रों में अपनी दीर्घादृष्टि द्वारा विकास की संभावनाओं का आकलन करके उसे वास्तविक स्वरूप प्रदत्त करने की दिशा में अनेक प्रावधान किये हैं। वित्त मंत्री द्वारा किये गये प्रावधानों का सम्मान करने के साथ-साथ मैं यहां अपने कुछ नम्र सुझाव देना चाहता हूं।

इस वर्ष कम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर ऐसा हुआ तो खाद्यान्न के उत्पादन में भी कमी आएगी। ऐसी स्थिति में सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि देश में खाद्यान्न की उपलब्धता पर कोई विपरीत असर न पहुंचे एवं खाद्यान्न के दामों में वृद्धि न हो।

सरकार ने एनएचआरएम के तहत एक सर्वव्यापक बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है। जब भी इस प्रकार की योजना अस्तित्व में आए तो यह सुनिश्चि किया जाए कि इसके तहत गरीबों को मुफ्त में दवाई एवं चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए।

एनडीए की सरकार ने देशभर में पक्की सड़कें बनवाने के लिए निर्णय लिया है। मेरी यह गुज़ारिश है कि देश की सभी बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाए, जिससे कि समग्र देश में परिवहन सरल और सुलभ बन सके।

अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो राजकोट जिला उद्योग क्षेत्र में संपूर्ण भारत में अग्रसर है। राजकोट, सौराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शहर है। धार्मिक एवं अध्यामिक क्षेत्रों में सौराष्ट्र का स्थान प्रमुख है। यही कारण हे कि सौराष्ट्र को वायु मार्ग से दिल्ली से जोड़ा जाए। सौराष्ट्र के 2 करोड़ और राजकोट के 25 लाख लोगों की ओर से मैं आपसे विनती करता हूं कि राज़कोट और दिल्ली के बीच में एयर इंडिया की विमान सेवा तुरंत शुरू की जाए।

वर्ष 2012-13 के दौरान किये गये मूंगफली और कपास के दावों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वर्ष 2012 में 48262 हैक्टेयर क्षेत्र में मूंगफली बोयी गयी थी। इस संबंध में बीमा एजेंसियों ने प्रीमियम भी वसूल कर लिया था, किन्तु अब तक फाईनल सेंटलमेंट हो नहीं पाया है। यह बात अत्यंत गंभीर हैं, क्योंकि किसान अत्यंत विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। मेरी मांग है कि इन किसानों को तुरंत ही बीमे की रकम चुकायी जाए।

सरकार ने बजट में देश के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति का ध्यान रखा है। लोगों ने इस बजट को प्रेमपूर्वक अपनाया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सरकार अपना लक्ष्य प्राप्त करेगी और देश को विकास के उच्च क्षितिज तक ले जाएगी।

***श्री देवजी एम. पटेल** (जालौर) : वर्ष 2014-15 का केन्द्रीय बजट भारत के चहुंमुखी विकास की आधारशिला है। भारत की जनता ने एक भारत-श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए अपना मत दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के जनमानस ने पूर्ण बहुमत दिया है, जो पिछले 30 वर्षों का रिकॉड तोड़ दिया है। सारे विश्लेषण सर्वे राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियों को नकारते हुए जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। आज भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। देश का युवा परिवर्तन चाहता है। भारत का युवा विकास चाहता है, उसने विकास को वोट किया है। आज का युवा ग्लोबल विलेज की कल्पनाओं को साकार करना चाहता है। इस दिशा में यह बजट निर्णायक बजट है। यह बजट रोज़गार सृजन मजबूत, आधारभूत संरचना सुशशसन की दिशा को आगे ले जाने वाला है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भाजपा शासन का यह पहला बजट है। यह बजट पूर्णत: भारतीय संस्कृति पर आधारित है। यह बजट चाणक्य के सिद्धांतों पर चलने वाला है, जो यह बताता है कि शासन को जहां सबकी चिंता करनी चाहिए, वहीं करो का संग्रह उस प्रकार से करना चाहिए जैसे सूर्य समुद्र से जितना पानी वाष्प के रूप में लेता, उसे वर्षा के रूप में धरती को वापस कर देता। इसी प्रकार शासन को भी जनता से कर संग्रह करना चाहिए। बिना अतिरिक्त बोझ दिये, यह बजट किसान, गरीब, भूमिहीन, मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, युवा, बुजुर्ग एवं ग्रामीण भारत के हितों को प्राथमिकता देने वाला है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत 2014-15 का यह बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा घोषित सबका साथ-साथ विश्वास नारे के प्रति प्रतिबद्धता का कार्य रूप है। यह बजट देश के कोने-कोने को विकास से जोड़ने वाला है। इस बजट से भारत उन ऊंचाईयों को हासिल कर सकता है, जिनका भारत सही में हकदार है। यह बजट आने वाले वर्षों में भारत को विश्व में शक्ति केन्द्र बनाने की यात्रा का पहला चरण है।

राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होने से राज्य में कृषि के क्षेत्र में क्रांति आयेगी। यह राज्य के हित में उठाया गया क्रांतिकारी कदम हैं वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब खेती के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम होगी। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम के नारे को भाजपा की सरकार ने साकार करने का प्रयास किया है। आज देश में कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1/6 को योगदान देती है तथा हमारी जनसंख्या का मुख्य हिस्सा जीविका के लिए इसी पर निर्भर है। कृषि को लाभप्रद बनाने के लिए इसे तकनीक से जोड़ने की जरूरत है। वर्तमान में कृषि को व्यवसायिक बनाने के लिए आधारभूत संरचना, आधुनिकीकरण सरकारी व निजी दोनों प्रकार के निवेश बढ़ाये जाने की तत्काल जरूरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, पूसा इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि देश में आज़ादी के बाद इस तरह के संस्थान और नहीं स्थापित किय गये। हमारी सरकार ने पहले ही बजट में ऐसी दो संस्था स्थाापित करने का निर्णय लिया है। यह किसानों के हित में उठाया गया स्वागतयोग्य कदम है। किसानों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल का समय होता है, जब उसके उपज को उचित मूल्य नहीं मिलता है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जहां किसान अपने उत्पादन का मूल्य तय नहीं करता है, बल्कि खरीददार की फसल का मूल्य तय करता है। इस मूल्य की अस्थिरता से किसानों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित करने के लिए 500 करोड़ की राशि की व्यवस्था की है। किसानों का साथी होता है पशु, जिससे किसान खेती करता है और खेती के काम में लेता है। पशुपालन करके वह अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करता है। गौ-पालन से किसान अपने परिवार का पोषण करता है। इस प्रकार पशुपालन खेती की रीढ़ है। भारत के वातावरण में विदेशी नस्ल की गाये बहुत उपयोगी नहीं होती हैं। अत: हमारी सरकार ने देशी पशु नस्लों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड रखा है। इसी के साथ मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर नीली क्रांति की शुरुआत करने जा रही है। किसानों की दूसरी बड़ी समस्या होती है भंडारण की। भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को अपना अनाज़ ओने-पोने दाम पर बेचना पड़ता है, जिसके कारण हमारे किसानों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़े हैं। यह सुन मुझे अत्यधिक पीड़ा होती है। जब हमारे अन्नदाता ही भूखे रहेंगे तो इस देश का क्या होगा। इस समस्या को देखते हुए हमारी सरकार ने कृषि ऋण, अल्पावधिक फसल ऋण, ग्रामीण संरचना के विकास के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण निधि, अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण उत्पादक विकास और उत्थान निधि, भूमिहीन किसनों के लिए संयुक्त कृषि समूहों के लिए 5 लाख के धन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। नई खेती तकनीकों जैसे — जल संरक्षण, जैविक खेती आदि संबंधित विषयों पर वास्तविक समय सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए किसान टी.वी. शुरू करने जा रहे हैं। इस तरह हमारी सरकार की प्रथम प्रथमिकता है किसान। अन्नदाता सुखी भव नारे के साथ मैं अपनी सरकार की ओर से किसानों को आश्वस्त करता हूं कि कृषि में 4 प्रतिशत विकास दर बनाये रखने के लिए वचनबद्ध हैं।

100 स्मार्ट सिटी के लिए 7060 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर भारत विश्वस्तरीय शहरीकरण की ओर बढ़ेगा। सभी के लिए स्वास्थ्य के तहत नि:शुल्क दावा सेवा और नि:शुल्क जांच सेवा प्रदान करना इस बजट की प्राथमिकता है। वित्त मंत्री जी द्वारा एम्स जैसे 4 नये संस्थान खोलने की घोषणा अत्यंत सराहनीय है। ग्रामीण भारत में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 15 मॉडल एवं रिसर्च सेंटर स्थापित करेगी, जो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्यय संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान करेंगे।

पंडित मदन मोहन मालवीय न्यू टीचर प्रोग्राम की शुरुआत हुई हैं पांच नये आईआईटी और पांच नये आइआईएम की स्थापना गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा युवाओं के सपनों को सरकार करेगी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत से गांव ब्रॉडबैंड से जुड़े जायेंगे। राष्ट्रीय इंटरनेट एवं तकनीकी मिशन भी शुरू किया जायेगा। सबके लिए वर्ष 2022 तक सरकार सबके लिए घर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने जहां होम लोन पर टैक्स में छूट दिया है, वहीं नेशनल हाउसिंग बैंक को 4000 करोड़ भी उपलब्ध कराये हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं में रोज़गार उन्मुखता एवं उद्यमिता एवं उद्यमिता विकास के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। यह योजना

पारम्परिक व्यवस्थाओं को भी प्रशिक्षण देगा। शारीरिक रूप से नि:शक्तजनों के लिए संस्थानों में सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, ताकि उनको समान अवसर मिल सकें।

'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत बालिकाओं के लिए विशेष योजना का प्रावधान है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किये गये। इस बजट में आधारभूत संरचना पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

सड़क परिवहन के साथ-साथ शिपिंग और नये एयरपोर्ट भी विकसित होगें। गंगा नदी पर जलमार्ग का विकास करना है। यातायात एवं परिवहन की दृष्टि से ये परियोजनाएं भारत को आधारभूत संरचना के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनायेगी। बजट में पांच पर्यटन सर्किट बनाने के निर्णय से रोज़गार सृजन से युवाओं को काम मिल सकेगा।

वन रैंक-वन पेंशन से सैन्य बल आधुनिकीकरण एवं मेमोरियल की स्थापना के प्रावधान से भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा होगा और देश की सुरक्षा मजबूत होगी।

नदियों को जोड़ने की योजना की शुरुआत से देश में सूखा और बाढ़ की समस्या से निज़ात मिलेगी। हमारी सरकार महत्वपूर्ण खेलों के लिए देश के विभिन्न गांवों में राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमी बनायेगी। वह अकादमी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से पूर्ण होंगी।

यह बजट उद्योग जगत से लेकर गांवों के किसान, युवाओं, महिलाओं के हित में बनाया गया है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

***श्रीमती ज्योति धुर्वे** (बैतूल) : माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 2014-15 निश्चित रूप से अत्यंत प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। गत कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में अत्याधिक गिरावट देखी गई है। जो उपाय वित्त मंत्री जी ने घोषित किए हैं, वे मुद्रास्फीति के निम्न स्तर, निम्न राजकोषीय घाटे एवं नियंत्रणीय चालु खाता घाटे सहित आर्थिक स्थायित्व के साथ-साथ अगले तीन चार वर्षों में 7-8 प्रतिशत की वृद्धिदर बनाए रखने की शुरुआत है। जब उच्च वृद्धि अनिवार्य है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लोगों की अपेक्षाएं काफी अधिक है इसलिए हम और प्रतिबद्ध होकर मजबूत भारत के सृजन में कोई कसर नहीं रखेंगे। हमें अच्छी तरह याद रखना होगा कि वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद दर 5.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 से 4.9 प्रतिशत एवं वर्ष 2013-14 में 4.5 प्रतिशत की गिरावट अधिक राजस्व जुटा कर नहीं बल्कि व्यय में कटौती करके प्राप्त की गई थी। व्यय में कटौती करके राजस्व घाटे को कम करना समस्या का समाधान नहीं है। अत: मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार "सबका साथ सबका विकास" का ध्यान रखकर इस समस्या का उचित समाधान करेंगे। राजकोषीय घाटे को कम करने का जो रोड़मैप है, वर्ष 2015-16 में 3.6 प्रतिशत एवं वर्ष 2016-17 में 3 प्रतिशत पर लाना अत्यंत सराहनीय कदम है। आपने अनुसूचित जातियों/जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करने का जो भरोसा दिलाया है उससे निश्चित रूप से इनका जीवन और सुखमय होगा। आपका राज्यों को वस्तुत एवं सेवाकर (जीएसटी) के बारे में आश्वस्त किया जाना अति उत्तम कदम है। आपका निवेशक समुदाय को आश्वस्त किया जाना और उनको यह समझाना कि हम ऐसी स्थायी और भावी कराधान योजना की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है जो निवेशकों के अनुकूल और विकास प्रेरक होगी। इससे निश्चित रूप से भारतीय एवं विदेशी निवेशक समुदाय हमारे एक प्रशासन पर विश्वास करेगा और देश के विकास में भागीदार होगा। साथ ही साथ आपके प्रशासनिक और कानूनी कदलाव करने के फैसले से चार लाख करोड़ से अधिक कर की मांग संबंधित मामले न्यायालयों में विचाराधीन है। इससे करदाताओं के मुकदमों संबंधित चिंताओं का समाधान निकलेगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था भी तेजी से विकसित होगी।

स्मार्ट शहरों के निवास का खर्चा जो नव-मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग को आवास के साथ-साथ समस्त शहरी व्यवस्था प्रदान करेगा और इसके निर्माण के तीन वर्ष के लॉक इन के चलते एफडीआई के लिए क्षेत्र और पूंजी की अपेक्षा को क्रमश: 50 हजार वर्गमीटर से घटाकर 20 हजार वर्गमीटर क्षेत्र तथा 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर से घटाकर 5 मिलियन डॉलर करने से स्मार्ट शहरों के निर्माण में तेजी आएगी। वित्त मंत्री जी का सुझाव है कि हमारी बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इससे सरकार खुदर शेयरों की बिक्री से धन जुटाएगी जिससे वित्तीय स्थिरता निश्चित आ पाएगी। सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) को पूंजीगत निवेश के जरिए 247,941 करोड़ रुपए की धनराशि देने से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अधिक सृजन एवं स्थिर होंगे। इसके अतिरिक्त स्मार्ट शहर का निर्माण, ई-वीजा से देश के नागरिकों को आसान एवं अत्यधिक सुविधा मिलने जा रही है। किसान विकास पत्र से बैंक बचतों में निवेश करने वाले लोगों को अधिक बढ़ावा मिलेगा। दक्ष भारत युवाओं और गरीबों के उद्यम कौशल को और अधिक बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से मानसून पर निर्भरता में कमी आएगी जिससे किसानों को लाभ निश्चित रूप से मिलेगा।

वर्तमान सरकार अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु इनके युवा उद्यमियों को आईएफसीआई द्वारा ऋण उपलब्ध कराने से उनको अधिक स्वाबलंबी बनाया जा सकेगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को पुर्नजीवित करने का प्रयास एवं प्रस्ताव सराहनीय है। विकलांग एव दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी प्रोत्साहन की योजना बनी है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना से बेटियों के प्रति कुछ लोगों की उदासीनता समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। मनरेगा से लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सोच प्रशंसनीय है।

वित्त मंत्री जी की सोच 'सबके लिए स्वास्थ्य' तथा इस हेतु नि:शुल्क औषधि सेवा के शुरू किए जाने के स्वस्थ भारत की परिकल्पना की जा सकती है। डिजीटल भारत का सपना गांव एवं शहर की दूरी कम करेगा। सूक्ष्म, मझौले, मध्यम उद्यम क्षेत्रों के विकास से कमजोर तबके के लोगों को लाभ मिलना स्वभाविक है। माननीय वित्त मंत्री जी ने विद्युत उत्पादन को बढ़ाने हेतु इस बजट में जोर दिया है तथा कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए उनके सुझाव स्वागत योग्य है। इस बजट में देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गय है तथा इसके साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। आंतरिक सुरक्षा हेतु बजट को 2013-14 की तुलना में बढ़ोत्तरी किए जाने से पुलिस बलों के प्रोत्साहन में बढ़ोत्तरी होगी, नदियों को जोड़ने से सिंचाई तथा पेयजल की समस्याओं से निदान मिलेगा। गंगा संरक्षण घाटों का विकास सराहनीय योजनाएं है। खेल के प्रति पिछली सरकार का रवैया उदासीन रहा है। वित्त मंत्री जी योजनाओं से देश में खेल को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही खिलाड़ी अधिक प्रोत्साहित होंगे।

पिछली यूपीए सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी में जो टैक्स के रूप में पचास लाख करोड़ का अतिरिक्त भार हम पर पड़ा है, उसे लौटाना पड़ेगा। आज विदेशी वस्तुओं का सबसे बड़ा बाजार भारत है तथा खरीददार भी भारत है। आज भी हम 70 प्रतिशत माल विदेशों से खरीदते हैं, चाहे फीटलाइजर हो, तेल हो या पॉवर लिंकेज हो। यह हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं जिसकी बदौलत हम देश का ढांचा बनाए रखते हैं। यह हमारी 70 प्रतिशत मूल खरीददारी है। वर्तमान सरकार की सोच है कि थोड़ी पूंजी, आय अधिक। हम टेक्नोलोजी (तकनीकी) क्षेत्र में भारत को उभारना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसी के माध्यम से जो आज कहीं न कहीं टेक्नोलोजी में विदेशी नियंत्रण में है, इसी तकनीकी को हम आगे ले जाकर भारत का नियंत्रण करवाना चाहते हैं, इसी हेतु वित्त मंत्री जी ने बजट में डिफेंस में 49 प्रतिशत एफडीआई का प्रस्ताव किया है जो स्वागत योग्य है। यह कैसे हो कि हम गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति एवं मध्यम वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचने की क्षमता हो जो सौ फीसदी तक होने का इरादा रखते हैं।

आज हमारा होल्डिंग कैपिटल 51 फीसदी है, इसे 90 से 100 फीसदी तक पहुंचाने की सोच माननीय वित्त मंत्री जी की है जो महत्वकांक्षी सोच है। नई योजना कैसे बने इसके लिए मूल सोशल सेक्टर को बदलने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सोशल सेक्टर से जितना लाभ गरीब, पिछले, दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी तथा रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठेगा तथा देश की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। विगत 10 वर्षों में उत्पादन कम होने के कारण कहीं ना कहीं इसका प्रभाव लोगों एवं युवाओं की नौकरी पर पड़ा, उसकी आमदनी पर पड़ा, टैक्स पर भी प्रभाव पड़ा। मध्यम वर्ग ऐसा वर्ग है जो लंबी सोच और भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश करता है, उसकी सोच को हमारे वित्त मंत्री जी ने उनको 100 प्रतिशत इन्सेन्टीव देने का साहसिक निर्णय किया है। वित्त मंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने हेतु तथा भारत को संपूर्ण रूप से विकसित करने हेतु आने वाले निवेशकों के कर में छूट का प्रावधान रखा है। आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा पावर और एनजी जेनरेट हो तथा देश के संपूर्ण विकास में सहायक हो। बजट प्रस्ताव में मैन्युफेक्चरिंग क्षेत्र में जो ड्यूटी लगाई जाती थी, उसको कम करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को कम करने का निर्णय साहसिक एवं सरकार क सराहनीय कदम है। इस बचत के माध्यम से वह अपने घर का सपना देख सकता है, पढ़ने का सपना देख सकता है तथा ब्याज के फायदे उठा सकता है। ईएमआई के माध्यम से आवासी ऋण को कम किया गया है तथा 0 प्रतिशत पर करने की संभावन भी मंत्री जी ने जताई है। यूपीएए सरकार में 14 प्रतिशत की दर से हाउसिंग लोन होने के कारण आम व्यक्ति के घर का सपना 10 वर्षों में पूरा नहीं हुआ।

अत: वर्ष 2014-15 का बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अत्यंत प्रशंसनीय एवं स्वागत योग्य है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री की सोच की पूरी तरह देखा जा सकता है।

***श्री रामसिंह राठवा** (छोटा उदयपुर) : भारतीय लोकतांत्रिक शासन के 67 साल के इतिहास की एक अविरल और विलक्षण घटना है। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत के साथ राजग की गठबंधन सरकार। श्री नरेन्द्र मोदी जी के अच्छे दिनों की और सुशासन के शुभारंभ की घटना निश्चित ही शुभ और श्रेयस्कर है। जिस तरह से हमारा गुजरात, हमार इसलिए की मैं गुजरात के छोटा उदयपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं। गुजरात एक सबसे सफल, सबसे धनी, सबसे उन्नत और शांतिपूर्ण राज्य हैं पूरे राज्य को श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री के रूप में तीन कार्यकालों में इन स्थितियों तक पहुंचाया है। अब वही सफलता, वह शांति, वही आर्थिक विकास, वही उन्नति और वही जन-जन के उन्नयन का स्वप्न सम्पूर्ण राष्ट्र में चरितार्थ होते हुए देखेंगे। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

नि:स्वार्थ व्यक्तित्व, अपने ओजस्वी कर्मों, अपने निश्छल प्रेम और उन्नत भारत के स्वप्न के द्वारा करोड़ों लोगों का दिल जीतकर एक आशा और विश्वास का वातावरण बनाया है। वे कर्मठ एवं जीवट वाले व्यक्तित्व है, जिनके नेतृत्व में संपूर्ण भारत उन्नति के नये शिखरों पर आरूढ़ होने को तत्पर है। इसकी आहट हाल ही में प्रस्तुत रेल बजट और आम बजट में सुनाई दी है। आम बजट ने देश की जनता के हृदय में आशा की उम्मीदें जागृत की है। मेरी दृष्टि में चरमरायी हुई अर्थव्यवस्था के लिए यह बजट अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी के लिए एक संजीवनी और सर्वोदय के रूप में आया है। यह बजट भारत को संकट से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध एवं आश्वस्त है। यह गरीबों तथा समाज के वंचित तबको के लिए उम्मीद की एक किरण है। मेरा विश्वास है कि यह बजट भारत को न केवल तरक्की की नई ऊंचाईयों पर पहुंचायेगा बल्कि सरकार के उद्देश्यों से विश्व में भारत की एक अलग छवि का निर्माण होगा।

वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली जी ने हज़ारों करोड़ रुपयों का प्रावधान 100 स्मार्ट शहरों, गंगा नदी परियोजना, खेल विश्वविद्यालय, पूर्ण स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एम्स, आईआईएम, कृषि के लिए बुनियादी ढांचे के लिए कोष, मदरसों का आधुनिकीकरण, तकनीकी दिवस कोष, मौसम सुधार का बुनियादी ढांचा, युद्ध स्मारक और युद्ध संग्रहालय, मथुरा और आगरा जैसे शहरों की विरासत सुरक्षित रखने और नदियों को जोड़ने आदि के लिए किया है। यहां इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि एनडीए सरकार को देश की अर्थव्यवस्था बेहद ही खराब हालत में मिली है। यद्यपि सरकार सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन इस बात की संभावना है कि मौजूदा आर्थिक हालात और खराब मानसून नई सरकार को ऐसा करने की अनुमति न दे। इस परिदृश्य में भी नई सरकार अगले तीन-चार वर्षों में 7-8 प्रतिशत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प रखती है, जिसके लिए अधिक संसाधनों को पैदा करने की जरूरत है। यद्यपि 4.1 प्रतिशत के राजस्व घाटे का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। इस परिप्रेक्ष्य में खर्चों पर नज़र रखने के लिए व्यय प्रबंधन आयोग का गठन किया जाएगा और सब्सिडी की पूरी तरह समीक्षा की जाएगी। खासतौर पर खाद्य और तेल सब्सिडी की समीक्षा होगी। कश्मीरी शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। इन कदमों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ये फिलहाल प्रारंभिक कदम हैं और दिशापूर्ण भी हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।

बजट में रक्षा के लिए 2.29 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है और बीमा तथा रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। श्री अरुण जेटली जी का यह पहला बजट है, जो पूरी तरह से संतुलित है। उसका फोकस 100 स्मार्ट शहरों, विदेशी निवेश, सब्सिडी प्रबंधन आदि पर है। यह प्रशसंकीय है। आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि वित्तीय अनुशासनहीनता की बुराईयों की अर्थव्यवस्था समाप्त होगी और समाज के सभी वर्गों, खासतौर पर भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित होगा।

विचारों और सामग्री से भरा यह एक मिला-जुला बजट है जिसमें एनडीए सरकार की मंशा और दिशा अच्छी दिखाई देती है। यह उम्मीदों से भरा बजट है। करों की दरें नीचे करने और टैक्स का दायरा बढ़ाना, राजस्व एकत्र करने के लिए प्रगतिशी कदम है, जिससे उद्योगों के विकास के लिए टैक्स प्रेरक माहौल बनेगा। अब समय आ गया है कि बाह्य दबावों से अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से बचाकर पिछले दो सालों के विपरीत भारत की विकास दर को गति दी जाए। यद्यपि कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भविष्य के बजटों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत होगी। राज्यों को ई-प्रणाली स्थापित करने और उसने बनाए रखने में सहायता करने के साथ ही ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन भाजपा की नई सरकार से यह उम्मीद करना कि वह एक ही महीने में ठोस योजनाओं के साथ आगे आ जाये या सभी समस्याओं को तुरंत हल कर दें तो यह खुद को भुलावे में रखने जैसा होगा।

देश ने 67 सालों में जितना विकास करना चाहिए था, उतना विकास नहीं हो पाया। अब अवसर सामने है और इसके शुभ संकेत इस बजट में दिखाई देते हैं। यदि निवेशकों (घरेलू या विदेशी) का विश्वास भी बहाल हो जाए तो आधी समस्या तो यूं ही हल हो जाएगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यह बजट सरकार में समाज के सभी वर्गों का विश्वास बहाल करेगा।

दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थॉमस पेन ने कहा था— "हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम विश्व को पुन: आरंभ कर सकते हैं।" मैं यहां विश्व को पुन: आरंभ करने की बात नहीं कहूंगा, लेकिन यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का विकास और अभ्युत्थान निश्चित ही आरंभ हो चुका है। गांधी और नेहरू के बाद राष्ट्रीय नेताओं के कदम छोटे होते गए और परछाईयां बड़ी होती गई। आज की तीव्रता से बदलते समय में हमें अपनी और राष्ट्रीय जीवन प्रणाली की रचना करनी है। लोकतंत्र श्रेष्ठ प्रणाली है पर संचालन में शुद्धता और पवित्रता हो, जनभावना लोकतंत्र की भावना होती है, लोक सुरक्षित रहेगा तभी तंत्र सुरक्षित रहेगा।

मुझे विश्वास है कि श्री मोदी जी के नेतृत्व में लोक मंगल होगा और लोकतंत्र को शुद्ध साँस मिलेगी। लोक जीवन और लोकतंत्र की अस्मिता को गौरव देने के शुभ दिन आ गए हैं। आओ मिलकर देश को तरक्की की ओर अग्रसर करें।

***श्री राम कृपाल यादव** (पाटलीपुत्र) : मैं आम बजट 2014 का समर्थन करता हूं। पहली बार किसी भी सरकार ने इतना संतुलित बजट पेश किया है। इसमें समाज के सभी वर्गों एवं देश के सभी राज्यों का ख्याल रखा गया है। कह सकते हैं कि यह पूरे देश का बजट है।

बिहार में आईआईएम खोलने का भागलपुर में टेक्सटाईल मेगा क्लस्टर के प्रस्ताव की घोषणा का स्वागत करता हूं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। 89 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। यहां भूमिहीन किसानों की काफी संख्या है। बिना भू-स्वामित्व के उनको बैंकों से लोन नहीं मिलता है। जिसके कारण वे ऊंचे ब्याज दर पर बाज़ार से लोन लेते हैं और कर्ज के चंगुल में फंस जाते हैं। इससे बचाने के लिए नाबार्ड द्वारा भूमिहीन किसान के संयुक्त कृषि समूहों को 5 लाख के धन की व्यवस्था के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना मील का पत्थर साबित होगी।

बिहार में भंडारण की क्षमता नहीं होने के कारण कृषि उत्पादन काफी बर्बाद होता है। पूरे देश में वैज्ञानिक भंडारागार के ग्रामीण के लिए 5000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जिससे किसानों का काफी फायदा होगा और उनकी आर्थिक उन्नति होगी।

अल्पसंख्यक समाज के लोग अपनी जीविका उपार्जन के लिए पुश्तैनी कला पर निर्भर हैं। उनकी इस कला को जीवित रखने और उसमें वैज्ञानिक तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कौशल एवं प्रशिक्षण संवर्द्धन हेतु कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा का स्वागत करता हूं। साथ ही मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि के आवंटन का भी स्वागत करता हूं।

प्रधानमंत्री जी का देश में स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना है, उससे देश में विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। वित्त मंत्री जी ने 100 स्मार्ट सिटी के निर्माण की घोषणा की है। मेरी मांग है कि बिहार में अधिक से अधिक स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जाये। बिहार में शहरीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी है। वहां मात्र 11 प्रतिशत की शहरीकरण है। इस योजना से सभी सेक्टरों के विकास में तेजी आयेगी।

मैं बिहार के विकास के लिए इसे विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करता हूं। बिहारवासियों का मानना है कि जब तक बिहार के 10 करोड़ 38 लाख लोगों का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास पूरी तरह संभव नहीं है। उत्तरी बिहार बाढ़ से तो दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित रहता है। नदियों को जोड़ने की योजना में बिहार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पड़ोसी देश नेपाल से प्रत्येक साल बिहार को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। अगर भारत सरकार इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या मान कर पहल करे तो बिजली का भी उत्पादन होगा और बिहार बाढ़ से भी बचेगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बिहार में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि बुद्ध सर्किट के विकास की घोषणा से पर्यटन उद्योग को गति मिलेगी। जैन सर्किट और सूफी सर्किट की भी अपार संभावनाएं हैं। इस ओर ध्यान दिया जाये।

बिहार में बिजली की भारी समस्या है। बरौनी, कांटी, बाढ़, नवीनगर, पीरपैंती बिजली परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराया जाये। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। मुजफ्फरपुर में लीची उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रसंस्करण यूनिट का निर्माण कराया जाये। पटना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाये।

पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का निर्माण कराया जाये, यहां कारगो की भी सुविधा हो। बिहार में गया और मोतिहारी में प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण में तेजी लायी जाये। पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाये। बिहार में नये इंजीनियरिंग, मेडिकल और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के फोर लेनिंग का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। एनएचडीपी के अंतर्गत स्वीकृत सभी योजनाओं को जल्द पूरा करने की दिशा में गंभीर प्रयास किये जाये।

***श्री सुनील कुमार सिंह** (चतरा) : माननीय वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट पर बहस में कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा वर्ष 2014-15 का केन्द्रीय बजट भारत के चतुर्दिक विकास की आधारशिला है। भारत की जनता ने परिवर्तन के लिए निर्णायक मत दिया है। यह बजट परिवर्तन की दिशा में उत्प्रेरक होगा। इससे रोजगार सृजन, सुदृढ़ आधारभूत संरचना और सुशासन की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। गरीबी उन्मूलन की दिशा में यह निर्णायक बजट है।

भाजपा शासन का यह प्रथम बजट कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में प्रतिपादित सिद्धांतों का मूर्तरूप है, जो यह बताता है कि शासन को जहां सबकी चिंता करनी चाहिए, वहीं करों के संग्रहण में मधुमक्खी जिस तरह हर पुष्प से बिना उसको क्षति पहुंचाये शहद का संग्रहण करती है, उसी प्रकार शासन को भी जनता से कर संग्रहण करना चाहिए। साथ ही यह बजट गरीब, किसान, भूमिहीन, मज़दूर, पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति, महिला, युवा, बुजुर्ग एवं ग्रामीण भारत के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर विकास के अंतिम कतार पर बैठे व्यक्ति के उत्थान के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता का साकार रूप है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत 2014-15 का यह बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा घोषित– "सबका साथ-सबका विकास" नारे के प्रति प्रतिबद्धता का कार्यरूप है। यह बजट आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक शक्ति का केन्द्र बनाने की यात्रा का प्रारंभिक चरण है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री जोसेफ स्टिगलित्ज का यह कहना है कि किसी देश की प्रगति का आंकलन उसके जीडीपी के वृद्धि दर से नहीं होता है। बल्कि उस देश का जनसाधारण कितना खुश है, उससे होता है। यह कसौटी पर यह बजट जीडीपी के वृद्धि दर से आगे भारत को खुशहाल बनाने की दिशा में मील का पत्थर है। यह से जीडीएच (सकल घरेलू खुशहाली) की दिशा में कदम बढ़ाने की शुरुआत है।

इस केन्द्रीय बजट ने पहली बार चुनावी घोषणा पत्र में किये गये वादों को साकार करने का साहस किया है। जनता ने जिस एजेंडा को भारी समर्थन देकर भाजपा को शासन की बागडोर सौंपी है, उसको पूरा करने का संकल्प दिखता है इस बजट में। इसमें प्रमुख उदाहरण क्रमशः ये हैं– भाजपा के घोषणा पत्र में महंगाई की रोकथाम के लिए कीमतें स्थिर करने के लिए कोष का गठन, टैक्स की प्रक्रिया को सरल और तर्कसंगत बनाना, पर्यटन को बढ़ावा, महिला सशक्तीकरण, रोज़गार रहित विकास का अंत, आईटी सेक्टर का विकास, बुनियादी ढांचा निर्माण, कृषि को प्रोत्साहन, पूर्वोत्तर और हिमालयन राज्यों का विकास, पवित्र नदी गंगा और नदियों का संरक्षण, नए शहर इत्यादि प्रमुख है। भविष्य में अन्य दलों पर यह दबाव होगा कि वे अपने घोषणा-पत्र में सोच-समझकर संतुलित बनाये और उस पर अमल करे।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि के क्षेत्र में युगान्तकारी परिवर्तन का वाहक होगी। खेती के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम होगी।

झारखंड जैसे प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना से खेती को बढ़ावा मिलेगा। कृषि में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर बनाये रखने की प्रतिबद्धता के साथ ही कहा गया है कि द्वितीय हरित क्रांति लायेंगे और "प्रोटीन क्रांति" के क्षेत्रों पर ध्यान देंगे। प्रोटीन क्रांति से तात्पर्य दलहन की खेती से है। माननीय जेटली जी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए बताना चाहूंगा कि चतरा लोक सभा के अंतर्गत पड़ने वाले जिले चतरा, लातेहार और पलामू दलहन उत्पादन का क्षेत्र है। सरकारों की उपेक्षा से दलहन की खेती मृत्यु के कगार पर है। अगर इस क्षेत्र के किसानों को प्रोत्साहन और समर्थन प्राप्त हुआ तो देश को दाल के आयात के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और हमारी विदेशी पूंजी अक्षण्णु बनी रहेगा। खेती को बढ़ावा मिलने के चलते गांव और गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। 100 नई मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खुलने से किसानों को लाभ होगा। "भूमिहीन किसान योजना" के तहत ऋण की उपलब्धता से भूमिहीन किसानों को लाभ होगा। "मूल्य स्थिरीकरण कोष" के निर्माण से कृषि उत्पाद का सही दाम मिलने में किसानों को सुविधा होगी।

भारतीय पशु नस्ल विकास एवं मत्स्य विकास के लिए परियोजना की शुरुआत से ग्रामीण क्षेत्रों की आय वृद्धि होगी। कृषि ऋण पर ब्याज दर घटाने से किसान को लाभ होगा।

भंडारण संरक्षण कोष कृषि उत्पादन को बचाने में सहायक होगा। नई यूरिया नीति बनाने से किसान को राहत मिलेगी। किसान टीवी कृषि संबंधित आधुनिक व वैज्ञानिक जानकारियां किसानों तक पहुंचाने में लाभकारी सिद्ध होगा।

"श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू-आर्बन" ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की भांति नागरिक संरचना एवं उनसे संबंधित सेवाएं शुरू कर ग्रामीण जीवन स्तर को शहरों के समकक्ष बनायेंगे। "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाधित बिजली हर घर को उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। "स्वच्छ भारत अभियान" ग्रामीण भारत को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त करेगा। "प्रधानमंत्री, ग्राम सड़क योजना", "आजीविका एनआरएलएम, वाटर शेड प्रबंधन, पंचायती राज, स्वच्छ पीने का पानी" इन मदों में बजट की वृद्धि ग्रामीण भारत की उन्नति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आदिवासी कल्याण के लिए "वन बंधु कल्याण योजना" झारखंड जैसे राज्य में आदिवासियों के जीवन स्तर में गुणवत्ता परिवर्तन लायेगा। अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु बजट में भारी वृद्धि के साथ ही उनके लिए उद्यमिता विकास के लिए राशि उपलब्ध कराने से देश में नये माध्यम वर्ग में उनकी सहभागिता बढ़ेगी।

100 स्मार्ट सिटी के लिए 7060 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर भारत विश्व स्तरीय शहरीकरण की ओर बढ़ेगा। "सभी के लिए स्वास्थ्य" के तहत निःशुल्क दवा सेवा और निःशुल्क जांच सेवा प्रदान करना इस बजट की प्राथमिकता है। वित्त मंत्री जी द्वारा एम्स जैसे 4 नये संस्थान खोलने की घोषणा अत्यंत सराहनीय है। आने वाले वर्षों में भारत सरकार झारखंड सहित सभी राज्यों में एम्स के समान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगी। ग्रामीण भारत में बेहतर स्वाथ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 15 मॉडल एवं रिसर्च सेंटर स्थापित करेगी जो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान करेंगे।

पंडित मदन मोहन मालवीय न्यू टीचर प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। पांच नये आईआईटी और पांच नये आईआईएम की स्थापना गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा युवाओं के सपनों को साकार करने में सक्षम होगी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत से गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ जायेंग। राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट एवं तकनीकी मिशन की शुरुआत गांवों और स्कूलों में

होगी। गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोगाम शुरू किया जायेगा। सबके लिए घर वर्ष 2022 तक सरकार सबके लिए घर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने जहां होम लोन पर टैक्स में छूट दिया है, वहीं नेशनल हाउसिंग बैंक को 4000 करोड़ रुपए भी उपलब्ध कराये हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं में रोज़गार उन्मुखता एवं उद्यमिता विकास के लिए "स्किल इंडिया प्रोग्राम" शुरू किया जा रहा है। यह योजना पारंपरिक व्यवस्थाओं को भी प्रशिक्षण देगा। शारीरिक रूप से नि:शक्तजनों के लिए विशेष संस्थानों एवं सुविधाओं का प्रावधान किया गया है ताकि उनको समान अवसर मिल सकें।

"बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" योजना के तहत बालिकाओं के लिए विशेष योजना का प्रावधान है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। इस बजट में आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान दिय गया। सड़क परिवहन के साथ-साथ शिपिंग और नये एयरपोर्ट भी विकसित होंगे। गंगा नदी पर "जल मार्ग विकास" योजना इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किमी. दूरी का बनेगा। जो छह वर्षों में पूरा होगा, जिसकी लागत 4200 करोड़ रुपए होगी। यातयात एवं परिवहन की दृष्टि से ये परियोजनाएं भारत को आधारभूत संरचना के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनायेंगी। वहीं बिजली, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के द्वारा खनिज की रॉयल्टी दरों में संशोधन किये जाने के आश्वासन से झारखंड को विशेष फायदा होगा। झारखंड प्रदेश अपने खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन की मांग वर्षों से करता आ रहा है।

बजट में पांच पर्यटन सर्किट बनाने के निर्णय से झारखंड राज्य को जहां पर्यटकों से अतिरिक्त राजस्व एवं आय की प्राप्ति होगी, वही रोज़गार सृजन के माध्यम से युवाओं को काम मिल सकेगा। इस योजना का लाभ झारखंड में स्थित ज्योर्तिलिंग, वैद्यनाथ धाम (देवघर) इठकोरी, कालेश्वरी (हंटरगंज), मधुबन, पारसनाथ, जीवाश्म पार्क सहित झारखंड के अन्य पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी।

"वन रैंक-वन पेंशन" सैन्य बल आधुनिकीकरण एवं वार मेमोरियल की स्थापना के प्रावधान से भारतीय सेना का मनोबल ऊंगा होगा और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। वहीं दूसरी ओर आंतरिक सुरक्षा के लिए बजट प्रावधान बढ़ाने से पूरे देश में अमन चैन व शांति स्थापित करना आसान होगा। "राष्ट्रीय पुलिस स्मारक" के निर्माण से पुलिस बल के मनोबल में वृद्धि होगी। पुलिस आतंकवाद, उग्रवाद आदि की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी।

हिमालयन प्रदेशों एवं पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए खेलों के प्रोत्साहन के लिए विशेष योजना बनाई गई है। अरुण प्रभा योजना पूर्वोत्तर भारत के लिए चालू की जायेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऑर्गेनिक खेती के लिए विशेष सुविधा दी जायेगी।

नदियों को जोड़ने की योजना की शुरूआत से देश में सूखा और बाढ़ की समस्या से निज़ात मिलेगी। विस्थापित कश्मीरियों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भारत की एकात्मकता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। युवाओं के लिए यंग लीडरशिप प्रोग्राम चलाया जायेगा। युवाओं के लिए रोज़गाररहित विकास की अब तक की अवधारणा को समाप्त कर रोजगारोन्मुख विकास हेतु शुरुआत हुई है। सरकार महत्वपूर्ण खेलों के लिए देश में विभिन्न गांवों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अकादमी बनायेगी। यह अकादमी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से पूर्ण होगी।

टैक्स को तर्कसंगत बनाने के लिए टैक्स नीति में सुधार कर उसे आसान बनाना, अप्रत्यक्ष हस्तांतरण की श्रेणी में 2012 में हुई पिछली तारीख से संशोधन से संबंधित मामलों की जांच के लिए सीबीडीटी की सहमति से उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति का प्रावधान है। वरिष्ट नागरिकों को टैक्स छूट की सीमा 2.50 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की गई है, जबकि नि:शक्त और विकलंगों की सुविधा व कल्याण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इस साल के अंत तक पूरे देश में जीएसटी लागू हो जायेगा। व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर दो लाख पचास हज़ार कर दी गयी है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो लाख पचास हज़ार रुपए से बढ़ाकर तीन लाख कर दी गयी है। 80सी में छूट 1 लाख से 1.5 लाख कर दी गयी है। हाउसिंग लोन में छूट 1.5 लाख से दो लाख कर दी गयी है। करों के भुगतान को लेकर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। इसके लिए प्रत्यक्ष करों से संबंधित विधायी एवं प्रशासनिक परिवर्तन की घोषणा किये जाने के लिए वित्त मंत्री जी धन्यवाद के पात्र है। इससे सामान्यजनों को लाभ पहुंचेगा। एक्साइज व कस्टम ड्यूटी में छूट देकर भारतीय उद्योग व निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। भारतीय उद्योग जगत वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा।

चतरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड का चतरा, लोतहार जिला और पलामू जिले का एक विधान सभा क्षेत्र आता है। यह पूरा क्षेत्र विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा और उपेक्षित रहा है। सर्वविदित है कि झारखंड के ये तीनों जिले अतिउग्रवादी गतिविधियों के लिए चिन्हित क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से देश के विकास की गति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इस क्षेत्र में कोयला, एल्यूमिनियम, बॉक्साईट, डोलामाईट एवं अन्य खनिज संपदा है। वन उपज

और कृषि उपज विशेषकर दलहन उत्पादन की दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक सौन्दर्य एवं मानव संसाधन की दृष्टि से यह क्षेत्र देश के उन्नत क्षेत्रों के समकक्ष है, परंतु आज तक विकास की जो दिशाहीन यात्रा रही, उसके कारण यह क्षेत्र आज भी आजादी से पूर्व की स्थिाति में ही खड़ा है। इसे प्रतीक्षा है कि एक ऐसे विकास पुरुष और एक ऐसी सरकार का जो राजनैतिक दबाव समूहों से परे आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों के उपलब्धता के अनुरूप देश के तभी क्षेत्रों का एक रूप विकास कर सकें। अत: आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाने की कृपा करें कि विकास के अंतिम कतार में बैठे व्यक्ति और क्षेत्र तक पहुंचना हमारी सरकार का लक्ष्य है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि हम भारतीय वित्त प्रबंधन की भारतीय शैली को विकसित करें। हम जीडीएच (सकल घरेलू खुशहाली) को मापने की नई पद्धति की शुरुआत करें। हमें अपना "तीसरा पथ" (Third Way) आर्थिक विकास के लिए विकसित करना होगा। जिसकी शुरुआत आपने इस बजट से की है।

माननीय वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तावित यह बजट जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित "एकात्म मानव दर्शन" के केन्द्र बिन्दु विकास की अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति के उदय के प्रति प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर अपने विभिन्न बजटीय प्रावधानों से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संकल्पना को भी साकार करता है। भारत को ग्लोबल पॉवर और एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में हमारा अभियान माननीय नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में "सबका साथ-सबका विकास" मंत्र के साथ परम वैभव के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ हो गया है। यह बजट उसी दिशा में प्रारंभिक चरण है।

अंत में कहना चाहता हूं कि--

"कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता।
एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो।।"

***श्री पशुपति नाथ सिंह** (धनबाद) : सर्वप्रथम मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं कि देश की विषम आर्थिक परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निदेशन में भारत वर्ष के लोगों का दिल जीतने वाला बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट की प्रशंसा देश के प्रत्येक गरीब, किसान, व्यापारी, मेहनतकश, मजदूर, उद्यमी, व्यापारी, बुजुर्ग, विकलांग, वुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग तथा आम लोगों ने की है।

यूपीए सरकार ने भारत का विकास अस्थिर, असंतुलित, असमन्वित तथा अप्रोत्साहित कर दिया था। जिसका कारण भारत के लोगों की कई तस्वीर बन गईं। आज़ादी के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार चली, लेकिन लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो पाया। क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता गया। लुभावने नारे देकर लोगों के वोट लेती रही। कभी गरीबी हटाने के नाम पर तो कभी श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद टुअर होने के नाम पर, कभी अमेरिका से न्यूक्लियर समझौता के नाम पर, कभी एक सौ दिन में महंगाई घटा देने के नाम पर तो कभी आम लोगों की बात जैसे लुभावने नारे देती रही। देश की आर्थिक संतुलन की स्थिति यह है कि देश में किसी प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय 40 हजार प्रति व्यक्ति है तो किसी राज्य में 2 लाख रुपये हैं। बाजार एक है, वस्तुओं के दाम देश में एक है, लेकिन आमदनी भिन्न है।

भारत में कृषि योग्य भूमि का 64 प्रतिशत मानसून पर निर्भर करता है, सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं है। वर्तमान बजट में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का निर्णय लेकर वित्त मंत्री जी ने देश और किसान के हित में बड़ा निर्णय लिया है।

मध्यम वर्ग को आयकर में 50 हज़ार रुपये का स्लेब बढ़ाकर तथा बुजुर्गों के लिए 3 लाख की सीमा कर काफी आशीर्वाद लिया है। मध्यम वर्ग के लोगों को होम लोन के ब्याज पर आयकर में छूट, सोलर लाइट को सस्ता, गरीब के जूते, मोबाइल आदि जैसी वस्तुओं को सस्ता कर गरीब का हृदय जीतने का काम किया है। अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करना बहुत बड़ा कदम है। गरीबों के घर में बिजली, शुद्ध पेयजल, छात्राओं के लिए विद्यालय में पानी, शौचालय की व्यवस्था, गरीबों के लिए दीनदयाल आवास योजना, शहरों के विकास के लिए योजना जैसे अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं।

मैं धनबाद लोक सभा क्षेत्र, जो झारखंड राज्य में आता है। इसकी समस्याओं की और वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

धनबाद जिले में सिन्दरी का खाद कारखाना बंद पड़ा है। यह स्थान दामोदर नदी के किनारे है तथा मुश्किल से 2 किमी. पर कोयला का अपार भंडार है। जमीन की कमी नहीं है। आधाभूत संरचनायें काफी सुदृढ़ है। पिछली यूपीए की सरकार ने अपने कैबिनेट मीटिंग में यहां सेल के द्वारा स्टील प्लांट खोलने के लिए 34 हजार करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी, लेकिन दो वर्ष हो गये इसमें कोई प्रगति नहीं हुई।

मेरे संसदीय क्षेत्र के बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण हेतु 2006 में बोकारो जाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शिलान्यास किया, लेकिन आज तक यह कार्य संपन्न नहीं हो पाया। मेरे क्षेत्र में मिथेन गैसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसके स्थनीय उपयोग हेतु कोई नीति नहीं बन पाई।

झारखंड में 42 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। धनबाद में एशिया का प्रतिष्ठित माइनिंग कॉलेज इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, जिसे वर्षों से आईआईटी का दर्जा देने हेतु मांग की जा रही है। सरकार इस पर ध्यान देकर आईआईटी का दर्जा दे।

माननीय वित्त मंत्री जी झारखंड की बहुतायत भूमि खदानों में चली जाती है। आपने रॉयल्टी के दर को पुन: निर्धारण करने की बात कहकर झारखंड के लोगों में नई आशा जगाई है, इसके लिए आपके प्रति आभारी हूं। आपने झारखंड में हॉर्टीकल्चर युनिवर्सिटी देकर इस राज्य के सम्मान को बढ़ाया है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री शिवकुमार उदासि** (हावेरी) : संघ बजट 2014-15 पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका अत्यधिक आभारी हूं।

माननीय वित्त मंत्री ने जिन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना है उन्हें वरीयता क्षेत्र बनाकर बिल्कुल ठीक किया है। यह वस्तुत: संतोषजनक है कि कृषि भी एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे इस बजट में विधिवत महत्ता प्रदान की गई है।

इसमें यह माना गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली समस्याओं की प्रकृति आकारीय है। इस बजट ने रक्षा, बीमा, आवास और शिक्षा में नीति सुधारों को गति प्रदान की है।

देश में करोड़ों करदाताओं हेतु एक स्वागतयोग्य कदम वित्त मंत्री द्वारा सभी श्रेणियों में निजी आयकर छूट सीमा को 50000 रुपए बढ़ाना था। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तिगत करदाता जिनकी आय 2.5 लाख रुपए तक है अब उन्हें आयकर देने से छूट प्राप्त होगी, जबकि पहले यह सीमा 2 लाख रुपए थी। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के मामले में छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है; जोकि विद्यमान 2.5 लाख रुपए से अधिक है।

कर छूट सीमा को बढ़ाया गया है, कर दूर हेतु बचत सीमा में 50% वृद्धि की गई है, मध्यम वर्ग पसंदीदा लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) में जमाओं हेतु उच्चतम सीमा को 50% बढ़ाया गया है और इनमें थोड़ी बेहतर स्थिति वाले लोगों के लिए आवास ऋणों पर कर से छूट प्राप्त ब्याज भुगतान राशि में वृद्धि है। परिवार बचतों को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत निवेशों हेतु छूट सीमा में वृद्धि की घोषणा की है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विदेशी और घरेलू पूंजी को उनकी आशाओं के अनुरूप "बड़ी खुशखबरियां" प्राप्त नहीं हुई होंगी परंतु उनके लिए बजट 2014 में अनेक अच्छी बातें हैं। विदेशी पूंजी के लिए रक्षा उत्पादन और बीमा क्षेत्रों को और अधिक खोलने और रियल एस्टेट निवेश हेतु मानकों में ढील देने का निर्णय लिया गया है। देश में स्थित विदेशी संस्थागत निवेशकों हेतु यह निर्णय लिया गया है कि पूंजी लाभ को व्यापार आय माना जाए। भारत में कार्यकर रही सभी विदेशी कंपनियों हेतु भूतलक्षी कराधान पर भारतीय कानूनों को प्रयुक्त करते समय अधिक सावधानी बरते जाने का वादा किया गया है।

यह बजट कृषक समुदाय हेतु सही दिशा में है। कृषि वृद्धि लक्ष्य 4% निर्धारित किया गया है। कृषि प्रौद्योगिकी विकास में सरकारी और निजी निवेश दोनों को बढ़ाने तथा विद्यमान कृषि-व्यापार अवसंरचना के निर्माण और आधुनिकीकरण की तात्कालिक आवश्यकता है। हमारी सरकार राज्य सरकारों के साथ निजी बाजारों की स्थापना हेतु, इनके संबंधित एपीएमसी अधिनियमों को पुन: तैयार करने हेतु मिलकर से कार्य करेगी।

यह बजट प्रत्येक किसान को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगा ताकि उर्वरक प्रयोग में किसी असंतुलन की जांच की जा सके और सचल जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा सके। वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई में सुधार के लिए एक नई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गई। संघ बजट ने ग्रामीण ऋण के लिए 2014-15 के दौरान न केवल 8 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है, बल्कि 5000 करोड़ रुपए की भांडागार अवसंरचना निधि की भी स्थापना की है।

उत्पादन से वितरण और विपणन तक मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ कर बजट ने अनेक मूलभूत चिन्ताओं का निवारण किया है। राष्ट्रीय बाजारों उत्पादक संगठनों का निर्माण और उत्पाद छूट, कृषि को अधिक लाभकारी और बाजारोन्मुखी बनाने के लिए उठाए गए स्वागतयोज्य कदम हैं। खाद्य कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए बजट ने 500 करोड़ रुपए की कीमत-स्थिरीकरण निधि घोषित की है। बजट ने खाद्य क्षेत्र में सुधार के लिए वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता को पुन: दोहराया है। एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) का पुनर्गठन, परिवहन और वितरण हानि को कम करना तथा पीडीएस (लोक वितरण प्रणाली) की प्रभावकारिता को वरीयता दिया जाना स्वागतयोज्य है।

यह बजट 24 घंटे बिजली के लिए एक विशिष्ट योजना है। विद्युत, आर्थिक विकास हेतु एक अहम आगम है और हमारी सरकार सभी घरों को 24×7 अबाधित विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उप-पारेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिए फीडर पृथकीकरण हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की जाएगी। फीडर विसंयोजन और

संवितरित सौर उत्पादन संबंधी प्रस्तावों से ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार आएगा।

इस बजट में रोजगार संबंधी उपलब्धता के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए नियोजनालयों को रोजगार केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करने हेतु 100 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है। इन केन्द्रों पर युवाओं को उनकी प्रतिभा और योग्यता के अनुसार बेहतर रोजगार के संबंध में परामर्श सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

इस बजट में शिक्षित और कुशल जनशक्ति द्वारा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उनकी महत्ता को रेखांकित किया गया है और सरकार ने उत्पाद पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए शिक्षा को गुणवत्ता प्रेरित क्षेत्र बनाने हेतु कदम उठाए हैं। यह संकेत है कि सरकार का हमारे युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता के समाधान का इरादा है।

एफडीआई को लाए जाने से छोटी परियोजनाओं को भी सस्ती पूंजी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा जिससे कम लागत और किफायती आवास परियोजनाओं की गुणवत्ता और आपूर्ति में सुधार होगा। औद्योगिक गलियारों के विकास के समन्वयन के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा प्राधिकरण की स्थापना की घोषणा, जिसके तहत स्मार्ट शहरों को परिवहन व्यवस्था के साथ जोड़ा जाना है, से देश में भूमि से जुड़े क्षेत्रों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

19 इंच से कम आकार वाले एलसीडी और एलईडी पर सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से कम कर शून्य करने से स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण में निवेश को बढ़ावा देने से भारत में निर्माण आधार को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यह सरकार द्वारा उठाया गया एक समझदारी भरा कदम है। शुल्क में रियायत देने से एसएमई (लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र में टीवी का निर्माण पुन: शुरू करने और रोजगार के अवसरों के सृजन में सहायता मिलेगी।

इस बजट में सड़क निर्माण कार्य को त्वरित मोड में डाला गया है। चालू वित्तीय वर्ष में सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में बजटीय सहायता को 13.48 प्रतिशत बढ़ाकर 28,881 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बजट दस्तावेज के अनुसार, कुल योजनागत परिव्यय 37,881 करोड़ रुपए है। जिसमें आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं जिसमें वित्त मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के प्रतिदिन 23 किमी. सड़क/राजमार्ग के निर्माण के रोडमैप का समर्थन कर रहे हैं। एनएचएआई में प्रस्तावित निधि निवेश और औद्योगिक गलियारे के विकास के साथ समन्वय स्थापित कर चयनित एक्सप्रेसवे पर कार्य करने के प्रस्ताव से यह विजन संवर्धित हुआ है।

सरकार की ऊर्जा सुरक्षा संबंधी योजना में देश में "ऊर्जा क्रांति" लाने के लिए कोयला, गैस, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा सहित सौर ऊर्जा, बायोमास और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का दोहन करना शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं एवं संवितरण परियोजनाओं व लोड केन्द्रों तक हरित ऊर्जा गलियारों को जोड़ने वाली पारेषण लाइनों के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा में संवर्धन करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र के प्रस्ताव सकारात्मक संकेत हैं। इस बजट में स्वच्छ ऊर्जा पर सरकार का फोकस समग्र है और इसलिए यह सही दिशा में उठाया गया एक कदम है जिससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षित करने, सशक्त बनाने और इन्हें सुरक्षा प्रदान करने एवं लिंग समानता के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बालिकाओं की दशा सुधारने के लिए प्रस्तावित बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ योजना का लक्ष्य भारत में लिंग समानता के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए जागरुकता बढ़ाना और अभियान पर ध्यान केन्द्रित करना है। बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ योजना के लिए कुल 100 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। संवेदनशील बनाने की यह प्रक्रिया यथाशीघ्र होनी चाहिए और इसलिए विद्यालय पाठ्यक्रम में लिंग समानता पर एक पृथक अध्याय अवश्य होना चाहिए। सरकार बालिकाओं के कल्याण को सबसे अधिक महत्व देती है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री राजकुमार सैनी** (कुरुक्षेत्र) : मैं राजकुमार सैनी प्रथम बार इस सदन में लोक सभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र से चुनकर आया हूं। मुझे बजट चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिला इसे लिए मैं इस महान सदन के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

दूसरा धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी जी का करता हूं जिनकी वजह से पूरे विश्व में भारत के प्रजातंत्र को गौरवपूर्ण दृष्टि से देखा व सराहा गया।

तीसरा धन्यवाद मैं धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की जनता का करना चाहूंगा, जिस धरती से मैं चुनकर आया हूं, जहां प्राचीनकाल में महाभारत का युद्ध हुआ और अन्याय पर न्याय की जीत हुई। आज फिर वहां के लोगों ने देश के इतने बड़े उद्योगपति, पूंजीपति व कोयला चोर के खिलाफ मुझे जिताया मैं कुरुक्षेत्र की जनता को शत् शत् नमन करता हूं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इंसान को जिंदा रहने हेतु रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है। अच्छे जीवन-यापन हेतु बिजली, पानी, सड़क की जरूरत है। अच्छे बौद्धिक विकास हेतु शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत है और सुरक्षा और शांति से जीने हेतु आंतरिक व बाहरी सुरक्षा की जरूरत है। हमारे वित्त मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा चहुमुंखी विकास करने वे रोज़गार के साधन जुटाने वाला बजट पेश किया है। जिसमें हर वर्ग से जुड़ी हर समस्या का समाधान है।

मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की 50 प्रतिशत जनता की आजीविका कृषि पर आधारित है। जिस पर वित्त मंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्रावधान किया और हरियाणा और तेलंगाना में 200 करोड़ रुपए कृषि उद्यान के लिए प्रावधान कर यह साबित कर दिया है कि यह सरकार लोगों को काम के मौके देकर कमा कर खाने की पक्षधर है।

इंसान को तन ढंकने के लिए सस्ते अच्छे कपड़े की पूर्ति हेतु हमारे वित्त मंत्री जी ने 6 बड़े वस्त्र मेगा क्लस्टर स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर अपनी मंशा दर्शाई है कि वह हर क्षेत्र की पूर्ति के साथ-साथ रोजगार भी उत्पन्न करें। यह बहुत ही सराहनीय कदम है।

आज हमारे शहरों में मकान खरीदना, बनाना आम आदमी की पहुंच से परे हैं। जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 बड़े शहरों के निर्माण हेतु उन लोगों के सपनों को साकार करने के लिए जिन्हें अच्छा व सस्ता घर चाहिये 7060 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वित्त वर्ष में रखा है और 4000 करोड़ रुपए अलग से इस वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित हैं। इस स्कीम में 2022 तक हर व्यक्ति का अपना घर होगा। इस बात को साफ जाहिर होता है कि यह सरकार कितनी दूरदृष्टि रखती है परंतु यहां पर यह कहने से भी मैं संकोच नहीं करूंगा कि इस बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए चीन की तरह कोई ठोस कानून नहीं लाया जायेगा तब तक हम इस समस्या को सुलझा नहीं पायेंगे।

मैं इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिन दूरगामी क्षेत्रों में विकास को गति मिली थी। पिछली सरकार ने इस ओर 10 प्रतिशत भी काम न करके उन लोगों को तो हताश-निराश किया ही है, परंतु वहां से फल-सब्जियां इत्यादि जो उपलब्ध हो सकती थी, जिससे कि बाजार भाव संतुलित हो सकता था, उससे देश महरूम रहा और विकास ठप हुआ। आज इस सरकार ने पुन: इस योजना को आगे बढ़ाते हुए 14000 करोड़ रुपए का प्रावधान सड़कों के लिए और दूर-दराज के क्षेत्रों के विकास और आवास के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर अपनी गंभीरता जताई है। जहां मैं बजट का समर्थन करता हूं वही वित्त मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं।

आज़ादी के 67 वर्ष के पश्चात् भी देश स्वच्छ पानी से वंचित है। यह भला किसका कसूर है। यह कसूर उनका है, जिन्होंने इस देश पर लंबे समय तक राज किया हो, परंतु यह सरकार कटिबद्ध है 20000 बसावटों पर 3600 करोड़ रुपये खर्च कर हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का काम करेगी।

दुनिया के किसी भी देश की तरक्की और विकास का आंकलन अगर होता है तो उस देश की बिजली आपूर्ति से आंका जाता है। मुझसे एक बार जर्मनी दौरे में एक जेपनीज ने पूछा कि आपके देश में बिजली कितने घण्टे मिलती है तो मैंने कहा एवरेज 8 घण्टे तो उसका जबाव था कि आपका देश दुनिया की दौड़ में हर रोज़ 16 घण्टे पीछे रह जाता है। इसी कमी को दूर करने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:—

(क) आज हमें सुदूर क्षेत्रों से थर्मल प्लांट तक कोयला ढुलाई के लिए रेलवे का अत्यधिक इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके विपरीत इस सारे खर्च को बचाने के लिए हम थर्मल प्लांट कोयला खदानों के पास लगाए और बिजली का ट्रांसमिशन पूरे देश में करें।

(ख) हमारे पास दुनिया भर का पानी फ्री में हिमाचल/उत्तराखंड/जम्मू और कश्मीर और अन्य पर्वतीय राज्यों से समुद्र में जा रहा है। हम पूरे बजट को समेट कर सबसे पहले बजट का एक बड़े हिस्से से एक-एक किलोमीटर की दूरी पर बिजली घर बनाकर बिजली पैदा करना चाहते हैं, जहां से असंख्य लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए वित्त मंत्री जी ने दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना के तहत 24 घंटे 7 दिन बिजली आपूर्ति हेतु 500 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान कर एक आशा की किरण जगाई है।

आज शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकारी स्कूलों व अस्पतालों की बजाए आज प्राइवेट स्कूल और अस्पताल पर जनता का ज्यादा विश्वास स्थानांतरित हो चुका है। इसका मूल कारण पिछली सरकारों ने तन्ख्वाहे तो दी पर सेवाओं की बजाए हड़तालों और भ्रष्टाचार को जन्म दिया। यदि कोई पूछने वाला होता तो देश का ये हाल न होता। अभी तक लाख रुपए पाने वाला कर्मचारी हड़ताल कर देता है, परंतु 10000 रुपए प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह पाने वाला 12 घंटे काम करने के पश्चात् भी उफ तक नहीं करता। हम प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर की विषमता के नज़दीक लाए। हमारे वित्त मंत्री जी ने जहां एक और एम्स तथा शिक्षण संस्थान खोलने के लिए बजट में प्रावध्यान रखा है वहीं दूसरी और भ्रष्टाचार रोकने ओर क्वालिटी सेवाएं प्राप्त करने के लए चैक व निरीक्षण का भी प्रावधान किया है।

ई-वीजा के माध्यम से जहां बड़े-बड़े हवाई अड्डे बनाकर पर्यटन के माध्यम से रोज़गार देने का प्रावधान है। वहीं हमारे देश की संस्कृति व सभ्यता की पहचान कुरूभूमि कुरूक्षेत्र जहां पर प्राचीनकाल में महाभारत का युद्ध हुआ था व जहां पर प्राचीन विलुप्त हुई सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार के लिए इसे भारत के मानचित्र पर एक विशेष पर्यटन स्थल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 3 अप्रैल, 2014 को विजय दिवस रैली के दौरान यहां पर इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने व रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की घोषणा की थी व इसके साथ-साथ कुरूक्षेत्र से यमुनानगर तक नई रेलवे लाइन भी आवश्यक है। इन सभी कार्यों के लिए वित्त मंत्री जी ने इस बजट में लगभग 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

अंत में, मैं इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि जहां पर 40 दिन में महंगाई रोकने पर चर्चा हुई, वहां पर कपड़ा जो 30 रुपए मीटर था वह 300 रुपए मीटर बिक जाए तो चर्चा नहीं होती। दवाई किस भाव बिके चर्चा नहीं होती। अगर चर्चा होती है तो आलू, टमाटर और प्याज पर।

यह सरकार सब्जियों के प्रति हर रोज़ के ऊंचे-नीचे भावों के कारण कभी आलू गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं और कभी टमाटर सड़कों पर फेंके जाते हैं। इस समस्या को भंडारणों व कोल्ड स्टोरों के माध्यम से हरी सब्जियों के दाम फसल कम-ज्यादा होने से भाव प्रभावित न हो, इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वित्त वर्ष में कर इस सरकार ने अपनी गंभीरता का परिचय दिया है। इसलिए मैं इस प्रगतिशील बजट का पुरज़ोर समर्थन करता हूं।

***श्री हंसराज गंगाराम अहीर** (चन्द्रपुर) : माननीय वित्त मंत्री, अरुण जेटली जी द्वारा पेश किये गये बजट 2014-15 का समर्थन करता हूं।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा पेश किय गया पहल बजट देश को विकास को पथ पर अग्रसर करने वाला तथा लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। देश का विकास सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक बाध्यता देते हुए भी जनाभिमुख बजट देकर चुनावी वायदों की पूर्ति करने की आकांक्षा जगाने वाला और सभी क्षेत्रों को आश्वस्त करने वाला बजट देने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं।

पिछले कई वर्षों से मध्यम वर्ग तथा नौकरीपेशा लोगों की व्यक्तिगत आयकर मुक्त सीमा में बढ़ोत्तरी कराने की अपेक्षा पूर्ण हो गई है। आयकर मुक्त सीमा दो लाख 2.5 लाख तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख करने से उन्हें राहत मिलेगी। इसी तरह गृह ऋण कटौती सीमा 1.5 से 2.00 लाख करने से भारी बचत होगी। भविष्य निर्वाह निधि में निवेश की सीमा एक लाख से डेढ़ लाख करने से भी फायदा होगा।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने की बात कही है। बजट में ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए नाबार्ड के द्वारा 25 हज़ार करोड़ रुपए के आबंटन में 5 हज़ार करोड़ की बढ़ोत्तरी, किसानों के सुरक्षित भंडारण हेतु 5000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के प्रशिक्षण जानकारी हेतु किसान टी.वी., ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम जीवन ज्योति योजना, मनरेगा को कृषि से जोड़ना, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क संपर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की राशि में बढ़ोत्तरी, ग्रामीण क्षेत्र में आवास उपलब्धता के लिए आवास बैंक, कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए 8 करोड़ रुपए की भारी धनराशि, जल संवर्द्धन के लिए नया निरांचल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के द्वारा कृषि तथा किसानों को विकास के बड़े अवसर सुलभ कराये गये हैं।

मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश में नये चार एम्स की घोषणा में विदर्भ में भी एक एम्स देने की घोषणा की है। इससे विदर्भ में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सकेंगी। इसी तरह स्वास्थ्य सेवा को कारगर कराने के लिए 12 नये मेडिकल कॉलेज भी फायदेमंड साबित हो सकते हैं। इस सरकार ने देश के ग्रामीण तथा छोटे शहरों में बेरोज़गारी कम करने के लिए और कौशल विकास के लिए परंपरागत व्यवसायी, जिन्हें हम बारा बलूलेदार भी कहते हैं। ऐसे कुम्हार, चर्मकार, लौहार, सुनार बढ़ई, राजमिस्त्री, दर्जी आदि के रोजगार संवर्द्धन एवं अत्याधुनिकरण के लिए 10,000 करोड़ की राशि आवंटित करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री का अभिनंदन करता हूं। यह नया प्रयास देश में बेरोज़गारी खत्म करने में सहायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

बजट में सभी क्षेत्रों की तरफ ध्यान देने की कोशिश की गई, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के संविदा कामगार जिले हम कान्ट्रेक्ट लेबर कहते हैं, उनकी सुरक्षा तथा हित रक्षण के लिए कान्ट्रेक्ट लेबर एबोलिएशन एक्ट 1970 में उचित संशोधन कर उन्हें राहत देने की पहल सरकार को करने का मैं आग्रह करता हूं। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों विशेषकद कोल इंडिया, सेल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों में बड़े पैमाने पर कामगारों की कटौती की जा रही है, इससे बेरोज़गारी को बढ़ावा मिल सकता है। इस पर ध्यान देकर कामगार कटौती न हो, इसके लिए भी सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों द्वारा पीआरएस के नाम पर स्वयं ही भारी भत्तों का निर्धारण करने से इन सार्वजनिक उपक्रमों की अप्रत्यक्ष लूट हो रही है। वेतन के अतिरिक्त मनमाने

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भत्तों के कारण पीएसयू की आर्थिक हानि की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कर इस पर लगाम लगाने के लिए तत्काल उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। इसी तरह प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना की घोषणा का स्वागत करते हुए एक सुझाव देना चाहता हूं। देश में सिंचाई की विषमता खत्म करने के लिए सिंचाई पर किसानों का अधिकार होने के लिए इसे कानून में परिवर्तित करना चाहिए। इससे किसानों को सुनिश्चित लाभ हो सकता है। सरकार इस पर अवश्य विचार करें।

देश में सरकार द्वारा किसान आत्महत्या प्रवण जिलों को चिन्हित किया गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का यवतमाल जिला उसी श्रेणी में आता है। इसलिए यवतमाल जिले के साथ विदर्भ के किसानों के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज देना होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा इस क्षेत्र के दाभोड़ी गांव में स्वयं दौरा कर स्थिति की भयावहता देखी है। इसलिए यहां पर सिंचाई, बिजली, सड़क, कृषि उत्पाद खरीद केन्द्र, प्रत्येक परिवारों को मकान, दूध, बकरी और कुक्कुटपालन जैसे स्वरोज़गार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि बजट में इसका ध्यान रखा जायेगा।

आजकल रियल इस्टेट में निवेश काफी बढ़ गया है, धनवान लोग ग्रामीण तथा छोटे शहरों में भूमि खरीद कर इस्टेट निवेश के तौर पर रखने के कारण भारी भूमि खाली पड़ी है, इसका संज्ञान लेकर अप्रयुक्त भूमि को वापस लेकर भूमिहीन किसानों को देने के लिए सरकार द्वारा पहल की जानी चाहिए। पिछली सरकार के कार्यकल में 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये का कोल घोटाला उज़ागर हुआ। अनियमित आवंटन के कारण राजस्व के भारी नुकसान को देखते हुए आवंटित सभी कोल ब्लॉकों को आवंटन तत्काल रद्द कर इसे नीलामी, बोली के द्वारा तथा कोल इंडिया को कोल उत्खनन के लिए देने का निर्णय सरकार को लेने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

कोल क्षेत्र में अवैध खनन का प्रचलन बढ़ रहा है तथा कोल की कमी तथा आपूर्ति में कठिनाई को देखते हुए कोयले को पुन: जीवनावश्यक कानून (ईसी एक्ट) में शामिल करने का अनुरोध करता हूं। देश में बिजली उत्पादन संयंत्रों के द्वारा क्षमता से कम बिजली निर्माण करने से बिजली की कमी हो रही है। बिजली उत्पादन संयंत्रों का प्रबंधन कड़ा करे तथा सरकार ने बिजली उत्पादन संयंत्रां को अपनी क्षमता का कम-से-कम 90 फीसदी उत्पादन अनिवार्य करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें या कानूनी बाध्यता बनाने के लिए उचित कदम उठाये।

विदर्भ में किसान कपास का भारी उत्पादन करते हैं, लेकिन वहां पर कपास प्रसंस्करण इकाइयां बहुत कम है। इससे किसानों को उचित दाम तथा रोज़गार प्राप्त नहीं हो रहे, इसलिए विदर्भ के पास उत्पादक क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए सरकार द्वारा पहल करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। वन बहुल क्षेत्रों में वनों की अधिकता के कारण यहां पर विकास की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भारी तकलीफ होती है। परियोजनाओं के वर्षों से लंबित रहने के कारण उनका लागत मूल्य ही बढ़ता है, इसलिए पुराने वन संबंधी कानूनों को कालसंगत तथा वन क्षेत्रों में रहने वालों को हितकारी बनाया जाना चाहिए। इसलिए सरकार से वन संवर्द्धन कानून 1980 तथा 1927 में उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध करता हूं। इसी तरह पर्यावरण प्रदूषण नई गाइडलाईन बनाने के लिए भी सरकार को आगे आना पड़ेगा। पर्यावरण का संतुलन कायम रखने के लिए अब प्रदूषणमुक्त ऊर्जा की संकल्पना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसलिए सोलर, पावर तथा हाइड्रो ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार इसे प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकारों को भी दिशा-निर्देश जारी करें।

सरकार ने बजट पेश करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, अंतरिक्ष, संरक्षण, संशोधन तथा नये प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए सार्थक पहल की है। देश के सभी क्षेत्रों का ध्यान रखकर किये गये विभिन्न प्रावधानों से बजट का दूरगामी असर होगा। बजट में किये गये प्रावधानों में लोगों को राहत मिलने से देश एक नये विकास के पथ पर सतत् अग्रसर रहेगा, यह विश्वास दिखाई दे रहा है। मैं बजट का समर्थन कर वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देकर उनका अभिनंदन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री लडू किशोर स्वाइँ** (अस्का) : मैं ओडिशा राज्य के ग्रामीण संसदीय क्षेत्र नामत अस्का का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। मैं सामान्यत: ओडिशा राज्य के लोगों विशेषत: अस्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की ओर से माननीय वित्त मंत्री का ध्यान कुछ निम्नलिखित मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं।

ओडिशा खनिजों पर रॉयल्टी की समीक्षा की मांग करता रहा है जो पिछले कई वर्षों से देय है। वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में इस सम्मानित समय में यह आश्वासन दिया गया कि खनिजों पर रॉयल्टी की समीक्षा शीघ्र की जाएगी। यह निश्चित तौर पर एक स्वागत योग्य कदम है। खनिजों पर रॉयल्टी की समीक्षा से खनिज से समृद्ध राज्यों को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और मैं आशा करता हूं कि ओडिशा को अपना उचित हिस्सा मिलेगा।

नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव भी एक स्वागतयोग्य कदम है और इस संबंध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान ओडिशा के लोगों और

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विशेषत: मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों के हित में बंशधारा और ऋषिमुनियों नदियों को आपस में जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार करें। इन प्रस्तावित नदियों को आपस में जोड़ने के लाभ ही लाभ होगा। यह गंजाम जिला, जो ओडिशा राज्य का दक्षिणी जिला है, के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएगा जिससे अनाज और बागवानी फसलों उगेंगी। वर्षा की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए खेती के लिए सुनिश्चित सिंचाई से किसानों को और अधिक लाभ होगा जिससे न केवल पलायन की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी बल्कि किसानों की आजीविका के ठोस आधार के साथ कृषक समुदाय की आय भी बढ़गी।

आपको जानकारी होगी कि गजपति जिले में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आना एक सामान्य बात है। चूंकि बंशधारा में बाढ़ नियंत्रण की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है इसलिए वंशधारा के तट पर बसे गांवों के लोगों में वर्षा ऋतु के शुरू होते ही भय व्याप्त हो जाता है। यदि इन दो नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो जल को आसानी से ऋषिकुल्या नदी में मोड़ा जा सकता है तथा गर्मी के दौरान सिंचाई हेतु एकत्र किया जा सकता है। इससे गंजाम जिले के कस्बों को पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। आपको सूचित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण में कोई समस्या नहीं होगी।

इसके अलावा, मैं वित्त मंत्री द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान 8500 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की घोषणा का स्वागत करता हूं।

दो मौजूदा सिंचाई परियोजनाएं नामत: भंजनगर और ऋषिकुल्या मध्यम सिंचाई परियोजना जो स्वाधीनता से पूर्व की परियोजनाएं हैं और जो मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है, के पुनरुद्धार की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए गाद हटाने हेतु समुचित बजटीय प्रावधान किए जाए। इसके अलावा यदि प्रस्तावित नदियों को परस्पर जोड़ने का कार्य हो जाता है तो जल का भंडारण इन दोनों सिंचाई परियोजनाओं में किया जा सकता है।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है कि खतरे को कम करने के लिए सुनिश्चित सिंचाई प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। सिंचाई क्षमता में सुधार हेतु 1000 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने की पहल स्वागत योग्य कदम है। तथापि कृषि-जलवायु स्थितियों और शुष्क भूमि और वर्षा सिंचित क्षेत्र के कृषक समुदाय की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए बजट 2014-15 में प्रस्तावित संसाधन से अधिक संसाधन की आवश्यकता होगी।

मैं इस अवसर पर इस संबंध में अपने निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान मध्यम सिंचाई परियोजनाओं नामत: धनाई सिंचाई परियोजना पर विचार करने और उसका पुनरुद्धार करने का मामला उठाना चाहता हूं। उक्त परियोजना के जल्द भरण क्षेत्र का उपयोग अभी किया जाना है। अत: तटबंध का निर्माण कर जल भंडारण किया जा सकता है तथा सिंचाई कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस कार्यों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से निधि देने पर विचार किया जा सकता है।

जैसाकि आप जानते हैं, मेरा निर्वाचन क्षेत्र एनएच 16 (कोलकाता से चेन्नई) एनएच 59 (गोपालपुर से रायपुर) और एनएच-157, जो अस्का को भंजनगर से जोड़ता है तथा यह केशवपुर (एनएच-16 पर) से अस्का (एनएच-157 पर) तक लगभग 53 किमी की दूरी है, को मौजूदा राज्यमार्ग को राजमार्ग में बदलने पर विचार किया जाए। इस प्रस्तावित संपर्क से समय और ऊर्जा बचेगी तथा मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए आजीविका के बहुत से मार्ग खुलेंगे।

अंत में, मैं ओडिशा की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ इसके विकास और संपन्नता के लिए ओडिशा राज्य को विशेष दर्जा देने की दीर्घकालिक मांग को पूरा कर इस समस्या का समाधान किया जाए क्योंकि ओडिशा देश के सबसे पिछड़े और गरीब राज्यामें में से एक है।

***कुमारी शोभा कारान्दलाजे** (उदुपी चिकमगलूर) : वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2014-15 ने लोगों का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित किया है, नए भारत की अपेक्षाओं को पहचान प्रदान की है। वह भारत जो निर्णायक रूप में उच्च वृद्धि, कम महंगाई और अधिक नौकरियों के लिए सरकार की ओर देखता हैं वित्तीय समेकन और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए स्पष्ट रूप से बजट में अनेक ठोस घोषणाएं की गई हैं। 'कुशल भारत' जैसी योजनाएं भारत के युवाओं के विश्वास को बढ़ाएगीं और देश में नौकरियों के अपार अवसर सृजित करेंगी।

मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को कृषि को उच्चतम वरीयता प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह बजट, कृषि संबंधी समृद्धि, सिंचाई और संपर्क के लिए योजनाओं के माध्यम से गांवों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता और दृष्टिकोण पर केन्द्रित है।

उच्चतर उत्पादकता और प्रोटीन संकल्प पर ध्यान देने सहित प्रौद्योगिकी द्वारा चालित द्वितीय हरित क्रान्ति लाने के लिए बजट में प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। उनके ध्यान में दूसरा मुख्य क्षेत्र देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जैविक कृषि को बढ़ाना होगा जिसमें इसके लिए अपार संभावनाएं हैं। सभी किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रावधान एक शानदान पहल है और इससे किसान कम निवेश व्यय करके बेहतर फसल काट सकते हैं।

'प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना' वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इससे न केवल किसानों को लाभ होगा बल्कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

केन्द्र सरकार ने डिजीटल "सुविधा युक्त" और 'सुविधा से वंचित' के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए 'डिजीटल भारत' नामक अखिल भारतीय कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। इससे गांव स्तर पर ब्रोड बैंड संपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म सेवाओं के माध्यम से सरकारी कार्यों में इष्टतम पारदर्शिता और निर्यातों और बेहतर घरेलू उपलब्धता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बढ़ा हुआ स्वदेशी उत्पादन सुनिश्चित होगा।

सरकार ने सरकारी सेवा प्रदान करने और शासन की योजनाओं के लिए गांवों और विद्यालयों में सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी कौशल और ई-क्रांती में प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण इंट्रानेट और प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव रखा है।

बजट में वर्तमान आयकर छूट सीमा को 2 लाख से 2.5 लाख करने का भी प्रस्ताव किया गया है जिससे वेतनभोगी वर्ग को अत्यधिक राहत मिलेगी।

मैं वित्त मंत्री को भी यह ध्यान में रखकर कि देश में पेंशनभोगियों की संख्या अब सेवारत अधिकारियों की संख्या से अधिक है, पेंशनभोगियों की मदद के लिए अतिरिक्त आबंटन के लिए धन्यवाद देता हूं।

बजट में गंगा पुनरुद्धार और नदियों को परस्पर जोड़ने वाली परियोजना के लिए भी निधियां आबंटित की गई हैं जोकि एक स्वागत योग्य कदम है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन) को बढ़ावा देने घोषणा पर मुझे बेहतद खुशी है। विद्युत के प्रेषण और वितरण के विकास से सभी को 24x7 विद्युत सुनिश्चित करने में बड़ा लाभ होगा। मैं नहरों के किनारों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सोर ऊर्जा चालित जल पंपों को प्रोत्साहन देने और सौर पार्कों और मूव्स की स्थापना के लिए भी स्वागत करता हूं।

केन्द्रीय बजट 2014 में अनेक पहलू हैं जो देश में शिक्षा को बढ़ावा देगें:—

- बजट का ध्यान शिक्षा और कौशल विकास पर है। विशेषरूप से वर्ष 2014-15 में उच्चतर शिक्षा के योजनागत बजट में बहुत वृद्धि की गई है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में भी वृद्धि अच्छी-खासी वृद्धि की गई है।
- बजट में बालिकाओं की शिक्षा पर जोकि इस सरकार की विशेष वरीयताओं में है विशेष ध्यान दिया गया है।
- बजट में स्कूलों में शेष एक लाख बालिका शौचालय और पेयजल सुविधाएं जिससे प्रथम चरण में 100 लाख बालिकाओं को लाभ होगा प्रदान करने के संकल्प पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे न केवल बालिकाएं स्कूलों में प्रवेश लेंगी बल्कि स्कूलों में पढ़ाई भी जारी रखेंगी। जब लड़कियों को विद्यालयों में आवश्यक स्वच्छता सुविधाएं प्राप्त होंगी तो वे घर पर भी सम्मान सुविधाओं की मांग करेंगी जिससे भारत स्वच्छता की ओर बढ़ेगा।
- "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना" न केवल विपरीत लिंगानुपात को सुधारेगी बल्कि लड़कियों की शिक्षा भी सुनिश्चित करेगी।
- वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना और वृहद् स्तर पर ओपन ऑनलाईन पाठ्यक्रमों की योजना बनाई गई है। एक राष्ट्रीय ई-लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी जो सभी शैक्षिक संसाधनों का भंडार होगी।

भारत विश्व में सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर विकास में 900 से अधिक परियोजनाओं के साथ सबसे बड़े पीपीपी बाजार के रूप में उभरा है। इसके अलावा, बजट में 37,880 करोड़ रुपए के प्रस्ताव किए गए हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के साथ-साथ राज्यों की सड़कों के विकास में निवेश किया जाना है।

मैं आगे कई बजट प्रस्तावों की प्रंशसा करता हूं जो ग्रामीण क्षेत्रों के समेकित विकास में तेजी लाएंगें। बजट में एक महत्वपूर्ण पहल, "श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन" पीपीपी मोड के द्वारा प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए बेहतर नागरिक अवसंरचना और संबद्ध सेवाएं प्रदान करेगी। इसमें आर्थिक कार्यकलापों का विकास और कौशल विकास शामिल होगा। ऊर्जा क्षेत्र में, "दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने और पारेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रारंभ की जाएगी। वर्ष 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु बजट में "स्वच्छ भारत अभियान" का प्रस्ताव किया गया है।

बजट वस्त्र क्षेत्र की मूल क्षमता को पहचानता है और दृढ़ मानव बल के साथ उसका संवर्धन करता है। वस्त्र उद्योग, जो कि भारत के आर्थिक जीवन में मुख्य भूमिका निभाता है, देश के औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यात उपार्जन में भी अत्यधिक योगदान देता है। वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। छह नए "वस्त्र संकुलों" का प्रस्ताव करके, यह बजट भारतीय वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देता है और रोजगार अवसर भी सृजित करता है।

सरकार ने वर्ष 2014-15 के बजट में 1.15 लाख करोड़ रुपए खाद्य राजसहायता के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए आबंटित किए हैं कि समाज के कमजोर वर्गों को उचित कीमतों पर गेहूं और चावल मिल

सके। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु 88,500 करोड़ रुपयों का प्रावधान शामिल है।

जनजातीय लड़कियों का कल्याण और विद्यार्थी कल्याण वर्ष 2014-15 के बजट का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अनुसूचित जनजातीय बच्चों को शैक्षिक सहायता देने को भी उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है जिसमें विद्यालय एवं कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए शैक्षिक भ्रमण हेतु सहायता माध्यमिक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कॉलेजों में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री की आपूर्ति और मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करने हेतु सहायता देना शामिल है।

बेहतर शहरी रहन-सहन के लिए लोगों की बढ़ती आकाक्षाओं को पूरा करने के लिए शहरी विकास और शहरी नवीकरण के महत्व को स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार ने बजट में शहरी परियोजनाओं के लिए योजना परिव्यय में 251.44 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। बढ़ते शहरीकरण से बेहतर शहरी जीवन की मांग को पूरा करने के लिए, योजना परिव्यय बढ़ाने के अतिरिक्त, सरकार ने शहरी अवसंरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु कर और गैर-कर प्रोत्साहन प्रस्तुत किए हैं।

यह एक परिवर्तनकारी बजट है जो कि नीति संबंधी पहलों पर जोर देता है और निवेश — आधारित विकास पर भारी बल दिया गया है। यह बजट समाज के सभी वर्गों — युवा, वृद्ध, गरीब, महिलाएं, कामगारों, किसानों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, समाज के पिछड़े वर्गों, मध्यम वर्गों, उद्यमियों और विकलाग की भी तात्कालिक समस्याओं का समाधान करता है। मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री को यह विकास - आधारित व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। वित्त मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था के जीर्णोद्वार, पुरुद्धार और पुनरुत्थान के लिए कई दृढ़ कदम उठाए हैं और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक ठोस और कार्यात्मक रूपरेखा प्रस्तुत की है। कौशल विकास, विनिर्माण, शिक्षा, स्वच्छता, सफाई और नवीकरणीय ऊर्जा, अवसंरचना और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष जोर देखकर विशेष रूप से प्रसन्नता होती है।

मैं पूर्णरूप से केन्द्रीय बजट को सभी भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में एक काल्पनिक कदम के रूप में इसका समर्थन करता हूं: "सबका साथ सबका विकास"। इन शब्दों के साथ, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री रामचन्द्र हांसदा** (मयूरभंज) : वित्त मंत्री 2014-15 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने में कुछ चमत्कारी करतब नहीं कर पाए हैं। अवांछनीय वित्तीय मापदंडों को समाप्त नहीं करके वे सीधे-सीधे कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के पदचिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में परिकल्पित वित्तीय मजबूती के मार्ग से विचलित होते नजर आ रहे हैं। मुद्रास्फिति की वर्तमान उच्च दर को देखते हुए 13.4 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का दावा करना बिल्कुल अवास्तविक है। 48,425 करोड़ रुपए के विनिवेश के मुकाबले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 प्रतिशत तक बढ़ाने से केवल पीएसयू का राष्ट्रीय मूल्य ही कम होगा और परिणामस्वरूप वित्तीय साम्राज्यवाद में इन कंपनियों का दमन होगा। यद्यपि, 2018 तक 2,40,000 करोड़ रुपए की बैंक पूंजी लाने का उपबंध है, समाज के सीमांत वर्ग ओर किसानों के नुकसान के प्रति सरकार की मंशा ठीक नहीं है। यदि हमने 200 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन से बनने वाली 'एकता की प्रतिमा के निर्माण कार्य को बंद कर दिया होता तो इससे हम 28,572 गरीब लोगों को रहने के लिए अच्छे आवास दे सकते थे।

उन राज्यों, जहां विकासात्मक मापदंडों में पिछड़े राज्यों को अन्य राज्यों के बराबर लाने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के दीर्घकालीन पैकेज दिए जा सकते थे, में विद्यमान क्षेत्रीय असमानताओं के समाधान में यह बजट एक उदासीनतापूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। यहां तक कि विभिन्न मंत्रालयों में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) और विशेष संघटक योजना (एससीपी) के अंतर्गत वित्त प्रवाह भी बहुत अस्पष्ट है। यदि इस संबंध में एक अलग केन्द्रीय ढांचा बनाया गया होता तो आनुपालिक निधि आवंटन की अनिवार्यता को लागू किया जा सकता था।

पहले 147 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसपी) विद्यमान थी जो अब घटकर 66 रह गई हैं। पर यह सच है कि राज्यों द्वारा दी गई प्राथमिकताओं की कमी या राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही इसी तरह की योजनाओं के लिए अधिकांशत: राज्य सीएसपी इकट्ठा करने में असमर्थ रहे हैं। यदि राज्यों को अपनी इच्छानुसार सीएसपी में निवेश करने के लिए ब्लॉक अनुदान दिए गए होते तो निधि के यथोचित प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सकता था। विभिन्न वर्गों से प्रापत होने वाले इन प्रस्तावों पर गंभीर विचार किया जाए। मेरा राज्य ओडिशा उन राज्यों में से एक है जो खनिजों से भरपूर हैं। मेरे राज्य को बहुत बड़े राजस्व की हानि हो रही थी क्योंकि 2009 से खनिजों की रॉयल्टी में बदलाव की कोई आवश्यक समीक्षा नहीं की गई थी। मैं वित्त मंत्री के शीघ्र समीक्षा करने के वायदे का स्वागत करता हूं। जीएसटी के कार्यान्वयन से राज्यों का कर से संबंधित उदारीकरण भी सुनिश्चित होगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

***श्री चांद नाथ** (अलवर) : भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोज़गारी तथा सीमित समय में जो एक संतुलित बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, यह बहुत प्रशंसनीय है। मैं ईपीएफ (इम्पलाईज प्रोविडेंट फंड) के सभी अभिदाता सदस्यों की ओर से वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। जिनके लिए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन 1000/- रुपए कर दी है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक ईपीएफ स्कीम के अंतर्गत पेंशन लेने वाला पेंशन बताते हुए शर्मसार हो जाता था, क्योंकि कई व्यक्तियों की पेंशन 200/- रुपए से भी कम थी। मेरा सुझाव है कि न्यूनतम पेंशन 1500/- रुपए कर दी जाए, और यह बढ़ोत्तरी वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित निवेशों में से जो दावारहित धनराशि रह जाती है, का प्रयोग बढ़ी हुई पेंशन के लिए किया जा सकता है।

लोगों की बढ़ती संख्या तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवसन की बढ़ती हुई गति देखकर स्मार्ट शहर की योजना का स्वागत करता हूं। इस संदर्भ में मेरा एक सुझाव है कि कुछ शहरों का विकास करने और विद्यमान मध्यम आकार के शहरों का आधुनिकीकरण करने के बारे में कुछ ऐसे शहर चुने जायें जो कि ऐतिहासिक होने के साथ-साथ सामाजिक व धार्मिक हों, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ऐसा एक शहर मेरे लोक सभा क्षेत्र अलवर में तिजारा है। तिजारा शहर जैन समुदाय, जो कि अल्पसंख्यक है, का एक धर्मस्थल है। मेरा सुझाव है कि चालू वित्त वर्ष में इसको स्मार्ट शहर की तरह विकसित किया जाए। इससे यह शहर संस्कृति, ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर उद्योग के रूप में पर्यटन के विकास और रोज़गार सृजन के लिए विकसित हो।

प्रारंभिक शिक्षा को मुख्य प्राथमिकता प्रदान कर सभी विद्यालयों में शौचालय तथा पेयजल प्रदान करने का प्रयास बहुत आवश्यक है, परंतु केवल 10 प्रतिशत स्कूल शिक्षा के लिए बजट में बढ़ोत्तरी बहुत कम है। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा के विकास के लिए स्कूल मूल्यांकन प्रोग्राम बहुत आवश्यक है ताकि युवा लीडरशीप तथा कौशल का विकास हो सके। मैं पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यापक प्रशिक्षण प्रोग्राम का स्वागत करता हूं तथा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि ग्रामीण स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ा जाये तथा सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा कर दिया जाये कि माता-पिता बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाने के बारे में भूल जाये।

मैं कृषि में वृद्धि बनाये रखने की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसानों द्वारा की जारी आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण बैंकों से लिए जाने वाले ऋण का समय पर भुगतान न होना है। वर्ष 2014-15 के दौरान कृषि ऋण के लिए 8 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। यह ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक दर से दिया जाना हैं जिसमें 4 प्रतिशत ब्याज किसानों को देना पड़ता है बाकी सरकार सब्सिडी के रूप में उन किसानों को देती है, जो भुगतान के समय पर कर देते हैं। मेरा सुझाव है कि यह ब्याज 6 प्रतिशत कर दिया जाये या सब्सिडी 3 से 4 प्रतिशत कर दी जाए। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि किसानों को अपने बाज़ार विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बनाया जाये, जो कि किसानों को किसान बाज़ार विकसित करने के लिए वित्तीय तथा प्रशासनिक सहायता दे तथा किसानों के अर्जन क्षमता के लिए भंडारागार क्षमता का अभाव न हो।

राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाएं राज्य में मनरेगा श्रमिकों को बैंक के माध्यम से भुगतान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन संस्थाओं द्वारा 34 लाख मनरेगा श्रमिकों को भुगतान का कार्य अब तक संतोषजनक रूप से हो रहा है, परंतु इन संस्थाओं को इस कार्यनिष्पादन हेतु होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही है। परिणामस्वरूप इन संस्थाओं को इस कार्यनिष्पादन में हानि हो रही है, जिससे इनकी लाभप्रदता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। अत: यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं को इस कार्यनिष्पादन में हो रहे खर्चों की पूर्ति हेतु अनुमानित रूप से राशि उपलब्ध करवाई जाये। राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी संस्थाओं का नेटवर्क काफी मजबूत है तथा उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सभी सहकारी योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषि आदानों पर अनुदान का वितरण, छोटे तथा सीमांत कृषकों में लगभग 80 प्रतिशत को फसली ऋण उपलब्ध कराना आदि शामिल है। मनरेगा अधिनियम में प्रावधान होने के कारण मनरेगा राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखी जा रही है, किन्तु अल्पकालीन सहकारी लाख संस्थाओं की भूमिका को देखते हुए मनरेगा राशि राज्य के सहकारी बैंक में रखी जानी चाहिए।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य व जिला स्तर पर चार तरह की निधियां गठित करने की सिफारिश की गई थी। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 में भी राज्य आपदा प्रतिसाद निधि तथा जिला आपदा प्रतिसाद निधि और राज्य आपदा शमन निधि और जिला आपदा शमन निधि के गठन किये जाने का प्रावधान है।

मैं केन्द्र सरकार से पुन: अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय में न केवल राज्य व जिला स्तर पर उपरोक्त निधियों का गठन करें, बल्कि इन निधियों में राज्य आपदा प्रतिसाद निधि (एसडीआरएफ) की तरह 75 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार का निश्चित किया जाये।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

***श्री सी. गोपालकृष्णन** (नीलगिरी) : मैं माननीय वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2014-15 का समर्थन करता हूं।

हमारी सक्रिय क्रांतिकारी नेता 'अम्मा' ने वर्ष 2014-15 के आम बजट का स्वागत किया है। हमारी नेता 'अम्मा' के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए, मैं भी इस आम बजट का स्वागत और समर्थन करता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि यह एक विकासोन्मुखी बजट है और अन्य चीजों में अवसंरचना, शहरी विकास, ग्रामीण विकास पत्तर पर जोर देता है। स्मार्ट शहरों के लिए रुपए 7060/ करोड़ के आबंटन के साथ करदाताओं को कुछ रियायत देना देश के विकास हेतु सही निर्णय है।

मैं वित्त मंत्री को मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए, जो पूर्ववर्ती संपग्र सरकार द्वारा मुहैया कराए गए थे से कहीं अधिक राशि है, मुहैया कराने के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

मैं वित्त मंत्री को कर दायरा बढ़ाकर छोटा कर लाभ देने हेतु भी धन्यवाद करता हूं। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा 50,000 रुपए तक बढ़ा दी है, जो कि व्यक्तिगत करदाताओं, 60 वर्ष से नीचे के लिए है के मामले में रुपए 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक है।

वरिष्ठ नागरिकों के मामले में छूट सीमा 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है।

मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री वित्तकोषीय घाटे का समाधान करेंगे। कुछ लोग कहते हैं यह बड़ी समस्या है। परंतु इसका बड़ा हिस्सा ब्याज लागत और राजसहायता से जुड़ा है। राजसहायता अभी बदल नहीं रही है। प्रश्न यह है कि हम कैसे राजसहायता को कम कर सकते हैं और वह कितनी गैर-लाभकारी है। वित्त मंत्री ने वायदा किया है कि वे अधिक लक्षित खाद्य और ईंधन राजसहायता के द्वारा चीजों को सही कर देंगे। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं।

मनरेगा मुद्दे के संबंध में, धन खर्चा जाएगा, परंतु "अधिक लाभकारी आस्ति सृजन के लिए और कृषि से जुड़े हुए के लिए। मैं इसका स्वागत करता हूं।

वित्त मंत्री ने एकल खिड़की स्वीकृति का भी वायदा किया है, जिससे आयातकों हेतु विनियामक दिक्कतों को आसान होनी चाहिए। मैं वित्त मंत्री का निपटान हेतु अग्रिम नियमों और परिभाषित समितियों सहित बेहतर कर आकलन के लिए भी धन्यवाद करता हूं।

मैं वित्त मंत्री की प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु 500 करोड़ रुपए खर्च करने, पांच आईआईटी और पांच आईआईएम शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन हेतु पहल का स्वागत करता हूं। मैं वित्त मंत्री को तमिलनाडु में भी एक आईआईएम शुरू करने की इच्छा व्यक्त करता हूं।

मेरे नीलगिरि संसदीय क्षेत्र में, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्मों, सिने फिल्मों, एक्सरे फिल्मों, ग्राफिक आर्ट फिल्मों, फोटोग्राफिक पेपर और कैमिस्ट्री का भारत स्थित सार्वजनिक क्षेत्रक निर्माता है। यह उदक मंडलम, तमिलनाडु में पहाड़ी क्षेत्र के बाहर स्थित है। उनकी फोटोग्राफिक फिल्में "इंदु" नाम से अंतर्गत बेची जाती हैं, जिसका अर्थ संस्कृत में "चांदी" (फिल्म में चांदी के हैलाइड्स प्रयुक्त किए जाते हैं) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लिमिटेड, जिसने 31 मार्च 2012 को 714 कर्मचारियों से अधिक को नियुक्त करता था, को 1996 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा रुग्ण घोषित किया गया था। मार्च 2013 के महीने में रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस के कर्मचारियों हेतु 2007 के आंशिक वेतनमान पर आधारित 181 करोड़ रुपए को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पैकेज है। मैं वित्त मंत्री से इसे उचित कार्यकरण हेतु बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

मेट्टूपलायम-कून्नूर-ऊटी-गुड़ालूर से राष्ट्रीय राजमार्ग 67 अनुमानतः 90 किमी. बुरी तरह ध्वस्त है इस सड़क पर यात्रा करना बहुत कठिन है। ऊटी मेरे संसदीय क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र है। अतः सड़क मरम्मत करने के लिए आवश्यक निधि आवंटित की जाए।

कुन्नूर में रेलिया बांध कुन्नूर नगरपालिका के लोगों के लिए पेयजल हेतु मुख्य स्रोत है। बांध की क्षमता वर्तमान जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। अतः बांध की क्षमता का कितना संभव हो बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए, मैं सरकार से बांध की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक निधि आवंटित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

नीलगिरी बागवानी के हरे खेतों हेतु बहुत परिषित है। यह बागवानी के खेत भारी सूखे और भारी भू-स्खलन के कारण प्रभावित हो रहें हैं। वे भारी नुकसान उठा रहे हैं और कुछ खेत बंद कर दिए गए थे। इन हरे खेतों को बचाने के लिए, मैं सरकार से विशिष्ट बीमा योजना और ऋण माफी योजना शुरू करने का आग्रह करता हूं।

इन शब्दों के साथ, मैं सामान्य बजट 2014 का समर्थन करता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

***डॉ. यशवंत सिंह** (नगीना) : आज मैं वर्ष 2014-15 के सामान्य बजट पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सराहे जा रहे इस बजट का मैं भी समर्थन करता हूं।

जब ये देश आज़ाद हुआ था, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति ने यह आशा की थी कि इस देश में अगर वोट का अधिकार बराबर का है तो देश की प्रगति में भी बराबर का अधिकार मिलेगा, परन्तु खेद के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हुआ। इस देश के दलित आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा मिला। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कोई सरकार किस लिए होती है, सरकार का क्या दायित्व होता है, यह शायद सभी को मालूम है। हम सब जानते हैं कि एक गरीब व्यक्ति सरकार से मदद चाहता है तथा उम्मीद करता है कि उसके बुरे दिनों में सरकार उसकी मदद करेगी तथा उसकी गरीबी के स्तर में सुधार करके उसे इस लायक बनायेगी कि वह गरीबी के अभिशाप से ऊपर उठ सके। उसी के साथ एक अमीर व्यक्ति अपनी कमाई को कई गुणा बढ़ाकर कम-से-कम टैक्स सरकार को देना चाहता है। अगर गरीब को कुछ मिलता है तो वह सरकार का गुणगान करता है, परंतु अगर अमीर को आशा से ज्यादा भी मिले तो भी सरकार की निंदा करता है।

सरकार की नीति अभी तक गरीबी को कम करने की रही है, परंत गरीबी का विनाश करने की नहीं रही। हम सबको समझना चाहिये कि दो का दुगना चार होता है तथा सौ का दुगना दो सौ होता है, इसलिए गरीब और अमीर दोनों की आमदनी दुगना करने पर आमदनी तो दो गुना हो जाती है, परंतु दोनों का अंतर 98 से बढ़कर 196 हो जाता है, जैसा आज तक होता आया है। माननीय केन्द्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं, जिनसे इस राष्ट्र को बहुत उम्मीद है और उनके द्वारा यह बात कही गयी थी कि यह सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए सरकार है एवं गरीबी खत्म करने के लिए सरकार है। इसमें गरीबी खत्म करने वाला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, परन्तु इस बजट से ऐसा कोई बड़ा चमत्कार होता दिखाई नहीं दे रहा है।

अगर गरीबों के बारे में सोचा जाए तो सरकार के द्वारा गरीबों के बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालयों के सुधार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आज बच्चा विद्यालय जाता तो जरूर है, परंतु शिक्षकों की कमी तथा खराब प्रबंधन के कारण बिना पढ़े वापस आ जाता है तथा पढ़े या न पढ़े अगली कक्षा में प्रमोट हो जाता है। उस बच्चे से देश का कोई भी नागरिक यह अपेक्षा नहीं करता है कि यह बच्चा देश के विकास में सहायक होगा, भले ही वह इन बुरे हालात के विद्यालयों से पढ़कर भी परम आदरणीय श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसा महान साइंटिस्ट एवं राजनेता क्यों न बन जाये।

जब देश का बंटवारा हुआ था तो जो हमारे साथी पाकिस्तान से वापस आये थे, उन्हें सरकार द्वारा जगह-जगह पर बाज़ारों में दुकानें, जमीनों का आवंटन आदि करके उनको मुख्य धारा में लाया गया था। सरकार से समुचित ध्यान से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला और वे सभी देश के संसाधनों का भरपूर उपयोग करके देश की प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। आज सरकार को जरूरत है कि कम-से-कम दलित, पिछड़े एवं आदिवासी समाज के गरीब व्यक्तियों को अभियान चलाकर मुख्य धारा में लाने का हर संभव प्रयास करें। इस बजट में मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अनुसूचित जाति के उद्यमियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुल 200 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है, जो ऊंट के मुंह में जीरा है। मेरा मानना है कि जो धनराशि एससी/एसटी एवं गरीबों के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाओं पर खर्च की जाती है और जिसका परिणाम आज तक जीरो दिखाई देता है, इस पूरी धनराशि को गरीबों को मकान बनाने, व्यवसाय करने हेतु तथा उनके बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु उपयोग करने का मौका दिया जाये तो करोड़ों लोगों की गरीबी दूर की जा सकती है।

इस देश का किसान बढ़ती महंगाई तथा बढ़ते परिवार के कारण परेशान है। इसमें मुख्य तौर पर गन्ना उत्पाद करने वाले किसान का बुरा हाल है। किसान लागत लगा कर गन्ना उत्पादन करता है तथा शुगर मिल में गन्ना जाने के बाद सालों साल भुगतान नहीं हो पाता। यह कैसा न्याय है। मेरे क्षेत्र में बजाज ग्रुप की बिलाई शुगर मिल द्वारा किसानों का भुगतान नहीं होने से वहां पर किसानों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तथा मिल मालिक एवं प्रशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किसान अपनी फसल डालने के बाद भी पैसे-पैसे को मोहताज हैं। बजट में गन्ने के किसानों के भुगतान हेतु इसकी सुचारू रूप से व्यवस्था हेतु प्रावधान की आवश्यकता है।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी ओर इस बजट में अच्छी सोच रखी गई है। बस मेरे द्वारा सुझायी गयी बातों को सम्मिलित किया जाये। मैं अपनी ओर से इस बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री पी. नागराजन** (कोयम्बटूर) : मैं, माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा 10.07.2014 को प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2014-15 का समर्थन करता हूं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री 'अम्मा' ने माननीय मंत्री द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए प्रस्तुत पहले आम बजट की सराहना की है और मैं भी इस बजट का स्वागत और समर्थन करता हूं।

यह विकासोन्मुखी है और इसमें अन्यों बातों के साथ-साथ अवसंरचना, शहरी विकास, ग्रामीण विकास बंदरगाहों पर जोर दिया गया है। स्मार्ट शहरों के लिए 7060 करोड़ रुपए का आवंटन और करदाताओं को कुछ रियायतें देना देश के विकास के लिए सही दिशा में लिया गया निर्णय है।

मैं वित्त मंत्री को कर सीमा बढ़ाकर छोटे कर लाभ प्रदान के लिए धन्यवाद देता हूं। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि निजी आयकर सीमा को 50,000 रुपए बढ़ाया जाए अर्थात 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तिगत करदाताओं के मामले में इसे 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया है।

वित्त मंत्री जी ने खाद्य और ईंधन राजसहायता पर अधिक जोर देकर समस्याओं के समाधान का वादा किया है।

मैं वित्त मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन का स्वागत करता हूं कि वे एफसीआई और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार कर खाद्य महंगाई को नियंत्रित करेंगे। मानसून इस समय सामान्य से 43 प्रतिशत कम है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह ऐसा कर सकेंगे।

वित्त मंत्री जी ने सीमा शुल्क स्वीकृति के लिए एकल-खिड़की का वादा किया है, जोकि आयातकों के लिए विनियामक कठिनाईयों को सरल बनाएगा।

मैं वित्त मंत्री को कर सीमा बढ़ाकर थोड़ा कर लाभ प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में छूट सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है।

मैं वित्त मंत्री जी को मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए जोकि पिछली यूपए सरकार द्वारा प्रदान राशि से अधिक है प्रदान करने के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

मुझे पूरा विश्वास है कि वित्त मंत्री वित्त घाटे की समस्या का भी निपटान करेंगे। कुछ लोग कहते हैं यह काफी अधिक है। परंतु इसका एक बड़ा उभाग ब्याज लागत और राजसहायता है। अभी राजसहायताओं में परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रश्न यह है कि हम राजसहायताओं को कैसे कम कर सकते हैं और ये कितनी नुकसानदायक हैं। वित्त मंत्री जी ने वादा किया है कि वे खाद्य और ईंधन राजसहायता पर अधिक ध्यान देकर समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं इस निर्णय कास्वागत करता हूं। मैं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु 500 करोड़ रुपए व्यय के नए कदम का भी स्वागत करता हूं। पांच आईआईटी और पांच आईआईएम की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री तमिलनाडु में आईआईएम की स्थापना करें।

हमारी माननीय मुख्य मंत्री 'अम्मा' मुख्य लैपटॉप देने जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही हैं। सभी विद्यार्थियों को कम्प्यूटर, सभी विद्यार्थियों को निशुल्क स्कूली किताबें, सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें, वर्षा जल संचयन योजनाएं, 'अम्मा' भोजनालय सभी को सस्ता और बेहतर भोजन प्रदान करने के लिए, 'अम्मा' फार्मेसी इत्यादि।

मेरे कोयम्बटूर निर्वाचन क्षेत्र में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं/परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 चिन्तामनीपुदूर से काकानाडु वाय कोयम्बटूर, मेट्टपलायम, कन्नूर, ऊटी और गुडालूर जोकि लगभग 171 किमी. है, को चार लेन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, ताकि इन सड़कों पर भारी यातायात का सामना किया जा सके।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 209 — मडथकुलम से थिम्बम वाया पोलची, कोयम्बटूर और सत्यामंगलम, जोकि लगभग 190 किलोमीटर है को चार लेन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, ताकि इन सड़कों पर भारी यातायात से निपटा जा सके।

कोयम्बटूर को केन्द्र प्रायोजित सौर सार्वजनिक कार्यक्रम के तहत लाया जाए ताकि किफायती नाइट लाइट का इस्तेमाल किया जा सके जो संयोग से देश में पहला ऐसा प्रयास है।

कोयम्बटूर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे उच्च प्रोफाइल और शीर्ष तकनीकी संस्थाएं स्थापित किया जाना।

कोयम्बटूर में मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल की स्थापना करना क्योंकि यह एकमात्र ऐसा शहर है जो संपूर्ण जिले को स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्रदान कर सकता है।

चूंकि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मेनचेस्टर कहा जाता है, इसलिए पालाडम में एक टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाए क्योंकि यह कोयम्बटूर शहर के निकट है। यहां एक राष्ट्रीय डिजाइन और विकास विद्यालय की भी स्थापना की जाए।

एसएमई संधानी ईकाइयों और पम्प उद्योग की फीडर ईकाइयों की आपूर्ति किए जाने वाले कोयले, लौह अयस्क और अन्य कच्चे मालों की लागत कर मुक्त हो।

एनआरईजीपी लाभार्थियों को इसकी सुविधा प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी गांवों में राष्ट्रीय बैंकों की शाखाएं खोली जाएं।

न्याय निर्णयन संस्थान तक सहज पहुंच बनाने हेतु ऋणकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए इरोदा, सालेम, नामाक्कल और करूर जिलों को शामिल करने हेतु ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बटूर के क्षेत्राधिकार को मूल स्थिति में वापस लाया जाए।

किसानों और कृषक वर्गों के लाभ के लिए कोयम्बटूर में एक कृषि भंडारण परिसर की स्थापना की जाए जहां शीतगार की सुविधा हो। कार्गो काम्प्लेक्स में एक बड़ा शीतागार हो जिसमे फ्रीजर लगा हो।

कोयम्बटूर नागरिक हवाई अड्डे को विकसित व आधुनिक बनाया जाए ताकि वहां से और अधिक उड़ान परिचालित हो।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे उपर्युक्त अनुरोधों को स्वीकार करें और इसी वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यक निधि जारी करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस सामान्य बजट 2014 का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***डॉ. रामशंकर कठेरिया** (आगरा) : मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं। यह बजट निश्चित रूप से देश के हित में गरीबों, किसानों, व्यापारियों एवं सर्वजन हिताय वाला बजट है। इस बजट में एक अच्छे, मजबूत और स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना परिलक्षित हो रही है। पिछले 10 वर्ष तक जो यूपीए सरकार ने देश को आर्थिक खोखला बना दिया। इस कमी को दूर करने के लिए यह महत्वपूर्ण बजट है। मैं इस बजट का स्वागत करते हुए अपने क्षेत्र लोक सभा क्षेत्र आगरा एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में जाना जाता है। आगरा में प्रतिवर्ष 8 लाख विदेशी 80 हजार स्वदेशी पर्यटक आते हैं। आगरा में लंबे समय से मांग है कि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने यह हमारी प्रार्थना है। आगरा में आर.वी.एस. डिग्री कॉलेज जो कृषि विद्यालय है इसके पास 100 हैक्टेयर से अधिक जमीन रोड पर स्थित है। हम मांग करते हैं कि आगरा के आर.वी.एस. कॉलेज को कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाए तथा पर्यटकों की दृष्टि से आगरा में यमुना नदी जो कि एक तरफ किला और दूसरी ओर ताजमहल उस कोरी डोर का विकास किया जाए। आगरा में एस. एन. मेडिकल कॉलेज देश के प्रमुख पुराने 4-5 कालेजों में एक है जिसके पास लगभग 100 हैक्टेयर से अधिक जमीन शहर के मध्य से वहां एम्स बनाया जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

***श्री के. परसुरमन** (तंजावुर) : मैं तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुराचीथलाइवी अम्मा को तंजावुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद सदाय, बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं एआईएडीएमके तथा तंजावुर निर्वाचन क्षेत्र की ओर से आम बजट 2014-15 में चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। यह मेरा पहला भाषण है। मेरे तंजावुर निर्वाचन क्षेत्र को तमिलनाडु का अनाज भंडार कहा जाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत से लोग कृषि पर निर्भर हैं। मैं पुराचीथलाइवी अम्मा की ओर से कृषि, पशु प्रजनन और पालन और ग्रामीण विकास हेतु समुचित निधि प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर के दोहे तिरुक्कुरल में कहा गया है; पूरी दुनिया हल के पीछे घूमती है और इस प्रकार कृषि प्राथमिक पेशा है।"

एआईडीएम के नेता पुराचीथलाइवी एमजीआर ने कहा था "भगवान, जो नियोक्ता है के किसान एपी शानदार कर्मचारी मिला है।" प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के कल्याण तथा सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। मैं पुराचीथलाइवी अम्मा की ओर से सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन, शहरी क्षेत्रों में बिजली प्रदान करते के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा गांवों में सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का स्वागत करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु के लोगों को इन योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए इस राज्य को समुचित निधि प्रदान की जाए। सरकार ने आजीविका योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के अंतर्गत देश के 100 जिलों में महिला स्वसहायता समूहों को ब्याज रहित ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु के जिले विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र तंजावुर को 100 जिलों में शामिल किया जाए जिसे इसे योजना से लाभ मिलेगा। स्वच्छ भारत योजना में 2019 तक पूरे देश के प्रत्येक घर में शौचालय बनाने का विचार है। मैं इस संबंध में तमिलनाडु के लाभ के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

केन्द्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए की सहायता से कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया है। भविष्य में ऐसे एक संस्थान की स्थापना तमिलनाडु में की जाए। केन्द्र सरकार ने अंतर्देशीय मत्स्यन और

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पशु प्रजनन और पालन के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किया है। माननीय पुरातचितलैवी अम्मा गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की आजीविका के लिए सुनिश्चित करने के लिए दुधारु गाय और बकरियां दे रही हैं। केन्द्र सरकार ऐसी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं तमिलनाडु में कृषि और पशुपालन में सुधार हेतु समुचित निधि आवंटित करें।

प्रसिद्ध संगम साहित्य में कृषि के महत्व को रेखांकित किया गया है। राजा को शुभकामनाएं देती हुए कवयित्री अव्वैपार इस प्रकार कहती है:

"यदि तलबंध ऊंचा उठता है तो जलस्तर बढ़ता है। यदि जलस्तर बढ़ता है तो धान की फसल अच्छी होती है। यदि धान की फसल अच्छी होती है तो परिवार आत्मनिर्भर हो जाता है। यदि परिवार आत्मनिर्भर हो जाता है तो शासक प्रसन्न हो जाता है।"

तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुराचीथलाइवी अम्मा और माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का भाग्य अच्छा है। बजट में ऐसा संकेत है जो कृषि को महत्व देता है। इस बजट में न केवल कृषि को महत्व दिया गया है बल्कि ग्रामीण विकास को भी सुनिश्चित किया गया है।

केवल कृषि के विकास से नागरिकों की आजीविका में सुधार हो सकता है। यदि नागरिकों की आजीविका में सुधार होता है तो राज्य सरकार समृद्ध होगी। यदि सरकार समृद्ध होती है तो इससे राष्ट्र संपन्न और सशक्त होगा।

'विजन तमिलनाडु 2023' के अंतर्गत योजना का उद्घाटन राज्य की माननीय मुख्यमंत्री पुरातचित्तलवैथी द्वारा किया गया तथा राज्य सरकार को राज्य में वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार को आवास सुविधा और अवसंरचना विकास प्रदान कर शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक योजना शुरू करें। शहरी जनसंख्या के आधार पर केन्द्र सरकार को राज्य सरकार को भी निधि आवंटित करना चाहिए। इस वित्तीय साझेदारी योजना जिसमें केन्द्र सरकार 70 प्रतिशत हिस्सेदारी और प्रत्येक राज्य और स्थानीय निकायों की 15-15 प्रतिशत होनी चाहिए का क्रियान्वयन होना चाहिए।

7000 करोड़ रुपए की राशि 100 स्मार्ट शहरों के निर्माण हेतु आबंटित की गई है। तमिलनाडु के कुछ शहरों विशेषकर तंजावुर को स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल किया जाए।

तंजावुर का हजारों वर्षों का इतिहास और परंपरा है। तंजावुर में हजारों साल पुराना वृहदेश्वर मंदिर है। यूनेस्को द्वारा पोला मंदिरों की श्रेणी के अंतर्गत दारासुश्म में इरवादेवरार मंदिर और जयकोनडम में गंगाईकोनडा छोझापुरम मंदिरों को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तंजावुर को केन्द्र सरकार द्वारा एक विरासत पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। थिरुवयारु संगीत उत्सव, भरतनाट्यम, तंजौर कलाएं, मूर्तिकला और कई प्रसिद्ध मंदिर तंजावुर की शोभा बढ़ाते हैं।

मेरे तंजावुर संसदीय क्षेत्र और पास के स्थानों पर नव गृहों के मंदिर है। इसलिए यह एक तीर्थ स्थल है जो कि देशभर से हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। केन्द्र सरकार को तंजावुर को एक विरासत पर्यटन केन्द्र और तीर्थ स्थल घोषित करने के अतिरिक्त इसकी अवसंरचना विकास हेतु पर्याप्त निधियां आबंटित करनी चाहिए। इसलिए शहरी विकास कार्यों जैसे वायु मार्ग सुविधाएं, पर्याप्त रेल संपर्क, हॉस्टल आदि तंजावुर में पर्यटन में सुधार हेतु किए जाने चाहिए। मैं, इसलिए, केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तंजावुर में अवसंरचना में सुधार हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, तंजावुर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाना चाहिए।

मैं, इसलिए, तंजावुर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित करने और संसदीय क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों हेतु आवश्यक वित्तीय आबंटन प्रदान करने का आग्रह करता हूं।

मैं बजट का समर्थन करता हूं। मैं पुन: पुराची-थलाइवी अम्मा को 2014-15 के सामान्य बजट पर चर्चा पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम आभारी हूं उन माननीय सदस्यों का, जिन्होंने बजट की इस विस्तृत चर्चा में भाग लिया है। चर्चा लगभग 15 घंटे चली है। जो थोड़ा समय मैं लूंगा, वह अतिरिक्त होगा। कुल 77 सदस्यों ने भाषण देकर इस चर्चा में भाग लिया है और इनके अतिरिक्त 87 वे सदस्य हैं, जिन्होंने अपने लिखित भाषण टेबल पर रखे हैं।

मुझे बहुत कम चर्चाएं याद हैं बजट पर, जिनमें इतने अधिक सदस्यों ने भाषण के माध्यम से या लिखित माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास किया हो। इससे केवल एक बात स्पष्ट होती है कि अब राजनीति के केन्द्र बिन्दु हैं, राजनीति के केंद्र बिन्दु। उनमें आर्थिक विषयों का अपने आपमें महत्व हो चुका है। इस सदन के सभी दलों के प्रतिनिधियों को लगता है कि अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होती है, प्रगति और विकास होता है, तो शायद उसी के माध्यम से इस देश का भी उपकार होगा तथा इस देश में गरीबी को समाप्त करने में हम योगदान दे पाएंगे। माननीय सदस्यों ने इतनी अधिक रुचि ली है कि मुझे कई बार लगा कि अगर एक शुरुआत करनी है तो केवल अपने दल के दृष्टिकोण से ऊपर उठकर हम परिस्थिति को देखें।

पिछले 23-24 वर्षों में, 1991 के बाद इस देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ी तेजी आई थी। पूरे विश्व को लगता था कि भारत एक प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था। अलग-अलग चरित्र में सरकारें आई, लेकिन हमारी जो नीति थी, उसकी एक दिशा थी कि किस प्रकार से देश की विकास दर बढ़ पाएगी। सबको लगता थाकि अगर विकवास दर बढ़ती है और देश प्रगति करता है तो कुछ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे और सरकार की जेब में जो अतिरिक्त साधन आएंगे, हम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से, सारे कमजोर वर्गों की सहायता कर पाएंगे। लेकिन आज जिस परिस्थिति में सरकार में परिवर्तन हुआ, एक प्रकार से पिछले तीन-चार वर्षों में विशेष रूप से देश की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में एक निराशा का माहौल पैदा होने लगा था। निराशा का माहौल होते ही हमारी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। हमारी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता पर यह एक गंभीर प्रश्न था। यह प्रश्न चिन्ह ऐसा था कि बाहर के निवेशकों को लगता था कि आपकी अर्थव्यवस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपकी जो टैक्सेशन पॉलिसी है, उसकी स्थिरता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कई शब्दावलियां जो कभी हमने पहले सुनी नहीं थी – नीति, पंगुता, कर आतंकवाद। ये सब शब्द ऐसे थे जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में पहली बार प्रयोग हुआ। ये लोकोक्तियां पहली बार भारतीय अर्थव्यस्था प्रबंधन की शब्दावली में जोड़ी गई। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम सब अलग-अलग राजनीतिक दलों के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में से हम सबको सीखने को क्या मिला है, वह सबक भी हम लोग सीख लें। ताकि आगे से किसी की भी सरकार हो तो इस प्रकार की भूल हम लोग न करें। स्वभाविक है कि एक बात सीखने को यह मिली है कि किसी भी सरकार में जो प्रधानमंत्री होते हैं अंतिम शब्द उनका होना चाहिए। इसलिए एक प्रकार से अर्थव्यवस्था के प्रशासन में मंत्रि-परिषद् के माध्यम से उनको नीति बनानी चाहिए। कोई भी वित्त मंत्री प्रधानमंत्री के समर्थन के बिना कमी किसी महत्वपूर्ण निर्णय को कार्यान्वित नहीं कर सकता। केवल हम लोकप्रियता के पीछे चले जाएं और उस आड़ में जो एक स्थिर नीति हो सकती है जो अर्थव्यवस्था में अनुशासन ला सकती है, उसे नजर-अंदाज कर दें तो शायद उससे अर्थव्यवस्था में लाभ नहीं होता। हमने कई बार देखा है और राज्य सरकारों में हाल के चुनावों में भी देखा है, इससे पहले राज्य असेम्बली के चुनावों में भी देखा कि लोकप्रियता का निर्णय ले लिया और लगता था इससे बहुत वोट मिलेंगे, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो केवल उससे बहुत असर पड़ा है ऐसा नहीं हुआ।

भ्रष्टाचार और उसके जो परिणाम आते हैं उससे किसी भी अर्थव्यवस्था पर उलटा असर पड़ सकता है। हमारे देश में चाहे स्पैक्ट्रम का विषय था, कोयला आवंटन का विषय था, पूरी दुनिया और भारत के निवेशकों में भी मन के अंदर कई प्रश्न-चिन्ह खड़े हुए। टैक्सेशन की एक स्थिर नीति नहीं थी।

[अनुवाद]

हमारे पास एक स्थिर कर नीति नहीं थी। घरेलू निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों, दोनों के विरुद्ध एक निर्णायक क्षण आया जब उनपर भूतलक्षी प्रभाव से कर लगाने का विचार किया गया था। कोई भी अर्थव्यवस्था जो भूतेलक्षी प्रभाव से कर लगाती है और यह कहती है कि यह 40 वर्ष पहले से लागु होगा तो इससे व्यापार में अस्थिरता आती है और, इसलिए संसार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था।

एक अन्य सबक जो हमने सीखा है वह यह है कि यदि हम एक राष्ट्र के रूप में विकसित होना चाहते हैं तो मुख्य मुद्दों पर, कम से कम मुख्य राजनैतिक दलों के बीच, जितना संभव हो, हमें नीतिगत मुद्दों पर कुछ हद तक आम सहमति बनानी ही होगी। हो सकता है कुछ मुद्दे नीतिगत मुद्दे नहीं हो लेकिन काफी गुंजाइश है जहां व्यापक राष्ट्रीय हित में यह संभव है और इसलिए मैं इस सभा में सभी से आग्रह करता हूं कि जब हम हमारी आर्थिक नीति की योजना बनाएं तो उस समय हो सकता है कि कुछ कुछ मुद्दों पर कम मतभेद हो सकते है; और कई मुद्दों पर गहरे मतभेद हो सकते हैं।

महोदया, हम आज एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां गत दो वर्ष विशेषत: चुनौतिपूर्ण रहे हैं। काफी समय तक हमारी वृद्धि दर आठ प्रतिशत या नौ प्रतिशत के आसपास रही थी। यह 1991 से 2004 तक की कई सारी नीतियों का परिणाम था जिसे उत्तरोत्तर सरकारों ने अपनाया। गत दो वर्षों में हमारी वृद्धि दर में अचानक गिरावट आई है। दो वर्ष पहले, हमारी विकास दर 4.5 प्रतिशत थी। गत वर्ष हमारा जीडीपी 4.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। यदि अर्थव्यवस्था विकसित नहीं होती है तो कर में उछाल नहीं आता, और कर जीडीपी अनुपात नहीं बढ़ता। गत वर्ष, उदाहरण के लिए, कर जीडीपी अनुपात केवल 10.1 प्रतिशत था जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम है।

रोजगार नहीं बढ़े हैं। इसलिए, यदि आपकी वृद्धि सीमांत भी है तो भी यह बिना रोजगार के है। हमारी बचत दर गिरी है। इसलिए, एक वर्ष में 33 प्रतिशत बचतों से हम 30 प्रतिशत बचतों पर आ गए और ये बचतें जो कि प्रणाली में वापस जाती हैं और आगे निवेश प्रयोजनार्थ उपयोग होती हैं। हमारी विनिर्माण वृद्धि चिन्ता का एक विषय थी। विभिन्न देशों में सेवा क्षेत्र वृद्धि करता है और भारत जैसे देश में यह वैयक्तिक प्रयासों की दृढ़ता से बढ़ता है।

कृषि क्षेत्र में रोजगार में काफी कमी आई है। लेकिन, विनिर्माण वह क्षेत्र है जहां रोजगार है। उत्तरोतर सरकारों ने कहा कि हम चाहते हैं कि

25 प्रतिशत जीडीपी विनिर्माण से आए। यह लगभग 15 से 16 प्रतिशत तक गिरा है। यदि विनिर्माण में कमी आती है तो रोजगार सृजन नहीं होता; कर एकत्रित नहीं होता। कर संग्रहण में गिरावट आती है क्योंकि उत्पादन शुल्क कम होता है, सीमा शुल्क में कमी आती है और रोजगार में गिरावट आती है। गत दो वर्षों में हमने विनिर्माण में या तो कोई विकास नहीं हुआ और नकारात्मक वृद्धि हुई है। इसलिए, निवेश का स्तर कम है। मुद्रास्फीति काफी ऊंची है।

इसके अतिरिक्त, – क्योंकि हम कम से कम कुछ हद तक एक कल्याणकारी राज्य है- हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां हमारी राजसहायता का स्तर काफी उच्च है। हमने इसमें वृद्धि की है। इस समय भारतीय समाज के कई वर्ग हैं – क्योंकि यदि 30 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते है – जिन्हें राज सहायता दिए जाने की आवश्यकता होती है। लेकिन, कभी कभी राजसहायता की धनराशि एक अनियंत्रित स्तर तक पहुंच जाती है जब यह समाज के एक गैर पहचान वाले वर्ग को दे दी जाती है। इसलिए, उस वर्ग के लोग, जो कि राजसहायता के हकदार नहीं है, उन्हें भी राजसहायता दे दी जाती है चाहे वह शैक्षिक राजसहायता हो या तेल क्षेत्र की राजसहायता हो। हमें इस स्थिति को ठीक करने की आवश्यकता है। यह समस्या 26 मई तक न तो संप्रग की समस्या है और न ही 26 मई के बाद राजग की समस्या है। यह तो पूरे देश की आम समस्या है और सरकार में कोई भी हो उसे इस समस्या का गंभीरतापूर्वक समाधान करना पड़ेगा।

यह कहना जल्दबाजी होगी कि क्या इस प्रवृत्ति को पूर्णतया बदला जा सकता है। पहले संकेत है- मैं सावधानीपूर्वक कहूंगा कि यह केवल प्रारंभिक संकेत है जो सामने आए है- और ऐसा लगता है जैसे हम किसी अनुशासन का पालन करते है, हम प्रयास कर सकते है और इस प्रवृत्ति को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अप्रैल-मई, जब औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक चार प्रतिशत था, में नकारात्मक विनिर्माण वृद्धि से यह थोड़ा बहुत सकारात्मक हो जाता है जैसाकि जून में यह 4.2 प्रतिशत हुआ है।

फरवरी में मेरे पूर्ववर्ती ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए उत्पाद शुल्क में 30 जून तक की रियायतें दी थी। मैंने उन सभी रियायतों को सरकार को मिलने वाले अधिकाधिक करों का त्याग करके आगे बढ़ाया गया है। जून में ऑटो क्षेत्र में हमें परिणाम देखने को मिले हैं। वाहन निर्माण क्षेत्र भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में एक प्रमुख क्षेत्र है। अत:, वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। पूंजीगत वस्तुओं में कुछ सुधार है जो दृश्यमान है। विदेश क्षेत्र संबंधी निर्यातों में कुछ सुधार भी दृश्यमान है। पूंजीगत अंत:प्रवाह में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जो दृश्यमान है, पर जैसा कि मैंने कहा यह मानना बहुत जल्दबाजी होगी कि यह एक प्रवृत्ति है। यह केवल पहला संकेत है।

क्या मुद्रास्फिति को नियंत्रित किया जा सकता है क्योंकि दो फसलों के बीच की ऋतु का भाग-जुलाई से नवंबर - सामान्य तौर पर एक मौसम है जब कृषि पदार्थों; सब्जियों इत्यादि के मूल्य बढ़ जाते है? इसलिए, बहुत सावधान रहना चाहिए और उन्हें नियंत्रित रखना चाहिए। जून के माह में, थोक बिक्री मूल्य सूचकांक में 5.43 प्रतिशत और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 7.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गत 30 माह में यह सबसे कम वृद्धि है। मैं ठीक से नहीं कह सकता, क्योंकि हमने अभी 27 को ही संभला है, कि मैं इसका श्रेय लेने का दावा करूं क्योंकि यह अनेक कारणों का परिणाम है जो सतत है।

इसके परिणामस्वरूप, यदि हमें इसे जारी रखना है और इस पहले अवलोकन को एक पद्धति या प्रवृत्ति बनाना है तो मुझे लगता है कि हमें अनेक कदम उठाने पड़ेंगे। बजट में उन कदमों में से केवल कुछ ही को शामिल किया गया है। यह केवल दिशात्मक था।

[हिन्दी]

वह केवल एक दिशा दिखलाता है। अधिकतर ऐसे कदम होंगे जो बजट ढांचे से बाहर होते है। यह आवश्यक नहीं कि सब कुछ बजट में घोषित हो। सरकार का लेखा-जोखा बजट में होता है लेकिन बजट के बाहर जो आपको कदम उठाने हैं, जब भी सरकार को लगता है कि सुधार लाने की आवश्यकता है, सुधार लाते हैं पहले भी लाते रहे हैं। एक रिवाज बना है राजनैतिक तर्क देने का कि व्यापार और व्यवसायी के पक्ष में कौन है और गरीब के पक्ष में कौन है? जैसे ये दोनों चीजें आपस में अन्तर्विरोधी हों। अगर हम देखें कि इस देश का आर्थिक ढांचा बन रहा है, स्वाभाविक है कि देश के आर्थिक ढांचे में हमें निवेश चाहिए, पूंजी चाहिए। देश के भीतर से पूंजी आएगी, देश के बाहर से भी आ सकती है। मैं अलग से एफडीआई की बात करूंगा। किस क्षेत्र में एफडीआई आए या किसमें न आए, यह निर्णय देश करे। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमारे साधनों में यह जुड़ सकती है *[अनुवाद]* और यह संसाधनों की अतिरिक्तता हो सकती है। यदि आपके पास संसाधन नहीं हैं, तो आप आर्थिक कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। तत्पश्चात, यह आपके भाग्य में लिखा हुआ है। *[हिन्दी]* हमें निवेश चाहिए। उस निवेश के माध्यम से जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो उसमें से रोजगार पैदा होता है। अगर वह थोड़ा सा मुनाफा कमाती है तो उसमें से राजस्व पैदा होता है। उस राजस्व से सरकार की जेब में जाता है, सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाती है, गरीबी दूर करने के लिए योजनाएं बनाती है। आर्थिक गतिविधि का लाभ यह होता है कि जो लोग उस ढांचे में शामिल हो जाते हैं, स्वाभाविक है कि उन लोगों के गरीबी से उठने का अवसर मिल जाता है। इस देश का अनुभव यह है कि केवल विकास होने से गरीब क्या गरीबी में से निकल जाएगा, यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसीलिए हर सरकार अपनी राजनैतिक विचारधारा के

अनुकूल उसे हटाने की कोशिश करती है। *[अनुवाद]* इससे बाहर आने का कोई रास्ता होगा, परंतु आपको पर्याप्त संसाधन जुटाने होंगे ताकि उन्हें गरीबों तक पहुंचाया जा सके।

[हिन्दी]

जो सरकार किसी आर्थिक गतिविधि से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकती तो वह गरीबी का उन्मूलन कैसे करेगी? वह तो गरीबी को पाटने का प्रयास करेगी। *[अनुवाद]* इससे केवल गरीबी में बढ़ोतरी होगी। इसे आर्थिक कार्यकलापों के जरिए आर्थिक संसाधन जुटाने चाहिए और इन संसाधनों से कुछ लोगों को रोकने में मदद मिलेगी और उसके बाद इसका गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। *[हिन्दी]* जब इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो लोग देखकर और निवेश करते हैं। मुझे लगता है कि जब इस दृष्टि से देखें, जब बजट पर चर्चा आरंभ हुई तो मुझे विचित्र लगा जब सिंधिया जी ने यह कहा कि लगता है कि यह हमारी पार्टी का बजट है। जब उन्होंने यह कहा तो मेरा उत्साह बढ़ गया। मुझे लगा कि अब वह बजट की प्रशंसा करेंगे क्योंकि यह उनका अपना बजट है। जब वह मेरी तरफ देखते थे तो कहते थे कि हमारा बजट है और जब अपनी साइड में पहली पंक्ति की तरफ देखते थे तो आलोचना करने लग जाते थे। *[अनुवाद]* हमें गंभीरता करने यह विचार करना चाहिए कि दृष्टिकोण में क्या मतभेद है। दृष्किोण में यह मतभेद है कि, इस बजट में हमने करों में कोई वृद्धि नहीं की है। करों में वृद्धि नहीं करने के हमारे कारणों में से एक कारण यह है कि यह प्रधानमंत्री का स्वयं की है और प्रधानमंत्री का इस मुद्दे पर पूर्णतया समर्थन करता हूं, कि अगर आपके पास उत्पादों पर उचित कराधान दर है तो इससे निश्चय ही आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन मिलेगा।

यदि आप उत्पादों पर अत्यधिक कर लगाएंगे और उन्हें महंगा करेंगे तो यह सिद्धांत है कि उपभोक्ता वही चीज खरीदेंगे जो सस्ती है। वे आपके उत्पाद नहीं खरीदेंगे; और वे बाहर से उत्पाद खरीदेंगे। *[हिन्दी]* इस देश के जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हैं, उन्हें कैसे कॉम्पिटेटिव बनाना है। क्या उस पर ज्यादा टैक्स लगाने से कॉम्पिटेटिव बनेगा या उसको प्रोत्साहन देने से बनेगा? *[अनुवाद]* अतः, कम करों से आर्थिक सक्रियता बढ़ेगी *[हिन्दी]* मैंने पहले जो प्रश्न रखा, किसी ने कहा कि हम प्रो-बिजनस है। हां हम हैं। इस देश के निजी क्षेत्र में बिजनस एक्टिविटी बढ़ेगी, उसी में रोजगार बढ़ेगा, उसी से राजस्व आएगा ओर उसी से गरीबी का उन्मूलन होगा *[अनुवाद]* महोदया, कारोबार हितैषी और गरीब हितैषी होने में कोई विरोधाभास नहीं है। बल्कि यदि आप कारोबार कार्यकलापों को रोकेंगे तो जहां तक इस देश का सवाल है आपके पास गरीबों की सेवा के लिए पर्यापत संसाधन नहीं होंगे। अतः, मैं इसमें कोई विरोधाभास नहीं देखता। *[हिन्दी]* इस बजट में हमने मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर को बढ़ाने का प्रयास किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का प्रयास किया है। किसी भी सोशल सैक्टर स्कीम में से एक रुपया भी कम नहीं किया, बल्कि बढ़ाया ही है। मुझे नहीं याद आता है कि पिछला कौन सा बजट था, जिसने निजी करदाताओं को इतनी रिलीफ देने की कोशिश की हो। *[अनुवाद]* जब आप यह कहते हो कि यह आपका बजट है, तो आपके द्वारा भूतलक्षी कर संबंधी समस्या उत्पन्न की गई थी। हमने समस्या का पूर्ण रूप से समाधान निकालने का प्रयास किया है। कर कार्यान्वियन की पूरी व्यवस्था में जहां सभ्यता का अभाव है, यह समस्या आपके द्वारा पैदा की गई थी। दोनों एक समान कैसे हो सकते है? अतः, जहां तक कराधान का संबंध है, हमने यह कहा है कि जहां तक भविष्य का संबंध है कोई भूतलक्षी कर नहीं लगाया जाएगा। हमने राहत दी है कि हम नवीन दायित्वों को बनाते हुए लोगों पर भूतलक्षी कर नहीं लगाएंगे। हम ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहें जहां देश में वस्तु एवं सेवाकर लागू हो सके। यह कहकर हमने सुधारवादी कदम उठाया है कि अग्रिम निर्णय की सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब भारत में भारतीय कारोबार में निवेश करेंगे। अप्रवासी भारतीय इसके पात्र थे। *[हिन्दी]* आप व्यवसाय शुरू करने से पहले पूछ लीजिए, एक थ्रेशहोल्ड से पहले आपको बता देंगे कि आप पर कितना टैक्स लगता है, *[अनुवाद]* ताकि बाद में आपका कारोबार संभालने योग्य न रह जाए। *[हिन्दी]* 4 लाख करोड़ रुपया टैक्स विवादों में फंसा हुआ है। उसको रिसाल्व किया जाए, उसके लिए सैटलमेंट कमीशन बने। उद्योग का, टैक्स पेयर्स का सरकार का और सीबीडीटी का इंट्रैक्शन हो, बातचीत हो और उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से स्टैट्युटरी शेप दे दी जाए। इस देश में हजारों हजार करोड़ रुपए, विशेष रूप से उन लोगों के जो बाहर से निवेश कर रहे हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के झगड़ों में पड़ा हुआ है। सिंधिया जी तो बैंकर रहे हैं। यह विषय उनको मालूम है। उनका अध्ययन इस पर शायद मुझसे ज्यादा होगा। जिन लोगों ने देश में निवेश किया, उनके हजारों-करोड़ों रुपए झगड़े में पड़े हुए हैं। उनमें से कई लोग हमारे पास आते हैं और वे कहते हैं कि हम अपना उद्योग बंद कर के वापस जा रहे हैं। उसको गाइडलाइंस देना, उसका हल करने की कोशिश करना, केवल 6 सप्ताह के समय में इस काम को करना सरल नहीं था। ये काम तो पहले भी हो सकते थे। इस पर तो कोई वैचारिक झगड़ा नहीं था।

सुदीप दा ने विषय उठाया कि डिफेंस में एफडीआई क्यों आया? आज जो स्थिति है, उसमें 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। इस पर दो प्रकार की टिप्पणियां हो रही हैं। पहली टिप्पणी है कि आपने कहा कि डिफेंस में एफडीआई क्यों आया। आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से हमारा 70 प्रतिशत डिफेंस इक्विपमेंट विदेशों से आ रहा है। फॉरेन कंपनीज से आता है, निजी कंपनीज से आता है, सरकारी कंपनियों से आता है। कितने लंबे युद्ध के लिए डिफेंस इक्विप्मेंट चाहिए और हमारे पास कितना है, यह प्रश्न है।

[अनुवाद]

ऐसे लोग भी है जो रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध करते है। मैं विरोधाभास को नहीं समझ सकता "आप विदेशी कंपनियों और विदेशी सरकारों से 100 प्रतिशत खरीद सकते हो परंतु मैं विरोध करूंगा अगर आप 51 प्रतिशत के साथ भारतीय कंपनी की स्थापना करते हो और भारत में विनिर्माण शुरू करते हो।" आज यह स्थिति है कि हम विदेशी कंपनियों और विदेशों से रक्षा उपस्कर खरीद रहें है। हमारी 'रक्षा' उनके हाथों में है। वे आपूर्ति रोक सकते हैं। हमें क्षमता निर्माण करना है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इस क्षमता का निर्माण कर रहा है। जब वाजपेयी जी ने इसे 26 प्रतिशत किया था तो बड़े कारोबारी घराने, टाटा, लारसेन एंड टर्बो, भारत फोर्ज, महिन्द्रा ने कुछ रक्षा स्थापनाएं शुरू की है। संप्रग द्वारा अनुसरण की गई शुरूआती नीति ने भी इसमें मदद की है। अत:, मुझे दो विकल्पों का सामना करना पड़ा था।

अन्य आलोचना जिस पर महताब जी ने बहस की कि "यदि आप चाहते हैं कि प्रौद्योगिकी का आगे लाए जाए इसे 51 प्रतिशत करें।" यदि मैं इसे 51 प्रतिशत करता हूं और बाहरी लोगों को इसका अत्यधिक नियंत्रण दूं, तो मैं केवल विदेशी जमीन से भारतीय जमीन पर उनके संयंत्र के स्थान को स्थानांतरित कर रहा हूं। यह उसके नियंत्रण में रहता है। यदि में 26 की हिस्सेदारी को जारी रखने के लिए अनुभत्त करता हूं, तो मेरे पास विदेशी भूमि से क्रय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अत: मुझे 'रक्षा' के मामलों में घरेलू, स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करना होगा। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि संप्रग सरकार भी, किसी चरण पर, 49 प्रतिशत पर विचार कर रही थी। परंतु हमने कहा "एफआईपीबी मार्ग और भारतीय नियंत्रण"। हम मानते हैं कि इन परिस्थितियों में, यह शायद सर्वोत्तम नीति है। यह वर्तमान यथा स्थिति से बेहतर है जहां हमारे रक्षा उपकरणों का 70 प्रतिशत बाहर से आता है और बड़ी भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : डीआरडीओ क्या कर रहा है?

श्री अरुण जेटली : डीआरडीओ काफी कुछ कर रहा है; जिसका मैंने सुबह भी वर्ण न किया है। तथापि जहां तक भारतीय सशस्त्र बल की बात है, तो हो सकता है कि डीआरडीओ के पास सभी आपूर्तियां नहीं हैं। हम विश्व को सबसे बड़ी थल सेनाओं में से एक हैं। हमारी रक्षा आवश्यकता के लिए अधिक की आवश्यकता है। अत: हमें घरेलू क्षमताओं का निर्माण करना होगा। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इन परिस्थितियों में, 49 प्रतिशत की जो पहल हमने की है वह व्यापक राष्ट्रीय हित में है।

सार्वजनिक क्षेत्र में बीमा कंपनियां हैं - एलआईसी ने अच्छा कार्य किया है, सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कंपनियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है; और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां भी हैं। तथापि, बीमा क्षेत्र निवेश की कमी से प्रभावित है। इस देश में स्वास्थ्य बीमा, *[हिन्दी]* आज किसी को निजी अस्पताल में जाकर इलाज करवाना पड़ जाये तो फिर पता चलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितनी कम है इस देश में। दुनिया के जिस देश में हेल्थ केयर डेवलप हुआ है बड़े पैमाने पर, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस है। हमारे यहां इंश्योरेंस में साधन नहीं हैं। वहीं सिद्धांत हमने वहां लगाया कि इंडियन मेजोरिटी, इंडियन कंट्रोल 49 परसेंट। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश को बढ़ाना चाहते हैं, ये 100 स्मार्ट शहर कोई एक वर्ष में नहीं बनेंगे। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहूंगा कि आप तो 50 वर्ष से ज्यादा सरकार में रहे, जब नयी योजना बनती है और सालों-साल के लिए बनती है और उस साल में जब एक तिहाई साल बीत चुका है, एक तिहाई और लगेगा अभी योजना बनाने में, मान लीजिए हमने कहा कि पश्चिम बंगाल में एम्स बने। इस वर्ष हम 100 करोड़ भी देंगे तो 100 करोड़ में तो एम्स नहीं बनेगा। लेकिन इस बार तो जमीन आयेगी, उसकी पूरी प्लानिंग होगी, नक्शे पास होंगे और जो 100 करोड़ देंगे, उसमें से शायद 10-20 करोड़ से ज्यादा इस साल खर्च नहीं होगा। फिर अगले साल दोबारा देंगे। यह पूरे एम्स के लिए नहीं होता। यूपीए के कार्यकाल में तो योजना जब शुरू करते थे, 100 करोड़ तो छोड़िए, एक करोड़ पर भी बजट में योजना शुरू हुई है। आपने योजना शुरू की और जब उसके लिए जितने साधनों की आवश्यकता होती है, उतने मिलते हैं। पूरी योजना के लिए 100 नहीं होता। 100 स्मार्ट सिटी बनने में तो इस देश में दशक लगेंगे लेकिन क्या देश के सिर्फ 35 परसेंट लोग शहरों में रहें और बाकी देहातों में रहें, उनको सुविधा न मिले? शहरीकरण और उप-शहरीकरण चालू प्रचालन है। पूरे विश्व में, यही प्रचलन है। बड़े शहरों के आस-पास छोटे शहर बस रहे हैं, वे स्मार्ट सिटीज़ हैं। आज नया रायपुर, गांधीनगर, नौएडा, गाज़िबाद — ये सब स्मार्ट सिटीज़ हैं। इस प्रकार के शहर अगर बसने हैं तो 7000 करोड़ रुपए में नहीं बसेंगे, लेकिन जो आरंभिक साधन उसके लिए दिये जा रहे हैं, जब उसकी योजना बनेगी, और अभी तो पांच-सात भी शुरू हो जाएं, शहर बनने और बसने में तो फिर दशक लगते हैं। उस दिशा में जाएंगे, निजी क्षेत्र आएगा, इस सारे क्षेत्र के लिए हमने इसमें सुविधाएं बनाई हैं। बैंक कैपिटलाइज़ेशन की बात है। आज हिन्दुस्तान का बैंकिंग सिस्टम केवल 58 फीसदी लोगों तक पहुंचा है। अगर 90 और 100 फीसदी बनाना है तो उसको साधन चाहिए ताकि लोग ऋण भी ले पाएं। बैंक्स का रीकैपिटलाइज़ेशन करना, जिसके लिए *[अनुवाद]* बेसेल-III मानकों को पूर्ण करने के लिए और वर्ष 2018 तक, हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सरकारी स्वरूप बनाए रखेंगे। सरकार की

हमेशा बड़ी हिस्सेदारी होगी। कुछ अधिशेष हिस्सेदारी किसी व्यापारिक घराने की नहीं बल्कि बाजार में बेची गई भारत के लोग इन बैंकों का स्वामित्व सरकार के जरिए रखते हैं। आज, सरकार के पास बड़ी हिस्सेदारी बनी रहेगी। परन्तु यदि, कुछ अधिशेष, छोटे फुटकर निवेशकों को जाता है, तो आप वर्ष 2018 तक 2,80,000 करोड़ रुपए प्राप्त कर सकते हैं, जहां बैंकिंग समावेशन 58 प्रतिशत से 80 या 90 प्रतिशत तक जा सकता है। अब यह एक संसाधन है, जो हमारे पास उपलब्ध है।

[हिन्दी]

हमने टूरिज़्म के क्षेत्र में कहा कि कुछ देशों को छोड़कर जहां सुरक्षा कारण हो सकते हैं, इलैक्ट्रॉनिक वीज़ा या वीज़ा ऑन एराइवल देंगे। ये जो कलैक्टिव योजनाएं हैं, पूलिंग रिसोर्सेज़ से रीयल एस्टेट बने। चाहे शहर बसें, चाहे छोटे शहरों में जाएं, जो रीयल एस्टेट इनवैस्टमैंट फंड्ज़ और इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवैस्टमैंट फंड्ज़ हैं, उनको टैक्स की छूट चाहिए थी पास-थ्रू के लिए। जब कंपनी ट्रस्ट बनाती है तो उस पर टैक्स न लगे और इसलिए वह रिसोर्स आ जाए। पूरी दुनिया के कई देशों में यह सफल मॉडल रहा है। उसका प्रयोग करना ताकि इन्फ्रास्ट्रक्चर में पैसा और साधन इसके माध्यम से आने लग पड़ें।

माननीय अध्यक्ष जी, मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में पावर सैक्टर को इंसैन्टिवाइज़ किया जाए। पावर सैक्टर बहुत चुनौतीपूर्ण है। यह देश बिना पावर सैक्टर के प्रगति नहीं कर सकता। वह छूट हमने टैक्स की दी कि जो लोग बिजली बनाने में निवेश करेंगे, उनको टैक्स इंसैन्टिव मिलेगा। इनवैस्टमैंट अलाउंस उन लोगों को मिलता था जो सौ करोड़ रुपए से ज्यादा लगाते थे। सौ करोड़ रुपए से ज्यादा लगाने वालों की संख्या कम है। हमने उसको 25 करोड़ रुपए कर दिया। जो एमएसएमई सैक्टर है, उसमें इससे एकदम उत्साह आया है। कई एक्साइज और कस्टम्स रीबेट्स हमने कई क्षेत्रों में मैनुफैक्चरिंग सैक्टर्स को दिये हैं, जिससे उनको प्रोत्साहन मिल सकता है।

टैक्सटाइल क्लस्टर्स और इंडस्ट्रिय कॉरीडोर्स यूपीए के ज़माने में भी शुरू हुआ। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसको सफल बनाना है, उसी से राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री सिंचाई बिल्डिंग इस देश की हो। सॉइल हैल्थ, सस्ता ब्याज, भूमिहीन किसानों के लिए 5 लाख संयुक्त खेती की योजनाएं जिनको सरकार की तरफ से साधन मिले। बैंक क्रैडिट एग्रीकल्चर सैक्टर में इस वर्ष 8 लाख करोड़ तक जाए और जहां किसी वस्तु की कीमतें कम हों तो प्राइस स्टेबिलाइज़ेशन फंड उसके लिए है। ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 25000 करोड़ का फंड इकट्ठा हो। पूरे इन्फ्रासट्रक्चर के क्षेत्र में स्मार्ट सिटीज़, बिजली, शिपिंग, एयरपोर्ट्स, हाईवेज़, रूरल रोड्ज़ – एक-एक योजना के संबंध में हमने इसमें टिप्पणी की है।

[अनुवाद]

जैसा मैंने कहा, कोई विरोधाभास नहीं हैं। आपको, अर्थव्यवस्था को चलाते रहना है, आपको अर्थव्यवस्था से अपने लिए बड़े संसाधन मुहैया कराने हैं। उन संसाधनों को गरीबों के लिए उपयोग किया जाना है। *[हिन्दी]* अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए व्यापार को, व्यवसाय को कुछ प्रोत्साहन देते हैं तो उसी से गरीब आदमी का कल्याण करने के लिए साधन आपकी जेब में आएंगे। जितनी योजनाएं थीं, वन बंधु, एससी-एसटी वर्ग से आने वाले व्यवसायियों के लिए स्टार्टअप वेंचर कैपिटल, वरिष्ठ नागरिक, विज़ुअली डिसएबल, फ़िज़ीकली चैलेन्ज्ड, ऑर्गेनाइज्ड लेबर, जो बिलकुल असहारा है, लाइवलीहुड मिशन, रूरल हाउसिंग, ड्रिन्किंग वॉटर, इस सब क्षेत्रों में जा कर हम लोगों ने हर एक के लिए विस्तृत योजना को वर्णन इस बजट में किया है। मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि एक-एक राज्य के सांसद आ रहे हैं कि आप जो राज्यों में आईआईटीज़, आईआईएम्स आप दे रहे हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, जो टेक्सटाइल क्लस्टर्स बना रहे हैं, मेरे राज्य में यह रह गया है, इसको ज़रूर कीजिए। राज्यों में और उनके सांसदों में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ रही है। यह अच्छी प्रतिस्पर्द्धा है कि मेरे राज्य में और देने का प्रयास कीजिए। कुछ को हम लोगों ने दिया है और यह कोशिश की है कि कोई राज्य इसमें से बाहर न रहे और जैसे ही सरकार के साधन बढ़ेंगे, मैंने एक-एक माननीय सांसद की बात नोट की है, जितने लोग बोल हैं या जिन्होंने लिखित में अपना भाषण दिया है, जिनके राज्य इस में रह गए हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, कुछ इस साल जुड़ जाएंगे, कुछ आने वाले सालों में जुड़ेंगे।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संबंध में कानून में और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. साहब ने जो भी अपने वक्तव्य में दोनों राज्यों से वायदे किए थे, उसको सौ फ़ीसदी हम लोग निभाएंगे।

कई ऐसे विषय थे, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। यदि दिया भी जाता था तो योजनाएं सफल नहीं होती थीं। कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडित भाई हैं, अगर उनको पुन: स्थापित करना है या कोई उस राज्य से बाहर आ गया है, उसको वापस भेजना है, तो जो साधन हमने दिए हैं, उसमें यदि आवश्यकता होगी और अधिक की होगी तो हम उसको देने का प्रयास करेंगे।

मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य एक बार इस बात को जान लें कि जो इनकम टैक्स की लिमिट थी, उसे दो लाख से ढाई लाख किया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए तीन लाख रुपए किया गया है।

[अनुवाद]

ऐसे बहुत अवसर नहीं है जब सीमा 50,000/- तक भी बढ़ाई गई है। मेरे मित्र डॉ. शशि थरूर यहां नहीं हैं। उन्होंने पूछा था कि "यह 5

लाख तक क्यों नहीं किया जाना चाहिए।" मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी पार्टी ने इसका आधा भी किया होता। परंतु यह एक शुरुआत है। मेरा एक मात्र खेद यह है कि हमारी जेब में यह आंकड़ा देने के लिए पर्याप्त धन नहीं हैं। परंतु एक मात्र यही बात नहीं है। जब मैंने कहा कि बचत 33 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक नीचे आ गई है। 80सी छूट को रुपए 1,00,000 से रुपए। 50,000 तक बढ़ाया जाना छोटे करदाताओं और सभी करदाताओं को अधिक बचत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए है। जब वे इसे अपनी बचत में जमा करते हैं तो वह धन राष्ट्रीय विकास और अवसंरचना निर्माण में लगता है। यह बैंकों में जाता है; यह भविष्य निधि में जाता है; और यह कई अन्य प्रतिभूतियों में जाता है। वहां भी हमने इसे 50,000 रुपए तक बढ़ाया है।

[हिन्दी]

किसी ने कहा कि पांच हजार रुपए की छूट मिल गयी, तो जो पचास हजार रुपए का प्रयोग छोटी सेविंग्स में करेगा, उसको अलग छूट मिलेगी, दो से ढाई लाख और वरिष्ठ लोगों को ढाई से तीन लाख रुपए तक अलग छूट मिलेगी। हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं ओर रियल स्टेट सैक्टर को भी, वह ग्रोथ इंजन है। आप मकान खरीदिए या फ्लैट खरीदिए, आपको डेढ़ के स्थान पर दो लाख रुपए की छूट मिलेगी।

[अनुवाद]

हम चाहते हैं कि लोगों को अपने स्वयं के घर खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान एक ऐसी स्थिति आयी थी वहां किराया देना अधिक महंगा था जबकि ईएमआई सस्ती थी। ब्याज की दरों मे बढ़ोत्तरी हो गयी है। आशा है कि महंगाई कम होने पर ब्याज दरे भी कम हो जाएगी और हम चाहते हैं कि वापस वैसी ही स्थिति आए जब घर खरीदना, इसे किराये पर लेने से अधिक सस्ता हो। इससे राष्ट्रीय विकास में सहायता मिलेगी क्योंकि इससे रियल इस्टेट क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी।

[हिन्दी]

आपने बढ़ती हुई कीमतों का जिक्र किया, वैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसका संकेत नहीं देता है, जो आप कह रहे हैं। *[अनुवाद]* हमने कहा कि तीस महीनों के दौरान जून में यह सबसे कम रही और हमें सत्ता में आए केवल सात सप्ताह ही हुए हैं। जुलाई से नवम्बर की अवधि में सब्जियों और कृषि उत्पादों की कीमतों में उछाल आता है क्योंकि यह अवधि दो ऋतुओं के मध्य आती है। पिछले दो वर्षों में प्याज की कीमत 70 रुपए, 80 रुपए अथवा 100 रुपए प्रति किलो भी पहुंच गई। ज्योंही इसकी कीमत 20 रुपए प्रति किलो की दर को पार पहुंची, हमने उसी क्षण कठारे कार्रवाई की और इसकी कीमत को 25 रुपए प्रति किलो पर स्थिर किया। आशा है कि जैसे ही नई फसल आएगी तो इसकी कीमत में और कमी आएगी।

बड़ी आलोचना की गई कि आते ही रेल के भाड़े बढ़ा दिये। सिंधिया जी, यदि आप अपने बजटों और हमारे बजट, आपके और हमारे दृष्टिकोण के अंतर को जानना चाहते हैं तो रेल माल भाड़ा और यात्री किराये में वृद्धि एक बिन्दु है। दिनांक 6 फरवरी को आपके रेल मंत्री ने ही इस बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी। खड़गे जी यहीं हैं। 10 फरवरी को उन्होंने रेलवे बोर्ड के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात की। फाइल की नोटिंग में यह कहा गया है कि यह आवश्यक है, इसे किया जाना चाहिए, अन्यथा, भारी घाटा होगा और रेलवे का परिचालन ठप हो जाएगा; किन्तु इसे अभी न करें, बल्कि मई में करें। आप चुनाव का इंतजार करना चाहते थे। इस प्रकार इस कमजोर सरकार को कठोर निर्णय अथवा अलोकप्रिय निर्णय न लेने की अनुमति प्रदान की गई...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : इसी प्रकार आपने महाराष्ट्र में किया।

श्री अरुण जेटली : मुझे खुशी है कि खड़गे इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकते हैं कि 10 फरवरी को उन्होंने कहा कि एक बढ़ोत्तरी आवश्यक है किन्तु उसे मई में किया जाए; हम इसे अभी नहीं करेंगे; अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने दें; रेलवे को प्रभावित होने दें; मेरा वोट प्रभावित नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को उस नोट से संकेत मिला और 16 तारीख को, जब परिणाम आ रहे थे, तो किराये में वृद्धि की गई। सायं 7 बजे किराये में वृद्धि की गई। खड़गे जी ने फाइल मंगवाई और कहा, "इनमें आज बढ़ोत्तरी नहीं की जाए, आने वाली सरकार को निर्णय लेने दें।" आपने इस आदेश को पलट दिया।

इसलिए, इस सरकार ने यह विचार किया कि क्या वह लोकप्रियता के बारे में सोचे और किराये में बढ़ोत्तरी न करें एवं रेलवे को नुकसान होने दें; अथवा इस निर्णय को लागू करें जिसे खड़गे जी ने लिया था किन्तु लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। इसलिए इन्होंने केवल आपके निर्णय को ही कार्यान्वित किया है। और मत परिवर्तन यह है कि आपने इस बढ़ोत्तरी की सिफारिश की आपके प्रधानमंत्री ने इस बढ़ोतरी को अनुमोदित किया, इस बढ़ोतरी को लागू करने की साहस आपमें नहीं था, और जब उत्तरवर्ती सरकार ने यह साहस किया और इसे लागू किया तो अब आप कहते हैं कि आपने इस वृद्धि को लागू क्यों किया, जिसकी सिफारिश हमने की थी, आप जन विरोधी हैं। मैं सोचता हूं कि हमें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए।

खड़गे जी, हम सभी के लिए यह सबक है कि यदि हम चाहते हैं कि इस देश में सुविधाएं तथा अवसंरचनाएं हों और यदि हम चाहते हैं कि इनका निर्माण किया जाए तो हमें अपने लोगों को शिक्षित करने की

आवश्यकता है। जिन लोगों को सब्सिडी की आवश्यकता है, उन्हें छोड़कर अन्य लोगों को इन सुविधाओं के लिए राशि खर्च करनी चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

भारत में राजमार्ग एक सफल प्रयोग क्यों रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि उपभोक्ता और प्रयोक्ता इस सुविधा के लिए मूल्य चुका रहे हैं। यदि प्रयोक्ता पैसे खर्च न करें तो कोई राजमार्ग नहीं रहेगा। यदि प्रयोक्ता पैसे नहीं चुकाएंगे तो रेलवे नहीं चलेगी। इसलिए कम से कम हम इस लोकप्रिय कार्यक्रम को छोड़ने के बारे में सोचें। हम कई क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे किन्तु यदि प्रयोक्ता राशि चुकाएंगे तो हमारे पास बेहतर आधुनिक भारत होगा जिसमें विश्वस्तरीय अवसंरचना होगी।

मैंने बजट में ही कई प्रस्ताव किए थे — यह मेरा अंतिम बिन्दु है। कराधान के संबंध में कई लोगों और माननीय सदस्यों से ढ़ेरों सुझाव प्राप्त हुए। मैं प्रत्येक प्रस्ताव में से तथ्यों को नोट कर रहा हूं और अगले सप्ताह या उसके पश्चात् चर्चा में वित्त विधेयक के दौरान मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा किन्तु दो या तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में सूचित करना चाहता हूं। एक क्षेत्र यह है कि खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में मंत्री जी ने एक अनुरोध किया है और कुछ अन्य सदस्यों ने भी अनुरोध किए हैं कि फूड पार्क के रूप में डिजाइन की जा रही कृषि प्रसंस्करण ईकाइयों को वहनीय ऋण उपलब्ध कराने के लिए मैंने यह घोषणा करने का निर्णय लिया है कि नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपए की एक विशेष निधि की स्थापना की जाए। हम इसके लिए पृथक दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

उसके पश्चात् पवन ऊर्जा क्षेत्र में त्वरित अवमूल्यन के संबंध में थोड़ी चर्चा हुई थी। इस बजट में हमने पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के लिए विभिन्न प्रकार का प्रोत्साहन दिया है। मुझे रियायत के लिए अधिक अनुरोध प्राप्त हुए हैं। चूंकि यह शुरुआती स्तर में है, इसलिए इन अनुरोधों को सम्मान देते हुए मैं पवन ऊर्जा के लिए त्वरित अवमूल्यन लाभ को पुन: लागू करुंगा। हम वित्त विधेयक में आवश्यक संशोधन करेंगे।

मुझे एक और अनुरोध प्राप्त हुआ था। देश के कई हिस्सों विशेषकर पाकिस्तानी सीमा से जुड़े सीमावर्ती राज्यों में नशे के सेवन की समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिए; और विशेषकर पंजाब में यह समस्या बड़ी चुनौतीपूर्ण है। इसलिए इससे निपटने के लिए हमने पंजाब में नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना की है और मेरा प्रस्ताव है कि इसके लिए शुरुआत में 50 करोड़ रुपए की राशि दी जाए।

वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान हम कर प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं बजट को माननीय सभा के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री जी ने अच्छी तकरीर की है। वह एक अच्छे वकील भी हैं।...*(व्यवधान)* आपके लिए तो अच्छा है।...*(व्यवधान)* वह अच्छे वकील हैं लेकिन बुरे केस को ले कर बहुत बड़ी वकालत की है।...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : कई बार ऐसा होता है कि बैड केस एक वकील को छोड़ कर दूसरे के पास आ जाता है।...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपने वह वकालत ठीक की है लेकिन आप यह नहीं बोले हैं कि जब पावर्टी एलीविएशन के प्रोगाम्स हैं और वेल फेयर मेजर्स के लिए आपने जा पैसा रखा है, आपने स्पष्टता से कहा है कि उसमें कोई कमी नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो फिजकल टारगेट है और आपने जो फाइनैंशियल टारगेट उसके लिए रखे हैं, आज के हिसाब से उस से तालमेल नहीं बैठता है। उदाहरण के तौर पर, अगर मनरेगा में आप 3 करोड़ लोगों को जॉब देना चाहते हैं, आज के मिनिमम वेजेज के मुताबिक, आपने जो बजट रखा है, उससे मैन डेज कम हो जाते हैं, मैन डेज ज्यादा नहीं होते हैं। शायद, आप मेरे कहने का अर्थ समझ गए होंगे। आपने उस के लिए एक हजार करोड़ रुपए बढ़ाए हैं। जो भी पैसा आपने रखा है, वह टोकन बढ़ाया है।...*(व्यवधान)* आपका जो फिजकल टारगेट है, कितने लोगों को काम देना है, उस हिसाब से, आज के मिनिमम वेजेज से, अगर देखा जाए तो वह पहले से भी कम है। वह ज्यादा नहीं हो सकता है। यह आप मानते हैं।

दूसरी चीज़, अगर टैक्स नहीं बढ़ाते, अगर पिछली सरकार रिवैन्यू कलैक्ट नहीं करती तो कहां से डेवलपमेंट होता, योजना, प्रगति, विकास कहां से होगा। यूपीए सरकार ने ऐसा करके दिखाया, आप कम से कम यह कह सकते थे। अगर हम टैक्स, रिवैन्यू कलैक्ट नहीं करते तो मनरेगा, राइट टू एजुकेशन के प्रोग्राम, फूड सिक्युरिटी जैसे प्रोग्राम कभी नहीं कर सकते थे।...*(व्यवधान)* हमने रिवैन्यू कलैक्ट करके ही वेल्फेयर मेजर्स किए हैं और इतनी इनकम रहते हुए करके दिखाया है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, एक क्वेरी हो सकती है पूरा भाषण नहीं हो सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। मैंने इस विषय पर नहीं बोला और आप इसे जानते हैं। अगर हमारे पास रिवैन्यू नहीं होता तो 72 हजार करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते थे। जेटली साहब बहुत ही समझदार और बैलेंसिंग बात करते हैं। लेकिन इसमें मोदी साहब के चक्कर में थोड़ा ऐसा हो रहा

है क्योंकि मोदी साहब सब मुक्त चाहते हैं।...*(व्यवधान)* इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो आपकी सर्विस के मुताबिक पैसा नहीं दे सकते। आपने कहा कि अगर सर्विस ले रहे हैं तो उसके लिए पैसार देना पड़ेगा। समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी सर्विस ले सकते हैं लेकिन उसके हिसाब से आपको पैसा नहीं दे सकते। उनके लिए सब्सिडी की जरूरत होती है, उन्हें आपकी मदद की जरूरत होती है। सरकार को उनकी तरफ देखना चाहिए। हमारी कैपेसिटी है, जब आप सहूलियत चाहते हैं तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। आपको मालूम है कि रेलवे में बहुत से कनसेशन्स स्टूडैंट्स, डिसएबल्ड, डिफैंस, फ्रीढम फाइटर्स को दिए जाते हैं। जब आप यह सहूलियत देते हैं तो आपको दूसरी जगह से रिवैन्यू जुटाना पड़ता है। आप कहेंगे कि आप रेल में घूम रहे हैं इसलिए पूरा पैसा दीजिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जिस विचार से कह रहे हैं, वेल्फेयर मेजर्स को धक्का मत लगाइए। इसमें और बढ़ाइए। गरीबों के प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए।

मैन्फैक्चर सैक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आने के लिए बहुत से कनसेशन्स, जब प्रणब साहब थे, उस वक्त भी दिए गए थे।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, केवल क्लेरीफिकेशन पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अभी आपने कहा कि मेरे प्रेडीसिसर चिदंबरम साहब ने जो कनसेशन दिया था, उसे हमने कंटीन्यू किया है। इसका मतलब यही है कि पिछली सरकार भी इकोनॉमिक प्रोगेस के लिए ट्रैक पर जा रही थी। आप कह रहे हैं कि हम भी उसी ट्रेक पर जा रहे हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री महताब, आप कृपया केवल एक स्पष्टीकरण लें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं केवल एक प्रश्न पूछूंगा। अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने खनिजों पर रॉयल्टी का उल्लेख किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने भी अनुरोध किया है कि रॉयल्टी बढ़ाई जाए जोकि देय है। यह 2012 से देय थी। अगस्त 2009 में रॉयल्टी को आखिरी बार बढ़ाया गया था तथा इसे तीन वर्ष के अंदर देना था। पहले ही ढाई वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि रॉयल्टी कब से बढ़ाई जाएगी।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कदम उठाने जा रही है तथा क्या किसी स्पष्ट तारीख की घोषणा की जा रही है क्योंकि बहुत से मुख्यमंत्री उनसे मिल चुके हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री भी उनसे मिल चुके हैं। वह प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं। वह प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं। हम वित्त मंत्री से इसके बारे में जानना चाहते हैं।

प्रो. सौगत राय : वित्त मंत्री ने हमारी कुछ आपत्तियों और चिन्ताओं पर अच्छी तरह से उत्तर दिया उदाहरण के लिए उन्होंने रक्षा और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि पर सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है, हालांकि वह मानते हैं कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक चिंता का निवारण नहीं किया है जिसे हम अपनी ओर से इस सभा में बार-बार उठा रहे हैं वह है ऋण से दबे राज्यों की समस्या।

हम कहते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिस पर अधिक बकाया ऋण है जिसके कारण इसका अधिकांश राजस्व ऋण चुकाने में चला जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार कम से कम तीन वर्षों से ब्याज पर स्थगन की मांग कर रही है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था अभी तक संभली नहीं है। हमारे बार-बार मामले को उठाने के बावजूद वित्त मंत्री बजट भाषण और आज उनके द्वारा दिए गए विस्तृत उत्तर दोनों में मामले पर चुप रहे हैं।

मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री केन्द्र सरकार और वित्त मंत्रालय की ब्याज पर स्थगन लाने की ज्वलंत समस्या, जिसकी मांग ऋण ग्रस्त राज्यों - पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल द्वारा की गई है, पर अपनी प्रतिक्रिया को स्पष्ट करे।

प्रो. सुगत बोस (जादवपुर) : महोदया, मैंने चर्चा में बोला है और कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपने चर्चा में बोला है और इसलिए मैंने उन्हें स्पष्टीकरण प्राप्त करने की अनुमति दी है।

प्रो. सुगत बोस : मैं पार्टी का उप-नेता हूं। मैंने चर्चा में बोला है और छोटा सा स्पष्टीकरण प्रापत करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आपकी पार्टी के प्रोफेसर सौगत राय ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। आपने चर्चा में पहले ही बोल दिया है। यदि आप छोटा स्पष्टीकरण लेना चाहते है तो मैं आपको आधे मिनट का समय दे सकती हूं।

प्रो. सुगत बोस : अपने पूरे भाषण में श्री अरुण जेटली, जिन्होंने वाद-विवाद बहुत अच्छा जवाब दिया, ने बता दिया है कि सामाजिक क्षेत्र के व्यय में कोई कमी नहीं की गई है तथा सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में कोई कटौती नहीं की गई है।

तथापि, सभा में इस ओर से हम इस बात की ओर इशारा कर चुके हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में बेहद मामूली, सीमांत बढ़ोत्तरी हुई है। पेयजल और स्वच्छता के बजट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। और इसलिए, सही मामलों में इसमें कमी हुई है।

मैंने सभा के इस ओर से कल कहा था कि सत्ताधारी दल भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वह शिक्षा पर होने वाले खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करेगी और मैं वित्त मंत्री से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि यदि इसमें वास्तव में कमी आई है, तो क्या सत्ताधारी दल द्वारा देश से किए गए वादों को पूरा करने के लिए समय के साथ-साथ न सिर्फ शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता पर होने वाले खर्च में वृद्धि करने के लिए उन्होंने क्या समयसीमा निर्धारित की है।

श्री अरुण जेटली : महोदया, पहले मैं अंतिम प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं और मुझे लगता है कि उससे न सिर्फ इस सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाएगा बल्कि मेरा मानना है कि इस देश के केन्द्र-राज्य संबंधों का पालन करना होगा। यदि मुझे अनुदान काफी हद तक बढ़ाना पड़ता, जो मैं करना चाहता हूं, तो मुझे संसाधनों की आवश्यकता होती है। मुझे संसाधन तब मिलते, जब भारत 7, 8 अथवा 9 प्रतिशत की दर से विकास करता है। मुझे वो संसाधन नहीं मिलेंगे, यदि भारत की विकास दर साढ़े चार प्रतिशत रही। मेरे कर के उछाल में गिरावट आई है। इसलिए, जितने हद तक मैं अनुदान में वृद्धि कर पाया, उतनी मैंने कहीं कमी नहीं की है। मैं केवल आठ महीनों के लिए वर्ष के मध्य में बजट पेश कर रहा हूं। मेरे हाथ उस राजस्व के आगम से बंधे हुए हैं, जो वर्तमान स्थिति के कारण आ रहा है। हमने जिन कदमों को उठाए हैं उनकी श्रृंखला की मदद से और अन्य अधिभावी कारकों के कारण हम विकास दर में मामूली सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। इससे मुझे कर में थोड़ा सा उछाल मिलेगा, लेकिन यदि हम अगले दो से तीन वर्षों में 7-8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर लेते हैं, तो आशा है कि हम वैसा कर पाएंगे, जैसा करने की आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं। यही विकास का महत्व है और यही वह महत्व है, जिस पर पूर्व वित्त मंत्रियों ने भी जोर दिया। इसलिए, जहां तक इसका संबंध है, तो हमें इस बात की पहचान करनी होगी कि इसकी रूपरेखा क्या होगी।

ऋण के बोझ तले राज्यों के संबंध में पूछे गए श्री सौगत राय के ऋण बोझ दे दबे राज्यों के संबंध में जो प्रश्न है कि उसके बारे में मेरा छोटा सा उत्तर है। मैं एक औपचारिक प्रतिक्रिया दे सकता हूं, वो यह है कि 14वें वित्त आयोग ने इस मुद्दे को दबा दिया है। चूंकि यह राज्यों को आवंटन करने से संबंधित है, इसलिए हमें 14वें वित्त आयोग के अनुसार चलना होगा। लेकिन साथ ही, मैं हममे से ही कुछ लोगों से अनुरोध करता हूं, क्योंकि हम इस सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, – राज्य से संबंधित कुछ ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं- कि कुछ ऐसे कारक हो सकते हैं, जहां विवेकपूर्ण सूझबूझ का अभाव है और हमने राज्यों में सिति को और खराब कर दिया है, मुझे लगता है कि हमें उन कारकों के संबंध में आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। सम्मिलित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक राज्यों का सवाल है, तो पिछले वर्ष हमारा वित्तीय घाटा 4.5 प्रतिशत रहा और हमारा लक्ष्य इसे 4.1 प्रतिशत पर लाने का है, आशा है हम उसे प्राप्त कर लेंगे। सामूहिक रूप से राज्यों के काफी बेहतर आंकड़े हैं, लेकिन ऐसे कुछ ही राज्य हैं, जो ऐतिहासिक कारणों की वजह से मुश्किल में हैं। मुझे विश्वास है कि जब वित्त आयोग इस मामले पर अपने सुझाव देगा, तब हम इसे देख पाएंगे।

खनिजों पर रॉयल्टी के संबंध में एक स्पष्ट वाक्य रखने और इस संबंध में प्रतिबद्धता के पीछे एक चीज यह है कि ऐसे कई राज्य हैं, जो खनिजों से संपन्न हैं और ओडिशा उनमें से एक है, लेकिन राज्य अपने आप में संपन्न नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप जो उन खनिजों का दोहन करने में सक्षम हैं, वो उन राज्यों की तुलना में, जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वास्तव में धन लाभ उठा रहे हैं 2009 से अब तक रॉयल्टी में बदलाव नहीं किया गया है। इस वर्ष के दौरान, हम निश्चित रूप से इसे देखेंगे और इस प्रतिबद्धता के प्रति हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, जो जहां तक बजट का संबंध है, मैंने जताई है।

खड़गे जी ने टिप्पणियों की श्रृंखला तैयार की है। मनरेगा मांग आधारित है। हां, हमने कहा था कि हमारी सरकार में इसे कृषि के साथ जोड़ा जाएगा और इसे संपत्ति सृजन के साथ भी जोड़ा जाएगा। इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे लेकिन यह मांग आधारित है। हमने परिव्यय में कभी नहीं की है, बल्कि हमने इसमें वृद्धि की है। आपको यह शिकायत हो सकती थी और यदि आपने मनरेगा को गायब होते देखा अथवा राशि में कमी आई है, तो शिकायत का यह एकमात्र बिंदु हो सकता है। हमने ऐसा नहीं किया है। इसमें कुछ बदलाव होंगे और ग्रामीण विकास विभाग उन मामलों की जांच करेगा। परंतु सच यह है कि इस देश में वंचित लोगों की मदद किए जाने की आवश्यकता है और हम इस तथ्य से भलीभांति अवगत हैं।

खड़गे जी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से एक मुद्दा उठाया और कहा कि हम उच्च राजस्व कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या आप वाकई में केवल कर दरें बढ़ाकर इसे बढ़ाना चाहते हैं? आप नहीं चाहते और जिस दृष्टिकोण का अनुसरण करने का हम प्रयास कर रहे हैं अत: आर्थिक गतिविधि को बढ़ाएं जिससे स्वयं विकास और उत्साहपूर्ण वातावरण में बढ़ोतरी होगी। इससे

आपको और अधिक राजस्व मिलेगा और जहां तक कमजोर वर्गों का सवाल है अत्यधिक राजस्वों से उन्हें भी मदद मिलेगी।

यकीनन, आप सही हैं, भारत में एक ऐसा वर्ग है जिसे राजसहायता दिए जाने की आवश्यकता है। परंतु उसके बाद उन राजसहायताओं को ऐसे वर्ग को दिए जाने का लक्ष्य रहेगा। आप और मैं उन राजसहायताओं के पात्र नहीं हैं। आज समस्या यह है कि आप और मुझे उतनी ही राजसहायता मिलती है जितनी कमजोर वर्गों को मिलती है। अत:, यदि हमारे जैसे लोग स्वयं राजसहायता लेने से इन्कार कर दें तो उन्हें राजसहायता देने की हमारी क्षमता में कहीं अधिक सुधार होगा। अत:, राजसहायताओं को लक्षित किया जाना चाहिए ताकि इसे उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जिन्हें इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिए जैसा कि मैंने कहा और मैं अपने शब्द पुन: दोहराता हूं और इनका मैं पूरे होशो हवाश के साथ प्रयोग करता हूं कि राजसहायताएं अज्ञात वर्ग के लिए एक अपरिमाणित राशि नहीं हो सकती। एक पहचान योग्य वर्ग होना चाहिए जिसे उसका लाभ मिलना चाहिए और शायद इससे देश को भी लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं वर्ष 2011-2012 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

"कि मांग सं. 13, 21, 24, 31 और 100 के विरुद्ध कार्यसूची के स्तंभ 2 में दिखाई गयी मांगों के शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गई राशियों से अनाधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2011-2012 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांगों के नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांगों की राशि	
		राजस्व (रुपए)	पूंजी (रुपए)
13	डाक विभाग	400,03,82,246	–
21	रक्षा पेंशन	3568,81,46,182	–
24	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	567,90,83,321	–
31	विदेश मंत्रालय	–	7,23,26,294
100	लक्षद्वीप	1,43,67,211	–
	कुल	4538,19,78,960	7,23,26,294

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : वर्ष 2011-2012 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) पारित हुईं।

अपराह्न 3.20 बजे

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2014*

माननीय अध्यक्ष : अब हम मद संख्या 17 लेंगे।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्यय की गई रकमों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 18.7.2014 में प्रकाशित।

से अधिक व्यय की गई रकमों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली : महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : मद संख्या 18.

श्री अरुण जेटली : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्यय की गई रकमों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्यय की गई रकमों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : सभा में अब विधेयक पर खंड-वार विचार किया जाएगा।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अरुण जेटली : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यसूची अपराह्न 3.30 बजे ली जानी है। क्रम पत्र में सूचीबद्ध सरकारी कार्य अब संपन्न हो गया है। यदि सभा सहमत हो, तो गैर सरकारी सदस्यों का कार्य अपराह्न 3.30 बजे की बजाय अभी शुरू किया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : महोदया, जी हां।

अपराह्न 3.23 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प

(i) हिमालयी राज्यों के विकास हेतु नए केन्द्रीय मंत्रालय का सृजन — *जारी*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : सभा में अब डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा 11 जुलाई 2014 को प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा शुरू करेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब जारी रखें।

अपराह्न 3.24 बजे

[**प्रो. के.वी. थॉमस** *पीठासीन हुए*]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, कुछ दिन पहले जब हिमालयी राज्यों के विकास हेतु एक नये केन्द्रीय मंत्रालय के सृजन पर डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा हो रही थी तब मैं बोल रहा था। मैंने डॉ. सिंह से उपस्थित होने का अनुरोध किया था। इस पहलू पर, मैं कहूंगा कि यह सरकार एक नोडल एजेंसी शुरू करने पर विचार कर रही थी, जिसे अगले मंत्रिमंडल विस्तार में एक पृथक मंत्रालय बनाया जा सके जो हिमालय संबंधी सभी विषयों के लिए एक धुरी के रूप में कार्य करेगा। 31 मई, 2014 के इकोनॉमिक टाइम्स में यह प्रकाशित हुआ था।

"जहां गंगा सफाई मंत्रालय, जो उमा भारती जी के अधीन कार्य करता है, का कार्य पारिस्थितिकीय चिन्ताओं तक सीमित है। वहीं यह नई हिमालयी एजेंसी पारिस्थितिकी, पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा संबंधी विषयों को देखेगी।" इस समाचार पत्र में यह सूचना दी गई कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष

और पूर्वोत्तर के वयोवृद्ध नेता, श्री पी.ए. संगमा इस प्रयास का नेतृत्व करने में सबसे आगे की पंक्ति में शामिल हैं।

महोदय, मैं कहूंगा कि हिमाल पर कुछ समय से अब, सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इसका चुनावी घोषणा पत्र हिमालय में उनकी गहरी रूचि को दर्शाता है।

इस सरकार द्वारा किए गए मुख्य वादों, में हिमालय पर राष्ट्रीय मिशन एक हिमालयी संवहनीय निधि और हिमालयी प्रौद्योगिकी संबंधी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय को शुरू करना सम्मिलित है।

कुछ बिन्दु हैं जिन्हें प्रकाश में लाना जरूरी है। हिमालय हेतु एक अलग मंत्रालय का गठन करना एक अच्छा विचार है लेकिन दुर्भाग्य से जितना इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हिमालय क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है।

हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री ने थिंपू का दौरा किया है, उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने पहले ही घोषणा कर दी है कि उनका मंत्रालय वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 किमी तक के दायरे में सीमा सड़कों और रक्षा परियोजनाओं हेतु त्वरित रूप से हरित मंजूरी लेने के लिए नीति निर्माण पर कार्य कर रहा है।

पूर्व मंत्री, वित्त संबंधी स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य मंत्री, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी.सी. खंडूडी ने भी कहा है कि केन्द्र सरकार को हिमालय क्षेत्र हेतु एक पृथक मंत्रालय का गठन करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र की वनस्पति और जीव जंतुओ से छेड़छाड़ किए बिना विकास संबंधी गतिविधियां शुरू की जा सकें।

मैं एक बिन्दु को न केवल सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपितु सरकार के समक्ष रखने के लिए भी दोहराना चाहूंगा कि इन्होंने राज्य के पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेस को संबोधित किया था जहां मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) खंडूडी जी ने कहा था कि किसी भी विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से पहले राज्य सरकारों को जनता को पारिस्थितिकी संबंधी संवेदनशील क्षेत्र के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। सेना अधिकारी से राजनीति में आए नेता ने सरकार से मौसम के पूर्वानुमान हेतु हाईटेक और अद्यतन उपकरण लगाने की भी मांग की।

हिमालय को विकास और पर्यावरण हेतु एक कार्यसूची की आवश्यकता है। मैं अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने हेतु केवल पांच बिन्दुओं को उद्धृत करना चाहूंगा। हिमालय क्षेत्र के राज्यों को एक व्यवहार्य और संवहनीय वन आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। क्या वे विकास हेतु वनों का उपयोग कर सकते हैं? क्या वे वनों के पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं की कद्र कर सकते हैं ताकि संरक्षण को महत्व दिया जा सके?

मैं कहना चाहूंगा कि जल विकास संबंधी रणनीति को विशेषकर परिवर्तित होती जलवायु और जल विज्ञान के युग में ऊर्जा के अवसर और रोजगार को खतरे के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए। ऊर्जा को क्षेत्र के बाहर भेजने से पहले दूरदराज के गांवों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकता को सुरक्षित करना चाहिए।

स्थानीय जैविक कृषि और इसके उत्पाद को नाजुक पारिस्थीकी के विशेष उच्च मूल्य वाले प्रीमियम उत्पाद के रूप में बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। विकास हेतु पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित पर्यटन का उपयोग करना चाहिए लेकिन सुरक्षोपायों और स्थानीय लाभ के साथ।

मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने कल अपने भाषण में कहा था कि केवल उत्तराखंड में ही नहीं अपितु सभी राज्यों में विशेषकर नेपाल सीमा से जुड़े सीमावर्ती राज्यों में सीमापार घुसपैठ को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। आज यह समय की जरूरत है। इसलिए, मैं डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं।

अपनी बात समाप्त करते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि ये मुद्दे नए नहीं हैं। लेकिन नयी बात यह है कि जलवायु के दृष्टिकोण से संवेदनशील इस क्षेत्र में जो परिवर्तन दिखने शुरू हो गए हैं उनके प्रति अविलंब प्रतिक्रिया दिखाने की आवश्यकता है। यह भी स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के लिए विकास जलवायु परिवर्तन और इसकी परिवर्तनशीलता का सामना करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी पर आधारित विकास के नए आदर्शों और पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृति का उपयोग करने का अवसर है जिससे ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार हो जो इन परिवर्तनों का सामना कर सके।

बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में लोगों से आग्रह किया था कि इस संबंध में एक विशेष मंत्रालय की आवश्यकता है। मैं सत्ताधारी दल के सभी सदस्यों से इस संकल्प को पारित करने का आग्रह करूंगा ताकि यह अपना प्रभाव डाल सके। निरपवाद रूप से, संकल्प कई प्रकार के होते हैं लेकिन यह वह संकल्प है जो सत्ताधारी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के घोषणापत्र में मुद्दा था और बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बाहर भी बोला है। मोदी सरकार ने इस बारे में पहले जो कहा था उसे मैंने आज अपने भाषण में उद्धृत किया है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यह समय की मांग है; देश को इसकी जरूरत है और हिमालय क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट मंत्रालय बनाए जाने की जरूरत है। मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, मैं हृदय से गैर-सरकारी संकल्प का समर्थन करता हूं। प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय निशंक जी ने विस्तार से इस पर चर्चा की थी। माननीय सौगत राय जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बहु-आयामी दृष्टिकोण से हिमामय के संबंध में बातें सदन में रखी थीं और उस पर चर्चा भी विस्तार से की थी।

हमारे महताब साहब उस दिन भी बोले और आज भी उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा है और कई दृष्टिकोण से हिमालय के महत्व को सिद्ध करते हुए इस बात का समर्थन किया है कि अलग मंत्रालय बनना चाहिए। अलग मंत्रालय का मतलब है कि इस मंत्रालय के अधीन सभी चीजें होंगी।

हिमालय का मतलब केवल पहाड़ नहीं है, हिमालय का मतलब केवल जंगल नहीं है, हिमालय का मतलब केवल मिट्टी नहीं है। सौगत राय जी की एक बात से मैं बहुत भिन्न मत रखता हूं कि हर बात में उन्हें क्यों लग जाता है कि हिन्दुत्व के साथ जुड़े हुए साधु-संन्यासी हैं तो उन्हें हर बात से क्यों जोड़ने लगते हैं। अगर हिन्दुत्व से हिमालय को निकालकर रख दें तो भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन और भारतीय धर्मशास्त्र सभी लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनका उद्गम स्थान ही वही है। रामायण और महाभारत दो महान ग्रंथ हिन्दू धर्मशास्त्र सबसे लोकप्रिय ग्रंथ हैं और जिनका सबसे ज्यादा महत्व है, जिन्हें सब जगह लोग जानते हैं। उनका संपूर्ण रहस्य ही हिमालय की यात्राओं में छिपा हुआ है, वहीं से निकला है। अगर कैलास-मानसरोवर नहीं होता, अगर शंकर पार्वती की कहानी न हो, तो रामचरित मानस का पाठ घर-घर में बाबा तुलसी दास जी कहां से करवा देते। आप कहते हैं कि उसे भूल जाओ। उसे हिन्दूत्व से अलग कर दो। अगर उसके सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक महत्व से आपका कोई मतलब नहीं है तो आप अपने दृष्टिकोण से उसे महत्व न दें लेकिन आप हमें क्यों कहते हैं कि हम उस दृष्टिकोण से न देखें। हम भारतीय हैं और भारत में बसने के कारण हिन्दू हैं। विवेकानंद जी ने जब कहा था कि गर्व से कहो कि हम हिन्दू हैं तो आज भी यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है और हम गर्व से कहते हैं कि हम हिन्दू हैं। हिन्दू हैं तो इसका मतलब कि भारत के भूगोल से, संस्कृति से, धर्म से, पहाड़ से, नदियों से, पशुओं से हमें एकात्म बोध है इसलिए हम जब कभी बात करेंगे तो उनके साथ हमारा संबंध जरूर जुड़ेगा।

डॉक्टर लोहिया हिमालय बचाओ सम्मेलन करते थे। जब हम समाजवादी आंदोलन में थे और जिस समय तिब्बत की घटना घटी थी उस समय डॉक्टर लोहिया सारे देश में एक आंदोलन चलाये थे उसका नाम हिमालय बचाओ आंदोलन था। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हिमालय भारत का प्रहरी नहीं है, बल्कि जब मुझमें ताकत रहती है और हम हिमालय की रक्षा करते रहते हैं तो हिमालय भी भारत की रक्षा करने में सक्षम रहता है। अगर हम हिमालय की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं तो हिमालय भी भारत का प्रहरी नहीं है। आज भी हिमालय का बहुत बड़ा हिस्सा भारत के हिस्से में से निकल कर किसी दूसरे के कब्जे में है। एक लाख 18 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन उसी क्षेत्र के अंदर जो वर्ष 1947 को भारत के नक्शे में था, वह जमीन आज भारत के नक्शे में नहीं है। यह मैं नहीं कहता हूं बल्कि यूनेस्को द्वारा प्रकाशित ईयर बुक है, अगर 1952 और 1962 की किताब निकाल कर देखें तो भारत के क्षेत्रफल का अंतर दिखाई दे जाएगा। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भारत की संस्कृति और दर्शना का जो उदगम स्थान हिमालय रहा है और हिमालय से निकलने वाली नदियां रही हैं, हमारे तो सारे धर्म ग्रंथों का निर्माण ही नदियों के किनारे हुआ है या पहाड़ों की कंद्राओं में हुआ है। इसलिए डॉक्टर लोहिया ने तीर्थ स्थलों की रक्षा, भारत की नदियों की स्वच्छता और इन सब को जोड़ने की बात कही थी। हिमालय के अंदर हमारे कितने तीर्थ स्थल हैं? उमा भारती जी यहां बैठी हैं, वे ज्यादा जानती होंगी। एक साधारण संत मेरे साथी थे, उनके साथ चर्चा करते समय उन्होंने मुझसे पूछा कि उत्तर प्रदेश नाम क्यों पड़ा। मैंने कहा कि भूगोल के हिसाब से नाम पड़ा होगा। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ धार्मिक दृष्टिकोण से खोजो। हमने कहा कि आप बताओ। उन्होंने कहा कि जहां सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हो वही उत्तर प्रदेश है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में है, राम की जन्म भूमि उत्तर प्रदेश में है, कृष्ण की जन्म भूमि उत्तर प्रदेश में है। रामचरित मानस के उत्तर कांड का निर्माण उसी प्रदेश में हुआ था जिस उत्तर कांड में सभी प्रश्नों के उत्तर काकभुशंडी जी ने गरूड़ महाराज को दिए हैं। अगर काशी विश्वनाथ से शुरू करें और ब्रदीधाम से ले कर केदारनाथ तक जाएं तो भारत के सभी अधिकतर तीर्थस्थल उत्तर प्रदेश में इसी हिमालय और इसी गंगा के किनारे पाए जाते हैं। जब हमारे सभी तीर्थस्थल, सभी सांस्कृतिक स्थल हिमालय और गंगा के किनारे पाए जाते हैं। तो हमारा उनके साथ एकात्मबोध तो होगा ही। उनके साथ हमारा मानसिक और आध्यात्मिक लगाव होगा ही। हमें कैसे इसे अलग करेंगे या काटेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक औा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हिमालय को देखने का काम करना चाहिए। केवल भौगोलिक और भौतिक दृष्टिकोण से ही न देखें, बल्कि उनके महत्व को हम भारत के सांस्कृतिक और आध्यत्मिक दृष्टिकोण से देखें।

भारत के धार्मिक तीर्थ स्थल के बारे में डॉ लोहिया कहा करते थे कि यह केवल धर्म के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि हिन्दुस्तान की संस्कृति जोड़ने वाली कड़ी है। धर्म शास्त्र ने कहा है कि रामेश्वरम पर जो गंगा

जल चढ़ाता है मुक्ति पा जाता है। यह भी लिख दिया कि जो रामेश्वरम का दर्शन करता है वह मुक्ति पा जाता है। इसका मतलब है कि दक्षिण के लोग चलें गंगा जल लाने और रामेश्वरम पर चढ़ाकर मुक्ति पाने तो भारत की सांस्कृतिक कड़ी जुड़ेगी और उत्तर के लोग जब गंगा जल लेकर रामेश्वरम में मुक्ति पाने जाएंगे तो भारत की कड़ी जुड़ेगी। अयोध्या, मथुरा या हिमालय के तीर्थ स्थलों में जब देश भर के लोग जुड़ते हैं, उनकी भाषा, भूषा, भोजन, रूप, रंग अनेक होता है लेकिन सबकी सांस्कृतिक कड़ी एक होती है और यही राष्ट्र को जोड़ती है। राम कृष्ण शिव किताब लिखते हुए डॉ. लोहिया ने बड़े विस्तार से समझाया था, मैं माननीय सांसदों से कहना चाहता हूं कि अगर कहीं यह किताब मिले तो जरूर पढ़िए, यह किसी संघ के प्रचारक ने नहीं लिखी है, किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखी है। इसमें लिखा है कि राम उत्तर से दक्षिण के देव हैं। जनकपुर में शादी करते हैं और जनकपुर हिमालय की गोद में है। हिमालय से यात्रा प्रारंभ करके अंत में दक्षिण तक जाते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण तक चलकर सीमा का निर्धारण करते हैं। यह भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सीमा है। उसी तरह कृष्ण द्वारिका से चलते हैं, कामरूप तक जाते हैं। कृष्ण की यात्रा पश्चिम से पूर्व द्वारिका से कामरूप तक कण-कण से जोड़ने का काम किया है। राम, कृष्ण और विश्व भारत के त्रिदेव हैं। भारत के जन-जन में समाए हुए हैं, कण-कण में रमे हुए हैं।

मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि माननीय निशंक जी ने जिस प्रश्न को उठाया है, महत्वपूर्ण है। हिमालय से जुड़े हुए भौतिक मूल्य हैं। यहां रत्नों के भंडार हैं, उनके बारे में खोज की जाए। हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल स्रोत के लिए माननीय उमा भारती जी आंदोलन चला रही हैं ताकि निर्मलता और अविरलता बनी रहे, इसे भी खोजा जाना चाहिए ताकि जल स्रोत चलते रहे। इसके अंदर रत्नों के भंडार हैं, उनका पता लगना चाहिए। जंगलों की रक्षा हो, जीव जंतुओं की रक्षा हो। भारत के लिए सौभाग्य का दिन होगा जिस दिन भारत के लोग कैलाश मानसरोवर में बिना चीन के परमिट के शिव और पार्वती का दर्शन करेंगे, वहां स्नान करेंगे। हमारे धर्म शास्त्र में इसका वर्णन है। हमारे पूर्वज़ हजारों वर्षों से इस पर अधिकार मानते रहे हैं। पूर्व से पश्चिम तक जहां भी हिमालय का क्षेत्र है, उनको जोड़कर एक जगह बात की जाएगी तो राष्ट्रीय, एकता, अखंडता भी बनेगी और राष्ट्रीय सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एकता भी जुड़ेगी। हिमालय के एक छोर से दूसरे छोर तक के समग्र विकास के लिए, समग्र उत्थान के लिए, वहां बसने वाले लोगों के समग्र भौतिक चेतना की उन्नति के लिए अलग सरकार मंत्रालय बनाएगी तो वह हिमालय का मंत्रालय ही नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, इतिहास, भूगोल, ऋषि, मुनि, पूर्वजों की कहानी को एक बार भारत में पुन:स्थापित करेगा। एक बार फिर मौका आएगा जब इतिहास को पुन: लिखने का काम करेंगे। एक बार फिर हिमालय उठेगा, भारत का स्वाभिमान जगेगा और भारत अपने स्वाभिमान को प्राप्त करके फिर एक बार उसी जगह पर जाएगा जहां शिव पार्वती ने रामचरित मानस की कहानी दोनों ने आपस में सतसंग के जरिए दुनिया को सुनाई थी। फिर एक बार भारत वहां तक पहुंचे इसलिए जरूरी है कि हिमालय के लिए अलग से मंत्रालय बने। यह देश की एकता, अखंडता के लिए अच्छा होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, माननीय डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक हिमालय के राज्यों के विकास के लिए एक नए महत्वपूर्ण मंत्रालय की स्थापना के संबंध में एक प्रस्ताव लाए हैं। मुझे अपने सम्मानित साथी के विचार की सराहना करनी चाहिए। हमने पहले ही इस मुद्दे और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर ली है।

महोदय, हमारी भावनाएं, हमारे रीति-रिवाज, और हमारी सभ्यता महान हिमालय से काफी जुड़ी हुई है। आलीशान, उदार और भव्य हिमालय अपनी उत्पत्ति के समय से ही संसार भर के लोगों को मोह रहा है। महान हिमालय की उत्पत्ति दो महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेटो के टकराव से हुई थी। यह पश्चिम-उत्तर पश्चिम से पूर्व-दक्षिणपूर्व तक 2,400 किलोमीटर की परिधि में फैला है। इसका पश्चिमी छोर नंगा पर्वत और पूर्वी छोर नामचा बरवा है। यह श्रेणियां पश्चिम में 400 किलो मीटर से पूर्व में 150 किलोमीटर की चौड़ाई तक है।

यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि हिमालय में और अंटार्कटिका के बाद अंर्टाटिक के बाद विश्व के तीसरे सबसे अधिक हिमनिक्षेप है। हिमालय श्रेणी में 15,000 हिमनद हैं। हम सभी हमारी हिमनद संपदा के संरक्षण को लेकर चिंतित है क्योंकि वैश्विक तापन के कारण हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं। यह न केवल भारतीयों के लिए खतरे की घंटी है बल्कि दक्षिण एशिया के लोगों के लिए भी है क्योंकि हिमालय के हिमनद उन्हें पानी देने के काम आते है। ये भारतीय उप-महाद्वीप के लोगों की जीवन रेखा है।

इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने हिमनदों को और आगे पिघलने से रोके। भारतीय हिमालय क्षेत्र ऐसी श्रृंखला है जो कि भारत के दस राज्यों में फैली हुई है। तीन मुख्य भौगोलिक क्षेत्र जिन्हें हम हिमालय श्रृंखला के साथ जानते हैं, वे हिमाद्री हिमाचल और शिवालिक है। इस क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं बहु नस्लीय संयोजन है। भारत की 701 अनुसूचित जनजातियों की 170 से अधिक जातियां भारतीय हिमालय क्षेत्र में रहती है।

महोदय, यह क्षेत्र 'पृथ्वी के जल टॉवर' के रूप में जाना जाता है। लगभग 10 से 20 प्रतिशत क्षेत्र हिमनदों द्वारा ढका हुआ है जबकि 30 से 40 प्रतिशत मौसमी हिम आच्छादन के अंतर्गत आता है। विस्तृत जल संसाधनों (1,20,00,000 मिलियन मीट्रिक क्यूनिक हिमालयी नदियों का वार्षिक बहाव) के बावजूद हिमनदों, ह्रासमान नियामक प्रभावों जैसी प्रवृत्तियों के कारण, धाराएं और नदियां, इस क्षेत्र क्रमश: कम हो रही है। इस क्षेत्र का कुल भौगालिक क्षेत्र लगभग 5,30,795 वर्ग किलोमीटर है जिसमें लगभग चार करोड़ लोग रहते है, जो कि देश के कुल क्षेत्र के 16.16 प्रतिशत और कुल जनसंख्या के चार प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय हिमालय क्षेत्र की साक्षरता दर लगभग 67 प्रतिशत है। यह अच्छा है कि यह 2001 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत 65.4 से ज्यादा है। यह वनों की अंर्तनिहीत अभूतपूर्व जैवविविधता है जो कि लोगों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के काम आती है।

महोदय, 65 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है जो कि कुल वनोच्छादन के एक तिहाई का प्रतिनिधित्व करता है और देश के अति सघन वनोच्छादन का 46 प्रतिशत है। तेरह चोरियां 7,000 मीटर ऊंची है जो कि हमारे देश की संपूर्ण उत्तरी सीमा की सुरक्षा में एक सामरिक भूमिका निभाती है।

अपने विस्तृत हरित आवरण के साथ हिमालय कार्बन डाईऑक्साइड के लिए एक 'सिंक' की भूमिका भी निभाता है। वैश्विक तापन के दौर में, 'सिंक' शब्द, कार्बन प्रच्छादन एक साधारण नाम बन चुका है। अपने विस्तृत हरित आवरण के साथ हिमालय कार्बन डाईऑक्साइड के लिए एक 'सिंक' का काम करता है। पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी हिमालय द्वारा वार्षिक कार्बन प्रच्छादन लगभग 6.49 मीट्रिक है जिसकी लागत 843 मिलियन यूएस डॉलर है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवर है जोकि हिमालय के वनों द्वारा दी जा रही है।

भारतीय हिमालय क्षेत्र के लोग अभी भी गरीबी और दरिद्रता के शिकार है। उनका जीवनयापन मुख्यत: प्राकृतिक संसाधनों, वानिकी, पशुधन आदि पर निर्भर करता है। लगातार बढ़ रही जनसंख्या सीमित संसाधनों पर निर्भर करती है। हम जानते है कि संसाधनों को हमेशा 'सीमित' कहा जाता है लेकिन गत वर्षों में मांग तेजी से बढ़ी है क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। प्राकृतिक रूप से, जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप मांग भी बढ़ रही है लेकिन संसाधन सीमित है। तो, इसका क्या समाधान है? समाधान यह है कि हमें कुछ नया करना पड़ेगा, हमें हिमालय खेती को आधुनिकीकृत करना पड़ेगा; हमें हिमालय कृषि की उत्पादकता का उपयोग करना होगा और आगे इस क्षेत्र के जैविक और सांस्कृतिक संसाधनों का समृद्ध करना होगा जो कि अभी भी अल्प-विकसित है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य की वर्तमान प्रवृत्तियां सुझाती हैं कि विद्यमान हस्तक्षेप असंवहनीय हैं।

महोदय, यह देखा जा रहा है कि हिमालय पर्वत शृंखला में विकास आम लोगों के लिए अभिशाप बन गया है क्योंकि विकास सतत ढंग में नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप हमने उत्तराखंड में भयावह ध्ज्ञटनाओं को देखा था। अभी भी वह भयावह स्थिति हमारे मस्तिष्क में है। इसलिए हमें कॉफी सजग और सचेत रहना चाहिए।

वर्ष 2011 में, हमने सिक्किम में भयंकर भूकंप देखा था। हिमालय पर्वत शृंखला कॉफी भंगुर और असुरक्षित है। इसलिए हिमालयी, पर्वत शृंखला में सभी कार्यकलापों हेतु किसी प्रकार के विनिर्देश बनाने की आवश्यकता है।

इसलिए, संपूर्ण भारतीय हिमालयी शृंखला हेतु एक समर्पित एजेन्सी की पूर्व-अर्हता है। सभी हिमालयी राज्यों के साथ परामर्श कर सरकार को संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र के विकास हेतु एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

महोदय, पहाड़ों की अंतनिर्हित भंगुरता सहित मानव-प्रवृत्त पर्यावरणीय प्रभावों के कारण हिमालय के अधिक कमजोर होने के कारण लोग प्राकृतिक संकटों के भय में जी रह रहे हैं। बढ़ता हुआ मृदा अपरदन और जल निकायों की बढ़ती गाद, झरनों का सूखना, प्रजातियों का स्थान बदलना और लुप्त होना और चारे, में व्यय ऊर्जा का बढ़ता अनुपात ईंधन एकत्रित करना और कृषि कार्यकलाप जो महिलाओं की कड़ी मजदूरी को बढ़ाता है, ये सब पर्यावरणीय नुकसान के कुछ सांकेतिक लक्षण हैं।

महोदय, प्रकृति इस पर किसी प्रकार का कोई अनावश्यक अतिक्रमण नहीं करती है। विकास के नाम पर हमने महान हिमालय के पुरातन पर्यावरण को नष्ट किया है, इसके परिणामस्वरूप हमें हिमालय के प्रकोप को सहना पड़ा, जोकि जनमात्र और संपत्ति के विनाश रूप में सामने आया है।

महोदय, उत्तराखंड घटना को संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में किसी भावी विकास हेतु खतरे के एक संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। इस संबंध में भारतीय हिमालयी पर्वत क्षेत्र संबंधी दीर्घावधि नीति बनाने हेतु एक कृतक बल पहले ही गठित किया जा चुका है। इस कृतक बल ने सिफारिश की थी कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और संरक्षण का संतुलन, संरक्षण पर अधिक ध्यान होना चाहिए। उपयुक्त कार्यकलापों हेतु जोनों की पहचान की जानी चाहिए जैसे हिमक्षेत्र, अलपाइन, उप-अल्पाइन क्षेत्र और पवित्र स्थलों को किसी भी कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए। सभी प्राकृतिक जल क्षेत्रों को भी संरक्षित किया जाना चाहिए। झरना अभयारण्यों को संरक्षित किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय सेवाओं और जैवविविधता मूल्यों हेतु वन क्षेत्रों को संरक्षित और बढ़ाना चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उर्वर नदी घाटियों के क्षेत्रों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए परंतु कृषि भूमि का ऐसे अन्य क्षेत्रों में परिवर्तन स्वीकृत नहीं होना चाहिए।

घरों और लघु औद्योगिक विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकेन्द्रीकृत बिजली उत्पादन हेतु नदी क्षेत्र निर्धारित किए जाने चाहिए।

बसावटों, विशेषकर शहरी स्थलों हेतु, क्षेत्रों में 30 डिग्री ढाल वाले या ऐसे क्षेत्रों में कोई भी निर्माण नहीं किया जाना चाहिए जो खतरनाक क्षेत्र हों या झरना और जनलीय रेखाओं में आता हो।

उद्योग हेतु क्षेत्र भंगुर क्षेत्र नहीं होने चाहिए ओर केवल वही कार्यकलाप सम्मिलित किए जाने चाहिए जो पर्वत स्थितियों वे अनुकूल हों।

इसके अतिरिक्त कृतक बल ने दो लूप रेल लाइनों की सिफारिश की है - एक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को जोड़ते हुए जम्मू ओर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हेतु और दूसरी उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सरकार हिमालय के प्रति संर्पण के लिए हिमालय दिवस मनाए, क्योंकि हिमालय हमारा वर्ग है; हिमालय हमें बाहरी आक्रमण से बचाता है; और हिमालय हमें प्रचुर मानसून देता है। इसलिए हिमालय हमारे लिए जीवनदायी है।

[हिन्दी]

इसलिए मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार हिमालय के बारे में बड़े ध्यान से सोचे। धर्म की बात जिसके बारे में हुक्मदेव नारायण यादव जी कह रहे थे, धर्म से बाहर हम कोई नहीं हैं। विवेकानन्द जी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विवेकानन्द जी ने कहा है- गर्व से कहा हम हिन्दू हैं। विवेकानन्द जी ने यह भी कहा है- हिन्दू धर्म सत्य है और उसके साथ-साथ दुनिया के सभी धर्म सत्य हैं। यह भी हमें मानना पड़ेगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आदरणीय डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक जी के संकल्प का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं।

हमारे माननीय सदस्य, हुक्मदेव नारायण यादव जी ने अपनी बात जो यहां कही है, मैं उनके उस विचार से सिद्धांतत: अपने आपको संबद्ध करता हूं। मुझे एक तीर्थयात्री की तरह जब हिमालय पर जाने का मौका मिला, तब शायद मैं अपनी गम्भीरता से उन बिन्दुओं पर नहीं सोच पाया जो वास्तव में पिछले चार सालों में जब मजदूरों के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला, तब मैंने उस पर जरूर विचार किया।

अपराह्न 4.03 बजे

[**श्री हुकुम सिंह** *पीठासीन हुए*]

मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को मानता हूं कि हिमालय सिर्फ हमारे लिए बैरियर नहीं है, वह हमारा संरक्षक दाता है। इस देश की संस्कृति हो, इस देश की सुरक्षा हो, इन सब के लिए अगर कहीं कोई सबसे बड़ा आधार है तो वह हिमालय है, चाहे जल मिले, जंगल मिले, जैव विविधता मिले, जीव विविधता मिले, पौध भिन्नता मिले, हम न जाने कितनी बातें कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या जिस कारण से निशंक जी इस संकल्प को लेकर आए हैं, इतने सारे विभाग हैं, जिनको एक स्थान पर इकट्ठा करना मुश्किल काम है। हम लोग जब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात कर रहे थे तो जो रिपोर्ट भारतीय जनता मजदूर मोर्चे के सहयोगियों ने बनायी और डॉ. दिधारी ने वह रिपोर्ट रखी थी, वह उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि पूरे पहाड़ से, जम्मू और कश्मीर की भेड़ों को छोड़ दें तो दूध देने वाले प्रजाति के पशु लगभग समाप्ति की तरफ हैं। यह इतना बड़ा असंतुलन है और इसके पीछे कारण यह है कि वहां खेती की जोत कम है, खेत छोटे हैं, खेती चार महीने से ज्यादा नहीं होती है। साढ़े सात महीने पशुओं को चराने और रखने का कोई प्रबंध नहीं है और उस कारण से मनुष्य और पशुओं के बीच में जो असंतुलन पैदा हुआ है, वह ऊर्जा का बड़ा असंतुलन है, उसने जंगलों का भी नुकसान किया है, उसने पहाड़ों का भी नुकसान किया है, उसने हमारे ग्लेशियर्स का भी नुकसान किया है। यह खेती से जुड़ा हुआ सवाल है। कृषि मंत्री कितना उस पर विचार कर पाएंगे, मुझे नहीं पता। जहां तक मजदूरों का सवाल है। वहां के मजदूरों की समस्याएं अलग हैं। खेती होती है तो खेत का मजदूर हो सकता है।

मैंने परसों जम्मू और कश्मीर की यह बात उठायी थी कि जिन्हें कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए, उन पर टैक्स लग रहा है। वे ईंधन नहीं लगाते, वे पेट्रोल-डीज़ल खर्च नहीं करते, वे अपने परिश्रम से, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए पहाड़ के बीच अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। उन्हें तो कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए। कार्बन क्रेडिट तो छोड़ दीजिए, उन्हें इस बात की सजा मिल रही है। जो जंगल बचाने का काम कर रहा है, जो देश को बचाने का काम कर रहा है, उसे सजा दी जा रही है, उसे पारितोषिक नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि चाहे वह एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वह श्रम मंत्रालय हो, चाहे वह सुरक्षा का क्षेत्र हो, इस पर ध्यान देना चाहिए।

तीसरी बात मैं सदन के भीतर यह कहना चाह रहा हूं कि डॉ. जोशी एक समय सदन में साइंस और टेक्नोलॉजी के मंत्री थे। उस समय मेरा एक प्रश्न था। मैंने पूछा था कि हिमालय ग्लेशियर मूव कर रहा है। विज्ञान

के जितने भी अनुसंधानकर्त्ता हैं, वे इस बात को मानते हैं कि हिमालय ग्लेशियर अपने स्थान को धीरे-धीरे छोड़ रहा है। इसकी गति क्या है, इस पर मतभेद हो सकता है। मैंने इसी सदन के भीतर प्रश्न किया था कि चाहे हिमालय ग्लेशियर दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ जाए, क्या जलवायु के परिवर्तन में उसकी हिस्सेदारी होगी? आदरणीय सभापति महोदय, आज तक उसका जवाब नहीं है। हमें इस देश को बचाए रखना है तो हमें इन ग्लेशियरों की गतिविधियों पर पूरी गंभीरता के साथ नज़र रखनी पड़ेगी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए एक अलग मंत्रालय है। मैं जियोलॉजी का स्टूडेन्ट हूं और मैं मानता हूं कि ग्लेशियर के मूवमेंट की दिशा अगर उत्तर से दक्षिणी होगी तो उसके जलवायु के प्रभाव अलग होंगे। अगर इसकी दिशा दक्षिण से पूर्व की तरफ होगी, चीन की तरफ होगी तो निश्चित रूप से वह भारत की जलवायु को अलग तरह से प्रभावित करेगा। अगर वह ग्लेशियर हमारे अफ़गान की पर्वत श्रृंखला की तरफ मूव करेगा, चाहे उसकी गति कितनी ही धीमी हो, तो उसके अलग दुष्परिणाम होंगे। अगर वह पूर्व की तरफ मूव करता है तो जो पूर्व के हमारे पहाड़ी राज्य हैं, उनकी जलवायु में भी ऐसे परिवर्तन आएंगे, जिनके बारे में हमें सदन में बैठ कर विचार करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसका मंत्रालय अलग है।

जब कभी हम वन और पर्यावरण की बात करते हैं तो मैं उसमें भी खासकर बायो डायवर्सिटी की बात करता हूं। मैं नर्मदा के क्षेत्र से आता हूं। वहां पर बायो डायवर्सिटी अलग है। वहां पर ग्लेशियर से नर्मदा नहीं निकलती है। नर्मदा एक सूखे पहाड़ से निकलती है जहां हम देश की सबसे ज्यादा बायो डायवर्सिटी रखते हैं जैसा कि हुक्मदेव नारायण यादव जी कह रहे थे, हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी धनी है, अपने आप में कितनी भरी-पूरी है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूं। मेरी परिक्रमा तब पूर्ण मानी जाएगी जब मैं नर्मदा की परिक्रमा पूरी कर लूंगा, ओंकारेश्वर में जो बीच में टापू पर शिवलिंग है, उस पर जल चढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं रामेश्वरम् जाऊंगा और वहां से फिर जल लूंगा और जब केदारनाथ में अपना जल चढ़ा दूंगा, तब मेरी परिक्रमा पूरी होगी।

महोदय, मुझे लगता है कि हमारी एकरूपता के बारे में जब कोई हमें सांप्रदायिक कहता है तो उसे जवाब मिलना चाहिए कि हिमालय के प्रति हमारा सम्मान क्या है। मैं विभागों को भी कहता हूं, चाहे श्रम विभाग हो, कृषि विभाग हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, फॉरेस्ट एंड इनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा सुरक्षा विभाग हो, ये सारे के सारे जान लें, चाहे हम कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जाएं, पूरे हिमालय में सुरक्षा का संकट है। यह बात सच है। वहां पर जो लोग रह रहे हैं, वे हमारे देश के बचाने के लिए क्या-क्या कीमत चुका रहे हैं? क्या उन्हें इस बात की सजा दी जा रही है या उस बात के लिए उन्हें पारितोषिक दिया जा रहा है? हमें इस बात की वेदना है। जब हम पहाड़ों के बीच जाते हैं तो इस बात का दर्द उभरता है।

अभी बीच में सैलाब आए। चाहे वे भूकंप के कारण आए हों, चाहे केदारनाथ की घाटी में धसक के कारण आए हों, पर मुझे लगता है कि उस दृष्टि से जो काम होना चाहिए, वह काम वहां पर नहीं है। सरकार ने कहा है कि हम पहाड़ी इलाकों में मकान बनाने के लिए 90% और 10% का अनुपात रख देंगे। मुझे यह लगता है और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि हमें राज्यों की भौगोलिक सीमा से हटकर इस पूरे ग्लेशियर के आस-पास के हिस्सों को, इस भूगोल को फिर से एक बार चिन्हित करना चाहिए। उस पूरी जलवायु का, उन सभी परिवर्तनों का असर जिन लोगों पर पड़ रहा है, उनके बारे में विचार करना चाहिए।

महोदय, मैं इस अवसर पर इतना ही कहूंगा कि कम-से-कम इस प्रस्ताव को, सरकार जिस दृष्टि से लेगी, मैं सिर्फ यह नहीं मानता कि मंत्रालय बनेगा और उन बातों पर विचार करके कोई अलग-से व्यवस्था बनेगी। लेकिन समग्र रूप से सोचना, सारी समस्याओं का समाधान एक जगह खोजना, मैं मानता हूं कि इसे जरूर करना चाहिए।

महोदय, हमारे पहाड़ी राज्यों में 90 फीसदी महिलाएं खेती में काम करती हैं। मुझे लगता है कि चाहे वह चाय बागान हो, चाहे वह हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति काम करती हो, उसके बारे में कभी अलग से कोई ध्यान न जाए, मैं समझता हूं कि यह भी कहीं न कहीं सोचने का विषय है। मजदूरों के क्षेत्रों में काम करते समय ऐसे दो-तीन क्षेत्र मेरे सामने आए, जहां नब्बे फीसदी से जयादा महिलायें काम करती हैं। उसका इससे संबंध नहीं होगा, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जैसे बीड़ी का क्षेत्र है, चाहे वह पहाड़ी महिला श्रमिक है, चाहे चाय बागान हो, ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं, जिसमें दो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें नब्बे फीसदी से ज्यादा महिलायें काम करती हैं। मुझे लगता है कि सबसे कम वेज अगर हिन्दुस्तान की धरती पर कहीं मिलता है तो इन तीन क्षेत्रों में मिलता है और इनमें से दो पहाड़ के क्षेत्र हैं।

मुझे लगता है कि इन तमाम मंत्रालयों के विवाद में पड़ना, उनका समन्वय कैसे बैठेगा, यह पहाड़ की समस्याओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो निशंक जी ने अपनी भावना व्यक्त की है, मैं उन भावनाओं से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। चाहे वह जम्मू और कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, चाहे पूरा पूर्वांचल हो, मुझे मजदूरों के बीच में काम करने के कारण इन राज्यों में जाने का अवसर मिला और इसलिए मुझे लगता है कि इन पर जरूर पूरी संवेदनशीलता के साथ सदन और सरकार विचार करेगी। मैं फिर से उनकी बात का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर) : माननीय सभापति महोदय अपनी ओर से और अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की ओर से मैं अपने अच्छे मित्र डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, द्वारा पेश संकल्प का समर्थन करता हूं। हमारे पास उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय है। वास्तव में हमारे पास बहुत पहले से ही हिमालयी राज्य विकास मंत्रालय होना चाहिए।

हाल ही में, हिमाचल प्रदेश में एक घटना घटी जहां हैदराबाद स्थित इंजीनियरिंग महाविद्यालय के कई छात्र, जो इस वर्ष के जून के प्रथम सप्ताह में एक अध्ययन यात्रा पर गए थे, मंडी के निकट ब्यास नदी में बह गए। मैं उन कुछ संसद सदस्यों में से एक था जो मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव गुरू के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश सरकार और सेना द्वारा चलाए जाने वाले राहत कार्यों को देखने के लिए वहां गए थे। मैं वहां कुछ दिनों तक ठहरा था। मैंने वहां बांधों विशेषकर जल विद्युत केन्द्रों का अंधाधुंध निर्माण होते हुए देखा। इन बांधों के अधिकारियों की लापरवाही के कारण पानी छोड़ा गया और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें 24 छात्र पानी में बह गए और अभी चार छात्रों की लाश नहीं मिली है।

हिमाचल प्रदेश में मेरे प्रवास के दौरान और हिमालय के कतिपय राज्यों में कतिपय पर्यटक स्थलों के दौरे के दौरान मैंने यह पाया कि इन राज्यों में सड़कें ठीक से नहीं बनाई गयी हैं। यहां सड़कों में कई मोड़ हैं। और इन्हीं सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसलिए, इन राज्यों विशेषकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर में कई घटनाएं व दुर्घटनाएं हो रही हैं।

कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक यह संपूर्ण श्रृंखला लगभग 2,500 किमी. का है। सिक्किम राज्य को सन् 1975 में देश का हिस्सा बनाया गया। आज लगभग 40 वर्ष बीत गए हैं किन्तु सिक्किम तक कोई रेलवे लाइन नहीं है। शिमला, दक्षिण भारत में ऊटी, दार्जलिंग और ब्रिटिश भारत में कई पर्यटन स्थलों में विकसित रेलवे लिंक थे, किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुझे जानकारी नहीं है कि हाल में जम्मू और कश्मीर में बिछाए गए रेलवे लाइन को छोड़कर कोई नई रेलवे नई लाइन बिछायी गई हो।

निश्चित तौर पर ये हिमालयी राज्य निधियां पाने से वंचित रहे हैं और इनके पास धन जुटाने का स्वयं का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि भारत सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वे इन सभी राज्यों की सहायता करे। चूंकि हमारे पास उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय है, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं—और मैं माननीय सदस्य डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक के प्रस्ताव का समर्थन भी करता हूं—कि सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि इन हिमालयी राज्यों के विकास के लिए भी एक मंत्रालय होना चाहिए।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (वडकरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे हिमालयी राज्यों के सतत् विकास के लिए एक नए मंत्रालय के गठन के लिए डॉ. पोखरियाल द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण चर्चा में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ। मैं पूर्णरूपेण इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा बरवा के बीच हिमालय या इस हिमनद का विस्तार 2,900 किमी. है। शक्तिशाली और भव्य हिमालय विश्व का सबसे युवा और उत्कृष्ट पर्वत श्रृंखला है, और वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें अभी विस्तार हो ही रहा है। हिमालय क्षेत्र प्राकृतिक रूप से नाजुक और अस्थिर है। हिमालय क्षेत्र में जलवायु विविधता, इनकी ऊंचाई, होने वाली वर्षा और मृदा के प्रकार एवं कृषि क्षेत्र की विविधता अध्ययन के लिए बड़ा दिलचस्प है।

हजारों की संख्या में हिमनद होना हिमालय की एक और अनूठी घटना है। ध्रुवीय क्षेत्र के अलावा सियाचीन ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है। ये हिमालय ग्लेशियर कई बड़े और निरंतर बहने वाली नदियों का स्रोत है, जो नदियां हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं। यह माना गया है कि एशिया की 60 प्रतिशत से अधिक जल आवश्यकता की पूर्ति हिमालय क्षेत्र से पूरी होती है। भरतीय उप-महाद्वीप की जलवायु पर हिमालय पर्वत श्रृंखला का बहुत बड़ा असर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारे देश के लिए एक प्राकृतिक उपहार है और इस उप-महाद्वीप का अस्तित्व भी बहुत हद तक हिमालय पर ही निर्भर करता है। यह हमारे देश की रक्षा भी करता है और एक रक्षक के रूप में खड़ा है।

हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमारे लापरवाही भरे भूमि इस्तेमाल पैटर्न और निर्दयतापूर्वक वृक्षों की कटाई ने हिमालय की पारिस्थितिकी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हिमालयी क्षेत्र में अक्सर अचानक आने वाले बाढ़, बादल फटने और हिमस्खलन की घटनाएं होती हैं। पिछले वर्ष उत्तराखंड में आयी बाढ़ ने हमारी आंखें खोल दी है और इसने हमें यह महसूस कराया कि हिमालय क्षेत्र कितना अस्थिर है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी को होने वाली किसी भी क्षति से निसंदेह संपूर्ण पूर्वी भाग को और संभवत: इस उप-महाद्वीप के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न होगा।

विशेषज्ञ यह कहते हैं कि इस क्षेत्र में आने वाली अचानक बाढ़ का एक कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण होने वाला मृदा अपरदन है।

हम श्री सुन्दरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किए गए चिपको आंदोलन को याद कर सकते है जिन्होंने हिमालय के वनों की रक्षा के लिए निरंतर लड़ाई लड़ी।

हिमालय के प्राणि जात और वनस्पति जात सदियों से प्रसिद्ध रही हैं। बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण से हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश होगा। हिमालय का मौसम और जलवायु की स्थितियां इलैक्ट्रॉनिक उद्योग, घड़ियां और कंप्यूटर आदि ज्यादा उपयुक्त है। हिमालयी क्षेत्र की आस-पास की बसावटों को हिमालय के संवेदनशीलता और इसकी विशालता के बारे में बताया जाए।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट प्रतीक्षा करें। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि संकल्प पर पहले ही तीन घंटे लग गए है अत: इसकी चर्चा के लिए आवंटित समय लगभग समाप्त हो गया है। चूंकि संकल्प पर चर्चा के लिए छह और सदस्य बचे हैं इसलिए सभा को संकल्प पर आगे चर्चा के समय को और बढ़ाना होगा। यदि सभा सहमत हो तो संकल्प एक घंटे और बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

माननीय सभापति : अत: इस पर सहमति बन गई है, माननीय सदस्य, ठीक है, आप अपनी बात जारी रखें।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन : एक अलग मंत्रालय समृद्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग क्षेत्र की पारिस्थितिकी और विकास की रक्षा में निश्चित रूप से सहायक होगा।

संकल्प के प्रस्तावक, डॉ. पोखरियाल हिमालयी राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा उनका संपूर्ण विकास और संरक्षण सुनिश्चित करना चाहते हैं। यहां मेरा सुविचारित मत यह है कि संवहनीय विकास हिमालय के पारिस्थतिकी के संरक्षण के द्वारा ही संभव है। संकल्प के प्रस्तावक पिछड़े विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष वित्तीय पैकेज की भी मांग कर रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि पिछड़ेपन की समस्या का समाधान मामले पर समग्र दृष्टि रखकर की जा सकती है।

संकल्प के प्रस्तावक का जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का सुझाव का आकलन वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा किया जाए।

वस्तुत: हिमालय से वर्षभर बहने वाली नदियां जल का बड़ा स्रोत है। प्रश्न यह उठता है कि पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान किए बिना इसका दोहन किस प्रकार किया जाए।

मैं पुन: हिमालय के संवहनीय विकास हेतु मंत्रालय के गठन के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : श्री अनुराग जी।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : यह तो...*...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : इसमें ...** नहीं है। कृपया ऐसी टिप्पणी न करें। मुझे पता है कि सभा का कार्य किस प्रकार करना है।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय रमेश पोखरियाल जी ने एक महत्वपूर्ण विषय पर पिछले सप्ताह चर्चा की शुरुआत की कि हिमालय राज्यों के लिए एक अलग से मंत्रालय बने। मैं सबसे पहले रमेश जी का आपके माध्यम से पूरे सदन की ओर से और पूरे पहाड़ी राज्यों के लोगों की तरफ से बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। शायद यह दर्द उन पहाड़ी राज्यों से आने वाला व्यक्ति ही जान सकता है कि एक ओर पहाड़ी राज्य चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जिसे देव भूमि के नाम से जाना जाता है, जहां देवी-देवताओं ने वास किया, जहां उनका पूरा आशीर्वाद मिलता रहा। हम अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे राज्यों से आते हैं जहां देशभर के लोग देवी-देवताओं के दर्शन करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं।

आदरणीय डॉ. जितेन्द्र सिंह जी हमारे साथ लगते हुए जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी राज्य से आते हैं। माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा के लिए देशभर से लाखों लोग प्रति वर्ष वहां जाते हैं। इस महत्वपूर्ण चर्चा के समय वे भी इस सदन में मौजूद हैं। अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। मुझे लगता है कि वे भी हम सबसे सहमत होंगे कि पहाड़ी राज्यों की दिक्कत शायद शहर में रहने वाला व्यक्ति उतनी अच्छी तरह से न जान पाए।

मेरे कांग्रेस के मित्र निगोंग इरिंग जी अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। वहां की परिस्थितियां भी ऐसी हैं। पिछली बार 15वीं लोक सभा में हिमालयन स्टेट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी पर हम एक प्राइवेट मम्बर्स बिल लेकर आए थे। उसमें भी हम सबने बड़ी विस्तार से चर्चा की थी कि आखिर पहाड़ी राज्यों की समस्याएं क्या हैं। यह शायद हम लोगों से बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता। एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठे लोग जब नीतियां तय करते हैं, शायद वे इस समस्या को समझ नहीं पाते कि एक छोटे से गांव में एक सड़क के लिए एनओसी लेने के लिए दो-दो वर्ष लग जाते हैं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

जो धन का आवंटन किया जाता है, बजट का प्रावधान किया जाता है, उसमें भी पहाड़ी राज्यों की समस्याओं को लेकर ध्यान नहीं रखा जाता।

आवश्यकता क्यों है? इतने सारे मंत्रालय हैं, आखिर एक और मंत्रालय क्यों बनना चाहिए? शायद 67 वर्षों में जो होना चाहिए वह आज तक नहीं हो पाया। हिमाचल प्रदेश में 67 वर्षों में मात्र 44 किलोमीटर रेलवे लाइन बनी है। इससे बड़ी अनदेखी क्या होगी। अंग्रेजों के समय शिमला तक रेलवे लाइन चली गई थी। आज हम कालका से परवाणु तक नहीं पहुंचा पाए जो पांच किलोमीटर दूरी पर भी नहीं है। कालका से बद्दी तक रेलवे लाइन नहीं पहुंचा पाए जो दस किलोमीटर दूरी पर है। ऊना से तलवाड़ा रेलवे लिंक पिछले तीन वर्षों से बन रहा है, लेकिन मात्र 40 किलोमीटर बन पाया है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी। पाठनकोट से जोगिन्दर नगर तक रेलवे लाइन चली गई। अंग्रेजों के समय जितनी रेल गाड़ियां चलती थीं, आज वे बंद हो गई हैं। नई रेल गाड़ियां चलने की बात तो दूर की है।

उत्तराखंड में पिछले वर्ष जो त्रासदी आयी, वह इस पूरे सदन का ध्यान उस ओर ले जाती है। इस देश में जो हुआ और जिस तरह से उस समय की उत्तराखंड सरकार ने अनदेखी की, उचित व्यवस्था नहीं की, जिससे हजारों लोगों की जान चली गयी। उसके बावजूद भी अगर हम लोग नहीं जागते और वहां उचित व्यवस्थाएं नहीं करते, तो बहुत देरी हो जायेगी।

रमेश जी, शायद इसका कारण यह भी है कि उत्तराखंड से केवल पांच सांसद आते हैं, हिमाचल से चार सांसद आते हैं, जम्मू और कश्मीर से छह सांसद आते हैं और निनोंग जी, अरुणाचल प्रदेश से दो सांसद आते हैं। नागालैंड से एक सांसद आ जायेगा, मणिपुर से एक सांसद आ जायेगा। हमारी आवाज कौन सुनेगा? हम छोटे राज्यों से आते हैं। हमारी आवाज इस सदन में कौन सुनेगा, जहां पर 545 लोगों को 17-17 लाख लोग चुनकर भेजते हैं। चूंकि हमारे पास ज्यादा सांसद नहीं हैं, इसलिए हमारी सदन में सुनवाई नहीं होती है, सच्चाई यह है। किसी भी डिपार्टमेंट के बजट में हिमालियन स्टेट की अनदेखी की जाती है, लेकिन इस बारे में बजट में 54 प्रतिशत बढ़ोत्तरी अगर किसी सैक्टर के लिए की गयी है, तो नार्थ ईस्ट के राज्यों के लिए आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी की जी सरकार ने की है। उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं।

एक नयी शुरुआत हुई है। यह शुरुआत अच्छी है लेकिन इसे आगे तक कैसे लेकर जाना है? आखिर क्या-क्या दिक्कतें हैं? कई बार ऐसा लगता है कि पहाड़ी राज्यों का योगदान होने के बावजूद भी उनकी कहीं पर चर्चा नहीं होती। मैं हिमालच प्रदेश के हमीरपुर जिला से आता हूं। हिन्दुस्तान में अगर पहला परमवीर चक्र किसी को मिला, तो वह मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। वे हिमाचल प्रदेश से आते थे। कारगिल का युद्ध हुआ, तो उसमें सबसे ज्यादा शहादत हिमाचल प्रदेश के सैनिकों ने दी और अगर चार परमवीर चक्र मिले, तो उनमें से दो हिमाचल प्रदेश के थे। यह हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन जब सेना में भर्ती की बात आती है, तो जनसंख्या के आधार पर वह भर्ती की जाती है। हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या मात्र 70 लाख है, इसलिए हमारे लोगों की सेना में भर्ती भी कम कर दी जाती है। क्या अब हमें जनसंख्या बढ़ाने की होड़ में काम करना होगा? देश में जब पहले से ही विस्फोटक परिस्थितियां खड़ी हैं, अगर कुछ राज्यों ने इसमें कमी रखी है, क्योंकि वहां पढ़े-लिखे लोग हैं इसलिए जनसंख्या को नहीं बढ़ने देना चाहते, तो क्या उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी? आखिर हमारी कमी कहां पर है? सबसे पहले कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने की शुरुआत यदि किसी राज्य ने की, तो हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने की। यदि पोलीथीन पर पूरा बैन लगाया तो हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले शुरुआत की। हाइड्रो पावर के प्रोजैक्ट्स लगाने के बाद इस देश को बिजली की आपूर्ति करने में सारा प्रयास हमने अपनी ओर से किया। हमारे पास बिजली सरप्लस है, इसलिए हम बाकी राज्यों को देते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जब हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात आती है, तब पिछली सरकार ने पांच वर्षों तक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर जिले में नहीं बनने दिया। पहाड़ी राज्यों में पहले ही कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। वह कॉलेज जिला बिलासपुर में बनना था, उसकी भी अनदेखी की गयी। आखिर पहाड़ी राज्यों का योगदान कहां पर है?

आज मैं बड़े ध्यान से अरुण जेटली को सुन रहा था। रमेश बिधूड़ी जी, दिल्ली का बजट पेश करते हुए अरुण जेटली जी ने कहा कि रेणुका डैम हम बनाकर देंगे। आखिर एक रेणुका डैम किस प्रदेश में बनने वाला है? वह हिमाचल प्रदेश में बनने वाला है। किसान कहां के विस्थापित होंगे – हिमाचल प्रदेश के होंगे। लेकिन बिजली और पानी की आपूर्ति किसको की जायेगी – दिल्ली में रहने वाले लोगों को की जायेगी। भाखड़ा बांध बना, तो विस्थापित मेरे जिला बिलासपुर के लोग हुए। उनको आज तक स्थापित नहीं किया गया। बिजली तो बाकी राज्यों को मिली, हरियाणा को मिली, पंजाब को मिली, लेकिन हमें क्या मिला – उजड़े हुए परिवार मिले, जिनको आज तक स्थापित नहीं किया गया। पाउन डैम हमारी जमीनों पर बने, पानी हमारा गया, जमीनें हमारी गयीं, हजारों लोग आज भी बेघर हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले नोटिस भेज देते हैं कि जमीन खाली कर दो। जब जमीन लेनी थी, तब कहा कि जो जमीन मिलती है, वहां पर बैठ जाओ, वह आपकी हो जाएगी। आज उनको कहते हैं – जमीन खाली कर दो और कहीं और चले जाओ। पानी मिल गया राजस्थान को, बिजली

मिल गयी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को, हमें क्या मिला? हमें उजड़े हुए परिवार मिले। आखिर हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों की समस्याओं को कौन जान पाएगा? अरुणाचल प्रदेश अकेला पचास हजार मेगावाट बिजली दे सकता है। वहां प्रोजैक्ट्स क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि वहां के बंद कमरों में बैठे अधिकारी और मंत्री यह नहीं जान पाते कि अरुणाचल प्रदेश की समस्या क्या है? हम कहते हैं कि सिक्किम ने ऑरगैनिक खेती में बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस छोटे-से राज्य की उपलब्धि को पूरे देश के सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सरकार में हिमालयन स्टेट्स की अनदेखी नहीं होगी। लेकिन, सभापति जी, हिमाचल प्रदेश में यदि किसी परिवार का सदस्य गुजर जाए, तो लकड़ी काटने के लिए भी अनुमति मांगनी पड़ती है। अपने खेतों से लकड़ी काटने के लिए अनुमति मांगनी पड़ती है। आखिर इन समस्याओं को कौन जानेगा? उनके खेतों में पेड़ तो खड़े हैं, पर वह उसे बेच नहीं सकता, कमाई नहीं कर सकता। फॉरेस्ट कवर हिमाचल प्रदेश बढ़ाता है, पर्यावरण को हम बचाते हैं, पॉलिथीन पर बैन हम लोग लगाते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? हमें न रेलवे लाइन मिलती है, न बजट में पूरा प्रावधान मिलता है, न हमारे बच्चों को सेना में भरती के लिए अवसर मिलते हैं। उद्योग के नाम पर पिछले 66 वर्षों में किसी न कुछ नहीं दिया था। मगर वर्ष 2002 की पहली दिसम्बर को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के लिए इंडस्ट्रीयल पैकेज की घोषणा किसी व्यक्ति ने की, तो उस शख्स का नाम था श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मैं वह दिन इसलिए नहीं भूलता हूं, क्योंकि उस दिन मेरी शादी थी। एक दिसम्बर, 2002 को वे आए थे और सोलन में उन्होंने एनाउंसमेंट की थी। लेकिन दु:ख इस बात का होता है कि पांच वर्षों के बाद जब केन्द्र में यूपीए की सरकार आती है, तो पहाड़ी राज्यों के ऊपर बुलडोज़र चलता है। श्री अटल जी ने नहीं देखा था कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है, जम्मू और कश्मीर में नैशनल कांफ्रेंस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सबके लिए एक समान अधिकार दिया, तो वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। लेकिन वापस करते समय तो वे राजनीतिक रूप ले गये, ये वो कड़वी सच्चाई है, जो दिल के अंदर से गुबार के रूप में निकल रही है। क्या कसूर है कि पहाड़ी राज्यों के बच्चों का, जिनके लिए सेना में भरती के अवसर नहीं हैं, सरकारी नौकरियों में भरती के अवसर नहीं है, उनको नौकरी करने के लिए अपना राज्य छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। वे मुम्बई, हरियाणा और पंजाब की सड़कों पर धूल खाते हैं। सुंदर पहाड़ी राज्यों से निकलकर, उन्हें प्रदूषित बस्तियों और शहरों में रहना पड़ता है, जहां पर एक-एक कमरे में सात-सात लोग रहते हैं।

माननीय सभापति : आपने चौदह मिनट का समय ले लिया है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, यह तो पहाड़ी राज्यों की बात है। मैंने पहले ही कहा था कि पहाड़ी राज्यों को बजट मिले-न-मिले, भाषण के बजट में भी कटौती है। यह बात यहीं से सिद्ध होती है कि पहाड़ी राज्यों को कभी अधिकार मिलने वाले नहीं हैं। जब मेरे मित्र श्री प्रहलाद जी ने कहा कि पता नहीं मिनिस्ट्री मिले-न-मिले, मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो कि हमें मिनिस्ट्री मिले-न-मिले, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि

"चले चलिए, कि चलना भी दलील-ए-कामरानी है,
जो थक कर बैठ जाते हैं, उन्हें मंज़िल नहीं मिलती।"

हम थक कर बैठने वाले नहीं, हम पहाड़ी लोग हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम जीते हैं और मरते हैं, जहां पर जीना आसान नहीं है। वहां पर जीना आसान नहीं है। कई-कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। बारह-बारह, चौदह-चौदह किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। उन बच्चों का क्या होता होगा, जो गरीब घर से आते हैं? उनके मन में भी इच्छा होती है कि शायद हम भी कभी आईआईटी या आईआईएम में जाकर पढ़ेंगे। वह शायद इसी सोच के साथ 15-15 किलोमीटर चलता है कि मैं भी शायद कभी आईएएस, आईपीएस अधिकारी बन जाऊं, सिविल सर्विसेज, में जाऊं, लेकिन हम लोग उनके लिए क्या करते हैं? क्या हमने उनकी समस्याओं को कभी जानने का प्रयास किया है। यह बोलकर स्कूलों पर ताले लगा दिए जाते हैं कि यहां पर केवल 20 बच्चे पढ़ते हैं। अगर वहां उन 20 बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, तो उन बच्चों को कम-से-कम 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इन समस्याओं को समझना होगा। पानी हमारे यहां बहता है, डैम हम लगाते हैं, पानी की व्यवस्था हम पूरी करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि रमेश जी ने जो विषय उठाया, वह बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय पर दिल्ली से चुनकर आए हमारे एक बड़े लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी बोलना चाहते हैं। वे भी जानते हैं कि पहाड़ी राज्यों की क्या दिक्कतें हैं। अगर दिल्ली के लोगों को गर्मी के दिनों में कहीं जाना होता है, कहीं सुकून मिलता है, तो हिमालय की गोद में आकर मिलता है। हम आज उस हिमालय की गोद और वहां की समस्याओं की बात कर रहे हैं। मुझे भी लगता है यहां से मनाली जाने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जहाज जब शुरू की जाती है, तो दूसरे महीने वह फ्लाइट ही बंद कर दी जाती है। प्रॉफिटेबिल्टी की बात की जाती है। क्या हम सारी उम्र प्रॉफिट ही देखते हैं? क्या सरकार का काम फेसिलिटेट करना है या धन कमाना है? आखिर ऐसे राज्यों में, जहां पर बहुत दूर जाना पड़ता है, वहां पर हवाई जहाज की सुविधा क्यों नहीं है? वहां की टिकटों पर सब्सिडी क्यों नहीं है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड के टिकटों पर सब्सिडी क्यों नहीं है? 15000 रुपये तक का टिकट लेना पड़ता है, क्यों वह टिकट चार-साढ़े चार हजार रुपये में

नहीं मिलती है, क्यों एयरपोर्ट टैक्स और अन्य टैक्सेस को खत्म नहीं किया जाता है? ऐसा करने में कौन सी साइंस की जरूरत है? इससे देश का कितना लॉस हो जाएगा? कोई ज्यादा फार्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सोचने की आवश्यकता है। टूरिज्म को बढ़ावा कैसे मिलेगा?

हिमाचल प्रदेश की आबादी 70 लाख है, लेकिन वहां प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ तीस लाख टूरिस्ट्स आते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र विलासपुर की सड़क थी, पांच साल तक मैं उसकी रिपेयर के लिए धक्के खाता रहा, केवल खड्डों को भरने के लिए। इन छोटी-छोटी समस्याओं को कौन देखेगा? अगर एक अलग मंत्रालय होगा, तो हम उस पर जाकर अपना दुखड़ा रो सकेंगे। नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं मैंने देखी हैं, मैं वहां खुद गया हूं। वर्ष 1962 में उनको देश भूल गया था, देश की सरकार भूल गयी थी, मीडिया भूल गया था, लेकिन सबसे पहले शहीद श्रद्धांजलि यात्रा तेजपुर से तवांग के लिए किसी ने की, तो मैंने की थी। वर्ष 1962 के युद्ध के शहीदों को याद करने के लिए और उस पूरे अरुणाचल प्रदेश को देखने की, तवांग तक जाने की, नॉर्थ ईस्ट की उस खूबसूरत धरती को देखने के लिए, नॉर्थ ईस्ट के उन लोगों से मिलने के लिए जिन्होंने चीन की सेना को रोकने के लिए भारत के सैनिकों के साथ मिलकर पांच-पांच फुट की बर्फ में चलकर वहां से हथियार उठाकर अरुणाचल प्रदेश के लोग लाते थे। चीन की सेना को रोकने के लिए जो योगदान अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने दिया, उसे देश कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन वहां तक बाकी लोगों को ले जाने के लिए जो आधारभूत ढांचा चाहिए, क्या वह हमारे पास है? क्या नॉर्थ ईस्ट में जितने पर्यटक जाने चाहिए, उतने जा रहे हैं? इसके लिए कौन प्रयास करेगा? जब बड़े-बड़े राज्यों की बात की जाएगी, जब 20 करोड़ लोगों के प्रदेश की बात की जाएगी, दस करोड़ लोगों के प्रदेश की बात की जाएगी, तो 20 लाख लोगों के प्रदेश को कोई नही देखेगा, तब अस्सी सीटों वाले प्रदेश की बात की जाएगी। आखिर हमारी सुनवाई कब होगी? केवल प्राइवेट मेम्बर बिजनेस में अपना दर्द निकालकर चले जाने से काम नहीं चलेगा। आप भी जानते हैं कि यह बहुत गंभीर विषय है। पहाड़ों की समस्याएं क्या है — कभी बादल फट जाते हैं, जिसमें गांव के गांव बह जाते हैं, सड़क टूट जाती है, सड़क का कनेक्शन टूट जाता है, पुल टूट जाता है, कई महीनों तक रोड बंद पड़े रहते हैं।... *(व्यवधान)*

माननीय सभापति : अपनी बात समाप्त कीजिए, अन्य सदस्यों को भी बोलना है और अगला विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं महत्वपूर्ण विषय ही आपके सामने रख रहा हूं। पहाड़ी राज्यों में बादल फट जाना, लैंडस्लाइड होना, भूकम्प आना, ये आम घटनाएं इन जगहों पर और हिमाचल प्रदेश में होती रहती हैं। वहां ओलावृष्टि होती है। सेब पैदा होता है, लेकिन ओलावृष्टि होने से उसकी फसल खराब हो जाती है। हम यहां पर कितना ही रोना रो लें कि वहां पर फसल बर्बाद हो गई, लेकिन कुछ नहीं होता। सरकार चीन से आयातित सेब पर तो शुल्क नहीं बढ़ाती, लेकिन जो शिमला से, जम्मू और कश्मीर से लाएगा और उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्र से सेब लाएगा, उसकी परेशानी कोई नहीं देखता। न ही उन लोगों के पास अच्छी सड़कें हैं और न ही ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं। इसलिए वह मार्केट में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। पहले वहां के सेब उत्पादकों को ओलों से बचने के लिए हिल स्ट्रोम गन चाहिए, जो ओलों को हवा में फाड़ दे और उसमें से पानी की एक-एक बूंद करके टपकाए। उस मांग को लेकर ही हमें कई वर्ष हो गए, न किसानों के दर्द को समझा गया और न ही आयात शुल्क बढ़ाया गया तथा न ही कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। हम कहते हैं कि मार्केट लिंकेज करनी है, कोल्ड चेन बनाने की बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जब हम फूल, फल और सब्जी भेजते हैं, उनका होता है।

माननीय सभापति : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि काफी लोगों ने इस विषय पर बोलने के लिए नाम दे रखे हैं इसलिए उन्हें भी बोलना है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मेरा तो अभी 45 मिनट का भाषण बचा है।

माननीय सभापति : अगला विषय भी आपका ही है और वह भी काफी महत्वपूर्ण है। सबको थोड़ा-थोड़ा समय बोलने के लिए मिल जाए तो अच्छा होगा। काफी लोग इसी प्रतीक्षा में बैठे हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप अगर सहयोग करेंगे तो सही होगा।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मुझे लगता है कि सदन चाहता है कि इस पर विस्तृत चर्चा हो। अभी तो मुझे दार्जिलिंग की बात करनी है, क्योंकि यहां अहलूवालिया जी बैठे हैं।

माननीय सभापति : वह भी इसी विषय पर बोलना चाहेंगे।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं चाहता हूं कि उन्हें भी पांच मिनट न मिलकर और समय दिया जाए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण विषय है। देवी-देवताओं से शुरू होकर बात काफी दूर तक जाएगी।

माननीय सभापति : और भी सदस्य बोलना चाहेंगे।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, मैं सब सदस्यों की भावना को समझता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि जितने भी सदस्य यहां बैठे हैं, ये सब हिमालयान स्टेट्स के फेवर में बोलना चाहते हैं। कहीं

न कहीं इनके दिल में भी यह दर्द है कि हिमालयान स्टेट्स का विकास क्यों नहीं हुआ, उनकी अनदेखी क्यों हुई। ये भी मंत्रालय चाहेंगे, योगदान भी चाहेंगे, बिजली भी चाहेंगे, पानी ये भी हिमालयान स्टेट्स से चाहेंगे, लेकिन जब भर्ती का कोटा आएगा, तब इनकी अपनी लोक सभा सीट के मतदाताओं के वोट बैंक की राजनीति की बात आ जाती है। हम पीछे नहीं हटते हैं योगदान देने में, न अपनी जमीन छोड़ने में, न ही डैम बनाने में और न अपना जीवन देने में। सबसे बड़ा बलिदान देश के लिए अपना जीवन देना होता है। हम तो वहां तक जाते हैं। आप कहेंगे कि समय कम कर दो, मैं अभी भाषण समाप्त करके बैठ जाऊंगा, लेकिन हमारी बात फिर अनसुनी रह जाएगी। क्या पहाड़ी राज्यों की सुनवाई कभी नहीं हो पाएगी, क्या केवल प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस वाले समय में गैर-सरकारी बिल लाकर और उस पर चर्चा कराकर ही बात खत्म हो जाएगी?

जब महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की बात आती है, जैसे देश में हजारों युनिवर्सिटीज बनाने की जब बात आती है, तब पहाड़ी राज्यों की अनदेखी कर दी जाती है। जब यहां पर सेंट्रल युनिवर्सिटी बनाने की बात आती है, तब कहते हैं कि 700 एकड़ जमीन चाहिए। पहाड़ी राज्यों में 700 एकड़ जमीन इकट्ठी करना ही अपने आपमें एक मुसीबत है। एम्स बनाने के लिए 200 एकड़ जमीन चाहिए, ऐसी बात कही जाती है, हम पहाड़ी राज्यों वाले लोग कहां से इतनी जमीन लाएंगे।

आप देखें कि दिल्ली, मुम्बई या न्यूयार्क जैसे शहरों में वर्टिकल इमारतें बनाई जा रही हैं कि आप 50 मंजिल तक इमारत बनाओ। यह आपरेट करने में भी आसान है। सफदरजंग अस्पताल या दिल्ली के बाकी अस्पतालों में आप देखें कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ले जाने के लिए मरीज को स्ट्रेचर पर बीच सड़क में ले जाया जाता है। क्या हमें वहां पर भी ऐसा आधारभूत ढांचा खड़ा करना है, इससे तो अच्छा है कि आप वर्टिकल इमारतें बनाएं, 50 मंजिल बना दें। उसी लिफ्ट में नीचे आना और ऊपर जाना आसान होगा। ज्यादा बिल्डिंग्स खड़ी करने से कुछ नहीं होगा। किसानों की 200-700 एकड़ जमीन लेने की बात होती है, वह भी 21वीं शताब्दी में, जहां जमीन की कीमत ही हम समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर हमें अपनी पॉलिसी में कहीं न कहीं बदलाव लाना होगा।

मैं धन्यवाद देता हूं रेल मंत्री जी को कि उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स 30 साल और उससे ज्यादा समय से लम्बित हैं, उन्हें पूरा करेंगे। मुझे आशा है कि हमारे प्रदेश की रेल लाइन नांगल-ऊना और तलवाड़ा पूरी होगी, जिसके लिए हर साल हमें मात्र 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि मैं इस बारे में कम-से-कम 50 बार रेल विभाग के चक्कर काट चुका हूं। पचास बार चक्कर काटने के बाद मात्र 20 करोड़ रुपए मिलते हैं।

सभापति जी, मेरा दर्द थोड़ा सुन लीजिए। कारगिल में युद्ध हुआ, हम सबको याद आया कि कनैक्टिविटी बहुत जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश में 1962 के युद्ध को याद करते हुए कहते हैं कि कनैक्टिविटी बहुत जरूरी है। चीन इस बात को समझ गया लेकिन हिन्दुस्तान नहीं समझा। चीन ने लहासा तक आकर अपनी रेल लाइन बना दी, हम लेह तक रेल लाइन नहीं बना पा रहे हैं। लेह तो छोड़िये निनांग जी, माननीय जितेन्द्र सिंह जी यहां बैठे हुए हैं वे जानते हैं कि लेह कितना महत्वपूर्ण है। भानुपुली, विलासपुर, मंडी, मनाली, लेह रेलवे लाइन और विलासपुर क्यों, क्योंकि वहां पर पांच हजार से ज्यादा ट्रक सीमेंट को ढोते हैं, मंडी और मनाली क्यों, क्योंकि लाखों टूरिस्ट वहां प्रतिवर्ष जाते हैं और वही रूट आगे लेह तक जाता है जो देश की सीमावर्ती इलाके तक जाता है। जहां भानुपुली से शुरू होती है कीरतपुर साहब, आनंदपुर साहब ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं सिखों की नगरी है, माता नैनादेवी के चरणों से होकर वह ट्रेन गुजरेगी, लेकिन पीड़ा तब होती है पिछले बजट में पांच करोड़ रुपया मिला और इस साल का जब अंतरिम बजट दिया गया उसमें भी आठ करोड़ रुपया दिया गया। हम देश की रक्षा-सुरक्षा की बात करते हैं, नेशनल महत्व की हम रेलवे लाइन घोषित करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने चार बार कहा, 'यह रेल नेटवर्क भारत के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है'। नेशनल इम्पोर्टेंस की घोषित करेंगे, वे घोषणा भी चार सालों में नहीं कर पाये और बजट भी पिछले साल 8 करोड़ का दे पाये। आदरणीय निशंक जी ठीक कहा कि जब तक एक अलग मंत्रालय नहीं बनेगा, आप जो 25 करोड़ रुपया अगर किसी प्रोजैक्ट पर प्लेन एरिया में खर्च करते हो तो पहाड़ी राज्य में उससे दुगनी कोस्ट आती है। उसे बनने के लिए समय लगता है। अधिकतर लैंड फॉरेस्ट लैंड गिनी जाती है। एनओसी मिलने में सारी जिन्दगी खत्म हो जाती है। क्या हमारा कसूर यह है कि हमें पहाड़ बचाकर रखने होंगे, पेड़ बचाकर रखने होंगे, जलवायु में परिवर्तन नहीं लाने देना होगा, क्या ये सारी जिम्मेदारी पहाड़ी राज्यों की रह गयी है। हम वह भी निभाने के लिए तैयार हैं लेकिन उसके बदले में आप हमें क्या देते हो। कोस्टारिका जैसा छोटा सा देश जिसने 'पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भुगतान' लागू किया। 18 परसेंट से फॉरेस्ट कवर बढ़ाकर उसने 50 परसेंट से ज्यादा कर दिया। उसने कहा कि पेड़ लगाओगे तो पैसे पाओगे। इतना परसेंट आपको फॉरेस्ट रिजर्व रखना है, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। ऐसा आप भी कीजिए ना पहाड़ी राज्यों के साथ कि तुम्हारे पास एक एकड़ जमीन है यहां पर इतना पेड़ लगाओ, इतना फॉरेस्ट करो, इसके बदले में तुम्हें पैसा देंगे। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। सड़कों के किनारे आप कहते हैं कि पेड़ नहीं लगते तो लोगों को पैसे दो, नरेगा में पड़े लगवाओ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोलो कि पेड़ लगवाएं और उसके बदले में जितना पैसा मिलेगा वहां की कम्युनिटी के लिए मिलेगा। धारणीय संवृद्धि के लिए हमें

नवोन्मेषी विचारों के साथ आगे आना होगा और यदि हम नवोन्मेषी विचारों के साथ आगे नहीं आते तो क्या होने जा रहा है। अगर पहाड़ी एरिया में विकास करना है, माइग्रेशन को रोकना है और उस स्थिति को आने से रोकना है कि लोग विद्रोह करने पर आ जाएं तो मुझे यह लगता है कि यह बहुत आवश्यक है कि एक अलग से मंत्रालय स्टेट्स के लिए बनना चाहिए।

अंत में मैं माननीय निशंक जी का इस प्राइवेट मैम्बर बिल लाने पर अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूं और डॉ. जितेन्द्र सिंह जी, निनांग जी और हमारे सब मित्रगण बैठे हैं यहां पर, जो इस बिल के समर्थन के लिए बैठे हैं, सभी सदस्यों का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

[अनुवाद]

श्री विनसेंट एच. पाला (शिलांग) : माननीय सभापति महोदय, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, यह संकल्प बेहद अर्थपूर्ण है। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं भी हिमालयी क्षेत्र से संबंध रखता हूं। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और संपूर्ण उत्तरी-पूर्वी राज्य हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा हैं।

मैं पुन: इस संकल्प का समर्थन करता हूं क्योंकि यह समय की आवश्यकता है कि एक ऐसा मंत्रालय हो, ताकि हम केन्द्रीय मंत्रालय को सलाह अथवा कोई सूचना दे सकें, जिसके साथ यह तद्नुसार कार्य कर सके। महोदय, बोलने के लिए मैं श्री अनुराग ठाकुर से भी आधा समय लूंगा। मैं अपने को केवल चार बिन्दुओं तक सीमित रखूंगा।

पहला, यदि यह मंत्रालय बनता है तो इससे हिमालय के आसपास के लोगों की पहचान करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, उत्तर-पूर्व में हमारे आठ राज्य हैं, लेकिन हमारे पास अनुसंधान केंद्र नहीं है, जहां हम उस क्षेत्र की संभावनाओं, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आदतों, अभ्यास और संस्कृति के संदर्भ में शक्तियों के बारे में अनुसंधान कर सकें। शायद हम उनकी आवश्यकताएं जानते हैं। जब श्री राजीव गांधी उत्तर-पूर्व आए थे, तो उन्होंने कहा था कि यदि आप भारत के असली रंग देखना चाहते हैं, तो आप उत्तर-पूर्व जरूर आएं, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में। मैं नहीं जानता कि आपमें से कितने लोग अरुणाचल प्रदेश घूम चुके हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं हमेशा वहां जाता हूं, क्योंकि यह संस्कृति से संपन्न है। यह खनिजों से संपन्न है। लोग बेहद सत्कार करने वाले हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं, जिनका हमें समर्थन करना चाहिए और श्री रमेश जी द्वारा दिया गया विचार बेहद आदर्शपूर्ण है।

यदि आप खेल के संदर्भ में देखें, तो हमें सिक्किम, दार्जिलिंग से कई फुटबॉल विशेषज्ञ मिले हैं। हमें मणिपुर से कई अच्छे बॉक्सर मिले हैं। गीत प्रतियोगिओं में मेरा राज्य मेघालय विजेता हुआ करता था। यहां तक कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा आए तो गाना गाने के लिए मेघालय के गायकों को बुलाया गया था। हिमालय पर रहने वाले लोगों की ये विशेषताएं हैं अत:, उत्तर-पूर्व में हमारा अनुसंधान केन्द्र होना चाहिए, जो वहां रहने वाले लोगों की शक्तियों की पहचान कर सके।

हमें इन सभी क्षेत्रों को एक विशेष आर्थिक पैकेज देने की आवश्यकता है क्योंकि इनमें से अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्र है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहना इतना आसान नहीं है। जैसा कि श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के नियम और कानून पूर्वोत्तर पर इसके भू भाग के कारण लागू नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, मेरे राज्य मेघालय में बारह महीनों में से छ: महीने बारिश होती है। इसलिए, हम किसी परियोजना को कार्यान्वित करना चाहें तो हम नहीं कह सकते कि बारह महिनों में बल्कि हम कहते है कि इसे केवल छ: महीनों में ही कार्यान्वित किया जाए। यही अंतर है। जब तक हमारे पास ऐसा मंत्रालय न हो जो कि उस क्षेत्र की समस्याएं जानेगा, तब तक राज्य का विकास कठिन है।

तर्क के मामले में भी, उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर के किसी राज्य की राजधानी से दिल्ली तक एक टन सीमेंट ले जाने की लागत 2000 रुपए से कम नहीं होगी जबकि उक्त को दिल्ली से मद्रास ले जाने में उसका दस प्रतिशत भी नहीं लगता है। हमें हिमालय क्षेत्र के लोगों को समर्थन देने की आवश्यकता है और इसलिए इस मंत्रालय की आवश्यकता है।

हमें घुसपैठ रोकने के लिए भी उपाय करने चाहिए। मुझे लगता है कि घुसपैठ हिमालय क्षेत्र के जनजातीय लोगों के लिए विशेष रूप से एक मुख्य समस्या है। मेरे राज्य में पड़ोसी देशों से घुसपैठ के कारण काफी रोष है। इसलिए, हमें उन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सशक्त करना होगा। वे श्रेष्ठ लोग है जो भू-भाग को और उस क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य भूमि से हजारों और लाखों सैनिकों को तैनात करने के बजाय हम स्थानीय युवकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं और उन्हें वहां रोजगार दे सकते हैं। वे श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करेंगे। वे देश की और अपनी रक्षा करेंगे। हम उन्हें रोजगार दे सकते हैं और इस तरह उन क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कम होगा। ये कुछ चीजें है जिन्हें हमें दिमाग में रखना होगा।

अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं, वो यह है कि हमें अवसंरचना के लिए और अधिक देना चाहिए। बजट कोई भी प्रस्तुत करे, चाहे यह

रेल बजट हो या आम बजट, वह हमेशा पूर्वोत्तर को 10 प्रतिशत देने की बात करते है। वे हमेशा 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर के लिए रखते है। आप पूर्वोत्तर के लिए केवल 10 प्रतिशत ही क्यों रखना चाहते है? सड़कों के लिए, हमारे पास 20 से 30 प्रतिशत होना चाहिए। काफी पैसे की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर में एक किलोमीटर के सड़क निर्माण के लिए, आपको कम से कम 2.5 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है लेकिन यहां केवल 1.5 करोड़ चाहिए। इसलिए, 10 प्रतिशत का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। यह मांग आधारित होना चाहिए। हमें अवसंरचना का विकास करना चाहिए। यदि चीन हिमालय की सीमा के साथ अवसंरचना विकसित कर सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते? इसलिए, अवसंरचना बहुत आवश्यक है। यह देश की संपत्ति का एक भाग होगा और साथ ही उस क्षेत्र के लोगों की भी संपदा होगी। यदि हम ऐसा करते है; तो वे विस्थापित नहीं होंगे और उन्हें रोजगार मिलेगा।

साथ ही, हमें उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। जैसाकि अनुराग जी ने कहा कि लोग उन क्षेत्रों से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और अन्य शहरों में आते है। आप वहां उद्योग स्थापित कीजिए। यदि हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्रों में आप पेड़ लगाएंगे तो इन्हें बढ़ने में केवल पांच वर्ष लगेंगे और आप उन्हें उपयोग कर सकेंगे। यदि आप दिल्ली में पेड़ लगाते है तो इसे बढ़ने में 20 वर्ष लगेंगे। इसलिए, हमें उद्योगों और परियोजनाओं की पहचान इस प्रकार से करनी चाहिए कि हम इन्हें उन क्षेत्रों में स्थापित कर सकें। हमें कुछ नियमों में भी छूट देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप गुजरात और राजस्थान में वन क्षेत्र को परिभाषित करें तो आपको एक एकड़ में केवल 20 पेड़ों की आवश्यकता होगी लेकिन पूर्वोत्तर में आपको एक एकड़ में 100 पेड़ चाहिए। इसलिए, हमें उन क्षेत्रों को परिभाषित करना चाहिए और नियमों में छूट देनी चाहिए। हमें उन क्षेत्रों के लोगों को सशक्त और प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे समृद्ध हो सके।

इसके साथ, मैं इस विचार का वास्तव में समर्थन करता हूं और मुझे लगता है कि हमें डॉ. रमेशजी को बधाई देनी चाहिए जिन्होंने यह श्रेष्ठ विचार दिया। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव पास हो जाए।

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): माननीय सभापति, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मैंने 30 वर्ष से अधिक पुलिस में रहकर समाज का प्रहरी बनकर आंतरिक सुरक्षा, लोगों की जान माल की रक्षा, सुरक्षा का काम किया है। अगर हमें देश की आत्मा और संस्कृति की बात करनी है तो हिमालय की बात करनी ही होगी। हर आदमी अपने मां-बाप, बाप-दादा की जन्मस्थली के लिए बहुत कुछ कहना चाहता है और उसे तीर्थस्थल मानकर पूजता है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को बताना चाहता हूं कि मानव जाति का जन्मस्थल हिमालय है। मानव सबसे पहले हिमालय में पैदा हुआ। शास्त्रों में चाहे वेद हो, शतपथ ब्राह्मण हो, महाभारत हो, उपनिषद् हो, सबमें यह बात बार-बार आई कि मानव का जन्म सबसे पहले हिमालय में हुआ। लगभग 150 वर्ष पहले ऋषि दयानंद ने सबसे पहले यह बात कही थी। आज साइंटिस्ट्स कहते हैं, कोई साउथ अफ्रीका की बात कहता है, कोई उत्तरी ध्रुव की बात कहता है। हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट पूना के श्री नारायणा पावगी बहुत खोज करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सबसे पहले मानव कहीं पैदा हुआ तो हिमालय में हुआ। यह केवल भारतीयों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जन्मस्थली है इसलिए इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहां से भाषा बनती है, यहां की भूमि भाषा की जननी है। आदरणीय पोखरियाल जी ने कहा कि संस्कृत दुनिया की भाषाओं की जननी है लेकिन संस्कृत की जननी हिमालय की भूमि है। भारत के आर्य कहते हैं कि सबसे पहले मानव मेरु में पैदा हुआ। ईरान के लोग कहते हैं कि हम लोग हिमालय से आए, भारत से आए। जब भारतीय आर्य उसे मेरु का नाम देते हैं, ईरानी मोरु कहते हैं, ग्रीस के लोग मेरोज़ कहते हैं, तुर्की के लोग मेरुह कहते हैं, मिस्र के लोग मेरई कहते हैं और रशिया के लोग मोरु कहते हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारी भाषा की जननी यह हिमालय की भूमि है। हमारे पूर्वजों की भूमि यह हिमालय की भूमि है। अभी तक लाखों प्रकार की वनस्पति और औषधि इस हिमालय में पैदा हुई है। नीतियों की कमी के कारण, हम लोगों ने पिछले 65-70 वर्षों के अंदर हिमालय के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए हज़ारों प्रकार की वनस्पति आज तक नष्ट हो गई। हमारे लोगों ने पता किया कि 18440 तरह की वनस्पतियां आज भी वहां पर जीवित हैं। लगभग 40 प्रतिशत वनस्पतियों को औषधियों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगर हमें मानव जाति को बचाना है तो हिमालय को बचाना होगा। हमारी कई प्रकार की ऐसी औषधियां हैं, जो मात्र हिमालयन रीजन में पैदा होती हैं। दुनिया में ओवरियन कैंसर की अगर सबसे अच्छी व प्रभावकारी औषधी कोई है, तो वह हिमालय में पैदा होती है। सबको मालूम है कि कस्तूरी मृग वहां पर पैदा होता है। कस्तूरी भी कार्डियक में और मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिस्ऑर्डर में काम आता है। कहते हैं कि अगर दुनिया में सबसे अच्छा केसर पैदा होता है, तो वह हिमालय में पैदा होता है। कुटकी एक छोटी सी औषधि है, कहते हैं कि एचआईवी की दुनिया में आज कल अमेरिका में जो रिसर्च चल रही है कि एचआईवी की सबसे ज्यादा प्रभावकारी कोई औषधि दुनिया में पैदा हो सकती है, वह कुटकी हिमालय रीजन में पैदा

होती है। दुनिया का बैस्ट मिनरल वॉटर हिमालयन वाटर माना जाता है। अमेरिका और इंग्लैण्ड में अगर भारत से जाने वाला कोई मिनरल वॉटर है, तो केवल हिमालयन वॉटर वहां पर अलाऊ है, किसी और वॉटर को अलाऊ नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निश्चित रूप से निवेदन करूंगा कि अगर हमें औषधियों को बचाना है, हमारे अपने स्वास्थ्य को बचा कर रखना है तो हमें इसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

कहते हैं कि जल ही जीवन है। मीठे जल का सबसे बड़े स्रोत हिमालय ही है। हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश की बड़ी-बड़ी नदियां, चाहे वह सिंधु नदी हो, सतलुज हो, गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, शारदा हो, वे सब हिमालय से ही निकली हैं। उसके अलावा मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि हिमालय का बहुत-बड़ा सामरिक महत्व है। हिमालय इस देश का प्रहरी है। यादव जी आज बोल रहे थे, जब सन् 1962 के अंदर एक दुर्भाग्य की बात है कि चीन ने हमारी 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्ज़ा कर लिया था तब इसी संसद के अंदर उस समय के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता, आपको इसकी चिंता क्यों है? उसी समय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अगर आपके सिर पर बाल नहीं है तो क्या उसकी कीमत नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. अहलुवालिया (दार्जिलिंग) : यह श्री महावीर त्यागी जी ने कहा था।...*(व्यवधान)*

डॉ. सत्यपाल सिंह : हिमालय का एक सामरिक महत्व है। हिमालय की धरती पर पता नहीं कितने प्रकार के रत्न मिलते हैं। आज दुनिया के अंदर शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए सभी प्रकार की बातें मिलेंगी, लेकिन अगर किसी को आत्मा की तुष्टी चाहिए, संतुष्टी चाहिए, उसका परिष्कार करना है, उसका साक्षात्कार करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा स्थान हिमालय की धरती है। इस बात को केवल वहां जा कर ही अनुभव किया जा सकता है। मैं अंत में इतनी बात कहना चाहता हूं कि कि हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य में कहा गया है कि उत्तर में देव लोक है। जब अंधेरा छा जाता है, तो लोगों को उत्तर ध्रुव की तरफ देखना पड़ता है। अगर हमें अपने देश की संस्कृति और आत्मा को बचाना है, तो हमें उत्तर की तरफ देखना होगा। इसलिए जब इस देश के अंदर सर्फेस ट्रांसपोर्ट के लिए अलग मिनिस्ट्री हो सकती है, स्पेस के लिए अलग मिनिस्ट्री हो सकती है, ओशियन के अलग मिनिस्ट्री हो सकती है तो फिर पहाड़ों के लिए एक मिनिस्ट्री क्यों नहीं हो सकती है? पहाड़ों के राजा का नाम हिमालय है। इसलिए मैं रमेश पोखरियाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे लगा कि पहले अनुराग जी बोल लें, क्योंकि इनका दर्द है, इसलिए मैं चुप बैठा रहा। उनकी पीड़ा जायज है। अनुराग जी, हम भी अरावली की श्रृंखला में पहाड़ों में ही रहते हैं, चाहे दिल्ली में ही रहते हों। पहाड़ का दर्द अपने आप में अलग है। लेकिन मैं केवल पहाड़ के दर्द या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमालय पर्वत की बात न करते हुए देश की संस्कृति के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे देश की जो संस्कृति है, निश्चित रूप से उसके बारे सत्यपाल जी ने भी कहा, अनुराग जी ने भी कहा, वह निश्चित रूप से पर्वतों से निकलकर आयी है। दुर्भाग्य देश का यह रहा है कि निर्णय लेने वाले लोग ढाई से तीन हजार किलोमीटर की रेंज में फैली हिमालय की श्रृंखलाए हैं, और उनके बारे में निर्णय लेने वाले लोग इस पृष्ठभूमि के न होकर ए.सी. कमरों में बैठकर निर्णय लेते हैं, मुझे लगता है कि उनको वहां के लोगों के दर्द के बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए पोखरियाल जी प्राइवेट मेंबर बिल लाये हैं, वह इसी पीड़ा को देखते हुए लाये हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि एक स्पेसिफिक एकाउंटिबिलिटी किसी व्यक्ति की फिक्स हो, स्पेसिफिक एक अलग से मंत्रालय हो, डिपार्टमेंट हो, जिससे अगर वहां किसी भी प्रकार की कोई घटना घटे, त्रासदी हो, उसकी सुरक्षा हो, उसकी रक्षा हो। एक व्यक्ति की एकाउंटबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अब अलग-अलग डिपार्टमेंट के लोग, कृषि मंत्री, हिमालय में अंदर क्या कृषि हो रही है, उत्तरांचल या हिमाचल प्रदेश में क्या कृषि हो रही है या सिक्किम के अंदर क्या आर्गेनिक खेती हो रही है, वह कृषि मंत्री देश की समतल भूमि के बारे में सोचेगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां का कोई रहने वाला व्यक्ति है या उसी की चिंता करने वाला व्यक्ति वहां की चिंता ज्यादा कर सकता है।

अपराह्न 5.06 बजे

[**श्री रमेन डेका** *पीठासीन हुए*]

महोदय, इस भौगोलिकता के साथ-साथ अगर हम हिमालय की बात करेंगे, तो हिमलाय की श्रृंखला के साथ-साथ वहां पर जो ग्लेशियर आज डाउन होते चले जा रहे हैं, पिघलते चले जा रहे हैं, ऐसा जलवायु के कारण हो रहे हैं। अगर हमारी जलवायु खराब है, पर्यावरण अगर खराब है तो पर्यावरण के कारण जलवायु खराब होती जा रही है। पर्यावरण की चिंता नहीं होनी है, उस मंत्रालय को उस बात की चिंता ही नहीं है, जो और मंत्री बने बैठे हैं। अगर कोई पहाड़ों की चिन्ता करने वाले स्पेसिफिक मंत्री होंगे, मैं उसी बात एकाउंटबिलिटी पर आ जाता हूं कि ग्लेशियर अगर इसी प्रकार से डाउन होते चले गये तो जो नदियां हमारी निकलकर आती हैं,

जो पूरे देश के अंदर 50 परसेंट, देश की कृषि की सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नदियां करती हैं, वे नदियां लुप्त हो जायेंगी।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से भारत की जो हमारी संस्कृति है, पूर्वजों ने भी कहा है कि जो अपनी नींव को भूल जाये, फाउंडेशन वह देश भी कभी नहीं रहता, इतिहास में वह समाज भी कभी नहीं रहता और वह प्रजाति भी कभी नहीं रहती है। भारत की जो पहचान है, वह ऋषि, मुनियों के देश के रूप में कही गयी है। बड़े-बड़े देवी-देवता हमारे तप करने के लिए आये, वे सारे देवी-देवताओं के साथ पहाड़ों के ऊपर आश्रित हैं। उस भूमि को कहीं न कहीं देवभूमि कहा गया है। वह अलग बात है कि जितने हमारे पहाड़ के भाई बैठे हुए हैं, ये इस बात का पालन नहीं कर रहे हैं। अतिथि देवो भव: कहा जाता है, तो हमें और सत्यपाल जी को तो पहले बुलवाना चाहिए था, हम तो इनके फेवर में बोल रहे हैं तो हम तो अतिथि हुए। हम इनके पहाड़ों की बात कर रहे हैं। अतिथि देवो भव: वहां पर नारा दिया गया है। हमारे जो ऋषि-मुनि हैं, जिन्होंने तप करके 250-300 वर्ष का जीवन जिया है, कहीं न कहीं अगर उनको तप करने के कारण आध्यात्मिक शक्ति मिली है तो उन्हीं पहाड़ियों की शृंखला में मिली है।

महोदय, वहां पर जो आर्गेनिक खेती की बात की जा रही है, कम से कम 19 से 20 हजार प्रकार की जड़ी-बुटियां पहाड़ों के अंदर पैदा होती हैं। अगर उन जड़ी-बूटियों की रक्षा करनी होगी तो कहीं न कहीं पहाड़ के रहने वाले लोग या पहाड़ की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उनको सुचारू रूप से सुधारना पड़ेगा। वरना वहां से पलायन करके अगर लोग मैदानी इलाकों में आते चले जायेंगे, वहां पर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उनकी चिन्ता नहीं की जायेगी तो कहीं न कहीं हमारे जो सीमावर्ती देश हैं, जैसे चाइना से मिलते हुए हिमालय की तरफ अगर हम जायेंगे या अरुणाचल प्रदेश की तरफ हम चले जायें और वहां पर बॉर्डर में सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम आती है, तो कहीं न कहीं उन लोगों का देशभक्ति के प्रति मन टूटता होगा कि ये देश के लोग हमारे बारे में जब कम सोचते हैं तो सीमा की सुरक्षा के बारे में उनकी चिन्ता भी कम होती होगी।

महोदय, कोई भी मनुष्य पहले अपने पेट के बारे में, अपने जीवन के बारे में पहले सोचने का प्रयास करता है। ये नारे कहने के लिए हैं कि देश सबसे पहले है, देश के बाद राज्य है, राज्य के बाद मैं स्वयं हूं लेकिन कहीं न कहीं यह भावना पनपती चली जा रही है कि सीमावर्ती जो इलाके हैं, वहां पर वे सीमायें सुरक्षित नहीं हैं। उनकी चिन्ता वहीं के लोग करेंगे, वहीं के लोग वहां ठहरकर रहेंगे तो जो घुसपैठ होती है, सरकार कहीं पर नदियों के बहाने से, कहीं पहाड़ों के बहाने से वहां बाउन्ड्री नहीं कर पाती, वायर फेन्शिग नहीं कर पाती है। अगर उनकी चिन्ता की जायेगी तो उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा और ज्यादा बढ़ेगा। कहीं न कहीं यह चीज घूमकर आयेगी कि अगर उनके बारे में सरकारें चिन्ता निश्चित रूप से करेंगी, भाई अनुराग जी भी कह रहे थे, उनकी पीड़ा भी अपने देखी। वे दिमाग से नहीं बोल रहे थे, दिल से बोल रहे थे, आत्मा से बोल रहे थे। उनका दर्द बोल रहा था। अनुराग जी अभी बोल रहे थे, लेकिन अब चले गए हैं।...*(व्यवधान)* अच्छा, वे उधर बैठ गए हैं। अरे भाई! बड़ी मुश्किल से तो इधर आए हैं, इधर आओ ना।...*(व्यवधान)* उनका दर्द बोल रहा था। तो कहीं न कहीं जो उनकी पीड़ा थी उसके बारे में हमारी सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। सरकार चाहे कोई भी हो, आज चाहे एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए की सरकार होने के बाद भी यह प्रस्ताव प्राइवेट मैम्बर्स बिल के रूप में लगाया है। कहीं न कहीं मैदानी इलाकों में भी हमें नदियों को सुरक्षित रखना है। पहाड़ों में पर्यावरण के अनुसार वनों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर 60 प्रतिशत वन पहाड़ों में हैं। उन वनों की अगर रक्षा नहीं होगी, तो फिर कहीं न कहीं पर्यावरण का मामला खराब होता है जिसके कारण वे ऐसा महसूस करते हैं।

[अनुवाद]

श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी (चेवेल्ला) : महोदय, इस अवसर को प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। भारत एक बहुत विविधतापूर्ण राष्ट्र है। एक क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को अन्य क्षेत्र के लोगों द्वारा पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता। परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से, एक क्षेत्र की क्षमता को अन्य क्षेत्र के लोगों द्वारा नहीं समझा जा सकता। यदि वे राष्ट्र के व्यापक हित में भी समझते हैं तो भी पर्वतीय राज्यों की क्षमता को पहचाना नहीं जा सका है। अत:, इस पर निश्चित रूप से विशेष जोर दिया जाना चाहिए और जैसा कि इस संकल्प को पेश करने वाले सदस्य ने कहा है; मैं भी यह समझता हूं कि हिमालयी राज्यों, पर्वतीय राज्यों हेतु एक पृथक मंत्रालय की आवश्यकता है।

क्षमताओं को निश्चित रूप से पहचाना नहीं गया है। वन मंत्रालय द्वारा संपूर्ण राष्ट्रीय प्राप्तियां मात्र 254 करोड़ रुपए हैं। परंतु यदि मात्र इन पर्वतीय राज्यों से वनों की क्षमता को उपयोग किया जाता है तो यह वास्तव में 2,000 करोड़ रुपए हो सकता है। पर्यटन हेतु संभावना को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है- राज्यों और केन्द्र दोनों की प्राप्तियां कम हैं। स्कीईंग के बारे में, छोटे से छोटे यूरोपीयन देशों द्वारा करोड़ों डॉलर अर्जित किए जा रहे हैं, परंतु हम सभी जानते हैं कि हिमालयी शृंखला में भारी संभावना है। राजस्व कितना है? बिल्कुल नाममात्र; यह मात्र पूंजी परिव्यय है, परंतु राजस्व कोई नहीं।

हमारे पास कई खेल हैं जैसे, नदी राफ्टिंग क्याकिंग, ट्राउट फिशिंग प्रसिद्ध महेशी मछली पकड़, परंतु राज्यों और वास्तव में केन्द्र को कोई

राजस्व नहीं। हमने हाल में लेह में यूरेनियम और थॉरियम की संभावना खोजी है। वहां एक विस्तृत अध्ययन भी नहीं किया गया है, यद्यपि यह खोजा गया था, फिर भी इसकी संभावना काफी है। परंतु अधिक महत्वपूर्ण रूप से, राष्ट्र और विश्व के लिए जो महत्वपूर्ण है, वह यह है कि पर्वतीय राज्य संभावनात्मक रूप से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की राजधानी बन सकते हैं। सौर ऊर्जा, हिमालयी राज्यों में से कुछ में सौर ताप राजस्थान के दोगुने से भी अधिक है परंतु सौर ऊर्जा का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार इसे करने जा रही है। परंतु और ऊर्जा के साथ समस्या यह है कि इसे उपयोग करने, पारेषित करने और संवितरित करने की आवश्यकता है। परंतु कोई उद्योग नहीं है। अत: लेह से शेष राष्ट्र जहां उद्योग हैं, तक पारेषित करना, बहुत महंगा हो जाएगा, तो इन पर्वतीय राज्यों में जहां हमारे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं, उद्योगों को क्यों नहीं लगाया जा रहा है? परंतु यह मात्र सौर ऊर्जा नहीं है; हमारे पास स्वच्छ ऊर्जाएं भी हैं जेसे पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, जिनकी हमारे राष्ट्र को आवश्यकता है।

अंत में, मैं परिवहन की बात करूंगा। मैं वास्तव में मध्य भारत से हूं और हमारे पास बहुत विशाल पर्वत नहीं हैं जहां से मैं आता हूं परंतु मुझे प्राय: सभी पर्वतीय राज्यों का भ्रमण करने का अवसर मिला है। मुझे कुछ नवीन किस्म की सब्जियां, फल और बेर पता लगे और मुझे उत्तराखंड से लेंचाडी जैसे एक सब्जी याद है जो अभूतपूर्व रूप से स्वादिष्ट है। दिल्ली में, आपको जर्मन अस्पराजस मिल सकता है और आपको यूरोपीयन हप अस्पराजस मिल सकता है जिसका लेंगडी के समान स्वाद होता है। परंतु मुझे हमारे अपने पर्वतीय राज्यों की लेंगडी प्राप्त नहीं हो सकती।

अत:, मैं समझता हूं कि परिवहन महत्वपूर्ण है और इसे केन्द्र में रखना होगा। जैसा मैंने उल्लेख किया, यह परिवहन मंत्रालय या पर्यावरण और वन मंत्रालय का केन्द्रण नहीं हो सकता। एक पृथक मंत्रालय की निश्चित रूप से आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री एस.एस. अहलुवालिया (दार्जिलिंग) : महोदय, मैं हिमालय की रानी कहे जाने वाले दार्जिलिंग क्षेत्र से आता हूं जिसे हिमालयन क्वीन कहा जाता है। डॉ. रमेश पोखरियाल जी ने एक अच्छा विषय रखा है और मुझे हिचक हो रही थी कि मैं इस बारे में बोलूं या नहीं बोलूं। क्योंकि इन्होंने हिमालय राज्यों की बात कही है, जबकि मैं हिमालय राज्य से नहीं बल्कि हिमालय क्षेत्र से आता हूं। एक ऐसा क्षेत्र, जहां से पवित्र कंचनजंगा के दर्शन होते हैं। कोटि-कोटि लोग सवेरे टाइगर हिल्स पर सूर्य उदय के समय, और कंचनजंगा पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, तो चमकती हुई सूर्य की किरणों का दर्शन करते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हैं। मूलत: इनके संकल्प का जो आधार है कि हिमालयन संस्कृति की रक्षा करना, प्राकृतिक आपदा से बचाना, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान देना, जितना कि उपरोक्त विषयों पर मैंने कहा। उसके लिए इस इलाके को बचा कर रखने के लिए यहां के लोगों को खुशहाल बनाने के लिए त्वरित विकास हो सके, उसके बारे में सोचना। जब मैं इनका संकल्प पढ़ रहा था तो मुझे हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता पर गर्व हो रहा था कि उन्होंने जिस वक्त ब्रांड इंडिया का स्लोगन 5-टी बनाया तो उसमें कहा कि टेलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड एंड टेक्नोलोजी। मैं अगर टेलेंट की बात करूं तो टेलेंट का अभाव हिमालय क्षेत्रों में कम नहीं है। जैसा कि हमारे अनुराग जी कह रहे थे कि किस तरह से रणबांकुरे भारत माता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहूति देने के लिए जरा भी नहीं हिचकते हैं। वह हिमालय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और किस तरह से अरुणाचल के बारे में कह रहे थे कि चीन की लड़ाई के वक्त क्या किया, मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां गर्वीले गोरखा रहते हैं और उनका जब रणभूमि में नारा चलता है, तो एक तरफ 'हर-हर महादेव' की पुकार होती है तो दूसरी तरफ 'जय-जय मां काली आयो रे गोरखाली' और तीसरी तरफ 'जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल' करते हमारे देश के रणबांकुरे भारत माता के आंचल की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहूति देते नज़र आते हैं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : अहलुवालिया जी, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

माननीय सदस्य, इस संकल्प पर चर्चा के लिए बढ़ाया गया समय समाप्त हो गया है। चूंकि इस संकल्प पर चर्चा में हिस्सा लेने हेतु एक और माननीय सदस्य रह गए हैं, इसलिए सभा को इस संकल्प पर और चर्चा हेतु समय को बढ़ाना पड़ेगा।

यदि सभा सहमत है तो चर्चा का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाता है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

माननीय सभापति : ठीक है, धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सभापति महोदय, मैं टैलेन्ट की बात कर रहा था। मातृभूमि की सेवा करने वाले रण बांकुरों से अच्छा टैलेन्ट

और कहां मिल सकता है? यह मारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री का पहला "टी" विद्यमान है इस हिमालय की गोद में।

महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां तेनज़िंग शेरपा ने जन्म लिया था। वर्ष 1953 में, जब ये सुविधाएं नहीं थीं, उसके बावजूद वह हिमालय की चोटी पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए पहुंच गया। एडमंड हिलैरी और जॉन उसके बाद पहुंचे। पर यह दुर्भाग्य है कि हम आज तक तेंज़िंग शेरपा को भारत-रत्न से विभूषित नहीं कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार उन को इस मान से, इस सम्मान से विभूषित करेगी।

इसके बाद नरेन्द्र भाई का दूसरा "टी" आता है। वह है – ट्रैडीशन, हमारी संस्कृति की रक्षा। अगर देखें तो एक तरफ लेह से जो भारतीय संस्कृति शुरू होती है, जम्मू और कश्मीर से जो संस्कृति शुरू होती है, वह हिमाचल होते हुए उत्तराखंड, दार्जिलिंग, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद मैं इन्हें इस से वंचित नहीं रखता, यह संस्कृति नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर और मेघालय तक जाती है। ये भी हमारे ही अंग हैं। हमारे ही बढ़े हुए अंग है। अगर भारत माता का मुकुट लेह से शुरू होता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है तो उनकी फैली हुई भुजाएं, जिसको पहले हम नेफा कहा करते थे, वहां तक और मेघालय तक हैं। एक तरफ भुज में कोटेश्वर मंदिर है। वहां दाहिनी भुजा फैली हुई है। ये भुजाएं वहां तक जाती हैं। उस भारतीय संस्कृति की भी रक्षा करनी है। एक तरफ हम चीन, पाकिस्तान और एक छोटे हिस्से में अफ़गानिस्तान का बॉर्डर देखते हैं और वहां से निकल कर जब हम अरुणाचल प्रदेश पहुंचते हैं तो एक नमस्कार का नया नियम "जय हिन्द" का नारा है। पूरे देश में कोई सलाम-आलैकुम कहता है, कोई सत् श्री अकाल कहता है, कोई नमस्कार कहता है, कोई राम-राम कहता है, कोई नमस्ते कहता है, पर अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां हिमालय की गोद की रक्षा करने के लिए वहां का हर नागरिक "जय हिन्द" कहता है। यह हमारे ट्रैडीशन की रक्षा करने के लिए है। एक तरफ हमारे जो विश्वास हैं कि हमें चार धामों की यात्रा करनी होती है तो हमें जाना पड़ता है, हमें केदारनाथ, बद्रीनाथ जी जाना पड़ता है, शंकराचार्य के यहां भी जाना पड़ता है, अमरनाथ भी जाना पड़ता है, लेह में पत्थर साहिब भी जाना पड़ता है, हेमकुण्ड साहिब भी जाना पड़ता है, नैना देवी भी जाना पड़ता है, वैसे ही हमें बौद्ध मॉनेस्ट्री के लिए तवांग भी जाना पड़ता है। ये सारे दर्शन होते हैं। उसी पहाड़ियों के बीच में मां कामाख्या देवी का मंदिर भी है, माता वैष्णो का मंदिर भी है।

तीसरा "टी" आता है टूरिज्म का। टूरिज्म फोर रिलीजन है, टूरिज्म फोर ट्रेकिंग है, टूरिज्म फोर टी है, टूरिज्म फोर इकोलॉजी है, टूरिज्म फोर माउंटेन है, टूरिज्म फोर स्कीइंग है। इसमें सारे टूरिज्म उपलब्ध हैं और इस पहाड़ी क्षेत्र में ही, हिमालय क्षेत्र में ही उपलब्ध हैं। अगर प्रधानमंत्री का एक और टी मजबूत करना है, तो इस टूरिज्म को भी हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है ट्रेड, व्यापार। व्यापार में हमारी वन संपदा और खजिन संपदा है, बहुत सारी औषधि और फल-फूल हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पर एक उपज है, जो नेचुरल दवाई है सिनकोना, सिनकोना दवाई कुनेन बनाने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट है और यह दुनिया में केवल एक जगह पैदा होता है, बाकी जगह वह सिंथैटिक है। वह सिनकोना मंग्पू में पैदा होता है। यह कलिंगपोंग और कर्सियांग के इलाके में पड़ता है। वहां 150 वर्षों से खेती हो रही है। वहां खेती करते-करते आज उन्होंने वहां लेपकेक और टेक्सस जो एंटी कैंसर मेडिसिन के लिए औषधियां हैं, उनका भी उत्पादन शुरू किया है। इसमें से एक्सट्रैक्शन के लिए ब्रिटिश समय का वहां कारखाना लगा हुआ है। वहीं पर चाय बगान से जो दार्जिलिंग थ्री टी के लिए जाना जाता है, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टिम्बर और दार्जिलिंग टूरिज्म। मैं प्रधानमंत्री जी के फाइव टी के साथ अगर इन तीन टी को जोड़ूं तो यह भी वहां पर होता है।

महोदय, पर दुर्भाग्य यह है कि आज भी पूरे देश में मिनिमम वेजेज तो 100 से ऊपर हो गये, कहीं-कहीं 200 से ऊपर हैं और कहीं-कहीं तो 300 से ऊपर हैं, किन्तु चाय बगान के मजदूरों को अभी भी 95 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, क्योंकि उनका कोई माई बाप नहीं है। इसका भी कोई मंत्रालय नहीं है। आज जो प्लांटेशन इंडस्ट्री है, चाहे वह रबड़ हो, चाहे कॉफी हो, चाहे कैडमम हो, चाहे चाय हो, इसका कोई अलग से मंत्रालय नहीं है। लोहा खनिज पदार्थ है तो उसके लिए स्टील मिनिस्ट्री है, कोयला खनिज है तो उसके लिए कोल मिनिस्ट्री है, वस्त्र घ-घर से बनते हैं या कारखानों में बनते हैं तो उसके लिए टेस्सटाइल मिनिस्ट्री है, किन्तु जो किसान, जो वर्कर, जो मजदूर जमीन से सोना उगलाता है, प्लांटेशन इंडस्ट्री के माध्यम से उसके लिए प्लांटेशन मिनिस्ट्री नहीं है।...*(व्यवधान)* वह बोर्ड है, टी बोर्ड है, रबड़ बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड है और वह भी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर है। अगर इसको ट्रेड के साथ जोड़ना है तो इसको पहले मंत्रालय का स्थान तो दीजिए। आज हमारे प्रधानमंत्री का जो ट्रेड का टी है, वह भी यहां पर विद्यमान है। इसकी अगर रक्षा करनी है तो इसको भी लागू करना पड़ेगा।

पांचवां है टेक्नोलॉजी। चाहे हमें पहाड़ में टूरिज्म करना हो, तो महोदय, मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं, जहां पर वर्ल्ड हैरीटेज ट्रेन जो यूनेस्को ने वर्ष 1999 में दी, जो दार्जिलिंग ट्रेन है, वह ट्वाय ट्रेन के नाम से जानी जाती है। यह वर्ष 1881 में शुरू हुयी और अभी तक चल रही है। वर्ष 2010 में लैंड स्लाइड और वर्ष 2011 में अर्थक्वेक न हुआ होता, तो वह ट्रेन शायद सीधी जाती। आज की डेट में वह सिलीगुड़ी से गयाबाड़ी तक जाती है और फिर पगलाघोड़ा से दार्जिलिंग तक जाती है।

महोदय, इतनी ऊंचाई पर घूम स्टेशन दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ रेलवे स्टेशन है, जो वर्ल्ड हैरीटेज मैप पर लिखा हुआ है। वह स्थान भी वहां है। अगर उसकी भी रक्षा करनी है तो हमें एक मंत्रालय तो चाहिए। पोखरियाल जी ने बहुत अच्छा विषय रखा है, पर हर विषय के साथ मैं उसका नामकरण भी होना चाहिए। हमारे यहां तो अगर किसी की शादी हुयी हो और वह गर्भधारण कर ले, तो लड़का होगा तो यह नाम रखेंगे, लड़की होगी तो यह नाम रखेंगे, यह पहले निश्चित कर लिया जाता है। यह पहले ही मां-बाप सोच लेते हैं। अगर पंडित जी नहीं बताते हैं तो फिर आदमी उसे प्यार से उसी नाम से बुलाने लगता है। ऐसा ही होता है। मंत्रालय को जन्म देने के पहले।...*(व्यवधान)* पता नहीं, यह होगा या नहीं होगा। यह तो बाद की बात है, परन्तु मंत्रालय का नामकरण होना बहुत जरूरी है। हम ने उत्तर पूर्व राज्य के लिए तो डोनर मिनिस्ट्री बनाई थी। डोनर था – डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। मैं कहना चाहता हूं कि हमें यहां डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, हमें मिनिस्ट्री ऑफ हिमालयन रीजन चाहिए, एमओएचआईआर, 'मोहीर'। अगर, 'मोहीर' चाहिए, अगर ऐसा मंत्रालय मिलेगा तो हम समझेंगे कि हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री...*(व्यवधान)* आप 'मोहर' ही बना दीजिए। आप कुछ तो बनाइए। आप तो सक्षम हैं। आप प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं। आप 'मोहर' ही बना दीजिए, लेकिन आप मुगल साम्राज्यवाद की मुहर मत बना दीजिएगा। हमारी मुद्राओं की 'मोहर' बनाइए। जिस 'मोहर' से हम हिमालय संस्कृति की रक्षा कर सकें और इस संस्कृति की रक्षा करते हुए, हम यहां पर फले-फूलें। अगर, मैं दार्जिलिंग के बारे में बोलूंगा तो मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। मैंने इस समय दार्जिलिंग के विषय को नहीं छुआ है। मैंने अपने-आप को सिर्फ हिमालयन रीजन तक ही सीमित रखा है।

मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं, उसके एक तरफ हिमालय है और दूसरी तरफ नक्सलवाड़ी है। नक्सलवाड़ी मेरे ही क्षेत्र का हिस्सा है, जहां नक्सलवाद पैदा हुआ। नक्सलवाद पैदा होने का कारण था – उपेक्षा। उस रीजन की उपेक्षा हुई तो वहां नक्सलवाद पैदा हुआ, जो आज पूरे देश में के लिए सिर दर्द बना हुआ है। नक्सलवाद तो समाप्त हो गया है लेकिन उसने माओवाद का रूप धारण कर लिया है और यह तिरुपति से पशुपति तक फैला हुआ है। वह भी हमारे बगल से ही गुजरता है। मैं इतना ही कह कर पोखरियाल जी के संकल्प का समर्थन करता हूं। में उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर चिंता करेगी। हम लोगों को संकल्प लाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि फूड फॉर थॉट। हम कुछ विषयों को ले कर सरकार को उद्वेलित करना चाहते हैं और सोचने के लिए मजबूर करना चाहते हैं कि जनता की यह भी मांग है, आप इस पर भी विचार करिए। सिर्फ अमल तंत्र पर अर्थात् ब्यूरोक्रैसी पर विचार कर के ही लेजिस्लैशन मत बनाइए। आप जनता की आवाज पर भी कुछ लेजिस्लैशन बनाइए जिससे जनता की भलाई हो सके।

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) **:** सभापति महोदय, श्री पोखरियाल जी यह विषय संकल्प के रूप में इस मंदिर में लाये हैं, सचमुच भगवान ने उनमें प्रेरणा जगाई है। आज से मात्र एक साल पहले, उत्तराखंड की उस त्रासदी के समय में, मैं अपने परिवार के साथ चारों धाम की यात्रा में निकला था।

महोदय, आपको मालूम होना चाहिए कि यह यात्रा कितनी विकट है। मैं वर्ष 1977-78 से हर साल केदारनाथ जी का दर्शन के लिए छटपटाता रहता था, लेकिन प्रभु की क्या माया थी, मैं पूर्णकालिक कार्यकर्त्ता विद्यार्थी परिषद् में उस समय हुआ करता था। मैं रास्ते में गया तो पता चला कि भू-स्खलन के कारण यात्रा स्थगित हो गई है। मुझे वहां से वापस लौटना पड़ा था। मैं बिहार सरकार में मंत्री रहा हूं एवं उसके पहले पांच बार विधायक रहा हूं। मैं पर्यावरण समिति का भी चेयरमैन था। कई बार कार्यक्रम बनते-बनते, मैं वहां नहीं जा पाता था। मैं इस घटना का वृत्तांत रख रहा हूं, आज मैं अन्य मुद्दों पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल इस घटना पर कंसन्ट्रेट करने के बाद, में आपको बताऊंगा कि पोखरियाल जी का यह संकल्प क्यों जरूरी है। जब मैं यह बात कहता हूं तो मेरे आंसू झलक आते हैं। भगवान न करे वह त्रासदी किसी और को झेलनी पड़े। चार दिनों तक मंदिर के उस गर्भ गृह में अपने परिवार के 15 लोगों को ढाढस दिलाते हुए 16 तारीख की रात से तीन बार पानी में डूबने के बाद 17 तारीख को प्रातः काल मैंने देखा कि गांधी सरोवर फट गया। मुझे लगा कि यह कौन सा पहाड़ टूट गया। मैंने सुना था, कोई विपत्ति आ जाती है तो लोग कहते हैं कि पहाड़ टूट गया। मेरा छोटा पोता मात्र दो साल दो महीने का था। आपको विश्वास कराता हूं कि हम रातभर बद्रिका धाम से चलकर 15 तारीख को पहुंचे थे। जब में बद्री धाम से श्री केदारनाथ जा रहा था तो बद्रीनाथ में पूजनोत्सव पर ही डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी का टेलीफोन आ गया। उन्होंने कहा कि आप कहां हैं। मैंने कहा कि मैं चारों धाम की यात्रा पर निकला हूं। उन्होंने सांत्वना दी, बहुत अच्छा, यात्रा बहुत अच्छे ढंग से कीजिए।

मैं उस यात्रा की कुछ घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को भी यह जानकारी हो। जब मैं रात को बद्रीनाथ से गया तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। पता नहीं उस समय मेरे मन में क्या भाव उठे। हमारे साथ दो गाड़ियां थीं। सिक्युरिटी के लोग थे। हमारे परिवार के सब लोग थे। उस समय बिहार में कुछ संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय मैं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री था। बद्रीनाथ में पूजा करने के उपरांत मैंने ड्राइवर को कहा कि अब वापिस चलिए। बिहार में कुछ संकट हो गया है और मेरे मन में भी अच्छी बातें नहीं आ रही हैं। ड्राइवर ने कहा कि बाबा, वह पहाड़ी देख रहे हैं बद्रीनाथ

के ठीक ऊपर, वही श्री केदारनाथ जी हैं। उस जमाने में बद्रीनाथ का पंडित उस पहाड़ से उस पहाड़ तक आता था और शाम तक फिर बद्रीनाथ वापिस आ जाता था। जब उसने बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि मुझे उस चोटी पर जाना है। मैं आज दर्शन कर लेता हूं। दर्शन के बाद मैंने बच्चों से कहा कि हरिद्वार चलो। वहां प्रणाम करके पटना की ओर प्रस्थान करेंगे। आगे फिर कभी श्री केदारनाथ के दर्शन करेंगे क्योंकि मेरे मन में कई भाव उठ रहे थे। श्री केदारनाथ यात्रा से ठीक पहले ऊखी मठ में रात को लगातार तेज बारिश हो रही थी। उस तेज बारिश में बड़े-बड़े पत्थर टूटकर गिर रहे थे। मैंने कभी वह दृश्य नहीं देखा था। मैं पठारी क्षेत्र का रहने वाला हूं।...*(व्यवधान)* इस घटना को सुन लीजिए। मेरी वेदना भी सामने आ जाएगी। अगर कुछ समय बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : आप एक मिनट में कनक्लूड कीजिए क्योंकि मंत्री जी ने जवाब भी देना है।

...*(व्यवधान)*

श्री अश्विनी कुमार चौबे : मैं अपने भाषण को केवल इसी में कनसैंट्रेट कर रहा हूं, दूसरी तरफ नहीं। जाऊंगा।...*(व्यवधान)*

मैं कह रहा हूं कि उस समय रात को लगभग 11 बज रहे थे। जब मैंने पहाड़ों को टूटते हुए देखा, पत्थर टूटकर गाड़ियों के सामने गिर रहे थे। मैंने कहा इतना विकराल संकट। मैंने उसी समय देखा कि ऊखी मठ के पास मेरी गाड़ी के सामने एक बाघ आकर खड़ा हो गया। परिवार के सब लोग घबरा गए। ड्राइवर ने लाइट ऑफ कर दी। मैंने कहा बत्ती जलाओ। बत्ती जलते ही मैंने बाघ को प्रणाम किया। मैंने कहा मुझे तो साक्षात भगवती के दर्शन हो गए। जिस भगवती की रोज आराधना और पूजा करता हूं, जिस पर मां भगवती सवार रहती हैं, वही बाघ दिखाई पड़ रहा था। वह दाहिनी ओर चला आया और हमें गुर्राकर देख रहा था। हम लोग आगे बढ़ गये। केदारनाथ की वह तीनों दिन की घटना मुझे आज भी याद है। हमारे परिवार के सात लोग चले गये, उसका गम तो हमें है ही, किन्तु...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : चौबे जी, समय बहुत कम है, इसलिए आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अश्विनी कुमार चौबे : महोदय, मैंने हजारों लोगों को कागज की पुड़िया की तरह बहते हुए देखा था। आज भी वे पथरीली आंखें हमसे पूछ रही हैं कि बताओ, केदारनाथ में ऐसी बातें क्यों हुईं, उत्तराखंड में ये बातें क्यों हुईं?

महोदय, चूंकि समय नहीं है, इसलिए मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की त्रासदी होती है, तो फिर से हिमालय पर नीति बनाने की मांग शुरू हो जाती है। पर्यावरण विशेषज्ञों से लेकर तमाम लोगों, राजनीतिज्ञों की मांग शुरू हो जाती है। उस समय जो घटना घटी थी, संयोग से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का हमें वहीं टेलीफोन गया था। उनसे बात होती है और उसके 10 मिनट बाद वह घटना 16 तारीख की रात घट जाती है। 17 तारीख को घटती है और 18 तारीख को हम सब लोग किस प्रकार से असुरक्षित रहे, वह हम बता नहीं सकते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया समाप्त करें।

अब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री अश्विनी कुमार चौबे : मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस घटना के पहले अगर एक मंत्रालय होता, तो अच्छा होता। रात में हमारी टेलीफोन से बात होती है। उस त्रासदी में हमारे साढू सुबोध मिश्रा जी मर गये। वे वरिष्ठ पत्रकार थे। उन्होंने रात में ही सारे मंत्रालयों को टेलीफोन किया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से लेकर बिहार सरकार के सब मंत्रालयों को टेलीफोन किया, लेकिन कोई भी हजारों लोगों की जान बचाने के लिए आगे नहीं आये।...*(व्यवधान)*

महोदय, अगर एक मंत्रालय होता...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : समय समाप्त हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री अश्विनी कुमार चौबे : हिमालियन रेंज का अगर एक मंत्रालय होता, तो आपदा प्रबंधन भी जग जाता। वहां आपदा प्रबंधन भी पूरी तरह से असफल रहा। जब मैं नीचे आया, तो मुझे अपने चेहरे को देखने से लग नहीं रहा था कि मैं वही अश्विनी हूं। हमारे सामने डॉ. रमेश पोखरियाल जी बैठे हुए हैं। ये हमें ऊपर हवाई अड्डे पर मिले थे। जब ये हेलीकॉप्टर पर सवार होकर आये, उस समय जब इनसे दर्शन हुए, तो मैंने कहा कि इसका कारण क्या है?...*(व्यवधान)* पूरे क्षेत्र में भूस्खलन होता है, वह पूरी तरह से वर्षा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : मंत्री जी खड़े हैं।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री अश्विनी कुमार चौबे : महोदय, मैं एक घटना बताना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी खड़े हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अश्विनी कुमार चौबे : महोदय, मैं अपनी बात को विराम देने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि हिमालय क्षेत्र के लिए एक मंत्रालय का गठन हो, जिसके बारे में पोखरियाल जी ने कहा है, ताकि हम उसका संरक्षण और संवर्धन कर सकें।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : आदरणीय सभापति महोदय और यहां बैठे आदरणीय सदस्यगण। डॉ. रमेश पोखरियाल जी पिछले सप्ताह यह प्रस्ताव लेकर आये। उस पर आज भी चर्चा जारी रही, जिसका हम स्वागत करते हैं। डॉ. पोखरियाल हमारे अनुभवी सहयोगी हैं। इनका राजनीतिक जीवन में भी अनुभव रहा है। वे उस क्षेत्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये अपने अनुभव से बहुत सारे बिन्दु हमारे ध्यान में लाये।

मैं दूसरे मित्रो, जिन्होंने इस प्रस्ताव पर अपने विचार रखे हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारी बातें हमारे ध्यान में आयीं। कुछ बातें छूट गयी थीं, वे पुन: स्मृति में आ गयी। कुछ बातें स्मृति में थीं, तो उनमें बढ़ोतरी हो गयी। हमारे बीच अहलुवालिया जी बैठे हैं। ये बहुत अनुभवी हैं। प्रहलाद जी, डॉ. सतपाल जी और हमारे मित्र अनुराग जी ने बड़े दर्द के साथ अपना प्रस्तुतीकरण किया। अब शायद वे उठकर चले गये हैं। मैं पिछले सप्ताह और आज भी बड़े ध्यान से सारी बातें सुन रहा था। उसका एक कारण यह भी था कि मुझे यह दायित्व सौंपा गया था। इस जिम्मेदारी के नाते इस प्रताप की चर्चा सुनकर उसका उत्तर भी प्रस्तुत करना है। परंतु साथ ही साथ, एक बड़ा हसीन इत्तिफ़ाक भी है कि इस सदन में इस समय प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, जो बोलने वाले हैं, वे भी पहाड़ी क्षेत्र के हैं, जो थोड़े-बहुत सदस्य रह गये हैं, वे अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र के हैं। मंत्रिपरिषद् के जिस सदस्य को यह दायित्व सौंपा गया है, वह भी पहाड़ी क्षेत्र का है। मैं इस व्यक्तिगत बात पर एक मिनट लेकर आगे बढ़ूंगा। शायद बहुत-से मित्रों को इस बात का ध्यान न हो कि मेरा पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी भी है, पिछड़ा भी है, ऊंचा भी है और दूर भी है। साधनों की कमी भी है। चूंकि हमारा परिवार एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार था, जिसे लोअर मिडिल क्लास कहते हैं। हम जब पाठशाला में पढ़ा करते थे, तो हमारे दूर-दराज़ के पहाड़ पर एक गांव है, वहां पर चिट्ठी पहुंचने में एक महीना लगता था। मेरे घर पर वह चिट्ठी भी तब पहुंचायी जाती थी, जब डाकिया के पास दो-चार चिट्ठियां जमा हो जाती थीं। डाकिया कहता था कि मैं एक चिट्ठी लेकर पहाड़ी थोड़े ही चढ़ता रहूंगा। जब हमारा प्रवेश कॉलेज में हुआ, वहां हम तीन विद्यार्थी थे, जिनमें से दो को कभी रेल यात्रा का अनुभव नहीं था। जिस प्रकार श्री चौबे जी बता रहे थे, इसी प्रकार परिषद् के कुछ लोगों ने हमारी सहायता की। कहने का तात्पर्य यह है कि पहाड़ी क्षेत्र की यह वेदना व्यक्तिगत तौर पर हमारे ध्यान में भी है और हमारे अनुभव में भी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्रों के अपने कुछ विशेष विषय हैं, समस्याएं भी हैं, *[अनुवाद]* कुछ ऐसी विशेष समस्याएं हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों तथा हिमालयी क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। *[हिन्दी]* इसमें जैसा कि कहा गया है, साधनों के अभाव का भी एक विषय है। आपदाएं आती हैं, उसका भी एक विषय है। यातायात का भी विषय है। मेरी दादी स्वयं सुनाया करती थीं, आज से 15 वर्ष पहले 95 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। आज से करीब डेढ़ सौ वर्ष पहले की बात वह सुनाती थीं कि जब उनका विवाह हुआ, तो हमारे गांव में प्रथा थी, उनकी मां ने साथ ही उनकी डोली में लकड़ी भी रख दी। उन्होंने कहा कि अब हमारा मिलना तो नहीं होगा, अपनी सास को ये लकड़ी दे देना, यदि कभी कोई प्रतिकूल बात हो जाए, तो ये हमारी तरफ से उनको दे देना। कहने का तात्पर्य यह है कि यह वेदना है और ऐसा नहीं है कि सरकार इससे परिचित नहीं है। *[अनुवाद]* सरकार हिमालयी राज्यों के सतत् विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है। *[हिन्दी]* हिमालयन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हिमालय क्षेत्र वास्तव में जैविक विविधता, सांस्कृतिक विविधता और मानव जाति की विविधता का एक समृद्ध भंडार है। जैसा कि हम इन दो दिनों की चर्चा में बोलते रहे। *[अनुवाद]* यह

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वास्तव में जैव विविधता, सांस्कृतिक और जातीय जैव विविधता का भंडार है।

[हिन्दी]

यदि इस डायवर्सिटी का कोई सही नमूना विश्व में है, तो वह हिमालय का क्षेत्र है सिजकी ओर बड़ी सुंदरता से माननीय अहलुवालिया जी संकेत कर रहे थे। परंतु ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस विषय में उचित ध्यान नहीं दिया या पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। जैसा कि आपके ध्यान में होगा और मैं पुन: आपके ध्यान में लाने का प्रयास करूंगा। *[अनुवाद]* हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए राष्ट्रीय अभियान, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्ययोजना के तहत प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा है जिसमें ग्लेशियर, भिन्न-भिन्न-जीव और परम्परागत विद्वन समाज शामिल हैं। यह एक विषय है। यह एक वैज्ञानिक शोध का भी काम करता है। यह अभियान क्षमताओं के त्वरित निर्माण पर भी केन्द्रित है जिसमें प्रकृति की शक्तियों और मानव जाति के क्रियाकलापों से सम्बन्धित मानवीय और संस्थागत गतिविधियां शामिल हैं। *[हिन्दी]* जैसे माननीय वालिया जी सिनकोना के बारे में इशारा कर रहे हैं। मैं भी चिकित्सक हूं।....*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मेरा नाम अहलुवालिया है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : माफ कीजिए अहलुवालिया जी, क्षमा चाहता हूं, आप मेरे माननीय हैं और मेरा परिचय आपसे आज से नहीं है, कई वर्षों से है। समय का अभाव और ऊपर से यह दबाव की जल्दी जवाब समाप्त करना है, शायद इसी कारण यह भूल हो गयी। मैं क्षमा चाहता हूं।

जैसा माननीय सदस्य सिनकोना ड्रग्स की बात कर रहे थे, सरकार इस ओर भी ध्यान दे रही है कि हिमालय क्षेत्र की जो क्षमताएं हैं, उनका भरपूर लाभ उठाने का प्रयास हो। *[अनुवाद]* एकीकृत नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालय क्षेत्र के सतत् और अलग विकास के लिए एक समर्पित पर्वत संभाग की स्थापना भी की गई है। *[हिन्दी]* बड़े हर्ष और संतोष की बात है कि इसी क्षेत्र में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण, 2014-15 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हिमालय स्टडीज नेशनल सेंटर की स्थापना के लिए किया। यह हिमालय अध्ययन के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु है। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार के सत्ता में आने के मात्र छह सप्ताह में जो बजट आया है, उसमें विशेष ध्यान रखा जाता है इस क्षेत्र का। प्राथमिकता कितनी दी जाती है सरकार की ओर से, उसका अनुमान इस बात से लगता है कि *[अनुवाद]* राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा मुख्यत: चार कारणों — पहाड़ी और कठिन भूभाग, न्यून जनसंख्या घनत्व, सामरिक स्थिति और वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति के कारण सभी ग्यारह हिमालयी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और झारखंड को विशिष्ट श्रेणी का दर्जा दिया है। ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : सदन का समय 6 बजे तक बढ़ाया जाता है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदय, मैं और दो से तीन मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि माननीय सदस्यों के ध्यान में लाय जाना चाहिए कि जिन 11 हिमालयी राज्यों को विशिष्ट श्रेणी का दर्जा दिया गया है, उन्हें केन्द्रीय योजना सहायता से अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना से अधिक लाभ दिए जाते हैं। *[हिन्दी]* जैसे कहा जा रहा था 10 प्रतिशत है, यह दूसरी बात है कि इस दस प्रतिशत को बढ़ाना है, 20 या 30 प्रतिशत करना है, लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना में यह पहले से अधिक है। *[अनुवाद]* बहुत सी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में इन राज्यों के लिए राज्य के भाग की मांग अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। *[हिन्दी]* जो सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स होती हैं, जिनमें सामान्यत: राज्य की ओर से भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है, वह इन राज्यों से कम अपेक्षित रहता है। दोनों तरह से केन्द्र की ओर से यह प्रयास रहता है कि आर्थिक तौर पर इन राज्यों की जितनी सहायता हो सके, की जाए। हम इस बात से भी अवगत रहते हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि सभी हिमालयी राज्यों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलती हैं। लम्बी सीमा रेखा है। ये सीमाएं जैसा अहलुवालिया जी कह रहे थे, लेह-लद्दाख से आरंभ होकर अरुणाचल प्रदेश तक, कहीं चीन और कहीं पाकिस्तान से लगती हैं और सीमा के आगे-पीछे रहने वाले लोगों की अपनी समस्याएं हैं। उसके लिए *[अनुवाद]* सीमा क्षेत्रों के संतुलित विकास और सीमा क्षेत्र के लोगों की विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु। सीमा क्षेत्र विकास योजना, बीएडीपी पहले से ही सरकार ने स्थापित की हुई है। अनेक प्राब्लम्स हैं, जैसे मेरे प्रदेश में बॉर्डर एरिया के लोगों की कुछ ऐसी जमीनें हैं, जो हमें सुरक्षा कारणों से सेनाओं को देनी पड़ती हैं। उनके लिए रिहैब्लिटेशन हो इत्यादि-इत्यादि। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट परिस्थितियों तथा हिमालयी राज्यों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए, कई केंद्रीय मंत्रालयों ने पहले से ही 10 प्रतिशत निधियां देने का प्रावधान किया है। *[हिन्दी]* जिसका उल्लेख अभी चर्चा में भी आया।

अंत:, अंत में इस संकल्प के प्रति बड़े संवेदनशील तरीके से माननीय सदस्य ने उत्तराखंड की बात रखी। इस बात का भी हमें ध्यान है। कुछ

ऐसे प्रश्न हैं, जो राष्ट्रीय आपदा के प्रति संवेदनशील है तथा जिनके समाधान के लिए अधिक धन और तकनीक सहायता की आवश्यकता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि सरकार पहले से ही प्रतिबद्ध है हिमालयन क्षेत्र के विकास के लिए *[अनुवाद]* और हिमालयी राज्य सरकार की वरीयता में सबसे ऊपर हैं। सरकार हिमालयी राज्यों के सतत् विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ, मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि केवल हिमालयी राज्यों के विकास से सम्बन्धित मामलों के निपटान के लिए नवीन मंत्रालय के गठन हेतु सरकार का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है, और इसीलिए इस समय ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा। *[हिन्दी]* मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि मात्र इस कारण से शायद अभी यह उचित नहीं रहे इस मंत्रालय की स्थापना करना इसलिए फिलहाल सरकार के पास यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः उक्त तथ्यों के मद्देनजर मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपने संकल्प को वापस लेने का मेरा अनुरोध स्वीकार करें। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना संकल्प वापस लें।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : श्रीमन्, लगभग 17 सदस्यों ने इस संकल्प पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं कहना तो बहुत चाहता था, लेकिन अपने समय की बाध्यता और सीमा मेरे सामने रखी है इसलिए संक्षेप में कहूंगा। मैं जज़्बात को नहीं समझ पाया कि जब पूरा सदन हर हाल में यह चाहता है। जितने भी सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, चाहे किसी भी प्रदेश के हों, हरेक ने इसकी चाहे सांस्कृतिक है, भौगोलिक है, चाहे सामरिक है या जल संसाधन है, चाहे आयुर्वेदिक है या साहसिक पर्यटन है या पर्यावरण है, दुर्लभ जगह हैं, चाहे वन सम्पदा है, चाहे राष्ट्रीय एकता और अखंडता है, संस्कृति है, सब चीजों को लेकर यह कहा है कि यदि इस देश को सुरक्षित रखना है तो हिमालय का अलग क्षेत्र बहुत जरूरी है और उसके लिए मंत्रालय का गठन होना चाहिए।

मैं समझता हूं कि चाहे किसी भी पार्टी के सदस्य हों, चाहे किसी भी क्षेत्र से हों, हिमालयन रिजन के तो थे ही, लेकिन अन्य राज्यों के सदस्यों ने भी इस बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ कहा है कि हर हाल में यह मंत्रालय बनाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकारा है कि, हां, इसकी जरूरत है इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि यदि उन्होंने यह स्वीकार किया है तो निश्चित रूप से निकट भविष्य में यह मंत्रालय जरूर बनेगा। आपने कहा कि हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। मैं इस भरोसे के साथ इस संकल्प को वापस लेता हूं कि निकट भविष्य में बहुत जल्द ही हिमालयन रिजन के विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : क्या सभा डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है?

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

अपराह्न 5.59 बजे

(ii) राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं श्री राजू शेट्टी को राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करूं उससे पहले सभा द्वारा इस संकल्प पर चर्चा हेतु समय निर्धारित करना है। यदि सभा सहमत है, तो इस संकल्प हेतु दो घंटे का समय निर्धारित कर लिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

माननीय सभापति : ठीक है, अब श्री राजू शेट्टी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह कृषि क्षेत्र में संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृषक आयोग, जिसे 'स्वामीनाथन आयोग' के नाम से भी जाना जाता है, की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।"

[अनुवाद]

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, श्री राजू शेट्टी आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

सभा 21 जुलाई, 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा सोमवार, 21 जुलाई, 2014/ 30 आषाढ़, 1936 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री पी.के. बिजू श्री राजीव प्रताप रूडी	161
2.	श्री रत्न लाल कटारिया प्रो. सौगत राय	162
3.	श्री रविन्दर कुशवाहा	163
4.	श्री सी.एस. पुट्टा राजू	164
5.	मोहम्मद फैज़ल	165
6.	श्री राजीव सातव श्रीमती सुप्रिया सुले	166
7.	श्री छेदी पासवान डॉ. संजय जायसवाल	167
8.	श्री बी.वी. नाईक श्री रामदास सी. तडस	168
9.	श्री रामसिंह राठवा	169
10.	श्री ओम प्रकाश यादव श्री अर्जुन राम मेघवाल	170
11.	श्री अश्विनी कुमार चौबे श्रीमती मौसम नूर	171
12.	श्रीमती पूनमबेन माडम	172
13.	श्री ए.टी. नाना पाटील	173
14.	श्री रामचन्द्र हांसदा श्री कोडिकुन्नील सुरेश	174
15.	डॉ. ए. सम्पत श्री विद्युत वरण महतो	175
16.	श्री राम मोहन नायडू किंजरापु श्री के.सी. वेणुगोपाल	176
17.	श्रीमती सकुंतला लागुरी श्री राहुल कस्वां	177
18.	श्री जगदम्बिका पाल श्री निशिकान्त दुबे	178
19.	श्री अर्जुनलाल मीणा	179
20.	श्री तारिक अनवर	180

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री आधलराव शिवाजीराव पाटील	1254, 1335, 1388, 1224, 1444
2.	श्री सुवेन्दु अधिकारी	1335
3.	श्री हंसराज गंगाराम अहीर	1232, 1311, 1370, 1416, 1418
5.	श्री बदरुद्दीन अजमल	1234, 1380, 1430
6.	श्री इदरिस अली	1268
7.	श्री एंटो एन्टोनी	1251, 1276, 1355, 1404, 1430
8.	श्री कीर्ति आजाद	1275, 1353
9.	श्री बी. श्रीरामुलु	1271, 1330, 1348, 1382
10.	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	1224, 1254, 1289, 1318, 1408
11.	श्री पी.के. बिजू	1298
11.	श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	1272
12.	श्री हरिभाई चौधरी	1287
13.	श्री पी.पी. चौधरी	1246, 1349, 1356, 1405, 1431

1	2	3
14.	श्री जितेन्द्र चौधरी	1321, 1326, 1349
15.	श्री दुष्यंत चौटाला	1215, 1305, 1345, 1410, 1433
16.	श्री अशोक शंकरराव चव्हाण	1438
17.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1237, 1261, 1354, 1403, 1429
18.	श्री थुपस्तान छेवांग	1250
19.	श्री राम टहल चौधरी	1259, 1270
20.	श्री अधीर रंजन चौधरी	1233, 1384, 1395
21.	श्रीमती रमा देवी	1253, 1270, 1287, 1411, 1434
22.	श्री संजय धोत्रे	1261, 1343, 1395
23.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1240, 1299, 1314, 1373, 1423
24.	श्री निशिकांत दुबे	1333, 1386, 1422, 1443
25.	मोहम्मद फैज़ल	1312, 1378
26.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	1284, 1362, 1401
27.	श्री जैदेव गल्ला	1273, 1322, 1348, 1351, 1400
28.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	1347
29.	एडवोकेट जोएस जॉर्ज	1444
30.	श्री लक्ष्मण गिलुवा	1292
31.	श्री प्रतापराव जाधव	1253, 1322
32.	श्री संजय हरिभाऊ जाधव	1291
33.	डॉ. संजय जायसवाल	1345, 1397, 1426
34.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	1217, 1296, 1390
35.	श्री सी.एन. जयदेवन	1296, 1379
36.	श्री नारणभाई काछड़िया	1229, 1250, 1303, 1308
37.	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	1251, 1387
38.	श्री पी. करुणाकरन	1286
40.	श्री राहुल कस्वां	1377
41.	श्री रत्न लाल कटारिया	1323, 1376, 1438
42.	श्री नलीन कुमार कटील	1225, 1251, 1361, 1387
43.	डॉ. रामशंकर कठेरिया	1220
44.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1217, 1242, 1316, 1325, 1387
45.	श्री चन्द्रकांत खैरे	1238, 1259, 1322, 1411, 1434
46.	श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान	1326
47.	श्री राम मोहन नायडू किंजरापु	1327
48.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	1302, 1368, 1380, 1414
49.	श्रीमती कोथापल्ली गीता	1216, 1222, 1338
50.	श्री एन. क्रिष्टप्पा	1278, 1342, 1357, 1406, 1430
51.	डॉ. अरुण कुमार	1260, 1282, 1384
52.	श्री बी. विनोद कुमार	1335
53.	श्री शैलेश कुमार	1251, 1325, 1330
54	श्री पी. कुमार	1225, 1266, 1395
55.	श्री सदाशिव लोखंडे	1274, 1283, 1361, 1407

1	2	3
55.	श्रीमती पूनमबेन माडम	1325
56.	श्री धनंजय महाडीक	1324, 1379, 1438
57	श्रीमती पूनम महाजन	1226, 1306, 1351, 1409, 1432
58	श्री विद्युत वरण महतो	1303
59.	श्री भर्तृहरि महताब	1261, 1277, 1343, 1395
60.	श्री जोस के. मणि	1251, 1267, 1349
61.	श्री भगवंत मान	1326, 1345
62.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1225, 1301, 1367, 1413
63.	डॉ. थोकचोम मैन्या	1256, 1323, 1337, 1391, 1425
64.	श्री भैरों प्रसाद मिश्र	1313
65.	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	1235, 1256, 1375
66.	श्री बी.वी. नाईक	1313, 1371, 1419, 1439
67.	श्री चांद नाथ	1219
68.	श्री अशोक महादेवराव नेते	1236, 1331, 1384
69.	श्रीमती मौसम नूर	1251, 1319
70.	श्री असादुद्दीन ओवैसी	1227, 1256, 1307, 1375, 1435
71.	श्रीमती कमला देवी पाटले	1239, 1245, 1292
72.	श्री जगदम्बिका पाल	1328, 1382
73.	श्री विनसेंट एच. पाला	1248, 1321, 1402, 1428
74	श्री बैजयंत जे. पांडा	1225, 1247, 1352, 1401, 1427

1	2	3
75.	श्री देवजी एम. पटेल	1221, 1299, 1430
76.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1257, 1339, 1393
77	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	1260
78.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1304, 1381
79.	श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	1245, 1265, 1326, 1348
80	श्री नाना पटोले	1280
81.	श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान	1259, 1341, 1394
82.	श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	1290, 1364
83.	श्री राजन विचारे	1245, 1326
84.	श्री एम.बी. राजेश	1262, 1335, 1341, 1414
85.	श्री सी.एस. पुट्टा राजू	1217, 1297, 1377, 1421
86.	श्री राजेश रंजन	1258, 1285, 1340, 1363, 1439
87.	श्रीमती रंजीत रंजन	1258, 1285, 1338, 1340, 1363
88.	श्री रामसिंह राठवा	1309, 1369, 1415, 1437
89.	श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी	1294
90.	श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी	1347
91.	प्रो. सौगत राय	1329, 1383, 1420, 1441
92.	श्री राजीव प्रताप रूडी	1320, 1381, 1392
93.	श्री ए. सम्पत	1305, 1326
94.	श्री राजीव सातव	1324, 1379, 1438
95.	श्री एम.आई. शनवास	1255, 1336, 1389

1	2	3
96.	श्री राजू शेट्टी	1218
97.	श्री प्रताप सिम्हा	1251, 1264, 1347, 1387, 1399
98.	श्री गणेश सिंह	1230, 1365
99	श्री राकेश सिंह	1231, 1310
100.	श्री भरत सिंह	1398
101	डॉ. भोला सिंह	1282, 1360
102.	श्री हुकुम सिंह	1281, 1359
103.	श्री रवनीत सिंह	1217, 1241, 1257, 1315, 1374
104	प्रो. साधु सिंह	1279, 1358
105.	श्री सुशील कुमार सिंह	1263
106.	श्री सुनील कुमार सिंह	1244, 1317, 1381
107.	डॉ. किरीट पी. सोलंकी	1293
108.	डॉ. किरीट सोमैया	1228, 1332, 1385, 1421, 1442
109.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1324, 1346, 1379, 1398
110.	श्री डी.के. सुरेश	1249, 1286, 1324
111.	श्री रामदास सी. तडस	1334, 1387

1	2	3
112.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा	1216
113.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1223, 1300, 1366, 1412, 1436
114.	डॉ. शशी थरूर	1424
115	श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे	1326, 1377
116.	श्री शिवकुमार उदासी	1243, 1273, 1344, 1396
117.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1269, 1348, 1350
118.	श्री के.सी. वेणुगोपाल	1342
119.	श्री धर्मवीर	1252, 1326
120.	डॉ. वीरेन्द्र कुमार	1271, 1401
121.	श्री चिन्तामन नवाशा वांगा	1336
122.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1289, 1335, 1386, 1388, 1444
123.	श्री ओम प्रकाश यादव	1295, 1372, 1417, 1440
124.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	1288
125.	योगी आदित्यनाथ	1265, 1274, 1330, 1347

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	164, 170
कॉर्पोरेट कार्य	:	
रक्षा	:	161, 165, 173, 180
वित्त	:	162, 163, 168
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	166, 167, 169, 171, 175, 177, 178
योजना	:	174
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
जनजातीय कार्य	:	172, 176
महिला और बाल विकास	:	179

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	1215, 1227, 1228, 1233, 1237, 1241, 1248, 1255, 1264, 1266, 1273, 1276, 1281, 1285, 1286, 1289, 1302, 1311, 1314, 1321, 1346, 1355, 1356, 1359, 1369, 1373, 1391, 1395, 1400, 1402, 1409, 1430, 1436, 1443
कॉर्पोरेट कार्य	:	1222, 1234, 1333, 1374, 1379, 1380, 1408
रक्षा	:	1217, 1225, 1231, 1235, 1239, 1243, 1244, 1250, 1256, 1258, 1274, 1313, 1316, 1323, 1352, 1357, 1366, 1367, 1376, 1385, 1404, 1407, 1413, 1415, 1417, 1418, 1425, 1438, 1440, 1441
वित्त	:	1216, 1221, 1226, 1236, 1240, 1242, 1246, 1249, 1253, 1261, 1262, 1263, 1267, 1270, 1272, 1277, 1279, 1280, 1283, 1284, 1288, 1291, 1295, 1301, 1306, 1310, 1317, 1324, 1326, 1328, 1329, 1330, 1332, 1334, 1339, 1344, 1363, 1371, 1372, 1375, 1377, 1381, 1382, 1386, 1392, 1394, 1405, 1411, 1421, 1427, 1428, 1431, 1434, 1435, 1442
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	1218, 1220, 1223, 1224, 1230, 1232, 1238, 1257, 1260, 1265, 1268, 1269, 1271, 1275, 1282, 1287, 1290, 1292, 1293, 1294, 1296, 1299, 1303, 1305, 1307, 1308, 1309, 1312, 1325, 1335, 1336, 1340, 1343, 1345, 1347, 1348,

		1350, 1354, 1358, 1362, 1368, 1383, 1384, 1387, 1388, 1389, 1390, 1393, 1401, 1406, 1412, 1419, 1420, 1422, 1424, 1429, 1432, 1433
योजना	:	1278, 1304, 1320, 1322, 1396, 1444
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	1338, 1342, 1353, 1426
जनजातीय कार्य	:	1247, 1254, 1259, 1297, 1298, 1300, 1318, 1319, 1341, 1349, 1361, 1370, 1403, 1414, 1423, 1439
महिला और बाल विकास	:	1219, 1229, 1245, 1251, 1252, 1315, 1327, 1331, 1337, 1351, 1360, 1364, 1365, 1378, 1397, 1398, 1399, 1410, 1416, 1437.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और मैसर्स जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।